

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदावाद - १४

सर्वाधिकार नवजीवन प्रकाशन संस्थाके अधीन

प्रथम आवृत्ति ३०००, १९५६

पाँच रुपये

दिसम्बर, १९५६

निवेदन

सरदार वल्लभभायी श्वेरभायी पटेलके जीवन-चरित्रका पहला भाग 'सरदार वल्लभभायी - १' (गुजराती) के नामसे सन् १९५० में नवजीवन प्रकाशन मंदिरकी तरफसे प्रकाशित करते समय अुसके साथ जोड़े हुअे ता० १०-१०-'५० के अपने निवेदनमें मैंने कहा था :

“अिस पुस्तकमें अेक प्रकारसे कहें तो सरदारके साधना-कालका ही विवरण आया है। अुस साधना द्वारा सरदारने जो जो शक्तियां अपनेमें विकसित कीं, अुनका लाभ भारतवासियोंको कैसे मिला और देशकी स्वतंत्रताकी लड़ाीकी सफल बनानेमें तथा अुसके सफल होनेके बाद आजके कठिन समयमें देशकी बागडोर धीरज व दृढ़तासे संभालकर वे अुन शक्तियोंका कैसा अुपयोग कर रहे हैं, अिसका वर्णन आगे प्रकाशित होनेवाले अिस चरित्रके अुत्तर भागमें आयेगा। वह भाग पूरा कर देनेका भार श्री नरहरिभायी परीखने अुठाना स्वीकार किया है, यह जानकर पाठक प्रसन्न होंगे।”

अब सरदारश्रीके चरित्रका यह दूसरा भाग 'सरदार वल्लभभायी - २' के नामसे हिन्दीमें प्रकाशित हो रहा है। परंतु अुक्त निवेदनमें कही गयी बातमें अेक फर्क करना पड़ा है। अिस भागमें १९३० की सविनय कानून-भंगकी लड़ाीके आरंभसे १९४२ की 'भारत छोड़ो' की लड़ाीके आरंभ तकके बारह वर्षोंकी अवधिका चरित्र ही दिया जा सका है। अिसका कारण यह है कि पहले भागमें दिये गये सरदारश्रीके चरित्रके वादसे अुनके अवसान तकका जीवनकाल कभी तरहसे अत्यंत समृद्ध है। और वह सारी समृद्धि अेक पुस्तकमें समा लेना संभव दिखायी नहीं दिया। अिसलिये पहले भागके साथ किये गये निवेदनमें 'अुत्तर भाग' के रूपमें अिसकी कल्पना की गयी थी अुसके दो भाग करने पड़े हैं। अिस 'अुत्तर भाग' का अुत्तर भाग भविष्यमें देनेकी आशा है।

अिस सदभाव और अुत्साहसे हिन्दी-भाषी पाठकोंने पहले भागका स्वागत किया है, अुसी भावनासे वे अिसका भी स्वागत करेंगे, यह विश्वास रखकर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

ता० २५-११-'५६

जीवणजी डा० देसायी

अनुक्रमणिका

| निवेदन | जीवणजी डा० देसायी | ३ |
|--|-------------------|-----|
| १. रास गांवमें सरदारकी गिरफ्तारी | | ३ |
| २. सावरमती जेलमें | | १८ |
| ३. नमक-संग्राम | | ३४ |
| ४. गांधी-अविन समझौता — लड़ाई स्थगित | | ५० |
| ५. कराची कांग्रेसके अध्यक्ष | | ५६ |
| ६. संधिका अमल | | ६५ |
| ७. वारडोलीकी जांच और संधि-भंग | | ८३ |
| ८. गांधीजी व सरदारकी गिरफ्तारी : सरकारका दमनचक्र | | ९८ |
| ९. यरवडा जेलमें गांधीजीके साथ | | १०८ |
| १०. गांधीजीसे अलग होनेके बाद यरवडा और नासिक जेलमें | | १५९ |
| ११. वत्सल हृदय | | १७९ |
| १२. विद्यापीठ पुस्तकालय कांड | | १९८ |
| १३. दोरसद तालुकेमें प्लेग-निवारण | | २०५ |
| १४. १९३४ की वम्बजी कांग्रेस और भुसके बाद | | २१२ |
| १५. जेलसे छूटनेके बादका डेढ़ वर्ष | | २२९ |
| १६. गुजरातका हरिजनकोष, लखनऊ कांग्रेस और प्रांतीय धारासभाओंके चुनावकी तैयारियां | | २४८ |
| १७. फैजपुर कांग्रेस | | २५९ |
| १८. पदग्रहणकी स्वीकृति | | २६५ |
| १९. नरीमान कांड — १ | | २७४ |
| २०. नरीमान कांड — २ | | २९६ |
| २१. हरिपुरा कांग्रेस — १ | | ३२४ |
| २२. हरिपुरा कांग्रेस — २ | | ३३१ |
| २३. पार्लमेण्टरी कमेटीके अध्यक्ष | | ३५१ |
| २४. देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयां — १ | | ३८१ |
| २५. देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयां — २ | | ३९६ |
| २६. देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयां — ३ | | ४८० |
| २७. त्रिपुरी कांग्रेस | | ५०८ |
| २८. कांग्रेस बनवासिनी बनती है | | ५२७ |
| २९. मंत्रिमंडलके त्यागपत्रके बाद | | ५४८ |
| ३०. गांधीजी कांग्रेसके दायित्वसे मुक्त हुए | | ५६३ |
| ३१. व्यक्तिगत सविनय कानून-भंग, साम्प्रदायिक दंगे और सरदारकी बीमारी | | ५६८ |
| ३२. युद्ध भारतके द्वार पर | | ५९२ |
| ३३. क्रिप्सकी संधिवाता | | ६०४ |
| ३४. भारत छोड़कर चले जाओ | | ६१३ |
| ३५. नौ अगस्त | | ६३२ |
| सूची | | ६४३ |

सरदार वल्लभभायी

रास गांवमें सरदारकी गिरफ्तारी

लाहौर कांग्रेसमें पूर्ण स्वराज्यका प्रस्ताव पास करनेके बाद कांग्रेसकी कार्यसमितिनने तय किया कि रविवार ता० २६-१-३० का दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवसके रूपमें मनाया जाय। देशके अक अक शहर और हजारों गांवोंमें सभाओं हुआं और पूर्ण स्वराज्यकी प्रतिज्ञाकी घोषणा की गयी। प्रतिज्ञाके अंतिम भागमें बताया गया था कि :

“हमारा स्पष्ट मत है कि जिस सरकारने हमारे देशकी अैसी चतुर्विध (आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक) बरवादी की है, उस सरकारके अधीन अब अधिक दिन रहनेमें हम मनुष्य और अीश्वर दोनोंके अपराधी बनेंगे। साथ ही हम यह भी मानते हैं कि स्वातंत्र्य-प्राप्तिका सबसे ज्यादा असरकारी मार्ग हिंसाका नहीं परंतु अहिंसाका है। इसलिये जहां तक हो सकेगा हम ब्रिटिश सरकारके साथ स्वेच्छासे होनेवाला सहयोग छोड़कर इस राज्यसे छुटकारा पानेकी कोशिश करेंगे और सविनय कानून-भंग (जिसमें कर न देनेकी लड़ायी शामिल है) के लिये भी तैयारी करेंगे। हमें विश्वास है कि यदि हम इस राज्यको स्वेच्छासे जितनी मदद देते हैं वह बन्द कर दें और कितना ही अुकसाने पर भी हिंसा किये बिना कर देना बंद कर दें, तो हम इस अमानुषिक राज्यका अन्त कर सकेंगे।

“हम आज अन्तःकरणसे प्रतिज्ञा करते हैं कि पूर्ण स्वराज्यकी स्थापनाके लिये कांग्रेस समय समय पर जो सूचनाओं प्रकाशित करेगी उन पर अमल करेंगे।”

पूर्ण स्वाधीनता दिवस सारे देशमें अितने अुत्साहसे मनाया गया कि अुससे देशको इस वातकी कल्पना हो गयी कि बाहरसे दीखनेवाली निष्क्रियता और निराशाकी तहमें कितनी तीव्र भावना और कुर्बानी करनेकी तमन्ना थी। अुसके पहले ही दिन वाअिसरायने बड़ी धारासभामें भाषण दिया और अुसमें गोलमेज परिषद्के अुद्देश्योंके बारेमें स्पष्टता की। अिससे तो आशाकी कोयी गुंजाअिश्च ही नहीं रही। प्रधान मंत्री, भारत मंत्री और दूसरे

ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने गोलमेज परिषद्के अद्देश्य लगभग अेक ही तरहकी भाषामें प्रगट किये थे :

“गोलमेज परिषद् बुलानेका हेतु अैसे अुपाय दूढ़ निकालना है, जिनसे हिन्दुस्तानके तमाम वर्ग, सारी जातियां, सारे दल और अलग अलग स्वार्थ रखनेवाले तमाम लोग अमुक प्रस्तावोंके वारेमें यथा-संभव अधिकसे अधिक मात्रामें अेक विचारके हो जायं और अनुकी अधिकसे अधिक मात्रामें सहमति प्राप्त हो। अैसे सर्वसम्मत् प्रस्ताव पार्लियामेन्टके सामने रखना ब्रिटिश मंत्रिमंडलका कर्तव्य होगा।”

वाजिसरायने अपने भाषणमें साफ साफ कहा कि :

“सम्राट् महोदयकी सरकार जो परिषद् बुलाना चाहती है, अुसका फर्ज, जैसी कि कुछ लोग मांग कर रहे हैं, हिन्दुस्तानका शासन-विधान तैयार करनेके अैसे प्रस्ताव — जिन्हें पार्लियामेन्टको कोअी आपत्ति अुठाये विना स्वीकार करना पड़े — बहुमतसे पेश करना नहीं हो सकता। . . . यह परिषद् तो लोकमतको स्पष्ट करने और अुसके बीच मेल बैठानेके ध्येयसे बुलाअी जा रही है, ताकि सम्राट् महोदयकी सरकारको कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिले। वैसे, पार्लियामेन्टके विचारके लिअे (हिन्दुस्तानके शासन-विधानके) प्रस्ताव तैयार करनेकी जिम्मेदारी तो सम्राट् महोदयकी सरकार पर ही है।”

वाजिसरायने अितनी स्पष्टता कर दी, अिसके लिअे गांधीजीने अुन्हें वचनवाद दिया और घोषणा की कि हिन्दुस्तान जो पूर्ण स्वराज्य मांगता है, अुसकी वानगीके तीर पर नीचे लिखे ११ मुद्दोंके वारेमें लोगोंको अिसी वक्त संतोष दिलाया जाय तो कांग्रेस अैसी गोलमेज परिषद्में भाग लेगी, जिसमें अपने विचार और मांगें पेश करनेकी पूरी स्वतंत्रता हो, और वाजिसराय तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडलको सविनय कानून-भंगकी बात फिलहाल नहीं सुननी पड़ेगी :

१. संपूर्ण शरावबन्दी की जाय।
२. हुंडावनकी दर १ शिलिंग ६ पेंससे घटाकर १ शिलिंग ४ पेंस कर दी जाय।
३. जमीनके लगानमें ५० फी सदी कमी कर दी जाय और अिस विषयको धारासभाके अंकुशमें लाया जाय।
४. नमक-कर हटा दिया जाय।
५. शुरूमें सैनिक खर्चमें ५० फी सदी कमी कर दी जाय।

६. अंचे दर्जेके अफसरोंके वेतन आवे या अुससे भी कम कर दिये जायं।

७. विदेशी कपड़े पर रक्षणात्मक चुंगी लगा दी जाय।

८. समुद्र तटका जहाजी व्यापार हिन्दुस्तानके लोगोंके हाथमें सुरक्षित रहे, असा कानून पास किया जाय।

९. जिन राजनैतिक कैदियोंको हत्या करने या हत्या करनेके प्रयत्नके आरोपमें सजा हुअी हो, अुनके सिवाय तमाम राजनैतिक कैदियोंको छोड़ दिया जाय अथवा साधारण अदालतोंमें अुन पर मुकदमे चलाये जायं। दूसरे राजनैतिक मुकदमे वापस ले लिये जायं। जान्ता फौजदारीकी दफा १४४ अ और सन् १८१८ का तीसरा रेग्युलेशन रद्द किया जाय और जिन भारतीयोंको देशनिकाला दिया गया हो अुन्हें देशमें वापस आनेकी अिजाजत दी जाय।

१०. खुफिया पुलिस विभाग अुठा दिया जाय अथवा अुसे लोकतंत्रके अधीन कर दिया जाय।

११. आत्मरक्षाके लिये हथियार काममें लेनेके परवाने लोकतंत्रके अंकुशके अधीन रह कर दिये जायं।

गांधीजीको अपुरोकत ११ वातोंमें मोटे तौर पर स्वराज्यका सार आ गया मालूम होता था। परन्तु अिस मामलेमें कोअी संतोपजनक अुत्तर नहीं मिला। अिसलिये कांग्रेसको लगा कि लड़ाअी छोड़े सिवा कोअी चारा नहीं है।

कांग्रेसकी कार्यसमितिये लड़ाअीकी सारी वागडोर गांधीजीको सौंप दी। गांधीजी अिस वातका विचार करने लगे कि तोड़नेके लिये कौनसा कानून चुना जाय। गांधीजी कअी वार कहते, 'यह लड़ाअी कव की जाय और किस ढंगसे की जाय, अिसके निर्णय पर पहुंचनेमें मैं अुतनी ही वेदना अनुभव कर रहा हूं जितनी किसी स्त्रीको प्रसूतिकी वेदना होती है।' अुन्हें यह प्रश्न परेशान कर रहा था कि जिस तरह १९२२ में देशके अेक कोनेमें कुछ असहयोगी माने जानेवाले लोगोंने अुत्पात करके रक्तपात कर डाला और अिसलिये लड़ाअीको मुलतवी करना पड़ा, वसा ही फिर हो तो अहिंसक शस्त्रके प्रयोगकी गुंजाअिश ही नहीं रह जायगी। अिसलिये अिस वार गांधीजी अपने विचारोंमें अेक कदम आगे बढ़े। वे अिस निर्णय पर पहुंचे कि 'अितने वर्ष तक लोगोंको अहिंसाकी शिक्षा दी है और अब भी अिस वातकी हम पूरी चिन्ता रखेंगे कि हिंसा न हो, फिर भी जिन्होंने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर न किये हों,

नाममात्रका ही होगा और दूरसे ही मुहावना दिखायी देता होगा, तो उसका नाश हो जाना ही ठीक होगा। असा हुआ तो हार अहिंसाकी नहीं होगी, परंतु यह सावित होगा कि हार अहिंसा-पालनका प्रयत्न करते करते अपने कार्यके लिये पर्याप्त अहिंसा तक न पहुंच सकनेवालोंकी हुआ। जिसमें से शुद्ध अहिंसा प्रकट होगी। जिस विश्वास पर मैं जिस समय अहिंसक युद्धकी सारी रचना नम्र भावसे हृदयमें खड़ी कर रहा हूं।”

अपने मनमें और साथ ही देशके आगे अितनी स्पष्टता करके गांधीजीने यह तय किया कि १२ मार्चको सावरमतीके सत्याग्रह आश्रमसे पैदल कूच करके सूरत जिलेमें स्थित दांडी गांवके समुद्र-तट पर पहुंचा जाय और वहां कुदरती तौर पर बना हुआ नमक अुठाकर नमक-कानूनके भंगसे लड़ायी शुरू की जाय।

लड़ायीके वारेमें गांधीजीके विचार तो सरदारको मान्य थे ही। परंतु अुनके दिलमें अेक दूसरी ही भावना काम कर रही थी। जब सन् १९२२ में गांधीजीको ६ वरसकी सजा दी गयी थी, तब अुन्हींकी सलाह और वाहर रहनेवाले नेताओंकी कोशिशसे देशमें शांति रही थी। जिसका अनर्थ करके लार्ड वर्कनहेडने पार्लियामेन्टमें यह कहा था कि, “गांधीजीको पकड़ लेने पर भी हिन्दुस्तानमें अेक कुत्ता तक नहीं भौंका और हमारा कारवां आरामसे आगे बढ़ता रहा।” सरदारका यह खयाल था कि देशको लार्ड वर्कनहेडके अिन शब्दोंका अच्छी तरह जवाब देना चाहिये। गांधीजीके गिरफ्तार किये जाने पर सारा देश सत्याग्रहकी लड़ायीसे प्रज्वलित हो अुठे, तनाम जेल भर जाय और सरकारको जमीनके लगानकी अेक कौड़ी भी न मिले, तो ही सरदारको संतोष हो सकता था। यद्यपि जिस वारेमें गांधीजीका यह खयाल था कि आर्थिक प्रश्न पर जमीनका लगान न देनेकी लड़ायी करना तुलनामें हलकी बात होगी, परंतु स्वराज्यके प्रश्न पर लगान न देनेकी लड़ायी करनेके लिये देश शायद तैयार न हो। बिसीलिये अुन्हींने कानून-भंगके लिये नमक-कानूनको चुना था।

सरदारने अपने लिये यह योजना सोची थी कि गांधीजीकी दांडी-यात्राके समय अुनके प्रवास-मार्गके आसपासके प्रदेशमें दौरा करके भाषणों द्वारा लोगोंको लड़ायीके लिये तैयार किया जाय। लाहौर कांग्रेससे लौटकर अुन्हींने तुरंत यह काम शुरू कर दिया था। अुन्हींने लोगोंको किस तरह प्रोत्साहित करना आरंभ किया था, जिसके नमूनेके तौर पर भड़ोच शहरमें दिये हुए अुनके भाषणसे निम्नलिखित अुद्धरण यहां दिया जाता है :

सरदार वल्लभभाजी

“ ८-१० या १५ दिनमें कानूनका सविनय भंग होगा। जिस दंगसे और जैसे व्यक्तियों द्वारा होगा, जो अहिंसा-परायण हों, जिनमें क्रोध न हो, अप्या न हो और जिनकी सात्त्विकता और शुद्धताके वारेमें शंका न हो। शुरू करनेवाला और उसके साथी पकड़े जायेंगे। अन्हें पकड़ लें तो आप क्या करेंगे? अंग्लैण्डका अेक राजनीतिज्ञ अभी अभी कह गया है कि गांधीजीको १९२२ में पकड़ा गया तब हिन्दुस्तानमें अेक कुत्ता भी नहीं भौंका था। यह बात सच भी है और झूठ भी है। उस समय वारडोलीमें जो लड़ाई शुरू करनी थी उसे अन्होंने स्थगित किया और तलवार म्यानमें रख दी। अगर दो क्षत्रिय लड़ते हों और अेक तलवारको म्यानमें रख ले तो दूसरा वार नहीं करता। परंतु ये क्षत्रिय नहीं थे, मायावी राक्षस थे। अन्होंने वार करके गांधीजीको पकड़ा। फिर भी गांधीजीने तमाम काम करनेवालोंको मनाहीका हुक्म दे दिया कि मेरे पीछे कोअी न आये; आप जेलें भरनेका आन्दोलन शुरू न करें। इसका अर्थ यह लगाया गया कि अेक कुत्ता भी नहीं भौंका। जब तलवार म्यानमें नहीं रखी थी, तब तो अिनकी हड्डियां ढीली हो गयी थीं। खुद वाअिसरॉयने स्वीकार किया था कि ‘मुझे सूझता न था कि क्या किया जाय?’ बम्बयीके गर्वनर कह चुके थे कि ‘स्वराज्य लगभग हाथमें आ गया था।’

*

*

*

“सावरमतीके किनारे बैठकर अितना दे देनेके बाद गांधीजीको आज नया क्या कहना हो सकता है? दुनिया तो आपसे हिसाब मांगेगी कि आपने क्या किया? अन्होंने तो काम कर दिया और आगे भी करेंगे। अुनके बादमें अुनके साथी पकड़े जायेंगे। तब आपकी परीक्षा होगी।

“मैं किसानों और दूसरे लोगोंसे पूछता हूं कि अीश्वरमें तुम्हारा विश्वास है? खुदाको मानते हो? जानते हो कि जो जन्म लेता है वह मरता है? मौतसे कोअी नहीं बचता। नामर्दोंकी मौत मरनेके बजाय बहादुरों और अिज्जतदारोंकी मौत मरना सीखो। तोपोंके धड़के हों, विमानोंसे बमोंके भड़के हों, तड़गतड़ अिन्सान मरते हों, तो अितिहासके पन्नोंमें नाम तो आये। अैसा दिन हमारे यहां कब आयेगा? तब आयेगा जब कोअी भी गुजराती सरकारका साथ न दे। . . . पकड़-धकड़ होने दो। फिर दुनिया देखेगी कि कुत्ता भौंकता है या क्या होता है?”

७ मार्चको सरदार वोरसद तालुकेके रास गांव गये थे। अनुकी बात सुननेको हजारों आदमी गांवके बाहर बड़े नीचे अिकट्ठे हुये थे। मजिस्ट्रेटने वहां जाकर सरदारको भाषण न देनेका नोटिस दिया और पूछा, "आपका क्या अिरादा है?" सरदारने कहा, "मुझे जिस नोटिसका अुल्लंघन करना है।" वह बोला, "परिणामका विचार तो आपने कर ही लिया होगा।" सरदारने कहा, "कुछ भी हो, मैं जिसकी अवज्ञा करूंगा।" सरदारने भाषण शुरू भी नहीं किया था, परंतु अितनी बातचीत परसे ही अुन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहांसे अुन्हें वोरसद ले जाया गया। वहां मजिस्ट्रेटकी अदालतमें अुन पर मुकदमा चलानेका नाटक किया गया। अदालतमें से वकीलोंको बाहर निकाल दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट, नोटिस देनेवाला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तीनोंने मिलकर घोटाला किया। सरदारकी गैरमौजूदगीमें नोटिसकी तामील करनेवाले मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा अेक और स्थानीय पुलिस अफसरकी अाहादत ली गयी। अुस वक्त सरदारको अदालतके कमरेके पीछेकी कोठरीमें— मजिस्ट्रेटके चेम्बरमें— बैठा दिया गया था। बादमें अुन्हें बाहर लाकर पूछा गया कि "जिस अभियोगके बारेमें आपको कुछ कहना है?" सरदारने जवाब दिया, "मुझे सफाई नहीं देनी है। मैं अपराध स्वीकार करता हूं।" जिला मजिस्ट्रेटने फैसला दिया, "अभियुक्त चिल्ला-चिल्लाकर भाषण देने लगे, जिसलिअे जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टने अुन्हें दफा ५४ के अनुसार अैसा न करनेको कहा। अुन्होंने नहीं माना और भाषण दिया; जिसलिअे धारा ७१ के मातहत जुर्मा हुआ। अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करते हैं। अुन्हें तीन महीनेकी सखी कैद और पांच सौ रुपये जुर्माना और जुर्माना न दें तो तीन सप्ताहकी और कैदकी सजा दी जाती है।" वोरसदसे अुन्हें मोटरमें सीधे अहमदाबाद लाया गया। रास्तेमें डॉ० कानूगाके यहां भोजनके लिअे ठहरे। जिन नन्दूवहन कानूगाको सरदार अपनी सगी बहनके समान मानते थे अुन्होंने अुनको कुंकुमका तिलक लगाया और प्रेमसे विदा किया। आश्रमके सामने भी मोटर ठहरायी और वहां सब भावी-बहनों और बच्चोंसे मिलकर हंसी-दिल्लगी करके अुन्होंने विदा ली। सावरमती जेलके दरवाजेके सामने सुपरिन्टेन्डेन्टने अुन्हें सिगरेट पेश की। सरदार अुसे लेनेको हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि हाथ खींच लिया और लेनेसे अिनकार कर दिया। सुपरिन्टेन्डेन्टने कहा, "आप बीड़ी तो पीते हैं?" सरदारने अुत्तर दिया: "परंतु आप जेलमें बीड़ी देने कहां आयेंगे?" अुसी क्षणसे सरदारने बीड़ी छोड़ी सी सदाके लिअे छोड़ दी।

सरदारकी गिरपतारीके समाचारसे सारा गुजरात आगब्रूला हो जुठा। अहमदावादमें सावरमती नदीके किनारे अक दड़ी सभा गांधीजीकी अव्यक्षतामें हुआ। अुसमें ५० से ७५ हजार आदमी होंगे। अुसमें निम्न प्रस्ताव पास किया गया :

“हम अहमदावादके नागरिक अपना निश्चय घोषित करते हैं कि वल्लभभाभीको जहां ले जाया गया है वहां हम जानेको तैयार हैं। जब तक देशको स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हम चैनसे नहीं बैठेंगे और सरकारको भी चैनसे बैठने नहीं देंगे। हम हृदयसे मानते हैं कि हिन्दुस्तानकी मुक्ति सत्य और अहिंसाके पालनसे ही होगी।”

सरदारके पकड़े जानेसे रास गांव पर विजलीका-सा असर हुआ। पटेल, पटवारी और तमाम चौकीदारोंने अिस्तीफे दे दिये। अितना ही नहीं, रासमें रहनेवाले अक कलालने, जिसने किसी और गांवमें शरावकी दुकानका ठेका ले रखा था, शरावका धंधा कभी न करनेकी प्रतिज्ञा ली। अक सिक्क भाभी जिस दिन सरदार गिरपतार हुअे अुसी दिन रेलवेकी नीकरी छोड़कर राष्ट्रीय सैनिक बन गये। अकेले रास गांवसे ५०० भाभी-ब्रह्मनोंने सैनिक बन कर सत्याग्रहकी लड़ाीमें शरीक होनेके लिये अपने नाम दिये।

तीसरे दिन महादेवभाभी सरदारसे जेलमें मिलने गये। अिसका वर्णन महादेवभाभीकी सुन्दर शैलीमें यहां दिया जाता है :

“वही खिलखिलाकर हंसना, वही कटाक्ष और वही खुश-मिजाजी थी! असा लगता ही नहीं था कि सरदारके जेलमें दर्शन कर रहे हैं। ‘गांधीजीको अक वार जाने तो दो, फिर सब कुछ करके दिखा देंगे,’ यों कह कर सबके कुतूहलको शांत करनेवाले सरदार गांधीजीसे पहले जेलमें चले जायेंगे, यह किसीने सोचा भी नहीं था। वीरसदमें तो वे लोगोंको यह समझाने ही गये थे कि गांधीजी आयें तब लोग क्या करें। अुन्हें जेलमें ले जाते समय कोअी १० मिनट अुनकी मोटर आश्रमके सामने ठहरी थी। अुस समय आचार्य कृपालानीने अुनसे कहा कि ‘आखिर यों वापूको धोखा देकर पहले ही चले जा रहे हैं न?’ तब खिलखिलाकर हंसते हुअे सरदार बोले, ‘धोखा तो सरकारने दिया। यह मालूम होता कि वीरसदमें मुझे पकड़ लेंगे तो वहां जाता ही क्यों?’

“जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट मुझसे आग्रह करने लगे कि आप सरदारसे अंग्रेजीमें ही बातें कीजिये। मैंने जवाब दिया, ‘मैं अपने

पिताजीसे अंग्रेजीमें बोलू तो बल्लभभाजीसे अंग्रेजीमें बोलू। हां, अगर आपका यही आग्रह होगा तो मैं मिलना छोड़ दूंगा मगर अंग्रेजीमें नहीं बोलूंगा।’

“वह घबराया। सरदार हंसते-हंसते कहने लगे, ‘ये आश्रम-वाले लोग जैसे ही होते हैं; जो जीमें आता है करते हैं। ये तो अंग्रेजीमें बोलते ही नहीं हैं।’

“सुपरिन्टेन्डेन्ट कड़वा घूंट पी गया। बुसने कहा, ‘खैर, तो जिस शर्त पर कि आप गुजरातीमें जो बोलें वह कहीं मेरी समझमें न आये तो मुझे अंग्रेजीमें समझा दें।’

“मैंने कहा, ‘यह बात ठीक है।’

“ ‘आपको किस तरह रखते हैं?’ यह पूछने पर सरदारने कहा, ‘जैसे चोर-डाकूओंको रखते हैं, वैसे मुझे भी रखते हैं। बड़ा आनन्द है। असा मजा जिन्दगीमें कभी नहीं आया था।’

“ ‘परंतु नये जेल-नियम आप पर लागू नहीं करते?’

“ ‘सुपरिन्टेन्डेन्टको जिन नियमोंका पता नहीं और मुझे जेल मेंगुअल देखने नहीं देते।’

“ ‘आपको किनके साथ रखा है, कहाँ रखा है?’

“ ‘अपराध करनेकी आदतवाले युवकोंका जो बार्ड कहलाता है बुसमें। लेकिन वहां कोअी युवक नहीं है। पहले दिन तो हमारे जलालपुरवाले जो भाजी शरावकी दुकानों पर धरना देते हुअे साल साल भरकी सजा लेकर आये हैं वे मेरे साथ थे। परंतु अन्हें तुरंत हटा दिया गया।’

“सरदारने आगे बात चलायी: ‘हमारी कोठरी शामको साढ़े पांच वजे बन्द हो जाती है और सुबह ७ वजे खुलती है। कल रविवार था, जिसलिअे दीपहरको साढ़े तीन वजे बन्द कर दिया गया।’

“ ‘सोनेके लिअे क्या है?’

“ ‘अक बढ़िया कम्बल जो दिया है बुस पर लेटते हैं। मुझे पहले दिन लगा कि नींद नहीं आयेगी, परन्तु दूसरे दिन तो गहरी नींद आयी। असी आयी जैसी बाहर कभी नहीं आयी थी। जिन गरमीके दिनोंमें बाहर सुलायें तो कैसा अच्छा हो।’

“ ‘खुराकका क्या हाल है?’

“‘खुराककी तो क्या पूछते हो? जेलमें कोअी मीज करने थोड़े ही आये हैं? दोपहरको कुछ मोटी रोटियां और दाल और शामको रोटी और साग देते हैं। घोड़ेके लायक तो होता ही है।’

“‘परंतु मनुष्यके योग्य होता है या नहीं?’

“‘क्यों नहीं? पाखाने जानेका ठिकाना नहीं था, लेकिन यहां अेक वार नियमित पाखाने जाता हूं। और क्या चाहिये? परंतु अिसकी तुम चिन्ता क्यों करते हो? तीन महीने तो मैं हवा खाकर रह सकता हूं।’ यह कहकर खिलखिलाकर हंसते हुअे जेलका दरवाजा गरजा दिया।

“‘फिर सरदारने कहा, ‘सवेरे जुवारके आटेकी नमक डाली हुअी राव मिलती है। परन्तु वह नहीं लेता, क्योंकि पेचिश हो जानेका डर रहता है।’

“‘रोटियां दांतोंसे चवाअी कैसे जाती हैं?’ अिसके जवाबमें अुन्होंने कहा, ‘रोटियां तोड़कर पानीमें डाल देता हूं और अेक मोटी रोटी मजेसे खा लेता हूं।’

“‘लालटैन मिलती है?’

“‘लालटैन नहीं मिलती। लालटैन मिल जाय तो रातको पढ़ूं भी। यहां तो शाम पड़ते ही अंधेरा हो जाता है।’

“‘कुछ पढ़नेको चाहिये?’

“‘गीता और तुलसीकृत रामायण दी है। आश्रमभजनावलि भेज देना। ये तीन चीजें तीन महीनेमें पढ़ लूंगा तो काफी है।’

“‘मैंने कहा : ‘गीताजी तो अब वापूकी प्रकाशित होनेवाली है।* जिस दिन कूच शुरू करेंगे अुसी दिन यह गीताजी प्रकाशित होगी। और वापूने आपके लिये पहली ही प्रति रख छोड़ी है। वह भेज दूं?’

“‘मैंने सुपरिन्टेन्डेन्टकी तरफ देखा तो वे बोले, ‘भले ही, धार्मिक साहित्यके लिये हमें कोअी आपत्ति नहीं है।’

“‘फिर जब मैंने अुनसे कहा कि आपको दी गयी सजाके वारेमें अहमदावादके वकील खूब मेहनतसे कानून तलाश कर रहे हैं, तो कहने लगे, ‘बेकार कानून किस लिये ढूंढ़ रहे हैं?’

* ‘अनासक्तियोग’ (गुजराती)। अिसमें गांधीजीने गीताके अनुवादके सिवा खास खास श्लोकों पर अपनी टिप्पणी भी लिखी है। नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदावाद। मूल्य ०-१०-०, डाकखर्च ०-२-०।

“मैंने कहा, ‘वे तो हाजीकोर्टमें जाना चाहते हैं।’ तो बोले, ‘मुझे यहां आनन्द है और मैं सजा पूरी किये बिना नहीं निकलूंगा। हां, मजिस्ट्रेट मूर्ख था। उसे कानूनका कुछ भी खयाल नहीं था। उसने किसीको कचहरीमें नहीं आने दिया। कानूनकी धाराओं ढूंढनेमें उसे डेढ़ पहर लगा और मुझे सजा देनेवाला आठ पंक्तियोंका फैसला लिखनेमें डेढ़ घंटा लगा।’

“फिर मैंने उनकी जरूरतकी चीजोंकी सूची बनाना शुरू की। जिस पर सुपरिन्टेन्डेन्टने कहा, ‘अुस्तरेकी बिजाजत नहीं है। आपको हजामत बनवानेकी सुविधा दी जायगी।’ ‘यह तो मैं जानता हूं कि यहां कैसी हजामत होती है।’ कहते हुअे सरदार हंस दिये।

“अिसलिअे जेलरने, जिसे सुपरिन्टेन्डेन्टसे नियमोंका कुछ अधिक ज्ञान मालूम होता था, कहा, ‘साहब, अिस कैदीको तो अुस्तरा दिया जा सकता है।’

“सुपरिन्टेन्डेन्ट बोले, ‘तो ठीक। परंतु जब आपको चाहिये तब देंगे। वह रहेगा हमारे ही पास।’

“अिस पर सरदारने कहा, ‘आप मुझे अेक अुस्तरा दे दें तो कैसा अच्छा हो! दूसरे कैदियोंकी हजामत बनाअूं और चार पैसे पैदा कर लूं।’

“अिस वार तो चित्रवत् बैठे हुअे सुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलर भी खिलखिलाकर हंस पड़े। परंतु अुन्हें तुरन्त ही फिर नियमोंका खयाल आ गया। क्षण भरके लिअे मनुष्य बननेवाले फिर यंत्र बन गये और बोले, ‘अिन्होंने सावुनकी मांग की है परन्तु सुगंधित सावुन न भेजिये। सुगंधित सावुनकी बिजाजत नहीं है।’

“हम रवाना हो रहे थे कि सरदार बोले, ‘तीन महीने तो मैं आराम करूंगा। बाहर निकलूंगा तब बातावरणमें अितनी गर्मी आ गयी होगी कि मैं ठीक मौके पर ही निकलूंगा। बड़ा अच्छा हुआ।’

“अन्तमें जैसे कोअी खास बात कहनेवाले हों अुस तरह बोले, ‘मेरे आनन्दका तो कोअी पार नहीं। परन्तु अेक बातका दुःख है।’

“यह वाक्य अंग्रेजीमें बोले। जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्ट चौंके। सुननेके लिअे अधीर हुअे। परन्तु सरदारने कहा, ‘वह कहने जैसी नहीं है।’ यह कहकर अुन्होंने अुलटा हमारा कुतूहल बढ़ा दिया।

“क्षण भर बाद बोले, ‘दुःखकी बात यह है कि यहां सभी हिन्दुस्तानी अफसर हैं। सिपाहियों और वाडरोसे लगा कर सुपरिन्टे-

न्डेन्ट तक सब हिन्दुस्तानी हैं। कोअी गोरा होता तो अुसे बताता। अुसके साथ लड़ता। परंतु अिन अपने ही लोगोंनेके साथ कैसे लड़ा जाय? हमारे लोगोंनेके तंत्रने कैसा गुलाम बना डाला है, अुसका यह नमूना है।’

“चलते चलते अेक और संदेशा भी अुन्होंने अपनी व्यंगपूर्ण वाणीमें दे दिया। मैंने कहा, ‘आपको तीन महीनोंमें अेक ही मुलाकात मिलेगी और यह अेक तो ही चुकी। अब आप फिर नहीं मिल सकेंगे अिसका दुःख होता है।’

“अिस पर सरदारने कहा, ‘मुझे किसीको मिलनेकी जरूरत नहीं। अुलटे कोअी मिलने आये तो मुझे याद आ जाता है कि अभी तक ये बाहर ही हैं।’”

अुपरोक्त हाल महादेवभाजीने अखबारोंमें प्रकाशित किया कि फौरन सरदारके साथ वरस्ताव बदलनेका हुक्म सरकारने जारी कर दिया। घरसे पलंग, कपड़े, मच्छरदानी और खाना मंगवाना हो तो मंगवा सकेंगे, यह खबर अुन्हें दी गयी। सरदारने कह दिया, “मुझे घरसे खाना नहीं मंगवाना है। सिर्फ दो तपेलियां और थाली-कटोरी मंगवा लूंगा, और सामान दे देंगे तो खाना बना लूंगा, ताकि साफ खानेको मिल जाय।”

अहमदाबादके वकीलोंका खयाल था कि सरदारने भले ही कह दिया हो “I plead guilty (मैं अपराध स्वीकार करता हूं),” परंतु अुन्होंने भाषण नहीं दिया था, केवल भाषण करनेका अपना अिरादा जाहिर किया था। जब तक अुन्होंने नोटिसका दरअसल भंग नहीं किया, तब तक अपराध नहीं बनता। परंतु अैसी वकीली दलीलवाजीमें पड़नेकी सरदारकी अिच्छा नहीं थी। फिर भी दादासाहब मावलंकर कानूनी सलाहकारके तौर पर सरदारसे मुलाकात करने गये, तब सरदारने नीचे लिखा वयान लिखवाया :

“मजिस्ट्रेटने मुझ पर नोटिस तामील किया और मुझसे पूछा ‘अब आप क्या करना चाहते हैं? परिणाम तो आप जानते ही होंगे।’ मैंने कहा, ‘मुझे परिणामकी कोअी परवाह नहीं। मैं भाषण करना ही चाहता हूं।’ अिसलिअे अुन्होंने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्टसे मुझे गिरफ्तार करनेके लिअे कहा और पूछा कि आप जमानत पर छूटना चाहते हैं? मैंने अिनकार कर दिया। फिर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्टने मुझे मोटरमें बिठलाया। मजिस्ट्रेट और पुलिस दल भी साथ आया। हम लगभग अढ़ाअी वजे बौरसदके मजिस्ट्रेटकी कचहरीमें पहुंचे। कलेक्टर

डाक बंगले पर था। वहां डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट अउसे मिलने गया। साढ़े तीन वजे वे दोनों वापस आये। अिस बीच कुछ वकील और गांवके सज्जन मजिस्ट्रेटकी अदालतमें आ पहुँचे थे। जिला मजिस्ट्रेटने आकर अन्हें अदालतसे वाहर निकाल दिया और मुझे वरावरवाले मजिस्ट्रेटके चेम्बरके कमरेमें बैठनेको कहा। मेरे अन्दर जाते ही वाहरसे दरवाजे बन्द कर दिये गये। मैं चेम्बरमें अकेला ही रहा। वाहर अदालतके कमरेमें भी तीन ही आदमी थे। जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और वह मजिस्ट्रेट जिसने मुझे पर नोटिस तामील किया था। कोअी आध घंटे बाद मुझे वाहर निकाला गया। मुझे मजिस्ट्रेटने पूछा, 'जिला पुलिस कानूनकी फलां दफा (जो मुझे याद नहीं) के अनुसार पुलिस अफसरकी दी हुअी आज्ञा न माननेके लिये आपको सजा क्यों न दी जाय, अिसका कोअी कारण ही तो बताअिये।' मैंने जवाब दिया, 'मैं सफाअी नहीं देना चाहूँता और अपराध स्वीकार करता हूँ'। फिर अउसने फंसला लिखा, और अउसे से केवल सजा देनेवाला भाग मुझे पढ़कर सुनाया। मुझे अउसने कहा कि अिस धाराके अनुसार अधिकसे अधिक सजा तीन महीनेकी कैद और ५०० रुपये जुर्माना हो सकती है। अिसलिये मैं आपको ज्यादा सजा नहीं दे सकता। फिर मुझे मोटरमें बिठा दिया गया और वीरसदसे सीधे अहमदाबादके जेलमें लाकर रख दिया।"

अिसके बाद श्री मावलंकरने अउसे कुछ प्रश्न पूछे :

प्र० — जिला मजिस्ट्रेट* के फंसलेमें बताया गया है कि जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री विलीमोरियाने जिला पुलिस कानूनकी दफा ५४ के अनुसार आपको भाषण (Harangue) न देनेका अनुरोध किया था। जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टने आपसे कुछ कहा था ?

अु० — अुन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी अउसे कोअी बात ही नहीं हुअी।

प्र० — फंसलेमें आगे लिखा गया है कि आपने हुकम माननेसे अिनकार कर दिया और भाषण दिया। आपने कोअी भाषण दिया था ?

* ये जिला मजिस्ट्रेट श्री मास्टर वे ही सज्जन थे, जो १९१७ में अहमदाबादमें म्युनिसिपल कमिश्नर थे। अउनकी पोल सरदारने खोली थी, अिसलिये अउनका वहांसे तबादला हुआ था।

अ० — मजिस्ट्रेटके सवालके जवाबमें मैं जितना बोला उतना 'भाषण' दिया था। मैंने उससे कहा कि मैं भाषण करना चाहता हूँ। मैंने अपना यह अिरादा जाहिर किया, अिसलिये मुझे पकड़ लिया गया।

प्र० — जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट अपनी शिकायतकी पृष्टिमें कहता है कि उसने आपको चेतावनी दी उसके बाद आपने भाषण देनेका प्रयत्न किया। यह बात सच है?

अ० — उसने मुझे कोअी चेतावनी नहीं दी। वह तो मजिस्ट्रेटके पास खड़ा था और मजिस्ट्रेटके साथ मेरी जो बात हुआी तो अपूर वता चुका हूँ। अिसके सिवा अुन लोगोंसे मेरी कोअी बातचीत नहीं हुआी। मैंने भाषण देनेकी कोअी कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ अपना अिरादा जाहिर किया था। हां, मुझे गिरफ्तार न किया जाता, तो मैं जरूर भाषण देता।

प्र० — मुकदमेके कागजोंकी जो प्रमाणित नकलें हमें मिली हैं, अुनसे मालूम होता है कि जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टका अिस्तगासेके गवाहके तौर पर वयान लिया गया था। असका वयान आपकी मौजूदगीमें और आप सुन सकें, अिस ढंगसे लिया गया था?

अ० — मेरी अुपस्थितिमें कोअी गवाही नहीं ली गयी और मैं अदालतमें पांच मिनट रहा, अस बीच किसी गवाहसे जिरह नहीं की गयी।

प्र० — आपके विरुद्ध कोअी शिकायत आपको पढ़कर सुनायी गयी?

अ० — नहीं।

प्र० — आपको यह तो पूछा गया था कि आपको किसी गवाहसे कोअी सवाल पूछने हैं?

अ० — नहीं। किसी गवाहके वयान ही नहीं लिये गये थे।

सरदारको अिस प्रकार वाकायदा मुकदमा चलाये बिना सजा दी गयी, अिससे बाहर काफी खलवली मची। दिल्लीकी बड़ी धारासभामें मालवीयजीने सरदारकी गिरफ्तारी और सजाके मुद्दे पर सभाकी कार्रवाअी स्थगित करनेका प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव ३० विरुद्ध ५५ मतोंसे रद्द हो गया, परंतु अिस प्रस्ताव पर कुछ गैरसरकारी सदस्योंने जो भाषण दिये, अुनमें जनाव जिन्ना साहबका भाषण अुल्लेखनीय है। अुन्होंने कहा :

“माननीय गृहमंत्रीके कथनानुसार सरदार वल्लभभाअी पटेलने अपनी गिरफ्तारीसे पहले बहुतसे भाषण दिये थे। मैं पूछता हूँ कि

क्या वे भाषण कानूनके विरुद्ध थे? सवाल तो यह है कि बुन्होंने कानूनकी मर्यादाओंका अल्लंघन किया था या नहीं? जिस वारेमें मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। परंतु यदि बुन्होंने पहले जैसे भाषण दिये थे जिनमें कानूनकी मर्यादाओंका अल्लंघन करनेकी बात कही जाती है, यदि वैसा या वैसे ही भाषण वे यहां भी करनेवाले थे और यदि वे पहले कानूनका अल्लंघन करके जुर्म कर ही चुके थे, तो जिसका अचित्त अुपाय तो यह था—और जिलेके अधिकारियोंको यही अुपाय करना चाहिये था—कि सरदार वल्लभभाजी पटेल पर अपराध करनेके लिये बहुत पहले मुकदमा चलाया जाता। परंतु वाणी-स्वातंत्र्यके सिद्धान्तके मूलमें प्रहार करनेवाला अँसा हुक्म अुन पर तामील नहीं करना चाहिये था। भारत सरकार अँसा करके जो परंपरा डालना चाहती है, वह बड़ी भयंकर है। अुसमें भारी खतरे हैं। जिसलिये मैं जिस धारासभासे प्रार्थना करता हूँ कि वह समझ ले कि सरदार वल्लभभाजी पटेलके मुकदमेका मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी अिधर अुधरकी बातों पर जो कुछ कहा गया है और तरह तरहकी दलीलें दी गयी हैं, अुनसे धारासभाका दूसरी दिशामें वह जाना ठीक नहीं है। हमारे सामने जो असली मुद्दा है अुसी पर विचार करना चाहिये।

“अलवत्ता, विचार-स्वातंत्र्यका दुरुपयोग हो सकता है। कभी वार अुसका दुरुपयोग हुआ भी है। परंतु अुससे भी ज्यादा खतरनाक तो यह है कि सरकार विचारोंको दबा देनेका अधिकार धारण कर ले। मानव-जातिके लंबे अितिहासमें सरकारोंने जिस प्रकारकी सत्ताका अधिक दुरुपयोग किया है। हमारे सामने ठंडे दिमागसे विचार करने लायक सीधा मुद्दा यह है: क्या अुपाय करनेसे राज्यतंत्रको व्यवस्थित और बुद्धिमान बनाया जा सकता है—जिस प्रकारकी रकावटोंसे या आजादी देनेसे?”

सावरमती जेलमें

सरदार अपनी डायरी लिखें यह कल्पना करना बहुत कठिन है। सारी जिन्दगीमें शायद ही कभी अन्होंने डायरी लिखी होगी। परन्तु सावरमती जेलमें अकेले थे, इसलिये अन्हें यह विचार सूझा था। ता० ७-३-३० से २२-४-३० तककी डायरी अन्होंने अपने हाथसे लिखी है। अुसमें सावरमती जेलमें हुयी कुछ महत्त्वकी घटनाओंका वर्णन भी आ जाता है। साथ ही सरदारके भक्तिपूर्ण हृदयकी, गुजरातके प्रति अुनकी अगाध ममताकी और वापूजीके प्रति अुनकी प्रीतिकी हमें अुसमें झांकी मिलती है। इसलिये इस प्रकरणमें वह पूरी डायरी दी गयी है।

ता० ७-३-३०, शुक्रवार : वोरसदसे मोटरमें बैठकर जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री विलीमोरिया रातके ८ वजे सेन्ट्रल जेल सावरमतीमें छोड़ गये। पकड़ते और अलग होते समय खूब रोये। रास्तेमें बहुत भलमनसाहतसे पेश आये। रातको जेलके कोरन्टाइन वार्डमें मुझे रखा। वहां तीन कंवल दिये गये, जिन्हें विछाकर सो रहा।

ता० ८-३-३०, शनिवार : सवेरे अुठने पर आसपास सब जगह कैदी दिखे। पाखाने जानेके लिये दो दोकी कतारमें बैठे थे। अेक ही पाखाना था। अेकमें जाना और दूसरेमें आवदस्त लेना। यह नया ही अनुभव था। इसलिये मैंने तो जानेका विचार ही छोड़ दिया। पेशाबके लिये सामने ही खुलेमें कूड़ा रखा हुआ था। अुसमें जिन्हें करना हो वे सभी खड़े खड़े पेशाब करते। आसपास कैदी, वार्डर और पुलिसवाले घूमते ही थे, इसलिये यह क्रिया करनेकी भी हिम्मत न हुयी। नीमके सुन्दर पेड़से वार्डरने दातुन काट दी, इसलिये दातुन की। कुछ पहचानवाले कैदी निकल आये। जलालपुरके तीनों नये आये हुअे वहीं थे। पुराने घाघ तो तुरन्त ही कहने लगे कि आपको यहां हरगिज नहीं रखेंगे। अुनकी यह बात सच निकली। नौ वजे वार्डरने मेरे लिये पाखानेकी खास सुविधा कर दी। अेक ही पाखानेमें दो कुंडियां रखवा दीं। और सब लोग इस कामसे निवट चुके थे, इसलिये अपने रामको पूरा आधा घंटा मिल गया। अितनेमें जेलर व सुपरिन्टेन्डेन्ट आये। अुन्होंने पूछा कि किसी चीजकी

जरूरत है। अनुसे कह दिया कि आपकी मेहरवानीसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिये। हकसे क्या मिलता है, सो पता चले तो विचार करूं। असलमें तमाम कैदियोंको जो मिलता था वही मुझे मिल सकता था। यह जान लिया कि कोअी विशेष सुविधा देनेकी नियमोंमें छूट नहीं है। फिर यह पूछने पर कि युरोपियन और हिन्दुस्तानी कैदियोंमें कोअी भेद रखा जाता है या नहीं, कहा गया कि कोअी भेद नहीं रखा जाता। परन्तु अंग्रेजी ढंगसे रहनेकी आदतवाले हिन्दुस्तानियोंके लिअे भी अंग्रेजों जैसी सुविधाओं तो नहीं दी जाती होंगी, यह पूछने पर कोअी ठीक जवाब नहीं मिला। मैंने जेल मेन्युअल और नियमोंकी मांग की। जवाब मिला कि नियमानुसार वह नहीं दी जा सकती। मैंने कहा तब तो मुझे लड़नेका विचार करना पड़ेगा। पुस्तकोंमें मुझे भगवद्गीता और तुलसीकृत रामायण दी गयी। जिसलिअे यह कहा जा सकता है कि सभी सुविधाओं मिल गयीं। फिर १० वजे डॉक्टरके पास ले गये। छोटे छोटे दो लड़के डॉक्टर थे। अैसे दुबले-पतले कि अन्हें कैदी अुठाकर ही भाग जायं। वे १४०० कैदियोंकी दवादारू करते थे। वजन १४६ पाँड निकला। अूंचाअी ५ फुट साढ़े पांच अिअ। जिसके वाद छुट्टी दे दी गयी। लौटने पर मुझे दूसरी वरैकमें ले गये। बाहर तो 'जुवेनाअिल हैवीअ्युअल' नंबर १२ नाम लिखा था। परंतु अंदर पांच बुड्डे कैदी थे और १ अघेड़ अुअ्रका भंगी था। ५ में से अेक बोदालका चमार, दूसरा कटोसनका वारंया, तीसरा डाकोरसे पकड़कर लाया हुआ अुत्तर भारतका आवारा साधु, चौथा अुत्तर भारतका बंबअीसे पकड़ा हुआ भैया और पांचवां था अुत्तर भारतका बुड्डा मुसलमान। अुनमें मुझे रख दिया गया। बोदालके बुड्डे चमारको ३२३ में सजा हुअी थी और अुसके लड़केको हत्याके आरोपमें १० वर्षकी सजा हुअी थी। कटोसनवालेको वीरमगांव तालुकेमें चोरीके अपराधमें सजा हुअी थी। और तीसरा खूनके अपराधमें, चौथा अच्छे चाल-चलनकी जमानतमें और पांचवां तो लूट, खसोट, हत्या वगैरा ५६ अपराधोंके लिअे जो १५० की अेक टोली पकड़ी गयी थी अुसमें १० वर्षके लिअे आया था। अुसने ५ वर्ष तो पूरे कर लिये थे। अिन कैदियों पर २ मुसलमान वार्डर थे जो हत्याके अपराधमें सजा पाकर आये हुअे थे। अेक अत्रमदावादमें तेलिया मिलके पास पुलिसको छरा मारनेके कारण ५

घर बनाकर रहा था। और दूसरा भी ५ वर्षसे रह रहा था। अिन सब पर लालखां नामक अेक मुसलमान सिपाही रखा गया था। यहां लाकर मुझे रखा गया। कैदी बेचारे मेरी सार-संभाल करनेका प्रयत्न करते। वार्डरोंके लिये कैदियोंसे खानेपीनेमें कुछ फर्क किया जाता है। अुनको गेहूंकी रोटियां मिलती हैं और कैदियोंको जुवारकी। अिसलिये मेरी जुवारकी रोटियां देखकर वे परेशानीमें पड़े। सवेरे जुवारके आटेकी नमक डाली हुअी राव दी जाती थी। अुसे तो मैंने लेनेसे अिनकार ही कर दिया। दोपहरको अर्थात् सुवह १० बजे और शामको ४ बजे, अिस तरह दो बार अेक अेक रोटी और भाजी या दाल खाने लगा। कैदियोंके साथ ही काम चलाया। सबको दो दो रोटी तुली हुअी और वारी वारीसे दाल या शाक नापसे मिलता है। अपने रामने अेक ही रोटी लेनेका नियम रखा। बाहर चार-पांच बार पाखाने जाना पड़ता था। चाय, सिगरेट वगैराका लालच बताने और खुशामद करने पर भी पेटका कुछ ठिकाना नहीं लगता था। लेकिन यहां खुशामद करना ही छोड़ दिया और यह तय किया कि रोज अेक ही बार जायेंगे। अिसलिये अन्तमें तीसरे दिन ठिकाना लगा। तीन दिन तो पड़े ही रहे। रात दिन घूमने-फिरनेका ही काम रखा। बैरकमें घूमनेकी सुन्दर जगह थी। तीन नीमके पेड़ और आश्रम जैसी स्वच्छता। पाखाना साफ। मेरे लिये कैदी अलग ही रखते। पानीका नल होनेसे नहानेकी अच्छी सुविधा थी। परंतु वह खुलेमें था। अपील करनेका पूछने पर अिनकार कर दिया। मुझे जुवारकी रोटी खाते देखकर अेक वार्डर रुआंसा हो गया। अपनी गेहूंकी रोटी मेरे साथ बदलनेका वहुत आग्रह किया। मैंने नियमके विरुद्ध कुछ भी करनेसे अिनकार कर दिया। अुस भले वार्डरको मैंने धन्यवाद दिया।

ता० ९-३-३०, रविवार: सारा दिन सोनेमें ही बिताया। रविवारको तीन बजेसे कोठरीमें बंद कर दिये गये। और दिनों तो पांच साढ़े पांच बजे बन्द करते हैं। सुवह साढ़े छः बजे बाहर निकालते हैं। रविवारको कपड़े धोनेके लिये गरम पानी और खार दिया जाता है। कैदियोंने अुसमें से मेरे नहानेको गरम पानी निकाल दिया। अिसलिये दो दिनमें नहाया। दस बजे वाद रोटी खाकर सो गये। दोपहरको तीन बजे दो रोटियां, थोड़ा तेल और गुड़ देकर कोठरीमें बन्द कर दिया। मैंने तो तेल लेनेसे अिनकार ही कर दिया। अेक तो खांसी लेकर आया था, दूसरे कच्चा तेल खानेकी अरुचि।

शामको रोटी और गुड़ पानीमें भिगोकर खा लिया। दोनों तरफके दांत गिर जानेसे पानीमें भिगोये विना खायी नहीं जा सकती थी।

ता० १०-३-३०, सोमवार : दोपहरको महादेव और कृपालानी मिलने आये, दफ्तरमें मुलाकात हुयी। साहब सिन्वके हैं। गुजराती आती नहीं और हमें अंग्रेजी बोलना नहीं था। अिसलिअे जरा चक्कचक्क हुयी। अन्तमें चलने दिया। खेड़ाके कलेक्टरने फंसलेकी नकल नहीं दी, अिसलिअे मैंने मांग करना स्वीकार किया। पूछने पर खबर दी कि साधारण कैदीकी तरह रखा जाता है। मेरी तो स्वर्गके निवासकी-सी स्थिति थी, क्योंकि सिरसे बोझा और चिन्ता ही चली गयी थी। और आरामका पार ही नहीं। खाने-पीनेकी कोअी खास आदत नहीं रखी थी। अिसलिअे कठिनाअी नहीं थी। जमीन पर कम्बल विछाकर सोना अेक दिन कठिन लगा। वादमें कुछ मुश्किल महसूस नहीं हुयी। गरमीके कारण वाहर सोनेकी और रातको लालटैनकी मांग करने पर अस्वीकार कर दी गयी। लिखकर देनेको कहा तो मैंने अिनकार कर दिया। किसी तरहकी मेहरवानी नहीं चाहिये, अिसलिअे लिखनेकी बात छोड़ दी। महादेवने मुकदमेके सारे हालात जान लिये। अुन्हें पूरा पता नहीं लगा था। जेलके चरखे पर सूत बटनेका काम शुरू किया।

ता० ११-३-३०, मंगलवार : सरकारका कोअी हुक्म आया कि मुझे विशेष कैदीके तौर पर रखा जाय और सुविधाअें दी जायें। मुझे बताया गया। मैंने कह दिया कि मुझे कोअी सुविधा नहीं चाहिये। यहां हर बातका सुख है। सिर्फ अेक ही दुःख है। वह कहनेकी जरूरत नहीं। सुपरिन्टेन्डेन्टके आग्रहसे कहा कि जैसे हिन्दुस्तानका राज्य हमारे ही लोगोंसे चल रहा है, अुसी तरह सारे जेलमें कोअी अंग्रे नहीं है, अिसलिअे किससे लड़ा जाय ?

तीनेक वजे कलेक्टर और डी० अेस० पी० मिलने आये। अुन्होंने कहा कि आपको जो सुविधा चाहिये बताअिये। मैंने अुत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिये। और खेड़ाके कलेक्टरके अनुचित व्यवहारकी बात कही। जेलरका अत्यंत आग्रह देखकर घरसे विस्तर, थाली-कटोरी और लोटा मंगवाया। अंबालाल सेठकी भेजी हुयी छः पुस्तकें मिलीं। लालटैनकी मंजूरी मिल गयी, अिसलिअे रातको ग्यारह वजे तक रामायण पढ़ी। आजसे दूध, चाय, दही और डबल रोटीकी सुविधा हो गयी, अिसलिअे वह भला वार्डर खूब खुश हुआ।

ता० १२-३-३०, बुधवार: सुबह चार बजे अठकर प्रार्थना की। गीता पढ़ी। आज छः साढ़े छः बजे वापूके आश्रमसे खाना होनेकी बात याद करके खास तौर पर अश्वर-स्मरण किया और अन्नकी सफलताके लिये प्रभुकी सहायता मांगी। सवेरे ९ बजे श्री जोशी मजिस्ट्रेट आये। रास्तेमें लोगोंकी भारी भीड़ जमी हुई थी, जिसलिये अन्हें देर हो गयी। फिर अन्होंने वार-असोसियेशन द्वारा प्रस्ताव पास किये जाने और वह प्रस्ताव मि० डेविस* के मारफत हाजीकोर्टमें भेज देनेकी मांग करनेकी बात कही। शामको सुपरिन्टेन्डेन्ट आये। अन्नसे मि० डेविसको मेरी ओरसे विशेष सन्देश भेजनेकी प्रार्थना की और कहलवाया कि असा प्रस्ताव भेजनेकी कोजी आवश्यकता नहीं। मैं चाहता हूँ कि वे न भेजें। वे खास तौर पर जाकर मि० डेविससे कह आये।

आजसे सुबहके वक्त अक डबल रोटी और दो अंस मक्खन मंगवाना शुरू किया है।

ता० १३-३-३०, गुरुवार: चार बजे अठे। प्रार्थना और रामायण। मि० डेविस मिलने आये। घरसे पलंग बिस्तर आये। बाहर सोनेकी अजाजत मिली। लालटन बाहर रखकर पढ़ा। अंवालालभाभीके यहांसे आराम कुरसी आयी। फसलेकी नकल मिली। आज फिर जेलर बोला कि सरकारका हुकम आपको 'अ' वर्गके कैदीकी तरह रखनेका आया है। जिसलिये आपको जो सुविधा चाहिये वह मांग लें।

ता० १४-३-३०, शुक्रवार: चार बजे अठकर प्रार्थना वगैरा। मावलंकरको बुलानेके लिये पत्र लिखा। चरखा, पूनियां और लिखनेका सामान आया।

आज होलीका त्यौहार होनेके कारण कैदियोंकी अढ़ाजी बजे कोठरीमें बन्द कर दिया गया और सिपाहियोंको छुट्टी दे दी गयी। खानेकी रोटियां दो बजे दी गयीं। वे कोठरीमें ही खानी थीं।

ता० १५-३-३०, शनिवार: आज सुबह अढ़ाजी बजे अठे। 'Emma Hamilton' चार बजे तक पढ़कर पूरी की। फिर प्रार्थना की और रामायण पढ़ी। पांच बजे O'connorकी 'Memoirs of an old Parliamentarian', Vol. I पढ़नी शुरू की। सात बजे बाद अक घंटे घूमे और बादमें नहा-धोकर निवृत्ते।

* अहमदाबादके जिला जज। वे विलायतमें सरदारके सहपाठी और मित्र थे। अंस वक्तकी मित्रता हिन्दुस्तानमें भी कायम रही थी।

मावलंकर दादा और महादेवसे मिलने दफ्तरमें ले गये। वारडोलीसे हिसाब आडिट होकर आया था। बस पर दस्तखत कर दिये। फिर दादाको फँसलेकी नकल दी। कानूनी चर्चा की। मुकदमेके तमाम कागजोंकी नकल मांगनेके लिये खेड़ाके कलेक्टरको दरखास्त दी। आकर भोजन किया। फिर चरखा चलाया। आज घुलेटी होनेके कारण दो वजेसे जेलके नौकरोंको छुट्टी देनी थी, जिसलिये कैदियोंको दो वजेसे कोठरीमें बन्द कर दिया गया। आज शामको पांच वजे दोनों वार्डोंको बुला लिया और उनके बजाय सिपाहियोंका पहरा लगा दिया। शामको केवल दूब लिया। रातको दस वजे सोये।

ता० १७-३-३०, सोमवार: सवेरे चार वजे अठे। प्रार्थना, वाचन, कसरत। छः वजे दातुन, कुल्ला, नाश्ता। बादमें चरखा। ग्यारह वजे भोजन किया। डॉक्टर कानूगा, नंदूवहन और आनंदी आये। जेल सुपरिन्टेन्डेन्टके दफ्तरमें उनसे मुलाकात हुई। बादमें आध घंटे सोये। फिर चरखा चलाया। शामको अेक घंटे पढ़नेके बाद भोजन। रातको दस वजे सोते समय जुलाब लिया।

ता० १८-३-३०, मंगलवार: चार वजे अठे। प्रार्थना, वाचन, कसरत। छः वजे दातुन-पानी। फिर चरखा। दस वजे भोजन। ग्यारह वजेसे दो घंटे चरखा। फिर पढ़ा। चार वजे फिर भोजन। शामको अेक घंटे धूमे। बादमें प्रार्थना, पढ़ाई। नौ वजे सो गये।

ता० १९-३-३०, बुधवार: पांच वजे अठे। प्रार्थना। नित्यक्रम। खेड़ासे जो नकलें आयीं, अन्हें मावलंकरको पत्र महित भिजवाया। अन्य बातें सदाके अनुसार। आज बस चमारको दूसरे वार्डमें ले गये।

ता० २०-३-३०, गुरुवार: चार वजे अठे। प्रार्थना, वाचन, कसरत नित्यके अनुसार। फिर काता। बारह वजे मावलंकर, महादेव, दीवान मास्टर और मणिवहन आये। कलेक्टरको फिर पत्र लिखा। पूनियां खतम हो गयीं सो मंगवायीं। बस वावाको यहांसे अस्पताल ले गये, जिसलिये मेरे सिवा तीन कैदी रह गये। परंतु शामको पांच वजे अेक कैदीको और यहां लाये, जिसे ३०४ में अेक वर्षकी सजा हुई है।

विद्यापीठसे 'विश्वभारती' मासिक आया था। वह नुपरिन्टेन्डेन्टके पास था; अन्होंने भेजा। 'प्रस्थान' तथा 'मॉडर्न रिच्यू' अभी तक अन्होंनेके पास है। वह दे नहीं रहे हैं।

ता० २१-३-३०, शुक्रवार : चार वजे अुठे। प्रार्थना, कसरत, वाचन। दातुन-कुल्ला, नाश्तेमें अेक घंटा। फिर दस वजे तक चरखा। साढ़े दस वजे भोजन। अुसमें अेक घंटा। फिर दुवारा दो वजे तक चरखा। फिर अेक घंटा पढ़ाअी वादमें आराम। भोजनके वाद पढ़ाअी। प्रार्थना। फिर अेक घंटे धूमे। दस वजे तक पढ़ा। कल कमेटी आनेवाली थी। अिसलिले सव कैदियोंकी हजामत वनवाअी गअी।

ता० २२-३-३०, शनिवार : पांच वजे अुठे। प्रार्थना, कसरत, नित्यक्रम। आठसे दस चरखा। दस वजे डॉक्टर वजन लेने आये। तीन पॉड वजन घटा। आज सुवह खाना नहीं लाया। अपच हो जानेसे मुंह आ गया था। डॉक्टरने कुल्लेकी दवा दी। दोपहरकी तीन घंटे चरखा। शामका भोजन छोड़ दिया।

ता० २४-३-३०, सोमवार : सवेरे चार वजे अुठे। और वातें सदाकी तरह। वारह वजे दादूभाअी और मणिवहन मिलने आये। आज अेक वार खाया। शामको सिर्फ दूध लिया।

ता० २५-३-३०, मंगलवार : खेड़ाके कलेक्टरका जवाव आया। अुसकी खबर मावलंकरको दी। और सव वातें नित्यके अनुसार। जुलाव लिया था अिसलिले रातको अेक वजे अुठना पड़ा।

ता० २६-३-३०, बुधवार : मनसुखलाल मिलनेके लिले अिजाजत चाहते हैं। मंगलवारको आनेके लिले लिखवाया। और सव वातें रोजकी तरह।

ता० २७-३-३०, गुरुवार : तीन वजे अुठा। प्रार्थना आदि नित्यके अनुसार। मनसुखलालका आमका पारसल आया। मावलंकर और वल्लूभाअी मिलने आये। जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट शनिवार रातको यहांसे जा रहे हैं। अिसलिले आखिरी वार मिलने आये।

ता० २८-३-३०, शुक्रवार : नित्यके अनुसार।

ता० २९-३-३०, शनिवार : साढ़े तीन वजे अुठा। आज वारडोली और मातर-महेमदावादके सरकारी हुक्म लेकर महादेव मिलने आये। जेल सुपरिन्टेन्डेन्टको आखिरी नमस्कार। शेष नित्यके अनुसार।

ता० ३०-३-३०, रविवार : आज अढ़ाअी वजे अुठा। जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री अडवाणी आज गये। और नये मि० लेक्स्टन आये। और सव वातें सदाकी भांति।

ता० ३१-३-३०, सोमवार : आज नये सुपरिन्टेन्डेन्ट सुबह जेलरके साथ आकर मिले । अंबालालभाजीकी छः किताबें पढ़ ली हैं, अन्हें आज लौटाया । अन्होंने दूसरी तीन भेज दीं । सी० सरलादेवीने अचार, पापड़ वगैरा भेजे सो जेलर दे गया । डॉ० फोजदार आये । मुंह और जवान देखकर दवा देनेका कह गये । फिर दुवारा आनेको कहा ।

ता० १-४-३०, मंगलवार : 'मॉर्डन रिव्यू' और 'पंच' वगैरा पत्र दिये । आज मनसुखलाल आनेवाले थे लेकिन नहीं आये । उनका पत्र आनेके समाचार भी नहीं मिले । जिसलिअे तलाश की । जेलर बीमार पड़ गया है । डि० जेलर आया और खबर दे गया कि पत्र नहीं आया । जिससे आश्चर्य तो हुआ । डॉक्टरने कुल्ले करनेकी दवा दी । जुलावकी दवा भी भेजी । रातको जुलाव लिया ।

ता० २-४-३०, बुधवार : जुलाव सुबह ठीक हो गया । छः वजे तक सोया रहा । खुराक कम कर दी । जवसे खुराकमें मनचाहा खानेकी छूट मिली है तवसे दो तीन प्रयोग करके शामको केवल दूध चावल और दोपहरको रोटी, मक्खन, चावल, दही, दाल, शाक खाना तय किया ।

ता० ३-४-३०, गुरुवार : आज डॉ० फोजदार नहीं आये । डेविस सुबह मिल गये । खूब बातें कर गये । गोलमेज परिपदमें जानेका खूब आग्रह करने लगे । स्वयं साथ चलनेकी अिच्छा प्रगट की । जेलर अभी बीमार ही है ।

ता० ४-४-३०, शुक्रवार : आज जेलर काम पर आ गया । सुपरिन्टेन्डेन्टको साथ लाया । मनसुखलालके पत्रकी बात पूछने पर सुपरिन्टेन्डेन्ट तुरंत बोले कि पत्र आज ही आया है, आपसे कहना भूल गया । डॉ० फोजदार आये । फल लेनेकी सलाह दे गये । भेजनेके लिअे डॉ० कानूगासे कहनेकी सूचना दी ।

ता० ५-४-३०, शनिवार : पौनेचार वजे अुठा । डॉ० कानूगाके यहांसे फल आये, जिसलिअे दूसरी खुराक छोड़ दी । जिससे तबीयत ठीक हो गयी ।

ता० ६-४-३०, रविवार : आज चार वजे अुठकर राष्ट्रीय सप्ताह मनानेकी सफलताके वारेमें और गुजरातकी लाज रखनेके वारेमें श्रीश्वरसे खूब प्रार्थना की । शेष सदाकी भांति ।

रातको ९ वजे सुपरिन्टेन्डेन्ट, जेलर और वीरमगांवके असिस्टेन्ट कलेक्टर मणिलाल कोठारीको मेरे वार्डमें रख गये। मणिलालसे रातके बारह वजे तक बाहरकी सब बातें सुनीं। बादमें सो गये।

ता० ७-४-'३०, सोमवार : रातको देर तक जागनेसे आज प्रातः देरसे अठ्ठा। साढ़े पांच वजे अठ्ठकर प्रार्थना की। गीता-पाठ तथा रामायण-कथा। सुबहकी पढ़ाई छोड़ दी और दिनके भागमें ही पढ़नेका निश्चय किया। आज सुपरिन्टेन्डेन्ट अपने यहांसे 'टाइम्स' दे गये। शामको खेड़ासे दरवार साहब, गोकलदास तलाटी वगैराको और अहमदाबादसे डॉ० हरिप्रसादको जेलमें लानेकी बात सुनी। दिनमें मणिलालसे बाहरकी सब बातें जान लीं।

ता० ८-४-'३०, मंगलवार : आज पांच वजे अठ्ठे। प्रार्थनाके बाद नित्यक्रम। साढ़े दस वजे महादेव मिलने आये। वारडोली और मातरके सरकारी हुकमकी बातें कीं। दरवार साहबसे कुछ लोगोंको दो दो वरसकी सख्त सजा देनेकी और खेड़ाके कलेक्टरकी गुंडाशाहीकी बातें सुनीं। गुजरातका अत्तर अत्यंत सुन्दर होने और वापूके प्रसन्न होनेकी बात सुनी। सुपरिन्टेन्डेन्ट 'टाइम्स' और अन्य पुस्तकें दे गये।

ता० ९-४-'३०, बुधवार : चार वजे अठ्ठा। प्रार्थना, नित्यक्रम। कलेक्टर टेलर तथा पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ओ'गोरमन नौ वजे आये। उनसे यह बतानेको कहा कि खेड़ा जिलेके कैदियोंके बारेमें वे क्या करना चाहते हैं। फिर वे वहां गये। सब कैदियोंको मेरे वार्डमें लाये। उनसे कैदियोंके वर्गीकरणका हाल सुना। टेलर असका फैसला करना चाहता था। उसे रास्ता बताना दिया। किसीको किसी भी वर्गमें रखें, इस पर हमें कोई अंतराज नहीं। सिर्फ हम सबके साथ जेलमें अकेला व्यवहार होना चाहिये, फिर हमें कुछ भी आपत्ति नहीं। हमने बताना दिया कि सबका भोजन अकेला हो, सबका रहना साथमें हो और किसी भी प्रकारका भेदभाव न हो, तो फिर सरकारी कागजोंमें किसीको किसी भी वर्गमें रख दिया जाय, हमें कोई अंतराज नहीं। वह ऐसा ही हुकम दे गया। इसलिये सब सत्याग्रही कैदी, जो कुल मिलाकर अकतीस थे, मेरे वार्डमें रख दिये गये। मैं और मणिलाल तो थे ही। इस प्रकार कुल तैंतीस हो गये। सबके अके साथ रहने और अके ही पंक्तिमें खानेकी व्यवस्था हो गयी। हमारे वार्डमें केवल नौ जनोंके ही रहनेका अितजाम था। इसलिये अके और वार्डमें,

जहां मुविधा अधिक थी, चौबीस जनोंको शामके साढ़े सात वजे प्रार्थनाके बाद सोनेके लिये ले जाने और सुबह नित्यक्रमसे निवटकर सबके इस वार्डमें आनेकी व्यवस्था की गयी। दोपहरको ग्यारह वजे मृदुला, भारती, निमू और वा मिलने आयीं। रातको अेक वजे तक गोकलदास और फूलचंदसे मेरी गिरफ्तारीके बादके खेड़ा जिलेके सारे हालचाल पूछकर जान लिये।

ता० १०-४-३०, गुरुवार: प्रातः छः वजे अुठा। रातको जागरण हुआ था। प्रार्थना, चरखा। दोपहरमें रामराय मिलने आये। फिर दफ्तरमें बुलाकर सुपरिन्टेन्डेन्टने सरकारकी तरफसे आये हुअे खुराक संबंधी हुकम बताये। अुनमें जो फेरबदल करना था सो बताया। मैंने कहा, वारह आंस गेहूंका आटा रोटीके लिये मिलता है, अुसके साथ घी-तेल नहीं मिलता। जिसलिये फी आदमी दो आंस घी-तेल मिलना चाहिये। और वह न मिले तो दो आंस मक्खन मिलना चाहिये; और वह भी न मिले तो गेहूंका आटा कम कर दिया जाय, ताकि हमारे खातेमें, व्यर्थ खर्च न लिखा जाय। क्योंकि विना घी-तेलके हम कोअी अितना आटा खा नहीं सकते और आटा वेकार जाता है। यह भी कहा कि सुबह जो डवल रोटी दी जाती है, वह आधी कर दी जाय और जिससे जो बचत हो अुसका घी-तेल दे दिया जाय। यह अुन्होंने नामंजूर कर दिया। मैंने कहा कि हमें बतायिये कि सरकार हरअेक कैदी पर क्या खर्च करना चाहती है। अुसमें हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। परंतु हम यह मंजूर नहीं करेंगे कि हमें अुनुकूल न पड़नेवाली व्यवस्था करके हमारे नाम पर खर्च लगाया जाय। हम साधारण कैदीकी ही खुराक लेंगे। हम यहां अैश-आराम करने नहीं आये हैं। साथ ही यह बात भी नहीं कि हमें फलां चीज मिलनी ही चाहिये। परंतु जो हकसे मिलेगा वह जरूर लेंगे। जिसलिये अुन्होंने कमिश्नरसे मिलकर शामको सूचना देनेको कहा। शामको अुन्होंने जेलरके साथ कहलवाया कि कलसे हमारी मांगके अुनुसार कामचलाअू प्रबंध स्वीकार करके सरकारको लिखा है। दोपहरको खेड़ासे दो आदमी आये। अेक चांपानेरिया और दूसरे वीरसदके चतुर्भुज। चतुर्भुज वीमार होनेके कारण दवाखानेमें भेज दिये गये। चांपानेरियाको हमारे पास बुलवा लिया।

ता० ११-४-३०, शुक्रवार: चार वजे अुठे। प्रार्थना। नित्य-क्रम। नूरतसे रामदास और दूसरे आठ मिलाकर नौ कैदी आये।

अनुको साथ रखनेका प्रबंध किया। कुल ४४ हो गये। कमिश्नर गैरेट दस वजे आये। अन्हें सुपरिन्टेन्डेन्ट ले आये थे। कलेक्टर और कमिश्नर आयें, तब हरअेक कैदी अपनी कोठरीके दरवाजेके पास सीधा खड़ा रहे, यह मांग सुपरिन्टेन्डेन्ट हमसे करते रहते थे। मैंने विलकुल अिनकार कर दिया और कह दिया कि हम अैसी किसी बातको नहीं मानेंगे, जिससे अपमान होता हो। हां, सम्यता या शिष्टताके पालनमें हम नहीं चूकेंगे। परन्तु स्वाभिमानको ठेस पहुंचानेवाली किसी बातको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भोजनके विषयमें बात करने पर अनुसे कहा कि हमें कोअी भी सुझाव नहीं देना है। हम बुरेसे बुरे बरतावके लिअे तैयार होकर आये हैं। परंतु हमें यह बतया दिया जाय कि सरकारने हम पर फी आदमी कितना खर्च करना तय किया है। और अुस खर्चके भीतर हमें जो चाहिये अुसका प्रबंध कर लेनेकी छूट होनी चाहिये। यह छूट देनेमें आपत्ति हो तो भी हमें मंजूर है। परंतु फिर जो चीजें देना मंजूर किया जाय अनुमें से हम अपनी जरूरतकी ही चीजें लेंगे और अुतना ही खर्च हमारे खातेमें लिखा जाना चाहिये। प्रतिकूल भोजन-सामग्री देनेकी व्यवस्था करके हमारे काम न आनेवाली चीजें दी जायं, तो यह हमें मंजूर नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे नाम पर कुछ भी व्यर्थ खर्च हो। वादमें मनसुखलाल और कस्तूरभाभी मिलने आये। दोनोंको खादीके कपडोंमें देखा। अिससे खयाल हुआ कि बाहर आन्दोलन अच्छा चल रहा होगा। हमारे कैदियोंकी संख्या बढ़ चली, अिसलिअे अेक और वार्ड खाली करके कुल तीन वार्ड हमारे सुपुर्द कर दिये गये।

ता० १२-४-'३०, शनिवार: सदाकी भांति। दोपहरको सुपरिन्टेन्डेन्टके साथ बातें हुआं।

ता० १३-४-'३०, रविवार: सुबह आअी० जी० पी० मेजर डॉअिल तथा कमिश्नर गैरेट आये। डॉअिलने खूब सम्यतासे बातें कीं और पूछा, किसी चीजकी जरूरत तो नहीं है। मैंने जमनालालजीका हाल पूछा। वह थाना जेलमें मिलकर आये थे। कहा कि जमनालालजी मौज कर रहे हैं। अुन्होंने काकाका हाल पूछा। काकीकी मृत्युके वारेमें खेद प्रकट किया। मणिलालकी जांच की और अुन्हें बाहरकी दवा मंगवानेकी अिजाजत दी। फिर अुन्होंने हमारी खुराककी बात की। मौजूदा 'फ्लैट रेट' (वंधी रकम) में फेरबंदल करनेका विचार

प्रगट किया। आजकल 'वी' क्लासके कैदी पर ०-९-१० रोज खर्च आता है। अुसके बजाय सात आने कर देनेका विचार प्रगट किया और हमारी संमति या सलाह मांगी। मैंने संमति या सलाह देनेकी जिम्मेदारी लेनेसे अिनकार कर दिया। और साफ वता दिया कि आपको जो दर मंजूर करनी हो कर दीजिये। परंतु यह हमारी मरजी पर छोड़ देना चाहिये कि अुस दरके भीतर हम क्या क्या चीजें रोज खरीदें। यह न होना चाहिये कि हमारे लिये प्रतिकूल भोजनकी व्यवस्था की जाय और अुसमें से बहुतसी चीजें व्यर्थ जायं। यह बात अुन्होंने मंजूर की। फिर अिस वारेमें बात करने लगे कि कितना खर्च घटाया जा सकता है। तब अुन्हें दुवारा साफ वता दिया कि हम बुरेसे बुरे वरतावके लिये तैयार होकर आये हैं। अिसलिये आप अेक आना रोज तय कर देंगे तो भी हम न कोअी शिकायत करेंगे और न किसी किस्मकी रिआयत ही मांगेंगे। अितना ही है कि सारे प्रान्तके लिये दर निश्चित करनेमें हम सम्मति नहीं देंगे। साथ ही हम किसी प्रकारकी आपत्ति भी नहीं अुठायेंगे।

फिर गैरेटके साथ वारडोलीकी बात हुआ। कमेटीकी आखिरी सिफारिशोंके वारेमें जो सरकारी प्रस्ताव हाल ही में प्रकाशित हुआ है, अुसमें कुछ भूल रह गयी है, अिसका मैंने जिक्र किया। वह अुन्होंने नोट कर लिया। मैंने अुन्हें यह भी कहा कि जब तक तमाम मुख्य कार्यकर्ता जेलमें हैं, तब तक विशेष जांच फिलहाल मुलतवी रखी जाय। परंतु अुन्होंने माना नहीं। अिसलिये मैंने अुन्हें दिलकी बात कह दी। अुन्होंने कहा कि लोग लगान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि देना भी नहीं चाहिये। यह भी कह दिया कि थोड़ेसे नेताओंको जेलमें बन्द करके लगान बसूलीकी आशा रखना कैसी भूल है, अिसका अब पूरा अनुभव होगा। साथ ही कह दिया कि माल-विभागमें आप जैसा कठोर और कड़ा अफसर मैंने नहीं देखा। मातर-महेमदावादमें अुनकी कारस्तानियोंका शुरूसे अन्त तकका हाल अुन्हें सुना दिया। वादमें वह चले गये।

दोपहरको सुपरिन्टेन्डेन्टे दफतरमें बुलाया और सात आने रोजके हिसाबसे खुराकमें क्या क्या चाहिये सो अिन्तजाम करने, सप्ताह भरका सामान तय कर देने और मूची देनेके लिये मुझसे कहा। अिस पर मैंने सब साथियोंसे सलाह लेकर शामको अुन्हें खबर दी कि अभी जो चीजें मिल रही हैं अुसीके अनुसार रोज लेंगे। और

सात आंनेके हिसावसे और जो भाव आपने दिये हैं अन्हें देखते हुअे साढ़े पांच दिनके लिअे अितनी खुराक पूरी होगी। अिसलिअे हर सप्ताह अेक रविवार पूरा और हफ्तेमें कोअी अेक दिन आघा अुपवास हम करेंगे। यह वात सुनकर वह चींके और मुझसे बोले कि सुवह आपने आअी० जी० पी० से क्यों नहीं कहा? और स्वीकृति क्यों दी? मैंने अुनसे कहा कि आपकी वात गलत है। मैंने कोअी स्वीकृति ही नहीं दी। मैंने तो खास तौर पर कहा था कि हमारे सिर पर जिम्मेदारी डालकर कोअी दर मुकर्रर नहीं की जा सकेगी। अिस पर सुपरिन्टेन्डेन्ट दूसरे दिन सुवह कमिश्नरके पास गये और दोपहरमें आकर कह गये कि अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना है। कोअी परिवर्तन नहीं किया जायगा।

आज कुछ और कैदी आये।

ता० १४-४-३०, सोमवार: सुवह जल्दी अुठकर प्रार्थना की। साढ़े चार वजे अुस वार्डमें जाकर जांच की कि वहांका क्या हाल है। रामदास वीमार है। अुसके हालचाल पूछे। आज कुल छप्पन कैदी हो गये।

ता० १५-४-३०, मंगलवार: चार वजे अुठे। प्रार्थना, नित्य-क्रम। आज और पांच कैदी आ गये। आणंदसे भीखाभाअी, नरसिंह-भाअी और भगवानदास आये। भगवानदासके वारंटमें मजिस्ट्रेटने 'सी' क्लास लिख दिया है। अुसे पहले तो हमारे वार्डमें भेजा। परंतु खानेके वाद अुसे सिपाही वुलाने आया और जेलरके हुक्मसे 'सी' वार्डमें रखने ले गया। अिसलिअे मैंने जेलरको सूचना भिजवाअी कि अुसे वापस हमारे पास न भेजा गया, तो हम सब शामसे अुपवास शुरू कर देंगे। नहीं तो हम सबको वहां ले जाना चाहिये। अिसके वाद जेलरने अुसे वापस भेजा। जेलर मिलने आया और मजिस्ट्रेटकी भूलके लिअे खेद प्रगट करके आगे लिखा-पढ़ी करनेको कहा गया।

ता० १६-४-३०, बुधवार: सुवहका कार्यक्रम सदाकी भांति। फिर खेड़ासे दादूभाअी आदि मिलने आये। महादेव भी मिलने आये। अुनसे वर्गीकरणकी सारी वात कही। यह वताया कि शायद मजिस्ट्रेट जानबूझ कर फूट डालनेका प्रयत्न कर रहा है। मोहनलाल पंडचा आये। अुन्हें भी मजिस्ट्रेटने 'सी' क्लासमें रखा है, यह खबर महादेवको दी। कलकत्ता और कराचीमें हुल्लड़ होने और जयराम-दासको गोली लगनेके समाचार 'टाइम्स' में पढ़े।

ता० १७-४-'३०, गुरुवार : सदाकी भांति । जयरामदासकी जिन्दगी खतरमें नहीं और गोली निकल गयी है, यह जानकर सबको आनंद हुआ ।

ता० १८-४-'३०, शुक्रवार : सदाकी भांति ।

ता० १९-४-'३०, शनिवार : सदाकी भांति । असा मालूम हुआ कि जेलके साधारण कैदियोंमें असन्तोष है । अक प्रमुख कैदीकी तरफसे संदेश मिला कि सब खाना छोड़कर हड़ताल करना चाहते हैं । मैंने उनसे कारण पुछवाया और कहलवाया कि दुःख या शिकायत हो तो पहले मुझे बतायें । डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्डके अध्यक्ष मोतीलाल और मजिस्ट्रेट अीसानी मिलने आये ।

ता० २०-४-'३०, रविवार : हमेशाकी तरह । आज प्रातः डाह्याभायी देरासरी और कादरी आये । उन कैदियोंने सुबहसे ही हड़ताल करके खाना बन्द कर दिया और नारे लगाना शुरू कर दिया । 'गांधीजीकी जय' चिल्लाने लगे । सुपरिन्टेन्डेन्ट नाराज हुअे और घवराये हुअे मालूम हुअे । कलेक्टर कमिश्नरको बुला लाया । वे आकर चले गये मगर मामला शान्त नहीं हुआ । दिनभर और रात-भर कैदी नारे लगाते ही रहे । हममें से नवयुवक वर्गके कुछ लोग सुबहसे ही कैदियोंके नारे सुनकर अुत्तेजित हो गये । उनके साथ सहानुभूति दिखानेके लिये अपवास करनेका सुझाव आया । मैंने अिनकार किया तो नाराज हुअे । फिर भी मैं दृढ़ रहा । दोपहरको मणिलालने अुन्हें समझाया । सायंकालको प्रार्थनाके बाद मैंने भी अुन्हें खूब समझाया, फिर भी उनके चेहरों पर रोप मालूम होता था ।

ता० २१-४-'३०, सोमवार : सदाकी भांति । आज डाह्याभायी, यशोदा, हरिभायी, सुमित्रा और जितू मिलने आये । दोपहरको खबर मिली कि कैदी हल्लड़ कर बैठे हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम पर डाली गयी है । जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट, कलेक्टर, कमिश्नर यह मान बैठे हैं कि हमारे ही कारण यह दंगा हो रहा है । अिसलिये यह विचार हो रहा है कि हमें यहांसे बदल दिया जाय । आज कैदियोंके वर्गीकरणके नियम अखबारोंमें आये सो पढ़े । असा प्रतीत हुआ कि मूल नियमोंमें परिवर्तन किया गया है और जानबूझ कर किया गया है । अिसका क्या परिणाम होगा, यह तो बादमें ही मालूम होगा । परंतु सबको 'सी' क्लासमें जानेके लिये तैयार रहनेकी सूचना दी गयी । डॉक्टर आज वजन कर गये । वजन १४३ निकला । पिछली बार

किया था तब भी अितना ही था। जेलमें आया उस दिन १४६ था। जिसका कारण यह है कि अस्पतालके कांटेमें और दूसरे सही कांटोंमें ३ पाँडका फर्क है। जिसलिअे शुरूसे ही वजन १४३ ज्योंका त्यों कायम रहा है।

ता० २२-४-३०, मंगलवार: नियमके अनुसार। आज जेलके कैदियोंने अपुवास छोड़ दिया। परंतु काम पर जानेसे अिनकार कर दिया है। दोपहरमें मावलंकर और गज्जर मिलने आये। कुछ कागजों पर मेरे हस्ताक्षर कराने ये सो करा ले गये।

अपरकी तारीख तक ही डायरी लिखी हुअी है।

अिस डायरीमें सभी कैदियोंके अेक वर्गीकरण तथा सम्मिलित भोजनालयकी जो बात है, वह व्यवस्था लंबी नहीं चली। महीना पूरा होने तक तो कैदियोंकी संख्या बहुत बढ़ गअी। अपरके वर्णनमें तो जेल अेक राजनैतिक परिपद्के डेरे जैसा लगता है। परंतु संख्या बढ़नेके साथ अधिकारी असुस व्यवस्थाको चला लेनेको तैयार नहीं जान पड़े। अुन्होंने अैसा वन्दोवस्त किया, जिससे अलग अलग वर्गके कैदी अेक-दूसरेसे न मिले सकें और अुनका सम्मिलित भोजनालय न रहे। सरदारने कहा कि हम सभीको 'क' वर्गमें रख दीजिये। और हम सब 'क' वर्गकी खुराक लेंगे। फिर आपको क्या आपत्ति है? जेल-अधिकारी कहने लगे कि यह हमसे नहीं हो सकता। हम तो 'व' वर्गके कैदियोंको 'व' वर्गकी खुराक और 'क' वर्गके कैदियोंको 'क' वर्गकी खुराक देनेको मजदूर हैं। असलिअे सरदार और तमाम राजनैतिक कैदियोंने अपुवास शुरू कर दिया। 'क' वर्गके कैदियोंका मिलना तो वन्द कर ही दिया गया था, यद्यपि अपुवास अुन्होंने भी कर दिया था। सरदार और अुच्च वर्गके कैदियोंका खानेका सामान अलग भोजनालयमें रोज आकर पड़ा रहता। अिस प्रकार वहत्तर घंटेका अपुवास होनेके बाद कलेक्टर और अुत्तर विभागके कमिश्नर जेल पर गये। अुन्हें सरदारने कहा, यह कैसा अन्याय है? हम ज्यादा नहीं, परंतु कम मांग रहे हैं। और वह कम पानेके लिअे हमें अपुवास करना पड़ रहा है! जेल-अधिकारियोंके आग्रहका बेहूदापन कमिश्नर समझ गया। असुने हिदायत दी कि अुच्च वर्गके कैदी 'क' वर्गका भोजन लेना चाहें तो अुन्हें लेने दिया जाय। परंतु असुने अलग अलग वर्गके कैदियोंका मिलना तो वन्द ही कर दिया। अिसके सिलसिलेमें आयंदा कोअी कठिनाअी पैदा न हो, अिसके लिअे छ: माससे अधिक सजावाले अूँचे दर्जेके तमाम कैदियोंको दूसरे जेलमें हटा दिया गया। अपने साथियोंसे जुदा होते समय सरदारकी आंखें गीली हो आअीं।

रविशंकर महाराज, पंड्याजी वगैरासे कहा कि आप जहां जायं वहीं अपनी अिज्जत अच्छी तरह कायम रखें और साथमें अपने जो भाभी हों उनुकी भलीभांति संभाल रखें ।

कैदियोंके वर्गीकरणके सिलसिलेमें सावरमती जेलमें जैसा झगड़ा हुआ, वैसा ही पंजावमें गुजरातके सेंट्रल जेलमें भाभी देवदास गांधीने शुरू किया था । उस जेलमें केवल 'अ' और 'व' वर्गके कैदियोंको ही रखा गया था । उन्होंने 'क' वर्गकी खुराक लेना शुरू किया था । परंतु यह मांग की थी कि 'क' वर्गके तमाम कैदियोंको भोजनमें थोड़ा घी, दूध तथा आटा वगैरा शुद्ध मिले, और जेलका साँपा हुआ काम पूरा कर देनेके बाद पढ़ने-लिखनेकी तथा तमाम राजनैतिक कैदियोंसे मिलने-जुलनेकी सुविधा हो । वे सरदारके साथ जो पत्रव्यवहार करते थे, उसके लिये उन्होंने जो सांकेतिक शब्द तैयार किये थे, वे मनोरंजनके लिये यहां दिये जाते हैं : 'क' वर्गके कैदीके प्रति किये जानेवाले व्यवहारके लिये Health शब्द निकाला था । और Hunger Strike के लिये Dr. Ansari's treatment शब्द रखा था । My health is not good. I therefore propose to begin Dr. Ansari's treatment on such and such a date. अर्थात् हमारे साथ यहां बरताव अच्छा नहीं है और हम अमुक तारीखसे अपवास शुरू करेंगे । My health is improving अर्थात् हमारी मांग स्वीकार होनेकी आशा है । I am patient about my health अर्थात् अभी धीरज रखा जाय । जेलमें अिस प्रकार मनोरंजन होता रहता था ।

जैसा सरदारका खयाल था, वे पीने चार महीने सावरमती जेलमें रहकर २६ जूनको बाहर आये ।

नमक-संग्राम

चूँकि सरदार रास गांवसे पकड़े गये थे, अिसलिये वहाँके लोगोंमें काफी रोष पैदा हुआ था। वे यह भी मानने लगे थे कि अुनके गांवसे सरदारके पकड़े जानेके कारण लड़ाीके संबंधमें अुनकी जिम्मेदारी अधिक है। लड़ाी छिड़ जानेके बाद अुस गांवके नेता श्री आशाभायीको गिरफ्तार किया गया। अिसलिये ता० २१-४-'३० को रास गांवके लोगोंने अेकत्र होकर सर्व-सम्मतिसे नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया :

“सरकारने सरदार श्री वल्लभभायीको हमारे गांवसे गैरकानूनी तौर पर पकड़ा, दरवार श्री गोपालदासभायी और तालुके (तहसील) तथा जिलेके दूसरे नेताओंको हमारे तालुकेमें पकड़ा तथा हमारे गांवके नेता भायी श्री आशाभायी पर झूठा अिलजाम लगाकर अुन्हें कैद किया और साथ ही अिन सबको न्यायका नाटक खेलकर द्वेषपूर्वक कड़ी सजाअें दीं। अिसलिये जब तक सरकार बिना शर्त ये सजाअें रद्द करके अिन सबको जेलसे मुक्त न कर दे, तब तक हमारा यह रास गांव सरकारको जमीनका लगान अदा नहीं करेगा।”

अुपरोक्त निश्चय बोरसद तालुकेके ओर भी कुछ गांवोंने किया और वारडोली तालुकेके बहुतेसे गांवोंने लगान न चुकानेका निर्णय किया। गांधीजीने अिस बारेमें खास तौर पर रास गांवको सलाह देते हुअे लिखा :

“लगान न देनेकी बात सरकार वर्दाश्त नहीं कर सकती। लगान अदा न करनेका कदम अुठानेका क्रम अभी तक शुरू नहीं हुआ। परंतु जिसकी हिर्मत हो वह भले ही अदा न करे। कराड़ीके पाचा पटेलने अकेले अैसा ही किया था न! परंतु अैसा करनेवाला यह समझ ले कि वह स्वयं भारी खतरा मोल ले रहा है। घरवार, ढोर-डंगर विक जायं तो लोगोंको आश्चर्य न होना चाहिये। वारडोलीकी तरह खेड़ामें नहीं हो सकता। वारडोलीकी लड़ाी अलग प्रकारकी और मर्यादित थी। वह अेक हक प्राप्त करनेकी लड़ाी थी, यह हुकूमत छीननेकी लड़ाी है। दोनोंके बीच आकाश-पातालका अंतर है।

“अिसलिये रासने जो कदम अुठाया है अुस पर कायम रहने लायक आत्मशुद्धि वह करे, त्यागकी भावना पैदा करे; और जो दूसरे

गांव रासका अनुकरण करना चाहते हैं वे शांतिपूर्वक अपनी शक्तिका अन्दाज लगायें।

“वैसे जिस जिलेसे सरदारको ले गये, जिस जिलेसे दरवारको ले गये, जो जिला मोहनलाल पंड्या और रविशंकरका निवासस्थान है, वह जिला जितना करे अतना थोड़ा है।”

६ अप्रैलसे नमक-कानून तोड़नेका कार्यक्रम शुरू हुआ। हर प्रान्तके जेल सत्याग्रही कैदियोंसे भरने लगे। इसलिये सरकारने अब कानूनका भंग करनेवालोंको पकड़नेके बजाय मारपीट करनेकी नयी नीति अपनायी। अिकट्ठे हुअे लोगोंकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो, वहां लाठीका अुपयोग छूटसे और निर्दयतासे किया जाता था। पेशावरमें और अन्य कुछ स्थानों पर तो सत्याग्रहियों पर गोली भी चली थी। इसलिये सरकारकी अधिकसे अधिक नाराजी अपने सिर लेनेके लिये गांधीजीने घरासणाके नमकके आगर पर धावा करनेकी योजना बनायी। अुन्होंने वाअिसरायको लिखे अपने पत्रमें अिस योजनाकी सूचना देते हुअे बताया :

“यह कदम अुठानेका निर्णय मैंने विना किसी हिचकिचाहटके किया हो सो बात नहीं। मैंने आशा रखी थी कि सरकार सत्याग्रहियोंके साथ सम्यतापूर्वक लड़ेगी। सत्याग्रहियोंसे निवटनेके लिये साधारण प्रचलित कानून पर अमल करके सरकारने संतोष किया होता, तो मुझे कुछ भी कहना नहीं था। अिसके बजाय प्रसिद्ध नेताओंके साथ कम ज्यादा हद तक कानूनके अनुसार वरताव करके दूसरे मामूली सत्याग्रहियोंके प्रति जंगली और कभी कभी वीभत्स अत्याचार किये गये हैं। यह कहीं कहीं होता तो अुसकी अपेक्षा भी की जा सकती थी। परंतु मेरे पास बंगाल, विहार, अुत्कल, युक्तप्रान्त, दिल्ली और बम्बयीसे जो खबरें आयी हैं वे गुजरातमें हुअे अनुभवोंका समर्थन करती हैं। और गुजरातके विषयमें तो मेरे पास असंख्य प्रमाण मौजूद हैं। कराची, पेशावर और मद्रासमें अकारण और अुत्तेजनाके विना गोली चला दी गयी मालूम होती है। सरकारकी दृष्टिसे महत्त्वहीन और सत्याग्रहीकी दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण नमक स्वयंसेवकोंसे छीन लेनेके लिये अुनकी हड्डियां तोड़ दी गयी और अुनके गुह्यांग दबाये गये हैं।

*

*

*

“अिसलिये आतंक फैलाकर धाक बैठानेकी हाल ही में शुरू हुअी नीतिका अमल सारे देशमें फैल जाय, अिससे पहले मेरा

खयाल है कि मैं अधिक तेज कदम अुठाऊं और आपके क्रोधको अधिक अुग्र परंतु अधिक स्वच्छ मार्गकी ओर मोड़ूं।

“मुझे तो यही लगता है कि हुकूमतका तेज पंजा पूरी तरह खोल देनेका आपको आमंत्रण न दूं, तो मैं कायर माना जाऊंगा। जो लोग अिस वक्त संकट सह रहे हैं और जिनकी जमीन-जायदाद वरवाद हो रही है, उन्हें यह महसूस ही न होना चाहिये कि जिस लड़ाईके परिणामस्वरूप सरकारका सच्चा रूप सामने आ गया है, उसे शुरू करनेमें मुख्य हाथ रखनेवाला मैं मौजूदा परिस्थितिमें सत्याग्रहका जितना कार्यक्रम अमलमें लाया जा सकता है उसे अमलमें लानेमें कुछ भी कोशिश वाकी रख रहा हूं।”

अिस पत्रके जाते ही गांधीजी पकड़ लिये गये। फिर भी घरासणा पर १५ मईसे धावे तो शुरू हो ही गये और तीन सप्ताह यानी वरसात आने तक जारी रहे। अिस अर्सेमें तीन हजारसे ज्यादा सत्याग्रहियोंके सिर फूटे और दो भाइयोंके प्राण गये। घरासणामें कैसा हत्याकाण्ड हुआ, अिसके लिये प्रत्यक्षदर्शियोंके किये हुअे दो वर्णन हम यहां देंगे।

वम्बईकी छोटी अदालत (स्मॉल काँज कोर्ट) के निवृत्त न्यायावीश श्री हुसैन, पत्रकार श्री के० नटराजन और भारत-सेवक-समाजके श्री देवधरने अेक धावा खुद देखनेके बाद निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया था :

“नमकके आगरके सामनेकी बाड़के पाससे सत्याग्रहियोंको मार हटानेके बाद युरोपियन घुड़सवारोंने हाथोंमें लाठियां लिये मारते हुअे घोड़े दौड़ाये। रास्तेमें जो लोग मिलते अुन्हें वे लाठी जमा देते। फिर गांवकी गलियोंमें भी अुन्होंने घोड़े दौड़ाये। लोग अिघर अुघर भागकर घरोंमें घुसने लगे। जो आदमी बाहर रह जाता, अुसीको वे लाठी मारते थे।”

‘न्यू फ्री मैन’ नामक पत्रका संवाददाता लिखता है :

“मैंने १८ वर्ष तक २२ देशोंमें संवाददाताका काम किया है। अिसमें मैंने बहुत लोगोंके दंगे, बलवे और रास्तोंकी लड़ाअियां देखी हैं। परंतु घरासणामें मैंने जो हृदयविदारक दृश्य देखे, वैसे कहीं नहीं देखे। कभी कभी तो ये दृश्य देखकर मुझे अितनी वेदना होती कि मैं थोड़ी देरके लिये वहांसे हट जाता था। वहां मैंने स्वयंसेवकोंका जो अनुशासन देखा, वह अद्भुत था। मुझे वे गांधीजीके अहिंसाके सिद्धान्तसे पूरी तरह ओतप्रोत जान पड़े।”

अस वीच शरावखानों और विदेशी कपड़ेकी दुकानों पर महिलाओंका घरना वड़ा प्रभावशाली साबित हुआ। यह काम गांधीजीने बहुत ही विचारपूर्वक महिलाओंको सौंपा था। इसमें अटूट धीरज, अपार लगन और बड़ी खामोशीकी जरूरत थी, जो महिलाओं ही अच्छी तरह दिखा सकती थीं। छोटी छोटी असुविधाओं और दिक्कतों सहकर अखंड पहरा देते हुआ शांत बैठे रहनेमें पुरुष कदाचित् भूव जाते। परंतु स्त्रियोंने यह काम बुकताये विना किया और सफलतापूर्वक असे पार लगाया। गुजरातमें शरावखानों पर घरनेकी व्यवस्था करनेमें दो पारसी वहनें—श्रीमती मीठुवहन पिटीट और श्रीमती खुरशेदवहन नवरोजजी—प्रमुख थीं, यह अेक वड़ा सुयोग था।

२६ जूनको सरदार अपनी सजा पूरी करके वाहर आये। जैसा अुन्होंने सोचा था, अुस समय वातावरण गरमागरम था। गुजरातमें तो शायद ही कोअी प्रमुख कार्यकर्ता जेलके वाहर था। दूसरे प्रान्तोंमें भी अधिकांश नेता सींखचोंमें वन्द कर दिये गये थे। अहमदावादमें सरदारका स्वागत करनेके लिये जो आम सभा हुआ, अुसमें बोल्ते हुआ अुन्होंने कहा :

“आपने मुझे जेलखानेकी वातें सुननेकी आशा जरूर रखी होगी। अुसकी आपसे क्या वात कहूं? वहां कोअी सिर नहीं फूट रहे थे। वहां किसी प्रकारका दुःख नहीं मालूम होता था। अगर कोअी कहे कि जेलमें दुःख है तो आप विश्वास न मानिये। वहां तो वड़ा चैन है और वह भी रोजके चार पैसोंमें। अिन चार पैसोंके खर्चमें जेलमें जितना सुख मिलता है अुतना वाहर नहीं मिलता; क्योंकि आज जब हमारी कांग्रेसके अध्यक्ष जेलमें वन्द हैं, जब संसारके श्रेष्ठ पुरुष महात्मा गांधी यरवडाके कारावासमें हैं, तब जेलके वाहर रहकर आरामसे अन्न खाना धूल खानेके वरावर है। सीं मन रूअीकी गदियों पर सोना भी चिता पर सोनेके समान है। असलिये सच कहता हूं कि जेलमें जितना आराम मालूम होता है अुतना वाहर नहीं होता।

*

*

*

“आजकी स्थिति देखते हुआ मुझे बड़ी भारी आशा बंधती है। आप सचका अुत्साह देखकर मैं हर्षोन्मत्त हो जाता हूं। अब आप दिखा दीजिये कि यह अुत्साह क्षणिक नहीं, अेक क्षणके लिये आया हुआ ज्वार नहीं, परंतु अेक समर्थ तपस्वीकी वारह वर्षकी प्रखर तपश्चर्याका फल है। आज मुझे बहुत लोग सलाह दे रहे थे कि मैं भापण

न दूं, मैं फंस न जाऊं। और कुछ कहते थे कि मैं आजकी सभामें न जाऊं, क्योंकि अन्हें भय था कि आज ही फिर मुझे पकड़ लेंगे। परंतु मैं तो कहता हूं कि मेरे हाथकी रेखामें जेलकी वात ही नहीं है। मैं जेल जाना जानता ही नहीं। इस सरकारका जेल भी कोभी जेल है? असली जेलखाना तो मायाका वन्धन है। हमारी आत्माको जो मोह, माया या काम-क्रोधके वन्धन लगे हुए हैं वे ही असली जेलखाने हैं। जिस मनुष्यने ये वन्धन तोड़ दिये हैं, उसे इस संसारका बलवानसे बलवान साम्राज्य भी बंधनमें नहीं रख सकेगा।”

कोभी पांच दिन अहमदाबाद रहकर वे बम्बयी गये। वहां अखबारोंके प्रतिनिधियोंने उनसे मुलाकात की। गोलमेज परिपदमें कांग्रेस किस शर्त पर भाग ले सकती है, इस बारेमें पूछा गया। जवाबमें सरदारने बताया कि :

“यह सवाल ही इस समय उपस्थित नहीं होता। कांग्रेसके अध्यक्षको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, कामचलाअू अध्यक्षको भी पकड़ लिया है। और कांग्रेस कार्यसमितिको सरकारने गैरकानूनी करार दे दिया है। इसलिअे सरकारको कोभी समझौता करना ही नहीं है। अैसे मामलोंमें कांग्रेसकी तरफसे कोभी बोलनेवाला हो सकता है तो वे महात्मा गांधी ही हैं। जब अन्हें मौका मिलेगा और अुचित मालूम होगा तब वे बोलेंगे।”

३० जूनको पं० मोतीलालजीको पकड़ लिया गया। कांग्रेस-अध्यक्ष श्री जवाहरलालजीकी गिरफ्तारीके बाद वे कांग्रेस-अध्यक्षके रूपमें काम करते थे। अुनकी गिरफ्तारी हुअी तब वे सरदारको अध्यक्ष नियुक्त कर गये। सरदारने सारे देशमें लड़ाअीको संगठित करना शुरू कर दिया। अिसी समय सरकारने अेक फरमान निकाल कर कांग्रेस कार्यसमिति और अन्य कअी संस्थाओंको गैरकानूनी घोषित कर दिया और अुनके कार्यालयोंको ज्वत् करके ताले लगा दिये। इसके अुत्तरमें सरदारने अेक भाषणमें बताया :

“देशमें अेक अेक घर कांग्रेस कमेटीका दफ्तर बन जाय और अेक अेक आदमी कांग्रेस-संस्था बन जाय।”

२ जुलाअीको मालवीयजीने कांग्रेस-अध्यक्ष सरदार पटेलको निम्नलिखित तार दिया :

“कांग्रेस कार्यसमितिको गैरकानूनी संस्था ठहरानेवाला सरकारका हुकम दो महीनेसे अपनाये हुअे अुसके दमनको चरम सीमा पर पहुंचा देता है। अिन हालतोंमें मैं सरकारको अुचित अुत्तर यही दे सकता हूं कि

कांग्रेस कार्यसमितिका सदस्य बनकर अपनी सेवा देशके चरणोंमें अर्पण करूँ। आपको जब अुचित प्रतीत हो तभी मुझे आज्ञा दीजिये।”
४ जुलाजीको सरदारने अुन्हें लिखा :

“आपका तार मैंने अखबारोंमें पढ़ा। मुझे वह नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। आपकी मांगका मैं साभार स्वागत करता हूँ और मुझे मिले हुअे अधिकारकी रूसे आपको पं० मोतीलालजीकी जगह कांग्रेस कार्यसमितिका सदस्य नियुक्त करता हूँ। आपने देश-भक्तिसे प्रेरित होकर जो तेज कदम अुठाया है, अुसकी राष्ट्र वड़ी कद्र करेगा।”

अुस समय श्री जयकर और श्री सप्रू सरकारके साथ समझौता करानेके लिये वातचीत कर रहे थे। अिसके लिये अुन्होंने गांधीजीसे जेलमें मिलनेकी अनुमति मांगी थी। समझौतेकी अिन बातोंसे लोगोंमें कुछ बुद्धिभेद अुत्पन्न हो रहा था। अिसलिये सरदारने जुलाजीके मध्यमें निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“आज जो लोग समझौता करनेकी बातें कर रहे हैं अथवा बीचवचाव करनेवाले बनकर गांधीजीके पास जानेकी कोशिश कर रहे हैं, वे जाने-अनजाने देशका वड़ेसे वड़ा अहित कर रहे हैं। अैसा बीचवचाव करनेवाले जनताके स्वाभिमानको ठेस पहुंचा रहे हैं। जब सरकारका हृदय-परिवर्तन होगा और अुसे महसूस होगा कि समझौतेका सच्चा समय आ गया है, तब यरवडा जेलकी कुंजी अुसीके पास होनेके कारण दरवाजा खोलकर सीधे गांधीजीके साथ वात करनेमें अुसे जरा भी संकोच नहीं होगा। कोरीं मध्यस्थताकी बातें करनेसे लोगोंके भुलावेमें पड़ने और लड़ाजीमें शिथिलता आनेका भय रहता है। समझौतेका समय अभी बहुत दूर है और यदि हम गाफिल रहकर शिथिल हो जायंगे तो वह और भी दूर चला जायगा। अिसलिये अैसी मिथ्या बातों पर जरा भी ध्यान न देकर कांग्रेसका काम सबको अधिक जोरोंसे जारी रखना चाहिये। कोअी यह न भूले कि लड़ाजीका जल्दी अंत लानेका अेक यही अुपाय है।”

३१ जुलाजीको लोकमान्य तिलक महाराजकी संवत्सरीके दिन बंबजीमें अेक वड़े जुलूसका आयोजन किया गया था। अुस समय बंबजीमें कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक भी हो रही थी। अिसलिये सरदार, पं० मालवीयजी, श्री जयरामदास दीलतराम तथा श्री शेरवानीने, जो बंबजीमें थे, जुलूसमें भाग लिया। बंबजीकी डिक्टेटर श्रीमती हंसावहन मेहता और श्री मणिवहन

पटेल भी उस जुलूसमें थीं। जुलूस शांतिपूर्वक आगे बढ़ता जा रहा था। परंतु बोरीबन्दर स्टेशनके सामने होकर फोर्ट क्षेत्रमें घुसते ही उस जुलूस पर प्रतिबंध लगानेवाला हुकम जारी किया गया और उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया गया। हजारों मनुष्योंका सारा जुलूस अिस पावन्दीके हुकमसे बिखर जानेके वजाय जमीन पर बैठ गया और पुलिस अफसरोंकी हिदायतोंके बावजूद उसने वहांसे तिल भर भी हटनेसे अिनकार कर दिया। रात हो गयी और मूसलधार बरसात होने लगी। फिर भी उस बरसातमें भीगे हुअे कपड़ों और बहते पानीमें सरदार, दूसरे नेता तथा लोग वहीं बैठे रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल नेताओं और महिलाओंको गिरफ्तार कर लिया गया और वाकीके लोगों पर निर्दय लाठीप्रहार किया गया। अिस बार भी सरदारको तीन मासकी सजा हुयी और अुन्हें यरवडा जेलमें रखा गया। अिस बीच श्री सप्रू और श्री जयकरकी वातचीत कुछ आगे बढ़ी थी। अुनके प्रयत्नसे १४ अगस्तको यरवडा जेलमें गांधीजीके साथ बातें करनेके लिये पंडित मोतीलालजी, पं० जवाहरलालजी तथा डा० सैयद महमूदको अलाहाबादकी नैनी जेलसे यरवडा जेलमें लाया गया। सरदार, श्री जयरामदास तथा श्रीमती नायडू यरवडा जेलमें ही थे। अुन्हें गांधीजीके पास ले जाया गया। कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे अिन सात जनोंकी चर्चा संधिकी वातचीत करनेवाले दो सज्जनोंके साथ हुयी। कांग्रेस प्रतिनिधियोंने पहले तो यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस कार्यसमितिसे और जरूरत हुयी तो कांग्रेसकी महासमितिसे पूछे बिना वे कोअी अन्तिम अुत्तर नहीं दे सकते। परंतु अपनी निजी रायके रूपमें अुन्होंने बताया कि सरकार नीचे लिखी मांगें स्वीकार करनेको तैयार हो तो ही कोअी संतोपजनक निवटारा हो सकता है :

१. ब्रिटिश साम्राज्यसे अपनी अिच्छानुसार अलग होनेका हिन्दुस्तानका हक स्पष्ट रूपमें स्वीकार किया जाना चाहिये।

२. हिन्दुस्तानको लोगोंके प्रति जिम्मेदार और संपूर्ण राष्ट्रीय शासन मिलना चाहिये। सेना पर तथा आर्थिक विषयों पर उसका नियंत्रण होना चाहिये। अिसमें गांधीजी द्वारा वाअिसरायको लिखे हुअे पत्रमें जो ११ बातें बतायी गयी हैं वे सब आ जाती हैं।

३. ब्रिटेनको हिन्दुस्तानमें जो हक और रियायतें प्राप्त हैं और जिनमें हिन्दुस्तानका कथित सरकारी ऋण शामिल है, अुनमें से जो जो बातें राष्ट्रीय सरकारको अन्यायपूर्ण अथवा हिन्दुस्तानके लोगोंके हितके विरुद्ध मालूम होंगी अुन्हें अेक निष्पक्ष पंचके सुपुर्द करनेका भारतको अधिकार होना चाहिये।

४. कांग्रेस विदेशी कपड़े और शराब पर शांत हममें घरना जारी रखेगी। हां, सरकार ही शराब और विलायती वस्त्र पर प्रतिबंध लगा दे तो दूसरी बात है।

५. लोगोंको नमक बटोरने और बनानेका हक होना चाहिये।

६. अितना ही जाने पर सत्याग्रह वापस ले लिया जा सकता है। इसके साथ ही जिन सत्याग्रही और दूसरे राजनैतिक कैदियोंको हिंसाके अपराधमें सजा न हुयी हो वे छोड़ दिये जायं; नमक-कानून, प्रेस अेक्ट, रेव्हेन्यू अेक्ट अथवा अैसे अन्य कानूनोंके मातहत जिनकी संपत्ति जब्त की गयी हो वह लौटा दी जाय; सत्याग्रही कैदियोंने जो जुर्माना वसूल कर लिया गया हो उसके अलावा दूसरा जुर्माना रद्द कर दिया जाय; पटेल, पटवारी तथा दूसरे जिन सरकारी कर्मचारियोंने अिस्तीफे दे दिये हों अथवा सत्याग्रहकी लड़ाीके सिलसिलेमें जिन्हें नौकरीसे अलग कर दिया गया हो अुन्हें वापस ले लिया जाय; और वाअिसराँयके जारी किये हुअे सारे आर्डिनेंस वापस ले लिये जायं।

ये शर्तें लेकर श्री जयकर तथा श्री सप्रू वाअिसराँयके पास गये।

अुनकी तरफसे बहुत ही निराशाजनक अुत्तर मिला। फिर भी वे दुवारा पं० मोतीलालजी, पंडित जवाहरलालजी तथा डॉ० सैयद महमूदसे नैनी जेलमें मिले और अुनका पत्र लेकर गांधीजी, सरदार, श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्री जयरामदास दीलतरामसे यरवडा जेलमें मिले। ता० ५-१-३० को गांधीजी तथा अुनके अपरोक्त साथियोंने कांग्रेसकी मांगको दुवारा साफ शब्दोंमें रख दिया और वता दिया कि वाअिसराँयके प्रस्ताव त्रिलकुल संतोषजनक नहीं हैं। अिस प्रकार श्री जयकर और श्री सप्रूकी संधिवार्ताका अंत हुआ।

जत्र जेलके भीतर संधिकी वातचीत चल रही थी तब बाहर लड़ाी पहलेसे बहुत ज्यादा अुग्र हो गयी थी। लाठीमार तो मामूली वात हो गयी थी। बारडोली और वोरसदमें लगान न देनेके कारण पुलिसने खड़ी फसल कुर्क करना शुरू कर दिया था और लोगोंको अनेक प्रकारसे तंग करने लगी थी। पुलिसके दुर्व्यवहारसे स्त्रियां भी नहीं बच पाती थीं। अिस आतंकसे बचनेके लिये पूरे गांवके गांव पासके गायकवाड़ी अिलाकेमें हिजरत कर गये थे और खेतोंमें घास-फूस या पत्तोंके मंडप बनाकर रहते थे। अिस प्रकार जब भट्टी खूब गरम हो रही थी, तब नवंबरके शुरूमें सरदार दुवारा बाहर आये। अिसी अर्सेमें महादेवभायी भी अपनी छः मासकी सजा पूरी करके बाहर आ गये थे। सरदार बाहर निकलकर लोगोंको अुत्तेजित करनेवाले भाषण देने लगे। अिसलिये सरकारने यह कहकर कि सरदार और

महादेवभाभी 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संस्थाकी' गैरकानूनी हलचलसे संबंध रखते हैं अतः पर भाषणवन्दीकी आज्ञा जारी कर दी। यद्यपि अन्होंने बाहर आनेके बाद तुरंत वम्बयीमें मांडवीके खादी भंडारका बुद्धाटन करते हुअे लोगोंसे कह दिया था :

“मेरे दिलकी वाणीसे आप कहां अनजान हैं? जिस वाणी पर कोअी ताला नहीं लगा सकता। मैं जेलमें बैठा हूंगा तो भी वह आप तक पहुंच जायगी और आपके हृदयमें पैठ जायगी।”

वारडोलो, जलालपुर और वोरसदं आदि कुछ तालुकोंके किसान हिजरत कर गये थे। अन्हें भी जिस सभासे ही अन्होंने सन्देश भेज दिया :

“कुछ लोग मुझे सलाह देने आते हैं कि गुजरातके किसानोंको क्यों बरवाद कर रहे हो? गुजरातका किसान अतना पंगु हो तो मुझे सचमुच दुःख होगा। परंतु वह पंगु नहीं है। गुजरातका किसान जिस लड़ाईमें मिट जाय तो मैं समझूंगा कि उसने देशकी मुक्तिके यज्ञमें अच्छेसे अच्छा भाग लिया। दो चार तालुकोंको, जो आज लड़ रहे हैं, नकशेमें से निकाल देना हो तो भले निकाल दें। उनके लिये मुझे गर्व होगा। हमें तो यह मौजूदा नकशा मिटाकर उसमें नये रंग भरने हैं। उस नये नकशेमें सच्ची अिज्जतके स्थान अिन तालुकोंको दिये जायंगे। यह डर दिखाया जाता है कि किसानोंकी जमीनें चली जायंगी। किसानोंकी जमीनें चली जायंगी, तो क्या सरकारको किसीने ताम्रपत्र पर जिस देशका राज्य लिख दिया है?”

गुजरातकी तरह कर्नाटकमें सिरसी, सिद्दापुर और अंकोला तालुकोंमें किसानोंने करवन्दीकी लड़ाई छेड़ दी थी। सरदारने गुजरातके किसानोंकी अेक सभामें अन्हें ध्यानमें रखकर कहा :

“कर्नाटकके बहादुर किसान कुर्बानी करनेमें, जमीन-जायदाद खोनेमें और कष्ट अुठानेमें आपसे स्पर्धा कर रहे हैं। उनके यहां कुर्कियां हुअी हैं, जमीनें जब्त की गयी हैं और कितने ही लोग जेल गये हैं। स्त्री और पुरुष दुःखों और कष्टोंकी कोअी परवाह नहीं करते। वे विलकुल बरवाद हो गये हैं। उनके पास कोअी साधन नहीं रहे हैं। उनकी बहादुरी और कुर्बानीकी बात सुनकर मेरा हृदय उनकी प्रशंसा करता है; उनके अपार कष्टोंकी बात सुनकर मैं कभी कभी कांप अुठता हूं। फिर भी मुझे उनके लिये गर्व होता है।”

सरदारका अपना गांव करमसद आणंद तालुकेमें है। उस गांव पर पुलिसने अेक बार लगान वसूल करनेके लिये धावा किया था। उस वक्त

सरदारकी अस्सी वरसकी वृद्धा माताजीको भी पुलिसकी परेशानीका अनुभव हुआ था। जब पुलिस घरमें घुसी तब वे खाना बना रही थीं। पुलिसने भोजनालयमें जाकर चूल्हे पर रखे हुअे वरतन फेंक दिये, चावलकी हांडीमें कंकर और मिट्टीका तेल डाल दिया और सब चीजें अस्तव्यस्त करके चम्पत हो गयीं। गांवके नवयुवक यह देखकर खूब अुत्तेजित हुअे, परंतु यह याद करके कि यह लड़ायी अहिंसक है अुन्होंने खामोशी रखी।

सरदारने अिन दोनों जेलोंमें समयका कैसा सदुपयोग किया था, यह हमें अिस परसे मालूम होता है कि जब वे सावरमती जेलसे निकले तब नौ पाँड सूतका ढेर कातकर लाये थे और यरवडासे निकले तब आठ पाँड सूत कातकर लाये थे। जेलमें वे बाहरकी लड़ायीकी, लड़ायीमें भाग लेनेवाले भायी-वहनोंकी और अपनी माताजीकी कैसी चिन्ता रखते और मणिवहनको समय समय पर कैसी शिक्षा देते थे, अिसका पता हमें अुनके मणिवहनको लिखे हुअे नीचेके पत्रोंसे चलता है। यरवडा जेलसे ता० ८-९-३० को लिखे पत्रमें वे मणिवहनको लिखते हैं :

“स्वास्थ्यकी रक्षा करते हुअे खूब काम करना। खेड़ा जिलेमें दौरा करते रहना और लोगोंको साहस दिलाते रहना। किसीको धवराने न देना। हो सके तो मावलंकरसे अेक दिन मिल आना। अुनसे मिलने जानेका जो दिन हो अुसकी तलाश करके अुसी दिन जाना, ताकि अुनके रिश्तेदारोंसे मिलनेके दिनमें कोअी रुकावट न आये। पिछले पत्रमें काफी हाल लिखा था। अिसी तरह हर सप्ताह या दस-बारह दिनके अंतरसे खबर लिखते रहना।

“काशी काका (जेल) गये, यह अच्छा हुआ। थोड़ा अनुभव होगा, यह भी अच्छा ही है। दुवारा समय मिल जाय तो वासे मिल आना। अुन्हें कुछ रुपयोंकी जरूरत हो तो कृष्णलालसे मिलकर भेरे खानगी खातेमें से मंगाये जा सकते हैं।

“छगनलाल जोशी भले ही बाहर दौरा करें। बाहर घूमने-वालोंकी भी जरूरत तो है ही। समय आने पर सब ठिकाने लग जायेंगे। सबके साथ मिठाससे काम लेनेका प्रयत्न किया जाय। यथासंभव किसीको दुरा न लगे, अिस ढंगसे काम किया जाय। अिस यज्ञमें देरअवरे सभीको मन या वेमनसे पड़ना ही होगा। जल्दवाजी या अधीरतासे काम नहीं होता। अिसलिअे अिस तरह समझाकर काम लिया जाय कि किसीको दुःख महसूस न हो। तुम अभी कहां

रहती हो यह समाचार नहीं लिखा। मैं मान लेता हूँ कि दादूभाभीके घर पर ही रहती होगी।

वापूके आशीर्वाद”

ता० ३-१०-'३० के पत्रमें लिखते हैं:

“तुम्हारा खेड़ा जेलसे लिखा हुआ पत्र मिला था। उसके बाद यह मानकर प्रतीक्षा कर रहा था कि सावरमतीसे कुछ लिखोगी। परंतु शायद तुम्हें महीने भरमें अंक ही पत्र लिखनेकी अजाजत होनेके कारण बार बार नहीं लिखा जा सकता होगा। अिसलिये तुम्हारे समाचार चि० डाह्याभाभी जब मिलने आया तब सौ० नंदूवहनके पत्रसे मिले। अुनके पत्रसे मालूम हुआ कि सावरमती जानेके बाद तुम्हें बखार आ गया था। अब आराम हो गया होगा। वहां अिस ऋतुमें हमेशा मलेरिया होता है। अिसलिये जरा संभाल रखनी चाहिये। पेट साफ रखनेके लिये डॉक्टरसे कोअी दवा नियमित लेनी चाहिये। अिससे कोअी दिक्कत नहीं होगी। साथ तो किसी न किसीका मिल ही जाता होगा। सवितावहन अंक महीनेके लिये वहां आअी हैं। खेड़ावाले किसी न किसीको भेजते ही रहेंगे। अिसलिये संगति मिलती रहेगी।

“हिन्दी और मराठी ताजी की जा सके तो अच्छा हो। परंतु तुमसे तो काम लिया जाता होगा, अिसलिये पता नहीं वक्त मिलता होगा या नहीं। काममें समय जाय, यह अंक तरहसे अच्छा ही है। यहां आनेके बाद तुमने पूनियां भेज दीं, अिसलिये मैंने और चार सेर सूत कात डाला है। यहांसे छूटनेके बाद काममें लगनेसे पहले अहमदावाद आकर अंक बार तुमसे मिल जाअूंगा। अब अंक महीना वाकी है। . . . महादेव मुझसे पहले छूट गये होंगे। छूटते ही तुरंत काममें लगनेसे पहले मुझसे मिल जायं तो ठीक हो। चि० डाह्याभाभी अगले सप्ताह मिलने आयगा तब अुसके साथ खबर भेजूंगा।

“स्वास्थ्यका पूरा खयाल रखना। वापूकी गीता और आश्रम-भजनावलि साथमें होंगी। अुनका अच्छी तरह अुपयोग करना। जेलके नियमोंका भलीभांति पालन करना। जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्टको भी अपने व्यवहारसे जीत लेनेकी कोशिश करना।

“मेरी तवीयत अच्छी है। सावरमतीमें जितना वजन खोया था अुतना वापस जुटाकर वाहर निकलनेकी आशा है। वापूको पत्र

लिखना हो तो मुझे अलग-अलग लिखनेकी जरूरत नहीं। अन्हेंको लिखना। जाड़ेमें ठंड पड़ेगी। उस समय ओढ़नेके लिये कपड़े लगे तो नंदूवहनको समाचार भेज देना। वैसे तो जेलसे कम्वल मिलेंगे ही। उनका ही उपयोग करना अच्छा है।

“चि० डाह्याभाजी अगले सप्ताह शुक्रवार या शनिवारको आनेवाला है। बेचारा अकेला बाहर रह गया, जिसलिये परेशान है। नौकरी छोड़नेका विचार कर रहा है। मैंने तो उससे कह दिया है कि जैसी अच्छा हो वैसा करो।

“जेल-कमेटीमें से किसी समय कोजी मिलने आयें तो उनके साथ भी काफी सम्यतासे बात करना। मि० डेविस कभी तलाश करें और कोजी कठिनायी हो तो अन्हें बता देना। वैसे तो जेलमें से और क्या लिखनेकी बात हो सकती है? और दूसरा लिखा भी क्या जा सकता है? अक-दूसरेकी तंद्रुस्तीके समाचार मिल सकें तो काफी है। तुम्हारे साथ दूसरी वहनें हों तो उनसे प्रेम करना और अन्हें खूब वीरज और हिम्मत बंधाना।

बापूके आशीर्वाद”

ता० १३-१०-'३० के पत्रमें लिखते हैं:

“तुम्हारा ता० ७-१०-'३० का पत्र मिल गया। यह जानकर आनन्द हुआ कि दुखार मिट गया और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चि० डाह्याभाजी पिछले शुक्रवारको दुवारा मिल गया। जिस वार रामदास और मीरावहन भी आये थे। उनसे तुम्हारे समाचार मिले थे। अक तरहसे तुम्हें वहीं रखा गया सो ठीक हुआ। दूसरे सबको सुविधा हो जायगी।

“खुरशेदवहनका स्वास्थ्य नाजुक है और सुविधा कुछ भी नहीं, जिसलिये दिक्कत तो होगी। परन्तु वे सब कुछ सह लेंगी। जितनी सुविधा की जा सकती हो, अतनी कर दें तो काफी है। अन्हें 'अ' वर्गमें रखा है। जिसलिये नियमानुसार कमोड मिलना चाहिये। फिर भी क्यों नहीं मिला, यह मैं नहीं समझ सका। मेरे खयालसे अन्हें 'अ' वर्गके नियमोंकी जानकारी भी नहीं होगी।

“महादेवभाजीको रामदासके साथ संदेश कहलवा दिया है। जिसलिये अब तुम कोजी चिन्ता न करना। मेरे भी अब सिर्फ तीन हफ्ते बाकी रहे हैं। उसके बाद अक वार अहमदाबाद जाकर

मिल जानेका प्रयत्न करूंगा। उस समय और क्या स्थिति होगी, जिसका आजसे कैसे पता चले ?

“मेजर साहब बहुत भले आदमी हैं। जिसलिये उनसे जितनी हो सकेगी अतनी सुविधा देंगे। परन्तु वे जितना चाहें अतना कर नहीं सकते। जिसलिये हम तो जितना कष्ट आ पड़े अतना सहन कर लें। चूड़ियोंके लिये लड़ना पड़े, यह आश्चर्यकी बात है।* फिर भी तुम सबको जो ठीक लगे सो करना। वैसे यह विषय असा है कि सरकार जिसमें लड़नेकी नौबत नहीं आने देगी।

“सब बहनोंकी संभाल रखना और सबको बहादुर बनाकर बाहर भेजना।

“पढ़नेका वक्त न मिले तो चिन्ता करनेकी कोअी बात नहीं। कातनेके लिये भी वक्त मिले तो ही कातना। वहाँके दूसरे कामोंमें जितना वक्त देना पड़े देना।

“मेरे पास तो पुनियां खूब आ गयी हैं और कातनेका काम भी खूब चल रहा है। रोज दो हजार गज कातनेका निश्चय किया है। अब पुनियोंकी जरूरत नहीं है। वक्त भी अब थोड़ा ही रह गया है। सब आश्रमों और समितियों पर धावा हुआ है। जिसलिये किसीकी पुनियोंके कामके लिये रोकना भी पाप करने जैसा है। मुझे बापू भी पुनियां भेज देते थे। परन्तु अन्हें भी कातना पड़ता है, जिसलिये अन्हें पुनियां चाहिये। जिसके सिवाय, वे मेरे लिये पीजनेका काम करते थे। जिसलिये मैंने अिनकार कर दिया।

“मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। सावरमतीमें जितना वजन खो दिया था अतना पुनः प्राप्त कर लिया है। यहां तो ‘अ’ वर्गकी खुराक ही लेना तय किया है। दूसरे सबके साथ रहनेमें किसी तरह सुविधा हो सकती थी। जयरामदास और चंद्रभाभी मजेमें हैं। वे तुम्हें आशीर्वाद भेजते हैं। मथुरादास यहां नहीं हैं। दिल्लीसे यहां आये ही नहीं। अन्हें सीधे बेलगांव जेलमें ले गये हैं। भाभी जमनादास द्वारकादास यहां हमारे साथ थे। वे आज सुबह छूट कर बम्बयी गये हैं।

* सावरमती जेलमें बहनोंकी कांचकी चूड़ियां भी अतार ली जाती थीं और कहा जाता था कि तुम्हें पहनना हो तो सूतकी बनाकर पहनो। जिसका वहाँकी बहनोंने विरोध किया था। यह मामला पत्रव्यवहारसे ही निवट गया था और बहनोंको कांचकी चूड़ियां पहननेकी अिजाजत मिल गयी थी।

“चि० डाह्याभाजी बहुत परेशान रहता है। नौकरी छोड़नेकी बात कर रहा था। मैंने तो उसे जो जीमें आये सो करनेकी अिजाजत दे दी है। परन्तु उसके पीछे अुपाधि लगी हुअी है, अिसलिये अुसे समझमें नहीं आता कि वह क्या करे।

“खुरशेदवहन, सवितावहन और दूसरी सब वहनोंको मेरे आशीर्वाद कहना।

वापूके आशीर्वाद”

दूसरी वार जेलसे बाहर आनेके बाद सरदार पर भाषणवन्दीका हुकम जारी किया गया। परन्तु लड़ाअीमें सम्मिलित और हिजरत किये हुअे किसानोंसे मिले बिना वे तुरन्त जेल नहीं जाना चाहते थे, यद्यपि सरकार अुन्हें बाहर रहने देनेवाली नहीं थी। जब सरदारने अपनी गिरफ्तारीका अेक भी सीवा वहाना नहीं दिया, तो पुलिसने वम्बअीमें खादी भंडारका अुद्घाटन करते समय दिया हुआ अुनका भाषण ढूँढ निकाला और दिसंबरके दूसरे हफ्तेमें अुन्हें फिर पकड़ लिया। अुन पर जो मुकदमा चला, अुसमें वम्बअीके भाषणके सिवा अुनके और अपराध ये बताये गये : अुन्होंने मुंशीको पत्र लिखा था कि हमें लड़ाअीमें आगे रहना चाहिये, डॉक्टर कानूगाके वंगले पर कुछ किसान सरदारसे मिलने आये थे, भाअीलाल साराभाअीके यहां तीस-चालीस किसानों जैसे लोग अिकट्ठे हुअे थे जहां सरदार और महादेव देसाअी गये थे, सत्याग्रह आश्रममें कुछ किसान सरदारसे मिलने आये थे, कुछ विदेशी कपड़ेके व्यापारी डॉ० कानूगाके वंगले पर सरदारसे मिलने गये थे और माणक चौकमें जहां स्वयंसेवक विदेशी कपड़ेकी दुकानों पर पहरा लगा रहे थे वहांसे सरदार गुजरे थे ! अुन्हें अिन सब अपराधोंके लिये नी महीनेकी सजा दी गअी।

अिस वार लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा था अिसका वर्णन प्रसिद्ध पत्रकार मि० ब्रेल्सफर्डने, जिन्होंने सारे हिन्दुस्तानका भ्रमण किया था, ता० १२-१-३१ के ‘मॅचेस्टर गार्डियन’ में किया है। अुसमें से गुजरात सम्बंधी वर्णन यहां अुद्धृत किया जाता है :

“गुजरातके देहातोंमें पुलिस द्वारा किये गये निर्दय व्यवहारका मेरे पास प्रचुर प्रमाण है। मैं अिन गांवोंमें पांच दिन रहा हूं। कानूनके अनुसार की जानेवाली सख्ती तो वहां काफी कड़ी थी ही। वारडोली और वोरसद तालुकोंमें लगभग हरअेक किसान लगान देनेसे अिनकार करता था। वह अनेक हेतुओंसे प्रेरित होकर अैसा करता था। गांधीअीके प्रति अुसकी भक्ति, स्वराज्यकी तमन्ना, अनाजके भाव गिर जानेके कारण

होनेवाली आर्थिक कठिनायी, अैसे अनेक कारण लगान न देनेके थे। अिसके जवाबमें सरकारने खेतोंमें खड़ी फसल कुर्क करना शुरू कर दिया, भैंसों कुर्क करके नीलाम करना आरंभ कर दिया और कुओंके अिजन तथा पंप अुखाड़कर ले जाना शुरू कर दिया। और ये सब नाममात्रके मूल्य पर बेच दिये जाते थे। किसानको कुल चालीस रुपये लगानके अदा करने होते तो अुसके बदले वह अपना सर्वस्व खो बैठता था। और कर्मचारियोंने अेक त्रकीव निकाल कर लगानकी किस्त तीन महीने पहले लेनेका निश्चय किया था। परिणाम यह होता कि १९३० की दोनों किस्तें जिन्होंने अक्तूबर तक अदा कर दी हों, अुन्हें १९३१ की किस्तें जनवरीमें चुकानी पड़ती थीं। यह सब कानूनके अनुसार होता होगा, परन्तु अुससे होनेवाली तकलीफ अिन्सानको पागल बना देनेवाली थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगोंको पुलिसका बेहद कष्ट अुठाना पड़ता था। पुलिस अिन गांवोंमें बंदूक और लाठियां लिये घूमती और जो किसान मिल जाय अुसीको लाठी और बंदूकके कुन्देका स्वाद चखाती। अिन जुल्मोंके शिकार हुअे लोगोंके पैतालीस बयान मैंने लिये हैं और दोके सिवाय बाकीकी घटनाओंमें तो मारके निशान और घाव मैंने अपनी आंखों देखे हैं। अेक लड़कीने शर्मके मारे मुझे घाव नहीं दिखाये। अिनमें से कुछ मामले तो गंभीर माने जा सकते हैं। अेक आदमीका हाथ टूट गया था, अेक आदमीका अंगूठा कट गया था, जब कि औरोंके सारे शरीर पर मारके निशान थे। कुछ केस दूरके अस्पतालोंमें होनेके कारण मैं देख नहीं सका। अिसमें हेतु किसी भी तरह लगान वसूल करनेका था। मारपीट की जाय और भैंस पकड़ ली जाय, तो किस्तकी मियाद पूरी न होने पर भी लगान वसूल किया जा सकता था। मैंने तो अैसे मामले भी देखे हैं जिनमें खातेदार न होने पर भी मनुष्योंको मारपीट कर अुनसे पड़ोसियोंके लगान वसूल कर लिये गये। बहुतेसे मामलोंमें तो लड़ायीमें शरीक होनेवाले गांव पर केवल आतंक जमानेका ही पुलिसका अुद्देश्य होता था, क्योंकि वहां लगान वसूल करनेका प्रयत्न नहीं किया जाता था। आतंकका यह प्रकार तो पुलिसके लिये हंसी-दिल्लगी हो गया था। किसीसे पूछा जाता, 'क्यों, तुझे स्वराज्य चाहिये? तो ले।' यह कहकर दो-चार लाठीके वार कर दिये जाते। अिसमें अधिक भेदी बात तो यह थी कि पुलिस और माल-विभागके कर्मचारी खेड़ा जिलेके पाटीदार लोगोंके विरुद्ध वारंया लोगोंको भड़काकर साम्प्रदायिक द्वेष फैला रहे थे।

पाटीदारोंको मारने, उनका कर्ज न चुकाने और उनके घर जला देनेके लिये वारियोंको अुकसाया जाता था। रूसमें कम्युनिस्ट कर्मचारी देहातमें वर्गविग्रह भड़कानेके लिये जिस प्रकारके अुपाय काममें लेते थे, उनसे ये कम नहीं थे।

* * *
 “वोरसदमें हवालाती कैदियोंको रखनेकी जगह मैंने देखी।

वह जानवरोंको रखनेके खुले पिंजड़े जैसी ही थी। तीस चौरस फुटके अिस पिंजड़ेमें अठारह कैदियोंको रख छोड़ा था। अिस पिंजड़ेसे अुन्हें दिनमें केवल अेक वार आध पौन घंटेके लिये मुंह-हाथ धोने और टट्टी जानेके लिये बाहर निकाला जाता था।”

अिस वीच ता० १२-११-’३० को लंदनमें गोलमेज परिषद् शाही ठाटसे हुअी। कांग्रेसकी अनुपस्थितिके कारण अिस परिषद्में किसी तरहकी वास्तविकता तो थी ही नहीं, फिर भी ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने सारा नाटक अच्छी तरह पूरा किया। ता० १९-१-’३१ को ब्रिटिश प्रधान मंत्रीने भारतके शासन विधान-सम्बन्धी ब्रिटिश सरकारकी नीति और अिरादे घोषित किये और परिषद्को मुलतवी कर दिया। अपने भाषणके अन्तमें अुन्होंने यह भी कहा कि “अिस वीच जो लोग अिस समय सविनय कानून-भंगकी लड़ाअीमें लगे हुअे हैं वे वाअिसरायँ द्वारा की गअी अपीलके अनुकूल हो जायेंगे, तो अुनकी सेवाअें स्वीकार करनेकी व्यवस्था की जायगी।” अिस पर ता० २१-१-’३१ को स्वराज्य भवन, अलाहावादमें कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक हुअी, जिसमें निश्चय किया गया कि गोलमेज परिषद्में हुअी कारवाअीको कांग्रेस जरा भी स्वीकार नहीं करती और अिंग्लैण्डके प्रधान मंत्री मि० रेम्जे मैकडोनल्डने ब्रिटिश सरकारकी जो नीति घोषित की है, अुस पर गंभीर विचार करके यह निर्णय करती है कि वह नीति अितनी गोलगोल है कि अुससे कांग्रेसको कोअी सन्तोष नहीं हो सकता।

अितनेमें लंदनसे श्री शास्त्री, सप्रू और जयकरका पंडित मोतीलालजीके नाम तार आया कि हम जब तक हिन्दुस्तान आकर आपसे सलाह-मशविरा न कर लें, तब तक ब्रिटिश प्रधान मंत्रीके भाषण पर कोअी प्रस्ताव पास न करनेकी कांग्रेससे हमारी प्रार्थना है। अिस पर मोतीलालजीने तमाम सदस्योंको सूचना दी कि सब ध्यान रखें कि अिस प्रस्तावकी बात बाहर किसी पर प्रगट न हो और प्रस्ताव अखबारोंमें न आये। फिर भी प्रस्ताव तो अखबारोंमें पहुंच ही गया। गोलमेज परिषद् मुलतवी करते समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी यह अिच्छा रही होगी कि कांग्रेसको गोलमेज परिषद्में लानेका अभी अेक और प्रयत्न करके देखा जाय। अिस पर वाअिसरायँने ता० २५-१-’३१ को

घोषणा प्रकाशित करके गांधीजी और कांग्रेस कार्यसमितिके तमाम सदस्योंको विना शर्त छोड़ दिया, जिससे वे आपसमें सलाह-मशविरा कर सकें। लड़ाईके दिनोंमें जिन्हें कांग्रेस कार्यसमितिका सदस्य बनाया गया था, वे भी छोड़ दिये गये। इस घोषणाके अनुसार कुल छत्तीस मनुष्योंको छोड़ा गया। छूटनेवाले सदस्योंमें सरदार भी थे।

कार्यसमितिके सदस्योंकी रिहाईसे लड़ाईका अेक नया अध्याय आरंभ हुआ।

४

गांधी-अविन समझौता -- लड़ाई स्थगित

जब गांधीजी और कार्यसमितिके सदस्य जेलसे छूटकर बाहर आये, अुस वक्त पंडित मोतीलालजी सख्त बीमार थे। इसलिये गांधीजी अुनसे मिलनेके लिये सीधे अलाहाबाद पहुंचे। अलाहाबाद जाकर अुन्होंने कार्यसमितिके छूटे हुए और बाहर रहे सभी सदस्योंकी बैठक बुलवायी। दो तीन दिनमें लगभग तीस सदस्य वहां पहुंच गये और जिस बात पर सलाह-मशविरा शुरू हुआ कि अब क्या किया जाय। पं० मोतीलालजी बातचीतमें भाग ले सकनेकी स्थितिमें न थे। गांधीजीको अुन्होंने बताया कि, "महात्माजी, मैं तो अब थोड़ी देरमें चला। स्वराज्य देखना मेरे भाग्यमें नहीं ददा है। परन्तु मैं जानता हूं कि आप अुसे प्राप्त कर चुके हैं और थोड़े ही समयमें वह आपके हाथमें आ जायगा।" ६ फरवरीको सुबह पं० मोतीलालजीका देहान्त हो गया। अुसी दिन गोलमेजमें गये हुए हमारे नेता बम्बयी तट पर अुतरे। श्री शास्त्री और सप्रू बम्बयीसे सीधे अलाहाबाद पहुंचे। अुन्होंने लंदनमें जो कुछ हुआ अुसका सारा हाल कार्यसमितिके आगे कह सुनाया। कार्यसमितिके सदस्योंने अुनसे अच्छी तरह जिरह की। अुसके परिणाम-स्वरूप कार्यसमितिके सदस्योंको विश्वास हो गया कि अिन बातोंमें कुछ दम नहीं है। इसलिये २१ जनवरीको कांग्रेस कार्यसमितिने जो प्रस्ताव पास किया था, अुसी पर सब छूटे हुए सदस्य भी कायम रहे। शास्त्रीजी और सर तेजबहादुर सप्रूने गांधीजीको सुझाया कि आपको वाअिसरायको अेक पत्र लिखकर मुलाकातकी मांग करनी चाहिये और अुनके साथ खुले दिलसे बातचीत करनी चाहिये। कार्यसमितिके सदस्यों तथा गांधीजीको भी अैसी आशा तो नहीं थी कि इसका कुछ परिणाम निकलेगा, फिर भी अपनी इस कार्यपद्धतिके अनुसार कि विरोधी पक्षको अपना रख

समझानेका अेक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिये, गांधीजीने वाअिसराँयको पत्र लिखा। तुरन्त वाअिसराँयका अुत्तर आया कि मिलने आअिये। अिसल्लिअे गांधीजी १६ फरवरीको दिल्ली चल दिये। कार्यसमितिसे वे कहते गये कि समझौतेके वारेमें वाअिसराँयके साथ जरा भी आशाप्रद वात हुआ तो में कार्यसमितिको दिल्ली बुला लूंगा। वाअिसराँयके साथ हुआ पहली ही भेटमें गांधीजीको थोड़ी आशा बंधी और अुन्होंने कार्यसमितिको दिल्ली बुलाया। अिसके बाद तीन सप्ताह तक वाअिसराँयके साथ होनेवाली वातचीत आशा-निराशाके बीच झूलती रही। अिस सारे समयमें कार्यसमिति दिल्लीमें ही रही। वाअिसराँयके पाससे आकर गांधीजी अुनसे जो वातें होतीं सब कार्यसमितिको कह सुनाते और अुसकी राय जान लेते थे। कभी कभी तो गांधीजी वाअिसराँयसे मिलकर आधी रातको अपने निवासस्थान पर लौटते थे। अुस समय भी वे सारे सदस्योंको जगाकर वाअिसराँयसे हुआ सारी वातचीत अुन्हें कह सुनाते थे।

अिस सारे असेमें देशमें लड़ाई तो जारी ही थी। यद्यपि कार्यकर्ताओंको अैसी खानगी सूचनाअें दे दी गयी थीं कि जो प्रवृत्तियां जारी हों वे न रोकी जायं, परन्तु लड़ाईका कोअी नया कार्यक्रम शुरु न किया जाय। फिर भी पुलिसका घमंड और अुसके जुलम अैसे थे कि कांग्रेसवाले न चाहते तो भी अुन्हें लड़ाई करनी पड़ती। किसानोंकी मुसीबतें, कुर्कियां, खड़ी फसलके साथ जमीनोंकी विक्री, फसल पर पुलिसका पहरा, फसल ले जानेका प्रयत्न करनेवालोंके साथ मारपीट आदि सब वातें पूरे जोरके साथ जारी थीं। शराब-खानों और विदेशी कपड़ेकी दुकानों पर धरना देनेका अपना काम वहनं अितनी शांतिपूर्वक किन्तु आग्रहपूर्वक करतीं कि पुलिससे वह सहा न जाता। अिस सिलसिलेमें वहनों पर पुलिसके निर्दय आक्रमणकी अेक घटना गांधीजी और कार्यसमितिकी रिहाअीके थोड़े ही दिन पहले यानी २१ जनवरीको वोरसदमें हुआ। वहांकी स्थानीय महिलाओंकी सहायताके लिये सावरमती आश्रमकी कुछ वहनोंने वोरसदके पास गायकवाड़ी अिलाकेमें डेरा डाला था। अेक वहनको, जो शान्तिसे पिकेटिंग कर रही थी, पकड़नेके बाद पुलिसने तमाचे लगाये। अिसके विरोधमें वोरसदकी वहनोंने आश्रमवासी श्री गंगावहन वैद्यके नेतृत्वमें अेक जुलूस निकालनेका निश्चय किया। अिस जुलूसका कार्यक्रम यदि शांतिसे पूरा हो जाता तब तो पुलिसकी अिज्जत ही चली जाती, अिसलिये लाठीधारी पुलिसकी बड़ी टोली जुलूसको रोकनेकी तैयारीसे खड़ी हुआ। जुलूसके निकलते ही तुरंत पुलिसने अुसे आगे जानेसे रोककर विखर जानेकी आज्ञा दी। वहनं न विखर कर वहां बैठ गयीं और राष्ट्रीय गीत गाने लगीं। पुलिस भेड़ियेकी तरह अिन वहनों पर टूट पड़ी। अुन पर लाठियोंकी वर्षा

की गयी और लाठीसे घायल होकर पड़ी हुयी बहनोंको रास्ते परसे घसीट-घसीट कर अेक तरफ डालना शुरू किया। गंगावहन सख्त घायल हुआँ और खूनसे रंग गयीं। यह हाल जाहिर होने पर देशमें बड़ा हाहाकार मचा।

समझौतेकी वातचीतके दौरानमें पुलिसके अिस और अन्य निर्दय व्यवहार सम्बन्धी जांच होनेकी वात निकली। कार्यसमितिकी दृढ़ राय थी कि जांच होनी ही चाहिये, जब कि लड़ायीके दौरानमें सरकारी कर्मचारियों और पुलिसके द्वारा किये गये किसी भी कृत्यके सम्बन्धमें जांच करानेको वाअिसरॉय विलकुल तैयार न थे। अिसलिये अिस मुद्दे पर संघिवाता भंग हो जानेकी स्थिति पैदा हो गयी। गांधीजीने कार्यसमितिके कहा कि भंग हो जानेकी हद तक अिस मुद्देको पकड़ रखना मुझे ठीक नहीं लगता, परन्तु कार्यसमितिका यही आग्रह हो तो मैं आनंदपूर्वक कार्यसमितिके अेजेण्टकी हैसियतसे काम करूंगा और समझौता टूट जाता हो तो अुसे तोड़कर वाअिसरॉयके पाससे लौट आऊंगा। गांधीजीका यह रुख देखकर कार्यसमितिके अपना आग्रह छोड़ दिया।

दूसरा अैसा ही कठिन प्रश्न किसानोंकी जब्त हुयी जमीनोंके वारेमें था। अिस मामलेमें गांधीजी अैसा कोअी समझौता स्वीकार करनेको तैयार नहीं थे जो सरदारको मंजूर न हो, और सरदारका आग्रह था कि जब्त की हुयी सब जमीनें वापस मिलनी ही चाहिये। जो जमीनें दूसरे असाभियोंको न बेची गयी हों अुन्हें लौटानेको तो वाअिसरॉय तैयार थे, परन्तु विकी हुयी जमीनोंके मामलेमें अुनकी अपनी कठिनायी थी। कारण, वारडोली और बोअिसदमें करवन्दीकी लड़ायी जब जोअसे चल रही थी तब वाअिसरॉयने बम्बयी सरकारको पत्र लिखकर विश्वास दिलाया था कि किसी भी हालतमें बेची हुयी जमीनें किसानोंको वापस देनेके लिये वे नहीं कहेंगे। गांधीजीने कहा कि, “बेची हुयी जमीनोंके मामलेमें कुछ न हो सकता हो तो मुझे वातचीत भंग कर देनी पड़ेगी। अिस वारेमें मैं कांग्रेस कार्यसमितिका हुक्म (मैन्डेट) लेकर आया हूँ। और गुजरातमें तो मैं सरदार वल्लभभाभीके तेजसे ही चमकता हूँ, अिसलिये अिस प्रश्न पर मुझे सरदारके ही मार्ग-दर्शनसे काम करना चाहिये; अिस समझौतेसे वे सहमत न हो सकें, अुसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता।” अन्तमें अिस प्रश्नका निबटारा अिस प्रकार हुआ कि कोअी तीसरा आदमी बीचमें पड़कर खरीदारोंसे किसानोंको जमीनें वापस दिलवा दे तो सरकार आपत्ति नहीं करेगी। अितना ही नहीं, वह यथाशक्ति अनुकूलता पैदा कर देगी।

गांधीजीका खास आग्रह तो यह था कि विदेशी कपड़े और शराब-खानों पर शांत घरना देनेका हमारा हक स्वीकार किया ही जाना चाहिये,

और जिस प्रदेशमें नमक कुदरती तौर पर मिल जाता हो, वहाँके लोगोंको वह नमक लेनेका अधिकार होना चाहिये । उनका दूसरा आग्रह यह था कि जिन कर्मचारियों और पटेल-पटवारियोंने लड़ाईके सिलसिलेमें अपनी नौकरीसे त्यागपत्र दिये थे, उन्हें सरकारको वापस काम पर ले लेना चाहिये । अिन मुद्दों पर समझौता करनेमें दिक्कत नहीं हुई।

सबसे ज्यादा महत्त्वका प्रश्न शासन-विधान संबंधी था । अिस मामलेमें लंबी बातचीतके बाद, अलवत्ता कार्यसमितिकी मंजूरीकी अपेक्षा रखकर, गांधीजीने स्वीकार किया कि “आगेकी चर्चा गोलमेज परिपदमें चर्चित विधानकी योजनाका विचार आगे बढ़ानेके अुद्देश्यसे ही की जायगी । जिस योजनाकी रूपरेखा वहाँ तैयार की गयी है, फेडरेशन (समूहतंत्र) अुसका अेक अनिवार्य अंग है । अिसी तरह कुछ मामलों जैसे देशकी रक्षा, विदेशोंके साथ संबंध, अल्पसंख्यक जातियोंकी स्थिति, भारतके लेनदेनका निवटारा वगैरामें भारतके हितोंके लिये संरक्षण तथा भारतीयोंकी जिम्मेदारियां भी अुसके अनिवार्य अंग हैं।” जैसे जमीनके प्रश्नके वारेमें सरदारको संतोप नहीं हो रहा था, वैसे ही अिस शासन-विधानके सवाल पर जवाहरलालजीको संतोप नहीं हो रहा था । कैदियोंके छुटकारेके वारेमें केवल सत्याग्रही कैदियोंको ही छोड़नेवाले थे । दूसरे जो लोग नजरबन्द थे अुनके मामलों पर व्यक्तिगत रूपमें विचार होनेवाला था, तथा जिन सिपाहियों और पुलिसवालों पर अफसरोंकी आज्ञाभंगके लिये मुकदमे चले थे अुन्हें कोअी राहत नहीं दी गयी थी । अिन सब मामलोंमें कार्यसमितिके सदस्योंको संतोप नहीं था । गांधीजीका कहना यह था कि जब हम समझौता करने जाते हैं तो सब कुछ हमारी मरजीके मुताबिक नहीं होता । फिर भी किसी अेक मुद्दे पर अथवा सभी मुद्दों पर आपको संधिवाता भंग कर देनी हो तो मैं अैसा करनेको तैयार हूँ । अन्तमें सब सदस्योंने गांधीजीकी सलाह मानी और जवाहरलालजी भी, जिन्हें यह समझौता जरा भी पसन्द नहीं था, गांधीजी पर विश्वास करके समझौता स्वीकार करनेको तैयार हो गये ।

वारडोली और वोरसद तालुकेके जिन किसानोंकी खड़ी फसलें लूट ली गयी थीं, जिनका कीमती माल कौड़ियोंके भाव विक गया था और जिनकी लाखों रुपयेकी जमीनें जप्त करके दूसरोंको बेच दी गयी थीं अुनका अिस संधिसे निराश होना स्वाभाविक था । अुन्हें समझौतेका रहस्य समझाते हुअे गांधीजीने कहा :

“यह संधि अिस लड़ाईका अन्त नहीं है । लड़ाईका अंत तो स्वराज्य मिलनेके बाद ही होगा और शायद स्वराज्य मिल जानेके

वाद भी न हो। आज जो समझौता हुआ है, वह तो स्वराज्यकी मंजिलमें अेक आगेका कदम है। अब जो लेना रह गया है, वह वातचीत, चर्चा और सलाह-मशविरेसे लेना है। मुझे याद नहीं आता कि आपको होनेवाली हानिका बदला दिलानेकी वात आपसे मैंने या सरदारने कही हो। किन्हीं स्वयंसेवकोंने आपको अैसी आशा दिलायी हो, तो मैं कहूंगा कि अुन्होंने विना विचारे अैसा किया था। अतः आप समितिको, मुझे या सरदारको अुसके लिये जिम्मेदार न समझें। दांडीयात्राके बाद मैं यह वात कहता रहा हूं कि यह तो प्राणोंकी वाजी लगा देनेकी लड़ायी है। अिस लड़ायीमें फना हो जाना पड़ेगा। और जो फना होना चाहता है वह नुकसानका मुआवजा क्यों चाहेगा? आपके घरवार लुट जायंगे, आप वालवच्चों सहित तवाह हो जायंगे, यह मैंने आपको ढोल वजा-वजाकर कहा था। आपको साफ वता दिया था कि यह सब सहन करना हो तो ही लड़ायीमें पड़िये, वना मत पड़िये।

*

*

*

“यह प्रश्न दूसरा है कि यह संधि करनी चाहि थी या नहीं। परंतु क्या अिसमें सचमुच सिर झुकानेकी वात हुयी है? मैं कहता हूं कि जरा भी नहीं हुयी। आप मुआवजा किसका मांगते हैं? जानमाल खो दिया हो तो भी मुआवजा तो है ही। स्वराज्यके लिये अितना नुकसान वरदास्त करनेके लिये आप तैयार न हों, तो यह कहा जायगा कि बारडोली और वोरसदके लोग कंजूस थे, लुट जानेको तैयार नहीं थे। हमारे स्वराज्य ले लेनेके बाद क्षतिपूर्ति करनेकी हमारी शक्ति होगी तो भी यदि आप नुकसानका मुआवजा मांगेंगे तो स्वराज्यके घातक वनेंगे। हां, सरदारको और मुझे अेक वस्तु अवश्य असह्य मालूम होती है। आपकी जो जमीनें दूसरोंको दे दी गयी हैं वह खोनेकी चीज नहीं, यह निश्चित है। जो हानि हुयी हो अुसका बदला नहीं मांगा जा सकता। क्योंकि हम न तो मरे हुओंकी जिन्दगी वापस मांगते हैं और न कैदमें जाकर आनेवालोंका मुआवजा चाहते हैं। परंतु जमीनें तो वापस मिलनी ही चाहिये। सरदारने आपको जमीनें वापस दिलाना अवश्य स्वीकार किया था, यद्यपि मैंने वैसा नहीं किया था। परंतु अिसमें शक नहीं कि ये जमीनें आपको मिलेंगी। यह नहीं कहा जा सकता कि कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। पर मिलेंगी, यह वात सच है। सरदारकी और

मेरी परीक्षा लेनेके लिये अक बात काफी है । वह यह कि गबी हुयी जमीं वापस मिलनी ही चाहिये । जब तक वे नहीं मिलतीं तब तक स्वराज्य नहीं मिला असा मानना चाहिये । यह समझ लीजिये कि तब तक हम आपके सच्चे सेवक नहीं बने । अिसके लिये हम फना हो जायंगे और आपको भी फना कर देंगे ।”

संधिके थोड़े दिन बाद गांधीजी और सरदारने अेकाध सप्ताह साथ साथ दौरा किया । गांव-गांव लोगोके कष्टसहनकी प्रशंसा करके सरदार कहते : “आपने कष्टसहन तो बहुत किया, लेकिन जाहिर है कि आप लोगोंने जितनी अिज्जत कमायी, अुतनी बहुत थोड़े लोग कमा सकते हैं ।” वारडोलीमें दौरा करते समय खेड़ा जिलेके अिसणाव गांवमें हिजरतियोंके अठारह झोंपड़े जल जानेके समाचार आये । अुसमें अनेक पशु और चार मनुष्य जलकर खाक हो गये थे । गांधीजीने सरदारसे कहा : “अिन लोगोको हर तरहकी मदद दी जायगी, यह तो कहलवा दीजिये !” अपने किसानोके लिये जवर्दस्त अभिमान रखनेवाले सरदारने कहा, “वे लोग जरा भी नहीं घबराये होंगे, वे मदद लेनेसे अिनकार कर देंगे । फिर भी दरवार साहब, छगनलाल जोशी आदि वहां हैं । वे लोग जो कुछ अुचित होगा, किये बिना नहीं रहेंगे ।”

किसानोंसे काम लेनेकी सरदारकी पद्धति गांधीजीकी अपेक्षा कुछ भिन्न थी, अिस बातकी ध्वनि हमें वारडोलीके हिजरतियोंके समक्ष प्रगट किये गये सरदारके निम्न अुद्गारोंमें सुनायी देती है । अेक दिन सवरे सरदार गांधीजीके साथ हिजरती गांव देखने गये थे । वहां वे बोले :

“गांधीजी तो तकली चलाकर भापण देते हैं । अुन्हें अब कुछ कहना भी नहीं है । किसान अुसे समझें भी क्या ? अिसलिये आपको मेरा कहना मानना चाहिये । अुनसे जो कुछ सीखना था, वह सब मैंने सीख लिया है । अब आपको मुझसे सीखना होगा ।”

आगे हम देखेंगे कि संधिके अमलके वारेमें सरदारको बहुत वेचनी रहती थी । अुनका खयाल था कि किसानोंका स्वभाव और अुनकी कठिनाअियां गांधीजी नहीं समझ सकते । अिस बातकी आगाही अूपरके अुद्गारोंमें है ।

परंतु गांधीजी और सरदार दोनोंको यह जरा भी पसन्द नहीं था कि अिस संधिके बाद लोग राहत पानेकी आशा करने लगे । यह संधि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ स्वराज्यकी बातचीत करनेके लिये जो हाथ बढ़ा रहे थे अुसे स्वीकार करनेके लिये थी, न कि लड़ाईमें जिन्होंने खोया था अुन्हें

राहत पहुंचानेके लिये। साथ ही उसका यह अद्देश्य भी था कि स्वराज्यके लिये लोगोंमें काम करनेका कांग्रेसको अवसर मिले। परंतु हम अगले अेक अध्यायमें देखेंगे कि जिस अुदारता और सद्भावसे प्रेरित होकर गांधीजी और वाअिसरायँ लार्ड अविन यह संधि करनेको प्रेरित हुअे थे, अुस अुदारता और सद्भावका अेक कण भी हिन्दुस्तानके ब्रिटिश कर्मचारी वर्गमें नहीं था। अिसलिये गांधीजी, सरदार और दूसरे कार्यकर्ताओंके जीतोड़ प्रयत्नोंके बावजूद संधिसे कोअी नतीजा नहीं निकला।

५

कराची कांग्रेसके अध्यक्ष

जिन दिनों वाअिसरायँके साथ संधिकी वातचीत हो रही थी, अुन्हीं दिनों कार्यसमितिके सदस्य यह विचार कर रहे थे कि अगली कांग्रेस कहाँ और कब की जाय। लाहौरकी कांग्रेसमें तय हुआ था कि हर साल नातालके दिनोंमें कांग्रेस की जाती है, पर अुन दिनों ठंड बहुत होती है, अिसलिये मार्च महीनेमें जब ऋतु समशीतोष्ण होती है तब की जाय। अिस साल लड़ाअी जारी थी अिसलिये यह संभव नहीं था कि हरअेक प्रान्तीय कांग्रेस समिति अध्यक्ष और प्रतिनिधियोंका वाकायदा चुनाव कर सके। अिसलिये कार्य-समितिये निश्चय किया कि यदि समझौता हो जाय, तो कराचीमें कांग्रेसका अधिवेशन किया जाय और अुसका अध्यक्षपद सरदारको दिया जाय। प्रति-निधियोंके वारेमें तय हुआ कि हरअेक प्रान्तकी प्रान्तीय समिति अपनी निश्चित संख्यामें से आधे प्रतिनिधि अपने सदस्योंमें से चुने और आधे अपने प्रान्तसे जेल गये हुअे लोगोंमें से।

समझौता ५ मार्चको हुआ, और मार्चके अन्तिम सप्ताहमें कांग्रेस अधिवेशन करना तय हुआ। अिसलिये कराचीके लोगोंके पास तैयारी करनेके लिये बहुत थोड़े दिन बचे थे। परंतु वहांकी म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष श्री जमशेद मेहताके सहयोगके कारण और स्वागताध्यक्ष डॉ० चोअिथराम तथा सिन्धके निरभिमानी और निष्ठावान् कार्यकर्ता श्री जयरामदासकी व्यवस्था-शक्तिके कारण कराची कांग्रेसकी व्यवस्था बड़ी सुन्दर हो सकी। कराचीमें रहनेवाले गुजरातियोंने भी अुसमें जवर्दस्त भाग लिया। तैयारीके लिये पूरा अेक महीना भी नहीं मिला था, फिर भी अुन्हींने हजारों मनुष्योंके

रहने, नहाने-घोने, खानेपीने और पाखाने-पेशाबकी लगभग आदर्श मानी जा सकनेवाली व्यवस्था की। पहलेकी कांग्रेसोंकी अपेक्षा जिस कांग्रेसमें अंक यह नयी परिपाटी शुरू हुई कि कांग्रेसके मुख्य अधिवेशनके लिये मंडप बनानेके वजाय खुले आकाशके नीचे ही बैठना तय हुआ। जिस आकाश-छत्रवाले मंडपकी रचना, अुसके अन्दर ध्वनिवर्धक यंत्रोंकी व्यवस्था, बैठनेका अितं नाम और तिरंगी दीपमाला आदि सब कुछ कलापूर्ण था।

कराचीकी यह कांग्रेस बहुत क्षुब्ध वातावरणमें हुई थी। सरकारके साथ हुई समझौतेसे नवयुवक वर्गमें भारी असंतोष था। समझौतेके अनुसार जो कैदी छूटने चाहिये थे, वे सब कर्मचारियोंकी अङ्गोवाजीके कारण अभी तक नहीं छूटे थे। साथ ही बंगाल तथा दूसरे कुछ प्रान्तोंमें बड़ी संख्यामें कैदी नजरबन्द थे। वे सत्याग्रह-आन्दोलनके कारण नहीं पकड़े गये थे, परंतु राजनैतिक कैदी तो थे ही। जिस समझौतेमें अुन्हें छुड़वानेका कोअी बन्दोवस्त नहीं हो सका था। नाराजगीका जिससे भी बड़ा कारण यह था कि भगतसिंह और अुनके दो साथी सुखदेव और राजगुप्तको पंजाबके अंक अफसरकी हत्याके अपराधमें सन् १९२८ के लाहौर पड्यंत्र केसमें फांसीकी सजा दी गयी थी। तमाम नौजवानोंकी यह मांग थी कि अुन्हें फांसी न लगायी जाय। वाजिसरायके साथकी चर्चामें गांधीजीने वाजिसरायको यह समझानेमें कोअी कसर बाकी नहीं रखी थी कि अुन्हें फांसी न दी जाय। परंतु वाजिसराय फांसी मुलतवी करनेको तैयार नहीं थे। और चर्चा चूँकि सत्याग्रहकी लड़ाीके सिलसिलेमें ही थी, जिसलिये गांधीजी संबिकी शर्तोंमें जिस मामलेको ला नहीं सकते थे। भगतसिंह अैसा बहादुर जवान था कि अुसने वाजिसरायको दयाका प्रार्थना-पत्र देनेसे साफ अिनकार कर दिया था और कहा था कि मैंने तो देशकी स्वतंत्रताकी लड़ाीके लिये अंक शत्रुका खून किया है, जिसलिये सरकार भी मुझे दुश्मन समझ कर भले गोलीसे अुड़ा दे। लेकिन सरकार मुझे फांसी पर लटका रही है, यह मुझे हीनता मालूम होती है। भगतसिंहने अपने जिस साहस और शौर्यपूर्ण व्यवहारसे स्वाभाविक रूपमें ही नौजवानोंके दिल जीत लिये थे। वाजिसरायने गांधीजीसे अितना ही कहा कि आप चाहें तो मैं अैसी व्यवस्था कर दूँ कि कराची कांग्रेस खतम हो जानेके बाद अुन्हें फांसी दी जाये। परंतु गांधीजीने वाजिसरायसे कहा कि जब आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं और नवयुवकोंके दिल पर अच्छा असर डालनेका यह मौका खो रहे हैं, तब अुन्हें फांसी लगानी ही हो तो कराची कांग्रेससे पहले ही लगा दीजिये, ताकि मुझे और सरदारको नौजवानोंका जो भी रोष

वर्दाश्त करना पड़े वह हम वहीं वर्दाश्त कर लें। अिस रोषसे वचनेकी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिये।

सरदारको अैसी कठिन परिस्थितियोंमें कांग्रेसके कार्य-संचालनका भार वहन करना था। अुसकी कद्र हमारे (गुजराती) साहित्यकार श्री नरसिंहरावने किस प्रकार की थी, यह हमें निम्नलिखित श्लोकसे मालूम होता है जो अुन्होंने गांधीजी और सरदारके बंबअीसे कराची जाते समय अपनी श्रद्धांजलिके रूपमें अुनके हाथोंमें रखा था :

यत्र योगेश्वरो गांधी वल्लभश्च धूर्धरः।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥

सांताक्रुज, १८-३-३१

आशावादी अल्पात्मा

अंतमें कराची कांग्रेसके थोड़े दिन पहले ही भगतसिंह और अुसके साथियोंको फांसी लगा दी गअी। नवयुवक खूब अुत्तेजित हुअे। जब गांधीजी और सरदार कराची स्टेशन पर पहुंचे, तब नौजवान अुनके सामने काले झंडे और काले फूल रखकर अपना विरोध प्रर्दाशित करना चाहते थे। गांधीजीने कांग्रेसके तमाम स्वयंसेवकोंको हिदायत दी कि अुन्हें रोके विना मेरे पास आने दिया जाय। पहले मुझे अुनका स्वागत स्वीकार करना है। अुनके आते ही 'गांधीजीने कहा कि ये काले फूल मुझ पर और सरदार पर डालने हों तो वैसा करो, नहीं तो हमारे हाथमें दे दो। साथ ही अुन्हें यह भी कहा कि काले फूलोंसे हमारा स्वागत करनेका तुम्हें हक है, तुम्हें हम पर रोष करनेका भी हक है। युवकोंने फूल सिर पर बिखेरनेके वजाय हाथमें दे दिये। गांधीजीने कहा कि तुम्हारी अिस विनयके लिये मैं तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ हूं। गांधीजीका अैसा शान्त और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार देखकर युवक शरमाये। अुनके दिलमें गांधीजी या सरदारके प्रति अनादर तो विलकुल नहीं था, वे तो केवल अपनी भावनाका ज्वार अुनके सामने अुंडेलना चाहते थे।

सरदारका अध्यक्षीय भाषण बहुत अुछोटा था। अुन्हें कांग्रेसका अध्यक्ष बनाया गया यह अुनकी नहीं, परंतु गुजरातकी कद्र करनेके लिये है, यह कहते हुअे अुन्होंने बताया :

“मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे जैसे सीधेसादे किसानको आपने देशके प्रथम सेवकके पदके लिये चुना, यह मेरी स्वल्प सेवाओंकी कद्रके वजाय पिछले वर्ष गुजरातने यज्ञमें जो अद्भुत वलिदान किये

हैं अनुकी कद्र करनेके लिये है। यह आपकी बुदारता है कि आपने जिस सम्मानके लिये गुजरात प्रान्तको चुना। वैसे सही बात तो यह है कि जिस युगकी अपूर्व जागृतिके गत वर्षमें किसी भी प्रान्तने कुर्बानियां करनेमें कोबी कसर बाकी नहीं रखी। दयालु परमेश्वरकी कृपा है कि वह जागृति सच्ची आत्मशुद्धिकी जागृति थी।”

भगतसिंहकी फांसीके बारेमें बोलते हुये कहा :

“नवयुवक भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरुको थोड़े ही दिन पहले फांसी दी गयी है, जिसलिये देशमें गुस्सेका पार नहीं है। जिन युवकोंकी कार्यपद्धतिके साथ मेरा कोबी वास्ता नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि और किसी अदृश्यसे हत्या करनेकी अपेक्षा देशके लिये हत्या करना कम निन्द्य है। फिर भी भगतसिंह और अुसके साथियोंकी देशभक्ति, साहस और वलिदानके आगे मेरा सिर झुक जाता है। लगभग सारे देशकी यह मांग थी कि जिन नौजवानोंको हुयी फांसीकी सजाको बदल कर अुन्हें देशनिकाला दिया जाय। फिर भी सरकारने अुन्हें फांसी दे दी, यह प्रगट करता है कि मौजूदा शासनप्रणाली कितनी हृदयहीन है।”

संधिके विषयमें बोलते हुये कहा :

“यदि हम जिस समझौतेको स्वीकार न करते तो हमारा दोष माना जाता और पिछले वर्षकी सारी तपश्चर्या खतम हो जाती। हमें तो सत्याग्रहीके रूपमें सदा यह दावा करना चाहिये और हमने किया भी है कि हम सुलहके लिये सदा तैयार ही नहीं, वरन् अुत्सुक भी हैं। जिसलिये जब सुलहके लिये द्वार खुला देखा, तो हमने अुससे फायदा अुठा लिया। गोलमेज परिषद्में गये हुये हमारे देशव्रंधुओंने मुकम्मल जिम्मेदाराना हुकूमतकी मांग की। ब्रिटिश दलने यह मांग स्वीकार की। और अुसके बाद प्रधानमंत्री, वाजिस-राय और हमारे कुछ प्रसिद्ध नेताओंने कांग्रेससे सहयोगकी मांग की। जिस पर कांग्रेस कार्यसमितिको लगा कि यदि सम्मानपूर्ण समझौता हो सके और किसी भी शर्त या काट-छांटके विना पूर्ण स्वराज्यकी मांग करनेका कांग्रेसका हक स्वीकार किया जाय, तो कांग्रेस गोलमेज परिषद्में जानेका निमंत्रण स्वीकार कर ले और सब दलोंको स्वीकार हो सकनेवाला विधान तैयार करनेके प्रयत्नमें सहयोग दे। यदि जिस प्रयत्नमें हम असफल रहे और तपश्चर्याके सिवा और कोबी

मार्ग नहीं रहा, तो उसे अपनासे हमें रोकनेवाली पृथ्वी पर कोअी शक्ति नहीं है।”

कांग्रेसके सामने मुख्य प्रस्ताव गांधी-अविन समझौतेके अनुसार हुआ संघिको बहाल रखनेका था। ऊपर कहा जा चुका है कि यह संघि नौजवानोंको पसन्द नहीं थी। असा कहा जा सकता है कि उस वक्त कांग्रेसमें नौजवानोंके अुदार दलके नेता पं० जवाहरलाल नेहरू थे और अुग्र दलके नेता श्री सुभाष बोस थे। पंडित जवाहरलालको संघि नापसन्द होनेका कारण संघिकी शर्तें नहीं थीं; वल्कि वे उसे असलिये नापसन्द करते थे कि अुनकी रायमें संघिमें पूर्ण स्वराज्यके तत्त्वको भुला दिया गया था। फिर भी गांधीजीके प्रति रही भक्तिके कारण और अुनके समझानेसे अुन्होंने संघिके सम्बन्धमें अपने मनको समझा लिया और कांग्रेसके अधिवेशनमें संघिका प्रस्ताव भी अुन्होंने पेश किया। उसे पेश करते समय अुन्हें कौन-कौनसी मनोव्यथामें से गुजरना पड़ा असका सारा अितिहास अुन्होंने कह सुनाया। अुन्होंने नौजवानोंसे कहा कि मैं अितनी मनोव्यथाके वाद भी जब संघिका समर्थन करनेके लिये खड़ा होता हूं तो अस प्रस्तावमें कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिये। अुनकी दर्दभरी वाणीने श्रोताओंके हृदय पर गहरा असर किया और गांधीजी तथा सरदारका काम अत्यंत सरल बना दिया। अुग्र दलके नेता सुभाष वावूने भी प्रस्तावका विरोध न करके समर्थन ही किया। असलिये नवयुवक शांत हो गये। वादमें गांधीजीने युवकोंको समझाते हुअे कहा :

“हमारे नौजवान भाअियों और बहनोंको संघिसे दुःख हुआ है। अुनके प्रति मेरे दिलमें प्रेमके सिवा और कुछ नहीं है। अुनका दुःख मैं समझ सकता हूं। अस संघिके बारेमें अुन्हें शंका करनेका पूरा हक है। अुनके विरोधसे मेरे हृदयमें क्षोभ नहीं होता, गुस्सा भी नहीं आता। हमने गोलमेज परिषद्के विरुद्ध जवर्दस्त विरोध प्रदर्शित किया था। यह भी कहा था कि अस परिषद्से कुछ नहीं मिलेगा। तब फिर असा क्या हो गया जिससे हमें यह खयाल होता है कि अस परिषद्में जानेसे कुछ लाभ होगा? मुझमें कोअी जादू नहीं है और न कांग्रेसमें ही जादू है जिससे गोलमेज परिषद्की वृत्ति बदल जायगी और सब कुछ मिल जायगा। असलिये आप मुझसे अच्छी तरह समझ लें कि मैं यह वचन नहीं देना चाहता कि हमारे गोलमेज परिषद्में जानेसे ही स्वराज्य मिल जायगा। मेरे मनमें अस बारेमें पूरा सन्देह है। कअी बार खयाल होता है कि अस परिषद्में जाकर हम क्या करेंगे? आज हम जो मांगते हैं और आज तक गोलमेज

परिपदके सामने जो कुछ रखा गया है, उसके बीच अितनी बड़ी खाबी है कि दिलमें से यह शंका निकलती ही नहीं कि वहां जाकर क्या करेंगे।

“परंतु जो वस्तु किसी खास परिस्थितिमें धर्म हो जाती है, उसे न करें तो पाप होता है। सत्याग्रहका कानून है कि जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके साथ बातचीत करनेका समय आये तब बातचीत की जाय। हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिये कि जिसे हम दुश्मन मानें उसके साथ प्रेम करके उसे जीत लें। सत्याग्रहीकी प्रतिज्ञा तो शत्रुको प्रेमसे जीतनेकी है। यदि सत्याग्रहीमें प्रेम न होकर ओर्पा-ट्रेप हो, तो वह सत्याग्रही नहीं परंतु दुराग्रही कहा जायगा। परंतु कांग्रेसके ध्येयमें दुराग्रहको कोबी स्थान नहीं है; उसमें केवल सत्य और अहिंसाको ही स्थान है। जिसलिये यदि हम यह मानते हों कि जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है उसके साथ संधि हो ही नहीं सकती, तो यह बड़ी भूल है। यह भूल दूर करनी चाहिये। जिसलिये यद्यपि मुझे जिस चीजसे कुछ नतीजा निकलनेके वारेमें शंका है, तथापि जब हमें निमंत्रण दिया गया है और कहा जाता है कि आपको जो चाहिये सो आकर हमें बताविये और समझाविये, लड़ते रहनेके बजाय हमें जानने दीजिये कि आपकी मांग क्या है, तो हमें वहां जाना ही चाहिये। . . .

“जिस संधिमें हमें शर्म आने जैसी अेक भी बात नहीं है। मैं यहां यह समझाना नहीं चाहता कि जिस संधिमें अमुक बात क्यों नहीं आबी, अमुक बात क्यों रह गयी, परन्तु मैं आपको यह समझाऊंगा कि कार्यसमितिका यह संधि करना धर्म क्यों हो गया। जब सरकारने कार्यसमितिको छोड़ दिया तब उसका यह धर्म हो गया कि या तो सविनय कानून-भंग करके वापस जेलमें जाये या कोबी और कदम अुठाये। यह कदम हमने न अुठाया होता और सविनय कानून-भंग करके जेल चले जाते, तो संसारमें हमारी नेकनामी नहीं बल्कि बदनामी ही होती।

“हमने यह संधि थककर नहीं की। अेक भाबीने कहा, हम तो अेक वर्ष और लड़ाबी चलानेके लिये तैयार थे। यह बात मैं भी मानता हूं। मैं तो जिससे भी आगे बढ़कर कहता हूं कि हम अेक नहीं, बीस वर्ष तक लड़ाबी जारी रख सकते थे। सत्याग्रही तो जब दूसरे सब लोग थककर अूब जाते हैं तब भी अकेला ही लड़ता

है। असलिये यह बात ठीक नहीं कि हमारे थक जानेके कारण कार्यसमितिको संधि करनी पड़ी। जिस प्रकार थककर जो सत्याग्रह बन्द करते हैं वे अश्वरको धोखा देते हैं, जनताको धोखा देते हैं, देशको धोखा देते हैं। परंतु जिस तरह संधि हुआ ही नहीं। यह संधि असलिये हुआ कि उसे होना चाहिये था। यह तो हरगिज नहीं कहा जा सकता कि हममें लड़नेकी शक्ति हो तो लड़ते ही रहना चाहिये। और अगले वर्ष तक लड़ते रहनेके बाद भी यही बात आकर खड़ी होती। तब क्या आप फिर यही कहते, 'नहीं, हम तो लड़ते ही रहेंगे?' यदि सिपाही यह कहे कि मैं तो लड़ता ही रहूंगा, तो वह मिथ्याभिमानी कहा जायगा। वह अश्वरका अपराधी बनता है। असलिये जो संधि हुआ वह होनी ही चाहिये थी।”

नौजवानोंकी एक खास सभाके सामने गांधीजीने कहा :

“भाअियो, संधिको समझनेकी कोशिश कीजिये। मेरा तो सारी जिन्दगी संधि करने, लड़ने और फिर संधि करनेका धंधा ही रहा है। हमें यह देखना था कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, ताकि दुनियामें कोअी अुलटा और जल्दवाजीका कदम अुठानेके लिये हमारी निन्दा न कर सके। चालीस वर्षसे जो अिसी प्रकारका काम करता रहा है और किसी न किसी हद तक अुसमें सफल हुआ है, अुसके अनुभवोंका तो जरा खयाल कीजिये। करोड़ों लोगोंमें चेतना आ गयी है, करोड़ों किसान निर्भय हो गये हैं, यह क्या विना किसी कार्य अथवा प्रयत्नके ही हो गया? मैं यह दावा नहीं करता कि यह सब मैंने कर दिया। मैं तो केवल एक निमित्त था। परंतु अिसमें कोअी शक नहीं कि अिन पंद्रह वर्षोंसे मैं भारतके सामने जिस चीजको रखनेका प्रयत्न करता रहा हूं, अुसने लोगोंमें जागृति पैदा की है। आपकी बहादुरी, आपका त्याग मुझे ग्राह्य है। अिस त्यागको अहिंसाकी शक्तिके साथ जोड़ दीजिये।”

दूसरा प्रस्ताव भगतसिंह और अुसके मित्रोंको दी गयी फांसीके वारेमें था। यह प्रस्ताव भी जवाहरलालजीने पेश किया। वे बोले :

“जिसने हिंसाके मंत्रका पालन करके अपने जीवनका बलिदान दे दिया, अुसकी तारीफ करनेवाला यह प्रस्ताव मेरे बजाय अगर अिसके गढ़नेवाले अहिंसाके पुजारी गांधीजी द्वारा पेश किया जाता तो ज्यादा अुपयुक्त होता।”

भगतसिंहवाला प्रस्ताव नीचे दिया जाता है :

“अस काँग्रेसका किसी भी तरहकी अथवा किसी भी रूपकी राजनैतिक हिंसासे कोअी संबंध नहीं है। फिर भी वह सरदार भगतसिंह और अुनके साथी श्री मुखदेव और राजगुरुकी वीरता, शौर्य और वलिदानकी प्रशंसा करती है और मरनेवालोंके कुटुम्बीजनोंके साथ शोकमें शरीक होती है। अस काँग्रेसकी यह राय है कि अिन तीनों भावियोंको फांसी पर चढ़ानेका कृत्य पूरी तरह वैरभावसे प्रेरित और अुनकी सजामें परिवर्तन करनेकी समस्त राष्ट्रकी मांगको जानवूझ कर ठुकराने-वाला था। यह काँग्रेस अपनी यह राय भी जाहिर करती है कि दो राष्ट्रोंके बीच सद्भाव, जो अस समय अत्यंत आवश्यक है, पैदा करनेका सुवर्ण अवसर सरकारने अपने अस कृत्य द्वारा खो दिया है। जो दल निराशासे प्रेरित होकर राजनैतिक हिंसाका आश्रय लेता है, अुसे जीतकर शांतिके मार्ग पर लानेका भी यह अेक सुवर्ण अवसर था, जिसे सरकारने खो दिया है।”

काँग्रेस अधिवेशनके दौरानमें ही कानपुरमें साम्प्रदायिक दंगा होने और अुसमें कुछ मुसलमान परिवारोंको वचानेका प्रयत्न करते हुअे श्री गणेशशंकर विद्यार्थीके मारे जानेका समाचार मिला। अससे जवर्दस्त शोक छा गया। मुसलमान परिवारोंको मारने आनेवाली पागल भीड़के सामने अेक सच्चे सत्याग्रहीके रूपमें गणेशशंकर विद्यार्थी अटल खड़े रहे। वे युक्त प्रांतकी काँग्रेस समितिके अध्यक्ष थे। अुनके परिवारके प्रति समवेदना प्रगट करनेवाला जो प्रस्ताव काँग्रेसने पास किया, अुसमें कहा गया कि :

“जो लोग खतरेमें आ पड़े थे अुनके प्राण वचानेका प्रयत्न करते हुअे और मारकाट तथा पागलपनके बीच शान्ति और समझदारी स्थापित करनेकी कोशिश करते हुअे अेक प्रथम श्रेणीके प्रमुख काँग्रेसी कार्यकर्ताने अपने प्राणोंकी जो आहुति दी है, अुसके लिअे यह काँग्रेस गर्व करती है।”

परन्तु यह काँग्रेस अधिक स्मरणीय तो अुसके द्वारा स्वीकृत ‘स्वराज्यके मौलिक अधिकारों’ संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावके कारण बन गयी है। वह प्रस्ताव काँग्रेसकी कार्रवाअी पूरी होनेको आअी तब जल्दी-जल्दीमें पास किया गया था, असलिअे अुसमें सुधार करनेका अधिकार काँग्रेसने अपनी महा-समितिको दे दिया था। ता० ६, ७ और ८ अगस्त १९३१ को महासमितिके अुस प्रस्तावमें कुछ संशोधन करके अुसे अंतिम रूप दिया। यह ध्यानमें रखनेकी

वात है कि स्वराज्य आनेके बाद भी उस प्रस्तावमें बतायी गयी बहुतसी बातों पर हम अभी तक अमल नहीं कर सके हैं।

अससे विदित होगा कि अस कांग्रेसकी पतवारको खेना कोअी आसान बात नहीं थी। फिर भी सरदार अपनी व्यवहार-दक्षतासे अस जिम्मेदारीको निभा सके। अन्होंने सारा कार्य अेक किसानको सुशोभित करनेवाले ढंगसे पूरा किया। सारा कामकाज हिन्दीमें ही चलानेका आग्रह रखा। और अन्तमें अपसंहार-भाषणमें अन्होंने अपने हृदयका दर्द और आंखोंमें भरी आग अुंडेलते हुअे कहा :

“गांधीजीको ६३ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और मुझे ५६। स्वराज्यकी जल्दी हम बूढ़ोंको होगी या आप नौजवानोंको? हमें मरनेसे पहले हिन्दुस्तानको आजाद देखना है, असलिये आपसे अधिक जल्दी हमें है। आप मजदूरों और किसानोंकी बात करते हैं। मैं दावा करता हूं कि किसानोंकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूं। फिर भी आपमें से किसीके भी साथ स्पर्धा करनेको तैयार हूं। किसानोंसे जो कुर्बानी मैंने करवायी है, अतनी आपमें से शायद ही किसीने करवायी होगी। छः मास बाद फिर यदि समय आया तो दिखा दूंगा। आप व्यर्थ क्यों अुत्तेजित होते हैं? छः महीनेमें आप कोअी बूढ़े नहीं हो जायंगे। यह बात सच है कि सरकारने रोपके अनेक मौके दिये हैं और दे रही है। परन्तु हमारा काम गुस्ता करनेसे नहीं होगा। हमने अभी अपनी तलवार म्यानमें रख ली है। असे जंग न लगने देना। असे घिस घिसकर चमचमाती रखना। शराबवन्दी, खादी तथा आत्म-शुद्धिके कार्यक्रम तो आपके सामने हैं ही। आपने देखा है कि अससे प्रजाकी ताकत बेहद बढ़ती है। . . . हममें ताकत होगी तो गोलमेजमें हम अपनी मनचाही चीज ले सकेंगे। हमें वह नापसंद होगी तो लौट आयेंगे और लड़ेंगे। असलिये अैसा काम कीजिये, जिससे लोगोंकी शक्ति बढ़े।”

जमींदारों और पूंजीपतियोंके विषयमें बोलते हुअे कहा :

“जब पं० जवाहरलालजी कोअी कार्यक्रम रखते हैं, तब बहुतसे लोग भड़क अुठते हैं। अगर अुनमें गरीबोंके प्रति प्रेम है और किसीके प्रति द्वेष नहीं है, तो अुनसे (जवाहरलालजीसे) डरनेकी क्या बात है? जमींदारोंकी जमीनें चली जायंगी, यह कहकर अुन्हें भड़काया क्यों जाता है? बकरीका भी कहीं शिकार होता है? जमींदार तो बेचारे पामर प्राणी हैं। सरकारका अेक अदना सिपाही भी अुन्हें डरा देता है। हम अैसा

काम करें कि अुनके दिलमें भी जो अीश्वर बसा हुआ है वह जाग्रत हो और वे लोगोंके सुख-दुःखके साथ अेकरस बनें। अपनी पुत्रवत् प्रजा जब भूखों मरती हो, तब महलोंमें गाना-बजाना करनेवाले, नाच नचानेवाले और रुपया अुड़ानेवाले जमींदार हरगिज नहीं रह सकते।”

अिस प्रकार कांग्रेस अधिवेशनका काम तो भलीभांति निबट गया, परन्तु आगे बड़ा विकट काम पड़ा था।

६

संधिका अमल

संधि हो जानेके तुरन्त बाद पत्रकारोंसे मुलाकात करते समय गांधीजीने बताया था कि “अिस संधिका सारा श्रेय वाअिसरायके अटूट वीरज और अुतने ही अटूट परिश्रम तथा अचूक विनयको है। जब ये नाजुक वार्ताओं हो रही थीं अुन दिनों वे सदा साफदिल रहे हैं और अुन्होंने यथाशक्ति संधि कर लेनेका अपना निश्चय प्रदर्शित किया है।” अिसी प्रकार वाअिसरायने भी अिस संधिको संभव बनानेके लिये गांधीजीकी प्रशंसा की। गांधीजीकी प्रामाणिकता, सच्चायी और अुच्च देशभक्तिकी अुन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा, “गांधीजीके साथ काम करना बड़े सौभाग्यकी बात है। अुसमें अपार आनन्द मिलता है।” अिस प्रकार यह संधि करनेवाले दो व्यक्ति जब अेक-दूसरेके प्रति सुजनता और सद्भावसे अोतप्रोत हो रहे थे, तब ब्रिटिश कर्मचारियोंको यह जरा भी पसंद नहीं था कि वाअिसराय गांधीजीके साथ समझौतेकी बातें करें और सरकार व कांग्रेसके बीच अैसी संधि हो अर्थात् सरकारकी तरफसे अिस बातको स्वीकार किया जाय कि कांग्रेस लोगोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था है। और अिस संधि पर अमल करना तो अुन्हींके हाथमें था। अिसलिये वे शुरूसे ही अड़चनों पैदा करने लगे। फिर, संधि करनेके बाद थोड़े ही समयमें लार्ड अर्विनकी मियाद पूरी हो गयी अिसलिये वे चले गये। अुनकी जगह ता० १८-४-’३१ को लार्ड विलिंग्डन वाअिसराय बनकर आये। वे हिन्दुस्तानको अच्छी तरह जानते थे। बम्बयी और मद्रासमें गवर्नर रह चुके थे और सिविल सर्विसके लोगोंके साथ अुनका अच्छा गठबन्धन हो चुका था। वे भारतके ब्रिटिश कर्मचारियोंका मानस भलीभांति जानते ही नहीं थे, अुस मानसके साथ अुनका समभाव भी था, बल्कि अुन्होंने खुद भी अुस मानसका विकास कर लिया था। अिस स. २-५

संधिके प्रति और संधिके प्रणेता गांधीजी और लार्ड अविनके प्रति वे क्या दृष्टि रखते थे, यह उनके खानगीमें प्रगट किये हुअे परन्तु बहुत प्रसिद्ध हो चुके अिन अुद्गारोंमें व्यक्त होता है : “वह भला अविन अिस नटखट वनियेके जालमें फंस गया। मैं होता तो अुसे हाथ ही न रखने देता।” अेक और अवसर पर अुन्होंने कहा था : “वन्दर युक्तियोंवाला यह वदमाश (गांधीजी) मुझे झूठा सावित करनेमें हमेशा सफल हो जाता है।” जिसका यह मानस हो अुससे क्या आशा रखी जा सकती थी? और कर्मचारी तो संधिको असंभव बनाना ही चाहते थे। विलिंग्डन साहवके राज्यमें अुन्हें खुली लगाम मिल गयी। और संधि हुयी तव अिग्लैण्डमें मजदूर मंत्रिमण्डल सत्ताहृद था; परन्तु संधिके वाद थोड़े ही समयमें अुसने अिस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री मि० मैकडोनल्डने, जो मजदूर दलके नेता थे, मिलाजुला मंत्रिमंडल बनाया। नये मंत्रिमंडलमें अनुदार दलका जोर अधिक था। अिस फेरवदलके कारण भी परिस्थितिमें बड़ा फर्क हो गया।

लोगोंने लगान न देनेकी लड़ायी शुरू की, अिससे कर्मचारियोंका पारा काफी गरम तो हो ही चुका था। अिसलिअे संधिके वाद लगानका वकाया वसूल करनेके लिअे अुन्होंने काफी कड़े कदम अुठाने शुरू कर दिये। संधिमें जव्त या कुर्क हुयी स्थावर और जंगम सम्पत्तिके वारेमें और लगान-वसूलीके वारेमें निम्नलिखित शर्तें तय हुयी थीं :

“लगान या किसी और वकायाकी वसूलीके लिअे जव्त या कुर्क हुयी जमीन और दूसरी स्थावर या जंगम सम्पत्ति, जो सरकारके कब्जेमें होगी, लौटा दी जायगी, सिवा अुस हालतके कि जिला कलेक्टरको यह माननेका कारण हो कि कर न देनेवाला मनुष्य अुससे वसूल की जानेवाली रकम अुचित समयमें देनेसे अड़ंगेवाजीके तौर पर ही अिनकार कर रहा है। अुचित समय कितना हो, यह तय करनेमें कर न देनेवाले जिन लोगोंको रुपया अदा करनेकी अिच्छा होते हुअे भी अुसके लिअे सचमुच मियादकी जरूरत होगी अुनके वारेमें खास तौर पर विचार किया जायगा; और जरूरत होगी तो लगान संबंधी शासनके साधारण नियमोंके अनुसार लगान मुलतवी कर दिया जायगा।

“नुकसानका मुआवजा नहीं दिया जायगा। जहां जंगम सम्पत्ति सरकारने वेच दी होगी या अन्यथा अुसका अन्तिम निवटारा कर दिया होगा, वहां भी मुआवजा नहीं दिया जायगा। साथ ही विक्रीकी आवक नहीं लौटायी जायगी, सिवा अिसके कि जिस जायज वकायाके लिअे वह जायदाद वेची गयी हो अुससे आयी हुयी रकम अधिक हो।

“जहां स्यावर सम्पत्ति तीसरे पक्षको वेच दी गयी है, वहां जहां तक सरकारका सम्बन्ध है सौदा आखिरी समझा जाना चाहिये।

“जायदादकी कुर्की जायज है या नहीं, बिस मुद्दे पर किसी भी मनुष्यको वैच कार्रवायी करना हो तो वैसा करनेकी बुसे छूट होगी।

“सरकार मानती है कि बहुत ही थोड़े मामले अैसे होंगे, जिनमें वकाया वसूली कानूनकी धाराओंके अनुसार न हुयी हो। अैसे मामले हुअे हों तो उनको निवटानेके लिये स्थानीय सरकारें जिलाधिकारियोंको बिस प्रकारकी शिकायतोंकी जल्दी जांच करनेकी और जहां कानूनके खिलाफ कार्रवायी हुयी हो वहां अविलम्ब न्याय करनेकी सूचनाओं भेज देंगी।”

युक्त प्रान्तमें बहुतसे किसान अुस साल लगान अदा नहीं कर सके थे। अुन्होंने सविनय कानून-भंगकी लड़ायीके ही कारण असा नहीं किया था, परन्तु खेतीकी पैदावारके भाव अित्तने गिर गये थे और आर्थिक मंदी अितनी अधिक आ गयी थी कि किसानोंके पास जमींदारोंको लगान चुकानेके लिये पैसे ही नहीं थे। संधि हो जानेके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओंने किसानोंकी लगान चुकानेकी अशक्तिके कारण राहतकी मांग करना शुरू किया और किसानोंको राहतके मामलेमें कोअी निवटारा न हो जाने तक लगान न देनेकी सलाह देना भी आरंभ कर दिया। राहतके धारेमें जांच करके लोगोंको न्याय देनेके वजाय भारत सरकारके गृहसचिव मि० अिमर्सनने गांधीजीको ता० २१-३-३१ को पत्र लिखकर सूचित किया कि :

“स्थानीय कांग्रेस बिस किस्मका रवैया रखे तो करवन्दीकी लड़ायी दूसरे रूपमें जारी ही रहती है और संधिके मूल हेतुका पालन नहीं होता।”

गांधीजीने ता० २३-३-३१ को जवाबमें बताया कि :

“मेरे कहनेसे बिस प्रश्न पर पंडित जवाहरलाल नेहरूने अेक कैफियत तैयार की है जो साथमें भेज रहा हूं। बिस कैफियतके अनुसार स्थानीय कांग्रेस समितियोंका रवैया मुझे आपत्तिजनक नहीं लगता। मेरी राय यह है कि यदि स्थानिक अधिकारी कांग्रेस समितियोंकी सहायताको अस्वीकार न करें और अुनकी हलचलोंको शककी नजरसे न देखें तो सब कुशल ही है।”

परन्तु अधिकारी तो कांग्रेसको लोगोंकी प्रतिनिधिके रूपमें स्वीकार ही करनेको तैयार नहीं थे। असलिये मि० अिमर्सनने ता० ३१-३-३१ को अुत्तर दिया कि :

“आर्थिक कष्टोंके प्रश्नका विचार करनेका काम माल-विभागका है। जिस वारेमें कांग्रेस अपने संगठनका अपुयोग करे, असा सुझाव संधिमें या वाजिसरायके साथ आपकी वातचीतमें नहीं था।”

यह स्थिति गांधीजी, जवाहरलालजी या सरदार कैसे स्वीकार करते ? सबके मिलकर परामर्श कर लेनेके बाद ता० ८-४-'३१ को गांधीजीने मि० अिमर्सनको साफ साफ वता दिया कि :

“किसानोंके प्रतिनिधिकी हैसियतसे अुनकी तरफसे बोलना कांग्रेसका प्रथम कार्य है। किसानोंके प्रतिनिधिके रूपमें कांग्रेसकी मदद स्थानीय अधिकारी मंजूर न करें और अुनके प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार न करें, तो भय है कि कांग्रेसके लिअे समझौतेकी शर्तोंका पालन करना असंभव हो जायगा। असा करके संधि-भंगका आरोप कांग्रेस पर लगाना गलत है। अन्तमें शर्तोंका पालन तो लोगों द्वारा ही होगा और यदि कांग्रेसके आदमी लोगोंकी मांगों और लोगोंके दुःख अधिकारियोंके सामने पेश न कर सकें तो संधिका पालन करनेमें कांग्रेस असमर्थ सिद्ध होगी।”

वारडोली और वोरसद तालुकोंमें तथा गुजरातके दूसरे भागोंमें भी स्थानीय कर्मचारियोंने असी ही मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दिया था। मातर तालुकेके तहसीलदारने अेक सूचना जारी की थी। अुसमें वताया गया था कि “चौकीदारी और कुर्कीका खर्च सरकारको हुआ है, अिसलिअे वह माफ नहीं किया जा सकेगा।” नवजीवन कार्यालयने लड़ाीके दिनोंमें कर नहीं दिया था। संधिके बाद तुरंत अधिकारी चुकाने गये, तब अुनसे ‘नोटिस फीस’ मांगी गयी और ‘नोटिस फीस’ के बिना कर लेनेसे अिनकार कर दिया गया। किसानोंसे पिछले सालका वकाया भी वे मांगने लगे थे। स्थानीय कार्य-कर्ताओंके साथ विचार-विनिमय करके गांधीजी और सरदार अिस निर्णय पर पहुंचे थे कि :

१. रास गांवको अितनी भारी हानि अुठानी पड़ी है कि वह शायद ही लगान अदा कर सके।

२. वाकी गांव भरसक प्रयत्न करके मौजूदा सालका लगान चुकानेकी कोशिश करेंगे।

३. तकावी और पहलेका वकाया सरकारको मुलतवी करना चाहिये। सरकार यह मानती है कि लोगों पर आयी हुयी आफत अुनके अपने ही कसूरसे पैदा हुयी है, परन्तु संधि हो जानेके बाद यह कारण अुपस्थित करना अप्रस्तुत है।

४. चौकीदारी, कुर्की और नोटिसकी फीसका खर्च न लिया जाय, यह संधिका स्पष्ट अर्थ है। जिसलिये अिन खर्चोंकी रकम न मांगी जाय।

गांधीजीने ता० २०-४-'३१ को अुत्तर विभागके कमिश्नर मि० गैरेटको पत्र लिखकर यह वात बता दी। अुसके जवावमें मि० गैरेटने २१-४-'३१ को पत्र लिखकर बताया कि :

“आप कांग्रेसको सरकार और लोगोंके बीच मध्यस्थ बताते हैं। लेकिन संधिके सिलसिलेमें स्वीकार की गयी बातोंमें यह नहीं है और आपका सुझाया हुआ अर्थ स्वीकार करनेमें मैं असमर्थ हूं। लोग अपनी शिकायतें रखनेके लिये सरकारी अफसरोंके पास पहुंचनेके लिये स्वतंत्र और समर्थ हैं।”

गांधीजीने वम्बयी सरकारको पत्र लिखकर सूचित किया कि :

“जब भारत सरकार और ब्रिटिश सरकारने यह वात स्वीकार की कि कांग्रेस ही लोगोंकी 'सच्ची प्रतिनिधि है, तभी अुसके और सरकारके बीच संधि हुयी है। सरकार और लोगोंके बीच कांग्रेसको मध्यस्थ स्वीकार न करनेका अर्थ संधिसे अिनकार करना हो जाता है।”

अिसके जवावमें वम्बयी सरकार और मि० गैरेटने जरा रुख बदल लिया और अुस समय तो काम आगे बढ़ा। परन्तु अुनके दिलमें से गांठ निकली नहीं थी। असलिये दिक्कतें तो खड़ी ही रहीं।

युक्त प्रान्त और गुजरातमें लगान वसूल करनेके मामलेमें अधिकारियोंने सख्ती और जुल्म जारी रखा। कर्नाटकमें सिरसी और सिद्दापुर तालुके आर्थिक संकटोंके कारण लगान अदा नहीं कर सके थे। वहां भी अधिकारियोंने जुल्म शुरू कर दिये। कांग्रेसके कार्यकर्ताओंको अलग रखकर सरकारने सीधे दमनकी कार्रवायियां शुरू कर दीं।

कानूनकी सीमामें रहकर शरावखानों पर पिकेटिंग करनेकी संधिके अिकरारनामोंमें छूट दी गयी थी, परन्तु शराव और ताड़ीकी दुकानोंके नीलाम पर पिकेटिंग करनेकी छूट कहां थी? असलिये अुस पर पिकेटिंग करनेवालों पर १४४वीं धारा लगायी जाने लगी, और शरावखानोंके पिकेटिंगका नियमन करनेके वहाने स्थानीय अधिकारी अैसे हुक्म जारी करने लगे कि पिकेटिंग असंभव हो जाय। अैसी आज्ञाओं द्वारा पहरा लगानेवालोंकी संख्या अितनी थोड़ी निश्चित कर दी गयी कि दुकानके दो या अधिक दरवाजे

हों तो अun पर पहरा लगाया ही नहीं जा सके । कुछ स्थानों पर तो दुकानोंसे सौ गज दूर खड़े रहकर पहरा देनेके हुक्म जारी किये गये, जिससे पिकेटिंग करनेवाले दुकानको देख भी न सकें और पिकेटिंग असफल हो जाय । अिसके अलावा, अहमदावाद, रत्नागिरि तथा भड़ोच जिलेमें अधिकारियोंने पुलिसके परवानेमें वताये हुअे स्थान और समयसे वाहर शराव बेचनेकी शराववालोंको अिजाजत दे दी । और शरावके दुकानदार पहरा देनेवालों पर हमला करते, तो अुस तरफ पुलिस ध्यान ही नहीं देती थी और पहरा देनेवालोंकी शिकायत नहीं सुनती थी । शराव व ताड़ीके पिकेटिंगको असफल बनानेका अेक भी अुपाय करनेमें अधिकारियोंने कसर नहीं रखी ।

संधिकी शर्तोंके अनुसार जहां नमक कुदरती तौर पर बनता हो वहां अपने घरके कामके लिये अुसे ले जाने और आसपासके अिलाकेमें सिर पर रखकर बेचनेकी छूट दी गयी थी । मद्रास प्रान्तके मच्छीमारोंने संधिके बाद यह छूट मिल जानेके लिये वड़ी सरकारको घन्यवादका तार भेजा । सरकारकी ओरसे अun लोगोंको अुत्तर मिला कि तुम पर ये शर्तें लागू नहीं होतीं । समझौतेकी शर्तोंमें ये शब्द थे कि घरके अिस्तेमालके लिये नमक बटोरने या बनानेकी छूट रहेगी । लेकिन मद्रास प्रान्तके मच्छीमार लोग मछली सुरक्षित रखनेके लिये नमक लेना चाहते थे, अतः यह कारण देकर सरकारने अुन्हें अिनकार किया था । वड़ी लंबी वातचीतके बाद सरकारने मअी मासके अन्तमें स्वीकार किया कि “समझौतेकी कलमोंका अुद्देश्य गरीबोंको लाभ पहुंचाना है, अिसलिये ‘घरेलू अिस्तेमाल’ शब्दोंमें खादके, जानवरोंको खिलानेके अथवा मछली सुरक्षित रखनेके लिये नमकके अुपयोगका समावेश होगा ।”

वलसाड़ तालुकेके पांच गांवोंने अपनी जमीन पर घरासणाके नमकके ढेर पर धावा करनेवाले स्वयंसेवकोंकी छावनियां बनाने दी थीं । अिसके लिये अun पर जुर्माना किया गया था और अunकी जमीनें जव्त कर ली गयी थीं । अब समझौतेकी शर्तोंमें यह कलम थी कि “जो जुर्माना वसूल नहीं हुआ वह माफ कर दिया जायगा और जव्त हुअी जमीनें बेच न दी गयी हों तो लौटा दी जायंगी ।” अिसलिये संधिके बाद वे किसान पूरा लगान अदा करके जमीनोंका कब्जा वापस मांगने गये तब अunसे कहा गया कि तुमने अपनी जमीनोंका अुपयोग खेतीके कामके लिये नहीं किया अिसलिये अुसका जुर्माना जव तक नहीं चुका दोगे तब तक जमीनें नहीं लौटायी जायंगी ।

जिन पटेल-पटवारियोंने लड़ाअीके दौरानमें त्यागपत्र दे दिये थे, अुन्हें वापस नौकरी पर लेनेके वारेमें भी स्थानीय अधिकारियोंने तरह तरहके

बड़ंगे लगाये। अन्के मामलेमें वोरसदके तहसीलदारने ता० ११-३-३१ को नोटिस निकाला कि :

“तुम फिर काम पर आनेको राजी हो तो सरकारकी तरफसे तुम्हारी नियुक्ति वारह महीनेके लिये होगी। और अुसके बाद तुम्हारा चालचलन संतोषजनक प्रतीत होने पर तुम्हारा परंपरागत अधिकार तुम्हें लौटानेका विचार किया जायगा। और तुम्हें वार्षिक मेहनतानेका चौथा भाग दंड स्वरूप देना पड़ेगा।” वगैरा।

जब इस प्रकारके नोटिसके विरुद्ध आपत्ति उठायी गयी तब वह वापस ले लिया गया। परंतु पटेल-पटवारियोंको वापस रखनेके मामलेमें बड़ंगे लगाना तो जारी ही रहा। समझौतेमें एक शर्त यह थी कि बिस्तीफोंसे खाली हुयी जगहें जहाँ स्थायी रूपमें भर गयी होंगी, वहाँ सरकार पहलेके ओहदेदारोंको अुन जगहों पर वापस नहीं ले सकेगी। इस कलमसे लाभ उठानेके लिये स्थानीय अधिकारी यह कहने लगे कि ‘दूसरा हुक्म होने तक’ नियुक्त किये गये पटेल-पटवारी स्थायी रूपमें नियुक्त किये गये हैं। कांग्रेसको ओरसे यह साबित किया गया था कि अुनमें बहुतसे तो नौकरीके लिये अयोग्य थे। अुदाहरणार्थ, रास गांवमें वारैया जातिका जो आदमी नया पटेल बनाया गया था अुसे पहले चोरीके जुर्ममें सजा हुयी थी। और समझौतेके बाद अुसकी पटेलगिरीके दौरानमें कुछ गैर-वारियोंके झोंपड़े जला दिये गये थे और बहुतसे वृक्षों और बाड़ोंका नुकसान कर दिया गया था। वारडोली तालुकेके वराड़ गांवमें जहाँगीर पटेल नामके एक पारसीको लड़ाकीके दिनोंमें पटेल मुकर्रर किया गया था। अुसके विरुद्ध रिश्वत लेने, रुपया गवन करने, धमकियां देकर रुपये अँठने और गुंडाशाही करनेके आरोप थे। और जन्त हुयी जो जमीनें सरदार गारड़ा नामक पारसीने खरीदी थीं, अुनमें भी इसका हाथ होनेका आरोप था। फिर भी यह कहकर कि अिन लोगोंकी नियुक्ति स्थायी तौर पर की गयी है, स्थानीय अधिकारियोंने अुन्हें हटानेसे अिनकार कर दिया।

श्री दुर्लभजीभायी और श्री मोरारजीभायीने लड़ाकीके दिनोंमें अपने डिप्टी कलेक्टरके ओहदेसे त्यागपत्र दे दिये थे। अिनके विषयमें लार्ड अविन और गांधीजीके बीच अैसा जवानी समझौता हुआ था कि अुन्हें नौकरीमें वापस न लेकर पेंशन दे दी जायगी। दोनोंने गांधीजीके कहनेसे पेंशनके लिये अर्जी की। परंतु अविनके बाद आये हुअे विलिंगडन साहबने अुस जवानी समझौतेको नहीं माना।

वहुतसे प्रान्तोंमें लड़ाईमें भाग लेनेवाले विद्यार्थियोंको माफी मांगे विना या सत्याग्रहकी लड़ाईमें फिर कभी भाग न लेनेका वचन दिये विना हाथीस्कूलों और कॉलेजोंमें भरती करनेसे अिनकार कर दिया गया।

संधिके सिलसिलेमें अिस तरहके वेशुमार झगड़े स्थानीय अधिकारियोंने खड़े करना शुरू कर दिया। अिसके लिये जिलेके अफसरोंके साथ, प्रान्तीय सरकारोंके साथ और भारत सरकारके साथ गांधीजीको लंबा पत्रव्यवहार करना पड़ा और वार-वार दिल्ली और शिमला दौड़ना पड़ा।

गुजरातमें मुख्यतः वारडोली और वोरसद तालुकोंमें करवन्दीकी लड़ाई हुअी थी और दोनों तालुकोंमें समझौतेके बाद सरदार और गांधीजीने अिस बातकी जी-तोड़ कोशिश की थी कि किसान अपनी शक्तिके अनुसार लगान चुका दें। सरदार अिस वर्ष कांग्रेसके अध्यक्ष थे। अिसलिये अुन्हें बहुतसे काम देखने पड़ते थे और गांधीजीके पास भी बेहिसाव काम रहता था। फिर भी दोनोंने अिसी कामको प्रधानता दी कि लोगोंकी तरफसे संधिकी शर्तोंका पालन हो; और सरदारने वारडोलीको और गांधीजीने वोरसदको अपने निवासका मुख्य केन्द्र बना लिया। दोनोंको कलेक्टरों जैसे जिला अधिकारियोंसे वार-वार मिलना पड़ता था; यह कहनेमें भी हर्ज नहीं कि अुनसे विनती करनी पड़ती थी। यों भी कहा जा सकता है कि वे और कांग्रेसी कार्यकर्ता लगान वसूल कर देनेवाले बेगारी ही बन गये थे। लोगों पर दबाव डालकर अुन्होंने लगान चुकवाया। परंतु अधिकारियोंको तो लोगोंको तंग ही करना था, अिसलिये वे पिछले पुराने वकायाके लिये भी तकाजे करने लगे और लोगों पर सख्ती करने लगे। अिससे सरदार कैसे चिढ़ते थे, यह गांधीजीके साथ हुअे निम्न संवादसे, जो अुस समयकी महादेवभाभीकी डायरीमें दिया गया है, मालूम हो जाता है:

सरदारको चिढ़ा हुआ देखकर वापूने पूछा: “अिस पर (समझौता) तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं।”

सरदार: ‘तोड़कर क्या होगा? आधोंने तो लगान चुका दिया। ये लोग तकाजेके नोटिस निकाले ही जा रहे हैं। दूसरे भी चुका देंगे। हम लोगोंका कोअी स्पष्ट पथप्रदर्शन नहीं कर सकते।’

वापू: ‘क्यों नहीं?’

सरदार: ‘जो चुका सकें वे चुका दें, यह स्पष्ट पथ-प्रदर्शन नहीं कहलाता। मैं तो आपसे कहता ही था कि ये लोग चोर हैं। जब तक बात अिनके विवेक पर छोड़ी जायगी, तब तक हम

मरते ही रहेंगे। परंतु आपने तो यह कहा था कि सचमुच लगान मुलतवी करेंगे, दो वर्षका भी कर देंगे। परंतु ये लोग अंसा कुछ नहीं कर रहे हैं। दो वर्षका लगान अदा करनेको लोगोंसे कैसे कहा जा सकता है ?'

बापू : 'परंतु जो अदा कर सकते हैं उनसे भी नहीं कहा जा सकता ?'

सरदार : 'परंतु हम जानते हैं कि वे अदा नहीं कर सकते। घबराकर तो सभी चुका देंगे।'

अुसी दिन अेक और बातमें भी सरदारने बापूका विरोध किया, अिसलिले बापूने सरदारसे कड़ाजीके साथ पूछा : 'तव आप यही कहना चाहते हैं न कि मैंने जो समझौता किया, वह आपकी अपेक्षा करके किया ?'

सरदारने फिर दूसरी बातें सुनाकर कहा : 'मैंने तोड़नेको नहीं कहा यह मेरा अपराध हुआ ?'

बापू : 'मैं तो अपने अपराधका विचार कर रहा हूं।'

मालूम होता है घर आकर सरदार समझ गये। मुझे कहा : 'बापूको बहुत दुःख हुआ लगता है। परंतु क्या किया जाय ? अैसी अुलझन पड़ गयी है कि मुझे कुछ सजता ही नहीं।'

दूसरे दिन सुबह बापूके अुद्गार : 'हमसे गांधीजीकी शर्तों पर नहीं लड़ा जा सकता, सरदारके ढंगसे ही लड़ा जा सकता है' यह जो कहा जाता है अुसका रहस्य मैं अब समझा हूं। . . . सरदारकी सारी बातोंका आधार अिस बात पर है कि किसानोंको मैं (गांधीजी) जानता हूं अुससे ज्यादा वे (सरदार) जानते हैं। हम अिन लोगोंसे यह नहीं कह सकते कि जो अदा कर सकें वे कर दें, क्योंकि अिनमें भेड़ोंका बल है, सिंहबल नहीं है। अिसलिले अेक ही वर्षका लगान देनेकी बात करनी चाहिये। अेक दो आदमी अदा कर सकने जैसे हों तो वे भी नहीं चुकायें, क्योंकि चुका दें तो भेड़बल न रहे।'

अन्तमें ता० १४-६-'३१ को गांधीजीने भारत सरकारके गृहसचिव मि० अिमर्सनको पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि मुझे लगता है शायद वह समय आ गया है जब संधिकी कलमोंके अर्थका निर्णय करनेके लिले तथा अेक या दूसरा पक्ष संधिकी शर्तोंका पूरी तरह पालन कर रहा है या नहीं, यह तय करनेके लिले स्थायी पंच मुकर्रर कर दिये जाने चाहिये।

पिकेटिंगके मामलेमें तो सरकारी अधिकारियोंके साथ होनेवाले झगड़ोंका पार ही नहीं था। जिसलिये जिस विषयमें गांधीजीने सुझाया कि दोनों पक्षके प्रतिनिधियोंकी जांच-समिति नियुक्त की जाय। जो शिकायतें आयें उनकी यह समिति तुरंत जांच करे। जहां असा मालूम हो कि शांत पिकेटिंगके नियमोंका भंग हुआ है, वहां पिकेटिंग विलकुल स्थगित कर दिया जाय। जहां असा लगे कि शान्त पिकेटिंग होने पर भी मुकदमे चलाये गये हैं वहां असे मुकदमे वापस ले लिये जायं।

परंतु सरकारको यह सुझाव स्वीकार करनेमें अपनी सत्ता छोड़ने जैसा लगा; अतना ही नहीं, कांग्रेसको अधिकार सौंप देने जैसा लगा। जिसलिये गृहसचिवने लंबा जवाब देकर सूचित किया कि जब संधि की गयी थी, तब असी स्थिति पर विचार नहीं किया गया था। सरकारके मूलभूत कर्तव्योंके पालनके साथ जिस सुझावका मेल नहीं बैठता।

जिला अधिकारियोंकी ओरसे लगभग हर मामलेमें संधिके पीछे रही भावनाका पालन नहीं हो रहा था। अतना ही नहीं, संधिका खुले तौर पर भंग हो रहा था और कांग्रेसी कार्यकर्ताओंको तथा जिस जनताने लड़ाईमें भाग लिया था उसे सताया जा रहा था। फिर भी गांधीजीका आग्रह यही था कि कांग्रेस और लोगोंको संधिका पूरी तरह पालन करना चाहिये। जिसलिये वे वाजिसरायसे मिलने शिमला गये। वाजिसरायको समझानेका अन्होंने खूब प्रयत्न किया, परंतु वे समझना ही नहीं चाहते थे।

यह काण्ड हो ही रहा था कि अतनेमें ब्रिटिश प्रधान मंत्रीकी तरफसे गोलमेज परिषद्का सदस्य होनेका निमंत्रण वाजिसरायने ता० २० जुलाईके अपने पत्र द्वारा गांधीजीको दिया। गांधीजीने सूचित किया कि:

“मेरे पास देशमें जगह जगहसे असे समाचार चले आ रहे हैं कि कांग्रेसियोंको किसी भी अचित्त कारणके बिना सताया जा रहा है। कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर तो सविनय कानून-भंगकी लड़ाईमें जितना सताया जाता था, असे भी ज्यादा जिस समय सताया जा रहा है। मेरे खयालसे हिन्दुस्तानमें जिस वक्त जो स्थिति चल रही है, वह जब तक सुधरती नहीं तब तक मेरा हिन्दुस्तान छोड़ना असंभव है।”

जिस वक्त सरहद प्रान्तमें खुदायी खिदमतगारों पर भारपीट करने और दूसरे अमानुषिक जुल्म गुजारनेके समाचार गांधीजीके पास आ रहे थे। यहां हम अके दो अुदाहरण देंगे। अके गांवमें जिन स्वयंसेवकोंने लगान नहीं

चुकाया था, अन्हें अकट्टा करके अुनमें से छः आदमियोंको ततैयोंवाली अेक कोठरीमें वन्द कर दिया और फिर ततैयोंको अुड़ाकर अुनसे कटवाया गया। जब अुन्हें कंपकंपी पैदा करनेवाले फूले हुअे चेहरोंके साथ बाहर निकाला गया, तब थानेदारने अुनसे कहा, “चले जाओ, अपनी औरतोंको वेचकर लगान जमा करा जाना।” अेक जगह दो खुदाअी खिदमतगारोंको पकड़कर कांग्रेसका काम छोड़ देनेका हुक्म दिया गया। परंतु अुनके अिनकार करते ही अुन्हें नंगा करके खूब पीटा गया और अुन दोमें से अेकको मजबूत रस्सीसे बांधकर जमीन पर धूपमें सुला दिया गया। अिससे भी संतोप न मान कर अुसकी गुदामें लकड़ीके टुकड़े घुसेड़ दिये गये। पठान अिस प्रकारके अपमानको मौतसे भी दुरा समझते हैं, फिर भी खुदाअी खिदमतगार अपनेको अहिंसाकी प्रतिज्ञासे बांधे हुअे समझकर अैसे अपमान तथा कष्ट चुपचाप सह लेते थे। अैसे समाचार पढ़कर गांधीजीको वेहद दुःख होता था। अन्तमें श्री देवदास गांधीको अुन्होंने अिस मामलेकी जांच करने सरहद प्रान्तमें भेजा। अपनी रिपोर्टमें अुन्होंने अिन सारी घटनाओंको सच्चा बताया।

जुलाअी मासमें जब गांधीजी शिमलामें थे तभी वारडोलीमें लगान वसूल करनेके लिये वहांके माल-विभागके कर्मचारियों और पुलिसवालोंने भारी अत्याचार किये। अूपर कहा जा चुका है कि संधिके बाद भरसक लगान चुकवा देनेके लिये सरदार वारडोलीमें और गांधीजी घोरसदमें रहे थे। जब संधि हुअी अुस समय वारडोली तालुकेका चालू वर्षका लगभग बीस लाख रुपया लगानका वाकी था। अुसमें से सरदारके प्रयत्नसे अुन्नीस लाख रुपया तो अदा हो चुका था। वाकीका जमा होनेमें जो विलंब हो रहा था अुसका कारण भी लोगोंका दुराग्रह नहीं था। परंतु लड़ाअीके दौरानमें जो लोग हिजरत कर गये थे, अुनकी जमीनें जब्त हो गअी थीं, फसल लूट ली गअी थी, भैंसें कुर्क कर ली गअी और नीलाम कर दी गअी थीं। अुन्हें अपार हानि हुअी थी। अिसलिये आर्थिक असमर्थताके कारण ही वे लगान अदा नहीं कर सकते थे। कलेक्टरने वकायावालों पर खटाखट नोटिस जारी करना शुरु कर दिया। सरदारने कलेक्टरसे कहा कि खातेदारों पर सीधे नोटिस जारी करनेके वजाय मुझे अुनके नाम दीजिये, जो चुका सकते हैं अुनसे मैं रुपया जमा करवा दूंगा। कलेक्टरने नाम दिये और सरदारने थोड़ासा रुपया जमा भी करा दिया। सरदारने श्री मोहनलाल पंडचाको कलेक्टरके पास भेजा कि और भी नाम हों तो अुनकी सूची दीजिये। कलेक्टरने बताया कि अब तो मैं सूची नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अूपरका हुक्म है कि अिन तरह आपको सूची न दी जाय। अिस प्रकार सूचित करनेके बाद फॉरन कलेक्टरने

वारडोली जाकर जिस गांवमें जिन जिन किसानोंका लगान बाकी था, उनसे जबर्दस्ती लगान वसूल करनेकी योजना बनायी। सुबह ही तहसीलदार तथा अके दो पुलिस कर्मचारी पुलिस-दलके साथ गांव पर जा चहुते और घेरा डाल देते। जो लोग खेत पर काम करने अथवा दिशा-जंगलके लिअे बाहर गये होते, उन्हें गांवमें घुसने न देते और किसीको गांवसे निकलने न देते। गांवमें से किसी ढोरको भी बाहर न जाने देते। जिस असामीका लगान बाकी होता उसके घर पर पुलिसका पहरा लग जाता और न तो घरसे किसी मनुष्य या पशुको बाहर निकलने देते और न बाहरसे किसीको भीतर घुसने देते। पुलिस कर्मचारी मारपीट करने तथा घरका सब कुछ लूट लेनेकी धमकी देते और सब घरवालोंको घबरा देते। अिसके सिवा गालियोंकी बर्षा करते सो अलग। तुम्हारे पास रुपया न हो तो चोरी करके लाओ। परंतु जब तक लगान नहीं चुका दोगे तब तक यह घेरा नहीं अुठेगा। अिस तरह लोगोंको परेशान करके जुलाबीके दूसरे और तीसरे सप्ताहोंके लगभग दस दिनमें सोलह गावों पर चढ़ाअी करके लगान वसूल किया गया। सरदार अुस समय वारडोलीमें ही थे। माल और पुलिसके कर्मचारियोंकी गुंडागिरीकी रिपोर्टें अुनके पास संबन्धित गांवोंसे आतीं जिनसे अुन्हें अपार क्षोभ होता। गांधीजीकी यह हिदायत थी कि स्थानीय अधिकारी कुछ भी करें, परंतु हमारा बस चले तब तक हमें तो संबधिकी शर्तोंका पूरी तरह पालन करना ही है। अिस प्रकार सरदारकी स्थिति अिस सूचना-रूपी बंधनके पिंजड़ेमें बंद सिहकी-सी थी। अुन्होंने गांधीजीको नीचे लिखे जो तार शिमला भेजे थे, अुनसे अुनकी मनःस्थितिकी कल्पना हो जायगी।

१

“ वारडोली,

१७-७-३१

“ सूरतकी मुलाकातके बाद वसूलीका दबाव बढ़ा है। शायद कमिश्नरसे पूछकर अैसा किया गया होगा। कलेक्टर कल शामको यहां आये थे। माल-बिभागके अफसर, डेप्युटी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० अिस्माअिल देसाअी तथा पंद्रह पुलिसके सिपाहियोंने पिछले सालका वकाया वसूल करनेके लिअे रायम गांव पर धावा किया। डाह्या काला नामके जिस किसानने अिस सालका लगान जमा करा दिया है, अुसके खाट-गूदड़े और खाने-पकानेके बर्तन कुर्क कर लिये गये। कुर्क की हुआं संपत्ति ले गये। किसान अिस समय खेतीके सच्चे काममें लगे हुअे

हैं। अुनकी दशा दांतोंके बीच जीभकी-सी है। किसी न किसी तरह बिसका निवटारा करना ही पड़ेगा। -- वल्लभभाभी ”

२

“ वारडोली,
२०-७-'३१

“ मेरे पिछले तारके वाद गांवों पर धावे जारी हैं। आज पुलिसने बहुतसे गांवों पर धावे किये हैं। आनेकी तारीख तारसे नूचित कीजिये। -- वल्लभभाभी ”

३

“ वारडोली,
२१-७-'३१

“ वारडोलीके अेक मुसलमानके घरका पिछला दरवाजा पुलिसने तोड़ डाला। दो वच्चोंको चोटें आयी हैं। पाला पड़नेवाले वर्षके २४ रुपयेके वकायाके लिये घरमें से सारी संपत्ति बाहर निकाल ली गयी। अिस आदमीने पिछले दो वर्षका तमाम लगान चुका दिया है। पिछले वर्षके वकायाके लिये अिस प्रकारकी कुर्कियां हो रही हैं।

-- वल्लभभाभी ”

४

“ वारडोली,
२१-७-'३१

“ पुलिसका जुल्म असह्य होता जा रहा है। किसानोंकी भीड़ शिकायत करनेके लिये आश्रममें अुमड़ आती है। कल सांकलीके कुछ परिवारोंको बाहर पुलिसका पहरा लगाकर दिन भर घरमें बन्द रखा गया। टीम्बरवाके किसानोंको पुलिसने खेतोंमें काम पर नहीं जाने दिया। अन्तमें पुलिसके पहरेमें वे दूसरे गांव जाकर भारी व्याज पर रुपया ले आये। राजपुराके किसानोंको आज पुलिस टीम्बरवा खदेड़ कर ले गयी। खोज और पारडी गांवोंसे समाचार आ रहे हैं कि तड़के ही से पुलिसने अुन गांवोंके आसपास घेरा डाल दिया है। किसानों और ढोरोंको भी बाहर नहीं जाने देते। जिनका लगान बाकी है अुन कुटुम्बोंको तो घरमें ही बन्द कर रखा है। वारडोलीमें कोने कोने पर पुलिस लगा दी गयी है और पुरुष तथा स्त्रियां सताये जानेकी

और न सुनने जैसी गालियोंकी शिकायत करते हैं। यदि इस कष्टका अिलाज हो ही न सके, तो भगवानके लिये अब तो लड़ाई शुरू करने दीजिये।” — वल्लभभाभी”

ता० २४ जुलाहीको गांधीजी वारडोली आ पहुंचे। अन्होंने अिन सब शिकायतोंका पत्र सूरतके कलेक्टरको लिखकर अन्तमें सूचित किया कि :

“यहां वताही गही वातोंमें संतोष दिलाया जाय अथवा अिनमें की गही शिकायतोंकी खुली जांच करनेके लिये सरकार निष्पक्ष पंच मुकरर करे और इस वीच कुर्कीकी सब कार्रवाही बन्द रखी जाय तो ठीक है। अन्यथा मैं यह समझूंगा कि सरकारने संघिका भंग किया है और दिये हुअे विश्वासका घात किया है। और जिस जनताकी कांग्रेस प्रतिनिधि है अुसके हितोंकी रक्षाके लिये आवश्यक प्रतीत होनेवाले कदम अुठानेके लिये मैं अपनेको स्वतंत्र मानूंगा। अगले रविवार तक इसका अुत्तर मेरे पास पहुंचा देनेकी कृपा कीजिये।

“अिस पत्रकी नकल अुत्तर विभागके कमिश्नर मि० गैरेट और वंवाही सरकारको भेज रहा हूं। और इसका सारांश वाअिसरायं महोदयको तार द्वारा सूचित कर रहा हूं।”

वम्बही सरकारके गृह-सदस्य मि० मेक्सवेलने गांधीजीके पत्रका अुत्तर बहुत देरसे, ता० १० अगस्तको, दिया। अुसमें कहा गया कि :

“प्राप्त समाचारोंसे गवर्नर महोदयको यकीन हो गया है कि वारडोलीमें लगान वसूलीके लिये की गही कार्रवाअियोंमें संघि-भंग नहीं हुआ है। कुछ चुने हुअे असामियोंके खिलाफ ही कलेक्टरने कदम अुठाये हैं। खातेदारोंने तुरंत अदायगी कर दी और कुर्कियां क्वचित् ही करनी पड़ीं। अिससे विदित हो गया है कि बहुतसे अदा कर सकनेवालोंने लगान नहीं चुकाया था। लोगोंने संघिका पालन नहीं किया, अिसीलिये जाव्तेकी कार्रवाही करनी पड़ी।”

अुसी पत्रमें आगे कहा गया कि :

“सरकार या कलेक्टरने कभी यह स्थिति स्वीकार नहीं की कि जमीनके लगानकी वसूलीका आधार कांग्रेसकी सलाह पर रहे। गवर्नर महोदयको अिसमें जरा भी सन्देह नहीं और आप खुद भी समझ लेंगे कि अिस वातका निर्णय कलेक्टरके हाथमें ही रहना चाहिये कि कोअी खातेदार लगान जमा करा सकता है या नहीं। अिसलिये गवर्नर

महोदय मानते हैं कि की गयी कार्रवायियोंमें विश्वासघात या संधि-भंग नहीं हुआ है।”

वारडोलीमें जब यह जुल्म हो रहा था, तब युक्त प्रान्तमें भी यही दशा थी। गांधीजीने ता० ५-८-३१ के दिन युक्त प्रान्तके गवर्नरको तार देकर बताया कि :

“सरकारके मुख्य मंत्रीके साथ हुआ अपनी बातचीतका जो वर्णन पं० मालवीयजी और पंडित जवाहरलालने किया, उससे मालूम होता है कि किसानों संबंधी सरकारी नीति अनिश्चित है, जाब्तकी कार्रवायियां जारी हैं और वेदखल किये गये किसानोंकी स्थिति डावांडोल है। इसलिये मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है। अिन महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंके संबंधमें सरकारी नीति क्या है, कृपा करके मुझे स्पष्ट बताविये।”

युक्त प्रान्तके गवर्नरने गांधीजीको ता० ६-८-३१ को तार देकर बताया कि :

“हमारे पास यह माननेका कारण नहीं है कि इस साल बहुत अधिक किसानोंको जमीन छोड़नी पड़ी है। अेक दो प्रदेश जैसे हैं, जहां साधारण बर्षसे ज्यादा किसानोंको जमीन छोड़नी पड़ी है। वेदखल किये गये किसानोंको फिर रख लेनेके लिये जमींदारोंको समझानेमें जिलाधिकारी आम तौर पर अपना असर अिस्तेमाल करते हैं। . . . व्यवहारमें और सिद्धान्तकी दृष्टिसे सरकारकी नीति यह है कि जमींदार और किसानके बीच अेकसा न्याय किया जाय, फिर भी वर्तमान आर्थिक मंदीमें सब अिन्तजाम इस तरह किया जाय जिससे किसानको कोअी अनुचित कष्ट न हो।”

असह्य जुल्म और आतंककी शिकायतें करने पर अुनके जैसे अूलजलूल जवाब मिलते रहते थे, इसलिये गांधीजीने क्षुब्ध होकर ता० ११-८-३१ को वाअिसरायको तार देकर बताया कि :

“अभी-अभी प्राप्त हुअे बंधी सरकारके पत्रसे मेरा लंदन जाना असंभव हो गया है। इस पत्रमें हकीकत और कानून दोनोंके बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल अुठाये गये हैं और लिखा है कि दोनों ही के बारेमें अंतिम निर्णय सरकार करेगी। साफ शब्दोंमें इसका अर्य यह होता है कि सरकार और वादीके बीच हुअे अिकरारनामेसे पैदा होनेवाले अगड़ोंमें सरकार अभियुक्त अथवा वादी और न्यायाधीश दोनों बनेगी। यह स्थिति कांग्रेसको अस्वीकार है। बम्बअी सरकारका

पत्र मेरी पूछताछके जवाबमें आया था। युक्त प्रान्तके गवर्नरका तार और युक्त प्रान्त, सरहद प्रान्त तथा अन्य प्रान्तोंमें होनेवाले जुल्मके हालचाल आदि सबको अके साथ पढ़नेसे मुझे साफ दिखायी देता है कि मैं लंदन न जाऊं। आखिरी फैसला करनेसे पहले आपको बता देनेका मैंने वचन दिया था, जिसलिये उपरोक्त हकीकत आपके ध्यानमें लाया हूं। निर्णय घोषित करनेसे पहले आपके उत्तरकी प्रतीक्षा करूंगा।”

ता० १३-८-३१ को वाजिसराय महोदयने गांधीजीको तार दिया। उसमें बंबयी सरकार और युक्त प्रान्तकी सरकारके दिये हुअे उत्तरोंका समर्थन किया और बताया कि:

“मैं आशा रखता था कि भावी विधानकी जिस महत्त्वपूर्ण चर्चासे आपके या मेरे आयुष्यसे बहुत ज्यादा दीर्घ काल तकका देशका भविष्य तैयार किया जायगा, उसमें भाग लेकर देशकी सेवा करनेमें आप ऐसी छोटी छोटी बातोंके झगड़ोंको रुकावट नहीं बनने देंगे। परंतु यदि आपका तार अंतिम शब्द ही हो, तो परिपदमें जानेकी आपकी असमर्थता मैं तुरंत प्रधान मंत्रीको सूचित कर दूंगा।” गांधीजीने उसी दिन वाजिसरायको तार दे दिया कि:

“अिन घटनाओंमें आपको संधिसे असंगत कुछ भी दिखायी न देता हो तो ऐसा मालूम होता है कि संधिके विषयमें मेरी और आपकी दृष्टिमें दुनियादी भेद है। लंदन जानेके लिये मैंने भरसक प्रयत्न किया, परंतु मेरा प्रयत्न असफल रहा। कृपा करके प्रधान मंत्रीको यह सूचना दे दीजिये। मैं मानता हूं कि सरकारके साथ हुआ पत्रव्यवहार और तार प्रकाशित करनेमें आपको कौआी आपत्ति नहीं होगी।”

वाजिसरायने ता० १४ अगस्तको तार देकर पत्रव्यवहार और तार प्रकाशित करनेकी स्वीकृति दे दी।

ऐसी ऐसी कड़वी घूंटें पीकर भी गांधीजीको तो अपनी अहिंसाकी कड़ी परीक्षा करनी थी। सरकारी कर्मचारियोंका मानस जरा भी छिपा नहीं रह गया था। फिर भी गांधीजी लोगोंसे और अधिक कष्ट सहन करवा कर उन कर्मचारियोंका हृदय-परिवर्तन करनेकी आशा छोड़ना नहीं चाहते थे। जिसलिये कांग्रेस कार्यसमितिसे ता० १४-८-३१ को प्रस्ताव पास कराया कि यद्यपि गोलमेज परिपदमें भाग न लेनेका कांग्रेस निश्चय करती है, तथापि-

असका यह अर्थ लगानेकी आवश्यकता नहीं कि दिल्लीका समझौता समाप्त हो गया। उसी तारीखको वाजिसरायको लंबा पत्र लिखकर पूछा कि :

“आप संधिको अब समाप्त हुयी मानते हैं या कांग्रेसके गोलमेज परिषद्में भाग न लेने पर भी अभी संधिको कायम रखना चाहते हैं? यदि संधि बनी रहती हो तो मैं यह कहनेकी वृष्टता करता हूँ कि पहले पेश की गयी शिकायतोंके वारेमें फौरन अिसाफ होना जरूरी है। जैसा मैंने पहले कहा है, दूसरी शिकायतें आती ही जा रही हैं और साथी आग्रह कर रहे हैं कि यदि समय पर न्याय न मिचे तो और कुछ नहीं तो अुन्हें रक्षात्मक अुपाय करनेकी अनुमति तो मिलनी ही चाहिये।”

अिसका अुत्तर वाजिसरायने ता० १९-८-३१ को पत्र द्वारा दिया। अुसमें कहा गया :

“गोलमेज परिषद्में कांग्रेस अपना प्रतिनिधि भेजनेसे अिनकार करती है। अिससे पैदा होनेवाली परिस्थितिके वारेमें यहां कहूंगा और आप भी देख सकेंगे कि जिन अुद्देश्योंकी पूर्तिके लिये संधि की गयी थी अुनमें से अेक मुख्य अुद्देश्य कांग्रेसके अिस अिनकारसे मारा जाता है।

*

*

*

“संधिके अनुसार जो कार्य करना सरकारका कर्तव्य होगा, परन्तु जिनका अमल करना अभी तक वाकी रह गया होगा, अुन मामलोंमें स्थानीय सरकारोंके साथ परामर्श करके भारत सरकार संधिका पालन करावेगी।

“संधिकी बीसवीं कलम नमक-सम्बन्धी रिआयतोंके वारेमें है। वे रिआयतें रद्द करनेका सरकारका अिरादा नहीं है। वाकी मामलोंमें साधारण कानूनका अमल बन्द कर दिया जाय अथवा स्थगित कर दिया जाय, यह बात संधिकी शर्तोंसे हरगिज फलित नहीं होती; और खास परिस्थितिका सामना करनेके लिये जरूरी कार्रवायीका सम्पूर्ण अधिकार भारत सरकार तथा स्थानीय सरकारको रहता ही है। कानूनका यह अमल कांग्रेसकी हलचलोंके सिलसिलेमें करना होगा, तब भी कानूनके अमलका स्वरूप कैसा हो और किस हद तक हो, अिस बातका मुख्य आधार अिस पर होगा कि वे हलचलें किस प्रकारकी हैं। अिस वारेमें भारत सरकार अपने अथवा स्थानीय सरकारोंके अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगानेमें असमर्थ है।”

अितनी अितनी बातें होते हुअे भी सर तेजवहादुर सप्रू तथा श्री जयकर वगैरा अुदार-पंथी नेता गांधीजीसे आग्रह करते ही रहे कि आप अब भी वाअिसराँयसे मुलाकात मांगिये और अपनी मांगें अुनके सामने स्पष्ट रूपमें रखिये। ये लोग तो गांधीजीको यह सलाह देकर गोलमेजमें भाग लेने विलायत चल दिये। परन्तु मालवीयजी और सर प्रभाशंकर पट्टणीने, जो मुलाकात मांगनेकी रायके थे, गोलमेजके लिये रवाना होना मुलतवी कर दिया और यदि गांधीजी शिमला जाना मंजूर करें तो अुनके साथ शिमला जाकर वाअिसराँयको समझानेके लिये पट्टणीजी तैयार हुअे। तब गांधीजीने अहिंसाका अेक और प्रयोग किया। वाअिसराँयको पत्र लिखकर सूचित किया कि “आपको चर्चा आवश्यक प्रतीत होती हो तो मैं शिमला आनेको तैयार हूं।” वाअिसराँयने सूचित किया कि “आपका यह खयाल हो कि और चर्चा आपकी कठिनाअियां दूर करनेमें सहायक होगी तो भले ही आ जाअिये।” गांधीजीको तो प्रयत्न करनेमें कसर रखनी ही नहीं थी। अिसलिये वाअिसराँयके यह कहने पर भी कि आपको आना हो तो आ जाअिये, शिमला जानेके निर्णयका भार अपने पर लेकर वे जानेको तैयार हो गये। वाअिसराँयको अितनी सूचना दे दी कि “मैं शिमला रहूँ तब तक मैंने पं० जवाहरलालजी, खानसाहब अब्दुल गफारखां तथा सरदार वल्लभभाईको मेरे साथ शिमलामें रहनेका निमंत्रण दिया है।” शिमलाकी वातचीतमें सरकारने स्वीकार किया कि वारडोलीमें हुअी सख्तीके वारेमें जांच की जाय और अुसमें सरकार और कांग्रेस दोनों सबूत दे सकती हैं। सरकार अिस अेक ही मामलेमें झुकी, अिसलिये गांधीजीने गोलमेजमें जाना स्वीकार किया। सिर्फ पत्र लिखकर अेक वातका स्पष्टीकरण किया कि :

“कोअी शिकायत अितनी अधिक असह्य हो जाय कि जांचके अभावमें अुसे दूर करनेके लिये रक्षात्मक लड़ाअीका कोअी अुपाय ढूंढना कांग्रेसका धर्म हो जाय, तो सविनय कानून-भंग स्थगित कर देने पर भी वह अुपाय करनेमें कांग्रेस स्वतंत्र होगी।”

यह सब काम शिमलामें ता० २७ अगस्तको निवट गया। वम्बअीसे ता० २९ अगस्तको जो जहाज रवाना होता था यदि गांधीजी अुसे पकड़ पाते तो ही गोलमेजमें समय पर पहुंच सकते थे। अिसलिये वाअिसराँयने शिमलासे स्पेशल ट्रेनकी व्यवस्था कर दी। वड़ी दौड़घूप करके, गांधीजीके शब्दोंमें ‘जान पर खेलकर’, दिल्लीसे वम्बअी मेल पकड़ी और जहाज भी समय पर पकड़ा।

वारडोलीकी जांच और संधि-भंग

वाजिसरायने वारडोलीमें हुये अत्याचारोंके सम्बन्धमें जांच तो मंजूर की, लेकिन यह अुनके हृदय-परिवर्तनका फल नहीं था। गांधीजी विलायतके लिखे रवाना हो गये, अुसके बादके सरकारके आचरणसे और बिसी अरसेमें अभियोगपत्रके जो चालाकीभरे जवाब सरकारने अपने गजटमें प्रकाशित किये अुनसे यह बात विदित हो जाती है। पं० जवाहरलालजी, खान अब्दुल गफ्फारखां तथा सरदार शिमलामें गांधीजीके साथ थे ही। तीनोंने गांधीजीसे आग्रहपूर्वक कहा, आप खुशीसे गोलमेजमें जाबिये। यहां हम अपना निवट लेंगे। वे यह कहनेका अेक भी कारण देना नहीं चाहते थे कि कांग्रेसकी तरफसे संधिका भलीभांति पालन नहीं हुआ। परन्तु ताली दोनों हाथोंके बिना नहीं बजती। लोगोंमें कांग्रेसकी प्रतिष्ठा जमे, यह ब्रिटिश अधिकारियोंको वर्दाशत नहीं होता था। वे अवसर मिलते ही कांग्रेसको छकानेकी कोशिश कर रहे थे। बिसके लिखे वे कैसी चालें चलने लगे, यह देखिये।

पहले वारडोलीकी जांचको ही लीजिये। जांच करनेके लिखे सरकारने नासिकके जिला कलेक्टर मि० गॉर्डनको मुकर्रर किया। अुन्हें नीचे लिखे मुद्दों पर जांच करके रिपोर्ट भेजनी थी :

१. लगान वसूलीमें पुलिसकी तरफसे जुल्म किया गया था या नहीं ?

२. ५ मार्चके बाद वारडोली तालुकेके दूसरे गांवोंमें पुलिसकी मददके बिना जिस ढंगसे लगान वसूल किया गया था, अुसकी अपेक्षा शिकायतवाले गांवोंमें सख्त तरीका अमलमें लानेसे ज्यादा लगान वसूल किया गया था या नहीं ? और किया गया हो तो बिस प्रकार वसूल किये गये लगानकी रकम कितनी थी ?

बिस जांचका काम ५ अक्टूबरसे वारडोलीमें शुरू हुआ। कांग्रेस तथा मुद्दगी किसानोंकी तरफसे श्री भूलाभाजी देसाजीने पैरवी की। अुनकी मदद पर श्री भोगीलाल लाला (लाला काका) और मैं थे। सरदारको कांग्रेसके अव्यक्ष होनेके कारण और बहुतेसे कामोंमें ध्यान देना पड़ता था। फिर भी बीचमें दीवालीकी छुट्टियोंके सिवा जांचका काम अेक महीनेसे अधिक चला, अुतने समय वे वारडोलीमें ही रहे। कुल ग्यारह गांवोंकी जांच करनी थी।

जांचके मुद्दोंमें लगान वसूलीके तरीकेका अुल्लेख था। यह तरीका कैसा हो, अिस बारेमें श्री भूलाभाजीने गांधीजीको विलायत पत्र लिखकर पूछा। अुसके अुत्तरमें अुन्होंने लिख भेजा कि :

“ वारडोली और वोरसदमें लगान वसूलीके मामलेमें शुरूसे ही यह स्पष्ट समझौता था कि जिन खातेदारोंको सविनय कानून-भंगकी लड़ाकीके कारण कष्ट अुठाने पड़े हैं, वे रुपया ब्याज पर लाये विना जितना अदा कर सकें अुतना कर देंगे। यह बात खेड़ाके कलेक्टर मि० पेरी और अुनके अनुगामी मि० भद्रपुर और सूरतके कलेक्टर मि० कोठावाला, तीनोंके साथ हुआ बातचीतमें बार बार स्पष्ट कर दी गयी थी। अुनके साथ हुअे पत्रव्यवहारसे मेरे अिस कथनका समर्थन होता है। जांच करनेवाले अधिकारीको जिन मुद्दों पर जांच करनी है, अुनमें तरीकेका अुल्लेख हुआ है। अुसके बारेमें मेरी स्पष्ट समझ यह है कि वहां तरीकेका मतलब ब्याजसे रुपया लाये विना खातेदारकी रुपया जमा करानेकी शक्ति है। ”

जब जांच हो रही थी अुन दिनों अिस ‘ तरीके ’के बारेमें श्री भूलाभाजीने ता० २२-१०-’३१ को जांच-अधिकारी मि० गार्डनको लंबा पत्र लिखा और अुसमें बताया कि :

“ संघिकी शर्तोंके अनुसार खातेदार लगान जमा करानेको तैयार हों, परन्तु अुन्हें सचमुच मियादकी जरूरत हो तो अैसे लोगोंके लिये खास तौर पर विचार किया जायगा और जरूरत होगी तो लगान वसूलीके सामान्य नियमोंके अनुसार लगान मुलतवी कर दिया जायगा। अिसका अर्थ यह होता है कि लगान स्थगित करनेका विचार अुदारतासे किया जाय और खातेदारको लड़ाकीकी हालतोंके कारण अथवा अन्य प्राकृतिक कारणोंसे जो हानि अुठानी पड़ी हो अुसे ध्यानमें रखा जाय। अिस मामलेमें भारत सरकार और प्रांतीय सरकार दोनोंने स्थानीय अधिकारियोंको अवश्य हिदायतें दी होंगी। ये हिदायतें हमें अभी तक अुपलब्ध नहीं हुआं, सिवा अुस सारके जो सरकारी अफसरों और कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके साथ बातचीतमें जाना जा सका था। अिसलिये जबसे संघि हुआ तबसे ता० २७ अगस्त तकके, यानी जिस दिन वाजिसराय और गांधीजीके बीच दुवारा समझौता हुआ अुस दिन तक दी गयी हिदायतोंके सारे कागजात अिस केसमें पेश होने चाहिये। अुनसे भी वसूली और राहतका ‘ तरीका ’ निश्चित किया जा सकेगा। ”

कुल ग्यारह गांवोंमें से सात गांवोंके त्रेसठ खातेदारों और अणुके अिक-हत्तर साथियोंकी गवाही हुआ। अिन सात गांवोंके खातेदारोंने सारा हाल बता दिया कि अणुके गांवमें पुलिसने घावे करके कैसा जुल्म किया था, धान रोपनेके असली मौसमके समय अणुके काममें कैसी रुकावटें डाली गयी थीं और अणुके पास रुपया न होनेसे कैसे अणुहें व्याज पर रुपया लाकर लगान चुकाना पड़ा था। वादमें सरकारी पक्षके गवाहोंकी शहादत लेना शुरू हुआ। सरकारके पहले गवाहके तौर पर तालुकेके तहसीलदार आये। शिकायत करनेवाले अेक गांव रायमके वारेमें अणुकी गवाही शुरू हुआ। अिस गांवके कुल ग्यारह खातेदारोंने शिकायत की थी। सरकारने अपने लिखित अुत्तरमें बताया था कि खातेदारोंकी शिकायत झूठी है और ग्यारह शिकायत करनेवालोंमें से तीन तो तहसीलदारके गांवसे चले जानेके वाद स्वेच्छासे पटवारीको रुपया अदा कर गये थे। वाकी लोगोंने भी तहसीलदारकी तरफसे मांग होने पर लगान चुका दिया था। किसी प्रकारका जुल्म नहीं करना पड़ा था। श्री भूलाभाजीने तहसीलदारसे पांच दिन तक जिरह की और अुसमें सरकारी पक्षकी वज्जियां अुड़ा दीं। अिन गांवोंमें पुलिस केवल रक्षाके लिये ही ले जायी गयी थी, यह सफाई कितनी लचर थी, यह जिरहमें साफ जाहिर हो गया। कारण, अुन्हीं गांवोंमें अुसी वक्त तहसीलदार पुलिसके विना भी दौरा कर रहे थे, यह अुन्हींने स्वीकार किया। और अिन तीन खातेदारोंके लिये यह कहा गया था कि अुन्हींने तहसीलदारके गांवसे चले जानेके वाद रुपया जमा कराया था, अणुकी रसीदोंकी क्रमसंख्या देखनेसे यह मालूम होता था कि अुन्हींने तहसीलदारके खरू रुपया जमा कराया था। अिसलिये यह निश्चित करनेके लिये तहसीलदारकी कचहरीमें रखे जानेवाले रसीदोंके अद्वे पेश करनेकी मांग की गयी। परन्तु तहसीलदारने अुन्हें पेश करनेसे अिनकार कर दिया। और यह सावित करनेके लिये कि शिकायतवाले गांवोंमें लगान वसूल करने जाते समय तहसीलदारको पुलिस-संरक्षणकी आवश्यकता प्रतीत हुआ थी, जब कि अुसी अरसेमें दूसरे गांवोंमें वे पुलिसको माथ लिये विना लगान वसूल करनेके लिये गये थे, अणुकी डायरी मांगी गयी। अिससे भी अिनकार कर दिया गया। अिसके अलावा पुलिस ले जानेकी अिजाजत देनेके वारेमें कलेक्टरने अुन्हें कोअी पत्र लिखा हो, लगान वसूलीके वारेमें तहसीलदारने कलेक्टरको जो रिपोर्टें भेजी हों और अिस विषयमें वम्त्रअी सरकारकी तरफसे कोअी हुक्म या सूचनाअें मिली हों तो वे सब कागजात मांगे गये। परन्तु अुन्हें पेश करनेसे अिनकार कर दिया गया। अपनी डायरी और पटवारियोंकी रिपोर्टें पेश

करनेकी बात तहसीलदारने पहले रोज मंजूर की थी, परन्तु दूसरे दिन पेश करनेसे अिनकार कर दिया ।

न्याय और सत्यशोधनके खातिर और कानूनके मुताबिक भी ये सारे कागजात पेश करनेको सरकार वंधी हुयी थी, अिस वारेमें श्री भूलाभाभीने कानूनी आधार बताकर ठोस दलीलें दीं। जांच-अधिकारी मि० गॉर्डनकी दलील यह थी कि वे अेक माल-अफसर हैं और अपने अूपरके अधिकारियोंकी अनुमतिके विना वे सरकारी कागजात पेश करनेका हुकम नहीं दे सकते। श्री भूलाभाभीने अिस प्रकार तर्क किया कि जांच-अफसरकी हैसियतसे वे माल-अफसर नहीं किन्तु अेक न्यायाधीश हैं। अितनेमें दीवालीकी छुट्टियां आ गयीं, अिसलिये छुट्टियां पूरी होने पर १२ नवम्बरको अुन्होंने लिखित निर्णय दिया कि जांचमें सरकारी कागजात देखने और पेश करनेकी कांग्रेस पक्षकी मांग वे स्वीकार नहीं कर सकते। जांच-अफसरने अिस मुद्दे पर जो फ़ैसला दिया अुसमें अधिक आश्चर्य पैदा करनेवाली बात तो यह थी कि सारा सबूत अुनके सामने आ जानेके बाद जिन बातों पर अुन्हें निर्णय देना चाहिये था अुन पर भी अुन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी। यह फ़ैसला देनेमें जांच-अफसरने जो रख अस्तियार किया और जो मत प्रगट किये, अुन्हें देखते हुअे श्री भूलाभाभीको महसूस हुआ कि अिस जांचमें और अधिक समय तक शरीक रहनेसे कोअी न्याय नहीं मिल सकेगा, अतः अुन्होंने कांग्रेस और खातेदारोंको अिस जांचसे हट जानेकी सलाह दी। अिस सलाहको मानकर सरदारने वारडोलीके खातेदारोंके नाम अेक सन्देश प्रकाशित करके जांचसे हट जानेकी सूचना दी। सन्देशमें अुन्होंने कहा कि :

“जांचका रवैया मुझे विरोधी और अेकपक्षी लगता ही था। परन्तु जब तक हमारे वकीलको अैसा न लगे कि आगे जांच जारी रखना व्यर्थ है तब तक मैं जांचमें शरीक रहनेको तैयार था। जो कागजात सरकारके कब्जेमें हैं अुनके वारेमें जांच-अफसरने यह हुकम दिया है कि वे पेश न किये जायं और हमें दिखाये न जायं। अिससे सरकारी गवाहोंकी जिरह पर कोअी अंकुश नहीं रहता। अिसलिये मेरे खयालसे अैसी खोखली जांच जारी रखनेमें कोअी सार नहीं। अतः श्री भूलाभाभीके साथ सलाह-मशविरा करके जांचसे अलग हो जानेका निश्चय किया गया है। अब आगे जांच-अफसर अथवा और किसी सरकारी कर्मचारीकी तरफसे अिस जांचके सिलसिलेमें आपको कोअी सूचना दी जाय तो अुस पर आपके अमल करनेकी जरूरत

नहीं रह जाती। हमारे हट जानेकी खबर मैंने महात्मा गांधीको तारसे दे दी है।”

परन्तु गुजरातमें यह अेक ही कठिनायी नहीं थी। पिकेटिंगके मामलेमें अधिकारीगण वेशुमार अडचनें पैदा कर रहे थे। वोरसद तालुकेमें रास गांवने अद्भुत शौर्य दिखाकर वरवादी मोल ले ली थी। संधि हो जानेके बाद अुसकी कद्र करनेके वजाय अफसरोंने तो जैसे यह निश्चय कर लिया था कि अुसे जरा भी राहत न दी जाय। मजी मासमें शिमलेसे लौटते समय ट्रेनमें ता० १७-५-३१ को लिखे गये अेक पत्रमें महादेवभायी सरदारको सूचित करते हैं :

“अिमर्सनके साथ चार दिन तक बातें हुआं। चार दिनके अन्तमें वापूने कहा, ‘यह आदमी दुनियाका सबसे बुरा आदमी है। केवल अितनी बात अुसके पक्षमें है कि वह मुझसे अीमानदारीका वरताव करता है।’ यह आदमी हर बातमें यह कहकर जिम्मेदारीमे अलग हो जाता है कि प्रान्तीय सरकारके काममें हम कैसे दखल दे सकते हैं, यद्यपि यह तो लगता है कि अिमर्सन वहां लिखता होगा। गैरेटको यहांसे कहा गया दीखता है कि जहां तक हो सके सख्त कार्रवायी न की जाय। परन्तु अिस पर अमल करना तो अुसीके हाथमें है न? पटेलोंके वारेमें स्थायी नियुक्तिके अर्थकी वापूकी दलील पर गैरेट कहता है कि भले ही गांधीका अर्थ सही हो, परन्तु वह अर्थ समझातेकी भावनाके विरुद्ध है !”

अेक और पत्रमें महादेवभायी लिखते हैं :

“यहां (शिमलामें) सब लोग मानते हैं कि समझौतेका भंग जितना बम्बयीके अधिकारी — खास कर गैरेट — कर रहे हैं, अुतना शायद ही और कोयी करते होंगे। वापू कहते हैं : ‘गैरेटको सीधा करना हो तो पल भरमें किया जा सकता है। परन्तु अिसीके लिये संधिको तोड़ना ठीक नहीं कहा जा सकता। अिसलिये प्रतीक्षा कर रहा हूं।’”

अिसी पत्रमें वे यह भी लिखते हैं :

“अिस वाअिसराँयके यहां आनेके पहले यहांके धूर्तोंने सब प्रान्तोंमें गश्तीपत्र जारी कर दिये थे कि समझौतेका अर्थ यह नहीं कि सरकारका शासन बन्द हो गया है। सरकारको शासन जारी रखना है।”

जुलायी मासमें 'पायोनियर' का दिल्ली स्थित संवाददाता, जिसे सरकारी अधिकारियोंसे समाचार मिलते रहनेकी संभावना थी, लिखता है :

“पं० जवाहरलालकी हलचलोंसे यहां कुछ खलबली पैदा हुई है। वे और श्री वल्लभभायी पटेल अत्तेजक भाषण दे रहे हैं। गांधी-अर्विन समझौतेसे पहले अन्हें ऐसे भाषणोंके लिये तुरन्त जेलकी सजा मिल गयी होती। यहां विश्वस्त क्षेत्रोंमें यह माना जाता है कि संभवतः अणु पर नोटिस जारी किये जायंगे। अन्हें भंग करते ही अणुकी गिरफ्तारी होगी। यहां यह भी जोरदार अफवाह है कि समझौतेको खतरेमें डालनेवाली अणुकी अिन हलचलों और साथ ही खान अब्दुल गफफारखांके आचरणके बारेमें गांधीजीको सूचना दी गयी है।”

अैसी रिपोर्टोंका अुल्लेख करके महादेवभायी सरदारको लिखते हैं कि :

“अिन लोगोंकी लड़नेकी तैयारी हो रही है। वापू भी यही मानते हैं। खेड़ामें १८॥ लाख वसूल हो गये और केवल ७८ हजार वाकी हैं। अिस पर ये लोग अितना अुत्पात कर रहे हैं। मामूली वर्षोंमें भी अितना वकाया तो रहता ही है।”

ये सारे अुद्धरण अिसीलिये दिये गये हैं कि अणुसे यह कल्पना हो जाय कि जबसे समझौता हुआ तभीसे अधिकारियोंका रुख कैसा था और कुछ समय बाद अुसने कैसा अुग्र रूप धारण करना शुरू कर दिया।

गुजरातमें लड़ाईके दरमियान बहुतेसे पटेलोंने त्यागपत्र दे दिये थे। संधिकी शर्तोंके मुताबिक जहां किसी दूसरेकी स्थायी नियुक्ति न हुयी हो, वहां अन्हें वापस नौकरी मिल जानी चाहिये थी। परन्तु पिछले अघ्यायमें हमने देख लिया कि तालुके तथा जिलेके अधिकारी अिसमें कुछ न कुछ अड़ंगे लगा रहे थे। अिन सब मामलोंकी तफसीलमें हम न जायं, परन्तु रासके वारैया पटेलके मामलेको देखें। जिस पुराने पाटीदार पटेलने अिस्तीफा दिया था, अुसकी जगह पर सितंबर १९३० में अिसे नियुक्त किया गया। अिसे नियुक्त करनेवाले तहसीलदारने कलेक्टरको यह रिपोर्ट की थी कि अुसकी नियुक्ति स्थायी नहीं की गयी है और स्थायी करनेका अुसे आश्वासन भी नहीं दिया गया है। बादमें कांग्रेस कार्यकर्ताओंने तो अैसा अुदाहरण भी डूँड निकाला कि सन् १९२९ में ही अिसे अेक फौजदारी जुर्ममें दो मासकी सजा हुयी थी। संधिके बाद खेड़ा जिलेके कलेक्टरने गांधीजीसे कहा था कि अिस पटेलको अलग करके अुसकी जगह पुराने पाटीदार पटेलको ले लिया जायगा। परन्तु थोड़े

ही समय वाद अुस कलेक्टरका तवादला हो गया। नये कलेक्टरके व्यानमें यह बात कभी वार लाओ गयी, परन्तु कमिश्नर मि० गैरेटकी नीयत पाटीदार पटेलको नौकरीमें लेनेकी नहीं थी। अिसलिये कुछ न कुछ बहाना बनाकर अुसने वारैया पटेलको ही कायम रखा। अुसकी पटेलगिरीमें गांवमें चोरियां बगैरा बहुत होने लगीं और पाटीदारोंका नुकसान होने लगा। अिसलिये गांवकी रक्षाके लिये विशेष पुलिस रख दी गयी, परन्तु अुस पटेलको नहीं बदला गया! सरदारने गांधीजीके गोलमेजमें चले जानेके वाद कलेक्टर और कमिश्नरके साथ अिस मामलेमें पत्रव्यवहार करना शुरू किया। अिससे कुछ नहीं हुआ तो बम्बयी सरकारके गृहमंत्री मि० मेक्सवेलको लिखा। अुसमें कहा गया कि :

“गांधीजी अिस मामलेको अिस बातकी कसौटी मानते थे कि सरकारकी संधि-पालनकी नीयत कहां तक साफ है। अिसलिये और बहुतसे पटेलोंके मामलोंका झगड़ा चलने पर भी अिस अेक मामलेकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूं।”

सरकारकी तरफसे अिसका जो चालाकीभरा जवाब दिया गया अुस परसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अिस वारेमें कितनी बेहया बन गयी थी। सरकारी अुत्तरमें कहा गया कि :

“यह बात सही है कि पटेलको नियुक्त करनेवाले तहसीलदारने अुसे स्थायी नौकरी देनेका वचन नहीं दिया था। परन्तु अुसके वाद जनवरी १९३१ में नये तहसीलदारने अिस पटेलको स्थायी नौकरीका वचन दिया था, यद्यपि अुसने अिस बातकी तुरन्त रिपोर्ट नहीं की थी। अिसलिये कलेक्टरने पुरानी रिपोर्ट पर आधार रख कर गांधीजीसे कह दिया था कि पाटीदार पटेलको वे नौकरी पर ले लेंगे।”

फौजदारी जुर्ममें हुयी सजाके वारेमें बताया गया कि :

“अब अुसका चालचलन अच्छा है, अिसलिये कमिश्नर साहबने सजा होनेकी अुसकी अयोग्यताको दरगुजर करना मुनासिब समझा है! बहुतसे सजा पाये हुअे कैदियोंको सरकारने संधिकी रुसे छोड़ दिया है और अुनकी अयोग्यताको दरगुजर किया है (महाशयजी राजनीतिक कैदियोंको दी गयी रिहाओकी बात कर रहे हैं), तो फिर अिस वारैया पटेलके मामलेमें कम अुदार नीति रखनेका कोओ कारण नहीं! ”

तीसरी दलील यह भी दी कि :

“यदि पाटीदार पटेलको ले लिया जायगा, तो सरकारका खयाल है कि वारैया लोगोंको बहुत तंग होना पड़ेगा !”

वारैयाकी पटेलगिरीमें पाटीदारोंको तंग होना पड़ता था, यह बात ही जवाबमें खा गये । सरदारने अपने जवाबमें इसका जोरदार खंडन किया, कानूनकी कलमें अुद्धृत करके बताओं, परन्तु सरकारको न्याय कहां देखना था ? लड़ाजीमें शरीक हुअे पाटीदारोंको खामखाह सतानेके लिये ही जिस पटेलको पटेली दी गयी थी, अुसे निकाल दें तो सरकारकी अिज्जत चली जाय और कांग्रेसकी अिज्जत बड़ जाय । यह अुसे करना नहीं था ।

अिस समय युक्त प्रान्तके मथुरा जिलेमें सरकारने कांग्रेसके असंख्य कार्यकर्ताओंको कैद करके, देहात पर पुलिसके धावे बोलकर और गांवोंके लोगों और कांग्रेसके कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां चलाकर संधिकी शर्तोंका खुलेआम भंग करना शुरू कर दिया था । कांग्रेसने अिस वारेमें शिकायत की तब प्रान्तीय सरकारने अपने अफसरोंके गैरकानूनी और अत्याचारपूर्ण व्यवहारके वारेमें अिनकार कर दिया । परन्तु अुनमें से कुछ मामले हाअी-कोर्टमें गये । अुनमें जिन कांग्रेसियोंको पहली अदालतने सजा दी थी, अुन सबको हाअीकोर्टकी तरफसे निर्दोष करार देकर छोड़ दिया गया । अेक मुकदमा सेशन्स जजके यहां चला तो अुसमें अुसने यह फैसला दिया कि “पुलिसके थानेदार, तहसीलदार और जमींदार सवने अभियुक्तोंके विरुद्ध गुप्त षडयंत्र रचा था ।” अेक और फैसलेमें न्यायाधीशने कहा, “जब मुद्दअी और दूसरे कांग्रेसियोंने सभा की थी, तब कुछ पुलिसवालोंने वहां जाकर पुलिस स्टेशनके अफसरके सामने ही अेक आदमी पर हमला किया था, यह चीज सचमुच अफसोस करने लायक है ।” कांग्रेसवालोंकी बुलाअी हुअी अेक सभाको पुलिसने जिस जंगली ढंगसे रोका था, अुसके वारेमें अेक न्यायाधीश कहते हैं :

“अधिकारियोंकी अैसी अिच्छा थी तो अुन्हें सभा न करनेकी निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिये थी । मनाही होने पर भी सभा करनेका प्रयत्न किया जाता, तो अुसे लाठी चलाकर बिखेरा जा सकता था । परन्तु अुसे अैसी गुंडाशाही करके रोकनेकी जरा भी जरूरत नहीं थी । पुलिसने पहले तो जितनोंको वह पकड़ना चाहती थी अुन सबको पकड़ लिया और अुसके बाद अैसा कहनेवाले गवाह खड़े किये कि अिन सवने हुल्लड़में भाग लिया था ।”

महान आर्थिक संकटके समयमें और लगान वसूलीका समय बहुत पहले समाप्त हो जाने पर भी, यानी भरे चीमासेमें, जवरदस्ती कुकियां करनेका और जमीनों पर कब्जा कर लेनेका काम जारी था। ठेठ मितंवर माहमें लगान-अफसर पुलिसके वड़े वड़े दल लेकर वसूलीके लिये गांवों पर हमला और मारपीट करते थे। युक्त प्रान्तके पुलिस और माल-अधिकारियोंको किसानोंको मुर्गा बनानेका बड़ा शौक हो गया था। पुलिसकी मारसे वूड़े आदमी भी बच नहीं पाते थे। एक गांवके सभी लोग यानी लगभग पांच सौ मनुष्य पुलिस और माल-विभागके डरसे भाग कर पासके जंगलोंमें छिप गये थे।

अलाहाबाद जिलेमें भी लगभग यही स्थिति थी। अलग अलग जिलेके अधिकारियों और कांग्रेसी नेताओंके बीच पत्रव्यवहार होनेके बाद यह तय हुआ कि सरकारी अधिकारी और कांग्रेसके नेता मिलकर सलाह-मशविरा करें। परंतु ता० १५ नवंबर तक, जब लगानकी किस्त शुरू होती थी, परिपद् की नहीं जा सकी। और बातचीत जारी होते हुअे भी अधिकारियोंने ताकीद करके किस्तकी वसूली शुरू कर दी। पिछले दो वर्ष खराब चले जानेके कारण किसान बुरी तरह परेशान हो गये थे। उनके पास सरकारका लगान जमा करनेके कुछ भी साधन नहीं थे, जिसलिये उनके घरवार विक्रि जाने और जमीनसे वेदखल हो जानेकी नीवत आ गयी थी। वे कांग्रेस कमेटीसे सलाह लेने लगे। सरकारके साथ राहतके लिये हो रही बातचीत पूरी न होने तक रकम अदा करना मुलतवी रखनेकी सलाह देनेके सिवा और कोअी अुपाय कांग्रेसके पास नहीं था।

अिस सलाहसे सरकार अेकदम भड़क अुठी और युक्त प्रान्तकी प्रान्तीय समितिके अध्यक्षको सूचित कर दिया गया कि जब तक किस्त न देनेकी सलाह वापस न ले ली जायगी, तब तक आगे कोअी बातचीत नहीं हो सकती। ता० २५-११-'३१ को प्रान्तीय समितिके अध्यक्षने अुत्तर दिया कि आप किस्त वसूली थोड़े समयके लिये स्थगित कर दें, तो हम अपनी सलाह अेकदम वापस ले लें; परंतु यह कैसे हो सकता है कि जब अेक तरफ हमारे बीच बातचीत हो रही हो और दूसरी तरफ किस्त वसूलीका आपका कोड़ा घूम रहा हो तब हम किसानोंको कोअी सलाह न दें?

ता० २८-११-'३१ को सरदारने कांग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे भारत सरकारके गृहमंत्री मि० जिमर्सनको लिखा :

“दोनों तरफके समझौतेसे अितना अितजाम तो आम्नानीसे किया जा सकता है कि सरकारकी तरफसे वसूलीका काम थोड़े समयके लिये

मुलतवी रहे और कांग्रेस समितिका लगान न चुकानेकी सलाह देनेवाला प्रस्ताव भी स्थगित रहे। जिससे सरकार या जमींदारोंका कोअी नुकसान नहीं होगा। युक्त प्रान्तमें सुलह कायम रहे जिसके लिये कांग्रेस बहुत आतुर है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि सरकार मेरा सुझाव मंजूर करे। अब भी कोअी रास्ता निकालनेके लिये चर्चाकी गुंजाबिश है।”

परंतु सरकार तो और कोअी बात सुननेको तैयार ही नहीं थी। वह अपनी बात पर अड़ी रही।

कांग्रेस कार्यसमितिका प्रस्ताव था कि प्रान्तीय समिति लगान न देनेका निश्चय करे तो भी उसका अमल कांग्रेस अध्यक्षकी अनुमति लेकर ही करे। जिसलिये उसने सरदारकी अजाजत चाही। सरदारने प्रान्तीय समितिको लिखा कि :

“सारे संबंधित किसानों और कार्यकर्ताओंको जो दुःख सहने पड़ेंगे और जो वलिदान देने पड़ेंगे उनके वारेमें और लड़ाईके दौरानमें कितनी ही उत्तेजना या संकट आने पर भी संपूर्ण अहिंसक वातावरण कायम रखनेकी जरूरतके वारेमें सबको परिचित करा दीजिये और अहिंसाकी रक्षा करनेकी पूरी सावधानी रखकर भले ही कदम उठाविये।”

जिसके जवाबमें युक्त प्रान्तकी सरकारने १५ दिसम्बरको लंबा आर्डिनेंस जारी करके कांग्रेस और लोगों पर आक्रमण कर दिया।

उस आर्डिनेंसका सार यह था :

“लोगोंसे लगान देना मुलतवी करनेके लिये कहना सख्त मजदूरीकी सजावाला अपराध है। सरकारको ऐसा लगा कि किसी भी अिलाकेके निवासी सरकारी लगानको हानि पहुंचानेवाले काम कर रहे हैं अथवा ऐसे काम करनेवाले लोगोंको आश्रय दे रहे हैं, तो वह उन सब पर सामूहिक जुर्माना कर सकेगी। और वह जुर्माना वाजाव्ता पूर्वजांच किये बिना या बादमें अदालतमें फरियाद करने दिये वगैर केवल घोषणा करके वसूल कर लिया जायगा। स्थानीय सरकार और जिला अधिकारी किसी भी मनुष्यको विशेष सीमामें बन्द रहने या विशेष सीमासे बाहर रहने या और किसी भी तरह उसकी हलचल पर अंकुश रखनेका कोअी भी हुक्म जारी कर सकेंगे और उसके विरुद्ध कोअी शिकायत नहीं हो सकेगी। कोअी भी मकाने और उसका खाद्य सामग्री

सहित सामान कब्जेमें लेकर पुलिस या सैनिक अधिकारियोंके अधीन रखा जा सकेगा। जिलेके अधिकारी किसी भी मनुष्यको खानगी या सार्वजनिक सवारियोंका अुपयोग करनेकी मनाही कर सकेंगे। किसी भी स्थान पर धावा बोलकर अुसकी तलाशी ली जा सकेगी और यह बताकर कि आर्डिनैसके मानहत अपराध करने अर्थात् लोगोंको लगान न देनेके लिये समझानेकी वहां तैयारी की गयी है, वहांका माल-असवाव जप्त भी किया जा सकेगा।”

राजाजीने, जो अुस समय गांधीजीकी गैरहाजिरीमें 'यंग विडिया' का संपादन कर रहे थे, अिस आर्डिनैसकी आलोचना करते हुअे लिखा :

“संकटसे राहत पानेकी पुकार मचानेवाली अेक समस्त प्रजाके विरुद्ध अैसा हथियार अुठाना राजनीतिका दिवाला है और जुल्म है। सत्याग्रहके दृष्टिकोणसे तो अिस आर्डिनैसने लड़ाजीको पहलेसे ज्यादा आसान बना दिया है। किसानोंके संकटों और बलिदानोंमें भाग लेनेका रास्ता तमाम वर्गोंके लिये खोल दिया है।”

सरहद प्रान्तमें भी जमीनका लगान बसूल करने तथा खुदाजी खिदमतगारोंको पीड़ित करनेके लिये अमानुषिक अत्याचार हो रहे थे। वे युक्त प्रान्तके अुपरोक्त अत्याचारोंसे भी भयंकर थे। अुन अत्याचारोंसे सरकार वहांके लोगोंको दवा या डरा न सकी, अिसलिये वहां भी सरकारने युक्त प्रान्त जैसा ही आर्डिनैस ता० २४ दिसम्बरको जारी कर दिया। सरहद प्रान्तके चीफ कमिश्नरके ता० २२ दिसम्बरको बुलाये गये दरवारमें जानेसे खान अब्दुलगफ्फार खाने अिनकार कर दिया और अुतमनजाबीमें हुअी प्रान्तीय समित्तिकी बैठकमें भाषण दिया कि पूर्ण स्वराज्यसे जरा भी कम हमें स्वीकार नहीं है। अिसे अुनका बड़ा अपराध मानकर अुस आर्डिनैसकी रूत्ने अुन्हें और अुनके भाअी डॉ० खानसाहबको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारकी निगाहमें अुनका बड़ा अपराध तो यह था कि अुन्होंने अपने अधीन काम करनेवाली सरहद प्रान्तकी सभी संस्थाओंको कांग्रेसकी छत्रछायामें ला दिया था। दादमें सरकारी आज्ञाका अुल्लंघन करके जमा हुअे लालकुर्तीवाले खुदाजी खिदमतगारों पर निर्दयतापूर्वक गोली चलायी गयी। अुसमें सरकारी रिपोर्टके अनुसार १४ मारे गये और २८ घायल हुअे। फ़ादर अेल्विनने, जिन्होंने घटनास्थल पर जाकर स्वयं जांच की थी, कहा कि मारे गये लोगोंकी संख्या कमसे कम ५० होनी चाहिये।

बंगालमें अिस समय अधिकारियों पर छुटपुट घातक आक्रमणोंकी घटनाअें हो रही थीं। सरकारने अुसे बहुत बड़ा रूप दे दिया और लोगोंकी

तरफके जिस छुटपुट रक्तपातसे कहीं बढ़चढ़कर व्यवस्थित रक्तपातका आश्रय लिया। चटगांवमें कुछ गैरसरकारी युरोपियनों और गुंडोंने अक छापेखाने पर, जो सरकारी गुंडागिरीके विरुद्ध लिखनेकी घृष्टता करता था, रातको हमला करके तमाम मशीनरी तोड़ डाली और उसके आदमियोंको मारा। जैसे हमलोके विरुद्ध आत्मरक्षाके लिये लोगोंने जो थोड़े-बहुत अपाय किये, अन्हें बड़े विद्रोहका रूप दे दिया गया और ३१ अगस्त तथा उसके बादके तीन दिन तक गोरे और काले गुण्डोंने सारे चटगांवमें मतवाले सांडोंकी तरह घूम घूम कर आतंक फैला दिया। जिसमें स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट भी मिल गये। कांग्रेसकी तरफसे अिन दंगोंकी जांच की गयी। उस जांच-समितिकी रिपोर्ट पर कांग्रेस कार्यसमितिके विचार करके प्रस्ताव पास किया कि :

“स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेटोंने कुछ गोरे और काले गुण्डोंकी सहायतासे आतंक फैलानेकी नीतिका अनुसरण करके लोगोंकी जो भयंकर हानि और वैअिज्जती की है उसकी यह कार्यसमिति घोर निन्दा करती है। चटगांवके गुंडोंसे काम लेकर और उनके दंगोंको साम्प्रदायिक रूप देकर साम्प्रदायिक दंगे भड़कानेके जानबूझ कर प्रयत्न होने पर भी सचमुच साम्प्रदायिक दंगा जरा भी नहीं हुआ, जिस पर कार्यसमिति संतोष व्यक्त करती है।”

बंगालमें जिस समय बहुतसे मनुष्योंको नजरबन्द रखा गया था। बाहरके आदमियों पर जैसे आतंक जमाया जा रहा था, वैसे ही जेलके भीतर नजरबन्द कैदी भी अुत्पीड़नसे मुक्त नहीं रह पाते थे। १६ सितम्बरको कोअी नाममात्रका वहाना ढूंढकर हिजलीके नजरबन्दों पर गोली चला दी गयी। उसमें सरकारी रिपोर्टके अनुसार दो कैदी मारे गये और बीस सख्त घायल हुअे। जेलमें रखे गये कैदियों पर गोली चलाना बड़ा निर्दय और नीचतापूर्ण कृत्य माना जाता है। जिसलिये यह बात प्रगट होने पर देशभरमें बड़ा हाहाकार मच गया। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी, जो राजनीतिमें भाग नहीं लेते थे, आम सभामें जिस कृत्यकी निन्दा करनेवाला भाषण दिया। जिसलिये सरकारको जिस गोली काण्डकी जांच करनेके लिये अक कमेटी नियुक्त करनी पड़ी। जिस कमेटीने अपनी रिपोर्टमें छावनीके गोरे अफसरोंको गोलीकाण्डमें सम्मिलित होनेके आरोपसे मुक्त माना, फिर भी अितना तो निर्णय दिया ही कि ‘गोली चलाने और लाठियों तथा संगीनोंसे किये गये हमलोके लिये कोअी भी अुचित कारण नहीं था।’ जिस प्रकार अुन्होंने साधारण सिपाहियोंके सिर पर सारा दोष थोप दिया

और गोरे अधिकारियोंको जिस निर्दय हत्याकांडकी जिम्मेदारीसे बरी समझा। परंतु सरकारी रिपोर्टकी भाषामें 'किसी भी कारणके बिना ही' नजरबन्दोंके साथ पुलिसके पशुतापूर्ण व्यवहारका कारण क्या होना चाहिये? यह माने बिना नहीं रहा जा सकता कि अन्होंने यह कृत्य इसीलिअे किया था कि जिससे अुनके अुच्च अधिकारी खुश होंगे।

बंगालके अिन अत्याचारोंके समाचार गांधीजीको लंदनमें मिलते ही थे। जिसलिअे अन्होंने सरदारको तार दिया :

“बंगालमें हो रहे दमनसे और दूसरी बातोंसे मैं परेशान हूं। यहां भी कुछ होता नहीं दीखता। फिर भी मैं देख रहा हूं कि यहां रहना जरूरी है। यूरोपमें भी थोड़ा भ्रमण करना आवश्यक प्रतीत होता है। जिसका अर्थ यह होता है कि मैं जनवरीके मध्यमें देश आ सकता हूं। सब बातें सोचकर राय दीजिये।”

सरदारने कार्यसमितिकी बैठक बुलायी और सबके साथ सलाह करके ता० ८-११-३१ को तारसे निम्नलिखित अुत्तर दिया :

“कार्यसमितितने आपके तार पर विचार किया। यहां जो समाचार मिल रहे हैं अुनसे प्रतीत होता है कि आपका वहां अधिक ठहरना व्यर्थ है। अुसका अनर्थ भी हो सकता है। परंतु आपकी निश्चित राय है कि अुपस्थिति आवश्यक है, अतः आप वहांकी परिस्थितियोंको अधिक जानते हैं। जिसलिअे कमेटी अन्तिम निर्णय करना आप पर छोड़ती है। यहां तो स्थिति अधिकाधिक नाजुक बनती जा रही है। सरकारका रवैया आम तौर पर बहुत ज्यादा विगड़ गया है। बंगालकी स्थिति और भी खराब होती जा रही है। सरहद प्रान्तमें जुलम बढ़ रहा है। कुछ जगहों पर तो कोअी भी हलचल नहीं करने दी जाती। युक्त प्रान्तमें लगानबंदीकी लड़ाअी जल्दी शुरू करना अनिवार्य जान पड़ता है। वारडोलोकी जांचमें कार्रवाअी संतोपजनक ढंगसे न होनेके कारण और दूसरे कारणोंसे भी मालूम होता है कि अुससे हट जाना पड़ेगा। आपका जल्दी आना वांछनीय है। यूरोपमें अधिक दिन लगायेंगे तो यहांका काम विगड़ेगा।”

सरकारका आतंक और अत्याचार तो जारी ही था। जिसलिअे ता० २३-११-३१ को सरदारने गांधीजीको दूसरा तार दिया :

“हिजली और चटगांवके मामलोंमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिना किसी कारणके धरपकड़ जारी है। नजरबन्दोंकी संख्या अेक

हजार तक पहुंच गयी है। हर रोज वीसियों आदमी पकड़े जा रहे हैं। उनमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी होते हैं। हिजली और चटगांवके अत्याचारोंका विरोध करनेवालों पर राजद्रोहके मुकदमे चलाये जाते हैं। हाल ही में ढाकामें चटगांवकी छोटीसी पुनरावृत्ति हुयी है। वहां निर्दोष पुरुषों, स्त्रियों और बालकों पर पुलिसने निर्लज्ज अत्याचार किया है। बंगालके युरोपियन अधिक दमनकी आग्रहपूर्ण मांग करते रहते हैं। सरकार उनकी बात मानती है। लोगोंमें तीव्र रोष फैला हुआ है। युवक वर्गमें निराशासे प्राणों पर खेल जानेकी वृत्ति पैदा हो गयी है। युक्त प्रान्तका हाल तो आप जानते ही हैं। आंध्रमें कृष्णा और गोदावरी जिलोंमें सरकारने अपनी नियुक्त की हुयी कमेटीकी सर्वसम्मत भिन्न राय होते हुये और धारासभाका विरोध होते हुये भी लगानमें वृद्धि कर दी है। उसके खिलाफ अठे हुये विरोधको रोकनेके लिये जमानत लेनेकी और राजद्रोहकी धाराओंका अपुयोग हो रहा है। जिसलिये वहांकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। आश्रममें अिमाम साहबको रोज बुखार आता है। परंतु अब थूकमें खून नहीं गिरता। तुरंत चिन्ताकी कोयी बात नहीं है। — वल्लभभाभी ”

अन्तमें ३० नवम्बरको सारे बंगालमें आर्डिनेंसकी घोषणा करके सरकारने कानून और कानूनी अदालतोंकी अवहेलना की। आर्डिनेंसकी भाषा अैसी थी मानो सारे प्रान्तमें बड़ा भारी बलवा हो गया हो और अुससे भयभीत होकर सरकार अपनी आत्मरक्षाके लिये यह अपुाय कर रही हो! परंतु जिस आर्डिनेंससे भी सरकार छुटपुट होनेवाली मारकाटकी घटनाओंको दबा नहीं सकी।

जिन सब करतूतोंसे भी बढ़कर बात तो यह थी कि सरकार अुस नमक पर, जिसके लिये अितने सिर फूटे थे, कर बढ़ानेका प्रस्ताव लायी। जिसमें तो सीधा संधि-भंग और विश्वासघात था। इसी समय अंग्लैण्डके पास सोनेकी कमी होनेके कारण अुसने सोनेका सिक्का छोड़ दिया, जिसलिये अुसके पौण्डकी कीमत बाजारमें घट गयी। प्रश्न यह था कि जिस प्रकार घटी हुयी कीमतवाले पौण्डके साथ हिन्दुस्तानके रुपयेको जुड़ा हुआ रखा जाय या नहीं? जुड़ा हुआ रखनेमें हिन्दुस्तानकी भारी हानि थी। परंतु भारत सरकारको भारतका हित कहां देखना था? वह तो अंग्लैण्डके हितोंको प्रवानता देती थी। जिसलिये हमारा रुपया पौण्डके साथ जुड़ा

रहा। अिन दोनोके खिलाफ कांग्रेस कार्यसमितितने विरोध प्रगट करनेवाले प्रस्ताव पास किये।

अिस प्रकार संधिको ताकमें रखकर जब सरकार हिन्दुस्तानमें खुली दमन-नीति चला रही थी, तब गांधीजी अपने गोलमेजके भाषणों द्वारा दुनियाके लोगोके सामने हिन्दुस्तानका मामला पेश कर रहे थे। परंतु ब्रिटिश राजनीतिज्ञोके आगे तो अुनके भाषण अरण्य-रोदन जैसे ही सावित हुअे थे। गांधी-अर्विन समझौतेके थोड़े ही समय बाद अिंग्लैण्डमें अनुदार दल सत्ताह्द हो गया था। वह कांग्रेसको कुचल डालनेके लिये कृतनिश्चय होकर बैठा था। महादेवभाजीके सरदारको ता० २८-११-३१ को लंदनसे लिखे हुअे पत्रसे वहांकी परिस्थितिकी कल्पना होती है:

“यह पत्र टाअिप हो जानेके बाद वापूसे मालूम हुआ कि वे तो विलकुल लड़कर आये हैं और अगले शुक्रवारको केवल सरकारकी अंतिम चेतावनी सुनने जायेंगे। चेतावनी अब और क्या देंगे? कल ही सर सेम्युअल होरसे बात हुअी। अुसमें अुसने वापूसे कहा: ‘हमें कांग्रेसको कुचल देना पड़ेगा, अिसलिये तैयार रहिये। हम कांग्रेसको रहने नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी बातोंसे हम यह समझे हैं कि कांग्रेसका अर्थ क्रांति है।’ अिसलिये आप (सरदार) भी तैयारी रखें। शायद मिलने भी न पायें। जो व्यवस्था करनी अुचित हो वह कर दें। वहां आनेके बाद शायद ही अधिक दिन बाहर रहा जा सके।”

अिस तरफसे भारत सरकारने तो बराबर तैयारियां कर ही ली थीं। तीन अार्डिनेंस तो जारी कर दिये थे और दूसरे तैयार रखे थे। अुनका अेक अुद्देश्य तो यह रहा होगा कि खान अब्दुलगफफारखां और पंडित जवाहरलाल गांधीजीसे न मिलने पायें। अिसलिये खान अब्दुलगफफारखांको २६ दिसम्बरको पकड़ लिया और पं० जवाहरलालजी गांधीजीसे मिलने बम्बयी जा रहे थे तब रास्तेमें अुन्हें, युक्त प्रान्तकी प्रान्तीय समितिके अध्यक्ष श्री शेरवानीको और बाबू पुरुषोत्तमदास टंडनको पकड़ लिया। सरदारको कैसे छोड़ रखा होगा? क्या अुन्हें पकड़नेका बहाना ढूंढना कठिन मालूम हुआ होगा?

अैसी स्थितिमें २८ दिसम्बरको गांधीजी बम्बयी पहुंचे।

गांधीजी व सरदारकी गिरफ्तारी : सरकारका दमनचक्र

लंदनकी गोलमेजसे खाली हाथ लौटे हुए अपने आदरणीय नेताका लोगोंने अपूर्व सम्मान किया। बम्बईके आवाल-वृद्ध सभी नर-नारियोंने असाधारण प्रेम और अत्साहसे रास्ते रास्ते, गली गली और अटारी अटारीसे गांधीजीका अनुपम स्वागत किया। उसी दिन शामको लगभग डेढ़ लाख मानव-समूहके सामने अपने भाषणमें उन्होंने लोगोंको मृत्युका डर छोड़कर मित्रकी भांति उसका आलिगन करनेका मंत्र दिया। उन्होंने कहा : “सत्यका, प्रामाणिकताका और मारनेका नहीं बल्कि मृत्युका आलिगन करनेका मंत्र रटते रहना।”

सरदार और कांग्रेस कार्यसमिति गांधीजीसे मिलनेके लिये बम्बईमें आतुर बैठी थी। सरकारका विचार सब नेताओंको गांधीजीसे मिलने देनेका नहीं था। इसलिये हम देख चुके हैं कि सीमाप्रान्तके खानबन्धुओं तथा युक्त प्रान्तके जवाहरलालजी बगैराको पकड़ लिया गया था। सरकारके खूब परेशान करने पर भी सरदारने गुजरातसे ऐसी खामोशी रखवायी थी और खुदने भी सरकारकी चालमें न फंसनेकी अितनी सावधानी रखी थी कि सरकार अन्हें पकड़नेका कोअी बहाना ढूँढ न सकी। सरकार कितने ही अत्याचार करे परन्तु कांग्रेसके सिर पर संधि-भंगका आरोप न आने देनेके लिये और लोगोंको शांत रखनेके लिये गांधीजीकी अनुपस्थितिमें सरदारने खून-पसीना अेक कर दिया था। परन्तु जब गांधीजी हिन्दुस्तानके किनारे अुतरे तब सरकारकी तरफसे तो लड़ाईके नगाड़े बज रहे थे। कार्यसमितिके सदस्योंसे सारे हालचाल जान लेनेके वाद गांधीजीने २९ तारीखको वाअिसरायको निम्नलिखित तार दिया :

“बंगालके आर्डिनेंसका आलिगन तो मुझे करना ही था। परन्तु इसके अुपरान्त भारतके तट पर अुतरते ही सीमाप्रान्त और युक्त प्रान्त सम्बन्धी आर्डिनेंसोंके वारेमें, सीमाप्रान्तमें हुअे गोलीकाण्डके वारेमें और दोनों प्रान्तोंमें अपने कीमती साथियोंकी गिरफ्तारीके वारेमें सुननेको मैं तैयार नहीं था। मैं नहीं जानता कि यह मान लेना ठीक होगा या नहीं कि ये सब बातें हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्धोंके अन्तकी सूचक हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि आप अब भी यह चाहते हैं या नहीं कि मैं आपसे मिलूँ और इस वारेमें आपसे कुछ पयप्रदर्शन

प्राप्त करूं कि कांग्रेसको मुझे क्या सलाह देनी चाहिये। आप तारसे जवाब देंगे तो कृतज्ञ होऊंगा।”

वाधिसरायकी ओरसे ३१ तारीखको तारमे इसका उत्तर आया। उसमें तीनों प्रान्तोंके आर्डिनेसोंके विषयमें सफाई देकर बताया गया कि :

“आप स्वयं गोलमेज परिषद्में गये होनेके कारण हिन्दुस्तानमें नहीं थे और आप जो रवैया अख्तियार कर रहे हैं उसे देखने हुअे वाधिसराय महोदय यह माननेको तैयार नहीं कि युक्त प्रान्त तथा सीमाप्रान्तमें हो रही कांग्रेसकी हलचलके लिये आप जिम्मेदार हैं अथवा उस हलचलको आप पसंद करते हैं। यदि यह सच हो तो वाधिसराय महोदय आपसे मिलनेको तैयार हैं और गोलमेज परिषद्की कार्रवाहीमें जो सहयोगकी वृत्ति प्रगट की गयी है उसे बनाये रखनेके लिये आप अपने प्रभावका अधिकसे अधिक उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, इस बारेमें अपने विचार भी वे आपको बतायेंगे। परन्तु वाधिसराय महोदय यह बात तो जोर देकर कहना ही चाहते हैं कि बंगाल, युक्त प्रान्त और सीमाप्रान्तमें मन्नाट् महोदयकी सरकारकी पूरी अनुमतिसे भारत सरकारको जो अुपाय करने पड़े हैं अुनके बारेमें वे आपके साथ चर्चा करनेको तैयार नहीं हैं। मुराज्यके लिये कानून और शांतिकी रक्षा आवश्यक है। और इसी हेतुमे ये अुपाय किये गये हैं। जब तक वह हेतु पूरा नहीं होगा तब तक वे हर हालतमें अमलमें रहेंगे।”

अुसी दिन रातको गांधीजीने वाधिसरायके तारका विस्तृत उत्तर देनेवाला लंबा तार किया। उसमें बताया कि :

“मेरी प्रार्थनाकी कद्र करनेके बजाय वाधिसराय महोदयने यह मांग करके कि मैं अपने मूल्यवान साथियोंको घता बता दूं मेरी प्रार्थना नामंजूर कर दी है। जैसे हीन आचरणका अपराधी बनकर मैं मुलाकात करने आऊं तो भी मुझसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रके लिये जीवन-मरणका महत्त्व रखनेवाले अिन सब मामलों पर मैं चर्चा भी नहीं कर सकूंगा! अिन आर्डिनेसोंका और अुनके आधार पर हुअे कृत्योंका जबरदस्त विरोध न किया जाय तो लोग बिल्कुल नामर्द बन जायेंगे। मेरे लिये तो अिन आर्डिनेसों और जुल्मोंके सामने शासन-विधानके सुधारका प्रश्न कोअी महत्त्व नहीं रखता। मुझे आया है कि सुधारोंके लोभमें फंसकर कोअी स्वाभिमानी भारतीय अिम प्रकार लोगोंका जोन खतम कर देनेकी जोशिम नहीं अुठायेगा।”

जिस बीच कार्यसमितिकी बैठकें तो रोज हो ही रही थीं। उसने ३१ दिसम्बरको लम्बा प्रस्ताव पास करके, यदि सरकारकी तरफसे न्याय मिले ही नहीं और सविनय कानून-भंग फिरसे करना ही पड़े तो उसका सारा कार्यक्रम भी लोगोंके सामने रखनेके लिये निश्चित कर रखा था। जिसलिये अपने अपरोक्त तारमें ही गांधीजीने सूचित कर दिया था कि :

“सरकारके साथ सहयोग करनेकी मेरी इच्छा है और उससे मुझे प्रसन्नता होगी। परन्तु उसीके साथ मुझे अपनी मर्यादाओं भी वाजिसराय महोदयको बता देनी चाहिये। अहिंसा मेरा परम सिद्धान्त है। सविनय कानून-भंगको मैं लोगोंका जन्मसिद्ध अधिकार मानता हूँ। खास तौर पर जब अपने देशके शासनतंत्र पर असर डालनेवाली हमारी आवाज न हो तब मैं सविनय कानून-भंगको जिसका कारगर विकल्प मानता हूँ। जिसलिये मैं अपने सिद्धान्तसे कभी अिनकार नहीं करूंगा। जिस सिद्धान्तके अनुसार और जिस खबर पर, जिससे अिनकार नहीं किया गया है और जिसका समर्थन भारत सरकारकी हालकी हलचलोंसे होता है, आधार रख कर कि मुझे लोगोंको रास्ता बतानेका और ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, कार्यसमितिके मेरी सलाह स्वीकार की है और जरूरत पड़ने पर अमल करनेके लिये प्रस्ताव तैयार कर रखा है, जिसमें सविनय कानून-भंगकी रूपरेखा अंकित कर दी है। उस प्रस्तावकी नकल साथमें भेज रहा हूँ। यदि वाजिसराय महोदय मानते हों कि मुझसे मिलनेमें सार है, तो जब तक चर्चा जारी रहेगी तब तक प्रस्ताव पर अमल जिस आशासे स्थगित रहेगा कि चर्चके परिणामस्वरूप प्रस्तावको अन्तिम रूपमें रद्द करनेकी नौबत आ सकती है। मैं स्वीकार करता हूँ कि वाजिसराय महोदयके और मेरे बीचके सन्देश अितने महत्त्वपूर्ण हैं कि उनको प्रकाशित करनेमें देर करना अुचित नहीं होगा। जिसलिये मेरा तार, उसका जवाब, उसका प्रत्युत्तर और साथ ही कार्यसमितिका प्रस्ताव मैं प्रकाशनके लिये भेज देता हूँ।”

‘भारत हितचिंतक मंडल’ नामकी संस्थाके आदमी, जिनमें कुछ अंग्रेज भी थे, गांधीजीसे मिलने आये और आग्रह करने लगे कि आप सरकारके साथ सहयोग कीजिये। गांधीजीने उन्हें जो जवाब दिया और उसके बाद उनसे जो बातचीत हुई उससे सारी परिस्थिति पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है। और गांधीजी तथा कांग्रेसी नेताओंका मानस समझनेमें भी हमें मदद मिलती है। गांधीजीने उनसे कहा :

“मैं सर्वथा स्वाभिमानरहित बन जाऊं, दांतोंमें तिनका लिये जाऊं तब तो सहयोगका मार्ग खुला है। परंतु आजकी हालतमें सम्मानपूर्वक रहकर सरकारके साथ सहयोगका मार्ग मुझे दिखायी नहीं देता। सरकारको जिस बातकी चिढ़ है कि लोगोंमें कांग्रेसका असर बढ़ रहा है और कांग्रेस बलवान बन रही है। कांग्रेस अपने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, पंचायती न्यायालय खोले तो क्या ये कांग्रेसके दोष माने जायेंगे? और आखिरमें तो जिस सरकारको हटकर कांग्रेसको सत्ता सौंपनी ही होगी। क्या जिसमें आपको कोअी शक है? कांग्रेस यह साबित करना चाहती है कि वह आज ही वह स्थान लेनेको तैयार है। ऐसी स्थितिमें आप मुझे बतायेंगे कि कांग्रेसको क्या करना चाहिये? आप हिन्दुस्तानके कल्याणका सप्ताहमें फुरसतके अंक घंटोंमें चिन्तन करते हैं, जब कि हम चौबीसों घंटे करते हैं। हमारे जीवनमें दूसरा काम ही नहीं है।”

अक अंग्रेज मित्रने खड़े होकर पूछा : “ये आर्डिनेंस रद्द हो जायं तो आप सहयोग करेंगे?”

गांधीजीने कहा : “सहयोगका विचार करनेमें भी ये आर्डिनेंस बाधक हैं। यह बाधा हटा दी जाय और अनुकूल वातावरण मिले तो सहयोगका विचार करूं।”

प्रश्न : “आप आर्डिनेंसोंकी निन्दा कर रहे हैं, परंतु अुससे पहले अुन प्रान्तोंमें जाकर परिस्थिति देख आयें और फिर अपनी राय दें तो?”

गांधीजी : “आपको पता न होगा कि तीन तीन वार मैंने सीमा-प्रान्तमें जानेकी अिजाजत मांगी, मगर प्राप्त न कर सका। अक वार अविन साहवसे मांगी थी और दो वार विल्किन्सन साहवसे। अब भी मैं तो प्रयत्न करूंगा। आपमें से किसीकी आवाज सरकार तक पहुंच सके तो मुझे अिजाजत दिलवा दीजिये। मुझे अुलटे ढंगसे सत्याग्रह करके बेवकूफ नहीं बनना है। मुझे तो सीधे तीर पर सत्याग्रह करके सरकारको मूर्ख बनाना है। आप जैसे आर्डिनेंसोंके दावानलमें नये शासन-विधानकी रचना कराना चाहते हैं! आर्डिनेंस-राज्य हम स्वीकार करें तो हमारे लिये शर्मकी बात है। और अिंग्लैण्ड आर्डिनेंसों द्वारा राज्य करे, यह अुसके लिये भी लज्जास्पद है।”

प्रश्न : “परंतु आप हिसक प्रवृत्ति मिटानेका ही काम लेकर क्यों नहीं बैठ जाते?”

गांधीजी : "यही काम लेकर बैठा हूं। परंतु आपके तरीकेसे नहीं, अपने तरीकेसे। मेरा यह दावा है कि सत्याग्रहसे हिंसक प्रवृत्ति विलकुल नष्ट नहीं तो बहुत कम जरूर हो गयी है।"

प्रश्न : "परंतु क्या सख्त बीमारीका सख्त अिलाज नहीं होता?"

गांधीजी : "हां, होता है। परंतु लाल कमीजवालोंको दवानेके लिये गोली चलानेका अुपाय नहीं हो सकता। आप रोगनिवारणकी बात नहीं करते। रोगीके प्राण लेकर रोगका नाश करनेकी बात करते हैं। मैं सहयोगके लिये तो तड़प रहा हूं। परंतु सहयोगकी किरण है कहां? हे ओसाओ अंग्रेजो, अिन बड़े दिनोंमें अपने हृदयको टटोलिये। हमारी हलचलका अध्ययन कीजिये। हमारे लोगोसे मिलिये और देखिये कि आपके आसपास क्या हो रहा है।"

गांधीजीने वाअिसराँयको भेजे हुअे तारके साथ, संतोषजनक अुत्तर न मिलने पर देशको सविनय कानून-भंगकी लड़ाओ छेड़ देनेकी सलाह देनेवाला और लड़ाओका कार्यक्रम बतानेवाला कार्यसमितिका प्रस्ताव भेज दिया था। अुसके जवाबमें ता० २-१-'३२ को वाअिसराँयकी ओरसे तार आया। अुसमें बताया गया कि :

"अेक तरफ आप और कांग्रेस कार्यसमिति सविनय कानून-भंग फिर शुरू करनेकी धमकी दे रहे हैं और दूसरी ओर वाअिसराँयसे मुलाकातकी आशा रखते हैं। परन्तु वाअिसराँय महोदय और अुनकी सरकारकी समझमें नहीं आता कि अैसी स्थितिमें वे कोओ लाभ होनेकी आशा रखकर मुलाकातका निमंत्रण कैसे दे सकते हैं? कांग्रेसने जो कदम अुठानेका अिरादा घोषित किया है, अुसके जो भी परिणाम होंगे अुनके लिये सरकार आपको और कांग्रेसको जिम्मेदार समझेगी। और अिस कदमका सफलतापूर्वक सामना करनेके लिये सरकारको जो जरूरी कार्रवाओ करनी पड़े सो वह करेगी।"

गांधीजीने ३-१-'३२ को तार द्वारा अिसका जवाब दिया। अुसमें बताया कि :

"कांग्रेसने अपनी प्रामाणिक राय बतानी है। अुसे आप धमकी मानते हैं, यह ठीक नहीं। लंदन जानेसे पहले पिछले अगस्तमें सरकारके साथ जो समझौता हुआ था, अुसमें भी मैंने बत दिया था कि कुछ खास परिस्थितियोंमें कांग्रेसको सविनय कानून-भंगका आश्रय लेना पड़ सकता है। तब आपने समझौता तोड़ा नहीं था। अगर सरकारको यह बात पसन्द नहीं थी तो मुझे लन्दन नहीं भेजना चाहिये था। अुलटे

वाधिसराय महोदयने मुझे अपना आशीर्वाद देकर लंदन भेजा। मेरा दावा यह है कि मेरे तारका सरकारको कोअी दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिये। किसकी स्थिति सही है, यह तो समय ही बतायेगा। अिस बीच मैं सरकारको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेसकी तरफसे लड़ाकीको द्वेषभावके विना और पूर्ण अहिंसक ढंगसे चलानेके सारे प्रयत्न किये जायेंगे। कांग्रेसको और अुसके प्रतिनिधिकी हैसियतमे मुझे यह याद दिलानेकी शायद ही जरूरत थी कि अपने कृत्योंके नमस्त परिणामोंके लिये हम जिम्मेदार माने जायेंगे।”

सरकारकी तरफसे लड़ाकीकी सारी तैयारियाँ हो चुकी थीं। ता० ४-१-३२ को तड़के ही गांधीजी और सरदार वम्बडीमें पकड़ लिये गये और अुस दिन सुबह सारे भारत पर लागू होनेवाले नये आर्डिनेंस जारी कर दिये गये। जो नेता वम्बडीमें अेकत्र हुअे थे अुन्हें अपने अपने प्रान्तोंमें पहुंचते ही स्टेशन पर पकड़ लिया गया। अिन दो तीन दिनोंमें देशके हर स्थान पर प्रमुख कार्यकर्ताओंको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे जो कोअी सभाओं करते या जुलूस निकालते अुन पर लाठीसे हमला करना, घुड़-सवार दौड़ाना और गोली चलाना शुरू कर दिया गया। तमाम कांग्रेस आफिसें, आश्रम और छावनियाँ जप्त कर ली गयीं। अैसा कहा जाता है कि लाई विलिङ्गडनने तो यह आशा रखी थी कि वे देशमें छः सप्ताहके भीतर सर्वत्र शांति स्थापित कर देंगे और कांग्रेसका नामनिशान नक मिटा देंगे। लेकिन लोगोंने बदलेमें सख्त लड़ाकी करके अुनकी आशाको फलीभूत नहीं होने दिया।

पं० मालवीयजीने ता० २८-२-३२ को अेक लंबा तार लंदनके अखबारोंको अुनकी मांग पर भेजनेका प्रयत्न किया था। यद्यपि किमी न किसी वहाने यहांसे तार नहीं जाने दिया गया, परंतु अुससे अुस नमयकी देशकी स्थितिका हबहू चित्र हमें मिलता है। यह है वह तार :

“हिन्दुस्तानकी राजनैतिक स्थितिके बारेमें १५ फरवरीको पार्लियामेन्टमें सर सेम्पुअल होरके जवाबकी नकल वितरित की गयी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि परिस्थितिमें सरकारकी दृष्टिसे बहुत सुधार हो गया है! मुझे कहना चाहिये कि यह बात गलत और भ्रमोत्पादक है। सर सेम्पुअल होरने अपने अुत्तरमें स्वीकार किया है कि अिस समय वायकाट कांग्रेसकी मुख्य हलचल है। अिस बार जबसे सविनय कानून-भंगका आन्दोलन शुरू किया गया, तभीसे वहिष्कार कांग्रेसकी मुख्य हलचल रहा है और अुमके ढीले पड़नेके कोअी आसार दिखायी नहीं देते। अुलटे, अिस हलचलकी जड़ें गहरी गयीं

हैं। वह देशके कोने कोनेमें फैल गयी है और देश भरमें व्यापक बन गयी है। शहरोंमें आम तौर पर बहुतसे व्यापारियोंने विदेशी कपड़े और ब्रिटिश माल मंगाना बन्द कर दिया है। कुछ जगह अन्होंने अपना यह माल अलग निकाल कर अुस पर मुहर लगा दी है। कुछ स्थानोंमें शान्त धरनेकी मददसे और घर घर जाकर समझानेसे यह काम हो रहा है। जिस जोशसे यह काम हो रहा है अुससे अितना तो कहा जा सकता है कि लोगोंकी मनोवृत्तिमें गांधी-अर्विन समझौतेसे जैसा परिवर्तन किया जा सका था वैसा नहीं किया जायगा तो सरकार चाहे जितने आर्डिनेंस निकाले और दमनकी कितनी ही कार्रवाअियां करे तो भी ब्रिटिश वस्त्र और दूसरे मालकी बिक्री घटती ही जायगी। अिस आन्दोलनमें स्त्रियां बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लेने लगी हैं।

“दूसरी तरह भी यह आन्दोलन मजबूत होता जा रहा है। सरकारी अन्याय और अत्याचारपूर्ण आज़ाओंके विरोधका जोश अधिक तीव्र और व्यापक होता जा रहा है। असलमें तो दमनसे जोशकी आगको पोषण मिला है। पुलिस और फौजके संयुक्त अत्याचारोंके कारण आन्दोलनके प्रदर्शन बहुत नहीं हो रहे हैं, परंतु अुसका असली बल पहलेसे बहुत बढ़ गया है। जहां जहां पुलिसने विरोध किया वहीं अनधिकृत रूपमें नमक बनाना शुरू हो गया है। सारे देशमें मजिस्ट्रेटों और पुलिसवालोंके हुक्मोंको लोग खुले तौर पर तोड़ रहे हैं। मजिस्ट्रेटोंके मनाही हुक्मों और लाठियोंके हमलों तथा गोलीकांडके बावजूद सभाओं करने और जुलूस निकालनेके प्रयत्न जारी हैं। सरकारी अधिकारियोंको खूब काम मिल गया है। आर्डिनेंसोंके अंकुशसे अच्छी तरह दबे हुअे अखबारोंकी खबरोंके अनुसार भी अब तक जेलोंमें बन्द लोगोंकी संख्या ४६,५३१ तक पहुंच गयी है। देशके भीतरी भागोंमें दूर दूरके गांवों तकमें बहुतसे लोग पकड़े गये हैं, जिनकी संख्या अिसमें नहीं आती है। अब तककी गिरफ्तारियोंका कांग्रेसका अन्दाजा ६०,००० का है। सर सेम्युअल होरने खुद मंजूर किया है कि कांग्रेसकी तरफसे हिंसा होनेकी शायद ही कोअी मिसाल सामने आयी है। फिर भी आम तौर पर शान्त भीड़ों पर पिछले ३० दिनमें पहलेसे ज्यादा बार गोलियां चली हैं। लाठियोंके हमलोंकी तो कोअी गिनती ही नहीं। यह समझकर कि लोगोंको दवानेमें लाठी असफल सिद्ध हुयी है, सरकारने अब अुसका अिस्तेमाल कम कर दिया है। अब तो लाठीके

हमलों और जेलकी सजाके वजाय लोगोंको बहुत कमीने और ब्रेह्म तरीकेसे सताना और अपमानित करना जारी है। भयंकर मारपीट करके लोगोंको दवा देनेका प्रयत्न सरकारने आरंभ कर दिया है। जिसके कुछ अुदाहरण नीचे दिये जाते हैं :

“गुजरातमें दो जगह ग्रामवासियोंको शींच जाते वक्त आवदस्तके लिये पानी ले जानेसे रोक दिया गया। पुलिसने अुनके कपड़े फाड़ डाले और अुन्हें नंगा कर दिया। बम्बयी और कानपुरमें केवल अितनेसे सन्देह पर कि वे कांग्रेसके साथ सहानुभूति रखते हैं बहुतेसे प्रतिष्ठित व्यापारियों पर अैसी अपमानजनक आजाअें जारी की गयीं कि वे घरके भीतर ही रहें या अेक खास हदसे बाहर न जायें। अुन्होंने ये हुक्म माननेसे अितकार किया, तो अुन्हें बड़ी लंबी सजाअें और भारी जुर्माने कर दिये गये। जेलमें भी अुनके साथ साधारण अपराधियों जैसा ही बरताव किया जा रहा है। बिहारमें कुछ स्वयंसेवकोंको नंगा कर दिया गया और अेक आदमीकी तो मूछे अुखाड़ ली गयीं। कितनी ही म्युनिसिपैलिटियोंके मकानों परसे राष्ट्रीय झंडे अुतार लिये गये हैं। अेक पिताने अपने लड़केका जुर्माना अदा करनेसे अितकार कर दिया, तो अुसे छः मासकी सजा दे दी गयी है। कांग्रेसके साथ संबंध न रखनेवाली संस्थाओंको भी गैरकानूनी करार दे दिया गया है। केवल सन्देह पर गिरफ्तार कर लेनेका काम तो जारी ही है। दुकानदारों और होटलवालोंको पकड़कर चेतावनी दी जाती है कि वे कांग्रेसवालोंको भोजन या आश्रय न दें। कालीकटमें अेक स्त्रीको जेलकी सजा देनेके बाद मजिस्ट्रेटके हुक्मसे अुसका मंगलसूत्र निकाल लिया गया। हिन्दुओंमें सांभाग्यवती स्त्री पतिके जीते-जी कभी मंगलसूत्र नहीं निकालती। मद्रासमें वीमारोंकी मोटर (अेम्बुलेंस कार) के अेक ड्राइवरके पुलिसकी मारसे वेहोश हुअे स्वयंसेवकोंको अुठा ले जानेका प्रयत्न करने पर अुसे कोड़े लगाये गये। सारे देशमें समाचारपत्रोंकी खबरों पर सेंसर लगा दिया गया है। और सीमाप्रान्तकी तो कोअी भी खबर बाहर नहीं आने दी जाती। अखबारोंके मुंह बन्द कर दिये गये हैं और संपादकोंको ताकीद कर दी गयी है कि आन्दोलनोंसे संबंध रखनेवाले किसी भी मनुष्यका चित्र, नाम या पता न छपा जाय। सीमाप्रान्तके सुदाअी खिदमतगारों पर अमानुषिक अत्याचार किये गये हैं। मुझे यह खबर मिली है कि पेशावरके कुछ स्वयंसेवकों पर अितने निर्दय और कंपा

देनेवाले अत्याचार किये गये कि सहन न कर सकनेके कारण और कितनी ही अुत्तेजना मिलने पर भी अहिंसाकी प्रतिज्ञाका पालन करनेका निश्चय होनेके कारण अुनमें से बहुतसे पेशावर छोड़कर अन्यत्र काम करने चले गये।

“ये सब परिस्थितिमें सुधार होनेके लक्षण नहीं हैं। अिन समाचारोंसे और सरहद-प्रान्तमें गोलीकाण्डसे बहुतसे मनुष्योंके मारे जानेकी खबरसे यह साफ मालूम होता है कि परिस्थिति अितनी गंभीर हो गयी है कि अुसके वारेमें स्वतंत्र जांच होनेकी जरूरत है। सर सेम्युअल होर कहते हैं कि युक्त प्रान्तमें करवन्दीकी लड़ायी लगभग बन्द हो गयी है। यदि वास्तवमें अैसा हो तो वहां जुल्म बन्द क्यों नहीं हो जाता? अलाहाबाद जिलेमें अधिकारियोंने पुलिसकी मददसे कितने ही गांवों पर धावे किये हैं और जुल्म ढाये हैं। कितनी ही जगहों पर लगानके थोड़ेसे आनोंकी वसूलीके लिये सैकड़ों रुपयेकी संपत्ति कुर्क कर ली गयी है और अैसा करके किसानोंको सर्वथा निराधार बना दिया गया है। गांवोंके लोगोंको निर्दय ढंगसे पीटा गया है। अितना सब होने पर भी विरोध अधिकाधिक प्रबल ही होता जा रहा है। बहुतसे लोग अपने घरवार छोड़कर पेड़ोंके नीचे पड़े रहते हैं और जुलूस निकालने और सभाओं करनेका काम करते रहते हैं। अैसे स्वयंसेवकोंके जुमानेके लिये पुलिस अुनके संबन्धियोंकी संपत्ति कुर्क करती है। स्त्रियोंको लारियोंमें भरकर कितने ही मील दूर ले जाकर निर्जन स्थानोंमें छोड़ दिया जाता है। स्वयंसेवकोंको मारते मारते अघमरा करके अुनके कपड़े अुतार कर रास्ते पर फेंक दिया जाता है। दो आदमियोंको तो अेक तांगेके पीछे बांधकर कितनी ही दूर तक बेरहमीसे घसीटा गया और फिर जब अुन्होंने पीनेको पानी मांगा तो अुन्हें कोड़े लगाये गये। लोग बेहोश हो जाते हैं, अुसके बाद भी अुन्हें पीटा जाता है। अैसे अत्याचारोंके शिकार हुअे मनुष्योंको सेवाके लिये भरनी करनेवाले अस्पताल बन्द कर दिये जाते हैं और वहांके वीमारोंको निकाल दिया जाता है। कितनी ही शिक्षा-संस्थाओं गैर-कानूनी घोषित कर दी गयी हैं। छोटे-छोटे बच्चोंको भी कोड़े लगाये जाते हैं। कुछ आदमियोंको तो अुनके घरोंमें ही बन्द रखा जाता है। अेक अस्सी बरसकी वृद्धियाको जेलकी सजा दी गयी है। अलाहाबाद स्वदेशी लीगकी जायदाद जवरदस्ती ले जायी गयी है। गांधीजी और सरदार पटेलको दिखानेवाली फिल्म पर पाबन्दी लगा दी गयी है।

चरखा-संघके बहुतसे कार्यालय और खादीभंडार जप्त कर लिये गये हैं। अके खादीभंडारका व्यवस्थापक राष्ट्रीय झंडे बेच रहा था। इसी पर उसे पकड़ लिया गया। अके वारह वर्षके लड़केसे जमानत मांगी गयी और वह न दी गयी इसलिये उसे अके सालकी सजा दे दी गयी। अके मजदूर-संघके अध्यक्षको उसके घरमें जाकर लाठियोंसे पीटा गया। कांग्रेसकी हड़तालमें भाग लेने पर अके विद्यार्थीको कालेजसे निकाल दिया गया। उसके प्रति महानुभूति दिखानेके लिये कलकत्तेके वेथ्यून कालेजकी साठ छात्राओं अके दिन कालेजमें गैर-हाजिर रहीं। इस कारण उन्हें भी कालेजमें निकाल दिया गया। अलाहाबादमें स्कूलोंके हेडमास्टरोंके नाम जिला मजिस्ट्रेटने जैसे हुकम जारी किये हैं कि लड़कोंको कांग्रेसकी मभाओं और जुलूसोंमें भाग लेनेसे रोकनेके लिये उन पर जासूसी की जाय। अतना होने पर भी आन्दोलनमें शरीक होनेवाले विद्यार्थियोंकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। थोड़े समय बाद स्कूल-कालेजोंकी लंबी छुट्टियां होंगी तब ये लोग बड़ी संख्यामें आन्दोलनमें शामिल होंगे। कानपुर, अलाहाबाद और कलकत्तेके व्यापारियोंके नाम मजिस्ट्रेटने जैसे हुकम जारी किये हैं कि कांग्रेसकी हड़तालके दिनोंमें वे अपनी दुकानें बन्द न रखें। अिन हुकमोंकी अवज्ञा हुयी और हड़ताल पहलेसे अधिक सख्त हुयी। सभी दुकानदारोंने अका करके संयुक्त कदम अुठाया, जिसके आगे मजिस्ट्रेट भी लाचार हो गये। जैसे समाचार बाहर आये हैं कि जेलमें कांग्रेसवालोंके साथ अपराधी कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता है। लोगोंकी निजी संपत्ति और सार्वजनिक संस्थाओंकी संपत्ति भी जप्त करनेके कितने ही अुदाहरण सामने आये हैं। कांग्रेसके काममें असका अुपयोग होनेका मन्देह-मात्र होनेसे अस जायदादका कुछ भी अुपयोग न करनेकी आजाअें निकाली गयी हैं।

“अिस समय होनेवाले जुलूमोंकी पूरी कल्पना करा सकना असंभव है। परंतु जेल जानेवालोंकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जेल राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंमें भरने लगे हैं। आन्दोलनके जो थोड़ेमें समाचार अखबारोंमें आते हैं उनसे भी मालूम होता है कि लोगों पर ज्यों ज्यों ज्यादा सख्ती और ज्यादा जुलूम किया जाता है त्यों त्यों वे दबनेके बजाय अधिक मजबूत बनते जा रहे हैं। अनका विरोधका जोश अतना बढ़ रहा है कि वे अधिकाधिक संख्यामें आन्दोलनमें शरीक हो रहे हैं। सारे देशमें तीव्र असंतोष फैल गया है। जो कांग्रेसमें नहीं

हैं और जो कभी राजनीतिसे कोअी संबंध नहीं रखते थे, वे भी अिस आन्दोलनके साथ सहानुभूति रखने और अुसे भरसक सहायता देने लगे हैं। व्यापार-बंधा चौपट हो गया है। सरकारकी कोअी प्रतिष्ठा नहीं रह गयी है। अुसकी आर्थिक स्थिति दिवालिये जैसी हो गयी है। सरकारकी वर्तमान नीतिके अिस प्रयोगसे साबित हो गया है कि वह लोगोंकी अपने देशको आजाद करनेकी तमन्नाको दवा देनेमें सर्वथा असफल सिद्ध हुयी है। केवल मानवता और न्यायके खातिर ही नहीं, परंतु अिंग्लैण्ड और हिन्दुस्तानके बीच अच्छे व्यापारिक संबंध कायम रखनेमें जो स्वार्थ है अुसके खातिर भी पार्लियामेन्टको आग्रह करना चाहिये कि यह नीति तुरंत छोड़ दी जाय और अिस नीतिसे हिन्दुस्तानका जो नुकसान हुआ है अुसे भरसक दूर करनेका प्रयत्न किया जाय। सरकारको अब हिन्दुस्तानके श्रद्धेय प्रतिनिधियोंके साथ जल्दीसे जल्दी पूर्ण स्वराज्य और सच्ची समानताके आधार पर समझौते और सहयोगकी नीति अपनानी चाहिये।”

९

यरवडा जेलमें गांधीजीके साथ

सरदारको गांधीजीके साथ यरवडा जेलमें रहनेका मौका मिला, यह अुनके जीवनमें अेक बड़े महत्त्वकी घटना मानी जायगी। यों तो वे गांधीजीसे अकसर मिलते थे और अपने तमाम काम अुनकी सलाह व सूचना लेकर ही करते थे। परंतु अिस प्रकार मिलते रहना और सलाह लेना अेक बात है और चौबीसों घंटे साथ रहना, अुठना, बैठना, खाना, सोना दूसरी बात है। ता० ४-१-३२ से मअी १९३३ तक वे पूरे सोलह महीने गांधीजीके साथ यरवडा जेलमें रहे। गांधीजीके छूटनेके वाद अुन्हें तीनेक महीने यरवडामें रखकर नासिक जेलमें भेज दिया गया। अिन सोलह महीनोंमें से, ता० १०-३-३२ के दिन महादेवभाजीको यरवडा जेलमें ले जाया गया तब तक, सवा दो महीने तो गांधीजी और सरदार दोनों अकेले ही यरवडा जेलमें थे। सन् १९३० में सावरमती जेलके फाटकमें घुसते ही अुन्होंने सिगरेट सदाके लिये छोड़ दी थी। यरवडामें गांधीजीके साथ रहे तब तक अुन्होंने चाय छोड़ दी। सरदारको दोनों वक्त चावल खानेकी आदत थी और अूंकी जातिके चावल अुन्हें बहुत अच्छे लगते थे। वारडोलीमें होनेवाले कड़ा नामक मोटे चावल

वे अकसर आनंदसे खाते थे, परंतु यहां तो वे चावलके बरारेमें यों मजाक किये बिना न रहते कि कीलें खा रहे हैं। गवारकी फलीका साग बनाया होता, तब वैलोंको गवार बुवाल कर खिलानेकी बात याद दिलाकर कहते कि यह तो वैलोंका खाना बनाया गया है। गांधीजीके साथ शुरूमें चावल खाना भी अन्होंने छोड़ दिया था।

अेक बार श्री श्रीनिवास शास्त्रीने गांधीजीको लिखा था कि आप जेलमें अकेले अकेले रहे हैं, असलिअे अुदास हो गये हैं। तब गांधीजीने अुत्तरमें लिखा कि मैं कितना ही अकेला रहूं तो भी अुदास होनेवाला नहीं हूं, और यहां तो अकेला नहीं हूं। मेरे साथ सरदार वल्लभभाजी हैं। वे अपनी बिनोदपूर्ण बातोंसे दिनमें कितनी ही बार मुझे पेट पकड़ कर हंसाते हैं। महादेवभाजीने अपनी डायरीमें सरदारके अनेक प्रसंग दर्ज किये हैं। अुनमें हमें सरदारकी बिनोद-वृत्तिके अलावा अुनके व्यक्तित्वके विविध पहलू भी देखनेको मिलते हैं। असलिअे अुनमें से कुछ प्रसंग यहां दिये जाते हैं:

ता० ११-३-३२: महादेवभाजीको चाय पीनेकी आदत थी असलिअे अुन्होंने तो दूसरे दिन सवेरे चाय पीना मंजूर कर लिया था। परंतु सरदारको चाय पीते न देखकर अुनसे पूछा: "क्यों आपने चाय पीना बन्द कर दिया है?" सरदारने जो अुत्तर दिया, वह अुनके स्वभावका अुत्तक है। "यहां वापूके साथ आकर अब क्या चाय पियें? मैंने तो जो वे खायें सो खानेका निश्चय कर लिया है। चावल छोड़ दिये हैं, साग अुबला हुआ खाता हूं और दो बार दूध रोटी लेता हूं। वापू भी रोटी खाते हैं।" सरदारका यह निश्चय अुनकर महादेवभाजीने भी चाय पीना बन्द कर दिया।

महादेवभाजी लिखते हैं: "वापूके लिअे सोडा बनाना, खजूर साफ करना, दातुन कुचलना आदि सब कामोंका जिम्मा वल्लभभाजीने अपने अूपर ही ले लिया है। हंसते हंसते कहने लगे, 'मुझे क्या पता था कि यहां वापूके साथ रखनेवाले हैं? पता होता तो काकासे * पूछ लेता कि वापूका क्या क्या काम करना पड़ता है। वापू तो कुछ कहते नहीं, असलिअे पता नहीं चलता। कपड़े तो धोनेके लिअे वापू रहने ही नहीं देते। नहानेके कमरेसे धोकर ही निकलते हैं, तब क्या किया जाय?'"

* श्री काकासाहब १९३० में वापूके साथ यरवडा जेलमें रहे थे, अुस परसे।

महादेवभाभी लिखते हैं: "जिस प्रेमसे वे वापूके लिये फल काटते हैं और दातुन कुचलना भूल गये हों तो याद आते ही दातुन लेने दौड़ते हैं, वह सब अनुकी भक्ति सूचित करता है और यह भक्ति सीखनेके लिये अनुके पैरोंमें बैठनेकी प्रेरणा देता है।"

ता० १३-३-३२: खाना खानेके बाद वल्लभभाभी सदाकी भांति दातुन कुचलकर तैयार करने बैठे। फिर बोले: "गिनतीके तो दांत रह गये हैं। फिर भी वापू घिस घिस करते हैं। पोला हो तो ठीक मगर वे तो ठोस मूसल वजानेकी कोशिश करते हैं।"

मैंने कहा: "सन् ३० में तो हमारा ठोस मूसल भी खूब वजा था। (अर्थात् असंभव-सा दिखायी देनेवाला आन्दोलन भी काफी सफल हुआ था।)"

वापूने स्वीकृति सूचक स्मित किया। वल्लभभाभी बोले, "अिस वार भी ऐसा ही है। परंतु करें क्या? (ब्रिटिश सरकारका) कारवां आगे बढ़ता जा रहा है!"

*

*

*

वापू सब चीजोंमें सोडा डालनेको कहते हैं। अिसलिये वल्लभभाभीके लिये यह अेक बड़ा विनोदका विषय बन गया है। कोअी भी कठिनायी हुअी कि कहते हैं, "डाल दो सोडा!"

ता० १६-३-३२: मैंने कहा: "भिड़े शास्त्री गीताके समत्वका यह अर्थ करते हैं कि हम दुष्टको मारें और सदाचारीको पूजें, यह समत्व है। क्योंकि दुष्टको मारनेमें दया और न्यायवृद्धि है। हमारी वृत्ति कैसी है, अिस पर सारा आधार है।"

वापू कहने लगे: "तुम्हें मालूम है कि स्टोक्स भी ऐसा ही मानते हैं? परंतु मैं कहता हूं कि अिस प्रकार दयासे मारा ही नहीं जा सकता।"

वल्लभभाभी हंसते हंसते बोले, "बछड़ेको दयासे मारा जा सकता है, तो दुष्टोंको क्यों नहीं?"

वापूने यह बात तो हंसीमें टाल दी, परंतु जब वल्लभभाभीने यह सवाल अुठायी कि "किसीकी मरनेकी अिच्छा भी होती होगी?" तब वापूने कहा, "जरूर हो सकती है। आत्महत्या करनेवाले क्या अिच्छाके विना आत्महत्या करते हैं?"

*

*

*

ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी बात चली। वल्लभभाभी बोले, 'सब चोर हैं। नहीं तो होर अिस तरह पार्लियामेण्टमें बोल सकता है?'

वापूने कहा : "चोर नहीं हैं। विलायतमें मैंने देखा कि चोर होनेकी जरूरत नहीं है। मरे और लोवे डिकिन्सन जैसे अीमानदारीसे दलील देते थे कि आपसे राज क्या चलेगा? अिसी तरह और लोग भी प्रामाणिकतासे मानते होंगे। हमारे पास सत्ता हो तो हम किन तरह काम करेंगे?"

वल्लभभाभी बोले : "हम भी अैसा ही करेंगे। परंतु अिमसे क्या हमारा दुष्ट कहलाना वन्द हो जायगा?"

वापू बोले : "नहीं, परंतु अुस समय हमें कोबी दुष्ट कहे तो अिसमें शक नहीं कि हमें बुरा लगेगा। अिसलिये अिन लोगोंको दुष्ट माननेकी आवश्यकता नहीं।"

ता० २४-३-३२ : अेक पुस्तककी विषयमूची देखकर वापू कहने लगे, "यह ब्रिटिश वाअिवल क्या बला है?"

वल्लभभाभीने पूछा, "ब्रिटिश वाअिवल यानी?"

वापू बोले : "यानी ब्रिटिश लोग वाअिवल किसे मानते हैं?"

अिस पर तुरंत ही वल्लभभाभीने अुत्तर दिया, "पाँड, शिलिंग और पेंसको।" पुस्तकमें सचमुच यही लिखा था कि पाँड, शिलिंग, पेंस ही ब्रिटिश वाअिवल है। वल्लभभाभी बोले, "देखिये, अैसी अैसी बातें मुझे आती हैं!"

*

*

*

यहां अखवार पढ़नेका ठेका वल्लभभाभीका है। पढ़ते समय अुनके बहुतसे अुच्चारणोंमें भूल होती है। अिसकी अुन्हें तनिक भी परवाह नहीं। खास तौर पर मद्रासकी तरफके नामोंके अुच्चारण तो अुनकी जवान पर किसी प्रकार चढ़ते ही नहीं। आरोग्यस्वामी मुदालियरको अंग्रेजी हिज्जेके अनुसार वे 'आराकिया' बोलते और मुझे हंसी आती। तब चिढ़कर कहते, "तुम्हें हंसी आ रही है, परंतु अिसमें जो लिखा है वही मैंने पढ़ा।"

वापू बोले, "परंतु वल्लभभाभी, तामिलमें 'क' और 'ग' में फर्क नहीं है।"

अिस पर वल्लभभाभी कहने लगे, “परंतु अंग्रेजीमें तो ‘जी’ है? वह क्यों नहीं लिखते?”

अेक अखवारमें Gandhi's Constructive Vacuities (गांधीकी रचनात्मक गफलतें) शब्द आये थे । मैंने वापूसे पूछा, “रचनात्मक गफलत कैसी होती है?”

वल्लभभाभी बोले, “आज तुम्हारी दाल जल गयी थी वैसी।”

वापू खिलखिलाकर हंसे । नया कुकर आया था । वल्लभभाभी अच्छी दालके बिना तीन महीनेसे काम चला रहे थे । अनुकी भाषामें तीन महीनेसे परहेज चल रहा था और आज वे अच्छी दालकी आशा रखते थे । सो पहले ही दिन पानी थोड़ा और आग ज्यादा होनेके कारण दाल जल गयी थी !

ता० ६-४-'३२ : दिल्लीमें कांग्रेसका अधिवेशन करनेके वारेमें सरदार चिन्तित थे । सरदार बोले : “व्यर्थ लोगोंके मन डांवाडोल होंगे । अधिवेशन होगा तब अनेक करनेके काम छोड़ बैठेंगे । ढीले आदमी तो कुछ न कुछ तर्क-वितर्क करने लग जायेंगे और प्रचार करेंगे कि मालवीयजी कांग्रेसका अधिवेशन कर रहे हैं अतः अिसमें कुछ न कुछ होगा । कुछ लोग व्यर्थ ही दिल्ली जाने तक सब बातें स्थगित कर देंगे । अिसमें मुझे लाभ नहीं परंतु हानि दिखायी देती है ।”

वापू कहने लगे “हानि तो हरगिज नहीं । यह विचार सुन्दर है कि जो कांग्रेस ४७ वर्षसे वन्द नहीं हुयी, अुसे वन्द न होने दिया जाय, कांग्रेस जरूर हो । अिस कल्पनामें ही कुछ है । वैसे अुसमें होगा कुछ भी नहीं । अुसे भरनेमें कुछ लोग पकड़े जायं, मालवीयजी पकड़े जायं तो अच्छी बात है।”

वल्लभभाभी : “परंतु मालवीयजी ठहरे । वे २४ अप्रैलको वदलकर अेक महीना आगे भी वढा सकते हैं ! वैसे अिसमें वे पकड़े जायं तो अच्छा जरूर है ।

ता० १८-४-'३२ : वापूने वायें हाथसे कातनेका प्रयोग शुरू किया था । अिसे देखकर वल्लभभाभी कहने लगे : “अिससे कुछ फायदा नहीं होगा । पकाये हुअे घड़े पर किनारे नहीं चढ़ सकते । हमारा पुराना जो तरीका चल रहा था अुसे चलने दीजिये ।”

वापू बोले : “अससे कोअी अिनकार नहीं कर सकता कि कलसे आज प्रगति अच्छी हुअी है।”

वल्लभभाअीने कहा : “आश्रममें किसीको मालूम हो जायगा तो वह वायें हाथसे कातना शुरू कर देगा और यह पंथ चल पड़ेगा।”

वापू : “मालूम तो होगा ही। अस वार लिखूंगा।”

वल्लभभाअी जरा गंभीर होकर, “अससे तो वच्चोंको ही दोनों हाथसे चरखा चलाना सिखाया जाय तो अच्छा।”

वापू कहने लगे : “ठीक बात है। जापानमें तो वच्चोंको दोनों हाथोंसे काम लेना सिखाया ही जाता है।”

ता० २३-४-३२ : हमारे यहां अखवार पढ़नेका काम वल्लभ-भाअीका है। मैं धुनकर कातनेके लिये वरामदेमें आता तब तक वल्लभ-भाअी अखवारोंको दुवारा पढ़ते होते। मैं पूछता : “संक्षेपमें समाचार क्या है?” अुनके पास जवाव तैयार रहता : ‘मुस्लिम परिपदमें खेड़ाके कलेक्टर। सेम्युअल होर टेनिस खेल रहे हैं।’ तो दूसरे दिन खबर होती : “मि० अेस० का विवाह हुआ। सरोजिनीदेवी पकड़ी गयीं। मालवीयजी मोटरमें दिल्लीके लिये रवाना हो गये।”

ता० २९-४-३२ : आज वापू तारीख भूल गये। मैं भी भूल गया और मैंने कहा, “आज अट्टाअिस है।”

वल्लभभाअी बोले : “यह भी भूल जाते हो कि तुम्हारे ग्रह कलसे बदले हैं! आज तो अुनतीस हो गयी।”

अिस पर वापू कहने लगे : “हां, देखो तो मैं भी कैसा मूर्ख हूं! और ग्रह बदल गये हैं, अिसका प्रमाण देनेके लिये ही मानो आज होरका पत्र आया है।”

“सब नंगे हैं”, वल्लभभाअीने फैसला दे दिया। “धीरे धीरे आप मानेंगे। अुस कलकत्तेवाले वेन्थलको भी आप तो अच्छा ही मानते थे। वादमें कैसा निकला?”

वापू : “मुझे अपनी राय बदलना आवश्यक नहीं लगा। वेन्थलके बारेमें जो हाल मालूम हुआ था वह गलत था। होरके बारेमें मैंने जो राय दी वह विलकुल सही निकलती जा रही है। संकीके विषयमें मैंने सबके विरुद्ध होकर जो मत दिया था वह भी ठीक ही सावित हो रहा है।”

मैंने कहा : “होरके विषयमें वल्लभभाभी भी स्वीकार करते हैं कि यह आदमी जो विनय दिखा रहा है वह मैकडोनाल्ड तो हरगिज नहीं दिखा सकता। विरलिंगडनने तो नहीं ही दिखाया।”

बापू बोले : “कदाचित् अर्विन भी न दिखाये।”

मैंने कहा : “अर्विनने मगनलालभाभीके गुजर जाने पर जो पत्र लिखा था वह कभी भुलाया ही नहीं जा सकता।”

वल्लभभाभी बोले : “महादेव, बापू लड़ाभी छोड़ दें तो सभी जैसे पत्र लिखने लगें। जिस तरह केश रख लें तो सिक्ख अन्हें नानककी गद्दी पर विठा दें !”

ता० १-५-३२ : लॉर्ड सैकीका ‘न्यूज़ लेटर’ अखबारमें छपा हुआ लेख आज पूरा यहांके अखबारोंमें देखा। अुससे बापू बड़े दुःखी हुअे। अुसमें अपने विषयका भाग पढ़कर बापू बोले, “अुलटा-सीधा लेख है। अुसे पत्र लिखना चाहिये। मेरा मत अुसके विषयमें सही सिद्ध हो रहा है।”

पत्र लिखवाया। वल्लभभाभी सुन रहे थे। पूरा होने पर बोले : “अितना लिख रहे हैं, अिसके वजाय अुसे लिखिये कि तुम सरासर झूठे हो।”

बापू खिलखिलाकर हंसे। अुन्होंने कहा : “नहीं, अिससे ज्यादा सख्त मैंने कह दिया है। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारा बरताव सज्जनोंको शोभा देने लायक नहीं है। अिससे भी आगे बढ़कर मैं कहता हूं कि तुम द्रोही हो। तुमने मित्र या साथीको दगा दिया। अंग्रेजको यह चीज बहुत कड़ी लगने जैसी है। परंतु मुझे अैसा लगता है, अिसलिअे मैंने लिख दिया है।”

ता० ३-५-३२ : मालवीयजीके छूट जानेके समाचार आये। वल्लभभाभीने कल और आज मिलाकर चार पांच बार मुझसे और चार पांच बार बापूसे कहा होगा, “मालवीयजी तो छूट गये।” अैसी कोअी खबर आती है तब अुस पर विचार करनेका वल्लभभाभीका यही ढंग है। आज दिन भर वे अिस पर विचार करते रहे होंगे। सोते समय भी कहने लगे, “तो मालवीयजीको आठ ही रोजमें छोड़ दिया।”

ता० ६-५-३२ : आज बापूने मगन चरखे पर दो-अेक घंटे मेहनत की और अाखिरमें चौबीस तार निकाले तब अुन्हें शान्ति

हुआ। वल्लभभायी दिन भर हंसते रहे और कहते रहे, “जितना कातेंगे उससे ज्यादा विगाड़ेंगे।”

वापू बोले : “मेरे बायें हाथसे कातने पर भी तो हंसनेवाले आप ही थे? देखिये, यह तार निकलने लगा। आप जब तक अधर नहीं देखेंगे, तब तक तार निकलते ही रहेंगे।”

ता० ८-५-३२ : अंक पुस्तककी जिल्द खुलड़ गयी थी। वापूने वल्लभभायीसे कहा : “क्यों, यह आपको साँप दूँ? आपने कभी जिल्दसाजका काम किया है? न किया हो तो मैं सिखा दूंगा।” फिर आज सुबह चक्कर काटते हुअे कहने लगे : “वल्लभभायी, आपको छोटे छोटे काम करनेका शौक बचपनसे ही है या यहां आकर पैदा हुआ? अर्थात् आप कारीगर थे ही या यहां आकर बने?”

वल्लभभायी : “अैसी कोअी बात नहीं, परंतु जरूरत पड़ने पर सब सूझ जाता है।”

वापू बोले : “यह चीज जन्मजात ही होती है। दासबाबू सुअीमें डोरा भी नहीं पारो सकते थे। मोतीलालजी कअी तरहके काम कर लेते थे।”

मैने कहा : “मोतीलालजीने पानीको जन्तुरहित करनेकी मशीन अपने घरमें खुद ही बनाअी थी। और वे सब बीमारोंको जन्तुरहित पानी ही पिलाते थे।”

आज वल्लभभायीने पुस्तककी अच्छी सिलाअी की और उसके पीछे पट्टी भी लगा दी। अिसके सिवा वादाम पीसनेकी जो मशीन आअी थी, उस पर वादाम पीसे।

ता० १०-५-३२ : कल मगन चरखा चलाते चलाते उस पर दाहिना हाथ बैठ गया, अिसलिअे वापू अुत्साहमें आ गये थे। परंतु आज चरखा किसी भी तरह नहीं चल रहा था। वल्लभभायीको सुबहसे कह रखा था कि, “आपका शाप नहीं लगेगा तो चलेगा।” ती दस बजे तक चलाया, परंतु पूनियां विगड़नेके सिवा कोअी परिणाम नहीं निकला। वल्लभभायी कहने लगे, “अेक कुकड़ी अुतार कर दूसरी भरी क्या?”

दोपहरको भी अिसी तरह चरखेके चमरखे कसे, तेल दिया, सब अुपाय किये। मैने भी थोड़ी देर सिर खपाया, परंतु चला ही नहीं। वल्लभभायी सोकर अुठते ही कहने लगे, “बहुत कात लिया, अब वन्द कीजिये।”

वापू बोले : “कातूंगा, कातूंगा । हमारा कारवां रुक नहीं जायगा । आखिर तो मैं सेम्युअल होरके साथ बैठनेवाला ठहरा ! ”

वल्लभभाभी : “नीचे बहुतसा काता हुआ पड़ा दिखायी दे रहा है ! ”

शामको तो वल्लभभाभीकी वृत्ति भी मजाक जारी रखनेकी नहीं रह गयी थी । वापूने वायें हाथसे कातना शुरू किया । लगभग पांच घंटे मेहनत की होगी । जिससे शामको थककर चूर हो गये थे । नतीजा यह हुआ कि आठ बजेके पहले पैर दबवाते हुअे अूंधने लगे और अुठकर तुरंत सो गये । जाते जाते वल्लभभाभीसे कहा : “देखना, कल चरखा जरूर चलेगा; श्रद्धा बड़ी चीज है । ”

वल्लभभाभी : “जिसमें भी श्रद्धा ! ”

वापूने कहा : “हां, हां, श्रद्धा तो है ही । ”

ता० ११-५-३२ : आज वापू चरखे पर अधिक सफल हुअे । तीन घंटे कातकर १३१ तार निकाले । वल्लभभाभीसे बोले : “देखिये, आज कैसा परिणाम आया है ? ”

वल्लभभाभी : “हां, नीचे काफी ‘सूतरफेणी’* पड़ी है । ”

वापू : “परंतु यह ‘सूतरफेणी’ बंद हो जानेके बाद तो कहेंगे कि अब ठीक हो गया ? ”

ता० २५-५-३२ : वल्लभभाभीको लिफाफे बनाते, अनेक वस्तुअें वटोर कर रखते और दूसरी कअी बातें करते देखकर वापूने कहा : “स्वराज्यमें आपको कौनसा महकमा दिया जाय ? ”

वल्लभभाभी बोले : “स्वराज्यमें मैं लूंगा चिमटा और तूंची ! ”

वापू कहने लगे : “दास और मोतीलालजी अपने पदोंका हिसाब लगाते थे, और मुहम्मदअली व शौकतअलीने अपनेको शिक्षामंत्री और प्रधान सेनापतिके तौर पर मान लिया था । आबरू बची आबरू, जो स्वराज्य नहीं आया और कोअी कुछ न हुआ । ”

ता० २७-५-३२ : कल वापूको अुर्दू कापी लिखते देखकर सरदार कहने लगे : “जिसमें जी रह जायगा तो अुर्दू मुनशीका अवतार लेना पड़ेगा । ” फिर बोले : “आपका बस चले तो आप पैरोसे भी कलम चलायें । ”

वापूने कहा : “हाय काम न दें तो अैसा भी करना पड़े । आपको पता है कि घूमलीके पास मूळूमाणेक और जोधामाणेक

* अेक गुजराती मिठाअी । यहां टूटा हुआ सूत ।

अंग्रेजोंके विरुद्ध लड़ते लड़ते गिर पड़े, तब अन्होंने पैरोसे बन्दूक चलायी थी? अगर पैरोसे गोली चल गयी तो पैरोसे कलम नहीं चलेगी? और चरखा नहीं चल सकता? हां, पैरोसे पूनी नहीं खींची जा सकती, यह दुःखकी बात है।”

ता० २९-५-३२: सरदारका कुछ बातोंका अज्ञान विस्मय उत्पन्न करता है। मुझे पूछने लगे कि विवेकानंद कौन थे? और कहाँके थे? जब यह मालूम हुआ कि वे बंगालके थे तब आज जरा ज्यादा स्पष्टीकरण किया कि “रामकृष्ण और वे दोनों बंगालमें पैदा हुए थे?” ‘लीडर’ की अेक टिप्पणीमें सुभाषका पत्र आया था। अुसमें अन्होंने अपने आदर्शके रूपमें विवेकानंदको बताया था, अिसलिये सरदारने अितना कुतूहल दिखाया होगा। अब तो रोमां रोलांकी ‘रामकृष्ण परमहंस’ और ‘विवेकानंद’ दोनों पुस्तकें पढ़ लेंगे।

*

*

*

‘संग्रह किया हुआ सांप भी कामका’ यह कहावत कैसे चली? वापूने अेक बात कही कि अेक वुद्धियाके यहां सांप निकला। अुसे मार दिया गया। फेंक देनेके वजाय वुद्धियाने अुसे छप्पर पर रख दिया। अेक अुड़ती हुई चीलने जो कहींसे मोतियोंका हार ले आयी थी अुसे देखा। अुसे हारसे सांप ज्यादा कीमती मालूम हुआ। अिसलिये हार तो अुसने छप्पर पर डाल दिया और सांपको अुठा ले गयी। अिस तरह वुद्धियाको सांपका संग्रह करनेसे हार मिला।

सरदारने कहावतका मूल अिस प्रकार बताया: “अेक बनियेके यहां साप निकला। अुसे मारनेवाला कोअी मिलता न था और बनियेकी हिम्मत नहीं होती थी। अिसलिये अुसने सांपको पतेलीके नीचे ढांक दिया। रातको आये चोर। वे कुतूहलसे पतेली अुघाड़ने लगे तो सांपने काट लिया और चोरी करनेके वजाय स्वर्ग सिंघार गये।”

हमने निश्चय किया कि नरसिंहरावको पूछना चाहिये। खास तौर पर अिस वारके ‘वसंत’ में ‘अेक पत्थरसे दो चिड़ियां मारने’ की कहावत पर बहुत ज्यादा पन्ने भरे गये हैं, अिससे प्रेरित होकर यह विचार आया।

ता० ३०-५-३२: अेक अमरीकी महिलाने पत्र लिखकर वापूसे पूछवाया था: किसी सर हेनरी लॉरेन्सने १९२२ में वापूसे जेलमें मुलाकात की थी, अिसका वर्णन अिस प्रकार किया था: “मैं गांधीजीसे पूनामें मिला था। अुन्हें अेकान्त कमरेमें रखा गया था

जिसके सामने वगीचा था। गिवनकी 'रोमन साम्राज्यका अस्त और नाश' पुस्तक वे पढ़ रहे थे और कात रहे थे।" यह बात कितनी सच है? जिस वारेमें वापूने अक पत्र लिखवाया।

मैने कहा : "असका असर तो यह पड़ेगा कि आप अस आदमीकी सचाभी पर सन्देह करते हैं।"

वापू बोले : "तो बदल दो, क्योंकि हम असी शंका नहीं करते।"

फिर वल्लभभाभी कहने लगे : "यह आदमी वहां प्रचार कर रहा होगा। अस महिलाको लिखिये कि यहां तो कोअी वगीचा नहीं है, कैदी है। मै अमुक वर्षमें यहां था तब अमुक पुस्तकें पढ़ रहा था और कात रहा था; और स्मृति मन्द हो जानेका डर तो सर हेनरीको हो सकता है, क्योंकि अुनकी अुम्र मुझसे वड़ी है।"

मैने कहा : "असा जवाब तो वर्नार्ड शॉ दे सकता है।" मेरा हेतु यह था कि अस जवाबमें कुशलताकी छाप न पड़नी चाहिये। वल्लभभाभी गरम हो गये। वापूने दूसरा पत्र लिखवाया।

*

*

*

आज 'हिन्दू' में रायटरकी हवाअी डाकका समाचार था : "अक अंग्रेज महिला लंदनके लोगोंको समझा रही है कि गांधी अब अक डूबता सितारा है। लॉर्ड विलिंगडनकी नीति सही सावित हुअी है। गांधीके अनुयायियोंका भ्रम मिट गया है। जेलोंको देखा। बाहरके देशी लोगोंके जीवनस्तरसे जेलोंका जीवनस्तर बहुत अूंचा है। लेडी विलिंगडन अत्यंत लोकप्रिय हैं और राजालोग भी।" यह खबर 'टाइम्स' ने नहीं दी थी। वापू बोले, "'टाइम्स' को छापनेमें शर्म आअी होगी।"

वल्लभभाभी : "शर्म तो क्या आती? वह असमें शरीक होगा।"

वापू बोले : "वह असमें शरीक हो तो भी यह अितनी खुली चीज है कि यहां असी बातें छापते शर्म आ सकती है। यह तो कोअी विलिंगडन साहबकी खड़ी की हुअी महिला है।"

ता० ३१-५-३२ : आजकी डाकमें अक आदमीने नादानी और मूर्खता भरा प्रश्न पूछा : "हम अपना तीन मनका शरीर लेकर धरती पर चलते हैं तो अनेक चींटियां कुचल जाती हैं। यह हिंसा कैसे रोकी जाय?"

वल्लभभाभीने तुरंत कहा : "अुसे लिख दो कि पैर सिर पर रखकर चले।"

ता० ५-६-३२ : वापूको देखनेके लिये आया हुआ डॉक्टर बोला : “लॉर्ड रीडिंगका अनुमान है कि हम रोज सोल्ह लाख रुपया भिखारियोंको खिलाने और दान देनेमें खर्च करते हैं। क्या अुसका दूसरा अुपयोग नहीं हो सकता ?”

वल्लभभाभी : “हां, परंतु अिससे भी ज्यादा डाकुओं पर खर्च करते हैं।”

डॉक्टर : “मैं समझा नहीं।”

वल्लभभाभी बोले : “अजी साहब, विलायतसे ये सब डाकू ही तो आये हुअे हैं? ये क्या डाकुओंसे अच्छे कहे जायंगे ?”

ता० ११-६-३२ : वापूके हाथका दर्द बढ़ता जा रहा था, तो भी वे कातना नहीं छोड़ते थे। वल्लभभाभी : “दर्द अंगूठे परसे कोहनी तक पहुंच गया। कोहनीसे कंधे पर चढ़ेगा। अब रहने भी दीजिये, बहुत कात लिया।”

वापू : “किसी न किसी दिन तो किसीके कंधे पर चढ़ना ही पड़ेगा न ?”

वल्लभभाभी : “नहीं जी, अैसा नहीं हो सकता। देशको अघवीचमें छोड़कर आप नहीं जा सकते। अेक वार नाव किनारे लगा दीजिये, फिर जहां जाना हो वहां चले जाअिये। मैं आपके साथ चलूंगा।”

ता० १४-६-३२ : गरमीमें नीवू महंगे हो गये अिसलिये वापूने वल्लभभाभीको सुझाया : “हम नीवूके वजाय अिमली लें। अिमलीके पेड़ तो जेलमें बहुत हैं।”

वल्लभभाभीने अिस बातको हंसीमें अुड़ा दिया : “अिमलीके पानीसे हड्डियां टूटती हैं, वायु होता है।”

वापूने पूछा : “लेकिन जमनालालजी तो पीते हैं ?”

वल्लभभाभी : “जमनालालजीकी हड्डियों तक अिमलीको घुसनेका मार्ग नहीं।”

वापू : “परंतु अेक वार मैंने अिमली बहुत खाअी है।”

वल्लभभाभी : “अुस समय आप पत्थर भी हजम कर सकते थे। आज यह कैसे हो सकता है ?”

*

*

*

वल्लभभाभी अब लिफाफे बनानेमें प्रवीण होते जा रहे हैं। हर रोज कुछ न कुछ नअी युक्ति मूझती है और कागजके अेक अेक

टुकड़े पर अनुकी नजर रहती है। वापू बोले : “बेकार कागजों पर आपका चित्त अतना ही लगा रहता है जितना उस विल्लीका चूहे पर लगा रहता है।”

ता० २३-६-’३२ : अक प्रसिद्ध स्त्रीने विधवा होनेके बाद अक प्रसिद्ध सज्जनसे शादी की। मँने यों ही पूछा : “अिन सज्जनके मरनेके बाद क्या वह फिर विवाह करेगी ?”

वल्लभभाभी बोले : “अव असु घोड़ेको कौन घरमें बाँधेगा ? असु तो सब लोग जानते हैं। और असुकी अुम्र भी हो गयी है। अव वह शादी करना भी नहीं चाहेगी।”

वापू : “मुझे याद है अक चौंसठ वर्षकी स्त्रीने पुनर्विवाह किया था। असु स्त्रीने केवल अक साथी प्राप्त करनेके लिये विवाह किया था।”

मँने कहा : “गेटेने ७३ वर्षकी अवस्थामें अक अठारह सालकी लड़कीसे व्याह करना चाहा था। असुके मां-बापको असिसे आवात पहुंचा और अन्होंने अिनकार कर दिया।”

वल्लभभाभी : “गेटे था असिलिये आघात पहुंचा। मँ होता तो असु गरम लोहेसे दाग देता और कहता कि तेरी बुद्धि नष्ट हो गयी है और वह दागनेसे ही ठिकाने आयेगी।”

ता० २४-६-’३२ : मेजरसे वापूने पूछा : “कैदीके स्वास्थ्यका हाल नहीं लिखा जा सकता, अँसा कोअी कानून है क्या ?”

मेजर बोले : “आप जैसेके वारेमें लोग चाहे सो मानकर चिन्ता करने लगते हैं। आपको दस्त लग गये हैं, यह खबर जाहिर हो जाय तो यहां सैकड़ों आदमी पूछताछ करने आ जायं।”

वल्लभभाभी : “आर्डिनंस निकलवा दीजिये कि गांधीके समाचार कोअी पूछने न आवे।”

वापू कहने लगे : “सच्ची खबर देनेसे तो झूठी खबरका फैलना रुक जाता है।”

मेजर : “हम सच्ची खबर देते हैं और कोअी आदमी बीमार हो जाय तो तार देते हैं।”

जेजर : “वह लड़का मर गया तव असुके वारेमें टेलीफोन किया था।”

वापू : “अर्थात् गंभीर बीमारी होने तक आप ठहरते हैं।”

वल्लभभाजी : “वात यह है कि मर जानेका भय पैदा हो जाने पर ही खबर दी जाती होगी।” मेजर चिढ़े।

ता० ३०-६-३२ : आज अखबारोंमें पढ़ा कि अलाहाबाद हाजीकोर्टमें अक रामचरण नामक ब्राह्मण जमींदारको अक घोबिनकी हत्या करनेके अपराधमें पांच सालकी सजा हुयी। वात यह हुयी थी कि अुस जमींदारने घोबिनको कपड़े ले जानेके लिअे कहा। घोबिनने जवाब दिया कि मैं शामको कपड़े लेने आऊंगी। अिस पर जमींदारने अुसे लात-धूसे लगाये। दूसरी स्त्री मददको आयी तो अुसके तमाचा मारा। अुसका पति आया तो अुसके हायसे लाठी छीनकर अुसे मारा। अन्तमें अेक पचास वर्षकी तीसरी स्त्री आयी तो अुसके लातें जमायीं। अुसकी तिल्ली फट गयी और वह अुसी क्षण मर गयी। अिस पर श्रीमान भागे। आजकल अैसे कँदियोंको छोड़ दिया जाता है और हमारे आदमियोंको अच्छी तरह सजा दी जाती है। यह ध्यानमें रखकर बापू कहने लगे : “अुमे पांच वर्षकी सजा दी गयी है। परंतु वह पांच मास भी नहीं रहेगा। कहेगा कि मैं राजभक्त सभा खोऊंगा; किसानोंसे रुपया जमा कराऊंगा; सविनय कानून-भंगकी लड़ायीको दवानेमें मदद दूंगा; अिसलिअे अुसे छोड़ देंगे।”

अिस पर वल्लभभाजी बोले : “अुसने सफायीमें यह नहीं कहा कि यह स्त्री स्वराज्यकी लड़ायीमें शरीक थी, खादीके सिवा दूसरे कपड़े धोनेसे अिनकार करती थी और मेरे विरुद्ध यह झूठा अभियोग लगाया गया है !”

ता० ६-७-३२ : आज ‘हिन्दू’ में रंगाचारीका अेक वयान आया। अुसमें गोलमेजमें जानेवाले नरम पंथियोंके खिलाफ कड़ी आलोचना की गयी थी। पेट्रोने भी लिखा था कि गांधीके साथ सहयोग किये बिना नया विधान बन ही नहीं सकता। मैंने बापूसे पूछा : “ये रंगाचारी और पेट्रो आज अेकाअेक कैसे जागे ?”

बापू बोले : “रंगाचारी अिसी किस्मका है। बहादुर आदमी तो है ही। वैसे रंगाचारी और पेट्रो दोनोंको कोअी निराशा हुयी होगी, अिसीलिअे अितना कह दिया है।”

वल्लभभाजी : “कुछ भी हो, मैकडोनाल्ड सब निगल जायगा और साम्प्रदायिक निर्णय भी हमारे विरुद्ध ही होगा।”

बापू : “मुझे अभी तक आशा है कि मैकडोनाल्ड विरोध करेगा।”

वल्लभभाभी : “नहीं जी, ये सब विलकुल नंगे लोग हैं।”

वापू : “तो भी इस आदमीके अपने सिद्धान्त हैं।”

वल्लभभाभी : “सिद्धान्त हों तो यों टोरियोंके हाथ विक सकता है? उसे इस देश परसे हुकूमत छोड़नी ही नहीं है।”

वापू : “यह तो है ही । परंतु इसमें उसका स्वार्थ नहीं । हुकूमत तो किसीको भी नहीं छोड़नी है, केवल लास्की, होरेवीन, ब्रॉक्वे जैसे कुछ आदमियोंके सिवा । वेन, लीज़, स्मिथ वगैरा सब मैकडोनाल्ड जैसे ही हैं । मैं तो अितना ही कहता हूँ कि यह आदमी अपने देशका हित देखकर टोरियोंमें मिला है।”

ता० ९-७-३२ : वल्लभभाभी बोले : “अंग्लैण्डमें हिन्दुस्तानके विरुद्ध सारी प्रजा आज जिस ढंगसे अेक होकर खड़ी है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था।”

वापू : “वहां सदा ही हिन्दुस्तानके विरुद्ध अैक्य रहता है, क्योंकि हिन्दुस्तानको छोड़ना भिखारी बननेके बराबर है । हिन्दुस्तानको पकड़ रखनेमें उनका अधिकसे अधिक स्वार्थ है।”

ता० १०-७-३२ : आजकी डाकमें बहुत पत्र लिखे और सब काफी लंबे हैं । वल्लभभाभी बोले : “ठीक है, जितने अधिक हों अुतना अच्छा । अनुवाद कर करके थक जायेंगे तो कह देंगे कि जाने दो, अिन पत्रोंमें क्या घरा है?”

ता० १२-७-३२ : गोलमेजमें पेश हुअे प्रस्तावोंको देखकर वापू कहने लगे : “सेम्युअल होरने यह समझ लिया हो कि अुदार दलवालोंमें जर्रा भी स्वाभिमानकी भावना नहीं रही, तो ही वह अैसे प्रस्ताव रख सकता है । असलमें तो गोलमेजमें भी सलाह-मशविरे जैसी कोअी बात नहीं थी । मैंने देखा कि सरकारी सदस्य ही अपना मनचाहा करते थे । फिर भी वह योजना अैसी थी जिससे उनके मनको कुछ न कुछ संतोष हो सकता था । इस योजनामें तो मनको समझानेकी भी कोअी बात नहीं है । असलमें ये लोग अिसे अस्वीकार न करें तो क्या करें?”

वल्लभभाभीने पूछा : “अव अुदार दलवाले क्या करेंगे?”

वापूने जवाब दिया : “अुनकी स्थिति कठिन है । कांग्रेसके साथ वे मिल नहीं सकते; और यह रवैया भी कब तक जारी रख सकेंगे?”

वल्लभभाजी : “असलिये पूछता हूं कि आप अन्हें जानते हैं।”

वापू : “जानता हूं अिसीलिये तो अुनकी कठिनायी वताना हूं।”

ता० १३-७-३२ : अव सरकारके वहां कामके पत्र रखे जाते हैं और निकम्मे यहां भेज दिये जाते हैं। मैंने कहा : “यह चिढ़ानेके लिये ही किया जाता है न ?”

वापू बोले : “वल्लभभाजीका अुदार अर्थ करना अच्छा है।”

वल्लभभाजीने अिसका यह अर्थ किया था कि किसी क्लर्कको काम सौंप दिया होगा कि जो पत्र विलकुल निर्दोष लगे वे पहले भेज दे और बाकी अुच्च अधिकारीके देखनेके लिये रख ले।

मैंने कहा : “वल्लभभाजी शायद ही सरकारके कृत्योंका अैसा अुदार अर्थ करते हैं।”

वापू : “आजकल संस्कृतका अध्ययन करना जो शुरू किया है !”

ता० १४-७-३२ : अुस व्यर्थकी डाकमें पंजावके अेक . . . खांका पत्र था। अुसने लिखा था कि आप राजनीति नहीं समझते। अुसे आगाखां और शास्त्री-सप्रू जैसेंको सौंप दीजिये और हिमालय पर चले जाअिये। अुसे वापूने अपने हाथसे लिखा : “जेलके अेकान्तमें बहुत गहरा चिन्तन करने पर भी मेरे विचारोंमें कोअी परिवर्तन नहीं हुआ।”

वल्लभभाजी : “अिस गालियां देनेवालेको आपने अपने हाथसे पत्र क्यों लिखा ?”

वापू : “अुसे हाथसे ही लिखना चाहिये।”

वल्लभभाजी : “गाली देनेवाला है अिसीलिये न ? अिसी तरह बहुत लोग मर्यादासे बाहर चले गये हैं।”

वापू : “मेरे खयालसे अिससे हमें कोअी नुकसान नहीं हुआ।”

ता० १५-७-३२ : आज हौरका पहले भाषणकी पूर्तिमें और अुदार दलवालोंके जवाबमें हुआ दूसरा भाषण अखबारोंमें आया।

वल्लभभाजीने पूछा : “कैसा लगता है ? नरम दलवालों (मोडरेटों)की तो खुशामद की है।”

वापू बोले : “नहीं, अिसमें कुछ नहीं है। अिस भाषणमें चालाकीके सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे अिससे बड़ी निराशा होती

है। मैं होरको प्रामाणिक मानता था। जिस भाषणमें वह प्रामाणिक न रहकर चालाक बन गया है।”

वल्लभभाभी : “ तो पत्र लिखिये। ”

बापू : “ पत्र लिखनेकी कअी बार जीमें आजी है। ”

ता० २०-७-’३२ : वल्लभभाभीका संस्कृतका अध्ययन अच्छी तरह चल रहा है। अनुकी सरलताकी कोअी हद नहीं। मुझेसे पूछते हैं, “ महादेव, यह विभक्ति क्या होती है? और नृपः कहा जाय तो राजः क्यों नहीं और विद्वानः क्यों नहीं? ” परंतु आज जब ब्रह्मचर्य पर महाभारतके श्लोक आये तब क्षण भरके लिये वे भी स्तब्ध रह गये। मैंने बापूसे कहा : “ संस्कृत भाषाका संगीत और किसी भाषामें नहीं मिल सकता और उसमें ब्रह्मचर्यके विषयमें जो लिखा गया है वह भी और किसी साहित्यमें नहीं मिल सकता। ”

बापू : “ संगीतके बारेमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रीक-लेटिनमें भी हो सकता है। परंतु ब्रह्मचर्य और सत्यके बारेमें तो शायद ही किसी दूसरे साहित्यमें अैसी चीज होगी जो संस्कृतकी बरावरी कर सके। ”

ता० २३-७-’३२ : रातको सोते समय बापू कहने लगे : “ वल्लभभाभी, अिन गुजराती पत्रोंके बारेमें हम कड़वी घूंट पी रहे हैं, यह मालूम है? ”

वल्लभभाभी : “ कैसे? ”

बापू : “ वे लोग यह लिखते हैं कि अंग्रेजी पत्र तो तुरंत भेजे जा सकते हैं, परंतु गुजराती पत्रोंकी कठिनाअी रहेगी। अर्थात् अिन लोगोंमें हमारे आदमियोंके लिये अविश्वास है, यह मुझे बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता है। हमारे गुजराती पत्रोंका तो अनुवाद हो और ये लोग पास करें तभी वे जा सकते हैं। क्या अिन लोगोंमें कोअी गुजराती जाननेवाला अैसा मिल नहीं सकता जिसका अिन्हें विश्वास हो! यह भयंकर वस्तु है। अिस मामलेमें लड़ाअी करनी चाहिये। लड़ाअी यही कि हम अिनसे कहें कि अिस शर्त पर हम पत्र नहीं लिखेंगे। ”

वल्लभभाभी : “ ये लोग तो बेहया हैं। कहेंगे भले ही न लिखिये, अिससे हमें क्या? ”

बापू : “ कोअी परवाह नहीं। ”

ता० २४-७-’३२ : सवेरे धूमते धूमते पिछली रातकी चर्चाका विषय फिर छेड़ा। वल्लभभाभीकी राय पूछी। वल्लभभाभी बोले :

“अस प्रकार पत्र लिखते रहना पड़े, अससे तो वन्द कर देना ही अच्छा है। अिन लोगों पर तो असका कोअी असर होनेवाला ही नहीं है।”

वापू : “असर न हो तो कोअी परवाह नहीं, यद्यपि अंतमें असर हुअे विना नहीं रह सकता। . . . सुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलरके प्रति सरकारके अस अविश्वास पर भी मुझे गुस्ता आता है। परंतु अिन लोगोंमें ही दम नहीं तो हम क्या करें?”

वल्लभभाअीसे कहने लगे : “आप संस्कृतमें श्रेय और प्रेयके वारेमें पढ़ेंगे। अस सवालमें प्रेय कहता है कि हम पत्र लिखते रहें, श्रेय कहता है कि लिखना छोड़ दें।”

ता० २५-७-’३२ : वल्लभभाअीका तीखा विनोद कभी कभी तीरकी तरह लगता है। भेजर भेहता वेचारे पूछ रहे थे कि ओटावामें क्या होगा? अस पर वल्लभभाअी बोले : “व्यर्थ ओटावा तक जानेका कष्ट अुठाया। यहां आर्डिनेंस द्वारा जो चाहें सो कर लें। फिर वहां तक जानेकी जरूरत क्या?” वह वेचारे दिङ्मूढ़ हो गये।

ता० २७-७-’३२ : वल्लभभाअीको संस्कृत पढ़ानेमें वड़ा मजा आता है। ‘वासांसि’ का प्रयोग क्यों किया और ‘वस्त्राणि’ का क्यों नहीं? अेकवचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होता है? स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? कृदंत क्या होता है? वगैरा प्रारंभिक प्रश्न वालोचित निदोषतासे पूछते हैं। नये शब्द सीखते हैं और जो शब्द सीखते हैं अुनका प्रयोग करते हैं। यह आपको शोभा नहीं देता, असके लिअे कहेंगे ‘अिदं न शोभनं अस्ति’। और कट्टर अनुदार दलवालोंके लिअे कहते हैं कि ये तो सब ‘आततायी’ लोग हैं। आज पूछने लगे “शनैः शनैः अर्यात् शनिवारको?” “‘वासांसि’का प्रयोग क्यों किया और ‘वस्त्राणि’ का क्यों नहीं किया, अस सवालका जवाव तो रस्किन जैसा दे सकता है,” वापूने कहा।

ता० २-८-’३२ : शामको वापूने पूछा : “. . . की ६१ वीं जन्मतिथि कव है भला?”

वल्लभभाअी : “क्यों, क्या काम है? आपको कुछ लिखना है?”

वापू बोले, “हां, दूसरोंको लिखते हैं तो अिन्होंने क्या कसूर किया है?”

वल्लभभायी : “कोजी आपसे पूछे, आपसे कुछ मांगे और आप लिख भेजें तो दूसरी बात है। नहीं तो आप यहां जेलमें बैठे हैं। आपको लिखनेकी क्या जरूरत ?”

बापू कहने लगे : “असा क्यों ? अुनकी रचनाअें साहित्यमें बहुत अुच्च स्थान रखती हैं। लेखकोंमें वे पहले दूसरे माने जाते हैं।”

वल्लभभायी थोड़ी देर चुप रहे। फिर बोले : “माने जाते होंगे।”

बापू : “होंगे क्यों ? हैं।”

वल्लभभायी बोले : “अच्छा, अच्छा, रहने दीजिये। क्यों अैसे कायर आदमीको लिखकर प्रोत्साहन दिया जाय ? जब देशमें आग लगी हुआी हो तब क्या बैठे बैठे लेख लिखे जाते हैं ?”

बापू : “क्या आप यह कहते हैं कि अुनके लेखोंसे सेवा नहीं होती ?”

वल्लभभायी : “विद्वानोंके लेखोंसे जरा भी सेवा नहीं होती। विद्वान पढ़ने-लिखनेका शौक लगाते हैं और असा करके अुलटा नुकसान पहुंचाते हैं। लोगोंको पढ़ने-लिखनेके मोहमें डालकर निकम्मा बना देते हैं। जो विद्या और लेख दुर्बल बनाते हों वे किस कामके ?”

बापू : “क्या अिनकी रचनाओंके वारेमें सचमुच असा कहा जाता है ? मंने अुनका लिखा हुआ . . . का जीवन-चरित्र नहीं पढ़ा, परंतु क्या वह जीवन-चरित्र लोगोंको निकम्मा बनाता है ?”

वल्लभभायी : “लोग अुनका लिखा हुआ दूसरोंका चरित्र पढ़ेंगे या खुद अुनका चरित्र देखेंगे ?”

बापू : “अुनके चरित्रमें क्या खराबी है ? आपको पता है कि १९१६-१७ में विलिंगडनने लड़ाीके सिलसिलेमें वंवीके टाअुन हालमें सभा की थी। अुसमें सबसे लड़ाीमें मदद देनेकी अपील की गयी थी। तिलक दलने अिस प्रकारका संशोधित प्रस्ताव रखनेका निश्चय किया कि कुछ शर्तों पर ही मदद दी जा सकती है। अन्यथा सभा छोड़कर चले जानेका निर्णय किया था। अुस दलकी तरफसे वे खड़े हुअे। सवने खूब छी: छी: करनेका प्रयत्न किया। परंतु वे अटल खड़े रहे और जो कहना था सो कह लेनेके बाद ही सवने सभा छोड़ी।”

वल्लभभायी : “ओहो, यह नाटक तो अुन्हें आता है।”

बापू : “तो आपको अुनसे क्या चाहिये ?”

वल्लभभायी : “कुछ त्याग तो करेंगे या नहीं ?”

बापू : “क्या जेलमें आना ही त्याग माना जायगा ?”

वल्लभभाजी : “मैं यह नहीं कहता। परंतु मैं अन्हें जानता हूं, आप नहीं जानते। इसलिये क्या कहूं? वे तो कमसे कम त्याग और अधिकसे अधिक लाभमें विश्वास करनेवाले हैं।”

वापू : “हां, यह तो अणुका तत्त्वज्ञान है।”

वल्लभभाजी : “हां, है तो जरूर। जहन्नुममें जाय यह तत्त्वज्ञान। अपनी तरफसे कमसे कम त्याग; लोग कितने ही बरवाद क्यों न हो जायं, अधिकसे अधिक लाभ अपने लिये।”

वापू : “देखना, मैं ये सब बातें अणुसे कहूंगा।”

वल्लभभाजी : “सब बातें अणुके मुंह पर सुना सकता हूं। और सुनायी भी हैं। एक बार सब अिकट्टे हुअे थे। वहां सब कहने लगे कि ये तो निवृत्त होनेवाले हैं। मैंने कहा, क्यों निवृत्त होंगे? निवृत्त होनेका अणुहें क्या हक है? सार्वजनिक जीवनमें झख मारनेको पड़े थे? सार्वजनिक जीवनमें पड़नेवाला निवृत्त कैसे हो सकता है?”

वापू : “अिसमें अणुका क्या कसूर? वे तो बेचारे काम करते रहते, परंतु अणुकी ब्रदकिस्मतीसे मैं आ गया और अणुका खेल बिगड़ गया। मेरे कार्यमें विश्वास न होनेसे वे हट जायं और निवृत्त होनेका विचार करें तो अिसमें क्या आश्चर्य?”

वल्लभभाजी : “अच्छा तो लिखिये। आप तो ‘सत्यमपि प्रियं ब्रूयात्’ को माननेवाले ठहरे।”

वापू : “महादेव, यह वाक्य अिनकी पढ़ाअीमें आ गया है क्या?”

मैं : “हां वापू, अब तो कलसे गीताप्रवेश हीगा। ये गीता पढ़ लेंगे तब तो आपके सामने अैसे अनोखे अर्थ रखेंगे कि आपको लगेगा आफत आ गयी!”

सोते समय मैंने वल्लभभाजीसे पूछा : “तो कल गीताका आरंभ करेंगे न?”

अिस पर मजेसे बोले : “आदौ वा यदि वा पश्चात् तत्रेदं कर्म मारिष।” अुस दिन मैं सुपरिन्टेन्डेन्टकी कुछ आलोचना कर रहा था तो मुझे कहने लगे : “नैतत्त्वय्युपपद्यते।” और येक्तके लिये ‘कृतार्थोऽहम्’ बार बार कहते हैं।

ता० १४-८-३२ : आज प्रातः वापू पूछते थे : “वल्लभभाजीके अुच्चारण सुधर रहे हैं क्या?”

मैंने कहा : “जरूर। अब अणुहें पता लग जाता है कि यह अुच्चारण गलत है। सही बात तो यह है कि अणुहें अिस पढ़ाअीमें

खूब रस आने लगा है। अब तक यह चीज मालूम नहीं थी। अब यह नयी ही चीज हाथ लगी है। 'स्वर्गद्वारमपावृतम्' जैसी भावना हो गयी है, जिसलिअे विद्युत् वेगसे प्रगति करते जा रहे हैं।"

बापू बोले : "यही पढ़ाईकी कुंजी है। संस्कृतके तो हमारे पुराने संस्कार हैं। सारा वातावरण जिससे भरा हुआ है। जिसलिअे जिसकी पढ़ाईके विषयमें असा प्रतीत होता है। परंतु किसी भी भाषाका सूक्ष्म अध्ययन करने बैठें तो यही भावना हो जाती है।"

ता० १९-८-३२ : आज साम्प्रदायिक निर्णयके वारेमें सप्रूका मत आया। अनुकी दृष्टिमें तो वैधानिक प्रश्नके सामने जिस प्रश्नका कोअी महत्त्व नहीं है। जिस निर्णयके देनेमें अन्हें साफ नीयत और प्रामाणिक प्रयत्न दिखायी देता है। बापूने जरासी आलोचना की : "सप्रूका काम मुंजेसे अल्टा है। सांप्रदायिक मांग मंजूर हो जाय तो मुंजेको विधानकी परवाह नहीं। सप्रूको विधान मिल जाय तो सांप्रदायिक प्रश्नकी कोअी परवाह नहीं।" सिर्फ वल्लभभाअीके दुःखकी कोअी हद नहीं। वे कहते हैं कि "मेरा अुदार दलवालोंके वारेमें सदा यही खयाल रहा है। यह कहा ही नहीं जा सकता कि ये लोग कव क्या करेंगे। समझदारीका ठेका मानो अिन्हीं लोगोंका है। आज जब देशमें किसीको भी अंग्रेजोंकी नीयत साफ नहीं दीखती, तव अिन्हीं साफ मालूम होती है। जिसका कारण है। अभी अिन्हीं अपनी खोअी हुअी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। वर्ना अिनके लिअे खड़े होनेको कोअी स्थान ही नहीं रह जायगा।"

मैने कहा : "ये लोग बापूके कदमकी निन्दा करनेमें सरकारके साथ मिल जायंगे।"

वल्लभभाअी : "परन्तु क्या किया जाय ? बापूका तरीका वेढंगा है। बापूने जिस कदमके* वारेमें शास्त्री जैसेसे भी वात की होती तो अच्छा होता। यह कौन सोच सकता था कि बापू असा कदम अुठायेंगे ? मैं नहीं मानता कि देशमें कोअी भी जिस कदमकी कल्पना कर सकता था।"

ता० २०-८-३२ : आज मेरे और सरदार वल्लभभाअीके मनमें बहुत वार असा विचार आया कि किसी भी तरह यह समाचार वाहर पहुंच जाना चाहिये। परन्तु बापूके वचनका भंग कैसे हो ?

* साम्प्रदायिक निर्णयके विरुद्ध अपुवासका कदम।

वापू तो यह वचन दे बैठे हैं कि हमारी तरफसे यह बात कहीं भी बाहर नहीं जायगी। जिसलिये वापूके प्रति बेवफा कैसे हुआ जा सकता है? वल्लभभाभी बड़े परेशान थे।

ता० २१-८-३२ : आज सुबह फिर साम्प्रदायिक निर्णय पर बातें चलीं। जयकर, सप्रू और चिन्तामणिके मतोंकी चर्चा हुई। वापू बोले : “जयकर यहां सप्रूसे अलग हो जायंगे, यह आशा रख सकते हैं।”

वल्लभभाभी : “बहुत आशा रखने जैसी बात नहीं।”

वापू : “विलायतमें भी जिस वारेमें उनको विचार अलग रहते थे, जिसलिये आशा रख सकते हैं। और तो क्या?”

वल्लभभाभी : “चिन्तामणिके जिस वार अच्छी शान रखी।”

वापू : “कारण, चिन्तामणि भारतीय हैं, जब कि सप्रूका मानस युरोपियन हैं। चिन्तामणि समझते हैं कि जिस निर्णयमें ही बहुतसा विधान आ जाता है। सप्रू यह मानते हैं कि विधान मिल गया कि फिर ऐसी बातोंकी चिन्ता ही नहीं। . . .”

मंने कहा : “मालवीयजी क्यों चुप हैं?”

वापू : “मालवीयजीके पास कुछ कहनेको नहीं होगा। वे तो शायद सोच रहे होंगे कि जिसमें अब क्या हो सकता है? और मेरे विचारोंका तो उन्हें पता नहीं। जिसलिये परेशान हो रहे होंगे।”

वल्लभभाभी : “आपके साथ यही तो दुःख है कि आप अन्त तक कुछ मालूम नहीं होने देते और अपने साथवाले आदमियोंकी स्थिति सर्वथा विषम बना डालते हैं। आपके साथियोंकी आपके खिलाफ यही शिकायत है। सभीका यह खयाल है कि आप हम सबको सर्वथा अकल्पित स्थितिमें डाल देते हैं।”

वापू : “परन्तु जिसमें क्या हो सकता है?”

वल्लभभाभी “हमें भी तो कोई कहेगा न कि आप साथ थे। आप किसी न किसी तरह जिस बातकी खबर तो बाहर दे सकते थे। डाह्याभाभी तो हर सप्ताह आते हैं, उनको साथ खबर भेज सकते थे।”

वापू : “यह हो ही कैसे सकता है? क्या हम उनसे यों कहें कि जाओ, हम तो अब जिस बातको किसी भी तरह प्रगट करने हैं? हम उन्हें वचन दे चुके हैं कि हमारी तरफसे यह चीज प्रगट नहीं होगी। वस। . . नहीं वल्लभभाभी, जिस बातके पहलेसे मालूम होनेमें कोई लाभ नहीं। अचानक विस्फोट होना ही ठीक है। . . आप

दोनों अिसमें शरीक हैं, अिसलिये आपकी जिम्मेदारी अवश्य है। परन्तु अन्तमें तो मेरी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे जो सूझा मैंने किया। यह चीज ही अैसी है कि अिसमें किसीकी संमतिकी जरूरत नहीं हो सकती।”

ता० २३-८-३२ : अुपवासके विषयमें कोअी शंकाअें हों तो पूछनेके लिये वापूने कहा। वल्लभभायी बोले : “सब कुछ हो जानेके बाद समझमें आ जायगा। आज भले ही न आये। और आज आपके साथ वहस भी क्या की जाय? जो होना था सो हो गया। मेरा कहा माना होता तो यह निर्णय न होता। आपने खुद पत्र लिखा अिसलिये अैसा निर्णय दिया! वहांवाले सब अिस विचारके हैं कि किसी भी तरह आप चल बसें तो पिण्ड छूटे।”

*

*

*

रातको किसी समय वरसात आ जाती है, तब पलंग अुठाकर बरामदेमें लाना भारी पड़ता है। अिसलिये वापूने मेजरसे हलका पलंग मांगा। वे बोले, नारियलकी रस्सीकी चारपायी है, अुससे काम चलेगा?

वापूने कहा : “हां, चलेगा।”

मेजर बोले : “आप कहेें तो नारियलकी रस्सी निकालकर अुस पर निवार चढ़ा देंगे।”

शामको खाट आयी। वापू बोले : “अिस पर निवार चढ़वानेकी कोअी आवश्यकता ही नहीं। मेरा बिस्तर आज अिस पर करना।”

वल्लभभायी कहने लगे : “क्या कहा? अिस पर भी कहीं सोया जा सकता है? गद्देमें क्या नारियलके बाल कम हैं जो नारियलकी रस्सी पर सोना है?”

वापू : “मगर देखिये तो, यह खाट कितनी स्वच्छ रह सकती है?”

वल्लभभायी : “आप भी खूब हैं! अिस पर तो चारों कोनों पर चार नारियल बांधनेकी कसर है। अैसी अपशकुनी खाटसे काम नहीं चलेगा। अिस पर कल निवार लगवा देंगे।”

वापू : नहीं, वल्लभभायी, निवारमें धूल भर जाती है। निवार धुलती नहीं। अिस पर तो पानी डाला कि साफ।”

वल्लभभायी : “निवार धोवीको दी कि दूसरे दिन धुलकर आ जायगी।”

वापू : “परन्तु यह रस्सी तो निकालनी भी नहीं पड़ेगी, यों ही धुल सकती है।”

मैं : “हां, वापू, जिस पर गरम पानी अंडेला जा सकता है। और जिसमें खटमल भी नहीं रह सकते।”

वल्लभभाभी : “चलो, तुमने भी अब राय दे दी। जिस खाटमें खटमल पिस्सू अितने हो सकते हैं कि बात ही मत पूछो।”

वापू : “मैं तो इसी पर सोअूंगा। भले ही आप अैनी न मंगाअिये। मुझे याद है कि हमारे यहां वचपनमें इसी तरहकी खाटें काममें ली जाती थीं। मेरी मां तो अुस पर अदरक छीलती थी।”

मैं : “यह क्या? मैं नहीं समझा।”

वापू : “अदरकका अचार बनाना हो तब अुसे चाकूने साफ न करके खाट पर घिसनेसे सब छिलके साफ हो जाते हैं।”

वल्लभभाभी : “अुसी तरह अिन मुट्ठीभर हड्डियों परसे चमड़ी अुधड़ जायगी। अिनीलिअे कहता हूं कि निवार लगवा लीजिये।”

वापू : “लेकिन निवार तो बूड़ी षोड़ी लाल लगाम जैसी हो जायगी। जिस खाट पर निवार शोभा नहीं देगी। जिस पर तो नारियलकी रस्सी ही शोभा दे सकती है। और कपड़ोंकी तरह जिस पर पानी अंडेला देनेने यह धुल कर विलकुल साफ भी हो जाती है। यह कितनी अच्छी बात है! अिसके सिवा नारियलकी रस्सी कभी खराब नहीं होगी।”

वल्लभभाभी : “खैर, मेरा कहा न मानें तो आपकी मर्जी।”

खाट वापूने वरामदेसे नीचे अुतरवाअी। अुतरवानेके बाद वल्लभभाभी कहने लगे : “परन्तु वरसात आ गअी तो?”

वापू : “तो अूपर ले लेंगे।”

वल्लभभाभी : “ततो दुःखतरं नु किम्।”

वापू : “यह तो मैं जानता ही था कि जिस श्लोकका अुपयोग करनेके लिये ही आप यह सवाल पूछ रहे हैं।”

ता० २८-८-३२ : वल्लभभाभीके लिफाफोंकी अीर संस्कृत अव्ययनकी वापू हर पत्रमें प्रशंसा करते हैं। कल काकासाहबके पत्रमें लिखा था कि “वल्लभभाभीका अव्ययन अुच्चैःश्रवाकी गतिसे हो रहा है।” आज प्यारेलालको लिखा : “वल्लभभाभी अरवी षोड़ेकी चालसे दीड़ रहे हैं। संस्कृतकी पुस्तक हायसे छूटती ही नहीं। मैंने अैसी आवा नहीं रखी थी। लिफाफोंमें तो अिनकी वरावरी कोअी

कर ही नहीं सकेगा। ये बिना नाप लिये लफाफे बनाते हैं, जो अंदाजसे काटने पर भी अकेसे अतरते हैं। फिर भी असा नहीं लगता कि जिसमें बहुत वक्त जाता हो। अिनकी व्यवस्था आश्चर्यजनक है। जो करना है अुसके लिये याद रखनेकी जरूरत ही नहीं होती। आया कि कर डाला। जबसे कातना तय किया है तबसे कातनेके समयका बराबर पालन करते हैं। असलिये रोज सूत और गतिमें वृद्धि होती जा रही है। हाथमें लिया हुआ काम शायद ही कभी भूलते होंगे, और जहां अितनी व्यवस्था हो वहां धांधली तो चल ही कैसे सकती है?"

ता० ४-९-३२: आज वापू और वल्लभभाभीको जेलमें आठ महीने पूरे हो गये। वापू बोले: "महादेवके सात माह पूरे हुअे।" अस पर वल्लभभाभी बोले: "हां, लेकिन 'पर्याप्तमिदं अेतेषाम्'। हमारी तो 'अपर्याप्त' अवधि है न?"

*

*

*

अेक सज्जन रंगूनसे पत्र लिखते थे। अुनके वारेमें यह शिकायत आती रहती थी कि वे सब अुन्होंने दूसरेसे लिखवाये हैं। पत्र अितने स्वाभाविक लगते थे कि वापू अस शिकायतको सही नहीं मानते थे। अन्तमें लिखनेवालेने ही तारसे वताया कि पत्रोंके मसौदे सब अुसके थे। वापूने अुस सज्जनको अस तारकी नकल भेजी और वताया: "तुम्हारे जिन पत्रोंका हम पर बहुत असर पड़ा वे तो नकली थे। मूल तुम्हारे नहीं थे। असलिये अुनका मूल्य अुतना ही समझा जाय न? और फिर तुमने यह बात मुझसे छिपायी। अब तो तुम अिन पत्रोंमें की गयी प्रतिज्ञाओं सच्ची साबित कर दिखाओ।"

वल्लभभाभी कहने लगे: "तारकी नकल अुसे किसलिये भेज रहे हैं? अुससे पूछिये कि मेरे पास अैसी शिकायत आयी है। क्या यह सच है? अस वारेमें तुम्हें क्या कहना है? अससे वह अच्छी तरह पकड़में आ जायगा।"

वापूको यह सुझाव पसन्द नहीं आया। अिसे स्वीकार करनेमें हिंसा थी। "मनुष्यको झूठ बोलनेका मौका देना और झूठ बोलवाना हिंसा है। हमारे पास जो हकीकत है वह अुसके सामने रख दें और झूठ बोलनेका अवसर न दें, असमें पूरी दया है। असका अुसके हृदय पर असर हुअे बिना नहीं रह सकता।" अितना छोटासा किस्सा वापू और वल्लभभाभीकी मनोवृत्तिका भेद दिखानेके लिये काफी है।

ता० ६-९-३२ : आज शामको प्रार्थनाके समय काफी बातें हुईं। वापूने वल्लभभाजीसे कहा : “सुबह तो आप मजाक कर रहे थे, परन्तु मैं सचमुच ही कहता हूँ कि आपको कुछ पूछना ही तो पूछ लें।”

वल्लभभाजी : “आपके खयालसे ये लोग क्या करेंगे ?”

वापू : “मेरा अब भी यही खयाल है कि मुझे अुघ्नीस तारीखको या अुससे पहले छोड़ देंगे। ये लोग मुझे अुपवास करने दें और कोअी खबर न देकर कह दें कि असने कंदीके रूपमें जो न करना चाहिये था सो किया, हम क्या करें ?—यह तो अघमताकी पराकाष्ठा कही जायगी। मैं यह नहीं कहता कि ये लोग यहां तक नहीं जा सकते। परन्तु यहां तक जानेकी जरूरत नहीं समझेंगे। और जरूरतसे आगे जानेवाले ये लोग हैं नहीं।”

वल्लभभाजी : “फिर आप क्या करेंगे ?”

वापू : “वीस तारीखको तो अुपवास शुरू किया ही नहीं जा सकता। वीस तारीखका आग्रह नहीं रखा जा सकता।”

वल्लभभाजी : “तब तो यही कहा जायगा न कि नया विधान बनने तक समय मिल गया ? या आप लोगों और सरकारको लंबा नोटिस दे सकेंगे ?”

वापू : “हां, परन्तु यह तो अस पर निर्भर है कि बाहर निकलनेके बाद वे लोग मुझे कितना करने देते हैं। क्या स्थिति होगी, यह मेरी कल्पनामें नहीं आ सकता। मुझे यह नहीं सूझ रहा है कि मैं कैसा पत्र तैयार करूं। परन्तु मुझे हिन्दू समाज, अंत्यज, सरकार, मुसलमान सभीको ध्यानमें रखकर लिखना पड़ेगा। हिन्दू समाजको तो अंत्यजोंके साथ मिलकर जगह जगह सभाओं करके अस चीजसे अिनकार ही करना होगा। सरकारने यह अीसाअी सरकारकी हैसियतसे किया है। असलिये सरकार और अीनाअियों, दोनोंसे यह बात कहनी होगी कि अीसाअीके नाते आप अैसा नहीं कर सकते। हमारा स्वराज्य हो जाने दीजिये, बादमें अंत्यजों पर जो असर डालना चाहें डाल लीजिये। परन्तु आज हमारे टुकड़े न कीजिये। मुसलमानोंसे मैंने विलायतमें भी कह दिया था। यहां भी यही कहूंगा। हिन्दू समाजको समझाअूंगा कि अब तो अंत्यजोंके सामने मुसलमान या अीसाअी बननेके सिवा दूसरा कोअी रास्ता नहीं रह गया है।”

वल्लभभायी : “परंतु यहां तो सुननेवाले मुसलमान रह ही कौन गये हैं ?”

वापू : “भले कोजी न हो। परंतु हम आशा रखें कि ये लोग भी जाग्रत हो जायेंगे। सत्याग्रहकी जड़ मनुष्य-स्वभावके प्रति विश्वासमें है, अिस श्रद्धामें है कि द्रुष्टसे द्रुष्ट मनुष्यको भी पिघलाया जा सकता है। अिसलिये कोजी न कोजी मुसलमान तो जरूर अैसा निकलेगा जो यह कहेगा कि अितना सब तो सहन नहीं किया जा सकता।”

ता० ७-९-'३२ : वापू : “नये विधानसे हमें दूर ही रहना है, सो बात नहीं। यदि यह महसूस हो कि अिसमें भाग लेनेसे कुछ हो सकता है अर्थात् यह खयाल हो कि हम अपने ध्येयकी ओर आगे बढ़ सकते हैं तो जरूर शासनतंत्रमें प्रवेश किया जाय। यह अिस बात पर निर्भर करता है कि विधान किस किस्मका होगा। लेकिन यदि कांग्रेसका विलकुल छोटा अल्पमत हो जाय तब तो लोगोंको पसन्द आये या न आये, असहयोगके सिवा और कोजी रास्ता ही नहीं है।”

वल्लभभायी : “मेरा भी यही मत है। सरकारी नौकर देहातियोंको जो कष्ट दे रहे हैं, वह शासनतंत्रमें घुसे विना कम नहीं हो सकता। परंतु अैसा तभी किया जाय जब भीतर जाकर कुछ कारगर काम कर सकनेकी आशा हो। यदि सरकारी नौकरियां सब गारंटीवाली हों, तनखाहें कम की ही नहीं जा सकें, नये कर न लगाये जा सकें, तो अिस दिवालिये शासनको हाथमें लेकर क्या करेंगे ?”

ता० २-१०-'३२ : वापूके अुपवासके दिनोंमें वल्लभभायीके विनोदकी धारा सूख गयी थी, जो अब फिर पूरी गतिमें बहने लगी है। वापूकी आलमारीमें से कजी अंगोछे स्पंज बाथ देनेके लिये निकाले गये थे। अुनकी बात छिड़ने पर वापू कहने लगे : “मैं सबका हिसाब मांगूंगा।”

वल्लभभायी : “हिसाब क्यों दिया जाय ? हम तो आपको खो बैठे थे। हमें क्या पता था कि आप हिसाब मांगने वापस आ जायेंगे ? वासे कहा : ‘देखो तो वा, अिनका जुल्म। मालवीयजीको खादी पहनायी, अस्पृश्यसे छुआया, जेलमें लाये, विलायत ले गये और अब अछूतोंके साथ रोटी-त्रेटी-व्यवहार भी करायेंगे !”

जेलके घंटेकी आवाज कभी वार सुनायी दी। उसकी तरफ मैंने वापूका ध्यान दिलाया। वल्लभभाजी बोले : “अपवासकी आवाज भी अितनी सुनायी दे तो कैसा अच्छा ?”

ता० १४-१०-३२ : वाअिसराँयका विमान हमारे सिर परसे अुड़ता हुआ हमारे पड़ोसमें अुतरा। वापूने कहा : “कितना मद है ? अेक घुड़दौड़में आनेके लिये हजारों रुपयों पर पानी फेर दिया जाता है।

वल्लभभाजी : “यहां आकर अुसे वताना है कि यहां मेरा राज है और गांधी यहां कैदी है।”

*

*

*

आज सुबह वल्लभभाजी कहते थे कि “अेक जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी अिस तरह बोले, यह वड़ी विचित्र बात मालूम होती है।”

बात यों हुअी थी कि अेक दिन हम खाने बैठे थे कि वे साहब आकर बातों ही बातोंमें कहने लगे : “गांधी अिस दुनियाका दूसरा वड़ा पाखंडी है।” हमने पूछा, “पहला कौन ?” अुसने जवाब दिया : “पहला अीसा था।” यह कहकर अुसने यह भी कहा : “ये लोग नैतिक जगत्की जो बातें करते हैं अुनमें मेरा विश्वास नहीं। मैं तो सुरा और सुन्दरीकी आधुनिक दुनियाको मानता हूं।”

वल्लभभाजी कहने लगे : “अिसी प्रकारका हमारा वैल* भी है।”

ता० २१-१०-३२ : अुपवासके दिनोंमें दिये गये सभी साधन अुपवास पूरा होने पर हटा लिये गये। अन्तमें अेक वड़ी मेज जो हमें दी गअी थी अुसे भी कल अिस नये वार्डमें आने पर ले गये। मेजके लिये वल्लभभाजीने मांग की तो जेलरने कहा : “हमें दफ्तरमें जरूरत है।” कुरसी ले गये, यह मुझे और वल्लभभाजीको अच्छा न लगा।

वापू बोले : “वह कुरसी अिन लोगोंको बेचनी होगी, अिसलिये मंगा ली होगी।”

मैंने कहा : “परंतु अिनमें अितनी भी सम्यता नहीं कि आपसे पूछें कि अब अिसकी जरूरत न हो तो ले जायं ?”

वापू : “नहीं। वह कुरसी अिससे पहले लौटा देनेकी सम्यता हममें होनी चाहिये थी। वाको अुनके कहनेसे पहले हमने भेज दिया, यह शोभाकी बात हुअी। यहां अिस वार्डमें वापस आनेके लिये अुनके

* लार्ड विलिंगडन।

कहनेसे पहले हमने मांग की, यह भी शोभाकी बात थी। अन्होंने कहा होता तो दुःख होता।”

वल्लभभाभी : “आपको तो सबके गुण ही गुण दीखते हैं। जहां गुण न हों वहां भी गुण ही दिखायी देते हैं। ये लोग बिलकुल जड़ जैसे हैं। बहुतसी चीजें हिसाबमें चढ़ाहीं वैसे यह भी चढ़ा देते तो कौन पूछने-वाला था? और वेचनेकी जल्दी होती तो आपके खातेमें डालकर वेची हुयी वता देते। परंतु असभ्यता ही दिखानी हो तब क्या?”

वापू : “नहीं, असभ्यता दिखानेका अुद्देश्य तो हरगिज नहीं। सुपरिन्टेन्डेन्टको पता भी न होगा कि कुरसी ले गये हैं।”

वल्लभभाभी : “अुसे सब पता होगा। अुससे पूछे बिना कौन ले जा सकता है?”

वापू : “नहीं, वल्लभभाभी अिसमें दुःख माननेका कोअी कारण नहीं। आपने छठा अध्याय पढ़ा या नहीं—‘मन अेव मनुष्याणां कारणं वंधमोक्षयोः’ और आत्मा आत्माका वंधु है?”

वल्लभभाभी : “है ही। परंतु आत्मा आत्माका शत्रु भी तो है न?”

वापू : (खिलखिलाकर हंसते हुअे) “अरे, आपको तो मालूम है। सैर, अितना स्वीकार करते हैं यह काफी है। परंतु यह श्लोक कहांसे जाना? छठा अध्याय तो अभी आपने पढ़ा नहीं।”

मैं : “कल ही शुरू किया है। और यह श्लोक आखिरी ही पढ़ा है।”

ता० २२-१०-’३२ : आज सुबह वापू कहने लगे : “आप लोग अकेले फल साफ करनेमें पैतालीस मिनट दें, यह नहीं हो सकता। यहां लाअिये, हम तीनों साफ करेंगे तो पंद्रह मिनटमें काम हो जायगा।”

मैंने कहा : “मुझे कम समय लगेगा, परंतु आप अितने समयमें और काम कर सकेंगे।”

वापू : “नहीं, कामका अैसा भूत क्यों बनाया जाय? अिस तरह तो खाना-पीना वंद कर दूं, पाखाने जाना वन्द कर दूं, घूमना वन्द कर दूं तो काम करनेके कअी घंटे मिल जायं। . . . को मैं अुलहना देता हूं, परंतु मैं क्या अुनसे अच्छा हूं?”

मैं : “तब यह क्यों कहते हैं कि मेरा समय विगड़ता है। मैं भी सारा दिन लिखने-पढ़नेमें लगाअूं, अिससे तो अितना-सा काम कर दूं यह क्या अच्छा नहीं?”

वल्लभभाजी बीचमें पड़कर : “तुम जवाबमें अिनसे नहीं जीत सकते। ये तो हाजिरजवाब हैं। किसी बातमें ये हमारी मानते हैं?”

वापू : “अनुभव यह है कि आप मुझसे ज्यादा हाजिरजवाब हैं।”

वल्लभभाजी : “तो क्या हुआ ? परंतु यहां जिस जगह बैठें वहीं खायें, वहीं फल तैयार करें, तो पानी बिखरेगा, मक्खियां होंगी।”

वापू : “मीरावहनकी अेक ही कोठरीमें रसोअी, सोना, पढ़ना, अुठना, बैठना सभी कुछ होता है न ?”

वल्लभभाजी : “यों तो अेक कोठरीमें जिनका सारा घर होता है, अुनका भी यही हाल होता है। पर यहां जब जगह है तो अुसका अुपयोग क्यों न किया जाय ?”

वापू : “गरीब आदमियोंकी थोड़ी तकल करें तो। अफीकामें सादा जीवन वितानेके प्रयोगके वाद भोजनालय, बैठना, मुंह धोनेकी कुंडी, वरतन मलना, सोना आदि सब कुछ अेक ही कमरेमें होता था। फिर भी अुसकी स्वच्छताके वारेमें कोअी कुछ शिकायत नहीं कर सकता था।”

ता० ३०-१०-३२ : शामको खाते-वाते वापू महावीर-संबंधी पुस्तक पढ़ रहे थे। अुसमें अेक वाक्य वापूने जो कुछ किया है और करना चाहते हैं अुसके अकल्पित समर्थनके रूपमें मिल गया। वह मुझे अिशारा करके वताया। मैंने कहा : “ठीक समय पर आया है न ?” वापूने आनन्दपूर्ण आश्चर्यसे सिर हिला दिया।

वल्लभभाजी : “अपने लिये समर्थन ढूंढते ही रहेंगे।”

हम दोनोंकी तरफ अुंगली अुठाकर सूचित किया, यह आपके लिये भी है। अिस पर वल्लभभाजी बोले : “जैनोंको तो अिस प्रकार शरीर छोड़नेमें कोअी आपत्ति नहीं है। सनातनियोंको समझायें तो जानें।”

ता० १-११-३२ : रातको वल्लभभाजी खूब नाराज हुअे। वापूसे कहने लगे : “आपको अुपवास*का नोटिस देना चाहिये। चार दिनके

* अस्पृश्यताके कामके लिये जिनसे चाहें अुन्हें मिलने देनेकी आर लिये हुअे पत्रोंमें से जिसे चाहें अुसे छापनेकी छूटके लिये वापूने ता० २५ अक्टूबरको यह नोटिस दिया था कि जब तक शरीर है तब तक पहली नवम्बरसे ‘सी’ क्लासका भोजन लेना शुरू करुंगा। अुसी दिन समझौता हो गया था। देखिये ‘महादेवभाजीकी डायरी — भाग २’, पृष्ठ १६३-६४।

नोटिससे काम नहीं चल सकता। जिस तरह आप लोगों और सरकार दोनोंके साथ अन्याय करेंगे। दूसरोंके सामने भी हम आपकी कोजी सफाजी नहीं दे सकते। लोग कहेंगे कि अके अुपवास पूरा करके दूसरा शुरू कर दिया। पत्र लिखा वह भी ऐसा जिसे खुद ही लिखें और खुद ही समझें। आपकी असहयोगकी फिलासफी सरकार क्या समझे? न समझे तो उसका आपसे पूछनेका कोजी धर्म नहीं है। आप तो जिस तरह व्यवहार करते हैं, मानो वे लोग आपके अधीन हों।” अित्यादि। जिस सारी गरमागरम वहसका सार यह था कि दस दिनका नोटिस तो देना ही चाहिये।

वापू शान्त चित्तसे जवाब देते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे। अन्तमें अुन्होंने कहा : “मैंने जब पहला पत्र लिखा, तब आपने ये सब अेतराज क्यों नहीं अुठाये? अुस वक्त आप जो कहते सो मैं करता। पत्रको बढ़ाता, लम्बाता, सब कुछ करता। परंतु अब क्या हो सकता है? मैं मानता हूं कि अिन लोगोंको सात दिन तो मिल चुके। और अब चार दिन देना काफी है। दस दिन देना तो हमारी कमजोरी जाहिर करेगा। जिस कमजोरीमें ये लोग भी फंसेंगे। कुछ करना हो तो अुसे भी मुलतवी करके बैठे रहेंगे।”

ता० ४-११-'३२ : वापूने फिर अेक दूसरे अुपवासकी बात छेड़ी और अपने आप ही कहने लगे : “परंतु जिसके विरुद्ध अेक आपत्ति है। सरकार यह मानती है कि गांधीको किसी न किसी तरह बाहर निकलना ही है।”

मैं : “यह आपत्ति घातक जरूर है।”

वापू : “क्यों, वल्लभभाजी आप क्या कहते हैं? ”

वल्लभभाजी : (चिढ़कर) “अब आप जरा लोगोंको आरामसे बैठने दीजिये। बेचारे जो वहां अिकट्ठे हुअे हैं वे जो सूझेगा करेंगे। आप यह पिस्तौल दिखाकर किसलिअे लोगोंको घबराहटमें डालते हैं? दूसरे लोगोंको भी खयाल होगा कि यह आदमी निठल्ला है, समय-असमय अुपवास ही करता रहता है। छूटनेके लिअे यह अेक वहाना है, अैसा भी मान सकते हैं।”

वापू : (हंसकर) “परंतु महादेव कहते हैं वैसा अुपवास? ”

वल्लभभाजी : “किसी भी तरहका नहीं! ”

वापू : “तो अव्यक्त महोदयकी विलकुल नामंजूरी ही है? ”

वल्लभभाजी : “हां।”

वापू : “अच्छा, तो यह बात यहीं खतम हुई। आप जिमके लिअे अिनकार कर दें वह क्या हो सकता है ?”

वल्लभभाभी : “यह तो हमारी परीक्षा लेनेके लिअे आपने पूछा था। वना आप जैसे हैं कि हम ना कहें तो आप हां कहेंगे और हम हां कहें तो आप ना कहेंगे !”

वापू : “वाह, तव तो मुझे अुपवास करना ही चाहिये, ठीक है न ?”

वल्लभभाभी : (हंसकर) “अुपवास करना हो तो अिन सब गोलमेजमें जानेवालोंके खिलाफ कीजिये न।”

वापू : “वह तो आपको करना चाहिये। जाअिये, आपको अिजाजत देता हूं।”

वल्लभभाभी : “जी हां, मैं क्यों करूं? मैं करूं तो मुझे ये लोग मर जाने देंगे। आपके ये सब मित्र हैं, अिसलिअे शायद मान जायं! परंतु गये हुअे क्या वापस आ जायेंगे? जाने दीजिये यह बात। परंतु अेक चीज है। अिस देसामें सब ठंडे होकर, थककर बैठ गये दीखते हैं। चलिये, हम तीनों अुनके खिलाफ अुपवास करें।”

वापू : “यह बात आपकी सोलह आने सही है। परंतु अिसका अवसर अभी नहीं आया है। वह अवसर आ जरूर सकता है। परंतु मुझे साफ नजर आता है कि आज नहीं आया है।”

वल्लभभाभी : “आपकी अनुमति हो तो अिसके लिअे मैं अकेला भी अुपवास कर सकता हूं।”

ता० १३-११-'३२ : संकीने वापूसे अपील की थी, अुसका खूब अुलहना भरा जवाब लिखा। वल्लभभाभी बोले : “यह मुझे पसन्द आया।”

वापू : “मसालेदार हो तव आपको अच्छा लगे, क्यों ?”

ता० २४-११-'३२ : आज रातको देर तक बैठकर बहुतसे पत्र लिखवाये। वल्लभभाभी भी अब मंत्रीके पद पर पहुंच गये हैं और डेरों पत्र निवटानेमें सहायता देने लगे हैं। यह अुनका मनपसन्द काम भी है। अुनके विनोदका फव्वारा तो चलता ही रहता है।

अेक आदमीने पत्रमें लिखा था कि स्त्री कुरूप है, अिसलिअे अच्छी नहीं लगती। अिस पर तुरंत वापूसे कहा : “लिख दीजिये कि आंखें फोड़ लो और अुसके साथ रहो। फिर कुरूपको देखना नहीं पड़ेगा !”

अेक शख्सने फिरसे विवाह करनेका आग्रह करनेवालेकी दलील देकर लिखा था कि अुन्होंने मुझ पर अुपकार किया है और अुनकी तीन लड़कियां कुंवारी हैं। जातिमें वरोंकी कमी है, असलिये मुझसे विवाह कर लेनेका आग्रह कर-रहे हैं।

वल्लभभाभी बोले : “तब तीनों लड़कियोंसे शादी कर ले तो क्या बुराही है ? ”

*

*

*

आज अेक व्यक्तिकी खुली चिट्ठी आयी। अुसमें अुस वेचारेने अन्तमें लिखा है कि आपके जमानेमें जीनेका दुर्भाग्य प्राप्त करनेवाला।

वापू बोले : “कहिये अिसे क्या अुत्तर दिया जाय ? ”

वल्लभभाभी : “लिख दीजिये कि जहर खा लो। ”

वापू : “नहीं, अैसा नहीं। यह क्यों न लिखा जाय कि मुझे जहर दे दो ? ”

वल्लभभाभी : “परंतु अिसमें अुसका काम नहीं बनेगा। आंफको जहर देगा तो आप चले जायंगे; और अुसे फांसीकी सजा मिलेगी तो अुसे भी जाना पड़ेगा। असलिये दुबारा आपके ही साथ जन्म लेना भाग्यमें बदा रहेगा। अिससे तो यही अच्छा कि खुद ही जहर खा ले ! ”

ता० १४-१२-'३२ : मैंने वापूसे अेक मजेदार बात कही। देवदासने अेक वार पूछा था कि “मतगणनामें वापू, वल्लभभाभी और आप, मैं तथा बा हों तो क्या हम मंदिर-प्रवेशके पक्षमें मत दे सकते हैं ? ”

वापू : “वल्लभभाभीके सिवा हम सब मतदाता हो सकते हैं। ”

वल्लभभाभी : “आप कोअी नहीं हो सकते, परंतु मैं हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो मंदिरोंमें बहृत गया हूं। आप मंदिरोंमें जानेका दावा अिस बात परसे करते होंगे कि थरबडा जैसे मंदिरोंमें हमेशा आनेका आपने अपना धर्म बना लिया है और दूसरोंको भी भेजते हैं। ”

ता० १८-१२-'३२ : देवघर, नटराजन् और वापूके संवादका सार सुनकर वल्लभभाभी बोल अुठे : “बाहर जानेका नुसखा क्यों नहीं सुनाया ? मैं होता तो सुना देता। ”

मैंने कहा : “क्या ? ”

वल्लभभाभी : “शास्त्रीसे कहा जाय कि आप वापूकी जगह लीजिये। देवघरसे कहा जाय कि आप मेरी जगह आ जाअिये और नटराजन् जमनालालजीका स्थान ले लें। फिर हम तीनों अस्पृश्यता-

निवारणका काम करेंगे। बिन लोगोंको थोड़ा भी विचार नहीं होता ? यों कहते चले आते हैं कि आपको जेलसे बाहर आना चाहिये। परंतु कोअी सरकारके पास भी जाकर बुससे कहता है ? मिसेस कजिन्सका सारा मामला 'सोशियल रिफॉर्मर' में छपा है। परंतु अुम मामलेसे भी कुछ शिक्षा ग्रहण की जाती है ? अुस महिलाको आर्डिनेंस-राज्य असह्य हो गया। परंतु हमें असह्य लगता है ? ”

ता० २५-१२-'३२ : आज यह खबर आयी कि मरकारने वारडोली आश्रमके मकान बेचना तय किया है। वल्लभभायी बोले : “अच्छा है विक जायं तो। हमारे हाथमें सत्ता आयेगी तब ये सब वापस देने ही पड़ेंगे। जब तक सत्ता नहीं आ जाती तब तक अुनके बिन सारे मकानों (जेलों) पर तो हमारा कब्जा है ही ? ”

ता० ३०-१२-'३२ : मद्रासमें बीसायी बने हुअे अछूतोंके साथ बीसायी अपने गिरजोंमें भी छुआछूत रखते हैं। अुन्हें दूर रखनेके लिये कटघरे बना दिये गये हैं। आज पढ़नेमें आया कि बिसके विरुद्ध कुछ बीसाबियोंने मद्रासके विशपको अनशन करनेका नोटिस दे दिया है। वापूको मजा आया।

वल्लभभायी : “बे कटघरोंको अुखाड़ क्यों नहीं फेंकते ? ”

वापू : “आपके खयालसे तो यह अहिंसा ही होगी, क्यों ? ”

वल्लभभायी : “कटघरे अुखाड़कर क्या किसीको मारने हैं ? अुखाड़कर फेंक देनेकी बात है। ”

*

*

*

दो शास्त्री पूनामें वेदसंहिताका पारायण करते हुअे ग्यारह दिनका अनुष्ठान कर रहे हैं, यह बात 'ज्ञानप्रकाश' में पढ़ कर वापूने अुन लोगोंको लिखा : “यह आप मेरे विरुद्ध कर रहे हों तो आपने मुझे तो बिस वारेमें लिखा ही नहीं। परंतु मेरे विरुद्ध न हो और केवल प्राणीमात्रके प्रति करुणासे प्रेरित होकर हिन्दू धर्मकी रक्षा करनेके लिये आपने अैसा किया हो तो आपकी बिस तपश्चर्यासे हिन्दू धर्मका कल्याण हो। ”

बिस पर वल्लभभायी बोले : “जब सैकड़ों लोग बीसायी और मुसलमान बने, तब ये अनुष्ठान करनेवाले कहां चले गये थे ? ”

ता० ३-१-'३३ : वल्लभभायी अपने स्वभावके अनुसार जिस चीजको पकड़ लेते हैं, अुसे फिर नहीं छोड़ते। आज शामको बातोंमें

अन्होंने यह कहा कि “निवृत्त न्यायाधीश (Ex-Judge) राजनीतिमें भाग नहीं ले सकता।”

वापूने कहा : “ले सकता है, सरकारी नौकरकी स्थिति अलग है।”

वल्लभभाभी : “पहले किसी निवृत्त न्यायाधीशने राजनीतिमें भाग लिया हो, अैसी मिसाल दीजिये।”

निवृत्त शब्द रिटायर्ड पेंशनरके अर्थमें काममें लिया जा रहा था। मैंने कहा, “निवृत्त न्यायाधीशसे ज्यादा अच्छा अुदाहरण दत्तका है।”

वल्लभभाभी : “दत्तकी बात मैं नहीं जानता।” हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े तो कहने लगे : “यह अुन दिनोंकी बात होगी। क्या आज कोअी जज पेंशनर बननेके बाद सचमुच कांग्रेसका अध्यक्ष हो सकता है?”

वात गरम होती जा रही थी। अुसीमें फिर मेजरकी बात छिड़ गअी। वे मिलने आनेवालोंसे अखवार ले लेते हैं, सुविधाअें देनेमें डरते हैं, यह वात भी निकली। वापूने कहा : “यह तो मानना ही पड़ेगा कि अुनकी मुश्किलें बढ़ी हैं?”

अिस पर वल्लभभाभी फिर अुबल पड़े : “क्या मुश्किलें बढ़ी हैं? भारत सरकारके हुक्मकी तामील करनी चाहिये सो तो करते नहीं और मुश्किलें बढ़नेकी वात करते हैं। सरकारने अैसी सुविधाअें किसलिअे दीं? अुसे यह विचार नहीं आया होगा?”

वात बहुत बढ़ती देखकर वापू बोले, “वल्लभभाभी, देखिये अब सरदी तो चली ही गअी। आज तो पिछले साल हमारे यहां आनेके समय जैसा लगता था वैसा ही लग रहा है। दोपहरकी गरमी मालूम हो रही थी!”

ता० ७-१-३३ : वापूके साथ वातें करते हुअे ठक्करवापाने कहा था : “आपको कहां लंबे समय तक यहां रहना है?”

अिसके अुत्तरमें वापूने कहा था : “पांच बरस तो अवश्य ही।” अिस पर नरहरिने पूछा था : “क्या वापू मानते होंगे कि पांच बरस रहना पड़ेगा?”

यह सुनकर वल्लभभाभी कहने लगे : “वह व्यर्थ घबराता है। अिसमें घबरानेकी क्या वात है? अिस तरह ६९-७० वर्ष तक वापू जियेंगे, यह तो तय हो गया न? और क्या चाहिये?”

*

*

*

वल्लभभायीकी काम करनेकी फुर्तीका वर्णन करते हुआे वापू बोले : “अतनी तेजीसे काम करते हैं कि हमें आश्चर्य होना है। अनार छीलते और रस निकालते हों तो हमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे काम कर रहे हैं। परंतु सब काम जल्दी निवटा लेते हैं। लिफाफे बनाते हैं तो वह भी बिना किसी बांधलीके। थकते ही नहीं। डेरों लिफाफे बनाते ही जाते हैं। और उसके लिये अन्हें नाप लेनेकी जरूरत नहीं होती। हाथ अतना सब गया है कि अन्दाजमें सारा काम करते हैं तो भी सैकड़ों लिफाफे अकसे ही बनाते चले जाते हैं।”

ता० १०-१-३३ : आज सुबह रणछोड़दास पटवारीको लंबा पत्र लिखवाया। अुनके ८८ प्रश्नोंके ८८ अुत्तर लिखवाये। कोअी और होता तो शायद ही अितने धीरजसे अुनका पत्र पढ़ता या जवाब देता। परंतु वापू तो अैसे हैं कि किसीके अुपकारको जन्मभर नहीं भूलते। वे आड़े समय काम आये थे।*

वल्लभभायी “यह आड़े समयकी बात कब तक करते रहेंगे? आज तो वे सीधे समयमें भी काम आनेवाले नहीं हैं।”

वापू : “मरते दम तक करता रहूंगा ?”

ता० १२-१-३३ : कल रातको वल्लभभायीने वापूके खिलाफ अपना सुवार निकाला : “आप अपने साथियोंसे पूछे बिना कभी बार अैसी सूचनाओं दे डालते हैं कि वे परेशानीमें पड़ जाते हैं और अुनकी स्थिति त्रिपम हो जाती है। मंदिर-प्रवेश-मंत्रंधी समझौतेका सुझाव आपने राजगोपालाचार्यसे पूछे बिना प्रकाशित कर दिया। अुसमें मे कअी नवी बातें पैदा हुआी हैं। हरिजन अुनके विरुद्ध हो गये, जस्टिस दल-वाले भी विरुद्ध हो गये और सनातनियोंको तो अुनके बारेमें कुछ पड़ी ही नहीं। आप अिस तरह क्यों काम बिगाड़ते हैं, और काम करनेवालोंकी स्थिति क्यों कठिन बनाते हैं? यह आदत आपको सुवारनी चाहिये।”

* वापूजी पढ़नेके लिये विलायत जानेवाले थे। अुनके जानेके अेक रोज पहले बंधुओंमें रहनेवाले मोड़ बनियोंने निश्चय किया कि ये जाय तो अिन्हें जात-बाहर कर दिया जाय और कौअी कुछ मदद न दे। अिसलिये अिसके यहां रुपये रखे थे अुसने देनेसे अिनकार कर दिया। अुस समय रणछोड़दास पटवारीने वापूजीको पांच हजार रुपये अुधार दिये और वे दूसरे दिन विलायतके लिये रवाना हो सके।

वापू: “क्या मैं जान-बूझकर ऐसा करता हूँ? यदि मुझे ऐसा न लगे कि यह बात राजाजीसे पूछनी चाहिये तो मैं क्या करूँ? आप मुझसे पूछें कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता तो जिसका मैं क्या उत्तर दूँ? मेरा जो स्वभाव बन गया है उसे कैसे बदलूँ? मेरे साथी मेरे साथ न रह सकें तो क्या किया जाय? मुझे छोड़ देंगे? दूसरोंका सहयोग जिसमें न मिले तो कोसी बात नहीं, परंतु जो बात प्रकाशित करनी चाहिये उसे मैं कैसे रोक सकता हूँ?”

मैंने कहा : “मेरे खयालसे आपके स्वभावके लिये यह चीज असंभव है। जब आप किसीसे बातें कर रहे हों और उसके साथ अनेक विषयोंकी चर्चा हो रही हो, तब आपको जो कुछ सूझता है उसीको समझौतेके तौर पर आप सामने रख देते हैं। जैसे समय वल्लभभाभी या राजाजीसे पूछना भी असंभव हो सकता है।”

वापू: “ठीक है। यह मेरे स्वभावमें ही नहीं है। यह मेरा दोष हो सकता है। परंतु यह दोष आज कैसे सुधर सकता है?”

मैंने कहा : “अविनके साथ बातचीतके समय आप दो बार ऐसा समझौता कर आये थे, जो वल्लभभाभी और जवाहरलालको पसन्द नहीं था। परंतु जिसका कोसी अिलाज नहीं है।”

वापू: “ठीक है। मैं तो लोगोंका आदमी (डेमोक्रेट) हूँ। लोगोंके सामने अनेक वस्तुओं अलग अलग ढंगसे रखते रहना पड़ता है और साथ साथ लोकमतको वशमें करना पड़ता है। जिसलिये और कुछ मैं कर ही नहीं सकता।”

यह बातचीतका थोड़ेमें सार है, परंतु चर्चा तो लगभग डेढ़ घंटे तक चली थी।

ता० १६-१-'३३ : वल्लभभाभीका एक विनोद है। “कुछ दिन हुए कि वापूको सरकारके पास कोसी न कोसी शिकायत भेजनी ही होती है। कहीं वे लोग यह न समझ लें कि यह आदमी अब चुप हो गया है।”

ता० २३-१-'३३ : शामको वापूने वल्लभभाभीके साथ चर्चा करते करते अपने मनमें वाजिसरायके प्रस्तावका स्पष्टीकरण कर लिया। कहने लगे कि यह विल (मंदिर-प्रवेश विल) पास हो जाय तो सब कुछ मिल गया। मैंने कहा कि यह विल निपेघात्मक है, जिसलिये जिस विलके परिणामस्वरूप लोग मंदिर नहीं खोलेंगे। वापू कहने लगे :

“तो भले ही बन्द रखें। जिस प्रकार सभी मंदिर बन्द हो जाते हों तो मैं खुश होऊंगा।”

मैंने कहा : “तब दरवाजे पर मारपीट होगी।”

वापू : “हो सकती है, यदि आंदेडकरके आदमी हों। परंतु हमारा बल होगा वहां सनातनी समझ जायेंगे। नहीं तो हम समझ जायेंगे।” जैसे समय भी क्या मैं किसीसे, अदाहरणार्थ राजाजीसे, पूछे बिना निर्णय नहीं दे सकता ? — वापूने वल्लभभाजीसे पूछा।

वल्लभभाजी : “जरूर दे सकते हैं; जैसे वक्त निर्णय दिये बिना काम नहीं चल सकता। हमने चर्चा कर ली जितना काफी है।”

वापू : “नहीं, मैं तो तार्किक प्रश्न पूछ रहा हूं कि जैसे समय क्या किया जाय ?”

वल्लभभाजी : “राय देनी चाहिये। राजाजी यहां हों तो जरूर पूछा जा सकता है। परंतु राजाजी नहीं हैं जिसलिये राय दे देनी चाहिये।”

ता० ३१-१-३३ : रातको और सुबह मतगणनाके वारेमें और जिसके लिये राजाजीका उत्तर भारतमें अपुयोग करनेके वारेमें वल्लभभाजीने गरमागरम चर्चा की। अन्होंने कहा : “राजाजीको जिस काममें नहीं पड़ना चाहिये। उत्तर भारतमें अुनकी कोअी नहीं सुनेगा, लोग अुनके कार्यका अनर्थ करेंगे और अुनकी वदनामी होगी। वे भले मद्रासमें रहें और यही काम करें। मंदिर खुलवायें या मंदिरोंका सत्याग्रह करवायें। मतगणना भले ही हो। परंतु अुसके आगेका ध्येय स्पष्ट होना चाहिये। नहीं तो मतगणनासे भी कुछ लाभ नहीं होगा।”

वापूने कहा : “लोग दृढ़तापूर्वक हमारे साथ हैं, जिसके वारेमें मेरी शंका बढ़ती जा रही है।”

वल्लभभाजी : “हमें यह दिखानेका मौका ही नहीं मिला। जब तक लोगोंसे यह न कहा जायगा कि मतगणनासे अमुक परिणाम लाना है, तब तक अुस मतगणनाका कोअी अर्थ नहीं। सनातनी भी चाहे जितने हस्ताक्षर कराकर कहेंगे कि बहुमत हमारा है।”

ता० १०-२-३३ : अप्पान्नाहव पटवर्धनके वारेमें वापू कहने लगे : “मुझे तो शायद अपुवासका चौबीस घंटेका नोटिस देना पड़ेगा।”

वल्लभभाजी खूब नाराज हुआ : “आप जिस प्रकार मौके देमौके अपुवासका नोटिस दें, जिसका कोअी अर्थ नहीं। हजारों आदमी जेलोंमें

पड़े हैं। आप अके अप्पाका प्रकरण हो जानेसे अुपवास करके अुपवासको अिस तरह सस्ता बना डालेंगे, तो लोगों पर या सरकार पर अुसका कुछ भी असर नहीं होगा। जरूरी हो तो आप सरकारको पत्र लिखिये, अुनकी खबर पूछिये और फिर जवाब न आये तो नोटिस दीजिये। परंतु अिस प्रकार चौबीस घंटेका नोटिस देना ठीक नहीं।”

वापूने यह सुन लिया। बोले: “लोग क्या सोचेंगे, अिसका विचार नहीं किया जा सकता। परंतु देखता हूं, सुवह तक मुझे कुछ न कुछ मार्ग सूझ ही जायगा।”

ता० १२-२-३३ : आज सुवह नीलाके संबंधमें वापू अधिक पूछताछ करने लगे। कोदंडरावसे सब सुनकर बोले: “हिन्दू धर्म क्या है? अेक तरफ यह स्त्री हिन्दू बन गयी है। अिसके वारेमें सुनी सब बातें सच हों तो यह पाखण्डकी पुतली है और अिसके पीछे हिन्दू युवक पागल बने फिरते हैं। दूसरी ओर हिन्दू धर्मके शिखर पर विराजमान मालवीयजी, तीसरी तरफ आंवेडकर और चौथी तरफ मेरे अुपवासका ढिंढोरा पीटनेवाले राजाजी!”

वादमें वापूजी अुपवासकी बात कर रहे थे कि अितनेमें वल्लभभाभी आ गये। अुन्हें हिन्दू धर्मके अुपरोक्त चार स्तंभ गिनाये। अिस पर गंभीरता मिटानेके लिये वल्लभभाभी बोले: “हिन्दू धर्म तो महासागर है। अुसके चार ही स्तंभ कैसे? दूसरे भी तो हैं। मेहरबावा भी हिन्दू ही कहे जायंगे न? और अुपासनी महाराज तथा भादरणके पुरुपोत्तम भगवान!”

*

*

*

वापूजी सनातनियों और आंवेडकरवादियोंमें से किसीको भी संतोष नहीं दिला सकते थे, अिस परसे मैंने कहा: “वापू, हमें सनातनियों और आंवेडकरवादियोंकी चक्कीके दो पाटोंके बीच पिस जाना पड़ेगा।”

वल्लभभाभी: “परंतु पाटोंके बीचमें पड़ें तब न? मैं तो कहता हूं कि पाटोंमें पड़ो ही मत। कीले पर बैठे रहें और दोनों पाटोंकी अेक-दूसरेके साथ रगड़ होने दें। लेकिन अैसा करनेके वजाय आप तो सनातनियोंसे कहते हैं कि मैं सनातनी हूं और अिन लोगोंसे कहते हैं कि मैं स्वेच्छासे बना हुआ अस्पृश्य हूं। अैसी हालतमें तो दोनों पाटोंके बीच पिसना ही पड़ेगा न?”

ता० १६-२-३३ : मालवीयजीका लंबा तार आया। पहले अुनका पत्र तो आया ही था। वाअिसरायँका भी अुत्तर आ गया कि विलोंको लोकमतके लिअे धुमाये विना काम नहीं चलेगा। वापूने तुरंत ही 'Agreeing to Differ' (हमारा मतभेद) नामक लेख 'हरिजन' के लिअे लिखवाया और सारा पत्रव्यवहार प्रकाशित कर दिया। शामको अिस विषयकी चर्चा छिड़ी। वल्लभभाजी खूब गुस्ता हो रहे थे।

वापू बोले: "हम लड़ नहीं रहे हैं, फिर भी जब आप जोर जोरसे बोलते हैं तो किसीको लग सकता है कि हम लड़ रहे हैं। तो वीमी आवाजमें क्यों न बोलें? अिससे वीसवें भागकी आवाजमें बोलें तो भी मैं आपकी बात सुनसकता हूँ और हम अिस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मालवीयजीने तारमें कहा है कि प्रस्तावसे यह पता चलता है कि अिसमें मंदिरोंके लिअे कानून बनानेकी बात नहीं है, परंतु कुअें बगैरा खुलवानेकी ही बात है।

वल्लभभाजी: "यह ठीक है।"

वापूने कहा: "यह ठीक नहीं है। २६ तारीखके प्रस्तावमें कानून द्वारा हकोंको मान्य करनेकी बात है, जब कि हम कानून द्वारा अस्पृश्यताका नाश करना नहीं चाहते। और ३० तारीखवाले प्रस्तावमें तो तुरंत मन्दिर बगैरा खोलनेकी बात है और वह समझा-बुझाकर करनी है। अब कानून क्या समझाना नहीं है? और समझानेका प्रयत्न भी असफल रहे तो?"

परंतु वल्लभभाजीने बात जारी रखी: "जब ये सब विरुद्ध हैं तो अिस चीजको आप कहां तक चलाते रहेंगे? अब तो विल दो वर्ष तक पास नहीं होता। स्वराज्य पार्लियामेन्टके विना वह पास ही नहीं होगा। और अुस समय दो मिनटमें पास हो जायगा। तो फिर अुसके लिअे अितना परिश्रम क्यों? अगर स्वराज्य मिलनेसे पहले यह काम हो जानेवाला हो तो मैं विरोध नहीं करूँगा। परंतु मुझे विश्वास है कि अब कोअी आशा नहीं रही।"

वापू: "परंतु आपको विश्वास है कि स्वराज्यकी धारासभा अैसी होगी? मुझे तो नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि अभी कुछ समय हां में हां मिलानेवाली धारासभाअें होंगी। अिसलिअे हमें जो प्रयत्न हो सके करते ही रहना है।"

वल्लभभाभी : “परंतु अब विलके सक्युलेशनमें जानेके बाद क्या प्रयत्न करेंगे? और फिर आप क्या करेंगे?”

वापू : “आज तो अिस वारेमें क्या कहा जा सकता है? सोचेंगे और जो करने लायक मालूम होगा वह करेंगे। कुछ न कुछ सूझ ही जायगा। हमने अितना प्रयत्न किया फिर भी मंदिर नहीं खुले तो अिससे क्या? हमारा अेक भी कदम व्यर्थ नहीं गया। हमने कोअी हार नहीं खाअी। जब तक हमारा मन नहीं हारता, तब तक हार है कहां?”

“और आप यह नहीं देखते कि मैं हरिजन कार्य छोड़ दूं तो आंवेडकर ही मेरी खबर ले डाले? दूसरे जो करोड़ों मूक हरिजन हैं अुनका क्या होगा?”

वल्लभभाभी : “अुनका प्रतिनिधि कहता है कि हमें मंदिर नहीं चाहिये। अुसे प्रतिनिधिके रूपमें आपने स्थापित किया। अतः अब आप यह नहीं कह सकते कि वह हरिजनोंका प्रतिनिधि नहीं है।”

वापू : “मैं तो अुनका प्रतिनिधि हूं न? मैं अुन लोगोंकी आवश्यकताको जानता हूं।”

ता० १७-२-३३ : आज सुबह वल्लभभाभी पूछने लगे : “आपके वर्णाश्रम धर्ममें अिन क्षत्रियोंका क्या होगा? हथियार तो कोअी पकड़ेगा ही नहीं।”

वापू : “हां, नहीं पकड़ेगा। अैसी व्याख्या कहां है कि जो हथियार पकड़े वही क्षत्रिय है? सच्चा क्षत्रिय तो वह है जो दूसरोंकी रक्षा करे और अैसा करते हुअे प्राण देनेको तैयार हो जाय। वैसे मेरी यह कल्पना नहीं है कि दुनिया अहिंसासे चलेगी। यह शरीर ही हिंसाकी मूर्ति है, अतः अिसे टिकाये रखनेके लिये भी काफी हिंसाकी जरूरत रहेगी। परंतु ये क्षत्रिय भी कमसे कम हिंसा करेंगे।”

ता० २८-२-३३ : आज प्रातः आमके नीचे बैठे थे। अितनेमें जमनालालजीका संदेश आया कि मुझे मिलना है, जल्दी मिलना हो सके तो अच्छा। थोड़ी देर बाद चिट्ठी आअी जिसमें लिखा था : “रातको नींद नहीं आअी। चिट्ठियां डालकर अब आपका आशीर्वाद लेना बाकी है। मुझे जल्दी बुलाअिये। . . . ”

वापूने वारह बजेका समय दिया। सवा घंटे अुनसे वातचीत करके आमके नीचे आये।

मैंने पूछा, क्या बातें हुआं। जिसके जवाबमें वापूने कहा : “सारा किस्सा हंसानेवाला है। शाम पर रखो। वल्लभभाजीको भी तो सुनाना ही पड़ेगा न।

शामको बातें कीं। जमनालालजीको रातमें विचार आया कि जुर्माना देकर जल्दी छूट जाय और छूटकर हरिजनोंका काम करें। और सविनय कानून-भंगकी लड़ाईको भी जगायें। जानकीबहन वगैराको भेजें। फिर जिस पर चिट्ठियां डाली गयीं। चिट्ठी निकली कि जुर्माना देकर छूट जाय। फिर तो वापूके आशीर्वाद लेना ही बाकी रह गया। जेलरकी अपस्थितिमें वापूसे सब बातें कहीं।

वापूने अनुसे कहा : “आप चिट्ठियां डाल सकते हैं, परंतु जिसमें दो दोष हैं। अगर आप अश्वरको साक्षी रखकर चिट्ठी डालें तो मुझसे पूछनेकी कोखी जरूरत ही नहीं। जिस पर मैं राय दूं तो अश्वरसे भी बड़ा हो जाऊं। और मुझसे वैसे ही राय मांगें तो मैं राय नहीं दे सकता। मुझे वल्लभभाजीसे भी पूछना चाहिये। आपके चिट्ठियां डालनेमें दूसरा दोष यह है कि आपने बाहर जाकर सविनय कानून-भंग चलानेका विरादा रखा है। सविनय कानून-भंग तो आप यहां रहकर चला ही रहे हैं। बाहर निकलनेका निश्चय केवल अस्पृश्यताका काम करनेके लिये ही करते हैं। यदि आपका यह खयाल हो कि आप मालवीयजीको समझा सकेंगे, अस्पृश्यताका दूसरा बहुत काम कर सकेंगे और विल पास करानेमें मदद देंगे, तो आप बाहर जाकर यही काम कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। हां, आपकी सजाकी मियाद पूरी हो जानेके बाद आप कोखी भी काम कर सकते हैं। परंतु यदि आप जुर्माना देकर बाकीकी मियाद बाहर पूरी करना चाहें तो अतने समय तो अस्पृश्यताका ही काम करना आपका धर्म हो जाता है। यह समझ लेनेके बाद आपको यदि चिट्ठियां डालनी हों तो डालिये।”

अक कोरी चिट्ठी तो थी ही। दूसरी केवल बाहर जानेकी वनाखी। कटेली साहबसे दोनोंमें से अक अठवाखी। अनुहोंने कोरी चिट्ठी अठवाखी तो सब कुछ ‘मनमें व्याहे मनमें रंडाये’ जैसा हो गया।

जिस पर रातको बातें हुआं। जैसे विषयोंमें चिट्ठी डाली जा सकती है या नहीं, जिसमें वल्लभभाजीको और मुझे शंका थी। मैंने कहा : “जहां सिद्धान्तकी बात न हो वहां चिट्ठी डाली जाती है। दो मार्गोंके पक्षमें समान दलीलें हों, तो अनुका निर्णय करनेको

चिट्ठी डाली जा सकती है। परन्तु कर्म और अकर्मके बीच क्या चिट्ठी डाली जा सकती है? कोजी आदमी माफी मांगने और जेलमें रहनेके बीच चुनाव करनेको चिट्ठी डालता होगा? ”

*

*

*

वल्लभभाजी काफी अद्विग्न रहे। “जमनालालजीके मनमें जिस तरहका विचार ही कैसे आ सकता है?” जिस प्रकार मनमें घुट रहा प्रश्न प्रकट रूपमें बार बार हमें सुनाते रहते थे।

ता० २४-२-३३ : नरगिस बहन, पेरीन बहन, कमला बहन और मथुरादास आये थे। कहींसे गप लाये थे कि वाजिसरायका निजी मंत्री वापूसे मिलने आया था।

वल्लभभाजी कहने लगे : “आपने अनुसे यह नहीं कहा कि तुम्हारी सूत्रतें तो अैसी नहीं दीखतीं कि वाजिसरायके निजी मंत्रीको यहां आनेके लिये मजबूर होना पड़े?”

ता० २५-२-३३ : ‘सुधर्म’ नामक पत्र कहता है कि १९३४में भारतकी जन्मपत्रिका अैसी है कि अस्पृश्योंको मंदिर-प्रवेश करानेके सिलसिलेमें मारकाट होगी और सात करोड़ आदमी मारे जायंगे। पुलिस गोलीबार करेगी।

वापूने कहा : “ब्राह्मण नहीं मानेंगे तो मारपीट तो खूब होगी ही। आंबेडकर ब्राह्मणतर परिषद्का अध्यक्ष बना है।”

वल्लभभाजी कहने लगे : “ब्राह्मणतर भी मान जायं तो ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकते। परन्तु ब्राह्मणतरोंको भी अस्पृश्यता मिटाना कठिन लगता है।”

ता० २७-२-३३ : आज ‘क्रॉनिकल’ में आया है कि सरकारने १९३५ तक कैदियोंको न छोड़नेका निश्चय किया है। और गांधीजीको कमसे कम तीन वर्ष जेलमें रखा जायगा।”

वापू : “देखो, मैं तो पांच वर्ष कह रहा था। लेकिन यहां दो कम हो गये।”

वल्लभभाजी कहने लगे : “आप तो कहानीके उस वेशर्मकी तरह कर रहे हैं। उससे जब किसीने कहा : ‘अरे, तेरी पीठ पर बबूल अुगा है’ तो उसने जवाब दिया : ‘अच्छा है, मुझ पर छाया हो गयी!’”

ता० ३-३-३३ : आज नीलाकी बात सुनकर वापू स्तब्ध हो गये। यह सवाल पैदा हुआ कि जिस स्त्रीकी कितनी बात मानी जाय और कितनी न मानी जाय।

कौन जानता है, कल और कितने जहरके कटोरे पीने होंगे ?

वल्लभभाजीने ठीक कहा : “वापू आशा रखते हैं वैसी कायापलट तो असाधारण मनुष्यकी ही हो सकती है। जिसके लिये मंस्कार चाहिये। यह बात सच है कि शिलाकी अहल्या बन गयी। परन्तु उसके लिये पहले अहल्याकी शिला बननेकी जरूरत थी न? मनुष्य अपने पापोंसे जलकर पत्थर या कौयला बन जाय तभी बादमें उसे किसी साधुके चरणस्पर्शसे हीरा बननेकी आशा रह सकती है। नहीं तो किसीका भी स्पर्श उसका कुछ नहीं कर सकता।”

*

*

*

जमनादासकी माफीके बाद आज सेतलवाड़को जोश चढ़ा है। और वे वापूको अपदेश देते हैं कि राजनीति आपकी समझमें नहीं आ सकती; आप तो बैठे बैठे यह भंगी-अुद्धारका काम करते रहिये।

वल्लभभाजी कहने लगे : “आज राजाजी और देवदास आ रहे हैं। उनसे कहना कि आपके दिल्ली जानेका अितना परिणाम अवश्य हुआ है कि जमनादासने माफी मांग ली, सेतलवाड़ने ये अपदेश-वचन निकाले और अभी दूसरे वक्तव्य और निकलनेवाले हैं।”

ता० ५-३-३३ : जमनादासके वक्तव्यकी और उनको दिये हुये आश्वासनमें रही ‘वहादुरी’ की ‘सोशियल रिफॉर्मर’ और ‘क्रॉनिकल’ वड़ायी कर रहे हैं।

वल्लभभाजी बोले : “अब तो वहादुर कहलाना हो तो माफी मांगकर बाहर निकल जायिये। यहां अन्दर पड़े रहेंगे तो कायर मान लिये जायेंगे।”

ता० १३-३-३३ : शामको बातें कर रहे थे, तब सूर्यास्तकी अद्भुत शोभा थी। वापू कहने लगे : “देखिये तो सही !”

वल्लभभाजी बोले : “अरे! इस तरह डूबते सूरजको क्या देख रहे हैं? अगले सूरजको पूजना चाहिये।”

वापू : “हां, हां। यही नहा-धोकर कल प्रातःकाल जब फिर अग आयेगा, तब फिर उसीको पूजेंगे।”

ता० १७-३-३३ : दूरबीन बतानेके लिये आकाश-शास्त्रियोंसे शामके बाद आनेकी प्रार्थना की गयी थी, जो अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दी गयी। इस अस्वीकृतिके पीछे सरकारका यह भाव मानकर कि अिन लोगोंको दफ्तरके समयमें आना चाहिये, वापूने दूसरा पत्र लिखा है।

वल्लभभाभीका अिस पर विनोद : “अितनी ही वात है न कि दिन रहते भीतर आयें ? तो फिर भले ही लोगोंको दिन रहते दाखिल कर लें। बाहर कव निकाला जाय, अिस वारेमें तो कोअी नियम नहीं हैं न ? और रातको बाहर न निकाल सकते हों तो भले सुवह तक रखें।”

ता० २०-३-३३ : शामको श्वेतपत्र (White Paper) की धांधली मचानेकी शक्तिके वारेमें वात करने पर वापू बोले : “फिर भी मेरा खयाल है कि अिसमें जाना पड़ेगा। यदि हम सब दलोंको अेक कर सकें तो देशीराज्य कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान, अछूतवर्ग और दूसरे हिन्दू सब अेक हो जायं तब तो हम अिन लोगोंको छका सकते हैं। फिर भी अेक दल सविनय कानून-भंग करनेवाला रखना चाहिये। अेक दल सविनय कानून-भंग करे और अेक धारासभामें जाय। जैसे दक्षिण अफ्रीकामें अेक सत्याग्रह सभा (पैसिव रेजिस्टेंस असोसियेशन) थी और अेक ट्रान्सवाल अिडियन असोसियेशन था।”

वल्लभभाभी बोले : “जिस तरह आज हरिजनोंका काम करनेवाले और जेलमें जानेवाले — अैसे भाग कर दिये गये हैं।”

ता० २८-३-३३ : लेंडी ठाकरसीकी तीन चार हजारकी दूरवीन आअी। अुसके स्टैण्डको अुठानेके लिये आठ आदमियोंकी जरूरत पड़ी।

वापू कहने लगे : “अव अिसे रख लेनेकी नीयत होती है। आश्रममें वेधशाला (ऑब्जर्वेटरी) बनाअी जा सकती है। छूटनेके बाद पांच-सात वर्ष जीते रहें तो सब कुछ हो सकता है।”

अिस प्रकार अभी दस साल जिन्दा रहनेकी बातें हैं। वल्लभभाभी : “अरे भाअी, वेधशालाके लिये तो आज भी छोड़ देंगे। सायमें हरिजनोंका काम मिला दीजिये। और कुछ न करें तो जाअिये आज ही चले जाअिये। सरकार तो अैसा कहती है, परन्तु आप कहां मानते हैं ?”

ता० ८-४-३३ : “मुसलमान शान्त बैठे हैं और कुछ नहीं बोलते। सरकारको अच्छी तरहसे सहयोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे,” वल्लभभाभीने कहा।

अिस पर वापू बोले : “जब तक मुसलमान देशके हितमें अपना हित न समझने लगेंगे, तब तक हिन्दू-मुस्लिम-अेकता नहीं होगी और मालवीयजीके सारे प्रयत्न व्यर्थ जायेंगे। आज मुसलमानोंमें यह भावना नहीं है। आज तो अुन्हें स्वार्थ साधना है।”

ता० २१-४-'३३ : शामको सिविल सर्जन सरदारको देख गया। खूब जांच की। जिस निर्णय पर पहुंचा कि 'कोटेराबिज' करनेमें लाभ नहीं। ऑपरेशनसे शायद लाभ हो, यद्यपि निश्चित नहीं कहा जा सकता। परंतु जिस समय यहां लम्बी छुट्टियां-सी हैं, अिमलिअे ऑपरेशन करा लेना ही ठीक होगा।

वापू : "ठंडक होनी चाहिये और धूल न होनी चाहिये। जिसके लिअे समुद्र-यात्रा जैसा दूसरा कोअी अुपाय नहीं।"

जिस पर वल्लभभाजी कहने लगे : "जिसके वजाय तो मैं यहीं सुख-शांतिसे न मर जाऊं?"

डॉक्टर : "अितने निराश होनेकी कोअी वात नहीं।"

वापू : "लो, तव तो हम प्रस्ताव करेंगे कि आपको समुद्र-यात्रा पर जाना चाहिये।"

वल्लभभाजी : "मैंने अुसे क्या जवाव दिया आप जानते हैं?" यह कहकर जवाव सुनाया।

वापू : "परंतु जहाज पर भी धूल तो खूब होती है। कोयलेकी रज वेहद होती है। हम रंगून गये थे तव हमारे कपड़े और सामान काला काला हो गया था।"

सरदार : "आप जैसे डेक पर सफर करनेवालोंका यह हाल होता है। हम डेक पर सफर करनेवाले नहीं हैं। हम तो सदा सलूनमें ही यात्रा करते हैं। हमें कभी धूल मालूम नहीं हुआ।"

वापू : "भाजी, सलूनमें भी धूल जाती है। दिन भर आदमी साफ करता ही रहता है।"

ता० २४-४-'३३ : आंबेडकरके सुझावके* वारेमें वापूने वल्लभ-भाजीको सवाल-जवाबके साथ अच्छी तरह तैयार रहनेको कहा था। शामको वल्लभभाजीके साथ सवाल-जवाब हुअे।

*यरवडा समझौतेके अनुसार यह ठहराया गया था कि हरिजन अुम्मीदवारके लिअे यदि अेक बैठक हो तो पहले चार अुम्मीदवारोंको हरिजन मतदाता प्रारंभिक चुनाव द्वारा चुनें और बादमें साधारण निर्वाचक मंडल अुन चारोंमें से अेकको चुने। डॉ० आंबेडकरने यह सुझाव दिया था कि हरि-जनोंको दोहरे चुनावमें दोहरा खर्च अुठाना पड़ता है, जिसके वजाय यह तय किया जाय तो कैसा रहे कि साधारण चुनावमें हरिजन अुम्मीदवारोंको हरिजन मतदाताओंके अमुक प्रतिशत मत मिलने ही चाहिये?

वापू : “कहिये, अिस सुझावके वारेमें आपका क्या खयाल है ?”

वल्लभभाभी : “यह तो हिन्दुओंके मतोंके विना काम चला लेनेकी कोशिश है। ४० प्रतिशत मत कमसे कम तय कर दिये जायं तो भी ये लोग दलित वर्गके सभी मत खींच ले जानेका प्रयत्न करेंगे। और दूसरेके हिस्सेमें मत रह ही नहीं जायेंगे।”

वापू : “परंतु हरिजन चालीसके बजाय पचास प्रतिशत प्राप्त कर ले, साठ प्रतिशत प्राप्त कर ले, तो भी बाकी मत तो दूसरेको मिलने ही वाले हैं न ?”

वल्लभभाभी : “परंतु वे मत तो अुन्हींको मिलेंगे।”

वापू : “आंवेडकरको अलग रखिये। आपके पास कोअी वकीलके नाते सलाह लेने आये और कहे कि हमें हिन्दुओंके मतोंकी जरूरत नहीं अथवा हमें अुनके मत लिये विना धारासभामें जाना है। अिसके लिअे आप कोअी तरकीव वताअिये। तो आप आंवेडकरकी सुझाअी हुअी तरकीव ही वतायेंगे न ?”

वल्लभभाभी : “हां।”

वापू : “खैर, फिर वह यह पूछे कि कमसे कम कितने प्रतिशत मत रखे जायं, तो आप क्या कहेंगे ?”

वल्लभभाभी : “फिर तो ज्यादासे ज्यादा, मांगूंगा ?”

वापू : “परंतु कितने ?”

वल्लभभाभी : “जितना खींचा जा सके अुतना खींचूंगा।”

वापू : “आपके मतानुसार १० प्रतिशत हों तो काम चल जाय।”

वल्लभभाभी : “सामनेवालेको खुश करनेके लिअे १० प्रतिशत दूंगा। अिससे आगे नहीं जाअूंगा।”

मैंने कहा : “अकाटअ दलील तो आप आंवेडकरके सामने दे चुके हैं कि जिसे २४ प्रतिशत अस्पृश्योंके मत मिलें और हिन्दुओंके अधिकसे अधिक मिलें, वह आदमी हार जायगा और जिसे २५ प्रतिशत मत अछूतोंके मिल जायं परंतु हिन्दुओंके कमसे कम मिलें वह आदमी चुन लिया जायगा। यह तर्क संपूर्ण है। अिसे मैं सारे यरवडा-समझौतेकी जड़ काटनेवाली वस्तु मानता हूं।”

वापू : “मैं अिस हद तक अनुमान नहीं लगाता। मुझे तो सिर्फ यह वात वेहूदी लगती है। परंतु अद मैं विचार करके देखूंगा।”

ता० २६-४-'३३ : नीला नागिनी और उसके लड़केके खाने-पीनेकी वापू चिन्ता रखते हैं; कपड़ोंकी चिन्ता रखते हैं। लड़केकी धोती अपनी धोतीमें से काट कर बना दी है और जूतोंकी मरम्मत करानी थी सो वे भी जेलरकी अजाजत लेकर जेलके मोचीखानेमें देनेके लिये रख लिये हैं।

वल्लभभाजी शामको बोले : “भाजी, सब कुछ करेंगे। बुढ़ापेमें लड़का आया है इसलिये चाहे जैसे लाड़ लड़ायेंगे। हम नहीं बोल सकते।”

ता० २-५-'३३ : वापू २१ दिनका अुपवास करनेवाले थे। इस वारेमें वल्लभभाजी बहुत अुद्विग्न रहते थे।

वापू मुझसे पूछने लगे : “वल्लभभाजी मुझसे अभी तक नाराज हैं ?”

मैंने कहा : “नाराजी क्या हो सकती है ? दुःख है।”

वापू : “परंतु तुमने तो कल अैसा आभास दिया था कि अुन्हें क्रोध है।”

मैंने कहा : “तो मेरी भापा गलत थी। क्रोध हो ही नहीं सकता। यह न समझिये कि अुपवासके लिये अुनकी संमति है। अुनके हृदयमें तीव्र वेदना भरी है। परंतु आप जिन्दे रहें या चले जायं, कुछ भी हो, वे यह चाहते हैं कि आपके आसपास असंतोष, कलह और अप्रसन्नताका वातावरण न रहे।”

वापू : “यह मैं समझता हूं। वल्लभभाजी जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हमारे पास है, यह क्या अीश्वरकी थोड़ी दया है ? अुनमें अटूट अीश्वरश्रद्धा तो विद्यमान है ही।”

मैंने कहा : “मैंने तो अुनसे कल कहा कि अुपवास जारी रखनेके लिये हमारे जैसे अभागे भले लायक न हों, परंतु आप तो हैं ही। और आप जारी रखें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।”

*

*

*

वल्लभभाजी इस अुपवासको किस दृष्टिसे देखते हैं, इस पर सर पुरुषोत्तमदासको लिखा गया अुनका नीचेका पत्र काफी प्रकाश डालता है :

“वापूने इस वार जो प्रतिज्ञा ली, अुसमें किसीकी सलाह या सम्मति ली ही नहीं। पिछली वारकी प्रतिज्ञा धार्मिक होते हुअे भी अुसमें राजनैतिक तत्त्व समाया हुआ था। और अुस

हृद तक मेरे साथ परामर्श करनेकी आवश्यकता अन्होंने स्वीकार भी की थी। परंतु अिस वारकी प्रतिज्ञा केवल धार्मिक होनेके कारण अुसमें मेरी सम्मति लेनेका सवाल ही नहीं अुठता था। रातको अेक वजे हम सब सोये पड़े थे, तब अुन्होंने अपना निर्णय किया और डेढ़ वजे अुठकर वह वक्तव्य तैयार किया जो प्रकाशित हुआ है। सुबह चार वजे हमारे अुठनेके बाद मेरे हाथमें दिया। मैंने देखा कि अुसमें फेरबदल करनेकी जरा भी गुंजाअिश्त नहीं रखी गयी है। फिर भी अिस वारेमें अुनसे पूछकर निश्चय कर लिया। और जब जान लिया कि निर्णय हो गया है तब तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लिये अीश्वरेच्छाके अधीन होनेके सिवा और कोअी मार्ग नहीं।

“और यह माननेका भी कोअी कारण नहीं है कि मेरे साथ अुन्होंने पहले परामर्श किया होता तो मैं अुनके किये हुअे निर्णयमें परिवर्तन करा सकता था। हां, मैं अपने दिलका थोड़ा गुवार जरूर निकाल सकता था। वैसे, अिस प्रकारके शुद्ध धार्मिक निर्णयोंमें परिवर्तन करा सकनेकी योग्यता मुझमें नहीं है।

“आप आकर क्या करेंगे? आप या मैं भला क्या कर सकता हूं? मालिकका सोचा हुआ होता है और होगा। किसीकी धार्मिक प्रतिज्ञा तुड़वानेका निष्फल प्रयत्न भी करनेके पापमें हम क्यों पड़ें? हिन्दू धर्मका प्रामाणिक और सतत पालन करनेवाला आज कौन है? होता तो आज हमारी यह दशा न होती। तब मान लें कि धर्मपालन करनेवाला अेक व्यक्ति जो हमारी जानकारीमें है अुसकी ली हुयी प्रतिज्ञा सगे-संबंधी या स्नेही अपने आग्रहसे छुड़वा सकते हैं, किन्तु अिससे हिन्दू धर्मको या देशको क्या लाभ होगा? मेरी अल्पमतके अनुसार तो अिसका अुलटा ही परिणाम होगा। अिसलिये वापूको रोकनेके प्रयासोंको मैं अनुचित और व्यर्थ समझता हूं। प्रतिज्ञाके गुण-दोषका विचार करने पर भी यरवडा-समझौतेके बाद हिन्दू समाजके कुछ भागका व्यवहार देखते हुअे और खास कर सनातनी लोग और कुछ शिक्षित भारतीय जिस प्रकार प्रचार कर रहे हैं अुसे देखते हुअे जल्दी या देरसे यह अुपवास तो आने ही वाला था। तो फिर अितनीसी बातके लिये शोक क्यों किया जाय

कि अुसे थोड़े दिन और न टाला जा सका? गुरुवायुरका आन्दोलन शुरू हुआ तबसे अब तक सनातनी जो पत्रव्यवहार वापूके साथ कर रहे हैं वह सब मैंने देखा है। हिन्दू धर्मकी रक्षाके नाम पर जिस भयंकर झूठ और प्रपंचका जवरदस्त प्रयोग हो रहा है वह भी मैं देख रहा हूं। वड़ेसे वड़े पद पर पहुंचे हुए हमारे ही भाभी जिस आन्दोलनको राज-नैतिक चालवाजी समझते हैं और वापू पर ढोंगका आरोप लगाते हैं। अैसी हालतमें करोड़ों गरीब और अपढ़ अछूतोंको दिये गये वचनके वारेमें वे कब तक चुपचाप देखते रहें? हिन्दू धर्मकी रक्षाका कोअी और मार्ग आपको सूझता है? यदि दूसरा कोअी मार्ग न हो तो जिसे धर्म जीवनसे अधिक प्यारा हो वह और क्या करे?

“वापूकी अुमर और शारीरिक स्वास्थ्यको देखते हुए अिक्कीस दिनके अुपवासकी बातसे मुझे कंपकंपी जरूर छूटती है। अुन्हें खुदको तो विश्वास है कि अीश्वर अुपवासको निर्विघ्न पूरा कर देगा। परंतु मुझे भय है कि यह आशा बहुत ज्यादा है। परंतु जो अनिवार्य है अुसका शोक करनेसे क्या होता है? भगवान जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे।”

३ मअीको राजाजीने सरदारको नीचे लिखा तार दिया था :

“यह आशा रखना मूर्खता है कि अिस अग्निपरीक्षामें वापू अुत्तीर्ण हो जायेंगे। केवल आप ही अुन्हें रोक सकते हैं। यह अेक भूल हो रही है और अुससे कोअी अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। यह कष्ट घटना हरिजनों और देश दोनोंके लिये प्रगतिकी सुअीको अुलटी दिशामें घुमा देगी।”

सरदारने अिसका अुत्तर अपने विलक्षण ढंगसे दिया :

“अभी तार मिला। यह बात सही है कि वापूके अग्निपरीक्षामें अुत्तीर्ण हो सकनेकी आशा रखना मूर्खता मानी जायगी। मैं अैसे मूर्खोंके दलमें नहीं हूं। परंतु सफलताकी जरा भी आशा रखकर अुनका निश्चय तुड़वाने या बदलवानेके लिये समझानेकी कोशिश करना अुससे भी बड़ी मूर्खता है। अिसलिये मैंने तो यही ठीक समझा है कि अुन्हें व्यर्थ कष्ट या त्रास न दिया जाय और अपनी शक्तिका संग्रह करने दिया जाय। परंतु अुनकी अन्तरात्माके रक्षकके रूपमें सफल होनेकी आपको कोअी संभावना दीखती हो तो आपको कुछ भी सलाह देना

मेरे लिअे धृष्टता होगी; यद्यपि मुझे तो निस्सन्देह प्रतीत होता है कि मेरी मान्यता ही सही है।”

ता० ७-५-’३३ : प्रातःकाल वापू कहने लगे : “खैर, अब तो भगवान जिन्दा रखेंगे तो ३० तारीखको गीता बोलूंगा। और सबके साथ तो कौन जाने कब ?”

वल्लभभाभी : “मैं २९ तारीखको कैसे साथ रहूंगा ?”

वापू : “अीश्वरकी शक्ति अपार है। वह अकल्पित बातें कराता है। २८ तारीखको ही अिकट्ठे हो जायं तो ?”

[अुपवास शुरू हुआ अुसी दिन अर्थात् ता० ८-५-’३३ को शामको छः बजे वापूको छोड़ दिया गया। अुपवास समाप्त हो जानेके वाद अुन्होंने आन्दोलनको सामूहिकके वजाय व्यक्तिगत रूप दे दिया।

ता० १-८-’३३ को सावरमती आश्रम भंग करके रास गांवकी तरफ पैदल कूच करना था। लेकिन अेक दिन पहले ही रातको वापू और कूच करनेवाले आश्रमवासियोंको पकड़ लिया गया। वापूको २ तारीखको यरवडा जेलमें लाया गया। चौकमें पहुंचते ही वल्लभभाभीको देखनेके लिअे लालायित हुअे। परंतु वहां न तो वल्लभभाभी मिले और न छगनलाल जोशी। सरदारको पहली तारीखको ही नासिक जेलमें ले गये थे। दरवाजों पर मुहर लगा दी गयी थी।]

वापू कहने लगे : “घोंसला ज्योंका त्यों है, परंतु पंछी अुड़ गये हैं।

फिर अुनसे कहा गया कि सरदारको ऑपरेशनके लिअे वम्बयी ले गये हैं। छगनलाल जोशीको तनहायीमें रख दिया गया है। थोड़े दिन वाद पता चला कि वल्लभभाभीका ऑपरेशन हुआ ही नहीं। यहांसे अुन्हें सीधे नासिक ले गये हैं। वापू कहने लगे : “तो अिन लोगोंने वल्लभभाभीको भी धोखा ही दिया न? अुन बेचारों पर यह छाप होगी कि ऑपरेशनके लिअे ले जा रहे हैं। कैसी नीचता है? यह घाव जल्दी भरनेवाला नहीं।” ता० १२-८-’३३ को रातमें लेटे लेटे ‘भर्तृहरि’ नाटकमें से अेक पंक्ति याद करके वापू बोले : “अे रे जखम जागे नहीं मटे रे।” * यह सोचकर कि वल्लभभाभीको जुदा कर दिया है, नाटककी यह पंक्ति वापूको हर समय याद आती है। पत्र लिखनेका अुनका मन होता होगा, परंतु अुनका पत्र यहां कौन आने देगा ?

* अरे, यह घाव योगसे नहीं मिटनेवाला है।

८ मञ्जीको जब गांधीजीको छोड़ दिया गया तब अुन्होंने जो वक्तव्य निकाला, अुसमें सरदारके बारेमें यों लिखा था :

“जेलमें सरदार बल्लभभाञ्जीके साथ रहनेका अवसर मिला यह वड़े सौभाग्यकी बात थी। अुनकी अद्वितीय शूरवीरता और ज्वलंत देशभक्तिका तो मुझे पता था। परंतु अिन सोलह महीनोंमें अुनके साथ जिस तरहसे रहनेका सौभाग्य मुझे मिला अुस तरहसे मैं अुनके साथ कभी नहीं रहा था। अुन्होंने मुञ्ज पर जो हार्दिक ममता और प्रेम बरसाया अुससे तो मुझे अपनी प्यारी मांका स्मरण हो आता था। मैं नहीं जानता था कि अुनमें अैसे माताके गुण भी होंगे। मुझे कुछ भी होता कि वे विस्तरसे अुठ बैठते। मेरी सुविधाकी जरासी बात की भी वे खुद चिन्ता रखते थे। अुन्होंने और मेरे अन्य साथियोंने भीतर ही भीतर तय कर लिया था कि मुझे कुछ भी काम न करने दिया जाय। मैं आशा रखता हूं कि सरकार मेरी यह बात मानेगी कि जब भी हम राजनैतिक प्रश्नोंकी चर्चा करते थे, तब अुन्हें सरकारकी कठिनाअियोंका बराबर खयाल रहता था। बारडोली और खेड़के किसानोंकी वे जैसी चिन्ता करते थे अुसे मैं कभी भूल नहीं सकूंगा।”

१०

गांधीजीसे अलग होनेके बाद यरवडा और नासिक जेलमें

सरदार यरवडा जेलमें नाककी पीड़ासे वड़े परेशान रहते थे। जुकामकी शिकायत तो अुनकी बहुत पुरानी थी। जनवरी १९३२ में जब वे पकड़े गये अुसके अेक दिन पहले ही अुनकी नाकमें ‘कोटेरीजेशन’ (यह वड़े हुअे भागको विजलीसे जला डालनेकी क्रिया होती है) कराया गया था। अिस स्थितिमें वंवञ्जीसे पूना तक जनवरीकी ठंडमें अैसी मोटरमें सफर करना पड़ा, जिसमें कांचकी खिड़कियां नहीं थीं। अिसका भी अुनके स्वास्थ्य पर असर हुआ होगा। अिसलिये जेलमें अुनकी नाकसे बार बार पानी गिरता रहता था। कभी कभी नथुने बन्द हो जाते थे। वैसी हालतमें तो अुन्हें रातमें जागते हुअे बैठे रहना पड़ता था। जेलके डॉक्टर जो देखभाल रखते और सावधानीके तौर पर वे खुद जो कुछ करते अुससे वापूजीके रहते तक काम चलाया। गांधीजीने अिक्कीस दिनका अुपवास शुरू किया, अुसी दिन ता० ८-५-३३ की शामको अुन्हें छोड़ दिया गया। महादेवभाञ्जी भी अपनी सजाकी मियाद पूरी

होने पर ता० १९-५-३३ को छूट गये। जिसलिये सरदार और छगनलाल जोशी यरवडा जेलमें अकेले रह गये।

वापूजीका अुपवास ता० २९-५-३३ को पूरा हुआ। उस दिन सरदारने यरवडासे वापूजी, महादेवभाजी और देवदासभाजीको जिस प्रकार पत्र लिखे :

“ पूज्य वापू,

“ आखिर अीश्वरने आपकी टेक रख दी। जिस पुण्य अवसर पर हम दोनों* आपका आशीर्वाद चाहते हैं।

“ प्रभुकी आप पर असीम कृपा हुआ है। परंतु अब आप हम पर भी थोड़ी दया रखें। और ज्यादा समय आने पर।

सेवक

वल्लभभाजीके दंडवत् प्रणाम”

“ प्रिय भाजी महादेव,

“ आखिर प्रभुने लाज रख ली। जिस देशके पाप बहुत हैं। फिर भी पाप करते हुअे जिसने कुछ विचार किया होगा। जिसलिये सबके मुख अुज्ज्वल बने रहे। प्रेमलीलावहनकी अपार सेवाका बदला अीश्वरने दे दिया। अुन्हें तो यश मिला। सचमुच अीश्वरकी असीम दया है। वैसे हम जिसके योग्य तो विलकुल नहीं हैं। आज सबकी आंखोंमें हर्षके आंसू आ रहे हैं। हम सब भगवानका अुपकार मानते हैं। शामको पत्रकी प्रतीक्षा करूंगा।

वल्लभभाजीके वन्देमातरम्”

“ चि० देवदास,

“ अन्तमें भगवानने लाज रख ली। हमें तो यहां बैठे हुअे प्रभुकी अपार दयाके लिये उसका अुपकार मानना ही होगा। और क्या करें? तुम सबने कमाल कर दिया। बहुतोंको डर था कि जेलमें जो संभाल रखी जा सकती है वह बाहर नहीं रखी जा सकेगी और वापूकी सेवा अच्छी तरह नहीं हो सकेगी। लोगोंकी भीड़ आयगी जिसे रोका नहीं जा सकेगा और कोअी व्यवस्था नहीं रखी जा सकेगी। ये सब बातें तुम सबने गलत सावित कर दीं और जो सुन्दर व्यवस्था

* सरदार तथा श्री छगनलाल जोशी।

की, अुसके लिये तुम सबको मैं हार्दिक बधाजी देता हूं। तुम लोगोंने बड़ा भारी काम कर दिखाया, जिसके लिये तुम सब गर्व कर सकते हो। श्री प्रेमलीलावहनको जिसका यश मिला, यह कितना सुन्दर हुआ ! अुनकी सेवा अमूल्य मानी जायगी। बासे हमारे प्रणाम कहना और हमें आशीर्वाद भेजनेको कहना। हम तो यहां बैठे बैठे किसी काम न आ सके। और अब भी कुछ नहीं कर सकते।

“तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया होगा।

“बापूको अुपवास खोलते समय मेरी दो पंक्तियोंकी चिट्ठी ठीक समझो तो सुना देना।

“अब राजाजीके जीमें जी आया होगा। बेचारे बहुत ही दुःखी हो गये हैं।

“रामदास अभी तो यहीं रहेगा न? अुमकी तवीयत संभालने जैसी है।

शुभेच्छु
बल्लभभाजीके आशीर्वाद”

अिसके बाद बापूजी और महादेवभाजीको लिखे गये पत्र नीचे दिये जाते हैं :

“यरवडा मंदिर,
ता० ३०-५-’३३

“प्रिय भाजी महादेव,

“तुम्हारा पत्र मिला। जवाहरलालजीकी अुस पुस्तकका क्या करना है? अुसे लौटाना ही हो तो यहींसे लौटा दूं। नहीं तो तुम्हारे पास भेज दूं।

“जमनालालजी अकेले आये हैं या जानकीवहनको साथ लेकर आये हैं? अुनकी तवीयत अब कैसी है?

“परचुरे शास्त्रीका क्या हाल है? वे आश्रम क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या आपत्ति खड़ी हुअी है?

“क्या बापूके जरा बोलने-बैठने लगते ही आश्रमकी समस्याओं और झगड़ोंके बार अुन पर शुरू कर देने हैं?

“मेरे खयालसे जमनालालजीको वापूसे यह समझ लेना चाहिये कि आश्रमके बारेमें क्या करना ठीक होगा। और वहां जाकर आश्रमके बोझको हलका कर देना चाहिये। यदि छोटे बड़े सारे झगड़े वापूके पास फिर आने लगेंगे तो अन्तमें हम बड़ी विपत्तिमें फंस जायेंगे। मैं तो क्या करूं? यहां लाचार होकर पड़ा हूं, इसलिये क्या हो सकता है?

“अभी अके सप्ताह तक तो अुनके पास कोअी बात न रखी जाय तो अच्छा। आश्रम जैसा अभी है अुसे तो कौन चला सकता है? मेरे खयालसे कोअी नहीं चला सकता। और वापूको इसका बड़ा दुःख है। इसका अुपाय हमें करना ही चाहिये। और वह भी इस ढंगसे कि वापूके हृदयको आघात न लगे। अुस नीला और . . . का बोझ भारी सावित होनेवाला है। अुनको कौन संभालकर रख सकेगा? फिर भी मुझे अैसा तो लगता है कि यह बोझ हमें अुठाना ही पड़ेगा। परंतु मैं अितना मानता हूं कि यह काम नारणदासके बूतेका नहीं है। किसी न किसी अधिक शक्तिशाली मनुष्यको आश्रममें रहना चाहिये। विनोवा वहां चले जायं तो अच्छा हो। काका तो जायेंगे ही नहीं। इसलिये और क्या हो सकता है? परंतु ये सब विचार हमें वापूको अलग रखकर कर लेने चाहिये।

“शृंखला (अुपवासकी) के मामलेमें अुनके विचार अभी जानने हैं। थोड़ी बोलनेकी शक्ति आते ही वे तुमसे बात किये विना नहीं रहेंगे। परंतु इस बारेमें भी अैसे ढंगसे काम लेना चाहिये कि अुन्हें कमसे कम कष्ट हो। वापूके अुपवासका देश पर क्या असर हुआ यह तो बादमें मालूम होगा। सनातनी चुप रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि अुन लोगोंने इस चीजको पसन्द किया है या वे अिसे बर्दाश्त करनेको तैयार हैं। अब यह देखना है कि देशमें पहले अुपवासके वाद जो प्रतिक्रिया हुआ थी वैसी होती है या नहीं; और हो तो अुसे रोकना होगा। वापूके मन पर अुसका बहुत गहरा असर होगा। मालवीयजी आनेवाले हैं? अुन्हें सब बातें (आश्रमके सिवा) समझानी चाहिये। अब अुनके विरोधसे बचना चाहिये। अुन्हें वापूको पूरा सहयोग देना चाहिये। यदि अब भी चूकेंगे तो वापूको खो देंगे। तुम सब इस बारेमें सोचते तो होंगे ही।

वल्लभभाजीके वन्देमातरम्”

“यरवडा मंदिर,

५-६-३३

“पूज्य बापू,

“लगभग अेक महीनेके बाद आपके हस्ताक्षरोंके दर्शन हुआ। हमें खूब आनंद हुआ। हम दोनों सकुशल हैं। चिन्ता तो मैं क्या करता? और मेरी चिन्ता भला किस कामकी? आपकी चिन्ता करनेवाला तो श्रीश्वर है।

“अपने हाथसे पत्र लिखनेकी जल्दी न कीजिये। पूरी शक्ति आने दीजिये। तब तक महादेवसे लिखवायें और आप दस्तखत कर दिया करें तो काफी है।

“आश्रमके संबंधमें जो कुछ जानना हो उसके लिये नारणदासको बुलवा लें, परंतु आप वहां जानेका विचार न करें। नारणदास साथमें जिसे लानेकी इच्छा हो उसे ले आयें, परंतु आपको वहां बुलानेका आग्रह न रखें। यह मेरी निश्चित राय है। आश्रममें जो कुछ परिवर्तन करने जरूरी मालूम हों वे जमनालालजीको भेज कर कराये जा सकते हैं। परंतु उसके लिये आपका इस समय वहां जाना विलकुल वांछनीय नहीं। वहां लोगोंकी भीड़ जमा होगी। आपके पास लोग अनेक बातें लायेंगे और आपको जरा भी चैन नहीं लेने देंगे। दूसरे भी कभी कारण हैं। इसलिये आप वहां जानेका विचार न करें। नारणदास अिन सब बातोंका विचार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सामने आपकी तवीयतका सच्चा चित्र खड़ा नहीं हो सकता। इसलिये वे आपको बुलाना चाहेंगे। परंतु यदि वस्तुस्थिति समझ लें तो कभी न बुलायें। मुझे आम क्यों भेजे? आज आप लाड़ लड़ायेंगे लेकिन कल पता नहीं क्या करेंगे! आपकी दया और अहिंसामें जो निर्दयता और हिंसा भरी हुयी है, वह तो भुक्तभोगी ही जान सकता है। मेरी बात न मानें तो वासे पूछ लीजिये। वे मेरे इस कथनसे जरूर सहमत होंगी। जल्दी फिरसे अच्छे हो जाजिये। रामदामकी संभाल रखिये। उसके स्वास्थ्य अभी पूरी तरह सुधरा नहीं है।

“छगनलाल प्रणाम लिखाते हैं।

सेवक

वल्लभभाजीके सा० द० प्रणाम”

“यरवडा मंदिर,

५-६-३३

“प्रिय भाजी महादेव,

“तुम्हारा सुवहका पत्र मिला। मैंने सुवह ७ वजे पत्र लिखकर दफ्तरमें भेज दिया था, जिसलिअे हमारे पत्र टकरा जरूर गये। तुम्हारा दूसरा पत्र शामको मिला। साथमें वापूका भी मिला। अुसका अुत्तर साथमें है।

“मणिवहनके लिअे क्या किया जाय ? मैंने तो अुसे ता० १-६-३३ को पत्र लिखा है। अुसमें तुम जो कुछ लिख रहे हो वह सब लिख दिया है। परंतु वह पत्र अुसे मिल जाय तब सही। मेरा पत्र पानेका अुसका हक होगा तभी अुसे देंगे। और जिसका मुझे थोड़े ही पता चलता है। मृदुलाके जानेके बाद वह जिस अुपवाससे ज्यादा परेशान दीखती है। मेरा पत्र मिलेगा तब कुछ शान्त होगी।

“वापूने फिर अपने हाथसे पत्र लिखने शुरू कर दिये। यह तो ठीक है, मगर जिसका ध्यान रखना कि वूतेसे ज्यादा हाथसे काम न लें। छगनभाभीने बहुतसी बातें नोट कर रखी हैं। पांच वजे सुवह घूमते समय ये सब बातें छेड़नी हैं। समय आयेगा तब वे कोजी चूकनेवाले थोड़े ही हैं?

“डॉ० पटेलके सवालका जवाब क्या दे सकता हूं ? जब तक सरकारकी तरफसे कोजी निवटारा नहीं हो जाय तब तक क्या हो सकता है ? वे कहते हैं अुसके अनुसार मुझे सुविधा मिल जाय तो मैं (ऑपरेशन करानेको) तैयार हूं। परंतु यह मेरे हाथकी बात तो नहीं है। फिर जिस मामलेमें यह भी देखना चाहिये कि डॉ० देशमुखको बुरा न लगे।

“निर्णय करना मेरे ही हाथमें हो तो मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर पटेलकी सलाहको ही मानूंगा। परंतु यह कहा जा सकता है कि जिस वक्त तो मेरे हाथमें कुछ भी नहीं है। सरकारका निर्णय हो जाय अुसके बाद सूझेगा कि क्या किया जाय। हमें घड़ीकी विलकुल आवश्यकता नहीं। जिसके साथ घड़ी भेज रहा हूं। तेलकी शीशी भी भेजी है। दोनों चीजोंके मिलनेकी पहुंच लिखना।

“हार्निमैनके साथ बहुत बहसमें न अुतरना। अुससे कोजी लाभ नहीं होगा। सरोजिनी देवीको नाकके ऑपरेशनके लिअे जल्दी

जानेका वापूने नहीं कहा? यह बात फिरसे अन्हें सुझा देना। वह बेचारी अपवासकी बात सुनकर ऑपरेशन बन्द करके दौड़ी चली आयी हैं। अब अन्हें जल्दी ही छुट्टी देनी चाहिये।

“तुम्हारे पास ‘मॉडर्न रिव्यू’ आया हो तो भेज देना।

वल्लभभाजीके बन्देमातरम्”

“यरवडा मंदिर,

५-६-'३३

“प्रिय भाजी जमनालालजी,

“बम्बयी जाकर स्वास्थ्य विगाड़ लाये, यह क्या? बंबयीमें क्या कर आये? प्रभुदासका क्या किया?

“जानकीदेवी कहां हैं? कैसी हैं? बच्चे सब कहां हैं?

“आपका स्वास्थ्य जैसा पहले था वैसा जल्दी हो जाना चाहिये।

“बंबयीमें कहां ठहरे थे? रामेश्वरदासजी और अुनके कुटुम्बके लोग कैसे हैं?

“विनोदके स्तंभमें कुछ हो तो भेज देना।

वल्लभभाजीके बन्देमातरम्”

“यरवडा मंदिर,

९-६-'३३

“प्रिय भाजी महादेव,

“तीन दिन बाद तुम्हारा पत्र पाकर परेशानीसे मुक्त हुआ।

“डॉ० महेताकी सूचना ठीक ही है। फलों या गाकोंमें शक्ति होती ही नहीं। प्रोटीनके बिना स्नायु नहीं बनते। परंतु वापूको सदासे यह सन्देह रहा है कि अकेले दूधसे कब्ज होता है। पेट साफ रहता हो और दूध पच जाता हो, तो रोज छः सेर दूध लेनेसे वजन बढ़ना चाहिये और शक्ति अवश्य आनी चाहिये। दूधके साथ हर वार आधा या अेक आंस ग्लुकोज लिया जाय तो क्या हर्ज है? आसानीसे पच जायगा और मुफीद रहेगा। शहद रोज कितना लेते हैं? दूधका दही बनाकर और मावेके पेड़े बनाकर पिछली वारकी तरह लें तो ठीक रहेगा। डॉ० महेतासे पूछना। वे मंजूर कर लें तो असले ताकत

जल्दी आयेगी। दही आहार-परिवर्तनके लिये अच्छा है। सुबह दूधके साथ गरम गरम दलिया लिया जाय तो बहुत ही अच्छा। 'अन्नाद् भवन्ति भूतानि' — अन्नके समान प्राण नहीं। कोयी भी अक अनाज लिया जाय तो जल्दी शक्ति आ जाय। आंखोंके वारेमें डॉ० देशमुखकी सूचना सही है। नंदुवहनने अिसी तरह अपनी आंखें खो दीं।

“राजाजीकी सलाह ठीक है। अिसमें शक नहीं कि विवाह (देवदासभाजीका) सिविल मैरेज अेक्टके अनुसार रजिस्टर कराना ही चाहिये। परंतु वापूकी अुपस्थितिमें विवाह-विधि हो जाय तो समझना चाहिये कि वड़ेसे बड़ा काम पूरा हो गया। फिर तो वर-वधू जाकर हस्ताक्षर कर आयें तो भी काम चल जायगा। केवल अेक-दो साक्षी चाहिये। साक्षी कोयी भी बन सकते हैं।

“रमा * को ऑपरेशन करानेके लिये लिख दिया है।

“नारणदासको यहांसे भेजी हुयी पुस्तकोंके पांचों पारसल सही-सलामत मिल गये या नहीं, अिसके वारेमें पत्र लिखा है। आज अुत्तर आना चाहिये।

“चार्ली × वगैराके पत्रोंकी बात जानकर आश्चर्य होता है। अितने वर्ष साथ रहकर भी नहीं पहचानते यह कैसी बात है? अिस प्रकार बाहर रखकर बादमें क्या दर्शनोंके लिये आलमारीमें बन्द रखना चाहते हैं? और अिसमें अुनकी सलाह या दवावका काम (नहीं) था। यह तो कवीरजी कह गये हैं न?

“तुम्हें अपने लिये (जेल जानेका) निर्णय करनेमें अब कोयी जल्दी करनेकी आवश्यकता नहीं। वापू स्वयं आश्रमके विषयमें शान्त हो गये हों, तो तुम्हें भी अभी शान्त और स्वस्थ ही रहना चाहिये। बादमें समय आने पर विचार करके अुचित कार्रवाजी करेंगे।

“लगता है भूलाभाजीको बहुत दुःख सहना पड़ा। मैंने धीरुको पिछले महीनेके अंतिम सप्ताहमें पत्र लिखा था। अुसका अुत्तर अभी तक नहीं आया। फिर चार-पांच दिन पहले भूलाभाजीको सीधा पत्र लिखा। लेकिन अुस पत्रके पहुंचनेकी बात तो (धीरु) लिखता नहीं, और यह पत्र

* श्री छगनलाल जोशीकी पत्नी।

× मि० सी० अेफ० अेण्डूज।

तीसरी तारीख डालकर लिख रहा है। वैसे लिफाफे पर भी नासिककी ७ तारीख और यहांकी ८ तारीखकी मुहर है। वापूमें अभी तक शक्ति नहीं आयी है अतः वे (भूलाभाजीको) न लिखें, परन्तु तुम वापूकी ओरसे लिख दो और वापूके हस्ताक्षर कराकर भेज दो तो ठीक होगा। नासिक सिविल अस्पतालके पते पर ही लिखना।

“जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुअे बंगालके लिअे पूना-करार और सारा साम्प्रदायिक निर्णय बदलवानेकी कोशिशें हो रही हैं। जोरदार कोशिशें होंगी। परिणाम क्या होगा सो तो राम जाने। परन्तु वहांसे गंध अैसी आ रही है कि वदनाम होकर सब लौट आवेंगे और अन्तमें दोप तो दूसरोंको ही देंगे।

“कलके ‘टाइम्स’ का सम्पादकीय लेख अपुवास पर देखा? उसे देखना और साथ ही अुन मद्रासवाले सनातनियोंके वारेमें जो खबर है वह भी देखना। थोड़ा थोड़ा देखते रहना। समय न मिले तो शास्त्रीसे कहना कि तुम्हारा ध्यान खींचते रहें।

“मुंजे और सेतलवाड़का जो युद्ध हो रहा है, सो भी देखते होंगे। वह कालिदास जिनीवा हो आया यह भी पढ़ा होगा। आज ‘हिन्दू’ के ‘India and the World’ में गुरुदेवका लिखा हुआ लेख है। अुसकी कतरन भी देखना। जोरदार लेख लिखा है।

“मैंने तुम्हें मना कर दिया था, तो भी तुम अुस हार्निमैन्के साथ वहसमें पड़ गये न? तुम्हें घड़ी और तेलकी बोटल भेजी थी सो तो मिल गयी होगी। आज मणिवहनका पत्र आया है। स्वस्य होती दीखती है। चिन्ताकी बात नहीं है।

वल्लभभाजीके वन्देमातरम्”

“यरवडा मन्दिर,

१४-६-'३३

“प्रिय भाजी महादेव,

“तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तो कभी किसीसे मिलनेकी अिजाजत मांगी ही नहीं। सरकारसे अनुमति लेकर मिलनेमें मेरा विश्वास नहीं है। अैसी मेहरबानी किसलिअे मागी जाय? मुझे अैसी मुलाकातोंमें दिलचस्पी नहीं। अिसलिअे लक्ष्मी अिस ढंगसे अिजाजत लेकर आवे, अिससे क्या फायदा? डाह्याभाजी पिछले सप्ताह यहां

आया था, जिसलिये मैं नहीं कह सकता कि फिर कब आवेगा। हर सप्ताह आना संभव नहीं होता। पिछले सप्ताह चार सप्ताह बाद आया था। . . .

“‘मॉडर्न रिव्यू’ मिल गया। हिन्दी पुस्तक भी मिल गयी। ‘हरिजन’ और ‘हरिजनबन्धु’ अब न भोजना। डाकसे आ जाते हैं।

“यह निश्चित है कि वापूको दूधके प्रयोगोंसे लाभ नहीं हुआ। दूधसे दस्त होते हों तो अब ये प्रयोग छोड़ देने चाहिये। शाकका सूप (शोरवा) शुरू करना चाहिये और दूध कम कर देना चाहिये। परन्तु आज डॉक्टर क्या कर जाते हैं सो मुझे बताना। थोड़ा वजन बढ़ जाय और शक्ति आ जाय तो फिर भोजनके प्रयोग हो सकते हैं। अभी तो हरगिज नहीं हो सकते। अैसी कमजोरी बहुत समय तक बने रहनेमें खतरा है।

“अिस कतरनसे मालूम होता है कि दुर्गा भी आयी है। यह तो तुमने हमें बताया तक नहीं।

वल्लभभाभीके वन्देमातरम्”

“यरवडा मन्दिर

२०-६-३३

“प्रिय भाभी महादेव,

“तुम्हारा कार्ड मिला। वापूका भी मिल गया।

“अिसके साथ दो कतरनें भेजी हैं। अिन्हें देख लेना। अेकमें देवदास और राजाजीके अेकता-परिपद्वाले मुसलमान मित्र चाहते हैं कि वापूको हरिजन कार्य छोड़ देना चाहिये और दूसरीमें अुनके असेम्बलीवाले हरिजन मित्र कहते हैं कि वापूको तो अब केवल हरिजन कार्य ही करना चाहिये।

“वापूका स्वास्थ्य अब सुधरना चाहिये। प्रयोग करना अब विलकुल छोड़ देना चाहिये।

“काकाकी तवीयत अब बहुत अच्छी मानी जा सकती है। परन्तु अब बहुत हो गया। छः सेर दूध कम नहीं है। अिससे आगे बढ़ेंगे तो फिर जहां जायेंगे वहां तीन-चार गायें रखनी होंगी।

“ब्रजकृष्ण अब कैसे हैं?

“प्रभावती कैसे आधी? उसकी सजा तो अभी बाकी है। जयप्रकाशसे मिलने नासिक जायगी या नहीं?”

“श्रीमती नायडूको आज पत्र लिखा है। अम्बालालभायी परिवार-सहित आ गये होंगे। कैसे हैं? मृदुलाका क्या हाल है?”

वल्लभभायीके बन्देमातरम्”

गांधीजी सरदारके ऑपरेशनके वारेमें बहुत चिन्ता किया करते थे। जिसलिये उनका अपवास खतम हो गया और तवीयत कुछ सुधरी उसके बाद सरदारने ता० २३-६-'३३ को गांधीजीको जिस प्रकार पत्र लिखकर अपना हाल बताया :

“पूज्य बापू,

“पिछले रविवारका लिखा हुआ आपका पत्र मिल गया था। आपका स्वास्थ्य अब कुछ चलने-फिरने लायक हुआ होगा। आपने मेरी नाकके ऑपरेशनके वारेमें पूछा था। जिस सम्बन्धमें सरकारने कोअी निर्णय नहीं किया था। जिसलिये लिख नहीं सका था। अब जिस सम्बन्धमें जो पत्रव्यवहार हुआ है वह जिसके साथ भेजा है। डॉ० देशमुख द्वारा ता० ६-५-'३३ को सुपरिन्टेन्डेन्टको दी गयी रिपोर्ट, उसके बाद उसी महीनेकी ३० तारीखका सुपरिन्टेन्डेन्टका पत्र और उसका उसी दिन दिया हुआ मेरा जवाब, उसके बाद सुपरिन्टेन्डेन्टके नाम २० तारीखका भारत-सरकारका जो हुक्म आया उसका मुझे दिया गया भाग, और उसका कल दिया हुआ मेरा जवाब — ये सब जिस पत्रके साथ शामिल कर दिये हैं। जिससे आप देख सकेंगे कि क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जिस सम्बन्धमें मेरा ठिकाना लगेगा। कैसी भी स्थितिमें मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। जिससे नुकसान होनेका भय है। अब ऐसे खट्टेमें मुझे नहीं गिरना है। कअी लोग मुझे यह सलाह दे रहे हैं, और उसे मैं सही मानता हूं, कि मुझे बम्बयीमें अच्छे विशेषज्ञसे ही ऑपरेशन कराना चाहिये। डॉ० अन्तारीने डॉ० टी० ओ० शाहसे ही करानेकी सिफारिश की थी। जिसलिये आप विलायत गये तब आपने मुझे डॉ० देशमुखके साथ उनके पास भेजा था। अन्होंने जांच करके ऑपरेशन करनेकी सलाह दी थी। परन्तु अन्न समय मेरे लिये पंद्रह दिनका समय जिस कामके लिये देना संभव नहीं था। बादमें गत जनवरी मासमें 'कोटराबिज' कराया था। परन्तु दूसरे

ही दिन यहां आना हो गया। संभव है जिससे कुछ हानि हुई हो। कारण, सारे रास्ते मोटरमें आनेसे हवा लगी होगी। कुछ भी हो, परन्तु अब जो शर्तें सरकारने लगायी हैं उन पर खतरेमें पड़नेका मेरा विचार नहीं होता। क्योंकि डॉक्टर वम्बजीके और रहना सासून अस्पताल पूनामें, यह ठीक नहीं। और वम्बजीके डॉक्टरोंको जो सुविधा चाहिये वह यहां न मिल सके तो जिम्मेदारी किसके सिर पर होगी? सरकार खुद तो जिस मामलेमें कोयी जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेना चाहती है। आप समझ सकेंगे कि यह आजी० जी० पी० की अिच्छानुसार ही हुआ होगा। खैर, जब सरकारको सलाह मिलेगी कि ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा तब वह करायेगी या जो सुविधाओं चाहिये देगी। तब तक पीड़ा भुगतना ही अच्छा है। डेढ़ वर्ष तक भुगती तो कुछ समय और सही। परन्तु जिस तरह कठिनायीमें यह काम नहीं हो सकता। जानका खतरा मालूम होने पर तो सरकार स्वयं ही जो करना होगा सो करायगी। और खतरा न हो तो पीड़ा भुगतना हमारा कर्तव्य ही है। भुगतने आये हैं और भुगतेंगे, जिसमें क्या है? मैं चाहता हूं आप जिस सम्बन्धमें निश्चिन्त रहे। मुझे कुछ नहीं होगा। सारी आवश्यक सुविधाओं मिले बिना यह काम करानेका आप आग्रह न कीजिये। मेरी खास प्रार्थना है कि जिस सम्बन्धमें आप सरकारको कुछ न लिखें और न बाहर ही कोयी आन्दोलन हो। मैं जेलमें बीमार रहता हूं, ऐसी बात जाहिर होनेसे मुझे बड़ी शर्म आयेगी; और मेरी ऐसी बदनामी तो आप हरगिज नहीं होने देंगे। सरकारको जब तक उसके डॉक्टर ऐसी सलाह नहीं देंगे कि ऑपरेशन किये बिना छुटकारा नहीं, तब तक वह किसीकी नहीं मानेगी और जिन्दगीके लिये जब खतरा पैदा हो जायगा तब तो उसीके डॉक्टर और आजी० जी० पी० भी जरूर ऐसी सलाह उसे देंगे। परन्तु ऐसी नौबत आयेगी ही नहीं। इसलिये केवल कष्ट भोगनेसे ही अकताकर हाथपैर क्यों पीटे जाय? मैंने डॉक्टरोंको बुलवानेकी मांग की है। वह मंजूर हो गयी तो उनसे मिलकर सारी बातोंकी चर्चा करके, किस डॉक्टरसे ऑपरेशन कराया जाय और उसके लिये क्या सुविधाओं चाहिये, यह सब जानकर मैं सरकारको अंतिम उत्तर दूंगा और उसकी सूचना आपको करूंगा। आप जरा भी चिन्ता न कीजिये।

वल्लभभाभीके प्रणाम”

सरदारकी नाकके ऑपरेशनकी कहानी ऐसी है : अन्हें परवडामें नाकके कारण बड़ी परेशानी होती थी। जिसलिये सरकारकी तरफसे पूनाके सासून अस्पतालके नाकके विशेष डॉक्टरसे अनुकी परीक्षा कराजी गयी। अुमने और सिविल सर्जनने यह राय दी कि ऑपरेशन करा लिया जाय तो लाभ हो सकता है। जिसलिये सरदारने अपने डॉक्टर देशमुखको बुलवाकर अुनने अपने स्वास्थ्यकी परीक्षा कराजी। अुन्होंने भी 'डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम' के लिये ऑपरेशन करानेकी सलाह दी। साथ ही यह राय दी कि ऑपरेशन वम्बडीमें कराया जाय तो अच्छा। जिस पर आजी० जी० पी० ने सरदारसे पूछवाया कि आप ऑपरेशन जल्दी कराना चाहते हैं? सरदारने हां भर ली। परन्तु वे भारत-सरकारके कैदी थे। जिसलिये भारत-सरकारकी आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था। भारत-सरकारने ता० २०-६-'३३ को सूचित किया कि पूनाके सासून अस्पतालमें ऑपरेशन करानेकी सरदारकी अच्छा हो तो वहां ऑपरेशनकी सुविधा कर दी जायगी। परन्तु और किसी अस्पतालमें या पूनासे बाहर ऑपरेशनके लिये नहीं ले जाया जायगा। जिसके सिवा, २१ अप्रैलको सासून अस्पतालके सिविल सर्जन तथा नाकके रोगोंके विशेष डॉक्टर मंडलिकने अनुकी परीक्षा करके यह राय दी है कि ऑपरेशन तुरन्त कराना जरूरी नहीं है। जिसलिये यदि मि० पटेलको अपने डॉक्टरोंसे ऑपरेशन कराना हो तो उसके सिलसिलेमें जो खर्च होगा वह अुन्हें मिलनेवाली भत्तेकी रकममें से कुछ बची हो तो अुसमें से देना होगा, अन्यथा मि० पटेलको खुद देना पड़ेगा। मि० पटेलको यह भी सूचित कर दिया जाय कि ऑपरेशन सफल होता है या नहीं, जिसकी तमाम जिम्मेदारी ऑपरेशन करनेवाले मि० पटेलके डॉक्टर पर रहेगी, सरकार पर विलकुल नहीं। जिसके जवाबमें सरदारने सरकारको सूचित किया कि 'ऑपरेशन कराना वांछनीय है या नहीं, जिस बारेमें कुछ गलतफहमी हुआ दीखती है। जेलके डॉक्टरोंने पिछले एक वर्षसे भी अधिक समय तक जो अुपाय सुझाये वे मंने किये हैं। और जब अुनका कोजी असर नहीं हुआ तब अुन्होंने डॉक्टर मंडलिककी सलाह ली थी। सिविल सर्जन तथा डॉ० मंडलिकने मुझे यह सलाह न दी होती कि अुत्तम अुपाय ऑपरेशन करा डालना ही है, तो मैं अपने खानगी डॉक्टर देशमुखसे जांच करानेकी मांग भी न करता। अब सरकारकी बिजाजतसे मेरे डॉक्टरने मेरी परीक्षा करके यह सलाह दी है कि ऑपरेशन कराना जरूरी है। परन्तु नाकका ऑपरेशन बड़ा नाजुक होता है। पहले मैं एक बार ऑपरेशन और 'कोटराबिजेशन' करा चुका हूं। जिसलिये मुझे दुबारा ऑपरेशन कराना हो तो ऐसी स्थितिमें ही कराना है जब अुत्तम सुविधायें मिलें,

ताकि असफलताका भय न रहे। परन्तु सरकारके हुक्मसे असा मालूम होता है कि ऑपरेशन करनेवाला सर्जन मेरा रखा जाय तो भी सरकार असे अत्यन्त मर्यादित सुविधाओं देना चाहती है और ऑपरेशनकी जिम्मेदारीका भार असे पर डालना चाहती है। असी स्थितिमें अपने डॉक्टरोंकी सलाह लिये बिना मैं कोयी निर्णय नहीं कर सकता।'

अस पर ११ जुलायीको डॉ० देशमुख और डॉ० दामानी सरकारकी अनुमतिसे सरदारकी दुवारा जांच कर गये। अन्होंने राय दी कि 'ऑपरेशन दो या तीन किस्तीमें करना पड़ेगा। और करनेके बाद भी बहुत ध्यानपूर्वक संभाल रखनी पड़ेगी। असलिअे हम दम्बयीमें ही ऑपरेशन करानेकी सलाह देते हैं।' यह सलाह सरकारने नहीं मानी। परन्तु पूनाके सासून अस्पतालमें जो सुविधा चाहिये सो देनेको कहा। सरदारने २९ जुलायीको अंतिम अुत्तर लिख डाला कि 'मेरे डॉक्टर छः सप्ताह तक पूना आकर ठहर नहीं सकते। मेरी पीड़ा बढ़ती जा रही है और रोग असह्य होता जा रहा है, किन्तु जब तक सरकारको अुसके अपने डॉक्टर मेरे ऑपरेशनके लिअे सलाह न दें तब तक यह पीड़ा मुझे सहनी ही पड़ेगी।' अस प्रकार नाकके ऑपरेशनका यह किस्सा निवट गया। जेलसे बाहर आकर ठेठ १९३५ में सरदार यह ऑपरेशन करा सके थे।

ता० १-८-३३ को जिस दिन गांधीजीको अहमदाबादमें पकड़ा गया, अुसी दिन सरदारको यरवडासे हटाकर नासिक जेलमें ले जाया गया। नासिक जेलमें अुन्हें अंग्रेजी अखवार तो बहुत मिलते थे परन्तु गुजराती अेक भी नहीं मिलता था। असलिअे सरदारने 'दम्बयी समाचार' की मांग की, तब सरकारने अुन्हें 'जामेजमशेद' देना शुरू किया। अस सम्बन्धमें तथा दूसरी छोटी-छोटी बातोंके बारेमें सरकारके साथ अुनके झगड़े होते ही रहते थे। काफी पत्रव्यवहार हुआ था। सरकारकी अनुमतिसे ही अपने डॉक्टरको दम्बयीसे बुलवाकर अुन्होंने दांतोंका अिलाज कराया था और विल अपने मासिक भत्तेकी रकममें से ही चुकाया था। फिर भी सरकारने आपत्ति अुठायी कि विल बहुत भारी है। अस सम्बन्धमें भी बहुत लिखा-पढ़ी हुयी। सरकारने अपनी मंजूरीके अनुसार ही विलकी रकम देनेका आग्रह किया। तब सरदारने अस बारेमें अपने वकीलकी सलाह लेनेकी मांग की, जिसे सरकारने स्वीकार नहीं किया।

अुन्हें नासिक जेलमें ले जानेके बाद सरकारका अनुचित व्यवहार बताने-वाली अेक छोटीसी घटना हो गयी, जिसका अुल्लेख यहां कर देना चाहिये। नासिक जेलमें सरदारको शुरूमें तो वहांके अस्पतालके अेक बैरकमें रखा गया

और साथीके तौर पर श्री मंगलदास पकवासाको अुनके साथ रखा गया। परंतु थोड़े ही दिन बाद अेक अैसे कैदीको अुनके वैरकमें रख दिया गया, जिसे वनावटी हस्ताक्षर करनेके जुर्ममें पांच वर्षकी जेलकी सजा हुअी थी। असलमें तो सरदारको अलग कमरा देना चाहिये था। परंतु श्री मंगलदास अपने ही आदमी थे और वैरक जरा बड़ी और सुविधावाली थी अिसलिये सरदारने आपत्ति नहीं अुठाअी। परंतु जब अिस तरह किसी अपराधी कैदीको चौबीसों घंटे अपने साथ रख दिया जाय तो स्वाभाविक ही कष्टप्रद मालूम होता है। अिसलिये सरदारने सुपरिन्टेन्डेन्टके सामने अिसका विरोध किया। सुपरिन्टेन्डेन्टकी नीयत कदाचित् अैसी होगी कि मंगलदास पकवासाके वजाय अुस अपराधी कैदीको सरदारके साथ रखकर यह कहा जाय कि अुन्हें साथी दिया गया है। परंतु सरदारने अंतराज किया तो अुन्हें अस्पताल विभागसे हटाकर दूसरे विभागमें अलग कोठरीमें ले गये। वहां अस्पताल जैसी सुविधा नहीं थी। फिर भी अिस विभागमें मंगलदास पकवासाको साथीके रूपमें रखा गया अिसलिये सरदारने कोअी अंतराज नहीं किया। परंतु श्री मंगलदास अपनी सजा पूरी होने पर ९ सितम्बरको छुट गये। अिसलिये अिस सारे विभागमें सरदार अकेले रह गये। साथी देनेके लिये अुन्होंने सुपरिन्टेन्डेन्टसे बात की परंतु वह राजनैतिक कैदियोंमें से किसीको देनेके लिये तैयार नहीं था। अिसलिये सरदारको दम्बअी सरकारके गृहमंत्रीको लिखना पड़ा। अुन्हें लिखा कि :

“आप मुझे सजाके तौर पर अेकान्तमें रखना चाहते हों तो मैं आपत्ति नहीं कर सकता। परंतु अेकान्तवासकी सजाका पात्र होने जैसा मैंने कोअी काम नहीं किया है। और मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता तो मैं अेकान्तकी तकलीफकी परवाह नहीं करता। परंतु नाकके कण्ठके कारण मुझे कितनी ही रातें जागकर बैठे बैठे काटनी पड़ती हूँ। मेरे पास कोअी साथी हो तो अपनी बीमारीमें मैं अुससे कुछ लिखवाअूं और पढ़वाअूं भी। मेरी अैसी खराब तंदुरुस्तीमें विलकुल अेकान्तमें रहनेका वोज्ञ मुझ पर डालना अुचित्त नहीं है। अिस जेलमें राजनैतिक कैदी बहुत हैं। अुनमें से अेक या दोको मेरे साथ रख दिया जाय तो मुझे बड़ा आराम मिल सकता है।”

यह पत्र जानेके थोड़े दिन बाद डॉ० चंदुलाल देसाअीको साथीके तौर पर अुनके साथ रखा गया।

सरदार यरवडामें थे तभी नवम्बर १९३२ में अुनकी माताअीका स्वर्गवास हो गया था। अुस समय तो गांधीजी और महादेवभाअी अुनके साथ

थे। नासिक जेलमें जानेके अके-दो महीने बाद अर्थात् ता० २२-१०-'३३ को अउके वड़े भाजी माननीय श्री विट्टलभाजीका परदेशमें सगे-संबंधियोंसे दूर विषम स्थितिमें देहावसान हुआ। माननीय विट्टलभाजीको अउके स्वास्थ्यके कारण सजाकी मियाद पूरी होनेसे पहले ही जनवरी १९३१ में छोड़ दिया गया था। अउन्हें पेटका ऑपरेशन करानेकी वड़ी जरूरत थी। वह ऑपरेशन वड़ा गंभीर था, अिसलिये वे तुरंत ही वियेना चले गये। वहां अउका स्वास्थ्य पूरा सुधरा न था फिर भी वे अमेरिका हो आये। वहां हिन्दुस्तानकी हालतके बारेमें अउन्होंने अनेक भाषण दिये। यह वोझ अउकी तवीयत सह न सकी। वापस वियेना आकर वहांके अस्पतालमें भरती हुअे। परंतु दीपकमें तेल पूरा हो गया था, अिसलिये थोड़े ही समयमें अउका जीवनदीप बुझ गया। अउकी मृत्यु पर शोक प्रकट करनेवाले बहुतेसे तार और पत्र सरदारके नाम आये। जेलमें से अउन सबको जवाब नहीं दिया जा सकता था, अिसलिये अउन्होंने नीचे लिखा सन्देश अखबारोंमें छपनेके लिये सरकारके पास भेजा :

“ मेरे पास विट्टलभाजीकी मृत्यु पर शोक और सहानुभूति प्रगट करनेवाले बहुतेसे पत्र (देशके अलग अलग भागोंसे तथा ब्रह्मदेश और लंकासे भी) आये हैं। अउन सबको (यहांसे) व्यक्तिगत अुत्तर देना मेरे लिये संभव नहीं है। अिसलिये जिन्होंने मेरे साथ समवेदना प्रगट की है, अउके प्रति मैं अिस अवसर पर (सार्वजनिक रूपमें) आभार प्रकट करता हूं। (मेरे दुःखमें लाखों मनुष्य भाग लेनेवाले हैं, अिससे अधिक वड़ा आश्वासन मेरे लिये और क्या हो सकता है?) ”

सरकारकी तरफसे राजनैतिक कैदी श्री वल्लभभाजी पटेलको सूचित किया गया कि कोष्टकमें दिये गये शब्द संदेशमें से निकालकर सन्देश छपवाना हो तो छपाया जा सकता है। सरदारने अिसके अुत्तरमें बताया कि मेरे अैसे निर्दोष सन्देशमें भी काटछांट करनेसे वह अस्पष्ट, भद्दा और अर्थहीन हो जाता है। अिसलिये मैं अुसे न छपवानेका निर्णय करता हूं।

वादमें ता० ९-११-'३३ को माननीय विट्टलभाजीका शव वियेनासे वम्बअी लाया गया। मार्सेलसे शवको ले जानेवाला जहाज रवाना हुआ अुसके पहले श्री सुभाष बोसने गांधीजीको, जो हरिजन-यात्रामें थे, तार दिया कि विट्टलभाजीकी अंतिम क्रिया वल्लभभाजीके हाथों होना वांछनीय है, अिसलिये अुसकी व्यवस्था कीजिये। गांधीजीने ता० २८-१०-'३३ को अखबारोंमें अेक वक्तव्य प्रकाशित करके अपनी राय बतायी कि 'मैं मानता हूं कि सरदार पैरोल पर छूटनेकी अर्जी नहीं दूंगे, अतः अउके हाथों अंतिम

क्रिया होना संभव नहीं दीखता।' फिर भी बाहरके कुछ मित्रोंने सरकारको लिखा। इस पर ७ नवम्बरकी रातको सरदारसे कहा गया कि विट्ठलभाजीकी अंतिम क्रिया करनेके लिये आपको नीचे लिखी शर्तों पर छोड़ा जायगा :

१. आपको श्री विट्ठलभाजीकी अंतिम क्रिया कर सकनेके लिये जितना वक्त जरूरी हो अतने वक्तके लिये छोड़ा जायगा। परंतु आपको यह वचन देना पड़ेगा कि आप जब तक बाहर रहेंगे तब तक कोई राज-नैतिक भाषण नहीं देंगे और न किसी राजनैतिक हलचलमें भाग लेंगे। क्रिया हो जानेके बाद निश्चित स्थान और निश्चित समय पर आप हाजिर हो जायं, जिससे आपको फिर पकड़ लिया जाय।

२. आपको ९ तारीख गुरुवारको सुबह नासिक जेलसे छोड़ा जायगा।

३. आपको शनिवार ११ तारीखको बम्बयीसे नासिकके लिये सुबह ७-१५ पर चलनेवाली रेलगाड़ीमें बैठकर नासिक आना होगा। यह ट्रेन १०-५७ पर नासिक पहुंचती है। उस समय स्टेशन पर एक पुलिस अफसर मौजूद होगा। ट्रेनसे अतर कर आपको उसके हवाले हो जाना पड़ेगा।

सरदारने जवाब दिया कि "अैसी किसी शर्त पर मैं बाहर जाना नहीं चाहता। आपको मुझे छोड़ना हो तो बिना शर्त छोड़िये। और जब फिर पकड़ना हो तब मैं जहां होऊं वहांसे मुझे पकड़ सकते हैं। मैं अपने आप पुलिसके हवाले होनेको नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं कि इस अवसर पर बाहर मेरी बड़ी जरूरत है, परंतु प्रतिष्ठा या स्वाभिमान खोकर मुझे बाहर नहीं जाना है।" तारीख १० को बम्बयीमें माननीय विट्ठलभाजीकी बहुत बड़ी स्मशान-यात्रा निकली। उस समय मणिवहन बाहर थीं, इसलिये वे उसमें भाग ले सकीं। डाह्याभाजीके हाथों शवका दाह-संस्कार किया गया। उस समय श्रीमती सरोजिनी नायडूने बड़ा हृदयद्रावक भाषण दिया। विट्ठलभाजीकी मृत्युसे सरदारको होनेवाले शोक और अुनकी मनःस्थितिकी कुछ कल्पना अुनके ता० २१-११-'३४ को श्री मथुरादास त्रिकमजीको लिखे गये निम्न पत्रसे होती है :

"तुम्हारा पत्र मिल गया था। फिर तो चारों ओरसे आनेवाले तारों और पत्रोंके जवाब देनेमें लग गया। चित्त भी कुछ अशान्त हुआ। अब कुछ नहीं होना था सो हो गया। कभी कभी स्मरण हो आता है। परन्तु यह सब अब वेदनाप्रद नहीं रहा। गहरा विचार करने पर लगता है कि इस कठिन कालमें बनी हुई अिज्जतके साथ

अस फानी दुनियाको छोड़कर जानेका सौभाग्य प्राप्त हो तो जिसमें शोककी कोअी बात नहीं। अीश्वरको जो पसंद था सो हुआ। जाते जाते भाअी कुटुम्बकी, जातिकी और देशकी अिज्जत वढा गये हैं, असलिये मैं जरा भी चिन्ता नहीं करता। पहले तो गहरा आघात लगा। अुनके जानेकी अपेक्षा अस बातका मुझे अधिक दुःख रहा कि वे अैसे स्थानसे गये, जहां अैसा कोअी पासमें नहीं था जिसके सामने अपना दिल खोलकर जाते। परन्तु अब अस बातका शोक व्यर्थ है। अससे अेक ही शिक्षा लेनी है—कोअी नहीं जान सकता कि अंतिम क्षण कब आ जायगा। असलिये मनमें जो कुछ कहने जैसा हो अुसे पहलेसे ही कह रखना चाहिये और जी हलका करके मौजसे रहना चाहिये। मैं अस समय अिसी दशामें हूं। असलिये अत्यंत आनंदमें रहता हूं। आज मुझे जाना पड़े तो किसीसे कुछ कहनेको रह नहीं जायगा। मैं अनुभव कर रहा हूं कि यह स्थिति अत्यंत सुखकर है। अीश्वरने मुझे साथी (डॉ० चंदुलाल देसाअी) भी अैसा ही दिया है। असलिये हमारी स्थिति अैसी है—‘खूब गुजरेगी जो मिल देंगे दीवाने दो।’ . . . ”

वादमें पता चला कि मरनेसे पहले माननीय विठ्ठलभाअीने अपना वसीयतनामा लिख दिया था। आगे चलकर वह वड़ी चर्चाका और हाअीकोर्टके मुकदमेका विषय बन गया। सरदारने अुसमें महत्त्वपूर्ण और अुदार भाग लिया। कालक्रमके अनुसार अुसकी तफसील वादमें दी जाती, परन्तु मानसक्रमके अनुसार अुसे यहीं दे देना ठीक है।

अस वसीयतनामामें अपने सगे-सम्बन्धियोंमें से सेवा-शुश्रूषा करने-वालोंको पुरस्कारके तौर पर कुछ रकमें देनेके वाद बाकीकी रकम देशकी राष्ट्रीय अुन्नतिके लिये और खास तौर पर विदेशोंमें प्रचारकार्य करनेके लिये श्री सुभापचंद्र वोसको सौंपी गअी थी। वसीयतनामकी अुस कलमके शब्द ये थे :

“अूपर बताया गये चार पुरस्कार दे देनेके वाद मेरी सम्पत्तिमें से जो कुछ बाकी रहे, वह रकम सुभापचंद्र वोस (श्री जानकीनाथ वोसके पुत्र) १, वुडवर्न पार्क, कलकत्ता, को सौंप दी जाय। अुक्त श्री सुभापचन्द्र वोस अस रकमको स्वयं या जिन अेक या अधिक मनुष्योंको वे नियुक्त करें वे लोग अुनकी हिदायतके मुताबिक भारतकी राजनैतिक अुन्नतिके लिये और अधिक अच्छा तो यह होगा कि दूसरे देशोंमें हिन्दुस्तानके कामका प्रचार करनेके लिये खर्च करें।”

अिस वसीयतनामेका अमल करानेके लिये डॉक्टर पी० टी० पटेल तथा श्री गोरधनभाजी जी० पटेलको व्यवस्थापक मुकर्रर किया गया था । थोड़े समयमें डॉ० पी० टी० पटेलकी मृत्यु हो गयी, अिसलिये अुसके अेकमात्र व्यवस्थापक श्री गोरधनभाजी पटेल रह गये । श्री सुभापचंद्र बोसने अिस वसीयतनामेका अुचित अमल करनेमें वड़ी रूकावटें डालीं । बहुत समय तक अुन्होंने मूल वसीयतनामा ही श्री गोरधनभाजीको नहीं साँपा । परन्तु जब साँपा तब अुन्होंने यह दावा किया कि अिस वसीयतनामेके अनुसार सूचित की गयी रकम मुझे सर्वाधिकारके साथ साँप दी गयी है । अुसमें यह जो शर्त लिखी हुयी है कि मुझे वह रकम अमुक ढंगसे ही खर्च करनी चाहिये वह कानूनके अनुसार मेरे लिये बन्धनकारक नहीं है ।

शुरूमें तो अिस मामलेमें सरदारने बहुत निःस्पृह और तटस्थ वृत्ति रखी थी । परन्तु रुपयेका अुपयोग कैसे किया जाय, अिस बारेमें जब सुभाप वाबू हीले-हवाले करने लगे तब सरदारको ठीक नहीं लगा । जिम ढंगसे अिस वसीयतनामे पर विट्टलभाजीके दस्तखत कराये गये थे अुससे भी सरदारको अिस विषयमें शंकाओं पैदा होने लगी थीं । वसीयतनामा अुसी दिन लिखा गया था जिस दिन विट्टलभाजीका अवसान हुआ । अुनकी अितनी गंभीर हालत होने पर भी वसीयतनामे पर अुनकी देखभाल करनेवाले डॉक्टरकी गवाही नहीं थी । तीनों साक्षी बंगाली थे । और अुनमें से दो तो केवल विद्यार्थी ही थे । अुस समय श्री भूलाभाजी देसाजी, श्री वालचंद हीराचंद, श्री अम्बालाल साराभाजी सब स्विट्ज़रलैंडमें ही थे । अिसलिये प्रयत्न किया जाता तो अुन्हें अंतिम समय पर अुपस्थित रखा जा सकता था और वसीयतनामे पर अुनकी गवाही करायी जा सकती थी । परन्तु वसीयतनामेकी सचाओके बारेमें झगड़ा खड़ा करके सरदारको अेक पैसा भी विट्टलभाजीके कानूनी वारिसों अर्थात् अपने कुटुम्बियोंके लिये नहीं चाहिये था । अिसलिये अुन्होंने तो अपने कुटुम्बियोंमें से जिन जिनका अुत्तराधिकार हो सकता था अुन सबसे हस्ताक्षर करा लिये कि विट्टलभाजीके वसीयतनामेमें जो रकम देशकार्यमें लगानेकी बात कही गयी है अुसमें से अेक पाओ भी हमें नहीं चाहिये । अिस प्रकारकी स्पष्टता करके अुन्होंने गांधीजीसे कहा कि आप वीचमें पड़िये और सुभापवाबूको समझाइयें कि यह रुपया कांग्रेस कार्यसमितिको या कांग्रेसके नेता जिनकी समिति बना दें अुन्हें देशकार्यमें लगा देनेको साँप दिया जाय । फरवरी १९३८ में हरिपुरा (गुजरात) की कांग्रेसके अध्यक्ष सुभापवाबू थे । अुन समय गांधीजी तथा मालाना अबुल कलाम आजादने सुभापवाबूको समझानेका स. २-१२

बहुत प्रयत्न किया। परन्तु सुभाषवाङ्मनू नहीं माने। इसलिये वसीयतनामके अकेजीक्यूटर (व्यवस्थापक) श्री गोरधनभाभी पटेलको सरदारने सलाह दी कि आपके लिये अब वसीयतनामके कलमोंके अर्थके बारेमें अदालतका फैसला लेनेके सिवा कोअी चारा नहीं है। बम्बयी हाअीकोर्टमें श्री गोरधनभाभीकी अर्जीकी सुनवाअी हुआ। अुनकी तरफसे तथा विट्टलभाअीके कानूनी वारिसोंकी तरफसे श्री भूलाभाअी देसाअी, सर चिमनलाल सेतलवाड़ वगैरा वैरिस्टर खड़े हुए। सुभाषवाङ्मकी ओरसे देशबन्धु दासके भाअी वैरिस्टर श्री पी० आर० दास खड़े हुए। लोगोंमें इस बारेमें अितनी ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो गयी कि अदालतका कमरा खचाखच भर गया था। दोनों तरफके धाराशास्त्रियोंकी बहस सुनकर अदालतने तय किया कि वसीयतनामके शब्दोंको देखते हुए सुभाषवाङ्मको रूपये पर सर्वाधिकार नहीं प्राप्त होता। वे अपनी अिच्छानुसार अुसे खर्च नहीं कर सकते। वे अुसी काममें अुसका अुपयोग कर सकते हैं, जो वसीयतनाममें वताया गया है। परन्तु रूपयेके अुपयोगका मुद्दा यहां खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि वसीयतनाममें रूपयेका अुपयोग अैसे अनिश्चित कामके लिये करनेको लिखा गया है कि इस शर्तको अदालत मंजूर नहीं कर सकती। इसलिये वसीयतनामका यह भाग अदालत रद्द समझती है और विट्टलभाअीके वारिसोंको इस रूपयेका हकदार ठहराती है।

बम्बयी हाअीकोर्टका अुपरोक्त निर्णय ता० १४-३-३९ को घोषित होते ही सरदारने तुरन्त ता० १६-३-३९ को अखबारोंमें वक्तव्य निकालकर घोषणा की कि विट्टलभाअीके हम वारिसोंने निश्चय किया है कि इस रकममें से अेक पाअी भी हमें नहीं लेनी है; हिन्दुस्तानकी राजनैतिक अुन्नतिके लिये यह रकम खर्च करनेके लिये इस रकमका विट्टलभाअी पटेल स्मारक ट्रस्ट नामक अेक सार्वजनिक ट्रस्ट बना दिया जाय। वसीयतनाममें जो पुरस्कार देनेके लिये कहा गया था अुन्हें दे देनेके वाद लगभग अेक लाख बीस हजारकी रकम बाकी रहती थी। सरदारने ता० ११-१०-४० को अुस समयके कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजादको पत्र लिखकर वर्षामें, जहां कांग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठक हो रही थी, वह सारी रकम मृतककी अिच्छाके अनुसार खर्च करनेके लिये कांग्रेस कार्यसमितिको सौंप दी।

वत्सल हृदय

आम तौर पर सरदारको लम्बे पत्र लिखनेकी आदत नहीं थी। सार्वजनिक कामकाजके लिये ऐसे पत्र लिखने पड़े हों सो अलग बात है। परन्तु १९३२ से १९३४ तक यरवडा और नासिक जेलोंमें रहे तब और किसी तरह १९४०-४१ में व्यक्तिगत सविनय कानून-भंगके समय तथा १९४२ से १९४५ तक अहमदनगरके किलेमें नजरबन्द रहे उस समय अन्होंने सगे-सम्बन्धियों और मित्रोंको बहुत सुन्दर और लम्बे पत्र लिखे हैं। संभव है अन्होंने यह आदत गांधीजीको लम्बे पत्र लिखते देखकर उस समय डाली हो जब वे अुनके साथ सोलह महीने यरवडामें रहे थे।

मनुष्यका परिचय जैसा व्यक्तिगत पत्रव्यवहार या व्यक्तिगत वात-चीतसे होता है, वैसा अुसके लेखों अथवा भाषणोंसे या सार्वजनिक कामकाजसे नहीं होता। अिन अवसरों पर लोग मानो तैयारी करके लिखते, बोलने या काम करते हैं। परन्तु निजी पत्रव्यवहार और वातचीतमें मनुष्य स्वाभाविक ढंगसे लिखता या बोलता है। अिसलिये अुसमें हमें मनुष्यके व्यक्तित्वका सर्वथा भिन्न और अधिक सच्चा दर्शन होता है। अिस अध्यायमें मैं सरदार द्वारा यरवडा तथा नासिक जेलसे मणिवहन और डाह्याभाभीको लिखे गये पत्रोंमें से कुछ अुद्धरण देना चाहता हूं। अन्य मित्रोंको भी अन्होंने बहुतसे पत्र लिखे होंगे, परन्तु वे मुझे अिस समय मिल नहीं सके। गांधीजीसे अलग हो जानेके बाद दोनोंके बीच बड़ा नियमित और लम्बा पत्रव्यवहार होता रहा था। गांधीजी द्वारा सरदारके नाम लिखे गये पत्र तो श्री मणिवहनने प्रकाशित करा दिये हैं। * सरदारके गांधीजीको लिखे हुअे थोड़ेसे पत्र पिछले अध्यायमें दिये गये हैं। दूसरे मिल नहीं सके। वे पत्र मिल जायं तो पत्र-साहित्यमें बड़ी मृत्यवान वृद्धि होनेकी संभावना है। मणिवहन और डाह्या-भाभीके नाम लिखे पत्रोंमें तथा रमणीकलाल सुखड़िया नामक स्वयंसेवक द्वारा मुझे भेजे हुअे अेक पत्रमें, जो यहां दिया गया है, सरदारका वत्सल हृदय देखनेको मिलता है। अिसके सिवा सांसारिक व्यवहारके गहरे ज्ञानकी

* ये पत्र हिन्दीमें 'वापूके पत्र — २ : सरदार वत्सलभाभीके नाम' नामक पुस्तकमें नवजीवन प्रकाशन मंदिरकी तरफसे प्रकाशित हो चुके हैं। कीमत ३-८-०; डाकखर्च १-४-०।

और अुसीके साथ हृदयकी अुदारता तथा व्यवहारमें अलिप्तता और अपार अीश्वर-श्रद्धाकी भी अिन पत्रोंसे हमें अांकी मिलती है।

ता० १७-७-'३२ को यरवडा मंदिरसे श्री मणिवहनको अपने अेक भतीजेके वारेमें लिखते हैं :

“ . . . वह अब वडा हो गया है, असलिअे किसीके कहनेसे नहीं सुधरेगा। अुसके जीमें आये वही करने देनेमें बुद्धिमत्ता है। दबाव डालनेसे लुकछिप कर काम करेगा। असके वनिस्वत खुले तौर पर करे वही अच्छा है। पैसे होंगे अुतने खो देगा, फिर ठिकाने आ जायगा। बुरे मार्ग पर न जाय तब तक हम दखल नहीं दे सकते। खराब रास्ते जाता हो तो कह सकते हैं। परन्तु कहनेकी भी हद होती है। अितनी वडी अुमरवालेसे क्या कहा जाय ? ”

श्री डाह्याभाभी हाल ही में विधुर हुअे थे। अुनके विवाहके वारेमें लोग मणिवहनसे पूछते रहते थे। अस विषयमें मणिवहनको अिसी पत्रमें सलाह देते हैं :

“ चि० डाह्याभाभीके विवाहके सम्बन्धमें जो लोग पूछें अुन्हें हम सम्यतासे सिर्फ अितना ही जवाब दें कि डाह्याभाभी अुनकी अिच्छा होगी वही करेंगे। वे समझदार हैं और प्रौढ हैं। अुन्हें अस विषयमें किसीकी सलाहकी आवश्यकता नहीं। और दूसरोंकी सलाह अस विषयमें काम भी नहीं आती। हमें किसीको दुःख पहुंचाने-वाली बात कहनेकी क्या जरूरत? लोग तो समाजके रिवाजके अनुसार पूछते हैं। अससे हम नाराज क्यों हों? यह कहना भी कठिन है कि डाह्याभाभी क्या करेंगे। अभीसे सारी अुम्र अकेले काटना भी मुश्किल है। अिसी तरह दूसरी झंझट मोल लेना भी कठिन है। दोनोंमें से कौनसा मार्ग अपनाया जाय, असका निर्णय समय आने पर वे स्वयं ही कर लेंगे। अभी तो अुनसे कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। अुन्हें ताजा घाव लगा है, जिसे भरनेमें समय लगेगा। अेक-दो वर्ष बाद अुनकी अिच्छा फिर विवाह करनेकी हो तो भले कर लें। और न करना हो तो भी अच्छा है। अस काममें किसीकी सलाह काम नहीं देती और किसीको सलाह देने की भी नहीं चाहिये। ”

श्री डाह्याभाभीको ता० ६-१२-'३२ को अुनके कामकाजके सिल-सिलेमें स्वभाव सुधारनेकी नसीहत देते हैं, जो किसी भी युवकके लिअे

हृदयमें अंकित करने योग्य है। डाह्याभाजी उस समय मोतीझिरेकी वीमारीसे अुठे ही थे।

“अके-दो बातों पर लिखनेका विचार था, परन्तु तुम रोग-शय्या पर थे जिसलिअे नहीं लिख रहा था। अब कुछ ठीक हुअे हो जिसलिअे लिखता हूं। जिससे तुम्हें दुःख न होना चाहिये। पर मैं जो बात लिख रहा हूं उस पर अच्छी तरह विचार करके भूल हो रही हो तो उसे सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिये। तुम दपतरमें जो पत्र लिखते हो उनमें भापा अुग्र और सामनेवालेको बुरी लगनेवाली होती है। दपतरमें किसीके साथ हमारी जवान या कलमके कारण विरोध हो या किसीको दुःख हो, यह कभी अच्छा नहीं माना जा सकता। जिससे भविष्यकी अुन्नतिमें रुकावट ही नहीं होती है, परन्तु हमारी प्रतिष्ठा भी विगड़ती है। हां सकता है कोअी हमारे सामने न कहे। परन्तु जिससे क्या? असलमें हमसे जो छोटे आदमी हां अुनके साथ हमें मिटाससे काम लेना चाहिये। अपने साथियों और अफसरोंके साथ भी अुचित मर्यादामें रहकर अुचित व्यवहार करना चाहिये। तुम्हारे मकान-मालिकने मकान खाली करनेके लिअे तुम पर दावा किया, यह हमें शोभा नहीं देता। तुम्हारा स्वभाव अैसा नहीं है, फिर भी अैसा क्यों हो जाता है, यह मेरी समझमें नहीं आता। मैंने जिस वारेमें कभी तुमसे कहा नहीं। मैं मानता था कि तुमने सबका प्रेम संपादन कर लिया है। जिसलिअे बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन ये बातें सुनकर मुझे जरा आश्चर्य हुआ। जिसलिअे तुम अभी वीमारीसे पूरी तरह अुठे नहीं हो, फिर भी लिख रहा हूं। क्योंकि यदि तुम्हारी साख अितनी गिर जाय तो हमारी अिज्जतको बड़ा लगेगा और हमें पछताना पड़ेगा। किसीको बुरी बात कहनेमें लाभ हो ही नहीं सकता। हमें जो करना हो सो करें। परन्तु हमारी स्वतंत्रताका अर्य यह नहीं कि हम दूसरोंका तिरस्कार करें। यह गृहस्थका भूषण नहीं माना जा सकता। जिससे हमारे स्नेहियोंको भी परेशानी हो सकती है। जिस वारेमें विचार करके जहां भी भूल हो रही हो वहां सुधार लेना। किसीको बुरी लगनेवाली बात लिख दी हो तो अुनसे धमा मांगकर अुसके साथ घुलमिल जाना और अुसका प्रेम संपादन करना। किसीके साथ दुश्मनी मत करना। मुझे खुले दिलसे लिखना। कुछ भी दुःख न करना। मेरा स्वभाव भी किसी समय सख्त था, परन्तु

मुझे जिस वारेमें बड़ा पछतावा हुआ है। ये बातें मैं तुम्हें अनुभवसे ही लिख रहा हूँ।”

श्री डाह्याभाजीने जिसकी पूरी सफाओ दी। उसके जवाबमें ता० ९-१२-३२ के पत्रमें लिखा :

“मुझे जो खबर मिली सो तुम्हें लिख दी थी। अपने स्नेही हमारा कोओ दोष बतायें तो उसका बुरा न मानना चाहिये। उनका दृष्टिकोण समझनेका प्रयत्न करें तो उससे हमें सदा लाभ होता है। कोओ हम पर ओषसि आरोप लगाता हो तो दुःख हो सकता है। परन्तु तुम्हारे स्नेहियोंका तुम्हारे लिये जो खयाल हो वह यदि वे लोग मुझे बतायें तो जिसमें ओषा नहीं हो सकती। उनके विचारमें कोओ दोष न हो तो उन्हें समझनेकी कोशिश करनी चाहिये।”

जब गांधीजीका अक्कीस दिनका अपवास जारी था, तब बेलगांव जेलमें श्री मणिवहनको ता० १९-५-३३ को लिखा कि वापूजीके कार्य कितने अकल्पित होते हैं। मृदुलाबहन भी उस समय बेलगांव जेलमें ही थीं।

“वापूके अपवाससे मृदुलाको बहुत दुःख हो, यह मैं समझता हूँ। परन्तु उनका अनुकरण करनेमें हमें अितना तो समझ ही लेना चाहिये कि कभी कभी उनके काम जैसे अवश्य होते हैं जिन्हें मामूली तौर पर देखनेसे हम नहीं समझ सकते। दुनिया और उनके बीच अितना बड़ा अंतर है कि हम उनके सब कामोंको समझ नहीं सकते। जिसलिये यह मानना पड़ता है कि ओश्वर जो करता है सो अच्छा ही करता है। और वापूका सारा जीवन ऐसा है कि जिस वारेमें कोओ शंका नहीं की जा सकती कि वे जो कुछ करेंगे वह शुद्ध हेतुसे और देशहितके लिये ही करेंगे। यह अवसर तो ओश्वर-कृपासे निर्विघ्न पार हो जायगा। अब आधे अपवास बाकी रहे हैं। वे वापू अच्छी तरह कर लेंगे, ऐसी आज तो डॉक्टरोंकी राय है। जिसलिये अब बहुत चिन्ता करनेका कारण नहीं है। परन्तु भविष्यमें किसी समय कुछ भी घटना हो जाय, तो भी विलकुल घबराना नहीं चाहिये। यह मानना चाहिये कि वापू जो करते हैं सारी स्थितिका विचार करके ही करते हैं। परिणाम सदा ओश्वरके हाथमें होता है। किसीका चाहा नहीं होता। अच्छा कार्य करने पर अच्छा परिणाम न निकले तो भी क्या? यह बात ध्यानमें रखकर जेलमें पड़े हुआंको बाहरकी कुछ भी चिन्ता न करनी चाहिये। यह सब तुम दोनोंको समझ लेना है। भविष्यमें क्या क्या करना पड़ेगा या

सहना पड़ेगा, यह कौन जानता है? जिसलिये यह समझ लो कि जेल दुःखमें सुख माननेवालोंके लिये है।

“वापूके समाचार तो तुम्हें रोज रोज मिल जाते हैं। और तुम्हें जवाबमें पत्र लिखनेकी भी छूट मिल गयी है। जिसलिये तुम्हें कोबी चिन्ता न होनी चाहिये।

“मृदुला बहादुर है। उसके लिये रोने या धरानेका कोबी कारण हो ही नहीं सकता। यह पत्र मिलेगा तब वापूके अपवास पूरे होने आये होंगे या पूरे हो गये होंगे। परन्तु भविष्यमें तुम दोनोंके याद रखनेके लिये ही लिख रहा हूँ। बाहर होनेवाली किसी भी घटनासे जरा भी अशान्त नहीं होना चाहिये। अितनी शक्ति जो प्राप्त कर ले वही जेल जानेके लायक माना जायगा। हमें अपना धर्म पालन करना है। जिससे अधिक हमारा कर्तव्य नहीं।

“वापूके तपसे हमें अेक ही बातका विचार और अमल करना चाहिये। वह है हमारी अधिक आत्मशुद्धि। वह शुद्धि हम किस हद तक कर सकते हैं जिसका विचार करें, ताकि हम देशसेवाके लिये अधिक योग्यता प्राप्त कर सकें। जिससे अधिक कुछ करनेकी या सोचनेकी बात ही नहीं हो सकती। जिस बार तुमने अच्छी हिम्मत रखी है। जिसके लिये तुम्हें बधायी देता हूँ। मृदुलाका प्रेम सम्पादन किया है, जिसके लिये भी तुम्हें बधायी देता हूँ। तुम्हारी सहृदयतासे अंवालालभायी और सरलादेवी उसके वारेमें बहुत निश्चिन्त हो गये हैं, अैसा उनके पत्रोंसे जान पड़ता है।

“वापूको लिखे तुम्हारे पत्र कौन पढ़ता है, जिसकी चिन्ता करनी ही नहीं चाहिये। तुम्हें यह तो पता होना ही चाहिये कि अुनके पास गुप्तता जैसी कोबी चीज नहीं होती। और हमें भी किसीसे कुछ छिपाना नहीं है।”

गांधीजीने यह कहा था कि मेरा अपवास अपनी और समाजकी शुद्धिके लिये ही है। अुस परसे श्री मणिवहनको यह खयाल आया करता था कि कहीं हमारे दोषोंके लिये ही तो वापूजी अपवान नहीँ कर रहे हैं? जिस वारेमें ता० १६-६-३३ को अुन्हें लिखते हैं :

“महादेव लिखते हैं कि अपवासके दरमियान वापूके नाम आये हुअे तुम्हारे पत्रोंसे तुम्हारी अशांति बहुत ज्यादा प्रगट होती थी। जिस वारेमें मैंने पिछले पत्रमें तो लिखा ही था। मैं मान लेता

हूँ कि अब तुम्हारा मन शान्त हुआ होगा। हमसे कोजी दोष हो गया हो तो उसे बार बार याद करके दुःखी होनेमें कोजी सार नहीं। सही अुपाय यही है कि भविष्यका जीवन सुधार लेनेका यथाशक्ति प्रयत्न किया जाय। यही सच्चा कर्तव्य है। इसलिये जब जागे तभी सवेरा समझकर अीश्वर पर विश्वास रखते हुअे भविष्यके लिये जीवनमें सुधार कर लेनेका विचार किया जाय। मनमें कोजी परेशानी न रखकर तथा अीश्वरकी शरण लेकर निष्काम भावसे भरसक सेवा की जाय और मन, वचन, कर्मसे जीवनको जितना स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सके बनानेका प्रयत्न किया जाय। अितना करोगी तो निराशाके लिये रत्तीभर भी गुंजाअिश नहीं रह जायगी।

“अेकान्तमें तर्क-वितर्क होना स्वाभाविक है। परन्तु काममें लगे रहनेसे मन शांत रहता है। इसलिये जहां तक हो सके विचार कम किया जाय। काम तो तुम्हें काफी करना होता है। यह अच्छा है। शरीरको संभालकर जितना काम हो सके अुतना किया जाय। भोजन अच्छा नहीं मिलता। परन्तु कच्चा न हो और पचने लायक हो तो खा लिया जाय। और अैसा न हो तो थोड़ी भूख सह ली जाय। पेटकी संभाल रखते हुअे दवा वगैराकी जरूरत हो तो प्राप्त करके शरीरकी रक्षा की जाय।”

अिसी बात पर ता० ३०-६-३३ को मणिवहनको दुवारा लिखते हैं :

“अपना स्वास्थ्य संभालना। वरसात आ गयी है, इसलिये चलना-फिरना कम हो गया होगा। वरामदेमें घूमनेकी स्थिति हो तो वहां, नहीं तो वैरकमें भी अेक-दो घण्टे जरूर घूमना चाहिये। बैठे-बैठे खाना हजम नहीं होता। पैरमें अब आराम हो गया होगा। मनकी शांति प्राप्त करना तो तुम्हारे अपने ही हाथमें है। अिसमें दूसरोंसे बहुत थोड़ी सहायता मिल सकती है। चिन्ता अीश्वरको सौंप दो। भूतकालको भूलकर भविष्यको सुधार लेनेमें ही बुद्धिमानी होगी। अिस दुनियामें अनेक मनुष्य अपना रास्ता भूल जाते हैं। अिनमें से अधिकतर रास्ता भूल कर वापस नहीं आ सकते। अधिकांश तो यह समझते ही नहीं कि वे रास्ता भूल गये हैं। अिनके कुछ पूर्वजन्मके पुण्य होते हैं वे ही समझ सकते हैं। वे वापस लौट आते हैं तो तर जाते हैं। तुम अभी छोटी हो, अतः तुम्हारे लिये तो जीवनको सुधार लेने और सफल बनानेका बहुत अवकाश है। इसलिये जरा भी चिन्ता न करना।

“वापूके अपवासका हमारे जैसोंके साथ कोअी सम्बन्ध नहीं हो सकता। अुसके कारण यहां (जेलमें) आनेके बाद बाहर अुत्पन्न हुअे। और वे अनेक हो सकते हैं। अुनका तुम्हें वहां बैठे बैठे पता नहीं लग सकता। कल्पना भी नहीं हो सकती। अिसलिये व्यर्थ चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यहांसे तुम्हें सब बातोंकी कल्पना भी नहीं कराअी जा सकती। अिसलिये व्यर्थके विचार करके दुःखी न होना चाहिये। वापूके समाचार रोज अेक कार्डसे मिल जाते हैं, अितनी अीश्वरकी कृपा है। बाकी तो जो अखबारोंसे मिल जायं अुन्हींसे सन्तोष करना पड़ेगा। हजारों दूसरे लोगोंने भी तो अिसी तरह संतोष प्राप्त किया होगा न?”

ता० २-८-३३ को नासिक जेलमें मणिवहनको लिखते हैं :

“मेरा अूपर लिखा पता देखकर तुम्हें जरा अचंभा होगा। कल सुवह अेकदम दरवडासे हटाकर शामको चार बजे यहां ले आये। क्यों हटाया, यह तो भगवान ही जाने! परंतु मेरा अनुमान यह है कि अिसके पीछे वापूसे मुझे अलग करनेका अिरादा होना चाहिये। और किसी कारणकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। मेरे लिये तो जहां ले जायं वहां अेकसा ही है। परंतु वापूकी सार-संभालका और अुनकी संगतिका लाभ हाथसे चला गया।”

श्री डाह्याभाअीकी पत्नीको गुजरे लगभग डेढ़ वर्ष हो गया था। सगे-सम्बन्धी अुनकी दूसरी शादी करनेके विषयमें सरदारको लिखते रहते थे। अुस समय मणिवहन भी जेलसे छूटकर बाहर आ गअी थीं। अिस विषयमें ता० १०-१०-३३ के पत्रमें मणिवहनको लिखते हैं :

“विवाहके वारेमें तो डाह्याभाअीके जो विचार हों सो सही। अकेले रहा जा सके तो अुत्तम होगा। जैसे अकेले रहनेमें दुःख है वैसे वच्चोंके लिये सौतेली मां ले आनेमें भी दुःख है। अिन दोनोंमें से जैसी अुनकी अिच्छा हो वैसा कर लें।

“अव तुम थोड़े समय डाह्याभाअीके साथ रह सकोगी। दोनों भाअी-वहन कहीं न कहीं समय और अेकान्त निकालकर जी भरकर बातें कर लेना। बार-बार समय नहीं मिलता। दिलोंकी सफाअी करनी हो सो कर लें। परंतु कोअी चिन्ता न करना। बहुत बड़ा कुटुम्ब-कवीला होनेसे सुख मिलता है अैसी बात नहीं। थोड़े लोग हों तो संभव है सुखसे रह सकें और थोड़ा दुःख भुगतना पड़े। वैसे संसारमें सुख-दुःख तो बूपछांवाकी तरह आते ही रहते हैं। और सुख-दुःख मनके

कारण होते हैं। संसार मायासे भरा है। थोड़ी मायावालेको थोड़ा दुःख। जिसलिये माया और जंजाल बढ़ानेमें कोसी लाभ नहीं है।”

श्री डाह्याभाभीका अपने चचेरे भाभीके साथ कुछ झगड़ा हुआ करता था। जिस विषयमें ता० ११-१०-३३ को पत्र लिखकर सरदार उन्हें सलाह देते हैं :

“मैं देखता हूँ कि . . . की और तुम्हारी नहीं पटती। जिसका अर्थ यह है कि तुम दोनोंको अलग हो जाना चाहिये। शामिल रहनेसे मन फटते हैं तो साथ रहनेकी अपेक्षा अलग रहना ज्यादा अच्छा है। संभव है कि सम्बंधियोंकी अपेक्षा मित्रोंसे अथवा अपनोंकी अपेक्षा परायोंसे ज्यादा प्रेम हो जाय। . . . मैं समझ सकता हूँ कि वह तुम्हारी न मानता होगा। परंतु तुम्हारी न माने और अुलटे काम करे तो अुससे जुदा हो जाना ही अच्छा होगा। जिसमें तुम्हें परेशान या दुःखी होनेका कोसी कारण नहीं। अलग हो जानेसे दोनों सुखी रहोगे। जिसलिये सब बातोंका मणिवहनके साथ विचार कर लेना। जिस समय तुम दोनों भाभी-वहन सुख-दुःखका थोड़ासा विचार कर लेना। पता नहीं फिर कब अिकट्ठे होगे ? जिसलिये समय और अेकान्त देखकर जी भर कर बातें कर लेना। अकेले रह सको तो अुत्तम बात है, परंतु न रहा जाय तो शादी कर लेनेमें संकोच रखनेकी जरूरत नहीं। सिर्फ अितना ही विचार कर लेना है कि अनुकूल साथी मिलता है या नहीं। परंतु यह गौण प्रश्न है। मुख्य प्रश्न तो यह तय करना है कि तुम्हारी अिच्छा क्या है।

“ये सब बातें तुम्हें लिख रहा हूँ, फिर भी अेक बात तुम्हें अब समझ लेना जरूरी है। वह यह कि किसी भी बातकी चिन्ता न की जाय। हमारा सोचा कुछ नहीं होता। सोचा अीश्वरका ही होता है। हम केवल बुरा या पाप करनेसे हिचकिचायें या डरें। और किसीसे डरनेकी जरूरत नहीं। अीश्वर पर भरोसा रखकर आनंदसे दिन बिताने चाहिये। सबका भाग्य अपने साथ है।”

कुछ कार्यकर्ताओंमें आभी हुआ शिथिलतासे बहुत दुःखी हो रहे थे, ता० २९-१२-३३ को लिखते हैं :

“चि० रमणीक,

“तुम्हारा ता० २६-१२-३३ का पत्र मिला। तुम्हें या वैकुण्ठको हम (श्री चंडुभाभी और सरदार) कैसे भूल सकते हैं ?

अस प्रकार यदि छोटे छोटे साथियोंको भूल जायं तो हम देश-सेवाके सपने नहीं देख सकते। चंद्रभाभी तो तुम्हारी सेवा भूल ही नहीं सकते।

“वाहर दिखायी देनेवाले अंधकारमें तुम्हें निराशा मालूम होती है, यह हम समझ सकते हैं। परंतु सूर्यास्तके बाद सूर्योदय और अंधकारपूर्ण रात्रिके बाद अज्ज्वल प्रातःकाल होता है। यह नियम जगतकी अुत्पत्तिसे लेकर आज तक चला आ रहा है और इसमें फेरवदल नहीं होगा। इसलिये निराश होनेका कोई कारण नहीं है।

“मनुष्यमात्र दुर्बलताओंसे भरे हैं। जिसे दुर्बलताका भान है उसे किसी दिन अीश्वर बल देगा। जो अपनी कमजोरीको नहीं समझता अथवा अपनी ताकतके नशेमें चूर रहकर घमंड करता है वह ठोकर खाकर गिरता है। समर्थ तो अेक अीश्वर ही है। इसलिये किसी अेक आदमीकी या बहुतोंकी दुर्बलता देखकर हमें घबराना नहीं चाहिये। अीश्वरकी अिच्छा यही होगी कि सबका घमंड अुतार दिया जाय और हरअेकको बतल दिया जाय कि वह कितने पानीमें है। यह कहा जाय तो वेजा नहीं कि अेक तरहसे यह बहुत अच्छा हुआ है। अंधेरेमें भटकते तो आगे मुश्किल पड़ती। इसलिये तुम घबराओ मत। तुम स्वयं प्रभुसे बल मांगोगे तो वह अैसा दयालु है कि कभी न कभी बल दे ही देगा।

“तुमने जिस अुत्तम वातावरणमें सेवा करनेका आनंद लूटा है, अुसकी मीठी स्मृतियां भुलायी नहीं जा सकतीं। इसे मैं समझता हूं। परंतु हताश होनेकी कोई बात नहीं। फिर कोई दिन वैसा ही या अुससे भी अुत्तम प्राप्त होगा। भविष्यके गर्भमें क्या छिपा है, इसका किसीको पता नहीं चलता। परंतु अितनी बात निश्चित है कि अन्तमें जय सत्यकी ही होती है और परमात्मा गरीबोंका बेली है। इसलिये हम अुस पर विश्वास रखें। विश्वास रखना कि चंद्रभाभीके तुम्हारे लिये सदा आशीर्वाद हैं ही। समय-समय पर अपने समाचार लिखते रहना।

वल्लभभाभीके आशीर्वाद”

श्री डाह्याभाभीको फिर ३१-१-३४ को परिवारके विषयमें लिखते हैं:

“... के साथ तुम्हें दुःखी होनेकी कोई आवश्यकता नहीं। साथ रहनेमें कटुता पैदा हो या बढ़े, इससे तो अुसे साफ कह देना ही अच्छा है। इसमें दुरा दिखेगा अैसा मानना ही

नहीं चाहिये। उसके भाभी-बापके साथ भी हृदसे ज्यादा खिन्न जानेका कोअी कारण नहीं है। हम सीधे ढंगसे जो मदद कर सकें वही करना हमारा धर्म है। इससे अधिक मदद करने जाकर परेशानीमें पड़ना ठीक नहीं।”

फिरसे जेल जानेके कारण श्री मणिवहनको अँसा लगता था कि वे बड़ोंकी सेवा करनेके धर्ममें चूक गयीं। इसलिअे अुन्हें ता० १-२-३५ को लिखते हैं :

“वापू कहते हैं कि मणिको लिखिये कि ‘बड़ोंकी सेवा पास रह कर ही नहीं की जाती। जो बड़ोंका काम करता है वह अुनकी सेवा ही करता है। सान्निध्यमें रहनेका लोभ भले ही हो। वह स्वाभाविक है। परंतु सेवा और सान्निध्यमें अनिवार्य संबंध नहीं है।’ वापू जो लिखते हैं वह विलकुल सच है। देखो न, बाका अितनी अुन्नमें भी वापूकी सेवामें रहनेका बहुत मन होने पर भी वापूका कार्य करनेके लिअे वे अुनका साथ छोड़ कर चली गयीं या नहीं? इसी तरह तुम्हें मेरे साथ रहने और सेवा करनेका लोभ होना स्वाभाविक है। परंतु इस लोभके खातिर धर्मको हरगिज नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिअे तुम जो कर रही हो वह कठिन होने पर भी अुसीमें सच्ची सेवा है। मेरी सेवा करने जैसा अभी तो कुछ भी नहीं है। मुझे सब युविधाअें मिल जाती हैं। सहायता करनेवाले भी हैं। इसलिअे मेरी जरा भी चिन्ता न करना।”

श्री डाह्याभाअीको ता० १-७-३४ को कुटुम्बकी सेवाके वारेमें लिखते हैं :

“... के पत्रसे जान पड़ता है कि वह बहुत ही दुःखी है। अुसे पिताकी मृत्युका गहरा आघात लगा है। घर रहनेको कहा तो अुसे पसन्द न आया। अुसे डर है कि अँसा करनेसे किसी दिन अुसका भी पिता जैसा ही हाल न हो जाय। लड़का अभी वालक और अनुभवहीन है। दया करने लायक है। अुसे शक हो गया है कि सब अुसके विरुद्ध हैं। तुम्हें भी शायद किसीने अुसके विरुद्ध वहका दिया है। मैंने आज अुसे हो सके तो शनिवारको आनेके लिअे पत्र लिखा है। वम्बअी आये तो अुसे जरा शान्त कर देना। आना होगा तो मुझे सूचना देगा। परंतु तुम्हें सूचना दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। सूचना दे तो अुसे स्टेशनसे ले आना और समझा देना कि यहां किस तरह आये। दिनमें १० से १ वजे तक किसी भी समय जेल पर आ जाय तो मिलाप हो सकेगा। रातको अुसे कहीं भटकनेकी जरूरत नहीं। अुसे समझा देना कि लौटकर

तुम्हारे यहीं आ जाय। शामको उसे लेने स्टेशन पर चले जाना। वेचारा अनजान है। उसके पत्रसे दिखायी देता है कि उसे बहुत ही दुःख हुआ है।”

ता० १६-४-३४ को मणिवहनको लिखा हुआ पत्र बड़ा महत्वपूर्ण है :

“तुम शान्त हो गयी, जिससे डाह्याभायीको भी शान्ति हो गयी। अखबारोंमें वापूके चाँकाने * वाले निश्चयके बारेमें पढ़ा होगा। जिस वारका निर्णय जरा अटपटा और पेचीदा है। जल्दी समझमें नहीं आ सकता। परंतु हम भीतर पड़े हुआंको अिन पहेलियोंका विचार नहीं करना चाहिये। बाहरवालोंको जो सूझे सो करें। हम तो बाहरकी दुनियामें क्या हो रहा है, उसे जानने-समझनेकी विलकुल कोशिश न करें। बाहर हों तब पूरी दिलचस्पी लें। अन्दर घुसनेके वाद सारी जिम्मेदारियोंसे मुक्त हो जायं। परंतु अितना समझमें आता है कि अब तक जो चलता रहा वह आगे नहीं चलेगा। क्या होगा जिसकी अटकल लगाना मुश्किल है। प्रभु करे सो सही। अगली पहली तारीखको सब रांचीमें मिलेंगे।

“नारणदासको वापूने बुलवाया है। यह निर्णय करना है कि अब आश्रमवासी क्या करें। पहली अगस्त^x पास आ रही है। अब वे अकेले अन्दर जायेंगे और वहांसे हरिजन-कार्य करनेकी अिजाजत न मिली तो फिर अनशन तैयार ही है। जिस वार तो अन्तिम ही होगा। जिस-लिअे सब बड़ी परेशानीमें पड़ गये हैं। वापू कहते हैं कि अैसे समय सबका बाहर रहना ही अच्छा है। जिसलिअे कहते हैं कि अुन्होंने जो निर्णय किया है वही ठीक है।”

फिर सब कार्यकर्ताओंके हालचाल लिखते हैं :

“मीठुवहन आजकल मरोली और राजपीपला, वांसदा वगैरा देशीराज्योंके बीच खूब दौरा कर रही हैं। अीस्टरकी छुट्टियोंमें फिर

* सविनय कानून-भंगकी लड़ायीको अपने तक ही मर्यादित कर डालनेके गांधीजीके निश्चयका यहां जिक्र है।

x १ अगस्त, १९३३ को गांधीजी पकड़े गये थे और अुन्हें अेक वर्षकी सजा दी गयी थी। अुस समय जेलमें हरिजन-कार्य करनेकी काफी सुविधा न मिलनेसे अुन्होंने अुपवास किया था। अुस अुपवासमें अुन्हें छोड़ दिया गया था। अपनी सजाका अेक वर्ष हरिजन-कार्यमें वितानेके लिअे अुन्होंने सारे देशमें हरिजन-यात्रा करनेका निश्चय किया था। १ अगस्त, १९३४ को अेक वर्ष पूरा होने पर वे क्या करेंगे, जिसकी सरदार चिन्ता कर रहे थे।

मंगलदास पकवासाको वहां ले गयी थीं। गांवोंमें खूब घुमाया। लौट कर मरोलीमें बीमार हो गयी हैं और मालूम होता है मंगलदास वंभजीमें बीमार पड़ गये हैं। साथमें कल्याणजी अन्हें घुमानेवाले थे, फिर क्या पूछना? अभी तो सारे आश्रम बन्द पड़े हैं; इसलिये मरोली सबके रहनेका स्थान बन गया है। कुंवरजी वहीं हैं। वेड़छीवाले चूनीभाभी वहीं हैं। केशुभाभी भी वहीं हैं। चूनीभाभीकी पत्नी अपनी बड़ी लड़की कपिलाके यहां अहमदावाद गयी थीं। वहां अटारी परसे गिर पड़ीं और पैरकी अेड़ीकी हड्डी टूट गयी। अेक महीने विस्तर पर रहीं। वे भी अब मरोलीमें हैं। गोरधनवावा अब अच्छा हो गया है। पंड्याजीकी तबीयत अच्छी है। अेक सेर दूध रोज मिलता है, परंतु अब बेचारे बूढ़े हो गये हैं। दांत तो सभी निकलवा दिये हैं। इसलिये क्या हो सकता है? कष्ट सहन करनेकी शक्ति घट गयी है। रविशंकर छूटकर रास गये हैं। लिखते हैं कि उनकी तंदुह्स्ती अच्छी है। यह भी सूचित करते हैं कि जेलका कुछ भी असर दिखायी नहीं देता। अब्बास बावा इस साल प्रजामंडलके अध्यक्ष चुने गये हैं। देहातमें खूब दौरा कर रहे हैं। अैसी रिपोर्ट आयी है कि पिछले महीने १५१ गांवोंका दौरा किया। सात हजार रुपये जमा किये। पच्चीस हजार करने हैं। इस मास नवसारीमें डेरा डालकर आसपासके गायकवाड़ी अिलाकेमें दौरा करनेवाले हैं। बूढ़ा इस अुन्नमें भी गजबका जोर दिखा रहा है। सूरतसे कानजीभाभीका पत्र आया था। उनका भतीजा दो वर्षके लिये थाना जेलमें था। अभी ही छूटा है। बड़ा लड़का यहां है। वह अगले मास छूटेगा। इस प्रकार अब सब अपने अपने घर वापस लौट जायेंगे। अब फिरसे जेल जानेकी तो बात नहीं रही, इसलिये विचार कर रहे हैं कि क्या करेंगे। चन्दुभाभी भड़ौंचमें हैं। जयरामदास आनंदमें हैं। परंतु अन्हें बवासीर हो गयी है। बाहरसे फल मंगाकर खूब खायें तो अच्छा हो। मैंने प्रेमी (जयरामदासकी लड़की) को लिखा है। मुझे भी यहां आनेके बाद दो-तीन दिन तक खूब खून गिरा था। बादमें खूब फल खाने लगा तो बन्द हो गया। अब भी काफी फल और शाकका अुपयोग करता हूं। इससे कठिनायी नहीं होती।”

अुसी पत्रमें मणिवहनको स्वास्थ्यकी रक्षा करने और चित्त प्रफुल्ल रखनेकी सलाह देते हैं:

“मन प्रफुल्लित रखना आता हो तो शरीर आम तीर पर अच्छा रहता है। परंतु मनमें अुदास करनेवाले तर्क-वितर्क अुठते रहें तो अुसका

बुरा असर शरीर पर हुआ बिना नहीं रहता। यदि भजनमें मन लगाया जा सके और अस्मत् आनन्द आये तथा अस्मत् वातकी तनिक भी परवाह न की जाय कि बाहरकी दुनियामें क्या हो रहा है या होगा, तो दिन खूब आनन्दमें बीत सकते हैं। कुछ मनपसन्द भजन याद कर लिये हों तो जीमें आये तभी अनुका रटन किया जा सकता है। रातको नींद अच्छी तरह आनी चाहिये। यदि नींद अच्छी आ जाय तो कोजी कष्ट न हो। आजकल भीतरकी अपेक्षा बाहरकी मुश्किलोंका पार नहीं है। बापूके आखिरी फतवेसे क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है, अस्मत्का अभी तक निश्चित पता नहीं लगा। थोड़े समयमें लग जायगा। यह कोजी छिपा थोड़ा ही रहेगा? जो हो सो हमारे लिये तो समान ही है।”

ता० ३०-४-३४ के पत्रमें भी कार्यकर्ताओंके हालचाल लिखते हैं:

“अुत्तमचंद और संतोक् अहमदाबाद गये हैं। संतोक्के गलेके टांसिलका कल वाड़ीलाल साराभाजी अस्पतालमें डॉ० पटेलसे ऑपरेशन कराया है। साराभाजीके यहां ठहरे हैं। साथमें अुत्तमचंदके भाजीकी चौदह वर्षकी लड़की केसर है। भाजी कहीं न कहीं विधुरके साथ व्याह देनेकी कोशिश कर रहे थे। अुत्तमचंद समय पर पहुंच गये, अस्मत्लिये विवाह रक गया है। छोटुभाजी मोटरवाला, अुमकी पत्नी और लड़का सब अुभराट गये हैं। अेकाथ महीने वहां रहेंगे। अुभराट मरोलीसे बीस मील दूर समुद्रतट पर है। गायकवाड़ी राज्यका गांव है। वहां गायकवाड़ी सरकारने कुछ मकान बनवा दिये हैं। अुनमें रहेंगे। वेङ्छीवाले चुनीभाजी, सूरजवहन तथा गौरवनवावा और केशवभाजी भी वहां गये हैं। अुत्तमचंद और संतोक् अगले सप्ताह वहां जायेंगे। अस्मत् समय जो भी बीमार और कमजोर हो गये हैं वे सब वहां आराम ले रहे हैं। महीने भर बाद छोटुभाजी मोटर लेकर वारडोलीमें मंजुवहनके पास पहुंच जायगा। मंजुवहन कड़ोदमें शाखा खोलेंगी। सप्ताहमें दो दिन वहां जाया करेंगी। मंजु आजकल दिन भरमें छः केले और आधा सेर दूध ही लेती है। मैंने अुसे दूध खूब बढ़ानेको लिखा है। खाना तैयार मिल जाय तो अवश्य खा ले। परंतु अभी मुविधा नहीं है। फिर सब काम ठीकसे चलने लगे तब हो सकती है। थोड़े दिन बाद क्या होता है सो देखेंगे। किशोरलाल अभी तक देवलाळीमें ही हैं। किसी डॉक्टरके अिजेक्शन लेने शुरू किये हैं। कहते हैं फायदा होगा तो चीमासा वहीं वितायेंगे। विद्यापीठवाले नगीनदास भी वहां आये हैं।

विसापुरसे खोखले वनकर आये हैं। स्वास्थ्य सुधारनेके लिये अंक महीना रहेंगे। विसापुरमें सब अच्छे हैं। केवल जुगतराम बहुत दुबले हो गये हैं, असा अत्तमचंदने लिखा था। भास्कर अभी तो अहमदावादमें ही है। शांता भी वहीं है। मंगला मैट्रिककी परीक्षामें बैठी है। रविशंकर छूटकर रास हो आये। लोग बहुत दुःखी हो गये हैं। कुछ लोग थक गये हैं। परेशानी बेहद है। परंतु आशाभाभी बड़ी बहादुरी दिखा रहा है। वापूसे मिलने जानेवाला है। उसके बाद क्या करेगा, अिसका फैसला करके मुझे लिखेगा।

“मालूम होता है वल्लुभाभीने अहमदावाद म्युनिसिपैलिटीमें अध्यक्षकी हैसियतसे अच्छी स्याति प्राप्त की है। दादा अभी तक रत्नागिरिमें ही पड़े हैं। उनका तो अब सभीके साथ फैसला हो जायगा। उन्हें वहां वैरभावसे भगवान मिले वाली बात हो गयी। मालूम होता है वहां रहनेसे स्वास्थ्यमें अच्छा सुधार हुआ है। अहमदावादमें शरीर बहुत विगड़ गया था और ज्यादा विगड़नेकी संभावना थी। अितनेमें जाना हो गया। अिसलिये अंक प्रकारसे तो सुखी हुअे ही कहे जायेंगे।”

गुजरातके अंक बहुत पुराने कार्यकर्ता फूलचंद वापूजी शाह विसापुर जेलसे छूटनेके थोड़े समय बाद चल बसे। उनके वारेमें अिसी पत्रमें लिखते हैं :

“पिछले सप्ताह बेचारे फूलचंद वापूजी गुजर गये। बहुत भले आदमी थे। सबसे पुराने कार्यकर्ता थे। साधारण अथवा गरीब स्थितिमें रहकर भी सारी अुन्न देशसेवामें ही वितानी। खेड़ा जिलेमें उनकी जगह लेनेवाला कोअी नहीं। उनकी मौत सुन्दर हुअी। पहले दिन नरसिंहभाभी पटेलके पास आणंद गये थे। दोनों विट्टल स्मारक समितिके मंत्री हैं। शाम तक आणंदमें रहे। दूसरे दिन समितिकी बैठक नड़ियादमें करनेका निश्चय करके वापस नड़ियाद गये। शामको घर जाकर रातको वारह बजे तक पढ़ोसीसे खूब बातें कीं। फिर घरमें जाकर छत पर सो रहे। घरमें कोअी न था। विलकुल अकेले थे। लड़का अहमदावादमें बीमार था, अिसलिये उनकी पत्नी लड़केकी सेवाके लिये अहमदावाद गयी हुअी थी। गोकुलभाभी तलाटी उनके अुन्न भरके साथी थे। वे भी अुसी दिन वम्बअी चले गये थे। दादुभाभी समितिके अध्यक्ष हैं। वे भी वंदअीमें थे। फूलचंद भाभी रातको वारह बजे विस्तर पर सोये सो सोये ही रहे। फिर अुठे ही नहीं। सवेरे

समितिका चपरासी आठ वजे घर आया तब भी जुठे नहीं थे । खुसने पड़ोसीसे पूछा । फिर सब घरमें घुसे । छत पर अन्हें सोते हुअे पाया । डॉक्टरको बुलाया । डॉक्टरने कहा, हृदय वन्द हो जानेसे मृत्यु हो गयी है । रातको प्राण चले गये । कोअी पास नहीं था । किसीको पता तक न चला । नरसिंहभायी सुवह आणंदसे चलकर नौ वजे नड़ियाद आये तब स्टेशन पर ही समाचार मिले कि फूलचंदभायी तो चल वसे । बेचारे विलकुल हक्कावक्का रह गये । परंतु क्या करते ? अुनके अिस प्रकार अेकाअेक चले जानेके समाचार मालूम हुअे तब मुझे यह भजन याद आ गया :

‘कोनां छोह, कोनां वाछह, कोना मा ने वापजी,
अंतकाले जवुं अेकला, साथे पुण्यने पापजी.’ *

“नड़ियादने अुनका अच्छा सम्मान किया । हड़ताल पड़ी । जुलूस निकला । बहुत लोग स्मशानमें गये । वम्बजीमें कल अुनके मित्रोंने शोकसभा की थी । भूलाभायी अव्यध वने थे । मुंशी, जमनादास महेता वगैरा बहुत अच्छे बोले । फूलचंदभायीको हृदय-रोग तो था ही । विसापुरमें भी कभी कभी दर्द अुठ आता था । तब गुमसुम होकर पड़े रहते थे ।”

फिर विट्टलभायीके वसीयतनामेके वारेमें लिखते हैं :

“पिछले सप्ताह शंकरभायी अमीन (सॉलिसिटर) मुझसे मिलने आये थे । अुनके लिये अिजाजत तो बहुत समयसे ली हुअी थी, परन्तु अुन्हें अवकाश नहीं मिलता था । अदालतें वन्द होने पर फुरसत मिली तो आ गये । वसीयतनामेके वारेमें कोर्टमें जो कार्रवाअी करनी है अुसकी वात करने आये थे । मुझसे सब बातें कीं । मैंने तो कह दिया कि आपको सूझे सो कीजिये, मेरी अिसमें कोअी दिलचस्पी नहीं ।”

वादमें अिधर-अुधरके समाचार लिखते हैं :

“भक्तिलक्ष्मी चोरवाड़ हैं । दरवारकी भतीजी वीमार है । अुसे वहां रखा है । अुसीकी सेवाके लिये गयी मालूम होती हैं । सूर्य-कान्त और शांता भी वहीं हैं । महेन्द्र भादरणमें लल्लुभायीके यहां रहता है । अुसे पढ़नेका खूब चस्का लगा है । भादरण हाअीस्कूलमें पांचवीं

* भावार्थ :— किसके पुत्र-पुत्री, किसकी जायदाद और किसके माता-पिता ! अन्त समय केवल अकेले ही जाना पड़ेगा । साथमें केवल पुण्य और पाप ही जायेंगे ।

कक्षामें असे भरती कराया है। दो वर्षमें मैट्रिक हो जानेका अिरादा रखता है। असलिये अभी तो खूब मेहनत कर रहा है। दूसरे दो (दरवार साहबके लड़के) भावनगर दक्षिणामूर्तिमें हैं। दोनों अच्छे हैं। छगनलाल जोशी भी अभी तो भावनगरमें ही हैं। परदेसी बताकर बाहर निकाल दिया है, असलिये अन्यत्र जा नहीं सकते। यही हाल मणिलाल कोठारीका हो गया है। वे भी जोरावरनगरमें बन्द हो गये हैं। बुच (वेणीलाल) अभी छूटा है। अुस पर भी अैसा ही हुकम जारी किया गया है। अब्बास दावा भड़ौंचकी सभा*में गय थे और अध्यक्ष बने थे। बूढ़ा खूब काम कर रहा है। गांव गांव भटकते हैं और रुपया जमा करते हैं। लिखते हैं कि देहातमें दौरा करनेसे स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है। अजीब बूढ़ा है! मीठुवहनका पत्र आया था। बीचमें बीमार हो गयी थीं। अब अच्छी हो गयी हैं। अभी तो खूब भागदौड़ कर रही हैं। रुपया अिकट्टा कर लाती हैं, लकड़ियां मांग लाती हैं और मकान बनवा रही हैं। सूरत जिलेके हमारे तमाम कार्य-कर्ताओंके लिये मरोली अिस समय अेक निवासस्थान बन गया है। वहां रहते हुअे आसपासके रानीपरज प्रदेशमें केशुभाभी, चूनीभाभी वगैरा सब घूमते रहते हैं। लोग खूब डर गये थे, परंतु धीरे-धीरे अुनका डर कम हो रहा है।”

ता० १४-५-३४ के पत्रमें श्री मणिवहनको अैसे ही समाचार देते हैं:

“चंद्रभाभी, कानजीभाभी, रविशंकर और छोटुभाभी पुराणी रांची हो आये। अब किसानोंके लिये कुछ रकम अिकट्टी करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। आजकल वे बम्बयीमें हैं। मृदुला भी रांची गयी थी। वहांसे माथेरान गयी थी। वह वापस अहमदाबाद पहुंच गयी है। अहमदाबादमें अुसने स्त्रियोंकी कोअी संस्था खोली है। हो सकता है कि वापूका निर्णय अुसे पसन्द न आया हो। परंतु अब तो शान्त हो गयी दीखती है। रांची हो आनेके बाद अुसके मनको संतोष हो गया होगा।

“रासवालोंको बड़ा दुःख है। वह नडियादवाला अिस्माअील गांधी मुसलमानोंकी टोली बनाकर जमीनें खरीदकर पड़ा है। खेतोंमें तंबू लगा लिये हैं और हथियारोंके परवाने ले रखे हैं। फसादी टोली है, अिस-

* करवन्दीकी लड़ाअीमें भाग लेने और बर्बाद हो जानेवाले किसानोंको यथाशक्ति राहत पहुंचानेके लिये कोप अेकत्र करनेके लिये की गयी सभा।

लिये किसानोंको बहुत डर कर रहना पड़ता है। रासवाला आशाभाभी बड़ा साहस दिखा रहा है। रविशंकरके आ जानेसे उसे बड़ा सहारा मिला है। चंदुभाभी भी अच्छी सहायता दे रहे हैं। परंतु काम बहुत बड़ा है। कैसे पूरा किया जाय यह सवाल है। गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अब गांवमें रहनेसे काम नहीं चल सकता। सारी जमीन चली गयी। लेकिन खेतीके लिये तो चाहिये। वना गुजर कैसे हो?

“वम्बजीमें मिल-मजदूर हड़ताल कर बैठे हैं। अहमदावादमें भी अेक समय तो बिसका डर लग रहा था। परंतु ऐसा नहीं लगता कि वहां अभी कुछ होगा। मृदुलाका पत्र आया था कि मजदूरोंके नेता (शंकरलाल वैंकर तथा अनसूयावहन) माथेरानमें हैं, बिसलिये आप हड़तालकी कोभी चिन्ता न करें। वम्बजीके कुछ लोग अहमदावाद पहुंच गये हैं और मजदूरोंमें प्रचार कर रहे हैं। परंतु वहां ‘मजूर महाजन’ के सिवा किसीकी दाल गलती दिखायी नहीं देती।

“दादा (मावलंकर) अभी तक रत्नागिरिमें ही हैं। उनकी मां और कमू वहां गयी हैं। दादाको मंने कमूके वारेमें सूचनाओं भेजी थीं। अब रोज उसे साथ घूमनेको ले जाते हैं। भोजन बहुत थोड़ा करती थी। उसे अहमदावादमें किसी लड़कीने सिखा दिया था कि शरीरको नाजुक बनाना हो तो थोड़ा खाना चाहिये। बिसलिये आधी भूखी रहती थी। अब अच्छी तरह खा रही है। बिसलिये शरीर अच्छा हो गया है। दादाको रत्नागिरिमें बहुत लाभ हुआ है।

“हमारे दफ्तरवाले कृष्णलालका लड़का नरेन्द्र वी० अेस-सी० की परीक्षामें द्वितीय श्रेणीमें पास हो गया। अच्छा हुआ। गरीब आदमी है। लड़का कमाने लगे तो घरका काम अच्छी तरह चल जाय। लड़का बहुत अच्छा है। उसने अच्छी पढ़ाई की।

ता० ३०-५-३४ के पत्रमें कार्यकर्ताओंकी इसी तरह चिन्ता करते दीखते हैं :

“डॉ० हरिप्रसादका लड़का विष्णु पिछले सप्ताह हृदयकी गति बन्द हो जानेसे चल बसा। २८ वर्षकी अुम्र थी। दो महीनेसे वम्बजीमें था। अेल० सी० पी० अेस० की परीक्षाके लिये पढ़ाई करता था। खूब परिश्रम करनेसे शरीर दुर्बल हो गया। परीक्षा देकर घर आया और दूसरे ही दिन गुजर गया। अच्छा हुआ कि विवाहित नहीं था। दो तीन सालसे डॉक्टर उसकी शादी करनेकी कोशिश कर रहे थे।

लेकिन वह अिनकार करता था। परीक्षा हो जानके बाद व्याह करनेका विचार था। डॉक्टर तो गिजुभाजी (सर चिन्तुभाजी) के साथ अूटी गये थे। समाचार मिलते ही लौट आये हैं। लड़का बड़ा अच्छा था। डॉक्टरको बड़ा आघात पहुंचा है। परंतु वे हिम्मतवाले हैं।

“हरिवदन अभी तक अहमदाबादमें ही है। अब थोड़े दिनमें नवसारी आश्रममें वापस जायगा। सब काम बन्द रहा अिसलिये अुसे अच्छा नहीं लगा। परंतु क्या करता ?

“कानजीभाजीका लड़का प्रमोद यहां अुनके साथ था। वह भी छूटकर सूरत गया है। प्रमोद अच्छा लड़का है। अुसने देशसेवामें ही जीवन अर्पण करनेका निश्चय किया है। कानजीभाजीने भी अुसे अनुमति दे दी है। अुसका छोटा भाजी प्रीवियसमें प्रथम श्रेणीमें पास हुआ। सारा परिवार देशसेवाके रंगमें अच्छा रंग गया है। सबने कष्ट भी खूब सहन किया। नुकसान भी काफी अुठाय़ा है। वल्लुभाजीने म्युनिसिपल अव्यक्षकी हैसियतसे अच्छी ख्याति कमायी है। अुनके कामसे सब बड़े खुश हैं। भूरुजी आनंदमें है। वह अखवारके काममें डूब गया है। जरा भी फुरसत नहीं मिलती। भास्कर बंबयी आ गया है। कांग्रेस अस्पतालका काम फिर संभाल लिया है। अभी तक बम्बयीमें घर नहीं बसाया है। शान्ता वगैरा सोजित्रामें हैं। मकान लेनेके बाद बुलानेका अिरादा रखता है।

“बेलाबहन बड़ोदा गयी हैं। आनंदी, मणि और वनमाला अुनके साथ हैं। दुर्गा, मणि और अमीना अभी तो अन्दर हैं। परंतु बाहर आने पर अुन्हें कहां रखा जाय, यह विचार करना है। किशोरलाल वापूके साथ परामर्श करेंगे। आश्रमके न रहनेसे अिन सबके पैरों तले की जैसे जमीन ही खिसक गयी है। कोयी स्थान ही नहीं रहा। और यह भी अच्छा नहीं लगता कि अितने वर्ष बाद फिरसे दुनियवी कामोंमें लग जायं। अिसलिये क्या करें? लड़ायी बन्द हो जानेसे बाल, कांति वगैरा कुछ न कुछ पढ़ायीकी सुविधाओं दूंडने लगे हैं। परंतु यह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि क्या करें और कहां रहें।”

ता० १७-६-'३४ के पत्रमें आश्रमके सब लोगोंकी जो व्यवस्था हुयी अुसके बारेमें लिखते हैं :

“अभी तो वापूने यह प्रबंध किया है कि नारणदास राजकोटमें ही रहें और वहांकी जमनादासवाली पाठशालामें आश्रमके सब बच्चोंको पढ़ानेकी व्यवस्था करें। आश्रमके वयस्कोंके लिये वापू यह अितजाम

करना चाहते हैं कि वे सब देहातमें अलग अलग स्थानों पर जम जायं और गरीबीसे रहें। नारणदास राजकोटमें रहें और जो लोग देहातमें बैठे होंं उनके साथ परस्पर संबंध बनाये रखें। परंतु यह प्रश्न है कि सब लोग वच्चोंको राजकोटमें रखना पसन्द करेंगे या नहीं। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा प्रश्न तो अमीना और उसके वच्चोंका रहेगा। कुरैशीका भी विचार करना पड़ेगा। बिन सब बातोंका आधार जिस पर रहेगा कि वापू पहली अगस्तको क्या करते हैं। हमारे वारडोलीके आश्रम तो अभी वापस मिले नहीं हैं। और कब मिलेंगे जिसका अभी कुछ निश्चय नहीं है।”

श्री डाह्याभाजीको ता० ४-७-३४ को कुटुम्बके विषयमें लिखते हैं :

“तुम लिखते हो सो सब सच हो तो भी मेरे खयालसे तुम्हारे विचारमें दोष है। हम उनके जैसे हो जायं तो फिर हममें और उनमें फर्क क्या रहा? अपकारका बदला अपकारसे देना ही समझदार आदमीका काम है। वुरेके साथ वुराबी करनेवाले तो संसारमें बहुत हैं। उसकी मां कैसी भी हो, परंतु जिसमें उस लड़केका क्या दोष? . . . फलां भावी उसे नीकरी क्यों नहीं दिलवाते, वैसा विचार हम न करें। वह हमारा है और हम दिला सकें तो हमें उसे नीकरी दिलवानी चाहिये। तुम उसका पत्र देखकर क्रोधसे भर गये लगते हो। उस पर क्रोध करना तुम्हें शोभा नहीं देता। उसकी मांके या और किसीके दोषका क्रोध उस निर्दोष बालक पर अतारना ठीक नहीं। . . . मेरे खयालसे हम परिवारसे अलग रहे हैं, जिसलिये भारी झंझटसे वच गये हैं। किसीको दोषी ठहरानेके लिये हम पूरी बात नहीं जानते। हमें जाननेकी फुरसत भी नहीं। बिच्छा भी नहीं। सबका कम ज्यादा दोष होगा। . . . को उनके लड़कोंमें से कोबी रख नहीं सकता। और उन भाबियोंकी भी आपसमें नहीं बनती। जिस प्रकार दुर्भाग्यवश पारिवारिक कलह जैसा चलता ही रहता है। हमारा धर्म सबकी यथासंभव सहायता करना है। न करें तो हम अपने धर्मसे भ्रष्ट होते हैं। परिवारका कोबी आदमी हमसे सहायता मांगने आये तो हम उसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? यह सारी बात तो तुम क्रोध छोड़कर विचार करो तब समझमें आये। धवरानेसे काम नहीं चलता। किसीके बोलने या लिखने पर गुस्सा करना हमें शोभा नहीं देता। सामनेवालेके क्रोधके प्रति प्रेमसे ही काम लिया जा सकता है। हमें तो अुदारतासे विचार करना चाहिये। परंतु मैं समझ सकता हूं कि यह सब तुम्हारी

समझमें नहीं आयेगा । साधारण लोगोंकी विचारसरणी तुम्हारे जैसी ही होती है । उससे बाहर निकलना कठिन है । परंतु यही उत्तम मार्ग है ।”

सरदार जेलमें बैठे हुए भी कितने लोगोंका विचार करते रहते थे, यह उनके लिखे हुए पत्रोंके जो थोड़ेसे अुद्धरण अूपर दिये गये हैं उनसे हम देख सकते हैं । जिन पत्रोंमें जिनके नाम आते हैं अुन्हें पता भी नहीं होगा कि सरदार हमारा ध्यान रखते होंगे । अेक सज्जनकी तो मुझे प्रत्यक्ष जानकारी है । अुन्होंने कहा था कि मैं सरदारके साथ कभी बोला तक नहीं और मुझे यह भी विश्वास नहीं था कि सरदार मुझे जानते हैं या नहीं । फिर भी सरदारने मेरी चिन्ता रखी, जिस पर मुझे आश्चर्य होता है । परंतु जो अपने तमाम साथियों और कार्यकर्ताओंकी चिन्ता न रखें वह सरदार कैसे ? सेवकोंके प्रति सरदारके हृदयमें गहरा वात्सल्यभाव था, इसीलिये वे सरदारपदको सफलतापूर्वक सुशोभित कर सके ।

१२

विद्यापीठ पुस्तकालय कांड

यह कहा जा चुका है कि गांधीजीने ३१ जुलाजी, १९३३ को सावरमती आश्रम भंग कर दिया था । उस समय अुन्होंने जिस खयालसे कि आश्रमका पुस्तकालय छिन्नभिन्न न हो जाय और उसका सदुपयोग हो, उसे अहमदावाद म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिया था । जिस समय पुस्तकालय सौंप देनेका विचार हो रहा था, उस समय श्री काकासाहब कालेलकर पूनामें थे । गांधीजीने पहले आश्रमका पुस्तकालय विद्यापीठके पुस्तकालयके साथ मिला देनेकी बात काकासाहबसे की थी । परंतु आन्दोलन छिड़ जानेसे उस पर अमल नहीं हो सका था । इसलिये यह बात सुनकर उस संकल्पका स्मरण करानेके अुद्देश्यसे गांधीजीको पत्र लिखकर वे पूनासे अहमदावादके लिये रवाना हो गये । किन परिस्थितियोंमें विद्यापीठका पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंपा गया था, जिसकी तफसील बयान करनेवाला अेक पत्र श्री काकासाहबने गांधीजीको ता० ३०-७-३४ को लिखा था । उसमें गांधीजीसे उस समय हुई अपनी बातोंका हाल भी अुन्होंने लिखा था । उसमें से संबंधित अंश नीचे दिया जाता है :

“आपने ही शुरुआत की थी कि विद्यापीठका पुस्तकालय भी म्युनिसिपैलिटीको सौंप दें तो कैसा रहे ? मैंने कहा था कि यहां आते

हुअे रास्तेमें मैंने भी यही विचार किया था। आपने आश्रमका पुस्तकालय विद्यापीठको देनेके वावजूद म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिया, जिसलिअे आप यही चाहते होंगे कि दोनों पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिये जायं। नहीं तो आपके हाथों अैसी कार्रवाजी हरगिज नहीं हो सकती थी। जिस विचारसरणीसे मैंने भी निश्चय किया कि विद्यापीठका पुस्तकालय हटा देनेमें ही श्रेय है। दस वर्ष तक या जिससे भी अधिक समय तक सबको जेलमें रहना है, तो पुस्तकोंको सरकारके कब्जेमें क्यों सड़ने दिया जाय ? दस वर्षके अन्तमें जब परिस्थिति बदल जायगी तब सब बातोंका विचार अलग ढंगसे करना होगा। विद्यापीठकी प्रवृत्तिका अभी अेक स्वाभाविक अंत हो रहा है, अतः जिस पुस्तकालयका अुपयोग लोग करने लगें यही अच्छा है।

“परंतु मैंने यह भी कहा था कि यह पुस्तकालय और आश्रमका पुस्तकालय भी म्युनिसिपैलिटीको देनेके विषयमें मेरा मतभेद है। . . . सरकार म्युनिसिपैलिटीको चाहे जब मुअत्तिल करके पुस्तकालयको अपने अधिकारमें ले सकती है। जिसलिअे यह सरकारको देनेके बराबर ही है। आपने कहा था : यह सच है कि अितना दोष जिसमें रह जाता है। परंतु म्युनिसिपैलिटी बल्लभभाजीकी है। हम जनताकी सेवा करते होंगे तो म्युनिसिपैलिटी पर अधिकार हमारा ही रहेगा। बल्लभभाजीका स्वभाव मैं जानता हूं। बल्लभभाजीको यह बात पसन्द आयेंगी. . .।”

अहमदावाद आकर ३१ जुलाजीको काकासाहबने कलेक्टरको पत्र लिखकर पृच्छवाया :

“आपने मुझे जो पुस्तकें चाहिये वे ले जानेकी मंजूरी तो दे ही रखी है। क्या मैं यह मान सकता हूं कि विद्यापीठके मकानसे सारी पुस्तकें और जिन आलमारियों वगैरामें वे रखी गयी हैं वे भी हटा लेनेकी मुझे आजादी है ? यह प्रश्न जिसलिअे अुत्पन्न हुआ है कि सावरमती आश्रमकी पुस्तकें जिस प्रकार लोकोपयोगके लिअे दे दी गयी हैं अुसी प्रकार विद्यापीठका पुस्तक-संग्रह भी दे देनेका विद्यापीठके ट्रस्टियोंका अिरादा है।”

जिस पत्रका मसौदा गांधीजीने ही बनाया था।

जिसके अुत्तरमें कलेक्टरने सूचित किया :

“विद्यापीठकी पुस्तकें और मकानके साथ न जड़ी हुअी आलमारियां आप रसीद देकर ले जायं तो जिसमें मुझे कोजी आपत्ति नहीं है।”

न काकासाहब पूनाके लिये चल देनेवाले थे, जिसलिये गये कि विद्यापीठका पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंपनेका अपल अध्यक्षको आप ही लिख दें। तदनुसार गांधीजीने अध्यक्षको विद्यापीठके पुस्तक-संग्रहकी भेंट स्वीकार करनेको लिखा। बादमें विद्यापीठका पुस्तक-संग्रह विद्यापीठके मकानसे हटाकर म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिया गया।

सरदार और कुछ दूसरे लोगोंमें से, जो विद्यापीठ मंडलके सदस्य थे और जिस प्रकार विद्यापीठकी संपत्तिके ट्रस्टी थे, अधिकांश उस समय जेलमें थे। जिसलिये उनसे पूछा नहीं जा सकता था। परंतु गांधीजीकी स्वीकृति मिल जानेके कारण जो लोग बाहर थे उनमें से कुछके कानों पर पुस्तकालयका दान कर देनेकी बात डाल देनेके सिवा अनुकी विधिवत् स्वीकृति लेनेकी काकासाहबने आवश्यकता नहीं समझी। सरदारको जब जेलमें विद्यापीठके पुस्तकालयके दानका पता चला तो अन्होंने यह बात पसन्द नहीं आयी। उनका यह खयाल था कि पुस्तकालय विद्यापीठका महत्त्वपूर्ण अंग है और उसके बिना भविष्यमें विद्यापीठका कामकाज चलाना असंभव-सा हो जायगा। परंतु जेलमें से तो वे कुछ कर नहीं सकते थे। जुलायी १९३४ में बाहर आनेके बाद अन्होंने सारी बातोंकी जांच की। पुस्तकालयका दान ठीक था या नहीं, जिस प्रश्नको अेक ओर रख देनेके बाद भी अन्होंने लगा कि 'जिस प्रकार ट्रस्टकी संपत्ति दूसरी संस्थाको दे देनेका श्री काकासाहबको अधिकार नहीं था। अतना ही नहीं, सारे विद्यापीठ मंडलको भी पुस्तकालय अहमदावाद म्युनिसिपैलिटी जैसी सरकारी नियंत्रणवाली संस्थाको सौंप देनेका अधिकार नहीं था। क्योंकि विद्यापीठकी स्थापना असहयोग आन्दोलनके सिलसिलेमें होनेके कारण उसके हेतुओं और अुद्देश्योंमें स्पष्ट बताया गया है कि विद्यापीठ सरकारसे सब प्रकार स्वतंत्र रहकर शिक्षाका काम करे और अपनी संस्थाअें चलाये। विद्यापीठके विधानके परिशिष्टमें विद्यापीठके जो सिद्धान्त दिये गये हैं, उनमें भी 'राज्यसत्ताके नियंत्रण' शीर्षकके नीचे लिखा गया है कि अपने नियम तय करनेमें और अपनी संस्थाओंकी व्यवस्था करनेमें विद्यापीठ सरकारसे पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा। अब म्युनिसिपैलिटी तो कानून द्वारा स्थापित संस्था है, जिसलिये उस पर कलेक्टर, कमिश्नर तथा सरकारके दूसरे अफसरोंके कुछ अंकुश रहते हैं। और यदि उसे सौंपे हुअे कर्तव्य पालन करनेमें वह कसूर करती मालूम हो तो सरकार उस पर अधिकार भी कर सकती है। जिसलिये विद्यापीठ जैसी असहयोगी और सरकारसे संपूर्ण रूपमें स्वतंत्र रहनेके सिद्धान्तवाली संस्था अपनी जायदाद अैसी सरकारी नियंत्रणवाली संस्थाको

साँपे, तो इसमें सिद्धान्तका तथा ट्रस्ट-संबंधी कानूनमें वताये गये कर्तव्योंका भी भंग होता है। और चूँकि विद्यापीठके दानदाताओंने विद्यापीठके अपरोक्त सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर उसे दान दिये थे, इसलिये विद्यापीठकी संपत्ति म्युनिसिपैलिटी जैसी सरकारी अंकुशवाली सत्ताके सुपुर्द कर देनेमें दानदाताओंका भी विश्वासभंग होता है।'

सरदारने अपने ये विचार गांधीजीको बताकर उनकी सलाह ली। गांधीजीका उस दिन मौन होनेके कारण अन्होंने सरदारके साथ लिखकर बातचीत की।

गांधीजी : मेरी यह राय है कि म्युनिसिपैलिटीके पास रहने देकर पुस्तकालयका ट्रस्ट बन सके तो बना लिया जाय। मेरा खयाल है कि वहाँ उसका अच्छेसे अच्छा उपयोग होगा। परंतु यह बात दूसरोंके गले न अतरे तो उसे वापस ले लेनेमें कुछ भी संकोच न रखा जाय। इसमें किसीकी प्रतिष्ठा या काकाकी भावनाओंका प्रश्न नहीं है। काका सहन कर लेंगे।

“गहराजीसे विचार किया जाय तो यह भी कहना चाहिये कि काकाने भले भूल की, लेकिन मुझे उनके अधिकारकी जांच करनी चाहिये थी। अतनी धांधलीमें अनेक काम जो अेकके बाद अेक कर डाले, उनमें यह भी विना जांचे कर डाला।”

सरदारने कहा : काका तो कहते हैं कि विद्यापीठका पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको साँप देनेका सुझाव पहले-पहल आपने किया था।

असके जवाबमें गांधीजीने लिखा :

“काका मेरे जिस सुझावकी बात कहते हैं उसकी मुझे याद नहीं। परंतु अन्हें याद है तो हमें मान लेना चाहिये।”

सरदारने ट्रस्टियोंके अधिकारकी बात की होगी, इस पर गांधीजीने लिखा :

“अधिकार नहीं था, यह ठीक है। मैं तो अतना ही कहता हूँ कि अधिकारके विना दिया गया दान अधिकारी हमेशा वापस ले सकते हैं। सचमुच यदि ये पुस्तकें वापस ले लेना हमारा धर्म हो तो मेरी राय है कि वापस ले ली जायं। उस समय काकाने सबसे पूछा होता तो शायद वे भी देनेके लिये सहमत हो जाते। पुस्तकें दे देनेके बाद तो तुरंत सबको जेलमें ही जाना था न ?”

जिस पर सरदारने यह कहा होगा कि सरकारी नियंत्रणवाली संस्थाको दान देनेका अधिकार संपूर्ण ट्रस्टी-मंडलको भी नहीं है। जिसके जवाबमें गांधीजीने लिखा :

“आप कहते हैं कि ट्रस्टियोंको अधिकार नहीं? यदि ऐसा हो तब तो पुस्तकें वापस ले ही लेनी चाहिये।”

जिसके बाद और भी अतिमीनान करनेके लिये सरदारने श्री भूलाभाभी देसाभी तथा श्री कन्हैयालाल मुन्शीकी राय ली। अन्हें सरदारने साफ बताया कि यदि सारे विद्यापीठ मंडलको पुस्तकालय दे देनेका कानूनी अधिकार हो तो काकासाहबकी कार्रवाजीको हम मंजूर करनेको तैयार हैं। जिसलिये आप यह न देखिये कि काकासाहबको अधिकार था या नहीं, परंतु अपनी राय जिस बात पर दीजिये कि सारे विद्यापीठ मंडलको यह अधिकार है या नहीं। दोनों कानून-पंडितोंकी राय यह मिली कि विद्यापीठके सिद्धान्तोंको देखते हुये सारे विद्यापीठ मंडलको म्युनिसिपैलिटी जैसी सरकारी अंकुशवाली संस्थाको विद्यापीठकी संपत्ति सौंप देनेका अधिकार नहीं है। जिस पर सरदारने अहमदावाद म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्षको पत्र लिखकर सूचित किया कि :

“आचार्य काकासाहब कालेलकरने अपने कुछ साथियोंकी संमतिसे गुजरात विद्यापीठका पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिया है। महात्मा गांधीके दिये हुये सत्याग्रहाश्रमके पुस्तकालयका दान जैसे आपने स्वीकार किया वैसे जिस पुस्तकालयको भी स्वीकार किया है। जिस मामलेमें ट्रस्टियोंके अधिकारके बारेमें बड़ा नाजुक सवाल पैदा हो गया है। मुझे यह सलाह मिली है कि अहमदावाद म्युनिसिपैलिटी जैसी संस्थाको विद्यापीठकी ट्रस्ट-संपत्ति सौंपना पूरे विद्यापीठ मंडलके अधिकारसे बाहर है। मैं विद्यापीठका एक ट्रस्टी हूं और उसकी संपत्तिकी रक्षा करनेके लिये कानूनी तौर पर जिम्मेदार हूं। जिसलिये आपको सूचना देना मेरा फर्ज हो जाता है कि विद्यापीठका पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंपनेके विषयमें जिन्होंने आपके साथ पत्रव्यवहार किया और जिन्होंने पुस्तकालयका अधिकार आपको सौंपा अन्होंने यद्यपि यह काम संपूर्ण शुद्ध बुद्धिसे किया है, फिर भी वह केवल अन्हेंके अधिकारसे बाहरका नहीं परंतु विद्यापीठके सारे ट्रस्टी-मंडलके भी अधिकारसे बाहरका है। आप अतिना तो स्वीकार करेंगे कि जैसे मामलोंमें ट्रस्टियोंको संस्थाके मूल अुद्देश्यों और मूलभूत सिद्धान्तोंकी रक्षाकी बहुत सूक्ष्म चिन्ता रख कर चलना चाहिये। जिसके सिवा, मूल दान-दाताओंमें से या साधारण जनसमाजमें से किसीको यह कृत्य अनधिकृत

मालूम हो और वह हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाही करे तो उसकी जोखिममें पड़नेकी भी ट्रस्टी-मंडलकी अच्छा नहीं होगी।

“खास तौर पर मैं आपका ध्यान इस बातकी तरफ खींचना चाहता हूँ कि इस पुस्तकालयके म्युनिसिपैलिटीके अधिकारसे मूल ट्रस्टियोंके अधिकारमें आ जानेसे आम जनताको उसका लाभ मिलनेके वारेमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आश्रमका पुस्तकालय रखनेके लिये म्युनिसिपैलिटी जो मकान बनाना चाहती है, उस मकानके स्थानसे विद्यापीठका पुस्तकालय लगभग अके ही मील दूर है। मुझे यह सलाह मिली है कि पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंप देनेकी कार्रवाही सारे ट्रस्टी-मंडलके अधिकारसे वाहरकी है और उस पर अधिक समय तक म्युनिसिपैलिटीका अधिकार रहनेसे ट्रस्टका भंग होता रहेगा। मेरा हेतु म्युनिसिपैलिटीको यह पुस्तकालय सौंपनेवालोंकी या म्युनिसिपैलिटी द्वारा उसे स्वीकार कर लेनेकी शुद्ध बुद्धिके वारेमें जराभी शंका करनेका नहीं है। मैं आशा रखता हूँ कि आप म्युनिसिपैलिटीसे आवश्यक प्रस्ताव पास कराकर पुस्तकालय जल्दीसे जल्दी विद्यापीठ मंडलको वापस सौंप देनेकी व्यवस्था करेंगे।”

इस पर म्युनिसिपैलिटीने अपनी 'लीगल कमेटी' के द्वारा वंजजीके प्रसिद्ध कानून-मंडित श्री वहादुरजीकी राय पुछवायी। विद्यापीठकी व्यवस्थाका हेतु, उसका विधान तथा उसके मूलभूत सिद्धान्तों वगैराका अध्ययन करके अन्होंने भी श्री भूलाभायी और श्री मुन्शीसे मिलती-जुलती राय दी। इस-लिये म्युनिसिपैलिटीके जनरल बोर्डकी बैठकमें श्री दादासाहब मावलंकर, जो उस समय म्युनिसिपैलिटीके अुपाध्यक्ष थे, प्रस्ताव लाये कि हमें वैरिस्टर वहादुरजीकी जो राय मिली है उसे देखते हुअे गुजरात विद्यापीठ मंडलकी तरफसे सरदार वल्लभभायीको पुस्तकालय वापस सौंप दिया जाय। इस पर संशोधन रखा गया कि विद्यापीठ मंडलके जो सदस्य या सदस्यगण अुचित अधिकारोंवाली अदालतका हुकम हासिल कर लें अुन्हें पुस्तकालय सौंपा जाय। श्री दादासाहबने अपने प्रस्तावके समर्थनमें बताया कि :

“वैरिस्टरकी रायके लिये मामलेकी हकीकतोंका नोट म्युनिसिपैलिटीकी तरफसे मैंने ही तैयार किया था। उसमें पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीके पास रहनेके पक्षमें जितने भी तथ्य और तर्क पेश किये जा सकते थे वे सब मैंने दिये थे। फिर भी जब वैरिस्टरकी यह स्पष्ट राय मिली है तो अदालतवाजीकी झंझटोंमें पड़कर जनताका रुपया पानीकी तरह बहाना म्युनिसिपैलिटी जैसी लोकहितकारी संस्थाको शोभा नहीं

देता । हमें तो लोगोंके सामने न्यायपरायणताका अुदाहरण अुपस्थित करना चाहिये । चूँकि पुस्तकालय हमारे कब्जेमें है, इसीलिये दूसरे पक्षको अदालतमें जानेके लिये मजबूर नहीं करना चाहिये । ”

मत लिये जाने पर प्रस्ताव २४ विरुद्ध ५ मतोंसे पास हो गया और पुस्तकालय विद्यापीठको वापस सौंप दिया गया ।

अधिकारसे वाहर हुयी कार्रवायीको सुधार लेनेका काम यों तो सरलतासे पूरा हो गया । परंतु अुसके साथ कुछ आनुषंगिक घटनाओं अैसी हुओं, जो हमारे मंडलमें कुछ समय तक दुःख और क्लेशका कारण बनी रहीं । जैसा अूपर कहा गया है, सरदारने तो इस मामलेमें अपनी पृष्ठभूमि इस तरह स्पष्ट कर दी थी कि यदि सारे ट्रस्टी-मंडलको यह दान करनेका अधिकार हो तो भले इसे अकेले काकासाहवने किया हो तो भी हम अुसे बहाल रखेंगे । मैं और कुछ दूसरे साथी इस बातसे पूरे वाकिफ नहीं थे । मुझे तो यह भी लगा कि सरदारको काकासाहवके प्रति अरुचि होनेके कारण अुन्होंने यह कार्रवायी की है । इसलिये अपने मनमें मैंने सरदारको दोषी ठहरा लिया । इसमें काकासाहवके अेक और निश्चयसे वृद्धि हुयी । काकासाहव बहुत समयसे विचार कर रहे थे कि अुनका गुजरातका काम लगभग पूरा हो गया है और वे परिवर्तनके लिये तड़प रहे हैं । इसी अवसर पर अुन्होंने यह बात निकाली तो मैंने मान लिया कि अुनके वाहर जानेकी तहमें मुख्य कारण विद्यापीठ पुस्तकालय कांड और सरदारकी अुनके प्रति अरुचि ही है । इस आशयका पत्र मैंने सरदारको लिखा । सरदारके मनमें अैसी कोअी बात नहीं थी । अुन्होंने अपनी स्थिति गांधीजीके सामने स्पष्ट कर दी थी । फिर भी मैंने अुसे नहीं माना, इसका सरदारको बड़ा दुःख हुआ; मेरे प्रति अुन्हें भारी असंतोष भी हुआ । मेरे विचारमें रहा दोष गांधीजीने मुझे समझाया और अुसे दूर करनेका प्रयत्न किया । समय पाकर मुझे अपनी भूलकी प्रतीति हुयी । सरदारने तो मेरी भूलको दरगुजर कर ही दिया था । इस प्रकार हमारा घरका झगड़ा थोड़े समयमें शांत हो गया । परंतु इस कांडसे सरदारकी कुछ खासियतें सामने आ जाती हैं । आम तौर पर सरदारके लिये यह माना जाता था कि विद्या और संस्कारके विषयोंसे अुनका कोअी वास्ता नहीं है । परंतु विद्यापीठ जैसी शिक्षा-संस्थाका पुस्तकालय अुसका बड़ा महत्त्वपूर्ण अंग है और अुसके बिना विद्यापीठ विलकुल खंडित हो जायगा, यह अुन्होंने अपनी सहज वृत्तिसे देख लिया । इससे भी अधिक सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक व्यवहारके कड़े पहरेदारके रूपमें हमें अुनका परिचय इस अध्यायमें मिलता है । दोष

किसीका भी क्यों न हो, अटल वीरताके साथ अुसके विरुद्ध लाल झंडी दिखानेमें वे हिचकिचाते नहीं थे । अुनके अिन गुणोंने गुजरात और भारतको अनेक विपम अवसरों पर कठिनायीसे वचा लिया है ।

१३

बोरसद तालुकेमें प्लेग-निवारण

बोरसद तालुकेमें सत् १९३२ से प्रति वर्ष प्लेग फूट निकलता था । परंतु अुसके निवारणके लिये कोअी व्यवस्थित प्रयत्न नहीं होते थे । अिसका मुख्य कारण यह था कि सभी प्रमुख कार्यकर्ता, विशेषतः सरदार, १९३२ से १९३४ तक जेलमें थे । सविनय कानून-भंगकी लड़ाअी स्थगित कर दी गअी, तब सरदार, दरवार गोपालदास और अन्य कार्यकर्ताओंको यह काम हाथमें लेनेका समय मिला । बोरसदमें प्लेग फैलनेकी खबर सरदारको दिल्लीमें मिली । वे ता० ९-३-३५ को बम्बअी आये और डॉक्टर भास्कर पटेलको बोरसद तालुकेमें जाकर वहांकी स्थितिकी रिपोर्ट ले आनेको कहा । वे बोरसद तालुकेमें गये और दरवार साहबके साथ दो दिनमें कोअी वारह गांवोंमें घूमे तथा १५ मार्चको भय पैदा करनेवाली रिपोर्ट लेकर लौटे । लोगोंमें घबराहट फैली हुअी थी । किसी भी तरहकी डॉक्टरी मदद नहीं मिल सकती थी । रोगको फैलनेसे कैसे रोका जाय, यह किसीको सूझ नहीं रहा था । स्थानीय संस्थाओं (लोकल बोर्ड और बोरसद म्युनिसिपैलिटी) टूटे-फूटे और निष्प्राण प्रयत्न कर रही थीं । अुनसे कुछ होना जाना नहीं था । कितने ही गांवोंमें केस हो जानेके बाद कअी दिनों तक अधिकारियोंके पास अुनकी रिपोर्ट नहीं पहुंची थी । यह सब सुनकर सरदारने निश्चय किया कि बोरसदमें तुरंत प्लेग-निवारण कार्यकी छावनी डाली जाय । निवारणके लिये क्या क्या अुपाय किये जायं, अिसकी चर्चा करनेके लिये डॉ० भास्कर पटेलको बम्बअीके हाफकीन अिस्टिट्यूटवाले कर्नल सोकीके पास भेजा । प्लेगवाले क्षेत्रोंमें चूहों और पिस्सुओंको सर्वथा नष्ट करनेके लिये अुन्होंने कुछ सख्त कदम अुठानेकी बात सुझाअी । अुनमें जन्तुओंका नाश कर डालनेवाली वायुओंका भी अुपयोग करना था । परंतु अिन अुपायोंमें बहुत सख्त जहरीले पदार्थ काममें लिये जाते थे । अिसलिये अुचित्त तालीम पाये हुअे कुशल मनुष्योंकी सहायताके विना अुन पदार्थोंका अुपयोग करना खतरनाक था । फिर भी अिस चर्चामें से कुछ सुझाव अवश्य मिल गये । अुन्हें लेकर ता० २३-३-३५ को सरदार डॉ० भास्कर पटेलके साथ बोरसद

आये। वोरसदकी सत्याग्रह छावनीके मकान हालमें ही ज्व्तीसे वापस मिले थे। वहाँ जरूरी साधन जुटाकर कामचलाबू अस्पताल खड़ा किया गया। बाहरसे केवल दवा लेने आनेवाले वीमारोंके लिये दवाखानेका भी प्रबंध किया गया। वोरसदके डॉक्टर जीवणजी देसाजीने अस्पतालको अपनी सेवाओं अर्पण कीं। जिस कामके लिये स्वयंसेवकोंकी भी मांग की गयी। थोड़े ही समयमें ६५ स्वयंसेवक हाजिर हो गये। उनमें ५७ पुरुष और ८ स्त्रियां थीं। दरवार साहवकी पत्नी श्री भक्तिलक्ष्मीवहन, सरदारकी पुत्री कुमारी मणिवहन, दरवार साहवके चार लड़के और बड़ी पुत्रवधू और जिलेके प्रमुख कार्यकर्ता श्री रावजी-भाभी मणिभाभी पटेल वगैरा मुख्य थे। स्वयंसेवकोंमें कुछ ग्रेज्युअेट और कॉलेजोंमें पढ़नेवाले विद्यार्थी भी थे। तमाम स्वयंसेवकोंको प्लेगके टीके लगा दिये गये। केवल सरदार और कुमारी मणिवहनने टीके नहीं लगवाये थे। भुस प्रदेशमें कुल २७ गांव प्लेगके असरमें आये थे। वहां स्वयंसेवक तैनात कर दिये गये। स्वयंसेवकोंको गांवमें चूहे बढ़नेकी, प्लेगके वीमारोंकी या प्लेगके कारण होनेवाली मृत्युओंकी रोजाना रिपोर्ट मुख्य केन्द्रको भेजनी होती थी। उनका मुख्य काम घर घर घूमकर तथा उनके कोने-कोने देखकर जहां चूहे और पिस्सू रह सकते हों उन जगहोंको साफ करना और साफ करनेके बाद वहां जन्तुनाशक दवा छिड़कना तथा धूनी देना था। गांवके मुहल्ले साफ करके वे गंदगी हटाते और चूहे पकड़नेके लिये चूहेदानियां भी रखते थे। अन्हें खास तौर पर हिदायत कर दी गयी थी कि वे लोगोंके साथ बहुत नम्रता और सभ्यतासे पेश आयें। घरका सामान धूपमें डालनेके लिये बाहर निकाला जाय तथा घरको और सामानको जंतुनाशक दवायें छिड़क कर साफ किया जाय, तब सामानको हटाने, जमाने वगैराका काम बहुत सावधानीसे किया जाय। घर खाली करनेमें भी सारी मेहनत खुद ही करें। किरायेके मजदूर या वैतनिक नौकर जो काम करनेको तैयार न हों वे सब काम स्वयंसेवक खुद कर लें। अपना भोजन भी अन्हें हाथसे ही बना लेना था।

पेटलादकी रंगकी मिलमें श्री पुरुषोत्तम पटेल नामक अनुभवी रसायन-शास्त्रीकी देखरेखमें अंक प्रयोगशाला चलती थी। उनकी मददसे डॉक्टर भास्कर पटेलने मिट्टीके तेल और डामर (नेफथेलीन)की गोलियोंको मिलाकर अंक सादा किन्तु कारगर जन्तुनाशक मिश्रण बनाया। यह कहें तो कोयी हर्ज नहीं कि डॉ० भास्कर पटेलकी यह नयी ही खोज थी। मिश्रण बहुत आसानीसे और जल्दी बन सकता था। प्लेगमें फंसे हुअे सत्ताबीस गांव कुल डेढ़ महीनेमें साफ कर दिये गये। जिस काममें जिस मिश्रणके चार-चार गैलनके ३०५ टोन काममें लिये गये। दीचमें सरकारी स्वास्थ्य-विभागके कर्मचारियोंने

जंतुनाशक मिश्रण बनानेका प्रयत्न किया था। उसमें सावुनके बुबलते हुअे पानी पर घासलेट बुंडेलेने जैसी कोअी क्रिया करनी थी। विभागके आदमी अैसे वेढंगेपनसे यह मिश्रण बनाने लगे कि पास खड़ी हुअी अेक तेरह वर्षकी लड़की सारी जल गअी और अस्पतालमें ले जाते हुअे वीचमें ही मर गअी। अेक और बालक और दो अिन्स्पेक्टरोंमें से अेक बहुत ज्यादा जल गया। गरम किये हुअे घासलेटमें से निकलनेवाली वायु (गैस) अेक अिन्स्पेक्टरके श्वासमें चली गअी, जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गया और अुसी हालतमें अुसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अैसी दुर्घटनाअें हो जानेके बाद म्युनिसिपैलिटीने वह मिश्रण बनवाना छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद फिर मिश्रण बनानेकी सूचना अूपरसे मिली तो अुस अिन्स्पेक्टरको बनाना पड़ा। परन्तु पहले ही प्रयत्नमें बड़े घडाकेसे वह बाल बाल बच गया। यह अिसीलिये लिखा है कि पाठकोंको अिस बातकी कल्पना हो जाय कि डॉ० भास्कर पटेलकी पद्धति बहुत सादी थी और अनाड़ी आदमी भी अुस पर अमल कर सकता था। पशुअोंके बांधनेकी जगहों और रास्तोंकी सफाअीके लिये व्लीचिंग पाबुडर काममें लिया जाता था। धूनीके लिये गंधक अिस्तेमाल किया जाता था, और पिस्सुअोंको नष्ट करनेके लिये गोबरके साथ गंधक मिलाकर घर लीपे जाते थे। चूहे मारनेके लिये वेरियम कार्बोनेटसे काम लिया जाता था। अिन सब बातोंके बारेमें डॉ० भास्कर पटेलने लोग समझ सकें अैसी बहुत सादी भाषामें अेक पत्रिका तैयार की थी।

सफाअीके अिस काममें लोगोंका सहयोग प्राप्त करनेमें शुरूमें थोड़ी कठिनाअी हुअी। लोगोंका अज्ञान अैसा था कि वे विलकुल सादे अुपाय भी काममें लानेको तैयार नहीं होते थे। अिसके सिवा, अुनमें तरह-तरहके वहम और अंधविश्वास घर किये बैठे थे। प्लेगका रोग फूट निकलनेका कारण तो देवीका कोप है, अैसे जंतुनाशक अुपाय अथवा दवाअें अिसका अिलाज नहीं; परन्तु देवीको बकरों या पाड़ोंकी बलि चढाअी जाय तभी वह प्रसन्न हो सकती है। मनुष्योंको देवीके कोपसे ही प्लेगकी गांठ निकलती है और देवी अपना भोग लिये विना हरगिज नहीं रहती। अैसे वहमोंके सिवा यह कठिनाअी भी थी कि गांवोंके मुखी और छोटे कर्मचारी अूपरके अधिकारियोंसे डर कर कांग्रेसके स्वयंसेवकोंको मदद नहीं देते थे या अुनके काममें बिघ्न डालते थे। अुनकी वृत्ति प्लेगकी बातको दबा देनेकी थी। दोचासण गांवमें प्लेगके कितने ही केस हुअे थे। स्वयंसेवक वहां सफाअी करने भी गये थे और लोगोंको गांव खाली करके चले जानेकी बात समझानेमें सरदारके साथ अुस गांवका पटेल भी शामिल था। फिर भी तहसीलदारको अुसने यह

जवाब दिया कि गांवमें प्लेगका अेक भी केस नहीं हुआ। वह रिपोर्ट अूपर गयी। बादमें जब कलेक्टरने तहसीलदारको धमकाया तब अुसने फिर जांच करके प्लेगके केस होनेकी बात मंजूर की। सरदारको लोगोंके अज्ञान और वहम तथा सरकारी कर्मचारियोंके जिद्दीपन और भीस्ताके विरुद्ध लड़ना था। वे लगभग रोज प्लेगवाले गांवोंका दौरा लगा आते थे। लोगोंके साथ बात करते थे। सभाअें करके भाषण देते और लोगोंको अपना कर्तव्य समझाते थे। अिसके सिवा प्रतिदिन पत्रिका निकालते थे। अपनी प्रभावशाली देहाती भाषामें लोगोंके अज्ञान और वहम पर प्रहार करते थे। कभी विनोद करके लोगोंको रिझाते, तो कभी अुनकी जिद और मूर्खताके लिये अुन्हें आड़े हाथों लेते थे। अिस प्रकार ये पत्रिकाअें सफाअी, स्वावलंबन और आरोग्यरक्षाके विषयमें लोकशिक्षाका अेक महासमर्थ माध्यम बन गयी थीं। डॉ० भास्कर भी स्वयं-सेवकोंको साथ लेकर गांव-गांव और घर-घर घूमते थे। अिन सब बातोंका परिणाम यह हुआ कि पंद्रह दिनमें ही लोग सब कुछ समझने लग गये और स्वयंसेवक अुनके गांवमें आकर रहें अिसकी तथा अंतुनाशक मिश्रण और छूतनाशक दूसरी दवाओंकी मांग करने लगे। अितना ही नहीं, गांवोंके युवक स्वयंसेवकोंके साथ सफाअीके काममें शामिल होने लगे। गांवोंकी स्त्रियां और बच्चे भी घरों और गलियोंकी सफाअीमें भाग लेने लगे। वारैया और मुसलमानोंका विरोध भी मिट गया। कुल ५३ दिनमें सत्ताअीसों गांव पूरी तरह साफ हो गये। स्थानीय संस्थाओं और स्थानीय कर्मचारियोंका सहयोग जहां मिल सकता था वहां लिया जाता था। परन्तु अुनसे बहुत थोड़ा सहयोग मिलता था।

छावनीके कामचलाअू अस्पतालमें कुल १६ वीमारोंको भरती किया गया था। अुनमें से दो गुजर गये, वारह अच्छे होकर गये और दो अस्पतालके डॉक्टरोंसे अिजाजत लिये विना चल दिये। केवल दवा लेने आनेवाले रोगियोंकी संख्या अप्रैल मासमें २,३४५ थी और मअी मासमें ३,८१३ थी। डॉक्टरोंने कोअी वेतन लिये विना अपनी सेवाअें दी थीं। अस्पतालका दूसरा खर्च कुल मिलाकर लगभग आठ हजार रुपया हुआ था। अिसके अलावा वारह गांवोंके ४४ प्लेगके वीमारोंने अपने घर रहकर ही डॉ० भास्कर पटेलसे अिलाज कराया था। अुनमें से ३१ अच्छे हो गये थे। कामचलाअू अस्पतालमें स्त्री-रोगियोंकी देखरेख करनेमें स्त्री-स्वयंसेवकोंने बहुत अच्छा भाग लिया था।

मअी मासके अन्तिम भागमें सरदारने गांधीअीको वीरसद तालुकके दारेके लिये अेक सप्ताहके लिये बुलाया। गांधीअीके आनेसे पहले प्लेग-ग्रस्त सभी गांवोंकी सफाअीका काम समाप्त हो गया था और प्लेगका जोर

भी कम होता चला था। अपने दौरेके दरमियान गांधीजी कभी गांवोंमें गये। वे अपने भाषणोंमें इस बात पर जोर देते थे कि सरदार, दरवार साहब और अुनके वहादुर स्वयंसेवकोंने अितना सुन्दर कार्य किया है, फिर भी अगर आप लोग अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेंगे, अपने घरवार साफ नहीं रखेंगे और अैसी व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे घरोंमें चूहों और पिस्सुओंको छिपनेके लिये स्थान ही न मिले तो प्लेग फिर आ जायगा। गांधीजीके सुझाव पर डॉ० भास्कर पटेलने लोगोंको चूहों और पिस्सुओंके अुपद्रवसे वचनेके अुपाय वतानेवाली पत्रिकाअें सादी भाषामें लिखीं। गांधीजी अपने भाषणोंमें यह भी वताते थे कि :

“ इस बीमारीकी छूत चूहों और पिस्सुओंसे ही फैलती है। निष्णात लोग कहते हैं कि अुन्हें नष्ट करना चाहिये। परन्तु चूहे और पिस्सु तो अीश्वरके भेजे हुअे दूत होते हैं। अुनके द्वारा अीश्वर हमें चेतावनी देता है। इस जिलेमें कुदरतकी कृपासे जलवायु और जमीन बहुत अच्छी है। परन्तु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि आप कुदरतके नियमोंका अैसा भंग कर रहे हैं जिससे प्लेगका अुपद्रव यहां मानो स्थायी बन गया है। आप चूहों और पिस्सुओंका नाश करके भी आज जैसी गंदी हालतमें रहेंगे तो चूहे और पिस्सु फिर हो जायेंगे। इस-लिये मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अैसी स्वच्छता रखें जिससे चूहे और पिस्सु पैदा ही न हों। स्वयंसेवकोंने इस समय सफाअीका जो काम किया है, अुसे हमेशाका काम बना लीजिये। घरोंको अच्छी तरह लीप-पोतकर साफ रखिये और घरोंमें जो भी छेद, विल वगैरा हों अुन्हें वन्द कर दीजिये, ताकि चूहे रह ही न सकें। अनाज यंत्रचक्कीमें पिसवाकर, चावल मशीनसे कुटवाकर, खुराक और सागभाजी जरूरतसे ज्यादा पकाकर और अुनमें अत्यधिक मसाले डालकर हम भोजनको निःसत्व और न पचने लायक बना देते हैं। यह आदत भी हमें सुधारनी चाहिये। हम शरीरको अुचित पोषण देनेवाली खुराक खायें और अपनी आदतें स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद रखें, तो रोगके जन्तु भी जल्दी जल्दी हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकते। ”

अिस प्रकार लगभग दो महीनोंमें प्लेग-निवारणका काम पूरा हो गया। लगभग चार वर्षसे वीरसद तालुकेमें हर साल प्लेगका अुपद्रव होता था। परन्तु सरदारकी यशोरेखा बलवान और लोगोंका भाग्य अच्छा था कि अुसके बाद आज तक प्लेग वीरसद तालुकेमें कभी दिखाअी नहीं दिया।

यह प्रकरण यहीं समाप्त हो जाता, परन्तु कांग्रेसवालोंको ऐसा अच्छा काम करनेका श्रेय मिले, यह सरकारी अधिकारियोंको वरदास्त नहीं हो सका। यह कहकर कि सरकार और स्थानीय संस्थाओं द्वारा जिस सम्बन्धमें किये गये कामके बारेमें कुछ गलतफहमी होने लगी है, उसे दूर करनेको वम्बडी सरकारने ता० २७-४-'३५ को अंक विज्ञप्ति प्रकाशित की। यद्यपि अिन चार वर्षोंमें अुसने बहुत ही थोड़ा काम किया था, फिर भी विज्ञप्तिमें अुसने अैसी डींग हांकी थी मानो अुसीके प्रयत्नसे प्लेग बन्द हुआ। अितनेसे भी संतोष न मानकर कांग्रेसके अिस वर्ष किये अुअे कामको लोगोंकी निगाहमें गिरानेके लिये अुस विज्ञप्तिमें लिखा गया कि :

“प्लेग मिटानेके लिये खानगी व्यक्तियोंके प्रयत्न कारगर नहीं हो सकते। ये प्रयत्न वैज्ञानिक ढंगके होने चाहिये और अुनके पीछे लम्बे अनुभवका आधार होना चाहिये। वह अनुभव केवल सरकारके स्वास्थ्य-विभागके ही पास है। अिसलिये प्लेग जैसे गंभीर और भारी हानि पहुंचानेवाले रोगके खिलाफ लड़नेके लिये सरकार यद्यपि सबका सहयोग चाहती है, तो भी अिस क्षेत्रमें काम करनेकी अिच्छा रखनेवालोंको सलाह देती है कि अुन्हें सरकारके स्वास्थ्य-विभागके साथ सहयोग करके काम करना चाहिये, ताकि अच्छे परिणाम आ सकें।”

सरदारके मार्गदर्शनमें कांग्रेसके स्वयंसेवकोंने अपनी जानको जोखिममें डालकर जो सुन्दर कार्य किया था, अुसकी तारीफमें अेक भी शब्द कहनेके वजाय अुनके कामको गिरानेकी यह बेहूदी कोशिश थी। अिसलिये अिन चार वर्षोंमें सरकारने कितनी अुपेक्षा दिखायी थी और अिस वर्ष भी कांग्रेसके काम गुरु कर देनेके वाद सरकारने जिन कर्मचारियोंको तालुकेमें प्लेग-निवारणके लिये रखा था अुन्होंने अच्छी तरह काम नहीं किया तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओंका सहयोग प्राप्त करनेके वजाय वे अुनसे दूर ही दूर रहे — आदि सब बातें अुदाहरणों सहित बताकर सरदारने अिस विज्ञप्तिका लंबा अुत्तर दिया था। अिस पर सरकारने दूसरी विज्ञप्ति प्रकाशित की। अुसका भी सरदारने अच्छी तरह अुत्तर दिया। तब सरकारने तीसरी विज्ञप्ति निकाली। अुसमें तो कांग्रेसके काम पर सीधे ही आक्षेप किये। अिस पर ता० ३-७-'३५ को सरदारने वम्बडी सरकारको पत्र लिखकर बताया कि सरकारने कुल तीन विज्ञप्तियां निकाली हैं। अुनमें हमारे कार्य पर जो गंभीर आक्षेप किये गये हैं अुनके बारेमें कानून-पंडितोंने मुझे यह सलाह दी है कि अुनमें कुछ आरोप कानूनी दृष्टिसे मानहानि करनेवाले

हैं। और डॉ० भास्कर पटेलकी, जिन्होंने विना वेतन लिये रातदिन हमें सेवाएँ दी हैं, कुशलता और अिज्जतका सवाल भी जिसमें पैदा होता है। हमने जिस मामलेमें कभी सरकारका सहयोग लेनेसे अिनकारे किया ही नहीं। फिर भी जैसे निराधार आक्षेप हमारे काम पर किये गये हैं। जिसलिअे या तो सरकार अपने ये आक्षेप वापस ले या कुशल डॉक्टरों और प्रमाणोंकी छानवीन कर सकनेवाले मनुष्योंकी अेक स्वतंत्र कमेटी नियुक्त करे। सरकारने अुत्तर दिया कि अैसी कोअी बात करनेकी हमें जरूरत नहीं जान पड़ती। जिस पर सरदारने वम्बअीके अेडवोकेट वहादुरजी, दो प्रख्यात डॉक्टर—डॉ० गिल्डर और डॉ० भरूचा— तथा कमेटीके मंत्रीके रूपमें श्री वैकुण्ठभाअी महेताकी कमेटी नियुक्त करके अुनसे सारी जांच करनेकी प्रार्थना की। कमेटीके दो डॉक्टर सदस्योंसे यह भी अनुरोध किया कि भविष्यमें जिस रोगके विरुद्ध सावधानीके तौर पर किये जाने लायक अुपायोंके वारेमें भी वे अपने सुझाव दें। जिस कमेटीने अुपलब्ध सारे दस्तावेअी सवूतोंकी जांच करके तथा लोकलबोर्डके अधिकारियों और कार्यकर्ताओंकी गवाहियां लेकर अक्तूबर १९३५में अपनी रिपोर्ट पेश की। अुसमें बताया कि 'प्लेग-निवारणके वारेमें स्वास्थ्य-विभागके अधिकारियोंका व्यवहार लापरवाही भरा था। जिसे वे अपनी वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, अुसका कोअी अमल वे जिस सम्बन्धमें नहीं कर सके थे। और कांग्रेसकी तरफसे जो अुपाय किये गये वे सादे और लोगों द्वारा अमल किये जा सकनेवाले होनेके सिवा वैज्ञानिक दृष्टिसे भी सर्वथा सही थे। चार वर्षसे जमे हुअे रोगका अितने थोड़े समयमें निवारण करनेका काम अैसी सुन्दर रीतिसे हुआ, जिसका श्रेय सरदार वल्लभभाअी, डॉ० भास्कर पटेल और अुनके वहादुर स्वयंसेवक दलकी लोकप्रियता और होशियारीको है।'

१९३४ की बम्बयी कांग्रेस और अउसके बाद

पिछले अेक अध्यायमें हम देख चुके हैं कि जब सरदार नासिक जेलमें थे तब अुनको नाककी बीमारीके लिअे ऑपरेशन करानेकी जरूरत थी। परन्तु सरकारने ऑपरेशनके लिअे जो सुविधाअें दी थीं वे काफी न होनेके कारण सरदारने ऑपरेशन कराना मुलतवी रखा था। अुनकी बीमारी बहुत बढ़ गयी और जेलके अधिकारियोंकी भी अुसकी गंभीरता स्वीकारनी पड़ी। अिसलिअे जुलायी १९३४के शुरूमें डॉक्टरोंकी अेक कमेटी मुकर्रर करके सरदारने सरदारकी अच्छी तरह जांच करायी। अुसने राय दी कि नाकका ऑपरेशन तुरन्त करानेकी आवश्यकता है, और वे मुक्त हों तो ऑपरेशनकी सुविधा अच्छी हो सकती है। अिस पर सरकारने ता० १४-७-'३४ को अुन्हें छोड़ दिया। छूटनेके वादके अुनके दो कामोंके वारेमें कहा जा चुका है। अुस समय देशकी राजनैतिक परिस्थिति कैसी थी, अिसकी कुछ कल्पना हम अिस अध्यायमें देंगे।

१९३३ के मयी मासमें गांधीजीने २१ दिनके अुपवास शुरू किये, तब सरकारने अुन्हें विलाशत छोड़ दिया था। अुपवास पूरा हो गया और साधारण शक्ति आ गयी अुसके वाद जो राजनैतिक कार्यकर्ता वाहर थे, अुनमें से मुख्य मुख्य लोगोंकी अुन्होंने पूनामें अवैध परिषद् बुलायी। अुस परिषद्में चर्चके अन्तमें सामूहिक सविनय कानून-भंगकी लड़ायीको व्यक्तिगत सविनय कानून-भंगकी लड़ायीका रूप देनेका निश्चय हुआ। अुसी समय कुछ कार्यकर्ताओंको यह विचार सूझा और अुन्होंने अुसे व्यक्त भी किया कि जो व्यक्तिगत सविनय कानून-भंग न कर सकें वे १९२४में जैसा स्वराज्य पक्ष बनाया गया था वैसा स्वराज्य पक्ष बनाकर धारासभाओंमें जायं और अन्दरसे स्वराज्यकी लड़ायी चलायें। परन्तु अिस विचारको परिषद्में बहुत समर्थन नहीं मिला। १ अगस्त, १९३३ को व्यक्तिगत सविनय कानून-भंग शुरू हुआ और गांधीजीको अेक सालकी सजा हुयी। अिससे पहले वे नजरबन्द कैदी थे। नजरबन्दकी हैसियतसे हरिजन-कार्य करने और 'हरिजन' पत्र चलानेकी जितनी सुविधाअें अुन्हें मिली थीं अुतनी सजायाफ्ता कैदीके रूपमें सरकारने अुन्हें देनेसे अिनकार कर दिया। अिस पर अुन्होंने अुपवास शुरू कर दिया। आठेक दिनके अुपवासके वाद सरकारने अुन्हें छोड़ दिया। छूटने पर भी सजाका वाकीका वर्ष कोयी राजनैतिक काम

न करके हरिजनकार्यमें ही वितानेका अन्होंने निश्चय किया और उसके सिलसिलेमें सारे देशमें भ्रमण करना शुरू किया।

ता० १५-१-'३४ को विहारमें भयंकर भूकम्प हुआ। वहां कांग्रेसकी ओरसे कष्ट-निवारणका काम अच्छी तरह शुरू किया गया। अुड़ीसा-यात्रामें से थोड़ा समय निकाल कर गांधीजी अप्रैलके आरंभमें वह काम देखनेके लिये विहार भूकम्प क्षेत्रका दौरा करने गये। जो कांग्रेसी नेता धारासभामें जानेके मतके थे अन्होंने ता० ३१-३-'३४ को डॉ० अन्सारीकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें एक परिपद् बुलायी। अुसने जो कामचलाअू प्रस्ताव पास किये अन्हें अमलमें लानेसे पहले यह तय किया कि डॉ० अन्सारी, श्री भूलाभाजी देसायी तथा डॉ० विधानचन्द्र राय गांधीजीसे मिलकर अिस विषयमें अुनकी राय जान लें। अुसी समय देशकी परिस्थितिको देखकर गांधीजीको यह विचार आया कि व्यक्तिगत सविनय कानून-भंगकी लड़ायी भी केवल अुनके अपने तक ही सीमित कर दी जाय। अिस वारेमें एक वक्तव्य भी वे प्रकाशित करनेवाले थे। परन्तु डॉ० अन्सारीका पत्र आ गया, अिसलिये अुनसे रूबरू चर्चा कर लेने तक वक्तव्य प्रकाशित करना अन्होंने मुलतवी कर दिया। डॉ० अन्सारी अिदिसे चर्चा हो जानेके बाद धारासभा-प्रवेशके वारेमें अन्होंने अपनी राय दी कि :

“धारासभाओंमें जानेके विषयमें मेरे विचार सब कोयी जानते हैं। १९२० में मैं जो विचार रखता था अुनमें और आजके मेरे विचारोंमें कोयी अन्तर नहीं पड़ा है। परन्तु मेरा यह खयाल है कि जिन कांग्रेसियोंकी किसी न किसी कारणसे सविनय कानून-भंगमें भाग लेनेकी अिच्छा न हो अथवा जो अुसमें भाग न ले सकते हों और जिनका धारासभाओंमें विश्वास हो अन्हें अुनमें प्रवेश करनेका प्रयत्न करना चाहिये।”

अिसके बाद ७ अप्रैलको अन्होंने सविनय कानून-भंग स्थगित करनेका वक्तव्य भी निकाला। जो मुख्य मुख्य कार्यकर्ता वाहर थे अन्हें यह सब समझानेके लिये ३ मअीको रांचीमें एक छोटीसी परिपद् की गयी। अुसमें दिल्ली परिपद्के प्रस्तावोंको मंजूर करके जो धारासभामें जाना चाहें अन्हें जानेकी अिजाजत दी गयी। धारासभाओंके लिये मुख्य कार्यक्रम यह रखा गया कि ब्रिटिश पार्लियामेण्टने भारतके लिये राजनैतिक सुधारोंकी जो योजना तैयार की है अुसे अस्वीकार किया जाय, राष्ट्रीय मांगोंके अनुसार सुधार-योजना तैयार करनेके लिये एक सभा की जाय और तमाम अत्याचारी कानूनोंको रद्द करानेके लिये धारासभाओंमें लड़ा जाय। ता० १८, १९ और २० मअीको पटनामें

कांग्रेसकी कार्यसमिति और महासभाकी बैठकें हुआं। उनमें धारासभाओंमें जानेकी अिजाजत देने और सविनय कानून-भंग स्थगित करनेके प्रस्ताव स्वीकार किये गये। अिसके जवाबमें सरकारने जून मासमें सीमाप्रान्त और वंगालके सिवा अन्य सारी कांग्रेस संस्थाओं परसे प्रतिबन्ध अुठा लिया और सविनय कानून-भंगकी लड़ाीवाले राजनैतिक कैदियोंको धीरे-धीरे छोड़ देनेकी नीति अपनायी। अिसमें गुजरातके कैदी बहुत देरसे छूटे थे। खान अब्दुल गफफारखां, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभभाभीको सरकार छोड़ना नहीं चाहती थी। तो भी सरकारको स्वास्थ्यके कारण अुन्हें जुलायीमें छोड़ देना पड़ा। अगस्तके अन्तमें खान अब्दुल गफफारखां और अुनके भाभी डॉ० खानसाहबको भी छोड़ दिया, यद्यपि अुसके साथ ही यह हुक्म दिया कि वे सीमाप्रान्तमें प्रवेश न करें। जवाहरलालजीको तो सरकारने जेलमें ही बन्द रखा।

कांग्रेसका वाकायदा और खुला अधिवेशन हुअे तीन वर्षसे अधिक समय हो गया था और लगभग सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता जेलसे बाहर आ गये थे। अिसलिये सबका विचार हुआ कि जितनी जल्दी हो सके कांग्रेसका अधिवेशन करना चाहिये। नवम्बर १९३४ में बड़ी धारासभाका चुनाव होने-वाला था। कांग्रेसियोंको धारासभाओंमें जानेकी स्वीकृति दे दी गयी थी, अिसलिये चुनावोंकी तैयारी भी करनी थी। अतः अक्तूबरके अन्तमें कांग्रेसका अधिवेशन बम्बयीमें करनेका निश्चय किया गया। वैसे अिस अधिवेशनमें धारासभा-प्रवेशके सिवा और किसी महत्त्वके विषय पर चर्चा नहीं करनी थी। अिसलिये अधिवेशन साधारण ढंगका होता। परन्तु गांधीजीने अेक नयी ही बात निकाली, जिसके कारण कांग्रेसका यह अधिवेशन बहुत महत्त्वपूर्ण बन गया। गांधीजीने कहा कि:

“मैं देख रहा हूं कि कांग्रेसका जो शिक्षित और बुद्धिप्रधान वर्ग माना जाता है अुसे मेरे कार्यक्रम पर विश्वास नहीं रहा है। खास तौर पर अुसे चरखे और खादी पर श्रद्धा नहीं रही। फिर भी मेरा लिहाज रखकर या अिस डरसे कि मेरे विरुद्ध अुनका विरोध सफल होनेकी संभावना नहीं है वे मेरा विरोध नहीं करते और मेरे कार्यक्रमका बेंमनसे समर्थन करते हैं। परिणाम यह आया है कि मैं कांग्रेस पर अेक भारी बोझ-सा बन गया हूं। मेरे कारण अधिकांश कांग्रेसी स्वतंत्र विचार नहीं करते और स्वतंत्र व्यवहार भी नहीं रख सकते। अिसलिये कांग्रेसके हितके लिये मुझे कांग्रेससे निकल जाना चाहिये।”

सभी खास खास नेताओंको पत्र लिखकर अुन्होंने अपना यह विचार बताया। राजाजी, अबुलकलाम आजाद वगैराने गांधीजीके अिस विचारका

कड़ा विरोध किया। उन्होंने यह भी दलील दी कि आप जिस मंके पर कांग्रेससे निकल जायेंगे तो जिसका जनसमाज पर विपरीत असर पड़ेगा और चुनावोंमें कांग्रेसको सफलता नहीं मिलेगी। अकेले सरदारने ही गांधीजीकी बात अच्छी तरह समझी। उन्होंने गांधीजीके कांग्रेससे निकल जानेकी बातका समर्थन किया। वर्षोंसे सरदार गांधीजीके अन्वभक्त माने जाते थे। अतः लोग कहने लगे कि वे तो अन्वभक्त हैं जिसलिये गांधीजी जो बात कहते हैं उसका समर्थन करते हैं। जिस अवसर पर राजाजीने एक बहुत सूचक बात कही थी कि 'गांधीजीके अन्धानुयायी दूसरे लोग भी हैं। वे अपनी आंखोंसे देख ही नहीं सकते। परन्तु सरदार अन्य अन्धानुयायियों जैसे नहीं हैं। उनकी आंखें सजग हैं। वे सब कुछ साफ देख सकते हैं, मगर जानबूझ कर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। और गांधीजीकी आंखोंसे ही देखनेका प्रयत्न करते हैं।'

नेताओंके साथ चर्चा कर लेनेके बाद गांधीजीने ता० १७-९-'३४ को अपना वक्तव्य प्रकाशित किया। उस वक्तव्यमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर यह बताया कि कांग्रेसका बुद्धिप्रधान वर्ग किन किन मुद्दों पर अनुसंसे मतभेद रखता है। वह सारा वक्तव्य गांधीजीकी कार्यपद्धति और विचारसरणीका बड़ा सुन्दर नमूना है। लेकिन यहां तो उसका सार ही दिया जा सकेगा :

“पक्ष और विपक्षके सारे मुद्दों पर भलीभांति विचार करके सुरक्षा और समझदारीके मार्गके रूपमें मैंने अक्टूबरमें कांग्रेसका अधिवेशन समाप्त हो जाने तक आखिरी कदम उठाना स्थगित कर दिया है। ऐसा करनेको मैं इसीलिये आकर्षित हुआ हूँ कि मुझ पर जो असर पड़ा है वह सही है या नहीं, इसकी मैं परीक्षा कर सकूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि कांग्रेसके बुद्धिप्रधान वर्गका बहुत बड़ा भाग मेरी पद्धति और विचारोंसे और उनके अनुसार तैयार किये गये मेरे कार्यक्रमसे अवगत हुआ है। मैं कांग्रेसके स्वाभाविक विकासमें सहायक होनेके वजाय एक रुकावट बन गया हूँ। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक और लोगोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था होनी चाहिये। इसके वजाय उस पर मेरे व्यक्तित्वका आधिपत्य ऐसा जम गया है कि उसमें स्वतंत्र विचारकी गुंजायिश नहीं रही। महत्वपूर्ण सिद्धान्तोंके बारेमें बहुतेरे कांग्रेसियोंके और मेरे दृष्टिकोणमें भेद बढ़ता जा रहा है। उनकी मेरे प्रति जो वफादारी और भक्ति है उस पर मुझे जल्दतरसे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिये।

“दिनोंदिन मेरा यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि यदि हमारे देशमें शुद्ध अहिंसासे करोड़ों लोगोंके भलेके लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त

करनी हो तो चरखा और खादी अर्धवेकार और भूखों मरते करोड़ों लोगोंके लिये जितने स्वाभाविक हैं, अतने ही स्वाभाविक अल्पसंख्यक सुशिक्षितोंके लिये भी होने चाहिये। चरखा मानव-गौरव और समानताका शब्दोंके सच्चेसे सच्चे अर्थमें प्रतीक है। किसानोंके लिये वह सहायक धंधा है और राष्ट्रका दूसरा फेंफड़ा है। अतने पर भी चरखेकी इस व्यापक शक्तिमें बहुत कम कांग्रेसियोंका जीता-जागता विश्वास है।

“ धारासभा-प्रवेशके मामलेमें असहयोगका प्रणेता होनेके दावजूद, मुझे यकीन हो गया है कि देशकी मौजूदा परिस्थितिमें तथा सविनय कानून-भंगकी किसी योजनाके अभावमें कांग्रेस जो भी कार्यक्रम तैयार करे, धारासभाओंका कार्यक्रम उसका एक आवश्यक अंग होना चाहिये। परंतु इस विषयमें मेरे बहुतसे अुत्तम साथियोंका मुझसे विरोध है। अलवत्ता, वे दोलते नहीं क्योंकि अुन्हें लगता है कि मेरा विरोध करनेमें कोअी सार नहीं। मेरे जैसे जन्मजात लोकतंत्रवादीके लिये यह बहुत लज्जास्पद है।

“ कांग्रेसमें समाजवादी दलकी रचनाका मैंने स्वागत किया है। अुनमें बहुतसे मेरे माने हुअे और त्यागी साथी हैं। अितने पर भी अुनके अधिष्ठत प्रकाशनोंमें अुनका जो कार्यक्रम छपा है अुसके साथ मेरे वुनियादी मतभेद हैं। अुनका जोर कांग्रेसमें बड़े — जो बढ़ना संभव है — तो मैं कांग्रेसमें नहीं रह सकता। अुनके सक्रिय विरोधमें रहना मेरे लिये अकल्पनीय है। अिसी प्रकार देशीराज्योंके वारेभें मैंने जो नीति सुझाअी है अुससे बहुतसे कांग्रेसियोंकी नीति विलकुल अलग है। यही वात अस्पृश्यता-निवारणकी है। मेरे लिये वह महान धार्मिक और नैतिक प्रश्न है। परंतु बहुतोंका खयाल है कि जिस समय सविनय कानून-भंगकी लड़ाअी हो रही थी अुस समय मेरे अुपवास करनेसे लड़ाअीमें खलल पड़ा और अैसा करके मैंने बड़ी भूल की, जब कि मुझे लगता है कि मैंने यह मार्ग न अपनाया होता तो मैं अपने प्रति देवफा सावित होता।

“ अब अहिंसाका प्रश्न लें। चौदह वर्ष तक अुसका प्रयोग करनेके वाद भी कांग्रेसियोंके बहुमतके लिये वह अभी तक एक नीति ही है, जब कि मेरे लिये वह एक महान धर्म है। सविनय कानून-भंगकी लड़ाअी स्थगित करनेकी सिफारिश करनेवाला जो वक्तव्य मैंने प्रकाशित किया था, अुसमें मैंने इस वातकी तरफ ध्यान खींचा था कि हमारी लड़ाअी

दो प्रगट परिणाम लानेमें असफल रही है। हमारी लड़ायी पूरी तरह अहिंसकवृत्तिसे चलायी गयी होती तो सरकार अुसका स्वागत किये विना नहीं रह सकती थी। सरकारके अडिनेसोंका अुद्देश्य किसी भी तरह हमारा जोश खतम कर देनेका था, यद्यपि अहिंसक मनुष्य पर ये अडिनेस कुछ भी असर नहीं कर सकते। परंतु सभी जेल जानेवालोंके वारेमें हम यह नहीं कह सकते कि वे दोषोंसे वरी थे। हम सच्चे अहिंसक हों तो हमारी अहिंसाका असर विरोधी पक्ष पर पड़े विना रह ही नहीं सकता। परंतु जैसे हम सरकार पर कोयी असर नहीं डाल सके, वैसे ही आतंकवादियोंको भी हम यह नहीं दिखा सके कि आपकी जितनी श्रद्धा हिंसा पर है अुससे अधिक श्रद्धा हमारी अहिंसा पर है। अतः अिस समय मेरा मुख्य कर्तव्य यह हो गया है कि मैं अैसे अुपाय खोज निकालूं जिनसे मैं सरकार और आतंकवादी दोनोंको वता सकूं कि स्वतंत्रताको अुसके पूरे अर्थमें प्राप्त करनेकी पूरी शक्ति अहिंसामें है। अिस कामके लिये मैंने अपना जीवन समर्पण किया है। अुसे अच्छी तरह करनेके लिये मुझमें पूरी तटस्थता होनी चाहिये और मुझे पूरा कार्य-स्वातंत्र्य मिलना चाहिये। कानूनका सविनय भंग तो सत्याग्रहका केवल अेक भाग है। सत्याग्रहको मैं जीवनका सर्वव्यापी और सर्वोपरि कानून मानता हूं। सत्य ही मेरा अीश्वर है। अुसकी खोज और प्राप्ति मैं अहिंसा द्वारा ही कर सकता हूं, और किसी तरह नहीं। सत्यकी मेरी अिस खोजमें हमारे देशकी और संसारकी भी स्वतंत्रता समायी हुयी है। अिस खोजके लिये ही मैं राजनैतिक कामोंमें पड़ा हूं। अिस खोजमें पूर्ण स्वातंत्र्य और अनेक दूसरी वस्तुअें अनिवार्य रूपमें समायी हुयी हैं, यह यदि मैं अपने सुशिक्षित कांग्रेसियों द्वारा बुद्धि और हृदयपूर्वक स्वीकार न करा सकूं तो यह स्पष्ट है कि मुझे अकेले काम करना चाहिये — अिस अचल श्रद्धासे कि आज नहीं तो कल जरूर मैं अुन्हें यह वात समझा सकूंगा। अिस भगीरथ कार्यके लिये अीश्वर मुझे शक्ति देगा, अुसके लिये जो भाषा चाहिये वह मेरे मुखमें रखेगा और अुसके लिये जो जरूरी कार्य होंगे वे भी मुझसे करा लेगा। परंतु आप मुझे दूसरोंका अनुकरण करके मत दें अथवा दुःखी मनसे मंमति दें, तो मेरा काम नहीं चल सकता। अिससे हमारे कामको हानि हो सकती है।

“कंप्लीट अिडिपेंडेंस (पूर्ण स्वाधीनता) अिस अंग्रेजी शब्दप्रयोगका अंग्रेजी भाषामें जो अर्थ होता है अुस पूरे अर्थमें मुझे हिन्दुस्तानके

लिअे पूर्ण स्वाधीनता चाहिये। परंतु मेरे खयालसे पूर्ण स्वाधीनताकी अपेक्षा पूर्ण स्वराज्यमें अनंत गुना अधिक अर्थ समाया हुआ है। फिर भी जो चीज मुझे चाहिये उसकी व्याख्या तो पूर्ण स्वराज्यमें भी पूरी तरह नहीं आती। पूरी व्याख्या करना असंभव नहीं तो भी बहुत कठिन अवश्य है। इसीमें से बहुतसे कांग्रेसियोंके मेरे साथ गंभीर मतभेद पैदा होते हैं। ठेठ १९०९ से मैं कहता आ रहा हूं कि मेरी दृष्टिमें साधन और साध्य अके ही वस्तु हैं। जहां साधन अलग अलग और अके-दूसरेके साथ असंगत होते हैं, वहां साध्य भी भिन्न भिन्न और असंगत ही आते हैं। हमारा नियंत्रण सदा साधन पर होता है, साध्य पर कभी नहीं होता। इस खुले सत्यको बहुतसे कांग्रेसी स्वीकार नहीं करते। वे मानते हैं कि साध्य अच्छा हो तो कैसे भी साधन काममें लाये जा सकते हैं।

“अिन मतभेदोंका कुल मिलाकर यह परिणाम होता है कि कांग्रेसका वर्तमान कार्यक्रम असफल सिद्ध होता है, क्योंकि कार्यक्रममें विश्वास न होनेसे सदस्य उस पर केवल मौखिक संमति ही प्रगट करते हैं। फिर स्वाभाविक तौर पर ही उसको अमलमें लानेमें वे असफल रहते हैं। इसके सिवा कोअी दूसरा कार्यक्रम मेरे पास नहीं है। अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-अेकता, संपूर्ण मद्यनिषेध, चरखा और खादी, सौ फी सदी स्वदेशी, ग्रामोद्योगोंका पुनरुद्धार और सात लाख गांवोंका संगठन—अितनी चीजोंसे जिन्हें देशके प्रति प्रेम है अुन्हें पूरा संतोष मिल जाना चाहिये। मैं तो देशके किसी गांवमें, मेरा बस चले तो सीमाप्रान्तके किसी गांवमें, जम जाना पसन्द करूंगा।

“अन्तमें मैं हम लोगोंमें बढ़ती हुअी सड़ांधका अुल्लेख करूंगा। उसके वारेमें मैंने बहुत कहा है अिसलिअे यहां मुझे अधिक नहीं कहना है। अितना कहता हूं तो भी मेरी निगाहमें कांग्रेस देशकी सबसे शक्तिशाली और अधिकसे अधिक प्रतिनिधित्व रखनेवाली संस्था है। उसके पीछे अुच्च प्रकारकी अविरत सेवा और त्यागका अितिहास है। शुरूसे अब तक उसने और किसी भी संस्थासे अधिक चढ़ाव-अुतार देखे हैं। उसने जिन बलिदानोंकी प्रेरणा दी है, अुनके लिअे कोअी भी देश गर्व कर सकता है। आज भी अिस संस्थामें दूसरी किसी संस्थासे निष्कलंक चरित्र और अटल निष्ठावाले अधिक स्त्री-पुरुष हैं। अिसलिअे यदि यह संस्था मुझे छोड़नी ही पड़ी तो मैं तीव्र वेदनाके विना नहीं छोड़ सकूंगा। मैं तभी अिसे छोड़ूंगा जब

मुझे विश्वास हो जायगा कि संस्थाकी अर्थात् देशकी सेवा में अन्दर रहनेकी अपेक्षा बाहर रहकर अधिक कर सकूंगा।

“अूपर मैंने जो मुद्दे बताये हैं उनके बारेमें कांग्रेसियोंकी भावना कैसी है इसकी परीक्षा करके देखनेके लिये मैं कांग्रेसके विधानमें कुछ संशोधन सुझाना चाहता हूं। अेक तो ‘लेजिटिमेऽ अेण्ड पीसफुल’ (अुचित और शांतिपूर्ण) शब्दोंके स्थान पर मैं ‘ट्रुथफुल अेण्ड नॉन-वायलेण्ट’ (सत्यमय और अहिंसक) शब्द रखना चाहता हूं। यदि कांग्रेसी हमारे व्येयकी प्राप्तिके लिये सत्य और अहिंसाको आवश्यक मानते हों तो अुन गोलमोल अर्थवाले विशेषणोंकी अपेक्षा ये विशेषण स्वीकार करनेमें अुन्हें विलकुल दिक्कत न होनी चाहिये। दूसरा सुधार मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि सदस्य बननेकी फीस चार आने रखनेके वजाय कांग्रेसका प्रत्येक सदस्य हर महीने अपने हाथका कता हुआ कमसे कम पंद्रह अंकका बलदार और समान दो हजार तार (चार फुटका तार) सूत दे। इसमें मेरा अुद्देश्य मताधिकारके लिये द्रव्यके बदले श्रमको दाखिल करके श्रमका गौरव बढ़ाना है। तीसरा संशोधन मैं यह सुझाता हूं कि कांग्रेसके किसी भी चुनावमें अुसी सदस्यको मत देनेका अधिकार रहे जिसका नाम कांग्रेसके रजिस्टरमें चुनावके छः महीने पहले दर्ज हो चुका हो, और जो तभीसे सतत खादी पहनने लग गया हो। अनुभवने मुझे बताया है कि प्रतिनिधियोंकी छः हजारकी संख्या अितनी बड़ी हो जाती है कि नियंत्रणमें नहीं रखी जा सकती। इसलिये चौथा सुधार मैं यह सुझाता हूं कि कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी संख्या अेक हजारसे ज्यादा न होनी चाहिये। अुसीके साथ यह शर्त भी होनी चाहिये कि प्रत्येक हजार मतदाताओं पर अेक प्रतिनिधि चुना जाय। कांग्रेस प्रजाकीय संस्था है इसका अंदाज इस परसे नहीं लगाना चाहिये कि अुसके वार्षिक अधिवेशनमें कितने प्रतिनिधि और प्रेक्षक अिकट्ठे होते हैं, परंतु इससे लगाना चाहिये कि वह कितनी सेवा करती है। पश्चिमकी लोकतांत्रिक शासन-पद्धतिकी इस समय परीक्षा हो रही है। रिश्वत और दंभ अुस लोकतांत्रिक शासनकी अनिवार्य अुत्पत्ति हरगिज नहीं हो सकते। परंतु आज जहां देखो वहां यही चीज पायी जाती है। और बड़ी संख्या इस लोकतांत्रिक शासनकी सच्ची कसौटी नहीं है। थोड़ेसे आदमी जिनके प्रतिनिधि होनेका दावा करते हों अुनके जोशको, अुनकी आशाओंको और आकांक्षाओंको सच्चे रूपमें प्रतिबिम्बित करते हों तो मैं अुसे सच्चा लोकतंत्र कहूंगा।

दूसरे, मैं यह मानता हूँ कि जबरदस्तीके तरीकेसे सच्चे लोकतंत्रका विकास हरगिज नहीं हो सकता। लोकतंत्रका जोश बाहरसे नहीं लाया जा सकता, वह भीतरसे पैदा होना चाहिये।

“मुझे भय है कि ऊपर मैंने जो संशोधन सुझाये हैं वे कांग्रेसमें आनेवाले बहुतेरे प्रतिनिधियोंके गले शायद ही अुतरेंगे। फिर भी यदि मुझे कांग्रेसकी नीतिका मार्गदर्शन करना हो, तो ये संशोधन और अिस वक्तव्यके भावोंके अनुकूल दूसरे प्रस्ताव हमारे ध्येयकी शीघ्र प्राप्तिके लिये आवश्यक हैं। मैंने ऊपर जिस कार्यक्रमकी रूपरेखा देनेका प्रयत्न किया है, अुसके मूल तत्त्वोंके साथ कोअी समझौता करनेकी गुंजाअिश नहीं है। कांग्रेसजन मेरे अिन प्रस्तावों पर शान्त चित्तसे अुनके गुणोंकी दृष्टिसे विचार करें। मेरा विचार न करें, परंतु अपनी बुद्धिके आदेशका ही अनुसरण करें।”

यह वक्तव्य प्रकाशित करनेसे पहले गांधीजीने अिसे अपने खास खास साथियोंके देखनेके लिये भेजा था। यह पहले कहा जा चुका है कि बहुत लोग गांधीजीके कांग्रेस छोड़नेके सख्त खिलाफ थे। अकेले सरदारको ही गांधीजीकी बात पूरी तरह मान्य थी। अपना यह विश्वास प्रगट करनेके लिये अुन्होंने ता० २९-९-'३४ को निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“गांधीजीके वक्तव्य पर मित्रों और आलोचकों दोनोंने जो विचार प्रगट किये हैं, अुनसे मेरे अिस मतकी पुष्टि होती है कि हाल ही वर्धामें कार्यसमितिकी जो बैठक हुअी अुससे पहले कांग्रेससे अलग हो जानेके जिस फैसले पर वे पहुंचे थे वह विलकुल ठीक था। जो यह कहते हैं कि यह वक्तव्य धमकीके तौर पर है, वे गांधीजीको पहचानते नहीं। वड़ी मुश्किलसे अुनसे यह फैसला मुलतवी रखवाया गया था। परंतु अब जब अुन्होंने अपना वक्तव्य प्रकाशित कर दिया है, तो मेरा खयाल है कि कांग्रेसकी विषय-समितिके सामने अपनी स्थिति समझानेकी वेदना वे सहर्ष सहन कर लेंगे। मुझे अिस बात पर आश्चर्य होता है कि हमारे सामने वह वक्तव्य होने पर भी हम अभी तक अिन शब्दोंमें विचार करते हैं कि कांग्रेसमें अुनकी जीत होगी या हार। अभी तक हम अितने संकुचित ढंगसे विचार कर रहे हैं, अिस अेक ही बातसे मुझे लगता है कि अुन्हें कांग्रेससे अलग हो जाना चाहिये। अुन्होंने अपने जीवनमें कभी व्यक्तिगत विजयकी दृष्टिसे विचार ही नहीं किया। नीति (पॉलिसी) और व्यक्तिकी अपेक्षा अुन्होंने सदा सिद्धान्तोंको अधिक

बुच्च स्थान दिया है और यह आग्रह रखा है कि अुनके अनुयायी भी ऐसा ही करें। गांधीजीके आलोचक समझ लें कि वे और अुनके साथी हमला करके कांग्रेस पर कब्जा करने या बहुमतसे प्रस्ताव पास करा लेनेका प्रयत्न विलकुल नहीं करेंगे। मेरी तरह जिन थोड़ेसे व्यक्तियोंको अुनके कार्यक्रममें पूर्ण श्रद्धा हो, अुन्हें मैं यह सलाह दूंगा कि वे गांधीजीके वक्तव्यमें सूचित महत्त्वपूर्ण संशोधनोंमें से किसी पर भी अपना मत देनेसे परहेज रखें। गांधीजीको जिस वारेमें जरा भी शक नहीं कि अधिकांश बुद्धिप्रधान लोगोंको सूत-मताधिकारमें विश्वास नहीं है; और जिस कारणसे यदि वे जिस निर्णय पर पहुंचें कि ये संशोधन विषय-समितिमें लाये ही न जायं तो मुझे कोयी अचंभा नहीं होगा।

“परंतु गांधीजी अंतमें किसी भी फैसले पर क्यों न पहुंचें, अेक वस्तु निश्चित है कि वे जो निर्णय करेंगे वह पूरी तरह कांग्रेस और देशके हितमें ही होगा। अुन्हें यह लगा कि अुनके कांग्रेससे निकल जानेमें देश और कांग्रेसके हितोंको हानि होगी, तो वे किसी भी हालतमें कांग्रेससे अलग नहीं होंगे। परंतु यदि अुन्हें निश्चयपूर्वक यह महसूस हो, जैसा कि अभी हो रहा है, कि कांग्रेसको और परिस्थितिको शुद्ध करने और मजबूत बनानेका अेकमात्र अुपाय कांग्रेससे अुनका निकल जाना ही है तो अुन्हें विना वाधाके कांग्रेससे निकल जाने देना चाहिये।”

कांग्रेसका अधिवेशन अक्तूबर १९३४ के अन्तमें वम्बईमें हुआ। यह अधिवेशन कराची कांग्रेसके साढ़े तीन वर्ष बाद और लड़ाईकी कड़ी तपस्यामें से गुजरनेके बाद हो रहा था। जिसलिये लोगोंमें अच्छा अुत्साह था। कांग्रेसके विधानमें परिवर्तन करनेके गांधीजीके प्रस्तावों और कांग्रेससे अुनकी निकल जानेकी अिच्छाके कारण ही यह कांग्रेस विशेष महत्त्वकी हो गयी थी। बहुतसे प्रतिनिधि यह भी कह रहे थे कि गांधीजी कांग्रेससे निकलने-वाले ही हों, तो फिर अुन्हें विधानमें परिवर्तन करनेके प्रस्ताव क्यों लाने चाहिये। परंतु सरदारने अपने अुपरोक्त वक्तव्यमें बताया है कि वे कांग्रेस और देशके अधिक हितके खातिर ही कांग्रेससे अलग हो रहे थे। जिसलिये अलग होनेके समय अुन्हें यह अपना कर्तव्य मालूम हुआ कि कांग्रेसमें जो त्रुटियां हों वे कांग्रेसको बतायें और अुन्हें दूर करानेका प्रयत्न करें। गांधीजीको महसूस होने लगा था कि अुनका वजन कांग्रेस पर अितना ज्यादा पड़ता है कि अुससे कांग्रेस दब जाती है। जिसके लिये वे अपने-आप पर बहुत दबाव डालते थे। परंतु ज्यों ज्यों वे अपने-आपको अधिक दबाते थे त्यों

त्यो कांग्रेस पर अुनका वजन बढ़ता था, क्योंकि कांग्रेसके तमाम कार्यकर्ता स्वतंत्र रूपमें निर्णय करनेके वजाय अुनके हुकमका अितजार करते रहते थे। यह बात गांधीजीको बहुत खटकती थी। परिवारसे जब पिता अपने शुभाशीर्वाद देकर निवृत्त होता है और पुत्रोंके सिर पर कामकी जिम्मेदारी आ पड़ती है, तब वे अुसे निभानेकी कोशिश करते हैं और अुसके परिणामस्वरूप पुत्रोंका हित ही होता है; यही बात कांग्रेससे गांधीजीके निकल जानेके वारेमें कही जा सकती है। और गांधीजी कांग्रेसका त्याग कहाँ कर रहे थे? जब जब अुनकी सलाह और सहयोगकी जरूरत पड़ती तब तब वे देनेको तैयार ही थे। गांधीजीका कांग्रेससे अलग हो जाना कितना समयानुसार था, यह तो अिसीसे सावित हो गया कि गांधीजीके प्रस्तावोंको बहुत नरम करके ही कांग्रेस स्वीकार कर सकी थी।

बम्बईका अधिवेशन समाप्त होते ही देशके सामने बड़ी धारासभाके चुनाव आये। कांग्रेस अुनमें पूरे अुत्साहसे जुट गयी। सरकारका खयाल था कि अिन तीन वर्षोंके दमनसे लोगोंको हमने दबा और डरा दिया है। अुन्हें अितना अधिक कष्ट सहन करना पड़ा और नुकसान अुठाना पड़ा है कि अब वे कांग्रेसका नाम लेनेकी भी हिम्मत नहीं करेंगे। आतंकवादी आन्दोलनके सिलसिलेमें दमन होता है तब अवश्य लोगोंकी स्थिति अैसी हो जाती है। परंतु अहिंसक लड़ाईकी खूबी यह है कि लोग थक जायं तब लड़ाईमें भाग लेना भले ही छोड़ दें, परंतु लोगोंमें यह विचार कभी पैदा नहीं होता कि लड़ाई गलत है या जो लोग लड़ाई जारी रखते हैं वे बुरा कर रहे हैं। वे भले ही थक जायं, परंतु जो लोग लड़ाई जारी रखते हैं और कष्ट सहन करते हैं अुनकी वहादुरी और त्यागके प्रति अुनके दिलमें आदर ही रहता है। अिस वार लोग जेल, जुर्माना और लाठीकी मार वगैरासे थक गये थे, परंतु अिस कारणसे अुनके हृदयमें कांग्रेसके प्रति और कांग्रेसी नेताओंके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ था। अुनके हृदयमें तो सरकारके प्रति अुपेक्षा और कांग्रेसके लिये आदरका भाव ही था। अिस चुनावमें कांग्रेसकी सहायता करके लोगोंने यह बात सावित कर दी। और फिर पिछले तीन वर्षसे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंकी प्रवृत्तियां गैर-कानूनी मानी जानेके कारण वे आजादीसे घूम-फिर या बोल नहीं सकते थे। अिस चुनावके कारण अुन्हें जिलों और तालुकोंके गांव गांवमें घूमने और भाषण देनेका मौका मिला। लोगोंने अुनका सत्कार किया। फिर भी चुनावमें विजय प्राप्त करनेके लिये परिश्रम तो करना ही पड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्रीने जो साम्प्रदायिक निर्णय किया था, वह कांग्रेसको मंजूर तो था ही नहीं। फिर भी हरिजनोंको पृथक् निर्वाचक मंडल देनेवाली

धाराके विरोधमें अुपवास करके गांधीजीने निर्णयका अुतना भाग बदलवा दिया था। गांधीजीका यह कहना था कि नये होनेवाले सुवार और अुनके अनुसार बननेवाला सारा विधान (जिसकी रूपरेखा ब्रिटिश सरकारकी तरफसे प्रकाशित हुयी थी और जो श्वेतपत्रके नामसे पुकारी जाती थी), जिसमें साम्प्रदायिक निर्णय भी आ जाता है, हमें मंजूर नहीं है; जिसलिये यदि हम अकेले साम्प्रदायिक निर्णयका विरोध करें तो अुससे यह आभास होता है कि वाकीका विधान हमें मंजूर है। फिर भी लोगोंकी जानकारीके लिये कांग्रेसने घोषित किया कि हमारे साम्प्रदायिक निर्णयका विरोध न करनेका अर्थ यह नहीं है कि हम अुसे स्वीकार करते हैं। पं० मालवीयजी और श्री अणे अिस मतके थे कि कांग्रेसको साम्प्रदायिक निर्णयके विरोधका अलग प्रस्ताव पास करना चाहिये। अुनका प्रस्ताव कांग्रेसमें पास नहीं हुआ तो अुन्होंने नया दल बनाया और चुनावमें अपने अुम्मीदवार खड़े किये। केवल साम्प्रदायिक निर्णयके सिवा और सब मामलोंमें वे कांग्रेससे सहमत थे। अेक और आन्दोलन कट्टर हिन्दुओंने चलाया था। अुन्होंने यह प्रचार शुरू किया था कि कांग्रेसवाले हमारे मंदिरोंमें हरिजनोंका प्रवेश कराकर अुन्हें भ्रष्ट करना चाहते हैं, जिसलिये अुन्हें मत न दिये जायं। यद्यपि हिन्दू मतदाताओं पर अुसका ज्यादा असर नहीं हुआ, परंतु यह सब मतदाताओंको साफ समझानेकी जरूरत तो थी ही। अिसके सिवा, १५ नवम्बरसे अलग अलग प्रान्तोंमें चुनाव होनेवाला था, अिस कारण समय बहुत थोड़ा था। सरदारको गुजरातकी तो चिन्ता ही नहीं थी, अिसलिये अुन्होंने पंजाव, दिल्ली, यू० पी०, विहार और मद्रास वगैरा प्रान्तोंका दौरा किया। चुनावोंके खर्चके लिये रुपयेकी व्यवस्था करनेका भी मुख्य भार अुन्हींके सिर पर पड़ा। सिर्फ पंजावके सिवा दूसरे तमाम प्रान्तोंमें कांग्रेसके अुम्मीदवार भारी बहुमतमें आये। बंगालमें पं० मालवीयजीके दलके अुम्मीदवार चुने गये। परंतु वम्बयी शहरमें, जिसने पिछले आन्दोलनमें अच्छा भाग लिया था और जो राष्ट्रीय अुत्साहमें सारे देशमें प्रमुख माना जाता था, कांग्रेसकी हार होनेसे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कांग्रेस दलके अुम्मीदवार श्री कन्हैयालाल मुन्शी थे और अुनके विरुद्ध श्री कावसजी जहांगीर थे। वम्बयी प्रान्तीय समितिके अध्यक्ष श्री नरीमानने कांग्रेसके साथ विश्वासघात करके सर कावसजीको अप्रत्यक्ष रूपमें सहायक होनेवाला रवैया अख्तियार किया, अिसलिये यह घटना हुयी। अिससे आगे चलकर बड़ा कांड खड़ा हुआ और कुछ समय तक सरदारकी व्यर्थ बदनामी हुयी। अुस सारे कांडकी चर्चा अेक अलग अध्यायमें की जायगी। बड़ी धारासभामें जो अनेक दल थे अुनमें सबसे बड़ा दल कांग्रेसका बना। ये चुनाव मांटैग्यू-

चेम्सफोर्ड योजनाके अनुसार बने हुअे विधानके मातहत हुअे थे। अुस विधानके अनुसार धारासभाकी रचना ही अैसी थी कि कुछ सदस्य सरकारकी हांमें हां मिलानेवाले हों और अुनकी मददसे सरकार सदा अपना बहुमत रख सके। परंतु अब वातावरण बदल गया था। हांमें हां मिलानेवाला वर्ग भी स्वतंत्र विचार करने लग गया था, अिसलिये यह स्थिति हो गयी थी कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस दूसरे दलोंको अपने पक्षमें कर सकती अुस पर सरकारको हरा सकती थी। नवम्बर १९३४ में चुनाव हुअे और ता० २१-१-३५ को बड़ी धारासभाकी बैठक शुरू हुयी। श्री भूलाभाजी देसायी कांग्रेस दलके नेता चुने गये। स्वराज्य दलके नेताकी हैसियतसे बड़ी धारासभामें जो रुआव और प्रभाव पंडित मोतीलाल नेहरूने जमाया था, वही श्री भूलाभाजीने भी जमा लिया। दूसरे दलोंका सहयोग प्राप्त करके बहुतसे सवालोंने पर—जैसे शरदचन्द्र बोसकी नजरबन्दी, खुदायी खिदमतगारोंने पर प्रतिबंध, भारत और ब्रिटेनके बीचके व्यापारिक करार आदि पर—कांग्रेसने सरकारको हार खिलायी, यद्यपि गवर्नर जनरलने प्रमाणपत्र देकर धारासभाके बहुमतके प्रस्तावोंने पर अमल नहीं होने दिया। जिस समय हिन्दुस्तानके शासन-विधानमें सुधार करके लोगोंको जिम्मेदार हुकूमत देनेकी बातें हो रही थीं, अुसी समय लोकमतको अिस प्रकार ठुकरा दिया गया। अिससे आनेवाले सुधारोंने खोखलेपनकी लोगोंको कल्पना हो गयी और अुन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारा स्वराज्य अपने ही पुरुषार्थसे स्थापित किया जा सकेगा।

सरकारकी बदनीयतीका अेक और सबूत भी सरदारको अिस समय मिला। बंधयी कांग्रेसके समाप्त हो जानेके बाद और बड़ी धारासभाके चुनाव कार्यके दौरानमें भारत-सरकारके गृहविभागकी तरफसे अुसके सेक्रेटरी मि० हेलेटने सभी प्रान्तीय सरकारोंने अेक गुप्त परिपत्र भेजा था। अुसे सरदारने अपनी निजी व्यवस्थासे प्राप्त कर लिया। जब अेक तरफ भारतके शासन-विधानमें प्रस्तावित सुधारोंने तफसील देनेवाली जॉअिन्ट पार्लमेण्टरी कमेटीकी रिपोर्ट प्रकाशित हुयी या प्रकाशित होनेकी तैयारीमें थी, अुसी समय गांधीजी और अन्य कांग्रेसी नेताओंके प्रति भारी सन्देहकी दृष्टिसे देखने वाला और लोगोंमें अुनका असर मिटा देनेके सुझाव पेश करनेवाला यह परिपत्र देखकर हमें आश्चर्य हुअे बिना नहीं रहता। ब्रिटेनके तमाम राजनीतिज्ञोंने, फिर वे अनुदार दलके हों, अुदार दलके हों या मजदूर दलके हों, भारतको दायित्वपूर्ण शासन देनेका केवल दिखावा करना था। जिम्मेदारी तो भारतकी धारासभाओं पर डालनी थी, परंतु सारी सत्ता अपने हाथमें रखनी थी। भारतके साथ अपना व्यापार सुरक्षित रहे और देश पर अपना पंजा मजबूत

वना रहे, यही सारे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ चाहते थे। और जिसमें भारतके ब्रिटिश सिविल सर्विसके अधिकारियोंका अन्हें पूरा साथ था। चाहे जो राजनैतिक सुधार कर दिये जायं, परंतु वे यह नहीं चाहते थे कि सिविल सर्विसके फौलादी ढांचेमें किसी जगह जरासी भी दरार पड़े। वम्बयीकी कांग्रेसमें ग्रामोद्योग संघकी स्थापना की गयी, कांग्रेसके विधानमें संशोधन किये गये और गांधीजी कांग्रेससे अलग हो गये, जिसमें अून हेलेट साहवको गांधीजीकी गहरी चालवाजी दिखायी दी। ये सब बातें अन्होंने बड़े अफसरोके नाम अपने अेक सर्वथा गुप्त परिपत्रमें बड़े विकृत रूपमें पेश कीं। यह परिपत्र पढ़कर बड़ा मनोरंजन होता है। यहां अुसके कुछ मुद्दे दिये जाते हैं:

“कांग्रेसके संगठनमें अिन सब परिवर्तनोंका असली अुद्देश्य भारत-सरकारको यह मालूम होता है कि कांग्रेसको राजनैतिक अथवा पार्ल-मेण्टरी काम करनेके लिये अधिक संगठित किया जाय। मि० गांधी अब यह मानते हैं कि कांग्रेसके सदस्योंको पार्लमेण्टरी कार्यमें अधिक दिलचस्पी है। अब तक अेक राजनैतिक दलकी हैसियतसे कांग्रेसकी यह आलोचना होती थी कि वह समाजके अेक वर्गका अर्थात् शहरोंका और अुसमें भी मुख्यतः हिन्दुओंके दुद्धिमान वर्गका प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेसमें किये गये अिन परिवर्तनोंसे भविष्यमें कांग्रेस यह दावा करनेकी स्थितिमें हो जायगी कि वह शहरोंके साथ-साथ गांवोंके हितोंका भी प्रतिनिधित्व करती है। यह भी संभव है कि कांग्रेसके विधानमें जो फेरबदल हुअे हैं अुनके कारण कांग्रेस मि० गांधीके लोक-प्रतिनिधि-सभा (कांस्टिट्यूअेंट असेम्बली) के विचारोंका प्रतिनिधित्व करेगी और यदि यह प्रयोग सफल हो गया तो मि० गांधी कांग्रेसको देशका विधान तैयार करनेके लिये और देशका भावी शासन हाथमें लेनेके लिये अेक समर्थ संस्था बना देंगे।”

ग्रामोद्योग संघकी स्थापनाके वारेमें वे साहव फरमाते हैं:

“मि० गांधीने खुद तो बताया है कि यह प्रवृत्ति विलकुल अराजनैतिक है। जिस प्रवृत्तिका आरंभ और मि० गांधीका कांग्रेससे निकल जाना — अिन दो बातोंको देखते हुअे अूपर-अूपरसे तो अैसा लगता है कि यह प्रवृत्ति दृढ़ रूपमें गांवोंके पुनरुद्धारके लिये है और अुसके पीछे कोअी राजनैतिक हेतु नहीं है। परंतु अैसा खयाल करनेमें कुछ महत्त्वकी बातोंकी अपेक्षा होती है। कांग्रेसको तो आम जनता पर अपना कानू जमाना है। पिछले साल दुरु की गयी सविनय कानून-भंगकी लड़ाअीके कारण यह अुद्देश्य पूरा करनेमें वह असफल रही है।

सरकारको लगान न देने और जमींदारोंको अनुका हिस्सा या जमाबंदी न चुकानेकी लड़ाईमें कांग्रेसको असफलता मिली है, और सरकारके प्रति लोगोंमें अप्रीति फैला सकनेके वजाय वह जमींदार वर्गमें, किसान वर्गमें और काश्तकारोंमें अप्रिय बन गयी है। विदेशी कपड़े और मिलके कपड़ेका बहिष्कार किसान वर्गकी कल्पनाको आकर्षित नहीं कर सका। इसलिये आम लोगोंके साथ अकेला साधनेके खातिर अनुकी आर्थिक स्थिति सुधारनेका कार्यक्रम हाथमें लेनेकी यह चाल मि० गांधीने चली है। इसमें उन्हें अके और भी लाभ है। जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओंको पार्लमेण्टरी काम पसन्द न हो उन्हें यह काम सौंपा जा सकेगा। इस निमित्तसे वे गांवोंमें अपना असर बढ़ा सकेंगे और अपने राजनैतिक विचार भी फैला सकेंगे। अनुका ग्रामोद्योगोंका काम करनेका दावा होनेसे सरकार भी अनुके ग्रामनिवास पर कोअी आपत्ति नहीं उठा सकेगी। पिछली लड़ाईके समय चरखा-संघके कार्यकर्ता इसी तरह काम करते थे। खादीके कामके बहाने वे लड़ाईका ही काम करते थे। परंतु काफी प्रमाण न मिलनेके कारण सरकार चरखा-संघके खिलाफ कोअी कार्रवाअी नहीं कर सकी थी। मि० गांधीके अस्पृश्यता-निवारण कार्यके लिये लोगोंमें बहुत विरोध पैदा हो गया है। यह प्रवृत्ति हरिजनोंमें भी प्रिय नहीं हो पायी है। इसलिये अब तक जो लोग कानून-भंग करनेवाले थे, उन्हें गांधीजी अस्पृश्यता-निवारणके कामके साथ साथ ग्रामोद्योगोंके कथित रचनात्मक कार्यमें लगाना चाहते हैं। कल उठकर अके मधनिषेध संघ खोलकर गांधीजी मद्यपानके विरुद्ध अखिल भारतीय आन्दोलन छेड़ दें तो कोअी आश्चर्य नहीं।

“अससे स्पष्ट मालूम होता है कि मि० गांधी बड़े चालाक और विचक्षण राजनैतिक नेता हैं। अनुका मानसिक और शारीरिक अत्साह जरा भी शिथिल नहीं हुआ है। यद्यपि वे कांग्रेससे अलग हो गये हैं, फिर भी कांग्रेसके अस अधिवेशनमें अन्हींकी व्यक्तिगत विजय हुआ है। कांग्रेसमें काम करनेवाले विविध बलोंकी अन्हींने अपने ही नेतृत्वमें रखा है। कांग्रेस संस्थासे वे खुद हट गये हैं, फिर भी उसके सारे कामोंमें सलाह-सूचना देनेका अधिकार तो अन्हींने अपने ही पास रखा है।

“मि० गांधीके मनमें दरअसल क्या क्या योजनाअें हैं, असका तो अपने रचनात्मक कार्यकी दूसरी योजनाअें वे प्रकाशित करेंगे तभी हमें पता लगेगा। परंतु यदि हम यह मानें कि मि० गांधीकी तमाम

योजनाओंकी जड़में मुख्य हेतु तो राजनैतिक ही है, तो उनकी अिस नयी चालके पीछे, यद्यपि वह खुले तौर पर तो गांधीके पुनरुद्धारकी कही जाती है, संभव है पहलेसे कहीं विशाल पैमाने पर सविनय कानून-भंगकी लड़ाई छेड़नेके लिये वातावरण तैयार करने और उनमें गांधीके लोगोंको अधिक बड़े अनुपातमें शरीक करनेका एक जबरदस्त और गहरा प्रयत्न हो। यदि मेरी यह धारणा सही हो तो आप समझ सकेंगे कि मि० गांधीकी ये योजनाएँ कितनी भयंकर संभावनाओंसे भरी हैं। मि० गांधी भविष्यमें तीन तरफसे हमला करनेका विचार कर रहे मालूम होते हैं। धारासभाके कांग्रेसी सदस्य सरकारकी 'दमनकारी' कार्यवाहियोंको रोकनेका भरसक प्रयत्न करेंगे, ग्रामोद्योगोंकी संस्थाके द्वारा विशाल पैमाने पर सविनय कानून-भंगकी तैयारी की जायगी और समाजवादियोंका अग्र दल, जो धीरे धीरे साम्यवादी दलके अधिकसे अधिक संपर्कमें आता जा रहा है, भविष्यकी लड़ाईमें कांग्रेसके साथ रहेगा।

“वर्तमान परिस्थिति-सम्बन्धी मेरा यह खयाल यदि सही हो तो सरकारको बहुत जाग्रत रहनेकी आवश्यकता है। मि० गांधी कहते हैं कि अगले कभी वर्षों तक सविनय कानून-भंगकी लड़ाई नहीं छेड़ी जा सकती। परन्तु यह बात मानकर हमें गाफिल नहीं रहना चाहिये। जैसे संयोग जल्दी अुपस्थित हो जाय और मि० गांधीके निजी असरसे ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय, तो आश्चर्य नहीं कि थोड़े ही समयमें वे फिर लड़ाई छेड़ दें। भूतकालके अनुभवोंसे हमें मानना चाहिये कि मि० गांधी कौसी भी हिदायतें क्यों न दें, मद्यनिषेधका काम करनेवाले स्वयंसेवक फौजदारी और आवकारी कानूनोंका भंग करनेके जुर्म अवश्य करेंगे। लोग शराबकी लत छोड़ें अिसकी अपेक्षा सरकारको कम आमदनी हो और सरकार अधिक तंग हो, यही स्वयंसेवकोंकी प्रबल वृत्ति होती है। कुछ कार्यकर्ता अपने भाषणों और अपनी पत्रिकाओंमें राजद्रोहके कानूनका भी भंग करेंगे। प्रान्तीय सरकारें अिन बातोंके लिये सावधान रहें और कठोर अुपाय काममें लेनेसे न चूकें। भारत-सरकार अिसमें उनका पूरा समर्थन करेगी।

“दूसरा काम यह करना है कि प्रान्तीय सरकारें ऐसी योजनाएँ बनायें, जिनसे ग्रामीण जनताकी आर्थिक स्थिति सुधरे। यद्यपि हमारे पास रुपयेकी कमी है तो भी किसी न किसी तरहसे ऐसी योजनाओंके लिये रुपया निकाला जा सकता है। संभव है मि० गांधी ग्रामोद्योगकी

जो योजनायें निकालें, वे सरकारकी आजमा कर देखी हुयी हों और सरकारको असफल मालूम हुयी हों। प्रान्तीय सरकारें पत्रिकाओं द्वारा और लोगोंको रूबरू समझाकर मि० गांधीकी योजनाओंकी आलोचना करें और यह वता दें कि वे अव्यावहारिक हैं। अिसीके साथ लोगोंको यह भी समझाया जाय कि सरकारने ग्रामीण जनताके लिये क्या क्या किया है। सरकारने ग्रामोद्योगोंके मामलेमें जो कुछ किया है उसे वतानेके सिवा किसानोंकी स्थिति सुधारनेके लिये किये गये अन्य कार्य भी समझाये जायें और उनका प्रचार किया जाय। सरकारने अस्पताल बनवाये हैं, स्कूल खोले हैं, रास्ते बनवाये हैं, नहरें खुदवायी हैं और बाजारोंकी व्यवस्था की है। सरकारके अिन तमाम रचनात्मक कार्योंके साथ कांग्रेसके खंडनात्मक कार्योंको लोगोंके सामने रखा जाय। जिलाधिकारी अब तक अपने जिलोंमें सवारी और दूसरी सुविधावाले खास खास केन्द्रोंका ही दौरा करते रहे हैं। अिसके वजाय अब वे जहां पहले नहीं जाते थे वहां भी जाया करें। अिसके लिये अधिक किराये और भत्तेकी तजवीज करनी पड़े तो प्रान्तीय सरकारें कर दें।

“संभव है मि० गांधी तथा ग्रामोद्योग संघके दूसरे कार्यकर्ता अपने ग्रामोद्योगोंके काममें जिलाधिकारियोंसे सहायता मांगें। अिस मामलेमें सरकारकी नीति स्पष्ट है। उनसे मिलने या वे कोअी जानकारी मांगें तो देनेसे अिनकार न किया जाय। परन्तु अिससे आगे जाकर कोअी मदद न की जाय। उनके प्रदर्शनों या मेलोंमें भाग न लिया जाय। उनहें अुपयोगके लिये सरकारी मकान न दिये जायें। चंदा अिकट्टा करनेमें मदद न की जाय। नीचेके अधिकारियों और कर्मचारियोंको तो कुछ भी मदद देनेकी अिजाजत न दी जाय।”

अैसी पत्रिका पर भी टीका-टिप्पणीकी जरूरत है?

जेलसे छूटनेके वादका डेढ़ वर्ष

सरदार १४ जुलाबी, १९३४ को नासिक जेलसे छूटे। हम देख चुके हैं कि जेलमें वे दिनरात लड़ाईमें शरीक होनेवाले किसानोंकी चिन्ता करते थे। छूटकर थोड़े दिनों तक अन्हें बम्बयीमें आराम लेना था और वादमें गांधीजीसे, जो उस समय काशीमें थे, मिलने जाना था। काशीके लिअे रवाना होनेसे पहले अन्होंने ता० २५-७-३४ को गुजरातके अपने साथियोंके नाम निम्नलिखित सन्देश अखवारों द्वारा भेजा :

“प्यारे साथियो,

“मैं जानता हूं कि आप सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं भी आपसे मिलनेके लिअे अतना ही अधीर हो रहा हूं। परन्तु असा लगता है कि परिस्थितिवश अभी थोड़े दिन तक मैं गुजरातमें प्रवेश नहीं कर सकूंगा। अतना समय मुझे जेलमें समझकर निभा लें।

“हमारे सवा सौके करीब साथी अभी तक जेलोंमें पड़े हुअे हैं। कितनी ही संस्थाओं परसे पावन्दियां अठाओ नहीं गयी हैं। गुजरात विद्यापीठ, पाटीदार विद्यार्थीगृह, अनाविल विद्यार्थीगृह, सुणाव राष्ट्रीय शाला, बोचासण विद्यालय वगैरा शिक्षण-संस्थाओंके मकान अभी तक सरकारके ही कब्जेमें हैं। बारडोली, मढी, सरभोण, वेड़छी, सुरत वगैरा आश्रमोंके मकान अभी हमें वापिस नहीं मिले हैं। कुछ किसानोंसे जुमाने वसूल करनेके लिअे अभी तक अुनके घरवार नीलाम हो रहे हैं। कुछकी जवत हुयी जमीनें अभी तक नीलाम हो रही हैं। सहकारी समितियोंको सजीवन करनेका निर्दोष कार्य भी अभी तक शंकाकी दृष्टिसे देखा जा रहा है। कांग्रेसके सदस्य बननेवालोंके नाम-पत्तोंकी जांच की जाती है।

“अिस प्रकार गुजरातमें अभी तक असा भास हो रहा है, जैसे अिकतर्फा लड़ाई जारी हो। अिसलिअे आपको बड़ी कठिनाअियोंके बीच काम करना है। लेकिन अिन सारी कठिनाअियोंको पार करनेमें ही हमारी सच्ची परीक्षा होगी। अुतावले या अधीर न होअिये। घबराये या परेशान हुअे विना, पुलिसके संघर्षमें आये विना जितना काम हो सके अुतना धीरजसे कीजिये। हमें कोअी गुप्त कार्य तो करना ही नहीं

है। खुले रूपमें रचनात्मक काम करते हुअे भी जहां रुकावट आये, वहांसे हटकर वस्तुस्थितिकी खबर जिलेके या प्रान्तके कार्यकर्ताको दे दीजिये और अुसकी सलाहके अनुसार काम कीजिये। कठिन परिस्थितिमें भी प्रतिकार करनेके लोभमें न फंसें। मैं आशा रखता हूं कि अैसा करनेसे सामनेवालेके मनका वैर दूर हो जायगा। सविनय कानून-भंग करनेवाले सैनिकोंमें अरुचिकर अंकुश सहन करनेकी शक्ति भी होनी चाहिये।

“आपके सामने अिस समय दो मुख्य काम हैं। अेक तो संकटमें फंसे हुअे किसानोंकी सहायता करना और दूसरा सहकारी समितियोंको फिरसे सजीव बनाना। ये दो काम करते हुअे अिस समय आपके पास दूसरे कामोंके लिये अवकाश ही नहीं रहेगा। किसानोंके कष्ट-निवारणके काममें ही आपको अपनी सारी शक्ति और समय लगा देना होगा। मैं भी बम्बयीमें रहते हुअे अिस काममें आपकी जितनी मदद हो सके अुतनी करनेका प्रयत्न कर रहा हूं।”

जेलमें समाजवाद-सम्बन्धी पुस्तकें पढ़नेसे और अलग अलग प्रान्तोंके समाजवादियोंके सहवासमें आनेसे गुजरातके कुछ कार्यकर्ताओं पर समाजवादका काफी असर हुआ था। सरदारको समाजवादियोंका यह पुस्तक-पांडित्य मिथ्या लगता था। अिसलिये अपने सन्देशमें साथियोंको अिस सम्बन्धमें भी चेतावनी दी :

“मुझे अुम्मीद है कि गुजरातके परखे हुअे सैनिक हवायी किले बनानेमें या सुदूर भविष्यकी बड़ी बड़ी योजनाओंकी व्यर्थकी चर्चामें कभी नहीं फंसेंगे। अेकनिष्ठासे आजका कर्तव्य करते रहनेसे अपने-आप सूझ जायगा कि कल क्या करना है, और भविष्यकी गुत्थियां अपने-आप सुलझ जायंगी। पिछले पंद्रह वर्षसे आपने मूक सेवाके जो मीठे अनुभव प्राप्त किये हैं अुनको देखते हुअे मुझे विश्वास है कि आपको नयी नयी योजनाओं और नये नये कार्यक्रमोंके निरे पांडित्यमें कोअी दिलचस्पी नहीं होगी। बातें करनेवालोंको बातें करने दीजिये। अुनके साथ बहसमें पड़नेका हमारे पास समय नहीं है। अुसमें कोअी लाभ भी नहीं है। हम चुपचाप काम करेंगे तो अैसे कामकी आवाज बातोंके रसियोंका मुख बन्द कर देगी।”

अिसके बाद अुन्होंने बम्बयीके गुजराती व्यापारियोंसे अपील की :

“मुझे जेलमें केवल किसानोंका ही दुःख था। जो किसानोंका हाथ पकड़ने जाते अुन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, अिसलिये

किसानोंकी सहायता करनेवाला कोजी बाहर नहीं था। मैं बाहर आया तो किसानोंको असा लगने लगा है कि अब हमारी तरफ देखनेवाला आ गया है।

“जिनके घरदार, ढोर-डंगर और खेत-खलिहान चले गये हैं और जो रास्ते पर आकर खड़े हैं, उनका हम साथ न दें और मदद न करें तो हम धर्मभ्रष्ट हो जायेंगे।

“अस समय सहायता लेनी पड़ती है यह उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्होंने सात पीढ़ीमें कभी हाथ नहीं पसारा, इसलिये वे खुद नहीं बोलेंगे। परन्तु उन्हें सहायता देना हमारा कर्तव्य है। सर्वस्व गंवा देनेवाले किसानोंको केवल ढोर-डंगर और घर-गृहस्थी जुटानेकी ही मदद देनेके लिये मेरे पास जो बजट आया है वह दस लाखका है। इस रकमकी टेर पहले-पहल आपके ही सामने मुनाजी है। विश्वास है कि गुजराती मुझे निराश नहीं करेंगे।”

किसानोंको राहत पहुंचानेका काम जल्दी बाहर आये हुअे कार्यकर्ताओंने शुरु कर दिया था। मजी १९३४ में गुजरातके प्रमुख कार्यकर्ताओंकी अक सभा भड़ौचके सेवाश्रममें हुअी थी। उसमें किसानोंको राहत पहुंचानेके लिये चन्दा अकट्टा करनेका निश्चय हुआ था। श्री अब्बास साहब, डॉ० चंदुलाल देसाजी, श्री दिनकरराय देसाजी वगैराने मेहनत करके लगभग डेढ़ लाख रुपये अकट्टे कर लिये थे। उसमें से विविध प्रकारकी सहायता देनेके अलावा लड़ाजीमें दरवाद हुअे सत्याग्रही किसानोंके बच्चोंकी शिक्षाकी व्यवस्था करना तय हुआ था। अहमदावादके शारदामंदिर, भावनगरके दक्षिणामूर्ति तथा आणंदकी चरोतर अेज्युकेशन सोसायटीकी पाठशालाओंने अपनी-अपनी संस्थाओंमें कुछ बालकोंको फीस और भोजनखर्च लिये विना भरती कर लिया था। अकेले रासगांवके ही लगभग पैंतीस बालक थे। यह फण्ड अकट्टा हो जानेके बाद अिन संस्थाओंको किसानोंके असे बालकोंका खर्च देनेका निश्चय हुआ। अक्तूबर, १९३४ में गुजरात विद्यापीठ परसे सरकारने पावन्दी हटा ली। उसके बाद १९३५ के जून मासमें विनय-मंदिर शुरु करके भिन्न-भिन्न संस्थाओंमें पढ़नेवाले तमाम बालकोंको विद्यापीठमें रख दिया गया।

दूसरा बड़ा काम कांग्रेस समितियोंमें प्राण पूरनेका था। गुजरात प्रान्तीय समितिकी स्थापना हुअी तभीसे सरदार उसके अध्यक्ष थे। परन्तु १९३१ में जब वे कांग्रेसके अध्यक्ष बने और १९३४ में कांग्रेस द्वारा धारासभाओंका कार्यक्रम अपनानेके बाद पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्ष हुअे,

तबसे गुजरातके बाहरका अनुका काम बहुत बढ़ गया था। अिसलिये अच्छा होते हुअे भी गुजरात प्रान्तीय समितिको वे पूरा समय नहीं दे पाते थे। नासिक जेलमें डॉ० चंदुलाल देसायी अनुके साथ थे। वहां यह बात हुयी थी कि वे अब अध्यक्ष नहीं रहें और डॉ० चंदुलाल देसायी प्रान्तीय कांग्रेसके अध्यक्ष हों। बाहर आनेके बाद यह बात प्रान्तके मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओंके सामने रखी गयी। परन्तु सभीने यह आग्रह किया कि सरदार ही अध्यक्ष बने रहें। अिसलिये ता० २४-८-३४ को अनुोंने डॉ० चंदुभायीको यह पत्र लिखा :

“मैं जानता हूं कि आपको (अध्यक्ष बननेका) मोह नहीं है। मैं चाहता था कि सब अेकमतसे आपके सिर पर जिम्मेदारी डालें। परन्तु मैं देखता हूं कि यह बात सबके गले नहीं अुतारी जा सकती। अेकमतसे यह काम न हो तो हमारी शोभा नहीं रहेगी। आप और मैं अेक हैं। दोनों सिपाही हैं। मैं आपका सिपाही बनकर गर्वके साथ काम कर सकता हूं। आप भी वैसा ही कर सकते हैं। फिर भी हमें अपना संगठन चलाना है, तो अपने साथियोंके दिल जीतने पड़ेंगे। मैंने समझानेका प्रयत्न किया, परन्तु सबको समझा नहीं सका। प्रामाणिक मान्यता ही वहां हमें अधिक प्रयत्न करके अनुके हृदय बदलने पड़ेंगे। हमें अपनी अेकताका प्रमाण अपने कामसे देना होगा।

“जो कुछ करें सो प्रेमसे और सबके दिल जीतकर करें। अेकमतसे जो काम हो वही करें, नहीं तो शुरूसे ही दुरा प्रदर्शन होगा।

“हम कठिन समयसे होकर गुजर रहे हैं। आगे और भी अधिक कठिन समय आनेवाला है। जितने कुछ रह गये वे अेक-दूसरेके दिलोंकी सफायी करके अधिक नजदीक आनेका प्रयत्न करें। सूरतवाले सब चाहते हैं कि मेरा ही नाम आगे रखा जाय और आप अुपाध्यक्ष रहें। मोरारजीको भय है कि अुपाध्यक्ष बनना आप मंजूर नहीं करेंगे। मैंने वलुभायीसे बात की है। अनुसे मिलिये। अनुसे सब कुछ समझ लीजिये। हमें नामसे काम नहीं, कामसे काम है। नामकी बात पीछे देख लेंगे। सबके साथ मिठाससे काम लें। मैंने देख लिया है कि सबके दिल साफ हैं। सबका हम दोनोंके प्रति प्रेम है। हममें त्रुटियां हैं। संभव है आपमें जो दोष हो सो मुझमें न हो और मुझमें हो सो आपमें न हो। यह सब होते हुअे भी हम अेक-दूसरेको और सबको जानने लग गये हैं। अिससे हमारा काम आसान ही जायगा। मैंने देख लिया कि

सबके दिल साफ हैं, किसीका कोआ निजी स्वार्थ या किसीसे द्वेष नहीं है। भगवान होने भी न दे। मुझे वहां (गुजरातमें) आनेमें समय लगेगा। शरीरके जोड़ सब दुखते हैं। कमजोरी खूब है। और अब तो अखिल भारतीय कार्य बहुत बढ़ चला है।

“किसानोंका तो श्रीश्वर करेगा तो सब ठीक हो जायगा। मेरा और आपका काम इस समय किसानोंकी राहतमें और अुनके दुःखमें भाग लेना है।”

अुपरोक्त पत्रमें सरदारने जो आशाओं वतायी थीं, अुनमें सन् १९३५ के सारे वर्ष कुछ न कुछ वाधाओं पड़ती रहीं। डॉ० चंद्रभायी, दरवार साहब तथा श्री मोरारजीभायीको अलग अलग कारणोंसे थोड़ी बहुत मात्रामें असंतोष रहा। अुसे दूर करनेकी सरदारने खूब कोशिशें कीं। अन्तमें अुन्हें यह लगा कि अुनका समितिके अध्यक्षपदसे हट जाना ही शायद गुजरातके लिये श्रेयस्कर होगा। ता० ९-१-३५ को अुन्होंने दरवार साहबको लिखा :

“आपको जो दुःख हो रहा है अुससे ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। मुझे इस बातका बड़ा दुःख है कि आपके काममें सहायक होनेके वजाय मैं बाधक बन गया। इस वार मेरा वहां आना आपके लिये सुखद होनेके स्थान पर दुःखद हो गया, इसका मुझे बहुत ही दुःख है। मुझे इस बातका अफसोस हो रहा है कि मैं आपकी परेशानियोंमें वृद्धि कर गया। . . .आपका मेरे प्रति रोष है या आपका यह खयाल है कि मैं आपके साथ अन्याय कर रहा हूं। यह तो आप समझेंगे ही नहीं कि मैं जानबूझ कर अन्याय कर रहा हूं। हां, मुझमें अितनी खामी अवश्य होनी चाहिये कि मैं आपके मनका समाधान नहीं कर सका। दुःख न मानिये। शुद्ध नीयत सन्देह या अविश्वासको भुला देगी।”

ता० ११-१-३५ को फिर लिखा :

“समितिके मैं इस वार न रहा होता तो संभव है यह नीयत न आती। परन्तु मुझे इस बातका दुःख है कि मैं अुससे मुक्त न हो सका। अवसर मिलते ही मैं इस ढंगसे रास्ता ढूढ़ लूंगा कि सार्वजनिक रूपमें चर्चा न हो और समितिको नुकसान न हो।”

श्री मोरारजीभायीको ता० ७-११-३५ को बम्बईसे लिखा :

“मुझे इसका दुःख हुआ कि आप मुझे पहचान न सके। देख रहा हूं कि मैं अपने साथियोंका विश्वास संपादन करनेमें असफल

रहा। जिसमें आपका क्या कसूर निकालूं? अपना निश्चय तो मैंने आपको वता ही दिया है। मैं जिस ढंगसे हट जाऊंगा कि गुजरातके कामको हानि न पहुंचे। उसकी आपको जो तैयारी करनी हो कर लीजिये। मेरे चले जानेसे कोसी कमी न आयेगी। मैंने कभी यह समझा ही नहीं कि मेरा अपना कोसी महत्त्व है। फिर भी यदि कुछ होगा तो उसका अपुयोग गुजरातके कामको नुकसान पहुंचानेमें नहीं होगा। मेरा खयाल है कि मेरे अलग हुअे बिना मेरी असली पहचान होना असंभव है। आज आपको कोसी सन्देह या अविश्वास हो तो वह तभी दूर होगा, उसके बिना नहीं।”

ता० १७-१२-'३५ को डॉ० चंद्रलालको लिखा :

“गुजरातके सार्वजनिक जीवनमें विप पैदा हो जानेसे मेरा मन खिन्न हो गया है। उसमें मेरी जो दिलचस्पी थी, वह अब रहेगी ऐसा नहीं दीखता। कुटुम्बकी भावना और परस्पर विश्वास न हो तो मिलकर काम करनेमें आनन्द नहीं आता। जहां केवल सेवाभाव हो और किसी प्रकारका स्वार्थ या मोह न हो, वहां अितना ज्यादा जहर पैदा होना संभव नहीं। मेरी आंखोंके आगेसे परदा हट गया है। मैंने देख लिया कि मुझे गुजरातसे हट जाना चाहिये। सब अपना-अपना मार्ग ढूंढने लगेंगे तो सबको पता चल जायगा और मेरे प्रति रहा मिथ्या सन्देह और अविश्वास दूर हो जायगा। जिसके सिवा मुझे और कोसी अुपाय नहीं सूझता। अफसोस सिर्फ यही है कि हमारा सारा वातावरण खूब कलुपित हो जायगा और सब अेक-दूसरेको अविश्वाससे देखने लगेंगे। सबको अेकत्र करनेका मेरा प्रयत्न असफल रहा, जिसका मुझे अफसोस है। मेरे रहनेसे गुजरातका वातावरण अवरुद्ध होता हो तो मेरा धर्म है कि मुझे रास्ता खोल देना चाहिये।”

ता० ३१-१२-'३५ को श्री दिनकरराय देसाजीको लिखा :

“मैंने बहुत वर्ष तक गुजरातकी भरसक सेवा की। समितिमें पद पर रहनेसे अनजाने भी ट्रेप और गलतफहमी पैदा होना संभव है। सब जगह ऐसा होता आया है। जिसलिये मुझे लगता है कि मैं अलग हट जाऊं तो ही सरलता होगी। और किसी अुपायसे मेरे सम्बन्धमें अुत्पन्न हुई गलतफहमी दूर नहीं हो सकती। इसी तरह मैं (अहमदावाद) म्युनिसिपैलिटीको छोड़कर चला गया था। जिसलिये आज मैं उसकी अधिक सेवा कर सकता हूं। मैं छोड़नेवाला तो था ही। केवल चंद्रभाजीका मार्ग सरल बनाकर अुन्हें अधिकसे अधिक

सहयोग मिले अिस बुद्देश्यसे ही काम कर रहा था। परन्तु किसी भी कारणसे वे अुल्टा समझ बैठे, जिसका परिणाम हमने देख लिया। अिस परिस्थितिमें से मार्ग निकालना है। गाय जिये और रत्न निकले, अैसा अुपाय करना होगा। अिसमें मेरी भूल होती हो तो मुझे साफ साफ वात कहनेमें जरा भी संकोच न रखना।”

परन्तु यह सारा सन्देह और अविश्वास अूपर-अूपरसे ही था। अिसमें गहरी कोअी वात नहीं थी। सबके दिल साफ थे। अंग्रेजीकी अेक कहावतके अनुसार यह ‘चायके प्यालेमें तूफान’ जैसा था। १९३५ का सारा वर्ष और १९३६ का अधिकांश हमारे राजनैतिक जीवनकी दृष्टिसे मंदीका समय था। अुसमें तेजी आने और रायको काफी काम मिल जाने पर सारे छोटे-छोटे झगड़े मिट गये। यह तो सभी मानते थे कि सरदार प्रान्तीय समितिका अध्यक्षपद छोड़ दें तो गाड़ी नहीं चलेगी। तथापि छोटी छोटी बातोंमें सरदारको सत्तानेका कारण अुपस्थित हो जाता था। और बाहरके कामोंका भार भी अुन पर बहुत ज्यादा रहना था। गुजरातमें अुनका रहना बहुत कम होता था। अिन्हीं कारणोंसे गुजरात प्रान्तीय कांग्रेसकी अध्यक्षता छोड़ देनेकी वात अुनके जीमें आ गयी थी। परन्तु थोड़े ही समयमें सब कुछ ठीक हो गया और वे अध्यक्षपद पर बने रहे।

१९३४ में हमारे देशमें समाजवादी दलकी स्थापना हुई। स्वाभाविक ही गुजरातमें भी युवकवर्ग अुसकी ओर आकर्षित हुआ। अुस दलकी विचारसरणी और कार्यपद्धतिसे सरदार कभी सहमत न हो सके। गुजरातमें अिस दलमें शरीक होनेवालोंमें कुछ अुन्हींके पुराने साथी और विद्यापीठके विद्यार्थी थे। अुन्हें लगा कि अिन लोगोंको अुचित चेतावनी दी जाय। अिसलिये ता० २५-८-३४ को अिस दलके तत्कालीन गुजरातके नेता भाअी रोहित महेताको लम्बा पत्र लिखकर अुन्हें अपना रवैया अच्छी तरह समझाया :

“... आप पंडित जवाहरलालकी सलाह या सम्मतिके बारेमें जो कुछ लिखते हैं अुसके बारेमें मैं कुछ नहीं जानता। जिस दंगसे समाजवादी दल काम कर रहा है अुसे जवाहरलाल पसंद करेंगे, यह मैं बिलकुल नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यह दल जवाहरलालके नामका दुरुपयोग कर रहा है। यह वात मैंने छिपायी नहीं है। सार्वजनिक रूपमें कही है। श्री जयप्रकाश और श्री मसानीको भी यह वात बता दी है।

*

*

*

“मैं मानता हूँ कि जवाहरलालको यदि ऐसा दल बनाना होता तो वे कांग्रेसके मंत्रीपदसे अिस्तीफा दे देने और कार्यसमितिसे अलग हो जाते। जब तक वे यह पद छोड़ नहीं देते, तब तक मैं मानता हूँ कि वे कांग्रेसकी ऑफिशियल नीतिका ही समर्थन करेंगे।

“जब मुझे यह कहा गया कि सोशलिस्टोंका अिरादा अहमदावाद नगर कांग्रेस पर कब्जा करनेका है तब मैं चौंका जहूर था, क्योंकि अिसका अर्थ यह होता कि अहमदावाद शहर समाजवादी विचारोंका हो गया है। अितना बड़ा परिवर्तन मेरी अड़ाअी वर्षकी गैरहाजिरीमें हो जाय, यह मुझे अेक चमत्कार या स्वप्न जैसा लगा। लोग समाजवादी बन गये हों तो मुझे अुस प्रवाहमें कोअी गड़बड़ पैदा नहीं करनी है। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रामाणिक मतभेद नहीं होंगे। प्रामाणिक मतभेदको मैं पसंद करता हूँ। परन्तु पाखंडका मैं कट्टर शत्रु हूँ। अिसका यह अर्थ नहीं कि समाजवादी दलमें पाखंड अधिक है। हरअेक दलमें पाखंडी मनुष्य होते हैं। अिसमें दलका दोष नहीं होता। परन्तु यह अनुभवसिद्ध बात है कि दल बनानेवाले भले-बुरेका विचार भूलकर दलका ही समर्थन करते हैं।

“समाजवादकी व्याख्याके वारेमें सारे समाजवादी अेकमत नहीं हैं। भिन्न भिन्न लोग अुसका भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। ब्राह्मणोंमें चौरासी जातियां हैं, जब कि समाजवादी पचासी जातियोंके मालूम होते हैं। अिसलिये अैसे समाजवादके वारेमें राय देना कठिन है। मुझे समाजवादियोंके साथ झगड़ेमें नहीं पड़ना है। भविष्यमें भारतका राज्य-तंत्र और समाज-व्यवस्था कैसी होनी चाहिये, अिसके झगड़ेमें पड़कर मैं मौजूदा कामका धर्म छोड़ना नहीं चाहता। यदि आजका धर्म हम पालेंगे तो कलकी समस्या अपने-आप हल हो जायगी। परन्तु कल जो करना है अुसका निर्णय करनेमें झगड़ा करके आजका धर्म छोड़ देंगे तो किसी भी दलका कल्याण नहीं होगा।

“मैं समाजवादी, पूंजीवादी या किसी भी वादीके साथ काम कर सकता हूँ। शर्त अेक ही है कि मुझे कोअी धोखा न दे। मुझे कोअी धोखा देने आवे या मुझे अैसा भय हो तो मैं अुससे दूर ही रहूंगा। पता नहीं गुजरातमें समाजवादी दलमें कौन कौन लोग हैं। कुछ तो केवल वातूनी हैं जिन्हें चर्चाओं करनेका बड़ा शौक है। अुनके साथ मेरा कभी मेल नहीं बैठ सकता। गुजरातके बाहरके समाज-

वादियोंमें कुछ तो बहुत बड़े त्यागी और सेवाभावी मित्र हैं। उनके लिये मुझे बहुत आदर है। जिसलिये आप समझ सकेंगे कि मुझे समाज-वादियोंसे घृणा नहीं है। परंतु समाजवादी कांग्रेसमें जिस ढंगसे काम कर रहे हैं, उसके लिये मेरा कड़ा विरोध है। यह बात मैंने उनसे छिपायी नहीं है। गुजरातके समाजवादियोंके लिये मैंने कोजी राय नहीं बनायी है, क्योंकि अभी तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ, न मैंने उनका काम देखा है। जिसलिये आप जिस विषयमें निर्भय रहें। वहाँ आज़ूगा तब मेरा जो खयाल होगा उसे वतानेमें संकोच नहीं रखूंगा।”

अपुरोक्त तमाम पत्रोंमें सरदारने समाजवादियोंके प्रति जो रुख दिखाया है, लगभग वही रुख उनका अन्त तक कायम रहा था।

गुजरातमें सब जगह दौरा करके किसानोंसे मिलनेको सरदार बहुत ही अत्युक्त थे। परंतु गुजरातका प्रवास वे ठेठ १९३५ के जनवरीमें कर सके। बलसाड़से शुरू करके लगभग दस दिनमें अन्होंने उत्तर गुजरात तक सब जगहोंका प्रवास कर लिया। बलसाड़के किसानोंकी सभामें अन्होंने कहा कि आपके संकटों और यातनाओंकी बात रूबरू सुनने, आपके दुःखोंमें अपनी सहानुभूति प्रगट करने और साय ही दिलासा देने तथा यह देखनेके लिये कि उन कष्टोंको दूर करनेके लिये मुझसे क्या हो सकता है मैं यहाँ आया हूँ। तीन वर्ष पहले उसी जगह उनसे हुआ मुलाकातका भावपूर्ण शब्दोंमें अुल्लेख करके वे बोले :

“मैं आपसे सदा कहा करता था कि मेरे साथ संबंध बांधना कोजी खेल नहीं है। आप मेरा नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो आपको बड़े कठिन मार्ग पर चलना पड़ेगा। उस मार्ग पर आपको चलानेमें मैंने संकोच नहीं किया, क्योंकि हम कष्ट सहन करके ही स्थायी शांति और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। मेरा विश्वास है कि बलिदान और आत्मशुद्धि द्वारा ही हममें शक्ति आती है। परंतु बहादुर आदमियोंका स्वेच्छापूर्वक अुठायी हुआ कष्ट फल देता है, जब कि कायर मनुष्योंका मजबूरन् अुठायी हुआ कष्ट फल नहीं देता। यों तो भारतमें करोड़ों लोग कष्ट सहते हैं और अज्ञानमें मर जाते हैं। परंतु उनके जिस कष्ट-सहनसे न तो उनका ही बोझ हलका होता है और न किसी औरका। सच्चा बलिदान स्वार्थके लिये नहीं, परंतु परमार्थके लिये होता है। उसमें कोजी नफा-नुकसानका हिसाब नहीं होता और न किन्नी बदलेकी आशा होती है। उसमें किसी प्रकारकी निराशा या पछतावेके लिये

भी स्थान नहीं होता । अब आप अपनी जमीनों और घरदारकी आहुति दे देनेके बाद अंतरमें अनुकी लालसा रखेंगे तो आपका त्याग बेकार हो जायगा और उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जायगी । दुनिया आप पर दया करेगी । परंतु आपके अन्तरमें त्यागकी भावना पैदा हुई होगी, तो आपकी वह हानि निरुत्साह करनेके बजाय आपको अंचा अुठायेगी ।”

वलसाइसे बारडोली गये । वहां स्त्री-पुरुषोंकी भारी भीड़ अनुका स्वागत करनेके लिये अुमड़ आयी और जैसी बड़ी सभाओं पहले होती थीं वैसी ही बड़ी सभा अिस वार भी हुई । लोगोंको संबोधन करके अुन्होंने कहा :

“जरा भी अतिशयोक्तिके बिना मैं कह सकता हूं कि मेरे कारावासके दरमियान अेक भी दिन अैसा नहीं गया जब मैंने आपको याद न किया हो और आपकी यातनाओं और तकलीफोंका विचार न किया हो । मुझे कहा गया था कि आपको जो कष्ट सहने पड़े अुनके कारण आप मुझसे नाराज हो गये हैं और मेरा कहा मानने पर आपको पछतावा हो रहा है । अिन बातों पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया । किसीने आपकी बदनामी करनेके लिये अैसी गप्प अुड़ा दी होगी । हजारोंकी संख्यामें आपको यहां अिकट्ठे अुअे देखकर मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि हम शरीरसे भले अेक-दूसरेसे अलग कर दिये जायं, परंतु हमारे हृदयोंको दुनियाकी कोअी ताकत अलग नहीं कर सकेगी । हमारे बीच बंधी हुई स्नेहकी गांठको तोड़नेकी शक्ति किसी सत्तामें नहीं है ।”

वारडोली तालुके और खेड़ा जिलेके जिन गांवोंके लोग घरदार और जमीनों गंवा बैठे थे, अुन्हें ये चीजें वापस दिलानेके वचन सरदारने अिन सभाओंमें नहीं दिये । अुल्टे अुनसे कहा :

“यह सब भूल जाअिये और श्रद्धा रखिये कि हम किसी दिन स्वतंत्र होकर रहेंगे । अुस समय आपने जो कुछ खोया होगा वह सब आपका द्वार खटखटाता अुआ आपके पास वापस आ जायगा । त्यागका बदला त्याग ही है । बदले और मुआवजेके हिसावसे किया गया त्याग त्याग नहीं, परंतु हलके दरजेका व्यापारी सौदा है ।”

अुन्होंने लोगोंसे अुद्यम और स्वावलंबनकी बात कही और यह कहकर अुनके स्वाभिमानको जाग्रत किया कि किमान किसीके आगे याचक बनकर हाथ फैलानेको धिक्कारेगा ।

अिन सब भाषणोंमें मूल वस्तुकी मजबूत पकड़, अीश्वरकी दया पर अटल विश्वास और शत्रुके प्रति भी क्षमावृत्ति टपकती थी। जेलमें गांधीजीके लंबे सहवासमें रहनेसे अुनमें जो परिवर्तन हुआ अुसकी छाप अुनके भाषणोंमें साफ दिखायी देती थी। सभी भाषणोंमें वे कहते थे :

“ भले अिस लड़ाईमें हमें कुछ न मिला हो परंतु हमें आत्माकी शक्तिका भान हुआ है। यह कोअी छोटी मोटी सिद्धि नहीं है।

“ मैं स्वयं तो अनुत्साह या निराशाका कोअी कारण नहीं पाता। हिंसाकी लड़ाइयोंमें भी सिपाहियोंको थकावट तो लगती ही है। अुसी तरह हम थक भले गये हैं परंतु हारे नहीं हैं। हां, हमें अितना पता जरूर चल गया कि हमने जो महान व्यय अपने सामने रखा था अुसे पूरा करनेके लिये हमारे पास काफी ताकत नहीं थी। परंतु जब तक हम अपने आदर्शोंमें अपना विश्वास नहीं खो देते, अपने ध्येयके लिये हमारा अुत्साह मन्द नहीं पड़ता, तब तक हम हारे नहीं कहे जायेंगे। सत्ताधारियोंको भी अितना तो मालूम हो गया है कि हिन्दुस्तानमें हजारों आदमी अैसे मौजूद हैं, जिन्होंने सर्वस्वका त्याग करके स्वराज्य-प्राप्तिको अपने जीवनका ध्येय बनाया है।”

थोड़े ही समय पहले राजनैतिक सुधारों संबंधी जाँअिण्ट पार्लमेण्टरी कमेटीका विवरण प्रकाशित हुआ था। अुसके वारेमें अुन्होंने कहा :

“ अिस छोटे रूपके सरकार संभव हो तो धोखेवाजीसे और जरूरत पड़ने पर जवरदस्ती देश पर थोप देनेकी कोशिश कर रही है। कांग्रेसने अुसके साथ कोअी वास्ता न रखनेका निश्चय किया है, क्योंकि सत्ता छोड़नेका दिखावा करके रूपके पन्द्रह आने सत्ता सरकार विदेशियोंके हाथमें रखती है और वाकीके अेक आनेके लिये अलग-अलग जातियोंको आपसमें लड़ा देती है। कांग्रेसने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके सवालको अलग रखकर अिस झूठे झगड़ेमें फंसनेसे नुद्धिमत्तापूर्वक अिनकार कर दिया है। देशकी रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अधिकार न मिलता हो, हमारे व्यापार-बंधों और अुद्योगोंका विकास करनेकी स्वतंत्रता न मिलती हो, सरकारी नौकरों पर हम कोअी काबू न रख सकते हैं तो अैसे स्वराज्यका कोअी अर्थ नहीं। जो सुधार देनेकी बात कही जाती है अुनमें ये सब चीजें छोड़ देनेका अुद्देश्य स्पष्ट है।”

व्यारा तालुकेमें अुर्मी अरसेमें अेक रानीपरज परिपद् हुआ थी। बड़ीदा राज्यमें अुस समय काय्तकारी-कानून बना था। अुसमें कुछ ऋटियां थीं। ये

त्रुटियां बताकर साहूकारों और किसानोंके परस्पर संबंध कैसे होने चाहिये जिस बारेमें सरदारने जो कुछ कहा वह आज भी ध्यानमें रखनेके लायक है :

“हम ऐसी कोशिश करेंगे जिससे साहूकारों और बड़े किसानोंके साथ अन्याय न हो और साथ ही हमारे अपने हक भी न मारे जायें। अतना विश्वास हम सबको दिलाते हैं कि भले कैसी भी दुर्दशामें हम आ फंसे हों, भले हम पर कितने ही जुल्म हुअे हों, हम किसीके साथ अन्याय नहीं करना चाहते और वैरभावसे काम नहीं लेना चाहते। परंतु अुसीके साथ हम यह भी घोषित कर देते हैं कि हम अपने अधिकार खोना नहीं चाहते। यदि किसीका अिरादा स्थायी रूपमें हम पर ही जीनेका हो तो हम कहते हैं कि हम अुस स्थितिसे निकल जाना चाहते हैं। जो मनुष्य दूसरोंको अपने पर जीने देता है, वह मनुष्य नहीं, पशु है। हमें ऐसी स्थितिसे मुक्त होना है। हमारा कल्याण न राजाके हाथमें है, न साहूकारके हाथमें। हमारा कल्याण अपने ही हाथमें है। आप यदि अपनी जमीनसे ही अपनी खुराक पैदा कर लें और जीवनकी अन्य आवश्यकताओं भी खुद ही अुत्पन्न कर लें, तो आप दुनियामें सबसे सुखी हो सकते हैं। गांधीजीने आपको जो सन्देश भेजा है अुसमें वे कहते हैं कि शहरों पर गांवोंका आधार नहीं, परंतु गांवों पर शहरोंका आधार है। अिसी प्रकार साहूकारों पर आपका आधार नहीं, परंतु आप पर साहूकारोंका आधार है।”

अब जरा हम अुस समयकी राजनैतिक परिस्थितिका विहंगावलोकन कर लें। कांग्रेसने सविनय कानून-भंगकी लड़ाजी वापस ले ली थी, परंतु अिससे सरकारको अपना दमन जारी रखनेमें प्रोत्साहन ही मिला। कांग्रेसके अिस कदमको सरकार शंकाकी दृष्टिसे ही देखती थी और कांग्रेसको अपना दुश्मन समझती थी। जॉइंट पार्लमेण्टरी कमेटीकी रिपोर्टकी केवल कांग्रेसने ही नहीं परंतु सारे देशने निन्दा की थी। अिससे सरकार और भी क्रुद्ध हुआ। पुलिसने कानूनके अनुसार शांतिपूर्वक काम करनेवाले कांग्रेसियोंको सताना जारी रखा। गुजरातमें बरसोंसे काम कर रहे कितने ही कार्यकर्ताओंको विदेशियों संबंधी कानूनके मातहत काठियावाड़में बन्द करके ब्रिटिश हदमें आनेकी मनाही कर दी गयी। अिनमें गुजरात प्रान्तीय कांग्रेसके मंत्री श्री मणिलाल कोटारी मुख्य थे। अुन्हें अपने स्वास्थ्यकी जांच कराने अहमदावाद आना था। अिसके लिये भी अुन्हें आनेकी अिजाजत नहीं मिली। अिडियन कंसोलियेशन ग्रुपके मि० कार्ल हीयने गांधीजीको पत्र लिखा था कि अब

भारतमें दमन विलकुल नहीं रहा। जिसके जवाबमें दिसंबर १९३४ में गांधीजीने जो कुछ लिखा था वह ध्यान देने लायक है :

“ मैं आपसे अतना ही कहूंगा कि कोअी भी मनुष्य खुली आंखों देख सके, असा दमन अिस समय चल रहा है। खास तीर पर जारी किये गये अत्याचारी कानूनोंमें से अेक भी वापस नहीं लिया गया है। अखवारोंके मुंह जवरन् वन्द कर दिये गये हैं। अखवारों संवंधी कानूनका अमल किस तरह किया गया है, अिसका अेक वयान ४ सितंबर, १९३४ को बड़ी धारासभामें सरकारकी तरफसे दिया गया था। अुसमें बताया गया था कि ‘ १९३० से लेकर अब तक ५०४ अखवारोंसे जमानतें मांगी गयीं, जिनमें से जमानत न दे सकनेके कारण ३५० अखवार वंद कर देने पड़े और १६० अखवारोंने कुल अढ़ाअी लाख रुपये जमानतके दिये।’ बंगाल और सीमाप्रान्त दोनोंमें कोअी आजादीके साथ घूम-फिर नहीं सकता। * ”

“ आप लाठियोंके हमलों और जेलकी गिरफ्तारियोंकी बात न मुन रहे हों, तो अिसका कारण अितना ही है कि सविनय कानून-भंगकी लड़ाअी स्थगित कर दी गयी है और कांग्रेस जहां तक हो सके दमनकारी कानूनोंको वर्दाशित कर रही है। अिन सबके अूपर पार्लमेण्टरी कमेटीकी नये विधान संवंधी तजवीजें आयी हैं, जिन्हें पढ़कर मेरा खयाल बना है कि अुनमें स्वतंत्रताका खुला अिनकार किया गया है। हमारे विकासके लिअे अुनमें कोअी गुंजाअिश नहीं है। अुस विधानसे हम पर जो कुचल डालनेवाला भार पड़ता है और ब्रिटिश हुकूमतका पंजा मजबूत होता है, अुसकी अपेक्षा तो मैं अभी जो वैधानिक स्थिति है अुसे ही ज्यादा पसन्द करूंगा। ”

अिस वर्षमें सम्राट् जॉर्जके राज्यका रजत-महोत्सव आ रहा था और अुसे बड़े ठाठसे मनानेका सरकारने निश्चय किया था। कांग्रेसका सम्राट् जॉर्जसे कोअी निजी विरोध नहीं था। परंतु अुनके राज्यमें जिस समय भारत-

* ता० २३ जुलाअी, १९३४ को भारत-सरकारके गृहसचिव सर हेरी हेगने बड़ी धारासभामें बताया था कि जेलों और नजरबंद छावनियों (डिटैन्स कैम्प्स)में बिना सजावाले नजरबन्द कैदियोंकी कुल संख्या २१०० है। ता० १७-१२-३४ को कलकत्ता हाअीकोर्टने बिना लाअिसेंस हथियार रखनेके जुर्ममें अेक आदमीको नौ सालकी सख्त सजा दी थी। अभियुक्तके पास अेक रिवातवर और छः कारतूस मिले थे।

वासियों पर अितना जुल्म हो रहा था उस समय कांग्रेसी अथवा अन्य लोग जिस अुत्सवमें भाग लें, यह कांग्रेसको अुचित नहीं लगता था। जिसलिये कांग्रेस कार्यसमितिके देशको सलाह दी कि जिस समयकी परिस्थितिको देखते हुअे कोअी अुत्सवमें भाग न लें और उसके संबंधमें होनेवाले समारोहोंमें शरीक न हों। साथ ही यह भी सूचना दी कि हमें सम्राट्का अपमान नहीं करना है, जिसलिये लोग समारोहोंमें अनुपस्थित रहनेके सिवा कोअी विरोधी आन्दोलन या विरोधी प्रदर्शन न करें।

जिस वर्षका अेक और महत्त्वपूर्ण कार्य यह माना जायगा कि ब्रिटिश प्रवानमंत्रीके साम्प्रदायिक निर्णयने अलग अलग जातियोंके बीच अीर्षा-ट्रेपके जो बीज बोये थे, अुन्हें मिटाकर साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करनेके लिये राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रवावूने जनाव जिन्नाके साथ लंबी बातचीत की। ता० २३-१-३५ से १-३-३५ तक लगभग सवा महीने यह बातचीत चली। परंतु उसका कोअी फल नहीं निकला। जिससे देशमें निराशाकी भावना छा गयी।

जनवरी १९३४ में बिहारमें भूकम्प हुआ था। अुसके १६ महीने बाद अर्थात् ३१ मअी, १९३५ को क्वेटामें भयंकर भूकम्प हुआ। बिहारमें पीडित लोगोंको राहत पहुंचानेके लिये कांग्रेसने जो काम किया था, उसका लोगों पर अच्छा असर पड़ा था। परंतु सरकारको तो लोगोंके सामने कांग्रेसका नाम आने ही नहीं देना था, जिसलिये यह बहाना बना कर कि क्वेटा फौजी छावनी है और सैनिकोंकी सहायतासे कण्ट-निवारणका कार्य हो रहा है, किसी भी कांग्रेसीको वहां राहतके लिये जाने नहीं दिया। राष्ट्रपति राजेन्द्रवावूने, जिन्हें बिहार भूकम्पके कण्ट-निवारण कार्यका ताजा ही अनुभव था, और गांधीजीने वहां जानेकी मांग की, लेकिन अुन्हें भी जानेकी अिजाजत नहीं दी गयी। कांग्रेसकी तरफसे क्वेटाकी राहतके लिये बहुत बड़ा कोप जमा किया गया था, परंतु वहांसे जो कुटुम्ब पामाल होकर सिन्ध, सीमा-प्रान्त अथवा पंजाबमें आ गये थे अुन्हींको सहायता देनेके काममें जिस कोपका अुपयोग किया जा सका। भूकम्पमें जो लोग मर गये थे और जिन लोगोंको घरवार वरनाद हो जानेके कारण भारतमें आ जाना पड़ा था, अुनके प्रति सहानुभूति प्रगट करने और अीश्वरसे प्रार्थना करनेके लिये ३० जूनका दिन समस्त भारतमें 'क्वेटा दिवस' के तौर पर मनाया गया।

अैसी परिस्थितियोंमें हिन्दुस्तानके शासन-विधानमें सुधार करनेवाला कानून ब्रिटिश पार्लियामेण्टमें गवर्नमेण्ट ऑफ अिंडिया अेक्टके रूपमें पास हुआ और २ जुलाअी, १९३५ को अुस पर सम्राट्की मुहर लगी। जिस कानूनको

पास करनेमें सर सेम्युअल होरने प्रमुख भाग लिया था। चर्चिलने अुसका अिन शब्दोंमें विरोध किया था कि यह कानून पास करके ब्रिटिश जाति आत्म-समर्पण स्वीकार करती है। अिस प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेण्टमें अिन कानून पर आपसमें बड़े झगड़े हुअे थे। अेक दलका खयाल था कि हमें जितना देना चाहिये अुससे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जब कि दूसरे दलको लगता था कि हिन्दुस्तानके लोगोंको खुश करनेके लिये जितना दिया जा रहा है अुससे अधिक देनेकी जरूरत है। यह दूसरा दल भारतीय नेताओंसे कहता था कि हम अपने ही दलके आदमियोंसे अितना लड़-झगड़ कर शासन-विधानमें यथाशक्ति अधिक सुधार करानेके लिये खून-पसीना अेक कर रहे हैं, परंतु जब कांग्रेस अिन सुधारोंको ठुकरा देनेकी बात करती है तब हमारी क्या स्थिति रह जायगी? कांग्रेसका यह कहना था कि अिस विधानमें जो संरक्षण रखे गये हैं और गवर्नर जनरल तथा प्रान्तीय गवर्नरोंको जो अधिकार दिये गये हैं, अुनसे तो ये सुधार अेक बड़ा मजाक बन जाते हैं। सर सेम्युअल होरका कहना था कि जैसे हमारे यहां राजाके पास विधानकी हस्ते अैसे विशेषाधिकार होते हैं, परंतु वह अुनका अुपयोग नहीं करता, वैसे ही आप भी सुधारोंका अमल सीधे ढंगसे और विवेकपूर्वक करेंगे और स्वराज्य चलानेकी योग्यता सिद्ध करके दिखा देंगे तो विशेषाधिकारों और संरक्षणोंकी शर्तें काममें नहीं लायी जायंगी। परंतु भारतीय राजनीतिज्ञोंका अनुभव दूसरा ही था। अिंग्लैण्डमें वहांके लोगोंका राज्य था, जब कि यहां विदेशी राज्य था। मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारोंमें जो विशेषाधिकार सरकारके पास थे, अुनका अुपयोग सरकारने छोटी छोटी बातोंमें भी काफी किया था।* अिसलिये यह किसी तरह नहीं माना जा सकता कि ये विशेषाधिकार ब्रिटिश राजाके विशेषाधिकारों जैसे हैं। अब तक अेक तरफसे दमन और दूसरी तरफसे राजनैतिक सुधारकी नीति अग्नितयार की जाती थी; वैसे ही अिस बार भी हुआ। अिसलिये अिन सुधारोंसे देशमें जरा भी अुत्साह पैदा नहीं हुआ।

* गवर्नमेण्ट ऑफ अिडिया अेक्ट पास हो जानेके बाद भी जनताकी स्वतंत्रताका दमन करनेवाले अनेक कानूनोंकी मियाद दुबारा बढ़ायी गयी थी। अुनमें से मुख्य था 'क्रिमिनल लॉ अेमेंडमेंट अेक्ट', जो सारे भारतमें लागू कर दिया गया था। यह अेक्ट बड़ी धारासभामें १९३५ में नामंजूर कर दिया गया था, परंतु गवर्नर जनरलने प्रमाणपत्र देकर अुसे जारी कर दिया था। बहुतसे प्रान्तोंने भी अैसे कानून बनाये थे।

अिस साल कांग्रेसके पचास वर्ष पूरे हो रहे थे । अिसलिये कांग्रेसके कार्यसमितिये तय किया कि कांग्रेसकी स्वर्ण-जयंती तंवजीमें, जहां कांग्रेसका पहला अधिवेशन हुआ था, वड़े शानदार ढंगसे मनाजी जाय । यह भी तय किया गया कि कांग्रेसके अितिहासकी अेक बड़ी पुस्तक तैयार कराजी जाय, राष्ठीय प्रश्नों पर छोटी छोटी पुस्तिकाओं तैयार कराकर प्रकाशित कराजी जाय और लोगोंको कांग्रेसके कामके बारेमें शिक्षा दी जाय । ये काम बड़ी सफलतासे पूरे किये गये ।

अिस वर्षकी कुछ और घटनाओंका अुल्लेख करके यह अध्याय समाप्त करेंगे । मजी मासमें गुजरातके अेक पुराने कार्यकर्ता श्री मोहनलाल पंड्या गुजर गये । सरदारने अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया अुसके पहलेसे वे राजनैतिक काममें लगे हुअे थे और जबसे गांधीजी गुजरातमें आकर वसे तभीसे अुनके नेतृत्वमें काम करते थे । सरदारके साथ अुनका पुराना परिचय था, अिसलिये अुनके जानेसे सरदारको बड़ा आघात लगा । अुनके बारेमें गांधीजीको पत्र लिखते हुअे सरदारने लिखा था कि पंड्याजीके चले जानेसे मेरे तो पंख कट गये हैं ।

१९३५ के सारे वर्ष सरदार बहुत वीमार रहे । अुन्हें नाककी वीमारीके कारण और ऑपरेशन करानेकी जरूरत होनेसे छोड़ दिया गया था । बाहर आनेके बाद कामकी भीड़के कारण ऑपरेशन नहीं कराया जा सका । साधारण अुपचारोंसे वे काम चलाते रहे । जून १९३५ में अुन्हें बड़े जोरका पीलिया हो गया और अुसके कारण बहुत अशक्ति आ गजी । पीलियाकी वीमारी लगभग अेक महीने रही, परंतु अिस बीच शायद ही चार-पांच दिन काम या सफरके बिना बीते होंगे । अिसके सिवा, नवम्बरमें अुनका घवासीरका दर्द बढ़ गया और अुसका ऑपरेशन कराना पड़ा । अुसमें लगभग पंद्रह दिन अस्पतालमें रहे ।

अेक बार भारत-सरकारके गृहमंत्री सर हेनरी क्रेकने श्री घनश्यामदास विड़लासे बातें करते हुअे सरदारके बारेमें बात छोड़ी । अुस परसे श्री विड़लाने गृहमंत्रीकी और सरदारकी मुलाकात करानेके लिये दोनोंको अपने यहां ता० ६-२-३५ को चायका आमंत्रण दिया । गृहमंत्रीने अंग्रेज लोगोंकी नेकनीयतीके बारेमें और अिस बारेमें बात की कि वे हिन्दुस्तानको सचमुच दायित्वपूर्ण शासन देना चाहते हैं । सरदारने बताया कि हमें तो अंग्रेजोंकी अिस नेकनीयतीका कोजी चिह्न दिखाजी नहीं देता । अभी तक हमारे तमाम आश्रम और विद्यालय सरकारके कब्जेमें ही हैं । अुनके मकानोंकी कोजी देखभाल नहीं रखी जाती । अितना ही नहीं, अुनका विगाड़ किया जा रहा

है। कितने ही लोगोंको ब्रिटिश अिलालकेमें संपत्ति होते हुअे भी अगर देशी-राज्योंमें संपत्ति हो तो देशीराज्योंमें निर्वासित कर दिया जाता है और ब्रिटिश सीमामें आने नहीं दिया जाता। अुन्होंने अपनी प्रान्तीय कांग्रेसके मंत्री श्री मणिलाल कोठारी और गांधीजीके सावरमती आश्रमके मंत्री श्री छगनलाल जोशीके अुदाहरण दिये। अब्दुल गफफारखांको हालमें ही बहुत बेहूदा ढंग पर सजा दी गयी थी, अुसका भी वर्णन किया। यह भी कहा कि अिन सुधारोंकी अपेक्षा तो पुराना विधान ही जारी रहे तो हर्ज नहीं। गृहमंत्रोंने कहा कि यह सब आप लिखकर दीजिये। अिस पर सरदारने दूसरे दिन अेक छोटसा नोट लिख भेजा।

वाअिसरायँ लार्ड विल्लिंगडन तो गांधीजी या और किसी कांग्रेसी नेतासे मिलना ही नहीं चाहते थे। अितने पर भी वंअीके गवर्नर सर रॉजर लमलीने वाहर कोअी जान न सके अितने गुप्त ढंगसे सरदारसे ता० २०-८-३५ को मुलाकात की। यह अेक महत्त्वपूर्ण घटना थी। अुस मुलाकातमें और तो अनेक बातें हुअी होंगी, परंतु दो बातें खास तीर पर सामने आती हैं। सर रॉजरने कहा, अिसमें मुझे शंका नहीं कि नये सुधारोंके अमलमें आप अिस प्रान्तके प्रधानमंत्री होंगे। अिसके जवाबमें सरदारने कहा कि मैं आपको लिख देता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। मुलाकातमें सरदार किसानोंकी जव्त करके बेच दी गयी जमीनोंके बारेमें बात न करें, यह तो ही ही नहीं सकता था। गवर्नरने वड़ा जोर देकर कहा था कि अब आपको वह जमीनें वापस मिलनेकी आशा रखनी ही नहीं चाहिये। अिसके अुत्तरमें सरदारने कहा था कि मैं आपको लिख देता हूँ कि हमारे किसानोंकी जमीनें अुनका दरवाजा खटखटाती हुअी वापस आये बिना नहीं रहेंगी।

नवम्बर १९३५ में भड़ौचमें तीसरी स्थानीय स्वराज्य परिपद् हुअी। सरदार अुसके अध्यक्ष थे। जब १९२८ में सूरतमें पहली स्थानीय स्वराज्य परिपद् हुअी थी, तब अैसी परिपदोंकी अुपयोगिताके बारेमें अुन्होंने अविश्वास प्रगट किया था। अिस परिपद्में भी अुन्होंने कहा कि :

“स्थानीय स्वराज्य विभागके मंत्री प्रान्तकी परिपद्के स्थायी अध्यक्ष होते हुअे भी यदि अपने अधीन विषयोंसे संदंध रखनेवाले अेक भी प्रस्ताव पर अमल करा सकने लायक अंतर सरकार पर नहीं डाल सकें, तो अैसी परिपदें करनेसे क्या लाभ होगा, यह हमें सोचना चाहिये।

*

*

*

“माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारोंके अमलके बाद हमारे प्रान्तमें स्थानीय स्वराज्य संस्थाओंकी प्रगति रुक गयी है और विकास होनेके वजाय अुनका श्वास अवरुद्ध होता जा रहा है। जवसे यह विभाग लोकप्रिय मंत्रीके सुपुर्द किया गया, तभीसे अुनको ग्रहण लग गया है और तभीसे अुनका तेज दिनोंदिन क्षीण होता जा रहा है। अिन संस्थाओंकी जिम्मेदारीसे सरकारके मुक्त हो जानेके कारण स्थानीय अधिकारी अुनके काममें सहायक होनेके वजाय कअी जगह बाधक होते मालूम हो रहे हैं। कअी वर्षसे अिन संस्थाओंको मिलने-वाली आर्थिक सहायता बन्द कर दी गयी है। अुनकी आमदनीके अुचित साधनों पर आक्रमण किया गया है; और जिन करोंको लगानेकी अनुमति अिन्हें मिलनी चाहिये अुन्हें लगानेकी अनुमति देनेका अिनकार करके बादमें वे ही कर सरकारने खुद लगाकर अपनी आयमें वृद्धि की है।”

अिसके बाद अनेक दलीलें और अुदाहरण देकर कारगर ढंगसे यह साबित कर दिया कि सरकारकी नीति कितनी अन्यायपूर्ण है और सरकारने किस तरह लाज-मर्यादा छोड़कर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओंको तंग करना शुरू कर दिया है, और कहा :

“सरकारकी नीतिका अिस प्रकार पृथक्करण करनेमें मुझे आनंद नहीं आता। मैं आजकल अन्तर्दृष्टि रखने और खुद अपना ही धर्म सोचनेमें विश्वास रखता हूं। परंतु जब आपने मुझे अिस परिषद्का अध्यक्षपद दिया, तब यदि मैं अिन सब विषयों पर चुप्पी साध लूं तो अिन संस्थाओंके प्रति और अुनमें निःस्वार्थ भावसे सेवा करनेवाले अनेक लोकसेवकोंके प्रति अन्याय होगा। अिसलिअे अिन सब बातोंका अुल्लेख मुझे मजबूरन् करना पड़ा है।”

अुपसंहार करते हुअे अुन्होंने कहा :

“हमें अनेक कठिनाअियोंके बीच काम करना पड़ता है। अिसलिअे निराश होनेके वजाय अपनी कमजोरियां दूर करके और अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करके स्वाश्रयी बननेके मजबूत प्रयत्न करना ही हमारे लिअे अुत्तम मार्ग है। सरकारकी सहायताकी आशा रखना बेकार है। अुसके पास अपनी हुकूमत चलानेके लिअे ही रुपया नहीं है; अब नये सुधारोंके नाम पर वह हुकूमत और भी महंगी हो जायगी, जिसके सिलसिलेमें होनेवाला अतिरिक्त भारी खर्च लोगोंको ही अुठाना पड़ेगा। सरकारके फिजूलखर्चीवाले शासन पर नियंत्रण रखनेकी

हमारे पास सत्ता नहीं है। जिसलिये जो भी टूटे-फूटे साधन हमारे पास हों उनका भरसक उपयोग करके हमें लोगोंको ज्यादासे ज्यादा फायदा पहुंचानेकी कोशिश करनी चाहिये।

“हमारा मार्ग कठिन है। अके ओर सरकारकी सहानुभूति नहीं है। कमजोर मंत्रियोंके राज्यमें अिन संस्थाओंका कोअी मालिक नहीं है। छोटे-बड़े कर्मचारी अिनके प्रबंधमें बाधक बनते हैं। दूसरी ओर जनता सदियोंसे अज्ञान और आलस्यमें फंसी हुअी है। देहातके लोगोंकी शौचादि क्रियाओंमें भी लगभग पशुओंकी-सी हालत है। अैसी स्थितिमें आरोग्यके नियमोंका पालन कराना कितना कठिन है? हमारी अिन परिस्थितिमें गांधीजी और अुनके साथी दूसरा काम छोड़ कर वर्षाके पास अेक गांवमें कितने ही महीनोंसे वहांके अज्ञान और जड़वत् निवासियोंका मलमूत्र अुठाकर अुन्हें शौचादि नियमोंका पालन करने और मलमूत्रका अुपयोग करनेका कठिन काम सिखा रहे हैं। गांवोंकी छोटीमोटी साधनहीन संस्थाओंके लिये यह अेक अमूल्य अुदाहरण है। म्युनिसिपैलिटी और लोकल बोर्डके सदस्योंकी जगह पर मान-सम्मान या स्वार्थ-साधनकी आशासे जाना पाप है। वह सेवाधर्मका स्थान है। गरीब और अज्ञान करदाताओंके धनकी व्यवस्थाके ट्रस्टी बनना भारी जिम्मेदारीका काम है। भगवान आपको वह जिम्मेदारी पूरी करनेकी बुद्धि और शक्ति प्रदान करे।”

गुजरातका हरिजनकोष, लखनभू कांग्रेस और प्रान्तीय धारासभाओंके चुनावकी तैयारियां

सन् १९३३-३४ की गांधीजीकी हरिजन-यात्राके दौरानमें गुजरातमें जो हरिजनकोष अकेल हुआ था वह खर्च हो गया था और काम तो सुन्दर हो ही रहा था। उसके लिये श्री परीक्षितलाल मजमुदार गांधीजीको लिखते रहते थे। इसलिये जनवरी १९३६ के आरंभमें हरिजनकोषके लिये चंदा अिकट्टा करनेको गांधीजीने गुजरातमें आनेका निश्चय किया। सरदार वम्बडीसे अहमदाबाद आ पहुंचे। गांधीजी वधासे सीधे अहमदाबाद आनेवाले थे। परंतु अेक दिन पहले महादेवभाडीका सरदारके नाम तार आया कि वापूका ब्लड प्रेशर (खूनका दबाव) बहुत बढ़ गया है, इसलिये डॉक्टर अुन्हें सफर करनेसे मना कर रहे हैं। सरदारने तुरंत ही गांधीजीको जवाब दिया कि आप हरिजनकोषकी चिन्ता न कीजिये। अब उसके लिये आपको गुजरातमें आनेकी जरूरत नहीं। परीक्षितलालको जितने रुपयोंकी आवश्यकता होगी अुतने जमा करके मैं दो-तीन दिनमें ही वधा आ रहा हूं। परीक्षितलालका अेक वर्षके खर्चका अंदाज कोअी तीस हजार रुपयोंका था। सरदार अितनी रकम अहमदाबादसे दो दिनमें जमा कर लेना चाहते थे। वम्बडीके भी कुछ मित्रोंने सहायता दी और दो दिनमें अुनचास हजार रुपये जमा हो गये। अुनमें से थोड़े बहुत वसूल करने बाकी रह गये, अतः अुनकी सूची भाडी परीक्षितलालको सौंपकर सरदार वधाके लिये रवाना हो गये। गांधीजीका ब्लड प्रेशर जरा कम हुआ कि अुन्हें वम्बडी ले आये। वहां डॉक्टरोंसे अुनकी पूरी तरह जांच कराडी और आरामके लिये अुन्हें २२ जनवरीको अहमदाबाद गुजरात विद्यापीठमें ले आये। सरदार भी अुनके साथ ही विद्यापीठमें रहे और अुन्हें पूरी तरह आराम मिले इसके लिये अुनके चौकीदार बने। पूरे अेक महीने विद्यापीठमें रहकर गांधीजीका ब्लड प्रेशर १५०/९० हो गया और अुनका वजन जितना साधारण रहता था अुतना अर्थात् ११२ पौंड हो गया, तब १९ फरवरीको सरदारने अुन्हें वधा जाने दिया। परंतु वधाका लंबा सफर अेकसाथ न करानेके अुद्देश्यसे गांधीजीको तीन दिन वारडोलीमें ठहरा लिया। पहले अैसी योजना थी कि जब गांधीजी गुजरातमें आयें तब वे गुजरातके तमाम कार्यकर्ताओंसे मिल सकें, इसके लिये अुनका अेक सम्मेलन रखा जाय।

परन्तु जिस वार तो गांधीजीको अेक महीने पूरा आराम ही देना था, जिसलिये सम्मेलन ता० २०-२-३६ को वारडोलीमें रखा गया। परन्तु वारडोली आश्रम अभी तक ज्वत्तीसे वापस नहीं मिला था, जिसलिये सम्मेलन वारडोलीकी अेक जिनिंग फैक्टरीमें किया गया। गांधीजीका निवासस्थान भी वहीं रखा गया। सम्मेलनका कुछ भी बोझ गांधीजी पर न पड़े, जिसके लिये सम्मेलनकी सारी कार्यवाहीका संचालन सरदारने ही किया। ग्रामसेवाका महत्त्व समझाते हुअे अुन्होंने कार्यकर्ताओंसे कहा :

“ लड़ाही जैसे अुत्तेजनाके समयमें बहुत सिपाही मिल जाते हैं। जैसे वरसातमें बहुतसे केंचुअे निकल आते हैं, अिल्लियां पैदा हो जाती हैं, वैसे ही लड़ाहीके समय सब खिच आते हैं। अुस महासागरके मन्थनमें अच्छे-बुरे सभी लोग होते हैं। परन्तु बाढ़ शान्त हो जाने पर खिचकर आनेवाले ढूँढे भी नहीं मिलते। अैसे समय भी सच्चा ग्रामसेवक चुपचाप काम करता ही रहता है। जब लड़ाही अनिवार्य हो जाती है तब लड़ाहीमें पड़ जाता है और अुसका भार अुठा लेता है। परन्तु तब तक श्रद्धापूर्वक मूक सेवा करते हुअे अपने क्षेत्रमें डटा रहता है। अुसकी सेवाके बदलेमें अुसे कोअी मालाअें पहनानेवाला, जुलूस निकालनेवाला, तालियां बजानेवाला या मंच पर विठानेवाला नहीं मिलता। अुन्टे अुसे रोटियां जुटाना कठिन हो जाता है और हरिजनोंकी सेवा करे तब तो पानीकी भी कठिनाही होती है। अिन तमाम दिक्कतोंमें जो मनुष्य अटल रहे वही ग्रामसेवक बन सकता है। वही सच्चा सिपाही है। परन्तु बहुत लोग यह बात नहीं समझते और लड़ाही शान्त होने पर अधीर बन जाते हैं। अुन्हें कहानीके बवरभूतकी तरह किसी न किसीके साथ लड़ाही लड़नेको चाहिये। सरकारके साथ लड़ना बन्द हुआ तो वे आपसमें ही लड़ने लगते हैं। अैसे लोग ग्रामसेवक नहीं बन सकते।”

फिर ग्रामोद्योगों और ग्राम-सफाहीकी बात करके अन्तमें कहा :

“ अन्तमें लोगों पर असर तो हमारे चरित्रका ही पड़ेगा। सेवक कितना त्यागी, संयमी, सेवापरायण और धीरजवाला है, जिसकी छाप गांधीके लोगों पर पड़ती है। अनेक अुतार-चढ़ाव आने पर भी ग्रामसेवक अिन गुणोंके द्वारा लोगोंके हृदयोंमें स्थान प्राप्त कर सकेगा।”

परन्तु वारडोली आये हुअे कार्यकर्ता गांधीजीसे मिलना और अुनकी बातें सुनना चाहते थे। गांधीजीको भी अुनसे मिलनेकी अिच्छा थी, जिसलिये अन्तमें सरदारने अपना नियंत्रण जरा ढीला किया और कहा

कि आप प्रश्न लिख दीजिये और गांधीजी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका उत्तर आघ घंटेमें देंगे। तदनुसार आघ घंटेमें बड़ी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हुई।

सरदार वारडोलीसे गांधीजीके साथ ही वर्धा गये, क्योंकि वर्धाके पास सावली गांवमें मार्चके पहले सप्ताहमें गांधी-सेवा-संघका सम्मेलन रखा गया था।

वहांसे युक्त प्रान्त (आजकलके उत्तर प्रदेश) के प्रान्तीय किसान सम्मेलनका अध्यक्षपद लेनेके लिये अनका जाना हुआ। यह अध्यक्षपद अन्होंने बड़े संकोचके साथ स्वीकार किया था। यह बात बताते हुअे अन्होंने सम्मेलनमें कहा :

“अिस प्रान्तके किसानोंकी मैंने ऐसी कोअी सेवा नहीं की, जिससे मुझे यह दायित्वपूर्ण पद स्वीकार करनेका अधिकार प्राप्त हो। फिर मेरे मनमें भीतर ही भीतर यह डर भी था कि जिन स्थानीय कार्यकर्ताओंने अपनी पूरी शक्तिसे, तन-मन-धनसे रातदिन आपकी सेवा की है अुनके साथ कार्यपद्धतिमें मेरा मतभेद हो जाय तो मैं सहायक बननेके बजाय बाधक बन जाऊंगा। परन्तु आपके नेताओंके प्रेमपूर्ण आग्रहसे मैं अिस भारी जिम्मेदारीके भारको अुठानेके लिये तैयार हो गया हूं।”

अुस समय पंडित जवाहरलालजी अपनी पत्नीकी बीमारीके कारण युरोपमें थे। अिसका अुल्लेख करते हुअे सरदार बोले :

“पं० जवाहरलालजीकी अनुपस्थितिमें मैं आपकी कुछ भी सेवा कर सकूं तो अपने-आपको बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। अुनकी गैर-हाजिरीमें यह परिपद् विना कर्णधारकी नाँका जैसी लगती है। किसानोंके दुःखों, अुनकी हालत और मुसीबतोंका अुन्हें पूरा खयाल है। अुन्होंने और अुनकी बीमार पत्नीने हमारे किसानोंकी जितनी सेवा की है अुतनी अब तक किसीने नहीं की। हमारे कल्याणके लिये अुन्होंने अपना शाही टाठबाट छोड़ दिया है और दोनोंने वाग-व्रगीचे, घरवार, कुटुम्ब-कबीला और अपने आपको भी बरबाद कर डाला है। जो रातदिन हमारे दुःखोंसे दुःखी हो रहे हैं, हमारी गरीबीको देखकर जिनका हृदय जल रहा है और जिन्होंने हमारे खातिर अमीरी छोड़कर फकीरी धारण की है, जैसे सहायकके विना हम अेक कदम भी आगे कैसे अुठा सकते हैं? गैरहाजिर होने पर भी अुनके आशीर्वाद हम पर बरस रहे हैं। अुनकी सिखाअी हुई बातें हम न भूलें, अितनी शक्ति हम भगवानसे मांगते हैं।”

जमींदारों और किसानोंके बीच स्थायी वर्ग-विग्रह होनेकी आवश्यकता नहीं, इस बारेमें अपने विचार समझाते हुअे अन्होंने कहा :

“वर्तमान जमींदार और तालुकेदार हमारे देशकी संस्कृतिकी विशेषता नहीं हैं। इस पुण्यभूमिमें धनवानों, जमींदारों या सत्ताधारियोंकी पूजा कभी नहीं हुअी। त्यागियों और तपस्वियोंके चरणोंमें धनवान, जमींदार और सत्ताधीश सब सिर झुकाते आये हैं। त्यागियों और तपस्वियोंके नाम अमर हो गये हैं और गांव-गांव घर-घर अुनके गुण-गान हो रहे हैं। आज इस कलिकालमें भी पाश्चात्य संस्कृतिकी अग्रणी सत्ताके तेजमें बहे विना या अुसकी तड़क-भड़कसे चौंधियाये विना साहस और दृढ़तासे अपनी जागीरों और जमींदारियोंको खतरेमें डालकर, सरकारकी नाराजी सहकर और अनेक प्रकारके संकटोंका सामना करके भी कोअी कोअी तालुकेदार या जमींदार हमारी सेवा करके हमारी संस्कृतिका आदर्श अुपस्थित कर रहे हैं। राज्यसत्ताके बदलते ही संभव है ये जमींदार अपना जीवन बदलकर झोंपड़ोंमें रहनेवाले करोड़ों भूखों मरते लोगोंके बीच रहकर भोग-विलासको पाप समझने लगेंगे और हमारी सेवा करनेमें तत्पर होंगे। आज भी जमींदारोंको किसानोंके स्वाभाविक प्रतिनिधि बननेकी सलाह देनेवाली सरकार (युक्त प्रान्तके अुस समयके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हेरी हैगने जमींदारोंको सलाह दी थी कि जमींदार किसानोंके स्वाभाविक प्रतिनिधि हैं और अुन्हें अपना खोया हुआ स्थान फिरसे प्राप्त कर लेना चाहिये) अपनी चाल बदल ले और करोड़ोंके वजटमें किसानोंकी भूख मिटानेके, अुनकी शिक्षाके तथा स्वास्थ्यके लिअे आवश्यक साधनोंका समावेश करने लग जाय और लोकमतका आदर करनेकी नीति समझने लगे, तो ये जमींदार समझ जायेंगे कि किसानोंके मुख-दुःखका खयाल रखना और अुनकी सेवा करना हमारा पहला फर्ज है। परन्तु इस बारेमें अपना मत साबित करने में यहां नहीं आया हूं। इस जहूरी सवालके सिलसिलेमें इस प्रान्तके सच्चे नेता पं० जवाहरलालजीकी सलाह ही सही मार्गदर्शक सिद्ध होगी। मैं तो अुनकी गैरमाँजूदगीमें अुनका प्रतिनिधि बनकर अुनके लौट आने तक अपनी अल्पशक्तिके अनुसार आपको अपना कर्तव्य समझा सकूं तो मेरा कर्तव्य पूरा हुआ समझ लूंगा। अन्तमें पंडितजीके अनुभवोंका निचोड़ ही आपके लिअे शिरोधार्य होना चाहिये। अुन्होंने आपके लिअे जो स्वार्थत्याग किया है, जो दुःख अुठाये हैं और जो मेहनत अुठाअी है

अुतनी और किसीने नहीं अुठाअी । अुनकी सत्यनिष्ठा और गरीबोंके लिये अुनके दिलमें जलनेवाली आगके वारेमें दुश्मनको भी शक नहीं है।”

अिसके बाद सरदारने अिस बातका वर्णन किया कि पिछली लड़ाअीके समय अिन किसानोंने कितनी वहादुरी दिखाअी थी, कितनी कुर्बानियां की थीं और कितनी वरवादी सहन की थी :

“गांधी-अविन समझौतेकी अवधिमें और अुसके बादके अेक दो वर्षोंमें हम पर जो आफतें आअीं अुनका विस्तारसे वर्णन करनेकी यहां कोअी आवश्यकता नहीं । परन्तु दूसरे प्रान्तोंकी तरह अिस प्रान्तमें भी अुस समझौतेका अधिकारियों द्वारा स्पष्ट भंग होने पर भी पंडित जवाहरलालजी तथा अिस प्रान्तके मुख्य कार्यकर्ताओंके सिर दोष मढ़ा गया था । अुस अवसर पर नेताओं द्वारा अुठाये गये कदमोंका सार्वजनिक समर्थन करना मैं अपना धर्म समझता हूं । मेरी पक्की राय है कि अुस समय पंडित जवाहरलालजी, श्री टंडनजी तथा अिस प्रान्तके अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओंने आपको लगान न देनेकी सलाह न दी होती तो यह माना जाता कि वे अपने कर्तव्यसे विमुख हुअे हैं । अुस समय मैं कांग्रेसका अध्यक्ष था । मुझे जरा भी शंका होती तो मैं अुस कार्रवाअीके लिये विलकुल मंजूरी न देता । अुस मौके पर यहांकी कांग्रेस कमेटी आपकी मदद पर खड़ी हुअी, आपके दुःखोंमें शरीक हुअी और अुसने पूरी ताकतके साथ आपकी और प्रान्तकी अमूल्य सेवा की । अुसके बाद आपकी और कांग्रेसकी वरवादी करनेके लिये सरकारने जो कुछ किया अुसकी तफसीलमें जानेकी मुझे जरूरत नहीं जान पड़ती । अिससे सरकारको और हमें अच्छा अनुभव मिला । अुसके बाद लगानमें जो कुछ रिआयतें मिलीं अुनका श्रेय अुन्हींको देना चाहिये, जिन्होंने अपनी जमीन-जायदाद खोकर अनेक विपत्तियां सहन की हैं । अुनका अुपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिये । अिस मौके पर हम अुन सबको वधाअी देते हैं।”

किसानोंका बल अुनके संगठनमें होता है । अुनमें धर्मके नाम पर जो अनेक अंधविश्वास और पाखंड घुस गये हैं अुन्हें निकालना चाहिये, अपने घरेलू रीत-रिवाज सुधारने चाहिये, स्वच्छताके पाठ सीखने चाहिये, अादि सलाह देकर अन्तमें कहा :

“आप अपना सच्चा और मजबूत संगठन खड़ा कीजिये । अिसके सिवा मैंने जो कमजोरियां बताअी हैं अुन्हें दूर कीजिये, आलस्य छोड़ दीजिये, अंधविश्वास मिटाअिये, किसीका डर न रखिये, फूटका

त्याग कीजिये, कायरताको अपने भीतरसे निकाल फेंकिये, हिम्मत रखिये, वहादुर बनिये, और आत्मविश्वास रखना सीखिये। अितना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे वह अपने-आप आ मिलेगा। संसारमें जो जिसके योग्य होता है वह उसे मिल ही जाता है। हमारी आशाओं बड़ी हैं। हम गुलामीकी वेड़ियां तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करके हुकूमतकी वागडोर अपने हाथोंमें लेना चाहते हैं। अितनी बड़ी आशा रखनेका हमें अधिकार है। परन्तु अितना बड़ा अधिकार प्राप्त करनेके लिये हमें भगीरथ प्रयत्न करना चाहिये। प्रयत्न करनेवालेकी अीश्वर सहायता करता है। भगवान आपका भला करे।”

अितनेमें कांग्रेसके अधिवेशनका समय आ गया। अधिवेशन लखनऊमें होनेवाला था। १९३१की करांची कांग्रेससे ही तय हो गया था कि कांग्रेसका अधिवेशन दिसंबरके वजाय मार्च या अप्रैलमें किया जाय। दम्बजीमें १९३४ के अक्तूबरमें ही कांग्रेसका अधिवेशन हुआ था। असलिये वादका अधिवेशन मार्च १९३६ में करना तय हुआ। दम्बजी कांग्रेसके समय जवाहरलालजी जेलमें थे। उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवीको बीमारीके कारण उनका सजा पूरी होनेसे पहले ही सितम्बर १९३५ में छोड़ दिया गया था। कमलादेवी यूरोपमें थीं, असलिये जवाहरलालजी छूटकर तुरंत ही यूरोप चले गये। परन्तु फरवरी १९३६ में कमलादेवीका देहावसान हो जाने पर वे मार्चमें अंग्लैण्डसे वापस आ गये। जवाहरलालजीके असि दुःखमें सारे देशकी सहानुभूति उनके प्रति अुमड़ पड़ी थी। कमलादेवीने आजादीकी लड़ाीमें जवदस्त हिस्सा लिया था। अिन सब बातोंकी कद्र करनेके लिये लखनऊ कांग्रेसका अध्यक्ष जवाहरलालजीको बनाया गया। सब लोग जानते थे कि जवाहरलालजीका रुख पहलेसे ही समाजवादकी तरफ है। परन्तु वे समाजवादी कार्यक्रमको अमलमें लानेकी अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्यवादका नाश करके भारतको मुक्त करनेकी आवश्यकताको अधिक महत्त्व देते थे। साथ साथ वे यह भी मानते थे कि आम जनताकी सामाजिक और आर्थिक मुक्ति न हो तब तक केवल राजनैतिक मुक्तिसे देश सुखी नहीं हो सकता। वे यूरोपसे समाजवादी विचारोंको ताजा ही दिमागमें भरकर लौटे थे। लखनऊमें अध्यक्षकी हैसियतसे अुन्होंने जो भाषण दिया अुसमें भी अुन्होंने अपनेको समाजवादी विचारोंका प्रजातंत्रवादी बताया और समाजवादी विचारसरणीका प्रतिपादन किया। यद्यपि गांधीजी कांग्रेससे अलग हो गये थे, परन्तु कांग्रेस परसे अुनका प्रभाव जरा भी कम नहीं हुआ था और सरदार, राजाजी, राजेन्द्रवाबू वगैरा नेता गांधीजीके ही कार्यक्रमसे बंधे हुए थे। असलिये लखनऊ कांग्रेसमें समाजवादी विचारसरणीका अेक भी

प्रस्ताव पास नहीं हुआ। कांग्रेसके अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्योंको मनोनीत करनेकी परिपाटी चली आ रही थी। तदनुसार जवाहरलालने तीन समाजवादियोंको कार्यसमितिमें लिया। उनके सिवा सुभाषबाबूको भी लिया। परन्तु वाकीके दस सदस्य गांधीजीके विचारोंवाले थे। जिस प्रकार कार्यसमितिमें अुन्हींका बहुमत था। कांग्रेसके अध्यक्षके रूपमें उनकी स्थिति कैसी थी, यह जवाहरलालजीके अपने ही शब्दोंमें यहां दिया जाता है :

“अध्यक्षके नाते मैं कांग्रेसका मुख्य प्रबंध-अधिकारी था। असा माना जाता है कि संस्थाका प्रतिनिधित्व मैं ही करता हूं। परन्तु कांग्रेसकी नीतिके कुछ महत्वपूर्ण मामलोंमें मैं बहुमतके दृष्टिकोणका प्रतिनिधित्व नहीं करता था, इसलिये कांग्रेसके प्रस्तावोंमें बहुमतके विचारोंका ही प्रतिबिम्ब पड़ा। कांग्रेसकी कार्यसमिति एक ओर मेरे विचारोंका प्रतिनिधित्व करे और दूसरी ओर बहुमतके विचारोंका प्रतिनिधित्व करे, ये दो बातें साथ साथ नहीं हो सकती थीं।”

लखनऊमें अुन्हें कैसी कठिनायियां हुईं, इसका वर्णन मित्रोंके नाम भेजे एक परिपत्रमें अुन्होंने इस प्रकार किया है :

“मैं मानता हूं कि लखनऊमें मैंने साफ साफ बातें कही थीं और वादमें कांग्रेस कार्यसमितिमें मेरा जो विसंगत स्थान है अुसके बारेमें भी साफ साफ बातें की हैं। जिस कुछ परेशान करनेवाली विचित्र स्थितिका मेरे समाजवाद-सम्बन्धी विश्वाससे कोअी वास्ता नहीं है। लखनऊमें हमारे बीचका राजनैतिक मतभेद जाहिर हो गया। हममें से किसीने इस चीजको गुप्त नहीं रखा था, क्योंकि हमारा खयाल था कि असे सिद्धान्तोंके मामलेमें हमें पूरी तरह खुले दिलसे, कोअी भी बात छिपाये बिना, एक-दूसरेके साथ चर्चा कर लेनी चाहिये। और लोगोंके साथ भी हमें पूरी सचाअी रखनी चाहिये, क्योंकि अुन्हींके मतसे हम वहां जाते हैं; और देशके भविष्यका निर्णय भी अंतमें तो लोग ही करेंगे। इसलिये एक-दूसरेसे भिन्न मत रखनेमें हम सहमत हुअे और अपने भिन्न मत हमने खुले तौर पर प्रगट किये। परन्तु अितना करनेके वाद हम एक-दूसरेके साथ सहयोगसे और मिलजुल कर काम करनेके लिये भी सहमत हुअे। इसीलिये कि हमारे बीच मतभेदके मुद्दोंकी अपेक्षा सहमतिके मुद्दे ज्यादा थे। बहुत बातोंमें हमारे दृष्टिकोणमें अन्तर था। कुछ मामलोंमें भले ही हमारे विचार अलग रहे हों, परन्तु देशकी आजादी हासिल करनेके मामलेमें हम सब एक थे।”

दूसरे समाजवादी कार्यकर्ताओंकी अपेक्षा गांधी-विचारके नेताओंकी जवाहरलालजीसे ज्यादा बनती थी, जिसका कारण जवाहरलालजीके नीचे प्रगट किये गये विचारोंमें समाया हुआ है :

“मुझे जो चीज चाहिये वह यह है कि हमारी अर्थनीतिमें से मुनाफेका तत्व मिट जाय और उसके स्थान पर समाजकी सेवा करनेकी वृत्तिकी स्थापना हो। प्रतिस्पर्धाका स्थान सहयोग ले ले। अत्यादन नफेकी दृष्टिसे न किया जाय, परन्तु समाजके उपयोगकी चीजें पैदा करनेके लिये किया जाय। यह मैं असलिये चाहता हूं कि हिंसा या रक्तपातके प्रति मेरे मनमें तिरस्कार है। उसे मैं धिक्कारने जैसी वस्तु समझता हूं। आजकलकी हमारी तमाम व्यवस्थाकी जड़में हिंसा है। उसे मैं राजीखुशीसे सहन नहीं कर सकता। मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिये जो स्थायी स्वरूपकी हो, जिनमें किसी पर दबाव न हो, जिसकी जड़में से हिंसा नष्ट हो गयी हो तथा जिसमें तिरस्कारको निकालकर भ्रातृभावकी भावनाकी स्थापना हुयी हो। अिन सब बातोंको मैं समाजवाद कहता हूं।”

जवाहरलालजीकी विचारसरणी समाजवादी होने पर भी ऐसे विचारोंके कारण ही वे समाजवादी दलमें शामिल नहीं हो सके। समाजवादी दलकी प्रचार करनेकी पद्धति परसे अक्सर ऐसा दिखायी देता था कि उनका साध्य भले ही शुद्ध हो, परन्तु उसके लिये शुद्ध साधनोंका आग्रह रखनेके लिये वे तैयार नहीं थे। जब कि जवाहरलालजीकी सत्यपरायणता और अहिंसाप्रेम ऐसा था कि वे अशुद्ध साधनोंको सहन नहीं करते थे। और गांधीजीकी सब बातें उन्हें मान्य नहीं थीं, तो भी गांधीजीके नेतृत्वमें उनका अितना विश्वास था कि शुरूमें भले वे गांधीजीकी बातका विरोध करते, परन्तु अन्तमें तो गांधीजीके कार्यक्रमका ही अनुसरण करते थे। इस प्रकार कुल मिलाकर समाजवादी मित्रोंकी अपेक्षा सरदार, राजेन्द्रवानू वगैरा पुराने कांग्रेसी नेताओंके साथ उनका अधिक मेल बैठता था। अिन नेताओंको भी जवाहरलालजीकी कार्यक्षमता, त्याग, वीरता वगैराके प्रति बड़ा आदर था, असलिये उनसे अलग होना अिन्हें किसी भी तरह पसन्द नहीं था। जवाहरलालजी भी जानते थे कि प्रान्तीय कार्यकर्ताओं और आम जनतामें अिन नेताओंका प्रभाव बहुत ज्यादा है, असलिये वे भी अिन नेताओंसे अलग होना नहीं चाहते थे। इस प्रकार दोनोंको अेक-दूसरेके प्रति पूरा आदरभाव था। हम आगे देखेंगे कि फैजपुर कांग्रेसके अध्यक्षके चुनावके समय अिस चीजको दोनों पक्षोंने सार्वजनिक रूपमें स्पष्ट कर दिया था।

लखनऊ कांग्रेसके सामने दो प्रश्न मुख्य थे । अंक तो राजनैतिक सुधारोंके विषयमें अर्थात् नये गवर्नमेन्ट ऑफ् इण्डिया अक्टके वारेमें अपनी नीति घोषित करनेका था । अूस कानूनकी कांग्रेसने कअी कारणोंसे निन्दा की थी, फिर भी यह निश्चय किया गया कि अूसके अनुसार होनेवाले चुनावोंमें प्रत्येक प्रान्त भाग ले । पद स्वीकार किये जायं या नहीं, अिस वारेमें जब तक चुनावोंका परिणाम मालूम न हो जाय तब तक कोअी निर्णय न करना ही कांग्रेसने मुनासिव समझा । दूसरा बड़ा प्रश्न हमारे किसानों और काश्तकारोंके लिये नीति तय करने और कार्यक्रम तैयार करनेका था । चुनावोंमें भाग लेना हो तो कांग्रेसको अिस मामलेमें अपनी नीतिका घोषणापत्र प्रकाशित करना चाहिये । यह घोषणापत्र तैयार करने और किसानोंके लिये कार्यक्रम बनानेका काम लखनऊ कांग्रेसने महासमितिको सौंपा ।

अिस सारे समयमें सरदारकी तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं रहती थी । मार्चके दूसरे सप्ताहमें वे कांगड़ी गुरुकुल (हरद्वार) के पदवीदान समारोहमें गये । वहांसे मोटरमें देहरादूनके कन्या-गुरुकुलमें गये । वहांसे दिल्ली आये । पदवीदान समारोहमें वर्षा हुआ और ठंडी हवा लगी, जिससे अन्हें सख्त सरदी और खांसी हो गयी । २२ मार्चको तेज बुखार आया और निमोनियाका दोनों फेफड़ों पर असर हो जानेसे डॉ० अन्सारीकी सलाहसे अन्हें हरिजन कालोनीसे विड़ला-भवनमें ले जाया गया । लगभग अंक पखवाड़े विछौनेमें रहे । पूरी शक्ति भी नहीं आयी थी कि अन्हें वहीसे लखनऊ कांग्रेसमें जाना पड़ा और वहां अुनकी तवीयत ज्यादा बिगड़ी । अिसलिये लम्बे समय तक आराम लेनेकी जरूरत पैदा हो गयी । फिर भी कामका बोझ अैसा था कि वे तुरन्त तो आराम लेने जा ही नहीं सके । अंतमें गांधीजीने बहुत आग्रह किया और खुद भी अुनके साथ आनेको तैयार हुअे, तब मअी मासमें अुनके साथ बंगलोरके पास नंदीदुर्ग पर आराम करने गये और वहां पूरे अंक महीने रहे ।

१९३७ में धारासभाओंका चुनाव होनेवाला था । अुसकी तैयारीके लिये चुनावका घोषणापत्र तैयार करना था । पंडित जवाहरलालजीने बड़ा सुन्दर घोषणापत्र तैयार कर दिया और महासमितिये अुसे मंजूरी दे दी । पद स्वीकार करनेके वारेमें जब तक निर्णय नहीं हुआ था, तब तक कांग्रेस यह नहीं कह सकती थी कि मंत्रिमंडल बनाकर हम अमुक अमुक काम करेंगे । फिर भी कुछ निश्चित कार्यक्रम तो देना ही चाहिये था, अिसलिये कराची कांग्रेसमें पास हुअे मूलभूत अधिकारोंके प्रस्तावके अनुसार घोषणापत्र तैयार किया गया । किसानोंकी दशा सुधारनेके लिये लगान कानूनमें सुधार कराकर जो जमीनें किसान स्वयं जोतते हों अुन जमीनों पर अुन्हें

स्थायी खेतीका हक मिलना चाहिये, ऐसा घोषणापत्रमें कहा गया। लगान घटानेके अलावा खेतीके मजदूरोंकी मजदूरीकी दर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कारखानोंमें मजदूरोंकी हालत सुधारनेके लिये अनुके संघ स्थापित करने और अनुका संगठन करनेकी भी घोषणा की गयी। जिसके सिवा देशमें शराबबन्दी करनेका भी वचन दिया गया। घोषणापत्रमें और भी बहुत बातें थीं। परन्तु उपरोक्त बातें मुख्य कही जा सकती हैं।

कांग्रेसके टिकट पर खड़े होनेवाले अुम्मीदवारोंको चुननेका काम बड़ा कठिन था। हरएक प्रान्तमें अुम्मीदवारोंकी पसंदगी अुस प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस ही ठीक ढंगसे कर सकती थी। परन्तु अंतिम निर्णय अनु पर नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि कुछ प्रान्तीय समितियोंमें दलबन्दी थी। और सभी प्रान्तीय समितियां आखिरी फैसलेकी जिम्मेदारी भी लेनेको तैयार नहीं थीं। वे चाहती थीं कि यह काम कांग्रेस कार्यसमितिको अपने हाथमें ही रखना चाहिये। जिसलिये कार्यसमितिके एक पार्लमेण्टरी बोर्ड बनाया। सरदारको अुसका अध्यक्ष बनाया गया और पं० गोविन्दवल्लभ पंत अुसके मंत्री बने। अुम्मीदवारोंका चुनाव पहले तो प्रान्तीय समितिकी कार्यकारिणी ही करती थी, परन्तु कोअी आदमी प्रान्तके निर्णयसे नाराज होता तो अुसकी अपील पार्लमेण्टरी बोर्डके पास आती थी। चुनावके प्रचारके मिलमिलेमें सरदारको सारे भारतमें खूब दौरा करना पड़ा। सीमाप्रान्तमें सरकार बाहरके किसी आदमीको जाने नहीं देती थी। सरदार विचार कर रहे थे कि अुसके लिये क्या किया जाय। अितनेमें अुन्होंने अखवारोंमें पढ़ा कि जनाब जिन्ना चुनावके प्रचारके लिये वहां पहुंचे हैं। जिसलिये अुन्होंने सरकारको लिखा कि अुन्हें और श्री भूलाभाजीको वहां जाने दिया जाय। भारत-सरकार अिनकार नहीं कर सकी। अिजाजत मिलते ही वे पेशावर पहुंचे। परन्तु बन्नू, कोहाट और डेराअिस्माअीलखां, अिन तीन शहरोंमें जानेकी प्रान्तीय सरकारने मनाही कर दी। चार दिन तक वहांकी कड़ाकेकी ठंडमें अुन्होंने प्रान्तके दूसरे भागोंमें दौरा किया।

अुम्मीदवारोंके चुनावमें दो बातों पर ध्यान दिया जाता था। पहले तो यह देखना होता था कि अुम्मीदवारमें कांग्रेसके सिद्धान्तों और कार्यक्रमके अनु-सार अीमानदारी और होशियारीके साथ काम करनेकी कितनी योग्यता है। दूसरे, यह भी देखना पड़ता था कि चुने हुअे अुम्मीदवारके सफल होनेकी संभावना कितनी है। सरदारके नेतृत्वमें अिस चुनावके सिलसिलेमें पैदा होनेवाली समस्याओंको पार्लमेण्टरी बोर्ड सन्तोषपूर्वक हल कर सका। पर अुम्मीदवारोंके चुने जानेकी संभावना पर विचार करते समय कुछ प्रान्तोंमें कांग्रेसकी

स्वीकृत नीतिके साथ असंगत बातें भी ध्यानमें रखनी पड़ीं। राजेन्द्रवावू, जो पार्लमेण्टरी बोर्डके अके प्रमुख सदस्य थे, अिस विषयमें लिखते हैं :

“अुम्मीदवार चुनते समय हमें यह खयाल रखना पड़ा कि कौन अुम्मीदवार किस जाति या अपजातिका है। कांग्रेसके लिये यह अच्छा नहीं माना जा सकता। परन्तु परिस्थितिके कारण अैसा किये बिना हमारा काम नहीं चल सकता था। हमारे प्रान्त (विहार) के लिये यह शर्म और दुःखकी बात है कि अुम्मीदवारोंका चुनाव करते समय हम जातपातको भूल न सके। हमें यह सोचना पड़ा कि फलां जातिके अुम्मीदवारकी चुनावमें जीतनेकी अधिक संभावना है। हमें यह भी देखना पड़ा कि हम अमुक जातिके अुम्मीदवारको नहीं लेंगे तो सारी जाति पर अिसका बुरा असर होगा। अितना ही नहीं, चुनावों पर भी अुसका बुरा असर पड़ेगा। हमें यह भी ध्यान रखना पड़ा कि जितने अुम्मीदवार लिये गये अुनमें सभी जातियोंके अुम्मीदवार आ गये या नहीं और अितनी संख्यामें आये या नहीं जिससे अुन जातियोंके लोगोंको सन्तोष दिया जा सके। अके राष्ट्रीय संस्थाके लिये ये बातें गौरवपूर्ण नहीं मानी जा सकतीं। परन्तु हमें चुनाव जीतने थे। संतोष अितना ही था कि सभी जातियोंमें कांग्रेसके अैसे कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्हें कांग्रेसकी नीतिके अनुसार पसन्द किया जा सकता था। अिसलिये किसीको पसन्द करते वक्त हमें आघात नहीं लगा, क्योंकि अुनमें अवि-कांश अन्य सब दृष्टियोंसे भी योग्य थे। परन्तु जातपातके विचारको स्थान देना सिद्धान्तकी दृष्टिसे ठीक तो हरगिज नहीं था।”

राजेन्द्रवावूने मुख्यतः विहारके बारेमें लिखा है, परन्तु मालूम होता है थोड़ी बहुत मात्रामें यह स्थिति सभी प्रान्तोंमें थी। राजेन्द्रवावूका अके और अनुभव यहां अुल्लेखनीय है :

“मुझे खेदपूर्वक लिखना पड़ रहा है कि चुनावोंके अनुभवने मुझे यह माननेको विवश कर दिया है कि बहुतसे कांग्रेसी अपनी सेवाओंकी कीमत आंकने लग गये हैं और अुनके बदलेमें कुछ न कुछ फायदा ढूँढ़ने लगे हैं। फिर यह लाभ प्रान्तीय धारासभा या बड़ी धारासभाके सदस्यपदका हो, लोकलबोर्ड या म्युनिसिपैलिटीकी सदस्यताका हो, अुनमें कोअी ओहदा लेनेका हो अथवा और कुछ नहीं तो अन्तमें कांग्रेसकी समितियोंमें ही कोअी प्रतिष्ठा और अधिकारका स्थान लेनेका हो। अिसमें शक नहीं कि अिन सब जगहों पर जाकर मनुष्य सेवा कर सकता है। कुछ जगहों पर काम करनेसे सेवाकी शक्ति बढ़ती भी है।

यदि इसी भावनासे ये पद या ओहदे लेनेकी अच्छा रखी जाती हो तो ठीक है। परन्तु यह कौन कह सकता है कि अुस अच्छाकी तहमें सेवाभावका बल है या अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका? यह तो शायद मनुष्य स्वयं भी अच्छी तरह नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे मामलोंमें मनुष्य अकसर अपनेको घोखा देता है और अपने मनको मना लेता है कि वह महत्वाकांक्षा सिद्ध करनेके लिये नहीं जा रहा है, परन्तु सेवा करनेके लिये ही जा रहा है।”

परन्तु अिन मामलोंमें सरदार बड़ी दृढ़तासे तटस्थ रहे और इससे अुन्हें बहुत लोगोंकी खासी नाराजगी मोल लेनी पड़ी। दो-अेक मामलोंमें अुन पर व्यक्तिगत आक्षेप भी हुअे, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। परन्तु कुल मिलाकर अुनकी न्यायशीलता और निष्पक्षताकी अैसी धाक जम गयी कि चुनावोंका सारा काम कांग्रेसके अुच्च सिद्धान्तोंको सुशोभित करनेवाले ढंगसे पूरा हुआ। चुनावोंकी ये तैयारियां हो ही रही थीं कि अितनेमें फैजपुर कांग्रेसका अधिवेशन आ पहुंचा।

१७

फैजपुर कांग्रेस

फैजपुर कांग्रेसका अध्यक्ष किसे चुना जाय, यह प्रश्न अुस समय बहुत बड़ा बन गया था। लखनअू कांग्रेसके अध्यक्ष होनेके बाद जवाहरलालजीने देशभरमें भ्रमण करके बहुत सुन्दर काम किया था और फैजपुर कांग्रेस आठ महीनेके बाद हो रही थी, इसलिये वहुतोंका विचार था कि जवाहरलालजीको दुवारा अध्यक्ष बनाया जाय। अुनका नाम लिया जाने लगा कि अुन्होंने तुरन्त ही वक्तव्य प्रकाशित करके बता दिया कि मैं समाजवादी सिद्धान्तों और कार्यक्रमको माननेवाला हूं, इसलिये लोगोंको मुझे अध्यक्ष बनानेसे पहले यह बात अच्छी तरह ध्यानमें रखनी चाहिये। कुछ स्थानोंसे अध्यक्षताके लिये सरदारके नामकी नूचना भी आयी थी। सरदारको यह विलकुल पसन्द नहीं था कि अध्यक्षपदके लिये स्पर्धा हो, अेक-दूसरेके विरुद्ध मत लिये जाय और अुसमें वे निमित्त बनें। इसलिये अुन्होंने अपना नाम फौरन वापस ले लिया और जवाहरलालजीको ही अध्यक्ष चुननेकी प्रतिनिधियोंको सलाह दी। फिर भी यह बात अुन्होंने विलकुल नहीं छिपायी कि जवाहरलालजीके साथ अुनका विचारभेद है। अपना नाम वापस लेनेवाला जो वक्तव्य

अन्होंने प्रकाशित किया, वह बहुत समयानुकूल और अतना ही अुनके हृदयकी शुद्धताको बतानेवाला है :

“हर साल जो सम्मानपूर्ण पद देना कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके हाथमें है अुसमें मैं देखता हूं कि मेरा नाम भी है। पं० जवाहरलालजीने तो अपने विचार घोषित करनेवाला अेक वयान भी प्रकाशित किया है। अुसे मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मित्रोंके साथ सलाह-मशविरा करके मैं अिस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मुझे अपना नाम वापस ले लेना चाहिये।

“हममें से बहुतोंका यह खयाल है कि आजका अवसर कांग्रेस या राष्ट्रके अितिहासमें बहुत नाजुक है। अैसे समय कांग्रेसके अध्यक्षका चुनाव सर्वसम्मतिसे होना बहुत वांछनीय है। मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं, अुसका अर्थ यह तो हरगिज न होना चाहिये कि मैं जवाहरलालजीके सभी विचारोंसे सहमत हूं। कांग्रेसी जानते हैं कि कुछ महत्त्वपूर्ण मामलोंमें मेरे विचार जवाहरलालजीसे भिन्न हैं। अुदाहरणके लिये, मैं यह नहीं मानता कि वर्ग-विग्रह अनिवार्य है। मैं साम्राज्यवादका कट्टर शत्रु अवश्य हूं और यह भी मानता हूं कि हमारी भूखों मरनेवाली आम जनता और हमारे पूंजीपति वर्गके बीच जो जमीन-आसमानका फर्क है वह हमारा विनाश कर सकता है। परंतु अुसीके साथ मैं यह नहीं मानता कि पूंजीवादी प्रथामें जो बुराबी है वह अुसमें से निकाल देना विलकुल असंभव है। जब तक कांग्रेस स्वातंत्र्य-प्राप्तिके लिये अहिंसा और सत्यको अनिवार्य साधन मानती है, तब तक यदि कांग्रेसियोंको सुसंगत और जो कुछ वे कहते हैं अुसके प्रति सच्चे रहना हो तो अुन्हें मानना ही चाहिये कि जो लोग आम जनताका निर्दय ढंगसे शोषण कर रहे हैं अुन्हें मानवताके प्रति अुनके अिस अपराधसे बचा लेना संभव है। मैं मानता हूं कि जब आम जनताको अपनी भयंकर दुर्दशाका भान होगा तब अुसे यह भी पता लग जायगा कि अिसका अुपाय कैसे किया जाय। मुझे यह सिद्धान्त स्वीकार करनेमें कोअी कठिनाअी नहीं हो सकती कि तमाम जमीन और अुत्पत्तिके तमाम साधन सार्वजनिक होने चाहिये। स्वयं किसान होनेसे और वर्षोंसे किसानोंके साथ अोतप्रोत रहनेके कारण मुझे अिसका पता है कि जूता कहां चुभ रहा है। साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि जब तक लोगोंमें शक्ति नहीं आयेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। सौभाग्यसे हमने देख लिया है कि

अहिंसात्मक असहयोग द्वारा कितना काम किया जा सकता है। जब लोगोंको दृष्ट वलोंसे अपना सहयोग खींच लेना आ जायगा, तब वे बल पोषणके अभावमें अपने-आप खतम हो जायेंगे। परंतु जैसा पं० जवाहरलाल जोर देकर कहते हैं, और वे सच ही कहते हैं, हमारा तात्कालिक कार्य तो अपने देशको विदेशी जुअेने छुड़ाना और साम्राज्यवादी शोषणको जड़से नष्ट करना है। यह कर लेनेके बाद सिद्धान्तों और योजनाओंका अमल करनेका समय आयेगा। अभी तो हमारे बीच मतभेदोंके लिये गुंजाअिश ही नहीं है। स्वातंत्र्य-प्राप्तिके लिये हमारी अिस महान राष्ट्रीय संस्थामें जितने बल अिकट्ठे किये जा सकें अुन सवके बीच संपूर्ण सहयोग आवश्यक है।

“अिस समय हमारे सामने तत्काल तो धारासभाओंके चुनावोंका काम खड़ा है। अुसमें कोअी मतभेद नहीं है। हम पर लादे गये विधानको हम सब नष्ट करना चाहते हैं। सवाल यह है कि धारासभाओंमें जाकर अुसे कैसे नष्ट किया जाय। अिसका आधार कांग्रेसके झंडेके नीचे धारासभाओंमें जानेवाले भाअी-वहनोंकी शक्ति और योग्यता पर रहेगा। कांग्रेसकी महासमिति या कार्यसमिति कांग्रेसकी नीति तय करेगी। परंतु अुसके अमलका आधार अुसके प्रतिनिधियोंकी वफादारी, शक्ति और योग्यता पर रहेगा।

“पद स्वीकार करनेका प्रश्न आज हमारे सामने अितना महत्त्वपूर्ण नहीं है। परंतु मैं अवश्य अैसे समयकी कल्पना कर सकता हूं जब हमारे लिये अपने अुद्देश्यकी पूर्तिके खातिर पद स्वीकार करना वांछनीय हो जाय। अुस समय जवाहरलालजी और मेरे बीच या कांग्रेसमियोंमें तीव्र मतभेद जरूर पैदा हो सकते हैं। मान लीजिये कि बहुमतके निर्णयसे कांग्रेसकी अैसी नीति निश्चित हो जाय जो जवाहरलालजीको पसन्द न हो, तो भी हम सब जानते हैं कि जवाहरलालजी कांग्रेसके अितने वफादार हैं कि वे बहुमतके निर्णयकी अवज्ञा नहीं करेंगे।

“पद स्वीकार करने या धारासभाओंमें प्रवेश करनेसे मैं वंधा हुआ हूं अैसी कोअी बात नहीं। मैं तो अितना ही कहना चाहता हूं कि अैसा समय भी आ सकता है जब हमें पद स्वीकार करने पड़ें। परंतु मैं अैसी कोअी बात स्वीकार नहीं कर सकता, जिससे स्वाभिमान छोड़ना पड़े या हमारे ध्येयके साथ समझौता करना पड़े।

सच पूछा जाय तो मैं धारासभाओंके कार्यक्रमको गौण स्थान देता हूँ। हमारा सच्चा काम तो धारासभाओंके बाहर है।

“अिसल्लिअे रचनात्मक काम करनेके लिये और हमारी शक्तियां संगठित करनेके खातिर हमें अपनी तमाम ताकतों और साधनोंको अेकत्र करके रखनेकी जरूरत है। कांग्रेसके अध्यक्षके पास कोअी डिक्टेटरके अधिकार नहीं होते। वह अेक सुव्यवस्थित संगठनका सभापति है। अुसे हमारी सभाओंके कामकाजका नियमन करना होता है और कांग्रेस समय-समय पर जो निर्णय करे अुनका अमल करना होता है। अेक व्यक्तिको — भले वह कोअी भी हो — अपना अध्यक्ष चुनकर कांग्रेस अपने विशाल अधिकार छोड़ नहीं देती।

“अिसल्लिअे मैं तमाम प्रतिनिधियोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे सर्वसम्मतिसे जवाहरलालजीको अध्यक्ष चुन लें। हमारे राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करने और जिस समय देशमें विविध शक्तियां काम कर रही हैं अुस समय अुन शक्तियोंका नियमन करने तथा देशकी नावको सही मार्ग पर चलानेके लिये वे ही अुत्तम पुरुष हैं।”

जवाहरलालजीने अपने समाजवादी विचारोंके संबंधमें जो पहला वक्तव्य निकाला अुस पर अखबारोंमें यह चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस यदि जवाहरलालजीको अध्यक्ष बना लेती है तो अुसका यह अर्थ होगा कि वह समाजवादको स्वीकार करती है और पद स्वीकार करनेके विरुद्ध है। जवाहरलालजीके दो मित्रोंने अुन्हें तार देकर सूचित किया कि आपके वक्तव्यका अर्थ हम तो अितना ही समझते हैं कि आपने अपने समाजवाद-संबंधी मत फिरसे घोषित कर दिये हैं, परंतु साथ ही आपने यह भी घोषित किया है कि राजनैतिक आजादी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है और अुसके लिये सभीको सम्मिलित प्रयत्न करने चाहिये। अिसल्लिअे आपके चुनावका यह अर्थ नहीं होता कि कांग्रेस समाजवादको स्वीकार करती है या पद स्वीकार करनेके विरुद्ध मत देती है। अिस वारेमें कोअी गलतफहमी हो रही हो तो आपको दूर कर देनी चाहिये। जवाहरलालजीने भी देशमें दौरा करके आठ महीनेमें जो अनुभव प्राप्त किया था अुससे अुनके विचार कुछ सौम्य हो गये थे। अिसल्लिअे अुन्होंने निम्नलिखित वक्तव्य निकालकर अपनी स्थिति स्पष्ट की :

“मेरे साथियोंने मुझे आदेश दिया है, अिसल्लिअे मैं मौन नहीं रख सकता। मैंने अभी अभी सुना है कि अिस विषय पर सरदार

वल्लभभाजी पटेलने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया है। अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है और न यह जान पाया हूँ कि उसमें निश्चित रूपसे क्या कहा गया है। मेरे साथियों द्वारा दिये गये तारोंमें मेरे पहले वक्तव्यके बारेमें जो विचार प्रगट किये गये हैं वे पूरी तरह सही हैं। मुझे अध्यक्ष चुन लेनेसे यह मान लेना गलत होगा कि कांग्रेसने समाजवादको स्वीकार कर लिया है या पद स्वीकार करनेके विरुद्ध मत दे दिया है। अपने वक्तव्यमें तो मैंने समाजवाद-संबंधी अपने विचार प्रगट किये थे और यह बताया था कि मेरा दृष्टिकोण और मेरी प्रवृत्तियाँ उनसे किस प्रकार रंगी हुई हैं। उसमें मैंने यह भी कहा था कि मैं पद स्वीकार करनेके विरुद्ध हूँ और जब मौका मिलेगा अपना दृष्टिकोण कांग्रेसके सामने रखूंगा। परंतु जिस बारेमें आखिरी फैसला तो कांग्रेसको पूरी तरह विचार करके और तमाम प्रतिनिधियोंके मत लेकर ही करना होता है। यह निर्णय मनमाने ढंगसे नहीं हो सकता। मैं निश्चित रूपमें मानता हूँ कि देशके सामने सर्वोपरि महत्त्वका प्रश्न राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है और उसके लिये हम सबका अेक होकर संयुक्त प्रयत्न करना जरूरी है। यह बात गलतफहमी दूर करनेके लिये ही कह रहा हूँ। परोक्ष रूपमें भी मैं नहीं मुझाना चाहता कि मेरा चुनाव होना चाहिये। फिर भी यदि मैं चुन लिया गया तो उसका अर्थ यही होगा कि पिछले आठ महीनेके मेरे कार्यकी साधारण दिशा कांग्रेसियोंके बहुमतको पसन्द आती है। इसका यह अर्थ हरगिज नहीं कि कांग्रेस मेरे कुछ खास विचारोंको पसन्द करती है। मैं जो विचार रखता हूँ उनमें कोई अन्तर नहीं पड़ा है और मैं अध्यक्ष चुना जाऊँ या न चुना जाऊँ, परंतु मेरा काम उन विचारोंके अनुसार ही होगा।”

अन्तमें सर्वसम्मतिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू फँजपुर कांग्रेसके अध्यक्ष चुने गये। बहुतसी अन्य बातोंके साथ उन्होंने अपने भाषणमें स्पष्ट कहा कि :

“कांग्रेस आज संपूर्ण प्रजातंत्र चाहती है और उस प्रजातंत्रकी स्थापनाके लिये, न कि समाजवादकी स्थापनाके लिये, वह लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस साम्राज्यवादकी कट्टर विरोधी है और हमारी राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्थामें महान परिवर्तन करनेकी कोशिश कर रही है। मुझे यह आशा अवश्य है कि परिस्थिति ही हमें समाजवादकी ओर ले जायगी। मुझे तो हिन्दुस्तानके आर्थिक कष्टोंका अेकमात्र अुपाय यही मालूम होता है। परंतु जिस वक्त तो हमारे देशकी

सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जिन तत्त्वों और वलोंका साम्राज्यवादके विरुद्ध मोर्चा है उन सबको संगठित करके उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खड़ा किया जाय। कांग्रेसके भीतर उन सब वलोंका प्रतिनिधित्व है, और दृष्टिकोणमें थोड़ा बहुत भेद होने तथा विचारोंमें विविधता होने पर भी समान ध्येयके लिये वे सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं।”

फैजपुर कांग्रेसकी खास विशेषता यह थी कि अपने इतिहासमें पहली ही बार कांग्रेस गांवमें हुयी। कांग्रेसके अधिवेशनमें अतने अधिक लोग आते हैं कि अधिवेशनके लिये बहुत भारी व्यवस्था करनी पड़ती है। शहरोंमें भी जब यह व्यवस्था करना बहुत आसान नहीं होता तो गांवमें तो और भी कठिन हो जाता है। परंतु गांधीजीका आग्रह था कि देहातमें देहाती ढंगसे यह व्यवस्था करना हम सीख लेंगे। असीसे हम देहाती लोगोंको बढ़िया तालीम दे सकेंगे। रहने, खाने, सफाई वगैराकी सारी व्यवस्था तो ग्रामीण ढंगसे हो सकी। परंतु पानी और रोशनीके लिये बड़े बड़े यंत्रोंका उपयोग करना पड़ा।

शान्तिनिकेतनके प्रख्यात कलाकार श्री नंदलाल बसुने कांग्रेस-नगर, मंडप, प्रदर्शनी वगैराको बहुत सुन्दर ढंगसे सजाया। गांवमें कांग्रेसका अधिवेशन करनेका सुझाव गांधीजीका था, जिसलिये अधिवेशन-संबंधी छोटीसे छोटी बातके बारेमें वे चिन्ता रखते थे। उनका आग्रह था कि सजावट वगैरा सब देहातमें आसानीसे मिल सकनेवाली वस्तुओंसे ही होनी चाहिये। जिस आग्रहको श्री नंदलालबसुने बहुत सुन्दर ढंगसे निभा दिया और तमाम सजावटको सादगीके साथ सौंदर्य और कलापूर्ण बना दिया।

अप्रैल मासमें जब लखनऊका अधिवेशन हुआ था, तब यह निश्चय किया गया था कि कांग्रेसका अधिवेशन पहलेकी तरह आगे भी दिसम्बरमें ही रखा जाय। शायद अप्रैल मासकी लखनऊकी गरमीके कारण यह निर्णय करना सूझा होगा। परंतु फैजपुरमें दिसम्बर मासके कड़ाकेके जाड़ेमें जो ग्रामीण लोग आये अन्हें वांसकी टट्टियोंके झोपड़ोंका आश्रय भी नहीं दिया जा सका और हजारोंकी संख्यामें लोगोंको रातभर खुलेमें जमीन पर पड़ा रहना पड़ा। जिसलिये महासमितिके फेर निश्चय किया कि कांग्रेसका अधिवेशन वसन्त ऋतु अर्थात् मार्च मासमें किया जाय।

पदग्रहणकी स्वीकृति

नये विधानके अनुसार प्रान्तीय धारासभाओंके चुनाव फरवरी १९३७ में होनेवाले थे। जिसलिये फैजपुर कांग्रेसके अधिवेशनके समय भी चुनावोंकी धूमधाम जारी रही थी और जिस कारण कुछ कार्यकर्ता तो फैजपुर जा भी नहीं सके थे। अधिवेशन समाप्त हो जानेके बाद कांग्रेसके सभी कार्यकर्ता चुनावके काममें जुट गये। सरदार फैजपुर कांग्रेसके पहले भी सारे भारतमें भ्रमण कर चुके थे और कांग्रेस अधिवेशनके बाद तुरंत फिर दौरे पर निकल पड़े। कुल मिलाकर साढ़े तीन करोड़ स्त्री-पुरुषोंको मताधिकार मिला था। यद्यपि यह हमारे देशकी आवादीका दसवां भाग ही था, फिर भी साढ़े तीन करोड़ मतदाताओं तक कांग्रेसका संदेश पहुंचाना और उन्हें मताधिकारके बारेमें समझाना लोकशिक्षणका कोअी छोटा-मोटा काम नहीं था। दुनियाको यह भी बताना था कि लोग सरकारकी तरफ हैं या कांग्रेसकी तरफ। जिसके लिये कांग्रेसी कार्यकर्ताओंमें कड़ा अनुशासन, समान नियंत्रण और अपरसे दी जानेवाली सूचनाओंका आनंद और वफादारीके साथ पालन जरूरी था। पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्षकी हैसियतसे सरदारने जिस मामलेमें अद्भुत कौशल दिखाया और हरअेक प्रान्तमें लोगोंका प्रेम और सहयोग प्राप्त किया।

कुल ग्यारह प्रान्तोंमें से बंबाी, मद्रास, बिहार, मध्यप्रान्त (मध्यप्रदेश) संयुक्त प्रान्त (अुत्तर प्रदेश) और अुड़ीसाके छः सूत्रोंमें कांग्रेसको निश्चित बहुमत मिला। सीमाप्रान्त और आसाममें कांग्रेसका बहुमत नहीं था, यद्यपि सबसे बड़ा दल कांग्रेसका ही था। बंगाल, पंजाब और सिन्धमें कांग्रेस अल्पमतमें रही। जिस प्रकार छः प्रान्तोंमें कांग्रेसकी शुद्ध विजय हुअी तो कांग्रेसके आगे यह प्रश्न खड़ा हो गया कि कांग्रेसजन मंत्रीपद ग्रहण करें या न करें। जिसके लिये १७ मार्चको दिल्लीमें महासमितिकी बैठक बुलाअी गअी और ता० १९ और २० को महासमितिके सदस्योंके अलावा धारासभाओंके चुनावमें जीते हुअे कांग्रेसी सदस्योंका अेक सम्मेलन रखा गया। महाममितिकी बैठक होनेसे पहले सरदारने राष्ट्रके नाम निम्नलिखित संदेश प्रकाशित किया :

“हमारी कांग्रेसकी तरफसे चुनावोंकी व्यवस्था करनेका और चुनावोंमें हमें विजय प्राप्त हो यह देखनेका काम मेरे सुपुर्द किया गया

था। पंडित जवाहरलाल नेहरूके प्रेरक नेतृत्व तथा अद्भुत सहयोगसे और साथ ही मेरे साथियों—वावू राजेन्द्रप्रसाद, पंडित गोविन्द-वल्लभ पंत और श्री भूलाभाभी देसाजी वगैरा—के अथक परिश्रमसे तथा सारे देश द्वारा दिखाये गये अुत्साहसे हमारी धारणा बहुत अच्छी तरह सकल टुठी है। दक्षिणमें तो हमें आदर्श विजय प्राप्त हुयी है। वहां आीसाजी भी कांग्रेस टिकट पर चुने गये हैं। जिसका श्रेय हमारे महान और विचक्षण नेता श्री राजगोपालाचार्यको है।

“हमारे कामकी पहली मंजिल पूरी हो गयी। अब दूसरी मंजिल पर हमें अग्रसर होना है। अुसमें हमें अपना सारा समय और शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। चुनाव जीतनेमें जो निश्चय, बल और अेकता हमने दिखाये हैं, वही धारासभाओंके कार्यक्रमको—भले वह कुछ भी तय हो—अमलमें लानेमें दिखायेंगे, तो मुझे सन्देह नहीं कि हम विरोधियोंको मात कर सकेंगे और स्वराज्यका दिन निकट ला सकेंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्लीमें जो कांग्रेसी अेकत्र होनेवाले हैं, वे मजबूत और संयुक्त मोर्चा कायम रखनेमें कोअी कोशिश अुठा नहीं रखेंगे। हम अपने ध्येय तक किस प्रकार पहुंचें, जिसकी तफसीलके बारेमें शायद हमारे बीच मतभेद हों, परंतु कांग्रेसकी कार्यसमिति जो भी निश्चय करेगी अुस पर हम वफादारीके साथ कायम रहेंगे।

“वैधानिक सुधारोंके नये कानूनको असफल बना देनेकी कांग्रेसकी मनशा है। यह मुराद तभी बर आयेगी जब कांग्रेसी धारासभा-सदस्योंका हाथ हम धारासभाओंके बाहर रहनेवाले लोग अपने कार्योंसे मजबूत करें। देशने तो कांग्रेसके प्रति अपना विश्वास असंदिग्ध रूपमें प्रगट कर दिया है। चुनावोंमें विजय प्राप्त करके कांग्रेसने अपनी नयी लड़ायी शुरू की है। चुनावोंमें कांग्रेसकी जीत होते ही लंदनके ‘टाइम्स’ पत्र, अंग्लैण्डके दूसरे पत्रों और राजनैतिक पुरुषोंने कांग्रेसको बिना मांगे यह सलाह देना शुरू कर दिया है कि मतदाताओंका विश्वास बनाये रखना हो तो अुसे कैसे काम करना चाहिये।

“कांग्रेसने अपने चुनावके घोषणापत्रमें जो कार्यक्रम पेश किया है, अुसका भारतके अिन मित्रोंने दूसरा ही अर्थ लगाना शुरू किया है। परंतु भारत तो जानता है कि कांग्रेसको क्या चाहिये और अुसका कार्यक्रम क्या है। लोगोंको हमने कोअी झूठी आशा नहीं दिलायी है। चुनावके घोषणापत्रमें बताया गये कार्यक्रममें साफ कह दिया गया है कि भारतवासियोंको क्या चाहिये और स्वराज्य सरकारमें क्या मिलेगा? ”

पद स्वीकार करनेके विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि नये विधानमें गवर्नरोंके पास असीम विशेषाधिकार सुरक्षित रख दिये गये थे, जिस-लिये गवर्नर चाहते तो धारासभामें कांग्रेसका बहुमत होते हुअे भी मंत्री कोई महत्त्वका काम नहीं कर सकते थे । जिस स्थितिका सामना करनेके लिये गांधीजीने अक नया ही नुस्खा निकाला । अन्होंने कहा कि कांग्रेस तभी मंत्रिमंडल बनाये जब गवर्नर यह आश्वासन दे दें कि वे विधान द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारोंको मनमाने ढंगसे न केवल अिस्तेमाल नहीं करेंगे, परंतु सभी वातोंमें मंत्रिमंडलकी सलाहके अनुसार ही काम करेंगे । महासमितिये गांधीजीकी यह सलाह मान ली और अुत्तीके अनुसार प्रस्ताव पास किया । जो लोग मंत्रीपद ग्रहण करनेको बहुत अुत्सुक थे वे अिस प्रस्तावसे निराश हो गये । क्योंकि यह शर्त मंजूर करनेका अर्थ तो विधानकी अुतनी धाराअें रद्द करनेके समान था और ब्रिटिश सरकार अिससे सहमत नहीं हो सकती थी । जो मंत्रिमंडल बनानेके विरुद्ध थे वे खुश हुअे, क्योंकि अन्होंने समझ लिया कि ब्रिटिश सरकार अैसी शर्त कभी स्वीकार नहीं करेगी और मंत्रिमंडल बनाये नहीं जा सकेंगे । महासमितिये कांग्रेसी धारासभा-सदस्योंको आदेश दिया कि वे अपने दलके नेताका चुनाव कर लें और जब गवर्नर मंत्रिमंडल बनानेके लिये नेताको बुलावें तब वह महासमितिके प्रस्तावकी शर्त पेश कर दे और स्पष्ट कह दे कि यदि आप गवर्नरकी हैसियतमे विशेषाधिकार काममें न लेनेका सार्वजनिक रूपमें विश्वास दिलावें तो ही हम मंत्रिमंडल बनानेको तैयार हैं । महासमितिका यह प्रस्ताव प्रकाशित होनेके साथ ही देशमें बड़ा अूहापोह मच गया । भारत और अंग्लैण्ड दोनोंके कुछ बड़े बड़े विधान-शास्त्रियों और कानून-पंडितोंको लगा कि अैसी मांग विलकुल गैरकानूनी और अवैधानिक है । हमारे यहां सर तेज बहादुर सप्रूने सार्वजनिक रूपमें अपनी राय जाहिर की कि कांग्रेसकी यह मांग विलकुल वेहूदा है । अुसके विरुद्ध बम्बयीके प्रसिद्ध कानून-पंडित श्री बहादुरजी तथा श्री तारापुरवालाने, जो किसी समय बम्बयीके अेडवोकेट जनरल रह चुके थे, अपना निश्चित मत प्रगट किया कि कांग्रेसकी अिस मांगमें विधानके विरुद्ध कुछ भी नहीं है । कीथ नामक अंग्लैण्डके बड़े विधान-शास्त्रीने भी बताया कि कांग्रेसकी मांग पूरी तरह जायज है । ब्रिटिश मंत्रियोंने साफ कह दिया कि जब तक भारतके वैधानिक सुधारोंके कानूनमें परिवर्तन न कर दिया जाय तब तक गवर्नर कांग्रेसकी मांग मंजूर नहीं कर सकते । गवर्नरोंको जो सुरक्षित विशेषाधिकार दिये गये हैं, वे लोगोंके विशेष वर्गोंके हितोंकी रक्षाके लिये हैं । अल्पसंख्यक जातियों, ब्रिटिश लोगोंके भारतमें स्थापित हितों, पिछड़े हुअे वर्गों और पिछड़ी हुअी आबादीवाले प्रदेशों तथा देशीराज्यों आदि सबके

हितोंकी रक्षाके लिये गवर्नरोंको कानून द्वारा सुरक्षित विशेषाधिकार दिये गये हैं। जरूरत पड़ने पर अिन वर्गोंके हितोंकी रक्षाके लिये प्राप्त अधिकारोंको अिस्तेमाल करना उनका कर्तव्य है। कानून द्वारा सौंपे गये कर्तव्योंका पालन न करनेका वचन गवर्नर कैसे दे सकते हैं?

परंतु गांधीजी अपनी सलाह पर दृढ़ रहे। अुन्होंने कहा कि अिस शर्तके विना हम मंत्रिमंडल बनायेंगे तो हमारी बड़ी भूल होगी। विधानका जो कानून ब्रिटिश पार्लियामेण्टने पास किया है, अुसकी अेक-अेक धारामें मुझे तो हमारी प्रजाकी स्वराज्य चलानेकी योग्यताके बारेमें सन्देह भरा हुआ दीखता है। और सुधार देकर भी ब्रिटिश लोगोंको हिन्दुस्तानमें ब्रिटिश सत्ता कायम रखनी है। कांग्रेस धारासभाओंमें जाती है तो ब्रिटिश सत्ताको कायम रखनेके लिये नहीं, परंतु स्वराज्य प्राप्त करनेके लिये जाती है। अिसलिये मंत्रियोंके रोजमर्राके कामकाजमें गवर्नरोंके दखल देते रहनेसे हमारा काम नहीं चल सकता। हमें तो ब्रिटिश पार्लियामेण्टके पास किये अुझे विधान-संबंधी कानूनको व्यर्थ कर देना है। फिर भी हम वचनकी जो मांग कर रहे हैं अुसका यह अर्थ तो है ही नहीं कि गवर्नर और मंत्रियोंके बीच गंभीर मतभेद पैदा हो जायं तब मंत्रियोंको अलग कर देनेका या धारासभाओंको भंग कर देनेका गवर्नरका अधिकार हम छीन लेना चाहते हैं। हमारा अेतराज तो मंत्रियोंको गवर्नरके हस्तअेपके अधीन होना पड़े और अधीन न हों तो अुन्हें त्यागपत्र देना पड़े, अिस स्थितिके लिये है। अैसे अवसर पर मंत्रियोंको निकाल देनेकी जिम्मेदारी हम गवर्नरों पर डालना चाहते हैं। अिस प्रकार हमारी मांगमें विधान या कानूनके विरुद्ध कोअी बात नहीं है। अिस आशयका प्रस्ताव कांग्रेस कार्यसमितिके पास किया।

पहली अप्रैलसे यह नया विधान अमलमें आनेवाला था। अिसलिये नियमानुसार गवर्नरोंको धारासभाओंके बहुमतवाले दलोंके नेताओंको बुलाकर मंत्रिमंडल बनानेके लिये कहना चाहिये था। अलग अलग प्रान्तोंके कांग्रेसी नेताओंको बुलाया गया तो अुन्होंने गवर्नरको कांग्रेसकी शर्त बता दी, और गवर्नरने अुसे माननेमें असमर्थता प्रगट की। अिसलिये मंत्रिमंडल बनानेसे अिनकार कर दिया गया। सरकारने अब दूसरी तरकीब आजमाअी। छः मास तक धारासभाको बुलाये विना प्रान्तका शासन करनेका गवर्नरको कानूनमें अधिकार था, अिसलिये अल्पमतवाले दलोंमें से मंत्रिमंडल खड़े कर दिये गये—अिस आग्रसे कि पदोंके लालचसे धीरे धीरे कांग्रेसदलके धारासभा-सदस्योंमें फूट पड़ जायगी। परंतु अैसी कोअी फूट नहीं पड़ी तो तीनेक महीने प्रतीक्षा करनेके बाद ब्रिटिश मंत्रिमण और वाअिसराय अपनी

वातसे पीछे हट गये । वाअिसरॉयने २१ जूनको शिमलासे रेडियो पर जो भाषण दिया उसमें कहा :

“मैं स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेसको जिस प्रकारका भय है उसे वह सच्चे दिलसे मानती है । परंतु मैं देखता हूँ कि वास्तवमें वह भय निराधार है । गवर्नर मंत्रियोंकी नीति और कामकाजमें दखल देनेके मौके नहीं खोजनेवाले हैं । उन पर जो विशेष जिम्मेदारियां डाली गयी हैं, उनका अपुयोग भी वे बिना कारण मंत्रियोंके रोजमर्राके कामोंमें रूकावट डालकर अथवा उनका विरोध करके नहीं करेंगे । वैधानिक सुधारोंके कानूनका अदृश्य तो यह है कि मंत्रियोंको यह विश्वास हो जाय कि गवर्नर और मुल्की अधिकारियोंके सहयोगसे वे अपने प्रान्तके हितके लिये जो कानून बनाना चाहें सो बना सकते हैं । प्रान्तीय स्वराज्यका अर्थ यही होता है कि मंत्रियोंके क्षेत्रमें आनेवाले मामलोंमें तथा अल्पसंख्यक जातियों संबंधी और सिविल सर्विस संबंधी मामलोंमें भी गवर्नर अपने अधिकारोंका अपुयोग मंत्रियोंकी, जो ब्रिटिश पार्लियामेण्टके प्रति नहीं परंतु प्रान्तीय धारासभाके प्रति जिम्मेदार हैं, सलाह लेकर ही करेंगे । गवर्नरोंको जो अधिकार दिये गये हैं उनका क्षेत्र बहुत मर्यादित है । लेकिन उनमें भी वे सदा अपने मंत्रियोंको साथ लेनेका ध्यान रखेंगे ।”

वाअिसरॉयने गांधीजीके सुझावको बहुत सहायक और स्वागतके योग्य माना । अन्होंने कहा :

“गवर्नर और उसके मंत्रियोंमें गंभीर मतभेद हो जाय तब या तो मंत्री त्यागपत्र दें या गवर्नर मंत्रियोंको पदच्युत करे, यह बात कानूनमें जरूर है । परंतु गवर्नर अपने मंत्रियोंके साथ ऐसे झगड़े पैदा करना जरा भी नहीं चाहते । मतभेदके अवसर पर दोनों पक्षोंमें सद्भावपूर्वक समाधान हो जाय, अिसकी वे अपनी तरफसे भरसक कोशिश करनेमें नहीं चूकेंगे । विशेष जिम्मेदारियोंके मामलेमें मंत्रियोंकी सलाहके विरुद्ध चलनेका गवर्नरोंको अधिकार जरूर है, परंतु अिसका यह अर्थ नहीं कि अन्हें अपनी विशेष जिम्मेदारियोंके मर्यादित क्षेत्रसे बाहरके मामलोंमें प्रान्तके दैनिक प्रबंधमें दखल देनेका कोअी अधिकार है ।”

भारत-मंत्रीने भी थोड़े दिन बाद विलायतमें अिसी तरहका भाषण दिया । उसमें कांग्रेसकी मांगें पूरी तरह और स्पष्ट रूपमें तो स्वीकार नहीं की गयी थीं, फिर भी उस भाषणकी स्पष्ट ध्वनि यह थी कि गोलमोल ढंगसे

कांग्रेसकी मांगें स्वीकार करके सरकार अुसके साथ समझौता करनेको तैयार है। इसलिये जुलाओके पहले सप्ताहमें कांग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठक वर्वामें हुआ, जिसमें अुसने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

“कार्यसमिति इस निर्णय पर पहुंची है और यह प्रस्ताव पास करती है कि जिन जिन प्रान्तोंमें कांग्रेसियोंको निमंत्रण दिया जाय वहां अुन्हें पदग्रहण करनेकी अनुमति दे दी जाय। परंतु साथ ही कार्यसमिति अितनी बात स्पष्ट कर देना चाहती है कि पदग्रहण और अुसका अुपयोग कांग्रेसके चुनाव-घोषणापत्रमें जो दिशा बतायी गयी है अुसीके अनु-सार करना है। कांग्रेसकी नीति अेक तरफसे नये वैधानिक सुधारोंके कानूनके विरुद्ध भरसक लड़ायी लड़नेकी और दूसरी ओर रचनात्मक कार्यक्रमका अमल करनेकी है।”

१३ जुलाओको बंगालके गवर्नर सर जॉन अेण्डर्सनने अेक पुलिस परेडके सम्मुख भाषण देते समय सरकारी नौकरोंकी स्थितिके बारेमें जो सफाई दी, अुससे भी वातावरण बहुत साफ हो गया। क्योंकि अेक विशेष श्रेणीके सरकारी नौकरोंको अलग करनेका मंत्रियोंको अधिकार नहीं था, इसलिये अैसी शंका रहती थी कि वे गैरजिम्मेदारीसे व्यवहार कर सकते हैं। बंगालके गवर्नरने अुनकी जिम्मेदारीके बारेमें अिन शब्दोंमें स्पष्टीकरण किया :

“मैं आपके दिल पर यह चीज जमा देना चाहता हूं कि नये विधानमें यह अभिप्रेत नहीं है कि सरकारी नौकरोंकी वफादारियोंमें संघर्ष पैदा हो। क्योंकि भले ही आपकी नियुक्तियां सम्राटकी ओरसे की जाती हों और आप सीधे सम्राटके प्रति जिम्मेदार माने जाते हों, परंतु सम्राटके तमाम अधिकार कानूनके अधीन रहकर काम करनेवाले अुनके वैधानिक सलाहकारों (अर्थात् मंत्रियों)के हाथमें रहते हैं। आप जानते हैं कि सरकारी नौकरोंके मामलेमें गवर्नरको खास जिम्मेदारी सौंपी गयी है। परंतु अुनकी इस जिम्मेदारीसे कानून और व्यवस्था संभालनेवाले मंत्रियोंकी जिम्मेदारीका निपेव नहीं होता। इसलिये सम्राटके नौकर जिस जिस मंत्रीके विभागमें हों अुन्हें अपने हित और रक्षाके लिये अुस मंत्रीके नेतृत्व पर ही आदार रखना है। आपको अपनी बात गवर्नरके ध्यानमें लानी हो तो भी मंत्रीके मारफत ही लायी जा सकती है। सम्राट, सम्राटके सलाहकारों (मंत्रियों) और सम्राटके नौकरोंमें परस्पर विश्वास इस प्रकारकी बुनियाद पर ही रह सकता है। किसी भी व्यवस्थित और प्रगतिशील शासनतंत्रके लिये यह शर्त अनिवार्य रूपमें आवश्यक है।”

कार्यसमितिका प्रस्ताव पास हो जानेके बाद जुलाई १९३७ में छः प्रान्तोंमें कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाये गये। कुछ समय बाद सीमाप्रान्त और आसाममें कांग्रेसके मंत्रिमंडल बन जाने पर ब्रिटिश भारतके ग्यारह प्रान्तोंमें से कुल आठमें कांग्रेसकी हुकूमत कायम हो गयी।

अस सिलसिलेमें दो तात्त्विक प्रश्न उपस्थित हुअे। विधानके कानूनके अनुसार तमाम धारासभा-सदस्यों और मंत्रियोंको ब्रिटिश सम्राट्के प्रति वफादारीकी शपथ लेनी चाहिये थी। कांग्रेसका ध्येय पूर्ण स्वराज्यका था, असिलिये अेक प्रश्न यह पैदा हुआ कि कांग्रेसी अैसी शपथ ले सकते हैं या नहीं। दूसरा प्रश्न यह खड़ा हुआ कि कांग्रेसियोंने विधानको नष्ट करनेका निश्चय किया है, जब कि मंत्रीपद स्वीकार करनेसे कांग्रेसी विधानका अमल करनेमें भाग लेते हैं। तो यह स्थिति कांग्रेसके प्रस्तावके साथ सुसंगत है या नहीं?

पहले हम शपथका प्रश्न लें। अस वारेमें गांधीजीके 'हरिजन' पत्रमें अुस समय काफी चर्चा हुअी थी। वफादारीकी शपथके वारेमें गांधी-सेवासंघके सम्मेलनमें गांधीजीने कहा कि अैसी शपथ लेनेके मामलेमें जिन्हें अन्तःकरणकी बाधा हो वे धारासभाओंमें जायेंगे ही नहीं। परंतु यह कोअी धार्मिक शपथ नहीं है। मैं जिस प्रकार विधानको समझता हूं अुसके अनुसार तुरंत और पूर्ण स्वराज्यकी मांगके साथ यह शपथ असंगत नहीं है। धार्मिक और अर्धधार्मिक शपथमें फर्क बताते हुअे अुन्होंने दूसरे अवसर पर समझाया कि विधानकी हसे ली जानेवाली शपथका अर्थ विधान तय करता है अथवा प्रणालीके अनुसार निश्चित होता है। मैं जिस प्रकार ब्रिटिश विधानको समझता हूं अुसके अनुसार वफादारीकी शपथका अर्थ अितना ही होता है कि धारासभाका सदस्य अपनी नीति अथवा अपने मुद्देकी हिमायत विधानके अनुसार करे। श्री किशोरलालभाजीने अैसी शपथका स्पष्टीकरण अधिक विस्तारसे किया और गांधीजीने अुनकी दलीलका समर्थन किया। विधानकी हसे ली जानेवाली शपथका अर्थ समझाते हुअे श्री किशोरलालभाजीने लिखा कि :

“वफादारीकी शपथके अर्थके वारेमें बड़ी अुलझन पैदा हो गयी है। असका कारण यह है कि विधान बनानेवाले या शपथका अर्थ करनेके अधिकारी लोग अस शपथका जो अर्थ लगाते हैं, अुसे और साधारण आदमी शपथका जो अर्थ लगाते हैं अुसे हम मिला देते हैं। सामान्य मनुष्य तो सम्राट्के प्रति वफादारीकी शपथका अर्थ यहां तक करेगा कि राजाके प्रति अैसा भक्तिभाव रखा जाय कि अुसके लिये शपथ लेनेवालेको मरनेके लिये भी तैयार रहना चाहिये, और वह यह

अर्थ भी करता है कि अेक वार सौगन्द ले ली कि जीवन भरके लिअे हम बंध गये । परंतु विधानकी रूसे ली जानेवाली सौगन्दका अैसा अर्थ अुचित नहीं माना जायगा । प्रसिद्ध विधान-शास्त्रियोंकी रायके अनुसार मैं यह समझा हूं कि अैसी सौगन्द लेनेवालेके लिअे तभी तक बन्धनकारक होती है जब तक वह अुस संस्थाका सदस्य हो । जब तक वह सदस्य रहे तब तक राजाके विरुद्ध हथियार अुठाकर वह बलवा नहीं करेगा और न अुसकी जान लेनेमें भाग लेगा । यद्यपि विधानके अनुसार कार्रवाअी करके अुसे ये कृत्य करनेकी भी आजादी अवश्य है । विधानके अनुसार अुपाय करके धारासभा-सदस्य सौगन्दके शब्दोंमें फेरबदल करा सकते हैं अथवा सौगन्दको विलकुल रद्द भी करा सकते हैं । राजाको पदच्युत कर सकते हैं अथवा राजाको फांसीकी सजा भी दे सकते हैं । परंतु जब तक धारासभा प्रस्ताव पास न कर दे, तब तक सौगन्द लेनेवाला कोअी भी धारासभा-सदस्य धारासभासे त्यागपत्र दिये विना राजाके विरुद्ध हिंसक विद्रोह नहीं कर सकता ।”

गांधीजीने अेक दलील यह भी दी कि पूर्ण स्वराज्य लेनेका हमारा आन्दोलन यदि अिस सौगन्दके साथ असंगत होता तो जिस समय कांग्रेसी धारासभाओंके लिअे अुम्मीदवार खड़े हुअे तभी सरकारने अंतराज किया होता ।

हम धारासभाओंमें विधानको विफल करनेके लिअे जा रहे हैं, अिसका अर्थ वहुतसे कांग्रेसियोंने यह किया था कि धारासभामें जाकर हर वातमें हम आपत्तियां अुठायेगे, झगड़े करेंगे और अिस प्रकार धारासभाओंको सरकारके साथ मल्लयुद्धका अखाड़ा बना देंगे । परंतु अिस वारेमें गांधीजीने साफ कह दिया कि :

“हम पदग्रहण अिसलिअे नहीं कर रहे हैं कि हमें विधानका सांगोपांग अमल करना है; लेकिन अिसका यह अर्थ भी नहीं कि हमें वार वार गति-अवरोध अुत्पन्न करना है । जब तक हम धारासभाओंमें बैठे होंगे तब तक तो हम अुसके कानूनकी मर्यादामें रहकर ही चलेंगे । परंतु नरम विचारके नेता जिस ढंगसे विधानका अमल करनेकी वात समझते हैं या अन्तरिम कालमें पदाारूढ़ मंत्रियोंने जिस ढंगसे विधानका अमल किया अुस ढंगसे हम अुसका अमल नहीं करग । जो सत्ता हमें वैधानिक रूपमें मिली है अुसका अुपयोग हमें अिस ढंगसे करना है कि विधानका कानून बनानेवालोंका अुद्देश्य

विफल हो जाय। हम विधानका पालन तो कानूनके अनुसार ही करेंगे, परंतु सरकारने जो अपेक्षा रखी है उस तरह नहीं करेंगे।”

वम्बवी प्रान्तमें कांग्रेसका मंत्रिमंडल बन जानेके बाद सरदारने मंत्रियोंसे पहला काम यह कराया कि १९३२ से १९३४ की पिछली लड़ाईमें गुजरात तथा कर्नाटकमें जिन किसानोंकी जमीनें सरकारने जब्त करके बेच डाली थीं अन्हें वे वापस दिला दीं। जिस अेक कामके लिये भी सरदार पदग्रहण करनेको अुत्सुक थे। किसानोंको सरदारने विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी जमीनें तुम्हारा द्वार खटखटाती हुअी वापस आयेंगी। यों कहना चाहिये कि वम्बवीके गवर्नरने जिस मामलेमें बड़ा सहानुभूतिपूर्ण रख रखा और अच्छी सहायता दी। हां, अुत्तरी विभागके कमिश्नर मि० गैरेटने जिस काममें अड़ंगे डालनेकी भरसक कोशिश की। परंतु अुनकी कुछ चली नहीं।

कांग्रेसने आठ प्रान्तोंमें लगभग दो वर्ष तक हुकूमत की। जिस अर्सेमें अुपरोक्त नीतिका पालन करते हुअे कुछ प्रान्तोंके गवर्नरोंके साथ कठिनायियां और संघर्ष भी अुत्पन्न हुअे। परंतु अुनकी तफसीलमें जानेसे पहले वम्बवी प्रान्तमें धारासभाके नेताके चुनावके मामलेमें जो बड़ा विवाद अुठ खड़ा हुअा था अुसका वर्णन करेंगे।

श्री नरीमान वंबवी प्रान्तीय कांग्रेसके सभापति थे और नेता बननेकी अिच्छा रखते थे। अितना ही नहीं, यह भी मानते थे कि वे ही नेता चुने जाने चाहिये। धारासभाने अुन्हें नेता चुननेके बजाय श्री वालासाहब खेरको नेता चुना। श्री नरीमानने सरदार पर यह अिलजाम लगाया कि अुन्होंने अपने प्रभावका दुरुपयोग करके और द्वेषभाव रखकर अुन्हें वम्बवीकी धारासभाका नेता नहीं चुना जाने दिया। जिस कारण वम्बवीका वायुमण्डल कुछ त्रिगड़ भी। अन्तमें यह चीज पंचके सुपुर्द की गअी। पंचने सारे प्रमाणोंकी जांच करके घोषणा की कि सरदारका जिसमें कोअी दोष नहीं था। जिसका विस्तृत वर्णन अगले अध्यायमें देंगे।

नरीमान कांड - १

नरीमानके आक्षेप

चुनावोंके परिणाम प्रकाशित हो जानेके बाद कांग्रेस पदग्रहण करे या नहीं, इस मामले पर विचार करनेके लिये मार्च १९३७ के तीसरे सप्ताहमें दिल्लीमें महासमितिकी बैठक होनेवाली थी। उसीके साथ १९ और २० मार्चको कांग्रेसके निर्वाचित धारासभा-सदस्योंका एक सम्मेलन रखा गया था। उस सम्मेलनके पहले भिन्न भिन्न प्रान्तोंके धारासभा-सदस्योंको अपने-अपने नेताका चुनाव कर लेना था, ताकि उन नेताओं द्वारा सम्मेलनमें विचार करनेमें सुगमता रहे। इस योजनाके अनुसार १२ मार्चको बम्बयी प्रान्तीय धारासभाके सब सदस्योंकी एक सभा बम्बयीके कांग्रेसभवनमें हुयी और उसमें श्री बालासाहब खेरको सर्वसम्मतिसे बंबयी प्रान्तके धारासभा दलका नेता चुन लिया गया। श्री नरीमान स्वराज्य दलके समय बंबयीकी धारासभामें स्वराज्य दलके नेता थे। इसके सिवा वे बम्बयी प्रान्तके पार्लमेण्टरी बोर्डके भी चेयरमेन थे। और अपने दीर्घकालीन कांग्रेसकार्यके कारण तथा अपनी होशियारीके कारण यह आशा रखते थे और विश्वासपूर्वक मानते थे कि धारासभा-सदस्य अन्हींको अपना नेता चुनेंगे। परंतु १२ मार्चको सुबह अन्हें पता चल गया कि धारासभा-सदस्य अन्हें नेता नहीं चुनेंगे। इसलिये वे बैठकमें उपस्थित नहीं हुये। दूसरे ही दिनसे बम्बयीके गुजरातीमें निकलनेवाले पारसी अखबारोंने और अंग्रेजी पत्र 'वाॅम्बे सॅटीनल' ने जबरदस्त आन्दोलन मचाया कि नरीमानके साथ बड़ा अन्याय हुआ है; यद्यपि धारासभा-सदस्य नरीमानको चुनना चाहते थे फिर भी सरदारने अपना प्रभाव काममें लेकर और धारासभा-सदस्यों पर अनुचित दबाव डालकर नरीमानको नहीं चुनने दिया।

१५ मार्चको अखबारोंमें एक वक्तव्य देकर श्री नरीमानने सूचित किया कि :

“कैसे भी हुआ हो, एक व्यक्तिके चाहे जितने हक हों, परंतु एक कठोर अनुशासनप्रिय वफादार कांग्रेसीके रूपमें मुझे बहुमतका फैसला आनंदपूर्वक और किसी भी असंतोषके बिना स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि मैं यह कहूँ कि इस चुनावसे मेरा जी नहीं दुखा, तो

वह अप्रामाणिकता होगी। परंतु मुझमें अनुशासनकी अितनी भावना है और सार्वजनिक कर्तव्यका मुझे अितना भान है कि राष्ट्रीय कार्यमें मैं अपनी भावनाओंको बाधक नहीं होने दूंगा। इसलिये जब तक श्री खेर हमारे दलके चुने हुये नेता हैं तब तक पूरे दिलसे और सच्ची निष्ठासे अुन्हें सहयोग देनेकी हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिये।”

अिसमें अपने साथ अन्याय होनेकी अुनकी मान्यताकी ध्वनि स्पष्ट नजर आती है।

दिल्लीमें कार्यसमिति और महासमितिकी बैठक १५ मार्चसे शुरू हुयी थी, इसलिये बहुतसे धारासभा-सदस्य तभीसे दिल्ली पहुंच गये थे। वम्बडीके अखबारोंका अनिष्ट प्रचार देखकर १६ मार्चको वम्बडी प्रान्तके दिल्लीमें अुपस्थित ४७ धारासभा-सदस्योंके हस्ताक्षरोंसे अेक वक्तव्य प्रकाशित किया गया। अुसमें कहा गया :

“हमारे दलके नेताके तीर पर श्री खेरका चुनाव होनेके मामलेमें वंबडीके कुछ समाचारपत्रोंमें सरदार वल्लभभाडीके विरुद्ध जो मान-हानिकारक प्रचार हो रहा है, अुससे हमें बड़ा दुःख होता है। १२ मार्चको वम्बडीमें हुयी धारासभाके कांग्रेसदलकी बैठकमें हम सब मौजूद थे। अुसमें श्री खेरको सर्वसम्मतिसे नेता चुना गया था और अन्य पदाधिकारी मनोनीत करनेका अुन्हें अधिकार दिया गया था। सरदारकी तरफसे किसी भी सदस्य पर कोई अनुचित दवाव डाले जानेकी बात सर्वथा निराधार और झूठी है। इसलिये हम कांग्रेसके अध्यक्षसे प्रार्थना करते हैं कि वे अेक वक्तव्य प्रकाशित करके राष्ट्रीय जीवनमें जहर फैलानेवाले अिस प्रचारकी निन्दा करें और अिसे बन्द करानेकी कोशिश करें।”

अिस बीच यह शिकायत करनेवाले कुछ पत्र कांग्रेसके अध्यक्ष और कार्यसमितिके नाम आये कि श्री नरीमानके साथ अन्याय हुआ है। अिस पर कार्यसमितिने अिस मामलेकी पूरी जांच करके निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

“वम्बडीके अखबारोंमें जो प्रचार हो रहा है अुसे देखकर कार्यसमितिको बड़ा आश्चर्य और दुःख होता है। अिस मामलेमें कार्य-समितिने तफसीलमें जाकर जांच की है और श्री नरीमान द्वारा पेश की हुयी बहुत लंबी कैफियत सुनी है। अुस परसे समितिको विश्वास हो गया है कि वम्बडीकी धारासभाके कांग्रेसदलने स्वतंत्र

रूपमें, विचारपूर्वक और सर्वसम्मतिसे जो चुनाव किया है उसमें दखल देनेका उसे कोई कारण दिखायी नहीं देता। समितिको यह भी अति-मीनान हो गया है कि दलके निर्णयके विरुद्ध जो प्रचार किया गया है वह सर्वथा निराधार और प्रान्तके सार्वजनिक जीवन और कांग्रेसकार्य दोनोंके लिये हानिकारक है। यह समिति उसकी निन्दा करती है। यदि समितिको यह माननेका कारण मालूम होता कि किसी भी मनुष्यके अनुचित व्यवहारसे चुनाव पर असर पड़ा है अथवा, जैसा आक्षेप किया जाता है, सरदार वल्लभभाभी पटेलके अनुचित दवावसे नेताका चुनाव किया गया है, तो समिति अवश्य दुवारा चुनाव करनेकी आज्ञा देती। परंतु ऐसा करनेका समितिको थोड़ा भी कारण दिखायी नहीं दिया। धारासभाके सदस्योंके सम्मेलनके लिये दिल्लीमें उपस्थित ४७ सदस्योंने लिखित घोषणा की है कि श्री खेरका चुनाव स्वतंत्र रूपमें और सर्वसम्मतिसे हुआ है। इसलिये यह समिति उस चुनावको बहाल रखती है और समाचारपत्रों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियोंसे अपील करती है कि वे अपने नेताके चुनावके मामलेमें सब दृष्टियोंसे विचार करके दलके द्वारा किये गये अंतिम निर्णयके विरुद्ध प्रचार बन्द कर दें। हम यह मानते हैं कि आगे भी प्रचार जारी रखा जायगा तो उसका अर्थ यह होगा कि दलको घमकियोंसे डरानेका प्रयत्न हो रहा है। इसलिये कांग्रेसके अद्देश्यों और हेतुओंके साथ जिनकी हमदरदी है अैसे तमाम लोगोंसे हम प्रार्थना करते हैं कि वे जिस प्रकारकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन न दें।”

वम्बडी लौट आनेके बाद २३ मार्चको श्री नरीमानने अखबारोंमें वक्तव्य प्रकाशित करके बताया :

“राष्ट्रकी सर्वोच्च सत्ताने जो फैसला दे दिया उसे मुझे अंतिम समझना चाहिये। जो सच्चे और वफादार कांग्रेसी हैं उन्हें जिस खेदजनक कांडको समाप्त हुआ मानना चाहिये।”

परंतु किसीके साथ वे यह भी कहनेमें नहीं चूके कि :

“अंक छोटी जातिके अदना सेवकको न्याय दिलानेके लिये उसके अतने अधिक हिन्दू मित्रों और प्रशंसकोंने विरोध बुठाया, यह मेरे लिये बहुत संतोषकी बात है।”

अखबारोंका प्रचार तो जारी ही रहा। उसमें श्री गंगाधरराव देशपांडे, श्री शंकरराव देव और श्री अच्युत पटवर्धनके नाम सरदारके साथियोंके

रूपमें बहुत लिये जाते थे, जिसलिये अन्होंने २६ मार्चको अखबारोंमें वक्तव्य प्रकाशित करके कहा :

“हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि सरदार वल्लभभाजी पटेलन स्वयं जिस मामलेमें कोजी भाग नहीं लिया और अेक भी मतदाता पर अपना असर नहीं डाला। कुछ सदस्यों और संस्थाओंके साथ चर्चा करने पर हमें स्वयं ऐसा लगा कि कांग्रेस जो नये प्रयोग आरंभ कर रही है अन्हें अच्छी तरह सफल बनानेके लिये धारासभा-दलका नेता ऐसा होना चाहिये, जिस पर सदस्योंके बहुत बड़े भागका विश्वास हो। जिस प्रकार सब जिन्हें अपने नेताके रूपमें स्वीकार कर सकें अैसे व्यक्ति हमें श्री खेर ही मालूम हुअे। जब १२ तारीखकी शामको कांग्रेसदलके धारासभा-सदस्य अपना नेता चुननेके लिये जमा हुअे थे, तब लगभग पंद्रह सदस्योंके सिवा और सब श्री खेरको चुननेके मतमें थे, जिसलिये अुनका नाम नेताके लिये पेश किया गया और सबने सर्वसम्मतिसे स्वीकार कर लिया।”

यह सब हो जाने पर भी वम्बजीके कुछ अखबारोंमें यह दिपैला प्रचार जारी ही रहा। १२ मर्चको श्री नरीमानने कांग्रेसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलालजीको अेक लंबा पत्र लिखकर बताया :

“१७ मार्चकी कार्यसमितिकी बैठकमें जब मुझसे पूछा गया, तब मैंने सरदार वल्लभभाजी पर यह आक्षेप किया था कि श्री शंकरराव देव तथा श्री गंगाधरराव देशपांडे द्वारा महाराष्ट्र तथा कर्नाटकके धारासभा-सदस्योंके मत बदल डालनेके लिये मुख्यतः सरदार ही जिम्मेदार हैं। वहां मैंने यह भी कहा था कि चार दिन पहले अर्थात् ८ मार्चको महाराष्ट्रके तीस धारासभा-सदस्य चायपानके लिये अिकट्ठे हुअे थे और अन्होंने मुझे (श्री नरीमानको) मुख्यमंत्री बनानेका निश्चय किया था। यह बात मराठी पत्र ‘नवाकाल’ में प्रकाशित हुअी और दूसरे पत्रोंमें भी छपी। सरदार वल्लभभाजी पटेलने ९ मार्चको यह खबर पढ़ी तो अुसी दिन अहमदाबादसे अन्होंने श्री शंकरराव देव तथा श्री गंगाधररावके नाम निम्नलिखित तार भेजे :

‘श्री शंकरराव, पूनाकी खबरोंसे मुझे चिन्ता होती है। अच्युत और आप मुझसे वम्बजीमें गुरुवार (ता० ११) को मिलिये।’

“दूसरा तार गंगाधररावको :

‘मुझसे गुरुवारको वम्बजीमें मिलिये।’

“ये तार अभी मेरे हाथमें आये हैं, जिसलिअे सरदार वल्लभभाभीके अनुचित व्यवहारका नया प्रमाण मेरे हाथ लगा है। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूँ। श्री शंकरराव देव, श्री गंगाधरराव तथा श्री अच्युत पटवर्धन ११ मार्चको वम्बजी आये और १२ तारीखको महाराष्ट्रके धारासभा-सदस्य वम्बजीके सरदारगृहमें जमा हुअे। उस समय अन्होंने सरदारके कहनेसे मेरे विरुद्ध सदस्योंके कान भरे। यह कहकर कि मैंने १९३४ में बड़ी धारासभाके चुनावके समय कांग्रेसको घोखा दिया था, अन्होंने यह प्रचार भी किया कि मैं धारासभाका नेता होनेके लायक नहीं हूँ। मैं जिस खेदजनक और अरुचिकर कांडको फिरसे छेड़ना नहीं चाहता। केवल आपकी न्यायबुद्धिसे अपील करना चाहता हूँ कि अिन तारोंसे अितना संतोषजनक प्रमाण मिलने पर भी आप क्या अभी तक सरदार वल्लभभाभीका यह कहना मानते हैं कि जिस कांडमें अुनका कोअी हाथ नहीं था? दूसरे प्रातोंमें तो प्रान्तीय समितिके अध्यक्षोंने या दूसरे नेताओंने धारासभाके नेताके चुनावमें कोअी दखल नहीं दिया। यह धारासभाके चुने हुअे सदस्योंके हककी बात है। परंतु वम्बजी प्रान्तमें श्री वल्लभभाभीने बड़ा हस्तक्षेप किया है। अिन तारोंसे आप देख सकेंगे कि श्री वल्लभभाभी पटेलकी गलतवयानीसे प्रभावित होकर कार्यसमितिके मेरे विरुद्ध अन्यायपूर्ण, अिकतरफा और थोड़ा कठोर प्रस्ताव पास किया है। जिस प्रकरणमें सरदार विलकुल निर्दोष हैं, अैसा अखबारी वयान अुनकी अिच्छानुसार प्रकाशित करनेसे मैंने अिनकार कर दिया था, जिसलिअे मुझे यह भय रखनेके अुचित कारण हैं कि वे भविष्यमें मुझे और भी सतारेंगे। वे पार्लमेण्टरी सव-कमेटीके चेयरमेन हैं, जिसलिअे यह न्यायपूर्ण नहीं है कि मेरा भावी पार्लमेण्टरी जीवन अुनकी दया पर निर्भर रहे।”

अुसी पत्रमें अुन्होंने फिरसे लिखा :

“यद्यपि जिस कांडको मैं फिरसे छेड़ना नहीं चाहता, परंतु मुझे जो अधिक प्रमाण मिल गया है अुससे संस्याके अध्यक्षके नाते आपको परिचित करना अपना फर्ज समझकर मैंने आपको लिखा है, ताकि जिस सारे कांडका आपको सही और न्यायपूर्ण खयाल हो सके।”

अुस समय पंडित जवाहरलालजी वर्मा और मलायाकी यात्रा पर गये हुअे थे, जिसलिअे यह पत्र अुन्हें वहां भेज दिया गया। जिस नीच अुपरोक्त दो

तारोंका फोटो-प्रिंट दम्बडीके 'कैसे हिन्द' तथा दूसरे पत्रोंमें जिस आलोचनाके साथ प्रकाशित हुआ कि सरदारने कर्नाटक और महाराष्ट्रके धारासभा-सदस्यों पर दवाव डाला था, जिसका निर्णायक प्रमाण बिन तारोंसे मिल जाता है। ९ जूनको श्री शंकरराव देव और श्री अच्युत पटवर्धनने अखबारोंमें एक वक्तव्य प्रकाशित करके तारोंके बारेमें स्पष्टता की। अन्होंने बताया :

“महाराष्ट्रकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक ७ मार्चको हुई थी और अुसने बहुमतसे निश्चय किया था कि कांग्रेस पद स्वीकार न करे। परंतु महाराष्ट्रके नये चुने हुअे धारासभा-सदस्य पदग्रहण करनेके मतके थे। जिसलिअे दूसरे ही दिन, ८ मार्चको चायपानके समारोहमें अेकत्र होकर अवैध रूपमें अुन्होंने पदग्रहण करनेका निश्चय किया। अितना ही नहीं, यह भी निश्चय किया कि वीर नरीमान प्रधानमंत्री वनें और प्रत्येक प्रान्तके धारासभा-सदस्योंकी संख्याके अनुसार वहांके मंत्री रखे जायं। मंत्रियोंके नाम भी सुझाये गये। यह चीज ९ मार्चको अखबारोंमें सरदारने पढ़ी तो अुन्हें लगा कि अभी तो कांग्रेसकी महासमित्तिने यह भी तय नहीं किया कि पद स्वीकार किये जायं या नहीं; अैसी हालतमें कुछ धारासभा-सदस्य पदग्रहण करनेका निर्णय कर लें और अुनका वंत्वारा भी करने लगें तो जिसका वातावरण पर बहुत बुरा असर हो सकता है। कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्षकी हैसियतसे सरदारको लगा कि जिस प्रकारकी गैरजिम्मेदारी और पदोंके लोभसे भरी हुअी चर्चायें वन्द करनी चाहिये। जिसलिअे अुन्होंने हमें तार देकर बुलवाया था। श्री गंगाधररावको भी इसी खयालसे बुलवाया था कि यद्यपि वे कर्नाटकमें काम करते हैं, परंतु तिलक महाराजके पुराने साथी और वयोवृद्ध नेताके नाते महाराष्ट्रके कार्यकर्ताओं पर अुनका बड़ा असर है। जिसलिअे हम तीनों मिल कर महाराष्ट्रके धारासभा-सदस्योंको अैसी हानिकारक चर्चायें न करनेको समझायें। तार देकर हमें बुलवानेमें सरदारका हेतु श्री नरीमानके त्रिरुद्ध प्रचार करनेका जरा भी नहीं था।”

११ जूनको श्री गंगाधरराव देशपांडेने भी इसी आशयका वक्तव्य प्रकाशित किया। परंतु दंबडीके समाचारपत्रोंने बिन तारोंको लेकर तिलका ताड़ बना लिया था और सरदार पर विचित्र आरोप लगाने शुरू कर दिये थे। जूनके मध्यमें जवाहरलालजी वर्मा-मलायाकी यात्रासे लौटे तब ये सब आक्षेप और दायित्वहीन प्रचार देखकर अुन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस

चीजको दवा देनेके लिये १६ जूनको अलाहाबादसे अन्होंने अखवारी वक्तव्य प्रकाशित करके तारोंका स्पष्टीकरण किया। अन्होंने कहा :

“अिस प्रकारकी बातें दूसरे प्रान्तोंके धारासभा-सदस्योंमें भी हो रही हैं, यह बात हमारी जानकारीमें आयी थी और कार्यसमितिमें हमने तय भी किया था कि कांग्रेसी धारासभा-सदस्य पद स्वीकार करनेके लिये आतुर हैं, अैसी छाप लोगों पर और सरकार पर डालनेवाली सारी प्रवृत्तियोंकी निन्दा की जाय। मैंने अुस समय अिस संबंधमें अखवारोंमें अेक वक्तव्य भी प्रकाशित किया था। सरदार वल्लभभाभीने महाराष्ट्रके नेताओंको तार देकर बुलाया, वह हमारे अिस प्रकारके निर्णयका ही परिणाम था। जिस दिन अन्होंने तार दिये थे अुसी दिन अन्होंने मुझे पत्र भी लिखा था कि महाराष्ट्रमें अैसी बातें हो रही हैं और अन्हें रोकनेके लिये मैंने श्री गंगाधरराव देशपांडे वगैराको बम्बयी बुलाया है।”

१७ जूनको श्री नरीमानको भी पत्र लिखा, जिसमें यह बात समझायी। १२ मअीके श्री नरीमानके पत्रमें अुठाये गये दूसरे प्रश्नोंका जवाब देते अुअे अन्होंने लिखा :

“आप गुप्त बैठकों और प्रचारके वारेमें जो लिखते हैं, अुसमें तो मुझे अिसके सिवा कुछ नहीं दीखता कि आपने अपनी कल्पनाके घोंड़ोंको बेलगाम दौड़ने दिया है। आपने जो लिखा है अुसमें वस्तुस्थितिको सच्चे रूपमें देखनेकी वृत्तिका अभाव जान पड़ता है। आप लिखते हैं कि प्रान्तीय समितियोंके अध्यक्ष धारासभा-दलके नेताके चुनावमें क्यों भाग लें? यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। सारी कांग्रेस कार्यसमितिको और अुसके सदस्योंको व्यक्तिगत हैसियतसे अैसे चुनावमें जरूर दिलचस्पी लेनी चाहिये। क्योंकि हमारी भावी लड़ायीमें अिस चीजका महत्त्वपूर्ण हाथ रहेगा। अेक व्यक्तिगत बातको आप जरूरतसे ज्यादा तूल दे रहे हैं और किसी ठोस आधारके बिना जिम्मेदार आदमियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपकी अिच्छा हो तो मैं आपका पत्र कार्यसमितिके सामने पेश कर दूं। परंतु मुझे नहीं लगता कि अैसा करना आपके लिये किसी भी तरह सहायक होगा।”

अुसके बाद लगभग अेक महीने तक श्री नरीमानने जवाहरलालजीसे पत्रव्यवहार जारी रखकर अुन्हें लंबे लंबे पत्र लिखे। ५ से ८ जुलाअीके बीचके दिनोंमें वर्धामें कार्यसमितिकी बैठक अुअी। बंबयीके अखवारोंमें त्रिपैला प्रचार

तो जारी ही था, जिसलिये पंडित जवाहरलालने श्री नरीमानकी बात समझनेके लिये अन्हें खरू बुलाया। अुनकी शिकायतके बारेमें पूछने पर श्री नरीमानने बताया कि मैं नहीं चाहता कि दिल्लीके निर्णय पर पुनर्विचार हो। तब पंडित जवाहरलालजीने कहा कि चूंकि चार महीनेसे समाचारपत्रोंमें प्रचार हो रहा है, जिसलिये आपके जो भी आक्षेप हैं वे मुझे निश्चित रूपमें बताइये। श्री नरीमानने जवाब दिया कि मैं तुरंत तो नहीं बता सकता, परंतु वंदगी जाकर मुझे जरूरी जान पड़ेगा तो आपके पास लिखकर भेज दूंगा। यह बात लिखित रूपमें रहे, जिसलिये ८ जुलाईको श्री जवाहरलालने श्री नरीमानको लिखा :

“आपके पत्र बहुत लंबे होते हैं, फिर भी अुनमें कोअी स्पष्टता नहीं होती। अतः मुझे यह समझना कठिन हो जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या चाहिये और आपके निश्चित आरोप क्या हैं। अेक तरफसे आप यह कहते हैं कि आपको सताया जा रहा है और अुसके विरुद्ध आपको संरक्षण चाहिये। दूसरी तरफसे आप यह कहते हैं कि यह बात मैं फिरसे अुठाना नहीं चाहता। और यह भी कहते हैं कि यह बात अुठानी जाय तो मेरे मामलेकी पूरी जांच होनी चाहिये। यह सारी चीज त्रिलकुल अस्पष्ट हैं। जिसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे स्पष्ट बतायें कि इस मामलेमें आपकी क्या स्थिति है। दूसरे, सरदार वल्लभभागी पटेल और दूसरे लोगोंके विरुद्ध आप जो तरह तरहके आरोप लगाते हैं और शिकायतें करते हैं, अुनकी सूची मुझे आप स्पष्ट और निश्चित भाषामें दीजिये। अैसी सूची मेरे सामने हो तो ही हमारी समझमें आये कि आपको क्या चाहिये और हमसे आप क्या करवाना चाहते हैं। मेरे अिन प्रश्नोंका आप मुझे अुत्तर दें तो कार्यसमितिमें अुन पर विचार हो सके।”

कार्यसमितिकी बैठक समाप्त हो जानेके बाद ९ जुलाईको सरदारने गांधीजीकी सलाह और आग्रहसे वर्धासे निम्नलिखित वक्तव्य निकाला :

“बम्बयी धारासभाके कांग्रेसदलके नेताके चुनावके मामलेमें अखबारोंमें दुःखद चर्चा हो रही है। अब तक मैंने इस बारेमें जान-बूझकर और प्रयत्नपूर्वक मौन रखा है। परंतु मेरे खयालसे जनताकी जानकारीके लिये अेक छोटासा वक्तव्य निकालनेका समय मेरे लिये आ गया है।

“श्री नरीमानका कहना यह है कि नेताके चुनावके मामलेमें मैंने अनुचित प्रभाव काममें लिया है। कहा जाता है कि मैंने

श्री गंगाधरराव देशपांडे, श्री शंकरराव देव और श्री अच्युत पटवर्धनके द्वारा दवाव डलवाया । अन्होंने जिस वातसे स्पष्ट शब्दोंमें अनिकार किया है, फिर भी आक्षेप लगाना जारी ही है । जनता यह भी जानती है कि धारासभाके सदस्योंने बहुत बड़ी संख्यामें लिखित वक्तव्य निकाल कर अनि आक्षेपोंसे अनिकार किया है । अब मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुअे कहता हूं कि मैंने प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह नेताके चुनाव पर असर नहीं डाला । असल वात यों हुअी : ४ मार्चको सुबह श्री नरीमान मेरे यहां आये और मुझसे खानगी मुलाकात चाही । मैं तो अुसी समय अुनसे वात करनेको तैयार था । परंतु अुनके सुझाव पर यह प्रबंध किया गया कि हम शामको वरली पर घूमने जायं । तदनुसार वे मुझे अपनी गाड़ीमें वरली ले गये । वहां अुन्होंने मुझसे अपने नेता चुने जानेमें सहायता देनेकी मांग की । मैंने कारण बताकर अुनसे कह दिया कि मैं मदद नहीं कर सकूंगा । साथ ही यह भी बता दिया कि अुनके विरुद्ध मैं किसी पर भी असर नहीं डालूंगा ।

“यह दिखानेको कि मैंने श्री नरीमानके विरुद्ध धारासभा-सदस्यों पर असर डालनेका आन्दोलन किया, श्री शंकरराव देव और श्री गंगाधरराव देशपांडेको दिये गये मेरे तारोंका अुपयोग हो रहा है । यह अच्छा है कि अनि दोनों सज्जनोंने अुन तारोंका संबंध श्री नरीमानके साथ न होनेकी वात अखबारोंमें स्पष्ट कर दी है । श्री नरीमान और जनता दोनों जानते हैं कि जब जब मुझे अैसा लगा कि फलों कामोंके लिये श्री नरीमान योग्य हैं तब तब वे जिम्मेदारीके काम मैंने श्री नरीमानको सँपे हैं । अुनके प्रति या और किसीके प्रति भी मुझे व्यक्तिगत द्वेषभाव नहीं हो सकता । यह भी कहा गया है कि श्री नरीमानके नेता न चुने जानेकी तहमें साम्प्रदायिक विचार था । यह विलकुल झूठी और विपैली भावनावाली वात है । मुझे खुशी है कि श्री नरीमान स्वयं स्वीकार करते हैं कि जिसके पीछे कोअी सांप्रदायिक भाव नहीं था ।

“गांधीजीने मेरी तरफसे श्री नरीमानको कह दिया है कि मेरे विरुद्ध शिकायतोंकी जांच निष्पक्ष पंच द्वारा करा ली जाय । गांधीजीके जिस सुझावका मैं स्वागत करता हूं ।”

सरदारने यह वक्तव्य प्रकाशित किया तो श्री नरीमानने फिर अखबारोंमें वक्तव्योंकी झड़ी लगा दी । जिसलिये १४ जुलाअीको गांधीजीने श्री नरीमानको निम्न पत्र लिखा :

“आपका आखिरी वक्तव्य मैंने अभी देखा। अुससे मुझे आश्चर्य होता है और दुःख भी होता है। मुझे पता नहीं कि आपको जांचकी बात छोड़ देनेकी सलाह किसने दी। आप स्वयं नहीं चाहते थे कि कार्यसमिति जिस मामलेकी जांच करे, क्योंकि आपके अपने ही शब्दोंमें कहा जाये तो आपका खयाल था कि चूंकि कार्यसमितिके सदस्य जिसमें फंसे हुअे हैं; जिसलिअे वह जिस मामलेकी जांच निष्पक्ष ढंगसे नहीं कर सकती। जिस पर मैंने आपसे कहा कि मुझे सरदारकी तरफसे विश्वास दिलाया गया है कि कार्यसमितिको बीचमें लाये बिना आपको निष्पक्ष जांच मिल सकेगी। क्योंकि आपकी शिकायत कार्यसमितिके विरुद्ध नहीं परंतु अुसके कुछ सदस्योंके विरुद्ध है। यदि वे सदस्य जांचकी बात स्वीकार करते हों तो कार्यसमितिको कोअी आपत्ति नहीं हो सकती। अब आप अपने वक्तव्योंमें दो नअी बातें ले आये हैं। जिसमें जो असंगतता है, अुसे आप क्या देख नहीं सकते ?

“जिसके सिवा अँसा भी लगता है कि आप सरदारके वक्तव्यसे क्रुद्ध हुअे हैं। सही बात यह है कि मेरे बड़े आग्रहके कारण अुन्होंने वह वक्तव्य निकाला है। मुझीको लगा कि लोगोंके प्रति और आपके प्रति भी अुनका कर्तव्य है कि वे वक्तव्य निकालें। अुस वक्तव्यके कारण आग्रहपूर्वक कही गअी कुछ बातोंसे वे बंध जाते हैं। अुनके विरुद्ध आपको आपत्ति हो और आपके पास सबूत हों, तो आपका काम बड़ा सरल हो जाता है। सरदारको आप सँर करने ले गये, जिस बातसे आपने मुझ पर तो यह छाप डाली कि आपने अुनसे मदद चाही थी। मेरी जानकारी सही हो तो आपने औराँसे भी मदद चाही थी। और अँसा किया जिसमें बेजा क्या है? सरदारके वक्तव्यके अुत्तरमें आपने जो वक्तव्य दिया है अुसमें यह बात आपने लगभग स्वीकार ली है। फिर भी यदि आपका आक्षेप यह हो कि सरदार झूठ बोल रहे हैं तो अपनी बात साबित करनेकी जिम्मेदारी आप पर आ पड़ती है। याद रखिये कि जिस मामलेमें आप वादी है। जिसलिअे आप अपनी शिकायत या दावाअर्जी सावधानीपूर्वक तैयार कर लीजिये और अेक या अधिक पंच जो भी रखने हों अुनके नाम मुझे दे दीजिये।

“जिस बीच मेरी आपको आग्रहपूर्वक यह सलाह है कि अखबारोंके पास न दौड़ जाजिये। दोनों पक्षोंके मान्य किये हुअे

मुद्दों पर दोनों पक्षोंको स्वीकार हों जैसे पंचों द्वारा फैसला हो जाने दीजिये । उसके बाद अखबारोंमें एक संक्षिप्त वयान दिया जा सकता है ।”

श्री नरीमानको जांच तो जरूर चाहिये थी, परंतु वे यह नहीं दिखाना चाहते थे कि कार्यसमितिकी अवगणना करके जांच कराना चाहते हैं । इसलिये अन्होंने महासमितिके मंत्री आचार्य कृपालानीको १६ जुलाहीको पत्र लिखकर पूछा कि मेरे वर्धा छोड़नेके बाद स्वतंत्र जांचकी जो सूचना की गयी है उसे कार्यसमिति स्वीकार अथवा पसन्द करती है या नहीं । १९ जुलाहीको आचार्य कृपालानीने श्री नरीमानको जो उत्तर दिया उसमें कांग्रेसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलालजीके साथ हुअे श्री नरीमानके लंबे पत्रव्यवहारका सार आ जाता है । अन्होंने बताया कि :

“कार्यसमितिने आपको कोयी सूचना नहीं की है । परंतु सरदार वल्लभभाभीने कार्यसमितिकी बैठक समाप्त हो जानेके बाद जो वक्तव्य निकाला है उसकी बात आप कहते हों तो कार्यसमितिका उससे कोयी संबंध नहीं । इसलिये इस वारेमें मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता । कार्यसमितिकी स्थिति मेरी समझके अनुसार यह है : आपने अध्यक्षको बहुतसे पत्र लिखकर सरदार वल्लभभाभी और दूसरे लोगों पर कयी तरहके आक्षेप लगाये हैं । साथ ही आप यह भी कहते रहे हैं कि आप इस मामलेको फिरसे अुठाना नहीं चाहते । आप यह भी कहते हैं कि मामला फिरसे अुठायया जाय तो आपकी मांग स्वतंत्र पंच द्वारा जांच करानेकी है । आपके पत्रोंसे यह स्पष्ट नहीं होता कि आपको क्या चाहिये या आपकी निश्चित शिकायतें क्या हैं । इसलिये वर्धामें कांग्रेस अध्यक्षने आपसे अनुरोध किया कि आप निश्चित और स्पष्ट भाषामें अपनी शिकायतें लिखकर दीजिये, ताकि कार्यसमिति अुन पर विचार कर सके । आपने कहा था कि जरूरत मालूम हुअी तो वंदही जाकर आक्षेप तैयार करके आप भेज देंगे । इस प्रकार कार्यसमितिके पास इस वक्त विचार करने जैसी कोयी भी बात नहीं है । जब तक यह तय न हो कि झगड़ेका मुद्दा क्या है, तब तक पंचकी नियुक्ति कैसे हो सकती है ? और आपको अितना तो मालूम ही होगा कि कांग्रेसकी कार्यसमितिके प्रस्ताव पर दुवारा जांच करनेके लिये स्वतंत्र पंचकी मांग करना कांग्रेसके अितिहासमें विलकुल नयी चीज है । मेरी जानकारीमें अैसी अेक भी मिनाल नहीं है । कांग्रेसियोंके लिये तो कार्यसमिति ही अन्तिम सत्ता है । व्यक्तिगत

झगड़े हों तो लोग अुनके वारेमें न्याय प्राप्त करनेके लिये अदालतों या पंचोंके पास जाते हैं।”

सरदारके वक्तव्यके वाद श्री नरीमानने अेकके वाद अेक जो वक्तव्य निकाले तथा अखवारोंमें जो दूसरा प्रचार हुआ, अुसे देखकर स्वतंत्र रूपमें ही पंडित जवाहरलालजीने १६ जुलाजीको श्री नरीमानको लिखा :

“मैं देख रहा हूं कि आपने फिर जनूनी चर्चा शुरू कर दी है। आपके पक्षके अखवार तो मानो सभीका खून पीनेको तैयार हो गये हैं। मुझे अैसे व्यर्थके मामलेमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। परंतु वर्धामें जो कुछ हुआ अुसके वारेमें आपने अपने वक्तव्यमें जो बातें कही हैं वे सचाबीसे परे हैं। आप लिखते हैं कि जांचकी मांग आपने विलकुल छोड़ दी है। परंतु मुझ पर यह असर नहीं पड़ा है। और आप यह कहते हैं कि मेरे साथ हुआ पत्रव्यवहार मेरे कहनेसे प्रकाशित न करनेका आपने विचार किया है। मैंने तो आपको तारसे जता दिया था कि आप सारा पत्रव्यवहार छपवा सकते हैं। मैं फिर कहता हूं कि आप पत्रव्यवहार छपवायें, अिसमें मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है।

“आप कार्यसमितिके सिवा दूसरे निष्पक्ष तटस्थ पंचकी जो मांग कर रहे हैं, अुसके वारेमें आप मेरे विचार जानते हैं। मैं मानता हूं कि किसी भी कांग्रेसीके लिये अैसी मांग करना गलत और अनुचित है। अैसे तुच्छ व्यक्तिगत मामलेके वारेमें वम्बजीके अखवारोंमें पृष्ठ पर पृष्ठ रंगे जायं, यह मेरी समझमें ही नहीं आता। देशके सामने जिस समय अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न मौजूद हैं, अुस समय समाचारपत्र अैसे विषयके पीछे पड़े रहें, यह मेरी विवेकबुद्धि और तारतम्य-बुद्धिको आघात पहुंचाता है। आप अिस मामलेके पीछे क्यों पड़े हुअे हैं, यह अभी तक मेरी समझमें नहीं आता। मगर अुसके साथ मेरा कोअी संबंध नहीं। मेरा यह खयाल जरूर है कि जब वम्बजीके अखवारोंमें बार बार अिस तुच्छ बातको विलोया जाता है और आप भी अेक तरफसे बार बार आक्षेप करते हैं और दूसरी तरफसे कहते हैं कि मेरी कोअी मांग नहीं, तब ठीक यही होगा कि अिस मामलेकी अेक बार जांच हो जाय और बातका आखिरी नतीजा निकल आये। यह बात मैं पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं आपसे यह अनुरोध विलकुल नहीं करता कि आप जांचकी बात छोड़ दें। दुर्भाग्यसे कार्य-समिति पर आपका विश्वास नहीं रहा। तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा

कि आप प्रीवी कौंसिलमें जाजिये या लीग आफ नेशन्सके पास जाजिये, या जिस किसी पंच पर आपका विश्वास हो उसके पास जाजिये।”

पंडित जवाहरलालजीके अैसे कड़े पत्रके बाद श्री नरीमानने अन्हें तो छोड़ दिया। परंतु गांधीजीको वे लंबे लंबे पत्र लिखते रहे। अिसलिये २७ जुलाजीको गांधीजीने श्री नरीमानको साफ शब्दोंमें लिखा :

“आपके जो आक्षेप हों अन्हें आप निश्चित रूपमें तैयार कर डालिये। अखबारोंमें होनेवाले प्रचारके बारेमें मेरा यह खयाल है कि आप असे नापसन्द नहीं करते। मेरी रायमें तो यह अेक प्रकारकी जबरदस्ती ही है। कोअी भी नेता अपना मंत्रिमंडल बनाये तो क्या अुसमें अपने साथीके रूपमें अमुक व्यक्तिको लेनेके लिअे वह बंधा हुआ ही है? लोग कुछ भी कहें, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि जिस ढंगसे सारा प्रचार हो रहा है अुस ढंगसे अुसे होने देकर आप अपने सच्चे मित्रोंको अपनेसे विमुख कर रहे हैं। आपने यदि कार्यसमितिका निर्णय स्वीकार कर लिया हो, तो आपको साफ साफ अैसा कह देना चाहिये और सरदारको आपके विरुद्ध अनुचित रूपमें अपना असर काममें लेनेके आक्षेपसे मुक्त कर देना चाहिये। परंतु यह बात आप कर नहीं रहे हैं। तब आपको सरदारके विरुद्ध अपने आरोप साबित करने चाहिये। दोनोंकी पसंदके पंचके सामने हाजिर होनेका सुझाव जब वे दे रहे हैं, तब यह आन्दोलन जो आपको और अकेले आपकी ही हानि पहुंचा रहा है बन्द करनेके लिअे आप न्यायसे बंधे हुअे हैं। मैं आपको अितने साफ दिलसे लिख रहा हूं, अुसका आप यह अर्थ न लगायें कि मैं आपके विरुद्ध वहका दिया गया हूं। मेरी साफदिली तो मेरी शुभेच्छाका प्रमाण है। मेरे नाम रोज लोगोंके पत्र आते हैं कि आप अिस मामलेमें हस्तक्षेप कीजिये और सार्वजनिक रूपमें अपनी राय जाहिर कीजिये। मैं अुन सबसे कहता हूं कि मैं आपके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा हूं। मेरे पत्र आप किसीको भी दिखायें। मुझे अुसमें कोअी आपत्ति नहीं।”

अितने पर भी २८ जुलाजीको श्री नरीमानने फिर अेक वक्तव्य प्रकाशित किया। अिसलिये २९ जुलाजीको गांधीजीने अुन्हें लिखा कि :

“आप बड़े अजीब आदमी मालूम होते हैं। जब तक मेरे साथ पत्रव्यवहार कर रहे हैं तब तक भी आपसे अितजार नहीं किया जा सकता? आपके अिस अखबारी वक्तव्यसे मुझे सार्वजनिक वक्तव्य

देनेके लिये मजदूर होना पड़ेगा। जहां तक हो सके मैं उससे वचना चाहता हूं। कार्यसमितिके पंच मुकर्रर करनेसे कभी डिनकार किया ही नहीं है। उसने तो आपसे यह कहा है कि पंच मुकर्रर किया जाय या नहीं, जिसका विचार कर सकनेके लिये आपको अपना अभियोगपत्र तैयार करके उसे देना चाहिये।”

जिसके जवाबमें श्री नरीमानने ३० जुलाईको बताया :

“मैं बड़ी कठिन परिस्थितिमें डाल दिया गया हूं। एक तरफसे मुझ पर बेहद दबाव डाले जा रहे हैं कि आपको यह चीज छोड़ देनी चाहिये। दूसरी तरफसे जिन जिन सज्जनोंको मैं पंच बननेके लिये कहने जाता हूं वे भी मुझे सलाह देते हैं कि आपके लिये यह चीज पकड़ रखने लायक नहीं।”

गांधीजीने अन्हें सलाह दी :

“आपको जांच नहीं करानी हो, तो मनमें किसी भी तरहकी गांठ न रखकर साफ साफ ऐसा कह देना चाहिये। दूसरे लोग आपको जांच छोड़ देनेके लिये कहते हैं, यह कहनेका कोई अर्थ नहीं। मुझे आपका वक्तव्य जरा भी पसन्द नहीं आया। भले अनजाने ही सही, परंतु देशके कामको आप कितनी हानि पहुंचा रहे हैं, जिसका आपको खयाल नहीं है। आप कहते हैं कि सरदार मेरे लेफ्टिनेंट हैं, तो आप मेरे क्या कम लेफ्टिनेंट हैं? दोनोंमें फर्क अतना ही है कि जब मैं उनसे भिन्न मत रखता हूं या उनकी भूलें बताता हूं तब वे मेरे विरुद्ध बहक नहीं जाते। आपको तो जब आपकी भूल बताता हूं तब जरा भी धीरज नहीं रहता। कार्यसमितिके सारे सदस्य आपके कोसी दुश्मन नहीं हैं। फिर भी आप सबके विरुद्ध मनमें असंतोष रखते हैं। मेरे विरुद्ध भी आपको भ्रम हो गया है। तथापि मैं अतना मान लेनेका आपसे आग्रह करता हूं कि जिस मामलेमें मैं आपके हितचिंतक मित्रके तौर पर काम करना चाहता हूं।”

गांधीजीकी यह सलाह होने पर भी ३१ जुलाईको तिलक महाराजकी पुण्यतिथिके दिन एक लम्बा वक्तव्य निकालकर श्री नरीमानने बताया कि :

“मैं तिलक महाराजका शिष्य हूं और जिस प्रकार कांग्रेसके वफादार सेवकके नाते घोषणा करता हूं कि बम्बई धारासभाके नेताके चुनावके बारेमें पिछले मार्च मासमें दिल्लीमें हुई अपनी बैठकमें कार्य-समितिके जो फैसला दिया है उसे मैं अन्तिम मानता हूं और जिस

फैसलेको शिरोधार्य करता हूँ । मैं किसी भी जांच या पंचकी मांग नहीं करता ।”

अेक तरफ अिस प्रकार कहकर अुसी वक्तव्यमें आगे कहा :

“परंतु अेक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ । मैं अपने व्यक्तिगत चरित्र और अपने सम्मानकी रक्षा किसी भी कीमत पर करनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूँ । मैं अपनी अिज्जतको अपने जीवनका सबसे मूल्यवान धन समझता हूँ । अुस पर निराधार और कायरतापूर्ण आक्रमण हों तो अुन्हें मैं वर्दश्ति नहीं कर सकता । कांग्रेसीके नाते मेरा काफी लंबा सेवाका जीवन साफ और वेदाग है । वह वारीकसे वारीक जांचमें भी खरा अुतर सकता है । मेरे कट्टरसे कट्टर दुश्मनोंको मैं चुनौती देता हूँ कि मेरी पीठ पीछे छिपा प्रचार करनेके वजाय अुनके पास जो भी प्रमाण हों अुन्हें लेकर मेरे सामने खुले मैदानमें आयेँ । मैं सार्वजनिक जांच अथवा पंचके सामने खड़ा होनेको तैयार हूँ ।”

गांधीजीने यह वक्तव्य देखकर १ अगस्तको श्री नरीमानको लिखा :

“आपके वक्तव्योंके कारण अिस कांडकी मुझ पर जो छाप पड़ी है अुसे प्रकाशित करनेको मुझे मजबूर होना पड़ता है । मुझे आशा है कि आपको कोअी आपत्ति नहीं होगी । आपत्ति हो तो मुझे तारसे सूचना दे दें ।”

अुन्होंने यह भी लिखा :

“आपका व्यवहार बड़ी परेशानी पैदा करनेवाला है । अिसलिये अपना वक्तव्य प्रकाशित करनेसे पहले मैं आपको अेक सुझाव देता हूँ । आपके तमाम आक्षेपोंकी जांच करनेको मैं तैयार हूँ । यदि मुझे अितमीनान हो जायगा कि सरदारकी तरफसे आपके साथ अन्याय हुआ है, तो मैं तदनुसार साफ साफ कहूंगा । अुस अन्यायके कारण आपको हुअी हानिकी क्षतिपूर्तिके लिये अेक मनुष्यके लिये जितना भी संभव है वह सब प्रयत्न मैं करूंगा । परंतु यदि मेरा निर्णय आपके विरुद्ध हो और अुस निर्णयसे आपको संतोष न हो, तो मैं सर गोविन्द-राव मडगांवकर अथवा श्री बहादुरजीके सामने अपना दर्ज किया हुआ तमाम सबूत पेश कर दूंगा और अुनसे मेरे निर्णयकी फिरसे जांच करनेकी प्रार्थना करूंगा । यदि अुनका निर्णय भी आपके खिलाफ आये तो आपने सरदारके, दूसरे साथियोंके और जनताके साथ जो अन्याय

किया है, अुसके लिअे माफी मांगने और अपनी कमजोरीको साफ दिलसे मंजूर करनेका आपको मौका दिया जायगा । जांचकी कार्रवाजी में स्वयं तो जाहिर नहीं कहूंगा । परंतु आपको जाहिर करनी हो तो मेरी तरफसे कोअी आपत्ति नहीं होगी । कार्यसमिति और आपके मित्र क्या सोचेंगे, अिसकी चिन्ता न कीजिये । अुन्हें अिस वारेमें पता लगने देनेकी भी कोअी जरूरत नहीं । परंतु मेरे सुझावोंमें से कोअी भी सुझाव आपको मान्य न हो तो मैं अितना आपको वता दूं कि अब तक जो जानकारी मुझे मिली है वह आपके विरुद्ध जाती है । अिस कांडमें पड़नेकी मेरी जरा भी अिच्छा नहीं थी, परंतु आपने मुझे अिसमें डाला है । अिसलिअे आप जांच कराना ही चाहते हों तो अपना अभियोगपत्र तैयार करके भेजिये और आप जो सबूत पेश करना चाहते हों अुसकी तफसील भी दीजिये । ”

यह पत्र श्री नरीमानको मिलते ही अुन्होंने गांधीजीको तार दिया :

“आपके मन पर मेरे वारेमें पड़ी हुअी अिकतरफा अापको जाहिर करनेके विरुद्ध मेरा सख्त अेतराज है । दूसरे पक्षको अपनी सफाअी देनेका आपको मौका देना चाहिये । पत्र लिख रहा हूं । ”

पत्रमें तो श्री नरीमानने गांधीजीको भी नहीं छोड़ा । अुन्होंने लिखा :

“अपने पिछले कुछ पत्रोंमें आप अपने मन पर पड़ी हुअी अापको प्रकाशित करनेकी धमकी दे रहे हैं । आपके दिल पर जो असर मेरे वर्तावके वारेमें हुआ हो अुसे लोगोंके सामने रखनेसे पहले वह असर क्या है यह जाननेका मुझे अधिकार नहीं है ? महात्मा जैसा महान व्यक्ति, जो सत्य और अहिंसाका पैगम्बर माना जाता है, अेक आदमीको अपराधी ठहरानेसे पहले अुसे सफाअी देने और वचाव करनेके प्रारंभिक अधिकारसे भी वंचित करे, यह बात मेरी समझमें नहीं आती । आपको मुझे सार्वजनिक जीवनसे निकाल देना हो तो मुझे साफ साफ वता दीजिये, ताकि मैं अुपेक्षाके गर्तमें विलीन हो जाऊं और आप अिस आदमीको मुझसे अच्छा मानते हों अुसके लिअे जगह कर दूं । परंतु यह त्रास मुझसे सहन नहीं हो सकता । मैं आपसे आखिरी अपील करता हूं कि आप यह वताअिये कि मेरे वारेमें आपके दिलमें अैसा क्या जहर भर दिया गया है, अिससे आप मेरे विरुद्ध पत्यर जैसे कठोर बन गये हैं ? मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको हर मुद्दे पर संतोष दिला सकूंगा और मुझे अवसर दिया जायगा तो अुस जहरको आपके दिलसे निकाल सकूंगा । मेरी अितनी

विनीत प्रार्थना होने पर भी यदि आप मेरे वारेमें अपना खयाल जाहिर करेंगे ही, तो उस वारेमें अपना स्पष्टीकरण सार्वजनिक रूपसे देनेके लिये मैं अपनेको मुक्त समझूंगा। इसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि यह चर्चा अधिक बड़े घड़ाकेके साथ फिर भड़क उठेगी।”

यह पत्र मिलनेके पहले गांधीजीने २ अगस्तको श्री नरीमानको पत्र लिखकर सूचित कर दिया था :

“सन् ३४ का चुनाव और सन् ३७ का नेताका चुनाव—अब दो मुद्दों पर मैं और श्री बहादुरजी पंच बननेको तैयार हूँ। तारसे बताविये कि यह आपको मंजूर है या नहीं।”

श्री नरीमानने इसका ४ तारीखको तारसे जवाब दिया :

“दोनों मुद्दों पर आपका और बहादुरजीका निर्णय स्वीकार कर लेनेको मैं तैयार हूँ।”

फिर ६ अगस्तको श्री नरीमानने गांधीजीको पत्र लिखकर कुछ और स्पष्टीकरण चाहा। अके वात अन्होंने यह लिखी :

“कार्यसमितिके निर्णयको न मानकर मैं जिस प्रकार पंचकी नियुक्तिको स्वीकार कहूँ तो उसका अर्थ यह होगा कि मैं कार्यसमितिके प्रस्तावकी अवज्ञा करता हूँ। अतः भविष्यमें जिस प्रकारकी कोभी गलतफहमी न होने पाये, इस खयालसे आपने जो कार्यपद्धति सुझायी है उसके लिये कांग्रेसके अध्यक्षकी मंजूरी या पसन्दगी दिला दीजिये। दूसरी बात यह है कि जिस झगड़ेमें बहुत अंचा और अधिकारपूर्ण स्थान भोगनेवाले मनुष्य फंसे हुये हैं, इसलिये गवाहोंको जिस बातका विश्वास मिलना चाहिये कि अन्हें किसी भी प्रकारसे सताया नहीं जायगा। ऐसा विश्वास न मिले तो जांचका गला घोट दिया जायगा और सत्यको खोज निकालना मुश्किल हो जायगा।”

८ अगस्तको पत्र लिखकर गांधीजीने श्री नरीमानकी दोनों मांगोंके वारेमें अन्हें विश्वास दिलाया। परिणामस्वरूप १० अगस्तको पंडित जवाहरलालजीने पत्र लिखकर श्री नरीमानको सूचित कर दिया कि कार्यसमितिको निष्पक्ष जांच पर कोभी आपत्ति नहीं है। श्री नरीमानने १२ तारीखको गांधीजीको तार द्वारा सूचित किया :

“मुझे अपनी शहादत पेश करनेमें कुछ समय लगेगा।”

इसलिये गांधीजीने श्री नरीमानको तारसे जवाब दिया :

“आपको कितना समय चाहिये, यह मुझे बताविये। क्योंकि ‘दॉम्बे नेन्टीनल’ और ‘वंदवी समाचार’ में लेख छपते रहते हैं और

वे यह बतानेके लिये मुझे आग्रह कर रहे हैं कि यह बात सही है या गलत। जिसलिये मेरा वक्तव्य निकालना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मेरा सुझाव तो यह है कि हमारे बीच हुआ सारा पत्र-व्यवहार छाप दिया जाय। आपकी क्या जिच्छा है ?”

१३ अगस्तको गांधीजीने अपना वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें अन्होंने बताया :

“नरीमान-कांडमें मैंने जो भाग लिया है, उसके विषयमें समा-चारपत्रोंमें बहुत विकृत विवरण प्रकाशित हुये हैं। जिस कांडके आस-पास जहरीला प्रचार हो रहा है। मैंने जो भाग लिया, उसके संबंधमें तो मैंने १ अगस्तको श्री नरीमानको जो पत्र लिखा है वही यहां दूंगा। जिससे सारी बात साफ हो जायगी।” (जिस पत्रका सार पहले दिया जा चुका है :)

गांधीजीने अपने वक्तव्यमें यह भी कहा :

“यह पत्र लिखनेके बाद मेरे और श्री नरीमानके बीच अधिक पत्रव्यवहार हुआ है। आज मुझे उनका तार मिला है कि जांचके दोनों मुद्दों पर वे अपनी शहादत पांच दिनमें पेश करेंगे। मैं पांच दिन तक राह देखूंगा। उसके बाद अपने सिर पर लिये हुये काममें लग जानेमें जरा भी विलम्ब नहीं करूंगा। जिस मामलेमें मैंने बहादुरजीको अभी तक कोठी तकलीफ नहीं दी है। परंतु यदि मेरा निर्णय श्री नरीमानके विरुद्ध होगा और श्री नरीमानको उससे संतोष नहीं होगा, तो मैं बहादुरजीसे तुरंत प्रार्थना करूंगा कि मेरे सामने पेश किये गये प्रमाणोंकी और मेरे फैसलेकी वे फिरसे जांच कर लें।

“यह सुझाया गया है कि मैंने जिस समय जो किया वह मुझे जिस दुर्भाग्यपूर्ण विवादके अुठते ही करना चाहिये था। मेरे और श्री नरीमानके बीच हुआ पत्रव्यवहार मैं जिस मंजिल पर प्रकाशित करनेको स्वतंत्र नहीं हूं। परंतु मैं जितना कह सकता हूं कि मैं पहलेसे ही यह मानता था कि वे चाहें तो अन्हें स्वतंत्र जांचका मौका मिलना चाहिये। यह बात श्री नरीमानने भी स्वीकार की है। जिस-लिये जो कुछ हुआ वह सहायता देनेकी मेरी लापरवाही या अनिच्छाके कारण नहीं हुआ। अब तक मैं केवल श्री नरीमानके हितमें ही चुप रहा हूं। हमारे बीच हुये जिस पत्रव्यवहारका मैंने ऊपर अुल्लेख किया है, उससे यह चीज साबित हो सकती है। हमारा फैसला

प्रकाशित होने तक मैं बम्बयीके अखबारोंसे यह हलचल बन्द रखनेकी अपील करता हूँ और जनतासे भी अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामलेमें कोयी राय न बनाये।”

गांधीजीका यह वक्तव्य प्रकाशित होते ही १४ अगस्तको श्री नरीमानने तार दिया :

“आपके अखवारी वक्तव्यका उत्तर देनेकी मुझे अिजाजत दीजिये।”

गांधीजीने तारसे उत्तर दिया :

“आपके हितके लिये चाहता हूँ कि आप कुछ न लिखें। परंतु अंतिम निर्णय आप पर छोड़ता हूँ।”

१५ अगस्तको लंबा पत्र लिखकर श्री नरीमानने गांधीजीको बताया :

“आप जो यह सुझाते हैं कि यदि पंचका फैसला मेरे विरुद्ध हो तो मुझे अपनी कमजोरियोंका पूरी तरह और साफ दिलसे अिकरार करना चाहिये और जनताको, सरदारको और अन्य मित्रोंको मैंने जो हानि पहुंचायी है उसके लिये मुझे क्षमा मांगनी चाहिये, उसे मैं समझ नहीं सकता। यह चीज बिलकुल अप्रस्तुत और अनावश्यक है। मैं यह मान नहीं सकता कि ऐसी मांग आपकी तरफसे की जा रही है। मैंने क्षमा-याचनाके योग्य कोयी काम नहीं किया। और मेरे लिये कोयी अिकरार करने जैसी बात है ही नहीं। ऐसा कुछ करना जरूरी माना जाय तो वह दूसरे पक्षको करना चाहिये।”

यहां ध्यानमें रखनेके लायक बात यह है कि गांधीजीने अपने वक्तव्यमें अपना १ अगस्तका पत्र अुद्धृत किया था। अिकरार और क्षमा-याचनाकी बातें उस पत्रमें लिखी हुयी थीं। उसके बाद श्री नरीमानने गांधीजीको कयी पत्र लिखे थे। उनमें इस वारेमें कोयी आपत्ति नहीं अुठायी। परंतु जब गांधीजीने १३ अगस्तको वह पत्र प्रकाशित किया तब अुन्हें आपत्ति अुठानेकी बात सूझी! गांधीजीने तुरंत जवाब दिया :

“आपकी अिच्छा न हो तो आपको माफी मांगने या दोष स्वीकार करनेकी कोयी जरूरत नहीं। जांच करनेका मेरा सुझाव बिलाशर्त है। मैंने तो केवल सलाहके तौर पर लिखा था। और सरदारके वारेमें तो मैंने कहा ही था कि जांच करने पर यदि सरदार अुठे मालूम होंगे तो आपको हुयी हानिकी पूर्तिके लिये मनुष्यके लिये जितना

संभव है वह सब में करूंगा। यदि सरदार झूठे मालूम होंगे तो वे अपने बीस वर्षके एक पुराने और अनेक अुतार-चढ़ावोंमें साथ खड़े रहनेवाले मित्रको खो देंगे।”

अितने पर भी श्री नरीमानने १७ अगस्तको अपना अुत्तर प्रकाशित कर दिया। और अुसमें लिखा कि माफी मांगना या दोष स्वीकार करना अुन्हें मंजूर नहीं है तथा गवाहोंको संरक्षण देनेकी जरूरत है। अुसी दिन गांधीजीको अुन्होंने पत्र लिखा जिसमें फिर सूचित किया :

“पार्लमेण्टरी कमेटीके अव्यक्ष होनेके कारण सरदारको विशाल और निरंकुश अधिकार प्राप्त हैं। अिसलिअे वे एक ‘जोन डिकटेटर’ की तरह हैं। और साक्षी लोग अधिकांश धारासभाओंके सदस्य होनेके कारण अितने बड़े अधिकारवाले व्यक्तिकी नाराजी मोल लेनेमें डरेंगे। अिस कारणसे सत्य प्रगट नहीं हो सकता। अतः साक्षियोंको संपूर्ण संरक्षण मिलना चाहिये।”

अिसके सिवा अुन्होंने यह भी लिखा :

“मेरे नाम लिखे आपके पत्रोंसे मुझे अैसा लगता है कि आपके मनमें मेरे विरुद्ध पूर्वग्रह हो गया है। अिसलिअे मेरी स्थिति अैसी हो गयी है कि मुझे अपने विरुद्ध राय बना चुकनेवाले न्यायाधीशके सामने मामला पेश करना पड़ रहा है। आपने स्वयं यह कहा है कि अब तक आपके पास जो सामग्री आ चुकी है अुस परसे संभव है आपकी राय मेरे विरुद्ध ठहरे। मेरे पीठ पीछे आपके मनमें ये जहरीली बातें किसने भरी हैं? मेरे विरुद्ध आपको अिकतरफा बातें कह दी जायं, अुनसे आप अपने विचार बदल लें और मेरे विरुद्ध मत बना लें, यह आपको शोभा देता है? फिर भी मैं आपसे अपील करता हूं कि आप न्यायाधीश हैं, यह बात ध्यानमें रखते हुअे विलकुल खुला मन रखकर अिस जांचका काम करें। अपने पास आजी हुजी विपपूर्ण सामग्रीको अपने मनसे दूर कर दें और वादीको निर्दोष मानकर जांचका काम करें।”

अपने पर व्यक्तितगत आक्षेप करनेवाला श्री नरीमानका अैसा पत्र पाकर भी गांधीजीने कोअी खयाल नहीं किया और जांचका काम हाथमें लिया। और ता० २० को एक वक्तव्य प्रकाशित करके धारासभा-सदस्यों तथा अन्य लोगोंसे अिस जांचमें सबूतके तीर पर काम आनेवाले अपने वयान भेज देनेकी सार्वजनिक प्रार्थना की। अिस वक्तव्यमें सरदारके बारेमें अुन्होंने लिखा :

“मुझेसे यह कहा गया है कि सरदारका कोपभाजन बन जानेके डरसे सत्य प्रगट नहीं हो सकता। मैं नहीं समझ सकता कि सरदार साक्षियोंको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं। परंतु अपनी तरफसे मैं अितना विश्वास दिलाता हूं कि यदि सरदार मुझे इस प्रकारका कोअी आचरण करनेके अपराधी मालूम होंगे, तो मैं उनके साथ जो निकटका संबंध रखता हूं उसे तोड़ दूंगा। और जो साक्षी मुझे लिखी हुआ वातें गुप्त रखना चाहेंगे उन्हें पूरी तरह गुप्त रखा जायगा। परंतु अिन साक्षियोंको अितना जान लेना चाहिये कि सरदारके या अन्य किसीके वारेमें अुन्होंने वयानमें जो कुछ कहा होगा, सरदार या और किसीकी तरफसे अुसके समर्थन या विरोधकी आवश्यकता प्रतीत होने पर वयानकी वातें यदि वताअीं न जा सकें तो अुस वयानका मेरे सामने कोअी मूल्य नहीं रहेगा। अलवत्ता, हकीकत अुन्हें वताने पर भी वयान देनेवालेका नाम तो गुप्त ही रखा जायगा। यह सबूत मुझे ३१ तारीखसे पहले मिल जाना चाहिये।”

श्री नरीमानने अपने वक्तव्यमें साक्षियोंको संरक्षण देनेकी मांग की थी, अिस पर सरदारने २० अगस्तको निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“मेरे और दूसरे कांग्रेसियोंके विरुद्ध श्री नरीमानको जो शिकायत है अुसके वारेमें अखवारोंमें चल रही चर्चा परसे मैं यह समझा हूं कि श्री नरीमान चाहते हैं कि साक्षियोंको कोअी नुकसान न पहुंचनेका वचन मिलना चाहिये। मैं अपने विषयमें तो कह देता हूं कि मेरी अिच्छा हो तो भी मेरे पास किसीको हानि पहुंचानेका अधिकार नहीं है।

“पिछले कितने ही महीनोंसे अनेक लोग मेरे विरुद्ध अखवारोंमें लिख रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ लगाये गये आक्षेप वेबुनियाद हैं। फिर भी मैं अैसे झूठे आक्षेपोंके प्रकाशनको नहीं रोक सका। ये आक्षेप लगानेवालोंका मैं कुछ विगाड़ नहीं सका। अुन्हें जवाब देनेसे भी मैंने परहेज रखा है। फिर भी दलीलके लिये यह मान लें कि कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक संविधानवाली संस्थामें होते हुअे भी मैं किसीको नुकसान पहुंचा सकता हूं, तो मैं अुन्हें अपनी ओरसे हृदयपूर्वक विश्वास दिलाता हूं कि जिस किसीको मेरे विरुद्ध कुछ भी कहना हो वह मेरी तरफसे नुकसान होनेका डर रखे बिना कह सकता है।”

यह सब हो रहा था, अतः दिनोंमें भी बम्बयीके कुछ पत्र सरदारकी तरफसे श्री नरीमानके प्रति हुये अन्यायका आन्दोलन कर ही रहे थे। जिसलिखे ता० २१ को गांधीजीने ब्रह्मादुरजीको पत्र लिखा :

“मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता था और जिस कांडके सभी कागजातकी जांच अकेले ही कर लेनेका मेरा बिरादा था। मेरी योजना यह थी कि मेरा फैसला श्री नरीमानके विरुद्ध हो तो ही सारे सद्गत और मेरे फैसलेकी जांच आप करें। परंतु बम्बयीके बहुतेसे अखवार अभीसे मेरी निष्पक्षताके बारेमें शंकाओं उठाने लगे हैं, जिसलिखे मेरी विच्छा है कि सारे सबूतोंकी आप ही जांच कर लें।”

ब्रह्मादुरजीने यह बात मान ली और जांचका काम अन्होंने अपने अपर ले लिया। दोनों पक्षोंकी तरफसे पेश हुये बयान अक-बूसरेको बताने दिये गये। अतःका दोनोंने जवाब दिया। साक्षियोंके जो बयान आये थे वे भी दोनों पक्षोंको बताने दिये गये। किसी साक्षीकी शहादत लेनी हो या अतःसे जिरह करनी हो तो अतःका भी दोनों पक्षोंको अवसर दिया गया। परंतु दोनों पक्षोंने अधिक बजानेकी शहादत लेनेसे अिनकार कर दिया। जिसलिखे मामलेके तमाम कागजातकी जांच करके और श्री नरीमानने अपने मामलेकी जो लंबी बहस की अतःसे सुनकर (सरदारने कोभी बहस करनेसे अिनकार कर दिया) ब्रह्मादुरजीने अपना फैसला दे दिया।

नरीमान कांड - २

जांच और फैसला

अिस मामलेमें वहादुरजी और गांधीजीके जांच-पंचको दो मुद्दों पर फैसला देना था :

(१) नवम्बर १९३४ में दिल्लीकी वड़ी धारासभाके लिअे हुअे वम्बजीके चुनावमें श्री नरीमानने अपने आचरणसे कांग्रेसको धोखा दिया था या नहीं ?

(२) १९३७ में वम्बजीकी धारासभाके कांग्रेसदलके नेताके चुनावमें सरदारने अनुचित दवाव डालकर श्री नरीमानको नेता नहीं चुनने दिया — अिस आक्षेपमें कोअी सचाअी है या नहीं ?

पहले मुद्देमें वादी सरदार थे, अिसलिअे अुसे सावित करनेकी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूपमें अुन पर आती थी। दूसरेमें अपना दावा सावित करनेका दायित्व श्री नरीमान पर था।

पहले १९३४ के वड़ी धारासभाके चुनावका मुद्दा लें। सरदारका केस पंचके सामने पेश किये गये अुनके निवेदनमें स्पष्ट रूपमें रखा गया है। यहां अुस निवेदनका ही सार देंगे।

१४ जुलाअी, १९३४ को सरदार नासिक जेलसे छूटे। कांग्रेस परसे सरकारी प्रतिबंध हाल ही में अुठायया गया था। पटनामें महासमितिने धारासभाओंमें जानेका कार्यक्रम अपनाया था और नवम्बर महीनेमें वड़ी धारासभाका चुनाव होनेवाला था। सरकार मानती थी कि अुसने कांग्रेसको कुचल डाला है और लोग अव अुसका समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेसको अिस चुनाव द्वारा यह दिखा देना था कि सरकारकी कड़ी कार्रवाअियोंके वावजूद देश कांग्रेसके ही साथ है। यद्यपि लोगोंमें कुछ निस्त्साह फैल गया था, फिर भी अुनके दिलमें कांग्रेसके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ था। लोगोंको अुत्साहित करनेके लिअे चुनावसे पहले अर्थात् अक्तूबर १९३४ में कांग्रेसका अधिवेशन वम्बजीमें करनेका निश्चय किया गया था। परंतु पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्ष डॉ० अंसारीको अुस समय अपने स्वास्थ्यके कारण यूरोप जाना पड़ा। बोर्डके अुपाध्यक्ष पंडित मालवीयजीने ब्रिटिश प्रधानमंत्रीके साम्प्रदायिक निर्णयके प्रश्नके संबधमें कांग्रेस महासमितिके साथ मतभेद हो जानेसे बोर्डसे अिस्तीफा दे दिया। बोर्डके अेक और प्रमुख सदस्य श्री अणे पंडितजीके दलमें मिल

गये। जिसलिये कांग्रेसके अध्यक्षके नाते जिस चुनावका सारा भार सरदार पर आ पड़ा। जिसमें अन्हें श्री भूलाभाजी देसाजी, श्रीमती सरोजिनी नायडू वगैराकी अच्छी मदद मिली। परंतु चुनावोंमें असफलता मिलती तो वह घटना सारे देशके लिये विपत्तिरूप बन सकती थी। जिस कारणसे अिन सब पर भारी जिम्मेदारी थी और वे खूब सावधानीसे काम करते थे।

छूटकर बाहर आते ही श्री नरीमानने सरदारसे कहा कि बम्बयी शहरमें बड़ी धारासभाकी दो बैठकें होने पर भी मैं अकेला ही खड़ा होऊंगा। हम दोनों बैठकोंके लिये स्पर्धा करेंगे तो विजय प्राप्त करना संभव नहीं होगा। दूसरे दलके अुम्मीदवार सर कावसजी जहांगीर हैं। जिसलिये बम्बयीमें कोअी रस्साकशी नहीं होगी।

सरदारने तुरंत मतदाताओंकी सूचीकी जांच कर ली। अुससे अुनको लगा कि यदि अच्छी तरह मेहनत की जाय तो दोनों बैठकों पर कब्जा कर लेनेमें कोअी कठिनायी नहीं पड़ेगी। जिसलिये श्री भूलाभाजी, श्रीमती नायडू वगैरासे परामर्श करके अुन्होंने डॉ० देशमुखको खड़ा होनेके लिये कहा। अुन्होंने मंजूर कर लिया। बम्बयीके पार्लमेण्टरी बोर्डने १६ जुलाअीको श्री नरीमान तथा डॉ० देशमुखके नाम कांग्रेसी अुम्मीदवारोंके रूपमें स्वीकार कर लिये और अखिल भारतीय पार्लमेण्टरी बोर्डने २९ जुलाअीको अुनके नाम बहाल रखे। जिस प्रकार शहरकी दोनों बैठकोंके लिये कांग्रेसके दो अुम्मीदवार खड़े करनेका निश्चय होते ही श्री नरीमानकी जिस चुनावसे दिलचस्पी हट गयी, अैसा सरदार और दूसरोंको महसूस होने लगा। अपना नाम वापस लेनेके लिये वे बहाने ढूंढने लगे। ११ अक्तूबरको दोपहरके तीन बजेसे पहले अुम्मीदवारीके पत्र दाखिल कर देने थे। श्री नरीमानको ४ अक्तूबरको अुम्मीदवारीपत्र पेश कर देनेको कहा गया, तब अुन्होंने कहा कि मैं खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि जिस चुनावमें सख्त टक्कर होगी और जिस कारण भारी खर्च भी होगा, जिसे अुठानेकी मेरी शक्ति नहीं है। सरदारके कहनेसे डॉ० देशमुखने चुनावका तमाम खर्च अुठानेकी जिम्मेदारी ले ली। जिसलिये श्री नरीमानका यह बहाना नहीं चला। ६ अक्तूबरको दोनोंके अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करनेके लिये डॉ० देशमुखने अपने मित्र श्री छोटालाल मालीसीटरको दे दिये। मतदाताओंकी सूचीमें 'के० अेफ० नरीमान, ४५ अेस्प्लेनेड रोड' लिखा हुआ था, जब कि अुम्मीदवारीपत्रमें नरीमानका पता 'रेडीमनी टैरेसेज' लिखा हुआ था। जिसलिये कलेक्टरने पता सुधारनेके लिये अुम्मीदवारीपत्र वापस दे दिया। डॉ० देशमुखने श्री नरीमानको फोन करके बताया कि मतदाताओंकी सूचीमें आपका पता दूसरा है, जिसलिये कोअी

भूल हो रही हो तो आप इसका निश्चय कर लें। श्री नरीमानने जवाब दिया कि मैंने जांच कर ली है और मतदाताओंकी सूचीमें छपा हुआ पता ठीक है, इसलिये उसके अनुसार मेरा अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करा दीजिये। इस पर श्री छोटालालने अुम्मीदवारीपत्रमें मतदाताओंकी सूचीके अनुसार पता लिखकर उस पर श्री नरीमानके दस्तखत कराकर अुम्मीदवारीपत्र ता० ८ या ९ को दाखिल करा दिया। बादमें श्री नरीमान दूसरा वहाना ढूंढने लगे। अुन्होंने ८ तारीखको सरदारको पत्र लिखा कि जबलपुरके श्री मिश्रकी धारासभाके सदस्य होनेकी अयोग्यता दूर नहीं की जा रही है, इसलिये हमें विरोध प्रगट करनेके लिये तमाम कांग्रेसी अुम्मीदवारोंके नाम वापस ले लेने चाहिये। इस प्रकारके विचार अुन्होंने 'वाँम्बे क्रानिकल' में मुलाकात देकर प्रकाशित भी कर दिये। सरदारने श्री नरीमानको अपने यहां बुलाकर डांटा कि आप इस तरह वातावरण न बिगाड़िये। श्री नरीमानने कहा कि मध्यप्रान्तमें श्री गोविन्ददास भी अपनी अुम्मीदवारी वापस ले लेनेवाले हैं। सरदारने श्री नरीमानको बताया कि अुन्होंने श्री गोविन्ददासको चेतावनी दे दी है कि यदि वे अुम्मीदवारी वापस ले लेंगे तो उनके विरुद्ध अनुशासनकी कार्रवाजी की जायगी; यदि आप भी अितनी देरसे अुम्मीदवारी वापस लेनेकी बात करेंगे, तो आपके खिलाफ भी अनुशासनकी कार्रवाजी की जायगी।

बम्बयीके अनेक जिम्मेदार आदमियोंकी तरफसे सरदारको चेतावनी दी जा रही थी कि आप श्री नरीमान पर विश्वास न रखें। वे सर कावसजीका मुकाबला हरगिज नहीं करेंगे। आखिरी वक्त पर कोभी न कोभी तरकीब निकालकर वे अपना अुम्मीदवारीपत्र वापस लिये बिना नहीं रहेंगे। ता० १० को शामके सवा पांच बजेकी गाड़ीसे वर्धा जानेके लिये सरदार बोरी-वन्दर स्टेशन पर पहुंचे। श्री नरीमान वहां गये और सरदारको सूचना दी कि मतदाताओंकी सूचीमें उनका नाम नहीं है, इसलिये वे अुम्मीदवारीपत्र वापस ले लेंगे। सरदारको बड़ा आघात पहुंचा और लोगों द्वारा दी गयी चेतावनीमें अुन्हें तथ्य मालूम हुआ। अुन्होंने श्री नरीमानसे पूछा, तब आपने अुम्मीदवारीपत्र दर्ज कैसे कराया? अुन्होंने जवाब दिया कि मतदाताओंकी सूचीमें 'के० अेफ० नरीमान' लिखा है। उसमें पता दूसरा होनेके कारण मुझे अभी मालूम हुआ कि यह तो मेरे भाजीका नाम है। दूसरे दिन तीन बजे अुम्मीदवारीपत्र दाखिल कर देनेका आखिरी समय था, इसलिये अितने थोड़े वक्तमें दूसरा अुम्मीदवार खड़ा करना भी कठिन था। फिर भी अन्तिम प्रयत्न करनेके लिये सरदारने अपने पुत्र डाह्याभाजीको तुरन्त मोटरमें जाकर हाजीकोर्टसे श्री भूलाभाजी और श्री मुन्शीको बुला

लानेको कहा। श्री मुन्शीकी अुम्मीदवारीकी अयोग्यता दूर नहीं की गयी थी, लेकिन सरदारको मालूम था कि अुनकी सेक्रेटरियेटमें वड़े अधिकारियोंके साथ अच्छी जान-पहचान है। जिसलिये सरदारने अुनसे कहा कि जल्दी पूना जाकर अपनी अयोग्यता दूर करवा लें और दूसरे दिन तीन वजैसे पहले अपना अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करा दें। श्री मुन्शी अपनी कुछ निजी कठिनायियोंके कारण खड़े नहीं होना चाहते, यह भी सरदार जानते थे। परन्तु कांग्रेसकी अिज्जतका सवाल था, जिसलिये सरदारके बहुत आग्रहके कारण वे मान गये। साथ ही श्री भूलाभाजी, श्री मुन्शी और श्री मयुरादास त्रिकमजीकी मौजूदगीमें श्री नरीमानको सरदारने हिदायत दी कि आपको अपना अुम्मीदवारीपत्र हरगिज वापस नहीं लेना चाहिये। अधिकारियोंको आपत्तिजनक प्रतीत हो तो वे भले अुसे रद्द कर दें। आपकी अुम्मीदवारी रद्द हो जाय तो ही श्री मुन्शी अुम्मीदवारी करेंगे। जिस प्रकार सूचना देकर सरदार तो वर्षाके लिये रवाना हो गये। श्री भूलाभाजी, श्री मुन्शी तथा श्री नरीमान भूलाभाजीके दफ्तरमें गये। वहां श्री छोटालाल सालीसीटर भी थे। श्री नरीमान बात करने लगे कि मतदाताओंकी सूचीमें मेरा नाम नहीं है, जिस बातका पता मुझे आज ही लगा। श्री छोटालाल सालीसीटरने तुरंत जिसका खंडन किया और कहा कि आपको ६ तारीखको दूसरा पता होनेकी फोनसे खबर दे दी गयी थी। आपने डॉ० देशमुखसे कहा कि मैंने मतदाताओंकी सूची देख ली है और अुसमें दिया हुआ पता ठीक है। जिस पर मतदाताओंकी सूचीके अनुसार पता बदलकर अुम्मीदवारीपत्र पर मैंने आपके हस्ताक्षर कराये और कलेक्टरके यहां जाकर अुसे दाखिल करा आया। श्री नरीमानने जिसका कोई जवाब नहीं दिया।

अुस दिन शामको श्री मयुरादास त्रिकमजी श्री मुन्शीके दफ्तरमें गये और बताया कि किसी अुम्मीदवारका नाम वड़ी धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें न हो, परन्तु प्रान्तीय धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें हो तो चुनावके नियमोंके अनुसार वह वड़ी धारासभाकी अुम्मीदवारी कर सकता है। जिसलिये श्री नरीमानको अपने सही पतेके साथ अुम्मीदवारीपत्र भरना चाहिये।

श्री मुन्शीने अुसी रातको पूना जाकर अपनी अयोग्यता दूर करायी और श्री छोटालालको तारसे सूचना कर दी। श्री छोटालाल दोपहरको वारह वजे श्री मुन्शीका अुम्मीदवारीपत्र दाखिल कराने कलेक्टरके दफ्तरमें गये। वहां डॉ० देशमुख तथा डॉ० साठेके साथ श्री नरीमान भी आये थे।

जब अन्होंने अपना अुम्मीदवारीपत्र वापस लेने तथा अमानत रखी हुआ रकम निकलवा लेनेकी बात कही, तो ये तीनों अुन्हें समझाने लगे कि सरदारने आपको अुम्मीदवारीपत्र वापस न लेनेकी जो हिदायत की है अुसके अनुसार पहला अुम्मीदवारीपत्र वापस न लीजिये । अितना ही नहीं, आप सही पता लिखकर दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करा दीजिये, क्योंकि प्रान्तीय धारासभाकी मतदाता-सूचीमें आपका नाम होनेसे नियमानुसार आप अँसा कर सकते हैं । परन्तु श्री नरीमानने नहीं माना । वे अपना अुम्मीदवारीपत्र और अमानत रकम वापस लेनेकी अर्जी लिखकर लाये थे । वह अर्जी अुन्होंने कलेक्टरको दे दी और दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करनेसे अिनकार करके वहाँसे चले गये । बादमें वे कहने लगे कि मैं दूसरा अुम्मीदवारीपत्र देने लगा था, परन्तु कलेक्टरने कहा कि जो आदमी अेक बार अुम्मीदवारीपत्र वापस ले ले अुसका दूसरा अुम्मीदवारीपत्र नहीं लिया जा सकता । डॉ० देशमुख, डॉ० साठे तथा श्री छोटालाल तीनों कहते हैं कि हमारे आग्रह करने पर भी श्री नरीमान दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दाखिल किये बिना चले गये थे । जब १४ अक्तूबरको सरदार वधसि वम्ब्रजी लौटे तब श्री नरीमानने अुनसे भी यही बात कही । सरदारने कहा कि कलेक्टरने आपका दूसरा अुम्मीदवारीपत्र लेनेसे अिनकार किया हो तब तो सारा चुनाव रद्द हो जायगा, अिसलिये आप सरकारको तार देकर कलेक्टरके अिस कृत्यके लिये अपना विरोध प्रगट कीजिये । अुस समय श्री भूलाभाभी सरदारके यहाँ बैठे थे । अुन्होंने तारका मसौदा तैयार कर दिया । अुसे लेकर श्री नरीमान गये । रातको नौ बजे सरदारने अुनसे फोन पर पूछा तब अुन्होंने जवाब दिया कि नियमोंकी पुस्तक मेरे पास न होनेसे मैं नियम नहीं देख सका, अिसलिये मैंने तार नहीं किया । रातको दस बजे सरदारने श्री मुन्शीके यहाँसे नियमोंकी पुस्तक मंगवाजी और श्री मंगलदास महेत्ता सालीसीटर तथा डॉ० झीणाभाभी देसाजीके साथ श्री नरीमानके घर गये । वे तार देनेको रजामन्द नहीं जान पड़े, परन्तु सरदारने आग्रह करके अुनसे तार लिखवाया । अुस समय रातके ग्यारह बजे थे । श्री नरीमानने तटस्थ भावसे सरदारको कहा कि अब तार आप ही भिजवा दें । तदनुसार बड़े तारघर जाकर सरदार वगैराने तार रवाना किया । १५ अक्तूबरको दोपहरके समय सब अुम्मीदवारीपत्रोंकी अंतिम जांच होनेवाली थी । वहाँ श्री मुन्शीने श्री नरीमानका अुम्मीदवारीपत्र अस्वीकार करनेका विरोध किया तब कलेक्टरने जवाब दिया कि श्री नरीमानका अुम्मीदवारीपत्र लेनेसे अिनकार किया ही नहीं गया । अुन्होंने खुद ही अपना अुम्मीदवारीपत्र वापस ले लिया । जैसा आप कह रहे हैं अुसके अनुसार

अुन्होंने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र पेश नहीं किया । वे पेश करते तो लेनेसे हम अिनकार नहीं कर सकते थे ।

वर्षासे आनेके बाद श्री मुन्शीको दिये हुअे कलेक्टरके जवावकी बात सुन कर और श्री नरीमानके आचरण पर 'वॉम्बे क्रानिकल' वगैरा अखबारोंकी आलोचना देखकर सरदारने श्री नरीमानको बुलाकर कहा कि आपने अैसा काम क्यों किया, जिससे कांग्रेसकी बदनामी हो और आप जैसे प्रमुख कांग्रेसीको झूठा वतानेका कलेक्टरको मौका मिले? तब श्री नरीमानने कहा कि वे सच्चे और कलेक्टर झूठे हैं । सरदारने कहा कि आप श्री छोटालाल सालीसीटर, डॉ० देशमुख तथा डॉ० साठे अिन तीन आदमियोंके अेफीडेविट (प्रतिज्ञापत्र पर किये गये निवेदन) लाअिये । श्री नरीमानने लाना मंजूर किया परन्तु लाये नहीं । सरदारने अितमीनान करनेके लिये अुन तीनोंसे पूछ लिया । अुसके जवावमें अुन्होंने कहा कि श्री नरीमानकी बात विलकुल गलत है और कलेक्टरकी सच है ।

गांधीजीने सवृतकी जो मांग की थी, अुसके जवावमें श्री छोटालाल सालीसीटरने ता० २७-८-३७ को गांधीजीके पास जो वयान लिखकर भेजा था, अुसमें अिस सम्बन्धमें नीचेकी बात कही गयी थी :

“ ११ अक्तूबर, १९३४ को पहलेसे की हुअी व्यवस्थासे अनुसार मैं श्री मुन्शीका अुम्मीदवारीपत्र दर्ज कराने कलेक्टरके दफ्तरमें गया । जब मैं वहां था तब श्री नरीमान, डॉ० देशमुख तथा डॉ० साठे वहां आये । श्री नरीमान अपना अुम्मीदवारीपत्र तथा अमानतकी रकम वापस लेनेके लिये टाअिप की हुअी अर्जी अपने साथ लाये थे । हमने अुन्हें अैसा करनेसे रोका । डॉ० साठेने तो यह भी कहा कि वड़ी धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें आपका नाम न हो, परन्तु प्रान्तीय धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें हो तो आप वड़ी धारासभाकी अुम्मीदवारी कर सकते हैं । अिस सम्बन्धमें श्री विट्ठलभाअी पटेलका मामला प्रसिद्ध है । हम सब अिस नियमकी चर्चा करने कलेक्टरके पास गये । कलेक्टरने कहा कि मेरा फर्ज तो अुम्मीदवारीपत्र लेकर दर्ज कर लेना है । नियमके अर्थके वारेमें मैं कोअी सलाह नहीं दे सकता । हमने श्री नरीमानसे फिर आग्रह किया कि आप न सिर्फ अपना पहला अुम्मीदवारीपत्र वापस न लें, वल्कि अुपरोक्त नियमके अनुसार नया अुम्मीदवारीपत्र पेश कर दें । श्री नरीमानने हमारी बात नहीं मानी । अुन्होंने कहा कि मेरा पहला अुम्मीदवारीपत्र दफ्तरमें रहते

हुअे मैं अैसा कहूं तो मेरा फौजदारी अपराध माना जायगा । हमारे बहुत आग्रह करने पर भी श्री नरीमानने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र पेश नहीं किया ।”

डॉ० देशमुखने गांधीजीको भेजे गये अपने वयानमें अिस वारेमें लिखा :

“अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करनेके आखिरी दिन ता० ११-१०-'३४ को श्री नरीमान मेरे पास आकर कहने लगे कि मतदाताओंकी सूचीमें जो नाम है वह तो मेरे भाजीका है । मेरा नाम मतदाता-सूचीमें नहीं है । वे अपने साथ अुम्मीदवारीपत्र वापस लेनेकी अर्जी लाये थे । मैं और डॉ० साठे श्री नरीमानके साथ कलेक्टरके दफ्तरमें गये थे । वहां हमें श्री छोटालाल सालीसीटर मिले थे ।”

अिसके वाद अुन्होंने और डॉ० साठेने श्री छोटालाल सालीसीटरके वयानके अनुसार ही हकीकतें बतायीं ।

वादमें तुरन्त ही कांग्रेस अधिवेशन होनेवाला था, अिसलिअे अुसके पूरे होने तक आगे कुछ नहीं हुआ । अधिवेशन समाप्त होनेके वाद सरदार अुत्तर भारतके दौरे पर चले गये थे । वहांसे १० नवम्बरको लौटने पर अुन्होंने देखा कि श्री नरीमान या वम्बजीकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी डॉ० देशमुख और श्री मुन्शीको चुनावमें मदद देनेके लिअे कुछ नहीं कर रही है । ११ नवम्बरको 'कैसरे हिन्द' में श्री नरीमानके लिखे हुअे पत्र परसे अुनका रदैया मालूम हो जाता था :

“आजके 'जामेजमशेद' के अग्रलेखमें मुझ पर हमला किया गया है कि मैं अैसा प्रयत्न कर रहा हूं अिससे पारसी अुम्मीदवार सर कावसजीकी हार हो । मैंने पारसी मतदाताओंसे यह कहा ही नहीं कि वे सर कावसजीको मत न दें । मैंने तो यह कहा है कि वे अकेले पारसी अुम्मीदवारको सारे मत देनेके वजाय थोड़े मत गैरपारसी अुम्मीदवारको भी दें, अिससे लोगोंकी यह राय न बने कि पारसी साम्प्रदायिक वृत्तिके हैं । मेरे अिस कथनका विकृत अर्थ करके यह कहा जाता है कि मैंने पारसी मतदाताओंसे यह अपील की है कि वे सर कावसजीको विलकुल मत न दें । यह वात सच नहीं है ।”

वम्बजी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षकी हैसियतसे और वम्बजी प्रान्तके पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्षके नाते श्री नरीमानका स्पष्ट कर्तव्य पारसी मतदाताओंसे यह अपील करनेका था कि वे कांग्रेसी अुम्मीदवारोंको

ही मत दें। इस प्रकारकी अपील प्रकाशित करनेके लिये सरदारने श्री मथुरादास त्रिकमजीके मारफत श्री नरीमानसे कहलवाया भी था। परन्तु अन्होंने ऐसी अपील प्रकाशित करनेसे अिनकार कर दिया।

१४ नवम्बरको चुनावका दिन था। सरदार दिनभर चुनाव-केन्द्रों पर घूमते रहे। शामको चार बजे दादर केन्द्र पर गये तो वहां अुनसे कहा गया कि दो बजे श्री नरीमान यहां आकर सब स्वयंसेवकोंसे कह गये हैं कि दूसरे मुहल्लोंमें श्री मुन्शीको खूब मत मिल गये हैं, इसलिये यहां तमाम मतदाताओंसे अपने दोनों मत डॉ० देशमुखको ही देनेके लिये कहा जाय। यह सूचना वापस लेनेके लिये श्री मुन्शीकी तरफसे काम करनेवाले अेजंटोंने श्री नरीमानको समझानेकी बहुत कोशिश की परन्तु वे नहीं माने। शहरमें भी जोरकी अफवाह फैली कि डॉ० देशमुखको दादरमें दोनों मत दिलवाकर श्री नरीमानने श्री मुन्शीकी स्थिति बहुत विगाड़ दी है।

ता० २२ नवम्बरको चुनावका परिणाम प्रगट हुआ, तब पता चला कि नरीमानने अपनी अपुरोक्त हिदायतसे कांग्रेसका कितना नुकसान किया था। परिणाम इस प्रकार आया :

डॉ० देशमुख १९,८७२ मत

सर कावसजी १८,१४० मत

श्री मुन्शी १७,०१५ मत

अिस परिणामसे साफ जाहिर होता है कि दादर केन्द्रमें श्री नरीमानकी दी हुअी हिदायतसे गड़बड़ न हुअी होती तो डॉ० देशमुख और श्री मुन्शी दोनों कांग्रेसी अुम्मीदवार जीत जाते और सर कावसजी हार जाते। क्योंकि मतदानका पृथक्करण करने पर यह मालूम हुआ कि दादरमें डॉ० देशमुखको ८०० से १००० तक दोहरे मत मिले थे। अखवारोंमें श्री नरीमानकी अिस वारेमें कड़ी आलोचना हुअी थी।

दिसम्बर मासमें अेक वार श्री नरीमान श्रीमती लीलावती मुन्शीको लेकर सरदारके पास गये और अुनसे शिकायत की कि श्रीमती लीलावती मुझ पर यह आरोप लगाती हैं कि पिछले चुनावमें मैंने ही श्री मुन्शीका काम विगाड़ा है। अिस पर सरदारने श्री नरीमानको साफ साफ कह दिया कि "श्रीमती लीलावती गलत क्या कहती हैं? चुनावोंमें आपने जो हिस्सा लिया है वह मेरी समझमें ही नहीं आ रहा है। आपने कांग्रेसके साथ दगा किया है, अिस निर्णय पर पहुंचनेके सिवा मेरे पास कोअी विकल्प नहीं है। आपने अैसा व्यवहार न किया होता तो सर कावसजी कभी सफल न होते। अिसलिये अिस मामलेमें आपके लिये तो किसीके विरुद्ध शिकायत करनेकी

कोजी बात ही नहीं है।” ये सब बातें सरदार नरीमानसे कह रहे थे तब अन्होंने जिस आशयका अेक शब्द भी नहीं कहा कि जिस मामलेकी जांच होनी चाहिये।

वादमें मार्च १९३५ में वम्बजी कारपोरेशनके मेयरके चुनावके समय प्रो० के० टी० शाहने श्री नरीमानको यह कह कर मत देनेसे अिनकार कर दिया कि वड़ी धारासभाके पिछले चुनावके समय आपका व्यवहार प्रामाणिक नहीं था। जब तक आपके आचरणके वारेमें खुली जांच नहीं हो जाती, तब तक मैं तो आपको मत हरगिज नहीं दूंगा। श्री नरीमानने मेयरका चुनाव हो जानेके बाद अैसी जांच कराना मंजूर किया, परन्तु मेयर चुन लिये जानेके बाद वे यह बात भूल गये!

सरदारने अपने निवेदनके अन्तमें श्री नरीमान पर नीचे लिखे निश्चित आक्षेप लगाये :

१. वम्बजी शहरकी दो बैठकोंमें से अेक गैरकांग्रेसी अुम्मीदवार सर कावसजीके लिये खुली रहती थी, तब तक दूसरी बैठकके लिये श्री नरीमान खड़े होनेको तैयार थे।

२. परन्तु दोनों बैठकोंके लिये कांग्रेसके अुम्मीदवार खड़े करनेका निश्चय हुआ तबसे श्री नरीमानकी चुनावमें दिलचस्पी नहीं रही।

३. जुलाजी १९३४ में अुनका नाम अुम्मीदवारके रूपमें तय हो जाने पर भी चुनावके लिये काम करनेका अुन्होंने कोजी प्रयत्न नहीं किया।

४. वे अच्छी तरह जानते थे कि अुन्हें सर कावसजीको हरानेके लिये ही अुम्मीदवार पसंद किया गया है, फिर भी १ अक्तूबरके बाद अुन्होंने अपनी अुम्मीदवारी वापस ले लेनेके अनेक प्रयत्न किये।

५. चुनावके समय लड़नेके लिये अुन्हें खर्चका वचन दे दिया गया था, फिर भी अुन्होंने अपनी अुम्मीदवारी कायम रखनेके लिये कोजी सक्रिय कदम नहीं अुठाये।

६. यह जानते हुअे कि मतदाताओंकी सूचीमें ‘४५, अेस्प्लेनेड रोड’ का पता अुनका अपना नहीं है, अुन्होंने डॉ० देशमुख और श्री छोटालाल सालीसीटरको यह माननेका कारण दिया कि वह पता अुन्हींका है और तदनुसार श्री छोटालालने जब अुम्मीदवारीपत्र भरा तो अुस पर अपने दस्तखत कर दिये।

७. अैन वक्त पर अपना अुम्मीदवारीपत्र वापस लेकर अुन्होंने जान-बूझकर कांग्रेसकी प्रतिष्ठाको आघात पहुंचाया।

८. अपना अुम्मीदवारीपत्र वापस न लेनेकी अुन्हें मेरी स्पष्ट सूचना होने पर भी अुन्होंने अुसका खुला भंग किया ।

९. अुन्हें वार वार कहा गया कि वड़ी धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें अुनका नाम न हो तो भी अमुक नियमके अनुसार वे अुम्मीदवारी कर सकते हैं । फिर भी अुन्होंने अपना अुम्मीदवारी-पत्र वापस ले लिया ।

१०. दूसरा अुम्मीदवारीपत्र पेश करनेके लिये काफी समय और मौका होने पर भी अुन्होंने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दर्ज नहीं कराया ।

११. अुनके साथ यह स्पष्ट समझीता हो गया था कि अुनका अुम्मीदवारीपत्र अंतिम जांचमें नामजूर हो जाय तो ही श्री मुन्शी खड़े होंगे । अिसका भंग करके अुन्होंने विश्वासघात किया है ।

१२. अधिकारियोंने अुनका अुम्मीदवारीपत्र स्वीकार करनेसे अिनकार नहीं किया था, तो भी अुन्होंने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र पेश नहीं किया और मुझे तथा लोगोंको गलत तौर पर यह विश्वास कराया कि अुन्होंने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र भरा है ।

१३. पारसी जातिसे कांग्रेसी अुम्मीदवारोंका समर्थन करनेकी अपील करनेके लिये अुनसे कहा गया, तो भी अुन्होंने अैसा करनेसे अिनकार कर दिया ।

१४. चुनावके काममें कोअी सक्रिय भाग न लेने पर भी और चुनावकी सारी लड़ाअी दोनों अुम्मीदवारोंके और मेरे सुपुर्द होने पर भी चुनावके दिन मतदानमें अुन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप किया और दादरमें कार्यकर्ताओंको सूचना दे दी कि मतदाताओंसे दोनों मत अेक ही अुम्मीदवारको देनेके लिये कहा जाय ।

१५. यह सूचना बदलनेको अुनसे वार वार कहा गया तो भी वे अपनी सूचना बदलनेके लिये दुवारा दादर नहीं गये ।

१६. अिसके परिणामस्वरूप अेक कांग्रेसी अुम्मीदवारकी हार हो गअी और जिस गैरकांग्रेसी अुम्मीदवारका मुकाबला करनेके लिये श्री नरीमानको खास तौर पर खड़ा किया गया था वह जीत गया ।

अिन सब कारणोंसे मेरा श्री नरीमान पर यह आरोप है कि अेक जिम्मेदार कांग्रेसीके रूपमें, वम्बअी प्रांतीय कांग्रेसके अध्यक्षके

रूपमें, बम्बयी प्रान्तीय पार्लेमेण्टरी बोर्डके अध्यक्षके रूपमें और कांग्रेस द्वारा खड़े किये गये अके अुम्मीदवारकी हैसियतसे अुन्हें जो कर्तव्य पालन करना चाहिये था अुसमें अुन्होंने गंभीर भूल की है ।

अिन आरोपोंका श्री नरीमानने जो जवाब दिया अुसमें बहुतसी बातें अप्रस्तुत और दस्तावेजी हकीकतसे अलग थीं । अुन सबको यहां न देकर अुनके जवाबके मुख्य मुद्दे ही देंगे । अुन्होंने अेक बात तो यह कही कि सरदारकी मुझे हिदायत होने पर भी मैंने अपना अुम्मीदवारीपत्र सिर्फ अिसीलिअे वापस ले लिया कि अैसा न करता तो मैं घोखा देनेके और अपने भाअीके बदले गलत तौर पर अपना नाम चला देनेके फौजदारी अपराधका पात्र हो जाता । मैं अपना दूसरा अुम्मीदवारीपत्र असिस्टेन्ट कलेक्टरको देने लगा था, परन्तु अुन्होंने यह कहकर लेनेसे अिनकार कर दिया कि अेक अुम्मीदवारीपत्र वापस लेनेके बाद दूसरा अुम्मीदवारीपत्र नहीं दिया जा सकता । अिसलिअे मैंने अुसे वापस ले लिया था । कलेक्टरने जो यह कहा कि अुम्मीदवारीपत्रोंकी अन्तिम जांचके दिन मैंने अुम्मीदवारीपत्र पेश किया ही नहीं, वह या तो अिसलिअे कहा कि अुन्हें मालूम नहीं होगा कि मैंने असिस्टेन्ट कलेक्टरको अुम्मीदवारीपत्र देनेका प्रयत्न किया था; या मैंने कानूनी कदम अुठानेका जो नोटिस दे दिया था, अुससे वचनेके लिअे कलेक्टरने अैसा कहा होगा । अिसके अलावा, मेरे दूसरे अुम्मीदवारीपत्रके जायज होनेमें शंका तो थी ही । मैंने 'जामेजमशेद' में जो पत्र लिखा था वह अिसीलिअे लिखा था कि यदि मैं पारसियोंको यह कहता कि आप सर कावसजीको विलकुल मत न दें और सिर्फ कांग्रेसी अुम्मीदवारोंको ही दें, तो वे कांग्रेस पर चिड़ जाते और अकेले सर कावसजीको ही मत देते । मैं पारसियोंका मानस जानता था, अिसलिअे मैंने अुन्हें थोड़ेसे मत गैरपारसियोंको भी देनेकी बात कही, ताकि कांग्रेसी अुम्मीदवारको अुनके कुछ मत मिल जायं । मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैंने अैसी तरकीब की जिससे किसी भी तरह मेरी अुम्मीदवारी रद्द हो जाय और सर कावसजी चुनावमें जीत जायं । परन्तु असलियत यह है कि यदि मैं अुम्मीदवारके रूपमें खड़ा रह सका होता तो सर कावसजीके लिअे चुनाव जीतना अधिक आसान हो जाता । सर कावसजी और अुनके कार्यकर्ता भी अैसा मानते थे । पहलेके चुनावोंका अनुभव भी यही है कि यदि मैं खड़ा रहता तो साथी कांग्रेसी अुम्मीदवारको मत दिलवानेका कितना ही प्रयत्न किया जाता तो भी मुझको कांग्रेसके अितने अधिक मत मिलते कि दूसरे कांग्रेसी अुम्मीदवारकी स्थिति कमजोर हो जाती ।

पिछले वम्बजी धारासभाके चुनावमें मुझे दूसरे अुम्मीदवारोंसे दस हजार मत अधिक मिले थे । जिस बातमें कौजी सार नहीं कि सर कावसजीके वजाय मुझे पारसियोंके वोट अधिक मिलेंगे, यह सोचकर अुनके विरुद्ध मुझे खड़ा करनेकी सरदारकी योजना थी । कारण, पारसी मतदाताओंकी संख्या ही कितनी है? पिछला अनुभव यह है कि मुझे हिन्दू मतदाताओंके मत ही अधिक मिले थे । यह बात भी विलकुल झूठ है कि चुनावके दिन मैंने दादर केन्द्र पर जाकर स्वयंसेवकोंसे डॉ० देशमुखको दोनों मत दिलवानेके लिये कहा था । मैं दो वजे दादर केन्द्र पर गया जल्द था और वहां मुझे यह कहा भी गया कि श्री मुन्शीको बहुत मत मिल गये हैं जिसलिये डॉ० देशमुखको दोनों मत दिलानेकी आवश्यकता है । परन्तु मैंने कहा था कि सब केन्द्रों पर निश्चित जांच किये विना मैं ऐसी सूचना नहीं दे सकता । मेरे विरुद्ध यह आक्षेप तो जिसीलिये खड़ा किया गया दीखता है कि श्री मुन्शीके अेजण्ट अकेले श्री मुन्शीको ही मत दिलवानेके प्रयत्न कर रहे थे और मुन्शीकी मोटरगाड़ियां भी जिस तरहके तख्तोंके साथ घूम रही थीं कि 'मुन्शीको मत दो' । मैंने मुन्शीकी मोटरोंसे ऐसे तख्ते अुतरवा दिये और 'कांग्रेसको वोट दो' के तख्ते लगवा दिये । जिससे श्री मुन्शी और अुनके अेजण्ट मुझसे विगड़ गये । मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने चुनावके लिये अच्छी तरह काम नहीं किया । जिस वारेमें मुझे कहना चाहिये कि अक्तूबरके अंतिम सप्ताहमें वम्बजीमें कांग्रेसका अधिवेशन होनेवाला था । मैं स्वागत-समितिका अव्यक्त था, जिसलिये मुझ पर कामका बोझ अितना अधिक रहता था कि मैं मुक्त होने पर जितना समय चुनावके कामके लिये और अपना अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करनेके लिये दे सकता था अुतना नहीं दे सका । और कामकी शिथिलताका कारण रुपयेका अभाव भी था । केन्द्रीय पार्लमेण्टरी बोर्डने कुछ भी मदद न देकर अितने खर्चीले चुनावका भारी बोझ हम पर डाल दिया था । हमने रुपयेकी मांग की तो अुस पर ध्यान नहीं दिया गया ।

जिस आखिरी दलीलका सरदारका जवाब यह था कि कांग्रेस अधिवेशन २९ अक्तूबरको पूरा हो गया था और चुनाव १४ नवम्बरको होनेवाला था, जिसलिये काम करनेके १५ दिन निश्चित रूपसे सामने थे । दूसरे, वम्बजी जैसे शहरको केन्द्रीय पार्लमेण्टरी बोर्डसे चुनावके खर्चकी आशा रखना बेहूदी बात थी ।

चुनावमें सर कावसजीके विरुद्ध काम करनेका वड़ा सबूत श्री नरीमानने यह दिया था :

“सर कावसजीके आदमियोंकी ओरसे कुछ मृत व्यक्तियोंके झूठे मत डलवानेका प्रयत्न हुआ था। उसका सबूत मैंने पकड़ लिया था। जिन पांच पारसी युवकोंने जैसे झूठे मत दिलवाये थे, उनके वयान लेकर मैं सरदारके पास गया था। वहां श्री भूलाभाजी तथा राजगोपालाचार्य भी बैठे हुये थे। उन तीनोंके सामने मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि अिन वयानोंके आधार पर चुनाव रद्द करानेकी हम अर्जी दें। मेरी शर्त अितनी ही थी कि उन पांच युवकोंके नाम किसी भी तरह बाहर न आने चाहिये। और उन पर फाँजदारी अपराध करनेकी या और कोअी जोखिम न आनी चाहिये। अिस प्रकारकी तमाम जोखिमोंसे अुन्हें वचानेका वचन देकर ही मैं अुनके वयान लाया था। परन्तु सरदार और श्री भूलाभाजीने चुनाव रद्द करानेकी अर्जी देना स्वीकार नहीं किया।”

अिस बातका सरदारका जवाव यह था कि श्री नरीमानकी शर्त स्वीकार करके चुनाव रद्द करानेकी अर्जी देना मूर्खतापूर्ण था। हम आरोप कैसा भी लगाते परन्तु यदि वे युवक गवाही देने न आते तो मामला साबित कैसे होता? हमने अपनी अकल क्या गिरवी रख दी थी कि अैसी अर्जी देना मंजूर कर लेते, जो अदालतमें पहले हमलेमें ही खारिज हो जाती?

श्री नरीमानकी आखिरी दलील यह थी कि यदि १९३४ के चुनावमें मैंने कांग्रेसके साथ विश्वासघात किया था तो सरदारने अुस समय मुझे पर यह आरोप लगाकर अुसकी जांच क्यों न कराअी? अितना ही नहीं, अैसे आरोपकी सरदारने मुझे अुस समय जानकारी तक नहीं कराअी! अुसके बाद भी सरदारने मुझे जिम्मेदारीके काम सौंपे हैं। अिन सबसे मालूम होता है कि १९३७ में मुझे धारासभाके कांग्रेसदलका नेता नहीं चुनने देना था, अिसलिये यह आक्षेप बादमें गढ़ लिया गया कि मैंने १९३४ में कांग्रेसको धोखा दिया था।

सरदारकी तरफसे अिसका जवाव यह था :

“जब श्री नरीमान श्रीमती लीलावती मुन्शीको लेकर मेरे पास आये थे तभी अुनकी मौजूदगीमें मैंने यह बात कह दी थी। परन्तु श्री नरीमानके प्रति मनमें कोअी द्वेष नहीं रखा था। १९३४ के चुनावके समयके अुनके आचरणसे मैंने अुनका अंदाज लगा लिया था। अतः जिन कामोंके लिये वे योग्य थे वे काम मैं अुन्हें सौंपता रहा। परन्तु अुस समयके अपने अनुभवसे मैंने देख लिया कि कांग्रेसके प्रति अुनकी वफा-

दारी अितनी अुत्कट नहीं है कि सच्चे संकटके समय अुनके हाथमें कांग्रेसका हित सुरक्षित माना जा सके । १९३७ में धारासभाओंमें प्रवेश करके और जरूरी हो तो सत्ता भी हाथमें लेकर कांग्रेस अेक विलकुल नया और भारी जिम्मेदारीका प्रयोग कर रही थी । अैसे नाजुक अवसर पर नेता बननेके लिये श्री नरीमान मुझे योग्य नहीं लगे । जो मुझसे पूछते या मुझसे परामर्श करते अुन्हें मैं स्पष्ट कहता था कि मुझे श्री नरीमान कांग्रेसदलके नेता बननेके योग्य प्रतीत नहीं होते; परन्तु सब सदस्योंकी अुन्हें नेता चुननेकी अिच्छा हो तो मैं आपत्ति नहीं कहूंगा ।”

अव अिस मुद्दे पर श्री वहादुरजीने जो फैसला दिया अुसे देखें । श्री नरीमानने १७ अगस्त, १९३७ को जांचकी मांग करनेवाले अपने पत्रमें गांधीजीको लिख कर बता दिया था कि दो विलकुल अलग अलग मामलोंकी जांच करनी है :

(१) १९३४ के बड़ी धारासभाके चुनावके समय मेरे आचरण और रव्येके वारेमें; और

(२) मार्च १९३७ में वम्बजीकी धारासभाके कांग्रेसदलके नेताके चुनावमें सरदार द्वारा अपना प्रभाव काममें लेकर अनुचित दवाव डालने न डालनेके वारेमें ।

“अिन दोनों मुद्दों पर सबूत देनेवाले बहुतसे वयान हमारे (श्री वहादुरजी और गांधीजीके) पास आये हैं । श्री नरीमान तथा सरदार वल्लभभाजीको ये वयान बता दिये गये और अुनसे पूछा गया कि अिन वयान भेजनेवालोंसे आपको जरूह करनी है या नहीं ? दोनोंने अैसा करनेसे अिनकार कर दिया । अिसलिये श्री नरीमान और सरदारके लिखित वयानों तथा अेक-दूसरेको दिये गये जवाबों तथा साक्षियोंके वयानों परसे हमें फैसला देना है । जवानी कोअी वहस करनी हो तो अुसके लिये भी दोनों पक्षोंसे कह दिया गया था । सरदारने कोअी वहस करनेसे अिनकार कर दिया था । श्री नरीमान मेरे सामने आकर अपनी वहस कर गये थे ।

“पहले मुद्देके वारेमें अितनी बात तो निश्चित है कि जुलाबी १९३४ के मध्यमें वम्बजी प्रान्तीय पार्लमेण्टरी बोर्डने वम्बजी शहरकी तरफसे धारासभाके अुम्मीदवारोंके रूपमें श्री नरीमान और डॉ० देशमुखको पसंद किया था । अिस पसंदगीके लिये अखिल भारतीय

पार्लमेण्टरी बोर्डने २९ जुलाओको अपनी अनुमति दी थी । १४ जुलाओ, १९३४ को मतदाता-सूचियां प्रकाशित कर दी गयी थीं और उन पर आपत्तियोंकी अर्जियां मांगी गयी थीं । २९ सितम्बरको मतदाता-सूचियां अंतिम रूपमें तय हो गयी थीं । १ अक्टूबर, १९३४ को सरकारी गजटमें प्रकाशित हुआ कि धारासभाकी अुम्मीदवारीके लिअे अुम्मीदवारोंको ११ अक्टूबर १९३४ को दोपहरके तीन बजे तक अपने अुम्मीदवारीपत्र दाखिल कर देने चाहिये ।

“श्री नरीमान वम्बओ प्रांतीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष थे, वम्बओ प्रांतके पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्ष थे और वम्बओ शहरके लिअे कांग्रेसके अुम्मीदवार थे । अिन तीनों स्थानों पर आसीन होनेके कारण उनसे स्वाभाविक रूपमें ही अैसी अपेक्षा रखी जाती थी कि अुन्होंने मतदाताओंकी सूचियां ध्यानपूर्वक देख ली होंगी, चुनाव-सम्बन्धी नियमों तथा धाराओंका अुन्होंने ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया होगा और कांग्रेसके पसंद किये हुअे अुम्मीदवारोंके सफल होनेके लिअे आवश्यक तैयारियां कर ली होंगी । अैसी अपेक्षा न रखना उन पर यह आरोप लगानेके बराबर होगा कि अुन्होंने अपने कर्तव्य-पालनमें अक्षम्य लापरवाही दिखायी । अितने पर भी श्री नरीमान कहते हैं कि मेरा नाम मतदाताओंकी सूचीमें न होनेका पता मुझे चुनावके पहले दिन अर्थात् १० तारीखको ही लगा । अब डॉ० देशमुखके वयानके अनुसार अुन्होंने ६ अक्टूबरको श्री नरीमानको फोन किया था कि आपके अुम्मीदवारीपत्रमें दिया गया पता और मतदाता-सूचीमें छपा हुआ पता अेक नहीं है । डॉ० देशमुखने यह भी कहा कि श्री छोटालाल सालीसीटर, जो अुम्मीदवारीपत्र देने कलेक्टरके दफ्तरमें गये थे, यह कहते हैं कि कलेक्टरके दफ्तरसे अुन्हें यह कहा गया कि मतदाता-सूचीमें जैसा पता हो वैसा ही अुम्मीदवारीपत्रमें होना चाहिये । अेक या दो दिन बाद श्री नरीमानने मुझे (डॉ० देशमुखको) खबर दी कि अुन्होंने अपने पतेके बारेमें जांच कर ली है, मतदाता-सूचीमें उनका पता ठीक है और अुसीके अनुसार अुम्मीदवारीपत्र भरकर मैं दाखिल कर दूँ ।

“श्री नरीमान मेरे सामने पेश किये गये पहले वयानमें कहते हैं कि डॉ० देशमुखने अाखिरी दिनसे थोड़े ही दिन पहले मुझसे कहा था कि आपके पतेके बारेमें शंका होती है, अिसलिअे आप कलेक्टरके यहां जाकर समय रहते अितमीनान कर लीजिये । अिसलिअे ११ अक्टूबरको

या अुस असेमें में (नरीमान) डॉ० देशमुख तथा डॉ० साठेको साथ लेकर कलेक्टरके दफ्तरमें गया और असिस्टेंट कलेक्टरसे मिला। सरदार वल्लभभाजीके वयानका जो जवाब श्री नरीमानने दिया है अुसमें वे कहते हैं कि डॉ० देशमुखने पतेके वारेमें मुझे फोन किया तब मैंने जवाब दिया कि 'बहुत अच्छा। (Very well.)' मैं वातको अच्छी तरह समझा हूं या नहीं, असका अितमीनान कर लेनेके लिये अुन्होंने वही वात दुवारा कही। तब मैंने अुत्तर दिया कि 'यह सब ठीक है। (It is all right.)' यानी मैं अुनका सन्देश अच्छी तरह समझ गया हूं और जो जरूरी होगा वह कर लूंगा। मेरे अिन शब्दोंका विकृत अर्थ करके यह कहा जाता है कि पता ठीक है।

“अव श्री नरीमान यह नहीं कहते कि अुन्होंने जांच कर ली थी या सब कुछ ठीक करनेके लिये कुछ भी प्रवंध किया था। श्री नरीमान अितना तो स्वीकार करते हैं कि वे जानते थे कि १९३४ में बड़ी धारासभाके मतदाता वननेके लिये वे योग्य नहीं थे। अैसा होनेके कारण यह बड़ा अजीब मालूम होता है कि जब ६ अक्तूबरको अुन्हें फोन किया गया तब अुन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि '४५, अेस्प्लेनेड रोड' का पता अुनके भाजीका है और अुनका अपना नहीं है। यह भी अुतना ही विचित्र लगता है कि अुन्होंने अुसी वक्त डॉ० देशमुखका ध्यान अस वातकी तरफ क्यों नहीं दिलाया कि प्रान्तीय धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें अुनका नाम और सही पता दिया हुआ है। यह भी विचित्र मालूम होता है, जैसा कि वे अपने वयानमें कहते हैं, कि जब अुन्होंने ठेठ ११ तारीखको या अुस असेमें भाजीके दफ्तरमें तलाश की तब अुन्हें मालूम हुआ कि '४५, अेस्प्लेनेड रोड' अुनके भाजीका पता है। सरदार वल्लभभाजीने अुन्हें हिदायत दी थी कि वे अपना पहला अुम्मीदवारीपत्र वापस न लें और प्रान्तीय धारासभाकी मतदाता-सूचीमें अुनका नाम होनेके आधार पर दूसरा अुम्मीदवारीपत्र भर दें। अव ११ अक्तूबरको श्री नरीमानने कलेक्टरके दफ्तरमें दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दिया या नहीं, यह विवादास्पद प्रश्न है। श्री नरीमान कहते हैं कि अुन्होंने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दे दिया था, जब कि डॉ० देशमुख, डॉ० साठे, श्री छोटालाल सालीसीटर और खुद कलेक्टर — ये चारों कहते हैं कि श्री नरीमानने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र नहीं दिया था। पहला अुम्मीदवारीपत्र तो वे कहते हैं कि श्री नरीमानने जानदूझकर ही वापस ले लिया था। असके साथ वे स्वीकार करते हैं

कि अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करनेके नियमानुसार वे अेक पत्र रद्द कराकर अुसके वजाय दूसरा पत्र पेश कर सकते थे । श्री नरीमान अितना तो जानते ही होंगे कि अुन्हें अिसलिये अुम्मीदवार नहीं पसन्द किया गया था कि वे वम्बडीके गैरपारसी मतदाताओंमें बहुत लोकप्रिय थे, वल्कि खास तौर पर अिसलिये पसन्द किया गया था कि कांग्रेस विरोधी पारसी अुम्मीदवारके विरुद्ध वे बहुतसे पारसी मत प्राप्त कर सकते थे । परंतु अुन्होंने तो अपनी अुम्मीदवारी ही वापस ले ली । अपने अिस व्यवहारसे अुन्होंने कांग्रेसदलको धोखा दिया, अिसके सिवा और क्या कहा जा सकता है ?

“श्री नरीमान अपना वचाव अिस प्रकार करते हैं कि यदि वे कलेक्टरके यहां अपना पहला अुम्मीदवारीपत्र अुसमें लिखा पता गलत होनेकी बात मालूम हो जाने पर भी रहने देते तो धोखा देनेके और दूसरे आदमीके वजाय स्वयं गलत रूपमें पेश होनेके फौजदारी जुर्मके पात्र बनते । अिस मामलेमें कानूनको देखनेसे मुझे लगता है कि अेक आदमीके वजाय दूसरा कोअी गलत रूपमें मत दे तो चुनावके नियमानुसार अपराध होता है । परंतु यहां तो अपना सही नाम और पता लिखकर दूसरा अुम्मीदवारीपत्र देना था । अिसलिये अपराधकी शंकाके लिये कारण ही नहीं रहा जाता । फिर श्री नरीमान अुस नियमके अर्थके बारेमें शंका अुठाते हैं, जिसके आधार पर दूसरा अुम्मीदवारीपत्र पेश किया जा सकता था । अुन्हें यदि शंका थी तो अुन्होंने और किसीकी सलाह क्यों न ली ? श्री नरीमान होशियार और अनुभवी वकील हैं, अिसलिये मैं यह आलोचना कर रहा हूं । ये सारी बातें निश्चित रूपमें बताती हैं कि चुनावमें खड़े रहनेकी श्री नरीमानकी विलकुल अिच्छा नहीं थी । सरदारके वधसे लौटनेके बाद १४ अक्तूबरको सरकारके नाम विरोधका तार भेजनेमें अुन्होंने जो टालमटूल की और अन्तमें मजबूरन् तार पर हस्ताक्षर किये, अिस बात पर विशेष आलोचनाकी आवश्यकता नहीं ।”

अब दूसरा मुद्दा लें । अुस मुद्दे पर श्री नरीमानकी शिकायतकी तफसील अिस अध्यायके पहले भागमें आ जाती है । अिसलिये यहां केवल श्री बहादुरजीके निर्णयका सार ही देंगे । श्री बहादुरजीने कहा :

“श्री नरीमानने मेरे सामने बड़ा लंबा वयान पेश किया है । अुनके कहनेका सार यह निकलता है कि सरदार वल्लभभाभीको अिस बारेमें अपनी कोअी राय जाहिर करनेका अधिकार नहीं था कि कांग्रेसी

धारासभा-सदस्य किसे अपना नेता चुनें। वह कुछ भी हो। मेरे सामने जो प्रचुर प्रमाण उपस्थित हुअे हैं, उनमें से नेताके चुनाव-संबंधी हकीकतोंकी छानबीन करने पर वे बहुत सादी और स्पष्ट मालूम होती हैं। प्रमाणोंसे असा खयाल होता है कि नेताके चुनावके वारेमें पहला विचार श्री गंगाधरराव देशपांडे, श्री शंकरराव देव और श्री अच्युत पटवर्धनने १९३७ के फरवरी मासके अंतिम सप्ताहमें किया। और उनकी राय यह हुअी कि श्री नरीमान या श्री मुन्शीको नेता बनाना अुचित नहीं। उनका विचार सरदार वल्लभभाजीको ही नेता बनानेका था और यदि वे अस्वीकार कर दें तो श्री खेरको वे नेता बनाना चाहते थे। अिस पर अुन्होंने श्री वल्लभभाजीसे अिस विषयमें आग्रह किया और पं० जवाहरलालजी तथा महात्मा गांधीको भी सरदारसे अिस विषयमें कहनेका अनुरोध किया। परंतु सरदारने नहीं माना। अिसलिये अुन्होंने श्री खेरका नाम सूचित किया और उनके वारेमें सरदारकी राय पूछी। सरदारने कहा कि नेताकी भारी जिम्मेदारी अुठानेको श्री खेर तैयार हों तो मुझे कोअी आपत्ति नहीं है। अिस पर २-३ मार्चके असेमें वे श्री खेरसे वंदअीमें मिले। सबूतोंसे मालूम होता है कि श्री खेरसे नेता बननेको कहा जा रहा था, अिस बातसे श्री नरीमान अनभिज्ञ नहीं थे। अिसी असेमें श्री नरीमानकी सरदारके साथ बरलीवाली मुलाकात हुअी। अुस मुलाकातमें सरदारने श्री नरीमानको साफ बता दिया कि आपको नेता बनानेके वारेमें मेरा समर्थन नहीं है। अुन्होंने यह भी कहा कि १९३४ के वड़ी धारासभाके चुनावके मर्के पर आपने जो व्यवहार किया था अुससे आपके वारेमें मुझे असंतोष है। साथ ही साथ यह भी बता दिया कि सभी सदस्य आपको नेता बनाना चाहते हों तो मैं अुसका सक्रिय विरोध नहीं करूंगा। दादमें १० मार्चको बम्बअी शहरके धारासभा-सदस्योंकी सभा हुअी, अिसके अध्यक्ष श्री नरीमान थे। अुस सभामें निश्चय किया गया कि दलके नेता तथा पदाधिकारियोंका चुनाव सर्वसंमतिसे होना चाहिये। और यह भी तय किया गया कि सरदार वल्लभभाजी कर्नाटक तथा महाराष्ट्रके नेताओंसे मिलकर अुनके विचार जान लें, ताकि नेताके चुनावकी सभामें सर्वसंमतिसे काम हो। वंदअीके अिन प्रस्तावोंकी जानकारी सरदारको श्री नरीमानने ही दी थी।

“महाराष्ट्र और कर्नाटकके सदस्य ११ मार्चको बम्बअी आये और सरदारगृहमें ठहरे। सरदारगृहमें क्या क्या हुअा, अिस वारेमें

श्री नरीमान तथा श्री देशपांडे और श्री देव तथा श्री पटवर्धनने अपने वयान दिये हैं। परंतु श्री नरीमान वहां मौजूद नहीं थे, जिसलिये मुझे श्री देशपांडे, श्री देव और श्री पटवर्धनके वयानों पर ही आधार रखना पड़ेगा। इनके वयानोंका मुख्य मुद्दा यह है कि जिलेके नेताओंका यह अधिकार था और कर्तव्य भी था कि वे अपने अपने जिलेके धारासभा-सदस्योंका नेताके चुनावके मामलेमें पथप्रदर्शन करें। जिस अधिकार और कर्तव्यकी रूसे अन्होंने श्री नरीमानके, जिन्हें वे वर्षोंसे जानते थे, विरुद्ध राय दी और अपनी रायके लिये कारण भी बताये। अन्होंने वयानमें बताया कि वर्धामें श्री खेरके नामकी बात निकली थी और श्री जवाहरलालजी अथवा गांधीजीने अुनके विषयमें नापसन्दगी जाहिर नहीं की थी। महाराष्ट्र तथा कर्नाटकके अधिकांश धारासभा-सदस्योंके वयान मेरे पास आये हैं। वे देशपांडे, देव और पटवर्धनकी बातका समर्थन करते हैं।

“ १२ मार्चको सारे प्रान्तके धारासभा-सदस्योंकी वम्बडीमें जो सभा हुई, अुसमें अखवारवालोंको अुपस्थित नहीं रहने दिया गया था। श्री नरीमान भी अुस सभामें गैरहाजिर थे। जिसलिये अुस सभाके वारेमें अखवारों अथवा श्री नरीमानके विवरणों पर आधार नहीं रखा जा सकता। सभामें अुपस्थित मनुष्योंका दिया हुआ विवरण ही अुचित्त प्रमाण माना जा सकता है। अुपस्थित धारासभा-सदस्योंके वयान ध्यानपूर्वक पढ़ जाने पर साफ मालूम होता है कि सभाका काम बड़े व्यवस्थित ढंगसे और १० मार्चको वम्बडीकी सभाने जो निश्चय किया था अुसीके अनुसार हुआ था। पहले अविधिवत् रूपमें जान लिया गया कि भारी बहुमत किसके पक्षमें है। सभी धारासभा-सदस्य, जिन्होंने मेरे पास अपने वयान पेश किये हैं, कहते हैं कि बहुमत श्री खेरके पक्षमें था और सरदार वल्लभभाजीने किसी पर असर डालनेकी कोशिश नहीं की थी। केवल दो-तीन धारासभा-सदस्य बताते हैं कि सरदार वल्लभभाजीसे यह पूछने पर कि श्री नरीमानको क्यों नहीं चुनना चाहिये, अुन्होंने जवाब दिया था कि श्री नरीमानका नेता बनना मुझे पसन्द नहीं, परंतु आप सब श्री नरीमानको नेता बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सरदारने अुनुचित दवाव डाला। पेश हुई वयानोंसे यह भी जान पड़ता है कि भारी बहुमत श्री खेरके पक्षमें होनेके कारण अुनके नामका वाकायदा प्रस्ताव रखा गया और वह किसीके विरोधके बिना पास हो गया।

असलिये यह साबित नहीं होता कि सरदार वल्लभभाजीने या और किसीने अनुचित दबाव डाला। श्री नरीमान अस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ९ मार्चको सरदार वल्लभभाजीने श्री गंगाधरराव देशपांडे और श्री शंकरराव देवको तार देकर वम्बजी आनेके लिये कहा था। परंतु पेश हुअे प्रमाणोंसे तारका जो अर्थ श्री नरीमान करते हैं वह अर्थ निकालनेका कोअी कारण नहीं दिखाअी देता। अुस तारका अुद्देश्य क्या था, अस वारेमें श्री देव तथा श्री पटवर्धनने ९ जूनको और श्री गंगाधरराव देशपांडेने ११ जूनको अपने वयान प्रकाशित किये हैं, वे श्री नरीमानके अनुमानके विरुद्ध जाते हैं। असके सिवा १६ जूनको अेक वक्तव्य प्रकाशित करके और १७ जूनको पत्र लिखकर पं० जवाहरलालने अिन तारोंका स्पष्टीकरण किया है। अिन वयानोंसे और श्री जवाहरलालजीके स्पष्टीकरणसे किसी भी समझदार आदमीको संतोप हो जाना चाहिये था।

“मेरे (श्री बहादुरजीके) पास कुल ८३ वयान आये हैं। वे सब मैंने श्री नरीमानको ब्रता दिये हैं। सब वयान अुन्होंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिये हैं और कुल ५८ वयानोंकी अुन्होंने नकलें कर ली हैं अथवा अुनमें से अुद्धरण लिये हैं। अपने मामलेकी बहस करनेका भी अुन्हें अवसर दिया गया है। अिन सब बातों परसे मैं अस निर्णय पर पहुंचता हूं कि १९३४ की बड़ी बारासभाके चुनावके मामलेमें श्री नरीमान पर जो आरोप लगाये गये हैं वे सत्य सिद्ध होते हैं और १९३७ के नेताके चुनावके वारेमें श्री नरीमानने सरदार वल्लभभाजी पर जो आक्षेप किये हैं वे सिद्ध नहीं होते।”

गांधीजीने अस निर्णयके साथ अपनी सम्मति प्रकट करनेवाली निम्न-लिखित टिप्पणी लिखी थी :

“श्री नरीमान-सरदार केसके वारेमें श्री बहादुरजी अपना निर्णय लेकर मेरे पास आये हैं। यह मामला मैंने सार्वजनिक हितके खातिर ही हाथमें लिया। अुसमें बहुत संकोचके साथ मैंने श्री बहादुरजीकी मदद मांगी और वह अुन्होंने तुरंत दे दी। पहले शायद अुन्हें ख्याल नहीं हुआ होगा कि सिर पर लिये हुअे कामके साथ न्याय करनेमें अुन्हें कितना परिश्रम करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि अुनकी मूल्यवान सहायताके बिना मैं क्या कर सका होता। अुनका निर्णय हमने साथ साथ पढ़ लिया है। मैंने थोड़ेसे फेरबदल सुझाये जो अुन्होंने फीरन् ही मान लिये। अुनके सिवा सारा निर्णय पूरी तरह अुनका अपना

ही हैं। मेरे साथ पहलेसे किसी भी प्रकारकी परामर्श किये बिना वे जिस निर्णय पर पहुंचे हैं। अउनकी दी हुयी दलीलों और निर्णयोंसे मैं सहमत हूं।

“लोग देखेंगे कि अउनके निर्णय शुद्ध न्याययुक्त हैं। दोनों पक्षोंको पेश किये हुअे प्रमाण देखने, अउनकी नकलें लेने तथा साक्षियोंके वयान लेने या जिरह करनी हो तो जिरह करनेके सभी अवसर दिये गये थे। परंतु जिस तरह जवानी वयान लेनेसे दोनों पक्षोंने अिनकार कर दिया। केसमें कुल ८० साक्षी हैं और अउनके वेशुमार सबूत हैं, यद्यपि अउनमें से अधिकांश हमारे सामने अुपस्थित दो मुद्दोंके साथ विलकुल अप्रस्तुत हैं। श्री नरीमानको अपने पासके सारे सबूत मेरे सामने लानेकी पूरी छूट दी गयी थी। जिन जिन आदमियोंके नाम अुन्होंने दिये अुन्हें मैंने निजी पत्र लिखे। सबूतके लिअे मैंने सार्वजनिक अपील की, जिसके अुत्तरमें अधिकांश धारासभा-सदस्योंने अपने वयान भेजे हैं।

“अिससे अधिक कर्तव्यका मुझे पालन करना न होता तो और कुछ कहनेकी जरूरत नहीं थी। परंतु मेरे पास जो प्रमाण भेजे गये हैं अउनसे मुझे कुछ अैसी बातें मालूम हुयी हैं, जिनका अुल्लेख मुझे करना चाहिये। श्री नरीमानने अखबारोंके अुद्धरणोंकी बहुतसी कतरनें मेरे पास भेजी हैं। अुन्हें पढ़कर बहुत दुःख होता है। अिस मामलेमें सरदार साम्प्रदायिक वृत्तिसे प्रेरित हुअे थे, अिसका थोड़ा भी सबूत न होते हुअे भी अखबारोंने अैसे अिशाारे किये हैं कि श्री नरीमानको नेता न चुननेमें साम्प्रदायिक रवैया काम कर रहा था। अैसी बातें कहकर समाचारपत्रोंने वम्बयीके सार्वजनिक जीवनकी बड़ी कुसेवा की है। मुझे खुशी होती है कि श्री नरीमानने अैसी बातोंसे अिनकार किया है।

“सरदारके विरुद्ध श्री नरीमानकी शिकायतोंका सार निकाला जाय तो वह अितना ही निकलता है। ३ मार्चको सरदारने नरीमानसे कहा कि वे अउनको मदद नहीं दे सकेंगे और तदनुसार अुन्होंने मदद दी भी नहीं। यह तो स्पष्ट है कि सरदार जैसा प्रभावशाली मनुष्य जव निष्क्रिय रहे तो अउनका यह रवैया श्री नरीमानके विरुद्ध जा सकता है। परंतु अिसके लिअे सरदारको दोष नहीं दिया जा सकता। मुझे तो लगता है कि श्री नरीमान यह भूल जाते हैं कि वम्बयी शहर ही सारा वम्बयी प्रान्त नहीं है। यदि महाराष्ट्र और कर्नाटकका सचमुच अउन पर विश्वास होता, तो सरदारकी निष्क्रियता

अनुके चुनावमें जरा भी बाधक नहीं होती। आज भी धारासभा-सदस्य श्री खेरसे त्यागपत्र देनेको कहें और अनुकी जगह श्री नरीमानका चुनाव करें तो असा करनेसे अन्हें कोअी रोक नहीं सकता। सरदारके जवरदस्त असरके कारण असा कोअी परिवर्तन होना असंभव है, यह कहना विचारहीनताका द्योतक है। अेक मनुष्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह ९० मनुष्योंको लंबे समय तक दवा नहीं सकता।

“परिस्थितिका मेरा पृथक्करण यह है कि श्री नरीमानने धारा-सभा-सदस्यों पर अपने प्रभावका जरूरतसे ज्यादा अनुमान लगाया और अपनी हारसे तीव्र निराशा अनुभव की। अनुकी विवेकशक्ति विलकुल कुंठित हो गयी। मेरे सामने दिये गये अनुके वयानोंसे यह बात सावित होती है। परंतु अनुके सलाहकारों और अखबारोंके प्रचारने अनुके अिस भ्रमको प्रोत्साहन दिया। ये शब्द लिखते हुअे मुझे जरा भी खुशी नहीं होती। परंतु जो आदमी अनुका मित्र है, हितचिन्तक है और कांग्रेस कार्यसमितिमें अनुका प्रवेश करानेमें जिसका कुछ हाथ रहा है, वह अपना अुद्विग्न हृदय खोले तो शायद अनुकी आंखें कुछ खुलें, अिस आशासे ही मैंने ये शब्द लिखे हैं।”

ता० १४ को निर्णयके दिन श्री नरीमानको वर्वा बुलाया गया था, परंतु वे आ न सके। अिसलिअे श्री वहादुरजीके साथ महादेवभायी वंदयी गये। ता० १५ को श्री नरीमानको श्री वहादुरजीके दफ्तरमें अिस सूचनाके साथ बुलाया गया कि आप चाहें तो अपना वैरिस्टर साथ ला सकते हैं। अिसलिअे श्री नरीमान श्री वहादुरजीके दफ्तरमें अपने वैरिस्टरके साथ गये। गांधीजीका यह सुझाव था कि श्री नरीमान निर्णय पढ़कर अपने व्यवहारके लिअे सार्वजनिक रूपमें खेद प्रकाशन करना मंजूर कर लें तो निर्णय प्रकाशित न किया जाय। परंतु गांधीजी श्री नरीमानके खेदके साथ अपना अेक वक्तव्य प्रकाशित करें। श्री नरीमानने ध्यानपूर्वक फैसला पढ़ लिया और अपने वैरिस्टरके साथ परामर्श करके गांधीजीका सुझाव मान लिया। अिसलिअे ता० १६ को गांधीजीने वर्वासि निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

“नरीमान-सरदार केसमें श्री वहादुरजी तथा मैं अेक-दूसरेसे स्वतंत्र रूपमें विचारपूर्वक अिस निर्णय पर पहुंचे हैं, अुसे प्रकाशित करनेके वजाय श्री नरीमानका वक्तव्य जनताके समक्ष रखते हुअे मुझे आनंद हो रहा है। मैंने अेक दुःखदायक कर्तव्य सिर पर लिया था। और मेरी प्रार्थना पर श्री वहादुरजीने अुसमें मेरा साथ देना मंजूर किया

था। अुनकी कीमती मददके विना और अुन्होंने जो असाधारण परिश्रम किया अुसके विना अपनी मौजूदा तंदुरुस्तीमें यह बोझ अुठानेमें मैं टूट जाता। मेरे पास ढेरों प्रमाण अुपस्थित किये गये हैं। मैंने अुनकी अेक अेक पंक्ति पढ़ ली है। ये सारे कागजात मैंने वहादुरजीको भेज दिये। वे सारे प्रमाणोंका अेक अेक अक्षर पढ़ गये हैं; अितना ही नहीं, परंतु अुसमें से अुन्होंने लंबे नोट भी लिये हैं। १९३४ के चुनावके अटपटे मामलेसे संबंधित कानूनको भी अुन्होंने पढ़ लिया है और मुझे से स्वतंत्र रूपमें अुन्होंने अपना निर्णय दिया है। अुसे लेकर सेवाग्राम आनेकी अुन्होंने कृपा की।

“ता० १४ का सारा दिन हमने अुनका लिखा हुआ निर्णय पढ़ने और अुस पर विचार करनेमें लगाया। वादमें मेरी सहमति-सूचक टिप्पणी लिखी गयी। मैंने आशा रखी थी कि श्री नरीमान भी अुस दिन हमारे साथ होंगे। परंतु वे नहीं आ सके। वादमें मैंने सुझाया कि बंबयी जाकर श्री वहादुरजी श्री नरीमानको अपने पास बुलायें। मैंने यह सूचना दी कि निर्णय तथा मेरी टिप्पणी पढ़कर वे प्रतीतिपूर्वक अुसे स्वीकार करें, और वे अपनी तरफसे सार्वजनिक वक्तव्य निकालें तो हम यह निर्णय प्रकाशित न करें, परंतु दोनों पक्षोंको अेक अेक प्रति देकर संतोष कर लें। श्री वहादुरजीको यह सूचना पसन्द आयी। गुरुवारकी रातको मैंने श्री महादेव देसायीको श्री नरीमानसे मिलने बंबयी भेजा। श्री नरीमान अपने वैरिस्टरके साथ श्री वहादुरजीके दफ्तरमें गये और वह निर्णय अुन्होंने पढ़ा। अब श्री नरीमानका वक्तव्य जनताके सामने रखते हुअे मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। मुझे पूरी आशा है कि जनता और समाचारपत्र भूतकालकी तीखी और अशोभनीय चर्चाको भूल जायेंगे। अुस चर्चाके कारण बम्बयीकी प्रवृत्तिमें से अुसका प्रतिदिनका अुत्साह और आनंद नष्ट हो गया था।

“श्री नरीमानने विचारपूर्वक और पूरे हृदयसे जो अिकरार किया है अुसके लिअे मैं अुन्हें बचायी देता हूं। श्री वहादुरजीने अुच्च कर्तव्यदुद्धिसे और मेरे प्रति रहे प्रेमके कारण मेरे भारमें हाथ बंटाया है अुसके लिअे मैं अुनका अत्यंत ऋणी हूं। श्री नरीमानका बयान अिस प्रकार है:

‘गांधीजीने मुझे विश्वासमें लेकर अपनी जांचका निर्णय मुझे बताया, अिसके लिअे मैं अुनका आभारी हूं। अुस निर्णयका

मैंने ध्यानपूर्वक अव्ययन किया है। मेरे चुने हुअे न्यायाधीशोंने, जिन्हें अपने मित्र समझनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त है, जो निर्णय दिया है उसे मुझे स्वीकार कर लेना चाहिये। वह निर्णय प्रकाशित करनेका अुन्हें अधिकार था, परंतु अुन्होंने मुझसे अुदारतापूर्वक कहा कि यदि मैं अैसा सार्वजनिक वक्तव्य निकालूं कि मुझे अुनके निर्णयसे संतोष हो गया है तो वे अुसे प्रकाशित नहीं करेंगे। मैंने अुनका सुझाव मान लिया है और तदनुसार यह सार्वजनिक वक्तव्य निकाल रहा हूं। मुझे अितमीनान हो गया है कि १९३४ के वड़ी धारासभाके चुनावके मामलेमें कांग्रेसके अेक जिम्मेदार पदाधिकारीकी हैसियतसे मैंने अपने कर्तव्यका पालन नहीं किया था। मैंने अपने कुछ मित्रोंको यह माननेका कारण दिया कि अपनी लापरवाहीसे मैंने गंभीर विश्वासघात किया था।

‘१९३७ में वम्बयीकी धारासभाके कांग्रेसदलके नेताके चुनावके मामलेमें मैं सखेद स्वीकार करता हूं कि मैंने साधारण स्थितिकी गलत कल्पना कर ली और कुछ धारासभा-सदस्योंके दिये हुअे वयानोंके आधार पर यह मान लिया कि मेरे साथ अन्याय किया गया है। मैंने अिस मान्यतामें अपने मित्रों और कुछ अखबारोंको शामिल कर लिया। परिणामस्वरूप खूब कटुता वढी और कुछ अखबारोंने सरदार वल्लभभायी पर साम्प्रदायिक द्वेषभावका आरोप लगाया। मैंने पहले सार्वजनिक रूपमें कह दिया है और अब फिर कहता हूं कि यह आरोप सर्वथा निराधार है। सरदारने जो कुछ किया या न किया, वह कर्तव्य-बुद्धिसे प्रेरित होकर ही किया था। मुझे अफसोस है कि अिस आन्दोलनने व्यक्तिगत और साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया और अिस शिकायतको सच्ची नहीं परंतु कल्पित समझनेका लोगोंको हक है अुसके वारेमें महात्मा गांधी और श्री वहादुरजीका अितना समय लेनेमें मैं कारण बना।

‘अितना कहनेके बाद मेरे खयालसे अिस जनताकी अितने वर्ष तक सेवा करनेका मैंने दावा किया है अुस जनताके साथ मुझे अिन्साफ करना चाहिये। मुझ पर अुसका विश्वास पूरी तरह स्थापित होनेके लिये ही मैं पूरा विचार करके यह घोषणा करता हूं कि अपने पदोंकी अवधि समाप्त होने पर अुन स्थानोंके लिये

द्वारा खड़ा होनेका मेरा विरादा नहीं है। उन पदों पर रहे बिना कांग्रेसकी और जनताकी सेवा करनेका मेरा निश्चय है, ताकि कटुता और द्वेष मिट जाय और शांति तथा मेल फिरसे स्थापित हो जाय।”

यह कांड यहीं समाप्त हो जाता तो उसका बड़ा शुभ अन्त आया माना जाता। परंतु बादमें श्री नरीमानने जो रवैया अपनाया, उसे देखते हुअे खयाल होता है कि उनका अिकरार सच्चे दिलका अिकरार नहीं था। अिकरार करनेके सात ही दिन बाद अर्थात् २३ अक्तूबरको श्री नरीमानने बंगलोरसे अेक वक्तव्य प्रकाशित करके सारी बात बदल डाली। अुन्होंने कहा :

“मनुष्य क्षणिक पागलपनकी स्थितिमें आत्महत्या भी कर बैठता है। मनकी निराशा और अस्थिर स्थितिमें जब उसे न्याय प्राप्त करनेका कोअी अुपाय नहीं सूझता तब अपने मनकी तंग हालतको मिटानेके लिअे वह अैसा कदम अुठाता है। मेरा मामला भी मानसिक निराशाके समय राजनैतिक आत्महत्या कर डालनेका है। मुझ पर यह आरोप लगाया गया था कि मैं विवादको जारी रखकर बम्बयीके सार्वजनिक जीवनको छिन्नभिन्न कर रहा हूं, कांग्रेसमें विनाशकारी फूट पैदा कर रहा हूं और तमाम राष्ट्रीय और देशहितके कामकाज बन्द करवा रहा हूं। यह भी कहा जाता था कि जब तक अिस झगड़ेका संतोपजनक निवटारा नहीं हो जाता, तब तक गांधीजीके स्वास्थ्य पर अुसका असर होता ही रहेगा और वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं होंगे। मैंने बयान दिया अुससे पहले मुझे अेक तार मिला था, जिसका भावार्थ अैसा ही था। अिसलिअे अपनी राजनैतिक मृत्युकी आज्ञा पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये। १९३४ के बड़ी धारासभाके चुनावमें मुझसे गफलत हुअी होगी, मैं लापरवाह रहा हूंगा और जल्दीमें कुछ कर बैठूंगा। परंतु मेरी दलील यह थी कि अुस समय बम्बयीमें कांग्रेसका अधिवेशन होनेवाला था और स्वागत-समितिके अध्यक्षके नाते अुसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। अिसलिअे दूसरे काम मुझे छोड़ देने पड़े थे। मैं चुनावके कामकी तरफ कोअी ध्यान न दे सका। परंतु चुनावके कामकी जिम्मेदारी तो मेरी मानी ही जाती थी, अिसलिअे यह मान लिया गया कि अुस कामके बारेमें लापरवाही करके मैंने विश्वासघात किया। अिसलिअे मुझे निर्णय स्वीकार कर लेना पड़ा। अपने भविष्यके कामके लिअे मैं कहूंगा कि जिस कांग्रेसकी मैंने अितनी वफादारीसे

सेवा की है, अितने वर्षोंसे जिससे मैं निष्ठापूर्वक चिपटा हुआ हूँ और जिसके खातिर मैंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, उससे मुझे निकाल देनेके व्यवस्थित प्रयत्न होते हुये भी उस संस्थाको मैं अन्त तक नहीं छोड़ूंगा।”

जिस प्रकार श्री नरीमान मुकर गये तो अपना निर्णय कार्यसमितिको साँप देनेके सिवा गांधीजीके पास दूसरा मार्ग नहीं रह गया। कांग्रेसके अध्यक्षके नाते पंडित जवाहरलालजीको अन्होंने कलकत्तेमें २ नवम्बरको निम्न-लिखित पत्र लिखा :

“श्री नरीमानने आपके साथ तथा मेरे साथ किये पत्रव्यवहारमें जो मुद्दे बताये थे उन पर जांच-समितिका दिया हुआ निर्णय साथमें भेज रहा हूँ। मेरा खयाल था कि यह निर्णय प्रकाशित करनेके वजाय अपना अिकरार प्रकाशित करनेकी मेरी सूचना श्री नरीमानने स्वीकार कर ली है, जिसलिजे जिस जांचके लिजे मुझे वड़ी मेहनत अुठानी पड़ी है उसका अंत आ जायगा।

“परंतु चूंकि श्री नरीमानने अपना अिकरार अखबारों द्वारा वापस ले लिया है, जिसलिजे स्थिति बदल जाती है। श्री नरीमानके अन्तिम वक्तव्यसे उनके मनकी दुःखद अवस्थाका खयाल होता है। श्री नरीमानके अंतिम वक्तव्यमें खुला असत्य है, यह मैंने श्री नरीमानको अपने पत्रमें बता दिया है। सत्य यह है कि श्री नरीमानने खुद जिस जांचकी मांग की थी। १९३४ के वंबाईके चुनावमें अन्होंने गंभीर विश्वासघात किया, सरदार वल्लभभाजीके जिस आक्षेपकी जांचकी मांग जानबूझकर अन्होंने की है। आपके नाम लिखे श्री नरीमानके पत्रमें यह वाक्य है :

‘अैसे स्वतंत्र पंचके निर्णयके अनुसार मैं जरा भी अपराधी ठहरूँ तो आप या कोअी और अधिकारी जो सजा देगा उसे मैं खुशीसे सह लूंगा। परंतु साथ ही यदि दूसरा पक्ष अपराधी ठहरे तो उसके साथके निजी संबंध अथवा उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका जरा भी विचार किये बिना उसे अैसी ही सजा देनी होगी।’

“मेरे नाम लिखे पत्रमें (अभी उसकी नकल मेरे पास नहीं है) वे जिससे भी आगे चले गये हैं और अन्होंने कहा है कि सरदारके आरोपके अनुसार यदि वे अपराधी जान पड़ेंगे तो वे

स्वयं ही किसी पद या जिम्मेदारीके स्थानके लिये अपनेको अयोग्य समझेंगे।

“मेरी राय है कि श्री नरीमानने अपने व्यवहारसे अपनेको किसी भी जिम्मेदारीके स्थानके लिये अयोग्य साबित कर दिया है। केवल बिसीलिअे नहीं कि १९३४ के चुनावमें गंभीर विश्वासघात करनेके वे अपराधी ठहरे हैं और सरदार वल्लभभाभीके विरुद्ध लगाये हुअे आक्षेप वे साबित नहीं कर सके, परंतु अुनके पत्रव्यवहारमें दिखायी देनेवाले अुनके वादके व्यवहारके कारण और खास तौर पर अपने वरिस्टरकी अुपस्थितिमें स्वतंत्र रूपसे किये गये अिकरारसे अिस बुरे ढंगसे मुकर जाननेके कारण भी अुनकी अैसी अयोग्यता साबित होती है।”

कलकत्तेमें हुअी कांग्रेस कार्यसमितिनै अुसी दिन अिस विषयमें निम्न-लिखित प्रस्ताव पास किया :

“श्री नरीमानके अुठाये हुअे मुद्देके बारेमें महात्मा गांधी तथा श्री बहादुरजीकी रिपोर्ट पर कार्यसमितिनै विचार किया। अुसीके साथ महात्मा गांधीके लिखे हुअे पत्र और जांच-समितिकी रिपोर्टके बारेमें श्री नरीमानके दो वक्तव्यों पर भी समितिनै ध्यान दिया। पंचका दिया हुआ निर्णय, श्री नरीमान द्वारा की हुअी अुसकी स्वीकृति और वादमें की गयी अस्वीकृति—अिन सबको देखते हुअे समिति श्री नरीमानको कांग्रेसमें कोअी भी जिम्मेदारी और विश्वासका स्थान लेनेके लिये अयोग्य करार देती है।”

अिस प्रस्तावके प्रकाशित होते ही श्री नरीमान विगड़े। गांधीजी पर पक्षपात करने और अपने दिये हुअे वचनका पालन न करनेके आक्षेप तो अुन्होंने किये ही। परंतु श्री बहादुरजी तथा पंडित जवाहरलालजीको भी नहीं छोड़ा। अेकके वाद दूसरा वक्तव्य प्रकाशित करके वही बात वार वार लिखते रहे। वादमें श्री वेर्लिकर वरिस्टरसे गांधीजी और बहादुरजीके निर्णयकी दुवारा जांच करायी और अुनकी राय अपने पक्षमें प्राप्त की। अिस संबंधमें महादेवभाभी द्वारा ता० २५-११-३७ को सरदारके नाम लिखे गये पत्रसे निम्नलिखित अंश अुद्धृत करने योग्य है :

“वरिस्टर वेर्लिकरकी दी हुअी राय अुद्धृत करके श्री नरीमानने जो वयान प्रकाशित किया है अुसे वापूजीने अखबारोंमें देखा। अुनका खुदका तो यह खयाल है कि वेर्लिकरकी राय तोड़मरोड़ कर दी गयी है। मुख्य मुद्देकी बात छोड़कर अिस चीजका बहुत मूल्य नहीं अुसी पर

अुन्होंने जोर दिया है। वापू कहते हैं कि आपको जिस रायका अच्छी तरह जवाब देना चाहिये। श्री भूलाभाजी तथा श्री मोतीलाल सेतलवाड़को लिखना चाहिये। वापू कहते हैं कि अुन्हें सारी चीजका कानूनी दृष्टिसे अध्ययन करके अपनी राय देनी चाहिये। जिन दो बातोंके बारेमें कि नरीमानने जांच चाही नहीं थी और निर्णय वगैरा प्रकाशित करनेमें गांधीजीने वचन-भंग किया है अेक छोटासा वक्तव्य प्रकाशित करना है सो मैं करूंगा।”

परंतु सरदारने श्री भूलाभाजीको या श्री सेतलवाड़को जिस संबंधमें लिखा ही नहीं। श्री नरीमान अखबारोंमें कुछ भी लिखा करें, जिसकी अुन्हें परवाह नहीं थी। अुन्हें तो गांधीजी और वहादुरजीके निर्णयसे पूरा संतोष था।

श्री भूलाभाजीने लाला लाजपतरायकी पुण्यतिथिके दिन भाषण देते हुअे जिस प्रकरणका अुल्लेख करके कहा कि अपने पसन्द किये हुअे पंचके निर्णय पर फिर अपील क्या हो सकती है? जब मैंने अखबारोंमें पढ़ा कि जिस निर्णयकी फिरसे जांच होनी चाहिये तो मुझे आश्चर्य हुआ। अिज्जतदार आदमीके जीवनमें वचन जैसी चीज होनी ही चाहिये। जिस पंचको खुद ही चुना हो वह पंच जो भी निर्णय दे, वह हमें पसन्द हो या न हो, अुसे स्वीकार कर ही लेना चाहिये। श्री नरीमानने श्री भूलाभाजीके जिस भाषणका भी १९ नवम्बरको लंबा जवाब दिया और अुसके बाद भी जब जब थोड़ा भी मौका मिला तभी अुन्होंने जिस चर्चाको अखबारोंमें जाग्रत रखा। मैं जब कालेजमें पढ़ता था तब हमारे आचार्य अेक स्कॉच दुढ़ियाकी बात हमसे कहा करते थे। वह कहती थी कि मैं किसीकी भी बात माननेको तैयार हूं, परन्तु मुझसे मनवा सके अैसा कोई आदमी हो तो मेरे पास लाओ। (I am prepared to be convinced, but show me the man who can convince me.) जिसी तरह श्री नरीमान भी पंचका फैसला स्वीकार करनेको तैयार थे, परंतु वह फैसला न्यायपूर्ण हो तब न?

कांग्रेस कार्यसमितिका प्रस्ताव सन् १९३७ के अन्तमें पास हुआ। अुसके ठीक दस वर्ष बाद अर्थात् १९४७ के अन्तमें श्री नरीमानने अपने व्यवहारके लिये सरदारके सामने खेद प्रगट किया और फिर कांग्रेसमें शरीक हुअे। अुस समय बम्बयी कारपोरेशनका चुनाव होनेवाला था। अुसमें वे कांग्रेसदलकी ओरसे खड़े हुअे, चुने गये और बादमें दलके नेता भी बने। परंतु वे अधिक समय काम न कर सके। अेक मुकदमेके सिलसिलेमें वे दिल्ली गये थे। जिस होटलमें ठहरे थे वहां ता० ४-१०-४८ को रातमें अचानक हृदयकी गति

बन्द ही जानेसे अुनका देहान्त हो गया। होटलवालेने सरदारको खबर दी तो अुन्होंने अेक पारसी अफसरको होटलमें भेजा और अुनके भाभी तथा पत्नीको फोनसे खबर दी। दूसरे दिन अुनके भाभी तथा पत्नीकी अिच्छानुसार सरदारने अुनके शवको विशेष विमान द्वारा बम्बयी भेज देनेकी व्यवस्था कर दी।

२१

हरिपुरा कांग्रेस - १

फैजपुर कांग्रेसमें ही सरदार अगले अधिवेशनके लिये गुजरातकी तरफसे निमंत्रण दे आये थे। हमने देख लिया कि फैजपुर कांग्रेसके बाद प्रान्तीय धारासभाओंका चुनाव होनेवाला था। अुन चुनावोंका काम पूरा होते ही गुजरातने कांग्रेसके अधिवेशनकी तैयारियां शुरू कर दीं। ग्रामीण प्रदेशमें कांग्रेसका अधिवेशन करनेकी जड़में मुख्य हेतु यह था कि गांवोंकी जनतामें कांग्रेसके लिये अधिक दिलचस्पी पैदा हो और अुसमें जागृति आये। यह हेतु भी था कि कांग्रेसने ग्रामोद्धारका जो नया आन्दोलन शुरू किया था अुसके विषयमें गांवोंके लोग अधिक समझने लगें और अुसमें ज्यादा दिलचस्पी लेने लगें। अिसलिये गांधीजीने शुरूमें ही सरदार अेवं गुजरातके अन्य कार्यकर्ताओंसे कह दिया था कि अिस कांग्रेसमें खादी और ग्रामोद्योगोंका पूरा वातावरण होना चाहिये। कांग्रेसके सिलसिलेमें जो बांधकाम हो अुसमें आसपासके प्रदेशमें मिलनेवाली चीजें ही काममें ली जायं। खानेमें हाथचक्कीका पिसा आटा, हाथसे कुटे हुअे चावल और घानीका तेल अिस्तेमाल होना चाहिये। अितना ही नहीं, गायका ही दूध, घी, मक्खन वगैरा काममें लाया जाना चाहिये। पहले तो गांधीजीका यह आग्रह था कि वहां जो खानगी होटल, ढावे वगैरा खुलें अुनमें भी यही आग्रह रखा जाय। परंतु कार्यकर्ताओंने जब कहा कि अिन सबसे निवटना हमारे बूतेसे बाहर हो जायगा, तब गांधीजीने अपना आग्रह छोड़ दिया। और कांग्रेसके भोजनालय तक ही यह आग्रह मर्यादित कर दिया गया।

फैजपुरके अनुभवसे अितना तो मालूम हो गया था कि कांग्रेसके लिये जो स्थान चुना जाय वह विशाल खुली जगहमें होना चाहिये और पानीकी वहां काफी सहूलियत होनी चाहिये। स्थान चुननेके लिये अेक विशेष समिति मुकर्रर की गयी। अुसने कोअी तीन स्थानोंकी सिफारिश की। सरदारने वे स्थान स्वयं देखकर अन्तमें वारडोली तालुकेमें हरिपुरा गांवके पास ताप्ती नदीके

किनारे अके लम्बी चौड़ी जगह पसन्द की। अुसीके पास मांडवीका जंगल पड़ता था, जिसलिये वहांसे वांस, वल्लियां तथा दूसरी लकड़ी ताप्ती नदीके बहावमें ही बेड़ों पर लायी जा सकती थी। साथ ही वांसके पत्तों और ताड़ व नारियलके पत्तोंकी चटावियां जितनी चाहिये अुतनी अुस जंगलमें रहनेवाले लोगोंसे ही बनवायी जा सकती थीं। लेकिन सरदारको अकेले अपने ही चुनावसे संतोप नहीं हुआ। मजी मासमें सरदार गांधीजीको आरामके लिये वलसाड़के पास समुद्रतट पर स्थित तीथल स्थान पर ले आये। अुस समय शांतिनिकेतनसे श्री नंदलाल बोसको भी वहां बुलवा लिया गया, क्योंकि सारी कांग्रेसको कलामय ढंगसे सजानेका काम नंदवावूको सौंपा गया था। सरदारने गांधीजी और नंदवावूसे जगह पास करा ली तभी अुन्हें संतोप हुआ। नंदवावूने कहा कि यह स्थान अितना रमणीय और प्राकृतिक रूपमें ही कलामय है कि मेरा काम बहुत आसान हो जायगा। गांधीजी भी अुस स्थानको देखकर बहुत खुश हुअे। लगभग पांच सौ अेकड़के घेरेमें कांग्रेसका पड़ाव डालना तय हुआ। जमीनके मालिकोंने, जिनमें लगभग आधे मुसलमान थे, अपनी जमीनें कांग्रेसके कामके लिये मुफ्त दे दीं।

गांधीजीका दूसरा आग्रह यह था कि “जब हम गांवमें कांग्रेस अवि-वेशन कर रहे हैं तो अुसमें बहुत खर्च नहीं होना चाहिये। पांच हजार रुपयेसे ज्यादा खर्च होना मुझे पसन्द नहीं।” सरदारको तो गांवमें भी खूब साधन-सुविधाओं जुटानी थीं। पांच हजार तो क्या, पांच लाख रुपया भी खर्च हो तो अुसके लिये वे तैयार थे। परंतु गांधीजीकी बातका सीधा विरोध कैसे किया जाय? जिसलिये अुन्होंने कहा कि आपके आश्रममें श्री रामदास गुलाटी बिजीनियर हैं, अुन्हें आप मुझे सौंप दीजिये। सारे वांवकामकी जिम्मेदारी मैं अुन पर डाल दूंगा और वे मुझसे जितना रुपया मांगेंगे अुतना दे दूंगा। अुन्हें जितने रुपयेमें कांग्रेस अविवेशन करना हो अुतनेमें कर लें!

जिस स्थानसे सबसे पासका रेलवे स्टेशन ११ मील दूर था। अुसके अलावा कोबी तीस मीलके अन्तरमें दूसरे तीन रेलवे स्टेशन थे। अुन सब स्टेशनोंसे कांग्रेसके स्थान तकके रास्ते जिला लोकल बोर्ड और सरकारसे कहकर सुघरवानेकी व्यवस्था की गयी। मढ़ीसे कांग्रेस नगर तक और नगरके भीतरकी मुख्य सड़क डामरकी बनवायी गयी, जिससे धूलका अपद्रव न हो। जिसके सिवा, आसपासके गांवोंसे आनेके गाड़ीके रास्ते भी ठीक करा दिये गये और वहां जगह जगह हरिपुरा कांग्रेसका रास्ता बतानेवाली तख्तियां लगवा दी गयीं। कांग्रेसके स्थानके पास कोबी बड़ा शहर या बाजार नहीं था, जिसलिये जल्दकी चीजें बहुत पहलेसे जमा करना शुरू किया गया।

श्री रामदास गुलाटीने लगभग चार मास पहले वहां आकर डेरा डाल दिया। अन्होंने तमाम जमीनका सर्वे किया और अंची-नीची जगहोंका लेवल लेकर सारे कांग्रेस नगरका नकशा तैयार किया। स्थानीय कायकर्ता तो दशहरेके दिन कांग्रेस नगरका शिलान्यास हुआ, अुससे पहले ही वहां जा डटे थे। कांग्रेस नगरका नाम विट्टलनगर रखा गया। ताप्ती नदीके सामनेकी सड़कसे वी० वी० अण्ड सी० आजी० रेलवेका कीम स्टेशन लगता था। असलिये अुस रास्तेसे आनेवाले लोगों तथा सवारियोंकी सुविधाके लिये ताप्ती नदी पर नावे लगाकर अेक कामचलाअू पुल बनवाया गया। अस निर्माणकार्यमें सूरत जिलेके समुद्र तटके मल्लाहोंने बहुत अच्छी सहायता दी। कांग्रेसके लिये जमीन साफ और समतल करनेमें ट्रेक्टरवाले श्री पशाभाजी पटेलने मदद की।

कांग्रेसके भोजनालयमें गायका घी-दूध पहुंचानेका दायित्व मुझे सौंपा गया था। मैंने सरदारसे कह दिया था कि अस कामके लिये हमें कमसे कम पांच सौ गायोंकी गोशाला यहां खड़ी करनी पड़ेगी। हम चुन चुनकर पसन्द की हुअी सुन्दर गायें लायेंगे और वादमें आसपासके गांवोंमें बेच देंगे। अससे अिन गांवोंमें अच्छा गोप्रचार होगा और देहातियोंको भी स्थायी लाभ होगा। हमारे गोपूजक माने जानेवाले देशमें पांच सौ अच्छी गायें अिकट्ठी करना कोअी आसान बात नहीं थी। परंतु अस काममें सावरमती गोशालाके कार्यकर्ताओंकी तथा डेरी-निष्णात श्री दिनकर पंड्या और श्री पन्नालाल झवेरीकी मुझे अच्छी मदद थी। असलिये कांग्रेस अधिवेशनके अेक महीने पहले हम पांच सौ गायोंकी गोशाला व्यवस्थित रूपमें चालू कर सके। असके लिये चार मास पहलेसे गायोंकी खरीद शुरू कर दी गअी थी और वहां काम करनेके लिये अिकट्टे हुअे मनुष्योंको जितना दूध चाहिये अुससे अधिक दूध तीन महीने पहले ही अुत्पन्न होने लगा था। असके लिये हमने यह व्यवस्था की थी कि सारे दूधको सेपरेट करके अुसकी मलाअीसे घी बना लिया जाय और सेपरेट किये हुअे दूधको अुवालकर अुसमें शक्कर डालकर जमा लिया जाय तथा जमाये हुअे दूध (कंडेन्सड मिल्क) को मुहरबन्द डिब्बोंमें बन्द करके रखा जाय, ताकि अधिवेशनके समय अुस दूधमें जरूरी पानी डालकर अुसे मामूली दूधके तीर पर अिस्तेमाल किया जा सके। हरिपुराकी डेरीके घीके सिवा मातर तालुकेमें गायका दूध खरीदकर घी बनानेका अेक केन्द्र भी हमने खोला था। अस प्रकार कुल मिलाकर सवा सौ पीपे (३६ पाण्डवाले) घी अपनी देखरेखमें हमने बनवा लिया। जमाये हुअे दूधके तीन सौ पीपे (४८ पाण्डवाले) तैयार

हो गये। पांच सौ गायोंकी भरती हो जानेके बाद रोज पांच हजार पौण्ड अधिक दूध तैयार होता था। सरदारको सवा सौ पीपे घीसे संतोप नहीं हुआ। जिसलिये और सात सौ पीपे गायका घी हमने अत्तर गुजरात, काठियावाड़ और राजपूतानामें घूम घूम कर जमा किया।

हाथकुटे चावल, चक्कीके आटे और घानीके तेलके लिये भी कच्ची महीने पहलेसे तैयारी करनी पड़ी। पीसने-कुटनेकी व्यवस्था तो कांग्रेसके स्थान पर ही की थी। घानीकी व्यवस्था मढ़ी स्टेशनके पास जमीन लेकर वहां की थी। कांग्रेस अधिवेशनके निकटके दिनोंमें वहां अेक छापाखाना खड़ा कर लिया गया था। अुसमें तथा कांग्रेसके काममें लिया गया तमाम कागज हाथका बना हुआ ही था। श्री वालजीभाजी देसाजीने हरिपुरा कांग्रेसकी मार्गदर्शिकाके तौर पर अेक छोटीसी पुस्तक लिखी, जिसमें गुजरातकी पुरानी ऐतिहासिक जानकारी भी दी गयी थी। वह पुस्तक कांग्रेसके विट्टल मुद्रणालयमें ही हाथके कागज पर छपी गयी थी।

सारे ग्रामोद्योगोंके कामोंमें, बांधकाममें, सड़कें व रास्ते सुधारनेमें, कामचलाखू पुल बनानेमें तथा अलग अलग तरहकी दूसरी फुटकर मजदूरीमें लगभग अेक लाख रुपये आसपासके किसानों तथा मजदूरोंमें बांटे गये थे।

पानीके लिये ताप्ती नदीकी मेहरवानी थी ही। गांधीजी तो कहते थे कि हम सबको नदीका पानी पिलायेंगे। परंतु जिस मामलेमें म्युनिसिपल अनुभव रखनेवाले सरदारकी बुद्धि गांधीजीकी बात माननेको तैयार नहीं थी। अुन्होंने आग्रह किया कि हमें वाटर वर्क्स बनाकर लोगोंको शुद्ध किया हुआ पानी ही देना चाहिये और सारे नगरमें नालियोंकी भी ऐसी सुन्दर व्यवस्था करनी चाहिये कि किसी भी जगह पानी भरा न रहने पाये। अहमदावाद म्युनिसिपैलिटीके जिस विषयके निष्णात अधिकारियोंने जिस मामलेमें पूरे दिलसे मदद दी। साफ पानीके लिये और नालियोंके पानीके लिये नल लगानेको जो पाखिप चाहिये थे, वे रासवाले श्री आशाभाजीके साहससे सब वहाँ बना लिये गये। यह तमाम अिन्तजाम यद्यपि कामचलाखू था परंतु अितने सुन्दर ढंगसे किया गया था कि किसी भी बड़े शहरके वाटर वर्क्स और नालियोंकी व्यवस्थासे बटिया साब्रित नहीं हो सकता था।

यह कहा जा चुका है कि बांधकाम श्री रामदास गुलाटीको सौंपा गया था और अुन्होंने पहलेसे ही वहां डेरा लगा दिया था। विट्टलनगरके ५१ द्वार रखे गये थे। वे सभी कलामय ढंगसे सजाये गये थे। अुनमें से सात मुख्य द्वार तो अुच्च प्रकारके शुद्ध भारतीय स्वापत्यके नमूने बन गये। अुनकी रचना करनेमें तथा अुन्हें सजानेमें नंददाबून अपनी कलाशक्तिमें कमाल कर दिया। अिन सभी

द्वारों पर श्री नंदवाबूने अलग अलग विशेषताके सूचक चित्र सुन्दर ढंगसे लगाये। अुदाहरणार्थ, स्वागत-समितिके मुख्य कार्यकर्ता जहां रहते थे और जहां स्वागत-समितिके दफ्तर थे, उस विभागके द्वार पर रेगिस्तानमें खूब सफर करके बैठ जानेवाले अूटका चित्र रखा था। स्वयंसेवकोंकी छावनीके द्वार पर बहुत भारसे लदे हुअे और थके हुअे गधेको कुम्हार जवर्दस्ती चला रहा हो, अैसे भावको दिखानेवाला चित्र रखा था। महासमितिके तथा कांग्रेसकी विषय-समितिके मंडपके अेक द्वार पर कुश्ती लड़नेवाले दो पहलवानोंका चित्र रखा था। और दूसरे द्वार पर 'भवान्' से 'यूयम्', अुससे 'त्वम्' और अुससे भी आगे जानेवाले शास्त्रार्थ करते हुअे पंडित चित्रित किये थे। मुख्य भोजनालयके अेक द्वार पर ताजे रसदार फलोंको ललचायी आंखोंसे देख रहे बालकका, दूसरे द्वार पर मोदक पर टूट पड़नेको तैयार तोंदवाले भूदेवका, तीसरे द्वार पर मछली पर झपटनेवाली विल्लीका चित्र था। श्री नंदवाबूने स्वयं लगभग दो सौ चित्र तैयार किये थे। अिन सारे चित्रोंको अिकट्ठा करें तो अुनसे सुन्दर कलामंडप सजाया जा सकता है। गुजरातके कलाकार श्री रविशंकर रावल तथा श्री कनु देसाजीने भी विट्टलनगरको आकर्षक बनानेमें अच्छा योग दिया था। अुनके चित्र भी वहांकी प्रदर्शनीमें अेक बड़ा आकर्षण बन गये थे। सूरतके कलाप्रेमी सज्जन श्री राजेन्द्र सुरकंठाकी सहायतासे अुन्होंने गुजरातकी प्राचीन कलाके अुत्तम नमूने अिकट्ठे करके अेक विशाल मंडपमें अत्यंत कलामय ढंगसे सजाये थे। सारे नगरमें जगह जगह छोटे छोटे कामचलाअू वगीचे बनाये गये थे। चूँकि यह सब थोड़े ही समयके लिये खड़ा करके विखेर डालना था, अिसलिये सारी रचना अैसी मालूम होती थी मानो जंगलके बीचमें अेक गंवरवनगरी खड़ी की गयी हो! विजलीकी व्यवस्था किलिक निक्सन कंपनीकी सहायतासे की गयी थी। रातको जब सारी बत्तियां जला दी जातीं और तमाम द्वार, मंडप वगैरा अुनसे सुशोभित हो जाते, तब देखने आनेवालोंके शब्दोंमें सारी नगरी जगमगा अुठती थी।

गांधीजी तथा अव्यक्त सुभाषचन्द्र बोसके लिये कुटीर तथा कार्यसमितिकी बैठकोंके लिये अेक छोटासा मंडप नदीकी तरफके ढालवाले टीलेको काटकर निकाली हुयी जगहमें बनाये गये थे। वहांसे नदीके प्रवाहका और नदीके सामनेवाले किनारकी वृक्षावलीका दृश्य बड़ा मनोहर दिखायी देता था। अिसके सिवा अस्पताल, छापाखाना, बैंक, डाक, तार तथा टेलीफोन, आग बुझानेकी व्यवस्था वगैरा शहरोंके लिये जरूरी समझे जानेवाले सारे साधन वहां अुपस्थित किये गये थे। विट्टलनगर सारा नदीके किनारे किनारे ही बनाया गया था,



वारडोली आश्रममें (१९४१)

असलिये लम्बाजीमें फैला हुआ था। सारे नगरकी लम्बाजी डेढ़ मीलसे ज्यादा होगी। असलिये अेक जगहसे दूसरी जगह जानेके लिये नगरके भीतर थोड़े थोड़े समय पर चलनेवाली बस सर्विसकी व्यवस्था की गयी थी तथा नेताओंके लिये अहमदाबाद तथा बम्बयीसे कुल मिलाकर पंद्रह मोटरें मंगवायी गयी थीं।

प्रदर्शनीका सारा अन्तजाम चरखा-संघ तथा ग्रामोद्योग-संघको सौंपा गया था। अुन्होंने देशके तमाम प्रान्तोंकी भिन्न भिन्न प्रकारकी खादीके तथा ग्रामोद्योगोंके नमूने अिकट्ठे करके आकर्षक ढंगसे सजाये थे। असके सिवा, सारी चीजें बनानेकी तमाम क्रियायें भी वहां प्रत्यक्ष दिखायी जाती थीं। प्रदर्शनीके साथ अेक विशाल स्वदेशी बाजार बनाया गया था। प्रदर्शनी देखकर तो लोग खुश होते ही थे। परन्तु खादी और ग्रामोद्योग हमारे गांवोंमें किस तरह बेकारीको मिटा सकते हैं और किस तरह हमारे नष्ट हो रहे गांवोंमें नये प्राण फूंक सकते हैं, असका शास्त्रीय अध्ययन करनेकी अिच्छा रखनेवालोंको भी काफी सामग्री अस प्रदर्शनीमें मिलती थी।

कांग्रेसके भोजनालयमें अेक समयमें बीससे पच्चीस हजार आदमी भोजन करते थे। हमारा देश विशाल होनेके कारण अलग अलग प्रान्तोंके मनुष्योंकी रोजमर्राकी खुराक अलग अलग होती है। चीज अेक ही तो भी पकानेके ढंगमें अलग अलग प्रान्तोंमें बड़ा फर्क होता है। कांग्रेसमें सभी प्रान्तोंके प्रतिनिधि आते हैं, असलिये भिन्न भिन्न अभिरुचियोंको सन्तुष्ट करनेके लिये कांग्रेस अधिवेशनोंमें प्रान्तवार भोजनालय अलग रखे जाते थे। हरिपुरामें अैसी सुविधा की तो गयी थी, परन्तु अेक ही प्रान्तने अलग भोजनालय रखा। मुख्य भोजनालयमें अितना बढ़िया खाना दिया जाता था कि अलग भोजनालयमें खानेवालोंकी संख्या दूसरे ही दिन बहुत घट गयी। फैजपुरके अनुभवसे पता लग गया था कि आसपासके गांवोंसे आनेवाले लोगोंके लिये कोअी न कोअी सादी व्यवस्था करना जरूरी है। असलिये गांवोंसे आनेवाले लोगोंके लिये बड़े मंडप बनाकर खाने और सोनेकी व्यवस्था की गयी थी। अस ग्रामीण भोजनालयमें चावल, दाल और शाकका भोजन दोनों समय दिया जाता था। और अेक वारके भोजनके छः पैसे लिये जाते थे। अस भोजनालयमें प्रतिदिन आठ दस हजार आदमी खाते थे। असके सिवा, यह हिसाब भी लगाया गया था कि अपनी गाड़ियां वहीं रखकर अुन्हींमें बहुतने लोग रहेंगे। अैसे लोगोंके लिये अेक विशाल चीक रखा गया था। वहां मनुष्योंके लिये तो पानीका प्रवव किया ही गया था। परन्तु बैलोंके लिये भी चारे-दानेकी तथा पानीकी व्यवस्था की गयी थी। असका फायदा भी बहुत

लोगोंने अुठाया । जिस सारे विभागकी देखरेख श्री रविशंकर महाराजने की थी ।

विट्टलनगरमें रात-दिन रहनेवाले लोगोंकी संख्या पचाससे पचहत्तर हजारकी होगी । बहुतसे लोग तो सब कुछ देखभाल कर शाम होते ही चल देते थे । कांग्रेसके अंतिम सप्ताहमें दिनकी आवादी लगभग दो लाखकी रहती थी । जिन सबके लिये सफाईकी जवरदस्त व्यवस्था हो तो ही नगरकी तंद्रुस्ती कायम रह सकती थी । यह काम श्री जुगताराम दवेने अपने सिर लिया था । अुन्होंने लगभग दो हजार स्वयंसेवकोंको सफाई रखनेकी तालीम देकर तैयार किया था । जिनमें अधिकांश स्वयंसेवक गुजरातके स्कूल-कालेजोंके विद्यार्थी और अध्यापक थे । लम्बी खाजियां खोदकर अुन पर तस्ते रखकर तथा परदेके लिये पाल लगाकर पाखानों और पेशाबघरोंकी व्यवस्था की गयी थी । वे साफ रहें जिसके लिये काममें लेनेके वाद अुन पर मिट्टी डाल देनेकी सूचनाओं हर जगह लगा दी गयी थीं । फिर भी जिन सूचनाओं पर पूरा अमल नहीं होता था, जिसलिये स्वयंसेवकोंको घंटे घंटेसे पाखानों और पेशाबघरोंको देखकर अुनमें मिट्टी डालनी पड़ती थी । जिसके सिवा तमाम रास्तों पर और अलग अलग चौकोंमें झाड़ू लगाना पड़ती थी । पंडित जवाहरलालजीने जिन सफाई स्वयंसेवकोंके सामने बोलते हुअे कहा था कि सरदार वल्लभभाजीने यह शानदार नगर यहां बनाया है, परन्तु अुसकी असली शान आपके अथक परिश्रमसे ही कायम रही है ।

कांग्रेसके अधिवेशनमें टिकट लेकर आनेवाले मनुष्योंकी संख्या प्रतिदिन पचहत्तर हजार की थी । लाअुड-स्पीकरका अिन्तजाम अैसा किया गया था कि अधिवेशनमें होनेवाले भाषण कांग्रेसके मंडपके बाहरके लोग भी सुन सकें । जिस विशाल चौकेके बीचमें बहुत अूंचे खंभे पर राष्ट्रध्वज फहराता था, अुस झंडाचौकेमें बैठकर लाखों आदमी बिना टिकट कांग्रेसमें हो रहे भाषण सुन सकते थे ।

मानव-प्रयत्नसे की गयी जिस व्यवस्थाके रंगमें प्रकृतिने थोड़ासा भंग कर दिया । फरवरीका महीना होने पर भी कांग्रेस अधिवेशनके दो दिनोंमें ठंडकी भारी लहर आयी । अेक दिन और रात धूलकी आंधी भी जोरोंकी चली और थोड़ी बरसात भी हुयी । अुसके कारण बहुतसे झोंपड़ोंके अूपरके पाल अुड़ गये और प्रदर्शनीकी सब वस्तुओंकी रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो गया । परन्तु चीजोंकी हानिकी अपेक्षा मनुष्योंकी जो हानि हुयी अुससे कांग्रेसकी सारी व्यवस्था करनेवालोंके और खास तौर पर सरदारके दिलको बहुत गहरी चोट पहुंची । यह तूफान आया अुससे पहले अेक स्वयं-

सेवक नदीमें नहाते नहाते डूब गया था। उसका दाहसंस्कार करते समय सावरमती आश्रमके संगीतशास्त्री पंडित खरेजीने 'मंगल मंदिर खोलो' गीत बहुत करुण स्वरमें गाया था। पंडितजीको दूसरे ही दिन अिपलूअेंजा हो गया और अुसीमें से अिस तूफान और आंधीमें निमोनिया हो गया। कांग्रेसके अस्पतालमें अधिकसे अधिक सेवा करने पर भी अुनका देहान्त हो गया। अिस आंधीके समय हुअे अिपलूअेंजासे दो भावी घर जानेके वाद मर गये। अिस कांग्रेसके साथ जुड़ी हुअी ये अत्यन्त करुण घटनाअें हैं।

अिस कुदरती आफतको छोड़ दें तो कांग्रेसमें आये हुअे सब कोअी, जो पहलेकी सब कांग्रेसें देख चुके थे अैसे पुराने अनुभवी भी कहते थे कि हमने अितने विशाल पैमाने पर की गअी सांगोपांग व्यवस्था और धूमधाम पहलेकी किसी कांग्रेसमें नहीं देखी। अलवत्ता, अिन सब चीजोंकी जड़में सरदारकी सूक्ष्म योजनाशक्ति, अपने घर आये हुअे नेताओं, सम्माननीय मेहमानों और छोटे किसानों तकका प्रेमपूर्वक स्वागत करनेका अुत्साह और अपने चुने हुअे साथियों पर पूर्ण विश्वास रख कर अुनके लिये आवश्यक साधन अुदारतापूर्वक जुटा देनेकी तत्परता ही मुख्य कारण थे।

२२

हरिपुरा कांग्रेस - २

हरिपुरा कांग्रेस जैसे अपनी विशाल व्यवस्था और धूमधाममें अपूर्व थी, वैसे ही देशकी राजनीतिकी दृष्टिसे वहां हुअे कामकाजके वारेमें भी बहुत महत्त्वपूर्ण थी।

यह वात कांग्रेसके कुछ महत्त्वपूर्ण प्रस्तावोंको देखनेसे ही मालूम हो जायगी। देशीराज्योंके कार्यकर्ता कांग्रेसकी नीतिके वारेमें कुछ अघीर हो गये थे। वे देशीराज्योंके भीतर अपने शुरू किये हुअे आंदोलनोंके लिये कांग्रेसकी मदद चाहते थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता अुन्हें मदद देते भी थे, परन्तु व्यक्तिगत रूपमें। वे कांग्रेस संस्थाको अुसमें नहीं फंसाते थे। बहुतसी रियासतोंमें राजनैतिक कामके लिये प्रजामंडल स्थापित हुअे थे। देशीराज्योंके कार्यकर्ता अपनी स्थापित की हुअी अिन राजनैतिक संस्थाओंको कांग्रेसके साथ जोड़ देना चाहते थे और यह मांग करते थे कि कांग्रेस अुन संस्थाओंकी जिम्मेदारी ले ले। अिस मामलेमें कांग्रेसकी मुश्किल यह थी कि अुन स्थानीय संस्थाओंका अपने राजाओंसे कोअी संघर्ष हो जाय तो अुसका दायित्व

कांग्रेसको लेना पड़े। चालाक अंग्रेज अधिकारी जैसे संघर्ष पैदा करके देशी रजवाड़ों द्वारा प्रजा पर निर्दय अत्याचार करानेको तैयार ही थे, ताकि यह दिखानेका अन्हें वहाना मिल जाय कि भारतीयोंका शासन कितना अन्याय-पूर्ण और अत्याचारी है। गांधीजी यह मानते थे कि देशीराज्योंकी प्रजामें अभी तक अितनी जागृति नहीं आयी है कि वे राजाओंके साथ आखिरी लड़ायी लड़ सकें। और राजाओंके साथ अंतिम लड़ायी छेड़नेकी जरूरत भी अन्हें महसूस नहीं होती थी, क्योंकि देशीराज्योंकी हस्ती ही ब्रिटिश हुकूमतके जोर पर निर्भर थी। वे यह कहते थे कि हम ब्रिटिश हुकूमतके साथ अपना फैसला कर लेंगे, तो रियासतोंका फैसला अपने आप हो जायगा। क्योंकि रियासतोंमें अपना कोई विशेष बल नहीं है।

देशीराज्योंके प्रश्नमें सरदारने जो महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया है, उसके बारेमें अलग अध्यायोंमें लिखनेका विचार है। असलिये उसकी ज्यादा तफसीलमें न जाकर, हरिपुरा कांग्रेसके सामने जो अेक प्रश्न आया था उसीका यहां विचार करेंगे। प्रश्न यह था कि देशीराज्योंकी हदमें भी कांग्रेस कमेटियां स्थापित की जायं या नहीं? ब्रिटिश माने जानेवाले प्रान्तोंमें लागू होनेवाला कांग्रेसका विधान देशीराज्योंकी राजनैतिक संस्थाओं पर भी लागू किया जाय या नहीं? हरिपुरा अधिवेशनसे कुछ ही समय पहले नवसारीमें देशीराज्योंकी राजनैतिक संस्थाओंके प्रतिनिधियोंका अेक संमेलन हुआ था। उसमें कांग्रेसके विधानमें अन्होंने यह परिवर्तन सुझाया था कि 'हिन्दुस्तान' का अर्थ 'देशीराज्योंकी प्रजासहित हिन्दुस्तानके लोग' किया जाय। अन्होंने यह भी सुझाया था कि कांग्रेस महासमिति अेक जांच-समिति नियुक्त करे, जो देशीराज्योंकी प्रजाके हकोंके बारेमें, उसके वैधानिक विकासके संबन्धमें, वहांके किसानोंकी स्थितिके बारेमें और राज्योंके व्यापारिक ठेकोंके बारेमें जांच करे। कांग्रेस कार्यसमितिको यह सुझाव असामयिक प्रतीत हुआ। उसने प्रस्ताव पास किया कि देशीराज्योंकी राजनैतिक संस्थाओंके लिये कांग्रेसके नामसे काम करनेका समय अभी नहीं आया है। समय आ जायगा तब अवश्य कांग्रेस अुनकी राजनैतिक संस्थाओंकी जिम्मेदारी भी अपने अूपर ले लेगी। परन्तु अभी तो अुनका स्वतंत्र रूपमें काम करना ही ठीक है। गांधीजी तो यहां तक कहते थे कि देशीराज्योंके भीतर राजनैतिक आन्दोलन शुरू करनेके वजाय वहांके कार्यकर्ताओंको पहले रचनात्मक काम करके प्रजाको संगठित और जाग्रत करना चाहिये। देशीराज्योंके कार्यकर्ताओंकी दलील यह थी कि कांग्रेसकी छत्रछायामें हमारा काम नहीं होगा तो हमारी संस्थाओं प्रगतिविरोधी और संकुचित मानसवाले लोगोंके

झार्थोंमें चली जायंगी। अंतमें सलाह-मशविरके वाद हरिपुरा कांग्रेसमें देशी-राज्योंके बारेमें यह प्रस्ताव पास हुआ :

“कांग्रेसकी यह सूचना है कि देशीराज्योंकी वर्तमान राजनैतिक संस्थाओं कांग्रेस कार्यसमितिके आदेशानुसार और अुसके नियंत्रणमें काम करें। परन्तु वे अपना कोअी राजनैतिक आन्दोलन या राजनैतिक युद्ध कांग्रेसके नामसे या कांग्रेसके आश्रयमें न चलायें, और राजाओंके साथ भीतरी लड़ायी कांग्रेसके नामसे न छेड़ें। अितनी मर्यादा स्वीकार करके देशीराज्योंके भीतर राजनैतिक संस्थाओं कायम की जाय और जो संस्थाओं आज काम कर रही हैं अुन्हें जारी रखा जाय।”

अिस प्रस्ताव पर बोलते हुअे सरदारने कांग्रेसकी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी। अुन्होंने कहा :

“पिछले दो-तीन सालसे देशीराज्योंके सवाल पर काफी गरमा-गरम बहस होती रही है। कांग्रेसमें अेक तरहसे यह सवाल बड़ा नाजुक बन गया है। अिसकी अच्छी तरह सफाअी नहीं की गयी तो बहुतसी गलतफहमियां पैदा होना संभव है। कांग्रेसकी स्थिति अिस बारेमें क्या है, अिस सम्बन्धमें महासमितिने अेक लम्बा वयान प्रकाशित किया है। देशीराज्योंकी प्रजाकी शक्ति देखकर अुसके हितके लिये कांग्रेस अधिक जोखिम अुठाना नहीं चाहती, और न देशी-राज्योंकी प्रजाको झूठी आशाओं ही दिलाना चाहती है। कांग्रेसको यह वस्तु स्वीकार है कि रियासती प्रजायें अपनी मर्यादाओं समझकर अपने-आप जितना काम कर सकें करें। कांग्रेसी नेता व्यक्तिगत रूपमें देशी-राज्योंकी प्रजाओंको मदद देनेके लिये तैयार हैं। मैसूरकी प्रजाने अपने राज्यमें सुधार करवानेके लिये काफी प्रयत्न शुरू कर दिया है। क्या कांग्रेसको यह पसंद नहीं है? परन्तु जैसे ब्रिटिश भारतमें हर तालुके और गांवकी कांग्रेस कमेटी बनायी जाती है, वैसे देशीराज्योंमें भी बनायी जाय तो अुनकी जिम्मेदारी लेना कांग्रेस कार्यसमितिकी शक्तिके बाहर होगा। अभी तो देशीराज्योंकी आवादीका अधिकांश गुलामों जैसी स्थितिमें है। जब तक अुन लोगोंमें आजाद होनेकी तमन्ना नहीं पैदा होती तब तक वे आजाद नहीं हो सकते। अिसके लिये अुनमें काफी शक्ति आनी चाहिये। आज हमें तो यह विचार करना है कि कांग्रेसके लिये युद्धका क्षेत्र कहां है? देशीराज्योंके आप लोग कहेंगे कि युद्धका क्षेत्र देशीराज्य हैं। परन्तु हमें अनुभवने वता दिया है कि

कांग्रेसके लिये युद्धका क्षेत्र ब्रिटिश अिलाका है। कांग्रेसमें जो शक्ति आयी है वह ब्रिटिश भारतमें लड़ायी लड़नेसे आयी है। किसी देशी-राज्यकी लड़ायीसे नहीं आयी। गांधीजी भी अपना वतन पोरबंदर छोड़कर ब्रिटिश भारतके अहमदाबाद शहरमें आकर बसे हैं। वे जानते थे कि उनका स्थान पोरबन्दरमें नहीं, परन्तु ब्रिटिश भारतमें है। अभी तो देशीराज्योंकी प्रजाओंको अपना संगठन करके शक्ति बढ़ानी है। कांग्रेस देशीराज्योंको विलकुल छोड़ देना नहीं चाहती। आप जानते हैं कि अभी अभी हमने फेडरेशनका जो प्रस्ताव पास किया उसमें साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेसको ऐसा फेडरेशन नहीं चाहिये जिसमें रियासती प्रजा गुलामीमें रहे। ब्रिटिश भारतके लोगोंको जो हक प्राप्त हैं वे देशीराज्योंकी प्रजाको जब तक प्राप्त न हो जायं तब तक हम फेडरेशनको स्वीकार नहीं करेंगे।

“मेरा अिरादा बिस प्रस्ताव पर बोलनेका नहीं था। परन्तु तीन वर्षसे यह झगड़ा छिड़ा है, बिसलिये कांग्रेसको अब अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिये कि देशीराज्योंके झगड़ेमें पड़नेकी बिस समय उसकी स्थिति नहीं है। यह बोझा उससे उठाय़ा नहीं जा सकता। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि बिससे देशीराज्योंके भायी बुरा न मानें।”

बिस प्रस्तावसे देशीराज्योंके बहुतसे कार्यकर्ताओंको संतोष हुआ। बिससे पहले सरदार अेक दो बार काठियावाड़ राजनैतिक परिषद्के अध्यक्ष बने थे। बिस वर्ष वे भावनगर राज्य प्रजापरिषद् तथा बड़ौदा राज्य प्रजापरिषद्के अध्यक्ष हुअे। और मैसूर राज्य कांग्रेसका वहांकी हुकूमतके साथ जो झगड़ा हुआ था उसमें भी बीचमें पड़कर सरदारने दोनों पक्षोंके बीच सम्मानपूर्ण समझौता कराया था। ये सारी बातें विस्तारसे अलग अध्यायमें देंगे। यहां बितना ही कहना काफी है कि गांधीजी सदा देशीराज्योंकी प्रजाको सलाह-सूचना और नेतृत्व देना अपना धर्म समझते थे। उनके मनमें ब्रिटिश भारतके लोगों और देशीराज्योंकी प्रजाके बीच कोयी भेद नहीं था। कोयी भेद था तो वह दोनोंकी परिस्थिति और दोनोंके संगठनका था। सरदार और पं० जवाहरलालजी भी व्यक्तिगत रूपमें हरिपुरा कांग्रेसके बाद देशीराज्योंके प्रश्नमें अधिक दिलचस्पी लेने लगे।

हरिपुरा कांग्रेसके सामने अैसा ही अेक दूसरा विकट प्रश्न किसान-आंदोलनका आया था। कुछ प्रान्तोंमें कांग्रेस संस्थाओंसे अलग किसान-संघ या किसान-सभाअें स्थापित होने लगी थीं। जनताका कोयी वर्ग अपने हितोंकी

रक्षाके लिये, वशतें वे हित देशके विशाल हितमें बाधक न होते हों, अपनी अलग संस्था स्थापित करे, जिसमें कांग्रेसको आपत्ति नहीं हो सकती थी। तदनुसार किसान अथवा काश्तकार खेती-सम्बन्धी अपने प्रश्नोंके बारेमें अर्थात् अपनी आर्थिक अन्नतिके लिये काम करनेको अपनी संस्थाओं बनायें, यह कांग्रेसको पसंद था। परन्तु काश्तकार या किसान राजनैतिक अधिकारोंके लिये अलग संस्थाओं कायम करें, यह कांग्रेसको अनुचित और अनावश्यक लगता था। क्योंकि कांग्रेस आम जनताकी संस्था होनेके कारण उसके अधिकांश सदस्य किसान वर्गके ही थे। जो काश्तकार या किसान अपनी राजनैतिक स्थिति सुधारना चाहें उनका यही कर्तव्य था कि वे कांग्रेसमें शरीक होकर उसके झंडेके नीचे काम करें। परन्तु कुछ स्थानोंमें किसान अपनी अलग संस्थाओं बनाने लगे थे और कांग्रेसके प्रति विरोधी रवैया अख्तियार करके अपना अलग झंडा रखने लगे थे। अन्हें कांग्रेसकी पद्धति धीमी मालूम होती थी, अथवा जितनी चाहिये अतनी लड़ाकू प्रतीत नहीं होती थी। कुछ अुतावले और अधीर कांग्रेसी भी जिस किसान आन्दोलनमें शामिल होने लगे थे और जिस कारण वे कांग्रेसकी नीति और सिद्धान्तोंके विरुद्ध वातावरण पैदा करनेमें कारणभूत बन रहे थे। जिसलिये कांग्रेसने निम्नलिखित प्रस्ताव पास करके किसान-सभाओंके बारेमें अपनी नीति स्पष्ट की :

“अपनी संस्थाओं बनाकर संगठित होनेका काश्तकारों और किसानोंका हक कांग्रेस पूरी तरह स्वीकार करती है। अुसीके साथ यह याद रखना जरूरी है कि कांग्रेस स्वयं ही मुख्यतः किसानोंकी संस्था है। ज्यों ज्यों आम लोगोंके साथ अुसका संपर्क बढ़ता जाता है, त्यों त्यों किसान बड़ी संख्यामें अुसके सदस्य बनते जाते हैं और अुसकी नीति पर असर डालते जाते हैं। कांग्रेसको किसान जनताके हितके लिये ही काम करना चाहिये। असलमें अुसने किसी प्रकार काम किया है। अुनके हकोंके लिये अुसने लड़ावियां भी लड़ी हैं। कांग्रेस स्वातंत्र्य-प्राप्तिके लिये जो काम करती है, अुसका आधार हमारे आम वर्गकी शोषण-मुक्ति ही है। जिसलिये यह स्वातंत्र्य प्राप्त करनेके लिये और किसानोंको बलवान बनानेके लिये कांग्रेसको बलवान बनाना ही सही अुपाय है। जिसलिये किसानोंको अधिकसे अधिक संख्यामें कांग्रेसके सदस्य बनने और अुसके झंडेके नीचे अपने अधिकार प्राप्त करनेके लिये संगठित होनेका आग्रह किया जाता है।

“जिस प्रकार किसान-संस्थाओं बनानेका किसानोंका हक पूरी तरह मानते अुसे भी कांग्रेसको अितना तो जाहिर करना ही चाहिये

कि कांग्रेसके मौलिक सिद्धान्तोंसे असंगत किसी भी हलचलमें कांग्रेस उनका साथ नहीं देगी और कांग्रेसके जो सदस्य किसान-सभाके सदस्य बनकर कांग्रेसके सिद्धान्तों व नीतिके विरुद्ध वातावरण पैदा करनेमें सहायक होंगे उनको अिन हलचलोंको कांग्रेस दरगुजर नहीं करेगी। कांग्रेस अपनी तमाम प्रान्तीय समितियोंको आदेश देती है कि वे इस बात पर अच्छी तरह ध्यान रखें और जहां जरूरी मालूम हो वहां अैसी कांग्रेस-विरोधी प्रवृत्तियोंके खिलाफ जरूरी कार्रवाअी करें।”

हरिपुरा कांग्रेसमें भारी सनसनी फैलानेवाला और वातावरणमें तेजी लानेवाला प्रस्ताव तो युक्त प्रान्त और विहारमें मंत्रिमंडलों द्वारा राजनैतिक कैदियोंकी मुक्तिके प्रश्न पर दिये गये त्यागपत्रोंके सम्बन्धमें था। चुनावोंके समय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित घोषणापत्रमें देशको यह वचन दिया गया था कि यदि कांग्रेस अधिकारारूढ़ होगी तो तमाम राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देगी। अस घोषणापत्रके अनुसार मंत्रिमंडल राजनैतिक कैदियोंको छोड़नेका प्रयत्न भी करने लगे। अुन प्रयत्नोंको राजनैतिक कैदियोंके कुछ वचनोंसे पुष्टि मिली।

हिंसाके अपराधमें लम्बी लम्बी सजाअें भुगतनेवाले राजनैतिक कैदियोंने अपने विचार प्रगट किये थे कि हमारा विश्वास हिंसा परसे अुठ गया है और यदि हमें वाहर आनेका अवसर दिया जायगा तो हम अहिंसाकी नीतिके अनुसार देशके कामोंमें समय वितायेंगे। अिसी अर्सेमें अंदमान टापुअोंके राजनैतिक कैदियोंने अनशन शुरू कर दिया था। ये कैदी भारत-सरकारके अधिकारमें थे। कांग्रेस और गांधीजीने अुनकी तरफसे खूब प्रयास किये, जिनके परिणामस्वरूप भारत-सरकारने वड़ी मुश्किलसे अुन सब कैदियोंको अपने अपने प्रान्तोंमें भेजना मंजूर किया। जब ये सब कैदी अपने अपने प्रान्तमें आ पहुंचे तव वे प्रान्तीय सरकारोंके कब्जेमें आ गये और अुन्हें छोड़नेका काम प्रान्तीय मंत्रिमंडलोंके जिम्मे आया। जब विहार और युक्त प्रान्तके तमाम कैदियोंको छोड़नेका निश्चय किया गया, तो गवर्नरोंने अिस निश्चयके विरुद्ध अिस कारणसे आपत्ति अुठाअी कि विहार और युक्त प्रान्तके कैदी छोड़ दिये जायेंगे तो पंजाव और वंगालमें दंगे होनेका भय है। दूसरा कारण अुन्होंने यह दिया कि काकोरी केसके कुछ कैदियोंको पहले छोड़ दिया गया था, तव अुनके सम्बन्धमें अवांछनीय प्रदर्शन हुअे थे और छूटे हुअे कैदियोंने लोगोंमें अुत्तेदना फैलानेवाले भाषण दिये थे।

वाक्सरायने गवर्नमेण्ट ऑफ ब्रिटिश एक्टकी १२६ (५) धारा* लागू करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे कैदी न छोड़े जा सकें। मंत्रीगण सरदार वल्लभभायी और गांधीजीसे मिले। अन्होंने यह सलाह दी कि गवर्नर यदि राजनैतिक कैदियोंको छोड़नेके लिये तैयार न हों तो मंत्रियोंको त्यागपत्र दे देने चाहिये। कांग्रेस कार्यसमितिके भी इसी प्रकारका प्रस्ताव पास किया। जिस पर हरिपुरा कांग्रेसमें जानेसे पहले दोनों प्रान्तोंके मंत्रिमंडलोंने त्यागपत्र दे दिये। गवर्नरोंने उस समय यह कहकर अन्हें स्वीकार नहीं किया कि हम दूसरे मंत्री तलाश कर लें तब तक आप काम करते रहिये। त्यागपत्र देनेवाले मंत्री जब हरिपुरा कांग्रेसमें आये, तब वहांके वातावरणमें एक प्रकारकी गरमी आ गयी। जो यह कहते थे और वास्तवमें मानते भी थे कि यदि हम मंत्रीपद स्वीकार करेंगे तो हमें कुर्सियोंका मोह हो जायगा और लोगोंको दिये हुए वचन भुला दिये जायंगे, अुनकी आंखें इससे खुल गयीं। मंत्रीपद लेनेके विरुद्ध जिनकी राय थी, अुन्हें अिन त्यागपत्रोंके कारण अपनी राय बदलनी पड़ी।

जिस प्रश्न पर हरिपुरा कांग्रेसमें बड़ा लम्बा और विगतवार प्रस्ताव पास किया गया। उस प्रस्तावसे सारी परिस्थिति स्पष्ट समझमें आ जाती है, जिसलिये वह पूरा नीचे दिया जाता है :

“फैजपुर कांग्रेसके आदेशानुसार मार्च १९३७ में महासमितिके प्रान्तोंमें पद स्वीकार करनेके प्रश्न पर यह प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटिश सरकारकी तरफसे हमें अमुक वचन मिल जाय तो धारा-सभाओंके कांग्रेसदलको मंत्रिमंडल बनानेकी अनुमति दे दी जाय। पहले तो ये वचन नहीं मिले, जिसलिये कांग्रेसदलके नेताओंने मंत्रिमंडल बनानेसे अिनकार कर दिया। अुसके बाद महीनों तक जिस प्रश्न पर बहस चलती रही कि अैसे वचन मांगना वैधानिक है या नहीं। भारतमंत्री, वाक्सराय और विविध प्रान्तोंके गवर्नरोंने अनेक वक्तव्य प्रकाशित किये। अिन वक्तव्योंसे अितना स्पष्ट निष्कर्ष निकलता था कि प्रान्तीय मंत्रियोंके रोजमर्राके कामकाजमें गवर्नरोंकी ओरसे कोअी हस्तक्षेप नहीं किया जायगा।

* देशके किसी भागमें प्रान्तीय मंत्रियोंके किसी कार्यसे मुलह-शान्तिको खतरा पैदा होनेकी संभावना खड़ी होने पर प्रान्तीय सरकारों पर केन्द्रीय सरकारका नियंत्रण रखनेके सम्बन्धमें यह धारा थी।

“जिन प्रान्तोंमें कांग्रेस सत्तास्व है, वहांके मंत्रियोंको ऐसा अनुभव हुआ है कि अन्यत्र नहीं तो युक्त प्रान्त और विहारमें गवर्नरोंने मंत्रियोंके रोजके कामकाजमें हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है। जब कांग्रेसपक्षको गवर्नरोंकी तरफसे मंत्रिमंडल बनानेका निमंत्रण दिया गया, तब वे जानते थे कि कांग्रेसके चुनाव-घोषणापत्रमें राजनैतिक कैदियोंको छोड़नेकी बात कांग्रेसकी नीतिका एक मुख्य अंग है। इस नीतिके अनुसार मंत्रियोंने राजनैतिक कैदियोंको छोड़नेका काम शुरू किया। परन्तु अुन्होंने देखा कि छोड़नेके हुक्म पर गवर्नरोंके हस्ताक्षर करानेमें कभी कभी व्याकुल कर देनेवाली देर होती है। इस देरको सहन करनेमें मंत्रियोंने आदर्श धैर्यका परिचय दिया है। कांग्रेसकी यह राय है कि कैदियोंकी मुक्तिका मामला रोजमरके कामकाजका मामला है और इसमें गवर्नरके साथ लम्बी चर्चाओं करनेकी कोसी जरूरत नहीं है। गवर्नरका काम तो मंत्रियोंका पथदर्शन करना और अुन्हें सलाह देना है। परन्तु मंत्री अपना दैनिक कर्तव्य-पालन करनेमें स्वतंत्र रूपसे अपने जो निर्णय करें अुनमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कार्यसमितिने कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके सामने और अुन प्रतिनिधियोंको चुननेवाली आम जनताके सामने वार्षिक कार्यका विवरण पेश किया, तब अुसे मंत्रियोंको हिदायत दे देनी पड़ी कि यदि अपने अपने प्रान्तोंके राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देने और अुनके हुक्मोंके अमलमें दखल दिया जाय तो वे त्यागपत्र दे दें। इस आदेशके अनुसार युक्त प्रान्त और विहारके मंत्रियोंने जो कार्रवाजी की अुसे यह कांग्रेस मंजूर रखती है और त्यागपत्र देनेके लिये मंत्रियोंको बधाजी देती है। गवर्नर जनरलने गवर्नमेण्ट ऑफ अिगिड्या अेक्टकी १२६ (५) धारा लागू करके व्यर्थकी दस्तंदाजी की है। इससे मंत्रियोंको दिये गये वचनोंका ही भंग नहीं होता, परन्तु अुस धाराका भी दुरुपयोग होता है। कारण, इसमें देशकी शान्ति भंग होनेके गंभीर भयका सवाल ही पैदा नहीं होता और दोनों प्रान्तोंमें मुख्यमंत्रियोंने राजनैतिक कैदियोंसे वचन ले लिया है कि वे कांग्रेसकी अहिंसाकी नीति स्वीकार करते हैं। अुनके अिस हृदय-परिवर्तनके वारेमें भी मंत्रियोंने अितमीनान कर लिया है। गवर्नर-जनरलने दखल देकर जो परिस्थिति पैदा की है, अुससे शांतिभंग होनेका गंभीर भय है।

“कांग्रेसने जो थोड़ेसे समय शासन चलाया है, अतःनेमें ही उसने अपनी त्यागवृत्तिका, शासनकी योग्यताका तथा देशकी आर्थिक और सामाजिक बुराइयां दूर करनेके लिये कानून बना कर दिखायी हुयी रचनात्मक शक्तिका काफी प्रमाण दिया है। कांग्रेसको यह स्वीकार करते आनंद होता है कि जिन सब बातोंमें गवर्नरोंने मंत्रियोंको अच्छा साथ दिया है। मौजूदा विधानके भीतर रह कर लोगोंका जितना भला हो सके अतना करनेका और साथ ही पूर्ण स्वराज्यके ध्येय तक पहुँचनेके लिये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतिसे होनेवाले भारत-वासियोंके शोषणका अन्त करनेका कांग्रेसने सच्चे दिलसे प्रयत्न किया है।

“कांग्रेसकी जिस प्रकारकी नाजुक स्थिति पैदा करनेकी जरा भी अच्छा नहीं कि जिससे अहिंसात्मक असहयोग करना पड़े या कांग्रेसकी सत्य और अहिंसाकी नीतिके साथ सुसंगत अन्य कोई विरोधी कार्रवाही करनी पड़े। जिसलिये गवर्नर जनरलके कार्यके विरोधमें दूसरे प्रान्तोंके मंत्रियोंको त्यागपत्र देनेकी सलाह देते हुये कांग्रेस संकोच अनुभव करती है और गवर्नर जनरलसे अनुरोध करती है कि वे अपनी आज्ञा बदल दें, ताकि प्रान्तोंके गवर्नर वैधानिक ढंगसे काम कर सकें और राजनैतिक कैदियोंको छोड़नेके मामलेमें अपने मंत्रियोंकी सलाह स्वीकार कर सकें।

“कांग्रेस गैरजिम्मेदार मंत्रिमंडलोंकी रचनाको तलवारके जोरसे हुकूमत करनेके बराबर समझती है। जैसे मंत्रिमंडल बनेंगे तो लोगोंमें बहुत कटुता पैदा होगी, आपसी कलह बढ़ेगा और ब्रिटिश सरकारके प्रति लोगोंकी अरुचि और भी गहरी हो जायगी। जब कांग्रेसने बड़े संकोच और भारी आनाकानीके साथ पदग्रहण करना स्वीकार किया, तब गवर्नरमेण्ट ऑफ इंडिया अक्टके सच्चे स्वरूपके बारेमें उसे अपने बांधे हुये अंदाज पर कोई शंका नहीं थी। गवर्नर जनरलके जिस अंतिम कृत्यसे वह अंदाज सही साबित होता है और यह सिद्ध होता है कि संविधानका कानून लोगोंको सच्ची स्वतंत्रता देनेकी दृष्टिसे बिलकुल निकम्मा है। साथ ही, यह भी मालूम होता है कि जिस कानूनका अुपयोग स्वतंत्रताकी वृद्धिके लिये नहीं, परंतु स्वतंत्रताको दबा देनेके लिये करनेका ब्रिटिश सरकारका विरादा है। जिसलिये वर्तमान संकटका अन्तिम परिणाम कुछ भी हो, परंतु भारतके लोगोंको समझ लेना चाहिये कि जब तक यह कानून खतम नहीं कर दिया जायगा, और उसके स्थान पर

भारतवासियों द्वारा निर्वाचित संविधान सभाका तैयार किया हुआ संविधान अमलमें नहीं आ जायगा तब तक देशके लिये सच्ची आजादीकी कोयी आशा नहीं है। जिसलिये प्रत्येक कांग्रेसीका, फिर वह सत्ताह्व हो या न हो, धारासभाके भीतर हो या बाहर हो, यही अद्देश्य होना चाहिये कि हमारे जिस ध्येय तक पहुंचनेके लिये हमारे कुछ वर्तमान अधिकार भले हमारा तात्कालिक भला करनेवाले हों तो भी उन्हें छोड़नेको हम तैयार रहें।

“युक्त प्रान्तके गवर्नरकी तरफसे यह कहा जाता है कि काकोरी केसके कैदियोंका स्वागत करनेके लिये जो धूमधाम की गयी और छूटे हुये कैदियोंमें से कुछने जो भाषण दिये, उनसे राजनैतिक कैदियोंकी क्रमशः मुक्तिकी नीतिमें विघ्न उपस्थित हुआ है। कांग्रेसने वेहूदा प्रदर्शनों और अन्य आपत्तिजनक प्रवृत्तियोंकी सदा ही निन्दा की है। जिन प्रदर्शनों एवं भाषणोंकी युक्त प्रान्तके गवर्नर बात करते हैं, उन्हें महात्मा गांधीने बहुत नापसन्द किया है। कांग्रेसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरूने भी उन कृत्योंमें निहित अनुशासनभंगके लिये तुरंत चेतावनी दी थी। मंत्रियोंने भी उसकी अपेक्षा नहीं की। जिन सब चेतावनियोंके परिणामस्वरूप लोकमतमें अकेदम परिवर्तन हुआ है और कैदी भी अपनी भूल समझ गये हैं। काकोरी केसके कुछ कैदियोंके छूटनेके दो महीने बाद दूसरे छः कैदी छूटे तब उनके सम्मानमें किसी भी तरहके प्रदर्शन नहीं हुये थे। उनका सार्वजनिक स्वागत भी नहीं किया गया था। उन बातोंको भी अब तो चार महीने बीत गये हैं। जिसलिये अगस्तमें छूटे हुये कैदियोंके संबंधमें जो भाषण और प्रदर्शन हुये, उनके कारण वाकी वचे हुये पंद्रह कैदियोंको आज न छोड़ने देना सर्वथा अनुचित है। न्याय और व्यवस्था कायम रखनेकी जिम्मेदारी मंत्रियोंकी है। उन्हें हक है कि वे जिस तरह ठीक समझें अपना फर्ज अदा करें। वर्तमान परिस्थितिमें प्रस्तुत विषयोंका विवेकपूर्वक निर्णय करनेका काम उनका है। वे जो निर्णय करें उसे गवर्नरको स्वीकार करना चाहिये और उस पर अमल करना चाहिये। रोजमरकि कामकाजमें मंत्री अपनी सत्ताका जिस प्रकार अमल करते हैं उसमें दखल देनेसे उनकी स्थिति कमजोर होती है और उनकी प्रतिष्ठाको भी घक्का पहुंचता है। कांग्रेसी मंत्रियोंने कितनी ही बार घोषित किया है कि हिंसक अपराधोंके मामलेमें अचित कार्रवायी करनेका उनका पक्का निश्चय है। जब जिन कैदियोंने हिंसाका मार्ग छोड़ देनेकी घोषणा

कर दी है, तब उन्हें छोड़ देनेमें खतरा बताना बिलकुल कपोलकल्पित है। कांग्रेसने अपने लिये अहिंसाका जो नियम अपनाया है, उसका कोभी भंग करे या उसके अनुशासनका पालन न करे, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठानेका कांग्रेसका आग्रह है। जिस वारेमें पिछले कुछ मासमें कांग्रेसने पर्याप्त प्रमाण दिया है। फिर भी कांग्रेसियोंका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि वाणी या व्यवहारकी किसी भी प्रकारकी स्वच्छन्दता यदि हिंसाको प्रोत्साहन या पोषण देनेवाली हो, तो उससे हमारे निर्धारित ध्येय तक पहुंचनेकी देशकी गति मन्द होती है।

“राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देनेके अपने कार्यक्रमको अमलमें लानेमें कांग्रेसको पद छोड़नेकी नीयत आभी है और लोगोंकी स्थिति सुधारनेके लिये कानून बनानेका अवसर भी छोड़ देना पड़ा है। परंतु ऐसा करनेमें कांग्रेसने जरा भी संकोच नहीं किया। साथ ही, कांग्रेस यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि कैदियों द्वारा अपने छुटकारेके लिये भूख हड़तालका आश्रय लेनेकी बातकी कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। भूख हड़तालके कारण राजनैतिक कैदियोंको रिहा करनेकी अपनी नीति पर अमल करनेमें कांग्रेसको कठिनायी होती है। इसलिये पंजावमें जिन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है उनसे हड़ताल छोड़ देनेका कांग्रेस आग्रह करती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि कांग्रेस किसी प्रान्तमें सत्तारूढ़ हो या न हो वह सभी प्रान्तोंमें राजनैतिक कैदियोंकी रिहायीके लिये सारे अुचित और शांतिमय उपायोंसे प्रयत्न करती रहेगी।”

यह प्रस्ताव सरदारने ही पेश किया था। जिस पर बोलते हुये अुन्होंने कहा था :

“हमने जब पदग्रहण किया, तभी ब्रिटिश हुकूमत जानती थी, वाधिसराय जानते थे और गवर्नर भी जानते थे कि चुनावके समय निकाले हुये घोषणापत्रके अनुसार हम सभी राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देंगे। उस समय गवर्नर कुछ न बोले। अुन्होंने थोड़ी चालाकी की। हमने भी थोड़ी भूल की, क्योंकि उस समय हमें अनुभव नहीं था। गवर्नरोंने कहा कि आप कैदियोंको जरूर छोड़ सकते हैं। परंतु जो अहिंसक रहकर जेलमें गये हैं अुन्हें तुरंत छोड़ दीजिये और जो हिंसाका अपराध करके जेल गये हैं उनमें से हरअेकके मुकदमोंकी आप जांच कर लीजिये और आपको ठीक लगे अुन्हें छोड़नेकी सिफारिश कीजिये। हमारे मंत्री मुकदमोंकी जांच करने लगे और जिन कैदियोंको छोड़नेके लिये

अन्होंने कहा अुनके वारेमें गवर्नर कुछ न कुछ आपत्ति बुठाने लगे । यहीं हमारी भूल हुअी । हमारे मंत्रियोंको कह देना चाहिये था कि मुकदमोंकी जांच करनेकी कोअी जरूरत नहीं । हमें तो सभी राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देना है । अुसकी जिम्मेदारी हम पर रहेगी । प्रान्तके शासनकी जिम्मेदारी हमारी है । यदि बाहर आकर ये कैदी बलवा करेंगे या हिंसा करेंगे तो हम अुन्हें दुवारा कैद कर लेंगे । और अब कितने कैदी बाकी रह गये हैं ? अितने बड़े युक्त प्रान्तमें अिस समय अैसे केवल पंद्रह कैदी रहे हैं । क्या अिन पंद्रह कैदियोंको रिहा करनेका भी हमारे मंत्रियोंको अधिकार नहीं है ? अधिकार न हो तो फिर मंत्री काहेके ? मुझे तो पहले ही शंका थी कि अिस नये संविधानसे हमारे मुल्ककी आजादीका सवाल हल नहीं होगा । मुझे शक था कि यह नया संविधान हमें फंसानेकी अेक चालवाजी है । हमारे मंत्री वहां मुकदमोंकी मिसलें पढ़ने नहीं गये हैं । और फिर अिन कैदियोंसे हमें वचन मिला है कि अुनके विचार बदल गये हैं । कांग्रेसकी नीति पर अुनका विश्वास हो गया है और वे छूटनेके वाद कांग्रेसके आदेशके अनुसार काम करना चाहते हैं । अैसी स्थितिमें गवर्नरोंकी क्या ताकत है कि वे मंत्रियोंके कार्यमें हस्तक्षेप करें ? अिससे तो मंत्रियोंके स्वाभिमानको घक्का पहुंचता है । अैसा कहा जाता है कि कैदियोंको छोड़ दिया जायगा तो पंजाव और बंगालमें विद्रोह हो जायगा और अिन दो प्रान्तोंकी शांति और व्यवस्था खतरेमें पड़ जायगी । मैं तो यह बात मान ही नहीं सकता । पंद्रह आदमियोंको छोड़ देनेसे दो प्रान्तोंमें शांति कैसे अंग हो जायगी ? पंजाव और बंगालके मंत्री यदि अिस तरह डरते हों तो वे विलकुल अयोग्य होने चाहिये । हमने पद स्वीकार कर लिये अिसलिअे हमारा धर्म हो जाता है कि हम जनताकी अिच्छानुसार शासन करें । अिन लोगोंने देशकी आजादीके लिअे बड़े बड़े कष्ट सहे हैं, अुन्हें हम जेलमें रख ही कैसे सकते हैं ? वे देशकी आजादीके लिअे अपने प्राण देनेको तैयार थे । भले अुनका काम करनेका ढंग गलत रहा हो, परंतु जनमत द्वारा चुने गये कोअी मनुष्य अैसे देशभक्तोंको जेलमें नहीं रख सकते ।

“गवर्नरकी ओरसे कहा गया है कि काकोरी केसके कैदियोंको छोड़ देनेसे देशमें बड़ी दिक्कत पैदा हो गअी है । दिक्कत पैदा हुअी हो तो भी क्या हो गया ? अेक आदमी बीस पच्चीस वर्ष तक जेलकी दीवारोंके पीछे रह कर दुनियासे अलग हो गया है, दुनियाकी स्थितिका

अुसे कुछ भी पता नहीं है; वह जब जेलसे बाहर आता है तो अुसकी नजरके आगे नयी ही दुनिया दिखायी देती है; वह देखता है कि कांग्रेसकी शक्ति कितनी बढ़ गयी है। बाहर आने पर थोड़ेसे कांग्रेसवाले अुसका स्वागत करते हैं। अुसके सम्मानमें चाय-पार्टी करते हैं। यह सब देखकर अुसे खयाल होता है कि मेरे पच्चीस वर्ष वरवाद नहीं हुअे। अिसलिये वह जरा जहूरतसे ज्यादा बोल देता है। मेरी तो समझमें नहीं आता कि अितनेसे यह सरकार अितनी डर क्यों जाती है? क्या वह अितनी अधिक जर्जरित और कमजोर हो गयी है कि पंद्रह मनुष्योंका अुसे अितना डर महसूस होता है?

“जिस समय हमारे मंत्रियोंने लोकसुधारके अनेक काम हाथमें लिये, अुसी समय अुन्हें मंत्रीपद छोड़ देने पड़े हैं। हम अुन्हें मुबारकवाद देते हैं। अुन्होंने कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बढ़ायी है। देशमें थोड़ेसे सुधार करनेके लिये हमने पद स्वीकार नहीं किये थे, हमने तो बहुत बड़ी चीजके लिये मंत्रीपद ग्रहण किये हैं। हमारे सब रोगोंकी दवा तो संपूर्ण स्वातंत्र्य है। पद स्वीकार करनेसे स्वतंत्रता-प्राप्तिके लिये हमारी शक्ति बढ़े तो हम अुसका अुपयोग कर लें। परंतु यदि अुनके कारण हमारे मार्गमें बाधा होती हो, तो हमें तुरंत अुन्हें छोड़ देना चाहिये। हमारे मंत्री अैसे नहीं हैं जो पांच पांच हजार तनखाह लेते हों। हमारे मंत्री वहां बड़ी बड़ी तनखाहें लेने नहीं, परंतु देशका काम करने गये हैं। वे मंत्रीपदोंका त्याग करेंगे तो वह देशको महंगा पड़ेगा। परंतु अिससे मंत्रीपद छोड़नेमें हमें जरा भी संकोच न होना चाहिये। कार्यसमितिये खूब विचार करके और सातों प्रान्तोंके प्रश्न सामने रखकर यह प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव अैसा है जिस पर किसीको कोअी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अिसलिये मेरा अनुरोध है कि अिस प्रस्ताव पर कोअी संशोधन न लायें। अैसी नाजुक परिस्थितिमें कैसा प्रस्ताव पास करना चाहिये, अिसका गहरा विचार करके यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। अिसमें कुछ भी घटाना-बढ़ाना ठीक न होगा। मैं आशा रखता हूँ कि आप अिस प्रस्तावको जैसा है वैसा ही पास करेंगे।”

अुपरोक्त प्रस्ताव पास हो जानेके बाद दोनों प्रान्तोंके मंत्री अपने अपने प्रान्तोंमें गये, तब गवर्नर अुनके साथ समझौता करनेके लिये मानो तैयार ही बैठे थे। युक्त प्रान्तके गवर्नरने वहांके मुख्यमंत्री पं० गोविन्द-वल्लभ पंतके साथ बातचीत करके समझौता किया। अुनका सम्मिलित वक्तव्य

ता० २५-२-'३८ को प्रकाशित किया गया। विहारके गवर्नर तथा मुख्य मंत्रीने मिलकर असा ही वक्तव्य ता० २६-२-'३८ को प्रकाशित किया। वह यों है :

“अभीकी परिस्थिति और पिछले कुछ दिनोंमें हुअी घटनाओंके विषयमें हमने आपसमें खूब चर्चा कर ली है और हम दोनों पक्षोंको स्वीकार हों असे निर्णयों पर पहुंचे हैं। तदनुसार मंत्रियोंने अपने सदाके कामकाज हाथमें ले लिये हैं। राजनैतिक माने जानेवाले कुछ कैदियोंके मामलोंकी व्यक्तिगत जांच की गयी है। और मंत्रियोंकी दी हुअी सलाहको मानकर अुन कैदियोंकी वाकी बची सजा रद्द कर देने और अुन्हें छोड़ देनेकी आज्ञाओं गवर्नर कुछ ही समयमें जारी करेंगे। वाकीके कैदियोंकी व्यक्तिगत जांच अुस विभागके मंत्री कर रहे हैं और अुनके वारेमें थोड़े समयमें अुचित आज्ञायें दी जायंगी।

“गवर्नर और मंत्रियोंके आपसी संबंधोंके वारेमें भी हमने लंबी चर्चा की है। वाअिसरायं महोदयके ताजे वयानकी, अुस पर महात्मा गांधी द्वारा प्रगट किये गये विचारोंकी,* मंत्रियोंके त्यागपत्रके संबंधमें हरिपुरा कांग्रेसमें पास हुअे प्रस्तावकी और पिछली गरमियोंमें वाअिसरायं महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्यकी भी हमने चर्चा की है। जिम्मेदार मंत्रियोंसे अुनकी कानूनी सत्ता छीन लेने या अुसमें दखल दिये जानेका डर रखनेका कोअी कारण नहीं है। सुशासनकी पोपक प्रथायें हम दोनों वनाये रखना चाहते हैं और हमें आशा है कि दोनो पक्षोंमें सद्भाव होनेके कारण अिस प्रयत्नमें हम सफल होंगे।”

* हरिपुरा कांग्रेसका प्रस्ताव पास हो जानके बाद वाअिसरायंने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया था। अुसका अुत्तर देते हुअे ता० २३-२-'३८ को गांधीजीने अेक वक्तव्य निकाला था, जिसमें से महत्त्वके अंश यहां दिये जाते हैं :

“गवर्नर जनरल महोदयके वक्तव्यकी अेक वातसे मुझे जरूर अैसी आशा होती है कि यह संकट टल जायगा। अुन्होंने अभी तक गवर्नरों और मंत्रियोंके बीच सलाह-मशविरेका द्वार खुला रखा है।

“मैं स्वीकार करता हूं कि मंत्रियोंने पद छोड़नेका नोटिस अचानक दिया था। परंतु अुस समय स्थिति ही अैसी थी कि अुसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता था। अब दोनों पक्षोंको परिस्थिति पर विचार कर लेनेका काफी समय मिल गया है।

जिस समझौते पर आलोचना करते हुए लंदनके 'टाइम्स' पत्रने लिखा था :

“समझौतेकी शर्तोंसे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण तो यह है कि कांग्रेस पक्षके जिम्मेदार आदमियोंकी तरफसे कोभी बात ऐसी कही या की नहीं गयी जिससे संकट अधिक तीव्र बने। अपनी जिम्मेदारी टालनेके बजाय कांग्रेसके नेताओंने, खास तौर पर गांधीजीने, अपनी यह अच्छा वता दी है कि कांग्रेसी मंत्री सत्ताहूढ़ रहें।”

जिसके अलावा हरिपुरा कांग्रेसमें कुछ और महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किये गये थे। जंजीवारमें भारतीय व्यापारियोंके अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिये गये थे। उनके प्रति विरोध तथा हमारे देशबंधुओंके प्रति सहानुभूति दिखानेके लिये वहांसे हमारे देशमें आयात होनेवाले लौंगका सितम्बर १९३७ से बहिष्कार किया गया था और उसके लिये एक बहिष्कार-समिति मुकर्रर की गयी थी। उसके अध्यक्ष सरदार थे। मही मासमें समझौता हुआ तब तक अर्थात् लगभग नौ महीने तक लौंगका बहुत ही कड़ा बहिष्कार किया गया। बहिष्कार करनेवाले व्यापारियोंका बड़ा भाग मुसलमानोंका था। हरिपुरा कांग्रेसमें जिस वारेमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :

“कांग्रेसने भारतवासियोंको सूचना दी थी कि भारतवासी अभी लौंगका व्यापार बन्द रखें। भारतवासियों और जंजीवारके भारतीय व्यापारियों द्वारा किया गया लौंगके व्यापारका बहिष्कार संपूर्ण और संतोपजनक सिद्ध हुआ है, जिसकी यह कांग्रेस कद्र करती है। जंजीवारके भारतीयों और भारतके लौंगके व्यापारियोंने जिस ढंगसे यह बहिष्कार जारी रखा, उसके लिये यह कांग्रेस उन्हें बधायी देती है।

“कांग्रेसको जिस बातका दुःख है कि जंजीवारके भीतरी और बाहरी दोनों तरहके व्यापारके लिये भारतीयोंके हकके सवालका अभी

“मेरी रायमें यह अुलझन मुसलमानोंका रास्ता यह है कि वाजिस-राय गवर्नरोंको ऐसा वचन देनेकी आजादी दे दें कि 'अुन्होंने स्वयं कैदियोंके मामलेकी जांच करनेकी जो बात सोची है उसमें मंत्रियोंके अधिकारों पर हमला करनेका धिरादा नहीं था। मंत्रियोंने कैदियोंसे वचन ले लिया है। वे अपनी जिम्मेदारी पर कैदियोंको छोड़ सकते हैं।' मुझे आशा है कि यदि गवर्नर मंत्रियोंको बुलायें तो कांग्रेस कार्यसमिति मंत्रियोंको यह तय कर लेनेकी आजादी देगी कि अुन्हें मिली हुई गारंटीसे उनका संतोप होता है या नहीं।”

तक संतोषजनक निवटारा नहीं हुआ है। जब तक यह निवटारा नहीं होता तब तक लौंगके व्यापारका वहिष्कार जारी रखनेकी ओर कांग्रेस व्यापारियोंका ध्यान आकर्षित करती है और विश्वास रखती है कि जिस कार्रवाहीके कारण जंजीवार सरकारको थोड़े ही समयमें अपनी आपत्तिजनक आज्ञायें रद्द करके जंजीवारमें बसे हुए भारतीय व्यापारियोंके साथ न्याय करनेको विवश होना पड़ेगा।”

जिस प्रस्तावका असर यह हुआ कि भारत-सरकारकी तरफसे एक अफसर भारतवासियोंकी मदद करने तथा लौंगके प्रश्नका निवटारा करनेके लिये जंजीवार भेजा गया। उसके प्रयाससे और मुख्यतः बम्बयीमें लौंगका सख्त वहिष्कार जारी रखनेसे, मही मासके प्रारंभमें जिस प्रश्नका निवटारा हो गया। लौंग वहिष्कार समितिके अध्यक्षके नाते सरदारने कार्यसमितिके सामने अपना वयान पेश किया। उसके आधार पर बम्बयीमें हुयी कार्यसमितिकी बैठकमें मही मासमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :

“कार्यसमितिने लौंग वहिष्कार समितिका वयान पढ़ा। जंजीवारके भारतवासियों और जंजीवार सरकारके बीच लौंगके व्यापारके बारेमें जो करार हुआ है उस पर समितिने विचार किया है। यह करार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकारका औपनिवेशिक विभाग मंजूर करेगा, तभी स्वीकृत माना जायगा।

“यह समिति विश्वास रखती है कि जिस करारका जंजीवार सरकारकी तरफसे जिस तरह अमल होगा जिससे भारतवासियोंको पूरा संतोष हो और जिस प्रकारकी शंका या सन्देहके लिये जरा भी गुंजायिश न रहे कि उनके प्रति भेदभाव रखा जाता है। जंजीवारके भारतीयोंने प्रवासी भारतीयोंके अधिकारोंके लिये जो वीरतापूर्ण और सफल लड़ाई लड़ी है, उसके लिये यह समिति उन्हें बधाई देती है। जिन व्यापारियोंने खास तौर पर बम्बयीमें काफी त्याग करके वफादारीसे साथ दिया है और जिस प्रश्नका सफलतापूर्वक निवटारा करानेमें अतनी बड़ी सहायता दी है, उनका यह समिति आभार मानती है। लौंग वहिष्कार समितिने जो मेहनत बुठायी, उसकी भी यह समिति कद्र करती है।”

अपरोक्त प्रस्तावमें बताये गये कामचलायू समझौतेको ब्रिटिश सरकारके औपनिवेशिक विभागने मंजूर कर दिया, जिसलिये वह पक्का हो गया। सरदारने एक वक्तव्य प्रकाशित करके कहा कि लौंगका वहिष्कार बुठा लेनेके

लिअे हमने जो शर्ते रखी थीं, उन सवका पालन हो गया है और हमारी लड़ाईका सफ़ल अंत हुआ है। अब जंजीवार और मडागास्करसे आनेवाले लौंगका व्यापार करनेमें हर्ज नहीं। परंतु अिस कमेटीको यह विश्वास है कि जनता और खुरदा व्यापारी उन बड़ी कंपनियोंको प्रोत्साहन देंगे जिन्होंने वहिष्कारमें वफादारीसे साथ दिया है। अिसके बाद अुन्होंने जंजीवारके भारतीयोंको और वहिष्कारमें साथ देनेवाले भारतके लौंगके व्यापारियोंको वधाअी देकर वंवाअी प्रान्तीय कांग्रेसके स्वयंसेवकोंको वधाअी दी, जिन्होंने असली संकटके समय छः सप्ताह तक कड़ी चौकी की थी। अन्तमें अुन्होंने कहा कि अिस प्रसंगसे विदेशोंमें रहनेवाले भारतीयोंको विश्वास हो जायगा कि कांग्रेस अुनकी सहायता करनेको सदा तैयार रहती है।

फेडरेशनके विषयमें भी अिस कांग्रेसमें महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ था। अिसका अुल्लेख देशीराज्यों संबंधी प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदारने अपने भाषणमें किया है। दूसरे विश्वयुद्धके आसार हरिपुरा कांग्रेसके समयसे दिखाअी देने लगे थे। अिसलिअे अुसके वारेमें नीति घोषित करनेकी जरूरत थी। अब हमें आजादी मिल गअी है, तब भी विदेशोंके साथ हमारी नीति लगभग वैसी ही है जैसी अुस समय घोषित की गअी थी। अुस प्रस्तावका महत्त्वपूर्ण अंश यहां दिया जाता है :

“हिन्दुस्तानके लोग अपने पड़ोसियों तथा अन्य सभी देशोंके साथ सुलह-शांति और मित्रतासे रहना चाहते हैं। अिस अुद्देश्यसे संघर्षके जितने कारण हो सकते हैं उन सवको वे दूर करना चाहते हैं। अेक राष्ट्रके रूपमें अपनी मुक्ति और स्वतंत्रताके प्रयत्न करते हुए दूसरोंकी आजादीके प्रति वे आदर रखना चाहते हैं और आन्तर-राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावनाके आधार पर अपनी शक्तिका विकास करना चाहते हैं। तमाम दुनियाके सुव्यवस्थित शासनकी बुनियाद पर ही अैसा सहयोग संभव हो सकता है। अिसलिअे स्वतंत्र भारत अैसा विश्वशासन स्थापित करनेमें खुशीसे शरीक होगा और निःशस्त्रीकरण तथा सामूहिक सुरक्षाकी भावनाका समर्थन करेगा। परंतु विश्वव्यापी सहयोग तब तक सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक राष्ट्रोंके बीच अगड़ैकी जड़ कायम रहेगी, अेक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हुकूमत करना चाहेगा और साम्राज्यवादका सर्वत्र बोलवाला रहेगा। संसारमें हमें स्थायी शांति स्थापित करनी हो तो साम्राज्यवादका अुन्मूलन होना ही चाहिये और कुछ राष्ट्र दूसरे राष्ट्रोंका जो शोषण कर रहे हैं अुसका अंत आना ही चाहिये।

“अस समय जिस साम्राज्यवादी युद्धके आसार दिखायी दे रहे हैं अउसमें भारत शरीक नहीं हो सकता। हम अउसे वर्दाशत नहीं कर सकते कि हमारी धन और जनशक्तिका शोषण ब्रिटिश साम्राज्यवादके हितमें हो। साथ ही हिन्दुस्तानके लोगोंकी स्पष्ट सहमतिके बिना हिन्दुस्तानको किसी भी लड़ाईमें शामिल नहीं किया जा सकता। अउसे किसी भी तरह युद्धमें शरीक करनेकी कोशिश की जायगी तो देश अउसका विरोध करेगा।”

दूसरा महत्त्वका प्रस्ताव जो हरिपुरा कांग्रेसमें पास किया गया, वह था वुनियादी शिक्षाके बारेमें। शिक्षाके जो सिद्धान्त और जो नीति कांग्रेसने अउस समय स्वीकार की, अउसे स्वतंत्रता मिलने पर भी अभी तक हम अमलमें नहीं ला सके हैं। असलिये अउन्हें याद करना अुचित होगा। हरिपुरा कांग्रेसने राष्ट्रीय शिक्षाका प्रस्ताव पास करके घोषित किया :

“सब कोअी मानते हैं कि भारतकी वर्तमान शिक्षा-पद्धति असफल साबित हुअी है। अउसके अुद्देश्य राष्ट्रविरोधी और समाजविरोधी हैं और अउसे देनेका तरीका भी विलकुल दकियानूसी है। साथ ही, वह देशके थोड़ेसे मनुष्योंको ही मिल सकती है, विशाल जनता तो सर्वथा अपढ़ रहती है। असलिये यह आवश्यक है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षाकी रचना नयी वुनियाद और राष्ट्रव्यापी पैमाने पर हो। कांग्रेसको अस समय सरकारी शिक्षा पर असर डालने और अपने विचारोंके अनुसार अउसे चलानेका अवसर मिला है। असलिये यह तय करना जरूरी है कि हमारी शिक्षाका संचालन किन मौलिक सिद्धान्तों पर होना चाहिये और अउन्हें अमलमें लानेके लिये क्या अुपाय करने चाहिये। कांग्रेसकी यह राय है कि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओंमें निम्न सिद्धान्तोंके अनुसार वुनियादी शिक्षा दी जाय :

१. अैसी व्यवस्था की जाय कि सारे राष्ट्रको सात वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले।

२. शिक्षाका माध्यम मातृभाषा हो।

३. अउस सारे समयमें शिक्षाकी रचना किसी भी प्रकारके अुत्पादक अुद्योगको केन्द्रमें रखकर होनी चाहिये; शिक्षाकी और सब प्रवृत्तियां भी यथासंभव बालकके आसपासके वातावरणको ध्यानमें रखकर चुने हुअे किसी मुख्य हाथ-अुद्योगके चारों ओर गुंथी हुअी होनी चाहिये।”

कांग्रेसके अपसंहारके समय अव्यक्त महोदय तथा प्रतिनिधियोंको धन्य-
वाद देते हुये सरदारने जो भाषण दिया था उसका कुछ भाग अदृष्ट करके
असि अध्यायको समाप्त करेंगे :

“यहां की गजी नगर रचनाके बारेमें दो बातें मुझे कहनी हैं।
असि नगरकी रचना करनेवालोंकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। असि
नगरको अिक्यावन द्वारोंसे सजाया गया है। असिमें जो खूबसूरती है
वह बंगालके विख्यात चित्रकार नंदलाल बोसकी कृति है। वे अितनी
सादगीसे रहते हैं कि कोअी पहचान भी नहीं सकता कि वे अितने
बड़े चित्रकार होंगे। गुजरातके चित्रकारोंने भी यहां काम किया है।
परंतु उनका तो यह वर्म ही था। असिलिअे मैं उनकी प्रशंसा नहीं
करूंगा। असि नगरका पूरा नकशा सीमा प्रान्तके निवृत्त अिजीनियर
श्री रामदास गुलाटीका बनाया हुआ है। आजकल वे वापूके पास रहते
हैं और जूते सीनेका काम करते हैं। फैजपुर कांग्रेसकी सारी रचना भी
अुन्होंने ही की थी। वापूने मुझसे कहा कि यहांका सारा काम पांच
हजार रुपयेमें पूरा होना चाहिये। मैंने जवाब दिया कि यह काम
रामदासजीको सौंप दीजिये। वे जो कुछ मांगेंगे मैं दे दूंगा। असि
प्रकार रामदासजीने जो चीजें मांगीं वे मैंने दे दीं। असिमें कितना
रुपया खर्च हुआ, यह हिसाब करने पर पता चलेगा। यह जगह पसन्द
करनेके लिअे भी मैं तो वापूको यहां ले आया था। असि जगह
बड़ा विकट जंगल था। अुन्होंने वह जंगल पसन्द किया। फैजपुरके
अनुभवसे मालूम हो गया था कि कांग्रेसके लिअे विशाल भूमि अवश्य
चाहिये। असिलिअे हमने पांच सौ अेकड़ जमीन लेना तय किया।
जमीन तीन गांवोंकी है। असिमें लगभग आधी मुसलमानोंकी है।
जमीनके मालिकोंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। हमें उनका अेहसान
मानना चाहिये। परंतु गुजरातके कामके लिअे गुजराती जमीन दें तो
असिमें अपकार क्या माना जाय ? गांधीजीने कहा, कांग्रेसके भोजना-
लयमें गायका ही दूध-धी काममें लाना होगा। धी हम अुत्तर गुजरात,
काठियावाड़ और राजपूतानेसे लाये और दूधके लिअे यहां पांच सौ
गायें रखीं; ये हमारे पांच सौ प्रतिनिधि अैसे हैं जो हमें कोअी
तकलीफ नहीं देते, कोअी प्रस्ताव नहीं रखते; न कोअी संशोधन
रखते हैं और न उन पर भाषण या चर्चा करते हैं। अुल्टे हमें दूध
पिलाते हैं। वापूका दूसरा हुकम यह हुआ कि सब प्रतिनिधियोंको

हाथकुटे चावल और हाथचक्कीका पीसा हुआ आटा खिलाना होगा। सैकड़ों मजदूर रखकर हमने चावल कुटवाये और आटा पिसवाया।

“यह जंगल अके गुजराती भाभीने अपना ट्रैक्टर लेकर साफ व बराबर कर दिया और आसपासके रास्ते सुधार दिये। स्टेशनसे यहां आनेवाली सड़क पर मिट्टी न अुड़े अिस विचारसे अुतनी सड़क डामरकी बनवायी। बादमें सवाल पानीका रहा। रोज यहां दो लाख आदमी जमा हों, अुनके लिये साफ पानीकी व्यवस्था तो करना ही चाहिये। मैंने कहा कि वाटर वर्क्स बनानेका खर्च पचास हजार रुपये होगा। वापूने कहा कि नदीका पानी पिलायेंगे। मैंने कहा कि यह खतरा अुठानेको मैं तैयार नहीं हूं। साफ पानी और अुसकी निकासीके लिये नालियोंकी व्यवस्था तो करनी ही चाहिये। अिसके लिये रासके अेक किसानने, जिसने अपनी सारी जायदाद आजादीकी पिछली लड़ायीमें गंवा दी है, सारे आवश्यक पाअिप यहीं बना डाले। सफाअीका काम भी गुजरातके किसानों और विद्यार्थियोंने ही किया है। स्वागत-समितिके अध्यक्ष दरवार साहब और प्रधानमंत्री श्री कन्हैयालाल देसाअी तीन महीने पहले ही यहां आ गये थे। अिस सारे नगरमें जो व्यवस्था है और जिसकी सब तारीफ करते हैं, वह अिस प्रकार हुअी है। हमारे गुजरातकी अेक खासियत यह है कि यहां काम करनेवाले आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। आप सबकी सोहबतसे मैं कुछ बोलना सीख गया हूं। परंतु पहलेके समयका मैं अपना अेक अुदाहरण देता हूं। मैं कलकत्ता कांग्रेसमें गया था। मेरा अेक मित्र मेरा टिकट लेकर सभामंडपमें चला गया। मैं रास्तेमें अिबर अुबर खूब भटकता रहा, परंतु भीतर कैसे जाता? किसीने भी मुझे नहीं पहचाना। अन्तमें भटककर मैं अपने डेरे पर जाकर बैठ गया। बादमें आचार्य कृपालानी मिले। अुन्होंने मुझे पूछा तब मैंने कहा कि मेरे पास तो टिकट नहीं है। अैसा है मेरा स्वभाव। यहां जो भी व्यवस्था हुअी है वह मेरे साथियोंकी मेहनतका फल है। मैंने तो थोड़ासा पथप्रदर्शन ही किया होगा। यहां आठ हजार स्वयंसेवक काममें लगे हुअे हैं। दो हजार स्वयंसेवक सफाअीका काम करते हैं। अिनके सेनापतिकी और वहन मृदुला साराभाअीकी में क्या तारीफ करूं? यहां आप छोटी छोटी लड़कियोंको भी काम करते देख रहे हैं। ये सब गुजरातकी लड़कियां हैं। अिन्होंने यहांकी व्यवस्थामें जबरदस्त हाथ बंटाया है। हमारे भोजनालयकी सारी व्यवस्था रविशंकर महाराजने की है। ये गुजरातके महाराज कहलाते हैं। ये हर बान्दोलनके

समय सबसे पहले जेल जाते हैं और सबके वाद छूटकर आते हैं। जिस जेलमें जाते हैं उसका सुपरिन्टेन्डेन्ट भी खुश हो जाता है। जेलका सारा भोजनालय बिन्हें सौंप देता है। हम सब जैसे हैं। हमें आप भाजी-वहनोंका आभार मानना है और क्षमा-याचना भी करनी है। जैसे जंगलमें आपके आराम और सुखके लिये सब चीजोंका प्रबंध कैसे हो सकता है? हम आपको पलंग दें तो ये हमारे पंतजी जैसे हैं कि अेक रातमें तीन चार तोड़ डालें। फिर अेक रोज वर्षा आ गयी और धूलकी आंधी भुठी। जिसलिये भी आपकी तकलीफ खूब बढ़ गयी। परंतु आप सबने यह तमाम तकलीफ वदार्शित कर ली। हमारी किसी बृटिकी तरफ नहीं देखा, खूब प्रेम और बुदारतासे सब कुछ निभा लिया। जिसके लिये मैं आप सबका आभार मानता हूं। देशका काम था, उसमें सबने हमारा साथ दिया है। और अीश्वरकी कृपासे हमारा काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।”

२३

पार्लमेण्टरी कमेटीके अध्यक्ष

देशके छः प्रान्तोंमें कांग्रेसके मंत्रिमंडल बन जानेके वाद मंत्रियोंको सलाह-मूचना देनेका, कांग्रेसका अनुशासन अच्छी तरह कायम रखनेका तथा पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिमें पदग्रहणके सहायक होनेका कांग्रेसका बुद्देश्य अच्छी तरह पूरा हो रहा है या नहीं, यह सब देखनेका काम कांग्रेसकी कार्यसमिति पर आ पड़ा। परंतु सारी कार्यसमिति पूरा समय जिसमें नहीं दे सकती थी और काम अितने महत्त्वका था कि उस पर सतत देखरेखकी जरूरत थी। जिसलिये कार्यसमितिके अपने सदस्योंमें से राजेन्द्रवावू, मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा सरदारकी अेक छोटी समिति जिस कामके लिये बना दी। सरदार उस समितिके अध्यक्ष बने। अिन तीन सदस्योंका भी समय समय पर अिकट्ठा होना मुश्किल हो जाता था। जिसलिये अुन्होंने अलग अलग प्रान्तोंकी देखरेखका काम आपसमें बांट लिया। महत्त्वका काम होता तब तीनों सदस्य अेकात्र होकर निर्णय करते और बहुत महत्त्वका होता तब वे कार्यसमिति और गांधीजीकी सलाह ले लेते। प्रबंध-संबंधी कामका जल्दी निवटारा करनेकी शक्ति, अटपटे प्रश्नोंको हल करनेकी दक्षता और खास तौर पर मनुष्योंको पहचानने और यह अन्दाज लगानेकी अद्भुत शक्तिके कारण कि वे कितने पानीमें हैं, जिस

पार्लमेण्टरी अुपसमितिके कामका मुख्य बोज सरदार पर ही रहता था। यह काम अुन्होंने अितनी होशियारी, विवेक और सहानुभूतिके साथ किया कि बहुतसे प्रान्तोंके मंत्रियोंको तो अुनका बड़ा सहारा रहता था। कोअी भी अुलझन पैदा होती कि वे दौड़कर सरदारके पास चले जाते। वैसे, कुल मिलाकर पार्लमेण्टरी कमेटीने मंत्रियोंके काममें कभी व्यर्थका हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी सामनेवाले आदमीको अच्छा लगेगा या बुरा, अिसकी परवाह किये बिना अुसे खरी बात साफ साफ कह देनेकी आदतके कारण सरदारको कअी बार अप्रिय बननेके अवसर भी आ जाते थे। सारी कार्यसमिति अेक विचारकी हो तो भी रोषके निशान सरदार बनते थे। श्री नरीमानका किस्सा हम पढ़ चुके हैं। अिस अध्यायमें मध्यप्रान्तके मुख्यमंत्री श्री खरेका भी लगभग अैसा ही किस्सा हम देखेंगे। त्रिपुरी कांग्रेसके समय सुभापवावूका रोष भी मुख्यतः सरदार पर ही हुआ था।

पार्लमेण्टरी कमेटीके अध्यक्षकी हैसियतसे अुन्हें जो समस्याअें सुलझानी पड़ीं, अुनमें युक्त प्रान्त और विहारकी समस्या हरिपुरा कांग्रेसके समय अुपस्थित होनेके कारण अुस अध्यायमें दे दी गयी है। अिस अध्यायमें कुछ और महत्त्वकी घटनाओंका वर्णन करेंगे।

अुड़ीसाके गवर्नरका स्वास्थ्य अच्छा न होनेसे वे मअीके आरंभमें लंबी छुट्टी पर जाना चाहते थे। अिसलिअे अुनकी जगह कामचलाअू गवर्नरके रूपमें अुसी प्रान्तके रेव्हेन्यू कमिश्नर मि० डेनकी नियुक्तिकी घोषणा ७ मार्चको कर दी गयी। अिस बातका पता लगते ही अुड़ीसाके मुख्यमंत्रीने अिस नियुक्तिके विरुद्ध अिस कारणसे आपत्ति अुठाअी कि सरकारी विभागमें नौकरी करनेवाले कर्मचारीको, भले ही कामचलाअू तौर पर ही सही, गवर्नरका पद देना अुचित नहीं। जो कर्मचारी मंत्रियोंके मातहत काम करता हो अुसे थोड़े समयके लिअे भी मंत्रियोंके अुपर विठा देना बहुत अुनुचित है, क्योंकि गवर्नरका पद अेक खास प्रतिष्ठा और विशेप अधिकारवाला है। अिसलिअे वही आदमी फिर अपनी पुरानी नौकरी पर आये तब अुसकी और मंत्रियों दोनोंकी स्थिति विपम हो जाती है। अुड़ीसाके मुख्यमंत्रीने अिस मामलेमें सरदार और गांधीजीकी सलाह ली। अुन्होंने सलाह दी कि आपकी आपत्ति पर ध्यान देकर गवर्नरकी नियुक्तिमें परिवर्तन न किया जाय तो सारे मंत्रिमंडलको त्यागपत्र दे देना चाहिये। अिसके बाद मुख्यमंत्रीका गवर्नरके साथ कुछ पत्रव्यवहार हुआ। अुससे कुछ हुआ नहीं तो मुख्यमंत्रीने स्वयं जानेका विचार किया। ४ मअीको मुख्यमंत्री अन्य सब मंत्रियों और पार्लमेण्टरी सेक्रेटारियोंके अिस्तीफे लेकर गवर्नरसे मिलने पुरीके लिअे रवाना हो

ही रहे थे कि अितनेमें गवर्नरके सेक्रेटरीका तार आया कि गवर्नरने छुट्टी पर जानेका विचार छोड़ दिया है। अुनी दिन गवर्नरकी तरफसे निम्न लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया गया :

“अपने अुत्तराधिकारीके लिअे अस्थिर राजनैतिक परिस्थिति पैदा होनेकी संभावना देखकर गवर्नर महोदयको अपनी मूल योजनाके अनुसार छुट्टी पर जाना मुनासिब मालूम नहीं होता। अतः मिली हुअी छुट्टी प्रान्तके हितके लिअे रद्द करानेके सिवा अुनके पास कोअी और अुपाय नहीं। छुट्टी रद्द करानेकी अुनकी प्रार्थना गवर्नर जनरलकी सम्मतिसे भारतमंत्रीने मंजूर कर दी है।”

अिस प्रकार यह काण्ड बहुत अच्छी तरह निवट गया। अुड़ीसाके मुख्य-मंत्रीने अिस विषयमें अपना वक्तव्य प्रकाशित करते हुअे बताया :

“गवर्नर महोदयने वड़ी चतुराअीसे अिस मुश्किलको हल कर दिया है। सत्रके लिअे जो दुःखद संकट अुपस्थित होनेवाला था, अुसे अुन्होंने टाल दिया है। अपने स्वास्थ्यका खयाल किये वगैर अिस संकटको टालनेके लिअे ही गवर्नर महोदयने अपनी छुट्टी रद्द कराअी है। अिसके लिअे वे वधाअीके पात्र हैं। मि० डेनके वारेमें मुझे कहना चाहिये कि हममें से किसीको भी अुनसे कोअी व्यक्तिगत विरोध नहीं है। वे अिस प्रान्तके पुराने और अनुभवी अफसर हैं और अुन्होंने अिस प्रान्तकी बहुत सेवा की है। हमारा मंत्रिमंडल पार्लमेण्टरी कमेटी द्वारा हमें अिस वारेमें पहलेसे ही दी गअी सलाह और पथप्रदर्शनके लिअे अुसका आभारी है। अुसकी सलाह हमें न मिली होती तो संकट जल्दी ही पैदा हो जाता।”

पार्लमेण्टरी कमेटीके अव्यक्तकी हैसियतसे सरदारने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

“अुड़ीसाके स्थानापन्न गवर्नरकी नियुक्तिके वारेमें ब्रिटिश सरकारने अपनी की हुअी मूलको समय रहते सुधारकर बहुत सुन्दर काम किया है। अिसलिअे वह वधाअीकी पात्र है। अुसने अेक अैसा संकट टाल दिया है जिसके परिणाम बहुत गंभीर होते। अिस देगके शासक और अिग्लैण्डके अधिकारी यदि अितना समझ लें कि संविधानको भावना और तत्त्वका जरा भी भंग होगा तो कांग्रेस अुसे वर्दाशत नहीं करेगी, तो बहुतसी परेशानियां और झगड़े टल जायं। अिस संविधानकी अनेक त्रुटियां मान्दूम होते हुअे भी कांग्रेसने पदोंका दायित्व स्वीकार किया है। अिसमें अुसका

स्पष्ट अिरादा संविधानको विशाल बनानेका है। हम आशा रखें कि जिस किस्मकी घटना यह आखिरी ही होगी। अुड़ीसाके मुख्यमंत्री और अुनके साथी भी जिस वातके लिये बधाजीके पात्र हैं कि जिस वैधानिक सिद्धान्तमें अुनके स्वाभिमानका प्रश्न था अुसके लिये अुन्होंने दृढ़ आग्रह रखा।”

भिन्न भिन्न प्रान्तोंके मंत्रिमंडलोंमें सबसे ज्यादा गड़बड़ कहीं हुअी हो और सिरपच्ची करनी पड़ी हो तो वह मध्यप्रान्तके मंत्रिमंडलके वारेमें करनी पड़ी थी। मंत्रिमंडल बन जानेके बाद थोड़े ही समयमें वहाँके न्याय और कानून विभागके मंत्री शरीफ साहवने अेक अैसी गंभीर भूल की, जिसके कारण लोकभावना बहुत अुत्तेजित हो गअी। अेक तेरह वर्षकी हरिजन लड़की पर बलात्कार करनेके जुर्ममें सजा पाये हुअे कैदियोंको अुनकी अेक-तिहाजी सजा पूरी होनेसे पहले ही दया करके अुन्होंने छोड़ दिया। अिनमें से अेक अपराधी शिक्षा-विभागमें पहले दर्जेका अफसर होनेके कारण ७५० रु० मासिक नौकरी पर था। और अुसे खानसाहवकी पदवी प्राप्त थी। दूसरा मुजरिम थानेदार था। अिन दोनोंने अन्य चार आदमियोंकी मददसे योजनापूर्वक अुस लड़कीको फंसाकर अुस पर बलात्कार किया था। अिसके सिवा अेक बीमेके मामलेमें धोखा देनेके जुर्ममें सजा पाये हुअे कैदीको भी छोड़ देनेकी अुन मंत्रीने सिफारिश की थी। कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंमें साधारण तरीका यह था कि अैसे महत्त्वके प्रश्नोंका विचार सारे मंत्रिमंडलकी बैठकमें किया जाता था और अुसके संयुक्त निर्णयके अनुसार गवर्नरके सामने सिफारिश की जाती थी। परंतु अिन दोनों मामलोंमें अुस मंत्रीने अपने दूसरे साथियोंसे पूछे बिना गवर्नरके सामने अपनी सिफारिश पेश कर दी। बलात्कारवाले मामलेमें तो गवर्नरकी मंजूरी भी ले ली, जिसके परिणामस्वरूप कैदी छूट गये। अिस वातका पता चलते ही अन्य मंत्रियोंने आपत्ति अुठाअी। साथ ही लोगोंमें जवरदस्त शोरगुल मचा। अिसलिये बीमेवाले मामलेमें गवर्नरने हस्ताक्षर करना मुत्तवी कर दिया।

सरदारको अिस वातकी खबर मिलते ही अुन्होंने न्यायमंत्री शरीफ साहवसे जवाब तलब किया और मध्यप्रान्तकी धारासभाके कांग्रेसदलको यह प्रश्न तुरंत हायमें लेनेकी हिदायत दी। अपने साथियोंसे परामर्श किये बिना गवर्नरके पास पहुंच जानेके लिये शरीफ साहवने धारासभाके कांग्रेसदलकी सभामें अफसोस जाहिर किया और त्यागपत्र देने तककी तैयारी दिखाअी। परंतु मुख्यमंत्री डॉ० खरेका रदैया शरीफ साहवको बचा लेनेका था। यह मामला महत्त्वका था अिसलिये पार्लमेण्टरी कमेटीने अुनका अिस्तीफा कांग्रेस कार्य-

समितिके सामने पेश किया। मंत्री और छूटनेवाले कैदी मुसलमान थे, जिसलिये मुस्लिम लीगने यह ब्रह्मपोह मचाया कि दया करके कैदियोंको छोड़ देनेका कृत्य मंत्रीने अपने अधिकारकी हसे किया था। मंत्रीने कानूनकी हसे मिले हुअे अधिकारका जिस्तेमाल किया, जिसमें धारासभाका कांग्रेसदल या कांग्रेसकी पार्लमेण्टरी कमेटी दखल नहीं दे सकती। शरीफ साहबने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें अुन्होंने बताया कि मेरी यह भूल जरूर हुअी कि मैंने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कैदियोंको छोड़नेसे आगेबीछे क्या असर पड़ेगा और जिसके लिये मुझे अफसोस है; परंतु केवल न्यायका विचार करते हुअे अुस समय मुझे महसूस होता था और अब भी होता है कि मैंने कोअी बेजा काम नहीं किया। जिसलिये मंत्रीके साथ पूरा न्याय करनेके लिये कांग्रेस कार्यसमितिके यह प्रस्ताव पास किया :

“असली सवाल तो यह है कि मंत्रीने अपने विवेकको काममें लेनेमें अैसी गंभीर भूल की है या नहीं जिससे न्यायका खून होता हो? यदि अुन्होंने अैसी भूल की हो तो न्यायके खातिर, शासनकी शुद्धताके खातिर और स्त्रियोंकी अिज्जतकी रक्षाके खातिर अुनका त्यागपत्र देना ही अुचित्त मार्ग है। परंतु यदि अुनके कृत्यसे न्यायका खून न होता हो तो अुन्हें त्यागपत्र देनेकी जरूरत नहीं। अितना ही नहीं, माफी मांगनेकी भी जरूरत नहीं। जिस मामलेका निर्णय करनेके लिये कार्यसमितिके सामने पूरे तथ्य न होनेसे जिस मामलेकी और दीमेवाले मामलेकी जांच करनेका काम विनी प्रख्यात कानून पंडितको सौंपा जाय।”

आम जनताको कार्यसमितिके जिस प्रस्तावसे संतोष नहीं हुआ। अुसका कहना यह था कि जिस मामलेमें दो-दो अपीलें हुअी हैं और हाअीकोर्ट तकने अभियुक्तोंको अपराधी ठहराकर सजा बहाल रखी है। जिस पर अब और जांचकी क्या जरूरत है? जिस असंतोषको शांत करनेके लिये कार्यसमितिके जनतासे अपील की कि अुसे अन्तिम निर्णयकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। लोगोंको यह विश्वास रखना चाहिये कि जिस मामलेका निर्णय किसी भी तरहका डर न रखे विना या गलत मेहरबानी बताये विना किया जायगा। अुसने लोगों और अखबारोंसे यह भी अनुरोध किया था कि जिस प्रश्नको साम्प्रदायिक रूप देना अुचित्त नहीं। मंत्रीके जिस कृत्यसे बहनोंकी भावनाको भी चोट पहुंची थी। अुन्हें कार्यसमितिके आश्वासन दिया कि आपकी अुत्तेजना अुचित्त है, परंतु कार्यसमितिके स्त्रियोंकी अिज्जत

आपसे कम प्यारी नहीं है। फिर भी पूरी जांच कराकर निर्णय करना ही अधिक ठीक होगा।

कांग्रेस कार्यसमितिके सारे मामलेकी अच्छी तरह जांच करके अपनी राय देनेका काम कलकत्ता हाजीकोर्टके सेवा-निवृत्त जज सर मन्मथनाथ मुकर्जीको सौंपा।

शरीफ साहब अपना बैरिस्टर लेकर अपना मामला पेश करनेके लिये सर मन्मथनाथके पास कलकत्ते गये। मुख्यमंत्री श्री खरेने भी अेक लम्बा वक्तव्य लिखकर भेजा। अुसमें- शरीफ साहबके लिये यह सिफारिश की कि चूंकि अुन्होंने खेद प्रगट कर दिया है, अिसलिये अुन्हें छोड़ दिया जाय।

सर मन्मथनाथने सारी जांच करके ता० ७-५-३८को अपनी राय दी। अुसमें अुन्होंने बताया कि दो मुख्य अभियुक्तोंकी तरफसे दयाकी प्रार्थना पहले भी की गयी थी। परंतु अुस समय जिलेके कलेक्टर और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टेने सख्त रिपोर्ट दी थी कि यह अपराध अितना गंभीर है, अपराधियोंने अितने अधिक छलप्रपंच किये हैं और अन्तमें बलप्रयोग किया है कि वे दयाके पात्र नहीं हैं। अिसलिये मंत्री कुछ कर नहीं सके थे। वादमें दूसरे चार अभियुक्तोंको, जिन्हें अिस अपराधमें सहायता देनेके लिये दो दो वर्षकी सजा हुयी थी, अुनकी दयाकी प्रार्थना पर, मंत्रीने अुनकी अेक वर्षकी सजा पूरी हो जाने पर छोड़ देनेका हुक्म दिया। अुन दो मुख्य अपराधियोंने, जिनमें से अेकको तीन वर्षके और दूसरेको चार वर्षके कारावास और जुर्मानेका दण्ड मिला था, दुवारा दयाकी अर्जी की। अुस समय जिला-धिकारियोंने कोयी स्पष्ट मत नहीं दिया। कहा जाता है कि अुन्हें यह बताया गया था कि मंत्रीका अिरादा अिन कैदियोंको छोड़ देनेका है। मंत्रीने दयाकी प्रार्थना स्वीकार करके मुख्य कैदियोंको छोड़ देनेकी गवर्नरसे सिफारिश करनेमें निम्न कारण बताये थे:

१. लड़की पहलेसे ही खराब चालचलन की थी और लुशीसे संमत हुयी थी।

२. अिस मुकदमेके कारण अभियुक्तको बड़ी नौकरीसे हाथ धोना पड़ा है, अिसलिये वह आर्थिक दृष्टिसे बर्बाद हो गया है। समाजमें भी अुसकी प्रतिष्ठा घट गयी है। यह अुसके लिये काफी सजा है।

३. यह मुकदमा चल रहा था अुसी बीच अपराधीकी स्त्री आघात पहुंचनेसे मर गयी है और अुसके छोटे छोटे बच्चोंकी निगरानी करनेवाला अिस समय कोयी न होनेके कारण वे अनाथ हो गये हैं।

पहले मुद्देके वारेमें सर मन्मथनाथने बताया कि लड़कीके वारेमें मंत्रीने जो कुछ लिखा है वैसा कुछ भी सवूतमें पेश नहीं हुआ है। अलुटे सवूतमें तो यह पाया गया है कि तलवारसे मार डालनेका डर दिखाकर अुस पर बलात्कार किया गया था। दयाकी प्रार्थना पर विचार करनेवालेको सवूतसे बाहर जाकर अुस पर कोबी राय बनानेका अविकार नहीं है। अुन चार अभियुक्तोंको छोड़ देनेमें दिखाजी गयी दया भी गलत थी। और यह अपराध अकस्मात् लालचमें पड़कर नहीं किया गया, परंतु अिसके पीछे व्यवस्थित योजना थी और जवर्दस्त छलप्रपंच रचकर लड़कीको फंसाया गया था। अिसलिये मेरी स्पष्ट राय है कि मंत्रीने दयाकी प्रार्थना स्वीकार करके गंभीर भूल की है। और अुसके कारण न्यायका अवश्य खून हुआ है। अभियुक्त आर्थिक रूपमें पामाल हो गया है और अुसका परिवार संकटमें फंस गया है, यह बात सजा देते समय अदालतने ध्यानमें रखी ही है। दरअसल अितने पढ़ेलिखे आदमीने अैसा क्रूर कृत्य किया, अिसके लिये अुसे जरा भी दयापात्र नहीं मानना चाहिये था।

यह रिपोर्ट मिलनेके बाद मंत्री शरीफ साहबको अिस्तीफा देनेके लिये मजबूर किया गया।

अिस कांडका निवटारा होनेसे पहले ही मध्यप्रान्तके मंत्रिमंडलमें आपसमें बड़े झगड़े पैदा हो गये थे। मध्यप्रान्तमें मुख्य तीन विभाग हैं। महाकोशल अथवा हिन्दी मध्यप्रान्त, नागपुर अथवा मराठी मध्यप्रान्त और बरार। मंत्रिमंडलमें महाकोशलके तीन मंत्री थे, जिनका मुख्यमंत्री डॉ० खरेके साथ — जो नागपुरके थे — जवर्दस्त मतभेद रहा करता था। अिसके परिणामस्वरूप अुन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अिसके सिवा मंत्रियों पर रिश्वत लेने और सगे-सम्बन्धियोंका पक्षपात करनेके भी आरोप थे। अिस कारण सारे प्रान्तमें और धारासभाके सदस्योंमें निन्दा और मलिनताका वातावरण फैल गया था। सरदारके पास ये शिकायतें बहुत समयसे आती रहती थीं। अिसलिये अुन्होंने मध्यप्रान्तके ठंडे पहाड़ी स्थान पंचमढ़ीमें, जहां प्रान्तकी सरकार अुस समय थी, ता० २४-५-३८ को धारासभा दलकी बैठक बुलायी। अुसमें पार्लमेण्टरी कमेटीके तीनों सदस्योंके मौजूद रहनेकी बात तय हो चुकी थी। लेकिन राजेन्द्रवाड़की तवीयत खराब होनेसे वे वहां नहीं जा सके थे। मध्यप्रान्तके तीनों विभागोंकी प्रान्तीय समितियोंके अध्यक्षोंकी भी वहां अुपस्थित रखा गया। जी भरकर बातें और बहसें हुईं। अुनके परिणामस्वरूप सब प्रदनोंका निवटारा हो गया। तीनों मंत्रियोंने अिस्तीफे वापस ले लिये। सब मंत्रियोंने लिखित वचन

दिया कि भविष्यमें हम अेकमत होकर काम करेंगे। सरदारने अुस वारेमें निम्न लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“शरीफ साहवके मामलेका कांग्रेस कार्यसमितिने अभी अभी निवटारा किया है। हमने सब मंत्रियोंसे अेकसाथ और अलग अलग बातें कर ली हैं। सारे प्रश्नोंका समाधान करनेमें हमें कठिनायी तो हुयी है, फिर भी हमें यह बताते हुअे आनंद होता है कि सारे मतभेद मिट गये हैं। मंत्रियोंने हमें विश्वास दिलाया है कि वे आपसके मतभेद भूलकर सहयोगसे काम करेंगे। शासनमें सुधार करने और कुशलता लानेके लिये जो परिवर्तन करने जरूरी हैं वे मंत्री खुद ही कर लेंगे और जिस बातकी बराबर सावधानी रखेंगे कि आभिदा शिकायतके कारण पैदा न हों।

“मंत्रियों पर जो विशेष गंभीर आरोप थे, अुनकी भी हमने जांच कर ली। हमें यह बताते हुअे आनंद होता है कि सबसे अधिक गंभीर आक्षेप रिश्वतके थे, जो साबित नहीं हुअे। कुछ आक्षेप तो बिना विचारे और द्वेषपूर्वक किये गये थे। अुनके समर्थनमें हमें रत्तीभर भी सबूत नहीं मिला।

“अिसीके साथ हमें कहना चाहिये कि कुछ शिकायतें अकारण नहीं थीं। अधिकांश शिकायतें तो शासनकी अकुशलतासे सम्बन्ध रखती थीं। हमें विश्वास दिलाया गया है कि अुन्हें सुधार लिया जायगा। ऋण निवारण कानून (डेट कन्सीलियेशन अेक्ट) में, जो गरीब किसानोंके हितमें बनाया गया है, कर्जकी मर्यादा पचास हजारसे बढ़ाकर अेक लाख कर दी गयी है। अिस मामलेमें हमारे सामने स्वीकार किया गया है कि अिस परिवर्तनका वचाव नहीं किया जा सकता। मंत्रियोंने हमें वचन दिया है कि कर्जकी मर्यादा घटाकर मूल मर्यादाके अनुसार कर दी जायगी।

“दूसरे आक्षेप ये थे कि मंत्रियोंने पूरी योग्यता न रखनेवाले आदमियोंको विश्वविद्यालयमें अध्यापकोंकी और अस्पतालोंमें डॉक्टरोंकी जगह दिलायी है। ये आक्षेप साबित हुअे हैं। हमें वचन दिया गया है कि अैसे प्रत्येक मामलेमें न्याय किया जायगा।* कुछ और छोटे

* मंत्री पंडित रविशंकर गुक्लके लड़केको लॉ लेक्चररकी जगह दी गयी थी, मुख्यमंत्री डॉ० खरेके लड़केको मेयो अस्पतालमें अवैतनिक सर्जनकी जगह दी गयी थी और अुनके भाईको ऑडीटर नियुक्त किया गया था।

छोटे आक्षेपोंकी जांच करके अनुका निवटारा करनेका काम सेठ जमनालाल वजाजको सौंपा गया है। हमें यह कहते आनंद होता है कि मंत्रियोंने जो भूलें की हैं वे अन्होंने तुरन्त स्वीकार कर ली हैं और अन्हें सुवार लेना मंजूर किया है। सबसे गंभीर आरोप वेवुनियाद ठहरे हैं और छोटी भूलें फौरन सुवार लेनेका वचन दे दिया गया है। इसलिये हम आशा रखते हैं कि अब लोगोंकी आलोचनाओं वन्द हो जायंगी और मंत्रियोंको यह दिखा देनेका मौका दिया जायगा कि वे कांग्रेसकी परम्परा कायम रखनेमें समर्थ हैं।”

अिस प्रकार समाधान हो जानेके बाद यह आशा रखी गयी थी कि सब काम ठीक हो जायगा। परन्तु वह आशा सफल नहीं हुयी। थोड़े ही समय बाद पार्लमेण्टरी कमेटीके चेयरमैनकी हैसियतसे सरदारके पास शिकायतें आने लगीं कि डॉ० खरे समझौतेकी शर्तोंका पालन नहीं कर रहे हैं। सरदारने डॉ० खरेसे अनुरोध किया कि सब काम आपसमें समझकर करें और कोयी भारी मतभेद हो तो कांग्रेस कार्यसमितिके पास लायें।

परन्तु मतभेद अधिकाधिक अुग्र बनते गये और १३ जुलाबीको अखबारोंमें खबर आयी कि दो मंत्री श्री गोले और श्री देशमुखने अिस्तीफे दे दिये हैं। १५ जुलाबीको डॉ० खरेने सरदारको अिस बारेमें अेक रिपोर्ट भेजी कि वे पचमढीके समझौतेका पालन करनेके लिये क्या क्या कर रहे हैं। अुन्होंने यह भी बताया कि हमारे बीच अितने मतभेद हैं कि हमारा काम अेकस्वरसे नहीं चलता। परन्तु अिसीके साथ अुन्होंने वचन दिया कि वे कोयी कार्रवायी जल्दवाजीमें नहीं करेंगे और अन्तिम निर्णय सरदार पर छोड़ेंगे। अुस पत्रमें अुन्होंने सरदारको यह बात नहीं बताया कि अुनके दो साथियोंने त्यागपत्र दे दिये हैं।

वर्षामें २३ जुलाबीको कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक होनेवाली थी। डॉ० खरेकी तरफसे सरदारको वचन मिल चुका था, अिसलिये वे अिस भरोसे रहे कि कार्यसमितिकी बैठकसे पहले पार्लमेण्टरी कमेटी मिलकर अुनके जो भी रगड़े-झगड़े होंगे अुनका विचार कर लेगी।

१९ जुलाबीको डॉ० खरेने अपने साथियोंको बताया कि मैं मुख्यमंत्री-पदसे त्यागपत्र देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे तो पार्लमेण्टरी रुडिके अनुसार अन्य मंत्रियोंको भी त्यागपत्र दे देना चाहिये, अिसलिये आपको भी मेरे साथ त्यागपत्र दे देना होगा। ता० २० को तीन मंत्री श्री रविशंकर शुक्ल, श्री मिथ्र तथा श्री मेहताने अलग अलग पत्र लिखकर डॉ० खरेको सूचना दी कि पार्लमेण्टरी कमेटी या कार्यसमितिकी ओरसे जब तक हमें

सूचना नहीं मिलती तब तक हम त्यागपत्र नहीं देंगे। उस दिन दोपहरको डॉ० खरेने गवर्नरको अपना त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ अन्य दो मंत्री श्री गोले और श्री देशमुखने भी त्यागपत्र दे दिये। गवर्नरने पार्लमेण्टरी प्रथाके मुताबिक अन तीन मंत्रियोंसे भी त्यागपत्र मांगे। श्री रविशंकर शुक्लने सरदारसे टेलीफोन पर बात करनेकी कोशिश की। परन्तु वे अहमदाबाद चले गये थे, जिसलिये उनके साथ बात नहीं हो सकी। दूसरे दो मंत्री महाकोशल प्रान्तीय समितिके अध्यक्ष ठाकुर छेदीलालके साथ वधामें वावू राजेन्द्रप्रसादसे मिलने गये, जो उस समय वहां आये हुये थे। अन्होंने वावू राजेन्द्रप्रसादको सारी परिस्थिति समझायी। राजेन्द्रवावूने सलाह दी कि आप पार्लमेण्टरी कमेटी तथा कार्यसमितिके अनुशासनमें रहनेके लिये बंधे हुये हैं, यह बात आप गवर्नरको समझाविये और २३ जुलाजीको कार्यसमिति मिलनेवाली है तब तक प्रतीक्षा करनेका अनुसे अनुरोध कीजिये। वावू राजेन्द्रप्रसादने इसी प्रकार डॉ० खरेके नाम पत्र लिखकर ठाकुर छेदीलालको दिया। उसमें लिखा कि २२ जुलाजीको पार्लमेण्टरी कमेटीकी बैठक होगी, उसके पहले अतना अुतावला कदम आपको नहीं अुठाना चाहिये। आप अपना त्यागपत्र वापस ले लीजिये और अैसा न करना हो तो गवर्नरसे विनती कीजिये कि वे २३ जुलाजी तक अिस्तीफे पर विचार करना स्थगित रखें। अैसे ही पत्र अुन्होंने श्री गोले और श्री देशमुखको लिखे। ये सारे पत्र लिखने-लिखानेमें रातके दस बजे गये। ठाकुर छेदीलालने वधामें डॉ० खरेको नागपुर टेलीफोन किया कि मैं वावू राजेन्द्रप्रसादका जरूरी पत्र लेकर नागपुर आ रहा हूं। जब डॉ० खरेने फोन लिया उस समय श्री गोले तथा श्री देशमुख भी वहां मौजूद थे। ठाकुर छेदीलाल आधी रातके बाद नागपुर पहुंचे और डॉ० खरेके घर गये। वहां श्री देशमुख तथा श्री गोले मौजूद थे। अुन्हें उनके पत्र दे दिये। परन्तु डॉ० खरे घर पर नहीं थे, जिसलिये उनका पत्र नहीं दिया जा सका।

श्री शुक्ल, श्री मिश्र और श्री मेहताको गवर्नरने रातको दो बजेका समय दिया था। तदनुसार वे अनुसे मिलने गये और त्यागपत्र नहीं देनेके कारण अुन्हें समझाये। फिर भी ता० २१ को सुबह पांच बजे अुन्हें मंत्रीपदसे मुक्त कर देनेके समाचार दे दिये गये। उसके बाद डॉ० खरेने नया मंत्रिमंडल बनाया और ता० २१ को सुबह ही जो मंत्री वहां मौजूद थे अुन्होंने और डॉ० खरेने मंत्रीपदकी शपथ भी ले ली।

ता० २२ को पार्लमेण्टरी कमेटीकी बैठक हुयी। इस बातका पता लगते ही अुन्होंने तार देकर डॉ० खरेको, उनके नये साथियोंको और

पदच्युत हुअे मंत्रियोंको बर्बा बुलाया। जिस बीच कांग्रेसके अध्यक्ष वावू सुभाप-
चंद्र वोस भी वहां आ गये थे। शाम तक डॉ० खरे और नये मंत्री श्री देशमुख,
श्री गोले और ठाकुर प्यारेलाल आ पहुंचे। विदर्भ और महाकोशल प्रान्तीय
समितियोंके अध्यक्ष भी वहां थे। उन सबके खरू वातें हुयीं। वातचीतमें
पता लगा कि डॉ० खरेने तो ता० १७ को ही खास तौर पर आदमी भेजकर
ठाकुर प्यारेलालसिंहको पुछवाया था कि वे नये मंत्रिमंडलमें आयेंगे या
नहीं। जिससे जितना तो स्पष्ट हो जाता है कि ता० १५ को सरदारको
निश्चित रहनेके लिये लिखनेके बाद तुरंत ही डॉ० खरे नया मंत्रिमंडल
बनानेकी तजवीज करने लगे थे। ता० १८ को ठाकुर प्यारेलालसिंहका हामें
अुत्तर आ गया तो डॉ० खरे १९ तारीखको गवर्नरके सेक्रेटरीसे मिले और
अुन्हें अपनी सारी योजना बतायी। यह सब कुछ अुन्होंने अपने साथियों,
प्रान्तीय समितियोंके अध्यक्षों और पार्लमेण्टरी कमेटीको कोअी सूचना दिये
विना किया था। जिससे भी ज्यादा अनुचित वात तो यह थी कि ता० २२ को
सबेरे जब ठाकुर प्यारेलालसिंहने शपथ ली तब यह कहकर कि अमुक पत्र
सरदार बल्लभभाजीका लिखा हुआ है, अुसमें से अेक अंश पढ़कर अुन्हें
सुनाया गया, जिससे ठाकुर प्यारेलालसिंहको अैसा भरोसा हो जाय कि नये
मंत्रिमंडलमें शरीक होनेमें वे कोअी भूल नहीं कर रहे हैं। अुम अंशमें यह
लिखा हुआ था कि आपको दलका नेता जैसा कहे वैसा करना चाहिये।
परन्तु यह पत्र सरदारने डॉ० खरे या किसी मंत्रीको नहीं लिखा था, बल्कि
अेक म्युनिसिपल बोर्डमें झगड़ा पैदा हो जाने पर मअी मासमें अुसके अेक
सदस्यको लिखा था।

ये सब वातें डॉ० खरे और अुनके नये साथियोंके खरू होनेके बाद
डॉ० खरेसे कहा गया कि आपके द्रुत्य मुख्यमंत्रीके पदको शोभा देनेवाले
नहीं हैं। अुन्हें और अुनके साथियोंसे यह भी कहा गया कि आपने भूल
की है, अैसा आपको लगता हो तो आपको अुसे सुधार लेना चाहिये।
आपसमें विचार करनेके लिये वे दूसरे कमरेमें गये। बाहर आकर डॉ०
खरेने अपनी भूल स्वीकार की और त्यागपत्र देनेकी तैयारी बतायी। अुनके
नये साथी भी त्यागपत्र देनेको राजी हो गये। नागपुर जाकर अुन्होंने २३
तारीखको गवर्नरको त्यागपत्र दे दिये और अुसकी सूचना पार्लमेण्टरी
कमेटीको दे दी।

ता० २३ को डॉ० खरेको कार्यसमितिकी बैठकमें बुलाया गया।
अुनसे कहा गया कि दलके नेताके त्यागपत्र पर विचार करने और नया नेता
चुननेके लिये आपको धारासभा दलकी विशेष बैठक बुलानी चाहिये।

ता० २७ को बैठक बुलवाना निश्चित हुआ। उसी समय डॉ० खरेने दलके नेतापदके लिये अुम्मीदवार होनेका अिरादा जाहिर किया। कांग्रेसके अध्यक्ष तथा कार्यसमितिके सदस्योंने अुन्हें सलाह दी कि दुवारा नेता बनना आपके लिये बोभास्पद नहीं होगा। फिर भी डॉ० खरे अपने विचार पर दृढ़ रहे। कार्यसमितिके अुन्हें २५ तारीखको फिर बुलाया और फिर वही सलाह दी। परन्तु जब अुन्होंने यह कहा कि अुनका निश्चय कायम है, तब अुन्हें सेवाग्राम जाकर गांधीजीसे पूछनेकी सलाह दी गयी। कांग्रेसके अध्यक्ष तथा कार्यसमितिके कुछ सदस्योंके साथ वे सेवाग्राम गये। खूब चर्चा होनेके बाद अैसा मालूम हुआ कि वे अुम्मीदवारी न करनेके विचारकी ओर झुके हैं; और अिस प्रकारके निवेदनका अुन्होंने मसौदा बनाया। गांधीजीने अुसमें सुधार-संशोधन किये। परन्तु अैसा मालूम हुआ कि वे सुधार अुनको जंचे नहीं। अिसलिये गांधीजीने सलाह दी कि अुतावलीमें कोअी कदम अुठानेकी जरूरत नहीं, घर जाकर अिस पर विचार कीजिये। अपने मित्रोंकी सलाह लीजिये और कल तीन वजे कार्यसमितिको अपना अंतिम निर्णय वता दीजिये।

ता० २६ को दोपहरके तीन वजे डॉ० खरेने नागपुरसे फोन किया कि मुझे अुस मसौदेके अनुसार निवेदन लिखना पसंद नहीं है और अपना जवाब मैं छः वजेकी गाड़ीसे अेक आदमीके साथ भेज रहा हूं। कार्यसमितिके सात वजे तक अुनके अुत्तरकी प्रतीक्षा की, परन्तु अुत्तर नहीं आया। तब निम्न प्रस्ताव पास किया :

“पार्लमेण्टरी कमेटीका सारा हाल सुननेके बाद और पचमढीमें अुसके और मव्यप्रान्तकी तीनों प्रान्तीय समितियोंके अध्यक्षोंके सामने मंत्रियोंके दीच हुअे समझौतेके बाद जो घटनाअें हुयी हैं अुन पर कार्यसमितिके ध्यानपूर्वक विचार किया है। डॉ० खरेके साथ भी कअी वार बातचीत की है। अिन सब परसे कार्यसमिति वड़े दुःखके साथ अिस निर्णय पर पहुंची है कि डॉ० खरेने अपने कृत्योंसे और अंतमें अपने (गवर्नरको) दिये गये त्यागपत्रसे तथा अपने साथियोंसे की गयी त्यागपत्रकी मांगसे गंभीर विवेकदोष किये हैं। अुनके कृत्योंके कारण मव्यप्रान्तमें कांग्रेस अुपहासपात्र बनी है और अुसकी प्रतिष्ठाको भारी धक्का पहुंचा है। डॉ० खरेको अुतावलीमें कोअी कदम न अुठानेकी चेतावनी दी गयी थी, तिस पर भी अुन्होंने यह काम किया है। अिसलिये अुन्होंने गंभीर अनुशासनभंगका दोष किया है।

“कांग्रेसके मंत्रीपद ग्रहण करनेके बाद पहली ही वार डॉ० खरेके त्यागपत्रसे गवर्नरको अपना विशेषाधिकार काममें लेने और

तीन मंत्रियोंको पदच्युत करनेका अवसर मिला है। अिन तीन मंत्रियोंने गवर्नर द्वारा अुनसे त्यागपत्र मांगने पर पार्लमेण्टरी कमेटीके आदेशके विना त्यागपत्र देनेसे अिनकार करके कांग्रेसके प्रति अपनी वफादारी दिखायी है। यह कार्यसमिति अुनके अिस व्यवहारके लिये सन्तोष व्यक्त करती है।

“नया मंत्रिमंडल बनानेका निमंत्रण स्वीकार करके, कांग्रेसकी नीतिके विरुद्ध मंत्रिमंडल बना कर तथा पार्लमेण्टरी कमेटी और कार्यसमितिकी बैठकें तुरंत ही होनेवाली थीं यह जानते हुअे भी अुन कमेटियोंको वताये विना वफादारीकी शपथ लेकर डॉ० खरेने अनुशासनभंगका दूसरा अपराध किया है।

“अिन सब कृत्योंसे डॉ० खरे कांग्रेस संगठनमें जिम्मेदारीका स्थान रखनेके लिये अयोग्य सिद्ध हुअे हैं। वे जब तक यह नहीं दिखा देते कि कांग्रेसके नाते अपनी सेवा द्वारा कड़ा अनुशासन पालन करने और अपने पर लिये हुअे कर्तव्य पूरे करनेमें वे समर्थ हैं, तब तक वे कांग्रेस संगठनमें जिम्मेदारीका स्थान लेनेके लिये अयोग्य माने जायेंगे।

“कार्यसमिति अफसोसके साथ अिस नतीजे पर पहुंची है कि मध्यप्रान्तके गवर्नरने अशोभनीय अुतावली करके रातका दिन किया और अिस प्रान्तको जवरन् विषम परिस्थितिमें डाल दिया। अिससे अुन्होंने वता दिया है कि वे कांग्रेसको भरसक कमजोर बनाने और वदनाम करनेको आतुर थे। कार्यसमिति मानती है कि अुन्हें अिसका अवश्य पता होगा कि मंत्रिमंडलके सदस्योंमें क्या चल रहा है और पार्लमेण्टरी कमेटीका क्या आदेश है। अितने पर भी अनुचित जल्दवाजी करके अुन्होंने तीन मंत्रियोंके त्यागपत्र स्वीकार कर लिये और दूसरे तीनसे त्यागपत्र मांगे तथा अुनके त्यागपत्र देनेसे अिनकार करने पर अुन्हें बरखास्त कर दिया। अुसके बाद फौरन् डॉ० खरेको नया मंत्रिमंडल बनानेके लिये बुलाया और कार्यसमितिकी जल्दी ही होनेवाली बैठकका अिन्तजार किये विना नये मंत्रिमंडलके जितने सदस्य मौजूद थे अुतनोंसे ही वफादारीकी शपथ लिवा ली। ये सब बातें अुन्हें नहीं करनी चाहिये थीं।”

अुपरोक्त प्रस्ताव पास हो जानेके बाद डॉ० खरेका कांग्रेसके अध्यक्ष श्री सुभाषचंद्र बोसके नाम लिखा हुआ निम्न लिखित पत्र मिला :

“प्रिय श्री बोस,

आपकी दी हुआ सलाहके बारेमें मैंने बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया है। जिस विषयमें मैंने अपने मित्रों और साथियोंसे भी सलाह ली है। मुझे यह बताते खेद होता है कि जो मसौदा मुझे दिया गया है और जिसे सुधारकर हस्ताक्षर करनेको मुझसे कहा गया है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं यह माननेको तैयार नहीं कि मैंने किसी प्रकारके अनुशासनभंगका दोष किया है। मैं यह भी स्वीकार करनेको तैयार नहीं कि मेरे कृत्योंसे कांग्रेसकी प्रतिष्ठाको धक्का पहुंचा है। मुझे दिये गये मसौदेमें कांग्रेसके जिम्मेदारी और विश्वासके स्थानों पर रहनेकी योग्यताके बारेमें भी कुछ सूचनाएँ हैं। वे निरखधार हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकता।

“खास तौर पर मुझे यह बता देना चाहिये कि मेरा जिस बारेमें सैद्धान्तिक मतभेद है कि मंत्रिमंडलकी जिम्मेदारी संयुक्त न होनी चाहिये, मंत्री पहले मुख्यमंत्रीके प्रति जिम्मेदार न होने चाहिये और उनमें से प्रत्येक अलग अलग पार्लमेण्टरी कमेटीके प्रति जिम्मेदार होने चाहिये। मेरा यह मत है कि जैसे विचारोंसे लोकतांत्रिक शासनका संपूर्ण निषेध होता है। इसी तरह मैं जिस विचारके भी विरुद्ध हूँ कि कांग्रेसकी कार्यसमिति या पार्लमेण्टरी कमेटी धारासभाके कांग्रेस दलको अपने नेताके चुनावके मामलेमें कोई आदेश दे सकती है। मेरा यह मत है कि धारासभाके कांग्रेसदलको अपना नेता चुननेकी स्वतंत्रता होनी चाहिये। और नेताका चुनाव भी किसी किस्मकी दस्तंदाजीके विना अवाधित रूपमें होना चाहिये। जिसके सिवा, अपने साथियोंका चुनाव करनेमें दलके नेताको अपना निर्णय स्वतंत्र रूपमें करनेकी पूरी आजादी होनी चाहिये।

“कल कुछ व्यक्तियोंने पहली ही बार जो चौकानेवाले विचार प्रगट किये, अन्हें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। मैं सदा यह मानता रहा हूँ कि लोकतांत्रिक पार्लमेण्टरी तंत्रोंके बारेमें सारी दुनियामें जो विचार और प्रथाएँ प्रचलित हैं अन्हीके अनुसार हमें भी काम करना चाहिये।

“कार्यसमिति यदि यह चाहती है कि धारासभा दलके नेताके चुनावके लिये कल होनेवाली सभामें मैं नेतापदके लिये अुम्मीदवार

न वनूँ, तो अुसे अिस आशयका आदेश जारी करना चाहिये । अेक कट्टर अनुशासन-पालकके नाते में अुम आदेशको खुशीसे शिरोवार्य करूंगा ।”

कांग्रेस कार्यसमितिका प्रस्ताव और डॉ० खरेका पत्र प्रकाशित होते ही अखबारोंको तो मानो दावत मिल गयी । जो समाचारपत्र कांग्रेसकी निन्दा करनेका मौका ही देख रहे थे, अुन्होंने कार्यसमिति और सरदारकी खूब निन्दा करना शुरू कर दिया । डॉ० खरेने भी महाराष्ट्रमें दौरा करके भाषण पर भाषण देना आरंभ कर दिया । अुनमें अपनी भूलों पर पर्दा डालकर सरदारको पूरी तरह कसूरवार ठहरानेके लिये अुन पर हमले शुरू कर दिये । अिसलिये पार्लमेण्टरी कमेटीने जो घटनाओं हुयी थीं अुनको अधिकृत रूपमें अुपस्थित करनेवाला अेक वक्तव्य ४ अगस्तको प्रकाशित किया । अुसकी सारी बातें अुपरोक्त वर्णनमें आ जाती हैं । अिसलिये अुसे पूरा यहां देनेकी जरूरत नहीं । अुसके दो अंतिम पैरे ही नीचे दिये जाते हैं :

“कांग्रेस कार्यसमितिके मनमें अिस बातकी जरा भी शंका नहीं थी कि डॉ० खरेने अपने जिन पुराने साथियोंके साथ पचमड़ीमें समझौता किया था, अुन्हें वे अपने मंत्रिमंडलसे निकाल देना चाहते हैं । अिसीलिये अुन्हें कोअी खबर दिये बिना नये साथियोंकी खोज अुन्होंने शुरू कर दी थी । अुन्होंने पार्लमेण्टरी कमेटीके अध्यक्षको भी बोखा दिया । अेक तरफ अुन्हें विश्वास दिलाया कि वे कोअी अुतावलीका कदम नहीं अुठायेंगे और कोअी घटना होगी तो अुससे अुन्हें परिचित रखेंगे और दूसरी तरफ कांग्रेस अधिकारियोंको विलकुल अंधेरेमें रखकर गवर्नरकी सहायतासे अपने प्रतिकूल साथियोंको हटा देनेकी तजवीज की ।

“अुस समय दलके कुछ सदस्योंकी तरफसे डॉ० खरेसे अनुरोध किया गया कि जब ये सब बातें हो रही हैं तो आप दलकी बैठक बुलाविये । परन्तु अिस अनुरोध पर अुन्होंने ध्यान नहीं दिया । अुनका विचार तो अपने प्रतिकूल जानेवाले मंत्रियोंको हटाकर तथा अपनी पसंदका नया मंत्रिमंडल बनाकर सारी तैयारी हो जानेके बाद यह चीज कार्यसमिति और अपने दलके सामने रखनेका था । यह सब अुन्होंने कार्यसमितिकी होनेवाली बैठकके दो ही दिन पहले कर डाला । अैसी स्थितिमें अुनके आचरणके बारेमें कार्यसमिति कोअी कदम न अुठाती तो वह कर्तव्यच्युत हुअी मानी जाती ।”

डॉ० खरेने कुछ बातें विकृत रूपमें और कुछ गलत रूपमें अपने भाषणोंमें पेश करना शुरू कर दिया था, जिसलिअे अुनका स्पटीकरण करनेके लिअे ५ अगस्तको सरदारने निम्न लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“मध्यप्रान्तके मंत्रिमंडलमें हुअी घटनाओंके वारेमें पार्लमेण्टरी कमेटीने बड़ा विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित किया है । अुसे देखते हुअे और कुछ कहनेका मेरा अिरादा नहीं था । परन्तु डॉ० खरे अिन दिनों पूना, बम्बअी वगैरा स्थानोंका दौरा करके जो भाषण दे आये हैं अुनमें अुन्होंने कुछ बातें सत्यसे परे कही हैं और हम पर गंभीर आक्षेप किये हैं । जिसलिअे अुनके वारेमें सफाअी देना मेरे लिअे जरूरी हो गया है ।

“डॉ० खरे कहते हैं कि मध्यप्रान्तके मुख्यमंत्रीका पद अुन पर जबरदस्ती लादा गया था । यह बात विलकुल गलत है । वे शुरूसे ही मध्यप्रान्तकी धारासभाके कांग्रेसदलके नेता बननेको अुत्सुक थे । दलके नेताके चुनावके लिअे बुलाअी गअी सभाका अध्यक्ष बनकर अुन्हें मदद देनेके लिअे अुन्होंने पहले मुझसे और बादमें पंडित जवाहरलालजीसे अनुरोध किया था । महाकोशल प्रान्तीय समितिके अध्यक्षने हमें परिस्थितिके सम्बन्धमें चेता दिया था, जिसलिअे हम दोनोंने अध्यक्ष बननेसे अिनकार कर दिया । अुस समय श्री रविशंकर शुक्ल और पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्रमें खटपट चल रही थी । अुससे लाभ अुठाकर अुन्होंने पंडित मिश्रको अपने पक्षमें कर लिया । डॉ० खरेकी मुख्यमंत्रीके पदसे चिपटे रहनेकी अुत्सुकता न होती तो अुन्हें अैसे कअी अवसर मिले थे जब अुनकी जगह कोअी और होता तो अुस पदसे त्यागपत्र दे देता ।

“शरीफ साहबके काण्डमें गांधीजीको और मुझे वचन देकर भी अुन्होंने शरीफ साहबके लिअे दलका विश्वास होनेका मत प्राप्त किया और कांग्रेस कार्यसमितिके सामने वह चीज सिद्ध रूपमें रखी । वे कार्यसमितिको यह धमकी देनेकी हद तक भी गये थे कि यदि शरीफ साहबके मामलेमें आप दलके निर्णयके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाअी करेंगे तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा । परन्तु कार्यसमितिने डॉ० खरे और अुनके दलकी यह बात मंजूर नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप शरीफ साहबको त्यागपत्र देना पड़ा । आज डॉ० खरे पर मंत्रिमंडलकी संयुक्त जिम्मेदारीका पागलपन सवार हुआ है । लेकिन जिस समय शरीफ साहबने त्यागपत्र दिया अुस समय वे मुख्यमंत्रीके पद पर क्यों बने रहे ? अुसके बाद अुनकी

अकुशलताके मुद्दे पर जब अुनके तीन साथियोंने त्यागपत्र दिया, तब डॉ० खरेको त्यागपत्र देनेका दूसरा मौका मिला था। बादमें पचमढ़ीमें अेकत्र होनेके बाद पार्लमेण्टरी कमेटीने अेक वक्तव्य निकाला, जिसमें अुन पर शासनकी अकुशलता तथा सगे-सम्बन्धियोंका पक्षपात करनेका आरोप लगाया गया था। अुस समय तीसरी बार मौका मिलने पर भी वे त्यागपत्र दे सकते थे। परन्तु अुन्होंने तो यह बात पक्की कर लेनेके बाद ही २० जुलाअीको त्यागपत्र दिया कि अुन्हें नया मंत्रिमंडल बनानेका निमंत्रण दिया जायगा। मेरे साथ अुनका काफी पत्र-व्यवहार होता था। अुसमें अुन्होंने कभी जिस बातका अिशारा तक नहीं किया कि वे मुख्यमंत्रीका पद छोड़ देना चाहते हैं। अब यह पद गंवा देनेके बाद कहने चले हैं कि यह पद तो अुन पर जवरन् लादा गया था।

“डॉ० खरे यह दलील देते हैं कि पहले जब मंत्रिमंडल बनाया गया, तब पार्लमेण्टरी कमेटीसे पूछेताछे बिना अुन्होंने अपने साथी चुन लिये थे। यह बात भी विलकुल गलत है। मार्च १९३७ में कांग्रेस कार्यसमितितने पार्लमेण्टरी कमेटी अिसीलिअे बनाअी थी कि :

‘वह तमाम प्रान्तोंकी धारासभाओंके कांग्रेसदलोंके साथ सतत और पूरे संपर्कमें रहे, अुनके तमाम कामकाजके बारेमें अुन्हें सलाह दे और कोअी अैसा जरूरी प्रसंग पैदा हो जाय तो अुसके लिअे आवश्यक कार्रवाअी करे।’

“जुलाअी १९३७ में डॉ० खरेके और मेरे बीच हुअे पत्रव्यवहारसे साबित होता है कि डॉ० खरेके तमाम हिन्दू साथी पहलेसे मेरी मंजूरी लेकर चुने गये थे। मुसलमान मंत्रोंके लिअे अुन्होंने मौलाना अबुल-कलाम आजादसे अनुमति ली थी। अुस समय शरीफ साहबके प्रसंगमें और पचमढ़ीकी सभामें जहरत पड़ने पर नये मंत्री नियुक्त करनेका अधिकार कार्यसमितितने पार्लमेण्टरी कमेटीको दिया था। अुस समय मंत्रियोंको नियुक्त करने या हटानेके कार्यसमिति या पार्लमेण्टरी कमेटीके अधिकारसे डॉ० खरेने अिनकार नहीं किया था। वर्षामें पिछले मास हुअी कार्यसमितिकी बैठकके बाद थोड़े ही दिनोंमें डॉ० खरेने मुझसे अनुरोध किया था कि अुनके और दूसरे मंत्रियोंके बीच विभागोंका बंटवारा में फिरसे करवा दूं।

“डॉ० खरेने यह कहा है कि पचमढ़ी समझौता भी अुन पर जवरन् लादा गया था। यह बात भी विलकुल गलत है। धारासभाके

कांग्रेस दलकी २५ मजीको पचमढीमें हुआ सभामें डॉ० खरे और अुनके साथियोंने अेक लिखित वक्तव्य निकाला था। अुसमें अुन्होंने कहा था :

‘हमें यह बताते हुअे आनंद होता है कि हमारे मतभेदोंका निवटारा हम आपसमें कर सके हैं और पूरी सहयोगवृत्तिसे मिलजुल कर काम करनेको सहमत हो गये हैं। विश्वास है कि हमें अपने काममें आपका पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा।’

“अुपरोक्त समझौता स्वीकार करके पार्लमेण्टरी कमेटीने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया था। अुसमें अुसने बताया था :

‘हमें यह घोषणा करते खुशी होती है कि मतभेद मिट गये हैं और मंत्रियोंने हमें विश्वास दिलाया है कि वे अपने मतभेद भूलकर अेक-दूसरेके साथ सहयोगसे अेक टीमकी तरह काम करेंगे।’

“पहली जूनको मुझे लिखे हुअे पत्रमें डॉ० खरे कहते हैं :

‘आपने अखबारोंमें जो वक्तव्य दिया है वह मैंने देख लिया। अुसके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है। जो समझौता हुआ है, अुसका न्यायपूर्ण और निष्पक्ष सार अुसमें आ जाता है।’

“आम तौर पर सारे प्रान्तके लिअे और खास तौर पर मंत्रिमंडलके लिअे मैंने जो कुछ किया था, अुसके वारेमें अुन्होंने अिस पत्रके अन्तिम भागमें मेरा आभार माना है।

“अुनके ये सब कथन देखते हुअे यह कहना कि पचमढीका समझौता कांग्रेस अुच्च अधिकारियोंने अुन पर जवरन् लादा, असाधारण साहसका अेक नमूना है।

“डॉ० खरे यह आक्षेप करते हैं कि मुख्यमंत्रीके पदसे अुन्हें हटानेके लिअे अेक व्यवस्थित षड्यंत्र रचा गया था। आश्चर्यकी बात यह है कि मेरे नामके पत्रोंमें डॉ० खरेने अैसी शिकायत कभी नहीं की। और पचमढीके समझौतेका अमल करनेके लिअे अुन्होंने जो जो कार्रवाजियां की थीं, अुनकी रिपोर्ट १५ जुलाजीको अुन्होंने मुझे भेजी अुसमें भी अिस वस्तुका कोअी अुल्लेख नहीं है। पचमढी समझौतेके आधार पर ही डॉ० खरे मुख्यमंत्री वने रहे थे। अुसमें किसी भी तरहका फेरवदल करनेकी पार्लमेण्टरी कमेटीकी तथा डॉ० खरेके साथियोंकी अिच्छा नहीं थी।

“ १५ जुलाजीको मुझे भेजी हुआ रिपोर्टमें डॉ० खरे खुद ही कहते हैं :

‘मौजूदा हालतोंमें विभागोंका बंटवारा करनेका काम आपको सौंपनेके सिवा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आम तौर पर मंत्रिमंडलका और विशेष तौर पर मुख्यमंत्रीका काम सरल रूपमें चलनेके वारेमें मेरे कुछ निश्चित विचार हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप निर्णय करनेसे पहले मुझे ये विचार आपके सामने रखनेका मौका दें।’

“डॉ० खरेके मनकी वर्तमान स्थितिको देखकर मुझे अनुके प्रति बड़ी सहानुभूति हो रही है। परंतु मैं चाहता हूं कि तथ्योंको उपस्थित करनेके वारेमें वे अधिक सावधानी रखें।”

अखबारोंमें तो इस विषय पर रोज चर्चा होती ही रहती थी। महाराष्ट्रके सभी पुराने नेताओंकी सहानुभूति डॉ० खरेके लिये अमड़ पड़ी थी। डॉ० आम्बेडकर, डॉ० मुंजे, श्री नरीमान वगैराको कांग्रेस पर हमले करनेका बढ़िया मौका मिल गया था। अंग्लो-अिडियन पत्रोंने वैधानिक प्रश्न बुठाकर जैसे आक्षेप करना शुरू कर दिये थे कि कांग्रेस कार्यसमिति संविधानके विरुद्ध काम कर रही है। अनु आक्षेपोंका सार इस प्रकार है :

१. मुख्यमंत्री द्वारासभाके अपने दलके ही प्रति जिम्मेदार है। उसके काममें कांग्रेसकी पार्लमेण्टरी कमेटी या कार्यसमितिका दखल देना संविधानके विरुद्ध है।

२. मुख्यमंत्रीको अपने साथी चुननेका पूरा अधिकार है।

३. कांग्रेस कार्यसमितिके डॉ० खरेको दुवारा नेता न चुनने देकर संविधानके विरुद्ध काम किया है।

४. गवर्नरने इस मामलेमें वैधानिक कार्रवाजी की है, फिर भी अनु पर कार्यसमितिके नाहक आक्षेप लगाये हैं !

५. जितना सब करके अन्तमें कार्यसमितिके जो मंत्री चुने हैं, वे अकुशल और स्वार्थी हैं।

६. कांग्रेस कार्यसमितिके इस कृत्यमें सरासर ‘फासिज्म’ है।

अिन आलोचनाओं परसे गांधीजीने ‘हरिजन’ में कार्यसमितिके कर्तव्यके वारेमें अेक लेख लिखा था। उसमें से कुछ बुद्धरण यहां दिये जाते हैं। अपूरकी पहली तीन आलोचनाओं संविधान-संबंधी हैं। अनुका खंडन नीचेके पैरेमें हो जाता है :

“आंतरिक विकास और प्रबंधके लिये कांग्रेस संसारकी किसी भी संस्थाके बराबर ही लोकतांत्रिक संस्था है। परंतु यह लोकतांत्रिक संस्था जगतमें आजकी सबसे बड़ी साम्राज्यवादी सत्ताके साथ लड़नेके लिये स्थापित की गयी है। इसलिये इस बाह्य कामके लिये उसकी तुलना सेनाके साथ ही करनी होगी। सेनाके रूपमें वह लोकतांत्रिक संस्था नहीं रह जाती। उसने अपनी कार्यसमितिको पूरा अधिकार दे रखा है। कार्यसमिति अपनी मातहत विविध संस्थाओं पर अपना अनुशासन कायम रख सकती है और उसका पालन करवा सकती है। कांग्रेसकी प्रांतीय समितियां और प्रांतीय धारासभाओंके कांग्रेसदल इस कार्यसमितिके अधीन हैं। कांग्रेसने गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया ऐक्टकी रूसे अधिकार ग्रहण तो किया है, परंतु उस कानूनके बनानेवालोंकी धारणाके अनुसार उसका अमल करनेके लिये उसने अधिकार ग्रहण नहीं किया है। उस कानूनके बजाय हिन्दुस्तानके लोगों द्वारा तैयार किये जानेवाले सच्चे संविधानका कानून स्थापित होनेका दिन नजदीक लानेकी दृष्टिसे उस कानूनका अमल करनेके लिये कांग्रेसने अधिकार हाथमें लिया है। इसलिये ओहदे स्वीकार कर लेने पर भी हमारी स्वराज्यकी लड़ाई जारी ही है। और लड़ाई जारी रखनेवाली संस्थाके रूपमें कांग्रेसको अपनी कार्यसमितिके हाथमें सारी सत्ता केन्द्रित करनी ही चाहिये। कांग्रेसको अपने अधीन प्रत्येक विभागका पयप्रदर्शन करना है। कांग्रेसको हर कांग्रेसीसे, भले ही वह कितनी ही अंची जगह पर हो, अपने आदेशोंका अचूक पालन कराना ही चाहिये। लड़ाई और किसी ढंगसे चलायी ही नहीं जा सकती।”

मार्च १९३७ में जब कांग्रेसदलके सारे धारासभा-सदस्योंने कांग्रेसके प्रति वफादार रहकर कांग्रेसके आदेशानुसार धारासभामें काम करनेकी प्रतिज्ञा ली थी, तब उपरोक्त सिद्धान्त अन्होंने स्वीकार कर लिया था। तदनुसार गांधीजीने लिखा :

“डॉक्टर खरे यदि अपने झक्की और कहना न माननेवाले साथियोंसे अुकता गये थे तो अन्हें गवर्नरके पास नहीं, परंतु कार्यसमितिके पास जाकर अपना त्यागपत्र देना चाहिये था। उस समितिके निर्णयसे संतोष न होने पर वे महासमितिके पास जा सकते थे। परंतु किसी कांग्रेसी मंत्रीको किसी भी हालतमें आपसके झगड़े गवर्नरके पास ले जाने और कार्यसमितिके पहले अनुमति लिये बिना गवर्नर द्वारा राहत हासिल करनेकी आजादी नहीं है। डॉ० खरेने इस सादे खिलाजकी

अपेक्षा की। और जिससे भी खराब बात तो यह की कि जिस अिलाजका अन्होंने अज्ञान प्रगट किया और कार्यसमिति दो ही दिन वाद मिलनेवाली थी, फिर भी अपनी कठिनायियां दूर करानेके लिये वे गवर्नरके पास दीड़ गये। जिसमें अन्होंने गंभीर भूल की है।”

कार्यसमितिके निर्णयकी यथार्थताके बारेमें गांधीजीने लिखा :

“डॉ० खरेने पार्लमेण्टरी कमेटीकी हिदायतोंकी परवाह न करके भयंकर अनुशासनभंगका अपराध तो किया ही, साथ ही गवर्नरके हाथों अपनेको वेवकूफ बनने दिया और जिस बातकी सावधानी भी नहीं रखी कि अपनी जल्दवाजीकी कार्रवाजीसे वे कांग्रेसको नीचा दिखा रहे हैं। जिसलिये अन्होंने नेतृत्वकी अपनी अयोग्यता साबित कर दी है। अपना दोष सच्चे हृदयसे स्वीकार करने और नेतापदसे हट जानेकी जो सलाह कार्यसमितिने अन्हें दी, उसे न मानकर अन्होंने अनुशासनभंगकी मात्रामें वृद्धि की है। डॉ० खरेके जिस कार्यकी कार्यसमिति निन्दा न करती और अन्हें अयोग्य न ठहराती, तो समिति अपने कर्तव्यसे च्युत होती।”

डॉ० खरेके अनुगामियोंके बारेमें गांधीजीने कहा :

“असा कहा जाता है कि डॉ० खरेके स्थान पर जो आदमी अब आये हैं वे स्वार्थी हैं, वे कुशल नहीं हैं और चरित्रमें डॉ० खरेकी विलकुल बराबरी नहीं कर सकते। आलोचकोंने अन्हें जैसा चित्रित किया है वैसे ही अगर वे होंगे तो जो भारी जिम्मेदारी अन्होंने उठायी है उसे पूरा करनेमें वे जरूर असफल साबित होंगे। परंतु कार्यसमिति अपनी मर्यादामें रहकर जितना हो सकता है अतना ही कर सकती है। वह प्रान्तके चुने हुअे सदस्योंमें से ही मंत्रियोंका चुनाव कर सकती है। अन्हें चुननेका अधिकार तो दलके सदस्योंका है। यदि वे अन्हें चुन लें तो जब तक ये अनुशासनमें रहें और यह न मालूम हो जाय कि ये जनताके विश्वासके अयोग्य हैं तब तक कार्यसमिति हस्तक्षेप नहीं कर सकती।”

गवर्नरने जिस मामलेमें जो भाग लिया उसके विषयमें गांधीजीने लिखा :

“मध्यप्रान्तके गवर्नरके संबंधमें कार्यसमितिने जो राय प्रगट की है, उसकी कितने ही पत्रोंने निन्दा की है। विरोधियोंके बारेमें जल्दवाजी करके कोजी राय बनानेकी मेरी आदत नहीं है। परंतु जिस प्रस्तावकी जो आलोचना हुयी है वसा कोजी अन्याय अुस प्रस्तावके द्वारा गवर्नरके साथ

हुआ है, यह बात मेरे गले नहीं उतर सकी है। अन्होंने डॉ० खरे और अुनके दो साथियोंके त्यागपत्र स्वीकार कर लिये, अन्य तीन मंत्रियोंसे त्यागपत्र मांगे, अुनसे तुरंत जवाब तलव किया, अुनकी दी हुयी सफाओकी अेकदम ठुकरा दिया और अुन्हें पदच्युत कर दिया। और यह सब करनेके लिये वे लगभग रात भर जागते रहे। अपने सेक्रेटरी वगैराको और वेचारे मंत्रियोंको भी जगाया। अैसा करके गवर्नरने जिस जल्दवाजीका परिचय दिया, अुसके लिये मैं 'भद्दी' शब्दका ही अिस्तेमाल कर सकता हूं। डॉ० खरेका त्यागपत्र तत्काल ही मंजूर कर लेनेके वजाय वे दो ही दिन वाद होनेवाली कार्यसमितिकी बैठककी प्रतीक्षा कर लेते तो कोअी हानि नहीं हो जाती।

“वेशक, गवर्नरने कानूनके शब्दार्थके अनुसार काम किया है। परंतु ब्रिटिश सरकार और कांग्रेसके बीच जो गर्भित समझौता हुआ है, अुसकी आत्माका अुन्होंने अिस कृत्य द्वारा हनन किया है। जो कार्यसमितिके प्रस्तावकी आलोचना करते हैं, वे वाअिसरायकी सावधानीपूर्वक तैयार की गयी पिछले सालकी घोषणाको पढ़ जायं। अुससे और दूसरी घोषणाओंसे कार्यसमितिका पदग्रहणका प्रयोग कर देखनेका मन हुआ था। वाअिसरायकी अुस घोषणाको पढ़कर आलोचक अपने दिलसे पूछें कि कार्यसमिति, डॉ० खरे और अुनके साथियोंके बीच जो समझौतेकी बातें हो रही थीं, अुन्हें ध्यानमें रखनेके लिये गवर्नर वंधे हुआ थे या नहीं। ये निर्विवाद तथ्य जान लेनेके वाद अिस विचार पर पहुंचे बिना रहा ही नहीं जा सकता कि गवर्नरने कांग्रेसको वदनाम करनेकी आतुरतामें सारी रात जागरण किया और कांग्रेसको कठिनाओमें डालनेकी परिस्थिति पैदा की। युक्तप्रांत, बिहार और अुड़ीसाके गवर्नरोंने अुनके सामने विषम प्रसंग आ पड़ने पर कांग्रेसके पथप्रदर्शनकी प्रतीक्षा की थी। वेशक, अिन तीनों असवरों पर अैसा करनेमें अुनका स्पष्ट स्वार्थ था। तब क्या यह कहना चाहिये कि मध्यप्रान्तमें कांग्रेसको परेशान करनेके लिये विषम स्थिति पैदा करनेमें ब्रिटिश हुकूमतका स्पष्ट स्वार्थ था ?”

अव आखिरी आलोचना 'फासिज्म' की लें। अुसके संबंधमें गांधीजीने लिखा :

“कुछ लोग कहते हैं कि यह तो सरासर 'फासिज्म' है। परंतु अुन्हें पता नहीं कि फासिज्ममें तो नंगी तलवारकी हुकूमत होती है।

अस हकूमतमें डॉ० खरे जैसोंको अपना सिर कटवाना पड़ता । कांग्रेस और फासिज्मके बीच जमीन-आसमानका फर्क है । क्योंकि कांग्रेसकी बुनियाद निर्मल अहिंसा पर है । असके पास अपनी आज्ञाओं पालन करानेकी केवल नैतिक सत्ता है ।”

डॉ० खरेने ‘मेरी सफाबी’ नामक अंक पुस्तिका प्रकाशित करके घटनाओंको अैसे विकृत रूपमें पेश किया और कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्योंको अस तरह छिपाया कि पाठकोंको यह आभास हो कि कांग्रेस कार्यसमिति और खास तौर पर सरदार और गांधीजीने अुनके साथ भारी अन्याय किया है । असमें प्रचारकी दृष्टिसे अुन्होंने कुछ बातें अैसी लिखी थीं जो “वहुत ही आपत्तिजनक और गंदी थीं ।” किसी भी भारतीयके हृदयमें अुन्हें पढ़कर जुगुप्साके भाव पैदा हो सकते थे । कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष-वावूने बहुत ही लंबा वक्तव्य प्रकाशित करके डॉ० खरेकी अंक अंक बातका अकाट्य खंडन किया । अुन्होंने साबित कर दिया कि :

“डॉ० खरेने गंभीर अनुशासनभंग किया था । अुनके विरुद्ध जो कार्रवायी की गयी वह अुनके अपराधकी तुलनामें बहुत नरम थी और वह कार्रवायी करनेमें कांग्रेसने पूरी तरह वैधानिक पद्धति और लोकतंत्रके सिद्धान्तोंके अनुसार काम किया था । डॉ० खरेने पार्लमेण्टरी और लोकतांत्रिक परंपराओंकी बात कही है । परंतु कांग्रेस और असकी कार्यसमितिके प्रति जो वफादारी दिखानेके लिये वे बंधे हुअे थे वह अुन्होंने नहीं दिखायी । कांग्रेसके धारासभा-सदस्य, मंत्री या मुख्य-मंत्री बन जाने पर तो कांग्रेसीके नाते अुनकी जिम्मेदारी अुलटी बढ़ गयी थी । वे अपने व्यवहार और कामोंके लिये कांग्रेस और असकी कार्यसमितिके प्रति रही अपनी जिम्मेदारीसे छूट नहीं सकते थे । हमारे सारे पार्लमेण्टरी कामकी जड़में नियामक तत्त्व यह रहा है कि धारासभाका प्रत्येक कांग्रेसी प्रतिनिधि यह प्रतिज्ञा लेता है कि कांग्रेस कार्यसमिति तथा असके अधिकृत अंजटकी हैसियतसे पार्लमेण्टरी कमेटी समय समय पर जो आदेश दे असका वह पालन करेगा । कांग्रेसकी अस मुख्य नीतिके अधीन रहकर धारासभा दलका नेता काम करेगा और दलका अुसे जब तक पूरा समर्थन रहेगा तब तक असके रोजमरके काममें कांग्रेसकी कार्यसमिति अथवा पार्लमेण्टरी कमेटी कोअी हस्तक्षेप नहीं करेगी । परंतु मंत्रिमंडल या धारासभाके सदस्यका कोअी कार्य कांग्रेसकी नीतिके साथ सुसंगत है या नहीं और कांग्रेसकी नीतिके अनुसार करने लायक है या नहीं, असका निर्णय करनेका अधिकार तो कांग्रेस कार्य-

समितिको ही है। व्यवहारमें कांग्रेस कार्यसमिति प्रान्तीय धारासभा दलको अके प्रकारकी मर्यादित स्वतंत्रता दे दे, यह अलग बात है। इसीलिअे कांग्रेसकी कार्यसमितिने डॉ० खरेके आचरणके बारेमें केवल अपनी राय प्रगट कर दी और मध्यप्रान्तके धारासभा दलको अपना नेता चुन लेनेकी स्वतंत्रता दे दी। जब डॉ० खरेको दुवारा नेता चुननेका प्रस्ताव धारासभा दलकी बैठकमें आया, तब कांग्रेसके अध्यक्षने अुसे नियम विरुद्ध बताकर रद्द नहीं कर दिया।”

कार्यसमितिने डॉ० खरेको पहली वार मिलनेके लिअे बुलाया और वादमें वे गांधीजीसे सलाह लेनेके लिअे सेवाग्राम गये, तब अुनकी ओरसे निकाले जानेवाले वक्तव्यके मसौदेकी और अुसमें गांधीजी द्वारा किये हुअे संशोधन-परिवर्तनकी बातका अुल्लेख पहले हो चुका है। अिस संबंधमें डॉ० खरेने पहले ही कहा था और अिस पुस्तिकामें भी बताया कि अुस वक्तव्यका मसौदा मैंने खुद नहीं लिखा था, परंतु गांधीजीने मुझसे लिखवाया था। अुन्होंने अपनी सफाअीमें यह भी लिखा था कि कांग्रेसके अध्यक्ष अुन्हें जवरन् गांधीजीके पास ले गये थे। अिसका जवाव गांधीजीने अेक वक्तव्य प्रकाशित करके यों दिया :

“डॉ० खरेकी दी हुअी सफाअी मैंने पढ़ी है। अुसके जितने भागके साथ मेरा संबंध है अुतनेका ही जवाव देनेका जनताके प्रति मेरा कर्तव्य है। दुःखके साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि डॉक्टर खरेकी कही हुअी बात गलत है।

“वे स्वेच्छासे सेवाग्राम आये थे। वे मित्रके नाते आये थे। वे आये तब अुन्होंने कोअी विरोध प्रगट नहीं किया था। जब मैंने अुनसे यह कहा कि अुनका वरताव ठीक नहीं था, तब यह बात पूरी तरह बहस किये बिना अुनके गले नहीं अुतरी थी। जब मेरी दलील ठीक होनेकी बात अुनकी समझमें आ गअी, तब अुन्होंने अपना सारा मामला मेरे हाथमें सौंप दिया। मैंने अुनसे कहा कि ‘यह आप खुद स्वीकार करते हैं कि आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अिसलिअे आपकी अिच्छा अपने मित्रोंसे सलाह लेनेकी हो तो जरूर ले लीजिये। अैसी कोअी जल्दी नहीं कि अिसी क्षण कुछ करना चाहिये।’ अुन्होंने अुत्तर दिया, ‘मैं स्वयं ही निर्णय करनेमें समर्थ हूं। दूसरे मित्रोंसे सलाह लेनेकी कोअी जरूरत नहीं।’ फिर मैंने कहा, ‘आपने जो बातें स्वीकार की हैं अुन्हें आप स्वयं ही लिख डालें तो अच्छा हो।’ अुन्होंने कहा,

‘मैं लेखक नहीं हूँ। जिसलिजे आप ही मेरे वक्तव्यका मसौदा लिख दीजिये।’ मैंने कहा, ‘परंतु मुझे आपकी भाषा तो चाहिये ही। मुझे यदि अँसा लगा कि आपने जो स्वीकार किया है वह अुसमें पूरी तरह नहीं आता तो मैं अुसमें संशोधन-परिवर्धन कर दूँगा।’

“कुछ आनाकानीके बाद अुन्होंने कलम और कागज लिया और मसौदा लिख डाला। फिर मैंने अुसे पढ़कर देखा और अुसमें सुधार और वृद्धि की। अुन्होंने अुझे दो तीन बार पढ़ा और कहा, ‘विश्वासघातकी बात तो मैं कभी मंजूर नहीं कर सकता। कुछ भी हो, अभी तो मैं कोअी वक्तव्य नहीं दूँगा। परंतु आपकी सलाह मानकर अपने मित्रोंसे परामर्श कइँगा।’ अपना जवाब भंजनेके लिजे अुन्हें दूसरे दिन दोपहरको तीन बजे तकका समय दिया गया था। जब यह लिख रहा हूँ तब सुभाषवाबू, मौलाना साहब और सरदार पटेल यहीं बैठे हैं। अुनसे मैंने पूछ देखा है और वे कहते हैं कि अुस दिनकी घटनाओंका वर्णन मैंने विलकुल ठीक किया है।”

अखबारोंमें छपे अिन स्पष्टीकरणोंके बाद डॉ० खरेने अपना विपैला प्रचार और भी तेज कर दिया। मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र और बम्बयीके कुछ अखबारोंने अुन्हें खूब मदद दी। अिसमें कुछ बातें तो केवल गढ़ ली गयी थीं और कांग्रेसके विरुद्ध लोगोंको भड़कानेवाली थीं। अुनमें सरदारके खिलाफ कीचड़ अुछालनेमें कोअी कसर नहीं रखी गयी थी। अिसलिजे अंतमें दिल्लीमें हुअी महासमितिकी बैठकमें डॉ० खरेके खिलाफ अनुशासन-भंगकी कार्रवाअी करनेका निश्चय हुआ और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :

“मध्यप्रान्तके मंत्रिमंडलके सिलसिलेमें पैदा हुअी विपम स्थितिसे निवटनेके लिजे कार्यसमितिते जो सरल और निश्चित कार्रवाअी की है अुसका महासमिति समर्थन करती है। अिस दुःखद कांडमें डॉ० खरे और मध्यप्रान्तके गवर्नरके आचरणके विषयमें कार्यसमितिते जो विचार प्रगट किये हैं, अुन्हें महासमिति पूरी तरह स्वीकार करती है।

“अिसके सिवा महासमितिकी यह स्पष्ट राय है कि डॉ० खरेने मध्यप्रान्तके मंत्रिमंडलसे त्यागपत्र दिया अुसके बादका अुनका आचरण घोर निन्दाका पात्र है। अिसलिजे डॉ० खरेके विरुद्ध अनुशासनभंगकी आवश्यक कार्रवाअी करनेका यह महासमिति कार्यसमितिको आदेश देती है।”

अस प्रकार डॉ० खरेके काण्डका खेदजनक अन्त हुआ । कांग्रेससे निकल जानेके बाद डॉ० खरे हिन्दू महासभामें शामिल हो गये और सन् १९४३ में जब वाअिसरायने अपनी कार्यकारिणी कौंसिलके सदस्योंमें वृद्धि की तब — जब कि कांग्रेस सरकारके साथ जीवन-मृत्युका संग्राम कर रही थी — डॉ० खरे वाअिसरायकी कौंसिलके सदस्य बने । परंतु मनुष्य जब अक वार पथभ्रष्ट हो जाता है, तब फिर 'कहां पहुंच जाता है, असका कोअी ठिकाना नहीं रहता । असा ही हाल डॉ० खरेका हुआ ।

कांग्रेसने धारासभाओंके चुनवोंमें भाग लेनेका निश्चय किया, तब जो घोषणापत्र प्रकाशित किया गया था अुसमें कहा गया था कि धारासभाओंमें कांग्रेसका बहुमत हो जायगा और कांग्रेस सत्तारूढ़ होगी तो अुसके करनेके कामोंमें अेक मुख्य काम यह होगा कि आजादीकी पिछली लड़ाअियोंमें जिन लोगोंकी जमीन-जायदाद छीन ली गअी थी वह अुन्हें वापस दिला दी जायगी । यह सवाल वंवअी प्रान्तमें और अुसमें भी मुख्यतः गुजरातमें था । जब लड़ाअी हो रही थी तब गांधीजी और सरदारने लड़ाअीमें भाग लेनेवाले किसानोंको यह वचन दिया था कि भले सरकार अभी जमीन-जायदाद जब्त कर ले और अुन्हें नीलाम करके दूसरोंको बेच दे, परंतु जब तक ये चीजें अुन्हें लौटा नहीं दी जायेंगी तब तक लड़ाअी जारी रहेगी । जब यह जायदाद नीलाममें पानीके मोल बेची जा रही थी, तब सरदारने खास तौर पर कहा था कि यह जमीन-जायदाद तो कच्चा पारा है; यह लेनेवालोंको हजम नहीं होगी, पारेकी तरह फूट निकलेगी । कांग्रेसके दिधे हुअे अिन वचनोंका पद-ग्रहणके साथ ही पालन करना था । असलिअे वंवअी धारासभाने अेक प्रस्ताव पास किया कि अस प्रकार नीलाम हुअी जायदादें खरीदनेवालोंसे सरकारी रुपये पर वापस लेकर मूल मालिकोंको वापस दे दी जायें । परंतु जब वे नीलाम की गअी थीं तब नीलाम करनेवाले अफसरोंने खरीदारोंको विश्वास दिलाया था कि ये जमीनें 'यावच्चन्द्रदिवाकरी' अुनके अधिकारमें रहेंगी । किसी भी हालतमें अुनसे वापस नहीं ली जायेंगी । अितने पर भी लड़ाअीके दिनोंमें कांग्रेसके प्रति लोगोंकी अितनी सहानुभूति थी कि कोअी खरीदार नहीं मिलता था । नियम यह होता है कि अस प्रकार नीलाम होता हो तब कोअी सरकारी नौकर या अफसर नीलाममें जायदाद नहीं खरीद सकता । लेकिन अिन नीलामोंके समय अस नियमको ताकमें रखकर सरकारी नौकरोंको जायदाद खरीदनेकी छूट दे दी गअी थी । ये नीलाम कहे तो जाते थे सार्वजनिक, परंतु वास्तवमें वे मजाक ही होते थे । सरकारी नौकर और अुनसे मेल रखनेवाले दूसरे लोग आपसमें ही जायदादें ले लेते थे । धारासभामें जायदादें लौटा

देनेका प्रस्ताव तो पास हो गया, परंतु गुजरातके अत्तर विभागके तत्कालीन कमिश्नर मि० गैरेट, जिन्होंने लड़ाईके दिनोंमें नीलाम करवाये थे और स्वयं ही ग्राहकोंको अपरोक्ष वचन नहीं दिया था वल्कि गवर्नरसे भी दिला दिया था, जिस समय भी कमिश्नर थे । जिसलिये ये जायदादें अुनके मारफत मालिकोंको लौटानेका काम करना था । परन्तु अुन्होंने गाड़ीको पटरी पर चढ़ने ही नहीं दिया । अुदाहरणार्थ, सरदार गाडा नामक अेक व्यक्तिने वारडोली और जलालपुर तालुकोंकी ४०० अेकड़ जमीन केवल पांच हजार रुपयोंमें खरीदी थी । अुसने जिस जमीनके साढ़े तीन लाख रुपये मांगे । सरदार गाडाके कयनानुसार मि० गैरेटने अुसे अढ़ाअी लाख रुपया देनेको कहा था, परंतु कांग्रेस सरकारने यह रकम मंजूर नहीं की और कहा कि अधिकसे अधिक वारह हजार रुपये दिये जा सकते हैं । जिस प्रकार मि० गैरेट सौदा होने देनेमें अडंगे डालते थे । फिर भी खेड़ा जिलेमें थोड़ीसी जमीन मि० गैरेटकी अुत्तेजनाके वावजूद खरीदनेवालोंने अपनी दी हुअी कीमत पर किसानोंको लौटा दी । परंतु अधिकांश जमीन वाकी रह गयी । जिसलिये अेक वर्ष प्रतीक्षा करनेके बाद अक्तूबर १९३८में सरकारने ये जायदादें वापस ले लेनेका कानून पास कर दिया । अुसमें यह तय किया गया कि हाअीकोर्टके जजकी श्रेणीके अफसरको पंच बनाकर अुसके द्वारा जायदादकी कीमत ठहराअी जाय और वह कीमत सरकार खरीदारको देकर जायदाद अुसके अमली मालिकको वापस सौंप दे । जायदादकी कीमत तय करनेका ढंग भी कानूनमें निश्चित कर दिया गया । यह तय किया गया कि खरीदनेवालेने जो कीमत चुकाअी हो, जो लगान जमा कराया हो और जमीनको सुधारनेमें जो कुछ खर्च किया हो अुसमें चार फी सदी व्याज जोड़कर अुसे दे दिया जाय । अुस जमीनसे अुसने कोअी नफा कमाया हो या जमीनको नुकसान पहुंचाया हो तो वह निश्चित होनेवाली कीमतमें से काट लिया जाय । और जिस प्रकार हिसाब लगाकर जो आंकड़ा आये अुस पर लाभके रूपमें पंद्रह प्रतिशत वृद्धि देनेका पंचको अधिकार दिया गया था । जिस प्रकार देखें तो खरीदारको काफी मुनाफा मिल जाता था । फिर भी जिस कानून पर कांग्रेस विरोधी अखवार काफी आलोचनाअें करने लगे । अेक आलोचना यह थी कि ये जायदादें सरकारी रुपयसे वापस लेकर कर-दाताओं पर क्यों अुसका बोझ डाला जाना चाहिये ? कांग्रेसने किसानोंको वचन दिये थे तो कांग्रेस किसानोंको अपने कोषमें से रुपया देकर जमीन वापस दिलाये । दूसरी आलोचना यह थी कि खरीदारोंको कानूनकी सारी विधि सार्वजनिक रूपमें पूरी करके स्वामित्वका अधिकार दिया गया था । अुस समय अुन्हें कांग्रेससे सहानुभूति रखनेवाले लोगोंका रोप सहन

करना पड़ा था। और किसीके हाथों नुकसान सहनेकी जोखिम भी अन्हें उठानी पड़ी थी। जिसलिये कांग्रेस सरकारका कानून बनाकर जायदाद वापस ले लेना कानूनी मालिकोंसे जायदाद छीन लेनेके दरावर है। गांधीजीने ३० अक्टूबर, १९३८ के 'हरिजनबंधु' में 'जव्त जमीनें' शीर्षक लेख लिखकर अिन आलोचनाओंका खंडन किया था। अुस लेखमें अुन्होंने लिखा था :

“गवर्नमेण्ट ऑफ अिडिया अेक्टके अनुसार अैसा निर्दोष और राहत देनेवाला कानून बनानेका अधिकार प्रान्तीय सरकारोंकी न हो, तो यह कानून आलोचकोंने वर्णन किया है अुससे भी खराब माना जायगा। परंतु मैं मानता हूं कि प्रान्तीय सरकारोंको अैसा कानून बनानेका अधिकार है। बम्बयी धारासभामें पास हुआ कानून तो न्यायसे भी आगे जाता है। कथित मालिकोंने जितनी रकम जमीनोंमें लगायी है अुसके सिवा व्याज और मुनाफेकी रकम देनेकी व्यवस्था करनेवाली धाराके कारण यह कानून पूरा न्यायपूर्ण और अुदार बन जाता है। जमीनोंके वारेमें सावित किये जा सकनेवाले तथ्य ये हैं कि वे सरकारके साथ मिलकर खरीदी गयी थीं। ये जमीनें लोगों पर आतंक जमानेके लिये बेची गयी थीं। यह सरकारकी दमन नीतिका अेक भाग था। और कहीं कहीं तो जमीनें पानीके मोल बेच दी गयी थीं। अैसा आतंक जमानेवाली सरकारकी जगह जब अुसके शिकार बने हुए लोग सत्तारूढ़ हुए, तब वे यदि अिस प्रकार अनुचित रूपमें खरीदी गयी जमीनें जव्त कर लेनेके बजाय खरीदनेवालोंको मुआवजा देते हैं, तो यह अुनकी अुदारता ही मानी जानी चाहिये। लोगोंको जानना चाहिये कि ये जमीनें पहले सरकारने जव्त कीं और जब अुनके जव्त हो जाने पर भी किसान नहीं अुके, तो अुन जमीनोंको बेच देनेका अनुचित साधन काममें लाया गया। परंतु कुछ जमीनें बेच देनेके वाद सरकारको ही अपने अन्यायका डर लगा। अिसलिये अुसने और जमीनें बेचना बन्द कर दिया। अुस दुःखद भूतकाल पर पर्दा डालना ही मैं ज्यादा पसन्द करता हूं। मैंने यह पर्दा थोड़ासा अुठायया है सो केवल पाठकोंको यह बतानेके लिये कि वंबयी सरकारने यह कानून बनाकर कोअी अन्याय नहीं किया है।”

अिस अध्यायके शुरूमें हम कह चुके हैं कि कुल छः प्रान्तोंमें कांग्रेसके मंत्रिमंडल बनाये गये थे। पंजाब और बंगालमें मुस्लिम लीगका निश्चित बहुमत

था, जिसलिये वहां लीगी मंत्रिमंडल बने। परंतु सीमाप्रान्त, सिन्ध और आसाम ये तीन प्रान्त ऐसे थे, जहां कोई भी एक संगठित दल बहुमतमें नहीं था। सीमाप्रान्तमें मुसलमानोंका बहुत बड़ा बहुमत था, परंतु उनमें सभी लीगी नहीं थे। जिसलिये वहां खान अब्दुलगफफारखांके भाई डॉ० खान-साहबने कुछ अन्य दलोंको अपने पक्षमें करके कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाया। परंतु उस प्रान्तकी स्थिति ऐसी विषम थी कि दूसरे कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंकी तरह वह बहुत काम नहीं कर सका।

आसाममें हिन्दुओं और मुसलमानोंके सिवा पहाड़ी जातियोंकी बड़ी संख्या है। जिसके सिवा वहांके चायके बगीचोंवाले अंग्रेजोंको धारासभामें विशेष स्थान दिये गये थे। पिछले चुनावमें गैरमुस्लिम बैठकोंमें कांग्रेसने अच्छी सफलता प्राप्त की थी। परंतु अकेली कांग्रेसका वहां बहुमत नहीं हो रहा था। दूसरे दलोंके सब सदस्य अिकट्टे हो जाते तो कांग्रेस अल्पमतमें रह जाती। जिसलिये वहां कांग्रेसने मंत्रिमंडल बनाना ठीक न समझा और गैरकांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। परंतु वह मंत्रिमंडल बहुत समय तक बहुमतको अपने पक्षमें नहीं रख सका। कांग्रेसदलकी ऐसी स्थिति थी कि अगर उसे थोड़ेसे गैरकांग्रेसियोंका साथ मिल जाता तो वह मंत्रिमंडल बना सकता था। जिसलिये वहांके कांग्रेसी नेताओंने पार्लमेण्टरी कमेटी और कांग्रेस अध्यक्षकी राय पूछी। पार्लमेण्टरी कमेटीके तीन सदस्योंमें से मौलाना आजादको उस प्रान्तकी देखरेखकी जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। उनकी राय यह थी कि जहां हमारा निश्चित बहुमत न हो वहां मंत्रिमंडल बनाना बुद्धिमानी नहीं होगी। परंतु कांग्रेसके अध्यक्ष सुभाषबाबूकी यह राय हुयी कि एक बार कांग्रेस पदग्रहण कर लेगी तो उसकी शक्ति बढ़ जायगी और जो लोग कांग्रेससे अलग रहे हैं वे भी उसके साथ आ जायेंगे। जिस प्रकार दोनों एकमत न हुये तो उन्होंने पार्लमेण्टरी कमेटीके दूसरे दो सदस्य सरदार और राजेन्द्रबाबूकी राय तारसे पुछवायी। राजेन्द्रबाबूने मंत्रिपद न लेनेकी राय दी। परंतु सरदारने मंत्रिपद लेनेके पक्षमें राय दी। जिसलिये अन्तमें आसाममें कांग्रेसका मंत्रिमंडल बना और वह सफल हुआ।

सिन्धमें धारासभाके कुल ६० सदस्योंमें से कांग्रेसदलके पहले केवल ८ और बादमें १० सदस्य थे। परंतु बाकी ५० ऐसे थे जो पलभरमें एक दलमें चले जाते तो पलभरमें दूसरे दलमें। पहले तो सर गुलामहुसैन हिदायतुल्लाने वहां मंत्रिमंडल बनाया। उन्हें राजनैतिक और शासन-संबंधी मामलोंका अच्छा अनुभव था। परंतु वहां अितनी खटपट और व्यक्तिगत ओर्षा-ट्रेप था कि उनका मंत्रिमंडल लंबे समय तक बहुमत बनाये न रख सका। मार्च

१९३८ में २४ विरुद्ध २२ मतोंसे अून पर अविश्वासका प्रस्ताव पास हुआ, इसलिये सर गुलामहुसैनने त्यागपत्र दे दिया। गवर्नरके निमंत्रण पर खान-बहादुर अलावखाने नया मंत्रिमंडल बनाया। वे कांग्रेसके प्रति अच्छा रख रखते थे। अुन्होंने कांग्रेसके सदस्योंसे कहा कि वे आम तौर पर कांग्रेसकी नीति और कार्यक्रमका अनुसरण करेंगे। कांग्रेसी सदस्योंने सरदारकी सलाहसे यह जवाब दिया कि "प्रत्येक अवसर पर जो ठीक लगे वही करनेकी हम अपनी स्वतंत्रता कायम रखना चाहते हैं। परंतु हमारी जैसे दंगसे खास विरोधमें रहनेकी अच्छा नहीं, जिससे आपके मंत्रिमंडलके कामकाजमें बाधा पड़े। आपके जो काम हमें अच्छे लगेगे अूनका हम समर्थन करेंगे।" अुस समय सिन्धमें बड़ा सवाल अून जमीनोंके लगानका था, जिन्हें सक्कर बांधकी योजनाके कारण नहरका पानी मिलता था। शुरूमें अच्छे किसानोंको अून जमीनोंकी ओर आकर्षित करनेके लिये लगानकी दरें कम रखी गयी थीं परंतु अलावखाने मंत्रिमंडलको लगा कि प्रान्तकी आय बढ़ानेके लिये अून दरोंमें क्रमशः वृद्धि करनी चाहिये। जमींदारोंका कहना यह था कि दरें बढ़ानी हों तो भी पूरी जांच करनेके बाद दरोंमें परिवर्तन करना चाहिये। सिन्धके कांग्रेसी सदस्योंने सरदार और मौलाना आजादको परिस्थिति देखकर सलाह देनेके लिये सिन्धमें बुलाया। सरदारने यह राय दी कि दरें बढ़ाना साल भर मुलतवी रखना चाहिये और इस बीच पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिये। यदि अलावखाने मंत्रिमंडल यह बात माननेको तैयार हो तो कांग्रेसी सदस्य अूनके मंत्रिमंडलका समर्थन करें। इस बातकी पूरी संभावना थी कि कांग्रेसका समर्थन निश्चित हो जाता तो अलावखाने मंत्रिमंडल स्थिर हो जाता। परंतु मौ० आजाद इस रायके थे कि किसी भी शर्त पर कांग्रेसी सदस्योंको हमेशाके लिये समर्थन करनेके लिये बांध नहीं जाना चाहिये। इसलिये कोअी समझौता नहीं हुआ। अलवत्ता, जब तक अलावखाने मुख्यमंत्री रहे, वे कांग्रेसकी नीतिके अनुकूल रहे।

इस प्रकार हम १९३८ के अन्त तक पहुंच जाते हैं। १९३९ की कांग्रेस त्रिपुरीमें होनेवाली थी। परंतु अुस बात पर जानेसे पहले सन् १९३८ में सरदारने देशीराज्योंमें बहुत काम किया था, अुसका वर्णन कर देना चाहिये। प्रान्तोंमें कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन गये और केन्द्रीय सरकारमें संघ-शासन (फेडरेशन) बनानेकी बातें चल रही थीं, इससे देशीराज्योंकी प्रजामें अेक प्रकारकी अुत्तेजना आ गयी थी। देशीराज्योंकी प्रजाकी यह मांग थी कि संघ-शासनमें देशीराज्योंका प्रतिनिधित्व अलग अलग रियासतोंके राजा नहीं कर सकने, परंतु अूनकी प्रजाको ही यह अधिकार होना चाहिये। इस कारण

लगभग प्रत्येक देशीराज्यमें राजाओंकी छत्रछायामें परंतु प्रजाके प्रति पूरी तरह जिम्मेदार हुकूमत कायम करनेके लिये लड़ायी खूब जोशके साथ छिड़ गयी थी। अके तरहसे देखा जाय तो अिन लड़ावियोंके कारण १९३८ का वर्ष देशीराज्योंके इतिहासमें अके नया युग-प्रवर्तक वर्ष माना जायगा।

२४

देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ावियां—१

१९३० से १९३४ तक जो आजादीकी लड़ायी चली, अुसमें देशी-राज्योंकी प्रजाने, खासकर अुसके युवक वर्गने, बहुत अच्छा भाग लिया था। जेलमें अुनको कथित ब्रिटिश भारतके नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा युवक वर्गके संसर्गमें आनेका काफी अवसर मिला। वे समाजवादी विचारके युवकोंके संपर्कमें भी काफी आये। जेलोंमें समाजवादी साहित्य और गांधी-साहित्य दोनोंका अुन्होंने खूब अव्ययन किया। अिन सब बातोंके परिणामस्वरूप अुन्हें देशीराज्योंमें प्रचलित राजाओंकी मनमानी, जो पहले भी खटकती तो थी ही, अब और भी ज्यादा खटकने लगी। वे अिसके सपने देखने लगे कि देशी रजवाड़ोंका शासन, जो मध्यकालीन सामन्तवादी ढंगका अवशेष था, किस तरह जल्दीसे जल्दी समाप्त कर दिया जाय।

कांग्रेसने पहलेसे ही गांधीजीकी सलाहसे देशीराज्योंके मामलोंमें हस्त-क्षेप न करनेकी नीति अपना रखी थी। गांधीजीका जन्म काठियावाड़के देशी-राज्यमें हुआ था और बचपन तथा विद्याभ्यासका कुछ समय भी वहीं व्यतीत हुआ था, अिसलिये काठियावाड़के राज्योंकी परिस्थितिसे वे अच्छी तरह परिचित थे। वे यह मानते थे कि जब तक देशीराज्योंकी प्रजामें अच्छी अेकता नहीं हो जाय और अुसमें अपने पैरों पर खड़े होनेकी शक्ति न आ जाय, तब तक वहां राजनैतिक आन्दोलन छेड़नेसे वहांकी प्रजा ज्यादा मुश्किलमें पड़ जायगी। देशीराज्योंमें अुनकी अपनी शक्ति तो कुछ नहीं है, वे जो कुछ जोर दिखानेका प्रदर्शन करते हैं अुसका सारा आधार ब्रिटिश संगीनों पर है। देशीराज्योंकी प्रजा अपने राजाओंके खिलाफ लड़ायी छेड़ेगी तो अुस प्रजाको कुचल डालनेमें ब्रिटिश सरकार पूरी तरह मदद देगी और जोर-जुल्म करनेकी बदनामीका सारा टीकरा देशी राजाओंके सिर पर फोड़ देगी। अिसके विपरीत ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध लड़ायी करके अुसकी सत्ताको हम तोड़ डालेंगे, तो आवार-रहित हो जानेसे

देशीराज्योंकी सत्ता अपने आप टूट जायगी। यह अूनकी विचारसरणी थी। अिसलिये १९२० की नागपुर काँग्रेसमें जब गांधीजीने काँग्रेसका संविधान तैयार किया तब देशीराज्योंकी हदमें काँग्रेस कमेटियां बनानेके वजाय यह व्यवस्था की गयी कि देशीराज्योंकी प्रजा पड़ोसके अंग्रेजी अिलकेकी काँग्रेस कमेटियोंमें भरती हो जाय। देशीराज्योंमें काँग्रेस कमेटियां स्थापित करना गांधीजीको हितकर नहीं लगता था, क्योंकि कोअी राज्य अपने यहां काँग्रेस कमेटी स्थापित न होने दे अथवा स्थापित हो जाने पर अुसका विरोध करे, तो काँग्रेसको अपनी प्रतिष्ठाके खातिर अुसका सामना करना पड़ता। और काँग्रेसको देशीराज्योंके साथ अैसे झगड़ोंमें फंसाना अुन्हें ठीक नहीं लगता था। परन्तु ब्रिटिश सरकारके अधीन रहनेवाला प्रदेश और रियासती प्रदेश अेक-दूसरेके साथ अितने गुंथे हुअे थे — और दोनों हदोंमें रहनेवाले लोग तो अेक ही थे — कि दोनोंके बीच फर्क करना बहुत मुश्किल था। राज्यतंत्र भले ही अलग हों, परन्तु लोगोंके बीच तो कोअी फर्क था ही नहीं। १९३४ के बाद देशीराज्योंकी प्रजामें बहुत जागृति आ गयी, तब वे लोग काँग्रेससे यह मांग करने लगे कि अब काँग्रेसको अपनी नीति बदलनी चाहिये और ब्रिटिश भारतकी तरह देशीराज्योंमें भी आजादीकी लड़ायी चलानी चाहिये। काँग्रेसको देशीराज्योंकी प्रजाकी यह मांग स्वीकार करना अपने बूतेसे बाहर लगता था, यद्यपि देशीराज्योंकी प्रजाको ययाशक्ति सहायता देनेके लिये वह हमेशा तैयार रहती थी। अिसके परिणामस्वरूप हरिपुरा काँग्रेसमें देशीराज्योंके प्रति काँग्रेसकी नीति सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास हुआ वह हम पहले देख चुके हैं।

अिसके सिवा सन् १९३५ का भारतीय शासन-विधान कानून ब्रिटिश पार्लियामेण्टने पास किया, अुसमें प्रान्तोंको बहुत बातोंमें आन्तरिक स्वराज्य दिया गया था, परन्तु केन्द्रीय शासन ब्रिटिश प्रान्तों और देशीराज्योंके संघके स्वरूपका बनाया जानेवाला था। अुस संविधानके अनुसार दिल्लीकी जो बड़ी धारासभा बननेवाली थी अुसमें दो भाग ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंके और अेक भाग देशीराज्योंके प्रतिनिधियोंका रखा जानेवाला था। अुसमें यह व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधि जनताके चुने हुअे होंगे और देशीराज्योंके प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे। यह अेक भारी विसंगतता थी और वह देशीराज्योंकी प्रजाको बड़ी खटकती थी। अुन्हें अैसा लगता था कि यदि हमारे यहां दायित्वपूर्ण शासन स्थापित हो जाय तो ही हम अपने प्रतिनिधि बड़ी धारासभामें भेज सकते हैं। ब्रिटिश सरकार राजाओंको अपनी प्रजाके हाथमें दायित्वपूर्ण शासन देनेसे कानून तो नहीं रोक

सकती थी। परन्तु वह चाहती नहीं थी कि ऐसा हो। वह तो अपने रेजीडेण्टों द्वारा देशी राजाओंको पूरी तरह अपने काबूमें रखना चाहती थी और देशी राजाओंके प्रतिनिधियोंके रूपमें रेजीडेण्टोंकी पसन्दके आदमी ही बड़ी धारासभामें लाना चाहती थी। अिन सदस्योंको और चुने हुअे सदस्योंमें से कुछ प्रतिक्रियावादी हों तो अुनको मिलाकर राष्ट्रवादियोंके खिलाफ अेक दल खड़ा करनेका अुसका थिरादा था। अिस प्रकारकी व्यवस्थाके बारेमें कांग्रेसका भारी विरोध था। अिसलिअे हरिपुरा कांग्रेसमें संघ-शासन (फेडरेशन) के मामलेमें अुसने अपनी नीतिका स्पष्टीकरण करनेवाला प्रस्ताव पास किया, अिसमें मुख्य बात यह थी :

“कांग्रेसने तो नये संविधानको अस्वीकार कर दिया है और घोषणा की है कि हमारे लोगोंको अैसा ही संविधान मंजूर होगा जो पूर्ण स्वतंत्रताके सिद्धान्त पर तैयार किया गया हो और विदेशी हुकूमतके हस्तक्षेपके बगैर लोगोंकी अपनी संविधान-सभा (कान्स्टिटुअेण्ट असेम्बली) द्वारा बनाया गया हो। ”

संघ-शासनके बारेमें अुसी प्रस्तावमें हरिपुरा कांग्रेसने घोषणा की थी :

“कांग्रेस संघ-शासनके विचारके विरुद्ध नहीं है, परन्तु सच्चा संघ-शासन तो अैसी अिकावियोंका ही हो सकता है जो लगभग अेकसी स्वतंत्रता भोगती हैं और अिनमें लोकतंत्रकी पद्धतिसे चुने हुअे सदस्योंका प्रतिनिधित्व हो। देशीराज्य यदि संघ-शासनमें शरीक होना चाहते हों तो अुन्हें दायित्वपूर्ण शासन, नागरिक अधिकार तथा धारासभामें प्रतिनिधि भेजनेकी पद्धति — अिन सब बातोंमें ब्रिटिश भारतके प्रान्तोंकी श्रेणीमें आना चाहिये। अिस समय जैसे संघ-शासनकी कल्पना की गयी है वह तो भारतमें अेकता स्थापित करनेके बजाय फूट डालनेकी वृत्तिको ही प्रोत्साहन देगा और देशीराज्योंमें भीतरी और बाहरी दोनों तरहके बखेड़े खड़े करेगा। ”

अिस संघ-शासनके कारण देशीराज्योंके कार्यकर्ता बड़े चिन्तित रहते थे। अुनके यहां जिम्मेदार हुकूमत जल्दीसे जल्दी कायम हो, अिसके लिअे वे लड़ायी लड़नेको अुत्सुक थे और अिसमें वे कांग्रेसकी मदद चाहते थे। परन्तु कांग्रेसने अपनी मर्यादाको समझकर और मुख्यतः अिस विचारसे कि देशी-राज्योंकी प्रजाको स्वयं संगठित होकर अपनी ही शक्तिसे लड़ना चाहिये, अुपरोक्त प्रस्ताव पास किया था।

सरदार देशीराज्योंकी, खास कर गुजरातके राज्योंकी परिस्थितिसे और वहांकी प्रजाकी ताकतसे अच्छी तरह परिचित थे। हरिपुरा कांग्रेसके

देशीराज्योंके प्रस्ताव पर अनुके भाषणसे हमने देख लिया है कि उनका यह खास आग्रह था कि देशीराज्योंके साथ उनकी प्रजाकी लड़ाईमें कांग्रेसको संस्थाकी हैसियतसे नहीं फंसना चाहिये। फिर भी देशीराज्योंकी प्रजाको किसी निश्चित मुद्दे पर जो गयी लड़ाईमें पथप्रदर्शन करके उसकी शक्ति बढ़ानेमें व्यक्तिगत रूपमें सबसे ज्यादा मदद अनुहोंने की थी। वे मानते थे कि अभी तक देशीराज्योंकी प्रजामें अंतिम लड़ाई छेड़नेकी शक्ति नहीं आयी है कि हमें राजा ही नहीं चाहिये। परन्तु अमुक आर्थिक कष्ट दूर कराने या राजनैतिक रिआयतें हासिल करनेके मर्यादित प्रश्न पर प्रजा लड़ाई छोड़े तो अंसी लड़ाईसे प्रजामें जागृति आती है, प्रजा संगठित होती है और उसकी लड़नेकी शक्तिका भी विकास होता है। और अंसी लड़ाईमें जीत होने पर प्रजाका अतसाह भी बढ़ता है। इस प्रकार जैसे जैसे क्रमशः प्रजाकी शक्ति बढ़ती जाय, वैसे वैसे वे राजाकी छत्रछायामें जिम्मेदार हुकूमत तक जाना चाहते थे।

देशीराज्योंकी प्रजाके गरम और अतावले विचारके कार्यकर्ताओंको गांधीजीकी सलाह और सरदारकी इस नीतिसे पूरा संतोष नहीं था। परन्तु जो पके हुअे विचारोंके थे और धीरे धीरे परन्तु दृढ़ कदमसे आगे बढ़नेमें विश्वास रखते थे, उन्हें यही नीति अपनाये योग्य लगी। इसलिये हरिपुरा कांग्रेसके प्रस्तावके बाद अधिकांश देशीराज्योंमें राजाकी छत्रछायामें प्रजाको जिम्मेदार हुकूमत दिलानेका ध्येय सामने रखकर प्रजामंडल या स्टेट कांग्रेसें स्थापित की गयीं। इन संस्थाओंमें गरम विचारोंवाले वर्गके कारण कभी कभी आंतरिक संघर्ष होते थे, फिर भी कुल मिलाकर गांधीजी और सरदारके नेतृत्वमें इन संस्थाओंका काम काफी आगे बढ़ा।

१९३८ तथा १९३९ के वर्ष देशीराज्योंके इतिहासमें बड़े महत्वके माने जायेंगे। इस अरसेमें उत्तरमें काश्मीरसे लेकर दक्षिणमें त्रावणकोर तक और पूर्वमें अड़िसासे लेकर पश्चिममें काठियावाड़ तक अनेक देशीराज्योंकी प्रजामें अपूर्व जागृति आयी और छोटे बड़े सवालों पर उसने अपने राजाओंसे वहादुरीके साथ लड़ाईयां लड़ीं। उत्तरमें काश्मीर और नाभा राज्यमें तथा राजस्थानमें अलवर, अदुयपुर और जयपुर राज्योंमें प्रजाने अच्छी लड़ाईयां लड़ीं। जयपुरमें तो प्रमुख कांग्रेसी नेता सेठ जमनालाल वजाज वहांके प्रजामण्डलके अध्यक्ष थे। वहांका दीवान अंग्रेज था। वह नहीं चाहता था कि उसके राज्यमें जनताके अधिकारों और दायित्वपूर्ण शासनके बारेमें जरा भी आन्दोलन हो। इसलिये जयपुर राज्यमें, जो उनका वतन था, उसने जमनालालजीका प्रवेश निषिद्ध कर दिया। जमनालालजीने

जिस आज्ञाका भंग किया और राज्यने अन्हें जेलमें डाल दिया । अुड़ीसाके घेनकलाल, तलचेर और रणपुर राज्योंमें राज्यके अमानुषिक अत्याचारोंके विरुद्ध प्रजाने सिर अुठायी । तलचेरकी ७५,००० की आवादीमें से २६,००० आदमी राज्य छोड़कर चले गये । अुड़ीसा बहुत छोटा और थोड़ी आयवाला प्रान्त है । अुस पर अिन अिजरतियोंको आश्रय देनेका भार आ पड़ा । अिसके सिवा, रणपुर राज्यकी हदमें अिन राज्योंके गोरे पोलिटिकल अेजेण्टकी हत्या हो गयी । फिर क्या पूछना ? किसी गोरेका खून हो जाय वहां तो सारा ब्रिटिश साम्राज्य ही टूट पड़ता है । अिसलिअे अिन राज्योंकी प्रजा पर वेशुमार सितम ढाये गये । दक्षिणमें हैदरावाद, मंसूर और त्रावणकोर राज्योंमें स्टेट कांग्रेसें स्थापित हुईं और अुन्होंने जिम्मेदार हुकूमतके लिअे जोरदार लड़ावियां लड़ीं । गुजरात और काठियावाड़के छोटे बड़े बहुतसे राज्योंमें प्रजामण्डल स्थापित हुअे और अुन्होंने राज्योंका मजदूत विरोध करना आरंभ किया । दक्षिणमें आंध्रके राज्यने प्रजाको दायित्वपूर्ण शासन देनेकी पहल की, राज्यमें बहुतसे सुधार किये और राज्यपरिवार प्रजाकी अुन्नतिके कामोंमें प्रमुख भाग लेने लगा ।

देशीराज्योंमें हुयी अिस जागृतिके कारण और वहांकी प्रजाके दिखाये हुअे अपूर्व अुत्साह और वीरताके कारण सरदार और गांधीजीको देशीराज्योंकी प्रजाओंके वारेमें अपना मत बदलना पड़ा । और अुन्होंने अुनके प्रति कांग्रेसकी नीतिमें परिवर्तन करनेकी सलाह दी । अुन्होंने कहा कि कांग्रेसको अब तटस्थ न रहकर देशी राजाओंके विरुद्ध प्रजाकी लड़ावियोंमें साथ देना चाहिये । अुस समय अुन्होंने यह राय दी कि जिन जिन प्रान्तोंमें कांग्रेसी मंत्रिमंडल हैं वे अपने प्रान्तोंके देशीराज्योंमें होनेवाले जुल्मोंको शांतिसे देखते नहीं रह सकते । भले ही कानूनकी दृष्टिसे देशीराज्योंकी सीमा अलग मानी जाती हो, परन्तु स्वाभाविक और भौगोलिक रूपमें तो देशीराज्य प्रान्तोंके साथ मिले ही हुअे हैं । फिर, देशीराज्योंकी राजनीतिमें न पड़नेका कांग्रेसने जो प्रस्ताव पास किया था, वह अुसके लिअे कोयी सिद्धान्तकी चीज नहीं थी । देशी-राज्योंकी परिस्थिति और अपनी ताकतका विचार करके ही अुसने अपने लिअे यह नीति ठहरायी थी । सिद्धान्त सदाके लिअे अटल होता है, परन्तु नीतिमें परिस्थितिके अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं । और बुद्धिमान मनुष्यको अैसे फेरबदल अवश्य करने चाहिये ।

गांधीजीने ता० २५-१-३९ को 'टाविम्स ऑफ बिडिया' के प्रति-निधिको अुसके सवालके जवाबमें यह वस्तु अिस प्रकार समझायी थी :

“देशीराज्योंके मामलोंमें हस्तक्षेप न करनेकी कांग्रेसकी नीतिमें जब तक वहांके लोग जाग्रत नहीं हुअे थे तब तक पूर्ण राजनैतिक

बुद्धिमत्ता थी। परन्तु जब वहाँके लोगोंमें चारों ओर जागृति पैदा हो गयी है और वे लोग अपने वाजिव हकोंके लिये बड़े बड़े कष्ट सहनेके लिये तैयार हो गये हैं, जैसे समय अुस नीतिसे चिपटे रहना भीस्ता होगी। यह चीज आप स्वीकार करें तो आजादीकी लड़ायी कहीं भी क्यों न छोड़ी जाय, अुसके साथ सारे भारतका संबंध है ही। जहाँ जहाँ कांग्रेसको महसूस हो कि अुसके बीचमें पड़नेसे प्रजाको लाभ हो सकता है वहाँ कांग्रेसको अवश्य बीचमें पड़ना चाहिये।”

अेकाध देशीराज्यके प्रश्नके खातिर कांग्रेसका या अलग अलग प्रान्तोंके कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंका सरकारके साथ संघर्षमें आना कहां तक अुचित होगा, अिस प्रश्नके अुत्तरमें गांधीजीने कहा :

“मान लीजिये कि ब्रिटिश भारतका अेकाध कलेक्टर वहाँके लोगोंको परेशान करता हो, अुन पर जुल्म ढाता हो, तो अुसमें कांग्रेसका हस्तक्षेप करना और अुसे देशव्यापी प्रश्न बना देना अुचित माना जायगा या नहीं? अिसका जवाब यदि हां हो तो जयपुर राज्यमें कांग्रेसके हस्तक्षेपका विचार करनेमें भी वही न्याय लागू होता है। यदि देशी-राज्योंमें हस्तक्षेप न करनेका कांग्रेसने प्रस्ताव पास न किया होता तब तो यह प्रश्न अुठता ही नहीं। मेरे यह कहनेके लिये कि संविधानकी दृष्टिसे देशीराज्य विदेशोंकी तरह हैं, अुतावले लोगोंने मुझे कयी बार दोष दिया है। परन्तु मैं वह दोष विलकुल स्वीकार नहीं करता। मैं तो देशीराज्योंमें भी दौरा करनेवाला ठहरा, अिसलिये यह जानता था कि अुन लोगोंकी तैयारी कितनी है। परन्तु अब वे लोग तैयार हो गये हैं, अिसलिये कानूनकी, संविधानकी और अैसी दूसरी कृत्रिम मर्यादाओं मिट जाती हैं। संविधान, कानून और अैसी अन्य वस्तुअें अपनी-अपनी सीमामें ठीक हैं। परन्तु जब अेक बार अिन कृत्रिम बन्धनोंको तोड़-फोड़कर मनुष्यका मन अूंची अुड़ान मारने लगता है, तो ये चीजें अुसी क्षण प्रगतिको रोकनेवाली बन जाती हैं। आज मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूं। किसीकी भी प्रेरणाके बिना मैंने देख लिया कि अिस समय कांग्रेस जिस ढंगसे देशीराज्योंके मामलोंमें हस्तक्षेप करने लगी है वह अुसका धर्म हो गया है। और कांग्रेसको अिस समय जिस प्रकारकी नैतिक शक्ति प्राप्त है अुसे वह कायम रखेगी अर्थात् वह अपनी अहिंसाकी नीति पर डटी रहेगी, तो देशीराज्योंमें दखल देनेकी अुसकी शक्ति दिन-दिन बढ़ेगी।

“लोग कहते हैं कि मेरे विचार बदल गये हैं। आज मैं जो कुछ कहता हूँ वह उससे भिन्न है जो मैं कुछ वर्ष पहले कहता था। असल बात यह है कि परिस्थिति बदल गयी है। मैं तो वैसा ही हूँ। मेरे वचन और कार्य वर्तमान परिस्थितिके अनुसार होते हैं। रफ्ता रफ्ता परिस्थितिमें अन्तर पड़ा है और सत्याग्रहीके नाते उसका मुझ पर असर पड़ा है।”

जिस सलाहके अनुसार त्रिपुरीकी कांग्रेसने मार्च १९३९ में प्रस्ताव पास करके देशीराज्यों सम्बन्धी अपनी नीतिके सम्बन्धमें परिवर्तन किया। अपने प्रस्तावमें उसने कहा :

“कांग्रेसकी यह राय है कि हरिपुरा कांग्रेसके अविवेशनमें देशीराज्योंके बारेमें स्वीकृत प्रस्तावमें जो अपेक्षा रखी गयी थी वह सफल हुयी है। देशीराज्योंकी प्रजाको अपना संगठन करने और स्वतंत्रताकी लड़ावियां लड़नेका प्रोत्साहन देकर उस प्रस्तावने अपना औचित्य प्रमाणित कर दिया है। हरिपुराकी नीति वहाँकी जनताके हितोंका विचार करके और उसमें स्वावलंबन और शक्ति बढ़ानेके अदृश्यसे तैयार की गयी थी। परिस्थितियोंको देखकर और उन परिस्थितियोंमें जो मर्यादाओं स्वाभाविक रूपमें मौजूद थीं उन्हें मानकर वह नीति बनायी गयी थी। यह खयाल हरगिज नहीं था कि वह नीति कोभी सिद्धान्त या धर्मके रूपमें है। देशीराज्योंकी प्रजाका पथप्रदर्शन करने और उसे अपनी प्रतिष्ठाका लाभ देनेका कांग्रेसको सिर्फ हक ही नहीं है, यह उसका धर्म भी है। परन्तु उसने स्वेच्छासे अपने ऊपर अमुक मर्यादाओं लगा ली थीं। अब देशीराज्योंकी प्रजामें जो जवर्दस्त जागृति आ गयी है उसे देखते हुये उन मर्यादाओंको पूरी तरह हटा देनेका समय आ पहुँचा है। इसके परिणामस्वरूप यह जरूरी है कि कांग्रेस देशीराज्योंकी प्रजाके साथ सतत बढ़ता हुआ तादात्म्य स्थापित करे।

“कांग्रेस फिर घोषित करती है कि पूर्ण स्वराज्यका उसका ध्येय समस्त भारतके लिये है, अर्थात् देशीराज्योंका उसमें समावेश हो जाता है। ये राज्य हिन्दुस्तानके अविभाज्य और अभेद्य अंग हैं और भारतके अन्य भागोंके बराबर ही राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें भी मिलनी चाहिये।”

भिन्न भिन्न देशीराज्योंमें सन् १९३८-३९ के वर्षोंमें हुयी राजनैतिक लड़ावियोंका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। सरदार जिन सब लड़ावियोंमें

बड़ी दिलचस्पी लेते थे और अनुकी छोटीसे छोटी बातोंसे परिचित रहते थे। परन्तु इस पुस्तकमें हम अन्हीं लड़ावियोंकी तफसील देंगे, जिनमें अन्हींने प्रत्यक्ष या परोक्ष भाग लिया था। शुरुआत हम मैसूरसे करेंगे।

मैसूरका राज्य हमारे देशके बड़े राज्योंमें अेक था। अुस राज्यमें शिक्षाका अनुपात बहुत अच्छा था और वहांके लोग भी अुत्साही थे। वहांकी स्टेट कांग्रेसका पूरा संविधान अुन लोगोंने राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा ही रखा था। २६ जनवरी १९३८ को सारे राज्यमें आजादी-दिन मनानेका स्टेट कांग्रेसने निश्चय किया। स्थान स्थान पर राष्ट्रीय कांग्रेसका झंडा फहरा कर अुन्हींने झंडाभिवादनका कार्यक्रम रखा। राज्य इसके विरुद्ध दमनकी कार्रवाजी करने लगा। इस कारणसे राज्यके साथ स्टेट कांग्रेसके छोटे छोटे झगड़े होने लगे। इसी सिलसिलेमें अप्रैल मासमें वहां अेक अैसा करुण हत्याकांड हो गया, जिसने सारे भारतका ध्यान आकर्षित किया। बंगलोरसे लगभग पचीस मील दूर विदुराश्वत्थम् नामक अेक छोटासा गांव है। वहां अप्रैलके तीसरे सप्ताहमें अेक बड़ी यात्रा भरती है और प्रतिदिन लगभग बीस हजार आदमी अिकट्ठे होते हैं। सरकारको यह खयाल हुआ होगा कि स्टेट कांग्रेसवाले इस यात्रामें आकर भाषण देंगे और राष्ट्रीय झंडेके साथ जुलूस निकालेंगे। इसलिये पहलेसे ही वहांके जिला मजिस्ट्रेटने इस अिलकेमें राष्ट्रीय झंडा फहराने, सभाओं करने तथा भाषण देनेकी मनाहीका हुक्म जारी कर दिया था। अुस हुक्मको चुनौती देनेके लिये २५ अप्रैलको स्टेट कांग्रेसके कुछ आदमी पासके गांवसे बड़ा जुलूस निकालकर विदुराश्वत्थम् गये और वहां अुन्हींने सभा की, जिसमें दस-पंद्रह हजार आदमी अुपस्थित थे। मजिस्ट्रेट वहां जा पहुंचा। सभाको गैरकानूनी करार देकर अुसने अुन चार आदमियोंको गिरफ्तार कर लिया, जिनके हाथोंमें राष्ट्रीय झंडे थे और सभाको बिखर जानेकी आज्ञा दी। मजिस्ट्रेटकी सम्मतिसे ही स्टेट कांग्रेसके अेक नेताने सभाको सूचना दी कि हमारा अुद्देश्य पूरा हो गया, इसलिये आप सब बिखर जाअिये। इस पर जो लोग जुलूसमें आये थे वे वहांसे चले गये। जो यात्राके लिये आये थे वे धूप बहुत होने और दूसरी कोअी छायादार जगह नहीं होनेसे सभास्थलके पासवाली अमराजीमें बैठ गये। मजिस्ट्रेटने अुन सब लोगोंको भी पांच मिनटमें बिखर जानेका हुक्म दिया। लोगोंने बहुतेरा कहा कि हम तो यात्राके लिये आये हैं और अन्यत्र कहीं छाया नहीं है इसीलिये यहां बैठे हैं। शाम होने पर यहांसे चले जायंगे। परन्तु मजिस्ट्रेटको लगा कि अिन लोगोंको इस प्रकार यहां बैठे रहने देनेसे हमारे हुक्मकी पाबन्दी हुअी नहीं मानी जायगी। इसलिये सबसे अेकदम बिखर जानेका आग्रह किया और पांच ही मिनट प्रतीक्षा करके

अून पर लाठीचार्ज करवा दिया। मैसूर सरकारकी ओरसे जिस मामलेमें प्रकाशित वक्तव्यके अनुसार लोगोंने सामना किया और पुलिसको घेरकर अूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ पुलिसवालोंको चोटें आयीं। जिसलिये पुलिसको आत्मरक्षाके लिये गोली चलानी पड़ी। आंखों देखनेवाले मनुष्योंकी तरफसे दूसरे दिन पत्रोंमें प्रकाशित वक्तव्यके अनुसार लाठीचार्जके थोड़ी ही देर बाद पुलिसने गोली चला दी। मैसूर सरकारके कथनानुसार गोलीकांडमें दस आदमी मारे गये और चालीस घायल हुअे, जब कि प्रजापक्षके वयानोंके मुताबिक कमसे कम वत्तीस मनुष्य मारे गये और अड़तालीस गंभीर रूपमें घायल हुअे। वहां जिस अमराजीके सिवा छायावाली दूसरी कोजी जगह थी ही नहीं। जिसलिये गोलीकांडके समय भाग-दौड़में बहुत लोग तो पासकी नदीके पाटकी गरम रेतीमें ही जा पड़े। मुर्दा और घायल हुअे लोग तथा अूनके सम्बन्धी रोते-चिल्लाते नदीके पाटमें ही बहुत देर पड़े रहे। मैसूर सरकारकी तरफसे कुछ भी सफाजी दी जाय, यह हत्याकांड अितना भयंकर था कि अूससे सारे देशमें खलवली मच गयी। मैसूर सरकारने तीन न्यायाधीशोंकी अेक जांच-समिति द्वारा जिस घटनाकी जांच करानेकी घोषणा की। गांधीजीने २९ अप्रैलको जिस घटनाके बारेमें अेक वक्तव्य प्रकाशित किया। अूसका महत्त्वपूर्ण भाग यहां दिया जाता है :

“मैसूर सरकार द्वारा प्रकाशित वक्तव्य मेंने पढ़ा है। वह मेरे गले नहीं अुतरा। मैसूरके लोकसेवकोंकी तरफसे अनेक दर्दभरे पत्र और तार मेरे पास आये हैं। अूनमें से अेक-दो बातें तो निर्विवाद जान पड़ती हैं। निहत्थी भीड़ पर गोली चलायी गयी और अूससे कुछ लोग मारे गये और अनेक घायल हुअे। लोगोंकी तरफसे मुझे जो जानकारी मिली है वह तो मैसूर सरकारके वक्तव्यसे विलकुल अुलटी है। फिर भी मान लीजिये कि लोग अुत्तेजित हो गये थे। लेकिन अूससे यह हरगिज नहीं कहा जा सकता कि गोली चलाना जरूरी था। मैसूर सरकारको मेरी यह सूचना है कि वह केवल जांच-समिति नियुक्त करके संतोप न कर ले, भले वह कितनी ही निष्पक्ष क्यों न हो। मैसूरमें राष्ट्रीय झंडेके बारेमें जो आन्दोलन हो रहा है वह तो समयका प्रतीक है। जिस मामलेमें अुसे प्रजाकी मांग स्वीकार कर ही लेनी चाहिये।

“मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मैं यह नहीं जानता था कि मैसूरमें सचमुच अितनी जवरदस्त लोकजागृति आ गयी है। जिससे

मुझे हर्ष होता है और मैं आशा करता हूँ कि जिसी तरह मैसूर सरकारको भी हर्ष होता होगा। उसके अपायके रूपमें महाराजा तथा अुनके दीवान सर मिर्जा जिस्माजीलको मेरी सलाह है कि वे निरंकुश शासन खतम करके राज्यके संचालनकी जिम्मेदारी लोकप्रतिनिधियोंको सौंप दें। यदि मैसूरमें शांति स्थापित करनी हो तो यह जिम्मेदारी यथासंभव अधिकसे अधिक विशाल होनी चाहिये। यह कहा जाता है कि राज्य पिछड़ा हुआ होनेके कारण जिम्मेदारी धीरे धीरे सौंपी जायगी। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता नहीं है। धीरे धीरेकी बात करनेमें राज्यकी शोभा नहीं है। मैसूरके पास तो प्रकृतिकी कितनी ही देने हैं, जिनके कारण वहाँ ब्रिटिश भारतसे कहीं अधिक प्रगति हो सकती है।”

यह वक्तव्य प्रकाशित करनेके वाद गांधीजीने सरदार और कांग्रेसके प्रधानमंत्री श्री कृपालानीजीको जिस घटनाकी स्वयं जांच करने और महाराजा, दीवान तथा स्टेट कांग्रेसके नेताओंसे मिलकर लोगोंको न्याय दिलानेके लिये यथासंभव प्रयत्न करनेके लिये मैसूर भेजा।

जिस बीच अखबारोंकी यह अफवाह सरदारके सुननेमें आयी कि गांधीजी खुद यह लड़ाई चलाने मैसूर जानेवाले हैं। जिसलिये अुन्होंने ३० अप्रैलको निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“आज प्रातःकालके समाचारपत्रोंमें गांधीजीका कहा जानेवाला अेक वक्तव्य मैंने देखा। अुसमें गांधीजीने यह कहा बताया जाता है कि वे हिन्दुस्तानमें जहां होंगे वहींसे जिस लड़ाईका नेतृत्व करेंगे। गांधीजीकी मैसूरके श्री भूपालम् चंद्रशेखर शेठीके साथ जो बातचीत हुयी है, अुसीकी यह विज्ञति है। अुस बातचीतके समय मैं मौजूद था। गांधीजीने श्री चंद्रशेखर शेठीसे अितना ही कहा है कि मैसूरमें जो कुछ हो अुससे मुझे परिचित रखना, ताकि मैं जहां होअूं वहींसे मैसूरके लोगोंको सलाह और मार्गदर्शन दे सकूं। मेरी समझमें नहीं आता कि जिस बातसे यह कैसे कहा जा सकता है कि वे स्वयं लड़ाईका नेतृत्व करेंगे।”

सरदार तथा कृपालानीजी ६ मजीको बंगलोर पहुंचे। वहां वे मैसूरके महाराजासे, दीवान सर मिर्जा जिस्माजीलसे तथा स्टेट कांग्रेसके नेताओंसे मिले। सर मिर्जा जिस्माजील बड़े अुदार सज्जन हैं। अुनके साथ हुयी बातचीतके परिणामस्वरूप अच्छी तरह समझौता हो गया।

१७ मजीको राज्यने घोषणा प्रकाशित करके बताया :

“थोड़े समयसे राज्यमें जो गलतफहमी पैदा हो गयी है, अुसके कारण राज्यकी वैधानिक प्रवृत्तियोंके लिये आवश्यक राजा-प्रजाके

सहयोगमें रुकावट आ गयी है। जिससे सरकार और महाराजाको बड़ा दुःख हो रहा है। महाराजा और अूनकी सरकारको सबसे अधिक खेद तो विदुराश्वत्थम्में हुयी करुण घटनाके लिये हो रहा है। अुस दुःखद कांडमें मारे गये और घायल हुये सभी निर्दोष मनुष्योंके लिये तथा अून लोगोंके रिश्तेदारों और आश्रितोंके लिये महाराजा और अूनकी सरकारके दिलमें जो गहरी सहानुभूति है अुसे वे फिरसे प्रगट करते हैं। महाराजा साहबकी प्रजाको मालूम है कि जिस सारे मामलेकी जांच करनेके लिये न्याय-विभागके अूँचे अनुभवी और नामांकित सज्जनोंकी अेक निष्पक्ष समिति नियुक्त की गयी है। सरकारका निश्चय है कि अुस कांडके कारणों और अून घटनाओंके क्रमके बारेमें पूरी तरह जांच हो और वे प्रकाशमें लाये जायं।”

राज्यके साथ हुये सरदारके समझौतेकी शर्तें जिस प्रकार थीं :

१. मसूर स्टेट कांग्रेसको राज्य मान्यता देगा।
२. शासनमें सुधार सूचित करनेके लिये नियुक्त की गयी समिति महाराजाकी छत्रछायामें दायित्वपूर्ण शासनकी योजना पेश कर सकेगी।
३. अुस समितिमें स्टेट कांग्रेसके चुने हुये तीन नये सदस्य राज्य वद्धा देगा।
४. महात्मा गांधीकी सलाह मानकर यह तय किया गया है कि सभी सार्वजनिक अवसरों पर स्टेट कांग्रेस मसूर राज्यका झंडा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका झंडा साथ-साथ फहरायेगी। सिर्फ स्टेट कांग्रेसकी सभा होगी वहां केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका झंडा फहराया जा सकेगा।

५. स्टेट कांग्रेस सविनय कानून-भंग और करवन्दीकी संपूर्ण लड़ायी वापस ले लेगी। दूसरी तरफ राज्य तमाम राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देगा और स्टेट कांग्रेस पर मनाहीके जो हुकम होंगे अुन्हें वापस ले लेगा।

जिस समझौतेकी घोषणा मसूर सरकारने १७ मयीको प्रकाशित की। अुस पर कांग्रेस कार्यसमितिये निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

“मसूर राज्यमें विदुराश्वत्थम्के पास निःशस्त्र भीड़ पर जो गोली चलायी गयी, अुसके बारेमें प्रजाकीय और सरकारी दोनों वक्तव्य कार्यसमितिये पढ़े हैं। राज्यके अधिकारियोंको गोली चलानेकी जरूरत

मालूम हुआ, जिस बात पर समिति अफसोस जाहिर करती है। गोलीकांडके कारणोंकी जांच करनेके लिये मैसूर सरकारने समिति मुकर्रर की है, यह देखते हुअे कार्यसमिति अुस हत्याकांडके वारेमें कोअी राय जाहिर नहीं करती। परंतु कार्यसमिति मानती है कि महाराजा साहवको अपने राज्यमें अुत्तरदायी शासनतंत्र स्थापित करना चाहिये, जिससे कानून और सुव्यवस्थाकी और जरूरत पड़ने पर गोली चलानेकी भी जिम्मेदारी प्रजाके प्रति जिम्मेदार सरकार अुठाये। मारे गये मनुष्योंके कुटुम्बोंके प्रति कार्यसमिति समवेदना प्रकट करती है और जिन्हें चोट आअी है अुनके प्रति सहानुभूति वताती है।

“सरदार वल्लभभाअी पटेल और आचार्य कृपालानी द्वारा मैसूर राज्य और स्टेट कांग्रेसके बीच कराये गये समझौतेका कार्यसमिति समर्थन करती है। समझौतेका पालन करनेके लिये मैसूर सरकारने अेक घोषणा प्रकाशित की है, जिस पर कार्यसमिति संतोष व्यक्त करती है और महाराजा तथा अुनके सलाहकार जिस शीघ्रतासे समझौते पर अमल कर रहे हैं अुसके लिये अुन्हें बधाअी देती है। कार्यसमिति आशा रखती है कि मैसूर स्टेट कांग्रेस भी समझौतेका आग्रहपूर्वक पालन करेगी।

“राष्ट्रीय झंडा फहरानेके मामलेमें कार्यसमिति आशा रखती है कि मैसूर स्टेट कांग्रेसकी ओरसे राज्यके झंडेका और राज्यके अधिकाारियोंकी ओरसे राष्ट्रीय झंडेका किसी भी प्रकारका अपमान न होने देनेकी सावधानी रखी जायगी। राष्ट्रीय झंडेके आदरका अन्तिम आधार अुसका बलात् सम्मान करानेकी शक्ति पर नहीं रहेगा, परंतु कांग्रेसियोंके शुद्ध आचरण पर और कांग्रेस देशमें जो सेवाकार्य करेगी अुस पर रहेगा। जिसके सिवा यह भी ध्यानमें रखनेकी जरूरत है कि राष्ट्रीय झंडा अहिंसाका और केवल सत्य अेवं अहिंसामय साधनों द्वारा सिद्ध होनेवाली साम्प्रदायिक अेकताका प्रतीक है। साथ ही यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि कांग्रेसियोंमें अेक अैसा दल बढ़ता जा रहा है जो देशी-राज्योंको मध्ययुगके अवशेष मानकर अुनका संपूर्ण नाश करना चाहता है। परंतु कांग्रेसकी नीति अभी तक देशीराज्योंके प्रति मित्रतापूर्ण रही है; और आगे भी रहेगी। जिसकी जड़में यह आशा रही है कि वे युगधर्मको पहचानेंगे, अपने प्रदेशमें दायित्वपूर्ण शासन स्थापित करेंगे और अपनी हुकूमतमें दूसरी तरह भी स्वतंत्रताको बढ़ायेंगे और अुसकी रक्षा करेंगे।”

मैसूरका यह कांड हो रहा था असी समय उत्तर गुजरातके अेक छोटेसे माणसा राज्यमें किसानों और राज्यके बीच अेक बड़ी तीव्र लड़ाई हो रही थी। वहां १९३७ के सालमें जमीनके लगानकी दरें फिरसे तय करनेका समय आ गया था। दूसरे देशीराज्योंकी तरह इस राज्यमें भी लगानके बन्दोबस्त और लगानकी वसूलीका कोई ठीक नियम नहीं था। हर दस वर्ष बाद लगान फिरसे मुकर्रर किया जाता था, परंतु हर बार लगानमें वृद्धि ही की जाती थी। किसान परंपरासे जो हक भोगते आ रहे थे उनमें से बहुतसे हक सन् १९२१ में छीन लिये गये थे। राज्यने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि किसानको किसी भी समय और किसी भी बहाने जमीनसे खदेड़ा जा सकता है। किसान अपनी जमीन पर जो पेड़ लगायें और मेहनत करके उनका पोषण करें, उन पर भी राज्य अपने स्वामित्वका दावा करने लगा था। इसके अलावा, किसानोंसे बेगार कराई जाती थी। उनसे तरह तरहकी लागवाग ली जाती थी और अन्य कड़ी प्रकारसे उन पर जुल्म किये जाते और अन्हें सताया जाता था। १९३७ के सालमें जब राज्यने फिर लगानकी दरें तय करनेका प्रश्न अुठाया, तब राज्यके जुल्मसे पीड़ित किसानोंने दसक्रीबी तालुका कांग्रेस समितितसे, जिसके अिलाकेमें उनका राज्य माना जाता था, सलाह ली। दसक्रीबी तालुका समितितने गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस समितिकी सलाह ली और अन्तमें यह निश्चय किया गया कि किसान इस जुल्मका अन्त करनेके लिये संगठित होकर राज्यका विरोध करें। जमीनके लगानका कुचल डालनेवाला बोझ कम करानेके लिये उनकी दी हुयी तमाम अर्जियां और प्रदर्शित किये गये सारे विरोध असफल रहे। इसलिये जनवरी १९३८ से अन्होंने लगान न देनेका सत्याग्रह आरंभ किया। किसानोंने अपनी अेक पंचायत स्थापित करके अुसके मारफत अपने सारे काम करना तय किया। अेक तरहसे अन्होंने माणसा दरवारका बहिष्कार कर दिया। अुसके कारण सारा शासनतंत्र स्थगित हो गया। दूसरी तरफ राज्यने अपना सारा अधिकार काममें लेकर तथा कानून, सभ्यता और मानवताकी मर्यादाको ताकमें रखकर किसानों पर दमनका क्रूर चक्र चलाना शुरू कर दिया। राज्यकी सीमामें सभा व जुलूसबन्दी कर दी गयी। नेताओंको पकड़ लिया गया। फिर भी लोग सभाओं करते, जिन्हें विखेरनेके लिये लाठीका अुपयोग खुले हाथों होने लगा। और अेक बार गोलीकांड भी हुआ। इसके विरुद्ध किसानोंने बड़ी बहादुरीसे टक्कर ली। किसानोंकी बहादुर स्त्रियां अपने पुरुषोंके कंधेसे कंधा मिलाकर खड़ी रहीं और अन्होंने अपमान, मार, माल-असवावकी लूट तथा अन्य संकट हंसते-हंसते सहन किये। किसान स्त्री-पुरुषोंके अिन संकटों और त्यागने सारे गुजरातका

व्यान आर्कषित किया। और जिस लड़ाईमें सारा गुजरात तुम्हारे पीछे है, असा अनेक प्रकारकी सहायताओं द्वारा माणसाके किसानोंको बतकर गुरातने अउनकी पीठ ठोंकी। खूबी तो यह है कि जबर्दस्त अुत्तेजना और अुत्पीड़नके बावजूद माणसाके किसान संपूर्ण रूपमें अहिंसा पर कायम रहे।

किसानोंका जोश नष्ट कर डालनेके माणसा दरवारके ये सब प्रयत्न व्यर्थ हुअे और दमनका अेक भी अुपाय बाकी न रहा तब वे घबराये। अेजेसीने लगान-संबंधी जांच करके रिपोर्ट देनेके लिअे अेक विशेष रेव्हेन्यू अफसर वहां भेजा। अुसके परिणामस्वरूप तात्कालिक दमन बन्द हो गया। माणसा दरवारने भी अपने पुराने कर्मचारियोंको बदलकर अपनी नीतिमें परिवर्तन कर लेनेमें बुद्धिमानी समझी। जो नये दीवान मुकरंर किये गये थे अुन्होंने समझौता करनेके लिअे दसत्रोजी तालुका समितिके पदाधिकारियों तथा गुजरात प्रान्तीय समितिके मंत्रीको निमंत्रण दिया। किसानोंके अनेक प्रकारके दुःखोंकी चर्चा करनेके बाद दोनों पक्षोंने तय किया कि सारा मामला सरदारको सौंप दिया जाय और वे कहें अुसके अनुसार समझौता कर लिया जाय। दीवान सरदारसे मिलने बंधी गये। अुनके साथ खूब परामर्श किया। यह बातचीत पांच दिन चली। अुसमें माणसा दरवारको मदद देनेके लिअे बांकानेरके दीवान और अेजेसीके खास अफसरको भी मौजूद रखा गया। जिस बातचीतके दौरानमें राज्यने बहुत ही समझौतेका खैया दिखाया। बीती बातें भूल कर दरवार और किसानोंके बीच मीठे संबंध स्थापित करनेके लिअे अेक लंबा करार किया गया। अुसके साररूप मुझे जिस प्रकार हैं :

१. जमीन-महसूलकी नयी दरें निकटवर्ती बड़ोदा राज्यके लगान कानूनके आधार पर तय की जायं। ये दरें अेक अनुभवी अधिकारी किसानोंकी अेक कमेटीकी सहायतासे तय करे। अिन नयी दरों पर १९४० तक अमल किया जाय।

२. जब तक नयी दरें घोषित न कर दी जायं तब तक मौजूदा दरोंमें राज्य किसानोंके लिअे ३५ फी सदीकी कमी कर दे।

३. नयी दरोंकी मीयाद दसके वजाय बीस वर्षकी रखी जाय। जिस बीच किसानोंने जमीनमें जो सुधार किये हों अुनके कारण नयी दरें कायम करते समय लगानमें वृद्धि नहीं की जा सकेगी। जमीन-महसूल माफ या मुलतवी करने संबंधी नियम बड़ोदा राज्य जैसे रखे जायं।

४. सिवा जिसके कि किसान बेअीमानी करके लगान अदा न करे, अन्य किसी कारणसे दरवार अुसकी जमीन छीन नहीं सकेंगे।

५. कब्जेदारकी हैसियतसे किसानके तमाम हक, जैसे कि विक्री करने, गिरवी रखने, दान करने, अुत्तराधिकारमें देने आदिके हक दरवार मान्य रखें।

६. बिनामी जमीन संबंधी किसानके मौजूदा हकोंको दरवार स्थायी बना दें।

७. खेतीकी जमीन पर जो पेड़ हों उनका मालिक किसान माना जाय और अुन्हें काटने व बेचनेकी अुसे स्वतंत्रता हो।

८. किसी किसानसे वेगार न कराजी जाय।

९. लगानकी व्यवस्था-संबंधी मामलोंमें माणसा किसान पंचायतकी चुनी हुअी कमेटीकी सलाह पर दरवार पूरा ध्यान दें।

१०. दरवार सब कैदियोंको छोड़ दें। जिन पर मुकदमे चल रहे हों अुन परसे वे वापस ले लिये जायं। वसूल न हुअे जुर्माने माफ कर दिये जायं। तमाम दमनकारी हुकम वापस ले लिये जायं।

११. माणसा किसान समिति सत्याग्रहका आन्दोलन बन्द कर दे और हर प्रकारका बहिष्कार वापस ले ले।

१२. बिस करारमें जो तय हुआ है अुसके अनुसार किसान तीन सप्ताहके भीतर लगान चुका दें।

जुलाजी १९३८ में कांग्रेस कार्यसमितितने बिस वारेमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

“अपने आर्थिक और राजनैतिक हकोंके लिअे माणसा, बला, रामदुर्ग, जमखंडी और मीरज राज्योंकी प्रजाओंने बहादुरीभरी और अहिंसक लड़ावियां लड़कर अुनमें विजय प्राप्त की है, बिसके लिअे कांग्रेस कार्यसमिति अुन्हें बधाजी देती है।”

देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयां - २

राजकोट सत्याग्रह

१

संधि

अब हम राजकोट सत्याग्रह पर आये। राजकोटका राज्य यों तो काठियावाड़के दूसरे राज्योंसे छोटा था। परंतु काठियावाड़की अजेसीका केन्द्र होनेके कारण राजकोट शहर और राज्यका महत्त्व काठियावाड़में अधिक था। गांधीजीके पिता कवा गांधी किसी समय राजकोटमें दीवान थे। राजकोटके भूतपूर्व ठाकुर लाखाजीराज गांधीजीको पितातुल्य मानते थे। और मौका मिलने पर गांधीजीको राजकोट बुलाकर उनका बड़ा सम्मान करते थे। दरवारमें गांधीजीको सिंहासन पर विठाकर खुद उनकी बायीं तरफ बैठते थे। एक वार तो उन्होंने यों भी कहा था कि सरदार वल्लभभाजी आपके दाहिने हाथ माने जाते हैं तो क्या मैं नहीं हो सकता? जवाहरलालजी एक वार राजकोट आये थे तब उनका भी सार्वजनिक सम्मान किया गया था। जिस प्रकार वे निडर, बहादुर और देशप्रेमी राजा थे। वे अजेसीका कोभी डर नहीं रखते थे। सदा जिसी चिन्तामें रहते थे कि मेरी प्रजा किस तरह सुखी रहे। शासनमें प्रजाको हिस्सा देनेके लिये उन्होंने राजकोटमें एक प्रजा-प्रतिनिधिसभा स्थापित की थी और उसकी सलाहके मुताबिक हुकूमत करते थे। परंतु उनके पुत्र दिये तले अंधेरा जैसे निकले। उन्हें राजकोटके राजकुमार कॉलेजमें शिक्षा मिली थी। सरदार कहा करते थे कि “अस कॉलेजमें मनुष्यको पशु बनाया जाता है। जिसे अनेक प्रकारकी शराबोंके नाम और उनका पीना आता हो, वह वहां होशियार माना जाता है। वहां यही सिखाया जाता है कि रैयतसे अलग कैसे रहा जाय।” वहांसे शिक्षा पानेके बाद वे विलायत गये। जिस वारेमें सरदारने कहा है कि “यहां जानवर जैसे बनानेके बाद राजाओंको अंग्लैण्ड ले जाया जाता है। मैंने तो देखा है कि वहांसे कितने ही राजा गंवार बन कर आते हैं।” यही हाल राजकोटके राजाका हुआ। वे वेश्याओंके नाचगान और शराबमें मस्त रहते थे। उनके दीवान दरवार वीरावाला थे। राजा अन्हीकी आंखोंसे देखते और दीवान जैसा नाच नचाते वैसा वे

नाचते थे। पिता जो पूंजी छोड़ गये थे उसे और राज्यकी आयसे जमा हुयी रकमको अन्होंने भोगविलासमें अुड़ा दिया। देखते देखते खजाना खाली हो गया।

हम आगे देखेंगे कि राजकोटकी लड़ाीमें गांधीजीको भी भाग लेना पड़ा था। अितना ही नहीं, राजासे वचन-पालन करानेके लिये अुन्हें अुपवास करना पड़ा था। अुसके कारण छोटासा राजकोट केवल हिन्दुस्तानमें ही नहीं, परंतु सारी दुनियामें मशहूर हो गया था।

राज्य छोटा और, जैसा अूपर कहा जा चुका है, खर्च अंधावुंध था। अिसलिये दीवानने आय बढ़ानेके लिये अुलटे मार्ग अपनाते शुरू किये। शहरमें दियासलाजी, शक्कर, बर्फ, सिनेमा बगैराके ठेके दिये जाने लगे। धानमंडी जैसे मकान बेचे जाने लगे। शहरका विजलीघर गिरवी रखनेकी बात चली। 'कार्निवाल' नामक भोगविलास और खेलकूदकी अेक संस्थाको राजकोटमें निमंत्रित किया गया। अुसे जुआ खेलनेका ठेका देकर अुससे रुपया कमानेका रास्ता निकाला गया। किसानोंकी खेती तरह-तरहके करोंके कारण बरबाद हो गयी। शहरका व्यापार-धंधा भारी जकातके कारण चौपट हो गया। भोगविलास पर अनाप-शनाप घन खर्च हुआ। अिस प्रकार सारे राज्यमें अंधेरे मच गया। अितनेमें ही अेक छोटासा तूफान आ गया, जिससे अिस जगप्रसिद्ध लड़ाीकी शुरुआत हुयी। राजकोटमें राज्यके स्वामित्वकी अेक कपड़ेकी मिल थी। अुसमें मजदूरोंसे चौदह घंटे काम लिया जाता था। यह हालत बर्दाश्त न होनेसे मजदूरोंने अपना संगठन किया। दरवार वीरावालाने हुकम दिया कि मजदूरोंको सीधा करो, फसादियोंको निर्वासित कर दो, ढीलेढालोंको दवा दो और बाकीको समझा दो। पंद्रह मजदूर नेताओंको निर्वासित कर दिया गया। नेताओंके निर्वासित होने पर मजदूरोंने हड़ताल कर दी। दरवार वीरावालाने समय पहचान लिया। निर्वासनकी आज्ञाअें अुन्होंने रद्द करायीं और बीस दिनमें मजदूरोंके साथ समझौता कर लिया। यह निपट जानेके बाद गोकुल-अष्टमीका मेला आया। अिस मेलेमें राजकोटमें जुआ खेला जाता है। अिस जुआके विरुद्ध पहलेसे ही वातावरण तैयार करनेके लिये अेजेंसीकी हदमें ता० १५-८-'३८ को अेक आमसभा की गयी। दरवार वीरावालाने अेजेंसीके पुलिस अफसरोंको पहलेसे सावकर अैसी तरकीब की कि सभा पर अेजेंसीकी पुलिस लाठी चलाये और वहांसे भागकर लोग जब राज्यकी सीमामें प्रवेश करें तो अुन भागते हुअे लोगोंको राज्यकी पुलिस फिर लाठियोंसे मारनेको तैयार रहे। राजकोटके नेता श्री ढेवरभाजीके कानोंमें अिस बातकी भनक पड़ी। प्रजाका अेजेंसीके साथ कोअी झगड़ा नहीं था। परंतु जैसे राज्यके विरुद्ध प्रचार करनेके लिये अेजेंसीकी

हृदमें कजी वार सभाओं की जाती थीं, वैसे ही यह सभा भी रखी गयी थी। इसलिये वे अजेंसीके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री जोशीसे मिले। उनसे कहा कि हमारा झगड़ा अजेंसीके साथ नहीं है। परंतु सभाकी घोषणा हो चुकी है, इसलिये लोग तो अिकट्ठे होंगे ही। अगर आप सभावंदीका हुक्म दें तो हम बिना झगड़ा किये शांतिपूर्वक सारी सभाको लेकर राज्यकी हृदमें चले जायंगे। यह अिन्तजाम करके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरके साथ ही वे सभामें आये। परंतु पुलिस अफसरके सभावन्दीकी आज्ञा सुनानेसे पहले ही पुलिसने अपनी पहलेकी व्यवस्थाके अनुसार अेकदम सभा पर लाठी चलाना शुरू कर दिया। अुस अफसरने सीटी वजाकर पुलिसको रोका और मंच परसे लोगोंसे माफी मांगी। फिर श्री डेवरभाभी वहांसे सारी सभाको राजकोट शहरकी हृदमें ले गये। अेजेंसीके मुख्य पुलिस अफसरके लोगोंसे माफी मांगनेकी बात जाहिर हो जानेसे रास्तेमें तो पूर्व योजनानुसार राज्यकी पुलिसने लोगोंको नहीं मारा, परंतु सभा हुआ इसलिये मजिस्ट्रेटके सभाको गैरकानूनी घोषित करनेसे पहले ही पुलिस अेकदम सभा पर टूट पड़ी। डेवरभाभी वगैरा नेताओं पर भी मार पड़ी। और वहीसे डेवरभाभी तथा कुछ अन्य नेताओंको गिरफ्तार कर लिया गया। इस क्रूर लाठीप्रहारसे और नेताओंकी गिरफ्तारीसे शहरमें हाहाकार मच गया और सख्त हड़ताल हुआ। जिस चौकमें लाठीप्रहार हुआ था अुसीमें रोज रातको सभाओं होने लगीं। वादमें वहां लाठीप्रहार नहीं हुआ, परंतु भाषण देनेवालोंकी धरपकड़ होने लगी। लोगोंका जोश तो बढ़ता ही जा रहा था, इसलिये दरवार वीरावालाने चाल बदली। पांच दिन वाद गोकुल-अष्टमीके दिन ही डेवरभाभी वगैरा नेताओंको जेलसे छोड़ दिया। वे सीधे मेलेमें पहुंचे। जुअे-वाले तो पहले ही रफूचक्कर हो गये थे। इस प्रकार प्रजाकी जीत हुआ।

सरदारको डेवरभाभीके छूटनेके समाचार मिलते ही ता० २२-८-३८ को अुन्होंने कराची जाते हुए गाड़ी परसे अुन्हें निम्न लिखित सन्देश भेजा :

“छूटने पर आपको बधायी देता हूं। राजकोट राज्यको कोअी अच्छे सलाहकार मिल गये, जिससे राज्यकी कन्न खुदते खुदते रूक गयी है। फिलहाल तो राजकोट पर छाये हुए विपत्तिके वादल विखर गये हैं। आप सबके छूट जानेसे आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। असली जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है। राज्यमें चल रही अंधा-धुंधीसे धवरायी हुआ प्रजाने आपके प्रति जो प्रेम दिखाया, वह अुसने आप पर जो आशायें बांधी हैं अुनका प्रतिबिम्ब है। हमारा धर्म

है कि अुसकी अुचित आशाओंको पूरा करनेके लिये मर मिटनेका निश्चय करके हम भविष्यके कार्यकी रूपरेखा तैयार करें।

“श्री लाखाजीराजके स्वर्गवासके बाद राजकोटमें राजा-प्रजाका संबंध बदल गया है। राज्य प्रजाके लिये जिये, जिसके वजाय प्रजा राज्यके लिये किसी न किसी तरह जी रही है। राज्य प्रजाकी छाती पर चढ़ बैठा है। गरीब प्रजाकी रोजमर्राकी मामूली जरूरतोंकी चीजोंके ठेके देकर, प्रजाको भूखों मारकर, भोगविलासको पोषित करनेके लिये प्रजाको लूटनेके नये नये रास्ते खोले गये हैं। जुआ रोकने जैसी निर्दोष प्रवृत्तिको भी राज्य वरदाश्त नहीं कर सकता। अन्तमें जनताके सर्वमान्य हकों पर हमला करके आमसभा पर बिना चेतावनी दिये लाठीप्रहार किया और आपको व आपके साथियोंको जेलमें बन्द करनेकी घृष्टता की। आपको और राजकोटकी प्रजाको कड़ी कसौटी पर कसनेका प्रयोग किया। कुअेंके मेंढककी तरह राजकोटके कोनेमें छिपे हुअे सत्ताधारी यह नहीं देख सकते कि संसारमें क्या हो रहा है, आजका भारतवर्ष किस मार्ग पर और किस गतिसे आगे बढ़ रहा है और आजकी दुनियामें अुनका स्थान कहां है।

“अिन परिस्थितियोंमें राज्यको अुसका असली स्थान बताना चाहिये और अैसी योजना बनाकर, जिससे प्रजाके प्राथमिक अधिकारों पर दुवारा हमला न हो और प्रजाके लिये ही शासन हो, अुसके लिये प्रजाकी सम्मति प्राप्त करके अुसके पक्षमें राजकोटका लोकवल अेकत्रित करनेके खातिर तात्कालिक कार्रवाअी करनी चाहिये। अिसके लिये मौका मिलते ही जल्दीसे जल्दी अेकाघ सप्ताहमें राजकोट राज्यकी समस्त प्रजाकी अेक सभा की जाय और अुस सभाके सामने निश्चित योजना पेश करके मंजूर होने पर अुसे अमलमें लानेका कार्यक्रम सोचनेकी व्यवस्था की जाय।

“में कराची जा रहा हूं। वहांसे लौटने पर आमसभा होगी तो अुसमें अुपस्थित रहनेकी आशा रखता हूं।”

अुपरोक्त सन्देश मिलनेके बाद ५ सितम्बरको राजकोट राज्यकी प्रजा-परिपद् करनेका निश्चय किया गया। गांव गांव परिपद्के समाचार भेज दिये गये। दरवार वीरावालाने अुसके विरुद्ध चालें चलनी शुरू कीं। सना-तनियोंसे, मुसलमानोंसे, जागीरदारोंसे और अन्तमें किसानोंसे भी गांधीजी और सरदारको तार दिलवाये कि हमारे राज्यमें शांति है और परिपद् करनेकी

कोभी जरूरत नहीं है। सरदारको दूसरे तारों पर तो आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु गांवके किसानोंके नामसे दिया गया तार देखकर अन्हें अचंभा हुआ। अन्होंने तार देकर डेवरभाभीसे पुछवाया कि यह सब क्या है? डेवरभाभीने बताया कि यह सारा प्रपंच है। तार पर हस्ताक्षर करनेवालोंमें से भी बहुतसे बदल गये हैं और कहते हैं कि हमें गलत बातें समझाकर हमारे हस्ताक्षर करा लिये गये हैं। अन्तमें निश्चित की हुयी तारीख पर परिषद् हुयी और सरदार अुसमें अुपस्थित हुअे। परिषद्में सर्वसम्मतिसे दायित्वपूर्ण शासनका प्रस्ताव पास हुआ। दायित्वपूर्ण शासनके बारेमें समझाते हुअे सरदारने कहा :

“ आप जानते हैं कि हरिपुरा कांग्रेसने देशीराज्योंको अपने पैरों पर खड़े होनेका आदेश दिया है। स्वावलंबी बनना सीखनेका सिद्धान्त सर्वविदित है। जैसे पड़ोसीके मरनेसे हम स्वर्गमें नहीं जा सकते, वैसे ही बात स्वतंत्रताकी है। अगर हमें स्वतंत्रता चाहिये तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये।

“ अेक समय अैसा भी था जब हमारी मांगें हलकी थीं। आज हमारी ताकत बढ़ गयी है अिसलिये हम ठोस मांगें कर रहे हैं। आजकी सभा तो यही बतानेके लिये की गयी है कि आपको दायित्वपूर्ण शासन चाहिये। हम राजाको पदच्युत नहीं करना चाहते। हम अुसके अधिकारों पर मर्यादा लगाना चाहते हैं। हलकी किस्मके नाटक और खेल-तमाशों पर, गानेवालयोंके नखरों पर और वेश्याओंके नाच पर राजा यदि अनाप-शनाप खर्च करे और किसान भूखों मरें तो अुसका राज्य टिकेगा नहीं। अिसलिये प्रजा राजाके खर्च पर मर्यादा लगानेकी मांग करे, तो अिसमें कोअी आश्चर्य नहीं। मैं तो यहां यह जांच करने आया हूं कि प्रजा सचमुच क्या चाहती है? मैंने देख लिया कि प्रजा शासनतंत्रमें परिवर्तन चाहती है। प्रजा शासनकी जिम्मेदारी संभालनेके लायक नहीं, यह कौन कहता है? जो कहता हो वह अपने दिलसे पूछे कि अुसकी अपनी योग्यता कितनी है? पहले ब्रिटिश भारतमें भी यही कहा जाता था कि जनता तैयार नहीं है। परंतु जनताने सिर फुड़वाये और अब सिर फुड़वानेवाले ही मंत्री बन कर बैठे हैं। राजकोटकी प्रजा यह आशा न रखे कि कांग्रेसके बलसे अुसे सत्ता मिल जायगी। अिसके लिये तो अुसीको त्याग करनेको तैयार रहना पड़ेगा। आपका निश्चय होगा तो आपकी प्रगतिको कोअी रोक नहीं सकेगा। सब राजा मिल जायेंगे तो भी कुछ नहीं कर सकेंगे।”

दरवार वीरावालाने अुसी दिन सरदारको चायके लिअे अपने वंगले पर बुलाया। दोनोंकी अच्छी तरह बातें हुईं। मुलाकातके बाद सरदारने दरवार वीरावालको पत्र लिखा। अुसमें कहा :

“मेरे आनेसे राजा-प्रजाके बीच जो तनाव बढ़ रहा था वह कम हो गया, अिससे मुझे खुशी हुई है। आपके मनमें भी यह डर था कि मेरे राजकोट आनेसे लोग अितने भड़क अुठेंगे कि हिंसा फूट पड़ेगी। परंतु आपने देख लिया कि अैसा कुछ नहीं हुआ। लोगोंकि अुत्साहसे आपको विश्वास हो गया होगा कि अैसे वलोंको अच्छी तरह अंकुशमें न रखा जाय तो वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं और अुसके परिणाम राजा-प्रजा दोनोंके लिअे खतरनाक साबित होते हैं। परंतु राजा-प्रजा दोनोंके बीच शांति स्थापित करने और सद्भाव बढ़ानेके मेरे प्रयत्नोंकी आप कदर करते हैं, यह जानकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। लोगोंमें राज्यके विरुद्ध जो असंतोष फैला हुआ है, अुसके मूल कारण ढूंढकर राज्यको क्या क्या करना चाहिये, अिसके बारेमें आपने मेरे सुझाव मांगे थे सो भेज रहा हूं।

“राज्यके निचके नाते मेरी सलाह यह है कि निम्न परिवर्तन राज्यको अविलम्ब करने चाहिये :

१. राज्य तुरंत अेक घोषणापत्र प्रकाशित करके लोगोंको ब्रताये कि ठाकुरसाहबका अिरादा अपने राज्यमें दायित्वपूर्ण शासन स्थापित करनेका है। फिर ठाकुरसाहब राज्य तथा प्रजा दोनोंके माने हुए प्रतिनिधियोंकी अेक कमेटी नियुक्त करे। अंतिम कदमके रूपमें वह कमेटी जल्दीसे जल्दी दायित्वपूर्ण शासनकी ओर ले जानेवाले सुधारोंकी योजना बना दे।

२. राज्यमें दायित्वपूर्ण शासन जारी करनेके अिरादेके बारेमें लोगोंको विश्वास हो जाय और मीजूदा अविश्वास मिट जाय, अिसके लिअे नीचे लिखे कार्य तुरंत किये जाय :

(क) प्रजा-प्रतिनिधि-सभाका चुनाव फौरन घोषित किया जाय।

(ख) राज्यकी आयके अेक खास अनुपातमें दरवार (राजा)के खर्चकी रकम तय कर दी जाय और अुसकी अधिकसे अधिक रकम घोषित कर दी जाय।

(ग) किसानों पर लगानका भार बहुत भारी है, जिस-
लिसे वर्तमान दरोंमें १५ फी सदी कमी कर दी जाय।

(घ) मौजूदा तमाम ठेके रद्द कर दिये जायें।

“अपरोक्त सुझावके वारेमें आपके हुजूर सेक्रेटरी श्री तलकसीभाभी तथा राज्यके प्रमुख कार्यकर्ताओंसे मैंने चर्चा कर ली है। राज्यके कुछ और मित्रोंसे भी, जो स्वतंत्र विचार रखते हैं और तटस्थ हैं, मैंने बात कर ली है। मैं आपको अितना न बता दूँ तो अपने कर्तव्यसे चूकूंगा कि ये मांगें कमसे कम हैं। राज्य अिन्हें सद्भावपूर्वक स्वीकार नहीं करेगा तो बहुत तीव्र लड़ाईके बाद तो उसे ये मांगें माननी ही पड़ेंगी। यह लड़ाई होगी तो राज्य अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेगा, राज्यकी आयको बहुत हानि पहुंचेगी और राजा-प्रजाके बीचके अच्छे संबंध हमेशाके लिये टूट जायेंगे।

“जिसलिसे मैं आशा रखता हूँ कि आप यह चीज ठाकुर-साहबके सामने रखेंगे और अुन्हें अिन सुझावोंको अविलम्ब अमलमें लानेके लिये समझायेंगे।”

अेक तरफ दरवार वीरावाला सरदारके साथ अपरोक्त संधिवातार्तिजें कर रहे थे और दूसरी ओर अेक नया ही प्रपंच रच रहे थे। ता० २५-८-३८ को अुन्होंने ठाकुरसाहबसे रेजीडेण्ट मि० गिन्सनके नाम यह पत्र लिखवाया था :

“मेरे दीवान वीरावालाका स्वास्थ्य सालभरसे अच्छा नहीं रहता और कुछ असंतुष्ट लोगोंने अपने स्वार्थ-साधनके लिये राज्यमें झूठा आन्दोलन खड़ा कर दिया है। यहां अेजेंसीका केन्द्र होनेके कारण आन्दोलनके लिये अुन्होंने मेरा राज्य चुना है। अैसे समय यहां होशियार और अनुभववी अंग्रेज दीवान हों तो वे जिस आन्दोलनको दबा सकेंगे। मेरे ध्यानमें सर पैट्रिक केडल आते हैं। वे जिस समय निवृत्त होकर विलायत गये हुअे हैं। परंतु अुन्हें २५०० रु० मासिक वेतन देकर शुरूमें छः महीनेके लिये और जरूरत पड़ने पर अेक वर्षके लिये रख लेनेको मैं तैयार हूँ। मैंने अुन्हें तार देकर पुछवा लिया है और अुन्होंने आनेमें खुशी दिखायी है। जिसलिसे आप अुनकी नियुक्तिकी मंजूरी दीजिये और वाअिसराय महोदयकी मंजूरी भी दिलवा दीजिये। आगामी मासकी ५ तारीखको कांग्रेसके लोग राजकोटमें सभा करनेवाले हैं। अुससे पहले मंजूरी आ जाय तो अच्छा हो।”

सर पैट्रिक केडलको बुलवानेकी मंजूरी ३० अगस्तको आ गयी। परंतु ५ सितम्बरसे पहले केडल साहब राजकोट नहीं पहुंच सके। बुन्होंने १२ सितम्बरको आकर दीवानका काम संभाल लिया। दरबार वीरावाला ठाकुर-साहबके खानगी सलाहकार बने। पीछे रहकर मुर्गियां लड़ानेका काम तो बुन्होंने जारी ही रखा।

ये नये दीवान ब्रिटिश भारतमें नौकरी करनेके बाद विलायत जानेसे पहले कभी वर्ष तक जूनागढ़के दीवान रहे थे। राजकोट आये तब बहत्तर वर्षके बूढ़े खुराट थे। दरबार वीरावालाने बुन्हें रयत पर धाक जमानेको बुलाया था। परंतु दमन करनेमें वे वीरावाला चाहें उस गतिसे चलनेवाले नहीं थे। थोड़े दिन तो बुन्होंने परिस्थितिका निरीक्षण करनेमें लगाये। बादमें डेवर-भाभीके साथ सुलहकी थोड़ी बहुत बातचीत की, परंतु उसका कोयी नतीजा नहीं निकला। और लोग तो राज्यके जुलमसे घबरा ही रहे थे। बुन्हें समझानेके लिये २८ सितम्बरको केडल साहबने सरकारी गजटमें अेक घोषणा प्रकाशित की, परंतु उससे लोगोंको संतोष नहीं हुआ। असलिये परिपदमें निश्चित की हुयी मीयाद पूरी होने पर ठेकेवाली दियासलाबीकी पेटिका सार्वजनिक नीलाम करके श्री डेवरभाभीने सत्याग्रहका मंगलाचरण किया। बुन्हें पंद्रह दिनकी सजा दी गयी। राज्यकी तरफसे समाजों और जुलूसोंके बारेमें हुकम जारी किये गये। ठेकों और अिन आज्ञाओंका बुल्लंघन करके लोग जेलें भरने लगे। आन्दोलन गांवोंमें भी जा पहुंचा। १ अक्तूबरको राजकोटसे कोयी बीस मील दूर हलेण्डा गांवमें कूच करके लोगोंने गांवोंको जगाया। केडल साहब मानते थे कि शहरके आन्दोलनको तो देर-सवेर दबाया जा सकेगा, परंतु गांवोंके किसान जाग अुठेंगे तो राज्यको मुश्किल होगी। इसके लिये बुन्होंने साम, दाम, दंड, भेदके सारे अुपाय आजमानेका विचार किया। वे देहातमें दौरा करने लगे और लोगोंको समझाने लगे कि अिन आन्दोलनकारियोंकी बात माननेके वजाय तुम्हारे जो दुःख हों सो मुझे सीधी अर्जी देकर बताओगे तो मैं बुन्हें दूर कर दूंगा।

१ अक्तूबरको बुन्होंने ठाकुरसाहबके नाम अेक पत्र लिखा। उससे फल्पना होती है कि उस समय ठाकुरसाहबकी और राज्यकी कैसी दुर्दशा थी। केडल साहबने ठाकुरसाहबको लिखा :

“कल रातको आठ बजेके पहले मैंने आपसे राज्यके बड़े जरूरी कामसे मिलना चाहा। अुससे अधिक देर मुझे अनुकूल नहीं थी। फिर भी आपने साढ़े आठका समय दिया। अुस समय मैं आया तब मुझे कहा गया कि बापू स्नान कर रहे हैं। नौ बजे तक मैंने प्रतीक्षा की, तब

मुझे कहा गया कि अभी करीब आधा घंटा और लगेगा। जिसलिअे में चला गया। मैंने जैसे भारी असम्य व्यवहारकी आशा नहीं रखी थी। मैं अंग्लैण्डसे आपकी मदद करने यहां आया हूं। परंतु आपके ढंग तो और ही देख रहा हूं। यह स्थिति बहुत समय तक नहीं चल सकेगी। राज्यमें बड़ा अंधेर मचा हुआ है। राज्यके विरुद्ध जो शिकायतें हैं वे आपके अपने आचरणके कारण ही हैं। राज्यकी आयका बहुत बड़ा भाग तो आप जैसे कामोंमें खर्च कर डालते हैं जो राजाको शोभा नहीं देते। राज्यके शासनमें आप कोअी भाग नहीं लेते। प्रजाकी भलाअीका भी कोअी विचार नहीं करते। आपके पिताजी जिस ढंगसे शासन करते थे उससे आपका बरताव अितना भिन्न है कि किसीकी भी नजरमें आये बिना नहीं रहता। आप कुछ भी काम नहीं करते। दमनकारी अुपायोंके अपयशका समस्त भार आपके अफसरोंको अुठाना पड़े यह अुचित नहीं। आपको रोज आकर दरवारमें बैठना चाहिये और लोगोंकी अर्जियां सुननी चाहिये। आज त्यौहारका दिन (माताजीकी अण्टमी) है। जिसलिअे शामको साढ़े पांच बजे आपको शहरमें सैर करने निकलना चाहिये। आपकी जिच्छा होगी तो मैं भी साथ चलूंगा।”

ठाकुरसाहबको तो यह पत्र पढ़नेकी फुर्सत नहीं रही होगी, परंतु दरवार वीरावालाके २ तारीखको असका अुत्तर लिखवाया :

“मौजूदा आन्दोलन तो कांग्रेसवालोंने देशीराज्योंमें जिम्मेदार हुकूमत मिलनी चाहिये, अैसी जो हवा चला दी है उसका परिणाम है। परंतु आपने मुझे जिस किस्मका खत लिखा है उसे देखते हुअे हमारा मेल लंबे समय तक नहीं रह सकता। आपको मेरे सम्मानकी रक्षा करते हुअे मेरी नीतिको अमलमें लानेके लिअे यहां रहना है।”

बेचारे केडलने ठाकुरसाहबके अनुकूल बननेका भरसक प्रयत्न किया। परंतु दरवार वीरावालाको मालूम हो गया कि केडलको लानेसे कोअी लाभ नहीं हुआ। जिसलिअे १६ अक्तूबरको अुन्होंने ठाकुरसाहबसे रेजीडेण्ट मि० गिब्सनके नाम पत्र लिखवाया। उस पत्रमें नेताओं तथा कार्यकर्ताओंके लिअे हलके शब्द काममें लिये गये और यह बतानेकी कोशिश की गयी कि रैयत पूरी तरह अुनके साथ नहीं है। फिर भी राज्यकी स्थिति और राज्यमें चल रहे आन्दोलनकी जैसी कल्पना उससे होती है वैसी और किसी विवरणसे शायद ही हो सकती है। जिसलिअे वह पत्र ही नीचे दिया जाता है :

“मेरे राज्यमें दुर्भाग्यवश जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, वह आपको बताते हुये मुझे बड़ा दुःख होता है। आप जानते हैं कि पहले छिड़े हुये आन्दोलनके कारण डेवर सहित ३५ आदमियोंको पकड़कर जेलमें बन्द किया गया था। सप्तमी और अष्टमीके त्यौहारोंके तीन दिन पहले मजिस्ट्रेटके हुकमसे पुलिसने हलका लाठीप्रहार किया था, जिसके कारण लोगोंने हड़ताल कर दी थी। फिर भी सप्तमी और अष्टमी (शीतला सप्तमी और गोकुल-अष्टमी) के दिन सदाकी भांति मैंने अपनी सवारी निकाली थी। उस समय लोग बड़ी शांति और सम्यतासे पेश आये थे। गोकुल-अष्टमीके दिन सवेरे कुछ लोग मेरे पास आये और मुझसे प्रार्थना की कि मुझे दया करके कैदियोंको छोड़ देना चाहिये और सभावन्दीकी आज्ञाओं रद्द कर देनी चाहिये। मुनकी प्रार्थनाको मानकर मैंने तदनुसार आज्ञाओं दे दीं, यह आप जानते हैं।

“थोड़े दिन बाद शहरमें प्रजा-परिपद् हुयी। उसमें सात-आठ हजार आदमी अिकट्ठे हुये थे। परंतु आवेसे अधिक तो छोटे छोटे वच्चे थे। कोसी अेक हजार मनुष्य सिविल स्टेशनके थे और बाकी शहरके थे। उस परिपद्में वल्लभभायीके आने पर भी प्रतिष्ठित मनुष्य बहुत थोड़े थे। वल्लभभायीके भड़कानेसे लोग ज्यादा भड़के और आन्दोलनने अधिक जोर पकड़ा। इसलिये मैंने सर पैट्रिक केडलको लानेका विचार किया, जिस आशासे कि वे जल्दीसे जल्दी आन्दोलनको दवा सकेंगे और राज्यमें अमन-चैन कायम करेंगे। अुन्होंने लानेमें आपने भी मेरी मदद की। वे ११ सितम्बरको यहां आये और १२ सितम्बरसे दीवानका काम अुन्होंने संभाल लिया। मेरा खयाल यह है कि आन्दोलन उस वक्त काफी काबूमें आ गया था। मैंने सोचा था कि उसे निर्मूल कर डालनेके लिये वे समय रहते कार्रवायी करेंगे। परंतु परिस्थितिसे परिचित होनेके लिये अुन्होंने समय मांगा। मुनकी वृत्ति तुरंत कोसी कदम अुठानेकी मालूम नहीं हुयी और ज्यों ज्यों दिन बीतते गये त्यों त्यों परिस्थिति अधिक कठिन और काबूसे बाहर होती गयी। दियासलायीके ठेकेका खुले तौर पर और राज्यको चुनीती देकर भंग किया गया। मुझे लगा कि कुछ न कुछ करना चाहिये। परंतु लोगोंके नेता डेवरके साथ दीवान केडलने बड़ी ढिलायीसे काम लिया। यहां तक कि उसके घृष्टतापूर्वक किये गये कानून-भंगके लिये उसे केवल पंद्रह दिनकी सादी कैदकी सजा दी गयी। मुझे आपको बताना चाहिये कि डेवरको तत्काल पकड़नेके बजाय दूसरे दिन पकड़ा गया था।

और आन्दोलनकारी देहातमें पहुंचकर वहां अधम न मचा सकें, जिसके लिये कोअी अुचित और सख्त अुपाय किये ही नहीं गये। जिस कारण वे अधिकांश गांवोंके किसानोंके दिलोंमें जहर भर सके। परिणाम-स्वरूप वे राज्य-कर्मचारियोंके सामने अुद्धत बन गये और राज्यके विरुद्ध लड़ने तथा अुसे ययाशक्ति हानि पहुंचानेको कटिवद्ध हो गये। राज्यके बैंक, विजलीघर तथा अन्य विभागों पर हमला करनेसे भी वे नहीं चूके। आन्दोलनके जिस हद तक पहुंचनेसे पहले मजबूत हाथोंसे काम लेना जरूरी था। परंतु सर पैट्रिकने कुछ भी नहीं किया। जिसी कारण जो रैयत पहले वफादार थी वह आज राज्यके विरुद्ध हो गयी है और खुले आम वेवफा होनेके नारे लगाने लगी है। निषेधाज्ञाओंके अभावमें राज्यमें सभाओं तो रोजमर्राकी चीज हो गयी हैं। आन्दोलनका जोर बहुत ही बढ़ गया, तो मैंने राज्यके अफसरोंको जमा किया और लोगोंको कुछ राहत देनेका निश्चय किया। राहत देना मंजूर करते समय मैंने सर पैट्रिकको खास तौर पर बता दिया था कि मैं अपनी रैयतको ये रिआयतें देनेके विरुद्ध नहीं हूं, परंतु मैं ढेवरको छोड़नेके मतका नहीं हूं। क्योंकि अुसे छोड़ देंगे तो वह अधिक तूफान मचावेगा। और आजसे ज्यादा विचाल पैमाने पर और अधिक गंभीर प्रकारका आन्दोलन करनेके लिये हिदायतें लेने वल्लभभाभी पटेलके पास दौड़ जायगा। परंतु सर पैट्रिक मुझसे सहमत नहीं हुअे। अुनका काम सरल कर देनेके लिये मैंने अनिच्छापूर्वक अुनकी नीतिका समर्थन किया। दशहरेके दिन (३ अक्तूबरको) क्या हुआ, यह आपने सुना होगा। अुस दिन राज्यकी जो फजीहत हुयी अुसकी कल्पना करना भी कठिन है। सर पैट्रिकने अुसे अपनी आंखों देखा है। ढेवरको ११ अक्तूबरकी रातको छोड़ दिया गया। अुसका स्वागत करनेके लिये दस हजार आदमियोंकी बड़ी सभा हुयी। अैसा प्रदर्शन हुआ जिससे मालूम होता था कि राज्यका रैयत पर कोअी काबू ही नहीं रहा। जिस प्रकार मुक्त ढेवर राज्यके लिये अधिक हानिकारक साबित हुआ। वह तमाम व्यापारियोंसे मिला और अुसने अैसा अिन्तजाम किया जिससे जकातकी सारी आमदनी बन्द हो जाय। अुसने अैसी व्यवस्था की है कि राज्यका अनाज (किसानोंसे हिस्सेमें मिला हुआ) कोअी आदमी न खरीदे और राज्यकी मिलका कपड़ा कोअी आदमी न तो खरीदे और न बेचे। व्यापारियोंकी दुकानोंमें राज्यकी मिलके कपड़े पर अुसने मुहर लगवा दी है और लोगोंसे अैसा अिकरार करा लिया है जिससे राज्यकी आयके समस्त

साधन बन्द हो जायं। १ नवंबरसे राज्यकी मिल भी बन्द करनी पड़ेगी।

“आपको मालूम हुआ होगा कि लोग अितने अधिक अुद्धत और बेकाबू हो गये हैं कि जिसकी कोजी हद नहीं रही। वे खुले रूपमें राज्यके प्रति बेवफाजी और अप्रीतिके नारे लगाते हैं। यदि सर पैट्रिकने समय रहते कार्रवाजी की होती और बढ़ते हुअे आन्दोलनको दवा दिया होता तथा विपैली सभाओंको बन्द कर दिया होता, तो ये सब बातें रोकी जा सकती थीं या बहुत कम हो सकती थीं। अब तो अैसी स्थिति पैदा हो गजी है कि राजकोटके राज्य और अुसके ठाकुरकी मानो कोजी हस्ती ही नहीं रही। मेरे राज्यको और मेरी रैयतको अितने अधिक दुःख अुठाने पड़े हैं, और आज भी अुठाने पड़ रहे हैं कि अुन्हें देखकर मेरे जैसा अफसोस और किसीको नहीं होगा। यदि यह स्थिति बनी रहने दी जायगी तो राज्य और प्रजाको कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह कहा नहीं जा सकता।

“मैंने ही सर पैट्रिकको बुलाया है और अुन्हें दीवान बनाया है। परंतु दुर्भाग्यसे वे आन्दोलनको दवा देनेमें असफल रहे हैं। आन्दोलन तो प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा है और अधिक जोर पकड़ता जा रहा है। वह प्रतिदिन राजा-प्रजाके हितोंको हानि पहुंचाता जा रहा है। राजाकी हैसियतसे मेरी प्रतिष्ठा और मेरा गौरव कुछ भी नहीं रहा।

“अिन परिस्थितियोंमें मुझे दो ही रास्ते नजर आ रहे हैं। अेक तो यह कि मैं सब कुछ देखता रहूं, राज्यकी आयके साधन बन्द हो जाने दूं तथा राज्यकी बर्बादी होने दूं; या दीवालीसे पहले यह बरका झगड़ा निवटा दूं और प्रजाकी अुचित मांगें पूरी करके लोगोंको खुश और शांत कर लूं।

“व्यक्तिशः दूसरा मार्ग मुझे अधिक हितकर लगता है। मुझे वही मार्ग स्वीकार करना चाहिये। मुझसे राज्यका पामाल होना देखा नहीं जा सकता। असलिये लोगों और राज्यके भलेके लिये यह झगड़ा जितना जल्दी निवट जाय अुतना अच्छा। लोगोंकी अुचित मांगें स्वीकार करके मैं अपने लोगोंसे निवटारा कर लूंगा। सर पैट्रिकने मेरी नीति पर अमल नहीं किया, असलिये अुन्हें दीवानपद छोड़ देना चाहिये। हम जितने जल्दी अलग हो जायं अुतना ही अच्छा है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे बीच मेल बैठना असंभव है। अन्होंने मेरे आचरणकी निन्दा की है और मुझे यहां तक धमकी दी है कि अुसके गंभीर परिणाम होंगे। यह सब अन्होंने मुझे १ अक्तूबरको लिखे हुअे अपने पत्रमें वताया है।

“मैं जानता था कि मेरे लोग अिस बात पर घोर आपत्ति करेंगे कि ढाअी हजार रुपये मासिकका भारी वेतन देकर मैं गोरा दीवान लाअूं। मैं यह भी जानता था कि मेरा यह काम मेरे दूसरे मित्र राजाओंको पसन्द नहीं आयेगा। अितने पर भी मैं सर पैट्रिकको अिसी आशासे लाया था कि मौजूदा कठिन परिस्थितिमें वे मुझे अुपयोगी साबित होंगे। परंतु आप मुझे यह कहनेके लिये क्षमा करेंगे कि मेरी धारणा विलकुल गलत निकली। और अिसलिये अुनका जल्दी यहांसे चला जाना जरूरी है। अैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिके लिये मुझे दुःख हो रहा है। परंतु मैं विवश हूं। मैं आशा रखता हूं कि मुझे अितनी जल्दी सर पैट्रिककी सेवाअें छोड़नी पड़ रही हैं अिसका आप अनर्थ नहीं करेंगे। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि मैं अुन्हें छः महीनेका वेतन देनेको तैयार हूं। मैंने सर पैट्रिकको जो पत्र लिखा है अुसकी नकल साथमें है।

“आप जानते हैं कि मेरे पुराने दीवान दरवार वीरावालाकी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं रहती, अिसलिये मैंने अपनी देखरेखमें काम करनेके लिये अेक कौंसिल नियुक्त करनेका विचार किया है।”

अुसी दिन ठाकुरसाहवने दीवान सर पैट्रिकको पत्र लिखा जिसमें वताया :

“मेरे लोगोंका खयाल है और अुन्हें यह वताया गया है कि आपको यहां सरकारने भेजा है। अिससे लोगोंमें मेरी जो अिज्जत थी वह जाती रही। और, दीवालीकी छुट्टियां नजदीक आ रही हैं। अुससे पहले तमाम ठेके दे देने चाहिये। परंतु लोगोंने वहिष्कार कर दिया है। लोगोंने तो राज्यके अनाजकी विक्रीका भी वहिष्कार कर दिया है। अिसका अर्थ यह होता है कि राज्यकी आर्थिक वर्वादी होने जा रही है और राज्य पर भारी आपत्ति आ पड़ी है। राजाके नाते मुझे राज्य और प्रजा दोनोंका भला सोचकर राज्यको किसी भी कीमत पर अिस आफतसे बचा लेना चाहिये। अिसके लिये मेरा फर्ज है कि प्रथम तो मैं अेक सच्चे और प्रजा-हितचिन्तक राजाके रूपमें अपना स्थान लोगोंमें बनाअूं। मैं अैसा कर सकूं तभी लोगोंको मुझ

पर भरोसा होगा और अन्के साथ मैं समझौता कर सकूंगा तथा अन्का प्रेम और विश्वास संपादन कर सकूंगा। आपके १ अक्टूबरके पत्रसे जान पड़ता है कि आप राज्यमें होनेवाले झगड़ोंका मूल कारण मुझीको मानते हैं। आपके इस आक्षेपसे मैंने अिनकार किया है। परन्तु मैं देखता हूँ कि अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमानकी रक्षा करते हुअे मैं आपके साथ लंबे समय तक निभ नहीं सकूंगा। इसलिये यह सोचनेका काम आप पर छोड़ता हूँ कि आप यहांसे किस तरह जायें। मैं यह देखनेको बहुत ही अुत्सुक हूँ कि जैसे मित्रके रूपमें आप आये वैसे मित्रके रूपमें ही आप विदा हों। आपको छः मासकी अवधिके लिये नौकरी पर रखा गया था। इसलिये राज्यके खजानेके अफसरको मैं सूचना दे रहा हूँ कि आपका वेतन तदनुसार चुका दे। रेव्हेन्यू सेक्रेटरीको भी सूचना दे रहा हूँ कि वह जल्दीसे जल्दी आपसे चार्ज ले ले।”

अपुरोक्त पत्र मिलते ही दूसरे दिन रेजीडेंट मि० गिब्सनने ठाकुरसाहवको मिलने बुलाया और कहा कि आप जो कदम अुठाना चाहते हैं अुससे राज्यको और आपको नुकसान होगा। परन्तु ठाकुरसाहवने रेजीडेंटकी बात नहीं मानी। इसलिये अुसने सम्राटके प्रतिनिधि वाअिसराय महोदयके पोलिटिकल सेक्रेटरीको ठाकुरसाहवका पत्र भेज दिया। २२ अक्टूबरको, जैसा कि खयाल था, जवाब आया कि राज्य और ठाकुरसाहवके हितके खातिर ठाकुरसाहव अपना विचार बदल दें। रेजीडेंटने ठाकुरसाहवको यह समाचार दिया तो वे ढीले पड़ गये। केडलको दीवानके रूपमें कायम रखना अुन्होंने मंजूर कर लिया। और अुनके मातहत अपने दो अफसर नामजद करके तीन आदमियोंकी कौंसिल बनाना स्वीकार किया।

मि० गिब्सनने सोचा कि अकेले ठाकुरसाहवका तो अंसी कोअी कारंवाअी करनेका साहस नहीं हो सकता। यह सब दरवार वीरावालाकी करतूत होनी चाहिये। इसलिये अुन्होंने दरवार वीरावालाको पत्र लिखकर राजकोट छोड़कर चले जानेकी सलाह दी। दरवार वीरावालाने २० अक्टूबरको रेजीडेंटको पत्र लिखा कि वे राजकोट छोड़कर जा रहे हैं। गिब्सनने वीरावालाको लिखा :

“आपने राजकोट छोड़नेका विचार कर लिया यह बहुत समझ-झारीका काम है। आपके स्वास्थ्यको देखते हुअे आपको स्थान-परिवर्तन करने और पूरा आराम लेनेकी जरूरत है।”

अितनी स्पष्ट चेतावनी मिलने पर भी २९ अक्टूबर तक दरवार वीरावालाने राजकोट नहीं छोड़ा। इसलिये मि० गिब्सनने अुन्हें बहुत

धमका कर पत्र लिखा। तब कहीं अन्तमें दरवार वीरावाला राजकोटसे विदा हुआ।

जब केडलको निकालनेका विचार हो रहा था, अुसी बीच १५ अक्तूबरको श्री ढेवरभायी अपनी १५ दिनकी सजा पूरी करके जेलसे छूटे। केडलका विचार किसी भी तरह श्री ढेवरभायीको समझाकर राजमहल पर हो रहे पिकेटिंगको बन्द करानेका था। जिसके लिये श्री ढेवरभायीसे खबर मिल कर और पत्रव्यवहार करके अुन्होंने खूब प्रयत्न किया। अन्तमें २९ अक्तूबरको श्री ढेवरभायीने केडलको लिख दिया कि हमें सिर्फ अितना ही चाहिये कि सार्वजनिक नीलाम या खानगी बातचीत द्वारा राज्यको ठेके देनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये। जब जब राज्यकी तरफसे इस प्रकारका वचन मुझे मिला है, तब तब आप स्वीकार करेंगे कि मैंने राजमहलसे धरना हटा लेनेमें विलंब नहीं किया है। अब भी आप मुझे बता दें कि आपके खानगी पत्रमें जो कुछ लिखा गया है वह अधिकारकी ह्से दिये गये वचनके बराबर है तो धरना हटा लेनेमें मुझे आपत्ति नहीं है। जिसका अुत्तर दूसरे दिन केडलकी ओरसे यह मिला कि आपको पूरी तरह सूचना दिये बिना निजी बातचीत अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा ठेके देनेका प्रयत्न नहीं किया जायगा। जिस पर राज्यके दफ्तरों और महल परसे धरना अुठा लिया गया। केडलकी श्री ढेवरभायीके साथ ये संघिवातार्थिं अुन दिनों हुआ थीं जब अुनका रहना तय नहीं हुआ था। परन्तु २९ अक्तूबरको ठाकुरसाहबने केडल और अन्य दो अधिकारियोंकी कौंसिल बनानेकी घोषणा की। अुसके बाद केडलने सख्तीसे काम लेना शुरू कर दिया। दूसरी ओर दरवार वीरावालाको जाना पड़ा, जिससे लोगोंमें भी अुत्साह फैला और केडलसे निवटनेको वे कटिबद्ध हो गये। गांवोंमें भी सभाओं होने लगीं और जुलूस निकलने लगे और राज्यके बहिष्कारके नारे लगने लगे। केडलकी नीति यह थी कि शहरसे तो निवट लेंगे परन्तु लड़ाईकी हवा गांवोंमें न फैलने दी जाय। अुन्होंने आदेश दे दिये कि अैसी सभाओं और जुलूसोंको लाठीप्रहार द्वारा बिखेर दिया जाय और परिषद्के कोअी स्वयंसेवक गांवोंमें आयें तो अुन्हें मारपीट कर निकाल दिया जाय। थानेदार मोटर लेकर गांव-गांव घूमने लगा और राजकोटसे आनेवाली सूचनाओंका अच्छी तरह अमल करनेकी गांवोंके चौकीदारों और पुलिसको ताकीद करने लगा। जिस असेमें अेक निर्दोष किसानकी हत्या हो गयी। हत्यारेका पता नहीं चला। प्रजाको शंका हुआ कि जिस खूनमें राजाके नौकरोंका हाथ है। राजकोटके नेताओं और स्वयंसेवकोंने जिस शहीद हुआ किसानका राजकोटसे अुसके गांव तक भारी

जुलूस निकाला। जिस हत्याका समाचार जानकर गांववाले अुवल अुठे और राज्यको धिक्कारने लगे। गांवोंमें भी अलग-अलग महालोंके किसानोंके सम्मेलन होने लगे और आन्दोलन अधिकाधिक जोर पकड़ने लगा। अन्तमें ९ नवम्बरको श्री डेवरभाजीको फिर पकड़ लिया गया। जिस दिन वे पकड़े गये अुस दिन सारे राजकोटकी प्रजामें अितना अुत्साह फैला कि लोग टोलियां बना-बनाकर राज्यके विरुद्ध नारे लगाने लगे। रोज जहां सभा होती थी वहां सभा हुअी। सभाके नेता पकड़े जाते और लोगोंको विखेर दिया जाता। जिसके लिये ११ वार लाठीचार्ज करना पड़ा। यों कह सकते हैं कि अुस दिन राजकोटमें दिन भर लाठीचार्ज हुआ। ११ नवम्बरको काठियावाड़ प्रजामंडलके तत्वावधानमें वम्बजीमें अेक सभा हुअी, जिसमें भाषण देते हुअे सरदारने कहा :

“कल सवेरे राजकोटके समाचार पढ़ कर मैं नाच अुठा। कल सुवहसे मैं तो रसके घूंट पी रहा हूं। राजकोटमें जो कुछ हुआ अुससे मुझे लगा कि सचमुच लड़ाविका आरंभ अव हुआ है। सत्ताको पचानेका पूरी तरह मूल्य नहीं चुकाया जाय, तब तक सत्ता मिल भी जाय तो वह गंवा दी जा सकती है। राजकोटकी प्रजा आज थोड़ासा लेकर प्रसन्न हो जाय तो राजकोटके किसानोंने जो आशाअें लगा रखी हैं वे कैसे पूरी होंगी ?

“जेलमें मौतकी सजा पाये हुअे कैदियोंको फांसी लगानेके लिये कैदियोंमें से ही कुछको जल्लाद चुना जाता है। फांसी लगानेके लिये अुन्हें कोबी चार पांच रुपये मिलते हैं और कुछ दिनकी सजा माफ हो जाती है। मालूम होता है ठीक अैसे ही कुछ आदमी राजकोट राज्यने रख लिये हैं। वारह घंटेमें अुन्होंने राजकोटकी प्रजाकी पीठ पर ग्यारह ग्यारह वार लाठियां बरसावहीं। बहुतसी वहनोंके सिर फूट गये। अनेक मनुष्य वेहोश हो गये, अनेक घायल हो गये और खूनके फव्वारे अुड़े। राजकोटके अिस राक्षसी राज्यका प्रजाने सामना किया। अिसमें राजकोटकी प्रजा न तो हारी और न डरी। अिसलिये अुसे वधावी देनेके लिये आप अितनी बड़ी सभामें अिकट्ठे हुअे हैं।

“राजकोटमें अेक भी मनुष्य राज्यके पक्षमें नहीं है। कितने दिन लाठियां मारेंगे ? अेक दिन, दो दिन। तीसरे दिन तो राक्षसोंके हाथ टूट ही जायेंगे। लाठी मारनेवालेको कोबी जवावमें पत्यर मारे, लाठी मारे या गाली दे तो अुसके भीतरका राक्षस भड़कता है।

परन्तु सामना किये बिना मार सहन करे तो अुसमें भी अीश्वरीय भाव पैदा होता है। यही सत्याग्रहका रहस्य है।

“राजकोटके अिन सितमों द्वारा केवल राजकोटकी ही नहीं, परन्तु सारे काठियावाड़की समस्या शीघ्रतासे हल हो रही है। राजकोटके प्रजाजनों पर पड़ी हुआ लोटियां राजकोटके सिंहासन पर ही पड़ी हैं। अेक दिन अैसा आयेगा जब राजकोटका राजा झुकेगा और आंसू वहायेगा। अुस दिन राजकोटकी वहनों पर जिसने लोटियां चलायी होंगी वह तो अपना रास्ता नाप चुका होगा। जब प्रजाके पास सत्ता आयेगी तब अुसे राजकोटकी सीमामें घुसनेका भी अधिकार नहीं रहेगा। केडलने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया था, अुसका अर्थ मैं स्पष्ट करता हूं। अुसने कहा था कि ‘अेक सज्जन सहमत नहीं थे’। वे सज्जन तो जेलमें बैठे हैं, क्योंकि वही सब कुछ थे और शेष सब शून्य थे। ‘वाहरसे सूत्र संचालन करनेवाला’ अर्थात् मैं। परन्तु मैं अुससे कहता हूं कि मेरे बिना राजकोटकी गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी। मैं ब्रता दूंगा कि क्या क्या करना है। वाहरका मैं नहीं हूं, परन्तु वह है जो पांच हजार मील दूरसे आया है। अुसे अन्तमें जाना ही होगा। राजकोटका अर्थ क्या? राजकोटमें तो लाखाजीराजने राज्य किया है और कवा गांधीने दीवानपद सुशोभित किया है। अुस राजकोटसे वेआवरू होकर अुसे घर जाना पड़ेगा। वालिशतभर राजकोट सारे भारतको हिला देगा और ठाकुरके होश ठिकाने ला देगा। भारतके राजा सावधान हो जायें। वे अूपरी सत्ताके बल पर कूद रहे हों तो जान लें कि वह अूपरी सत्ता अिसमें दखल देगी तो अुसे भी लेनेके देने पड़ जायेंगे।

“राजकोटकी प्रजाको मेरी अेक ही सलाह है कि राज्यके अेक भी अधिकारीके साथ, राजाके किसी भी नौकरके साथ या खुद राजाके साथ भी किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखे। राजमहलमें दावे पैदा हों या राज्यके साथ और कोअी सम्बन्ध हो तो वह सब अभी छोड़ दे। राजकोटसे ग्रहणको निकालकर और स्नान करके जब हम राजकोटमें प्रवेश करेंगे, तब निश्चिन्ततासे ये सब मामले निबटा लेंगे। खुद राजकोटके ठाकुर केडलको लेकर गांवकी गलियोंमें मोटरमें घूमने निकलें या सवारी निकालें तो भी अुन्हें देखने न जाना। घरके द्वार बन्द करके बैठे रहना। राजकोटकी प्रजाके पास यह अेक ही महामंत्र है। राजमहल पर घरना देना पड़े, अिसमें

राजकोटकी प्रजाकी शोभा नहीं। काठियावाड़ियोंसे मेरा अके अनुरोध है कि अभी अन्यत्र कहीं भी ध्यान न लगाना। पहले राजकोटकी समस्या हल हो जाने दीजिये। बादमें आपकी गुत्तियां अधिक आसानीसे सुलझ जायंगी। बिस संग्रामका निर्णय तो तभी होगा जब हमारी सारी मांगें पूरी हो जायंगी।

“राजकोट काठियावाड़का केन्द्र है। काठियावाड़का सत्त्व राजकोटमें है। वह काठियावाड़की नाक है। राजकोटके संग्राममें काठियावाड़की बिज्जतका सवाल है। आठ करोड़की गुलामीके बन्दन तोड़नेकी लड़ावी वहीं लड़ी जा रही है।”

बिसके बाद ता० २१-११-३८ को अहमदावादमें अके सार्वजनिक सभा हुयी, जिसमें भाषण देते हुअे सरदार साहवने कहा :

“आप सब आज मुझसे राजकोटकी लड़ावीका इतिहास सुननेके लिये अिकट्ठे हुअे हैं। मैं बहुत वर्षोंसे काठियावाड़की समस्या हल करनेका प्रयत्न कर रहा था और कभी वार मैंने निराशा भी अनुभव की थी। क्योंकि यह नहीं सूझता था कि कहां पैर रखा जाय। मेरी यह अके आदत हो गयी है कि अके वार जहां पैर रख दिया वहांसे अुसे पीछे नहीं हटाता। जहां पैर रखकर वापस लौटना पड़ता हो वहां पैर रखनेकी मेरी आदत नहीं। वैसे राजकोट तो वह राज्य है जहां कवा गांधीने दीवानगिरी की है, जिनके पुत्रने दुनियाभरमें भारतको प्रसिद्ध कर दिया है। अुन्होंने हमें स्वाभिमानका पाठ पढ़ाया है। अुस काठियावाड़का ऋण किस प्रकार चुकाया जा सकता है, बिसका विचार करते हुअे मैंने अनेक रातें जागकर काटी हैं। अन्तमें अीश्वरकी दया हुयी है। अीश्वरने वह ऋण चुकानेका रास्ता दिखा दिया है। काठियावाड़ राजनैतिक परिपदके मंत्री श्री डेवरभाजीने ‘जन्मभूमि’ में पांच लेख लिखे और मुझे भेजकर लिखा कि रास्ता बताविये। मैंने अुनसे कहा कि अब लेख लिखनेसे काम नहीं बनेगा। आपने प्रजाकी नाड़ीपरीक्षा कर ली है। वैसे मैं अेजेंसीको प्रार्थनापत्र देनेमें विश्वास नहीं रखता। आज राजा-प्रजा दोनों बैठे बैठे सर्वोपरि सत्ताके मुंहकी ओर ताक रहे हैं। परन्तु सच्ची सर्वोपरि सत्ता कोअी अूपरकी सरकार नहीं। असली सर्वोपरि सत्ता तो आपकी प्रजा है। आप और कोअी आशा रखते हों तो आपका सारा हिसाब गलत निकलेगा। अिन राज्योंकी लड़ावियोंका फैसला अके ही तरहसे हो सकता है। राजाओंको प्रजा

मांगे वैसा शासन देना ही पड़ेगा। राज्य कैसा हो और किस प्रकार किया जाय तथा कानून कैसे बनाये जायं और कैसे न बनाये जायं, यह देखनेका काम केडलका या गिक्सनका नहीं; असा करनेका अन्हें अधिकार ही नहीं है। राज्य कैसे किया जाय, अिसके लिये तो राजकोटकी प्रजाको पूछना होगा। प्रजाके जो प्रतिनिधि आज जेलमें पड़े हैं अन्हें पूछना होगा। अिस समय राजकोटमें तथा गोरा दीवान लाया गया है। वह हमारे देशमें बहुत समय तक रह चुका है। आया तभीसे अुसने आर्डिनेंस निकालने शुरू कर दिये हैं। और लोगोंने अन्हें तोड़ना आरंभ कर दिया है। नया दीवान कहता है कि हम प्रजाको शासनमें अधिक हिस्सा देनेको तैयार हैं। परन्तु हम अिस गंदगीमें हिस्सा क्यों लें? हमें तो जमीन साफ करनी है। अिस आगको अिस हृद तक तेज करके दिखाना है कि अुसमें यह गंदगी जल जाय। यह नया दीवान कहता है कि राजकोटकी लड़ाकीकी डोर में हिला रहा हूं। मैं कहता हूं कि तुम कितना ही जोर लगा लो तो भी मेरे दिना तुम्हारी गुथी नहीं सुलझेगी। यह कोअी दच्चाका खेल नहीं। यदि अपनी कठोर दमन नीति पर आशाअें लगाओगे, प्रजामें फूट डालनेकी अुम्मीद रखोगे, तो बहत्तर वर्षकी पक्की अुन्नमें सारी जिज्जत मिट्टीमें मिलाकर धर जाओगे। तुमने अिस देशमें बड़ी राजनीतिज्ञता दिखाअी है। मैं कोअी राजनीतिज्ञ नहीं। मैं तो अेक किसान हूं। मेरे पास तो नकारका अेकमात्र अुपाय है। किसी दीवानकी ताकत नहीं कि प्रजाकी मरजीके विरुद्ध कुछ कर सके।”

देवरभाअीके पकड़े जानेके बाद सरदारने अपनी पुत्री मणिवहनको ११ नवम्बरको राजकोट भेजा। अुन्होंने गांव गांव घूमकर किसानोंको खूब हिम्मत दिलाअी और अुनमें लड़ाकीका जोश कायम रखा। अुनका तेज राज्यसे सहा न जा सका, अिसलिये ५ दिसम्बरको अुन्हें गिरफ्तार कर लिया। अुनकी गिरफ्तारीके समाचार प्रकाशित होते ही अहमदाबादसे श्री मृदुलावहन साराभाअी राजकोट जानेको तैयार हो गअीं। अुनकी माता श्री सरलादेवी राजकोटकी हैं, अिस नाते अुनका यह दावा था कि राजकोटकी लड़ाकीमें भाग लेनेका अुन्हें अधिकार है। परन्तु राज्यने अुन्हें स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया।

लड़ाकीका जोर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अिसलिये काठियावाड़के दूसरे राजाअें और दीवानोंको यह लग रहा था कि समझौता हो जाय तो

अच्छा। भावनगरके दीवान श्री अनंतराय पट्टणीके मनमें यह यज्ञ कमानेका विचार आया। अन्होंने दरवार वीरावालाको राजकोट बुलाया और अनके साथ वे ठाकुरसाहबसे मिले। परन्तु रेजीडेण्ट मि० गिन्सन तो यह चाहते थे कि दरवार वीरावालाको राजकोटमें पैर ही नहीं रखना चाहिये। जिसलिये ता० २५-११-'३८ को अन्होंने दरवार वीरावालाको पत्र लिखकर सूचित किया कि मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आप राजकोट आये हुये हैं। श्री अनंतराय पट्टणीको आपसे मिलना था तो आपको भावनगर बुलाना था। या अन्हें आपसे मिलने नटवरनगर (दरवार वीरावालाका वतन) जाना चाहिये था। मैंने आपको सलाह दी है फिर भी आप राजकोट क्यों आये? परन्तु वीरावाला राजकोट आनेके बाद यह कहकर कि अनकी तवीयत सफर करने योग्य नहीं है, राजकोटमें ठहर गये। जिसलिये गिन्सनने अन्हसे कहा कि आप ठाकुरसाहबसे हरगिज न मिलें। फिर भी वीरावाला राजमहलमें गये, यह खबर लगते ही पोलिटिकल अजेंट मि० डेवीने अन्हें ता० २९-११-'३८ को लिखा कि राजकोटमें किसीसे न मिलनेका वचन देकर भी आप राजमहलमें गये, यह सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं आशा रखता हूं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो गये होंगे और कल नटवरनगरका सफर करनेमें आपको कोअी दिक्कत नहीं होगी।

बिन बातोंका अल्लेख सिर्फ यह दिखानेके लिये किया गया है कि वीरावालाकी रेजीडेंसीके कर्मचारियोंके सामने क्या स्थिति थी। वैसे, ठाकुरसाहब वीरावालासे पूछे बिना कुछ कर नहीं सकते थे। दरवार वीरावाला भी अत्युक्त थे कि समझौता हो जाय और वे मानते थे कि समझौता करना हो तो सरदारके साथ ही हो सकता है। जिसलिये श्री अनंतराय पट्टणी और दरवार वीरावाला ठाकुरसाहबसे मिले। ठाकुरसाहबकी बिच्छा किसी भी तरहसे समझौता करनेकी मालूम हुआ, जिसलिये श्री अनंतराय गांधीजीसे मिलने बर्धा गये। समझौता किस ढंग पर हो तो प्रजाको सन्तोष हो सकता है, जिसका मसौदा गांधीजीने बना दिया। उसे लेकर श्री अनंतराय अहमदाबादमें सरदारसे मिले। और बादमें राजकोट जाकर ठाकुरसाहब और दीवान सर पैट्रिक केडलसे मिले। ठाकुरसाहबको वह मसौदा मंजूर था। जिस पर यह तय हुआ कि केडल सरदारसे वम्बयीमें मिलें। तदनुसार श्री अनंतरायने २९ नवम्बरके दिन सरदारके साथ वम्बयीमें केडलकी मुलाकातकी व्यवस्था की और लगभग सब कुछ तय हो गया। परन्तु केडल और रेजीडेण्टको पसन्द न था कि असा समझौता हो। जिसलिये ९ दिसम्बरको केडलके हस्ताक्षरसे अके घोषणा प्रकाशित की गयी, जिसमें १४४वीं धाराका अमल दो मासके लिये और बढ़ा दिया गया। दूसरी घोषणामें कहा गया :

“ठाकुरसाहवने जमीनके लगानमें कमी की है और बहुतसे ठेके रद्द कर दिये हैं। फिर भी आन्दोलन जारी है, यह देखकर हमें अफसोस हो रहा है। राज्यके शासनमें प्रजाको अधिक हिस्सा देनेके लिये भी वे तैयार हैं। और जिसके लिये अन्होंने कुछ परिवर्तन करनेका निश्चय किया है। प्रजा-प्रतिनिधि-सभा प्रजा द्वारा चुनी जायगी और राज्यके लोकहितकारी विभाग अुस सभाके प्रति जिम्मेदार मंत्रियोंको सौंपे जायंगे। नयी प्रजा-प्रतिनिधि-सभा राजा और प्रजाके हितमें काम करेगी। ठाकुरसाहवने सरकारी और गैरसरकारी सदस्योंकी अेक कमेटी भी नियुक्त करना मंजूर किया है। वह कमेटी जमीनके लगानमें जिस प्रकार कमी करेगी कि लगान प्रजा पर भाररूप न हो, परन्तु शासनका खर्च चलाने जितना ही हो। रैयत पर करका बोझ ब्रिटिश भारतसे अधिक नहीं रखा जायगा। ठाकुरसाहवको जिस बातका अफसोस है कि आन्दोलन जारी रहनेसे प्रजाको नुकसान हो रहा है और व्यापारियोंको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।”

केडलके साथ जिस ढंग पर समझौता करनेकी बात हुआ थी, अुसके बजाय राज्यकी तरफसे अपरोक्त आशयकी घोषणा निकली। यह देखकर सरदारको बड़ा आश्चर्य हुआ। जिसलिये अुसके जवाबमें १० दिसम्बरको अुन्होंने नीचेका वक्तव्य प्रकाशित किया :

“राजकोटके वर्तमान आन्दोलनके विषयमें राज्यकी ओरसे जो घोषणा प्रकाशित हुआ है, अुसे देखकर मुझे दुःखके साथ आश्चर्य हो रहा है। मुझे अुसमें विश्वासघात हुआ मालूम होता है। नीचेकी बातोंसे यह चीज स्पष्ट हो जायगी।

“सर पैट्रिक केडल २९ नवम्बरको मुझसे मिले, अुससे पहले ठाकुरसाहवकी तरफसे प्रकाशित की जानेवाली घोषणाका यह मसौदा अुनके सामने था :

‘अपने प्रति हुअे अन्यायको दूर करनेके लिये लोगोंको सविनय भंगका आश्रय लेना पड़ा है और अुस सिलसिलेमें अुन्हें कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं, यह देखकर मुझे दुःख होता है। मैंने देख लिया है कि सही या गलत तौर पर मेरे राज्यमें हो रहा आन्दोलन अितना लोकप्रिय बन गया है कि मैं अुसकी अपेक्षा नहीं कर सकता। मैं यह भी देखता हूँ कि जिस आन्दोलनने सारे हिन्दुस्तानका और अंग्लैण्डका भी ध्यान आकर्षित

कर लिया है। लोग अपने जिन कामोंको निर्दोष समझते हैं उनके लिये उन्हें जेलमें बन्द करते रहना किसी भी राज्यके लिये लाभप्रद नहीं है। जिसलिये मैंने निश्चय किया है कि सार्वजनिक धमादान करके सविनय कानून-भंगके सभी कैदी मुक्त कर दिये जायं, उनके जुमाने माफ कर दिये जायं और तमाम दमनकारी कदम वापस ले लिये जायं।

‘जिसके सिवा मैं नीचे लिखे लोगोंकी एक कमेटी नियुक्त करता हूँ। मेरे दीवान सर केडल उसके अध्यक्षके रूपमें काम करेंगे। यह कमेटी दस सदस्योंकी होगी, जिनमें से सात परिषद्के सदस्य होंगे। उनका चुनाव सरदार वल्लभभाजी करेंगे। दो सदस्य राज्यके अधिकारी होंगे। उनकी नियुक्ति कमेटीके अध्यक्ष करेंगे। यह कमेटी सुधारोंकी एक योजना तैयार कर देगी। उस योजनामें सम्राट्के प्रति मेरे कर्तव्यों और राजाके नाते मेरे विशेष अधिकारोंके साथ सुसंगत हो जिस ढंगसे लोगोंको अधिकसे अधिक विशाल सत्ताओं दी जायंगी। मेरी यह इच्छा है कि मेरा निजी खर्च नरेन्द्रमंडलके निश्चयानुसार राज्यकी आयके दशांश तक मर्यादित कर दिया जाय। मैं अपनी प्रजाको विशेष वचन देना चाहता हूँ कि अपरोक्त कमेटी जो योजना पेश करेगी उस पर मैं पूरी तरह अमल करूंगा। जिस कमेटीको आवश्यक सबूत लेनेका अधिकार होगा। उसे योजना तैयार करके १५-१२-३८ से पहले मेरे सामने पेश करनी है।’

‘घोषणाका अपरोक्त मसौदा ठाकुरसाहब और सर पैट्रिक केडलको मंजूर था। यह सावित करनेके लिये मेरे पास प्रमाण हैं। परन्तु सर पैट्रिक केडलको कुछ शंकाओं थीं जो उनकी लिखी हुआ हैं। वह मूल लेख मेरे पास है। उन्होंने ये मुझे खड़े किये थे :

१. घोषणाके प्रास्ताविक भागकी भाषा।

२. कमेटी अपना काम कर रही हो उस बीच आन्दोलन बन्द कर देनेका वचन दिया जाय। जिस वचनका लिखित होना जरूरी नहीं।

३. दीवान, जो राज्यका वैतनिक नौकर है, के सिवा कमेटीके अन्य सदस्य राज्यकी रैयतमें से होने चाहिये।

४. कमेटी जो सुधार सुझाये उन्हें ठाकुरसाहबको भी, भले ही औपचारिक रूपमें सही, अनुमति देनी चाहिये।

“हमारी मुलाकात होनेसे पहले सर पैट्रिक केडलके साथ स्पष्ट बात हो गयी थी कि यह मसौदा संपूर्ण रूपमें स्वीकार न हो तो हमारे मिलनेका कोअी अर्थ नहीं। अउके खड़े किये गये मुद्दोंके बारेमें खुद अउन्हींने कहा था कि अउके बारेमें मुझे संतोष न हो तो वे अउन्हीं छोड़नेको तैयार होंगे।

“परन्तु जब हम मिले तब मैंने देखा कि सारी परिस्थिति बदल गयी है। अिस परिवर्तनके कारण मुझे मालूम नहीं। हमारी मुलाकातमें सर पैट्रिकने कहा कि राजाके विशेष अधिकारोंका अर्थ निश्चित होना चाहिये। अउन्हींने यह भी सुझाव दिया कि समझौतेमें दायित्वपूर्ण शासनकी बात नहीं आनी चाहिये, जब कि सारा मसौदा ही दायित्वपूर्ण शासनको ध्यानमें रखकर बनाया गया था। यह चीज कमेटी पर छोड़ दी गयी थी, मगर सर पैट्रिक केडल तो कमेटीके अधिकार सीमित कर देना चाहते थे। अिसलिये मेरे किसी दोषके बिना हमारी मुलाकात अघूरी रही। परन्तु पांच घण्टेकी बातचीतके बाद सर पैट्रिक केडलने कहा था कि हम मित्रोंके रूपमें जुदा हो रहे हैं। अब दरवारकी ओरसे जो यह दूसरी घोषणा प्रकाशित हुयी है, अुसे मैं मित्रताका कार्य नहीं मानता। मैं तो रोज यह आशा रखता था कि कोअी अच्छे समाचार सुननेको मिलेंगे और राज्यमें हो रहा दमन, जो अनिवार्य नहीं है, जल्दी समाप्त हो जायगा तथा राजकोटमें अुज्ज्वल भविष्यका अुदय होगा। मैं सर पैट्रिकको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे अपनी दमन नीतिसे लोगोंके जोशको कुचल नहीं सकेंगे। अन्तमें प्रजाकी बात ही रहेगी। वे प्रजाको नहीं पहचानते। अखिर वे विदेशी हैं। अउन्हीं अपनी मर्यादाअें समझनी चाहिये। ठाकुरसाहवके बारेमें मेरे पास यह माननेके कारण हैं कि वे अिस लड़ाअीका अन्त करनेको आतुर हैं। प्रजाके साथ अउके सम्बन्धोंको सर केडल कड़वे न बनायें। परन्तु सर पैट्रिक तो सिविल सर्विसके अफसरके नाते अपनेको शासक जातिका प्रतिनिधि मानते हैं। और अिस प्रकार ठाकुरसाहवकी अिच्छाओंका वफादारीसे अमल करनेके लिये बंधा हुआ अेक नौकर बननेके वजाय ठाकुरसाहवका अधिकार खुद ही हजम कर लेते हैं।”

अिसका जवाब सर पैट्रिक केडलने अिस प्रकार दिया :

“हमारी मुलाकात विलकुल खानगी रखी गयी थी, अिसलिये अुसमें हुयी चर्चामें मैं पड़ना नहीं चाहता। परन्तु श्री वल्लभभाभी

पटेलने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया है और ठाकुरसाहवकी घोषणाको वे निश्वासघात कहते हैं, जिसलिये असलियत वताना आवश्यक हो जाता है। मुझे विना पूछे और मुझे बताये विना बाहरके पड़ोसी राज्यके अेक दीवानने समझौता करानेके मित्रतापूर्ण हेतुसे जिस मामलेमें दखल दिया। वे ठाकुरसाहवका पत्र लेकर बर्वा और वम्बजी गये। और अहमदाबादसे समझौतेके लिये अेक मसौदा ले आये। यह मसौदा मुझे नहीं दिया गया था, परन्तु मैंने अुसका मजमून कच्चे रूपमें पेंसिलसे नोट कर लिया था। मैंने कुछ अैसे मुद्दे नोट किये थे, जो राजकोट दरवारको स्वीकार नहीं हो सकते थे। बादमें मुझे श्री वल्लभभाजी पटेलसे मिलनेका सुझाव दिया गया। वह मुलाकात मैंने मांगी नहीं थी। परन्तु मुझे वम्बजी तो जाना ही था, जिसलिये अुस दीवानने टेलीफोन करके श्री वल्लभभाजीके साथ मेरी मुलाकातकी व्यवस्था कर दी।

“मुझे यह सूचना विलकुल नहीं दी गयी थी कि राजकोट दरवार जिस मसौदेको माननेके लिये बंधे हुये हैं। यह बात भी नहीं हुयी थी कि यदि अुठाये गये मुद्दों पर श्री वल्लभभाजी पटेलको आपत्ति होगी तो मैं अुन्हें छोड़ दूंगा।

“मैंने तो तुरंत पूछा था कि श्री वल्लभभाजीकी सूचनानुसार कमेटी बना दी जाय तो राजाके अधिकार कितने होंगे? वह मुलाकात खानगी थी, जिसलिये श्री वल्लभभाजीने जो शब्द कहे अुन्हें यहां अुद्धृत करना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी मुझे अुद्धृत करना पड़ रहा है। अुनके शब्द ये थे कि राजा आयके दस फीसदीका जमींदार बनकर रहेगा। अर्थात् जमींदारके तौर पर अुसे आमदनीका दसवां भाग मिलेगा। और राजाके रूपमें अुसकी अमुक प्रतिष्ठाकी रक्षा की जायगी। जिसके सिवा अुसे कोअी अधिकार नहीं रहेंगे।

“ठाकुरसाहवने हफ्तेभर बाद अपनी प्रजाके लिये जो घोषणा प्रकाशित की है और राज्यमें कुछ सुचारु जारी करनेका जो विरादा जाहिर किया है, अुसमें श्री वल्लभभाजी पटेलके साथ हुयी चर्चाका अुल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि अुसके साथ जिस घोषणाका कोअी संबंध नहीं था। श्री वल्लभभाजी पटेल यह कहते हैं कि मेरे साथ हुयी अुनकी बातचीतके कारण राजाको अपनी प्रजासे कुछ भी कहनेका अधिकार नहीं। लेकिन यह बात मानी नहीं जा सकती।”

सरदारने सर पैट्रिक केडलको जिस प्रकार अुत्तर दिया :

“मेरे वक्तव्यका सर पैट्रिकने जो जवाब दिया है, वह मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। उसमें दो बातें साफ सामने आती हैं। ठाकुरसाहब द्वारा प्रकाशित की जानेवाली घोषणाका मसौदा अन्होंने देख लिया था, यह वे स्वीकार करते हैं। अन्होंने उसकी नकल नहीं की तो यह उनका दोष था। वे मंजूर करते हैं कि अन्होंने उसमें से कुछ नोट ले लिये थे और यह भी स्वीकार करते हैं कि कुछ मुद्दे भी, जिनकी अन्होंने मुझसे अधिक सफाजी कराजी थी, अन्होंने अतार लिये थे। उनके जवाबसे मालूम होता है कि उस मसौदेको, जिसे गांधीजीने तैयार किया था और जिसे मैंने मंजूर किया था, स्वीकार कर लेनेके लिये ठाकुरसाहब बंधे हुए थे। ऐसा नहीं होता तो अन्होंने वह मसौदा देखा, उसमें से कुछ नोट लिये और मेरे साथ चर्चा करनेके लिये मुद्दे अतार लिये, जिसका और क्या अर्थ हो सकता है? अितना ही अर्थ हो सकता है कि अन्होंने जो मुद्दे निकाले थे अन्हें छोड़कर बाकी सारा मसौदा अन्हें भी मान्य था। क्या ठाकुरसाहबके शब्दोंका कोजी मूल्य नहीं है? क्या सर पैट्रिक अेक दीवानकी हैसियतसे अपने राजाकी अच्छाकी अवहेलना कर सकते हैं? यदि राजकोटकी प्रजा यह देखना अपना धर्म समझे कि ठाकुरसाहबके वचनोंका पालन हो तो वे क्या कहेंगे? मेरे लिये यह सावित करना प्रस्तुत नहीं कि जो तीन मुद्दे अन्होंने अुपस्थित किये अन्हें मैं मंजूर न करूं तो जिस पर वे समझौता नहीं तोड़ सकते। अन्होंने जो अुत्तर दिया है उसी परसे मैं तो यह दावा करता हूं कि कथित सुधारोंकी जो घोषणा प्रकाशित की गयी है उसमें ठाकुरसाहबके और सर केडलके अपने वचनोंका भंग होता है।

“सर पैट्रिक केडल कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा था कि ठाकुरसाहब दस फी सदीके जमींदार बन जाते हैं। जिसमें तो ठाकुरसाहबके और मेरे बीच वैमनस्य पैदा करनेके अशोभनीय प्रयत्नके सिवा और कुछ नहीं है। अन्हें याद रखना चाहिये कि ठाकुरसाहबके राजाके नाते विशेषाधिकारोंकी रक्षाकी जिम्मेदारी मैंने ली थी। परंतु वचनभंगके मुद्देकी चर्चामें यह बात महत्त्वकी नहीं कि मैं क्या बोला या नहीं बोला। सर पैट्रिकके जवाबमें जो दूसरी त्रुटियां हैं उनकी बहसमें मैं नहीं पडूंगा। क्योंकि वचनभंगका जो मुद्दा उनके अपने वक्तव्यसे काफी सावित हो जाता है, उस परसे प्रजाका ध्यान हटाकर उसे मैं दूसरी बातों पर नहीं ले जाना चाहता।”

जिस समय सरदारकी दीवान सर पैट्रिकके साथ यह चर्चा चल रही थी, तब दरवार वीरावाला बगसरामें रहकर दीवान केडलको अेक तरफ रखकर सरदारके साथ झगड़ेका समझौता करनेकी सिफारिश कर रहे थे। अुनकी तजवीज यह थी कि ध्रांगध्राके राजा साहव मध्यस्थ वनें। ध्रांगध्राके अेक सज्जन श्री दुर्गाप्रसादको लिखे गये पत्रमें सरदारके वारेमें ता० ६-१२-'३८ को राजकोटके ठाकुरसाहवने लिखा — He is the only reasonable fellow to come to proper terms and end this impasse. (वही अेक समझदार व्यक्ति हैं, जिनके साथ अुचित समझौता हो सकता है और जो अिस झगड़ेको खतम करा सकते हैं।) ये दुर्गाप्रसाद राजकोटके ठाकुरसाहवका पत्र लेकर बम्बयीमें सरदारसे मिले थे। अुसके बाद सरदारने ता० १८-१२-'३८ को राजकोटके ठाकुरसाहवको बंबयीसे निम्न पत्र लिखा :

“श्री राजकोट ठाकुरसाहव,

“आपका श्री दुर्गाप्रसादभाजीके नाम लिखा पत्र अुन्होंने मुझे बताया। अुनके साथ सारी बातें होनेके बाद यह पत्र लिख रहा हूं। थोड़े दिन पहले श्री अनंतरायभाजी आपका पत्र लेकर महात्माजीके पास बर्धा गये थे। और वहांसे अुनके हाथका पत्र लेकर मेरे पास अहमदाबाद आये थे। केडलने अुस पत्रकी नकल पढ़ी और अुसमें बताया गयी समझौतेकी शर्तोंके वारेमें विस्तृत चर्चा की। बादमें दोनों आपसे मिले और वे शर्तें आपको पढ़ सुनायीं। केडलने अुनमें कुछ मामूली परिवर्तन करनेका सुझाव दिया और अपने हाथसे वे सुझाव कागज पर लिखकर अनंतरायभाजीको दिये। अिसके बाद मुझे टेलीफोनसे खबर दी गयी कि ठाकुरसाहव और केडलको वे शर्तें मंजूर हैं। अिसके आघार पर केडलके सुझाव पर बंबयीमें मुझसे मिलनेकी व्यवस्था की गयी। अिसके बाद केडल साहव मुझसे मिले। अुस समय अनंतरायभाजी मौजूद थे। अिस वार केडल साहव बदल गये और बोले कि ठाकुरसाहवने भी ये शर्तें मंजूर नहीं की हैं। अिसलिये समझौता टूट गया। यह जानते हुअे कि ये शर्तें महात्माजीने खुद अपने हाथसे लिखी हैं अिसलिये अुनमें कोअी परिवर्तन नहीं हो सकेगा और अुन्हें मान लेनेके बाद अब मुकर जाना केडलको शोभा देता है या नहीं सो तो वह जानें। परंतु आपको तो यह हरगिज शोभा नहीं देता। सार्वजनिक रूपमें वचन-भंगका आरोप लगे और फिर बिना कारण

राज्यकी बदनामी हो और प्रजाको परेशानी अुठानी पड़े, यह अच्छा नहीं।

“जो शर्तें मंजूर की गयी थीं उन पर आप अब भी कायम हों तो मैं आपका पत्र मिलते ही वहां आ जाऊंगा और प्रजाको समझा कर लड़ाईको खतम करा सकूंगा। महात्माजी आपके परिवारके संबंधी हैं। उन्होंने जो सलाह दी है वह आपके हितोंके विरुद्ध ही नहीं सकती। मेरा या किसीका जिस लड़ाईमें आपके प्रति व्यक्तिगत रागद्वेष नहीं है। राज्य और प्रजाका भला जितना हम चाहते हैं उतना विदेशी हरगिज नहीं चाहेंगे। लड़ाईका अन्त लाना आपके अधिकारकी बात है। जिसमें कोई दखल नहीं दे सकता। आप प्रजाको खुश करके उसके साथ समझौता कर लेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। झूठी धमकियोंसे डरनेका कोई कारण नहीं। इसी तरह प्रपंची और स्वार्थी मनुष्योंकी सलाह मानकर व्यर्थ देर करके तथा राज्यकी बदनामी करके दुःखी न होअिये और प्रजाको व्यर्थ दुःखी न कीजिये। फिर जैसी आपकी अच्छा। श्रीश्वर आपका भला करे।

वल्लभभाजीके वन्देमातरम्”

अपरोक्त पत्र मिलनेके बाद ठाकुरसाहबने सरदारको राजकोट आनेका संदेश भिजवाया। उस पर ता० २५-१२-३८ को दोपहरमें विमानसे सरदार राजकोट पहुंचे। उन्होंने फौरन ठाकुरसाहबको यह पत्र भिजवाया :

“श्री राजकोट ठाकुरसाहब,

“मैं अभी अभी राजकोट आया हूं। राजकोटकी परिस्थितिसे परिचित हो गया हूं। मेरे और दीवान साहबके बीच हमारी बंबाईकी मुलाकातके संबंधमें जो खुली चर्चा हुई उसे आपने अखबारोंसे जान लिया होगा। यह माननेके सबल कारण हैं कि यह सारी गलतफहमी जानबूझकर कुछ खास हेतुओंसे पैदा की गयी है। और मैं मानता हूं कि इसीलिअे समझौता रुक गया है। आपको अैसा लगता हो कि आपसे मिलनेसे यह गलतफहमी दूर हो सकती है तो मैं सच्ची वस्तु-स्थिति समझानेके लिअे तैयार हूं।

वल्लभभाजीके वन्देमातरम्”

ठाकुरसाहवने तुरंत जिस प्रकार भुत्तर लिखा :

अमरसिंहजी सेक्रेटेरियट,
राजकोट राज्य
२५ दिसम्बर, १९३८

“ प्रिय सरदार वल्लभभाजी,

“ आपका पत्र अभी मिला । उसके लिये धन्यवाद । आज शामको ५ बजे आकर मेरे साथ चाय पियें तो मुझे खुशी होगी ।

“ अुस समय हम वर्तमान प्रश्नों पर मेरी कांसिलके सदस्योंके सामने चर्चा कर लेंगे ।

आपका
घमँन्द्रसिंह ”

अुपरोक्त पत्र मिलने पर सरदार ठाकुरसाहवसे मिलने गये । दीवान सर पैट्रिक केडल तथा कांसिलके दूसरे सदस्य रा० सा० माणेकलाल पटेल तथा श्री जोवनपुत्रा भी आ पहुँचे । आठ घंटे तक बातें हुईं । अुनके परिणामस्वरूप समझौता हुआ । अुस पर रातके पाने दो बजे ठाकुरसाहवने दस्तखत किये । अुस समझौतेका मजमून यों है :

१. पिछले कुछ मासमें हमारी प्रजामें जो लोकभावना जाग्रत हुई है और लोगोंने अपने माने हुअे दुःखोंके अिलाजके लिये जो खेदजनक कष्ट सहन किये हैं, अुन्हें देखनेके बाद और कांसिल तथा श्री वल्लभभाजी पटेलके साथ सारी परिस्थितिकी चर्चा करनेके बाद हमारा विश्वास हो गया है कि मीजूदा आन्दोलन और लोगोंके दुःखका तुरंत अन्त लाना चाहिये ।

२. हमने दस सदस्योंकी अेक समिति नियुक्त करनेका निर्णय किया है । ये सदस्य हमारे राज्यके प्रजाजन होंगे । अुनमें से तीन राज्यके कर्मचारी होंगे और अन्य सात प्रजाजनोंके नाम बादमें घोषित किय जायेंगे ।

३. यह समिति जनवरी १९३९ के अंत तक अुचित जांचके बाद हमारे सामने रिपोर्ट पेश करेगी और सुधारोंकी अैसी योजना बनायेगी, जिससे हमारी प्रजाको जिस ढंगसे अधिकसे अधिक सत्ता दी जा सके कि सम्राट्के प्रति हमारे कर्तव्यों और राजाके नाते हमारे विशेष अधिकारोंमें बाधा न आये ।

४. हमारा निजी खर्च नरेन्द्रमंडलकी कौंसिल द्वारा की गयी सिफारिशके अनुसार रहेगा ।

५. हम अपनी प्रजाको यह भी विश्वास दिला देना चाहते हैं कि अपरोक्त समितिकी तरफसे जिस योजनाकी सिफारिश की जायगी, उसे ध्यानमें रखकर उस पर पूरी तरह अमल करनेका हमारा विरादा है ।

६. शान्ति और शुभनिष्ठा फिरसे स्थापित करनेकी आवश्यक पूर्वभूमिकाके तौर पर सविनय कानून-भंगके सिलसिलेमें सजा पाये हुअे सब कैदी तुरंत छोड़ देने, तमाम जुर्माना लौटा देने और दमनकी सारी कार्रवावियां वापस ले लेनेकी हम घोषणा करते हैं ।

ता० २६-१२-'३८

धर्मन्द्रसिंह

नोट :—दूसरे पैरेमें लिखित 'प्रजाजन' की व्याख्या ब्रिटिश भारतमें ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी व्याख्या जैसी ही रहेगी ।

अपरोक्त समझौतेको उसी दिन दरवारी गजट निकालकर प्रकाशित कर दिया गया । उसके सिवा ठाकुरसाहवने अेक अलग पत्रमें सरदार वल्लभभाभीको लिख दिया कि :

“यह समझौता हुआ है कि आजकी तारीखकी दरवारी घोषणाकी धारा २ में समितिके जिन सात प्रजाकीय सदस्योंका जिक्र हुआ है, उनके नामोंकी सिफारिश सरदार वल्लभभाभी पटेल करेंगे और हम उन्हें नियुक्त करेंगे ।

धर्मन्द्रसिंह”

ता० २६ को सवेरे सारे राजकोट शहरमें और आसपासके गांवोंमें समझौतेके समाचार विजलीकी तरह फैल गये । दोपहरको दो बजे तक तमाम सत्याग्रही कैदी भी छूट गये । तीनोंके बजे सत्याग्रही कैदियोंका विजय जुलूस निकला । जब जुलूस सभास्थल पर पहुंचा तब वहां लोगोंकी भीड़का पार नहीं था । आसपासके बहुतसे शहरोंसे भी समझौतेके समाचार सुनकर लोग मोटरवसों और रेलगाड़ियों द्वारा आ पहुंचे थे । सरदारने भाषणमें अपना हृदय अंडेल कर रख दिया :

“आजका प्रसंग राजकोट और काठियावाड़के अितिहासमें अपूर्व है । हमें उसका दायित्व और महत्त्व अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । राजकोटमें आज ऐसी क्या वस्तु अुत्पन्न हुयी है कि अितने लोग,

वहनों, विद्यार्थी, किसान, व्यापारी हर्षोन्मत्त हो रहे हैं? वह वस्तु स्वतंत्रता है। बहुत वर्षों तक काठियावाड़ गुलाम रहा है। आज उसे स्वतंत्रताके दर्शन हुए हैं।

“मैं बहुत समयसे अपना ऋण चुकाना चाहता था। राजकोटने, काठियावाड़ने, भारतको अके असा पुरुष भेंट किया है, जिसने सारे देशकी शकल बदल डाली है, जिसने सैकड़ों बरसोंसे सोये हुये मुल्कको सत्य और बलिदानका पाठ पढ़ाकर जाग्रत कर दिया है। उस पुरुषका मैं अके अदना सिपाही हूँ। मुझ पर उसका ऋण चढ़ा हुआ है। आज उस ऋणका थोड़ासा बदला चुकानेका मुझे कुछ संतोष हो रहा है।

“प्रजाने जिस जाग्रति, अपूर्व संगठन, अहिंसा, त्याग और साम्प्रदायिक अकेताका परिचय दिया है, उसका नमूना हिन्दुस्तानके अनेके आन्दोलनोंको भुला देनेवाला है। इसका मुझे गर्व हो रहा है और इसके लिये मैं आप सबको बधायी देता हूँ।

“आज राजकोटके साथ समझौता हो गया है। राजा-प्रजाके असे झगड़ोंमें राजा और प्रजा दोनोंका नुकसान होता है। आज प्रजाकी विजय हुई है, साथ ही राजाकी भी हुई है। जब राजाके हृदयमें प्रजाके लिये सहानुभूति और प्रेमकी भावना उत्पन्न हो जाती है तब उसकी भी विजय मानी जाती है। इसलिये मैं राजा-प्रजा दोनोंको बधायी देता हूँ।”

अस समझौतेकी बात देशमें फैली तब देशके कोने कोनेसे सरदारको बधायीके तार मिले। देशभरमें हर्ष छा गया और सरदारकी होशियारी व बहादुरीकी सब बड़ायी करने लगे। परंतु समझौता करके सच्ची शांतिकी नींद तो उस दिन राजकोटके ठाकुरसाहवने ली होगी। ता० २७-१२-३८ को उन्होंने सरदारको आभार माननेवाला पत्र लिखा। उसमें यह स्पष्ट दिखायी देता है कि उन पर दरवार वीरावालाका कितना प्रभाव था :

“राजकोट

२७-१२-३८

“प्रिय बल्लभभायी पटेल,

“आप राजकोट आये, इसके लिये मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ।

“अिर. गढ़ेको निवटानेमें आपने जिस ढंगसे मेरी मदद की, उसकी मैं बड़ा कद्र करता हूँ।

“मेरे खयालसे अब तक आप जान गये होंगे कि दीवान साहब वीराभाभी मेरे और मेरे राज्यके बहुत वफादार हैं। अपने सारे कार्यकालमें अुन्होंने मेरी प्रजाका भला करनेकी बहुत कोशिश की है।

“मेरी और मेरे राज्यकी हितरक्षामें अुन्हें अनेक कष्ट भी भोगने पड़े हैं।

“अब मेरी आपसे अितनी ही प्रार्थना है कि मेरी प्रजाके दिलमें अुनके वारेमें कोभी गलतफहमी हो तो अुसे आप दूर करा दें। अिसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी होअूंगा।

आपका
धर्मेन्द्रसिंह”

अिस प्रकार राजकोटकी लड़ाअीका सुखद अंत हुआ अिखाअी अिया। परंतु अैसा समझौता अिसमें सरदार यानी कांग्रेसका हाथ अूंचा रहे रेजी-डेण्टको पसन्द नहीं आया। गोरे दीवानको तो ठाकुरसाहबने विदा कर अिया। परंतु दरवार वीरावाला, जो सरदारसे समझौता करनेको अुत्सुक थे, रेजीडेण्टकी लाल आंखें देखकर वदल गये और पूरी तरह अुसके हथियार वन गये। अुन्होंने राजासे वचन-भंग कराया। राजाके वचनका पालन करानेके लिये गांधीअीने अुपवास किया। परंतु वह सारी कथा अलग प्रकरणमें दी जायगी।

२

संधिभंग

राजकोट राज्यमें और काठियावाड़में प्रजा जब अिस समझौतेसे विजयका आनंद और अुत्साह मना रही थी, तब काठियावाड़के दूसरे राजाओंके दिलमें अपनी सत्ता हाथसे निकल जाती देखकर खलवली मच रही थी। रेजी-डेण्ट भी चौंक गये थे। अुन्होंने ता० २८-१२-३८ को कौंसिलके सदस्योंके साथ ठाकुरसाहबको अपने यहां बुलाया। वहां जो बातचीत हुआ अुसके विवरणके नोट सरदारने अपनी खानगी व्यवस्थासे प्राप्त कर लिये। अिन नोटोंके थोड़ेसे अुद्धरण अंग्रेअी ‘हरिजन’ तथा गुजराती ‘हरिजनबंधु’ में छपे थे। अुनसे रेजीडेण्टका मानस अच्छी तरह प्रगट होता था, अिसलिये वे नीचे अिये जाते हैं :

शुपस्थित : माननीय मि० गिन्सन, माननीय ठाकुरसाहव, काँसिलके सदस्य सर पैट्रिक केडल, रा० सा० माणेकलाल पटेल, श्री जयंतीलाल जोवनपुत्रा ।

माननीय मि० गिन्सनने आरंभ करते हुये माननीय ठाकुरसाहवसे कहा कि अुनके किये हुये समझीतेसे सभी राजाओंमें खलवली मच गयी है। वल्लभभायी पटेल किस तरह राजकोट आये ? मि० गिन्सन जानना चाहते थे कि ठाकुरसाहवने अुन्हें निमंत्रण दिया था या नहीं।

ठाकुरसाहव : वे अपनी अिच्छासे आये थे और मुझसे मिलनेको कहलवाया था। मैंने अुन्हें चायका निमंत्रण दिया था।

मि० गिन्सन : खैर, परंतु वह विलकुल अविश्वसनीय आदमी हैं। आप जानते हैं कि भारत-सरकारकी अिच्छा है कि वाहरका कोयी हस्तक्षेप न होने दिया जाय। पटेलके साथ समझीता करके आपने अपने राजावंधुओं तथा सरकारकी सहानुभूति खो दी है। आपको जो अच्छा लगे सो कीजिये, जिससे भारत-सरकारको कुछ सरोकार नहीं। परंतु पटेलके साथ समझीता करनेमें आपने भूल की है। कांग्रेसके कार्यकर्ताओंमें भी पटेल सबसे ज्यादा अविश्वसनीय हैं। फिर भी जैसा घोपणासे मालूम होता है, अुसके अनुसार समझीतेकी शव्दरचना सिवा 'यथासंभव विशाल सत्ताओं' शव्दोंके अितनी अधिक बुरी नहीं है। अिन शव्दोंका कुछ भी अर्थ हो सकता है। अिनका अर्थ यहां तक भी हो सकता है कि आप नाममात्रके ही राजा रहें। अिन शव्दोंके वल पर वे शुरूसे ही संपूर्ण दायित्वपूर्ण शासनकी मांग करेंगे और आप वड़ी विपम स्थितिमें पड़ जायेंगे।

ठाकुरसाहव : नहीं, मैंने केवल समिति बनायी है।

मि० गिन्सन : हां, परंतु समितिके सदस्य कौन मुकर्रर करेगा ? और अुस समितिकी जो रिपोर्ट आयेंगी अुस पर तो आपको अमल करना ही होगा।

ठाकुरसाहव : श्री वल्लभभायी नाम सुझायेंगे।

मि० गिन्सन : अिसका अर्थ यह है कि कांग्रेसके कार्यकर्ता मुकर्रर किये जायेंगे। वे 'यथासंभव विशाल सत्ताओं' शव्दोंकी रूसे संपूर्ण दायित्वपूर्ण शासनकी मांग करेंगे।

सर पैट्रिक : मि० पटेल नाम कैसे सुझायेंगे ? क्या हम अुन्हें लिखेंगे ?

ठाकुरसाहव : नहीं, वे नाम भेजेंगे ।

मि० गिन्सन : अके घारामें आपने रिपोर्टको पूरी तरह अमलमें लाना स्वीकार किया है । अिससे आप अपनी वाजी हार चुके हैं ।

सुधार-समितिके अध्यक्षकी नियुक्तिके संबंधमें मि० गिन्सनने ठाकुरसाहवसे पूछा : समितिका अध्यक्ष कौन होगा ?

ठाकुरसाहव : दरवार वीरावाला ।

मि० गिन्सन : नहीं, वे तो नहीं आ सकते ।

ठाकुरसाहव : क्यों ? वे अपनी छुट्टी पूरी होने पर आ जायेंगे ?

मि० गिन्सन : वे तालुकेदार हैं । वे नहीं आ सकते । मैं अुन्हें अव नहीं आने दूंगा ।

ठाकुरसाहव : सर पेट्रिकके जानेके बाद वे आ सकेंगे ।

मि० गिन्सन : देखा जायगा ।

अुपरोक्त वातचीत होनेसे पहले मि० गिन्सनको ठाकुरसाहवने लिखकर सूचना दे दी थी :

“अव प्रजाके साथ समझौता हो गया है । और राज्यमें पूरी तरह शांति स्थापित हो गयी है । हजारों प्रजाजनोंके हस्ताक्षरोंसे मुझे प्रार्थनापत्र मिला है कि दीवानके तौर पर सर पेट्रिक केडल नहीं रहने चाहिये । अिसलिअे आप अुन्हें त्यागपत्र देकर चले जानेको कहें तो ठीक हो । मैंने सर पेट्रिकको भी अिसी आशयका पत्र लिखा है ।”

अिसका कोअी परिणाम नहीं निकला तो ३१ दिसम्बरको सर पेट्रिकको फिर पत्र लिखकर पुछवाया कि आप कव अिस्तीफा दे रहे हैं ? रेजीडेण्ट मि० गिन्सन समझ गये कि सर पेट्रिक केडलको अव अधिक समय रखनेमें सार नहीं । अिस समझौतेको रद्द करानेमें दरवार वीरावाला हमें ज्यादा अुपयोगी साबित होंगे । अिसलिअे अुन्होंने केडलको जानेकी सलाह दी ।

वे ७ जनवरीको राजकोट छोड़कर चले गये और फौरन ही दरवार वीरावालाने राजकोट आकर दीवानपद संभाल लिया । सरदारके साथ जब अुन्होंने समझौता कराया तब कदाचित् अुसका पालन करनेकी अुनकी अिच्छा होगी । परंतु रेजीडेण्टका रुख देखकर अुनके विचार बदल गये और वे अिसीकी युक्तियां सोचने लगे कि समझौतेका भंग किस प्रकार किया जाय । अैसे दावपेचके कामोंमें तो वे बड़े सिद्धहस्त थे ।

समझौतेकी शर्तोंके अनुसार समितिके सात प्रजाकीय सदस्योंके नाम सरदार देनेवाले थे । अिस बारेमें कार्यकर्ताओंसे परामर्श करके नाम चुनने

और सुझानेमें अन्हें थोड़े दिन लग गये। ता० ४-१-'३९ को निम्नलिखित सात नाम सरदारने ठाकुरसाहवको लिख भेजे :

१. श्री पोपटलाल घनजीभाजी मालविया
२. श्री पोपटलाल पुरुषोत्तम अनडा
३. श्री मुल्ला वलीजी अब्दुलअली
४. डॉ० डी० जे० गज्जर
५. श्री जमनादास खुशालचंद गांधी
६. श्री ब्रजलाल मयाशंकर शुक्ल
७. श्री अछरंगराय नवलशंकर डेवर

अिसका जवाव ता० १२-१-'३९ को कौंसिलके सदस्य श्रीमाणकलाल पटेलके हस्ताक्षरसे सरदारको मिला। अुसमें कहा गया :

“आपके सुझाये हुअे नाम ठाकुरसाहवको मिलनेसे पहले अखबारोंमें प्रकाशित हो गये हैं। अिसलिये ठाकुरसाहव वड़ी विपम स्थितिमें पड़ गये हैं।

“ठाकुरसाहवकी वड़ी अिच्छा है कि आपके सुझाये हुअे नाम वे पसन्द करें। परंतु राज्यके जागीरदारों, मुसलमानों और दलित वर्गकी तरफसे अुन्हें प्रार्थनापत्र मिले हैं कि अिस समितिमें अुनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये। अिन प्रार्थनापत्रों पर भी ठाकुरसाहवको ध्यान देना चाहिये। अिसलिये आपके सूचित किये हुअे सात नामोंमें से नं० १, २, ४ और ५ ठाकुरसाहव पसन्द करते हैं। मुसलमानोंकी मांग यह है कि समितिमें अुनके तीन प्रतिनिधि होने चाहिये। ठाकुरसाहवका खयाल है कि नं० ३ के वजाय मुस्लिम कौंसिलके सुझाये हुअे दो आदमियोंको समितिमें रखा जाय। नं० ६ और ७ के वारेमें ठाकुरसाहवका खयाल है कि वे राज्यके प्रजाजनकी व्याख्यामें नहीं आ सकते। अिसलिये अुनके वजाय दूसरे कोअी नाम सूचित करने चाहिये। अुनमें जागीरदारों वगैराकी मांगको ध्यानमें रख कर आप नाम सुझायेंगे, अुसके बाद ठाकुरसाहव अुन्हें प्रकाशित करेंगे।”

अुपरोक्त पत्र भेज देनेके बाद ठाकुरसाहवकी कौंसिलके अेक सदस्य श्री जयंतिलाल जोवनपुत्रा सरदारसे मिलने १५ तारीखको वारडोली गये। गांधीजी भी अुस समय वारडोलीमें ही थे। अिसलिये दोनोंने श्री जोवनपुत्रासे खूब बातें कीं। रा० सा० माणेकलालके पत्रके अुत्तरमें निम्नलिखित पत्र सरदारने अुन्हींके साथ भेजा :

“ वारडोली

ता० १५-१-३९

“ भाजी माणकलाल पटेल,

“आपका ता० १२-१-३९ का पत्र मिला। आपके पत्रसे मुझे दुःख हुआ है।

“मेरे दिये हुअे नामोंका प्रगट होना बुरा तो हुआ, परंतु बहुतसे आदमियोंके साथ काम पड़ता हो वहां बात हमेशा छिपी नहीं रह सकती।

“और नाम प्रगट हो जाने पर भी सबल कारणोंसे उनमें तबदीली जरूर हो सकती है।

“जागीरदारों और मुसलमानोंके नामोंके वारेमें आप जो सिफारिश कर रहे हैं अुसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अुन्हें स्वीकार कर लेनेसे नाम देनेके पीछे जो विचारसरणी रही है और जिसे समझा जा सकता है वह खतम हो जाती है। यह कमेटी अेक खास अुद्देश्य पूरा करनेके लिये बनी है और वह अुद्देश्य अेक विशेष प्रकारके मत रखनेवाले परंतु प्रामाणिक मनुष्योंसे ही पूरा हो सकता है। मैं अितना विश्वास दिलाता हूं कि जिन सात सदस्योंके नाम मैंने सुझाये हैं वे जागीरदारों और दूसरोंके हित ध्यानमें रखकर ही काम करेंगे। अिससे अधिककी आशा कोअी नहीं रख सकता।

“कुछ सदस्योंके राजकोटके प्रजाजन न होनेका आपने जो अुल्लेख किया है वह दुःखद है। परंतु वैसा करनेका आपको अधिकार है। अगर दुबारा विचार करने पर आप यह निर्णय करें कि श्री ढेवरभाजी अुस व्याख्यामें विलकुल नहीं आ सकते, तो वह नाम मैं वापस लेनेको तैयार हूं। यदि श्री ढेवरभाजीका नाम निकाल देनेका आग्रह कायम रहता है तो अुनके स्थान पर श्री गजानंद जोशी वकीलका नाम मैं सूचित करता हूं। मेरी यह राय है कि श्री वजुभाजी शुक्ल तो प्रजाजनकी व्याख्यामें आते हैं।

“ठाकुरसाहबकी घोषणाका यही अर्थ हो सकता है कि अध्यक्ष दस सदस्योंमें से ही चुना जायगा। और यह मुझे कह देना चाहिये कि अध्यक्ष दरवार वीरावाला नहीं हो सकते। अुन्होंने तो मुझे कहलवाया है कि वे स्वयं कोअी पद नहीं लेंगे। परंतु कोअी दुर्घटना न होने पाये, अिसके लिये अितना-सा लिखना मैंने ठीक समझा है।

“मुझे कह देना चाहिये कि कमेटीकी नियुक्तिमें बहुत ढील हुआ है। रिपोर्ट तो ३१ जनवरी तक प्रकाशित करनी ही होगी। जिसलिये मुझे आशा है कि यह पत्र पहुंचते ही तुरंत कमेटी नियुक्त हो जायगी। परंतु यदि बदकिस्मतीसे कमेटी न बनेगी और देर होती ही चली जायगी, तो लोगोंकी तरफसे लड़ाई दुबारा शुरू होनेका डर है। साथ ही मुझे बताना चाहिये कि ठाकुरसाहब और सर पैट्रिक केडलके बीच हुआ पत्रव्यवहार और रेजीडेंटके साथ २८ दिसम्बरको हुआ मुलाकातका विवरण मेरे पास है। यदि समझीता भंग हो जाय तो मुझे लगता है कि प्रजापक्षके हितमें वे कागजात और जो अन्य कागजात मेरे कब्जेमें हैं वे प्रकाशित कर देना मेरा धर्म हो जायगा। परंतु मुझे अुम्मीद है कि ऐसी कोजी बात नहीं करनी पड़ेगी। कमेटीकी नियुक्ति तुरंत हो जायगी और सब काम नियमानुसार होने लगेंगे।

.. “आपकी तरफसे तार द्वारा जवाबकी आशा रखता हूं।

आपका

वल्लभभाभी पटेल”

गांधीजीने भी ठाकुरसाहबको उसी दिन जिस प्रकार पत्र भिजवाया :

“माननीय ठाकुरसाहब,

“भाभी जयंतिलालके साथ मैंने खूब बातें की हैं। सरदारने जो पत्र रा० सा० माणकलालके नाम भेजा है उसके अनुसार चलनेमें आपके वचनका पालन है और आपका हित है। जो अुदार निर्णय किया है उस पर डटे रहनेकी आपसे मेरी सिफारिश है।

मीहनदास गांधीके आशीर्वाद”

रा० सा० माणकलाल पटेलने सरदारको तारसे सूचना दी कि आपके पत्र पर ठाकुरसाहब विचार कर रहे हैं और अपना निर्णय थोड़े समयमें सूचित करेंगे। यह पत्रव्यवहार हो रहा था, उस बीच राजकोटकी स्थिति विगड़ती ही जा रही थी। श्री डेवरभाजीने ता० १८-१-३९ को सरदारको तारसे सूचना दी :

“माणकलालभाजीका अुत्तर अनिश्चित है और कुशंकाओं पैदा करनेवाला है। राज्य मुसलमानोंका विरोध प्रदर्शित करानेके लिये युक्तियां कर रहा है। अुनकी सभाओं हो रही हैं। यहां स्थिति बड़ी गंभीर है।”

अिस पर सरदारने १९ तारीखको रा० सा० माणेकलालको अिस प्रकार तार दिया :

“ मुझे अफसोस है कि श्री जोवनपुत्राके मारफत मैंने जो पत्र भेजा था अुसका अंतिम अुत्तर नहीं मिला । अुसमें वतायी गयी शर्तोंका अगर २२ तारीखको सुवह १० बजेसे पहले पालन नहीं किया गया, तो अुसमें जिन कागजोंका अुल्लेख किया गया है अुन्हें मुझे मजबूरन् प्रकाशित करना पड़ेगा और राजकोटके लोगोंको लड़ायी शुरू करनेकी सलाह देनी पड़ेगी । ”

अिस पर रा० सा० माणेकलालने ता० २०-१-३९ को तारसे जवाव दिया कि थोड़ासा परिवर्तन करके कमेटीके सदस्योंके नाम हम घोषित कर रहे हैं । तदनुसार ता० २१-१-३९ को दरवारी घोषणा प्रकाशित हुयी । वह अक्षरशः यहां दी जाती है :

“ ता० २६-१२-३८ की घोषणामें कहे अनुसार राज्यके शासनम हमारी प्रजाको विशेष रूपमें संयोजित करनेकी गरजसे, अुचित जांच करके सुधार-योजनाकी सिफारिशोंकी रिपोर्ट हमारे पास पेश करनेके लिअे राज्यके सभी महत्वपूर्ण वर्गोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली नीचे लिखे सात सज्जनोंकी कमेटी राज्यके तीन अफसरोंके साथ मिलकर, जिनके नाम वादमें जाहिर किये जायेंगे, काम करनेके लिअे नियुक्त की जाती है :

१. मि० पोपटलाल पुरुषोत्तम अनडा

प्रेसीडेण्ट

प्रजा-प्रतिनिधि-सभा

२. जाड़ेजा जीवनसिंहजी धीरुभा

३. सेठ दादा हाजी वलीमुहम्मद

४. मि० पोपटलाल धनजीभाजी मालविया

५. मि० मोहनलाल अेम० टांक

प्रेसीडेण्ट

म्युनिसिपल कारपोरेशन

६. डॉ० डी० जे० गज्जर

७. सेठ हातुभाजी अब्दुलअली

कमेटीसे आशा रखी जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट पूरी और वारीक जांच करके पेश करेगी ।

ता० २१-१-१९३९

धर्मेन्द्रसिंह

ठाकुरसाहब, राजकोट ”

अपरोक्त घोषणा प्रकाशित होने पर राजकोटका समझौता भंग हो गया, जिसलिये राजकोटकी प्रजाको सत्याग्रहकी लड़ावी फिर शुरू कर देनेका आह्वान करते हुये सरदारने ता० २५-१-'३९ को निम्न लिखित अखबारी वयान जारी किया :

“राजकोट सत्याग्रहकी लड़ावीकी सुखद पूर्णाहुति हुआ प्रतीत होती थी। परंतु अत्यंत खेदपूर्वक असे फिर प्रारंभ करनेका आह्वान करनेका अवसर आ गया है। जिस वातका मुझे गहरा दुःख है। फिर भी राज्यकी प्रतिष्ठाके खातिर और साथ ही राजकोटकी प्रजाके स्वाभिमानकी रक्षाके खातिर लड़ावी फिर शुरू करनेका धर्म हो गया है।

“प्रजाको याद होगा कि राजकोट राज्यके गजटमें ता० २६-१२-'३८ को घोषित समझौता (पहले दिया जा चुका है) २५ तारीखकी शामको और रातको लगभग आठ घंटे तक राजकोटके ठाकुरसाहब और सर पैट्रिक केडल, श्री माणकलाल पटेल तथा श्री जोवनपुत्राके साथ रातको पीने दो वजे पूरी हुआ वातचीतके परिणामस्वरूप हुआ था।

“यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि राजकोटके समझौतेकी वातचीत करने में ठाकुरसाहबके आमंत्रण पर वहां गया था। समझौतेके थोड़े दिन बाद सर पैट्रिक केडल अपने पदसे अलग हो गये।

“मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि जिन्होंने ठाकुरसाहबका नमक खाया है, अन्होंने अउनकी भारी कुसेवा की है। जिन सलाहकारोंमें दरवार वीरावाला सबसे बुरे साबित हुअे हैं। अन्होंने राज्यको वरवाद कर दिया है और भयंकर कुशासन द्वारा राज्यका खजाना खाली कर डाला है। ठाकुरसाहब पर अन्होंने असा जादू कर रखा है कि वे चाहें तो भी अउससे छूट नहीं सकते। सर पैट्रिक केडलको दरवार वीरावाला ही लाये थे। परंतु यह जानकर कि दरवार वीरावाला ही राज्यके राहु हैं सर पैट्रिकने आते ही अजेन्सीकी मददसे अन्हें राज्यसे निर्वासित कर दिया। जिसके बाद दरवार वीरावाला असे दीवानको वर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर भी सर पैट्रिक यह धमंड रखकर न चले होते कि वे शासक जातिके हैं तो शायद अन्हें राजकोट छोड़नेकी नीयत न आती।

“दरवार वीरावालाको देशनिकाला हो जाने पर भी अन्होंने वगसरामें बैठकर राजनैतिक छल-प्रपंच चालू रखा। अउनका लड़का

भोजवाला और भतीजा वालेरावाला तो अब भी राजकोट ठाकुर-साहवके पास ही हैं। यह लगते ही कि वे समझौतेकी नहीं रोक सकते दरवार वीरावालाने मित्रका स्वांग धारण किया और समझौतेमें सहायक बननेका ढोंग रचा। सर पैट्रिक राजकोट छोड़नेकी तैयारीमें थे, अितनेमें तो दरवार वीरावाला राजकोट पहुंच गये और बुन्होंने अपनी करतूतें शुरू कर दीं, जो अब भी जारी हैं।

“समझौतेकी शर्तोंके अनुसार बननेवाली कमेटीके लिखे सात सदस्योंके नाम लड़ाईके संचालकोंसे परामर्श करके पसन्द करने और सुझानेमें मुझे थोड़े दिन लग गये। ता० ४-१-३९ को मैंने सात नाम भेज दिये थे।

“अिसके बाद समिति नियुक्त करनेकी घोषणा अविलंब हो जानी चाहिये थी। परंतु कभी दिन बीत जाने पर भी कुछ नहीं हुआ। अिस बीच २८ दिसम्बरको रेजीडेण्ट और ठाकुरसाहव तथा अनुके वारेमें कॉंसिलके बीच मंत्रणा हुअी। अुस मंत्रणाके समय अुपस्थित अेक व्यक्तिके लिये हुअे अडिकृत नोट मेरे पास हैं। (ये नोट पहले दिये जा चुके हैं।)

“अिस मौके पर रेजीडेण्ट द्वारा कांग्रेस तथा मेरे विषयमें प्रगट किये गये अुद्गार पढ़ने लायक हैं। जो समझौता हुआ था अुसके वारेमें और कांग्रेस तथा मेरे वारेमें रेजीडेण्ट अपनी अरुचि बातचीतके दौरानमें छिपा न सके।

“अैसा जान पड़ता है कि ठाकुरसाहवने अपनी प्रजाको जो वचन दिया था, अुसका भंग करनेके लिखे रेजीडेण्ट और दरवार वीरावाला ही जिम्मेदार हैं। और हालमें राज्यकी तरफसे निकाली गअी घोषणा भी समझौतेकी रूसे पहले की गअी घोषणासे तुलना करने योग्य है। अिस दूसरी वारकी घोषणामें मेरे सुझाये हुअे सात नामोंमें से चार निकाल दिये गये हैं। वह समितिके कार्यक्षेत्रको भी रद्द करती है और कुछ स्पष्ट नहीं कहती, जब कि पहलेकी घोषणाकी भाषा असंदिग्ध और निश्चित थी। पहलेकी घोषणामें यह कहा गया था कि समितिकी रिपोर्ट ३१ जनवरीसे पहले प्रकाशित हो जायगी और ठाकुरसाहवकी तरफसे अुस पर अमल होगा, जब कि हालकी घोषणामें समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित करनेके वारेमें कोअी अवधि निश्चित नहीं की गअी है।

“जिस अंतिम घोषणासे पहले रा० सा० माणकलाल पटेलकी ओरसे मुझे अेक पत्र मिला था। ध्यान देने लायक बात यह है कि उस पत्रमें मेरे सुझावे हुअे सात नामोंमें से चार मंजूर किये गये थे, जब कि आखिरी घोषणामें उन चारमें से अेक नाम और कम कर दिया गया है और तीन ही बाकी रहे हैं।

“दरवार वीरावालाका ठाकुरसाहब पर जो प्रभाव है उसके बारेमें और उनके प्रपंचोंके बारेमें मैंने अितना ज्यादा सुना था कि श्री माणकलाल पटेलके अुत्तरमें मुझे लिखना पड़ा कि दरवार वीरावाला किसी भी हालतमें कमेटीमें नहीं रह सकते। मुझे कहीं भी कोअी वहांना या छिद्र रहने नहीं देना था।

“प्रतिज्ञापूर्वक किये गये समझौतेका राज्यकी तरफसे जिस प्रकार भंग हो जानेके बाद राजकोट राज्यकी प्रजाके लिये अेक ही मार्ग खुला रहता है : स्वेच्छापूर्वक कण्टसहन और आत्म-वलिदानका मार्ग फिर अेक बार ग्रहण करके अपनी स्वतंत्रता स्थापित की जाय और राजकोट राज्य तथा ठाकुरसाहबको पूरी वर्वादीसे बचाया जाय। जिस कण्टके मार्गमें फिर कदम बढ़ानेका मैं प्रजाको आह्वान करता हूं। कड़ीसे कड़ी अग्निपरीक्षाकी चेतावनी देना और उसके लिये तैयारी रखना ही बुद्धिमानीका मार्ग है। प्रजाको अधिकसे अधिक सतानेके लिये आतंक फैलाने और काठियावाड़में सुपरिचित्त शारीरिक अत्याचारके भद्देसे भद्दे तरीके अस्तित्थार करनेके चरम सीमाके प्रयत्न किये जायेंगे। इसी प्रकार आपसमें साम्प्रदायिक और दूसरे झगड़े खड़े करनेकी कोशिश की जायगी। हालमें ही मुसलमान भावियोंको भड़काकर उनके द्वारा वनावटी साम्प्रदायिक आंदोलन खड़ा करानेके जो प्रयत्न हुअे हैं, वे इसके अुदाहरणस्वरूप हैं। हमें अपने बरतावसे दिखा देना है कि प्रजाकीय नियंत्रणमें स्थायी शासन स्थापित होगा तो उसमें और सबकी तरह मुसलमानोंका भी लाभ समाया हुआ है।

“शासनके अंधेरे और रिश्त्रतखोरीसे राजकोटका खजाना खाली हो गया है। अगर हमारे आपसी झगड़े होते ही रहेंगे तो हमारी लड़ावी लंबी चलेगी। परंतु यदि सारी आम जनता समझ जाय, संगठित हो जाय, लंबे समय तक ज्यादासे ज्यादा दुःख सहनेकी शक्ति दिखाये, और धन-सम्पत्तिकी हानि सहकर भी अहिंसक असहयोग जारी रखनेकी शक्ति बतावे, तो वह कभी नहीं हारेगी।

“विद्यार्थी सविनय कानून-भंग और हड़तालमें हरगिज शरीक न हों। यदि अनुमति श्रद्धा हो तो वे रचनात्मक कार्य हाथमें ले लें। वे घर-घर घूमकर अत्याचार-पीड़ितोंको राहत देनेका काम करें। लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रजाको अनिवार्य रूपमें अनेक कष्ट सहने होंगे।

“मन, वचन और कर्मसे अहिंसाका पालन करना होगा। जितना साथियोंके साथ अतना ही विरोधियों और तटस्थोंके साथ, जेलोंमें भी और बाहर भी, सर्वत्र अहिंसाका पालन करना होगा। हमारा अहिंसा-पालन ही हमारी विजयका मापदंड होगा।

“हमारी यह श्रद्धा होनी चाहिये कि हमारी अहिंसा आज प्रजासे विमुख हुआ ठाकुरसाहबको प्रजाकी तरफ देखनेके लिये प्रेरित किये बिना नहीं रहेगी। आज तो राजा नामके ही राजा हैं। नौजवान राजा प्रजाके साथ पवित्र प्रतिज्ञासे बंध जायं और फिर बदलकर वचन-भंग करें, यह बात छोटे-बड़े प्रत्येक प्रजाजनको खटकनी चाहिये।

“दरबार वीरावालाके लिये मैंने साफ तौर पर कड़वी बातें कही हैं। सत्य कभी दार कड़वा और तीखा होता है। अनुके वारेमें जिन बातोंका पूरा विश्वास न हो गया हो ऐसी ओक भी बात मैंने नहीं कही है। अनुकी खुली बुराअियोंके बावजूद हम अन्हें प्रेमकी दृष्टिसे देखें। आशा है यह प्रेम अनुका और अनुके प्रभाव और पथप्रदर्शनमें चलनेवाले दूसरोंका अन्तमें हृदय-परिवर्तन करेगा।

“राजकोटकी प्रजाका कार्यक्रम और नीति तैयार करनेमें मेरा हस्तक्षेप और कांग्रेसका प्रभाव रेजीडेंटको असुचिकर लगता है, अिस बात पर मुझे खेद होता है। रियासती प्रजाअें तो हमेशा कांग्रेसके नेतृत्वमें ही रही हैं। वे कांग्रेसकी आज्ञाको मानती हैं। आरंभ-कालमें स्वयं राजा भी कांग्रेसका सहारा ढूंढते थे। कांग्रेसने देशीराज्योंके प्रश्नोंमें सीधा भाग न लेनेकी नीति अिसलिये अस्तित्थार की थी कि अुसे अपनी शक्तिकी मर्यादाका भान था। परंतु जब देशीराज्योंकी प्रजाको अपनी शक्तिका भान हो गया है और कष्ट सहन करनेकी अुसकी तैयारी है, तब कांग्रेस अपनी शक्तिके अनुसार प्रजाका अधिकाधिक साथ देनेमें आनाकानी करे तो वह अपने सिद्धान्तोंके प्रति बेवफा साबित होगी।

“अपने वारेमें तो मैं अितना ही कहूंगा कि काठियावाड़ राजकीय परिपद्का में अध्यक्ष हूं, जिसलिये काठियावाड़की प्रजा तथा राजा दोनोंके प्रति परिपद्के अध्यक्षके नाते मेरे निश्चित कर्तव्य हैं। अैसी स्थितिमें अुनकी तरफसे पुकार आये तब मैं मदद देनेसे अिनकार नहीं कर सकता। राजकोटके मामलेमें पहले प्रजाकी तरफसे और बादमें राजाकी ओरसे सहायताके लिये मेरे पास मांग आयी, और मेरा दावा है कि वह मैंने निःसंकोच दी है। मेरी समझमें नहीं आता कि जिसमें रेजीडेण्ट या साम्राज्य सरकारके अुवल अुठनेकी क्या बात है? देशीराज्योंके सवालका निवटारा करानेमें राजकोटको अनायास निमित्त बननेका अवसर मिला है। यह राजकोटका अहोभाग्य है।

“यह मर्यादा रखी गयी है कि अभी तुरन्त तो सत्याग्रहकी लड़ावियोंमें केवल काठियावाड़की प्रजा ही भाग ले। काठियावाड़की प्रजा व्यवहारमें अेक-दूसरेके साथ जिस प्रकार गुंथी हुयी है कि काठियावाड़ियोंको अेक-दूसरेके सुख-दुःखमें शरीक होनेसे नैतिक दृष्टिसे कोयी रोक नहीं सकता।”

जिस वक्तव्यके साथ रेजीडेण्टके यहां हुयी मंत्रणाका विवरण, दरवार वीरावालाके निवासन-संवंधी रेजीडेण्ट तथा पोलिटिकल अेजेंटके पत्र, सर पैट्रिक केडलको विदा करनेके वारेमें हुआ ठाकुरसाहब और रेजीडेण्टका पत्र-व्यवहार वगैरा सरदारने अखबारोंमें प्रकाशित कर दिया।

सरदारके वक्तव्यका जवाब ता० २६-१-३९ को ठाकुरसाहबके हस्ताक्षरसे निम्नलिखित नादिरसाही आर्डिनंस जारी करके दिया गया :

१. हमें मालूम हुवा है कि राजकोट राज्यकी सीमामें रहनेवाले और बाहरके कुछ आन्दोलनकारी राजकोटके शासक तथा अुनके कर्मचारियोंके विरुद्ध प्रजामें अप्रीति, वेवफाव, तिरस्कार और घृणाकी भावना भड़कानेके अुद्देश्यसे आन्दोलन शुरू करनेका अिरादा रखते हैं। यह मालूम होता है कि जिस प्रकारका आन्दोलन राजकोटके लोगोंकी शांति, अमन-चैन और जायज धन्वोंमें बाधक हो सकता है। अितना ही नहीं, चूंकि आन्दोलनकारियोंका ध्येय और अुद्देश्य शासनको षप कर देना और कुछ अवैध हलचलों द्वारा राज्यका कामकाज न चलने देना है, जिसलिये कानून और व्यवस्थाकी रक्षा तथा समस्त

राज्यकी सुरक्षाके लिये नीचे लिखे हुक्म अमलमें लाना हमें जरूरी मालूम हुआ है।

२. कोअी भी शस्त्र नीचे लिखे कृत्य करेगा, तो उसे धारा १ के अनुसार आन्दोलनमें भाग लेने वाला या उसमें सहायक होनेवाला समझा जायगा।

(अ) खर्च देगा या रुपये अथवा अन्य साधनोंसे सहायता करेगा।

(ब) आन्दोलन खड़ा करने अथवा उसे प्रोत्साहन देनेके अद्देश्यसे खानगी या सार्वजनिक सम्मेलन या सभामें उपस्थित रहेगा।

(क) किसी भी व्यक्तिके जायज धन्धेमें या कर्तव्य-पालनमें रुकावट या बाधा डालेगा।

३. . . . जिस हुक्मकी धाराओंके मातहत अपराध करनेवाला हर शस्त्र दो वर्षकी किसी भी प्रकारकी सजाका और दो हजार रुपये तक जुर्मानेका पात्र होगा।

४. तमाम सम्पत्ति जैसे ट्रक, मोटर गाड़ियां अथवा अन्य प्रकारकी सवारियां, कोष, झंडे, झंडियां, छापेखाने, टाइपराबिटर, लाउड-स्पीकर और किसी तरहकी दूसरी जायदाद, जिसके लिये कौंसिलके पास यह माननेके कारण होंगे कि वह आन्दोलनको आगे बढ़ाने या जारी रखनेके काम आती है या आनेवाली है, कौंसिलके हुक्मसे जप्त कर ली जायगी। . . .”

दूसरे आर्डिनंस द्वारा नीचे लिखे अखवार राज्यकी सीमामें आनेसे रोक दिये गये :

१. जन्मभूमि, २. सन्देश, ३. नवसौराष्ट्र, ४. फूलछाव, ५. गुजरात समाचार, ६. राजस्थान, ७. मुंबयी समाचार, ८. जय सौराष्ट्र।

आर्डिनंस जारी करनेके साथ ही राजकोटमें ढेवरभाजी, वजुभाजी शुक्ल वगैरा नेताओंकी सामूहिक गिरफ्तारी की गयी। शहरमें हथियारबन्द और घुड़सवार पुलिस घुमायी गयी और कोने कोने पर तैनात कर दी गयी। लोग आपसमें बातें करने लगे : “जिस वारके रंगढंग कुछ दूसरे ही दिखते हैं।” “ये पुलिसवाले और घुड़सवार तो अजेन्सीके मालूम होते हैं।” “होने ही चाहिये। जिस वार तो वीरावाला और गिन्सन दोनों मिल गये

हैं।" बाहरमें सम्पूर्ण हड़ताल थी। हाट करने आये हुअे देहातके किमान घुड़सवारोंको देखकर बातें करने लगे : "यह वीरावाला घैर लेने आया है। राजामें प्रजाके लिअे प्रेम नहीं है, तभी तो यह सब हो रहा है? नहीं तो जवान देकर पलट जाय? कोअी गृहस्थी आदमी भी नहीं बदलता, तो बिस प्रकार राजा प्रजाको दिये हुअे वचनसे मुकर जाय तब तो पृथ्वी रसातलमें ही जायगी न?"

समावन्दी होने पर भी राजकोटके आजाद चौकमें रोज शामको आम सभा होती। नेताओंको पकड़ लिया जाता और सभाके दूसरे लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता। स्वयंसेवकोंको ट्रकोंमें भर कर दूरके अज्ञात स्थानों पर ले जाया जाता और अक अकको अतार कर चार पांच पुलिसवाले अुस पर टूट पड़ते और लात-धूसोंकी मार मारकर अुसे झाड़-अंकरमें फेंक आते। कभी कभी तो अुसे कांटोंमें घसीटते या चलते। कुछको नंगा करके छोड़ देते। केवल राजकोटमें ही नहीं, गांव गांव जहां स्वयंसेवक जाते वहीं थानेदार पुलिसको लेकर मोटरमें पहुंच जाता और बिसी प्रकार अुन पर अत्याचार करता। कुछ मजबूत स्वयंसेवक तो बार बार हायमें आते और पुलिस अुन्हें मारते मारते थक जाती थी।

केडलके जानेके बाद अेवजी दीवानके तीर पर काम करनेवाले रा० सा० माणिकलाल पटेल संघिभंग होने पर दूरदेशीसे काम लेकर त्यागपत्र देकर चले गये। श्री जयंतीलाल जीवनपुत्रा भी पेंन्दान लेकर घर बैठ गये। बादमें अेजेंसीके डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट खा० सा० फतह मुहम्मदखोंको कौंसिलका पहला सदस्य बनाया गया। दूसरे सदस्य दरवार वीरावालाके भतीजे कुमार वालेरावाला नियुक्त हुअे। अिन दो जनों और दरवार वीरावालाकी त्रिमूर्तिने दमनका सारा तंत्र अपने हाथमें ले लिया और सारे राज्यमें अंधावुंध जुलम करना शुरू कर दिया।

स्वयंसेवकोंको जंगलमें ले जाकर सख्त मार मारी जाती है और कांटोंमें घसीटा जाता है, ये समाचार प्रकाशित होने पर कस्तूरवाको लगा कि राजकोट तो हमारा घर कहलाता है। वहांके स्त्री-पुरुष अितना दुःख अुठा रहे हों तब मैं कैसे बैठ रह सकती हूं? अुन्होंने गांधीजीको अपनी अिच्छा बतायी। गांधीजीने कहा कि राजकोट जाना हो तो बल्लभभाजीकी अिजाजत चाहिये। अिसलिअे कस्तूरवाने सरदारसे बात की। सरदारने पहले तो अिनकार कर दिया और कहा कि आपका बुढ़ापा है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अिसलिअे आपको जानेकी जरूरत नहीं। परन्तु कस्तूरवाने बहुत आग्रह किया तब सरदारने कहा, तो आप मणिवहनको साथ ले जाविये। अिस प्रकार

दोनों तैयार हुईं। ३ फरवरीको वा और मणिवहन राजकोट पहुंचीं। स्टेशन पर वालेरावाला मौजूद थे। अन्होंने कस्तूरवा और मणिवहनके हाथमें नोटिसका कागज रख दिया। अुसमें लिखा था :

“राज्यकी सीमामें आपके प्रवेशसे अशान्ति होनेका खतरा है। असलिये दो मास तक आप राजकोटकी हदमें प्रवेश नहीं कर सकतीं।”

स्टेशन अेजेंसीकी हदमें था। वहांसे वाका जुलूस निकला। परन्तु अेजेंसीकी हद पूरी होते ही वालेरावालाने कहा कि “अव आप अस मोटरमें बैठ जाअिये”। मणिवहनने पूछा, “क्यों? आप हमें गिरपतार करते हैं?” अुत्तरमें वालेरावालाने कहा, “जी हां।” फिर वाको और मणिवहनको राजकोटसे लगभग सोलह मील दूर सणोसरा गांवके दरवारी निवासस्थानमें ले जाया गया। वह कहलाता तो था दरवारी निवासस्थान, परन्तु था अेक पुराना वीरान मकान। दीवारों और छत पर जाले लगे थे। आसपास घूरोंकी गंदगी थी। मकानमें दो कमरे और अेक छोटासा चौक था। और सामने अेक छोटासा मोहल्ला था। श्री मणिवहनने अुसका वर्णन करते हुअे ता० ५-२-३९ के अपने पत्रमें लिखा था :

“हम परसों शामको यहां पहुंचीं। हमें गांवके पुलिस पटेलको सौंप गये हैं। गांवमें कोअी तरकारी नहीं मिलती, तव जरूरी दवाकी तो वात ही क्या की जाय? हमें दरवारी मेहमान कहते हैं, असलिये रसोअिया दिया गया है। परंतु वह अितना गंदा है कि अुसके कपड़े देखकर खाना भी नहीं भाता। अुसे पूरा खाना बनाना भी नहीं आता। परसों शामको और कल सुवह दोनों ववत चावल कच्चे रख दिये। कल शामको रोटियां बनवाअीं सो भी कच्ची। शाकमें यहां आलू ही मिलते हैं। अुनका शाक भी कच्चा। रसोअी कंडों पर बनानी पड़ती है। असलिये धुआं खूब होता रहता है। मैं तो भोजनालयमें घुसती हूं तो आंखोंमें पानी आने लगता है। गंदगीका कोअी पार नहीं। कुछ धोना या साफ करना हो तो चौकीदार कहते हैं कि अस गांवमें पानीका वड़ा दुःख है। नहानेका पानी निरा कीचड़ होता है। अेक स्त्री कल कपड़े धोकर लाअी, लेकिन दिये थे अुससे भी मैले कर लाअी।

“कल रात वाको अच्छी तरह नींद नहीं आअी। अुन्हें दस्तकी तकलीफ रहती है। दो ढाअी वजे पेशाव करने अुठीं। फिर जलन होने लगी। परन्तु हमारे पास यहां क्या मिलता? वेचारी कुछ

बोलीं भी नहीं । न रहा गया तब स्वयं ही बुठ कर गीला कपड़ा रखकर सो गयीं । मैंने पूछा तो कहने लगीं कि पीठमें बड़ी जलन हो रही है । मेरे पास वेसलीन थी जिसलिअे थोड़ीसी लगा दी । मुझे तो यह फिक्र हो रही है कि कभी वाको यहां चक्कर-बक्कर आ गये तो मैं क्या करूंगी ? किसे बुलाऊंगी ? बेचारा पुलिस पटेल भी आकर क्या करेगा ? शायद टेलीफोन करनेकी हिम्मत करे तो भी डॉक्टरको पहुंचते पूरे दो घंटे लग जायं असा रास्ता है । वाको अितनी पीड़ा हो रही है कि जिस समय दिनके आठ वजं गये हैं तो भी दातुन किये बिना पड़ी हुई हैं । अभी अभी कुछ बांख लगी दीखती है ।”

ता० ७-२-'३९ के पत्रमें अुन्होंने लिखा :

“ देखने आनेवाले दोनों अफसरोंसे मैंने तो साफ साफ कह दिया है कि आपने वाको यहां जंगलमें लाकर पटक दिया है, जिसमें आप बड़ी जोखिम अुठा रहे हैं । मैं आपको पहलेसे चेतावनी दिये देती हूं ।”

श्री देवदासभायी अेक वार वासे मिलने आये । अुन्होंने वाकी वहांकी हालतके समाचार वाहर दिये होंगे । जिस पर अेक डॉक्टर वाको देखने आये और अुनकी सेवामें अेक नर्स रख दी गयी (ता० ९-२-'३९) । डॉक्टरने मणिवहनसे कहा कि आपको स्टेट जेलमें कैदीके तौर पर रखा जायगा और अपने साथ आपको ले जानेका मुझे हुकम दिया गया है ।

श्री मणिवहनने अेक पत्रमें लिखा:

“ मुझे कैदी मान लिया गया, जिसलिअे डॉक्टरके साथ मुझे जाना ही पड़ा । चार वजे राजकोटकी स्टेट जेलमें पहुंची । शामको मैंने कुछ नहीं खाया । दूसरे दिन प्रातःकाल खाना आया तब मैंने खानेसे अिनकार कर दिया । मैंने कहा कि जब तक वाको जिस तरह अकेली रखा जायगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी । किसी भी अन्य स्त्रीको, जिसे वा जानती हूं, अुनके पास रख दिया जाय । जेलरने मुझे बहुत समझाया । अुन्होंने कहा कि कांसिलके सदस्योंसे वात कहंगा और अेक दो दिनमें सब अिन्तजाम हो जायगा । दूसरे दिन सुबह जेलरने मुझसे कहा कि आपके न खानेकी वात कैदियोंमें पहुंच गयी है और आप जिस समय पचास मनुष्योंको भूखों मार रही हैं । वादमें डेवरभायीको मेरे पास लाया गया । वे वीमार थे । मैंने अुन्हें

खानेको कहा, परन्तु अन्होंने अिनकार कर दिया। अन्होंने कहा कि दो किसान वीमार हैं, अन्हें मैं खिला दूंगा। मैं तो अपने निश्चय पर दृढ़ रही। रातको नौ वजे डॉक्टरने आकर कहा कि कल सुबह आठ वजे तैयार रहियेगा। आपको वाके पास ले जाऊंगा। वहांसे आप दोनोंको दूसरी जगह हटा दिया जायगा। दूसरे दिन आठ वजे डॉक्टरके साथ मुझे सणोसरा ले जाया गया। वहांसे वाको और मुझे त्रंवाके अतिथिगृहमें पहुंचा दिया गया। दूसरे दिन मृदुलावहन गिरफ्तार हुअी थीं। अन्हें लेकर वालेरावाला कोअी तीन वजे त्रंवा आये।

“१४ तारीखको शामके पांच वजे काँसिलके प्रथम सदस्य फतह मुहम्मदखां ठाकुरसाहवका लिखित सन्देश लेकर आये। अुसमें लिखा था कि हमें मालूम हुआ है कि वापूजीकी तवीयत बहुत खराब है, अिसलिये आप चाहें तो अभी साढ़े सात वजेकी गाड़ीसे आपको वर्धा पहुंचानेका प्रबंध कर दिया जाय। हमने सलाह करके टेलीफोन करनेका निश्चय किया। फतह मुहम्मदखांके साथ वा और मैं सार्वजनिक टेलीफोन पर गये। वर्धाके टेलीफोन पर प्यारेलालजी मिले गये। अन्होंने कहा कि वापूजी तो सेवाग्राममें हैं, परन्तु अुनका स्वास्थ्य विलकुल अच्छा है। अिस प्रकार हम तीनों त्रंवामें रहीं। वहां सुविधा अच्छी थी।”

अिस सारे समयमें राजकोटमें और गांवोंमें लड़ाअी वड़े जोरोसे चल रही थी। घरपकड़ और आतंककारी मारपीटके वावजूद प्रजा-परिषद्के कार्यक्रम जारी ही थे।

हलेण्डा नामक ग्राममें बहुत सख्त लाठीप्रहार किया गया था। बहुतसे आदमी सख्त घायल हुअे थे। राज्यकी तरफसे अुनकी सेवा-शुश्रूपाकी कोअी व्यवस्था नहीं की गअी थी। अितना ही नहीं, राजकोटसे रेडक्रॉसके डॉक्टर और सेवा करनेवाली टोलियां वहां जानेको निकलीं तो अुन्हें हलेण्डा जानेसे रोक दिया गया। ता० ७-२-३९ को श्री जादवजी मोदीने सरदारके नाम अेक पत्रमें लिखा :

“पहले सैनिकोंको लाठियोंसे मारते थे; वह देखा जा सकता था। परन्तु अब तो अुन्होंने दूसरा ढंग अपनाया है। सब अिकट्ठे होकर खूब लात-धूसे मारते हैं। दो तीन घटनाअें अैसी हो गअी हैं जिनमें सैनिकके पैर अुसकी गर्दन पर चढ़ाकर पैरोंके बीचसे अुसके हाथ निकलवाकर गेंद जैसा आकार बना दिया गया और वादमें अेक पुलिसवाला अैसी स्थितिवाले सैनिक पर चढ़ बैठा और हाथोंकी नसें

दवाने लगा। ऐसी हालतमें अुसकी दूसरी नसें भी तन जाती हैं और अुसे जवरदस्त कण्ट और तीव्र वेदना होती है।”

आगे सरधार जेलकी बात आयेगी। वहां भी अिस प्रकारका जुल्म तीन चार कैदियों पर गुजारा गया। अैसे जुल्म और आतंकके दावजूद लोगोंका जोश दबाया नहीं जा सका। दरवार वीरावालाने आठ दिनमें प्रजाको दवा देनेकी आवाा रखी थी। परन्तु अुनकी मुराद वर नहीं आयी तो अुन्होंने दूसरा पैतरा बदला। राजकोटेके जेलमें लगभग सौ कैदी थे। अुनमें से लगभग तीसको रातोंरात सरधार ले जाया गया। सरधारमें अेक पुराना रनवास था जिसे जेल बना दिया गया। अुसमें तहखाने जैसे कुछ कमरे थे। अुन कमरोंकी चौड़ायी और अूँचायी लगभग ६ फुट और लम्बायी कोयी २० फुट थी। वे कितने ही वर्षसे वीरान थे अिसलिये चमगादड़ोंका कोयी पार नहीं था। अुनकी हगारकी भारी दुर्गंध आती थी। अिन तहखानों जैसी कोठरियोंके छोटे छोटे दरवाजे थे और बहुत ही छोटी खिड़कियां थीं। अुस मकानसे विलकुल लगा हुआ अेक तालाव था। अुसका पानी बड़ा गंदा था और रुका होनेके कारण वहां वेशुमार मच्छर थे। अैसे अेक अेक तहखानेमें वीस वीस कैदियोंको बन्द कर दिया गया। हरअेक सैनिकसे पहने हुअे कपड़ोंके सिवा कपड़े, ओढ़ना-विछौना वगैरा सब ले लिया गया। अेक तहखानेमें पानी तथा पेशावके लिअे अेक अेक घड़ा दे दिया गया और सबके विछानेके लिअे पुराना फटा हुआ पाल दिया गया। आघा ओढ़ते और आवा विछाते। अितनी सुविधा भी अेक ही तहखानेमें थी। शेष तीनमें तो पाल भी नहीं और पानी-पेशावके घड़े भी नहीं। जिनसे कुदरती हाजत नहीं रुकी अुन्होंने रातको वही पेशाव किया। दूसरे दिन सबको वाहर निकाला गया। शामको तहखानेमें बन्द करनेका समय हुआ तब सैनिकोंने तहखानेमें बन्द होनेसे अिनकार कर दिया। पुलिसने अुन्हें लाठियों और लात-धूसोंकी मार मारकर और टांगाडौली करके तहखानेमें धकेलना शुह किया। परन्तु अिस तरह कब तक चल सकता था? अिसलिये थककर सबको अूपरके कमरेमें सोनेकी अिजाजत दे दी।

दूसरे दिन कोयी पैतीस नये आदमी गिरफ्तार होकर आये। आते ही अुन्हें तहखानेमें बन्द कर दिया गया। दूसरे दिन अुन्होंने भी तहखानेमें बन्द होनेसे अिनकार कर दिया। अिसलिये अुन्हें अूपर जानेकी छुट्टी मिली। परन्तु जो नये आते अुन्हें अेक दिन तो तहखानेका स्वाद चखना ही पड़ता था। तहखानेमें खानेको भी नहीं दिया जाता था।

जब तीन चार दिन यह हाल रहा, तो अिन कैदियोंमें जो समझदार और मजबूत थे अुन्होंने विचार किया कि अिस प्रकारका व्यवहार सहन

कर लेनेमें मनुष्यता नहीं, जिससे हमारे स्वाभिमानको चोट पहुंचती है। जिस-
लिसे हमें जिसका विरोध करना चाहिये। आपसमें सलाह-मशविरा करके
अनुहोंने निर्णय किया कि जब तक जेलकी तरह वाकायदा सुविधाओं न मिलें
तब तक अुपवास किया जाय। सरधारमें कैदियोंके अुपवासकी बात राजकोट
जेलमें पहुंची तो वहांके भाअियोंने भी तब तकके लिसे खाना छोड़ दिया जब
तक सरधारके कैदियोंके साथ अच्छा वरताव न किया जाय।

जिस अुपवासके समाचार मिलने पर गांधीजीने राजकोट राज्यकी
कौंसिलके प्रथम सदस्यको ता० २०-२-३९ को निम्न तार भेजा :

“सुना गया है कि सरधारके कैदियोंके प्रति किये जा रहे
अमानुषिक व्यवहारके कारण राजकोटके सत्याग्रही कैदी अुपवास कर
रहे हैं। क्या जिस मामलेमें आप प्रकाश डालेंगे ?”

प्रथम सदस्यने २१ तारीखको जिसका जवाब दिया :

“आपका तार मिला। मैं खुद कल सरधार गया था। कैदियोंके
प्रति दुर्व्यवहारकी बात विलकुल झूठ है।”

जिस पर २२ तारीखको गांधीजीने दूसरा तार दिया :

“तारके लिसे धन्यवाद। अुपवासकी बातके बारेमें आपने चुप्पी
साधी है। मेरे पास वहांके अत्याचारोंके विषयमें दूसरा लम्बा तार आया
है, जिसे न मानना कठिन है। मेरी आत्मा रोज कहती है कि मुझे
खुद जिस लड़ाईमें पड़ना होगा। ठाकुरसाहवने वचन भंग किया
है, जिसका दुःख तो मुझे है ही। अुसमें जिस आतंक और अत्याचारकी
बातोंसे वृद्धि हुई है और चीज असह्य बनती जा रही है। ठाकुर-
साहव या कौंसिलको परेशानीमें डालनेकी मेरी विलकुल अिच्छा नहीं।
मैं चाहता हूं कि राजकोटका मित्र होनेका दावा करनेवाले जिस
बूढ़ेकी बात पर आप ध्यान दें।”

२३ तारीखको कौंसिलके प्रथम सदस्यने गांधीजीके अुपरोक्त तारका
यह अुत्तर दिया :

“सरधारके कैदियोंके प्रति दुर्व्यवहारके आक्षेपोंमें रत्तीभर भी
सच्चाई नहीं। सारी बात विलकुल वनावटी है। रोजकी खुराक, विस्तर
वगैराकी सुविधा वहां लगभग राजकोट जेलकी तरह ही रखी गयी है।
राजकोटके अुपवास करनेवाले कैदियोंको मैंने अिसी प्रकार लिखित सूचना
दे दी है। अितने पर भी वे बेजा तौर पर अुपवास जारी रख रहे
हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अुनके प्रति अच्छा वरताव

रखनेके लिये मनुष्यसे जो कुछ हो सकता है वह सब किया जा रहा है। कृपा करके कोभी चिन्ता न कीजिये।”

गांधीजीने २४ तारीखको जिस प्रकार तार किया :

“मुझे प्राप्त सभी समाचार बनावटी हों तो यह मेरे लिये और मेरे साथियोंके लिये बहुत गंभीर बात है। यदि जिन समाचारोंमें सचाबी हों तो ये राज्यके कर्मचारियों पर अके गंभीर आलोचनारूप हैं। जिस बीच कैदियोंका अुपवास तो जारी ही है। मेरी चिन्ता असह्य होती जा रही है। जिसलिये कल रातको अके परिचारक डॉक्टर, सेक्रेटरी और टाइपिस्टको लेकर मैं राजकोटके लिये रवाना हो रहा हूं। मैं वहां सत्यशोधकके रूपमें और सुलह करानेवालेके रूपमें आ रहा हूं। जेलमें जानेकी मेरी विच्छा नहीं। सारा हाल मैं आंखों देखना चाहता हूं। मेरे साथी यदि बनावटी बातें पैदा करनेके अपराधी मालूम होंगे, तो जिसके लिये मैं पूरा प्रायश्चित्त करूंगा। लोगोंके प्रति जो विश्वासघात हुआ है अुसे सुधार लेनेके लिये भी मैं ठाकुरसाहबको समझाऊंगा। मैं लोगोंसे किसी भी प्रकारके प्रदर्शन न करनेका अनुरोध कर रहा हूं। सरदार पटेलको भी लिख रहा हूं कि जब तक राजकोटमें मेरे प्रयत्न जारी रहें तब तक राजकोटके लोगोंका और बाहरसे आनेवालोंका सत्याग्रह बन्द रखें। जिस बीच किसी भी तरह ठाकुरसाहब और काँसिल, कमेटीके नामोंमें फेरबदल करनेका अपवाद रत्नकर, किये गये समझौतेको पूरी तरह अमलमें लानेको तैयार हो जायं, कैदी तुरंत छोड़ दिये जायें, किये गये जुमाने माफ कर दिये जायं और वसूल हुअे जुमाने लौटा दिये जायं, तो स्वाभाविक है कि मैं अपना वहां आना रोक दूंगा। सदस्योंके नामोंके बारेमें बातचीत करनेके पूरे अधिकारोंके साथ किसी अधिकारीको आप यहां भेज सकते हैं। सरदार पटेलके सुझाये हुअे नामोंका बहुमत रहे, यही अके शर्त रहेगी। भगवान ठाकुरसाहब और अुनके काँसिलरोंको सन्मार्ग पर चलाये। क्या जिसका जवाब जरूरी तारसे पानेकी आशा रखूं?”

अुसी दिन काँसिलके प्रथम सदस्यने जिस प्रकार तारसे अुत्तर दिया :

“आपके तार देनेके बाद आपको खबर मिली होगी कि कल रातको अुपवास छोड़ दिया गया है। नानालाल जसाणी तथा मोहनलाल गढड़ावालाने आपको जो तार दिया है अुससे आपको विश्वास हो गया होगा कि अुपवासके लिये कोभी अुचित कारण नहीं था। ठाकुरसाहबको अैसा नहीं लगता कि अुनकी तरफसे कोभी विश्वासघात

हुआ है। वे तो अतुल्य हैं कि अउनकी नियुक्त की हुञी प्रतिनिधित्व रखनेवाली कमेटी शान्त वातावरणमें अपना काम शुरू कर सके, ताकि अुस कमेटीकी सिफारिशों पर पूरा विचार करके अुन्हें जो सुधार करने जरूरी प्रतीत हों वे जल्दीसे जल्दी जारी किये जा सकें। ठाकुर-साहवका निश्चित विचार है कि अुनकी वतायी हुञी परिस्थितियोंमें आप समझ सकेंगे कि आपके यहां आनेसे कोञी अुपयोगी अुद्देश्य पूरा नहीं होगा। वे आपको फिर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी किस्मका जुल्म या आतंकका काम नहीं करने दिया जायगा।”

अिस पर गांधीजीने २५ तारीखको यह तार दिया :

“मेरी हार्दिक अनुनय-विनयका आपके तारमें कोञी अुत्तर नहीं मिलता। शान्तिके कार्यके लिये मैं आज राजकोटके लिये प्रस्थान कर रहा हूं।”

अिस तार-व्यवहार पर अधिक टीका-टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं। अुसी दिन गांधीजीने सरदारको सूचना दे दी कि अिस वेदनाका अंत करनेके लिये अीश्वरके पथप्रदर्शनमें मेरे प्रयत्न जारी रहें तब तक आप सत्याग्रहकी लड़ाई बन्द रखायें। अिस पर २५ तारीखको ही सरदारने अखबारोंमें यह वक्तव्य निकाला :

“शान्ति-स्थापनाके लिये राजकोट जानेका अपना अिरादा जाहिर करनेवाला गांधीजीका वक्तव्य मैंने पढ़ा। मैं वर्षोंमें था अुन दिनों में और अन्य मित्र देशीराज्योंमें हो रहे आन्दोलनके विषयमें अुनके हृदयकी वेदना देख रहे थे। जब जब अुन्हें अंसी मनोव्यथा होती है, तब तब अुनके साथियोंको महसूस होता है कि वे अेकाअेक अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। परन्तु अुनके मनको जो अीश्वरीय मार्गदर्शन मिलता है, अुसीके अनुसार चलकर वे शान्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। यह चीज अब लोग जान गये हैं। अुनकी अिच्छा है कि राजकोटका सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय। अिसलिये जब तक दुवारा सूचना न दी जाय तब तक मैं राजकोट सत्याग्रहको मुलतवी घोषित करता हूं और आशा रखता हूं कि जो काठियावाड़ी अुसमें भाग लेने राजकोट जानेका अिरादा रखते हों वे अब राजकोट नहीं जायेंगे। अिसी प्रकार राजकोट राज्यके निवासी भी सत्याग्रह बन्द रखेंगे। अिससे अधिक मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। गांधीजी जिस भावनासे वहां जाना चाहते हैं, अुस भावनाका हमें आदर करना चाहिये।”

अपरोक्त तारमें बताया अनुसार गांधीजी २५ तारीखकी शामको वधसि चलकर २६ तारीखको दिनमें वम्बजी ठहरे और रातको राजकोटके लिजे काठियावाड़ मेलसे रवाना हुअे। २७ तारीखको गांधीजीने गाड़ीमें से महादेवभाजीको जिस प्रकार पत्र लिखा :

“वीश्वरकी क्या लीला है ! जिस यात्रासे मुझे भी आश्चर्य होता है। कहां चला ? क्या करूंगा ? कुछ भी सोचा नहीं है। यदि वीश्वर ही रास्ता बता रहा हो तो सोचना क्या ? किसलिजे ? सोचनेका अर्थ उसके मार्गको रोकना तो नहीं होगा ?

“वात यह है कि विचारोंको रोकना नहीं पड़ रहा है। विचार आ ही नहीं रहे हैं। और और विचार आते हैं, पर जिसके बारेमें नहीं।”

गांधीजी कैसी मनःस्थितिमें राजकोट जा रहे थे, यही बतानेके लिजे अपरोक्त पत्र दिया है। राजकोट पहुंचनेके बाद अन्होंने क्या क्या किया और अुन पर कैसी वीती, यह अलग प्रकरणमें बतायेंगे।

३

अहिंसाकी कसौटी

राजकोट सत्याग्रहमें गांधीजीका हिस्सा अुनके जीवनका अेक अुदात्त और अुब्य अव्याय है। जिसमें अुन्होंने सत्याग्रहकी और अहिंसाकी अेक अनोखी रीतिका प्रयोग किया। अुस पर अेक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती है। परन्तु यहां हम अुनका जीवन-चरित्र नहीं लिख रहे हैं। सरदार जिस प्रकरणमें पूरी तरह गुंथे हुअे थे, इसिलिजे महत्वका होने पर भी अुसे यहां संक्षेपमें दिया जाता है।

राजकोट, जयपुर, त्रावणकोर और अुड़ीसा वगैराके देशीराज्योंके जुल्मकी बातें बढ़ने लगीं, तबसे गांधीजीने वाविसरायके साथ पत्रव्यवहार करना शुरू कर दिया था। अुनकी मुख्य दलील यह थी कि सार्वभौम सत्ताकी हैसियतसे आप जब बाहरी या भीतरी खतरेसे देशी राजाओंकी रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं, तो अुन देशी राजाओंके जुल्मोंसे देशीराज्योंकी प्रजाकी रक्षा करनेके, जिम्मेदारी आप अपने सिर पर क्यों नहीं लेते ? फिर, आप यह कहते हैं कि राजा अपनी प्रजाको शासनमें अधिकाधिक जिम्मेदारी सौंपे, यह आप चाहते तो हैं; परन्तु वे अपने-आप यह जिम्मेदारी सौंपे यही ठीक होगा, आप अुन्हें अैसा करनेको विवश नहीं कर सकते। परन्तु राजकोटमें राजाने प्रजाके साथ

अथवा प्रजाके प्रतिनिधिके नाते सरदारके साथ जो समझौता कर लिया था उसे रेजीडेंटने ही तुड़वा दिया है। अपने अजेण्टके जिस कृत्यकी जिम्मेदारी आपको अठानी ही चाहिये। वाअिसरायने जिसका अुत्तर मीठी भाषामें दिया, परन्तु यह सूचित कर दिया कि गांधीजीकी अिच्छानुसार वे दखल नहीं दे सकते। असलिये गांधीजीने यह मामला अपने हाथमें ले लिया।

ता० २७-१-'३९ को दोपहरके तीन बजे गांधीजी राजकोट सिटी स्टेशन पर पहुंचे। स्टेट कौंसिलके प्रथम सदस्य खा० सा० फतह मुहम्मदखां गांधीजीसे मिलने स्टेशन पर गये। अुन्होंने गांधीजीको ठाकुरसाहवका मुहरबन्द लिफाफा दिया। गांधीजीका राजकोट आना ठाकुरसाहव तथा अुनके सलाहकारोंको पसन्द तो हरगिज नहीं था। परन्तु ठाकुरसाहवने पत्रमें लिखा था कि यहांकी परिस्थितिकी व्यक्तिगत रूपसे जांच करनेमें आपको पूरी पूरी सुविधा दी जायगी। यह भी लिखा था कि आपने कोअी और व्यवस्था न की हो और आप मेरे मेहमान बनें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। गांधीजीने जिस आमंत्रणके लिये धन्यवाद दिया और राष्ट्रीय पाठशालामें ही, जहां सब व्यवस्था की गयी थी, ठहरनेका निश्चय रखा। स्टेशन पर अितनी ज्यादा भीड़ थी कि मुकाम पर पहुंचनेमें अुन्हें पांच बज गये। साढ़े पांचसे सात और आठसे साढ़े दस बजे तक वीरावालासे अेकान्तमें बातें कीं। श्री ढेवरभाभीको ग्यारह बजे जेलसे लाया गया। अुनके साथ कोअी पाव घंटे तक बातें कीं। दरवार वीरावालाके सामने अुन्होंने दो विकल्प रखे। कमेटीमें दो मुसलमान और अेक जागीरदारोंका प्रतिनिधि भले ही लिया जाय, लेकिन जिस शर्त पर कि परिषद्के प्रतिनिधियोंकी संख्या अुसी हिसाबसे बढ़ा दी जाय। दूसरा विकल्प यह रखा कि यदि परिषद्के प्रतिनिधियोंकी संख्या न बढ़ायी जाय तो ठाकुरसाहव द्वारा मनोनीत तीन कर्मचारी कमेटीके निर्णयोंमें मत न दे सकें।

ता० २८ को गांधीजी मुस्लिम जाति और गरासिया मंडलके प्रतिनिधियोंसे मिले। गांधीजीने कमेटीमें अुनके सदस्य लेनेकी बात कही। जिससे अुन्हें संतोष हो गया, परन्तु गरासियों (राजवंशके जागीरदारों) को गांधीजीने चेतावनी दी, "यदि आप अैसा मानते हों कि अब तक आप जो विशेष अधिकार भोगते आये हैं, वे कायम रहेंगे ही तो आप निराश होंगे। यह चीज न्यायपूर्ण नहीं और संभव भी नहीं। हिन्दुस्तानके करोड़ों गरीब लोगोंकी स्थिति सुधारनी हो तो जिस दरिद्रनारायणके लाभार्थ अुच्च वर्गोंको अपने विशेष अधिकार छोड़ने ही पड़ेंगे। असलिये जिस हद तक आप मेरा ट्रस्टीशिपका आदर्श जीवनमें परिणत करनेकी तैयारी रखेंगे, अुसी हद तक मैं आपको संरक्षण दे सकूंगा।"

शामको गांधीजी काँसिलके प्रथम सदस्य फतह मुहम्मदखाँ तथा सिविल सर्जन कर्नल अस्पिनवोल और पोलिटिकल अजेण्ट कर्नल डेवीके साथ राजकोट और सरधारकी जेलमें कैदियोंसे मिलने गये। सरवारकी जेलमें कैदियोंके कण्ट्रीकी वात पहले आ चुकी है। अुस सम्बन्धमें गांधीजीने जो कुछ देखा और सुना वह अुनकी कल्पनासे कहीं अधिक कण्टप्रद था। जगहको अच्छी दिखानेके लिये आखिरी वक्तमें बड़ी कोशिश की गयी थी। दीवारों पर ताजी ही सफेदी करायी गयी थी। जमीन पर पड़े हुअे कलजीके ताजे धव्वे अिस वातकी साक्षी दे रहे थे। फिनाबिल छिड़कनेमें तो कोयी कसर ही नहीं रखी गयी थी। फिर भी दुर्गंध और गन्दगी छिपायी नहीं जा सकी। कैदियोंको भी हजामत बनवाकर तथा नहला-धुलाकर साफ कपड़े पहना दिये गये। अुन्होंने अपने पर बीते हुअे जुल्मोंकी कहानी निडर होकर कह सुनायी। प्रथम सदस्यको बहुतसी शिकायतें स्वीकार करनी पड़ीं, यद्यपि साथ-साथ वे यह तो कहते ही रहे कि हमने कोयी जुल्म नहीं किया। कर्नल डेवीने आलोचना की कि ये सारी शिकायतें होते हुअे भी कैदी दीखते तो चंगे और अुत्साहमें हैं। गांधीजीने वादमें अुनसे कहा कि सत्याग्रहियोंको बीस बीस बरससे जो तालीम दी गयी है वह व्यर्थ नहीं गयी है। कितने ही कण्ट आयें तो भी वे विरोधीके सामने रोनी सूरत बना कर खड़े नहीं रहेंगे। और अुनकी सभी बातें बनावटी हैं, यह तो आप भी हरगिज नहीं मानेंगे। सरधारसे गांधीजी कस्तूरबाको मिलने त्रंवा गये। वाने पूछा कि आपका कार्यक्रम क्या है? तब गांधीजीने जवाब दिया कि मेरा काम पूरा न हो जाय तब तक राजकोट नहीं छोड़ूंगा।

वहांसे ठाकुरसाहबको मिलने राजकोटके राजमहलमें गये। मुलाकातके सारे समय दरवार वीरावाला मौजूद थे। गांधीजी अिस मुलाकातसे खूब असंतुष्ट होकर लौटे। राजकोटके असली राजा ठाकुरसाहब हैं या दरवार वीरावाला? ये अुनके अुद्गार थे। अुसी समय त्रिपुरीमें कांग्रेसका अधिवेशन होनेवाला था। गांधीजीने यह आशा रखी थी कि अेक दो दिनमें ठाकुरसाहबको समझा दूंगा और त्रिपुरी जा सकूंगा। परंतु अिस मुलाकातके वाद अुनकी यह आशा टूट गयी।

दूसरे दिन अलग अलग गांधीजीके लगभग डेढ़ सौ किसान गांधीजीसे मिलने आये। अुन्होंने सैनिकोंको मोटर लारियोंमें भरकर जंगलमें छोड़ आने, वहां खूब मार मारने, पैरोंमें जूते या चप्पल हों तो अुन्हें निकलवा कर काटों पर चलाने, तथा कुछके कपड़े अुतार कर नंगे करके छोड़ देनेकी सारी कहानी प्रथम सदस्यके रूबरू कह सुनायी। दोपहरको गांधीजी रेजीडेण्ट

मि० गिन्सनसे मिले। शामको प्रार्थनाके बाद दरवार वीरावाला गांधीजीको मोटरमें घूमने ले गये। कोअी डेढ़ घंटे तक बातचीत हुअी। गांधीजी खूब निराश होकर लौटे। रातको देर तक अन्हें नींद नहीं आअी। आधीसे ज्यादा रात अन्होंने भारी मानसिक वेदनामें बिताअी। प्रातः अठकर ठाकुरसाहवको पत्र लिखने बैठे। असमें सूचित कर दिया कि यदि मेरी मांगें नहीं मानी गअीं तो दूसरे दिन अर्थात् ३ तारीखको दोपहरके बारह बजेसे मेरा अपवास शुरू हो जायगा। वह पत्र अस दिन बारह बजेसे पहले ठाकुरसाहवके पास पहुंचा दिया गया। पत्र अस प्रकार था :

“मेहरबान ठाकुरसाहब,

“यह पत्र लिखते हुअे मुझे संकोच हो रहा है। परंतु लिखना धर्म हो गया है।

“मेरे यहां आनेका कारण आप जानते हैं। तीन दिन तक दरवार वीरावालासे बातें हुअीं। अुनसे मुझे बड़ा असंतोष हुआ है। अिन तीन दिनके परिचय परसे मेरी यह राय बनी है कि अुनमें किसी भी बात पर कायम रहनेकी शक्ति नहीं है। मेरे खयालमें अुनके मार्गदर्शनसे राज्यका अहित हो रहा है।

“अब अस पत्रके अुद्देश्य पर आता हूं। वर्षा छोड़ते समय मैंने यह निश्चय किया था कि आपकी की हुअी प्रतिज्ञाका पालन कराये बिना मैं राजकोट नहीं छोड़ूंगा। परंतु मैंने यह नहीं समझा था कि मुझे यहां अेक दो दिनसे ज्यादा रहना पड़ेगा, या मुझ पर जो बीती है वह बीतेगी।

“अब मेरा धीरज छूट गया है। हो सके तो मुझे त्रिपुरी जाना चाहिये। मैं न जाअूं तो हजारों कार्यकर्ता निराश होंगे और लाखों दरिद्रनारायण व्याकुल हो अुठेंगे। असलिअे अस अवसर पर मेरी दृष्टिमें समयका बड़ा मूल्य है।

“असलिअे आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप निम्नलिखित सुझावोंको हृदयसे स्वीकार करके मुझे चिन्तामुक्त करें और यहांसे कल बिदा कर दें।

“१. नं. ५० ता० २६-१२-३८ के गजटमें आपकी जो घोषणा छपी है वह कायम है, असा दुबारा प्रजाके सामने घोषित करें।

“ २. आपके नं० ६१ ता० २१-१-३९ के गजटकी घोषणा रद्द करें।

“ ३. आपने सुधार समितिके सात नाम घोषित किये हैं। उनमें से २, ३, ५ और ७ रहने देकर राजकोट प्रजा-परिपद्की तरफसे दूसरे नीचे लिखे नाम स्वीकार करें :

१. श्री अछरंगराय न० डेवेंर
२. श्री पोपटलाल पु० अनडा
३. श्री व्रजलाल म० गुक्ल
४. श्री जेठालाल ह० जोशी
५. श्री सौभाग्यचंद वी० मोदी

“ अिस सूचनाके गर्भमें हेतु यह है कि राजकोट प्रजा-परिपद्का बहुमत रहे। अपरोक्त ९ में से श्री अछरंगराय डेवरको अध्यक्ष नियुक्त करें।

[रहने दिये गये नाम]

२. जाडेजा जीवनसिंहजी धीरुभा
३. सेठ दादा हाजी वलीमुहम्मद
५. मि० मोहनलाल अेम० टांक
७. सेठ हातुभाजी अब्दुलअली

“ ४. तीन या कम अधिकारियोंको, जिन्हें परिपद्की ओरसे में चुन सकूं, समितिके सहायक और सलाहकार . मुकर्रर करें। अुन्हें समितिकी कार्रवाजीमें मत देनेका अधिकार नहीं होगा।

“ ५. आप हुक्म जारी करें कि समितिको कागजात, आंकड़े आदि जो भी सामग्री तथा मदद चाहिये सो राज्यके संबंधित विभागोंके अधिकारी दें। समितिके लिअे राजमहलमें बैठकें करनेके योग्य स्थान आप नियत करें।

“ ६. मेरी सलाह है कि अपरोक्त धारा ४ के अनुसार आप जिन्हें सलाहकार बनायें अुन्हींको अपनी कार्यकारिणी कौंसिल बना दें और अुस पर आपकी ता० २६ दिसम्बरकी घोषणाके अुद्देश्यके अनुसार शासन करने और अुस घोषणाके अुद्देश्यके लिअे विघातक सिद्ध होनेवाली कुछ भी कार्रवाजी न करनेका भार डालें। अिन सलाहकारोंमें से अेकको अुस कौंसिलका अध्यक्ष बनायें और यह घोषणा कर दें कि वह कौंसिल जो वक्तव्य

या हुक्म वगैरा जारी करेगी, अतः आप निःसंकोच हस्ताक्षर कर देंगे। यदि समितिके सलाहकारोंकी कार्यकारिणी कौंसिल बनाना आप पसन्द न करें, तो जो कौंसिल आप बनायें वह भी मेरी सलाह लेकर बनायें।

“७. समिति अपना काम ता० ७-३-३९ को शुरू करे और ता० २२-३-३९ को पूरा कर दे।

“समितिकी रिपोर्ट आपके हाथमें आ जाय अउसके बाद आठ दिनके भीतर आप अउसकी सिफारिशों पर अमल करनेकी घोषणा करें।

“कल सत्याग्रही कैदियोंको छोड़ दें। अतः पर हुअे जुमाने, जव्तियां वगैरा माफ कर दें और जो वसूल हो गये हैं वे लौटा दें।

“मि० गिन्सनके साथ बात करने पर अउन्होंने बताया कि २६ दिसम्बरकी घोषणाके संबंधमें आप जो कुछ करेंगे अउसमें वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

“यदि आप मेरी अतनी प्रार्थना कल दोपहरके बारह बजे तक स्वीकार नहीं करेंगे, तो अउस समयसे मेरा अुपवास शुरू हो जायगा। और जब तक अउसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जारी रहेगा।

“मुझे आशा है कि आप मेरी भाषाको कड़ी नहीं समझेंगे। कड़ी हो तो आपके प्रति कड़ी भाषा अिस्तेमाल करनेका और कड़ा बननेका मुझे अधिकार है। आपके पितामहका मेरे पिताजीने नमक खाया था। आपके पिताजी मुझे पितातुल्य मानते थे। मुझे तो अउन्होंने सार्वजनिक रूपमें गुरुपद दिया था। मैं किसीका गुरु नहीं, अिसलिये मैंने अउन्हें शिष्य नहीं माना था। मैं आपको पुत्रवत् मानता हूं। संभव है आप मुझे पितातुल्य न मानें। मुझे पितातुल्य मानते हों तो मेरा अनुरोध आप क्षण भरमें सहज ही स्वीकार कर लेंगे और २६ दिसम्बरके बाद प्रजा पर जो वीती है अउसके लिये दुःख प्रकट करेंगे।

“मुझे स्वप्नमें भी अपना या राज्यका दुश्मन न समझें। मैं किसीका शत्रु नहीं बनूंगा। अुम्र भर नहीं बना। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा अनुरोध हार्दिक रूपमें स्वीकार करनेमें आपका हित है, आपकी शोभा है, आपका धर्म है।

“आपको अैसा लगेगा कि अपनी सूचनाओंमें से कुछ मैंने २६ दिसम्बरकी घोषणासे वाहर जाकर की हैं। अूपर-अूपरसे देखने पर अैसा

कहा जा सकता है। आप देखेंगे कि परिपदसे बाहरके सदस्य स्वीकार करनेमें आपके स्वाभिमानका ही मंने खयाल रखा है। जिसलिये यह तो राज्यके पक्षकी ही बात हुयी। दूसरे सुझावोंको, जो अुक्त घोषणासे बाहरके माने जा सकते हैं, राज्यके पक्षके न समझना ही तो वैसा कह सकते हैं। परंतु यह परिस्थिति मुझे मालूम हो रहे आपके वचन-भंगसे ही अुत्पन्न हुयी है। मगर मेरी दृष्टिसे तो वे भी राजा-प्रजाकी रक्षार्थ ही हैं और जिस खयालसे दिये गये हैं कि समझीता फिर भंग न हो जाय।

“अन्तमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समिति जो रिपोर्ट तैयार करेगी, अुसकी यदि मेरा शरीर रहा तो मैं जांच करूंगा। मेरा शरीर नहीं रहा तो सरदार वल्लभभाजी अुसे देखेंगे और अुसमें अेक भी धारा अैसी नहीं रहेगी जिससे आपकी प्रतिष्ठाको या राज्य अथवा प्रजाको हानि पहुंचे।

“जिसकी नकल मैं गिन्सन साहवको भेज रहा हूं।

“यह पत्र मैं तुरंत प्रकाशित नहीं कर रहा हूं। और आशा तो अैसी ही रखता हूं कि मेरे सुझाव आप सहर्ष स्वीकार कर लेंगे और यह पत्र प्रकाशित करनेका धर्म मुझ पर नहीं आ पड़ेगा।

“परमात्मा आपका भला करे, आपको सन्मति दे।

मोहनदासके आशीर्वाद”

अुसी समय दरवार वीरावालाको यह पत्र लिखा :

“ता० २-३-३९

“दरवार साहव वीरावाला,

“मैं क्या करूं? रातका आधा जागरण करके यह पत्र लिख रहा हूं।

“पिछले तीन दिनमें आपने मुझे बहुत कड़वा अनुभव कराया है। आपके वचनोंमें कहीं मुझे अेकता दिखायी नहीं दी। प्रत्येक वचनमें से आपकी निकल जानेकी तैयारीके सिवा और कुछ मैं नहीं देख सका। कल रातकी बातने तो हृद कर दी। प्रजाजन आपसे क्यों डरते हैं, यह मैं समझ सका हूं।

“आपने मुझे अपने कार्यकी जांच करनेका निमंत्रण दिया है। मैंने अुसे स्वीकार कर लिया। परंतु अधिक जांचकी बात आपने रहने

हीं नहीं दी। मुझे अश्वरने अितनी शक्ति, अितनी पवित्रता नहीं दी मालूम होती। मुझमें अितनी अहिंसा पैदा नहीं हुई। नहीं तो मैं जरूर आपके हृदयमें प्रवेश कर सका होता। मुझे दुःख और शर्म महसूस होती है कि मैं आपका हृदय जीतनेमें असमर्थ साबित हुआ हूं। मेरा सत्याग्रह लज्जित हो रहा है।

“मैं मानता हूं कि आप ठाकुरसाहब पर जो प्रभुत्व भोगते हैं, उससे उनका हित नहीं हुआ है। उनका मानसिक पंगुता देखकर परसों रातको मेरा हृदय रो दिया। उसकी जिम्मेदारी मैं आप पर डालता हूं।

“ठाकुरसाहबके नाम अभी मैंने पत्र भेजा है। उसीके साथ यह आपके नाम भेज रहा हूं। आप तो वह पत्र तुरंत देख ही लेंगे। इसलिये उसकी नकल नहीं भेज रहा हूं। यद्यपि आपने अपना निर्णय कल रातको सुना दिया है, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ठाकुरसाहबको मेरे सुझाव मान लेनेकी सलाह दें।

“परमात्मा आपके हृदयमें बसे।

मो० क० गांधीके वन्देमातरम्”

ठाकुरसाहबके नाम लिखे पत्रकी नकल मि० गिक्सनको भी भेजी और लिखा कि मैं आशा रखता हूं कि मेरे सुझावों पर अमल होनेके मामलेमें आप यथाशक्ति हार्दिक सहयोग देंगे।

बादमें सरदारको फोन पर यह संदेशा भेजा :

“मेरे निर्णयसे घबरायें नहीं। केवल अश्वरकी प्रेरणासे यह काम किया है। बुद्धि भी कोअी दूसरी बात नहीं सुझा सकती थी। इसका किसीसे जिक्र न करना। मेरा सुझाव दरवार वीरावाला ठाकुरसाहबको मान लेने दें तो भले ठाकुरसाहबको ही अभी उसका पूरा यश मिले। आप अपने स्थानसे न हटिये। राजकोटका भार अुठानेको मैं यहां हूं। अितना काफी समझना। मुझे तो इस मामलेके दौरानमें टेलीफोनका खर्च भी बचा लेना पसन्द होगा। परंतु आपकी प्रकृति मैं जानता हूं। इसलिये यह अितमीनान रखना कि जरूरत पड़ने पर समय-समय पर यहांके समाचार देनेके लिये टेलीफोनका अुपयोग करनेमें संकोच नहीं करूंगा।”

३ तारीखको वारह बजे तक ठाकुरसाहबका पत्र नहीं आया, इसलिये अुपवास शुरू कर दिया गया। प्रार्थना और भजन पूरे हो जानेके बाद

ठाकुरसाहवका अुतर लेकर प्रथम सदस्य आये । वह जवाव अंग्रेजीमें था । अुसका अनुवाद नीचे दिया जाता है ।

“ प्रिय महात्मा गांधी,

“ आपका पत्र मिला । पढ़कर बड़ा दुःख हुआ । आपको में विश्वास दिला चुका हूं कि ता० २६-१२-३८ को मेरी प्रकाशित की हुअी घोषणा अब भी कायम है । कमेटीके नामोंके बारेमें आपका सुझाव अुस घोषणाके अनुसार नहीं है । अिसी प्रकार आपके दिये हुअे दूसरे सुझाव स्वीकार करना मुझे अुचित प्रतीत नहीं होता । राज्यके भिन्न भिन्न हितोंके सच्चे प्रतिनिधि सदस्योंकी कमेटी बने, यह देखनेकी जिम्मेदारी राजकोटके राजाकी हैसियतसे मेरी है । अपने राज्य तथा प्रजा दोनोंके हितोंका विचार करते हुअे वह जिम्मेदारी में छोड़ नहीं सकता । अैसे महत्त्वके मामलेमें अन्तिम निर्णय किसी दूसरेको करने देना मेरे लिये संभव नहीं । मैं आपको पहले ही विश्वास दिला चुका हूं कि मेरी यह तीव्र अभिलाषा है कि कमेटी अपना काम शांत वातावरणमें जल्दीसे जल्दी शुरू कर दे, जिससे आवश्यक प्रतीत होनेवाले सुधार राज्यमें जारी करनेमें देर न होने पाये ।

आपका

धर्मन्द्रसिंह ”

अुपरोक्त पत्र पढ़कर गांधीजीने ये अुद्गार प्रगट किये कि “ यह जवाव तो आगमें घी डालने जैसा है । ” वादमें खानसाहवसे कहा, “ अिसका वाकायदा जवाव तो मैं वादमें भेजूंगा । अिस बीच अब तमाम सत्याग्रही कैदियोंको छोड़ देनेकी सलाह ठाकुरसाहवको देनेकी सूचना तो मैं आपको कहां न ? मेरा अनशन आरंभ हो गया है । अिसलिये मैं जिन्दा हूं तब तक तो अब सविनय कानून-भंग दुवारा शुरू नहीं होगा । और मेरे अनशनकी खबर कैदियों तक किसी भी तरह पहुंचेगी ही । अिसलिये कदाचित् वे भी अुपवास कर बैठें । और जब तक वे जेलमें रहेंगे तब तक अुन्हें रोका या समझाया भी कैसे जा सकता है ? ”

प्रथम सदस्यने पूछा, “ परंतु क्या आपको अुपवास करना ही चाहिये ? और कोअी रास्ता नहीं ? आपके अुपवास करनेसे तो कितना ही सविनय कानून-भंग क्यों न हो, अुसे मैं ज्यादा पसन्द करूंगा । ”

गांधीजी बोले : “ यह मैं जानता हूं । परंतु अिस अवस्थामें अितनी अन्तर-परीक्षाके बाद खुदाके नाम पर किये गये अुपवासके फैसलेको बदलनेका

विचार करूं तब तो सत्तर वर्ष तक मेरा जीना व्यर्थ ही होगा न? और कोसी मार्ग नहीं रहा तभी तो यह निर्णय करना पड़ा है।”

फिर अन्होंने ठाकुरसाहबके पत्रका उत्तर लिखवाया :

“मेहरवान ठाकुरसाहब,

“आपका पत्र पढ़कर दुःख हुआ। असा नहीं लगता कि वचनका आपके लिये कुछ भी मूल्य है। आपका व्यवहार तो किसी बड़े दानका वचन देकर अुस वचनका भंग करनेवाले मनुष्य जैसा है। ता० २६-१२-३८ की घोषणा द्वारा आपने प्रजाको कितना विशाल दान दिया था? अुदारता राजवंशी स्वभावका अेक लक्षण है, और आभूषण भी है।

“अुस घोषणा द्वारा आपने अेक अुदार दान घोषित किया था। अुसमें मुख्य स्वर सुधार-समितिके सदस्योंके नामोंके चुनावका हक छोड़नेका है। और हमारे मामलेमें तो आपने सरदारको परिपक्वके प्रतिनिधिके रूपमें अेक खास पत्र लिखकर वह हक दे दिया है। मैं यह मानता हूं कि कलके मेरे पत्रमें बतायी हुअी शर्तोंकी स्वीकृति वचन-पालनके लिये आवश्यक है। अीश्वर आपको अुन्हें स्वीकार करनेकी सद्बुद्धि दे।

“खानसाहब द्वारा आज मैंने आपके नाम अेक सूचना भेजी है। अुस पर अमल करना अुचित होगा। अिस समय सत्याग्रह स्थगित हो जानेके कारण सत्याग्रही कैदियोंको मुक्त कर देना आपका धर्म है।

मोहनदासके आशीर्वाद”

४ तारीखको तड़के ही गांधीजी खूब ताजे होकर अुठे। अुठकर मि० गिन्सनके नाम निम्न पत्र लिखवाया और अुसे वाअिसरायको तारसे भेजनेकी सूचना दी :

“४-३-३९

“प्रिय मि० गिन्सन,

“आज प्रातः जल्दी अुठकर आपको जो कुछ लिख रहा हूं वह अखबारोंको लिख भेजनेका विचार हुआ था। बादमें खयाल आया कि अुसका मजमून वाअिसराय महोदयको तारसे भेजा जाय। अन्तमें मुझे

सही मार्ग सूझा कि अपने विचार आपको लिखकर बता दिये जायं और अतः पर आपको जो आलोचना करनी हो उसके साथ वह पत्र वाहिसराय महोदयको तारसे भेज देनेकी आपसे प्रार्थना की जाय।

“मेरा खयाल है कि ठाकुरसाहबको विचारशील और जिम्मेदार राजा माननेमें मैं या मुझे कहने दीजिये कि हम सब अके डोंग कर रहे हैं। यह बात मुझे परसों जब मैंने आपको अपने सुझावोंवाला पत्र लिखा तभी मालूम हुआ थी। मुझे पता नहीं कि मेरा पत्र अन्हें पढ़ने दिया गया होगा या नहीं? और पढ़ने दिया गया होगा तो भी वे अुसका पूरा अर्थ समझ सके होंगे या नहीं? मैं आशा रखता था कि मेरे अपने और मेरे वापदादोंके ठाकुरसाहबके पिता तथा पितामहके साथ जो संबंध थे, अुनके कारण मैं अुनके भीतर कर्तव्यका भान जाग्रत करा सकूंगा। परंतु राजकोटके असली राजा दरवार वीरावाला हैं। ठाकुरसाहबके नाम अपने पत्रमें मैंने कहा है कि वे विलकुल विश्वासपात्र नहीं हैं। अुन्हें ठाकुरसाहबकी पहली घोषणा पसन्द नहीं है। अुनका वस चले तो वे सुधार-समितिमैं अपने नामोंका बहुमत करके अुसे रद्द करा दें। अिस समय राज्यमें वे किसी पद पर नहीं हैं। फिर भी अुनकी मरजी ही अन्तिम कानून है। वे लिखित आज्ञाओं भी देते हैं। राजमहलमें अुन्होंने अपने भर्ताजेको रख छोड़ा है। केवल वे ही ठाकुरसाहबके पास जब चाहे जा सकते हैं। आप जानते हैं कि सर पैट्रिक केडलका अुन पर (दरवार वीरावाला पर) जरा भी विश्वास नहीं था और अुन्होंने अुन्हें राजकोटमें रहने या ठाकुरसाहबसे कोअी भी संबंध रखनेसे मना कर दिया था। फिर भी पहली लड़ाविके दौरानमें वे राजकोट चले आये, जिसके लिये कर्नल डेवीको अुन्हें आड़े हाथों लेना पड़ा था। आज राजकोटमें जैसा अंधेर मचा हुआ है, अुसका नमूना मुझे और कहीं नहीं मिलता। मेरा निश्चित मत है कि यह मामला अैसा है जिसमें ठाकुरसाहबसे वचनका पालन करानेके लिये सार्वभौम सत्ताको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिये।

“सुधार-समितिमैं जिन गैरसरकारी लोगोंके नाम सरदार पटेल सुझायें, अुनको नियुक्ति ठाकुरसाहबको करनी चाहिये। वह २६ दिसम्बरकी कार्रवाविकी अके अंग है। ठाकुरसाहबके नाम कलके पत्रमें मैंने कहा है कि अैसी कोअी सावधानी नहीं रखी जाय तो अुस घोषणाको आसानीसे निरर्थक बनाया जा सकता है। साथमें

ठाकुरसाहबके पत्रकी और अन्हें दिये गये मेरे उत्तरके अनुवादकी नकल आपको भेज रहा हूं।

आपका

मो० क० गांधी”

अुसी दिन दोपहरको मिस अेगेथा हैरिसन राजकोट आ पहुंचीं। अुन्हें यह समझाते हुअे कि कितना अनिवार्य होने पर अुपवास शुरू किया है, गांधीजीने कहा, “सचमुच यह अुपवास मेरे सिर पर आ पड़ा है। अुपवासोंसे मैं विलकुल थक गया हूं। मेरे अुपवासोंमें हमेशा आनेवाली अुवकाजी और बेचैनीकी कल्पना होते ही मैं कांप अुठता हूं।”

श्रीमती अेगेथाने पूछा : “यहांकी स्थितिके बारेमें आपका क्या खयाल है?”

गांधीजी बोले : “पत्थरकी दीवारके विरुद्ध खड़े हैं। यहां चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे हैं। रेजीडेण्ट रोजमरके कामकाजमें दखल देनेमें अपनी असमर्थता प्रगट करते हैं। प्रथम सदस्य कहते हैं कि राज्यके हुकमोंके सिलसिलेमें पुलिसका शासन संभालने तक ही मेरा संबन्ध है। राज्यके बड़े मामलों और बड़ी नीतिके साथ मेरा सरोकार नहीं। ठाकुरसाहबसे तो अेक दरवार वीरावालाके सिवा और कोअी मिल ही नहीं सकता। वे राज्यमें किसी पद पर नहीं हैं, तो भी असली कर्ता-धर्ता वही हैं। हुकमों पर वे दस्तखत तक करते हैं। किसी बातमें कुछ भी अुचित कार्रवाअी करनेको अुनसे कहें तो यह कहकर अलग हो जाते हैं कि यह तो ठाकुरसाहबके हाथकी बात है। अिस प्रकार जहां जाअिये वही किसी निवटारेकी बात पर जबरदस्त ताले लगे हुअे हैं।”

शामको राज्यकी तरफसे अेक वक्तव्य प्रकाशित हुआ। अुस वक्तव्यका सबसे चौकानेवाला भाग वह था जिसमें अिस आधार पर गांधीजीके विरुद्ध आक्षेप खड़ा कर लिया गया था कि अुन्होंने ठाकुरसाहबको जो पत्र लिखा, अुसमें अुन्होंने राज्यके जुल्मोंका कोअी अुल्लेख नहीं किया—अुद्यपि अैसा गांधीजीने जानबूझकर ही किया था। अिसका यह अर्थ निकाला गया कि गांधीजी द्वारा की गअी जांचमें राज्यके विरुद्ध लगाये गये आरोप झूठे होनेका गांधीजीको अितमीनान हो गया है। फिर भी अिस बारेमें अफसोस जाहिर न करनेके लिये गांधीजीका दोष बताया गया।

गांधीजीने अिस दयानका संक्षिप्त अुत्तर दिया :

“मैं चुप अिसीलिअे रहा था कि खानसाहब और अुनके मातहत कर्मचारियोंके साथ, जो सत्याग्रहियोंके प्रति हुअे बरतावके लिये

मुख्यतः जिम्मेदार थे, भूलसे भी अन्याय न होने देने और उनके साथ संपूर्ण न्याय करनेके लिये मैं अतुसुक था। परंतु मेरे मौनकी कद्र करनेके वजाय अलुटे मेरे विरुद्ध प्रमाणके तौर पर सरकारी वक्तव्यमें अुसका अुपयोग किया गया है। जिसलिये वस्तुस्थिति प्रगट करना मेरा कर्तव्य हो जाता है।

“दोनों जेलोंको देख लेनेके बाद मैंने खानसाहबसे कहा था कि कैदियोंकी बात सुनकर मैं सहम अुठा हूं और उनके आरोप मान लेनेकी ओर मेरा झुकाव है। अुनमें से बहुतोंको मैं निजी तौर पर जानता हूं और दूसरे भी बहुतसे लोग समाजमें अिज्जतदार और प्रतिष्ठित माने जानेवाले सदगृहस्थ हैं। अुनका कहा गलत साबित न कर दिया जाय तब तक हर कोअी सच ही मानेगा। जिसलिये मैंने खानसाहबसे कहा कि आरोप अितने ज्यादा गंभीर हैं और अितने विविध प्रकारके हैं कि राज्यके साथ न्याय करनेका मेरे लिये केवल अेक यही मार्ग है कि निष्पक्ष न्यायालयके सामने अुनकी न्यायपूर्वक जांचका सुझाव दूं। . . . मुझ पर अुलटा वचन-भंगका जो आरोप वक्तव्यमें लगाया गया है वह तो निरी निष्ठुरता है।”

३ तारीखको गांधीजीके कुछ साथियोंने कस्तूरवासे मिलनेकी अनुमति प्राप्त करनेका प्रयास किया था। अुन्हें जवाब मिला, “कल फिर कोशिश करके देखिये। ठाकुरसाहबको पूछना पड़ सकता है।” दूसरे दिन आवश्यक मंजूरी मिल जानेसे डॉ० सुशीला नय्यर तथा अन्य दो आदमी वासे मिलने त्रंवा गये। वाने गांधीजीके नाम अेक हृदयद्रावक पत्र भेजा था, जिसमें अनशन करनेसे पहले अुनसे बात तक न करनेके लिये नम्र अुलहना दिया था। अुसके जवाबमें साथियों द्वारा गांधीजीने यह सन्देश भेजा था :

“तुम व्यर्थ चिन्ता करती हो। अुपवासका निश्चय करनेसे पहले तुमसे या और किसीसे कैसे बात करता? मैं खुद ही कहां जानता था कि अनशन चला आ रहा है। अीश्वरने आवाज दी तो मैं अुसका अनुकरण करनेके सिवा और कर ही क्या सकता था? जब आखिरी तुलावा आयेगा — और किसी दिन तो आयेगा ही न? — तब भी तुमसे या किसीसे पूछनेके लिये ठहरा थोड़े ही जा सकेगा?”

अिसके सिवा गांधीजीने अेक मौखिक सन्देश भी भेजा था — क्या तुम चाहती हो कि अुपवासके दिनोंमें तुम्हें मेरे पास रहने देनेके लिये मैं राज्यसे आजिजी करूं? वाने तुरंत अुत्तर दिया : “बिलकुल नहीं। ये लोग मुझे आपके स्वास्थ्यके समाचार प्रतिदिन दे दिया करें तो मुझे संतोष होगा।”

फिर भी गांधीजीको कस्तूरवाके वारेमें चिन्ता तो रहा ही करती थी। सबका खयाल था कि पहलेके अपवासोंकी तरह इस वार भी सत्ताधारी अपवास शुरू होते ही वाको गांधीजीके पास रहनेको भेज देंगे। ४ तारीखको गांधीजीने प्रथम सदस्यसे पुछवाया कि वाकी कानूनन् सही स्थिति क्या है? क्या वे अपनेको स्वतंत्र व्यक्ति मानकर कहीं भी जा आ सकती हैं? या फिर आप अन्हें जो राज्यके अतिथि समझते हैं वह राज्यके कैदीका केवल दूसरा नाम है? इसका उत्तर नहीं दिया गया। ५ तारीखको प्रातः गांधीजीने फिर पत्र लिखकर पुछवाया। अुसका भी दोपहर तक उत्तर नहीं आया। दोपहरको सबके आश्चर्यके बीच राज्यकी मोटर राष्ट्रीय पाठशालामें आकर वाको छोड़ गयी। प्रथम सदस्यने वासे अितना ही कहा था कि “ठाकुर-साहव आपको गांधीजीसे मिलने भोजना चाहते हैं।” वा बिना किसी सामानके आयी थीं। वे नहीं चाहती थीं कि अुनकी साधिन मणिवहन और मृदुलावहनसे अुन्हें अधिक सुविधाअें मिलें। असलिये गांधीजीने निर्णय किया कि वा वापस जायं और त्रंवामें अपनी साधिनोंके साथ जाकर रहें। अुन तीनोंकी कानूनी स्थिति जाननेके लिये दिन भरमें कुल पांच चिट्ठियां गांधीजीने खानसाहवको लिखीं। परंतु कोअी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला। अन्तमें गांधीजीने लिखा :

“विलकुल तुच्छ बातोंमें मुझे क्षुब्ध होना पड़े, डॉक्टरकी सूचनाके विरुद्ध समय देना पड़े और आपको तकलीफ देनी पड़े, यह मेरे लिये दुःखकी बात है। अैसा अनुभव जीवनमें पहली वार यहां हो रहा है, जिसे मैं अपना घर मानता हूं।”

वादमें शामको साढ़े सात वजे वाको त्रंवा वापस भेज दिया गया।

६ तारीखको सत्ताधारियोंने तीनोंको बिना शर्त छोड़कर प्रश्नका निवटारा कर दिया।

५ तारीखको सरदारने त्रिपुरीसे अखबारोंमें यह वक्तव्य निकाला :

“गांधीजीने राजकोटके ठाकुरसाहव और वहांकी प्रजाके बीच हुअे पवित्र करारका पालन करानेके नैतिक प्रश्न पर अपवास आरंभ किया है। अस प्रश्नमें सुधार-समितिमें प्रजाके प्रतिनिधियोंका बहुमत होनेके हकका समावेश होता है। यह देखकर मुझे खेद होता है कि ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ ने अपने अग्रलेखमें यह लिखा है कि जिस महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमें समझौतेकी शर्तें लिखी गयी हैं अुसके दो अर्थ हो सकते हैं। अुस दस्तावेजकी भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है।

ठाकुरसाहबके और मेरे बीच हुआ वातचीतके दौरानमें जिस वारेमें कोयी शंका या वहस पैदा ही नहीं हुआ थी कि समितिमें प्रजाका बहुमत होना चाहिये। अलुटे ठाकुरसाहबने २६ दिसम्बरको जिस करार पर दस्त-खत किये थे, उसकी बुनियाद ही जिस मुद्दे पर रची गयी थी। जिस लंबी वातचीतके इतिहाससे यह मालूम हो जाता है।

“गत नवम्बरमें जब गांधीजीके पास समझौता करा देनेकी बात ले जायी गयी, तब अन्होंने समझौतेकी शर्तोंका मसौदा तैयार कर दिया था। उसमें यह शर्त रखी गयी थी कि प्रजा-परिषद्के प्रति-निधियोंका बहुमत होना चाहिये; और वह बहुमत तय करनेका काम मुझ पर छोड़ा गया था। उस समय जो सज्जन मध्यस्थता कर रहे थे, वे वह मसौदा लेकर २३ नवम्बरको अहमदाबादमें मेरे पास आये थे। तब यह निश्चय किया गया था कि समितिमें सात सदस्य परिषद्के और तीन राज्यके होने चाहिये। उन सज्जनके साथ शर्तोंका जो मसौदा मैंने ठाकुरसाहब और सर पैट्रिक केडलको भेजा था उसमें यह धारा थी।

“उस धाराके विरुद्ध ठाकुरसाहब या सर पैट्रिक केडल दोनोंमें से अकने भी आपत्ति नहीं की और न उसमें कोयी फेरवदल किया। उस धाराके वारेमें अन्होंने अितना ही सुझाव दिया था कि मैं जिन सात सदस्योंके नाम दूँ, वे राजकोटके असली निवासी होने चाहिये। वादमें वह वातचीत दूसरे कारणोंसे टूट गयी। परंतु उस वार्तालापके दौरानमें किसी भी समय जिस शर्तके विरुद्ध आपत्ति नहीं उठायी गयी थी।

“ता० १५-१२-३८ को ठाकुरसाहबके साथ अक और मध्यस्थके मारफत फिर वातचीत शुरू की गयी। ये सज्जन ठाकुरसाहब तथा दरवार बीरावालाकी तरफसे अधिकारपूर्ण पत्र लेकर आये थे। चर्चके लिअे जो शर्तें लेकर वे सज्जन आये थे, उनमें अपरोक्त शर्तें शामिल थीं। १९ तारीखको अपनी तरफसे जो जवाबी मसौदा मैंने भेजा था, उसमें भी वह शर्त सम्मिलित थी।

“२६ तारीखको राजकोटमें जब शर्तों पर वहस हुआ तब सबको यह बात मंजूर थी कि परिषद्के बहुमतकी यही शर्त समझौतेकी बुनियाद मानी जायगी। जिस बहुमतको कम करनेके लिअे मुझे बहुत अनुरोध किया गया, जो मुझे नामंजूर करना पड़ा था। मैंने उनका

अके ही सुझाव माना था कि मेरी ओरसे सुझाये जानेवाले सात नाम राज्यके वतनियोंके होने चाहिये। कौंसिल मेरी तरफके सातों नाम वहीं और अुसी क्षण माननेको तैयार थी। परंतु मुझे जिनकी सलाह लेकर नाम तय करने थे वे सब अुस वक्त जेलमें थे। अिसलिये यह निश्चय हुआ कि मैं वादमें नाम भेज दूं।

“यह नहीं भूलना चाहिये कि वह समझौता अके तरफ ठाकुरसाहब तथा अुनकी कौंसिल और दूसरी तरफ मैं तथा मेरे साथके अन्य तीन व्यक्ति अिस प्रकार दोनों पक्षोंके बीच आठ घंटेकी चर्चाके बाद हुआ था। सात सदस्योंकी संख्याको घटाकर तीन करके प्रजा-परिपदके सदस्योंका अल्पमत कर डालनेकी ठाकुरसाहबकी स्वतंत्रता रहेगी, यह मुझसे कहा जाता तो मैं अुस वातालापमें कभी भाग न लेता। अुस समझौतेके अके भागके रूपमें ठाकुरसाहबने मुझे जो पत्र दिया था अुससे निश्चित पता चलता है कि अुस समय अुनका जिरादा सातका बहुमत घटानेका बिलकुल नहीं था। यदि ठाकुरसाहबकी अिच्छानुसार अिस संख्यामें कमी करनेकी बात होती, तो यह समझौता करने या अुसे पवित्रतापूर्वक लेखबद्ध करनेका कोअी अर्थ ही नहीं था।

“समझौता हो जानेके बाद तुरंत ही गांधीजीको मैंने तार दिया था :

‘आठ घंटेकी लंबी बातचीतके बाद आज तड़के ही दो वजे प्रभुकृपासे समझौता हो गया। मुख्य शर्तें आपके मसौदेके अनुसार स्वीकार कर ली गयी हैं। करार भेज रहा हूं।’

“अुसी दिन वादमें मैंने गांधीजीको तारसे समझौतेकी शर्तें भेजी थीं, जिनमें कहा गया था :

‘प्रजाकी तरफके सात प्रतिनिधि ठाकुरसाहब मेरी सिफारिशके मुताबिक मुकर्रर करेंगे। घोषणामें अिसकी स्पष्टता नहीं है, परंतु अिसके लिये अलग लिखित स्वीकृति ले ली है।’

“अिस परसे अिस वारेमें कुछ भी शक नहीं रह जाता कि करारकी बुनियाद यह थी कि सुधार-समित्तमें परिपदके प्रतिनिधियोंका बहुमत रहना चाहिये। अिसके खिलाफ जो मतलब लगाया गया है, वह किये गये समझौतेसे निकल जानेके लिये वादमें पैदा कर लिया गया है। यदि ठाकुरसाहबको प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संख्या घटाकर अल्पमतमें रखनेकी सत्ता दी गयी होती, तो प्रजाकी लड़ायी, बातचीत

और कौल-करार सभी व्यर्थ हो जाते। जैसे नाजुक मामलेमें झगड़ेके मुद्दोंको अस्पष्ट बना देनेके प्रयत्न अत्यंत दुःखद माने जायेंगे।”

५ और ६ तारीखको गांधीजीकी वहन अगेथासे महत्त्वकी बातें हुईं। गांधीजीने अन्हें जीवन-संबंधी अपना तत्त्वज्ञान समझाया। यह स्पष्ट किया कि साथियोंके प्रति पक्षपातके कारण साथियोंके दोष न देखना अुनके लिये कितना असंभव है। साथनोंकी शुद्धता पर वे कितना अधिक जोर देते हैं, यह समझाते हुअे अुन्होंने कहा :

“शैतानके पंखों पर चढ़कर स्वर्ग पहुंचा जा सकता हो तो भी सत्याग्रही ऐसा नहीं करेगा। कभी कभी मेरे और मेरे साथियोंके बीच भेद किया जाता है। मुझे अच्छा और साथियोंको बुरा चित्रित किया जाता है। यह ट्रेपमूलक और अनुचित है। (सरदारका अुदाहरण देकर कहा) अुनके बारेमें बेहद गलतफहमी है। अिसका कारण भी मैं समझता हूं। अुनकी सच्चि-अरुचि बहुत मजबूत है। और वे बड़े मुंहफट आदमी हैं। अिसीलिये सब कठिनायी पैदा होती है। परंतु मेरी यह बात पूरी तरह मान लीजिये कि अुनमें किसी भी तरहकी दुष्टता नहीं है। मैं कहता हूं कि कोअी भी अुनके विरुद्ध निश्चित आरोप लगाये और अुनकी निष्पक्ष जांच कराये, तो अुनके साथ खड़े होने या गिरनेको मैं तैयार हूं। जैसे आक्षेपोंका मूल्य मैं जानता हूं। खुद मुझ पर आज गंदेसे गंदे हमले हो रहे हैं।”

यह अनशन किसलिये है? क्या और कोअी मार्ग नहीं था? अिसके अुत्तरमें अगेथाके सामने अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हुअे गांधीजीने कहा :

“काठियावाड़को मैं जानता हूं। वह बहादुर काठियोंकी भूमि है। साथ ही पड़्यंत्रवाजी और गंदगी भी अुसमें अुतनी ही भरी हुअी है। यह गंदगी बलिदानके बिना कैसे साफ हो सकती है? यदि मेरी अिच्छा-नुसार होता तो अिस अनशनकी जरूरत न पड़ती, किसीसे वहस करनेकी आवश्यकता न रहती, मेरी बात गले अुतर जाती। सचमुच बात कहनेकी भी जरूरत न पड़ती। अिच्छामात्रसे वांछित परिणाम लाया जा सकता था। परंतु मुझे अपनी मर्यादाओंका दुःखद भान है। अिसीलिये तो अपनी आवाज सुनानेको यह सब मुझे सहना है।

“दूसरा रास्ता सविनय कानून-भंगका है। परंतु अुसे मैंने अिस समय जानबूझ कर रद्द कर दिया है। कारण. मैं देखता हूं कि अुससे

जो सत्ताधारी हैं उनके अंतरमें बसनेवाला पशु ही जाग अठता है। सत्याग्रहीका लक्ष्य तो हरअेक आदमीके हृदयमें रहनेवाले उस पशुको अुखाड़ फेंकना है। सविनय कानून-भंगका आन्दोलन शुरू करनेसे जो कष्ट सहना लोगोंके लिये अनिवार्य हो जाता है, उसे मैंने स्वयं यह कष्ट अपने सिर लेकर टाल दिया है। मैं किसी भी चीजसे न घबरानेका अविरत प्रयत्न कर रहा हूं। दरवार वीरावालाके प्रति भी मेरे अंतरमें सद्भाव भरा हुआ है। मेरे अुपवाससे अुनके और ठाकुरसाहब दोनोंके दिलमें जिम्मेदारीका भान जाग्रत हो तो अुपवासको मैं सार्थक हुआ समझूंगा।”

वाअिसराँय अुस समय दौरे पर थे। वे अपना दौरा छोड़कर ६ तारीखको दिल्ली पहुंचे। दिन भर और आधी रात तक राजकोट और दिल्लीके बीच तथा राजकोट और बंबाईके बीच टेलीफोनकी घंटियां बजती रहीं। ७ तारीखको प्रातः पौने ग्यारह बजे वाअिसराँय महोदयका निम्नलिखित सन्देश मि० गिब्सनके मारफत गांधीजीको पहुंचाया गया :

“आपका संदेशा मुझे अभी मिला। अुसके लिये आपका बहुत ही आभारी हूं। मैं आपकी स्थिति समझता हूं।

“आप जो कर रहे हैं अुससे स्पष्ट है कि अिसमें मुख्य बात आपको वचन-भंगकी मालूम होती है। मैं देखता हूं कि ठाकुरसाहबकी जिस घोषणाकी पूर्ति वादमें अुनके द्वारा सरदार वल्लभभाभी पटेलको लिखे गये पत्रसे की गयी थी अुसके अर्थके बारेमें शंकाकी गुंजाअिश हो सकती है। मेरे खयालसे अैसी शंकाका निवारण करनेका सबसे बढ़िया अुपाय यही है कि देशके सबसे बड़े न्यायाधीशसे अुसका अर्थ करा लिया जाय। अिसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि ठाकुरसाहबकी अनुमतिसे—और मुझे खबर मिली है कि वे अनुमति देनेको तैयार हैं—अुनकी अुपरोक्त घोषणा तथा पत्रकी रूसे कमेटी किस प्रकार बनायी जाय, अिस बारेमें भारतके बड़े न्यायाधीशकी राय ली जाय। वादमें अुनकी दी हुयी रायके अनुसार कमेटी बनायी जाय। और यह भी निश्चित कर दिया जाय कि जिस घोषणाके अनुसार अुन्हें सिफारिशें करनी हैं, अुसके या अुसके किसी भागके अर्थके बारेमें कमेटीके सदस्योंके बीच कभी कोयी मतभेद पैदा हो तो वह सवाल भी अुन्हीं प्रधान न्यायाधीशके सामने पेश किया जायगा और अुनका निर्णय अन्तिम माना जायगा।

“ ठाकुरसाहबकी तरफसे दिलाये गये जिस विश्वासके साथ कि अुनकी घोषणामें दिये गये वचनोंका वे पालन करेंगे और मेरी तरफसे दिलाये गये जिस विश्वासके साथ कि ठाकुरसाहबसे वचन-पालन करानेकी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, की गजी व्यवस्थासे आपके मनमें पैदा हुआ सारा डर मिट जायगा, असा मैं पूरी तरह मानता हूं। आप मेरे साथ जिस बातमें सहमत होंगे कि जिस मामलेमें न्याय करनेके लिये अब पूरी सावधानी रखी जा रही है, अतः आपको अनशन छोड़कर अपने शरीरको हो रहे कष्टसे और मित्रोंको हो रही चिन्तासे अुन्हें मुक्त करना चाहिये।

“ मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे आपसे यहां मिलकर और आपसे चर्चा करके बड़ी खुशी होगी, ताकि रही-सही शंकाओं और संदेह भी दूर हो जायं। ”

गांधीजीने मि० गिन्सनके मारफत वाअिसरॉयको तारसे निम्न संदेश भिजवाया :

“ आपके शीघ्र भेजे गये जवाबके लिये मैं आपका आभारी हूं। जवाब मुझे तुरंत पीने ग्यारह वजे पहुंचा दिया गया है।

“ यद्यपि आपके अुत्तरमें स्वाभाविक रूपमें बहुतसी बातोंका अुल्लेख वाकी रह गया है, फिर भी अनशन छोड़नेके लिये और जो लाखों लोग मेरे अुपवासके पीछे रहे समझौतेके लिये प्रार्थनाओं और अन्य प्रयत्न कर रहे हैं अुनकी चिन्ता दूर करनेके लिये मैं आपके जिस भले संदेशको पर्याप्त कारण मानता हूं। अपने पक्षमें मैं अितना ही कहना अुचित समझता हूं कि जिन बातोंका आपके तारमें अुल्लेख नहीं है, वे मेरी तरफसे छोड़ी नहीं गयी हैं। अुन बातोंमें मुझे संतोष मिलना वाकी रहेगा। फिर भी रूबरू चर्चा होने तक अुन बातोंको मुलतवी रखा जा सकता है। ज्यों ही दिल्ली तक सफर करनेकी डॉक्टर अिजाजत देंगे मैं दिल्ली चला आऊंगा।

“ जिस मामले पर मुझे अनशन करना पड़ा, अुसे अितनी तत्परता और सहानुभूतिसे हाथमें लेनेके लिये मैं फिर अेक बार आपका आभार मानता हूं। ”

अुपवास छोड़नेसे पहले सरकारके साथ हुआ पत्रव्यवहार प्रकाशित करनेकी अिजाजत गांधीजी सरकारसे ले लेना चाहते थे। अिसके लिये नजी दिल्लीसे पूछना जरूरी था। दोपहरको दो वजे आवदयक अनुमतिवाली मि० गिन्सनकी चिट्ठी आ पहुंची। अिसलिये प्रार्थना वगैराकी विधिके वाद

दोपहरको दो वज्रकर दीस मिनट पर गांधीजीने अपवास खोला। तमाम सत्याग्रही कैदियोंको अुसी दिन छोड़ दिया गया।

सबके हृदयोंमें आनन्द छा गया और सबको अनुभव हुआ कि गांधीजीकी जबरदस्त जीत हुआ। परंतु विजयकी घड़ी गांधीजीके लिये सदा आत्म-निरीक्षणकी होती है।

परिपक्के कार्यकर्ताओंके साथ अुन्होंने दिल खोलकर बातें कीं और अपने हृदयका पृथक्करण करके अन्तरदर्शन करनेकी अुन्हें सूचना की। १० तारीखकी शामको दरवार वीरावाला गांधीजीसे मिले। अुनके साथ लगभग घंटेभर बातें हुईं। अुस बातचीतके बाद गांधीजी अुदास और गहरे विचारमें डूबे हुए मालूम हुए। अुनके दिलमें कुछ अैसी अुथल-पुथल हो रही थी : “मेरी अहिंसामें क्या दोष है? मेरे अतश्नके बाद भी दरवार वीरावालामें कोअी परिवर्तन क्यों नहीं जान पड़ता?” ११ तारीखको जागीरदारोंकी तरफसे शिष्टमंडलके रूपमें मिलनेकी मांगका पत्र मिला। समय वचानेके लिये गांधीजीने अुन्हें छोटीसी चिट्ठी लिख भेजी और यह विश्वास दिलाया कि अुनके और मुसलमानोंके बीच कोअी फर्क नहीं किया जायगा।

१२ ता० को कार्यकर्ताओंके साथ हुआ बातचीतके दरमियान गांधीजीने राजकोटके सत्याग्रहका परीक्षण किया :

“मेरा खयाल है कि हमारी पहली भूल राजकोट सत्याग्रहमें सारे काठियावाड़ियोंको शरीक होनेकी अिजाजत देनेमें हुआ। अिससे लड़ाअीमें दुर्बलताका तत्त्व घुस गया। हम संख्या-बल पर चले गये। सत्याग्रही तो असहायके अेकमात्र सहायक अीश्वर पर ही आधार रखता है। सत्याग्रही सदा अपने मनमें कहता है कि जिसके नाम पर सत्याग्रह छेड़ा है वही अुसे पार लगायेगा। राजकोटके कार्यकर्ताओंने अिसी प्रकार विचार किया होता तो वे बड़े जुलूसों और प्रदर्शनोंकी योजना करनेके लालचसे बच जाते और अुसके फलस्वरूप जो जुलम अुने अुनसे राजकोट भी बच जाता। सच्चा सत्याग्रही अपने विरोधीको अभयदान देता है; अुसके कार्यसे विरोधीके दिलमें कभी धवराहट नहीं पैदा होती। मान लीजिये सत्याग्रहके नियमोंके अितने कड़े अमलके कारण मुट्ठीभर सत्याग्रही सच्चे सत्याग्रहके जोशसे अंत तक लड़ने निकल पड़ते, तो वे सचमुच आदर्श लड़ाअीकी मिसाल कायम कर देते।”

१३ मार्चको गांधीजी दिल्लीके लिये रवाना अुए। संघ-न्यायालयके प्रधान न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायरके सामने दोनों पक्षोंको अपना-अपना

मामला पेश करना था। प्रधान न्यायाधीश द्वारा निश्चित कार्यपद्धतिके अनुसार सरदारने अपनी कैफियत पश्चिम भारतके देशीराज्योंके रेजीडेण्टके यहां ता० १७ को पेश कर दी। उसमें ता० २६-१२-'३८ को ठाकुरसाहबके साथ हुअे समझौते तथा ठाकुरसाहब द्वारा सरदारको लिखकर दी हुअी चिट्ठी वगैरा कागजात पेश किये गये। राजकोट ठाकुरसाहबका अुत्तर २६ मार्चको पेश किया गया। वह अुत्तर छपे हुअे चालीस फुलस्केप पन्नोंमें था। उसमें मुख्य मुद्दे दो ही थे। पहलेमें ता० २६ के करारके वारेमें प्रपंच, दवाव और दगावाजीके आक्षेप थे। दूसरा मुद्दा सरदार जो सात नाम दें अुनमें से ठाकुरसाहब पूरी जांच करके जिन्हें ठीक समझें अुनकी नियुक्ति करनेके वारेमें था। प्रपंच और दगावाजीके आक्षेप पढ़कर सरदारके साथ गांधीजी भी क्षुब्ध हो अुठे। और अुन्होंने आत्म-निरीक्षण करना शुरू किया : "मेरा अुपवास अितना बेकार क्यों सावित हुआ ? दरवार वीरावाला अितना क्यों नहीं समझ सकते कि प्रपंचसे प्राप्त किये हुअे दस्तावेजके जोर पर मैं कभी अुपवास नहीं कर सकता ?"

मामलेकी वहस करने दरवार वीरावाला स्वयं दिल्ली गये। अुन्होंने बहुत लंबी वहस की। सरदारने समझौतेकी वातचीतकी दुहसे लेकर २६ दिसंबरको करार हुआ तब तककी तफसील संक्षेपमें पेश की।

दोनोंकी वहस सुनकर ३ अप्रैलको भारतके प्रधान न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायरने अपना फैसला दिया। अुसके अधिक महत्त्वके अंश हम यहां अुद्धृत करेंगे :

"यह कहा गया है — यद्यपि दोनों पक्षोंसे जब मैं खबर मिला तब अिस वारेमें कुछ भी आग्रह नहीं किया गया — कि यह पत्र ठाकुरसाहबसे कुछ दवाव डालकर हासिल किया गया था। मुझे संपि गये अिस मामलेकी जांचके सम्बन्धमें ठाकुरसाहबकी दी गयी अनुमतिको ध्यानमें रखते हुअे अैसे सुझावका मैं विचार तक भी कर सकता हूं या नहीं, अिस वारेमें शंका है। परंतु अितना ही कहना अुचित्त होगा कि मुझे अैसे दवावकी वात माननेके लिये कोअी सबूत नहीं मिला। अुलटे श्री वल्लभभाजीके नाम वादमें लिखे गये पत्रोंमें अुसके विरुद्ध काफी प्रमाण मिल जाता है।

"मुझे यकीन ही गया है कि दवाव डाले जानेकी वात किसी भी कानूनी अर्थमें टिक नहीं सकती। ठाकुरसाहबका श्री वल्लभभाजीको दिया हुआ पत्र दरवार वीरावालाके अपने ही शब्दोंमें मित्रभावसे लिखा

गया है। जिस बातका श्री वल्लभभाजी पटेलके नाम ठाकुरसाहबके दूसरे दिन लिखे हुअे दूसरे पत्रसे समर्थन होता है। उसमें वे लिखते हैं :

‘आप राजकोट आये, उसके लिये मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूँ। जिस कांडका अन्त करनेमें आपने मेरी जिस प्रकार सहायता की है उसकी मैं खूब कद्र करता हूँ।’

“ता० २६-१२-३८ का पत्र प्रकाशित नहीं किया गया था और वैसा करनेका कोई कारण भी नहीं था। मैं तो उस पत्रको ठाकुरसाहब द्वारा स्वयं श्री वल्लभभाजीको दी हुअी जिस खबरके पत्रके रूपमें ही मानता हूँ कि गजटमें प्रकाशित हुअी घोषणाके अनुसार जो नाम “वादमें प्रकाशित होनेवाले थे”, वे घोषणाके मसौदेमें बताये मुताबिक श्री वल्लभभाजी पटेलकी सिफारिशके अनुसार ही रहनेवाले थे।

*

*

*

“ठाकुरसाहबकी तरफसे पेश की गयी लिखित कैफियतमें की गयी वहसका सार यह है : ‘सिफारिश शब्द ही साफ बताता है कि प्रत्येक नाम पर विचार किया जायगा और तदनुसार विचार करने पर सिफारिश किये गये किसी भी शख्सका नाम — अदाहरणार्थ फलों आदमी अनुकूल नहीं है, होशियार नहीं है या अवांछनीय है, जैसे किसी कारणसे — अस्वीकार कर देनेका ठाकुरसाहबको अधिकार है।’ अकेले ‘सिफारिश’ शब्दके आधार पर ऐसी कोई दलील नहीं दी जा सकती। सिफारिश शब्दमें स्वतंत्र रूपसे ऐसा कोई अर्थ समाया हुआ नहीं है। अगले पिछले संदर्भसे ही उसका अर्थ लगाया जा सकता है। और उस तरह देखने पर जो घटना हुअी उसकी सारी परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिये। . . . घोषणापत्रके मसौदेमें जहां यह कहा गया कि श्री वल्लभभाजी पटेल सदस्योंकी सिफारिश नियुक्तिके लिये करेंगे वहां मेरी दृष्टिमें तो उसका अर्थ यही हो सकता है कि श्री वल्लभभाजी पटेल जिन सदस्योंकी सिफारिश करेंगे उन्हें ठाकुरसाहब नियुक्त करेंगे।”

जिस प्रकार फैसला पूरी तरह सरदारके पक्षमें हुआ। सबने सरदारकी संपूर्ण विजय कहकर उसकी प्रशंसा की। उसके बाद ७ अप्रैलको वाजिसरायकी तरफसे पत्र आया। उसमें सार्वभौम सत्ताकी तरफसे स्पष्ट विश्वास दिलाया गया कि ठाकुरसाहब अपना वचन पूरी तरह पालन करेंगे और जिस सिलसिलेमें तमाम अचित्त कार्रवाजी की जायगी। यह वचन लेकर गांधीजी दिल्लीसे

राजकोटके लिअे रवाना हुअे । ९ तारीखको सवेरे गांधीजी राजकोट पहुंचे । सरदार विमानमें ग्यारह वजे पहुंचे ।

परन्तु राजकोटमें गांधीजीके मार्गमें काफी कांटे फैलाकर रखे गये थे । दिल्लीमें जब प्रधान न्यायाधीशके सामने मामले पर व्हसें हो रही थीं, तब राज्यकी ओरसे प्रजा पर अत्याचार जारी ही था । जव्त किया हुआ माल या जुर्माना किसीको भी लीटाया नहीं गया था । अजेसीकी हदमें रहनेवाले जिन वकीलोंने लड़ावमें भाग लिया था और अिस कारण जिनकी सनदें छीन ली गयी थीं अुन्हें अभी तक सनदें वापस नहीं दी गयी थीं । अधिक भयंकर बात तो यह थी कि मुसलमानों और जागीरदारोंको प्रजा-परिपदके विरुद्ध भड़का दिया गया था । गांधीजीने राजकोटमें पैर रखा तभीसे वे लोग अुनके पीछे पड़ गये थे कि कमेटीमें हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिये । दलित वर्ग भी अपने प्रतिनिधि होनेकी मांग करने लगा था और अिसके लिअे डॉ० आम्बेडकर अेक बार राजकोटका चक्कर लगा गये थे । ठाकुरसाहव अर्थात् दरबार वीरावाला कहते थे कि अिन लोगोंकी मांग वाजिव है और राज्यको तमाम वर्गोंकी मांग पर व्यान देना चाहिये । ठाकुरसाहवकी घोषणाके अनुसार कमेटीमें सरदारके नामोंका अर्थात् प्रजा-परिपदके नामोंका चारका बहुमत रहता था । अुसके वजाय जब तक केवल अेक नामका बहुमत रहे तब तक गांधीजी अिन लोगोंको खुश करनेको तैयार थे । यह सारी बातचीत ९ से १४ तारीख तक होती रही । परन्तु गांधीजी अुन लोगोंको मना नहीं सके ।

अुस सारी बातचीतका सार गांधीजीने सात सदस्योंके नाम बतानेवाला जो पत्र ता० १४-४-३९ को ठाकुरसाहवको लिखा अुसमें आ जाता है :

“मेहरवान ठाकुरसाहव,

“आपके १०-४-३९ के पत्रका अुत्तर आज दे पा रहा हूं ।

“मुझे दुःख है कि आपने अपने सिरसे जिम्मेदारी अुतार फेंकी । मुसलमानों और जागीरदारोंके जिन नामोंके बारेमें आप लिखते हैं, वह नियुक्ति आपकी थी । मेरे वचनका अेक ही अर्थ था और हो सकता है कि प्रधान न्यायाधीशका निर्णय आपके अर्थके विरुद्ध जाय तो भी आपका वचन कायम रखनेमें मैं मदद दूं । मेरी नमज़में नहीं आता कि मेरे वचनसे यह अर्थ कैसे निकल सकता है कि जो चीज देनेका मुझे अधिकार ही न हो वह देनेका मैंने वचन दिया है । मैं तो परिपद् और सरदारके ट्रस्टीकी हैसियतसे काम कर रहा हूं ।

यह स्पष्ट है कि उस ट्रस्टसे बाहर जाकर मैं कुछ नहीं दे सकता। जिसलिअे मेरे वचनका अितना ही अर्थ था और हो सकता है कि आप उन भाअियोंके नाम रखना चाहें तो सरदारके नाम बहुमतमें हों जिस शर्त पर ही मैं सरदारकी ओरसे मदद करूं। मेरे खयालमें जिससे अधिक अर्थ असंभव है। दुर्भाग्यवश आपने अकल्पित कदम अुठाय़ा है। आपने अपने तय किये हुअे नाम सरदारके नामोंमें बढ़ानेका भार मुझ पर डाल दिया है। जिस प्रकार आप सरदारको मिले हुअे अधिकार पर पानी फेरनेवाला अनर्थ मेरे वचनमें से निकालते हैं, यह दुःखद है।

“जिसलिअे यद्यपि आपके पत्रके बाद मुझे तो सरदारकी तरफसे नाम भेज देनेके सिवा और कुछ करना नहीं था, फिर भी मैंने अुक्त चार भाअियोंमें से तीनको सरदारके नामोंमें शामिल होने और सातकी अेक टीमके रूपमें काम करनेका अनुरोध किया। उस अनु-रोधमें मैं सर्वथा असफल रहा। यहां आपके नामोंका आदर करनेके यथासंभव प्रयत्नकी सीमा आ जाती है। आपने अपने पत्रमें चौथे नामका अुल्लेख किया है। श्री मोहन मांडणको मेरे पास आकर चर्चा करनेका कष्ट देना मैंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि वे खुद हरिजन नहीं हैं।

“परन्तु अुक्त चार नाम जो रह जाते हैं, उसका यह अर्थ विलकुल नहीं कि सरदारके बताये हुअे भाअी मुसलमानों, जागीरदारों, हरिजनों या अन्य किसी वर्गके खास या अुचित हकोंकी चिन्ता नहीं रखेंगे। अिन भाअियोंके सामने जिस कमेटीके सिलसिलेमें और सामाजिक सेवाकी दृष्टिसे जातपांत नहीं है, अुनके सामने तो राजकोटकी समस्त प्रजा है। वे ही कमेटीमें जिसलिअे आ रहे हैं कि अुनकी संस्थाने समस्त प्रजाके हकोंके लिअे लड़ायी लड़ी है। आपने उसकी कद्र करके परिपक्वकी ओरसे कमेटीमें कर्मचारीवर्गसे बाहरके राजकोट स्टेटके सात नाम देनेका सरदारको अधिकार दिया। वे नाम जिस प्रकार हैं :

१. श्री पोपटलाल पुरुषोत्तमदास अनडा, वी. अे., अेल-अेल.वी.
२. " पोपटलाल धनजी मालविया
३. " जमनादास खुशालचंद गांधी
४. " वेचरभाअी वहालाभाअी वाढेर

५. " ब्रजलाल मयाशंकर शुक्ल
६. " जेठालाल ह० जोशी
७. " गजानंद भवानीशंकर जोशी, अेम. अे., अेल-अेल. वी.

"अव अव्यक्षसहित तीन नाम आपको बताने हैं।

"मेरी मानें तो मैं फिर आपसे अनुरोध करूं। आप लिखते हैं कि अव कमेटीमें दससे ग्यारह सदस्य नहीं हो सकते। यह बात ठीक नहीं। दस ही हो सकते हैं, यह प्रतिबंध प्रधान न्यायाधीशके निर्णयमें नहीं है। दोनों पक्ष मिलकर कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं। आपके नाम कायम रखनेमें सरदार आपकी मदद करनेको अव भी बिच्छुक हैं। शर्त अितनी ही है कि जो वृद्धि हो अुसमें परिपक्वा बहुमत रहे। अव अर्थात् प्रधान न्यायाधीशके निर्णयके अनुसार अुसका बहुमत चारका है, अुसके बजाय आपके खातिर, झगड़ा मिटानेके खातिर, सिर्फ अेकका बहुमत रखनेको अभी भी सरदार तैयार हैं। अिससे अधिककी आशा आप कैसे रख सकते हैं ?

"२६ दिसम्बरकी आपकी घोषणामें कमेटीके लिअे रिपोर्ट पूरी करने और आपके सामने पेश करनेकी अवधि अेक मास और चार दिनकी रखी गयी थी। अुससे ज्यादा अवधि अव भी नहीं हो सकती, अिस बातकी ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। दूसरी लड़ाीके दौरानमें जम्नियां और जुमाने हुअे, अन्य प्रकारसे दमन हुआ। वह सब रद्द करनेकी आवश्यकता है, यह कहनेकी शायद ही जरूरत होगी।

मोहनदासके आशीर्वाद "

"यह पत्र मेरी अनुमतिसे लिखा गया है और अिसमें बताया गये नाम मंने दिये हैं।

वल्लभभाभी पटेल "

अिस पत्रकी बात जाहिर होते ही मुसलमानों और जागीरदारोंने गांधीजी पर वचन-भंगका आक्षेप सार्वजनिक रूपमें किया और अुनके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी धमकी दी। १६ तारीखको गांधीजीके पास यह खबर आयी कि सायंकालकी प्रार्थनाके समय राजकोटके जागीरदार और मुसलमान काले झंडे दिखायेंगे और गांधीजीके लिअे जूतोंका हार भी तैयार करके रखा गया है। गांधीजीने अिस बातको हंसीमें टाल दिया। परन्तु मुनी हुअी बात सही हो तो अुसका स्वागत करनेको वे तैयार थे। अिसलिअे अुन्होंने अपने आदमियोंको साफ हिदायत दे दी कि मेरे पास कोअी भी

आदमी किसी भी अिरादेसे आना चाहे तो अुसे आजादीसे आने दिया जाय और कोअी अुसे वीचमें न रोके। रोजकी तरह अुस दिन गांधीजी मोटरमें बैठकर राष्ट्रीय पाठशालामें प्रार्थनाके लिये पहुंचे। लगभग अुसी समय कोअी छः सौ विरोध करनेवालोंकी भीड़ वहां जुलूसके रूपमें पहुंची।

प्रार्थना होती रही तब तक सारे समय ये प्रदर्शनकारी चिल्लाते और शोर मचाते रहे। प्रार्थना पूरी होनेके बाद गांधीजी निवासस्थान जानेको अुठे तब वे प्रदर्शनकारी धक्का-मुक्की करके प्रार्थनाभूमि पर घुसे। धूल अुड़ने और चिल्लाहटके मारे कुछ भी दिखाअी या सुनाअी देना कठिन हो गया। कुछ मित्रोंने गांधीजीके आसपास घेरा बनानेका प्रयत्न किया। गांधीजीने अुन्हें रोक दिया और कहा : “ मैं या तो यहां बैठ जाअूंगा या भीड़में से होकर अकेला जाअूंगा। मुझे अकेला छोड़ दीजिये। आप कोअी वीचमें न आअिये। ” यह कहकर वे भीड़में घुसे। थोड़ी देरमें अुन्हें चक्कर आ गये, अुन्होंने आंखें बन्द कर लीं और प्रार्थना करते दिखाअी दिये। अेक दो मिनटमें अुन्हें होश आया तो सीधे खड़े होकर आंखें खोलकर सबको आज्ञा दी कि “ आप कोअी मेरे साथ न आअिये। अुन लोगोंको मेरी रक्षा करनी होगी तो करेंगे। आप सब हट जाअिये। शत्रुकी गोदमें निर्भय होकर सिर रख देना ही सत्याग्रहका मार्ग है। ” फिर अेक विरोध करनेवाले जागीरदारसे, जो सामने खड़ा था, गांधीजीने कहा : “ मुझे अपने साथियोंका नहीं, परन्तु तुम्हारे अकेलेका सहारा लेकर जाना है। ” गांधीजी अुसके कंधे पर हाथ रखकर ज्यों ज्यों चलने लगे त्यों त्यों जगह होती गंअी और जहां मोटर खड़ी थी वहां तक आसानीसे पहुंच गये।

सरदार अुस दिन बड़ोदा प्रजामंडलके कामसे अमरेली गये थे। विरोधियोंका लक्ष्य गांधीजीकी अपेक्षा सरदार अधिक रहे होंगे, यह माननेका कारण अिस परसे मालूम होता है कि अुसी दिन राजकोटसे अमरेलीके अेक मुसलमानके नाम तार गया था कि सरदार वल्लभभाभी राजकोट आनेके लिये अमरेलीसे कब चलेंगे और किस रास्ते आयेंगे, यह तारसे खबर दीजिये। वह आदमी अिसके पीछेके अुद्देश्यको नहीं समझा, अिसलिये सरदारके निवासस्थान पर ही पूछने चला गया। तार सरदारके हाथमें आते ही अुन्हें सन्देह हो गया कि अिसकी जड़में कोअी गंदी चाल होगी। अिसलिये अपने रवाना होनेका समय और वापस जानेका रास्ता कुछ दूसरा ही बता दिया। राजकोट आनेके बाद दंगोंका पता चला तब अुनका शक पक्का हो गया। गांधीजीसे मिलने पर अुस तारकी और अपने दिये हुअे अुत्तरकी बात अुन्होंने कह सुनाअी। गांधीजीने कहा, “ वाह रे सत्याग्रह ! ” फिर दोनों खूब हंसे।

१८ तारीखको ठाकुरसाहवने गांधीजीके पत्रका उत्तर दिया। उसमें मुसलमानों, जागीरदारों और दलित वर्गके कोअी आदमी कमेटीमें न रखने पर खेद प्रगट किया। परन्तु उसमें महत्त्वकी बात तो ठाकुरसाहवने यह बतायी कि राज्यके कानूनी सलाहकारकी रायके अनुसार अिन सात नामोंमें से केवल अेक ही सज्जन राजकोट राज्यके वतनी हैं।

गांधीजीने थककर १९ तारीखको मि० गिब्सनको पत्र लिखा और उनसे दखल देनेका अनुरोध किया। यह भी बताया कि ठाकुरसाहवने सरदारको ता० १९-१-३९ को जो पत्र लिखा था, उसमें सरदारके दिये हुअे सात नामोंमें से चार अुन्होंने स्वीकार किये थे। प्रधान न्यायाधीशके सामने पेश किये गये केसमें वतनी न होनेके कारण सिर्फ दो नामोंका विरोध किया गया था। और अब सातमें से छः नामोंका विरोध किया जा रहा है। बादमें २० तारीखको गांधीजी मि० गिब्सनसे रुबरू मिले, उस समय अुन्हें अचानक अेक खिलाड़ियोंकी-सी अुदारतावाला प्रस्ताव सूझ आया और अुसे अुनके सामने पेश कर दिया : “परिपद् अिस कमेटीसे विलकुल निकल जाय। ठाकुरसाहव सारी कमेटीको अपनी घोषणाके अनुसार खुद ही मुकर्रर कर दें। वह कमेटी अेक माम और चार दिनके भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे। प्रजा-परिपद्के सात सदस्य अुस रिपोर्टकी जांच कर लें और अुन्हें जहरी मालूम हो तो अपनी भिन्न रिपोर्ट दें। वे दोनों रिपोर्टें भारतके प्रधान न्यायाधीशके सामने पेश की जाय और अुनका जो फैसला हो वह दोनों पक्ष मान लें।” परन्तु दरवार वीरावालाने यह सुझाव नहीं माना। फिर २३ तारीखको मि० गिब्सनको पत्र लिखकर गांधीजीने सूचित किया कि मैंने जो सात नाम दिये हैं, अुनमें से कितने राज्यके वतनी हैं और कितने नहीं, अिसका निर्णय करनेका काम वहांके जुडीशियल कमिश्नरको सौंपा जाय। अुगी दिन गांधीजीको कांग्रेसकी महा-समितिकी बैठकके लिये कलकत्ते रवाना होना था। राजकोटसे वम्बडी जाते हुअे अुन्होंने ‘मैं हारा’ शीर्षक लेख लिखा। उसमें अुन्होंने कहा :

“पंद्रह दिनकी अिस अन्तरव्यथाके बाद मेरी समझमें आया है कि यदि ठाकुरसाहव या दरवार वीरावालाको यह लगे कि वरिष्ठ सत्ताके दवावके कारण अुन्हें कुछ द्रेना पड़ रहा है तो मेरी अहिंसा असफल मानी जानी चाहिये। अहिंसाकी दृष्टिसे तो अुनके हृदयने यह भावना मुझे मिटा ही देनी चाहिये। अिसलिअे मौका मिलते ही मैंने दरवार वीरावालाको यह विश्वास दिलानेका प्रयास किया कि सार्वभौम नत्तासे मदद मांगनेमें मुझे कोअी आनंद न तो था और न है। अहिंसाके सिवा राजकोटके साथ मेरा सम्बन्ध भी मुझ पर अंकुश लगाता है। मैंने

दरवार वीरावालाको विश्वास दिलाया कि अनायास सूझा हुआ और मि० गिन्सनके सामने रखा हुआ मेरा प्रस्ताव अपरोक्त दिशामें किये गये मेरे प्रयासका ही परिणाम था । अन्होंने मुझे तुरंत कह दिया : 'परन्तु यदि आप ठाकुरसाहवकी कमेटीकी रिपोर्टसे संतुष्ट न हों तो घोषणाकी रूसे असे जांचनेका हक तो मांग ही रहे हैं न ? और परिषद् भिन्न रिपोर्ट दे तो फिर आप अणु दोनों रिपोर्टोंकी जांच प्रधान न्यायाधीशसे कराना चाहते हैं । असे आप दवावकी भावनाको मिटानेका प्रयत्न कहते हैं ? ठाकुरसाहव पर विश्वास रखनेको आप तैयार हों तो अन्त तक अणु पर और अणुके सलाहकार पर विश्वास क्यों नहीं रखते ? शायद आप जो चाहते हैं वह पूरा न मिले, परन्तु जो कुछ मिलेगा अणुके सद्भावके साथ मिलेगा और अणुके पूरे अमलका अणुमें विश्वास होगा । परिषद्वाले ठाकुरसाहवके और मेरे वारेमें क्या क्या बोले हैं, यह आपको मालूम है ? अपने राजासे सुधार प्राप्त करनेकी अिच्छा रखनेवाली प्रजाका यही रास्ता है ?' दरवार वीरावालाके अिन वचनोंमें कटुता और परिषद्के लोगोंके प्रति तिरस्कार झलक रहा था । परन्तु अहिंसाके अपूर्ण पालनके अचानक हुअे भानके प्रतापसे अणुके किये हुअे वारका बदला लेनेके वजाय मनुष्य-स्वभावके मूलमें स्थित भलाअीके विषयमें अपनी आस्थाकी कमीकी और अपनी अहिंसाकी दरिद्रताकी वतानेवाला अणुकी दलीलमें रहा तथ्य मैंने पहचान लिया ।

*

*

*

“मैंने निवटारेके लिये यह नअी दृष्टि साथियोंके सामने रखी । अन्होंने मुझसे कअी वार कहा था कि राजकोटकी तमाम आफतोंकी जड़ दरवार वीरावाला ही हैं, और अणुका चला जाना राजकोटको पूरा स्वराज्य मिलनेके वरावर है । मैंने अणुहें समझाया कि वह तो सुराज्य हुआ, स्वराज्य नहीं । मैंने कार्यकर्ताओंसे कहा कि यदि आपको अहिंसाका मेरा अर्थ स्वीकार हो तो दरवार वीरावालाको निकालनेका खयाल छोड़कर अणुका हृदय-परिवर्तन करनेका आपको संकल्प करना होगा ।

“कार्यकर्ताओंने अणुको नया लगनेवाला यह सिद्धान्त मेरे मुंहसे सुन तो लिया । परन्तु मैंने यह नहीं पूछा कि अणुके गले अुतरा या नहीं । वे मुझसे पलट कर अुचित रूपमें पूछ सकते थे : 'प्रधान न्यायाधीशके फैसलेको मिटाकर केवल दरवार वीरावालाके हृदयमें निहित भलमनसाहत पर विश्वास रखनेकी सिफारिश करनेवाली आपकी

‘अस सूचनाके औचित्यके बारेमें स्वयं आपको तो पूरा भरोसा है न?’ यदि वे ऐसा सवाल करते तो मुझे कहना पड़ता कि अभी तक मैं अपनेमें अितना साहस नहीं पाता।”

महासमितिकी बैठक समाप्त करके कलकत्तेसे गांधीजी विहारके वृन्दावन गांव गये, जहां गांधी-सेवा-संघका अधिवेशन होनेवाला था। वहां अन्होंने मुख्यतः अिसीकी चर्चा की कि हम शुद्ध अहिंसाका कितना कम पालन कर सकते हैं। अुनके हृदयमें यही बात घूमा करती थी कि राजकोटके प्रयोगमें अपनी कमीके कारण वे कैसे असफल रहे। वे १२ मञ्जीको फिर राजकोट आये। दरवार वीरावाला, रेजीडेण्ट गिन्सन तथा मुसलमानों और जागीरदारोंसे फिर चर्चा चली। अुनमें अुन्हें साफ समझमें आ गया कि अब अुन्हें हिम्मत करके सही फैसला कर ही डालना चाहिये। १७ मञ्जीको मनका वह निर्णय हो गया और अुन्होंने ‘अिकरार और पश्चात्ताप’ शीर्षक यह लेख लिख डाला :

“पिछले मासकी २४ तारीखको कलकत्ता जाते समय मैंने कहा था कि मेरे लिये राजकोट मूल्यवान प्रयोगशाला साबित हुआ है। मैं अिस समय जिस कदमकी घोषणा कर रहा हूं, अुसमें अिसका अन्तिम प्रमाण विद्यमान है। साथियोंसे पूरी चर्चा करनेके बाद मैं आज शामको छः बजे अिस निर्णय पर पहुंचा हूं कि राजकोट काण्डमें भारतके प्रधान न्यायाधीशके हाथों प्राप्त हुअे फैसलेके लाभ मुझे छोड़ देने चाहिये।

“मैंने अपनी भूल देख ली। अपने अुपवासके अंतमें मैंने यह कहनेकी आजादी ली थी कि पहलेके किसी भी अुपवाससे यह अुपवास अधिक सफल हुआ है। अब देखता हूं कि मेरे अुस कथनमें हिंसाका रंग था।

“अनशन करनेमें सार्वभौम सत्ता द्वारा ठाकुरसाहबको समझाकर दिये हुअे वचनका अुनसे पालन करानेके लिये मैंने अुसका तात्कालिक हस्तक्षेप चाहा था। यह अहिंसाका या हृदय-परिवर्तन करानेका मार्ग नहीं था। वह मार्ग तो हिंसा अथवा दवावका ही था। मेरा अनशन शुद्ध होता तो वह केवल ठाकुरसाहबको ध्यानमें रखकर ही किया जाना चाहिये था। यदि अुससे ठाकुरसाहबका अथवा यों कहिये कि अुनके सलाहकार दरवार वीरावालाका हृदय न पसीजता तो मुझे मर कर सन्तोष मानना चाहिये था। मेरे मार्गमें अकल्पित कठिनावियां न आञ्जी होतीं तो मेरी आंखें न खुलतीं।

“प्राप्त निर्णय दरवार वीरावाला संतोषपूर्वक शिरोधार्य नहीं कर सकते थे। मेरा मार्ग सरल कर देनेकी स्वाभाविक रूपमें ही अनुकी तैयारी नहीं थी। जिसलिये अन्होंने प्रत्येक अवसरसे लाभ अुठाकर विलम्ब करनेकी नीति अपनायी। निर्णयसे मेरा मार्ग सफल होनेके वजाय अुल्टे यह निर्णय ही मेरे प्रति मुसलमानों और जागीरदारोंके रोषका जवरदस्त कारण बन गया। पहले हमने मित्रभावसे मिलकर समझौतेकी वातचीत की थी। अब मेरे स्वेच्छापूर्वक दिये हुअे वचनका मुझ पर आरोप लगाया जाता है। मैंने वचन-भंग किया है या नहीं, यह मामला भी प्रधान न्यायाधीशके पास निर्णयके लिये पेश करनेका निश्चय हुआ। मुस्लिम कौंसिल और गरासिया असोसियेशनके वयान मेरे सामने रखे हैं। निर्णयका लाभ छोड़ देनेका निश्चय करनेके बाद मेरे लिये अिन दो वयानोंका जवाब देना वाकी नहीं रहता। जहां तक मेरा सम्बन्ध है वहां तक मुसलमानों और जागीरदारोंको ठाकुरसाहब जो भी देना चाहें वे खुशीसे ले लें। अपना केस तैयार करनेकी तकलीफ मैंने अुन्हें दी, जिसलिये मैं अुनसे माफी मांगता हूं। अपनी कमजोरीके कारण मैंने वाजिसराय महोदयको भी नाहक तकलीफमें डाला। इसके लिये मैं अुनसे भी माफी मांगता हूं। प्रधान न्यायाधीशसे भी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे कारण अुन्हें जो परिश्रम अुठाना पड़ा वह मुझमें अधिक समझ होती तो नहीं अुठाना पड़ता। सबसे अधिक तो मैं ठाकुरसाहब और दरवार वीरावालसे क्षमा मांगता हूं।

“दरवार वीरावालाके वारेमें मुझे यह भी स्वीकार करना है कि अपने साथियोंकी भांति मैंने भी अुनके विषयमें दुरे विचार अपने मनमें आने दिये हैं। यहां मैं यह विचार नहीं कहूंगा कि अुनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सही हैं या नहीं। अुनकी चर्चा यहां अप्रस्तुत है। अितना ही कहूंगा कि अुनके प्रति अहिंसाका प्रयोग नहीं किया गया। अपनी जिस हीनताका अिकरार भी कर लेता हूं कि मैं जैसे आचरणका भी दोषी बन गया जिसे दुरंगी चाल कहा जा सकता है। अेक तरफसे मैंने अुनके सिर पर निर्णयकी तलवार लटकती रखी और दूसरी ओर अुन्हें खुश करनेकी कोशिश करके यह आशा रखी कि वे ठाकुरसाहबको स्वेच्छासे अुदार सुधार प्रदान करनेकी सलाह देंगे। २० अप्रैलको मि० गिब्सनके साथ हुअी वातचीतमें जब अचानक वह खिलाड़ीपनका प्रस्ताव मुझे सूझ गया और मैंने अुनके सामने रखा, तब मुझे अपनी

देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ावियाँ - २

कमजोरीकी झाँकी जरूर हुयी, परन्तु वहीं और अुसी क्षण अँसा कहनेकी मेरी हिम्मत न हुयी कि मुझे न्यायाधीशके निर्णयके साथ कोअी सरोकार नहीं रखना है। बल्ले मैंने तो यह कहा कि ठाकुरसाहब अपनी कमेटी बना दें और अुसकी रिपोर्ट परिषद्वाले निर्णयकी दृष्टिसे देख लें और दोनोंमें मतभेद हो जाय तो वे प्रवान न्यायाधीशके सामने जा सकते हैं।

“दरवार वीरावालाने मेरा यह दोष पहचान लिया और मेरा प्रस्ताव अुचित रूपमें अस्वीकार करके कहा : “आप फँसलेकी तलवार तो मेरे सिर पर लटकती रखते ही हैं और ठाकुरसाहबकी कमेटी पर अपीलकी अदालत बनना चाहते हैं। यदि अँसा ही है तो आप भले ही अपना सेर भर मांस काट लीजिये ! कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं।’ अुनके अंतराजमें रहा सत्य मुझे दिख गया। मैंने अुनसे कहा भी सही कि अिस समय निर्णयको छोड़ देनेकी मेरी हिम्मत नहीं है। परन्तु भले बनकर यह मानते हुअे कि निर्णय है ही नहीं और सरदार तथा मैं भी बीचमें नहीं हूँ, प्रजाके साथ आप समझौता कीजिये। अुन्होंने कोशिश कर देखनेका वचन दिया। अपने ढंगसे प्रयत्न भी किया। परन्तु अुसमें मुझे हृदयकी अुदारता नहीं दिखाअी दी। मैं अुन्हें दोष नहीं देता। जब वे निर्णयसे चिपटे रहनेकी मेरी कृपणता देख रहे हों, तब मैं अुनकी तरफसे अुदार हृदयकी आशा कैसे रख सकता था ? विश्वाससे ही विश्वास पैदा होता है। परन्तु वह तो मुझमें था नहीं।

“अन्तमें अब मैंने खोया हुआ साहस पुनः प्राप्त कर लिया है। अपने अिस अिकरार और पश्चात्तापसे अँहिसाकी सर्वोपरि शक्तिके बारेमें मेरी श्रद्धाकी ज्योति अधिक तेज होकर जल रही है।

“मैं अपने साथियोंके साथ अन्याय नहीं कलंगा। अुनमें से बहुताँके दिलोंमें अँदेशा भरा हुआ है। अुन्हें मेरे पश्चात्तापके लिये कोअी कारण दिखाअी नहीं देता। अुनका तो यह खयाल है कि निर्णयसे प्राप्त अेक महान अवसरको मैं छोड़ रहा हूँ। अुनका यह भी खयाल है कि अेक राजनैतिक नेताके नाते पचहत्तर हजार प्रजाजनोंके — शायद सारे काठियावाड़के प्रजाजनोंके — साथ खिलवाड़ करनेका मुझे अधिकांश नहीं है। मैंने अुनसे कहा कि आपका डर अकारण है। आत्मशुद्धिका हरअेक कदम, साहसका प्रत्येक कार्य, सत्याग्रहमें लगी हुअी प्रजाके बलमें सदा वृद्धि ही करता है। मैंने अुनसे यह भी कहा है कि यदि वे

मुझे सत्याग्रहका सेनापति और विशारद मानते हैं तो मुझमें जो अंक सनक-सी दिखायी देती है उसे भी अन्हें सह लेना होगा।

“अस प्रकार ठाकुरसाहब और अुनके सलाहकारको निर्णयके डरसे मुक्त कर देनेके बाद अब मैं निःसंकोच अुनसे अपील करता हूं कि वे राजकोटकी प्रजाकी आशाओं पूरी करें और अुसकी शंकाओं दूर करके अुसे संतोष दें।”

अिस निर्णयके सम्बन्धमें गांधीजीने साथियोंसे चर्चा की तब सरदार भी अपुस्थित थे। महादेवभाजीने अिस निर्णयको अच्छी तरहसे समझनेके लिये कुछ वहस की। पर सरदारने — यद्यपि यह अलग प्रश्न है वे खुद अैसा कदम अुठा सकते अथवा अुठाते या नहीं— गांधीजीकी सत्याग्रहकी और अहिंसाकी दृष्टि भलीभांति स्वीकार कर ली और अेक भी शब्द कहे विना अुनके निर्णयको मंजूर कर लिया।

सर मॉरिस ग्वायरके निर्णयके लाभ छोड़ देनेके बाद गांधीजीने ठाकुरसाहब तथा दरवार वीरावालाका हृदय जीतनेकी बड़ी कोशिश की। अपनी हार स्वीकार कर लेनेके पश्चात् ठाकुरसाहबने जो दरवार किया अुसमें वे गये। अुसके बाद दरवार वीरावालाने खुद ही सुधार तैयार करनेके लिये कमेटी बनायी। अुसकी रिपोर्ट सन् १९३९ के नवम्बर मासमें प्रकाशित हुयी। अुस पर गांधीजीने ‘हरिजनबन्धु’ में अेक लेख लिखा। अुसमें यों कहा था :

“राजकोटके श्रीमान ठाकुरसाहब तथा दरवार श्री वीरावालाका अनजाने भी अेक बार जी दुखानेके बाद अुस राज्यमें दरवारकी कार्रवायियोंकी आलोचनाके रूपमें कुछ भी कहनेसे मैंने अपने आपको अब तक रोका है। परन्तु राजकोटकी प्रजाके प्रति, जिसने आदर्श अनुशासनका पालन किया है, अपने कर्तव्यका विचार करके हालमें ही राज्यकी ओरसे घोषित सुधारोंके सम्बन्धमें दो शब्द लिखना मेरा धर्म हो गया है। प्रजा भी आशा रखती है कि मुझे अपनी राय प्रगट करनी चाहिये।

“मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि अिन सुधारोंने स्वर्गवासी ठाकुरसाहबके किये-कराये पर पानी फेर दिया है। स्व० ठाकुरसाहबका दिया हुआ पूर्ण मताधिकार, जो पिछले पंद्रह वर्षसे प्रजाके लिये आशीर्वादके समान था, वापस ले लिया गया है और अुसके स्थान पर मताधिकारके लिये सम्पत्तिका मालिक होने या राज्यका वतनी होनेकी कड़ी शर्तें रख दी गयी हैं। चुने हुअे अव्यक्षकी जगह दीवानको अव्यक्ष

देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयाँ - २

बनाया गया है। पहले प्रजा-प्रतिनिधि-सभा सारी चुने हुअे सदस्योंकी होती थी। अब उसमें चालीस निर्वाचित और बीस मनोनीत सदस्य रहेंगे। चुने हुअे सदस्योंमें भी अल्पमतोंके वाड़े और मिश्रण होगा। इस प्रकार कथित बहुमत असलमें अल्पमत बनकर रहेगा। मुधारोंकी सही दिशाके अनुसार घासनतंत्रमें प्रजाकीय अंकुशकी अुत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यहां तो किसी भी अुचित कारणके विना प्रजाकीय अंकुशका तत्त्व काफी घटा दिया गया है। मूल सभाको कानून बनानेके जो विशाल अधिकार थे वे कम कर दिये गये हैं। २६ दिसम्बरकी घोषणामें यथासंभव अधिक विशाल अधिकार देनेको कहा गया था। अिन मुधारोंके बारेमें पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रजाके पास जो अधिकार थे वे भी वापस ले लिये गये हैं। अितना ही नहीं, प्रजाके पास रहने दिये गये अधिकार भी यथासंभव मर्यादित कर दिये गये हैं। अेक शब्दमें कहें तो ठाकुरसाहवकी अर्थात् दीवानकी अिच्छा ही राजकोटका सर्वोपरि कानून माना जायगा।

“ मैं स्वीकार कर चुका हूं कि अपवासके दौरानमें ठाकुरसाहवकी कार्यवाअियोंके खिलाल वाअिसराय महोदयसे की गअी मेरी अपीलमें हिंसा थी और अिसलिअे मेरा अपवास दूषित हो गया था। मेरा खयाल था कि अपना पश्चात्ताप घोषित करके मैंने असका प्रायश्चित्त कर लिया है। मैंने यह आशा रखी थी कि असके फलस्वरूप श्रीमान ठाकुरसाहव और दरवार वीरावालके अौर मेरे बीच मीठे सम्बन्ध स्थापित होंगे अौर राजकोटकी प्रजाके लिअे नया और अुज्ज्वल पृष्ठ आरंभ होगा। मैंने यह माना था कि मेरे सार्वजनिक पश्चात्तापके बाद किया गया दरवार अस पश्चात्तापके शुभ परिणाम पर मुहरके रूपमें था। अब मैं देखता हूं कि अैसा मानकर मैंने धोखा खाया है। मनुष्यकी प्रकृति क्षणभरमें नहीं बदल जाती। मैं राजकोटकी प्रजासे क्षमा-याचना करता हूं।

“ मुझे अपने किये हुअे पश्चात्तापका दुःख नहीं है। मेरा विश्वास है कि नैतिक दृष्टिसे जो अुचित था वह राजनैतिक दृष्टिसे भी अुचित ही था। मेरे पश्चात्तापने राजकोटकी प्रजाको वुरे हालसे बचा लिया। साम्प्रदायिक कलह रूक गया। मुझे भरोसा है कि अन्तमें जो राजकोटकी प्रजाका है वह अुसे मिलकर ही रहेगा। अिस बीच, अिन मुधारोंकी, जो मेरी नजरमें केवल अनिष्ट रूप हैं, मर जाने देना होगा। अिन राजकोट-निवासियोंमें रत्तीभर भी स्वाभिमान हो अुन्हें

अिनमें शरीक होनेसे दूर रहना चाहिये। यदि वे मेरी बात मानें तो प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करें और अक्षरशः कातें। वे देखेंगे कि अैसा करनेसे वे अहिंसाके अेकमात्र सही मार्गसे राजकोटमें सच्ची स्वतंत्रता स्थापित करनेवाले सावित होंगे।”

सरदारकी मनोवृत्ति अिस सारे कांडके प्रति कैसी थी, यह अुसके ही जानेके कुछ समय बाद अेक सार्वजनिक भाषणमें प्रगट किये गये अुनके निम्नलिखित अुद्गारोंसे मालूम हो जाता है :

“कुछ लोग मानते हैं कि वीरावालाने मुझे मात दे दी, सर पैट्रिकको निकलवानेमें मेरा अुपयोग कर लिया। परन्तु अैसा कहनेवाले अिसकी जड़में काम करनेवाली शक्तियोंको नहीं पहचानते। वे राजनीतिका ककहरा भी नहीं जानते। वह सब कैसे हुआ, यह तो भविष्यमें पर्दा अुठने पर मालूम होगा। परन्तु राजकोटमें संतसे जिसने अुपवास कराया है, संतका जी जिस प्रकार दुखाया है, अुसका तो अीश्वर अिन्साफ करेगा ही, और अिन्साफ कर ही रहा है। संतोंका जी दुखानेवाले कभी सुखी नहीं हुअे।”

२६

देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाभियां - ३

बड़ोदा, लीमड़ी, भावनगर

बड़ोदा

पहले कहा जा चुका है कि १९३८-३९ के वर्ष हमारे देशीराज्योंकी अपूर्व जागृतिके वर्ष थे। मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन, अुड़ीसाके धेनकनाल तथा तलचेर, राजस्थानके जयपुर तथा अुदयपुर, अुत्तरका काश्मीर और काठियावाड़के राजकोट वगैरा राज्योंने दायित्वपूर्ण शासनके लिये जोशीली लड़ाभियां लड़ी थीं। बड़ोदा हमारी प्रथम श्रेणीकी रियासतोंमें से अेक थी और वह बड़ी प्रगतिशील मानी जाती थी। वहां दायित्वपूर्ण शासन स्थापित करनेके अुद्देश्यसे बहुत वर्षोंसे प्रजामंडल कायम हो चुका था। जब तक वह प्रजामंडल बड़ोदा शहरमें ही काम करता था तब तक राज्यने अुसकी बहुत परवाह नहीं की। परंतु १९३० से ३४ की लड़ाभियोंके बाद अुसने देहातमें घुसना शुरू किया। तबसे राज्यकी अुस पर कोपदृष्टि हो गयी। प्रजामंडलके

देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयाँ - ३

अध्यक्षके नाते सरदारने ता० २८-१०-'३८ को बड़ोदा प्रजामंडल परिषद्के कि बुस अधिवेशनमें जिस चीजका हूवह वर्णन किया है :
भादरण स्थान पर हुअे अधिवेशनमें १३वां अधिवेशन (१९३६ में)

“कठोर गांवमें जब परिषद्का १३वां अधिवेशन (१९३६ में) पहले-पहल देहातमें हुआ, तब राज्यको गुस्सा चढ़ा। आपने माना था वनके कारण असा हुआ है। परंतु आपका असा मानना विलकुल गलत था। किसान वर्गमें प्रजामंडलका प्रवेश हो और बुसका सम्पर्क लोगोंके साथ बढ़े, जिस बातका राज्यको भय था। बुसने चावलका एक दाना पढ़नेका मनाही-हुक्म राज्यने अधक्ष पर तामील किया और वाकी भाषण पढ़कर सुनानेकी अिजाजत दी। मैंने वे अंश चुनकर बुन्हें न और बुनमें मुझे कुछ भी आपत्तिजनक दिखायी नहीं दिया। वे कितने निर्दोष और साधारण थे, यह आप देख सकें इसीलिये बुनमें से कुछ यहां अुद्धत करता हूं। (अपने भाषणमें बुसके ६ पैरे पढ़ सुनाये।)

“परंतु यह तो परिषद्का गला घोटनेकी बुख्यात ही थी। अध्यक्षके खिलाफ किसी न किसी तरह पावदियां लगायी गयीं। प्रजामंडलकी अत्यंत निर्दोष प्रवृत्तिके लिये विभागकी ओसे परेशान करनेवाला हस्तक्षेप शुरू हुआ। जमीनके लगानके औचित्यकी जांच रोपका पार ही न रहा। राज्यको डर लगानेका असली कारण तो यही था। जिस प्रकार यह बात खुल गयी। प्रजामंडलके प्रथम श्रेणीके नेताओं पर निषेधाज्ञाओं जारी करके राज्यने मंडलकी प्रतिष्ठा मिट्टीमें मिला दी। जिस अन्यायपूर्ण और अभूतपूर्व नीतिके विरुद्ध आवाज बुठानेके लिये बड़ोदा शहरमें सार्वजनिक सभा भी न की जा सकी। राज्यके जिलोंके नगरोंमें ही बैठ कर लगान-संबंधी जांच करनेकी विशेष अनुमति दीवान साहवकी कृपासे दी गयी। स्वयं प्रजामंडलके अध्यक्षके विरुद्ध भाषणवन्दीके नोटिस जारी किये गये। अधिकारी विगड़े। प्रजामंडलके सदस्योंसे त्यागपत्र दिलवानेके व्यवस्थित प्रयत्न शुरू किये गये। किसी किसी अफसरने तो कानूनका खुला खुल्लंघन करके मनमाने हुक्म जारी किये, जब कि कुछने प्रजामंडलके कार्य-कर्ताओंको तमाचे मारे और गालियां दीं। जिस प्रकार राज्यके कर्म-चारियोंने सम्यता और मर्यादाको ताकमें रखकर प्रजामंडलकी प्रतिष्ठा धूलमें मिलानेकी कोशिशें शुरू कर दीं।

“ पिछले साल वीसनगरमें अधिवेशनके अध्यक्षने राज्यके जिस आक्रमणको सह लेनेकी सयानी सलाह दी। उसे मानकर मंडलके कार्यकर्ताओंने राज्यके कर्मचारियोंके अपमानभरे वतवकी और दूसरी क्रूरता चुपचाप सहन कर ली। परंतु उसका राज्य पर अुल्टा ही असर हुआ। परिणाम यह हुआ कि परिषद्की हस्ती भी जोखिममें पड़ गयी। अधिकारी प्रजामंडलको दवा देनेका अभिमान करने लगे और गरीब प्रजामें से कोयी फरियाद करने जाता तो उसे प्रजामंडलके पास जानेका ताना मानकर मंडलकी खुले तौर पर हंसी उड़ाने लगे। ”

जिस दशामें प्रजामंडलके कुछ सदस्योंको ऐसा लगा कि हमारी परिषद्के अध्यक्ष बनाकर सरदारको बुलायेंगे तो प्रजामें कुछ चेतना आयेगी। हमारी परिषद्के प्रस्तावों पर अधिकारी 'दाखिल दफतर करने' का सेरा लगानेके वजाय विचार करेंगे और राज्य प्रजामंडलकी अपेक्षा नहीं कर सकेगा।

सरदार प्रजामंडलकी कठिनाभियां जानते थे। जिसलिये संकटके समय साथ देनेके विचारसे वे परिषद्की प्रार्थना अस्वीकार न कर सके। अध्यक्षकी जिम्मेदारी अन्होंने स्वीकार कर ली, परंतु साथ ही परिषद्से कहा :

“ जिस प्रकार यदि राज्य और प्रजा दोनोंके सामने कार्यकर्ताओंका अपमान होता हो और प्रजामंडलके बासीस वर्षके लंबे कार्यकालके बाद आज प्रजाकी कोयी भी तकलीफ या शिकायत दूर करनेकी उसकी शक्ति ही न रही हो, तो मंडलको अपने मार्ग और कार्यक्रमके बारेमें विचार कर लेना चाहिये। प्रजामंडलके पास अनेक कार्यकर्ताओंकी बासीस सालकी सेवाओंकी पूंजी मौजूद है। उस पूंजीको बरबाद कर देना महापाप है। ऐसा लगता हो कि राज्यने उसका अस्तित्व मिटा देने या उसका तेजोवध करके उसे निर्मल्य और मृतवत् बना डालनेका अिरादा कर लिया है, तो मंडलके अेक-अेक सदस्यका फर्ज है कि वह निडर होकर परंतु सभ्यतासे अपने प्राणोंकी आहुति राज्यके चरणोंमें अर्पित करनेको अविलम्ब और निःसंकोच तैयार हो जाय, फिर भले वे मुट्ठीभर ही क्यों न हों। ऐसे शहीदोंके विशुद्ध बलिदानसे प्रजामंडलकी मरी हुई आत्मा फिर सतेज हो जायगी और वह राज्यके तिरस्कारके वजाय उसके आदरका पात्र बन जायगा। प्रजाका उस परसे अुठता जा रहा विश्वास भी स्थिर हो जायगा। ”

प्रजामंडलने जवसे सरदारको अपनी परिषद्का अध्यक्ष चुना, तदसे 'द्विविध वृत्त' और 'जागृति' नामक मराठी साप्ताहिकोंने सरदारके विरुद्ध

जहर अगलना शुरू कर दिया। सरदार आकर क्या कर लेंगे? प्रजामंडल क्या बहादुरी दिखानेवाला है? प्रजामंडलका ढोंग कितने दिन चलेगा? प्रजामंडल व्यर्थ सरकारका सहयोग खो रहा है। राज्यका प्रेम बनाये रखनेमें ही प्रजाका अुदार है। प्रजामंडल राज्यके साथ संघर्षमें आयेगा तो राज्यकी नौकरीमें जो थोड़ेसे गुजराती हैं अुन्हें भी नौकरीसे हाथ धोना पड़ेगा। और महाराष्ट्रीयोंकी भावनाओं भड़कानेके लिये अुन्होंने कहा कि सरदारने नागपुरके डॉ० खरेके साथ भारी अत्याय किया है। जिसके समर्थनमें वम्बळीके श्री नरीमानका अुदाहरण दिया! सरदार अत्यंत स्वेच्छाचारी और लोकतंत्र-विरोधी आदमी हैं, अैसा भी आक्षेप किया गया। राज्य और राज्यके समर्थकोंके अैसे विरोधी वातावरणमें सरदारने प्रजामंडलकी वागडोर संभाली।

प्रजामंडलको पूरी तरह किसानोंकी मदद पर खड़े होना चाहिये, जिस वारेमें सरदारने अपने भाषणमें कहा :

“बड़ोदा राज्यके किसानोंकी बढ़ती हुयी आर्थिक दुर्दशा और अुन पर लादे गये असह्य और निर्दय भूमिकरके भारके वारेमें प्रजामंडलने लगभग प्रत्येक अविवेशनके अवसर पर प्रस्ताव पास किये हैं। ये प्रस्ताव पास करनेका क्या अर्थ है? किसानोंके पेटके खड़े परिपक्के प्रस्तावोंसे नहीं भर जायेंगे। अुनका कर या लगानका बोझ अिन प्रस्तावोंसे हलका नहीं होगा। . . . गांव गांव और किसानोंकी झोंपड़ी झोंपड़ीमें घूमकर किसानोंके सुख-दुखमें हिस्सा लेने और कठोर कर-पद्धतिके विरुद्ध राज्यके कानोंके परदे फट जायं अितने जोरसे आवाज अुठानेकी लोगोंको तालीम देनेका प्रजामंडलको हक है। यह हक छीन लिया जाय तो प्रजामंडलके कार्यकर्ताओंको राज्यका सविनय विरोध करना चाहिये। यह प्रारंभिक अधिकार छोड़ देनेमें मुझे प्रजामंडलकी आत्म-हत्या दिखायी देती है।”

राज्यके मकरपुराके महलके पास राज्यके खर्चसे अेक बड़ा शिकारखाना रखा गया था। वह वर्षोंसे किसानोंके लिये बड़ा कष्टदायक सिद्ध हो रहा था। जिस वारेमें सरदारने अपनी आवाज अुठायी :

“बड़ोदा राज्यमें किसानोंकी पुकार सुनी नहीं जाती, जिसका अेक अद्भुत अुदाहरण तो वह असह्य जुल्म है जो वरणामाके आस-पासके सैंतीस गांवोंके किसानों पर आज वर्षोंसे हो रहा है। जिससे छूटनेके लिये अुन्होंने असंख्य प्रार्थनापत्र दिये, सभाओं कीं, शिष्टमंडल

भेजे और प्रजामंडल तथा धारासभा दोनोंके द्वारा राज्यके व्हरे कानोंमें शंख बजानेके वार वार प्रयत्न किये, फिर भी कुछ नहीं हुआ। राजपरिवार और अुसके गोरे मेहमानोंका शिकारका शौक पूरा करनेके लिये अिन सैंतीस गांवोंके बीचमें राज्यका तेरह सौ अेकड़ विस्तारवाला धनियावी नामसे पुकारा जानेवाला अेक लंबाचौड़ा शिकारखाना है। अिस शिकारखानेमें हरिण रखे जाते हैं। अुनके खानेके लिये जो चारा चाहिये अुसके लिये सरकारको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। आसपासके सैंतीस गांवोंकी फसल ही अिस राज्यके हरिणोंकी खुराक है। ये हरिण कितना ही विगाड़ क्यों न करें, तो भी अुन्हें मारनेवालेको राज्यका अपराधी मानकर सजा दी जाती है। हरिण किसानको मार सकता है, परंतु किसान आत्मरक्षाके लिये भी अुसे नहीं मार सकता। क्योंकि हरिण अिस राज्यका विशेष प्रिय प्राणी है और किसान राज्यका भार वहन करनेके लिये पैदा हुआ जानवर है। अिन सैंतीस गांवोंके किसानोंके पूर्वज आजसे साठ साल पहले अिन हरिणोंके कष्टसे बचनेके लिये राज्यसे न्याय प्राप्त करनेमें असफल हो गये तब गांव छोड़कर हिजरत कर गये थे। अुन्हें मनाकर वापस लाया गया था और राज्यकी तरफसे कुछ राहत दी गयी थी। अुन बहादुर किसानोंके वारिसोंमें से आज साहस और हिम्मत जाती रही है। हरिणोंकी संख्यामें बड़ी वृद्धि होती ही जा रही है। राज्यका संरक्षण होनेसे अुनमें निर्भयता आ गयी है। अिस प्रकार अिस राज्यमें बेचारे गरीब किसान राज्यके शिकारके भी शिकार बन गये हैं। कितने ही वर्षोंसे ये किसान अर्जियां दे रहे हैं, महाराजासे मिलनेका प्रयत्न कर रहे हैं, दीवान साहबके पास दौड़े जाते हैं और प्रजामंडलके प्रत्येक अधिवेशनमें पुकार मचाते हैं। परंतु यह सब व्हरेके आगे शंख फूंकने जैसा है। अिस धनियावीके शिकारखानेका अितिहास जब मैं सुनता हूं, तब अुत्तरसंडा गांवके अेक सज्जनकी याद आ जाती है जो अिस राज्यके अेक भूतपूर्व कमचारी थे और जिन्होंने न्यायमंदिरमें दिन दहाड़े मशाल जलाकर यह खोज की थी कि बड़ोदाके न्यायमंदिरमें न्याय कहाँ मिलता है। यह शिकारखाना वहांसे अुठा लेनेके लिये राज्यको मजदूर करने और किसानोंको असह्य कष्टसे बचा लेनेके लिये दृढ़ और व्यवस्थित कदम अुठाने चाहिये।”

फिर राज्यमें फैली हुयी घूसखोरीकी बुराबी, थोड़ी आमदनी पर भी लगाये गये आयकरके अन्याय और राज्यमें बनायी गयी खोखली पंचायतों

और म्युनिसिपैलिटियों वगैराका बुल्लेख करके वहांकी धारासभाके विषयमें बोले :

“ ‘असि राज्यके कुछ कामोंमें — जैसे कानून वगैरा बनानेमें — अनुभवी लोगोंकी सलाह लेना हितावह होगा, यह सोचकर अउनकी अेक धारासभा स्थापित करनी चाहिये’, असि प्रस्तावनाके साथ राज्यने धारासभाका यह प्रयोग तीस वर्ष पहले शुरू किया। परंतु अैसी धारासभाओंमें अयोग्यताकी ही शिक्षा मिलनेके कारण अुसका कोअी परिणाम नहीं निकला। अुस समय तो असि संस्थाकी स्थापना होनेसे चारों तरफ राज्यकी वाहवाही होने लगी और भोली प्रजा फूलकर कुप्पा हो गयी। प्रजामंडलने अेक वार असि धारासभाका वहिष्कार घोषित कर दिया, तब अुसमें खुशामदी लोग घुस गये। असिलिअे प्रजामंडलने फिर अुस जगह अपने ही आदमी भेजनेका प्रयत्न किया। दोनों वार प्रजामंडलको अच्छी सफलता मिली। परंतु असि सबको पानी बिलोने जैसा ही समझ लीजिये। अिन संस्थाओंका त्याग करनेमें ही प्रजाका भला है। अुनमें जानेसे राज्यको व्यर्थकी प्रतिष्ठा मिलती है।”

धारासभाके वारेमें अुपरोक्त सलाह देकर यह बताया कि वंवजी प्रांतमें शुरू हुअे शराववन्दीके कार्यक्रममें बड़ोदा राज्यकी आवकारी-नीतिसे कैसी रुकावट होती है :

“ ब्रिटिश गुजरातमें जहां जहां शराववन्दीका कार्यक्रम शुरू हुआ है, वहां सभी जगह नजदीकमें असि राज्यकी हद लगी हुयी है। अंग्रेजी सीमामें शराव पीनेवाले, जिन्हें असि व्यसनकी लत पड़ गयी है, पासके असि राज्यकी हदमें शराव-ताड़ीकी दुकानों पर दौड़ जाते हैं। फिर भी राज्यकी तरफसे अिन दुकानोंको दूर ले जानेकी अभी तक कोअी व्यवस्था नहीं हुयी है। असिसे ब्रिटिश गुजरातकी असि प्रवृत्तिमें बड़ी बाधा पड़ती है।”

किसी समय प्रगतिशील समझा जानेवाला यह राज्य आज कैसी दुर्दशामें आ पड़ा है, असिका वर्णन निम्नलिखित पैरेमें किया गया है :

“ यह राज्य प्रथम श्रेणीके देशीराज्योंमें से अेक मुख्य राज्य है। असिने हमेशा प्रगतिशील राज्य होनेका दावा किया है। जब किसी देशीराज्यका साहस नहीं होता था अैसे समय महाराजा साहबने दूरदेशीसे अनेक सुधार जारी करना आरंभ किया था। अनिवार्य शिक्षाकी पहल की, समाज-सुधारके कार्य प्रारंभ किये और अस्पृश्यताका नाश करनेके भगीरथ प्रयत्न किये। अैसे अैसे कामोंसे राज्यने देश-

भरमें सम्मान प्राप्त किया। परंतु उस समयका बड़ोदा राज्य दूसरा था और आजका दूसरा है। आज सुधारोंके कानून सांपके निकल जाने पर बनी हुयी लकीरकी तरह रह गये हैं, राज्य प्रगतिका मार्ग छोड़कर प्रतिक्रियावादी मार्ग पर चल पड़ा है। पहले महाराजा साहब होशियार नौजवानोंको चुन चुनकर छात्रवृत्तियां देकर अुच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिये विदेश भेजते और लौटने पर अुन्हें राज्यके बड़े बड़े पदों पर रखते थे। आज छात्रवृत्तियां देना तो दूर रहा, अपने खर्चसे शिक्षा पाकर तैयार हुअे राज्यके निवासियोंको भी राज्यमें स्थान नहीं मिलता। बड़े बड़े ओहदों पर राज्यसे बाहरके आदमी लाकर रखने और राज्यके आदमियोंको जिम्मेदारीके स्थानोंसे वंचित रखनेकी अुल्टी नीति राज्यने कितने ही समयसे अपना रखी है। यह नीति राज्यके लिये खतरनाक है। अिससे प्रजामें भारी असंतोष फैला हुआ है। और हमारे दुर्भाग्यसे श्रीमान महाराजा साहब बहुत वर्षोंसे अिस देशमें रह नहीं पाते। अिसलिये राज्यकी यह दशा हो गयी है। अिस देशका जलवायु अुनकी प्रकृतिके अनुकूल नहीं है। वर्षमें दो-चार सप्ताह वे जबरदस्ती अिस देशमें बिता सकते हैं। अिस वृद्धावस्थामें अुनके दिलको दुःख हो, अैसा अेक भी शब्द कोअी बोलना नहीं चाहता। फिर भी सबके हृदयोंमें अेक बात जम गयी है कि महाराजाकी लंबे समयकी गैरहाजिरीके कारण अुपरसे खूबसूरत दिखायी देते हुअे भी यह राज्य भीतरसे विलकुल सड़ गया है। दुनियाके किसी भी भाग जैसी आवहवा हमारे देशके किसी न किसी हिस्सेमें मिल सकती है, फिर भी महाराजाको विदेश क्यों जाना पड़ता है? ” परिषद्के अन्तमें जो अपसंहार-भाषण दिया, अुसमें अुन्होंने कहा :

“बड़े बड़े राज्य आज केन्द्रीय सरकारमें हिस्सेदार बननेके लिये दौड़ रहे हैं। परंतु वे अपने राज्यमें प्रजाको जिम्मेदार हुकूमत देनेको तैयार न हों तो ब्रिटिश भारतमें आजादी मिलनेके बाद केन्द्रीय सरकारमें हिस्सेदार बननेका अुन्हें हक नहीं होगा। कांग्रेसने देशीराज्योंको और अंग्रेजी सरकारको अैसी सूचना दे दी है। . . . अब तक बहुतसे राजा कहते थे कि हम प्रजाको शासनकी जिम्मेदारी देनेको तैयार हैं, परंतु हमारे सिर पर जबरदस्त साम्राज्य बैठा हुआ है जो अिसमें बाधक होता है। त्रावणकोरके दीवानने तो अभी साफ तौर पर कह दिया है कि सार्वभौम सत्ता जिम्मेदार हुकूमत देनेके विरुद्ध है। अिस पर पार्लियामेण्टमें प्रश्न पूछा

गया तो जवाब दिया गया कि "सार्वभौम सत्ताको कोजी आपत्ति नहीं है। कोजी भी राजा अपनी प्रजाको जिम्मेदार हुकूमत देना चाहते हों तो खुशीसे दे सकते हैं।"

अन्तमें यह समझाया कि अन्होंने यह अव्यक्षपद किस खयालसे स्वीकार किया :

"आज मैं आपके सेवकके रूपमें यहां आया हूं। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर राज्यके सामने आपका मामला पेश करूंगा। परंतु मेरी शक्तिका दारमदार आपकी शक्ति पर है। आपको यह याद रखना चाहिये कि मैं कोजी कमजोर मामला हाथमें नहीं लेता। मैं मानता हूं कि जो प्रजा थप्पड़ खाकर बैठी रहे वह देशके लिये भार-स्वरूप है। . . . राज्यके साथ लड़ना पड़े तो उसके लिये आपमें दृढ़ता होनी चाहिये। आपमें शक्ति न हो तो पहले से ही कह दीजिये। मैं अपमान सहनेको तैयार नहीं हूं। मैं आपका होनेके साथ साथ कांग्रेसका भी एक अदना सिपाही हूं। कांग्रेसमें मेरा जो स्थान है उसे देखते हुये मेरा अपमान कांग्रेसका अपमान है, भारतका अपमान है।"

अिस भाषणका कार्यकर्ताओं तथा प्रजा पर बड़ा असर हुआ। अुनमें नजी चेतना और नवीन अुत्साह पैदा हुआ। कार्यकर्ताओंने कमर कसी और भादरणका संदेश राज्यके गांव गांवमें पहुंचाना शुरू कर दिया। सरदारने भी समय निकालकर परसाना और मांगरोल तालुकोंमें भाषण किये। अिससे राज्यके सबसे अूचे अधिकारी कुछ जागे भी सही। अुसी समय राज्यमें जमीनका लगान फिरसे तय करनेका काम चल रहा था। अुसकी रिपोर्ट प्रकाशित होते ही राज्यने भूमिकरमें कुल बीस लाख रुपयेकी कमी कर दी। और थोड़े राजनैतिक सुधार जारी करके मताधिकार कुछ विस्तृत कर दिया और धारासभाओंमें प्रजाका प्रतिनिधित्व भी बढ़ा दिया। अब तक धारासभामें कुल ३१ सदस्य थे। अुनमें प्रजाकी तरफसे चुने हुये सदस्योंकी संख्या केवल ११ थी। नये सुधारोंके अनुसार धारासभाके सदस्योंकी संख्या ५५ कर दी गयी। अुनमें ३७ प्रजा द्वारा निर्वाचित सदस्य, ९ अधिकारी और ९ राज्यकी ओरसे मनोनीत गैरसरकारी सदस्य रखे गये। प्रजा द्वारा निर्वाचित ३७ सदस्योंमें से २७ आम मतदाता-मंडलों द्वारा चुने जानेवाले थे और १० विशेष निर्वाचक-मंडलों जैसे जमींदारों, जागीरदारों, व्यापारी मंडल, अुद्योगपति मंडल, सहकारी समितियों तथा मजदूर-प्रतिनिधियों द्वारा चुने जानेवाले थे। अिस प्रकार स्थिति यह होती थी— २८ विशेष हितोंके

प्रतिनिधि और २७ आम लोगोंके प्रतिनिधि । और राज्यकी कार्यकारिणी कौंसिल या मंत्रिमंडलमें अके मंत्रीका चुनाव महाराजाको धारासभाके गैरसरकारी सदस्योंमें से करना था । जिस मंत्रीको लोकप्रिय मंत्रीका नाम दिया गया था । उसे शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य, ग्रामविकास, स्वास्थ्य तथा सहकारी समितियोंमें से अके या अधिक विभाग सौंपे जानेवाले थे । जिस प्रकार जिम्मेदार हुकूमतका थोड़ा बहुत दिखावा किया गया था, मगर सत्ताके सूत्र अन्तमें महाराजा अथवा अुनके प्रतिनिधि दीवानके हाथमें ही रहते थे ।

परंतु सरदारके भाषणों और प्रजामंडलमें अत्यन्त हुआ जागृतिसे राजाके अन्य अफसरोंमें घबराहट फैली । राज्यके कुछ खुशामदी अखबार अुनकी मददको दौड़े । सरदारने अपने भाषणमें कहा था कि राज्य बाहरके कर्मचारियोंको अधिक रखता है । सरदारने तो यह कहा था कि जो बड़ोदा राज्यके निवासी नहीं हैं अुन्हें अधिक संख्यामें रखा जाता है । परंतु अुसका अनर्थ करके बाहरके लोगोंको यानी मराठोंको रखा जाता है और गुजरातियोंको वंचित किया जाता है, अैसा ये अखबार प्रचार करने लगे । भादरणके और दूसरे भाषणोंमें से कुछ वाक्य विद्वत करके सरदारके मुंहमें रखे गये । साथमें डॉ० खरे तथा वीर नरीमानके साथ सरदारके भारी अन्याय करनेके आक्षेप तो थे ही ।

ता० २०-२-३९ को बड़ोदा शहर और जिलेकी ओरसे मानपत्र और थैली भेंट करनेके लिये सरदारको निमंत्रण दिया गया था । अुस समय गुमनाम विपैली पत्रिकाओं शहरमें वांटी गयीं और प्रान्ताभिमानकी भावनाको अपील करके महाराष्ट्रीयोंको अुकसानका भरपूर प्रयत्न किया गया । बड़ोदा शहरमें सरदारके सम्मानमें निकले हुअे जुलूस पर गुण्डोंको पैसे देकर पत्थर फिकवाये गये । सरदारकी मोटर पर भी काफी पत्थर पड़े । फिर भी आश्चर्यकी बात यह थी कि पुलिसने बिलकुल दखल नहीं दिया और फसाद रोकनेकी कोअी कोशिश अुसकी तरफसे नहीं की गयी । शामको जो सभा रखी गयी थी वह भी फसादी लोगोंने नहीं होने दी । सभाके लिये आयी हुअी महिलाओंसे अुन लोगोंने छेड़छाड़ करना शुरू किया, परंतु स्वयंसेवकोंने अुनके आसपास मजबूत घेरा डाल दिया और अुन्हें सही-सलामत बाहर पहुंचा दिया । अन्तमें अिन दंगाजियोंने मंडप वगैराको तोड़-फोड़ कर खूब नुकसान किया । रास्तेमें दुकानदारोंने सरदारके सम्मानमें अपने यहां जो सजावट की थी अुसे तोड़-फोड़ कर जला डाला गया । गुंडोंने कुछ दुकानोंको लूटनेका भी प्रयत्न किया ।

जिस प्रकार २० तारीखको सरदारकी सभा दंगेके कारण नहीं हो सकी । जिसलिये वही सभा २१ तारीखको अलकापुरीमें रखी गयी । जिस सभामें

सरदारको बड़ोदा राज्य प्रजामंडलकी तरफसे २५,००१ रुपयेकी पैली भेंट की गयी थी, जो अन्होंने प्रजामंडलके कामके लिये अिस्तेमाल करनेको वापस दे दी। अिस रकममें और रुपया अिकट्टा करके प्रजामंडलने अिस किरायेके मकानमें अुसका दफ्तर था अुसे खरीद लिया और १,८०,००० रु० के खर्चसे तीन मंजिला भव्य मकान बनवाया। अिस मकानका नाम श्री सरदार भवन और मकानके सभा-भवनका नाम अच्चास हॉल रखा गया। अुस दिनकी सभाको भी भंग कर देनेकी पत्रिकायें तो निकलीं। काले झंडों सहित अेक बड़ा जुलूस भी शहरमें घूमकर दंगे करता हुआ सभाभंग करनेके निश्चयके साथ अलकापुरी पहुंचा। पुलिसने अिस जुलूसको भी नहीं रोका। अलवत्ता, वे लोग अिस दूसरे दिनकी सभाको भंग नहीं कर सके, क्योंकि सभास्थलके सामने पुलिस विभागके बहुतसे बड़े अधिकारी मौजूद थे। और स्वयंसेवकोंका बन्दोबस्त भी काफी रखा गया था। हां, सभा खतम होनेके बाद सभासे धर लीटते हुअे लोगोंको अच्छी तरह परेशान किया गया। अुस दिन किसी अज्ञात व्यक्तने अेक महाराष्ट्री विद्यार्थीकी खंजर मारकर हत्या कर डाली। यह हत्या करनेवाला कोअी गुजराती होना चाहिये, अैसा प्रचार करके अुस युवककी शवयात्रामें भाग लेनेवालोंने जिन जिन गुजराती मुहल्लोंमें से वे गुजरे वहां गुजरातियों पर हमले किये। २२ तारीखको भी दंगे जारी रहे। तीन दिन तक शहरमें हुअे अिन दंगोंके संबंधमें वाजाव्ता जांच करनेके लिये राज्यकी तरफसे ता० ६-४-३९ को अेक कमेटी मुर्कर की गयी। अुस कमेटीका काम काफी आगे बढ़ गया। अितनेमें कुछ प्रमुख महाराष्ट्रीयोंने अिस फसादके लिये अफसोस जाहिर किया और सरकारसे प्रार्थना की कि अिस जांचका काम जारी रखनेसे जातीय तंगदिली बनी रहती है, अिसलिये जांचका काम बन्द कर दिया जाय। अिस प्रार्थनामें कुछ अग्रगण्य नरम विचारके गुजरातियोंने भी हस्ताअर किये। यह अर्जी मिलने पर राज्यकी तरफसे अेक सरकारी वक्तव्य जारी करके ता० १९-७-३९ को जांचका काम बन्द कर दिया गया और घोषणा कर दी गयी कि सरकारके पास अितना सबूत दर्ज हुआ है अुस पर ध्यानपूर्वक विचार करके सार्वजनिक हितमें जो कार्रवाअी सरकारको आवश्यक प्रतीत होगी वह की जायगी। अिस प्रकार यह जांच अवूरी ही रही।

अुपर हमने जिन नये सुधारोंकी बात कही है अुनके अनुसार मअी-जून १९४० में धारासभाका चुनाव हुआ। अुसमें सरदारने प्रजामंडलका अच्छा मार्गदर्शन किया और मदद दी। प्रजामंडलके पसन्द किये हुअे अुम्मीदवार काफी बहुमतमें चुने गये। परंतु थोड़े ही समय बाद विश्वयुद्ध

छिड़ गया और उसके सिलसिलेमें ब्रिटिश साम्राज्यकी भारतके प्रति रही नीतिके संबंधमें बहुत बड़े प्रश्न उपस्थित हुअे। इसलिये देशीराज्योंका प्रश्न कुछ खटाभीमें पड़ गया।

लीमड़ी

काठियावाड़में लीमड़ी अेक छोटासा देशीराज्य था। उसकी कुल आबादी अनुतालीस हजार मनुष्योंकी थी। उनमें से तेरह हजार लीमड़ी शहरमें ही रहते थे। राज्यके अधीन सब मिलाकर चालीस गांव थे। उनमें से वारहकी आमदनी युवराजकी निजी सम्पत्ति मानी जाती थी। राज्यकी कुल वार्षिक आय कोभी पंद्रह लाख रुपयेकी थी। वह मुख्यतः जमीनके लगानसे ही होती थी। जितना अनाज पैदा होता उसका तीसरा या चौथा भाग राज्य ले लेता था। वहां अच्छी किस्मकी कपास पैदा होती, उसका तीसरा हिस्सा राज्य लेता था। उसके सिवा राज्य किसानोंसे तरह तरहके नेग-दस्तूर भी वसूल करता था। घंघा-कर, हल-कर, ढोर-कर, लग्न-कर, आदि विविध करोंसे राज्यको काफी आय थी। इसमें से आधी राज-परिवार अपने खर्चके लिये ले लेता और बाकी अफसरों और नौकरोंके वेतनोंमें चली जाती। करदाताओंको सुविधाओंके रूपमें बहुत थोड़ा मिलता था। शिक्षा, सफाई तथा डॉक्टरोंकी सहायतामें फी रुपया अेक आना मुश्किलसे खर्च किया जाता था। गांवोंमें तो ये सुविधाएँ भी नहीं थीं। बहुतसे गांवोंमें पानीका भी भारी कष्ट था।

राज-परिवार बहुत सुशिक्षित माना जाता था। राजा बूढ़े हो गये थे, इसलिये युवराज ही राजाके स्थान पर थे। राजाके दूसरे कुंवर राज्यके दीवान थे। ये दोनों विलायत हो आये थे। दीवान फतेहसिंह तो बैरिस्टर बन चुके थे। ये वही फतेहसिंह हैं जिन्हें कुछ समय पहले सौराष्ट्र सरकारने डाकू भूपतको आश्रय तथा मदद देनेके अभियोगमें गिरफ्तार किया था।

युवराजका वात करनेका ढंग बड़ा मीठा था। परंतु उनके चरित्रके बारेमें प्रजाको बड़ा असंतोष था। अेक वार युवराज जब बंबई गये तब उनसे जिस बारेमें दो शब्द कहनेके लिये बम्बईमें रहनेवाले लीमड़ीके कुछ व्यापारी नेता उनसे मिले थे। युवराजने उनके सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कीं और कहा कि यदि प्रजा संगठित हो जाय और प्रजामंडल स्थापित कर ले तो मैं उसे शासनमें कुछ जिम्मेदारियाँ अवश्य सौंप दूंगा। उन प्रमुख व्यापारियोंको लीमड़ी आनेका निमंत्रण भी उन्होंने दिया। जब वे लीमड़ी गये तब युवराज बदल गये। उन्होंने सूचित किया कि 'आप प्रजामंडल स्थापित

कीजिये, परंतु प्रजामंडल लीमड़ी शहरमें ही काम करे। गांवोंके सुधारके लिये मेरी अपनी कुछ योजनाओं हैं और अन्हें मैं खुद ही अमलमें लाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि अुसमें कोअी दखल दे।' अुन्होंने यह भी कहा कि मैं लोकतंत्रको निकम्मी चीज समझता हूं। खास तौर पर गांवकी प्रजाका अुससे भला नहीं हो सकता। अिसलिये जब तक मैं ग्रामसुधारकी अपनी योजना प्रकाशित करूं तब तक तो आप गांवोंमें किसी प्रकारका राज-नैतिक काम विलकुल न करें। परंतु यह सब समय लम्बानेकी चाल थी, क्योंकि दूसरी तरफ कर्मचारियोंको अुन्होंने हिदायत कर दी थी कि आप देहातमें जाकर लोगोंको समझायें कि कोअी प्रजामंडलमें शरीक न हो, और कोअी शरीक हो तो अुन्हें खूब तंग किया जाय।

हिन्दुस्तान भरमें देशीराज्योंकी प्रजामें जो जाग्रति आ गयी थी, अुसका असर लीमड़ीके लोगों पर भी हुआ था। अिसलिये लीमड़ीके कार्यकर्ताओंने विचार किया कि गांवोंकी प्रजामें काम करनेका युवराजके जितना ही हमें भी हक है। गांवोंके साथ हमारा संबंध राज्यसे कम नहीं है। राज्यने तो अब तक अुन्हें चूसा ही है, जब कि हम गांवोंकी जनताको अुसके हकोंका भान कराना चाहते हैं। अिसलिये अुन्होंने ता० २४-१२-'३८ को लीमड़ीके नागरिकोंकी अेक सार्वजनिक सभा करके प्रजामंडलकी स्थापना की।

युवराजको प्रजामंडलके नेताओंकी यह वृत्ति जरा भी पसन्द नहीं आयी। अुन्हें अैसा लगा कि नेता अपना सोचा हुआ करना चाहते हैं। अिसलिये अुन्होंने अेक और तरकीब सोची। यह दिखानेको कि प्रजामंडलवाले प्रजाके प्रतिनिधि ही नहीं हैं, अुन्होंने लीमड़ी शहरके कुछ हिन्दुओंसे सनातन मंडल नामकी और मुसलमानोंसे मुस्लिम जमात नामकी साम्प्रदायिक संस्थाओं स्थापित करायीं। राज्यके लगभग सभी अफसर और कर्मचारी अुनके सदस्य बन गये।

गांवोंमें भी चौकीदारों और माफीदारोंको हिदायत कर दी गयी कि वहां कोअी मनुष्य प्रजामंडलका काम करे तो अुसे डरा-धमकाकर दवा दिया जाय। अैसा करनेमें राज्यकी तरफसे अुन्हें सब सुविधाओं दी जायेंगी। खूबी यह थी कि कोअी भी आज्ञा या सूचना लिखित नहीं दी जाती थी।

प्रजामंडलके नेता ज्यों ज्यों गांवोंके साथ सम्पर्क साधने लगे, त्यों त्यों राज्यकी मनमानीसे धुँव्व हुये लोगोंकी तरफसे अुन्हें अुत्साहजनक जवाब मिलने लगा। अपने गांवोंमें प्रजामंडलकी शाखा खोलनेके लिये गांवके लोग निमंत्रण देने लगे। प्रजामंडलने गांवोंमें स्वयंसेवक भरती करनेका काम भी

शुरू कर दिया। ग्रामजनोंका अुत्साह बढ़ानेके लिये प्रजामंडल बाहरसे भी नेताओंको बुलाने लगा। दरवार गोपालदासकी पत्नी भक्तिवाको लीमड़ीके ठाकुरसाहव अपनी पत्नीके समान मानते थे, क्योंकि अुनके पिता लीमड़ीके दीवान थे और मौजूदा ठाकुरसाहवको गद्दी दिलानेमें अुन्होंने अच्छी मदद की थी। इसलिये स्वाभाविक रूपमें ही भक्तिवाको लीमड़ी राज्यमें दौरा करानेके लिये प्रजामंडलकी ओरसे आमंत्रित किया गया। परंतु जम्बू नामक गांवमें राज्यके भाड़ती गुंडोंने अुनकी मोटरको घेर लिया और कार्यकर्ताओंको मारना शुरू कर दिया तथा मोटरको भी नुकसान पहुंचाया। परंतु भक्तिवाके साहससे सारा गांव अुलट पड़ा, जिससे गुंडोंको भाग जाना पड़ा। इस घटनासे लड़ाईका श्रीगणेश हो गया। थोड़े दिन बाद शियाणी गांवके पास प्रजामंडलके अेक नेताकी मोटर पर गुंडोंने अैसा ही हमला किया। प्रजामंडलमें व्यापारी बहुत प्रमुख भाग लेते थे। इसलिये अुनके घर चोरियां कराअी जाने लगीं। फिर भी गांवोंमें प्रजामंडलका जोर बढ़ता ही गया। इसलिये राज्यकी मौखिक सूचना और सहायतासे प्रजामंडल पर गांवोंमें व्यवस्थित आक्रमण करनेकी योजना बनाअी गअी।

ता० ५-२-'३९को सारे काठियावाड़में राजकोट-दिवस मनाया गया। अुस दिन शामको लीमड़ी राज्यके पाणशीणा गांवमें ग्रामजनोंकी सभा हुअी, जो रातको दस बजे बिखर गअी। अुसके बाद रातको ग्यारह बजे लाठियों, गंडासों, देशी बन्दूकों, तलवारों, कुल्हाड़ियों वगैरासे सुसज्जित होकर लगभग अस्सी आदमी बन्दूकें चलाते हुअे गांव पर टूट पड़े। आवे आदमियोंने गांवके सारे रास्ते रोक लिये और बीस बीसकी दो टोलियां गांवमें चक्कर लगाने लगीं। प्रजामंडलके कार्यकर्ताओं और अुनके साथ सहानुभूति रखनेवाले कोअी वारह आदमियोंके घर ढूँढकर अुनके दरवाजे तोड़कर लूट मचा दी। गांवमें प्रजामंडलके दफ्तरमें कुछ स्वयंसेवक सो रहे थे। अुसे बाहरसे सांकल लगा दी, जिससे भीतर सोनेवाला कोअी बाहर न निकल सके। गांवके मुख्य व्यापारी और प्रजामंडलके प्रमुख कार्यकर्ताके घर पहुंचकर अुन्हें और अुनकी पत्नीको निर्दय मार मारी। अुस बहनके तो गुप्त अंगों पर भी चोट पहुंचाअी गअी। प्रजामंडलके अेक और कार्यकर्ता पर तलवारसे हमला किया गया। इस प्रकार दो घंटे तक मारपीट की गअी और लूट मचाअी गअी। लगभग तीस आदमियोंको गंभीर चोटें आअीं और प्रजामंडलका काम करनेवालोंके वारह घरोंसे लगभग साठ हजार रुपयेका माल अुठा ले गये। पाणशीणा गांवमें पुलिसका थाना था और गांवमें चौकीदारोंकी तादाद भी काफी थी। परंतु अुनमें से कोअी इस धावेके समय बाहर नहीं आया।

पाणशीणामें अत्याचार करके यह डाकूदल वहांसे दो कोस दूर स्थित रलोल गांव पहुंचा। प्रजामंडलके प्रति सहानुभूति रखनेवाले तीन सुनारों तथा अेक वनियेको गंभीर भार मारी, कुल दस आदमियोंको घायल किया और चार घर लूटकर वहांसे दस हजारका माल अुठा ले गये।

दूसरे दिन अिन अत्याचारोंके समाचार लीमड़ी पहुंचे। तुरंत प्रजामंडलने घायलोंकी सेवाके लिये स्वयंसेवक-दल संवंधित गांवोंमें भेजे। अत्याचारके शिकार हुअे लोगोंके लिये न्याय प्राप्त करनेके खातिर अेक वड़ा जुलूस ठाकुरसाहवके महल पर गया। ठाकुरसाहवने जुलूसके प्रतिनिधियोंसे शामके पांच बजे मुलाकात की और कहा कि अुन्हें अिन अत्याचारोंका कुछ भी पता नहीं। दीवानने कहा कि जिन्हें चोटें आयी हों अथवा नुकसान हुआ हो अुन्हें दावे दर्ज कराने चाहिये। ठाकुरसाहवने कहा कि अुनके पुत्र और दीवान श्री फतेहसिंहजीको जांचके लिये भेजा जायगा। परंतु जब लोगोंने कहा कि हमें तो अिन अुपद्रवोंमें अुन्हींका हाथ होनेका शक है, तब ठाकुरसाहवने वह बात छोड़ दी।

सरदारको अिन अत्याचारोंकी खबर लगी, तो अुन्होंने जांच करायी और ८ फरवरीको निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“काठियावाड़के लीमड़ी राज्यसे अत्यंत कंपकंपी पैदा करनेवाले समाचार मिले हैं। मेरे भेजे हुअे प्रजामंडलके विश्वस्त कार्यकर्ताओंने पूरी जांच करनेके बाद ये समाचार भेजे हैं। अिसलिये अुन्हें गलत माननेका कोअी भी कारण नहीं। रेजीडेण्टको राजकोटकी जो संघि पसन्द नहीं आयी थी और जिसका वादमें भंग किया गया था, अुसके थोड़े ही दिनों बाद काठियावाड़के तमाम राजा रेजीडेण्टके आमंत्रण पर राजकोट रेजीडेन्सीमें अिकट्ठे हुअे थे। मालूम होता है कि वहां अुन्होंने अपने अपने राज्योंमें प्रजामंडलको कुचल डालनेकी अेकसी नीतिका अनुसरण करनेका निश्चय किया था। तबसे अनेक राज्योंमें भिन्न भिन्न प्रकारकी दमनकी कार्रवावियां की गयी हैं। मुसलमान, गरातिया, जागीरदार वगैरा छोटे छोटे वर्गोंको प्रजामंडलके विरुद्ध खड़ा किया गया है और जिम्मेदार हुकूमत मांगनेके प्रजाके आन्दोलनमें विघ्न डालकर अुसे खतम करनेके लिये अिन लोगोंको अुभाड़ दिया गया है।

“राजकोटके ठाकुरसाहवने समझीता भंग किया तबसे वहां रेजीडेण्टकी अुत्तेजनासे मारपीट और दमननीतिका सत्र आरंभ हो गया है। परंतु लीमड़ीने तो राजकोटके जंगली और पाशविक तरीकोंको

भी मात कर दिया है। बन्दूक, तलवार, गंडासे, छुरे वगैरासे सुसज्जित ८० आदमी गांवोंमें प्रजामंडलके कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। अन्होंने कुछ लोगों पर निर्दय आक्रमण किया। हजारों रुपयेकी धन-सम्पत्ति लूट ली और साथ लाली हुयी मोटर लारियोंमें भरकर ले गये। लोगोंने पहचान लिया था कि अिन डाकुओंमें से कुछ राज्यके नौकर भी थे। और अुनके पास मोटरोंका अितना बड़ा काफिला था, अिससे भी समझा जा सकता है कि अुन्हें कहांसे मदद मिली होगी।

“मेरे पास आयी हुयी खबरें सच हों तो आज लीमड़ीमें जान-मालकी जरा भी सलामती नहीं रही। अिस वारेमें अभी तक कोयी कार्रवायी नहीं की गयी, और न ठाकुरसाहबके कानों पर जूं रेंगी है। ठाकुरसाहबके अिस रवैयेके प्रति विरोध प्रगट करनेके लिये कोयी तीन हजार शहरियोंने महलके सामने ४८ घंटेसे अुपवास कर रखा है। लोगोंने वाअिसराय और गांधीजीको तार भेजे हैं। अिन खबरोंमें सत्यका कुछ अंश भी मान लें तो स्पष्ट दिखायी देता है कि अन्यत्र हो रही सस्तीके तरीके लीमड़ीके प्रजामंडल पर आजमा कर अुसे कुचल डालनेका व्यवस्थित प्रयत्न हो रहा है। जो ब्रिटिश रेजीडेण्ट जंगली जमानेके निरंकुश अवशेषोंको संरक्षण देनेके लिये आतुर है, अुसे अिस निर्दोष निःशस्त्र प्रजाकी रक्षा करनेकी अपनी थोड़ी भी जिम्मेदारी महसूस होती है? जिसे गांधीजी संगठित गुंडापन कहते हैं, क्या यह अुसीका प्रदर्शन नहीं है? यह आशा कैसे रखी जा सकती है कि पड़ोसके प्रान्तकी कांग्रेसी सरकार यह सब ठंडे दिलसे देखा करेगी?

नागरिक लोग राजमहलके सामने चार दिन तक भूखे बैठे रहे। ठाकुरसाहब जांच करने और न्याय प्रदान करनेके वचन देते रहे। परंतु अिस समय लीमड़ीके नेता राजमहलके सामने अुपवास कर रहे थे, अुसी समय ७ फरवरीको शियाणी नामक अेक गांवमें पाणशीणा जैसा ही तलवारों और बन्दूकोंके साथ धावा हुआ। वहां भी प्रजामंडलके कार्यकर्ताओंके घर लूटकर हजारके रुपयेकी धन-सम्पत्ति अुठा ले गये। ९ तारीखको करसनगढ़ नामक गांव पर अैसा ही हमला किया गया। वहां भी प्रजामंडलके कार्यकर्ताओंके घर लूटे गये और गांवके बहुतेसे मनुष्योंको पीटा गया। अिसके सिवा राज्यके लगभग पंद्रह गांवोंमें लगातार चोरियां हुयीं। अिसके विरुद्ध प्रजामंडलके नेताओंके नेतृत्वमें लोगोंने शान्तिसेना खड़ी की और सैकड़ों मनुष्य अपने-अपने गांवोंमें पहरा देने लगे।

प्रजामंडलने दूसरा निश्चय यह किया कि १९ फरवरीको राज्यकी प्रजा-परिपद् की जाय। राज्यके गांवोंसे सैकड़ों आदमी गाड़ियोंमें, घोड़ों पर अथवा पैदल चलकर परिपद्में भाग लेने निकल पड़े। असा वितजाम किया गया कि वे सब १८ तारीखकी शामको लीमड़ी पहुंचें।

जैसे शहरमें फूट डालनेके लिये सनातन मंडल और मुस्लिम जमात स्थापित की गयी थी, वैसे गांवोंमें ग्रामपंचायतें स्थापित करनेकी राज्यकी ओरसे युक्ति की गयी। अक खास वर्गके थोड़ेसे किसानोंको ही ये पंचायतें चुननेका हक दिया गया। पंचायतोंको बड़ीसे बड़ी रकमके दीवानी दावे चलानेका अधिकार दिया गया। शुद्ध हेतुसे असा अधिकार दिया गया होता तो जरूर प्रजाका भला होता। परंतु यहां तो राज्यकी नीयत यह थी कि व्यापारी लोगोंके देहाती किसानों पर जो वाजिव कर्ज थे उनको भी झूठे सावित करा दिया जाय। राज्यकी तरफसे सीधा प्रचार किया जाता था कि किसी किसानको व्यापारियोंका कर्ज चुकानेकी जरूरत नहीं। अक तरफ किसानोंको परिपद्में शरीक होने पर जान-मालका नुकसान करनेकी धमकी दी जाती थी और दूसरी तरफ परिपद्में शरीक न होनेवालोंको यह लालच दिया जाता था कि उन्हें व्यापारियोंका कर्ज अदा नहीं करना पड़ेगा। जिसके सिवा रैयतसे वफादारीकी प्रतिज्ञाओं पर हस्ताक्षर करानेका काम भी अफसरोंने शुरू कर दिया था। १६ फरवरीको राज्यकी ओरसे अक घोषणापत्र प्रकाशित किया गया। उसमें बताया गया :

“हमें लीमड़ीके शहरियों और गांवोंके लोगोंकी तरफसे बहुतसी अर्जियां मिली हैं जिनमें कहा गया है कि ‘हमें प्रजामंडलकी नीति पसन्द नहीं और राज्यकी प्रजाके नाम पर बोलनेका प्रजामंडलको कोयी अधिकार नहीं, क्योंकि प्रजामंडल राज्यकी प्रजाका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था नहीं है। जिसलिये प्रजामंडलकी बुलायी हुयी १९ तारीखकी परिपद् पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।’ राज्यको प्राप्त हुये आंकड़ोंके अनुसार रैयतका ७५ फी सदी भाग परिपद्के विरुद्ध है। शेष २५ प्रतिशतने यद्यपि अपना विरोध व्यक्त नहीं किया, तो भी यह माननेके लिये कारण नहीं कि वे सब परिपद्के पक्षमें ही हैं। ठाकुरसाहब शासनमें सुधार करनेको तैयार हैं और गांवोंमें तो पंचायतें स्थापित करके स्थानीय स्वराज्य दे भी दिया है। जिसलिये यह परिपद् करनेके लिये कोयी कारण नहीं है। राज्यके अधिकांश लोगोंका घोर विरोध होने पर भी परिपद् करना बांछनीय नहीं। असी परिस्थितिमें परिपद् की जायगी तो गंभीर स्थिति पैदा होनेका भय है।

अितने पर भी परिषद् पर पावन्दी लगाकर राज्य प्रजाके प्राथमिक अधिकारोंमें बाधक बनना नहीं चाहता। केवल अितनी चेतावनी देता है कि गंभीर परिस्थिति उत्पन्न होनेका खतरा होनेके बावजूद अगर परिषद् की जायगी और उसके कारण कोअी अपद्रव होंगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रजामंडल पर रहेगी।”

अिसके अतिरिक्त ग्रामोंमें अैसे विज्ञापन चिपकाये गये कि ता० १६-२-३९ के घोषणापत्रके अनुसंधानमें बताया जाता है कि राज्यके अधिकांश लोगोंके विरुद्ध जाकर जो परिषद् की जा रही है उसमें भाग लेनेवाला राज्यका विरोधी माना जायगा। स्थानीय अधिकारी अुनके नाम-पते लिख कर हमें खबर दें।

सनातन मंडल और मुस्लिम जमात भी निष्क्रिय नहीं रहे। अुन्होंने १८ फरवरीको अेक पत्रिका निकालकर अुसमें कहा :

“प्रजामंडल केवल बनियोंकी संस्था है और राज्यके अधिकांश लोग अिसके विरुद्ध हैं। अिसलिअे राज्यकी सनातनी प्रजा तथा मुस्लिम प्रजा परिषद्में शरीक होकर अपना विरोध शांतिपूर्वक व्यक्त करेगी। यदि बनिया मंडल परिषद्के द्वार बन्द करके अथवा द्वारके सामने घेरा डालकर हमें जानेसे रोकेगा तो हम अुसे तोड़कर अन्दर जायेंगे। हम बनिया मंडलको चेतावनी देते हैं कि हम किसी भी कीमत पर परिषद्के मंडपमें घुसेंगे और अैसा करनेमें अगर अमनमें खलल पड़ेगा तो अुसके लिअे वह बनिया मंडल जिम्मेदार माना जायगा।”

अिस किस्मकी घमकियोंके बावजूद अलग अलग गांवोंसे लगभग पंद्रह सौ किसान १८ तारीखकी शामको छः बजे लीमड़ी आ पहुंचे। लीमड़ीके नागरिक बड़े जुलूसके रूपमें अुनका स्वागत करनेके लिअे गये। दूसरी तरफ सनातन मंडल और मुस्लिम जमातके नामसे लीमड़ी राज्यके गुंडों तथा फसादी तत्त्वोंका भी अेक जुलूस निकला। अुसमें राज्यके लगभग सभी अधिकारी सम्मिलित हुअे। प्रजामंडलके आदमियोंको मारनेमें सुविधा रहे और अैसा करते हुअे राज्यके पक्षवालों पर मार न पड़े, अिसके लिअे सनातन मंडलवालोंको लाल पट्टी और मुस्लिम जमातवालोंको नीली पट्टी लगानेके लिअे दी गयी थी। जिस रास्तेसे प्रजामंडलका जुलूस निकलनेवाला था वही रास्ता अिन लोगोंने अपने लिअे चुना। किसी भी प्रकारकी अवांछनीय घटना न होने देनेके लिअे प्रजामंडलने अपना जुलूस दूसरे रास्ते मोड़ लिया और टक्कर न होने दी। फिर भी गुंडोंने

प्रजामंडलके कुछ लोगोंको तंग किया और कुछ स्वयंसेवकोंको पीटा भी। किसानोंके ठहरनेकी व्यवस्था प्रजामंडलकी तीन छावनियोंमें की गयी थी। गुंडे दो दो सौ की तीन टोलियोंमें बंट गये और शामको बुन्होंने छावनियोंको घेर लिया। छावनियोंके द्वार बन्द कर दिये गये। फिर भी बुन लोगोंने हथियार दिखाकर मारनेकी धमकियां देना जारी रखा। अंतमें रातको दस बजे वे छावनियोंमें घुस गये। किसानोंको मारा, रोशनी बन्द कर दी और सारा सामान अस्तव्यस्त कर दिया। सारे शहरमें घबराहट फैल गयी। प्रजामंडलके कार्यकर्ता और स्वयंसेवक लोगोंको धीरज देनेके लिये रातभर शहरमें घूमते रहे। दरवार साहबकी पत्नी श्रीमती भक्तिवा बिन पहरा देनेवालोंमें प्रमुख थीं।

परिपदके मनोनीत अव्यक्त दरवार श्री गोपालदास रातके अढ़ाही बजेकी गाड़ीसे लीमड़ी आनेवाले थे। बुनका स्वागत करनेके लिये प्रजामंडलके नेता स्टेशन पर पहुंचे तो बुन्होंने देखा कि जिन गुंडोंने पिछली रातको शहरमें अुत्पात किया था वे स्टेशन पर भी पहुंच गये हैं। बुन लोगोंने दरवार गोपालदास तथा बुनके साथियोंको घेर लिया और बुन्हें शहरमें जानेसे रोक दिया। यह समाचार शहरमें पहुंचने पर वहांसे बहुतसे नेता और कार्यकर्ता स्टेशनके लिये रवाना हुअे। परंतु गुंडोंने बुन्हें रास्तेमें रोककर स्टेशनकी तरफ नहीं जाने दिया। भक्तिवा बुन गुंडोंके बीचमें घुसीं। गुंडे बुन्हें छुरे और तलवार दिखाकर डराने लगे परंतु वे डरी नहीं। जिसलिये बुन्हें स्टेशन जाने दिया। ठेठ साढ़े पांच बजे राज्यका पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट स्टेशन पहुंचा और बुसने अपने संरक्षणमें दरवार साहबको शहरमें ले जानेको कहा। दरवार साहब अपने साथियोंको छोड़कर जानेके लिये तैयार नहीं थे। जिसलिये शहरमें से अेक मोटर बस मंगायी गयी और सबको सही-सलामत पहुंचा दिया गया। रास्तेके गुंडोंको संकेत मिलने पर वे अदृश्य हो गये थे।

१९ तारीखको सुबह राज्यकी ओरसे हथियार लेकर चलनेकी मनाहीका हुक्म जारी किया गया। परंतु वह हुक्म केवल कागज पर ही धरा रहा। सबेरे ९ बजे लगभग दो सौ गुंडोंने लाठियों, गंडासों वगैराके साथ अव्यक्तके डेरेको घेर लिया, जिससे वे परिपदमें न जा सकें। किसानोंके दूसरे डेरों पर भी विसी प्रकार घेरा डाल दिया गया।

दोपहरको सवा बारह बजेकी गाड़ीसे श्रीमती लीलावती मुन्शी, श्री शांतिलाल शाह सालीसिटर तथा गुजरात प्रान्तीय समितिके मंत्री श्री जीवनलाल दीवान आनेवाले थे। परिपदका समय दोपहरके अढ़ाही बजेका रखा गया था, परंतु दस बजेसे ही हजारसे अधिक मनुष्य परिपदके मंडपमें जमा

हो गये थे। ग्यारह वजे प्रजामंडलके कार्यालयमें समाचार आये कि गुंडोंने परिषद्के मंडपमें घुसकर आतंक फैला दिया है। हजारमें से लगभग सात सौ मनुष्योंको छोटी बड़ी चोटें पहुंचायीं गयीं। कितनों ही के सिर फूट गये। और कितनों ही के शरीर पर गंभीर चोटें आयीं। प्रजामंडलके कार्यकर्ता अिन सबकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये। घायल होनेवालोंमें जिन्हें गंभीर चोटें आयी थीं अुन्हें राज्यके अस्पतालमें अथवा खानगी दवाखानोंमें ले जाया गया। अिस सारे समयमें गुंडे परिषद्के डेरों पर हमले करके नुकसान पहुंचा रहे थे।

अिन अुपद्रवोंके जारी रहने पर भी प्रजामंडलके कार्यकर्ताओंका निश्चय था कि निश्चित किये हुअे समय पर दोपहरके अढ़ायी वजे परिषद् अवश्य की जाय। मंडप तो गुंडोंने तोड़ डाला था, अिसलिये परिषद्के अेक डेरे पर श्रीमती लीलावती मुन्शीकी अध्यक्षतामें परिषद् करके दो प्रस्ताव पास किये गये। अेक जिम्मेदार हुकूमतका और दूसरा अिन अुपद्रवोंकी निन्दा करने और अुनकी निष्पक्ष जांच चाहनेवाला।

शामको चार वजे गुंडोंको आज्ञा मिली कि अव दंगे बन्द कर दें। अिसलिये जैसे जादूका डंडा फिर जानेसे हो जाता है वैसे तमाम गुंडे गायब हो गये। शहरमें स्मशान जैसी शांति छा गयी।

श्रीमती लीलावती मुन्शी तथा अन्य मेहमान घायलोंको देखने अस्पताल गये। सब कुछ देखनेके बाद अुन्होंने अेक सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया। अुसमें से कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं :

“जब हमने शहरमें प्रवेश किया तब हमने बहुतसे लोगोंको अिकट्ठे हुअे देखा। अुनके पास काले झंडे थे और हाथमें लाठियां थीं। प्रत्येकने अपने शरीर पर लाल या नीली पट्टी लगा रखी थी।

“दरवार गोपालदासके डेरे पर अिन लाल और नीली पट्टीवाले लाठीचारी लगभग दो सौ आदमियोंने घेरा डाल रखा था। वे प्रातः-कालसे कैदीकी अवस्थामें थे। फिर भी पुलिस वहां फटकी तक नहीं। अेक गैरजिम्मेदार भीड़ जिम्मेदार मनुष्यको कैद कर रखे और अधिकारी कोअी कार्रवाअी न करें, अिसका हमें आश्चर्य हुआ।

“हम अस्पताल जा रहे थे तब हमने लाल और नीली पट्टीवाले लगभग दो सौ मनुष्योंको दरवारी डेरे पर बैठे हुअे देखा। हमें कहा गया कि अुन्हें फसादके लिये खास तौर पर बुलाया गया है। वे दरवारी आतिथ्यका आनंद लूट रहे थे।

“जब हम अस्पतालमें थे तब लाल बीर नीली पट्टीवाले पचीस तीस आदमी वहां आये। नीले साफेवाला अेक मनुष्य अुनका नेता था। वह अेकके बाद अेक नाम पढ़ने लगा। अस्पतालके कारकुनने अुस मुखियाके कहे अनुसार फार्म भरे। अुनमें से किसीके भी शरीर पर चोटके निशान हमने नहीं देखे। श्रीमती मुन्शीने तो पूछा भी सही कि ‘अिनको क्या चोटें आयी हैं?’ तब अुन्हें अुड़ाअु जवाब दे दिया गया कि यह देखना डॉक्टरका काम है।”

अैसी स्थितिमें शहरमें भय और आतंकका वातावरण फैल जाय तो कोअी आश्चर्य नहीं। लोगोंने दो दिन तक पूरी हड़ताल रखी। परन्तु राज्यकी ओरसे प्रजामंडलके किसी कार्यकतसि या शहरके किसी नेतासे किसीने कुछ पूछा तक नहीं। अुपद्रव करनेवाले गुंडे अपना काम करके शामको चलते बने। अुनमें से किसीको गिरफ्तार नहीं किया गया। शहरमें भयजनक अफवाहें फैलने लगीं और खुल्लमखुल्ला कहा जाने लगा कि प्रजामंडलके किसी कार्यकतकि जान-माल सलामत नहीं। गुंडे तो खुल्लमखुल्ला नारे लगाते थे कि हम नगरसेठकी और रसिकलाल परीखकी हत्या करेंगे।

जब यह साफ मालूम हो गया कि अैसी अंवेर नगरीमें न्याय मिलनेकी आशा रखना फिजूल है, तब लोगोंने २१ फरवरीसे हिजरत शुरू की। लीमड़ी शहरकी कुल १३ हजारकी आवादीमें से स्त्री-पुरुष और वच्चे मिलाकर पांच हजार आदमी पहने हुअे कपड़ोंके साथ शहर छोड़ कर चले गये। गांवोंमें से साठ परिवारोंने हिजरत की। अिन हिजरतियोंमें सभी वर्गके लोग थे। अुल्लेखनीय बात यह है कि अिन हिजरतके नेताओंको हिजरतसे कोअी भी लाभ नहीं था। भारी माल-जायदाद ही गंवानी थी। व्यापारी वर्गका तो राजकुटुम्बके साथ दरसोंसे अच्छा संबंध था। राज्यमें अुनका मान-सम्मान भी अच्छा था। अुन्होंने जरा भी कल्पना नहीं की थी कि युवराज और दीवान अपने मनमाने और स्वेच्छाचारपूर्ण व्यवहारमें यहां तक आगे बढ़ जायंगे। अुनका यह भ्रम भंग होकर चूर चूर हो गया। गांधीजी और सरदार वल्लभभाजीने अुन्हें सलाह दी कि यदि प्रजा वहादुर हो तो अुसे अैसे अन्यायी राज्यका वहिष्कार अवश्य कर देना चाहिये।

कुछ लोगोंको यह आशा थी कि हिजरतका असर दरवार पर अच्छा होगा और वे सुलह-शांतिका मार्ग अपनायेंगे। परन्तु सत्ताधारियोंको लगा कि प्रजामंडलको कुचल डालनेका यह बहुत ही बढ़िया अवसर है। अुन्होंने प्रजामंडलके प्रति सहानुभूति रखनेवाले तमाम लोगोंको सताना शुरू कर

दिया। गांवोंमें जो व्यापारी रह गये थे उनके लिये भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अन्हें राज्य छोड़कर चले जाना पड़े। राज्यके तमाम बनिया कर्मचारियोंको अेकके बाद अेक निकाल दिया गया। पेन्शनरोंकी पेन्शन बन्द कर दी गयी। हिजरत करनेवालोंकी सम्पत्ति तो वाकायदा लूटी ही जाने लगी। किसानोंको अपनी खड़ी फसलें तक नहीं लेने दी गयीं। बादमें जुमनि और कुरकियां शुरू हुयीं। प्रजामंडलके काममें जिन्होंने जरा भी भाग लिया और मदद दी, उन पर भारी जुमनि किये गये और कुरकी द्वारा वसूल किये गये। पाणशीणा गांवके कुछ व्यापारी अभी तक गांवमें ही रह गये थे। राज्यने दर्जी, कुम्हार, नाजी, मोची वगैराको हुक्म दिया कि अिन व्यापारियोंका कोअी काम नहीं किया जाय। अूपर कहा जा चुका है कि राज्यकी तरफसे किसी भी प्रकारकी लिखित आज्ञाअें नहीं दी जाती थीं। सब कुछ जबानी ही होता था।

कुछ नरम स्वभावके आदमियोंने, जो प्रजामंडलमें शरीक नहीं थे, सोचा कि यही हाल रहा तो राज्यकी वर्वादी होगी। अिसलिये ७ जुलाअीको ठाकुरसाहवका जन्मदिवस आ रहा था, अुसके सम्मानमें अुन्होंने राजा-प्रजाके बीच मेल करानेकी कोशिश की। परंतु वह बेकार साबित हुअी। दूसरी तरफ अिस हिजरतके कारण सारे देशकी सहानुभूति लीमड़ीकी प्रजाकी तरफ हो गयी। व्यापारियों और मिलमालिकोंने लीमड़ी राज्यके तमाम मालका, खास तौर पर लीमड़ीकी रूअीका बहिष्कार कर दिया। बम्बअी शहरमें तो लीमड़ीकी रूअीका बहिष्कार बड़े पैमाने पर चालू रखनेके लिये अेक प्रभावशाली कमेटी नियुक्त हुअी और वह बहिष्कार लगभग चार वर्ष तक जारी रहा। ठेठ जापान तक गयी हुअी लीमड़ीकी रूअी भी नहीं बिकी।

लीमड़ीमें अैसा अंधेर और अन्याय हो रहा था, तो भी सार्वभौम सत्ता वह सब चुपचाप देखती ही रही। राजाअोंकी रक्षा करनेके लिये वह कअी बार सामने आअी, परंतु लीमड़ीकी प्रजाके प्रति अुसने अैसा व्यवहार किया मानो अुसका कोअी कर्तव्य ही न हो। राजकोटके रेजीडेंटको तथा सम्राट्के प्रतिनिधिके नाते वाअिसराँयको तार दिये गये, परंतु वे सब व्यर्थ गये। अुनका कोअी जवाब ही नहीं मिला। हजारों लोगोंके जान-माल जोखिममें पड़ जाने पर भी सार्वभौम सत्ताने अुंगली तक नहीं अुठाअी।

यह सब हो रहा था तब युवराजने अपनी सुधार-योजनायें प्रकाशित करना शुरू किया। लीमड़ी चालीस गांवोंका अेक छोटासा राज्य था। अुसमें

शहरसभा, राज्यसभा तथा ग्रामपंचायतें और अून सबका अेक संघ (फेडरेशन) — अैसे भारी भारी नाम अिन योजनाओंमें आते थे । परंतु सभी योजनायें धोयी थीं । प्रजाको शासनमें जिम्मेदारी देनेकी अेक भी वात अिन योजनाओंमें नहीं थी । फिर भी ३० अक्तूबरको काठियावाड़के राजाओंकी अेक परिपद् हुअी । अुसमें यह प्रस्ताव पास हुआ :

“ राजाओंने लीमड़ी राज्यकी सुधार-योजनाओं पर विचार किया । वह राजकोटसे भी शासनको अधिक अुदार बनानेमें कुछ हद तक आगे बढ़ जाती है, अिसके लिये लीमड़ीके युवराजको ववाअी दी जाती है । ”

जहां प्रजाके प्राथमिक अधिकारोंसे ही अिनकार किया जाता था, वहां अैसे अुदार सुवारोंके लिये ववाअी देना बेवकूफी और हंसीकी वातके सिवा और कुछ नहीं था । लीमड़ीके प्रजामंडलने तो राजनैतिक सुवारोंकी कोअी वात तक नहीं निकाली थी । अुसका तात्कालिक कार्यक्रम तो अितना ही था कि देहातमें जाकर लोगोंको अुनके हकोंके वारेमें शिक्षा दी जाय । परंतु राज्य अिसे भी सहन करनेको तैयार नहीं था !

गांवों पर घावे बोल कर राज्यके रखे हुअे गुंडे मारकाट और लूटपाट करने लगे और अिसके लम्बे लम्बे तार गांवीजीको दिये गये, तब अुन्होंने ‘हरिजनवंधु’ में ‘लीमड़ीका अंधेर’ शीर्षक लेख लिखा था । अुसके वाद गांवीजीके पास लीमड़ीके अत्याचारोंके समाचार तो आते ही रहते थे । अंतमें ३१ अगस्तको अुन्होंने ‘लीमड़ीके वारेमें’ नामका लेख लिखा, जिसमें कहा :

“ लीमड़ीके लोगोंके साथ मेरा लम्बा पत्रव्यवहार होता रहा है । परंतु अुन पर जो वीत रही है अुसके वारेमें मैंने बहुत समयसे कुछ भी कहनेसे अपनेको रोका है । मुझे यह आशा थी कि जो लोग राजा और प्रजा दोनोंके बीच मुलह करानेकी कोशिश कर रहे हैं अुनके प्रयत्न सफल होंगे । परंतु वह आशा झूठी निकली । . . .

“ मेरे पास आये हुअे समाचार सच हों — और अैसा न माननेके लिये मेरे पास कोअी कारण नहीं है — तो किसानोंको शिकारी जानवरोंकी तरह सताया और अुनके घरोंसे भगाया गया है । सबसे कठोर अत्याचारकी वर्षा तो अुस वर्षिक वर्ग पर हुअी है, जो किसी समय राज्यका मित्र और आधार-स्तम्भ था । . . . सच पूछा जाय तो अिन हिजरती व्यापारियोंकी दुकानें और घरवार दोनों

लूट लिये गये हैं। जिसकी जड़में लोगोंको आतंकित करके डरा देनेकी ही कल्पना थी। ऐसी स्थितिमें कुछ लोग ढीले पड़ गये, जिसमें आश्चर्यकी कोअी बात नहीं। (अस समय कुल तीन हजार हिजरती बाहर रह गये थे। बाकी अपने अपने गांवको लौट गये थे।) लड़ाीका संचालन करनेवालोंको मेरी सलाह है कि अस प्रकार ढीले पड़नेवाले लोगोंको वे राज्यकी शरण जानेसे रोकनेका प्रयास न करें। समाजमें ऐसे लोग होते हैं जो अपनी संपत्तिको अपने सम्मानसे अधिक प्रिय मानते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्रताके किसी भी आन्दोलनके -लिअे भाररूप ही होते हैं। लीमड़ीके जिन लोगोंकी जायदाद लूट ली गयी है, मुन्हें निराधार स्थितिमें अथवा तुरंत समझौता होनेकी आशामें हरगिज न रहना चाहिये। वे राज्यसे बाहर रह कर सम्मानपूर्ण धंवा करें और सदा दृढ़ विश्वास रखें कि अेक दिन ऐसा अवश्य आयेगा जब लीमड़ीकी प्रजाको अपना खोया हुआ सब कुछ वापस मिल जायगा। वह दिन कभी आया — और वह आना ही चाहिये — तो वह अुन मुट्ठीभर त्यागी स्त्री-पुरुषोंके शौर्य और आत्मोत्सर्गका फल होगा, जिन्होंने कड़ीसे कड़ी दमन-नीतिके सामने भी सिर नहीं झुकाया।

“मैं लीमड़ीके ठाकुरसाहवसे सार्वजनिक अपील करना चाहता हूं। . . . समझदार राजा ऐसी प्रजाका जी दुखाते रहनेसे पहले पचास बार विचार करेगा। वह तो यही निर्णय करेगा कि जब ऐसे ऐसे लोग अितने कष्ट सिर पर ले रहे हैं तब निश्चित ही शासनमें गंदगी होनी चाहिये और अुसके अधिकारियोंका प्रजा पर जुल्म और अन्याय होना चाहिये।”

परन्तु लीमड़ीके राजपरिवारको समझौता करना ही नहीं था। रबीका वहिष्कार लम्बे समय तक चलता रहा और कितने ही हिजरती कुटुम्ब अंत तक अपनी बात पर डटे रहे।

फिर तो राजा भी मर गये, युवराज भी मर गये और अुनका नावालिग लड़का गद्दी पर बैठा। तब सार्वभौम सत्ताने रीजेंसी कौंसिल बनायी। अुस कौंसिलमें फतेहसिंह भी अेक सदस्य थे। जिसलिअे राज्यका रवैया कुछ सुधरा नहीं। परन्तु बादमें वह कौंसिल बदली गयी। अेक ही व्यक्तिको प्रशासक बनाया गया, तब अुसने सन् १९४४ या १९४५ के मअी मासमें प्रजामंडलके साथ समझौता किया, जिसके परिणामस्वरूप किसानोंको अुनकी सारी जमीन वापस मिली और हिजरतका अंत हुआ।

भावनगर

काठियावाड़के देशीराज्योंमें भावनगर तुलनामें कुछ अुदार और प्रगतिशील माना जाता था । वहाँके महाराजा प्रजाके प्रति सहानुभूति रखते थे, और भूतपूर्व दीवान सर प्रभाशंकर पट्टणी समयको पहचाननेवाले थे । गांधीजीके साथ वे अच्छा सम्बन्ध रखते थे ।

वहाँके प्रजामंडलने ता० १४-५-३९ को भावनगर प्रजापरिपद् करना तय किया और सरदारको अुस परिपद्का अव्यक्ष चुना । सामान्य परिस्थितिमें तो वह परिपद् शांतिसे हो जाती और दूसरे राज्योंकी तरह भावनगरमें भी दायित्वपूर्ण शासनकी मांग जोरसे की जाती । ता० ३०-४-३९ को भावनगरके महाराजाने अेक घोषणापत्र प्रकाशित करके भावनगरमें धारासभा स्थापित करने और प्रजाहितके कुछ कदम अुठानेकी घोषणा की थी । परन्तु प्रजाको शासनमें जिम्मेदारी देनेका तत्त्व अुसमें बहुत कम था । अिसलिअे प्रजामंडलको अुससे असंतोष था । सम्भव है कि सरदारकी मध्यस्थतासे अुस स्थितिमें थोड़ा-बहुत सुधार हो जाता । थोड़ा-बहुत अिसलिअे लिखा है कि रेजीडेंटकी अिच्छा तो प्रजाकी अुस मांगको दवा देनेकी ही थी । राजकोट, लीमड़ी वगैरा राज्योंकी तरह भावनगरमें भी परिपद्के दिन सरदारके स्वागतके समय जो अुपद्रव अुअे अुनके लिअे यह नहीं माना जा सकता कि वे केवल आकस्मिक ही थे । अुनके पीछे कुछ जिम्मेदार तत्त्वोंका हाथ होनेकी शंका होती है ।

ता० १४-५-३९ को सरदार सवेरे भावनगरके हवाअी अुड्डे पर विमानसे अुतरे । हवाअी अुड्डा भावनगर शहरसे कोअी छः मील दूर था । वहाँसे अुन्हें भावनगर स्टेशन ले जाकर अुनका सार्वजनिक स्वागत करनेका प्रवंध किया गया था । अुसके अनुसार भावनगरकी सार्वजनिक संस्थाओं तथा नेताओंकी तरफसे, जिनमें मुसलमान भी थे, मालाअें पहनानेके वाद अुनका जुलूस निकाला गया । जुलूस नगीना मस्जिद नामकी अेक मस्जिदके सामनेसे गुजर रहा था, अुस वक्त यह मान कर कि सरदारकी मोटर वहाँ आ पहुँची होगी ३०-३५ मुसलमानोंका अुण्ड मस्जिदसे वाहर निकल आया । परन्तु सरदारकी मोटर कुछ पीछे थी । अुस अुण्डके पास लाठियां, कुल्हाड़े, छुरे वगैरा हथियार थे । यह देखकर श्री नानाभाअी भट्टको शक हो गया और वे मस्जिदके सामने ही खड़े रहे । अुण्डमें से किसीने अुन्हें हट जानेको भी कहा, परन्तु अुन्होंने सरदारकी मोटर गुजर जाने तक हटनेसे अिनकार कर दिया । अिस पर अुनके सिर पर लाठीका वार हुआ और खूनकी धार बहने लगी । अेक अन्य कार्यकर्ता आत्माराम भट्ट पर भी लाठी पड़ी । अुसके वाद तो आर चार पांच भाअियों

पर छुरे और कुल्हाड़ीके प्रहार हुआ। घायलोंको अस्पताल पहुंचाया गया। अके नौजवान बचुभायी वीरजी पटेल अस्पताल पहुंचते ही मर गये। अके और भायी श्री जादवजीके सिरमें कुल्हाड़ीका घाव लगनेसे दूसरे दिन उनकी भी मृत्यु हो गयी।

श्री नानाभायी खूनसे लथपथ होकर श्री सरदारकी मोटरके पास गये। सरदारने अन्हें उस स्थितिमें देखते ही अपनी मोटरमें ले लिया और मोटरको तुरन्त अस्पतालकी तरफ ले जानेको कहा। पास खड़े रहकर श्री नानाभायीको पट्टी बंधवायी। बादमें और जो भायी घायल होकर आये थे उनसे मिलकर अन्हें आश्वसन दिया। जिन भायीकी मृत्यु हो गयी थी उनके पास भी हो आये। वहींसे उस दिनका परिषद्का कार्यक्रम बन्द कर देनेका अन्होंने आदेश दिया। अपद्रवी लोगोंका सोचा हुआ मुख्य शिकार अिस प्रकार अचानक बचकर निकल गया।

सरदारने मुकाम पर पहुंचकर भावनगरकी प्रजाके नाम निम्न संदेश प्रकाशित किया :

“भावनगरके प्रजाजनोंने जिस प्रेम और अुमंगसे मेरा स्वागत किया है, उसके लिये मैं सबका आभार मानता हूं।

“आजकी दुःखद घटनासे रोष या घबराहट पैदा होनेका कोयी कारण नहीं है। जिन्होंने जुलूस पर हमला करके निर्दोष मनुष्यों पर वार किया, वे होश भूलकर केवल पागलपनसे यह काम कर बैठे हैं। जब होश आयेगा तब अन्हें अपनी मूर्खताके लिये पश्चात्ताप होगा। हमें भूलना नहीं चाहिये कि कितने ही मुसलमान नेता परिषद्की स्वागत-समितिमें शरीक हैं। जुलूस और स्वागतमें शामिल होकर अन्होंने परिषद्को सहयोग और साथ दिया है। अैसे निर्दोष बलिदान पर ही प्रजामंडलकी अिमारत खड़ी होती है। जो घायल हुआ है और जिनके प्राण गये हैं उनके प्रति हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम क्रोध करके उनके निर्दोष बलिदानको दूषित न करें। सब शांति रखें। परिषद्के कार्यमें अधिक अुत्साह और प्रेमसे भाग लेकर शांति और सफलताके साथ परिषद्को पूरा किया जाय।”

गांधीजी अुस समय राजकोटमें थे। अन्हें सरदारने नीचे लिखा तार भेजा :

“सवेरे यहां पहुंचा। सभी वर्गके लोगोंने अुत्साहपूर्वक स्वागत किया। बड़ा जुलूस लगभग मस्जिदके सामनेसे गुजर गया था अुस

समय यह समझकर कि मेरी मोटर वहां आ पहुंची होगी, कुछ मुसलमान पहलेसे निश्चित की हुयी योजनाके अनुसार बाहर निकल आये और लाठियां, कुल्हाड़ों और छुरोंसे जुलूस पर टूट पड़े। नानाभायी मेरी मोटरसे आगे थे। अन्हें गन्दी चालकी कुछ गंध आ गयी। जिसलिजे वे मस्जिदके सामने खड़े रहे। अउन लोगोंने अनुसे चले जानेको कहा, परन्तु अन्होंने मेरी मोटर सही-सलामत गुजर जाने तक वहांसे हटना नामंजूर कर दिया। तुरंत अनुके सिर पर लाठीका प्रहार हुआ। बादमें वे मेरी मोटरके पास आये। अनुके सिरसे खूनकी धार बह रही थी। दूसरे चार भावियोंको भी सख्त चोटें आयी हैं। अेककी मृत्यु हो गयी है और अेककी स्थिति बड़ी गंभीर है। जुलूसको रोककर नानाभायीको मोटरमें ले लिया और मोटर अस्पतालकी तरफ ले गये। घाव पर पट्टी बंधवायी। अब हालत अच्छी है। परिस्थिति कावूमें आ गयी है।”

वापूने जिस तारका जवाब जिस प्रकार दिया :

“(तार पढ़कर) हक्कावक्का रह गया। अीश्वर हमें रास्ता दिखायेगा। आशा रखता हूं कि नानाभायी व दूसरे लोग अब अच्छे होंगे। अधिक विगतकी राह देख रहा हूं।”

परिपदकी स्वागत-समितिने फौरन ही अेक पत्रिका प्रकाशित की।

भुसमें बताया :

“सरदार साहब तथा परिपदकी स्वागत-समिति शहीद हुअे तथा घायल हुअे भावियोंके प्रति तथा अनुके कुटुम्बोंके प्रति समवेदना प्रगट करती है। कुछ मुसलमान भावियोंने, जिन्होंने अचानक जुलूस पर हमला किया और जो जिस खेदजनक घटनाके लिजे जिम्मेदार हैं, अपनी जातिकी सेवा तो हरगिज नहीं की। अनुकी जातिके नेता परिपदमें शामिल हैं। मुस्लिम जातिके प्रमुख प्रतिष्ठित व्यापारी तो सरदार साहबका स्वागत करने और अन्हें हार पहनानेमें भी शरीक थे। इस कृत्यसे वे सब जरूर दुःखी होंगे। जिन्होंने जिस पागलपनसे स्वयंसेवकोंके प्राण लिये और कुछको घायल किया, अन्होंने प्रजाकी अिज्जत पर हाथ डाला है और अपनी कौमकी बदनामी की है।

“परिपदका कामकाज नियमित रूपसे शामको प्रारंभ होगा। सायंकाल सात बजे परिपदके मंडपमें अुसकी खुली बैठक प्रारम्भ होगी। शहरमें शांति और व्यवस्था स्थापित हो गयी है। राज्यकी ओरसे भी पक्का बन्दोबस्त किया गया है। जिसलिजे भावनगरके शहरियों तथा आये हुअे मेहमानोंको निःशंक होकर पूरे अुत्साहसे परिपदमें भाग

लेनेको पधारना है। हमारे ही कुछ पथभ्रष्ट भावियोंके कृत्योंके कारण अथवा हमारे युवा स्वयंसेवकों और नेताओंके रक्तके शुद्ध बलिदानके कारण हमने जो पवित्र यज्ञ प्रजाहितके लिये आरम्भ किया है वह रुकना नहीं चाहिये, अुसमें किसी प्रकारका विघ्न नहीं आना चाहिये। राज्यके प्रजाजनोसे प्रार्थना है कि वे परिषद्का कामकाज सफलतापूर्वक सम्पन्न करनेमें सहायक बनें।”

दूसरे दिन अर्थात् ता० १५-५-३९ को भावनगरके मुसलमानोंकी अेक आमसभा हुयी, जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ :

“भावनगरके मुसलमानोंकी यह आमसभा कलकी घटना पर रोषकी भावना प्रगट करती है और मारे गये व्यक्तियोंके कुटुम्बी-जनोके प्रति हमदर्दी जाहिर करती है। भावनगर राज्यमें हिन्दू-मुसलमान भायी-भायीकी तरह रहते आये हैं और अब भी भायी जैसे ही हैं।”
ता० १४ और १५ को प्रजापरिषद्की बैठक निर्विघ्न पूरी हुयी।
ता० १६-५-३९ को समोसरणके हातेमें अिन दंगोंके वारेमें तथा अुनमें शहीद हुअे भावियोंका स्मारक बनानेके वारेमें अेक आमसभा हुयी, जिसमें सरदारके दिये हुअे भाषणके महत्त्वपूर्ण अंश यहां दिये जाते हैं :

“आज हम जिन कारणोंसे यहां अिकट्ठे हुअे हैं वे आपको मालूम हैं। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुयी, अुसके परिणामस्वरूप बचु-भायीकी मृत्यु हुयी। श्री नानाभायी वगैरा जो घायल हुअे अुनमें जादवजीकी स्थिति पहलेसे ही गंभीर थी। अुनका घाव अितना गहरा था कि अुनके मस्तिष्कका कुछ भाग वाहर निकल आया था। डॉक्टरोंने अच्छी तरह अुनकी सेवा की और मेहनत की, परन्तु भायी जादवजी आज भावनगरकी सेवा करते हुअे चल वसे। कल परिषद्ने बचु-भायीके स्मारकका प्रस्ताव पास किया। अुसी प्रसंगमें और अुसी निमित्तसे भायी जादवजीके भी प्राण गये। आज दोपहरको परिषद्की महासमितिकी बैठकमें प्रस्ताव पास हुआ कि अुनका भी स्मारक बनाया जाय। भावनगरको शोभा दे वैसा स्मारक परिषद् या महाजन बनवाये। परिषद् महाजनकी है और महाजन परिषद्का है।

“आपसके झगड़े-टंटे मिटाकर अैसे अपद्रवी तत्त्वोंको अलग करके दवा देनेके लिये हम कुछ न करेंगे तो वे हमारे सारे समाज पर चढ़ बैठेंगे। यह काल अैसा है कि गुण्डे लोग छोटे छोटे राज्योंको तो दवा ही देंगे। आज सब जगह वायुमंडलमें गुण्डागिरी जोर पकड़ रही है।

“यह क्षणिक क्रोधमें आकर किया हुआ काम नहीं है। जिसकी जड़में तो पहलेसे बुद्धिपूर्वक बनायी हुयी योजना है। कोबी आपको सयानी सलाह देते होंगे कि जिस चीजको भूल जाविये। वह सयानी सलाह सुननेमें कोबी आपत्ति नहीं, परन्तु हमें मूर्खोंमें या कायरोंमें गिनती नहीं करानी चाहिये। मैं सब जातियोंकी अकेला चाहता हूँ, परन्तु यदि सच्ची अकेला रखनी हो तो जो लोग अिन क्रूर घटनाओंके पीछे हैं उनका पता लगाना चाहिये। जब तक उनके हृदयमें पश्चात्तापकी भावना पैदा न हो जाय तब तक जिस बातको छोड़ना नहीं चाहिये। यह कहनेका मौका नहीं आये कि हम मूर्ख हैं, दुर्बल हैं।

“जो आदमी हत्यारोंको अिकट्ठा करते हों, आसरा देते हों या उनके प्रति सहानुभूति रखते हों, वे भी उनके जितने ही भयंकर हैं। जैसे आदमियोंकी जिम्मेवारी भी अुतनी ही है। हमें यह विचार कर लेना है कि उनके साथ कहां तक मित्रता रखी जा सकती है। सांपके बिलमें कहां तक हाथ डाला जाय, जिसके खतरेका विचार कर लेना चाहिये। आज हम ज्वालामुखीके सिर पर बैठे हुअे हैं। जैसे समय केवल राज्यसत्ता पर भरोसा करके बैठे रहना आखें वन्द करके चलने और खड्डेमें गिरने जैसा है।

“राज्यको पहलेसे चेतावनी दे दी गयी थी। मुसलमान कौमके प्रमुख नेताओंको अधिकारियोंने बुलाया था। अुन्होंने राज्यको विश्वास दिलाया था फिर भी ऐसा हुआ। जिसका अर्थ तो यह है कि राज्यके साथ दगा किया गया है। जिस भेदका पता लगाना राज्यका कर्तव्य है। राज्यकी यह अिच्छा हो सकती है कि ऐसी घटनाओंको लोग भूल जायें तो अच्छा। परन्तु जिस प्रकार बीचमें मामला समेटकर मेल करनेसे भविष्यमें अधिक बड़ा बिगाड़ होना सम्भव है। जिसलिये अपराधियोंको पकड़कर पड़्यंत्रकारी तत्त्वोंको ढूँढ़ निकालना चाहिये।

“यह अराजकताका वातावरण भावनगरमें ही हो सो बात नहीं। सारे भारतमें ऐसा वायुमण्डल है। मुझ पर पड़नेवाले प्रहार कोबी वचु-भाबी या जादवजी जैसे भाबी झेल लेते हैं। श्री नानाभाबीको अीश्वरीय प्रेरणा मिली और मुझ पर पड़नेवाला प्रहार अुन्होंने झेल लिया। मेरे लिये यह पहला अवसर नहीं है। मेरे आसपास तो ऐसी घटनायें आज-कल होती ही रहती हैं। परन्तु अीश्वर मेरी रक्षा करता है।

“जो घटना हुयी है उसके सिलसिलेमें कुछ मुसलमानोंको पकड़ा गया है। मस्जिदमें मिले हुअे हथियार कब्जेमें ले लिये गये हैं।

पुलिसकी दौड़घूप और जांच जारी है। इसके वारेमें मुकदमा चलेगा और कुछ लोगोंको सजा होगी। वांदमें प्रार्थनापत्र लिये जायेंगे। परन्तु अिससे गफलतमें न रहना। आपको तो निरन्तर सावधान व जाग्रत रहना है।”

अिस प्रकार १९३८-३९ के सालमें हमारे देशके अधिकांश देशीराज्योंमें दायित्वपूर्ण शासन हासिल करनेके जबरदस्त आन्दोलन हुअे और अुनमें सरदारने प्रमुख भाग लिया, यह हम देख चुके हैं। तीन वार तो — वड़ोदेमें, अमरेलीसे राजकोट लौटते समय और भावनगरमें — अुनकी जान पर भी जोखम आयी। परन्तु अीश्वरने अुनकी रक्षा कर ली। अिन आन्दोलनोंका परिणाम तत्काल तो हमारे लिये सन्तोषजनक नहीं हुआ। परन्तु अुनके कारण देशीराज्योंकी प्रजाका और देशी राजाओंका व्यक्तिगत परिचय सरदारको हुआ और देशी राजा भी सरदारको अच्छी तरह पहचान सके। यह चीज १९४७ में स्वतंत्रता मिल जानेके बाद देशीराज्योंका प्रश्न हल करनेमें सरदारके बहुत काम आयी।

२७

त्रिपुरी कांग्रेस

जिस समय गांधीजी राजकोटमें अुपवास कर रहे थे, अुस समय त्रिपुरी कांग्रेसका अधिवेशन हो रहा था। हिन्दुस्तानमें आनेके बाद जब गांधीजी जेलमें होते अुस समयको छोड़कर कांग्रेसके अधिवेशनमें गैरहाजिर रहनेका गांधीजीके लिये यह पहला ही मौका था। सरदारको भी गांधीजीको अुपवास करते छोड़कर त्रिपुरी जाना बहुत अखरता था, परन्तु कर्तव्य अुन्हें वहां खींच रहा था। गांधीजीका भी आग्रह था कि आपका स्थान अिस समय त्रिपुरीमें ही है।

त्रिपुरीकी कांग्रेसके लिये अध्यक्षके चुनावने त्रिपुरी कांग्रेसको अुस वक्तके लिये अेक विशेष महत्त्व दे दिया। कांग्रेस कार्यकारिणीके ज्यादातर सदस्य मौलाना अबुलकलाम आजादको कांग्रेसका अध्यक्ष चुनना चाहते थे। अिससे पहलेकी हरिपुरा कांग्रेसके अध्यक्ष सुभाषवावूकी अिच्छा दुवारा अध्यक्ष चुने जानेकी थी। वे अपनेको अुग्र विचारोंका मानते थे, और साथ ही यह मानते थे कि कार्यकारिणीके अधिकांश सदस्य नरम विचारोंके हैं। वे जिन्हें नरम विचारोंका मानते थे अुन सदस्योंने अैसी मान्यताके लिये कोअी

कारण नहीं दिया था। फिर भी वे यह मानते थे कि संघ-शासन (फेड-रेशन)के मामलेमें ये नरम विचारके सदस्य, जिनमें सरदारको वे मुख्य समझते थे, ब्रिटिश सरकारके साथ समझौता करनेका विचार रखते हैं। लेकिन जिस विषयमें हरिपुरा कांग्रेसका प्रस्ताव तो बहुत स्पष्ट था। दूसरे, सुभाषबाबू यह भी मानते थे कि सरकारके विरुद्ध सामूहिक सविनय कानून-भंगकी लड़ाई करनेका यह ठीक मौका है। वे यह मानते थे कि जिस समय विश्वयुद्धके बादल मंडराने लगे हैं उस समय यदि हम लड़ाई छेड़ेंगे तो ब्रिटिश सरकार झुक जायगी। जलपायीगुड़ीमें बंगालके कांग्रेस प्रतिनिधि विकट्टे हुए थे तब सुभाषबाबूने प्रस्ताव भी पास कराया था कि अंग्लैंडको छः महीनेका नोटिस दे दिया जाय और वह मीयाद पूरी होने पर सामूहिक सविनय कानून-भंगकी लड़ाई छेड़ दी जाय।

कांग्रेस कार्यकारिणीको जिस प्रकारका नोटिस जिस समय देना बिलकुल ठीक नहीं लगता था। सामूहिक सविनय कानून-भंगकी लड़ाई तभी छेड़ी जा सकती थी जब गांधीजी उसका नेतृत्व करें, और गांधीजीको उसके लिये वायुमंडल बिलकुल प्रतिकूल मालूम होता था। वे कहते थे कि देशकी जिस समयकी हवामें मुझे हिंसाकी गंध आती है। जिसलिये मैं तो जिस समय सविनय कानून-भंगकी लड़ाईका विचार ही नहीं कर सकता।

अध्यक्षका चुनाव जनवरीकी २९ तारीखको होनेवाला था। अध्यक्ष-पदके लिये तीन व्यक्तियोंके नाम लिये जा रहे थे : मौलाना अब्दुलकलाम आजाद, डॉ० पट्टाभि सीतारामैया और सुभाषचन्द्र बोस। गांधीजी उस समय वारडोलीमें थे। जिसलिये कांग्रेस कार्यकारिणीकी बैठक जनवरीके मध्यमें वारडोलीमें रखी गयी थी। उस समय अध्यक्ष किसे बनाया जाय जिस बारेमें कार्यकारिणीने कोयी विधिवत् बात नहीं की थी। परंतु गांधीजीने मौलाना साहबसे बात की थी और उन्होंने अध्यक्ष बनना स्वीकार भी किया था। सुभाषबाबू और उनके भाई शरदचन्द्र बोसके सिवा कार्यकारिणीके सब सदस्योंको तो मौलानाका अध्यक्ष बनना बिलकुल पसंद था। परंतु कार्य-कारिणीके अठ जाने और सब सदस्योंके बिखर जानेके बाद मौलाना साहबने अपना विचार बदल दिया और बम्बयी जानेके बाद लौटकर गांधीजीको बता दिया। जिस वार गांधीजीने डॉ० पट्टाभिको अध्यक्षपद स्वीकार करनेके लिये कहा। सुभाषबाबूका तो आग्रह था ही कि उन्हें खुद या उनके जैसे गरम विचारवाले किसी औरको अध्यक्ष होना चाहिये। जिसलिये वे अपना नाम वापिस लेनेको तैयार न थे। जिस प्रकार सुभाषबाबू और डॉ० पट्टाभिके बीच स्पर्धाकी नौबत आयी।

२१ जनवरीको सुभाषवावूने अिस वारेमें अपना वक्तव्य प्रकाशित किया कि वे अध्यक्ष क्यों बन रहे हैं। सरदारको लगा कि कार्यकारिणीको अिस वक्तव्यका विरोध करना चाहिये। अिसलिअे अुन्होंने कार्यकारिणीके सब सदस्योंको यह तार दिया :

“मेरे खयालसे अध्यक्षपदके चुनावके वारेमें सुभाषवावूके वयानके विरुद्ध कार्यकारिणीके जिन सदस्योंको अैसा लगता हो कि अुन्हें दुवारा अध्यक्ष चुनना आवश्यक नहीं है अुन्हें वक्तव्य प्रकाशित करना चाहिये। मैंने अेक अोटोसा वक्तव्य तैयार किया है। अुसमें बताया है कि अपवादस्वरूप परिस्थितिमें ही अुसी व्यक्तिका अध्यक्षके तौर पर दुवारा चुनाव किया जा सकता है। सुभाषवावूको फिरसे चुननेके लिअे अैसी कोअी परिस्थिति नहीं है। साथ ही सुभाषवावूने संघ-शासन वगैराके वारेमें जो आक्षेप किये हैं अुनका अिस वक्तव्यमें खंडन किया गया है। यह भी कहा गया है कि कांग्रेसका कार्यक्रम और कांग्रेसकी नीति अध्यक्षको तय नहीं करनी होती, परंतु कांग्रेसको या कांग्रेसकी महासमितिको तय करनी होती है। अिस वक्तव्यमें डॉ० पट्टाभिको चुननेकी सिफारिश की गयी है और सुभाषवावूसे अपील की गयी है कि वे अध्यक्षके चुनावके प्रश्न पर कांग्रेसियोंमें फूट न डलवायें। वक्तव्य पर हस्ताक्षर करनेकी अपनी स्वीकृति तारसे दीजिये।”

अुपरोक्त तारके अुत्तरमें कार्यकारिणीके अन्य ६ सदस्योंकी स्वीकृति आ गयी, परंतु शरदवावूने आपत्ति अुठाअी। अुन्होंने २४ तारीखको सरदारको अिस प्रकार तार दिया :

“अाज प्रातःकाल मैंने मौलाना तथा सुभाषके वयान सिलहट जाते अुअे पढ़े। मेरा मत यह है कि मौलानाके अुम्मीदवारी वापिस ले लेनेके वाद डॉ० पट्टाभिको खड़ा करना वांछनीय नहीं। अगला वर्ष १९३७ की अपेक्षा सब दृष्टियोंसे अधिक नाजुक और अपवादस्वरूप है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि कार्यकारिणीके किसी सदस्यको सायियोंके बीचकी स्पर्धामें किसीका पक्ष नहीं लेना चाहिये। आपका तैयार किया हुआ वक्तव्य नरम और गरम दलके जिस झगड़ेको टालना चाहिये अुसे बढ़ानेवाला सिद्ध होगा। डॉ० पट्टाभि आनेवाली लड़ाअीमें देशका विश्वास प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कृपया कांग्रेसमें फूट न डलवाजिये।” अिस पर सरदारने जवाबमें तार दिया :

“आपके तारकी कद्र करता हूं। केवल कर्तव्यबुद्धि ही मुझे वक्तव्य प्रकाशित करनेको मजबूर करती है। विरोध व्यक्तिका नहीं, परंतु

सिद्धान्तका है। यदि स्वर्ग अनिवार्य ही हो तो मैं आशा रखता हूँ कि वह किसी भी कटुताके विना और हेतुओंका आरोपण किये विना होगी। असी अध्यक्षको द्वारा चुनना देशके हितमें हानिकारक होगा।”
२५ ता०को शरदवावूने बिस प्रकार जवाब दिया :

“कल रातको आपका तार मिला। आज सुबहके पत्रोंमें आपका और कार्यकारिणीके ६ सदस्योंका वक्तव्य देखा। हमारे बीच हुआ तार-व्यवहार में अखबारोंमें देना चाहता हूँ। आशा है आपको आपत्ति नहीं होगी।”

सरदारने जवाब दिया कि प्रकाशित करनेमें मुझे कोयी आपत्ति नहीं है। सरदार सहित कुल सात सदस्योंके हस्ताक्षरसे ता० २४-१-३९ को प्रकाशित अखवारी वयान बिस प्रकार था :

“सुभापवावूका वक्तव्य हम सबने बहुत ध्यानसे पढ़ा है। जहां तक हमें मालूम है अब तक अध्यक्षका चुनाव सर्वसंमतिसे होता आया है। सुभापवावू नयी प्रणाली डालना चाहते हैं। ऐसा करनेका अन्हें पूरा हक है। परंतु अन्होंने जो मार्ग अपनाया है वह कहां तक समझदारीका है, यह तो अनुभव ही बतायेगा। हमें बिस विषयमें बड़ी शंकाओं हैं। जब तक कांग्रेसके सदस्योंमें अधिक संगठन-शक्ति न आ जाये, अधिक सहिष्णुता न आ जाये, और अेक-दूसरेकी रायके बारेमें अधिक आदरकी वृत्ति पैदा न हो जाय, तब तक हमें अध्यक्षके चुनावके लिये स्वर्ग होना वांछनीय प्रतीत नहीं होता। सुभापवावूके वक्तव्यके बारेमें कुछ भी कहनेमें हमें संकोच होता है, परंतु आगामी कांग्रेसका अध्यक्ष कौन हो, बिस बारेमें हमारा मत दृढ़ होनेके कारण हमें महसूस होता है कि यदि हम कुछ न बोलें तो अपने कर्तव्यसे च्युत होंगे।

“मौलाना साहबने बिस स्पष्टसे हट जाना मुनासिब समझा, बिसके लिये हमें बड़ा दुःख है। अपने हट जानेका अंतिम निश्चय करते समय अन्होंने हममें से कुछके साथ परामर्श करके डॉ० पट्टाभिकी हिमायत की। यह निर्णय अच्छी तरह सलाह-मशविरा करनेके बाद किया गया है। अन्यन्त अपवादरूप परित्यक्तिके सिवा, पिछली कांग्रेसके अध्यक्षको पुनः अध्यक्ष न चुननेके नियम पर कायम रहनेकी नीति हमें बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण मालूम होती है।

“अपने वक्तव्यमें सुभापवावू कहते हैं कि वे संघ-ज्ञानसके बड़े विरोधी हैं। कार्यकारिणीके सभी सदस्य अुसके विरोधी हैं। कांग्रेसकी

नीति भी अैसी ही है। अुन्होंने विचारसरणियों, नीतियों और कार्यक्रमोंकी भी वात कही है। हमारे खयालसे कांग्रेसके अध्यक्षका चुनाव करनेमें ये सब बातें अप्रस्तुत हैं। कांग्रेसकी नीति और कार्यक्रमका निर्णय अुसके प्रतिवर्ष चुने जानेवाले अध्यक्षको नहीं करना होता। यदि अैसा होता तब तो संविधानके अनुसार अध्यक्षके कार्यकालकी मर्यादा अेक वर्षकी नहीं रखी जाती। कांग्रेसकी नीति और कार्यक्रम जब कांग्रेस खुद तय नहीं करती, तब कार्यसमिति तय करती है। अध्यक्षकी स्थिति तो सभापति जैसी होती है। अिसके सिवा वैधानिक शासककी तरह अध्यक्ष राष्ट्रकी अेकता और संगठनका प्रतिनिधित्व करता है और अुसका प्रतीक होता है। अिसीलिअे यह पद बड़े सम्मानका माना जाता है और राष्ट्र अपनी होनहार संतानको हर वर्ष चुनकर वह सम्मान देता है।

“अिस अुच्च पदके गौरवको शोभा दे अिस ढंगसे अध्यक्षका चुनाव हमेशा सर्वसम्मतिसे होता है; अिसलिअे नीति और कार्यक्रमके भेदके कारण भी चुनावके वारेमें वाद-विवाद होना वांछनीय नहीं है। हम मानते हैं कि कांग्रेसके अध्यक्षपदके लिअे डॉ० पट्टाभि सुयोग्य पुरुष हैं। वे कांग्रेसकी कार्यकारिणीके सबसे पुराने सदस्योंमें से अेक हैं। अुनकी जनसेवा लंबी और अखण्ड है; अिसलिअे हम अुन्हें चुननेकी कांग्रेस प्रतिनिधियोंसे सिफारिश करते हैं। हम सुभाषवावूके साथियोंकी हैसियतसे अुनसे अनुरोध करते हैं कि वे अिस वात पर पुनर्विचार करें और डॉ० पट्टाभि सीतारामैयाका चुनाव सर्वसम्मतिसे हो जाने दें।”

अिसका जवाव देते हुअे सुभाषवावूने बताया :

“मुझे २१ ता० को जो वक्तव्य प्रकाशित करना पड़ा था, अुसका कारण मौलाना अबुलकलाम आजाद साहबका वक्तव्य था। अब सरदार पटेल और दूसरे नेताओंने मुझे चुनौती देनेवाला जो वक्तव्य जारी किया है, अुसके अुत्तरस्वरूप मुझे यह वक्तव्य निकालना पड़ रहा है। जब कार्यकारिणीके दो सदस्य अध्यक्षपदके लिअे प्रतिस्पर्धी हों, तब वाकीके सदस्योंका संगठित होकर किसी अेकका पक्ष लेना न्यायपूर्ण नहीं है। सरदार पटेल और अन्य नेताओंने जो वक्तव्य प्रकाशित किया है, वह केवल व्यक्तिगत कांग्रेसियोंके रूपमें नहीं परंतु कांग्रेस कार्यकारिणीके सदस्योंके रूपमें किया है। जब कार्यकारिणीने

अस प्रश्नकी चर्चा विलकुल की ही नहीं, तब उसके कुछ सदस्योंका असा वक्तव्य जारी करना अचित नहीं है। यदि सचमुच अध्यक्षका चुनाव ही करना है तो कांग्रेसके प्रतिनिधियोंको स्वतंत्र रूपमें मतदान करने देना चाहिये; युन पर कोअी नैतिक दवाव नहीं डालना चाहिये। मैंने तो कअी वार कांग्रेसकी अव्यक्षताके दो अुम्मीदवारोंमें से अेकको चुनकर मत दिया है। पिछले कुछ वर्षोंसे ही अव्यक्षका चुनाव सर्वसंमतिसे होता रहा है। साथ ही अस समय व्यापक मान्यता यह है कि अगले वर्षमें सम्भव है कांग्रेसके नरम दलके सदस्य संघ-शासनकी योजनाके वारेमें ब्रिटिश सरकारके साथ समझौता कर लें। अैसी परिस्थितिमें यह बहुत ही जरूरी है कि अगली कांग्रेसका अव्यक्ष अैसा हो जो पूरे दिलसे संघ-शासनका विरोध करनेवाला हो। अैसा कोअी दूसरा अुम्मीदवार मिल जाय, अुदाहरणार्थ आचार्य नरेन्द्रदेव, तो मुझे कोअी अभिलाषा नहीं कि मैं ही अव्यक्ष बनूं।”

अुपरोक्त वक्तव्यके अुत्तरमें सरदारने अेकेले अपने ही हस्ताक्षरोंसे यह वयान प्रकाशित किया :

“सुभाषवादीका वक्तव्य कुछ अजीब-सा है। हकीकत अस प्रकार है। सन् १९२० के वाद लगभग हर साल कार्यकारिणीके कुछ सदस्य अस वारेमें अवैध रूपमें चर्चा कर लेते हैं कि किसको अव्यक्ष चुना जाय। जब गांधीजी कार्यकारिणीमें थे तब वे खुद ही पथ-प्रदर्शन करते थे और जिसे अव्यक्ष चुनना है उसके नामकी सिफारिश करते थे। परंतु कांग्रेस छोड़ देनेके वाद वे किसी प्रकारका वक्तव्य प्रकाशित नहीं करते। तथापि सदस्य लोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपोंमें चुनावके वारेमें अुनकी सलाह लेते हैं। अस साल भी मैंने बहुतसे सदस्योंसे अस मामलेमें सलाह-मशविरा किया है। हम सबका खयाल था कि अस वार चुनने योग्य मौलाना साहब ही हैं, परंतु हम अुन्हें असके लिये राजी नहीं कर सके। जिस सप्ताहमें वारडोलीमें कार्य-समितिकी बैठक हुअी अस सप्ताहमें गांधीजीने मौलाना साहबसे आग्रह करके कहा था कि अस वार आपको ही अव्यक्ष बनना चाहिये। परंतु अव्यक्ष न बननेके अपने निश्चय पर वे दृढ़तापूर्वक डटे रहे। परंतु रविवार, १५ जनवरीको वे मुवह ही गांधीजीके पास आये और कहने लगे कि आपका कहना न माननेमें मुझे बड़ा संकोच होता है। असलिये मैं अध्यक्षके चुनावमें खड़ा रहूंगा। हम जानते थे कि कुछ आंध्र मित्रोंने डॉ० पट्टाभिके नामका प्रस्ताव रखा था। हमें स. २-३३

यह भी मालूम था कि सुभाषदाबूके नामका प्रस्ताव पेश है। परंतु हमें विश्वास था कि दोनों स्पर्धासे हट जायेंगे और मौलाना साहव सर्वसम्मतिसे चुन लिये जायेंगे।

“ वारडोलीमें अेक या अनेक वार मौलाना अबुलकलाम आजाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, श्री भूलाभाभी देसाभी, आचार्य कृपालानी, महात्मा गांधी तथा मैं पूर्व निश्चयके अनुसार नहीं परंतु अकस्मात् अिकट्ठे हुअे और अवैध परामर्श करके हमने तय किया कि यदि मौलाना साहव अध्यक्ष न बननेके निश्चय पर कायम ही रहें, तो संविधानके अनुसार दूसरा चुनाव डॉ० पट्टाभिका ही रह जाता है, क्योंकि हमारी यह स्पष्ट राय थी कि सुभाषदाबूको दुवारा चुनना गैरजरूरी है। हमारे मनमें तो नरम विचार (राइटिस्ट) अथवा गरम विचार (लेफ्टिस्ट) का प्रश्न कभी अुठा ही नहीं था।

“ यह याद रखनेकी बात है कि पिछले साल जब सुभाषदाबूका चुनाव हुआ तब ठीक वही पद्धति अस्तियार की गयी थी जो अिस वार की गयी है। सुभाषदाबू यह अच्छी तरह जानते हैं। अुस समय दूसरे अुम्मीदवारोंको अपने नाम वापस लेनेके लिये समझानेमें हमें कुछ भी मुश्किल नहीं हुयी थी।

“ मौलाना साहवने अुस समय तो स्वीकृति दे दी, परंतु बम्बयी पहुंचनेके बाद अुनके मनमें फिर खलवली मची और अुन्होंने सोचा कि अिस अुच्च पदका भार वे नहीं अुठा सकेंगे। अिसलिये वे वापस गांधीजीके पास वारडोली आये और अुन्होंने अपनेको अिस भारसे मुक्त करनेकी प्रार्थना की। मौलानासे पुनः आग्रह करना गांधीजीको ठीक न लगा। बादमें जो कुछ हुआ वह तो देश जानता ही है।

“ मुझे दुःख तो अिस बातका होता है कि सुभाषदाबू हम हस्ताक्षर करनेवालों पर तथा कार्यसमितिके बहुमत पर कुछ हेतुओंका आरोपण करते हैं। अुनके जवाबमें मैं अितना ही कहूंगा कि गवर्नमेन्ट ऑफ अिडिया अेक्टकी संघ-शासनकी योजना जिसे पसन्द हो या जिसे चाहिये अैसे किसी सदस्यको मैं नहीं जानता। वस्तुस्थिति तो यह है कि कोअी अेक सदस्य अथवा अुस अुस समय कांग्रेसका जो भी अध्यक्ष हो वह अैसे बड़े मुद्दों पर किसी प्रकारका निर्णय नहीं कर सकता। वह निर्णय तो केवल कांग्रेस ही कर सकती है; और जब कांग्रेसकी बैठक न हो तब कांग्रेसकी कार्यसमिति

सामूहिक रूपमें उस वारेमें फैसला कर सकती है। कार्यसमितिको भी कांग्रेसकी घोषित नीतिके शब्द या भावको छोड़कर कोई बात करनेका अधिकार नहीं है।

“मैं इस विचारसे भी सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेसके अध्यक्षको कोई नयी नीति अस्तित्वार करनेका अधिकार है। वह कार्यसमितिकी स्वीकृतिसे ही ऐसा कर सकता है। जैसे कभी अुदाहरण हैं जब अध्यक्षका विरोध होने पर भी कार्यसमितिने अपनी ही बात कायम रखी है, और उन अध्यक्षोंके प्रति न्याय करनेके खातिर मुझे कहना चाहिये कि जैसे समय अुन्होंने कार्यसमितिके निर्णयका आदर किया है।

“सब साथी इस समय वारडोलीमें नहीं हैं और काफी समय भी नहीं है, इसलिये अन्य साथियोंसे मशविरा किये विना मैंने अकेले ही सुभाषवावूके वक्तव्यका जवाब देनेकी छूट ली है। दूसरे साथियोंको अपना अपना मत प्रगट करनेका अधिकार है।

“मेरे लिये और जिनके साथ मैं इस प्रश्नकी चर्चा कर सका हूँ अुनके लिये यह मुझा किसी व्यक्ति या सिद्धान्त विशेषका नहीं है और न नरम या गरम विचारका ही है। इसमें अेकमात्र विचार यह करना है कि देशका अधिकसे अधिक हित किसमें समाया हुआ है। हम वक्तव्य निकालनेवाले मदस्योंको मेरे मतानुसार तो प्रतिनिधियोंको रास्ता दिखानेका पूरा अधिकार है। प्रतिनिधियोंकी तरफसे मार्गदर्शनके लिये मुझे रोज पत्र और तार मिलते ही रहते हैं। मेरा खयाल है कि मेरे अन्य साथियोंको भी जैसे तार और पत्र अवश्य मिलते होंगे। अिन परिस्थितियोंमें अधिकार कर्तव्य बन जाता है। और मार्गदर्शन करनेके बाद भी प्रतिनिधियोंको अपने मतका अुपयोग अपनी अिच्छानुसार करनेकी आजादी तो है ही।”

डॉ० पट्टाभि सीतारामयाने भी अुसी दिन अेक वक्तव्य प्रकाशित किया। यह बताकर कि वे किन परिस्थितियोंमें अध्यक्षपदके लिये अुम्मीदवार बन रहे हैं, अुन्होंने कहा :

“अब आजका जो ज्वलन्त प्रश्न है अुसके वारेमें मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूंगा। यह तो देशमें बहुत लोग अब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं गांधीजीके सिद्धान्तोंका कट्टर भक्त हूँ। इस विषय पर और वर्तमान राजनैतिक प्रश्नों पर मैं बहुत बार बोला हूँ और मैंने खूब लिखा है। १९३५ के गवर्नमेन्ट ऑफ अिडिया अेक्टमें

संघ-शासनकी जो योजना दी गयी है, उसमें रहे खतरोंको प्रगट करनेमें अन्य किसी देशवासीके बराबर ही मैंने भी काम किया है। कांग्रेसकी लखनऊ और हरिपुराकी बैठकोंके बीचके समयमें मुझे वैसा करनेकी अधिक स्वतंत्रता थी और मैंने उसका उपयोग हम पर जो संविधान लाद दिया गया है उसकी धज्जियां बुझानेमें पूरी तरह किया है। हरिपुराकी बैठकके बाद कार्यसमितिका सदस्य होनेके कारण मुझे अपने पर कुछ अंकुश रखना पड़ा है। जहां तक मैं जानता और मानता हूं, कार्यसमितिमें किसी भी सदस्यने संघ-शासनके प्रश्न पर ब्रिटिश सरकारके साथ समझौता करनेका विचार नहीं किया है। स्वयं मैंने हालमें ही असंदिग्ध रूपमें स्पष्ट कर दिया है कि वायिसरायका वक्तव्य धीरेसे कांग्रेसका द्वार खोलनेका प्रयत्न था। परंतु कांग्रेसके अध्यक्षने कांग्रेसकी ओरसे उसका अच्छी तरह उत्तर दे दिया है।

*

*

*

“मेरे लिये अंक वातका स्पष्टीकरण करना रह जाता है। मैं अपना नाम सुभाषवावूके पक्षमें वापस क्यों नहीं ले लेता? अिसीलिये कि आदरणीय साथियोंकी अिच्छाका मैं विरोध नहीं कर सकता। साथियोंकी रायके साथ मैं सहमत न होता तो मैं जरूर अपना नाम वापस ले लेता। हम यह मानते हैं कि अंक ही आदमीको दूसरी बार अपवादस्वरूप परिस्थितिके सिवा अध्यक्ष नहीं चुनना चाहिये। प्रस्तुत अुदाहरणमें अैसी अपवादस्वरूप परिस्थिति नहीं है।”

सरदार और डॉ० पट्टाभिके वक्तव्यके अुत्तरमें सुभाषवावूने २६ ता० को फिर अंक वक्तव्य निकाला जिसमें कहा :

“जहां तक मेरा संबंध है मैंने घोषित कर दिया है कि असली मुद्दा संघ-शासनका ही है। संघ-शासनके किसी भी सच्चे विरोधीको अध्यक्ष स्वीकार कर लिया जाय तो उसके पक्षमें मैं हट जानेको विलकुल तैयार हूं। मैंने अपना यह प्रस्ताव घोषित कर दिया है और वह चुनावके दिन तक खुला ही है।”

पंडित जवाहरलाल नेहरूने, जो अिस विवादके समय आरामके लिये अलमोड़ा गये हुअे थे, २६ ता० को वहांसे अंक वक्तव्य प्रकाशित किया। उसमें से दो महत्त्वपूर्ण अंश यहां दिये जाते हैं :

“अध्यक्षके चुनावके मामलेमें दो भिन्न भिन्न कार्यक्रमोंके बीच कहां विरोध है? हिन्दुस्तानमें कभी बड़े महत्त्वके प्रश्न हैं। परंतु अिस

मामलेमें संघ-शासनका अल्लेख किया जा रहा है, जिसलिजे मैं मान लेता हूं कि अव्यक्षके चुनावके संबंधमें कोधी और मतभेद नहीं है। तब क्या संघ-शासनके वारेमें सचमुच किसी प्रकारका विरोध है? मैं नहीं जानता कि कोधी विरोध है, क्योंकि अुस मामलेमें कांग्रेसका रवैया निश्चित और स्पष्ट है। जब मैं अिग्लैंडमें था तब मैंने यह रवैया असंदिग्ध भाषामें घोषित कर दिया था। अुसमें मैं केवल अपना खुदका मत ही प्रकट नहीं कर रहा था, परंतु सारी कार्यसमितिका मत प्रकट कर रहा था। वहां मैं जो कुछ करता या कहता था, अुसका पूरा हाल राष्ट्रपति और कार्यसमितिको भेज देता था। अुनकी हिदायतें भी मांगता था। जिसके जवाबमें मुझे यह कहा गया था कि संघ-शासनके मामलेमें मैं जो रवैया जाहिर कर रहा हूं, वह सारी कार्यसमितिको और गांधीजीको पसंद है। अुसके बाद तो परिस्थितिके कारण कांग्रेसका रुख और भी कड़ा हो गया है। आज जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कोधी कांग्रेसी संघ-शासनके मामलेमें समझौता करनेका विचार करेगा।

*

*

*

“कसौटीके समय कांग्रेसका अव्यक्ष बनना कैसा होता है जिसका मुझे खूब अनुभव है। मैं कितनी ही बार त्यागपत्र देनेके किनारे पर पहुंच गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि यह पद धारण किये बिना मैं अपने ध्येयकी और कांग्रेसकी अधिक अच्छी सेवा कर सकता हूं। जिस वर्ष कुछ सायियोंने अव्यक्षपदके लिजे अुम्मीदवार होनेका मुझसे आग्रह भी किया था, परंतु मैंने साफ अिनकार कर दिया। जिसके कारणोंकी यहां चर्चा करनेकी जरूरत नहीं। अुन और दूसरे कारणोंसे भी मेरी तो स्पष्ट राय है कि सुभाषवाबूको अव्यक्षपदके लिजे खड़ा नहीं रहना चाहिये। मुझे लगता है कि जिस बार यह पद धारण करनेसे मेरी तरह अुनकी भी कारगर ढंगसे काम करनेकी दाकित घटेगी। मैंने सुभाषवाबूसे अैसा कहा भी था।”

गांधीजीने भी सुभाषवाबूको तार देकर अपनी राय बता दी थी कि जिस साल अुनका अव्यक्षपदके लिजे स्पर्धा करना अुचित नहीं। फिर भी सुभाषवाबू दृढ़ रहे। २९ ता० को जो चुनाव हुआ अुसमें डॉ० पट्टाभिसे नुभाषवाबूको ८५ मत अधिक मिले। चुनावोंका परिणाम जाहिर होने पर गांधीजीने जिस चुनावको अपनी निजी हार माना और ता० ३१-१-३९ के ‘हरिजन’ में ‘मेरी हार’ शीर्षक यह लेख लिखा :

“श्री सुभाषवावूने अपने प्रतिस्पर्धी डॉ० पट्टाभि सीतारामैयाके विरुद्ध ठोस विजय प्राप्त की है। मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मैं शुरूसे ही सुभाषवावूके दूसरे वर्ष फिरसे कांग्रेसके अध्यक्ष बनाये जानेके खिलाफ था। इस चुनावके सिलसिलेमें सुभाषवावूने जो वक्तव्य प्रकाशित किये हैं, उनमें पेश की गयी बातों और दलीलोंसे मैं सहमत नहीं था। मेरा खयाल है कि अन्होंने अपने साथियोंके विरुद्ध जो आक्षेप किये वे अनुचित और अशोभनीय हैं।

“अतने पर भी सुभाषवावूकी जीतसे मैं खुश हूँ। जब मौलाना साहवने अध्यक्षपदकी अुम्मीदवारी वापस ले ली, तब डॉ० पट्टाभिको अपनी अुम्मीदवारी वापिस न लेनेके लिये समझानेमें मैं निमित्त बना था। इसलिये यह हार डॉ० पट्टाभिकी अपेक्षा मेरी अधिक है। मैं यदि निश्चित सिद्धान्तों और नीतिका प्रतिनिधि नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिये इस चुनावसे मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि जिन सिद्धान्तों और नीतिका मैं हिमायती हूँ वह कांग्रेसके प्रतिनिधियोंको मान्य नहीं है। इस हारसे मैं खुश हूँ, क्योंकि इससे मैंने जो सलाह पिछली दिल्ली कांग्रेसके समय सभा त्याग करके जानेवाले अल्पमतको दी थी, उसका अमल खुद करके दिखानेका मुझे मौका मिल रहा है। सुभाषवावू भी जिसे वे नरम दल कहते हैं उसके साथियोंकी दया पर निर्भर रहकर अध्यक्ष बननेके बजाय चुनावकी रस्साकशीमें जीतकर अध्यक्ष बने हैं, इसलिये अब वे अपनी पसंद और अपने विचारोंवाली कार्यसमिति मनोनीत कर सकते हैं और अपना कार्यक्रम वेरोकटोक अमलमें ला सकते हैं।

“अेक बात तो बहुमत और अल्पमत दोनोंको मंजूर है और वह है कांग्रेस संगठनमें घुसी हुयी भीतरी गंदगी साफ करनेकी। ‘हरिजन’ में अपने लेखोंमें मैंने बताया है कि कांग्रेसके संगठनमें जो सङ्घ घुस गयी है और जो असे तेजीसे घुनकी तरह खाये जा रही है, वह यह है कि आज उसके रजिस्ट्रोंमें असंख्य झूठे सदस्योंके नाम लिखे हुये हैं। पिछले कुछ महीनोंसे अिन सूचियोंको साफ करके नये सिरेसे सूचियाँ तैयार करानेका मैं सुझाव दे रहा हूँ। तदनुसार किया जाय तो मुझे शक नहीं कि इस प्रकार झूठे बने सदस्योंके मतके बल पर आये हुये कितने ही प्रतिनिधि रद्द हो जायेंगे।

“अल्पमतवालोंके लिये निराश होनेका कोयी कारण नहीं है। यदि वे कांग्रेसके वर्तमान कार्यक्रममें पक्का विश्वास रखनेवाले होंगे तो वे

देखेंगे कि वह कार्यक्रम अमलमें लाया जा सकता है, फिर भले ही वे बहुमतमें हों या अल्पमतमें, कांग्रेसके भीतर हों या कांग्रेसके बाहर।

“अेक ही कार्यक्रम अैसा है जिस पर अिस फेरवदलका शायद असर पड़े और वह है वारासभाओं द्वारा चलाया जानेवाला कार्यक्रम। वर्तमान मंत्रियोंको अब तकके बहुमतवालोंने चुना है। वर्तमान वारासभाओंका कार्यक्रम भी अुनका तैयार किया हुआ है। परंतु वारासभाओंका कार्यक्रम आखिर तो कांग्रेसके कार्यक्रममें गौण वस्तु ही है।

“और सुभापवावू भी देशके कोअी शत्रु तो हैं नहीं। अुन्होंने देशके खातिर कष्ट सहन किये हैं। अुनके खयालके मुताबिक अुनकी नीति और कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ा हुआ और साहसपूर्ण है। अल्पमतवाले अुनकी पूर्ण विजय चाहें। यदि वे बहुमतवालोंके साथ कदमसे कदम मिलाकर न चल सकें तो कांग्रेससे बाहर निकल जायं। दौड़ सकें तो वे बहुमतको बल दें।

“किसी भी हालतमें अल्पमतवाले अड़गानीति तो हरगिज न अपनायें। जहां साथ न दे सकें वहां वे अलग रहें। तमाम कांग्रेसी समझ लें कि जो कांग्रेसके प्रति वफादार होने पर भी समझपूर्वक अुससे बाहर रहते हैं वे अुसके सबसे ज्यादा सच्चे प्रतिनिधि हैं। अिसलिये जिन्हें कांग्रेसके भीतर रहना अरुचिकर लगे वे बाहर निकल जायं—कटुतासे नहीं परंतु कांग्रेसकी और भी ठोस सेवा करनेके निश्चित अुद्देश्यसे।”

गांधीजीके अिस वक्तव्यसे लोगोंमें, खास तौर पर कांग्रेसके प्रतिनिधियोंमें खलबली पैदा हुअी। जिन्होंने सुभापवावूके लिये मत दिया था वे भी मुश्किलमें पड़ गये। बहुतोंको लगा कि गांधीजीने अपनी राय चुनावसे पहले क्यों न बताअी? गांधीजीका कहना यह था कि सरदार तथा अन्य सदस्योंके वक्तव्यमें मेरा रवैया बतानेवाले अेक दो वाक्य तो थे ही। और प्रतिनिधि यदि मेरी नीतिका समर्थन करना चाहते तो अितना अिगारा अुनके लिये काफ़ी था। फिर भी गांधीजीके वक्तव्यका अितना प्रभाव जरूर पड़ा कि सुभापवावू प्रतिनिधियोंके बहुमतसे चुने गये थे तो भी यह शंकास्पद हो गया कि कांग्रेसकी महासमितिमें अथवा कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें अुन्हें बहुमत मिलेगा या नहीं।

कांग्रेसमें कअी वर्षसे यह रिवाज चला आ रहा था कि कांग्रेसके अधिवेशनसे पहले कार्यसमिति अपनी बैठक करके विषयविचारिणी समितिके सामने पेश किये जानेवाले प्रस्तावोंका मसौदा तैयार कर लेती थी।

परंतु जिस कार्यसमितिके अधिकांश सदस्य सुभाषवावूके विचारोंसे सहमत नहीं थे, जिसलिये अन्होंने सोचा कि सुभाषवावू अपने अनुकूल विचारवालोंसे मिलकर प्रस्ताव तैयार करें तो ठीक है। क्योंकि कांग्रेसका भार अन्हें उठाना है। ता० ९-२-'३९ को कार्यसमितिकी बैठक वर्धामें हुई। सुभाषवावूको बुखार आता था जिसलिये वे उस बैठकमें उपस्थित न रह सके। कार्यसमितिके १५ सदस्योंमें से १३ सदस्योंने उसी बैठकमें अपने त्यागपत्र दे दिये। सुभाषवावूने ता० २६-२-'३९ के पत्र द्वारा अन्हें स्वीकार कर लिया।

अध्यक्षके चुनावके पहले और वादमें भी जिस विषयमें अखबारोंमें जो चर्चा हुई उससे कांग्रेसियोंमें तीव्र मतभेद हो गया। नेताओंमें भी अेक-दूसरेके प्रति अविश्वासका वातावरण पैदा हो गया। ऐसी दुःखद परिस्थितिमें त्रिपुरी कांग्रेसका अधिवेशन हुआ। दुर्भाग्यसे उसी वक्त सुभाषवावू बीमार हो गये थे। जब वे त्रिपुरी पहुंचे तब रोगशय्या पर थे। अुनके स्वागतके लिये सारे प्रान्तसे हाथी अिकट्ठे किये गये थे। यह वादनवां अधिवेशन था जिसलिये वावन हाथियोंके रथमें विठाकर अुनका जुलूस निकाला जानेवाला था। परंतु सुभाषवावूकी हालत ऐसी नहीं थी कि रथमें बैठ सकें या जुलूसमें घूम सकें। जिसलिये रथमें अुनका चित्र रखकर उसका जुलूस निकाला गया। कार्यसमितिके अिस्तीफे दे दिये थे, जिसलिये उसकी बैठक होनेकी तो बात ही नहीं थी। महासमिति और विषयविचारिणी समितिकी बैठकें हुईं। अुनमें विवादास्पद प्रस्ताव दो थे। अेक अध्यक्षकी ओरसे रखा गया सरकारको सविनय कानून-भंगका नोटिस देनेका और दूसरा पुरानी कार्यसमितिके बहुमतवाले सदस्योंका। दूसरा प्रस्ताव पं० गोविंदवल्लभ पंतने रखा और विषयविचारिणी समितिके भारी बहुमतसे उसे पास कर दिया।

दूसरे दिन कांग्रेसका खुला अधिवेशन हुआ। परंतु सुभाषवावू बीमारीके कारण अुसमें आ नहीं सके। मौलाना अबुलकलाम आजादको कामचलाअू अध्यक्ष बनाया गया। सुभाषवावूका अध्यक्षीय भाषण पढ़कर सुनाया गया। प्रस्तावोंके मामलेमें कुछ लोगोंने ऐसा सुझाव रखा कि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, जिसलिये प्रस्ताव सभामें न रखे जायं। परंतु अितने बड़े अधिवेशनको स्थगित कर देना मौलाना साहबको ठीक नहीं लगा। जिसलिये अन्होंने निर्णय दिया कि प्रस्ताव पेश भले ही कर दिये जायं, परंतु अुन पर अधिक बहस करने और मत लेनेका काम दूसरे दिन अध्यक्षके आने पर किया जाय। यह बात कुछ लोगोंको पसन्द नहीं आती और अन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचानेवाले यद्यपि थोड़े थे, परंतु अन्होंने बहुत अूधम मचाया। जवाहरलालजी अुस समय मंच पर खड़े थे। अन्होंने लोगोंको शांत करनेका

बड़ा प्रयत्न किया। दूसरे लोग शांत हो गये तब हजारोंकी भीड़में शोर करनेवाले अलग पड़ गये और मुट्ठीभर दीखने लगे। मंचके पास पहुंचकर थोड़ी देर तक तो अन्होंने नारे लगाये। परंतु जवाहरलालजी दृढ़ रहे अिसलिये वे लोग थक गये। अुसके बाद सभाकी कार्यवाजी नियमित रूपसे चली। दोनों प्रस्ताव पेश हो गये और अुन पर चर्चा करना और मत लेना दूसरे दिनके लिये स्थगित रखा गया।

दूसरे दिन खुले मंडपमें अधिवेशन न करके विषयविचारिणी समितिके तंबूमें अधिवेशन किया गया और अुसमें प्रतिनिधियोंके सिवा और किसीको नहीं जाने दिया गया। मत लिये जाने पर अध्यक्षको नापसन्द प्रस्ताव पास कर दिया गया और अध्यक्षका प्रस्ताव नामंजूर हो गया। पास हुआ प्रस्ताव नीचे दिया जाता है :

“अध्यक्षके चुनावके संबंधमें भारी विवाद पैदा हो जानेके कारण कांग्रेस और देशमें तरह तरहकी गलतफहमियां फैल गयी हैं। अिसलिये कांग्रेसके अिस अधिवेशनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने और कांग्रेसकी साधारण नीति घोषित करनेकी जरूरत है।

“कांग्रेसका यह अधिवेशन घोषित करता है कि महात्मा गांधीके मार्गदर्शनमें पिछले कभी वर्षोंसे कांग्रेसकी मूलभूत नीतिके अनुसार अुसका जो कार्यक्रम चला आ रहा है अुस पर कांग्रेस दृढ़तापूर्वक कायम है। अुसकी यह स्पष्ट राय है कि कांग्रेसकी वर्तमान नीतिमें कोअी परिवर्तन करनेकी आवश्यकता नहीं और भविष्यमें कांग्रेसका कार्यक्रम अुस नीतिके अनुसार ही रहना चाहिये। गत वर्ष कांग्रेसकी कार्यसमिति द्वारा किये गये कार्यके प्रति यह कांग्रेस विश्वास प्रगट करती है और अुसके सदस्यों पर जो आक्षेप किये गये हैं अुन्हें नापसन्द करती है।

“अगले साल नाजुक स्थिति पैदा होनेकी संभावना है। अैसे समय महात्मा गांधी ही कांग्रेसको और देशको विजयके मार्ग पर चला सकते हैं। अतः कांग्रेस अिस चीजको अनिवार्य मानती है कि कांग्रेसकी कार्यसमिति महात्माजीका पूर्ण विश्वास रखनेवाली होनी चाहिये और अिसलिये अध्यक्षसे अनुरोध करती है कि महात्माजीकी अिच्छाओंका ध्यान रखकर वे कार्यसमिति नियुक्त करें।”

अुसके बाद कुछ प्रस्ताव, जिन पर मतभेद नहीं था, पास करके कांग्रेसका अधिवेशन समाप्त हो गया। सुभाषचन्द्रने अपनी बीमारी और अुचरोक्त प्रस्ताव दोनोंके कारण नयी कार्यसमिति मनोनीत नहीं की। परंतु अुनके

मनमें खास तौर पर सरदारके प्रति भारी रोप और कटुता रह गयी। २१ मार्चको अुनके भाजी शरदवावूने गांधीजीको जो पत्र लिखा अुससे यह बात मालूम हो जाती है। अुस पत्रके कुछ अंश यहां दिये जाते हैं :

“त्रिपुरीमें मैं अेक सप्ताह रहा था। अुस वीत्र मैंने जो देखा और सुना अुससे मेरी आंखें खुल गयी हैं। लोग जिन व्यक्तियोंको आपके माने हुअे शिष्य और प्रतिनिधि समझते हैं, अुन्होंने वहां जिस सत्य और अहिंसाका प्रदर्शन किया अुसकी, आपके शब्द काममें लूं तो, गंध अभी तक मेरी नाकमें से नहीं निकल रही है। अुन्होंने राष्ट्रपति और अुनके विचारके आदमियोंके विरुद्ध जो प्रचार वहां किया, वह विलकुल हलके दर्जेका और द्वेष तथा वैरभावसे भरा हुआ था। अुसमें सत्य और अहिंसा तो रत्तीभर भी नहीं थी। . . . जो आपके सिद्धान्तोंकी बात करते हैं अुन्होंने त्रिपुरीमें राष्ट्रपतिके मार्गमें रोड़े अटकानेके सिवा और कुछ नहीं किया। अपना मतलब बनानेके लिअे अुन्होंने अुनकी वीमारीका पूरा पूरा और अधिकसे अधिक हलके ढंगसे अपुयोग किया है। पुरानी कार्यसमितिके कुछ सदस्य तो यहां तक अविरत विषैला प्रचार करनेसे भी बाज नहीं आये कि राष्ट्रपतिकी वीमारी केवल ढोंग है, यह तो राजनैतिक वीमारी है। . . . आपके अिन प्रतिनिधियोंको आपके नाम, प्रभाव और प्रतिष्ठाका सहारा लेकर कांग्रेसका संगठन चलाने दिया जायगा तो वे आपके जीतेजी ही अुसे चला सकेंगे। जब आप नहीं रहेंगे तब लोग अिन्हें न मालूम कहां फेंक देंगे। अध्यक्षका चुनाव हो जानेके बाद चुनावके परिणामको आपने अपने सार्वजनिक वक्तव्यमें अपनी हार वताया है। मुझे कहने दीजिये कि यह विलकुल गलत वर्णन है, क्योंकि आपके पक्षमें या विरुद्ध मत देनेके लिअे प्रतिनिधियोंसे कहा ही नहीं गया था। हां, कांग्रेसके मुख्य कर्ताधर्ताओंकी, जिनके मुख्य सितारेके रूपमें सरदार पटेल चमक रहे हैं, यह हार जरूर थी। . . . यह देशका दुर्भाग्य है कि आपकी तंदुरुस्ती कमजोर होने लगी है तदसे आप कअी मामलोंमें स्वयं जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते और जो मंडली आपके चारों ओर मंडराती रहती है और आपसे कानाफूसी करती रहती है, अुस पर अनजाने भी आपको अधिकाधिक मात्रामें आधार रखना पड़ता है। . . . त्रिपुरीमें कांग्रेसके मंत्रियोंने खुल्लमखुल्ला अपना असर—नैतिक और भौतिक दोनों—अेक पक्षके लिअे अिस्तेमाल किया है। वहां जो अन्तिम परिणाम आया है अुसका सबसे बड़ा कारण यही चीज है। अगर कांग्रेस पर

मंत्रियोंका वर्चस्व रहेगा तो अुसका नतीजा यह होगा कि कांग्रेस अेक नये स्थापित हितकी आवाज जाहिर करनेवाली बन जायगी और अुसकी नीतियां और कार्यक्रम निर्माण करनेमें कोअी स्वतंत्रता या लोक-तांत्रिकता नहीं रहेगी।”

गांधीजीके कहनेसे सरदारने अिस पत्रका संक्षिप्त अुत्तर लिख दिया। अुसमें से कुछ महत्त्वपूर्ण अंश यहां दिये जाते हैं:

“शरददावूका पत्र पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ। अैसे क्रोधपूर्ण और गालियोंसे भरे पत्रका क्या अुत्तर दिया जा सकता है? कार्यसमितिके पुराने सदस्यों पर अुन्होंने यह आरोप लगाया है कि अुन्होंने राष्ट्रपतिके विरुद्ध द्वेषपूर्ण और विपैला प्रचार किया। हममें से किसीने अुनके विरुद्ध अैसा प्रचार कभी नहीं किया। अिस-लिअे अुसका अिनकार करनेके सिवा दूसरा हमारे लिअे अिस विषयमें कुछ करनेको नहीं रह जाता। . . . राष्ट्रपति जब त्रिपुरी आये तब अुनके स्वास्थ्यकी हालत हममें से कुछने आंखों देखी थी। अिसलिअे यह कहना सर्वथा निराधार है कि हमने यह प्रचार किया कि अुनकी वीमारी केवल ढोंग है। अैसी बातोंको अुन्होंने सत्य कैसे मान लिया, अिसीका मुझे आश्चर्य होता है। कांग्रेसके अधिवेशनके दूसरे दिन शरददावूने खुद राजकुमारी अमृतकौरसे कहा था कि सुभापदावूके स्वास्थ्यको देखते हुअे और सब नेता तो मुख्य प्रस्तावको स्थगित रखनेके पक्षमें थे, परंतु अकेले मेरा ही अुस पर अेतराज था और मेरा यह रवैया द्वेषपूर्ण था। परंतु मैंने राजकुमारीको विश्वास दिलाया कि यह बात विलकुल गलत है। सच्ची वस्तुस्थिति क्या थी सो अुन्हें आंखों देखनेको भी मिल गयी। तब वे शरददावूसे मिलीं और अुन्हें बताया कि मेरे बारेमें अुन पर जो असर पड़ा है वह विलकुल गलत है। बादमें जब शरददावू मुझसे मिले, तब अुन्होंने मुझसे कहा कि ‘मुझे गलत जानकारी मिली थी। मैंने आपके साथ अन्याय किया, जिसके लिअे मुझे अफसोस है।’ . . . मंत्रियोंके विरुद्ध अुनका आरोप गंभीर है। अुसकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिये। वे कहते हैं कि मंत्रियोंने अपने पदका प्रभाव अेक दलके पक्षमें अिस्तेमाल किया। अिसका अर्थ मैं नहीं समझ सकता। अुनके चरित्र पर अैसा आक्षेप यों ही नहीं रहने देना चाहिये। मुझे तो अैसा आक्षेप पहली बार शरददावूके पत्रसे मालूम हुआ है। मैं मान लेता हूं कि यह आक्षेप प्रमाणित करनेके लिअे अुनके पास काफी सबूत होंगे।”

जवाहरलालजीने भी शरदवावूको लंबा जवाव दिया। उसके बाद कार्य-समितिके निर्माण और कांग्रेसके कार्यक्रमके बारेमें गांधीजी और सुभाषवावूके बीच लंबा पत्रव्यवहार तथा तार-व्यवहार हुआ। ३१ मार्चको सुभाषवावूको पत्र लिखकर गांधीजीने अपनी अंतिम राय बता दी। उसमें लिखा :

“पं० गोविन्दवल्लभ पंतके प्रस्तावको आप नियमके बाहर मानते हैं और उसके कार्यसमितिकी नियुक्ति-संबंधी भागको सर्वथा अवैध और अनियमित समझते हैं, इसलिये आपका मार्ग विलकुल साफ है। समितिके आपके चुनावमें किसीका दखल नहीं होना चाहिये।

“पिछले फरवरी मासमें जब हम मिले उसके बाद मेरी यह राय दृढ़ हुई है कि जहां सिद्धान्तके बारेमें मतभेद हों वहां मिली-जुली समिति बनानेसे नुकसान होता है। अगर यह मान लें कि कांग्रेसकी महासमितिके बहुमत आपकी नीतिका समर्थक है तो आपको अुन्हीं लोगोंकी कार्यसमिति बनानी चाहिये जो आपकी नीतिसे सहमत हों।

“फरवरीमें हम सेवाग्राममें मिले तब जो विचार मैंने प्रगट किये थे, उन पर मैं आज भी कायम हूं। आप पर दमन करनेमें हिस्सेदार बननेका अपराध मैं कभी नहीं करूंगा। आप स्वेच्छासे शून्यवत् बन जाना पसन्द करें तो अलग बात है। परंतु जिन विचारोंके लिये आप दृढ़तापूर्वक यह मानते हों कि उनमें देशका अुत्तम हित निहित है, अुन्हें आप छोड़ देनेको तैयार हो जायं तो अुसे मैं आत्मदमन करूंगा। आपको अध्यक्षके रूपमें काम करना ही हो तो आपको पूरी स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिये। देशकी परिस्थितिको देखते अुअे बीचके मार्गकी गुंजाअिश नहीं है।

“गांधीवादी (यदि अिस गलत नामका प्रयोग करूं तो) आपके मार्गमें रुकावट नहीं डालेंगे। जहां अुनसे हो सकेगा वहां वे मदद देंगे। जहां अुनसे मदद नहीं दी जा सकेगी वहां वे अलग रहेंगे। वे अल्पमतमें होंगे तब तो आपको कोअी कठिनाअी होगी ही नहीं। अुनका स्पष्ट बहुमत होगा तो संभव है वे अपने आपको न दवायेंगे।

“मुझे चिन्ता तो अिसकी हो रही है कि कांग्रेसकी मतदाता-सूचियां विलकुल झूठी हैं। अिसलिये बहुमत या अल्पमत शब्दोंका कोअी अर्थ नहीं। परंतु कांग्रेसका गंदा मकान झाड़-बुहार कर साफ न कर दिया जाय, तब तक तो हमारे पास जो साधन होंगे अुन्हींसे काम चलाना पड़ेगा। मुझे दूसरी चिन्ता यह होती है कि हमारे बीच

आपसमें बहुत अविश्वास है। जहां कार्यकर्ता एक-दूसरेका अविश्वास करते हैं वहां सहयोग असंभव हो जाता है।”

अुपरोक्त पत्रमें दिये गये गांधीजीके सुझावों पर सुभाषवावूने कोअी अमल नहीं किया। अुन्होंने अप्रैलके अन्तिम सप्ताहमें कलकत्तेमें कांग्रेसकी महासमितिकी बैठक बुलाअी। अुनके आग्रहपूर्ण अनुरोध पर गांधीजी भी कलकत्ता गये, यद्यपि वे महासमितिकी बैठकमें नहीं गये। गांधीजी सतीशवावूके खादी प्रतिष्ठानमें ठहरे थे। वहां अुनके और सुभाषवावूके बीच कअी वार वातचीत हुआ। परंतु कोअी समझौता नहीं हो सका। सरदार कलकत्ता गये ही नहीं थे। अुनका यह खयाल था कि जो भी निर्णय हो अुनकी गैरहाजिरीमें ही हो तो अच्छा। पहले दिनकी बैठकमें कोअी खास कारंवाअी नहीं हुआ। परंतु पं० गोविन्दवल्लभ पंत, श्री भूलाभाअी देसाअी तथा श्री कृपालानीके साथ जब वे समितिकी बैठकसे अपने डेरे पर जा रहे थे तब कुछ लोगोंने बड़ा दुर्व्यवहार किया। यह बात शहरमें फैली तो वहांके अुत्तर प्रदेशके निवासी अुत्तेजित हो गये। पं० जवाहरलालजीको अिस बातकी खबर लगने पर अुन्होंने महासमितिके अुत्तर प्रदेशके सदस्योंकी सहायतासे अुन लोगोंको शांत किया। अैसा न किया जाता तो संभव था कि दूसरे दिनकी बैठक होनेसे पहले दोनों दलोंमें मारपीट हो जाती। महासमितिकी दूसरे दिनकी बैठकमें सुभाषवावू नहीं आये। अुन्होंने केवल अपना त्यागपत्र भेज दिया। महासमितिने अुसे स्वीकार कर लिया और राजेन्द्रवावूको अध्यक्ष चुन लिया। ज्यों ही राजेन्द्रवावू खड़े होकर समितिकी कारंवाअी जारी रखनेके लिये आगे बढ़े त्यों ही कुछ लोगोंने शोर मचा दिया। त्रिपुरी कांग्रेसके दृश्यकी पुनरावृत्ति हुआ। परंतु राजेन्द्रवावू दृढ़ रहे अिसलिये थोड़ी देरमें शोरगुल वन्द हो गया और कुछ औपचारिक कारंवाअी पूरी करके अुन्होंने सभा विसर्जित कर दी।

अिस प्रकार कलकत्तेकी महासमितिमें कोअी खास काम नहीं हो सका। अिसलिये थोड़े समय बाद वन्दअीमें महासमितिकी बैठक फिर बुलाअी गयी। त्रिपुरीमें और अुसके बाद सुभाषवावूके अनुयायियोंने कांग्रेसी मंत्रियोंके विरुद्ध यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि अुन्होंने अपने पदोंका अनुचित लाभ अुठाकर और अपने प्रभावके बल पर त्रिपुरीका प्रस्ताव पास कराया है। अिस प्रचारमें मंत्रिमंडलके दूसरे विरोधी भी मिल गये थे। अिस प्रकार मंत्रियोंको अपमानित करने और अुनकी प्रतिष्ठाको हानि पहुंचानेका आन्दोलन शुरू हुआ। अिस आन्दोलनको दबा देनेके लिये बंबअीकी महासमितिमें अैसा प्रस्ताव लाया गया कि कोअी कांग्रेसी अैसा कोअी काम

न करे जिससे कांग्रेस या कांग्रेसके मंत्रिमंडलकी प्रतिष्ठाको आंच आये, और न जैसे काममें साथ ही दे। सुभाषदावू और अुनके अनुयायियोंने इस प्रस्तावका कड़ा विरोध किया। परंतु यह प्रस्ताव महासमितिकी बैठकमें बहुत बड़े बहुमतसे पास हो गया। अुसके बाद तो सुभाषदावूने अेक वयान जारी करके अपने अनुयायियोंको यह सूचना दी कि ९ जुलाअीका दिन इस प्रस्तावके विरोधके तौर पर मनाया जाय। राजेन्द्रदावूने अध्यक्षकी हैसियतसे पत्र लिखकर सुभाषदावूको इस प्रकार कांग्रेसकी महासमितिके प्रस्तावकी अवज्ञा न करनेका आदेश दिया। परंतु अुन्होंने अध्यक्षकी बात नहीं मानी और विरोधी प्रदर्शन जारी रखे। अितना ही नहीं, जहां जहां अुन्होंने दौरा किया वहीं कांग्रेसके विरुद्ध जबरदस्त प्रचार शुरू कर दिया। इसलिये कांग्रेस कार्य-समितिको अुनके विरुद्ध अनुशासन-भंगकी कार्रवाअी करनेके लिये विचर होना पड़ा। अगस्तके दूसरे सप्ताहमें कार्यसमितिकी जरूरी बैठक बुलाअी गअी। अुससे पहले अध्यक्षने पत्र लिखकर सुभाषदावूसे जवाब तलब किया कि आपके खिलाफ अनुशासनकी कार्रवाअी क्यों न की जाय। इसके जवाबमें सुभाषदावूने अपने किये हुअे कामका बचाव किया। वे कांग्रेसके अग्रगण्य व्यक्ति थे। दो बार वे कांग्रेसके अध्यक्ष चुने गये थे। और अुनके त्याग और कण्टसहनके लिये सबको बड़ा आदर था। इसलिये अुनके विरुद्ध अनुशासनकी कार्रवाअी करना कार्यसमितिके सदस्योंको जरा भी पसन्द नहीं था। अपनी सफाअीमें अुन्होंने जो दलीलें दीं अुनका सार यह निकलता था कि कांग्रेसके प्रत्येक सदस्यको कांग्रेसके विधानका अपनी अिच्छानुसार अर्थ करनेकी आजादी है। यह चीज स्वीकार कर ली जाती तो कांग्रेसने अराजकता फैल जाती और कांग्रेस टूट जाती। इसलिये कार्यसमितिने अत्यंत खेदपूर्वक यह निश्चय किया कि अुन्होंने अनुशासन-भंग किया है और बंगाल प्रान्तीय समितिके अध्यक्षपद तथा कांग्रेस कमेटीके किसी भी स्थान पर आनेके लिये अुन्हें तीन वर्ष तक अयोग्य करार दे दिया।

सुभाषदावू पर जो कुछ नाममात्रका अंकुश था वह इस प्रस्तावके बाद जाता रहा। अुन्होंने 'फार्वर्ड ब्लॉक' (अग्रगामी दल) नामक संस्था खोल कर कांग्रेसके विरुद्ध खुल्लमखुल्ला प्रचार करना शुरू कर दिया।

यह सारा झगड़ा कांग्रेसकी कार्यसमिति और सुभाषदावूके बीच था। फिर भी सुभाषदावू और अुनके अनुयायियोंने सारा रोप सरदार पर अुतारा। इसका कारण राजेन्द्रदावूके शब्दोंमें यह था कि :

“सरदार साफ साफ सुना देते थे। मीठी मीठी बातें करके किसीको खुश करनेकी कला अुन्होंने कभी सीखी ही न थी।”

कांग्रेस वनवासिनी बनती है

पिछले कुछ वर्षोंसे दुनियामें अैसी परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि अुसमें से किसी भी समय आग भड़क अुठती और विश्वयुद्ध छिड़ जाता । कांग्रेसने देशको चेतावनी दे रखी थी कि अैसे समय अिंग्लैण्डको घन, जन और युद्धसामग्रीकी कोअी सहायता न दी जाय । अन्तमें वह दिन आ पहुंचा । १ सितम्बर १९३९ को अिंग्लैण्डने जर्मनी तथा अुसके साथी देशोंके विरुद्ध लड़ाअीकी घोषणा कर दी । ३ सितम्बरको वाअिसराँयने बड़ी धारासभा, प्रान्तोंके मंत्रियों अथवा देशकी किमी भी राजनैतिक संस्थासे पूछे बिना भारतको युद्धमें सम्मिलित देश घोषित कर दिया । अिंग्लैण्डने अपने अन्य औपनिवेशिक देशोंसे पूछा था कि वे युद्धमें शरीक होना चाहते हैं या नहीं । परन्तु भारतको अैसा कुछ पूछनेकी अुझे कोअी जरूरत महसूस नहीं हुअी ।

अिस युद्धके प्रति हमारे देशने, खास तौर पर कांग्रेसने, जो रवैया अख्तियार किया, अुसमें कांग्रेसकी कार्यसमितिने मार्गदर्शन करके बड़े महत्त्वका भाग अदा किया । अुसमें सरदारने अकेले कोअी खास बात नहीं की । परन्तु कार्यसमितिके वे अग्रगण्य सदस्य थे और पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्ष थे, जो कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंका पथदर्शन करनेका काम करता था । अिसलिअे अिन सारे सलाह-मशविरोंमें अुन्होंने प्रमुख भाग लिया था । अिससे अुनके जीवनचरित्रमें अिस अध्यायको भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है ।

युद्ध आरंभ होते ही वाअिसराँयने गांधीजीको मुलाकातके लिअे बुलाया । वाअिसराँयके साथ भेंटमें क्या हुआ और युद्धके वारेमें गांधीजीकी भावनाअें कैसी थीं, यह अुन्हींके शब्दोंमें देना अुचित होगा :

“मैं जानता था कि मुझे अपने सिवा और किसी भी आदमीकी तरफने बोलनेका अधिकार नहीं था । कांग्रेसकी कार्यसमितिकी धोरसे मुझे कोअी आदेश मिला हुआ नहीं था । मैं तो तारसे निमंत्रण मिला अिसलिअे पहली गाड़ीसे रवाना हो गया । मैं अिस बातसे पूर्ण परिचित था कि युद्ध और अदम्य अहिंसाका हिमायती होनेके कारण मैं लोगोंके मानसका प्रतिनिधि नहीं हूँ । अैसा करने जाता तो मेरी फजीहत ही हो जाती । वाअिसराँय महोदयको मैंने यह वता

दिया। जिसलिअे मेरे साथ वाजिसराँय महोदयके कोअी समझौता या संधिवाता करनेका सवाल ही नहीं अुठ सकता था। मैंने देखा कि अुन्होंने मुझे अैसे किसी वातालापके लिअे नहीं बुलाया था। जिसलिअे मैं वाजिसराँय महोदयके महलसे खाली हाथ और विना किसी खुले या छिपे समझौतेके लौटा हूँ। यदि कोअी समझौता होना होगा तो वह कांग्रेस और सरकारके बीच होगा।

“जिस प्रकार कांग्रेसके प्रति अपना रख असंदिग्ध रूपमें स्पष्ट कर देनेके वाद मैंने वाजिसराँय महोदयसे कहा कि शुद्ध मानवताकी दृष्टिसे मेरी अपनी सहानुभूति अिंग्लैण्ड और फ्रान्सके साथ है। मैंने कहा कि अब तक अभेद्य माना जानेवाला लंदन शहर लड़ाअीके हमलेके फलस्वरूप मिट्टीमें मिल जाय, जिसकी कल्पना भी मुझे हिला देती है। पार्लियामेण्टके भवनों और वेस्ट मिन्स्टर अेवीका कल्पना-चित्र अुनके सामने खींचते खींचते और युद्धके आक्रमणसे अुसके भस्मीभूत होनेका दृश्य आंखोंके सामने आते ही मेरा जी भर आया और कंठ अवरुद्ध हो गया। सचमुच मेरा अंतर रो अुठा है और अुसे किसी भी तरह चैन नहीं पड़ रहा है। आज कितने ही समयसे अंतरकी गहराअीमें प्रभुके साथ मैं दिनरात झगड़ रहा हूँ कि तू अैसे बड़े अुत्पात जगतमें अुठने ही क्यों देता है? मेरी अहिंसा लगभग नपुंसकता जैसी ही भासित होती है। परन्तु रोजके झगड़ेके अंतमें सदा अेक ही जवाब अंतरसे अुठता हुआ सुनता हूँ कि अीश्वर निर्बल या लाचार नहीं है। और अहिंसा भी निर्बल या लाचार नहीं है। निर्बलता और लाचारी सब मनुष्योंमें भरी है। जिस प्रकार मैं अपने प्रयत्नमें भले ही खतम हो जाऊँ, परन्तु मुझे श्रद्धा खोये विना अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिये।

*

*

*

“अब भी मेरा हृदय यह देखनेके लिअे छटपटा रहा है कि अुन्हें (हिटलरको) सच्ची समझ आये और खुद जर्मन प्रजाके साथ लगभग सारी मानव-जातिकी प्रार्थना पर वे ध्यान दें। कारण, मैं यह माननेसे अिनकार करता हूँ कि जर्मनीकी आम जनता भी ठंडे दिलसे अैसी कल्पना कर सकती है कि मनुष्यकी हत्यारी तदवीरोंके कारण लंदन जैसे महानगर भस्मीभूत होनेके डरसे खाली हो जायं। वे अपने और अपने वाजारों, मुहल्लों और महल-मंदिरोंके अैसे नाशकी भी कभी ठंडे दिलसे कल्पना नहीं कर सकते। जिसलिअे जिस क्षण

तो मैं भारतकी मुक्तिका भी विचार नहीं करता। वह तो होगी ही। परन्तु यदि फ्रान्स और अंग्लैण्डका सफाया हो जाय या जर्मनीको वरवाद करके और घूलमें मिलाकर फ्रांस और अंग्लैण्ड विजयी हों तो भारतवर्षकी मुक्तिका क्या मूल्य है?

“अैसे अपूर्व बुल्कापातके बीच कांग्रेसियों और दूसरे तमाम जिम्मेदार भारतवासियोंको भी—व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपमें—यह निर्णय करना होगा कि अिस रीद्र लीलामें भारतवर्षको क्या भाग अदा करना है।”

अिस प्रकार गांधीजी अपनी निजी सहानुभूति और अपना नैतिक सहयोग होनेकी जो वात वाअिसराँयसे कह आये, अुसकी तहमें अहिंसाके वारेमें अुनकी अटल श्रद्धा ही थी। परन्तु कांग्रेसकी कार्यसमितिके सब सदस्योमें अिस प्रकारकी श्रद्धा नहीं थी। और देशकी शक्तिके वारेमें भी गांधीजीकी और अुनकी मान्यतामें अंतर था। अिसलिअे कार्यसमितिको स्वतंत्र रूपमें अपना निर्णय करना था।

३ सितम्बरको सम्राटने सारे साम्राज्यके नाम अेक संदेश जारी किया और अुसके अनुसार वाअिसराँयने हिन्दुस्तानके नाम अेक घोषणा प्रकाशित की। अुममें अुन्होंने अपना विश्वास प्रगट किया कि :

“बलप्रयोगके विरुद्ध मानव स्वतंत्रताके पक्षमें भारत अपना हिस्सा अदा करेगा और दुनियाके महान राष्ट्रों और अतिहासिक संस्कृतियोंमें अपने स्थानको सुशोभित करनेवाला भाग लेगा। . . . हमारे सामने तो आज मानवजातिके भविष्यके लिअे आवश्यक सिद्धान्तों और आन्तरराष्ट्रीय नीति-संघी सिद्धान्तोंकी रक्षा करनेका प्रश्न है। अुन महान सिद्धान्तोंका भारतवर्षके लिअे जितना महत्व है अुतना और किसीके लिअे नहीं है। अिस देशमें अुनकी जितनी कीमत और कद्र है अुतनी और कहीं नहीं है। और अुनकी रक्षाके लिअे सदासे जितना ध्यान यहां रखा गया है अुतना और कहीं किसीने नहीं रखा। ब्रिटिश सरकार अिस लड़ाअीमें पड़ी है तो किसी प्रकारके स्वार्थपूर्ण अुद्देश्यसे नहीं पड़ी है, परन्तु समस्त मानवजाति पर असर डालनेवाले वुनियादी सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिअे पड़ी है, संस्कृतिके व्यवस्थित कार्यको कायम रखनेके लिअे पड़ी है, नसारके देशोंके आपसी झगड़े बलप्रयोग द्वारा नहीं परन्तु शान्तिमय अुपायों और सामोपचारसे निवटानेके लिअे पड़ी है।”

अिन लच्छेदार शब्दोंके साथ वाअिसराँयने यह भी घोषित किया कि हिन्दुस्तानमें संघ-शासन स्थापित करनेका ध्येय छोड़ तो नहीं दिया गया, परन्तु अुसकी स्थापनाकी दिशामें होनेवाले काम युद्धकालमें बंद रहेंगे। साथ ही ब्रिटिश पार्लियामेण्टने १९३५ के संविधानमें अेक ही दिनके भीतर अिस प्रकारका संशोधन कर डाला कि वाअिसराँय जब चाहें तब प्रान्तीय सरकारोंके अधिकार अपने हाथमें ले सकेंगे अथवा अुनसे अपनी आज्ञाओं पालन करा सकेंगे।

अिसके अतिरिक्त पिछले युद्ध (१९१४-१९१८) के समय दिये हुअे वचन ब्रिटिश सरकारने पालन नहीं किये थे। तुर्की जब जर्मनीकी तरफ मिल गया तब अिंग्लैण्डके प्रधानमंत्रीने भारतीय मुसलमानोंको स्पष्ट वचन दिया था कि यद्यपि तुर्की शत्रुपक्षमें सम्मिलित हो गया है फिर भी लड़ाई समाप्त होने पर हम तुर्क साम्राज्यकी अखंडता कायम रखेंगे। जिस समय प्रधानमंत्री यह वचन दे रहा था, अुसी समय अुसने फ्रांस और रूसके साथ गुप्त संधियां करके तुर्क साम्राज्यको आपसमें बांट लेनेका पड्यंत्र रचा था। मित्रराज्योंने यह घोषणा की थी कि यह लड़ाई हम छोटे छोटे राज्योंकी स्वतंत्रताके लिये लड़ रहे हैं। परन्तु अुनके मनमें यूरोपके राज्योंकी स्वतंत्रता ही थी। अेशिया और अफ्रीकाके देशोंको अिंग्लैण्ड अपने पंजेसे छोड़ना नहीं चाहता था। लड़ाई खतम होनेके बाद हिन्दुस्तानने स्वतंत्रताके लिये जरा सिर अुठाया तो जलियांवाला बागका हत्याकांड और पंजाबके अमानुषिक अत्याचारोंसे अुसका जवाब दिया गया था। अिन तमाम बातोंको कार्य-समिति भूल नहीं सकती थी। अिसलिये अुसका विचार तो यह था कि कांग्रेस अिस युद्धमें कैसा भाग ले, यह तय करनेसे पहले ब्रिटिश सरकारसे यह कह दे कि आप अपनी मीठी मीठी बातें तो रहने दीजिये और हमें साफ शब्दोंमें यह बता दीजिये कि आप युद्ध किन अुद्देश्योंसे कर रहे हैं और स्पष्ट भाषाकी अपेक्षा भी अपनी घोषणाओंको अमलमें लानेके लिये अभी हमें और कुछ नहीं तो अपने आन्तरिक शासनकी स्वतंत्रता जरूर दे दीजिये।

तुरंत ही कांग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठक वर्धामें हुअी। चार दिन तक खूब सलाह-मशविरा करनेके बाद अुसने १४ सितम्बरको अेक घोषणापत्र प्रकाशित किया। अुनका मसौदा पंडित जवाहरलालजीने तैयार किया था। चूंकि अुस घोषणापत्रका अैतिहासिक महत्त्व है, और संसारके राजनैतिक साहित्यमें अुसका महत्त्वपूर्ण स्थान है, अिसलिये वह अक्षरशः यहां दिया जाता है :

“यूरोपमें युद्धकी घोषणा हो जानेसे जो गंभीर और विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है, अमुक पर कार्यसमितिके बहुत व्यानपूर्वक विचार किया। कांग्रेसने बार बार बताया है कि युद्ध हो तो हमारा राष्ट्र किन सिद्धान्तोंका अनुसरण करेगा। इसलिये समितिके अकेले महीने पहले ही अन्हें दोहरा दिया है और भारतकी ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये भारतीय लोकमतके अनादरके प्रति नाराजी जाहिर की है।

“ ब्रिटिश सरकारकी इस नीतिसे अलग रहनेके पहले कदमके तौर पर इस समितिके बड़ी धारासभाके कांग्रेसी सदस्योंको आगामी बैठकमें शरीक न होनेकी आज्ञा दी है। अमुकके बाद ब्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानको युद्धमें सम्मिलित देश घोषित कर दिया है, आर्डिनेंस जारी किये हैं, संविधानके कानूनमें परिवर्तन करनेवाला बिल पास कर दिया है और अन्य दूरवर्ती परिणामोंवाली कार्रवाइयां की हैं, जिनसे प्रान्तीय सरकारोंके अधिकार संकुचित और मर्यादित हो जाते हैं। इसका भारतीय लोगों पर गहरा असर पड़ा है।

“ यह सब कुछ भारतीय लोगोंकी सम्मतिके बिना किया गया है। इन मामलोंमें ब्रिटिश सरकारने लोगोंकी जाहिर की हुयी अिच्छाओंकी जानबूझकर अपेक्षा की है। ये सारी घटनाओं कार्यसमितिके अत्यंत गंभीर प्रतीत हुये बिना नहीं रह सकतीं।

“ फासिज्म और नाजिज्मके ध्येयों और आचरणोंके बारेमें तथा युद्ध, हिंसा अेवं मानवीय आत्माके दमनके अुनके गुणगानके बारेमें कांग्रेसने समय समय पर नाराजी जाहिर की है। अुन्होंने बार बार जो हमले किये हैं और सम्य व्यवहारके चिरस्थापित सिद्धान्तों और स्वीकृत मापदण्डोंकी जड़ अुखाड़ दी है, अुनकी कांग्रेसने निन्दा की है। साम्राज्यवादके विरुद्ध भी भारतवासी अनेक वर्षोंसे लड़ाई लड़ते रहे हैं। फासिज्म और नाजिज्ममें अुसीका अुग्र रूप कांग्रेसको दिखायी देता है। इसलिये जर्मनीकी नाजी सरकारने पोलैण्डके विरुद्ध जो पिछला आक्रमण किया है, अुसकी यह कार्यसमिति निःसंकोच भावसे निन्दा करती है और अुस आक्रमणका मुहाबला करनेवालोंके प्रति सहानुभूति प्रगट करती है।

“ कांग्रेसने यह भी घोषणा की है कि भारतवर्षके लिये युद्ध अथवा शांतिके प्रश्नका निर्णय भारतवासियोंको स्वयं ही करना चाहिये। कोजी भी बाहरी सत्ता अपना निर्णय अुस पर लाद नहीं सकती और

न भारतवासी अपनी साधन-सामग्रीका उपयोग साम्राज्यवादी अुद्देश्योंके लिये होने दे सकते हैं। बाहरी सत्ताने भारतवासियोंके पसन्द न किये हुअे हेतुओंके लिये भारतके साधनोंका उपयोग करनेका जो निर्णय किया है और अुसके लिये जो प्रयत्न वह कर रही है, अुसका जनताको निश्चित रूपमें विरोध करना होगा।

“किसी अच्छे काममें सहयोग चाहिये तो भी वह किसीको मजबूर करके या जबरन नहीं लिया जा सकता। बाहरी सत्ताके जारी किये गये हुक्मोंका अमल होनेमें भारतीय जनता सहमत नहीं हो सकती। सहयोग तो बराबरीवालोंमें, परस्पर सहमतिसे और दोनों जिसे सत्कार्य स्वीकार करें अुसके लिये हो सकता है।

“भारतीय जनताने पिछले कुछ वर्षोंमें आजादी लेने और देशमें लोकतांत्रिक स्वतंत्र राज्य स्थापित करनेके लिये महान संकट अुटाये हैं और बड़ी बड़ी कुर्वानियां की हैं। अुसकी सहानुभूति पूर्णतया लोकतंत्र और स्वतंत्रताके प्रति है।

“परन्तु जब लोकतांत्रिक स्वतंत्रता अुसे न दी जा रही हो और अुसे जो मर्यादित स्वतंत्रता मिली हुअी है वह छीन ली जा रही हो, तब वह कथित स्वतंत्रताके लिये लड़े जानेवाले युद्धमें साथ नहीं दे सकती।

“अिस समितिको मालूम है कि ग्रेटब्रिटेन और फ्रांसकी सरकारोंने यह घोषणा की है कि वे लोकशासन और स्वतंत्रताके लिये तथा अन्यायपूर्ण आक्रमणका अन्त करनेके लिये लड़ रही हैं। परन्तु पिछले कुछ वर्षोंका अितिहास अैसी मिसालोंसे भरा पड़ा है जिनमें जवानसे कहे हुअे शब्दों और घोषित आदर्शोंके बीच तथा असली अुद्देश्यों और ध्येयोंके बीच सदा अन्तर रहा है। १९१४-१८ की लड़ाअीमें लोकतंत्रकी, छोटे राष्ट्रोंके आत्मनिर्णयकी और स्वतंत्रताकी रक्षा युद्धके ध्येयके रूपमें घोषित हुअी थी। फिर भी जिन सरकारोंने अिन ध्येयोंकी गंभीरतासे घोषणा की थी, वे ही तुर्क साम्राज्यके टुकड़े करनेकी योजनाओंसे भरे हुअे गुप्त समझौते करने पर अुतर आयी थीं। यह कहकर भी कि अुन्हें तिलभर भी मुल्क नहीं लेना है, विजयी राष्ट्रोंने अपने अधीन अिलाकोंमें बड़ी वृद्धि कर ली थी। युरोपकी वर्तमान लड़ाअी बता रही है कि वर्साअीकी संधि और अुसके कर्ता — जिन्होंने अपने दिये हुअे वचन तोड़े और पराजित राष्ट्रों पर साम्राज्यवादी संधि जबरदस्ती लाद दी — विलकुल असफल सिद्ध हुअे हैं। अुस संधिका जो अेकमात्र

आशाजनक परिणाम — राष्ट्रसंघ — था, अुसका अुसके जनक राष्ट्रोंने ही शुरूमें मुंह वन्द करके गलेमें फांसीका फंदा डाला और वादमें अुसके प्राण हर लिये ।

“अुसके वादके अितिहासने फिरसे व्रता दिया है कि अूपर अूपरसे देखने पर हृदयसे निकली मालूम होनेवाली श्रद्धाकी घोषणा करने पर भी वादमें लज्जाजनक ढंगसे अुसका भंग कर दिया जाता है । मंचूरियामें ब्रिटिश सरकारने आक्रमणकी अुपेक्षा की, अेदिसीनिया पर वलात्कार करनेकी सम्मति दी, जेकोस्लोवाकिया और स्पेनमें लोकतंत्र खतरेमें था तब अुसे जानबूझ कर धोखा दिया, और संयुक्त सुरक्षाकी संपूर्ण पद्धतिके वारेमें जिन्होंने पहले अपना दृढ़ विदवास घोषित किया था अुन्हींने अुसके भीतर सुरंग लगायी ।

“अैसा कहा जा रहा है कि अिस समय लोकतंत्र खतरेमें आ पड़ा है और अुसकी रक्षा करनी चाहिये । अिस बातसे यह समिति पूरी तरह सहमत है । समिति मानती है कि पश्चिमके लोग अिस आदर्श और हेतुसे प्रेरित हैं और अुसके लिअे वलिदान करनेको तैयार हैं । परन्तु जिन अन्य जातियोंने अुस लड़ाीमें कुर्बानियां की हैं अुनके आदर्शों और भावनाओंकी वार वार अुपेक्षा की गयी और अुन्हें दिये गये वचनोंका पालन नहीं किया गया ।

“यह लड़ाी अगर अिस समय साम्राज्यके कब्जेमें जो देश, अुपनिवेश, प्रस्थापित हित और अधिकार हैं अुनको ज्योंका त्यों कायम रखनेके लिअे हो, तो अिससे भारतका कोअी वास्ता नहीं हो सकता । परन्तु यदि लोकतंत्र और लोकतंत्रके आधार पर स्थापित संसारकी व्यवस्था अिस लड़ाीका अुद्देश्य हो, तो हिन्दुस्तानको अिसमें बहुत ही गहरी दिलचस्पी है । अिस समितिको विदवास है कि भारतीय लोकतंत्रका हित ब्रिटिश लोकतंत्र या जगतके किसी भी लोकतंत्रका विरोधी नहीं है ।

“परन्तु भारतके और अन्य देशोंके लोकतंत्रमें और साम्राज्यवाद तथा फासिज्ममें स्वाभाविक और अमिट विरोध है । ग्रेटब्रिटेन यदि लोकतंत्रकी रक्षा और प्रचारके लिअे लड़ रहा हो, तो अुसे अपने अधीन देशोंमें निश्चित रूपमें साम्राज्यवादका अंत कर देना चाहिये और भारतमें संपूर्ण लोकतंत्र स्थापित करना चाहिये । भारतवासियोंको आत्मनिर्णयका हक, बाहरके हस्तक्षेपके विना लोकप्रतिनिधि सभा द्वारा अपना संविधान तैयार करनेका हक और अपनी शासननीति निश्चित करनेका हक

होना चाहिये। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत दूसरे स्वतंत्र लोगोंके साथ परस्पर रक्षा और आर्थिक सहयोगके लिये खुशीसे शरीक होगा। स्वतंत्रता और लोकतंत्रके आधार पर निर्मित सच्ची संसारव्यापी व्यवस्थाकी स्थापनाके लिये और मानवजातिकी प्रगति और विकासके लिये संसारके ज्ञान और साधनोंका अुपयोग करनेमें हम अवश्य साथ देंगे।

“यूरोपमें जो विषम अवसर अुपस्थित हुआ है, वह अकेले यूरोपका नहीं, परन्तु सारी मानवजातिका है। अन्य विषम अवसरों या विग्रहोंकी तरह वह दुनियाकी वर्तमान मूलभूत रचनाको अछूती रहने देकर गुजर नहीं जायगा। अिससे संसारमें स्थायी रूपसे नयी व्यवस्था स्थापित होनेकी संभावना है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिसे देखते हुअे यह विषम अवसर पिछले महायुद्धके बाद चौकानेवाले ढंगसे बढ़े हुअे सामाजिक और राजनैतिक संघर्षों और विरोधोंका अनिवार्य परिणाम है। जब तक वे संघर्ष और अुनके विरोध नहीं मिटेंगे और नया संतुलन स्थापित नहीं होगा तब तक अिस विषमताका अंतिम निराकरण नहीं होगा। अेक देशके हाथों दूसरे देशका अधिपत्य और शोषण खतम हो और सबके कल्याणके लिये न्यायपूर्ण आधार पर आर्थिक सम्बन्धोंकी पुनर्रचना हो तो ही वह संतुलन स्थापित हो सकता है।

“अिस मामलेमें हिन्दुस्तान अेक समस्या जैसा है, क्योंकि वह आधुनिक साम्राज्यकी जबरदस्त मिसाल है। अिस मार्मिक प्रश्नकी अुपेक्षा करके दुनियाकी जो नवरचना होगी वह सफल नहीं होगी। हिन्दुस्तानके पास विपुल साधन होनेके कारण संसारकी नवरचनाकी किसी भी योजनामें वह महत्त्वपूर्ण भाग लिये बिना नहीं रह सकेगा। परन्तु अैसा वह अपनी शक्तियोंका अिस महान ध्येयके लिये अुपयोग कर सकनेवाले स्वतंत्र राष्ट्रकी हैसियतसे ही कर सकता है। अिस जमानेमें स्वतंत्रता अखंड और अविभाज्य वस्तु बन गयी है। संसारके किसी भी भागमें साम्राज्यवादी अधिपत्य कायम रखनेकी कोशिश की जायगी तो अुससे नयी नयी आफतें खड़ी हुअे बिना नहीं रहेंगी।

“कार्यसमितिके देखा है कि अिस युद्धमें बहुतेसे देशी राजाओंने अपनी सेवाओं और साधन-सामग्री अर्पित करनेकी तत्परता दिखायी है और अिस प्रकार यूरोपके लोकतंत्रको सहायता देनेकी अपनी अिच्छा प्रगट की है। विदेशोंके लोकतंत्रके पक्षमें अन्हें अपनी हमदर्दी जाहिर

करनी ही हो तो कार्यसमिति यह सुझाती है कि अन्हें अपने राज्योंमें, जहां आज शतप्रतिशत स्वेच्छाचार मौजूद है, लोकतंत्र कायम करनेकी पहली सावधानी रखनी चाहिये। पिछले वर्ष हमें ऐसा दुःखद अनुभव हुआ है कि जिस स्वेच्छाचारके लिये स्वतंत्र राजाओंकी अपेक्षा भारतकी ब्रिटिश सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। उसकी यह नीति जिस लोकशासनका और जिस नवीन विश्व-व्यवस्थाके लिये ग्रेटब्रिटेन यूरोपमें लड़नेका दावा करता है उसका निरा इनकार है।

“यूरोपमें, अफ्रीकामें और अशियामें भूतकालमें हुयी और विशेषतः भारतमें भूतकाल और वर्तमानमें हुयी घटनाओंका अवलोकन करने पर अुनमें लोकतंत्र या आत्मनिर्णयका कार्य आगे बढ़ानेका कोयी प्रयत्न कार्यसमितिको दिखायी नहीं देता। और जिस वातका कोयी सवृत भी अुसे नहीं मिलता कि ब्रिटिश सरकारकी युद्ध-सम्बन्धी घोषणाओं पर अमल हो रहा है या होगा। लोकतंत्रकी सच्ची परीक्षा यह है कि साम्राज्यवाद और फासिज्म दोनोंका और अुनके साथ भूतकालमें तथा जिस समय जुड़े हुये आक्रमणोंका अंत हो। जिस आधार पर ही नवरचना हो सकती है। जिस समितिको जगतकी नवरचनाकी लड़ाीमें हर प्रकारसे मदद देनेकी अिच्छा और आतुरता है। परन्तु जो लड़ाी साम्राज्यवादके ढंग पर हो रही है और जिसका अदृश्य हिन्दुस्तानमें और अन्यत्र भी साम्राज्यवादकी जड़ कायम करना हो, अुस लड़ाीमें यह समिति नाथ नहीं दे सकती।

“परन्तु अवसरकी गंभीरताको देखते हुये और यह देखते हुये कि पिछले कुछ दिनोंमें मनुष्योंके विचारोंसे घटनाओंकी गति अकसर अधिक तेजीसे चल रही है, यह समिति जिस समय कोयी भी अन्तिम निर्णय नहीं करना चाहती, जिससे जिस वातका पूरी तरह स्पष्टीकरण होनेका अवकाश मिल जाय कि जिसमें कौनसे प्रश्न निहित हैं, वास्तविक व्यय क्या हैं और वर्तमान तथा भविष्यमें भारतकी स्थिति कैसी रहेगी। परन्तु अुस फैसले पर पहुंचनेमें बहुत देर नहीं की जा सकती, क्योंकि दिनोंदिन हिन्दुस्तानको अैसी बातोंमें फंसाया जा रहा है जिनमें अुसने अपनी स्वीकृति नहीं दी है और जिनसे वह असहमत है।

“जिसलिये कार्यसमिति ब्रिटिश सरकारसे कहती है कि आप साफ शब्दोंमें घोषणा कीजिये कि लोकतंत्र और साम्राज्यवादके बारेमें तथा भविष्यके लिये कल्पित नवीन व्यवस्थाके बारेमें आपके युद्ध-सम्बन्धी

ध्येय क्या क्या हैं, खास तौर पर वे ध्येय हिन्दुस्तान पर कैसे लागू होंगे और अतः पर अभी तुरंत किस तरह अमल होगा? क्या अतः अतः में साम्राज्यवादके नाशका, भारतको स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार करनेका और अतः अतः की राजनीति अतः अतः के निवासियोंकी अिच्छानुसार चलने देनेका समावेश भी होगा? भविष्यके वारेमें स्पष्ट घोषणा हो और अतः अतः में साम्राज्यवाद तथा फासिस्टवाद दोनोंका अन्त करनेकी सरकार प्रतिज्ञा करे तो अतः अतः का सभी देशोंके निवासी स्वागत करेंगे। परन्तु अतः अतः पर यथाशक्ति अधिकसे अधिक मात्रामें तत्काल अमल करना अतः अतः से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अतः अतः करनेसे ही लोगोंको विश्वास होगा कि सरकारी घोषणा अतः अतः का अमल करनेके अिरादेसे ही हुआ है। किसी भी घोषणाकी असली परीक्षा तो अतः अतः के वर्तमानमें होनेवाले अमलसे होती है, क्योंकि मनुष्यकी आजकी परिस्थितिका नियमन वर्तमान ही करेगा और वही अतः अतः के भविष्यका निर्माण करेगा।

“युरोपमें युद्ध छिड़ गया है और भविष्यका विचार करनेसे दिल कांप अठता है। पिछले कुछ वर्षोंमें अेबिसीनिया, स्पेन और चीनमें युद्धने हजारों मनुष्योंका संहार किया है, असंख्य निर्दोष स्त्री-पुरुषों और बच्चोंको खुले शहरों पर आकाशसे बम गिराकर मार डाला गया है और विना किसी संकोचके कल्लेआम मचाया गया है तथा लोगोंको विविध यातनाओं और भेदसे भेद अपमान सहन करने पड़े हैं। ये सब बातें अेकके बाद अेक तेजीसे हो गयी हैं। वह आतंक बढ़ता ही गया है। हिंसा और हिंसाकी धमकी जगतके सिर पर झूल रही है। यदि अतः अतः पर अंकुश लगाकर अतः अतः का अंत नहीं किया गया तो वह पिछले युगोंके बहुमूल्य अुत्तराधिकारका नाश कर डालेगी। अिस आतंकका युरोप और चीन दोनोंमें नियंत्रण होना ही चाहिये। जब तक फासिज्म और साम्राज्यवादका, जो अतः अतः के मूल कारण हैं, अन्त नहीं होता तब तक अिसका अंत नहीं होगा। कार्यसमिति अिसका अन्त करनेमें साथ देनेको तैयार है। परन्तु यदि यह भयानक युद्ध भी साम्राज्यवादकी भावनासे और वर्तमान समाज-रचनाको — जो स्वयं ही युद्ध और मानव अघःपतनका कारण है — कायम रखनेके लिये लड़ा जायगा तो वह बड़ी कष्ट घटना सिद्ध होगी।

“कार्यसमिति घोषणा करना चाहती है कि जर्मन राष्ट्र या जापानी राष्ट्र या और किसी भी राष्ट्रके साथ भारतका कोई झगड़ा नहीं। परन्तु जो राज्य दूसरोंको आजादी नहीं देते और जिनकी रचना

हिंसा तथा आक्रमणके आधार पर हुयी है, अन्के विरुद्ध अुसका निश्चित रूपसे जवरदस्त झगड़ा है। भारतवासियोंकी मंशा यह देखनेकी नहीं है कि अेक राष्ट्रकी दूसरे राष्ट्र पर विजय हो अथवा किसीको जवरन् सुलह मंजूर करनी पड़े, परन्तु यह देखनेकी है कि सभी देशोंके सभी लोगोंके लिये सच्चे लोकतंत्रकी जीत हो और संसार हिंसा तथा साम्राज्यवादके जुल्मकी भयंकरतासे मुक्त हो।

“यह समिति भारतवासियोंसे हार्दिक अनुरोध करती है कि वे सभी आंतरिक कलह और विवाद वन्द कर दें और आपत्तिकी अिस भीषण घड़ीमें अेक और अखंड राष्ट्रके रूपमें सुसज्जित हो जायं, भीतरी अेकता बनाये रखें और शांतिपूर्वक संसारकी विशाल स्वतंत्रतामें भारतकी स्वतंत्रता प्राप्त करनेके निश्चयमें अटल रहें।”

अिस घोषणापत्र पर गांधीजीने ता० १५-९-३९ को ‘हरिजन’ में यह लेख लिखा :

“दुनियामें जो महायुद्ध छिड़ गया है अुसके सिलसिलेमें कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा प्रकाशित घोषणापत्र पर चर्चा करने और अुसका अंतिम रूप तैयार होनेमें चार दिन लग गये। पेशा हुअे मसौदे पर प्रत्येक सदस्यने अपनी अपनी राय पूरी आजादीसे जाहिर की। समितिके चाहने पर पं० जवाहरलालने मसौदा तैयार किया था। यह देखकर मुझे खेद हुआ कि अैसा सुझानेवाला मैं अकेला ही था कि मांजूदा मामलेमें ब्रिटेनको जो भी मदद करनी हो वह विला शर्त करनी चाहिये। अैसी विलाशर्त मदद शुद्ध अहिंसाकी भूमिका पर ही हो सकती है। परन्तु समितिको भारी जिम्मेदारी अदा करनी थी। वह निरा शुद्ध अहिंसक रवैया अस्तियार नहीं कर सकती थी। अुसका खयाल था कि विरोधीकी कठिनाअियोंसे लाभ अुठानेमें हीनता मानने जितनी अहिंसा प्रजाने अभी तक पचासी नहीं है। फिर भी अपने निर्णयके कारण वतानेमें समिति अंग्रेज लोगोंका अधिकसे अधिक खयाल रखनेके लिये अुत्सुक थी।

“मसौदा तैयार करनेवाले जवाहरलालजी अेक अुंचे दर्जेके कलाकार हैं। किसी भी रूप या प्रकारके साम्राज्यवादके विरोधमें कोई अुनकी वरावरी नहीं कर सकता। फिर भी वे अंग्रेज प्रजाके मित्र हैं। अपने विचारों और रचनामें वे हिन्दुस्तानकी अपेक्षा अंग्रेज ही अधिक हैं। बहुत वार अपने देशदंघुओंकी अपेक्षा अंग्रेजोंके साथ अुनकी अधिक पटती है। अिसके सिवा, वे जीवदया तथा मानवताके अितने प्रेमी हैं कि

पृथ्वीतल पर कहीं भी होनेवाला अन्याय या दुष्कृत्य अन्हें बेचैन कर देता है। इसीलिजे अत्कट राष्ट्रवादी होते हुअे भी अुनकी राष्ट्रीयता ओजस्वी आन्तर-राष्ट्रीयतासे दीप्त हो अुठती है। इस कारण यह अेक अैसा घोषणापत्र है जो अुन्होंने केवल अपने देशवासियोंको ही ध्यानमें रखकर नहीं, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राष्ट्रको ही ध्यानमें रखकर नहीं, परंतु संसारके तमाम राष्ट्रोंको ध्यानमें रखकर तैयार किया है। भारतकी भांति जो राष्ट्र अन्य राष्ट्रोंके हाथों शोषित हो रहे हैं वे सारे राष्ट्र इसमें आ जाते हैं।

“यह घोषणापत्र मंजूर करनेके साथ ही साथ कार्यसमितिते पं० जवाहरलालजीकी पसन्द की अेक अपुसमिति नियुक्त की (अुसमें जवाहरलालजीके सिवा मौ० अदुलकलाम आजाद तथा सरदार थे।) और अुसके अध्यक्षके स्थान पर अुन्हें नियुक्त किया। यह अपुसमिति रोज-व-रोज पैदा होनेवाली परिस्थितिके अनुसार काम करेगी।

“मुझे आशा है कि कार्यसमितिके इस घोषणापत्रको कांग्रेसियोंके सभी दलोंका अेकमतसे समर्थन मिलेगा। अुग्रसे अुग्र कांग्रेसीको भी अुसमें बलका अभाव दिखायी नहीं देगा। प्रत्येक कांग्रेसजनको यह महसूस होना चाहिये कि राष्ट्रके अितिहासमें अैसे नाजुक मौके पर कदम अुठानेकी जरूरत पड़ेगी तो वैसा करनेके लिअे बलकी कमी नहीं होगी। इस समय कांग्रेसवादी तुच्छ झगड़े-टंटों या दलबन्दीमें अुतर पड़ेंगे तो वह अेक महा दुःखदायी और करुण घटना होगी। कार्यसमितिके इस कदमसे यदि कोअी बड़ा और कीमती नतीजा निकलेगा तो वह अेक अेक कांग्रेसीकी अेकनिष्ठा और असंदिग्ध वफादारीसे ही निकल सकता है। मैं तो यह भी आशा रख रहा हूं कि ब्रिटिश सरकारकी तरफसे अुसकी नीतिकी स्पष्ट घोषणा और अुस घोषणाके अुनुरूप वर्तमान युद्धकी स्थितिमें यथाशक्ति अमलकी मांगमें दूसरे सब राजनैतिक दल और जातियां भी कार्यसमितिका साथ देंगी। मुझे तो भारतवर्षकी वलिक ब्रिटिश सम्राट्के अधीन अन्य सब देशोंकी प्रजाओंको आज ही स्वतंत्र और आजाद प्रजा स्वीकार कर लेना ब्रिटेनके लिअे आज तक किये गये अुसके लोकतंत्रके दावोंका स्वाभाविक परिणाम मालूम होता है। यदि अिस लड़ायीका अिससे जरा भी कम अर्थ लगाया जायगा तो परतंत्र देशोंकी तरफसे मिलनेवाला सहयोग कभी प्रामाणिक और अैच्छिक नहीं हो सकता। हां, गुट्ट अहिंसाके आधार पर दिये जानेवाले सहयोगकी बात दूसरी है।

“जिस समय सच्ची जरूरत तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी मनोदगामें संपूर्ण परिवर्तन होनेकी है। जिससे भी स्पष्ट भाषामें कहूं तो लड़ाईके आरम्भके समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा की गयी और जिस समय अंग्लैण्डके व्याख्यान-मंत्रोंने बार बार दोहरायी जानेवाली लोकतंत्रकी घोषणाओंको पूरा करनेके लिये प्रामाणिक आचरण विशेषतः आवश्यक है। क्या अंग्लैण्ड अिस लड़ाईमें असंतुष्ट भारतको अुसकी अिच्छाके विरुद्ध जबरन् घसीटेगा ? या यह देखना चाहेगा कि वह सच्चे लोक-तंत्रकी रक्षाके कार्यमें अेक स्वेच्छापूर्वक सहायता देनेवाले मित्रके नाते सहयोग दे ? कांग्रेसकी अिस प्रकारकी सहायता अंग्लैण्ड और फ्रांसके पक्षमें वड़ेसे बड़ा नैतिक बल समझी जायगी। कारण, कांग्रेसके पाम सिपाही नहीं हैं। कांग्रेस हिंसासे नहीं परंतु अहिंसाके अस्त्रसे लड़नेवाली संस्था है। फिर भले अहिंसा कितनी ही अपूर्ण और कितनी ही बढ़ेगी हो।”

यह समय बड़ा नाजुक था और कांग्रेसका कोअी जिम्मेदार आदमी कुछ भी बोले या करे तो अुसका अनर्थ होनेका अंदेश था। अिसलिये नअी वनी हुअी युद्ध-समितिये तमाम प्रान्तीय समितियोंको परिपत्र भेजकर सूचना दे दी कि कोअी भी व्यक्तिगत रूपमें जल्दवाजीकी कार्रवाअी न करे और न जल्दवाजीमें कुछ कह डाले, जिससे समय पकनेसे पहूले किसी भी प्रकारकी परिस्थिति अुत्पन्न न हो।

२६ सितम्बरको लार्डसभामें भारतकी परिस्थितिके विषयमें चर्चा हुअी। भारतमंत्री लार्ड जेटलैण्डने भाषण दिया, जिसमें अुन्होंने हिन्दुस्तानके भिन्न भिन्न वर्गके लोगों द्वारा सरकारको दी जा रही सहायताकी कद्र करते हुअे कहा :

“देशी राजा आदमियों और रुपयेकी मदद दे रहे हैं और अुन्होंने अपनी व्यक्तिगत सेवाओं देनेकी भी तैयारी वताअी है। पंजाब और बंगालके प्रधान मंत्रियोंने (वहां कांग्रेसी मंत्रिमंडल नहीं थे) विला-शत मदद देनेके वचन दिये हैं। केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको ही अमुक वचन न मिलने पर युद्धमें सहयोग देनेमें कठिनाअी प्रतीत होती है। अुसकी मांगें स्वाभाविक हैं। परंतु जिस समय ब्रिटेन जीवन्-मरणके संग्राममें लगा हुआ है अुस समय कांग्रेसका ब्रिटिश अिरादोंकी स्पष्ट घोषणा चाहना असामयिक है। कांग्रेसके नेताओंकी देशभक्तिकी में कद्र करता हूं। परंतु वे व्यावहारिक कठिनाअियोंका खयाल नहीं रखते और पृथ्वी पर सीधे देखकर चलनेके बजाय तारोंके सामने नजर

रखकर आकाशमें अडते हैं। ब्रिटिश लोगोंका स्वभाव असा है कि वे सम्मानपूर्ण और प्रसंगोचित व्यवहारकी कद्र कर सकते हैं, परंतु अपनी मांगोंके लिये कांग्रेसी नेताओंने गलत समय चुना है।”

गांधीजीने इसका उत्तर देते हुए लिखा :

“युद्धके अदृश्योंकी घोषणाकी मांग करनेमें कांग्रेसने कोअी विचित्र या अनुचित बात नहीं की। स्वतंत्र भारतकी सहायताका ही मूल्य हो सकता है और कांग्रेसको यह जाननेका हक है कि वह लोगोंके पास जाकर उनसे कह सकती है या नहीं कि लड़ाीके अन्तमें भारतको ब्रिटेनके बराबर ही स्वतंत्र देशका दर्जा अवश्य मिलेगा। अंग्रेजोंके मित्रके नाते मैं अंग्रेज राजनीतिज्ञोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे साम्राज्यवादियोंकी पुरानी भाषा भूल जायं और जो जातियां उनकी वेड़ियोंमें जकड़ी हुअी हैं उन सबके लिये नया पृष्ठ शुरू करें।”

युद्ध-समितिके अध्यक्षकी हैसियतसे जवाहरलालजीने जो जवाब दिया, उसमें कहा गया :

“कार्यसमितिके घोषणापत्रकी तहमें यह खयाल है कि वह केवल भारतके लिये नहीं, परंतु संसारके उसके जैसे अन्य अनेक राष्ट्रोंके लिये है। उसका हेतु मानवताके हताश हुअे हृदयमें नवीन आशाका संचार करना है। लार्ड जेटलैण्ड मृत भूतकालकी भाषामें बोल रहे हैं। असा भाषण वे बीस वर्ष पहले कर सकते थे। हमने जो मांग पेश की है वह बाजारू वृत्तिसे नहीं की है। हमें संसारकी प्रजाओंकी स्वतंत्रताका वचन मिलना चाहिये और स्वतंत्र संसारके चित्रपट पर भारतका दर्शन होना चाहिये। तभी इस युद्धका हमारे लिये कोअी अर्थ हो सकता है। हमें अनुभव होना चाहिये कि हम जो कष्ट भोगने और दुःख सहन करनेको तैयार हैं वह केवल अपने ही लिये नहीं परंतु संसारकी सभी प्रजाओंके लिये अुचित वस्तु है। हमारा खयाल है कि हमारे जैसे आदर्श बहुतसे ब्रिटिश लोगोंके भी हैं, इसीलिये हम उन आदर्शोंकी सिद्धिके लिये सहयोग देनेको तैयार होते हैं। परंतु यदि इन आदर्शोंका अस्तित्व ही न हो तो हम किसलिये लड़ें? ये अदृश्य सार्वजनिक रूपमें स्वीकार किये जायं और उन पर अमल किया जाय तो स्वतंत्र भारत स्वेच्छापूर्वक अपना वजन उन आदर्शोंके पक्षमें डालेगा।”

वादमें वाडिसरायने मुलाकातें देना शुरू किया। पहले वे गांधीजीसे मिले, बादमें श्री राजेन्द्रवाडू और जिन्ना साहबसे मिले। इसके बाद

जवाहरलालजीसे, सुभाषवावूसे और राजाओंकी संस्थाके अव्यक्षसे मिले। अुसके बाद सब जातियों और हितोंके प्रतिनिधियोंको भेंटके लिये बुलाया। प्रत्येकका क्या कहना है और अुनकी क्या मांग है, यह वाजिसराय नोट कर लेते थे। जिस तरह वावनसे अधिक व्यक्तियोंसे मिलनेके बाद १७ अक्टूबरको वाजिसरायने दूसरी घोषणा की। जिस बीच ९ और १० अक्टूबरको कांग्रेस महासमितिकी बैठक हुअी। अुसने कार्यसमिति द्वारा प्रकाशित घोषणापत्रका समर्थन किया। वाजिसरायने अपनी घोषणामें युद्धके अुद्देश्योंके बारेमें कहा :

“सम्राट् महोदयकी सरकारने खुद ही जिस बातकी तफसील निश्चित रूपमें तय नहीं की है कि जिस युद्धमें लड़नेके क्या अुद्देश्य हैं। युद्धमें आगे चल कर अँसा स्पष्टीकरण हो सकता है। और जब होगा तब भी वह मित्रराज्योंमें से अँकके अुद्देश्योंकी घोषणा नहीं हो सकती। युद्ध समाप्त होनेसे पहले तो दुनियामें हमारे सामने जो परिस्थिति है अुसमें बहुत परिवर्तन हो जायेंगे। अभी तो जितना ही कहा जा सकता है कि दुनियाके सामने जो प्रश्न अुपस्थित हो गये हैं अुनका निवटारा केवल युद्धमे ही न करना पड़े, अँसी आन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति पैदा करना ही अुसका सर्वमान्य अुद्देश्य है।” वाजिसरायने दूसरी बात यह कही :

“१९३५ के गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अँक्टके अनुसार जिस संघ-शासनका निर्माण करना है, अुसमें युद्धके अन्तमें अुचित फेरवदल हो सकेंगे। जिसके लिये भिन्न भिन्न जातियों, दलों और हितोंके तथा देशी राजाओंके प्रतिनिधियोंके साथ सलाह-मशविरा किया जायगा, ताकि यह तय करनेमें अुनकी सहायता और सहयोग मिल सके कि कैसे परिवर्तन करना वांछनीय है। ये परिवर्तन करनेमें अल्पसंख्यकोंके हितों और विचारोंको पूरा महत्त्व दिया जायगा।”

अल्पसंख्यक जातियों और देशी राजाओंके सिवा भारतमें व्यापारिक और औद्योगिक हित रखनेवाली युरोपियन कंपनियोंको भी अुन्होंने अल्प-संख्यकोंमें मान लिया। जिसके सिवा, अुन्होंने अँक अँसा मंडल स्थापित करनेकी बात की जिसके साथ युद्ध-संचालनमें भारतीय लोकमतके संसर्गमें रह सकनेके लिये सलाह-मशविरा हो सके। यद्यपि अँसा सत्ताहीन मंडल भी ठँट जुलाअी १९४१ में अस्तित्वमें आया।

राष्ट्रपति राजेन्द्रवावूने जिस घोषणाको अत्यंत निराशाजनक होने पर भी आश्चर्यजनक नहीं बताया। युद्ध-समितिके अव्यक्षकी हैसियतसे

जवाहरलालजीने कहा कि यह घोषणा भारत राष्ट्रीय और आन्तरराष्ट्रीय रूपमें जिन सिद्धान्तोंकी हिमायत करता है उनका पूरी तरह अिनकार करती है। गांधीजीने कहा :

“अिससे तो ब्रिटिश सरकार कुछ भी घोषणा करनेसे अिनकार कर देती तो बेहतर होता। वाअिसराँय महोदयकी लंबी घोषणा बताती है कि हममें फूट फैलाकर राज करनेकी पुरानी नीति ही जारी रहेगी। जहां तक मैं देख पाता हूं, अैसी नीतिके अमलमें कांग्रेस कभी शामिल नहीं हो सकती। वाअिसराँय महोदयकी घोषणा साफ तौर पर बताती है कि जहां तक ब्रिटेनका बस चलेगा वहां तक वह भारतमें जन-शासन स्थापित नहीं होने देगा। लड़ाई समाप्त होने पर अेक और गोलमेज परिषद् करनेका घोषणामें वचन दिया गया है। पहलेवाली गोलमेज परिषद्की तरह यह भी असफल ही होगी। कांग्रेसने रोटी मांगी। जवाबमें उसे पत्थर मिला है। परंतु मैं वाअिसराँय महोदय या ब्रिटेनके नेताओंको दोष नहीं देता। कांग्रेसको फिर वनवासमें जाना पड़ेगा। अैसा वनवास भुगत लेनेके बाद ही अुसमें अपने ध्येय तक पहुंचनेके लिये आवश्यक बल और शुद्धता आयेगी।”

अिस घोषणापत्रके बाद अँग्लो-अिडियन और विलायती अखवार कांग्रेस पर दोषारोपण करने लगे। वे कहने लगे कि अितने सब अल्पसंख्यकोंके हितोंकी रक्षा किये बिना कांग्रेसकी मांगें कैसे संतुष्ट की जा सकती हैं? और गांधीजी पर भी वे यह आक्षेप करने लगे कि विला शर्त सहायता देनेकी बात कहकर वे मुकर रहे हैं। गांधीजीने अिसका अुत्तर दिया :

“यह कहना सही नहीं कि मेरे कथनोंमें मेल नहीं है और अपने पहलेके वक्तव्योंमें अँग्लैण्ड और फ्रांसके प्रति मैंने जो सहानुभूति प्रदर्शित की थी अुससे मैं चुपचाप खिसक गया हूं। मेरा जो मत पहले था वही अब भी कायम है। परंतु जब यह प्रश्न अुपस्थित किया गया है तो मैं अँग्लैण्डसे यह अपेक्षा जरूर रखता हूं कि अुसे अिस प्रश्नका संतोषजनक अुत्तर देना चाहिये। मैंने कांग्रेसको जो सलाह दी थी अुसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दुस्तानको अपनी स्वतंत्रता खोकर मित्रराज्योंको मदद देनी चाहिये। भारतको ब्रिटेनके रयके पहियेसे बांध दिया जाय तो अुसमें मैं शरीक नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना तो अब भी यही है कि ब्रिटेन और फ्रांसकी जय हो; अितना ही नहीं, परंतु जर्मनीका विनाश न हो। जैसे मैं यह नहीं चाहता कि यूरोपके राष्ट्रोंकी आजादीका निर्माण भारतकी स्वतंत्रताके खण्डहर

पर हो, वैसे ही मेरी यह लेशमात्र भी अच्छा नहीं कि युद्धमें शामिल हुअे राष्ट्रोंमें से किसीकी भी राख पर भारतकी आजादीकी अिमारत खड़ी हो।”

कांग्रेसकी कार्यसमितिने २२ तारीखको बर्षामें मिलकर वाअिसरायकी घोषणाका निम्नलिखित प्रस्ताव द्वारा अुत्तर दिया :

“ कार्यसमितिकी यह राय है कि युद्धके अुद्देश्य क्या हैं और खास तीर पर भारतके प्रति अुनका अमल कैसे किया जायगा, अिन बातोंकी घोषणा करनेके विषयमें अिस समिति द्वारा की गयी मांगके अुत्तरमें वाअिसराय महोदयकी घोषणा अमनोपकारक है। जो लोग भारतकी स्वतंत्रताके लिये अुत्सुक और निश्चय-वद्ध हैं अुन सबमें अिससे क्रोधकी भावना पैदा होगी। घोषणाके लिये अिस समितिकी मांग अकेले भारतवासियोंकी तरफसे ही नहीं परंतु युद्ध और हिंसासे तथा राष्ट्रों और जनताओंका शोषण करनेवाले सारी आफनोंके जड़रूप फासिस्ट और साम्राज्यवादी शासनोंमें पीड़ित हो अुठे दुनियाभरके करोड़ों लोगोंकी तरफसे थी। दुनियाकी आम जनता सबके लिये शांति तथा स्वतंत्रताका नया युग स्थापित हुआ देखनेको तरस रही है। वाअिसराय महोदयकी घोषणा पुरानी साम्राज्यवादी नीतिका असंदिग्ध पुनश्चारमात्र है। भिन्न भिन्न दलोंके बीचके मतभेदका अुनमें जो अुल्लेख किया गया है, अुसे यह समिति ब्रिटेनके असली मकसदको छिपानेके लिये अिस्तेमाल किये गये परदेके रूपमें मानती है। समितिकी मांग तो यह थी कि परस्पर-विरोधी दलों और समूहोंके रवैयेकी ओर अुंगली न अुठाकर हिन्दुस्तानके प्रति अपनी अीमानदारीके सन्तके तीर पर ब्रिटेन लड़ाीके पीछे रहे अुद्देश्योंकी घोषणा कर। अल्पमतोंके अधिकारोंकी रक्षाके लिये भरपूर वचन देनेकी सदासे कांग्रेसकी नीति रही ही है। कांग्रेसकी मांगमें अुपस्थित की गयी आजादी किसी भी अेक दलकी या जातिकी नहीं परंतु समस्त राष्ट्रकों, भारतकी तमाम जातियोंकी आजादी है। अैसी आजादी कायम करनेका और समस्त जनताकी अच्छा क्या है यह तय करनेका अेकमात्र मार्ग यह है कि अैसे लोकशासनकी प्रणाली अपनायी जाय, जिसमें सबको अपना मत प्रगट करनेका पूरा अवसर मिले। अिसलिये वाअिसराय महोदयकी घोषणाको यह समिति हर दृष्टिसे दुर्भाग्यपूर्ण माननेके लिये मजबूर हो गयी है। अैसी स्थितिमें यह समिति ब्रिटेनकी कोअी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अुसका अर्य तो यह हो जाता है कि जिस साम्राज्यवादी नीतिको

खतम करनेका कांग्रेसका हमेशासे प्रयत्न रहा है अुसीका समर्थन किया जाय। इसलिये इस दिशामें पहले कदमके रूपमें यह समिति कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंको त्यागपत्र देनेका आदेश देती है।

“यह समिति सारे देशसे हृदयपूर्वक अनुरोध करती है कि इस गंभीर अवसर पर तमाम घरेलू झगड़े-टंटे मिटा दिये जायं और भारतकी स्वतंत्रताके कार्यमें सब अेक होकर साथ-साथ चलें। तमाम कांग्रेस कमेटियों और सभी कांग्रेसवादियोंको यह आदेश दिया जाता है कि वे सब प्रकारकी परिस्थितियोंका सामना करनेको तैयार रहें और भारतके सम्मान तथा अुन सिद्धांतोंसे, जिनके लिये कांग्रेस खड़ी है, मेल न खानेवाली कोअी बात न तो कहें और न करें। वाणी और व्यवहार दोनों पर काबू रखा जाय। सविनय कानून-भंग, राजनैतिक हड़तालों या अैसे कअी जल्दवाजीके कदम अुठानेके खिलाफ कांग्रेसवादियोंको चेतावनी दी जाती है। समिति तमाम परिस्थितियोंको और भारतमें ब्रिटिश सरकारकी कार्रवाअीको देखती रहेगी और जब जरूरत मालूम होगी तब अधिक कदम अुठानेके बारेमें देशका पथप्रदर्शन करनेमें नहीं बूकेगी। समिति तमाम कांग्रेसवादियोंसे कह देना चाहती है कि देशके सामने अुपस्थित अवसरका अुचित रूपमें सामना करनेके कार्यक्रमके लिये कांग्रेसियोंमें पूरी तरह अनुशासन और कांग्रेस संगठनकी अेकता अति आवश्यक है।

“अिससे पहले कांग्रेस द्वारा की गअी अहिंसक लड़ाअियोंमें कभी कभी हिंसाका मिश्रण हुआ है, अिस बातका समितिको भान है। समिति तमाम कांग्रेसवालोंके दिलोंमें यह बात अच्छी तरह जमा देना चाहती है कि यदि कभी कोअी प्रतिकार करना पड़े तो अुसमें किसी प्रकारकी हिंसा न होनी चाहिये। विशुद्ध अहिंसाका पालन होना चाहिये। अिस बारेमें समिति तमाम कांग्रेसियोंको अहमदाबादके १९३१ के कांग्रेस अधिवेशनके समय ली हुअी और वादके अधिवेशनोंमें बार बार दोहराअी गअी सत्याग्रहीकी प्रतिज्ञाकी याद दिलाती है।”

अुपरोक्त प्रस्ताव पास होनेके बाद तुरंत ही कार्यसमितिकी मंजूरीसे पार्लमेण्टरी कमेटीने कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंको यह सूचना दी :

“कार्यसमितिका प्रस्ताव प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारोंको अिस्तीफा दे देनेका आदेश देता है। यह अिस्तीफा आपको जरूरी कामोंकी चक्किे लिये बुलाअी गअी धारासभाकी बैठक होनेके बाद देना है। परंतु यह

आशा रखी जाती है कि ३१ अक्टूबर तक मंत्रियोंके बिस्तीफे पेश हो जायेंगे।

“ धारासभा और कौंसिलके अध्यक्ष, अुपाध्यक्ष और सदस्य बिस्तीफे न दें। अभी तो मंत्रियों और पार्लमेण्टरी सेक्रेटारियोंको ही बिस्तीफे देने हैं।

“ बिस्तीफे देते समय युद्ध-अुद्देश्योंकी घोषणाकी मांग करनेवाला प्रस्ताव प्रत्येक धारासभामें आपको पास करना है। ”

मद्रास, बिहार, मध्यप्रान्त, युक्त प्रान्त, बम्बजी, अुड़ीसा और सीमा-प्रान्तकी धारासभाओंमें बिस प्रकार प्रस्ताव पास किया गया :

“ ग्रेटब्रिटेन और जर्मनीके बीचके युद्धमें भारतके लोगोंकी सम्मतिफे बिना भारतको ब्रिटिश सरकारने शामिल कर दिया है और भारतीय लोकमतकी पूरी तरह अवहेलना करके प्रान्तीय सरकारोंके अधिकारों और कार्योंको सीमित बनानेवाले कानून पास कर दिये हैं। बिस पर यह धारासभा अपना दुःख प्रकट करती है। यह धारासभा सरकारसे सिफारिश करती है कि भारत-सरकारको और अुसके मारफत ब्रिटिश सरकारको यह जतला दिया जाय कि वर्तमान युद्धके घोषित अुद्देश्योंके अनुसार भारतके लोगोंका सहयोग लेना हो तो यह बहुत जरूरी है कि मुस्लिम और अन्य अल्पमतोंकी रक्षाके साथ लोकतंत्रके सिद्धान्त हिन्दुस्तान पर लागू किये जाय और हिन्दुस्तानके लोग ही हिन्दुस्तानकी राजनीतिका निर्माण करें। हिन्दुस्तानको अपना संविधान तैयार करनेके अधिकारवाला अेक स्वतंत्र राज्य माना जाना चाहिये और हिन्दुस्तानके शासनमें अुस सिद्धान्त पर अमल करनेके लिये वर्तमान परिस्थितिमें जितनी संभव हो अुतनी कार्रवाजी बिस दिशामें की जानी चाहिये।

“ बिस धारासभाको खेद है कि सम्राटकी सरकारने जब भारत-वर्षके विषयमें अपनी ओरसे अधिकृत घोषणा प्रकाशित की, तब अुसने भारतकी परिस्थितिको असली रूपमें नहीं समझा। चूंकि ब्रिटिश सरकार भारतकी मांग पूरी करनेमें असफल साबित हुआ है, बिस-लिये बिस धारासभाका मत है कि बिस प्रान्तकी सरकार ब्रिटिश नीतिमें हिस्सेदार नहीं बन सकती। ”

युरोपमें लड़ाईकी घोषणा हो जानेके बाद कार्यसमिति द्वारा समय समय पर स्वीकृत प्रस्तावोंके प्रकाशमें धारासभाओंके बिस प्रस्तावका क्या अर्थ होगा, यह अलग अलग प्रान्तोंके मुख्यमंत्रियोंने अपने भाषणोंमें समझाया।

पहले अिस्तीफे २८ अक्तूबरको मद्रासमें पेश हुअे । जिस दिन मद्रासके मंत्रिमंडलने अिस्तीफा दिया अुसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेण्टकी लोकसभामें भारतके प्रश्न पर वहस हो रही थी । सर सेम्युअल होर मुख्य वक्ता थे । अुन्होंने अपने भाषणमें बताया :

“ औपनिवेशिक स्वराज्य योग्य प्रजाको दिया जानेवाला कोअी पुरस्कार नहीं है, परंतु जो परिस्थितियां वास्तवमें मौजूद हैं अुनको स्वीकार करना है । आज हिन्दुस्तानके मार्गमें यदि कठिनाअियां हों तो वे कोअी हमारी पैदा की हुअी नहीं हैं। अुनके भीतर जो दलबंदी है अुसे दूर करनेका मुख्य कर्तव्य भारतवासियोंका ही है । हम भारतवासियोंको अिस काममें मदद जरूर देंगे । हमने जब साम्प्रदायिक निर्णय दिया तब हमने अपनी नेकनीयत बता दी थी । परंतु अुस निर्णयके बावजूद साम्प्रदायिक दलबन्दी अभी तक कायम है । जब तक वह न मिटे तब तक अल्पमतवाली जातियोंके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है अुसे हम छोड़ नहीं सकते । राजाओंको ब्रिटिश भारत द्वारा दवा दिये जानेका डर है । केन्द्रीय सरकारमें हिन्दुओंका बहुमत रहनेके विरुद्ध मुसलमानोंका सख्त अेतराज है । दलित वर्गों और दूसरी अल्पसंख्यक जातियोंकी (जिनमें अुन्होंने युरोपियनोंको भी गिनाया) सचमुच यह मान्यता है कि दायित्वपूर्ण शासनका अर्थ हिन्दुओंके बहुमतवाला शासन होगा और अुसमें अुनके हितोंकी कुर्बानी होगी । जब तक अन्य जातियोंको अिस प्रकारकी चिन्ताअें हैं तब तक केन्द्रीय सरकारमें अमुक तारीखको तत्काल और पूरी जिम्मेदारी देनेकी मांग ब्रिटिश सरकार स्वीकार नहीं कर सकती ।

“ कांग्रेसने मान लिया है, कि वाअिसरायने जिस सलाहकार-समितिके बनानेकी बात कही है अुसका कोअी अर्थ नहीं है और वह वैधानिक प्रगतिको रोकनेकी अेक चालमात्र है । मेरे विचारके अनुसार यह मान लेनेमें कांग्रेसने अनुचित जल्दबाजी की है । और कांग्रेस जो असहयोगकी बात करती है वह तो घड़ीकी सुअी कुछ वर्ष पीछे घुमा देनेके बराबर है । अिससे सविनय कानून-भंग अुत्पन्न होगा, कानून और व्यवस्थामें रुकावट पड़ेगी और दंगों और दमनका कुचक्र — जिसमें से हम समझते थे कि हम स्थायी रूपसे निकल गये हैं — फिर शुरू हो जायगा । . . . हमने बहुत समयसे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाअें छोड़ दी हैं । हम मानते हैं कि दुनियामें हमारा काम दूसरे

लोगों पर राज्य करना नहीं, परंतु दूसरे लोगोंको शासन करना सिखाना है।”

जिस भाषणका अुत्तर देते हुअे गांधीजीने निम्नलिखित सूचक प्रश्न पूछे :

“ औपनिवेशिक स्वराज्य स्वतंत्रताका पर्यायवाची न हो, आजादीके अर्थमें ही वह शब्द काममें न लिया जाता हो तो भारतके लिये सचमुच अुसका कोअी अर्थ है? सर सेम्युअलकी कल्पनाके भारत-वर्षको ब्रिटिश साम्राज्यसे अलग होनेका हक होगा या नहीं? ब्रिटिश जातिने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं त्याग दी हैं, सर सेम्युअल होरकी यह घोषणा मुझे अच्छी लगती है। वे महत्वाकांक्षाओं सचमुच छूट गयी हैं या नहीं, जिस वारेमें सर सेम्युअल भारतवासियोंको खुद अित-मीनान कर लेने देंगे या नहीं? यदि अुनका अुत्तर ‘हां’ में हो तो भारतको संविधान द्वारा जिस प्रकार आजाद बना देनेका अवसर आनेसे पहले भी जिस बातका सन्त दिया जा सकता है। परंतु जब कांग्रेस द्वारा चाही गयी घोषणा करनेके विरुद्ध अल्पमतोंकी रक्षाकी बात सामने रख दी जाती है, तब सर सेम्युअल होरकी महान घोषणा निकम्मी प्रतीत होने लगती है। . . .

“ मैं देखता हूं कि सर सेम्युअलने युरोपियनोंको भी अल्पमत जाति बताया है। युरोपियनोंका असा अुल्लेख ही मेरे मतानुसार अल्पमतोंके हितोंकी रक्षाकी बातको वाहियात ठहराता है। अल्पमतोंके साथ युरोपियन और राजा दोनोंको जोड़कर वे अपना सारा केस ही हार जाते हैं। जिन युरोपियनोंके भारतमें घरबार नहीं और जिनकी सारी जड़ें युरोपमें ही हैं, वे यदि भारतकी अल्पमत जाति हों तो फिर जिस देशमें स्थित ब्रिटिश सैनिक और गोरे मुल्की अधिकारी क्यों नहीं हैं? वे तो मुट्ठीभर हैं, विलकुल ही छोटी अल्पमत जातिके बराबर हैं। अुनके लिये संरक्षण क्यों न मांगा जाय? दूसरे शब्दोंमें कहें तो लोगोंको जीतकर लिये हुअे अधिकार ज्योंके त्यों कायम रखनेकी यह सारी युक्ति है। युरोपियनोंके हित हिन्दुस्तानके सिर पर लाद दिये गये हैं और ब्रिटिश संगीनोंके बल पर अुनकी रक्षा करनी है। . . .

“ और क्या राजा भी युरोपियनोंकी पंक्तिमें ही नहीं खड़े हैं? अुनमें से सब नहीं तो अधिकांश साम्राज्यके ही अुत्पन्न किये हुअे हैं। और साम्राज्यके ही हितोंके लिये अुन्हें कायम रखा जाता

है। राजा किसी तरह भी अूनकी प्रजाके प्रतिनिधि नहीं हैं। अैसे राजाओंको अल्पमत मान लेनेके लिये कांग्रेससे कहा जाता है। अपने ब्रिटिश स्वामियोंके आधारके बिना राजा सांस तक नहीं ले सकते। कांग्रेसियोंके साथ कोअी समझौता करना तो दूर रहा, अूनसे मिलनेकी भी राजाओंको स्वतंत्रता नहीं होती।”

श्री राजेन्द्रबाबूने सर सेम्युअल होरके जवादमें अेक ही बात कही :

“बाहरके किसी हस्तक्षेपके बिना सर्वसम्मत संविधान तैयार करनेकी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार भारतवासियों पर डाले और अुसे कानून द्वारा स्वीकार करनेका वचन दे, तो यह प्रस्ताव सच्चा कहा जा सकता है। अिसके बिना अल्पमतोंको संरक्षण देनेकी बातें तो अपनी सत्ताको ज्योंकी त्यों कायम रखनेके वहाने जैसी दिखायी देती हैं।”

२९

मंत्रिमंडलोंके त्यागपत्रके बाद

कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंके त्यागपत्र दे देनेके बाद कांग्रेसी, खास तौर पर युवक वर्ग, स्वभावतः यह मांग करने लगे कि अब कोअी जवरदस्त कदम आगे बढ़ाना चाहिये। गांधीजी लोगोंकी नब्ज अच्छी तरह हाथमें पकड़े बैठे थे। अुन्होंने ता० ३०-१०-३० को ‘आगे क्या?’ शीर्षक लेख लिखकर परिस्थितिका विश्लेषण किया और अिस विषयमें अपना रुख जाहिर किया :

“ब्रिटिश सरकारके साथ खड़े हुअे प्रसंगके सिलसिलेमें दायित्वका भार जितना मुझे अिस समय अनुभव हो रहा है अुतना पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंका त्यागपत्र देना जरूरी था, परंतु अगला कदम मुझे किसी भी तरह साफ दिखायी नहीं दे रहा है। कांग्रेसी जोरदार कदमकी आशा रखते मालूम होते हैं। कुछ पत्रलेखक मुझे सूचित करते हैं कि मेरे आवाज लगानेकी ही देर है। देशमें जितना जवाब पहले कभी नहीं मिला अुतना आज मुझे मिलेगा। वे मुझे यह भी विश्वास दिलाते हैं कि लोग अर्हिसक रहेंगे। अूनके लिये हुअे वचनके सिवा अूनके कथनके समर्थनमें मुझे और कोअी प्रमाण नहीं मिला। अुसके विरुद्ध मेरे पास ढेरों सबूत रखे हुअे हैं। जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि अर्हिसाको

कांग्रेसी अुससे फलित होनेवाले तमाम अर्थोंके साथ मानते हैं और समय समय पर मिलनेवाली हिदायतों पर वे बिना आनाकानीके अमल करेंगे, तब तक मैं किसी भी किस्मके सविनय कानून-भंगमें हाथ नहीं डाल सकता।

“कांग्रेसियोंमें अहिंसाके पालनके बारेमें अनिश्चितता होनेके अलावा दूसरी महत्त्वकी बात यह है कि मुस्लिम लीग बिस समय कांग्रेसको मुसलमानोंका शत्रु समझती है। यह बात सविनय कानून-भंग द्वारा सफल अहिंसक क्रांति करना कांग्रेसके लिये लगभग असंभव बना देनेवाली है। क्योंकि बिसका अर्थ निश्चित रूपमें हिन्दू-मुसलमानोंके दंगे होगा।

“मैं निश्चित रूपमें मानता हूं कि यद्यपि ब्रिटिश सरकारने अपने कार्योंसे कांग्रेसके लिये लड़ाईके संबंधमें सहयोग देना असंभव बना दिया है, तो भी कांग्रेसको अुसे लड़ाई चलानेके काममें परेशान नहीं करना चाहिये। . . . अपनी मौजूदा राय पर कायम रहकर मुझे सविनय कानून-भंग शुरू करनेकी जल्दी नहीं है। अभी फिलहाल तो कांग्रेसियोंको मेरा सुझाव अितना ही है कि वे कांग्रेसमें से अुसकी कमजोरियां दूर करके अुसके संगठनको मजबूत बनायें। मैं तो अब भी साम्प्रदायिक अेकता, अस्पृश्यता-निवारण और चरखेके पुराने कार्यक्रममें पहले जैसा ही दृढ़ विश्वास रखता हूं। यह स्पष्ट है कि पहली दो बातोंके बिना अहिंसाका पालन असंभव है। और यदि भारतवर्षके गांवोंको बचना और सुखी होना है तो बिसके लिये चरखेके घर-घर गूँजे सिवा कोअी चारा नहीं है। चरखा और अुसके साथ लगी हुअी तमाम चीजें अर्थात् देहाती कला-कारीगरीके अुद्धारके बिना ग्राम-संस्कृतिकी स्थापना प्रायः असंभव है। बिस प्रकार चरखा अहिंसाका सर्वोपरि प्रतीक है। अुसकी आराधनामें कांग्रेसी अपना सारा समय लगा दें तो अुसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। यदि यह वस्तु अुनके हृदयको नहीं हिला सकती तो या तो अुनमें अहिंसा नहीं है या मुझे अहिंसाका ककहरा तक नहीं आता। चरखेका प्रेम यदि मेरी अेक दुर्बलता ही हो तो वह प्रेम अितना सर्वोपरि है कि वह मुझे सेनापति बननेके लिये अयोग्य बना देता है। मेरी नजरमें चरखा स्वराज्यकी योजनाके साथ — सचमुच जीवनके साथ अेकरूप हो गया है। स्वराज्यकी अखिरी और निर्णायक सावित होनेवाली अिस लड़ाईके आरंभकालमें सारा भारतवर्ष मेरी योग्यता अच्छी तरह समझ ले तो ठीक होगा।”

असके बाद १ नवम्बरको वाअिसराँयने गांधीजीको मुलाकातके लिये बुलाया। राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबू तथा जिन्ना साहबको भी अुन्होंने आमंत्रित किया। अस मुलाकातमें वाअिसराँयने अेक नयी ही सूचना की। अुन्होंने कहा कि “आप लोग आपसमें परामर्श करके प्रान्तीय सरकारोंके संबंधमें किसी भी प्रकारके समझौते पर आनेके रास्ते हूँ निकालिये और अुस वारेमें प्रस्ताव मेरे सामने रखिये। अुनके फलस्वरूप आपकी दोनों जातियोंके प्रतिनिधियोंके लिये कार्यकारिणी कौंसिलके सदस्योंके रूपमें केन्द्रीय सरकारमें भाग लेना संभव हो सकेगा।” यद्यपि यह साफ शब्दोंमें नहीं कहा गया था परंतु अुसका अर्थ स्पष्ट था कि आप प्रान्तोंमें सम्मिलित मंत्रिमंडल बना लें तो केन्द्रीय सरकारमें भी संयुक्त कार्यकारिणी कौंसिल बनाना आसान हो जायगा।

अुसके बाद ५ तारीखको वाअिसराँयने रेडियो पर भाषण दिया। अुसमें अल्पमतोंको संरक्षण देनेकी ब्रिटिश सरकारकी जिम्मेदारीका पुराना राग अलापा। और श्री राजेन्द्रबाबू तथा जिन्ना साहबके साथ हुआ अपना पत्र-व्यवहार प्रास्ताविक आलोचनाके साथ प्रकाशित कर दिया। असका अुत्तर देते हुए ता० ८-११-३९ को गांधीजीने कहा :

“जब तक भारत-संबंधी ब्रिटेनके युद्ध-अुद्देश्योंकी स्वीकार करने योग्य स्पष्टता नहीं हो जाती तब तक कोअी भी हल असंभव है। अब तक की गयी घोषणायें—यहां क्या और विलायतमें क्या—पुरानी लकीर पर चलने जैसी ही हैं। स्वातंत्र्य-प्रेमी भारत अुन्हें सन्देहकी दृष्टिसे देखता है। अुसे भरोसा नहीं होता। यदि साम्राज्यवाद सचमुच ही मर चुका हो तो भूतकालके डोरेघागे विलकुल टूट जाने चाहिये और नवयुगसे मेल खानेवाली भाषाका अुपयोग होना चाहिये। यदि अस बुनियादी सत्यको स्वीकार करनेका अब भी समय नहीं आया हो, तो मैं अितना ही अनुरोध करूंगा कि हल ढूँढनेके तमाम प्रयत्न फिलहाल स्थगित रखनेमें ही शोभा है।

“मुझे आशा थी और अब भी है कि अीश्वरका भेजा हुआ युद्धका शाप ब्रिटेनकी आंखें खोलनेमें कारगर साबित होगा और अस प्रकार आशीर्वाद-रूप सिद्ध होगा, क्योंकि ब्रिटेनको अस बातका भान होगा कि अस युद्धको अुचित ठहरानेके लिये और अुसका जल्दीसे जल्दी अंत करनेके लिये सबसे जरूरी कोअी चीज हो सकती है तो वह यह है कि भारतवर्ष जैसे महान और प्राचीन देशको वह अपने अुसे मुक्त कर दे।”

गांधीजीका दूसरा कहना यह था :

“ ब्रिटेनने अब तक अल्पमतोंको तथाकथित बहुमतके विरुद्ध दाव पर चढ़ा चढ़ा कर अपनी सत्ता कायम रखी है और जिस प्रकार भिन्न भिन्न दलोंके बीच सर्वसम्मत हलको असंभव बना रखा है। जब तक ब्रिटेन यह मानता रहेगा कि अल्पमतोंके हितोंकी रक्षाकी जिम्मेदारी उस पर है, तब तक भारतको अपने अधीन रखनेकी जरूरत उसे महसूस होती ही रहेगी। जिसलिये अल्पमतोंकी रक्षाका हल ढूंढनेका भार उसे अपने सिरसे उतार कर संवंधित दलोंके सिर पर ही डाल देना चाहिये। ऐसा करनेके लिये उसे भारतका भावी संविधान जनताके चुने हुअे प्रतिनिधियोंकी बनी हुअी संविधान-सभाको तैयार करने देना चाहिये। उस संविधानमें अल्पमतोंके अधिकारोंकी रक्षाके वचन अन्हें संतोषजनक ढंगसे दिये जायेंगे। लड़ाईके अंतमें अेक गोलमेज परिपद् जैसा सर्वदल सम्मेलन बुलानेकी बात सरकार करती है, तो मैं कहता हूं कि वह जिस प्रकारकी लोकसभा भारतको क्यों नहीं करने देती? अल्पमतोंका सवाल अल्पमत और बहुमतवाली जातियोंको घरमें बैठकर निवटाना है। ब्रिटिश सरकारको बीचमें से हट जाना चाहिये। ”

३० नवम्बरको कार्यसमिति जब अिलाहाबादमें मिली तब उसने अपनी बैठकमें इसी आशयका प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्तावमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकारने युद्ध-संवंधी अपने अुद्देश्योंकी घोषणासे वचनेका प्रयत्न किया है और अप्रस्तुत प्रश्नोंकी आड़ ले ली है। इसका अर्थ कांग्रेस तो यही करती है कि देशके प्रतिगामी तत्त्वोंके साथ मिलकर ब्रिटेन भारत पर अपना साम्राज्यवादी आधिपत्य कायम रखना चाहता है। यह भी कहा गया कि साम्प्रदायिक और दूसरी मुसीबतोंको लोकतांत्रिक ढंगसे हल करनेका अेकमात्र कारगर साधन संविधान बनानेवाली लोकसभा ही है। यह लोकसभा अैसा संविधान तैयार कर सकेगी जिसमें अल्पमतोंके हकोंकी रक्षा संतोषजनक ढंगसे की जायगी। अल्पमतोंके अधिकारों संवंधी किसी मामलेमें आपसी समझौतेसे निवटारा न हो तो दोनों पक्षोंको मान्य किसी बहुत अूँचे दर्जेके पंचको वह सौंपा जा सकेगा। यह लोकसभा तमाम वयस्क मनुष्योंके मताधिकारके आधार पर चुनी जानी चाहिये। जिस समय जिन अल्पमतोंको अलग मताधिकार प्राप्त हैं वे यदि चाहें तो अुनके लिये वह कायम रखा जाय। लोकसभामें अुनके सदस्योंकी संख्या अुनके संख्यावलके प्रतिविव-स्वरूप होनी चाहिये।

असका विलायतके तमाम राजनीतिज्ञों और अग्रगण्य अखबारोंने भी जवरदस्त विरोध किया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंमें से सिर्फ सर स्टेफर्ड क्रिप्सने कांग्रेसका पूरी तरह समर्थन किया। यह अेक अुल्लेखनीय बात है। वे १९३९ के अन्तिम महीनोंमें हिन्दुस्तान आये और अुन्होंने गांधीजी, जवाहरलालजी तथा सरदारके साथ बड़ी लंबी मंत्रणाओं कीं। अुन्होंने देशके महत्त्वपूर्ण स्थानों पर घूमकर लोकमत जाननेका भी काफी प्रयत्न किया। हिन्दुस्तानसे अिंग्लैण्ड जानेके बाद वहांकी पार्लियामेन्टमें अुन्होंने जो भाषण दिया और अखबारोंके प्रतिनिधियोंके सामने जो वक्तव्य दिया, वह खास तौर पर अुल्लेखनीय है। क्योंकि जब १९४२ में वे यहां समझौतेकी बातचीत करने आये अुस समयके अुनके वचनों और अस समयके वचनोंमें आकाश-पातालका अंतर था। परंतु १९४२ में वे ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि बनकर आये थे और अस समय स्वतंत्र व्यक्तिके रूपमें आये थे। पार्लियामेन्टमें भाषण देते हुअे अुन्होंने कहा था :

“यह दलील की जाती है कि साम्प्रदायिक झगड़ोंके कारण भारतको केन्द्रीय सरकारमें जिम्मेदारी देनेकी संतोषजनक पद्धति ढूंढ निकालना कठिन है। मेरे विचारके अनुसार अस दलीलमें कोअी सार नहीं है। यों तो पोलैण्डके बारेमें भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि वहां रूसी, यहूदी, जर्मन और पोल लोगोंकी आवादी है। जेकोस्लो-वाकियाके विषयमें भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि वहां सुडेटन, जेक और स्लोवाक लोगोंकी आवादी है! परंतु मैं तो यह दलील समझ ही नहीं सकता। यदि हम लोकतंत्रका विचार करते हों तो असका अर्थ यह हो जाता है कि अल्पमतकी रक्षा करनेके लिये बहुमतको अुसके अधिकारोंसे वंचित किया जाय। लोकतंत्रमें बहुमतके कुछ अधिकार अवश्य मर्यादित करने पड़ते हैं और अुनसे अैसी मर्यादाओं स्वीकार भी कराअी जा सकती हैं। कांग्रेसने स्वयं यह बात मंजूर की है। परंतु चूंकि हमारी अिच्छा अल्पमतोंकी रक्षा करनेकी है, अस-लिये हम बहुमतके हक छीन लें यह अुचित नहीं। यदि हम अैसा करने जायं तो सचमुच बहुमतको अल्पमतकी स्थितिमें डाल देते हैं।*

* गांधीजीने भी अेक अवसर पर यही बात कही थी : यदि गैरकांग्रेसियोंमें केवल राजाओंको ही नहीं परंतु अुनकी तमाम प्रजाओंको, तमाम मुसलमानोंको, तथा जिन लोगोंका प्रतिनिधित्व हिन्दू महासभा करती हो और जो अपनेको कांग्रेसी न मानते हों अुन सब वर्गोंको गिना जाय तो सचमुच कांग्रेस ही गैर-कांग्रेसी बहुमतके खतरेमें पड़ सकती है।

“यदि हमें लोकतांत्रिक सरकार चाहिये, तो यह आवश्यक है कि अल्पमत बहुमतके शासनके अधीन रहे। हमारे देशमें रोज यही होता है। हम लोकतंत्रको स्वीकार करें, लोकतांत्रिक पद्धति स्थापित करें, तो कोबी वर्ग, कोबी दल या कोबी जाति बहुमतमें अवश्य आयेगी और लोकतांत्रिक पद्धतिका यह परिणाम हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें पसन्द हो या न हो परंतु इस समय यह निर्विवाद है कि ब्रिटिश भारतमें कांग्रेस दल बहुमतमें है। . . .

“मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तरफ हम यह दावा करते हैं कि यह युद्ध हम स्वतंत्रता और लोकतंत्रके लिये लड़ रहे हैं; और दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्यके एक भागको, जिसके बारेमें हम स्वीकार करते हैं और गवर्नर जनरल खुद भी स्वीकार करते हैं कि वह स्वराज्यके लिये पूरी तरह योग्य है, यह चीज देनेका अिनकार करते हैं। तब हिन्दुस्तानके लोग यह जरूर कहेंगे कि अनेक बुदाहरणोंमें इस अेककी वृद्धि हो रही है, जहां ब्रिटेन कहता एक बात है और करता दूसरी है।

“भारतीय कांग्रेसने हमारे युद्ध-अुद्देश्यों और भारत-संबंधी हमारे अिरादेकी स्पष्टता करनेकी जो मांग की है, उसका हमें क्या जवाब देना चाहिये? मेरा सुझाव है कि हमारा अुत्तर इस प्रकार होना चाहिये और वह हमें अभी ही दे देना चाहिये:

(१) भारतवासियोंको विश्वास दिलाना चाहिये कि भारतको स्वराज्य देना हमारा तात्कालिक ध्येय है।

(२) ब्रिटिश भारतके लिये नयी केन्द्रीय धारासभाका चुनाव अभी ही करनेकी हमें स्वीकृति देनी चाहिये। मुझे अुसमें कोबी कठिनायी दिखायी नहीं देती। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि भारतमें इस समय चुनाव नहीं हो सकता। यदि क्वीव्हेकमें इस समय चुनाव हो सकता है तो भारतमें क्यों नहीं हो सकता? अधिकारी दूसरे काममें लगे हुअे हों तो चुनावके लिये थोड़े नये अधिकारी रख लिये जायं।

(३) धारासभामें जो दल बहुमतमें आ जाय अुसे सरकार बनानी चाहिये। वाअिसरायको अुसे अपनी कार्य-कारिणीके रूपमें नियुक्त करना चाहिये।

(४) यह बात सच है कि कानून और वर्तमान संविधानके अनुसार कार्यकारिणी सभाको मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता।

परंतु ब्रिटिश सरकार यह विश्वास दिला दे कि धारासभाके निर्वाचित सदस्योंमें से बनायी गयी कार्यकारिणीको वाअिसराँय तमाम महत्त्वके मामलोंमें मंत्रिमंडलके जैसा ही मानेंगे। अर्थात् जैसे राजा मंत्रिमंडलकी सलाह मानता है वैसे ही वाअिसराँय भी अिस कार्यकारिणीकी सलाह स्वीकार करेगा। अैसा करनेसे अिस पृथ्वीकी कौनसी चीज हमें रोक सकती है?

“फिलहाल अैसी व्यवस्था कर दी जाय और यह वचन दे दिया जाय कि युद्ध समाप्त होनेके बाद पूर्ण स्वराज्य दे दिया जायगा, तो मैं विश्वासपूर्वक मानता हूँ कि संसारमें स्वतंत्रता और लोकतंत्र स्थापित करनेके हमारे प्रयत्नमें हिन्दुस्तानके लोगोंका हार्दिक सहयोग हमें मिलेगा। हम अपनी अिस घोषणासे केवल ब्रिटिश भारतका दिल ही नहीं जीत लेंगे, परंतु मैं मानता हूँ कि सारी दुनिया हमारे अिस कामका अेक महान और सच्चे लोकतंत्रवादी राष्ट्रके अेक महान कृत्यके रूपमें स्वागत करेगी।”

अुसके बाद युनाअिटेड प्रेसको मुलाकात देते अुअे सर स्टेफर्डने बताया था :

“कांग्रेसकी मांग राष्ट्रीय मांग है। अुसमें सारे लोकमत आ जाते हैं। वह भारतीय आम जनताका घोषणापत्र है। फिर भी यह भय रहता है कि ब्रिटिश सरकार अिस प्रकारके घोषणापत्रकी अवहेलना करेगी। अिसका परिणाम यह होगा कि हम सविनय कानून-भंगको प्रोत्साहन देंगे। कांग्रेस मानती है कि अुसकी मांगके समर्थनमें सारी जनताका नैतिक बल मौजूद है। आज अधिकांश भारतवासी तो आतुरतापूर्वक अिसीकी वाट देख रहे हैं कि कांग्रेसकी तरफसे आवाहन किया जाय। अुनकी यह अपेक्षा है कि कांग्रेस हमारा नेतृत्व करे। जिन्ना साहबकी भारतके टुकड़े करनेकी योजना आम जनताको पसन्द नहीं है। साथ ही यह भी सही है कि बहुतसे हिन्दुस्तानी यह मानते हैं कि हिंसासे अिस आन्दोलनको नुकसान पहुंच सकता है। अपने हिन्दुस्तानके दौरेमें मैं भिन्न भिन्न वर्गोंके भारतवासियोंसे मिला हूँ और बहुत बड़े भागके लोगोंने मुझ पर यह छाप डाली है कि हिंसक शब्द दुश्मनोंको नहीं मारते, परंतु हमारे आन्दोलनके प्रति मित्रता रखनेवालोंको ही मारते हैं।

“भारतमें आज हरअेक आदमीके दिलमें, भले वह शिक्षित हो या अशिक्षित, स्वातंत्र्य और न्यायके लिये तमन्ना जाग अुठी है। वह

आत्मनिर्णयका अधिकार मांगता है। . . . कोअी अिस वातसे अिनकार नहीं कर सकता कि सारे देशमें कांग्रेसका वड़ा जवरदस्त प्रभाव है। ब्रिटिश सरकारका जुआ अुसने कभीसे अुतार फेंका होता, परंतु वह मुस्लिम लीगका सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहती है। अिसी-लिये हिन्दुस्तानकी आजादी रकी हुअी है।”

साम्प्रदायिक प्रश्नके तात्कालिक हलके लिये आपका रचनात्मक सुझाव क्या है, यह पूछने पर सर स्टेफर्डने कहा कि :

“मुझे विश्वास है कि भारतकी मुक्ति संविधान तैयार करनेवाली लोकसभामें ही समायी हुअी है।”

अिस प्रकरणके संबंधमें गांधीजीकी वाअिसरायके साथ चौथी और आखिरी मुलाकात वाअिसरायके निमंत्रण पर ता० ५-२-४० को हुअी। २।। घंटे तक दोनोंने दिल खोलकर वातचीत की। परन्तु कोअी रास्ता नहीं निकल सका। अिसलिये दोनोंकी ओरसे निम्नलिखित सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया गया :

“वाअिसराय महोदयके निमंत्रणके जवावमें गांधीजी आज वाअिसरायमें मिलने आये। दोनोंमें खूब लम्बी और मित्रतापूर्ण चर्चा हुअी। सारे प्रश्नकी अुन्होंने पूरी तरह छानबीन की। वात-चीतका आरम्भ करते हुअे गांधीजीने स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेसकी कार्यसमितिकी तरफसे कोअी आदेश लेकर नहीं आये हैं। अिसलिये अुन्हें अैसी कोअी वात करनेका अधिकार नहीं है जो अुसके लिये बन्धनकारक हो जाय। वे अपनी व्यक्तिगत हैसियतमें ही वात कर रहे हैं।

“सम्राट् महोदयकी सरकारके प्रस्ताव और अिरादे वाअिसराय महोदयने कुछ विस्तारके साथ अुपस्थित किये। प्रथम तो अुन्होंने आग्रहपूर्वक यह बताया कि ब्रिटिश सरकारकी यह आन्तरिक अिच्छा है कि भारतवर्षको जल्दीसे जल्दी औपनिवेशिक स्वराज्य मिले और अुसके प्राप्त होनेके लिये वह अपने अधिकारके भीतर तमाम अुपाय करनेको तैयार है। परंतु अिस मामलेमें कुछ मुद्दोंका निराकरण करनेमें, खास तौर पर रक्षाके मामलेमें, जो कठिनाअियां और गुत्थियां हैं अुनकी ओर अुन्होंने ध्यान दिलाया। अुन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय आने पर भारतके तमाम दलों और हितोंके प्रतिनिधियोंके साथ सलाह-मशविरा करके सारे प्रश्नकी जांच कर लेनेके लिये सम्राट् महोदयकी

सरकार बड़ी अतुसुक है। वीचका समय कम करने और अुसे यथा-शक्ति सफलतापूर्वक पार कर लेनेके लिये सम्राट् महोदयकी सरकार बड़ी आतुर है।

“वाजिसराय महोदयने अिस बातकी तरफ भी ध्यान दिलाया, जैसा अुन्होंने हाल में ही बड़ोदाके भाषणमें बताया है, कि १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ अिडिया अेक्टकी संघ-योजना यद्यपि फिलहाल स्थगित कर दी गयी है, फिर भी अुसमें औपनिवेशिक स्वराज्यके लिये जल्दीसे जल्दी कदम अुठानेकी बात शामिल है। अुसके साथ संबंध रखनेवाले सभी लोगोंकी सहमतिसे अुसका स्वीकार होनेमें अिस चीजसे संबंधित अनेक प्रश्नोंका निराकरण समाया हुआ है।

“अुन्होंने यह भी कहा कि पिछले नवम्बरमें गवर्नर जनरलकी कार्यकारिणीका अुस समय बताया गये ढंगसे विस्तार करनेकी जो तजवीज अुन्होंने रखी थी वह अब भी खुली है। और सम्राट् महोदयकी सरकार अुस पर तुरंत अमल करनेको तैयार है।

“संबंधित दलोंकी स्वीकृतिके अधीन रहकर सम्राट् महोदयकी सरकार संघ-योजनाकी बात भी फिरसे छेड़नेको तैयार है, ताकि युद्धके बाद औपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापना तुरंत की जा सके और अुससे पैदा होनेवाले मुद्दोंका निराकरण आसान हो जाय।

“ये प्रस्ताव जिस वृत्तिसे रखे गये अुसकी गांधीजीने कदर की, परंतु साथ ही साफ कह दिया कि अुनके विचारके अनुसार अुससे कांग्रेसकी मांग संपूर्ण रूपसे पूरी नहीं होती। अुन्होंने सुझाया और वाजिसराय महोदयने स्वीकार किया कि अैसी सूरतमें अुपस्थित कठिनायियोंका निराकरण ढूँढनेकी गरजसे अधिक बातचीत फिलहाल बन्द रखी जाय तो ठीक रहेगा।”

मुलाकातके दूसरे दिन अर्थात् ६ फरवरीको अिंग्लैण्ड और अमरीकाके पत्रकारोंकी बड़ी मंडली गांधीजीसे मिली। अुन पत्रकारोंमें ‘मान्चेस्टर गार्डियन’, ‘न्यूज क्रानिकल’ और ‘टाअिम्स’ आदि लन्दनके पत्रोंके और अमरीकाके अैसोसियेटेड प्रेसके प्रतिनिधि थे। अुनके साथ हुआ मुलाकातमें गांधीजीने समझाया कि वाजिसराय और अुनके बीच खास मतभेद क्या था :

“वाजिसराय महोदयके प्रस्ताव और कांग्रेसकी मांगके बीच खास फर्क यह है कि वाजिसराय महोदयके प्रस्तावमें भारतके भविष्यके संबंधमें अन्तिम निर्णय करनेका अधिकार ब्रिटिश सरकारके हाथमें रखा गया है, जब कि कांग्रेसकी कल्पना अिससे विलकुल अुल्टी ही है।

कांग्रेसकी दृष्टिसे सच्ची स्वतंत्रताकी कसौटी ही यह है कि भारतवासी अपना भविष्य बिना किसी प्रकारके बाहरी हस्तक्षेपके निश्चित करें। जब तक यह मुख्य मतभेद न मिट जाय और ब्रिग्लैण्ड सही मार्ग पर न आ जाय, यानी यह न मान ले कि भारतको स्वयं अपना संविधान तैयार करने और अपना दर्जा तय करने देनेका समय आ पहुंचा है, तब तक भारत और ब्रिग्लैण्डके बीच शांतिमय और सम्मानपूर्ण समझौता होनेकी कोजी संभावना मुझे दिखायी नहीं देती। अतना हो जाय तो बादमें देशकी रक्षा, अल्पमतों, राजाओं और गोरोंके हितोंके सब सवाल अपने आप हल हो जायेंगे।”

वाजिसरायके साथ हुआ मुलाकातके वारेमें विवेचन करते हुए गांधीजीने ‘हरिजन’ में लिखा :

“जितनी स्पष्टतासे वाजिसराय महोदयने ब्रिटिश नीतिका निरूपण किया, अतनी ही स्पष्टतासे मैंने कांग्रेसकी नीतिका निरूपण किया। जहां तक मैं जानता हूं मंत्रणा सदाके लिये बन्द हो चुकी नहीं कही जा सकती। इस बीच हमें प्रचार द्वारा अपनी मांग दुनियाको समझानी चाहिये। भारत ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर बहुतसे अपनिवेशोंमें अकेका दर्जा — अर्थात् संसारकी गैरयुरोपीय जातियोंका शोषण करनेमें हिस्सा बंटानेवालेका पद — नहीं स्वीकार कर सकता। यदि अुसकी लड़ायी अहिंसा पर आधारित हो तो अुसे अपने हाथ साफ रखने चाहिये। अफ्रीकावासियोंको चूसनेमें और हमारे अपने ही प्रवासी भाजियोंके प्रति होनेवाले अन्याय और अपमानमें हिस्सेदार न बननेका भारतका निश्चय हो तो अुसका स्वतंत्र दर्जा होना चाहिये। अुस दर्जेमें क्या-क्या समाया हुआ है और अुसका स्वरूप कैसा हो, यह ब्रिटेनके आदेशानुसार तय नहीं हो सकता। इसका निर्णय खुद हमीको अर्थात् भारतके लोगोंके चुने हुअे प्रतिनिधियोंको करना चाहिये। जब तक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस बातको निश्चित रूपसे न मान लें, तब तक अुसका अर्थ यही है कि वे अपने हाथमें से सत्ता छोड़ना नहीं चाहते।”

लंदनके दैनिक पत्र ‘डेली हेराल्ड’ ने गांधीजीको तार देकर वाजिसरायकी मुलाकातके वारेमें संदेश मांगा। अुसके जवाबमें गांधीजीने तार दिया जिसमें बताया :

“अुपनिवेशों और हिन्दुस्तानमें कोजी समानता नहीं है। हिन्दुस्तानका अुदाहरण बिलकुल स्वतंत्र और निराला है, यह समझकर

अुसका विचार करना चाहिये। यह साफ समझ लेनेकी जरूरत है कि जो समस्याएँ अुपस्थित की जा रही हैं वे सब ब्रिटेनकी पैदा की हुअी हैं। जो कुछ हुआ है वह वेशक साम्राज्यशाहीके लिये आवश्यक था। परंतु यदि साम्राज्यवाद मर जाय तो ब्रिटेनकी पैदा की हुअी समस्याएँ अपने आप हल हो जायं। देशकी रक्षाकी समस्या अिनमें सबसे बड़ी समस्या है। परंतु ब्रिटेनने भारतको निःशस्त्र क्यों किया है? भारतीय सिपाही अपने ही देशमें विदेशी कैसे बन गये हैं? ब्रिटेनने राजाओंको किसलिये पैदा किया और अुन्हें अभूतपूर्व अधिकार किसलिये दिये? वेशक अपना पैर सदाके लिये भारतमें जमाये रखनेके लिये। जवरदस्त युरोपियन हित किसने और क्यों पैदा किये? ये चार साम्राज्यशाहीके आधारस्तंभ थे और आज भी हैं। किसी भी प्रकारका शब्दजाल या प्रपंच अिस नग्न सत्यको छिपा नहीं सकता। जब ब्रिटेन भारत परसे अपना अनीतिपूर्ण कब्जा भगीरथ प्रयत्न करके छोड़ देनेका फैसला करेगा, तब अुसकी अचूक नैतिक विजय होगी। फिर जैसे रातके बाद दिन आता है, वैसे ही अुसकी दूसरी जीत भी निश्चित होगी। क्योंकि जब अैसा होगा तब सारे संसारका अन्तःकरण अुसके पक्षमें हो जायगा। आज जिस तरहकी मिथ्या वस्तु देनेकी बात कही जाती है वैसी कोअी भी वस्तु भारतके हृदय या संसारके अन्तःकरणको हिला नहीं सकती।”

अिन सारी संघिवातियोंका सार ता० १०-३-’४० को नवसारीयें दिये गये अेक भाषणमें सरदारने अपने विलक्षण ढंगसे अिस प्रकार प्रस्तुत किया :

“जिसे नाजीवाद कहते हैं, जिसमें लोकतंत्रका नाश निहित है, अुसकी भारत जीत नहीं चाहता। भारत मित्रराष्ट्रोंकी पराजय भी नहीं चाहता। अिसलिये हमने वाअिसरायसे युद्ध-अुद्देश्योंके बारेमें पूछनेका निर्णय किया। अिसका अुत्तर अभी तक सीधा नहीं मिला है। परंतु अब मिलने लगा है : क्या तुम योग्य हो? जाओ मुसलमानों अर्थात् मुस्लिम लीगके साथ फैसला करके आओ। वह भी हो जायगा तब फिर कहेंगे कि राजाओंसे फैसला करके आओ। वह भी हो जायगा तो फिर यह विचार आयेगा कि यहां अंग्रेजोंके अितने अधिक हित हैं, रेलवे है, अितना घन खर्च किया गया है, अुसका क्या हो। अिस प्रकार दो विल्लियोंकी तरह वे भारतकी जातियोंको आपसमें लड़ाना चाहते हैं।

“हम स्वीकार करते हैं कि जितने राजा दुनियामें और कहीं नहीं हैं उनमें हमारे यहां हैं। हम यह भी स्वीकार करेंगे कि हिन्दू-मुसलमानोंमें मेल नहीं है। हां, धन यहां गड़ा हुआ है। परंतु वह तुम्हारा है या हमारा? अिन सारे झगड़ोंकी जड़ तुम हो। तुमने ये झगड़े पैदा किये हैं। यह हमने अुदाहरण-सहित दिखा दिया है।

“जब साम्प्रदायिक भेद दाखिल किया गया तब हमने बहुत विरोध किया था कि यह साम्प्रदायिक बंटवारा जहरका प्याला है। अब मुसलमान आज यह कहते हैं कि जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हिन्दुओंका ही चलता है।

“अिलाहावादमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, अीसाजी सब अिकटूठे हुअे और अुन्होंने फैसला किया कि हमें साम्प्रदायिक मताधिकार नहीं चाहिये और मुसलमानोंको जो मांगें सो दे दिया जाय। परंतु फौरन ही वहांसे भारतमंत्रीने मुसलमानोंको तार दिया कि तुम जिसमें शरीक न होना, हम अधिक देंगे। हमने तो अुदाहरण देकर बता दिया कि अंग्रेज ही हमें लड़ते हैं।

“अंग्रेज तो कहते हैं कि जब तक तुम दोनों आपसमें लड़ते हो, तब तक अल्पमतोंकी रक्षा करनेका भार अीश्वरने हमें सौंपा है। तो फिर यह लड़ाई भी अीश्वरने तुम्हारे सुपुर्द की है। वहां तुम्हारा फैसला होगा।

“हमने कहा कि तुम घोषणा प्रकाशित करो कि लोकप्रतिनिधि सभा जो निर्णय करेगी वह हम दे देंगे। यह स्वीकार करो तो हम मुसलमानोंके साथ फैसला करके ही अुठेंगे और दुर्भाग्यवश मतभेद हो जायगा तो पंच अुसका निर्णय करेगा। अुन्हें लगा कि जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। जिसलिये अब कहते हैं कि राजाओंका क्या होगा? तब हम कहते हैं कि यह तो तुम्हारी रची हुअी सृष्टि है।

“राजाओंके व्यक्तित्वका सवाल ही नहीं अुठता। बात यह है कि जिस समय राजाओंकी संख्याओंका अन्त आ पहुँचा है। हिन्दुस्तान दुनियाका कोअी घूरा थोड़े ही है? जहां राजा है वहां भी सत्ता तो प्रजाके ही पास है। अभी जो सर्वोपरि सत्ता है अुसके आगे राजा भी झुकते हैं और प्रजा भी झुकती है। परंतु वे कहते हैं कि हमने राजाओंके साथ समझौते किये हुअे हैं। हमें क्या पता कि तुमने किस समय, किस प्रकार, क्या लिखवा लिया है? कांग्रेस यह स्वीकार करनेकी

तैयार नहीं कि देशीराज्योंकी प्रजाका अधिकार रत्तीभर भी नष्ट हो। फिर भी तुम यह कहो कि हमारे अितने हित हैं, अितना फौजी हित है, तो अुसका निवटारा हो सकता है। परंतु लड़ाअीमें हार गये तो रामनाम सत्य हो जायेगा और जीत गये तो भी खोखले तो हो ही जाओगे। अिस लड़ाअीके बाद कोअी राष्ट्र दूसरेके अधीन नहीं रहेगा। विचारोंमें जवरदस्त परिवर्तन होंगे।”

अिस वर्ष कांग्रेसका अधिवेशन मार्चके तीसरे सप्ताहमें बिहार प्रान्तके रामगढ़ नामक स्थान पर हुआ। सरकारके साथ चली बातचीतसे कांग्रेसका युवक वर्ग विलकुल अुकता गया था। कांग्रेसमें समाजवादी, साम्यवादी, किसान सभावादी, ट्रेड यूनियनवादी, राँयवादी जैसे अनेक समूह थे। अुन सबको गांधीजी कांग्रेसकी अहिंसा नीतिका जो अर्थ करते थे वह जरा भी पसन्द नहीं था। गांधीजीका यह विचार भी अुन्हें अुचित नहीं लगता था कि लड़ाअीके समय हमें ब्रिटिश सरकारको परेशान नहीं करना चाहिये। बहुताँका तो यही खयाल था कि सरकारसे जवरदस्त लड़ाअी लड़नेका यही सच्चा मौका है। परंतु साथ ही साथ सबको यह भी लगता था कि लड़ाअीका नेतृत्व गांधीजी करें तो ही हम सारे देशमें आग लगा सकते हैं। सब यह समझते थे कि गांधीजीके बिना देशव्यापी लड़ाअी नहीं लड़ी जा सकती। कार्यसमितिको भी यह तो लगता ही था कि मंत्रियोंसे त्यागपत्र दिलवानेके बाद हम कोअी अुय कार्रवाअी न करें तो कांग्रेसमें निराशा पैदा होनेका डर है। दूसरी ओर गांधीजी कांग्रेसकी गंदगी, साम्प्रदायिक फूट वगैराकी ओर अुंगली अुठाकर जो चेतावनी दे रहे थे वह भी अुन्हें सही मालूम होती थी। अिसलिये युद्धके कारण पैदा हुअी नाजुक स्थितिके बारेमें और सविनय कानून-भंगके बारेमें रामगढ़ कांग्रेसके प्रस्तावमें यह घोषणा की गअी :

“भारतको युद्धसे अलग रखने और विदेशी जुअेसे मुक्त करनेके कांग्रेसके संकल्पको अमलमें लानेके लिये जिन प्रान्तोंमें कांग्रेसका बहुमत था वहांके मंत्रियोंसे कांग्रेसने अिस्तीफे दिलवाये। अिस प्रारंभिक कार्रवाअीके बाद स्वाभाविक रूपमें दूसरा कदम सविनय कानून-भंगका ही आता है। अिसके लिये कांग्रेस अच्छी तरह संगठित हो जाने पर अयवा अेकाअेक संकट अुपस्थित करनेवाली परिस्थितियाँ अुत्पन्न होने पर बिना हिचकिचाये तुरन्त वह कदम अुठायेगी। गांधीजीने घोषणा की है कि सविनय कानून-भंग छेड़नेकी जिम्मेदारी वे तभी लेंगे, जब अुन्हें विश्वास हो जायगा कि कांग्रेसी कड़ाअीसे अनुशासनका पालन करने और स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञामें वताये गये रचनात्मक कार्य

करनेको तैयार हूं। जिस वातकी तरफ कांग्रेस सभी कांग्रेसियोंका ध्यान दिलाती है।

“कांग्रेसका प्रयत्न सभी वर्गों और जातियोंके लोगोंका जाति या धर्मका भेदभाव रखे बिना प्रतिनिधित्व और सेवा करनेका है। हिन्दुस्तानकी आजादीकी लड़ाई सभी लोगोंकी मुक्तिकी लड़ाई है। जिसलिये कांग्रेस आशा रखती है कि सभी वर्ग और जातियां अुसमें भाग लेंगी। सविनय कानून-भंगका अुद्देश्य सारे राष्ट्रमें बलिदान करनेका जोश पैदा करना है।

“कांग्रेस अपनी महासमितिको और अवसर व आवश्यकता अुपस्थित होने पर कार्यसमितिको यह अधिकार देती है कि अुपरोक्त प्रस्तावको कार्यान्वित करनेके लिये जो कार्रवायी अुसे ठीक लगे वह कर सकती है।”

कांग्रेसका प्रस्ताव पास हो जानेके बाद अव्यक्तके अनुरोध पर गांधीजीने सारी परिस्थिति पर हृदयस्पर्शी भाषण दिया। अुसके अन्तिम भागमें कांग्रेसियोंको गंभीर चेतावनी दी। वह अंश नीचे दिया जाता है :

“मैं जानता हूं कि आप मेरे बिना नहीं लड़ेंगे। परंतु आप जान लीजिये कि मैं तो करोड़ों दरिद्रनारायणोंके खातिर ही जीता हूं और अुन्हींके लिये मरना चाहता हूं। जिसलिये अुनके प्रतिनिधिके नाते ही मैं यहां बैठा हूं और अुनके प्रतिनिधिकी हैसियतसे ही मैं लड़ सकता हूं। अुनके प्रति मेरी वफादारी अन्य सब वफादारियोंसे अुपर है। आप मुझे छोड़ दें या पत्थरोंसे कुचलकर मार डालें तो भी मैं चरखा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस क्षण मैं चरखेकी शर्त ढीली कर दूंगा अुसी क्षण मूक दरिद्रनारायणोंके सिर पर वरवादी अुतर आयेगी और अीश्वर मुझसे जिसका जवाब मांगेगा। जिसलिये यदि आपको चरखेमें मेरे जैसा विश्वास अुत्पन्न न हो सकता हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे आप छोड़ दीजिये। चरखा सत्य और अहिंसाका बाह्य प्रतीक है। आपके अन्तरमें अहिंसाकी प्रतिष्ठा न हो तो चरखा भी आपको न जंचेगा। याद रखिये कि बाहरी और भीतरी दोनों शर्तोंका आपको पालन करना है। आप अन्तरकी शर्तका पालन करेंगे तो विरोधीका द्वेष छोड़ देंगे, अुसके नाशका रास्ता नहीं खोजेंगे, अुसके नाशके लिये कोशिश नहीं करेंगे, परंतु अुसके लिये अीश्वरकी करुणा मांगेंगे। केवल सरकारके कुदमोंकी पोथी पढ़नेमें ही ध्यान न लगायिये। क्योंकि अुसके कर्ताघतार्थोंका हमें हृदय-परिवर्तन करना है। अुन्हें

भी अन्तमें मित्र बनाना है। स्वभावसे तो कोबी भी दुष्ट नहीं होता। और यदि दूसरे हैं तो हम क्या कम हैं? सत्याग्रहके मूलमें यही मनोवृत्ति है। आपको वह स्वीकार न हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिये। क्योंकि मेरे कार्यक्रममें विश्वास रखे बिना और मेरी शर्तें माने बिना आप जिसमें पड़ेंगे तो मुझे वरवाद करेंगे, खुद वरवाद होंगे और देशके कामको भी वरवाद करेंगे।”

जिसी अरसेमें और दो घटनाओं हुआं जिनका अल्लेख करके यह अध्याय पूरा करेंगे।

रामगढ़-कांग्रेसके समय रामगढ़में ही एक और बड़ी परिषद् सुभाषदावूके नेतृत्वमें हुआ। उसका नाम समझौता विरोधी परिषद् रखा गया था। जिन लोगोंका सुभाषदावूके मत और विचारोंसे कोबी वास्ता नहीं था जैसे भी बहुतसे तरह तरहके लोग उसमें अिकट्ठे हुअे थे। उन सबको कांग्रेसकी कार्यसमितिके प्रति रोष था, जिसलिये अुन्होंने उसका विरोध करनेका यह मौका साधा था। वे लोग कांग्रेस कार्यसमितिके विरुद्ध यह प्रचार कर रहे थे कि वह ब्रिटिश सरकारके साथ समझौता करनेको एक पांव पर तैयार है; वह देशके हितोंका बलिदान करके भी समझौता कर लेगी। हम अूपर देख चुके हैं कि यदि सम्मानपूर्ण ढंगसे और देशका हितसाधन करते हुअे समझौता हो सके तो जैसे समझौते पर कांग्रेसको कोबी आपत्ति नहीं थी। कांग्रेसकी अुत्सुकता अितनी ही थी कि देशका भला किस तरह हो। परंतु जहां केवल विरोधके नारे लगाने हों वहां स्वाभाविक रूपमें ही लोगोंकी कमी नहीं रहती। जिसलिये सुभाषदावूकी परिषद् काफी धूमधामसे हुआ और उसमें जी भरकर कांग्रेसका विरोध किया गया। परंतु सुभाषदावू खाली विरोध करनेवाले नहीं थे। आगे अवसर पाकर वे भारतसे बाहर चले गये और भारतको स्वतंत्र करनेके अुद्देश्यसे जर्मनी और जापानसे मिल गये। वहां अुन्होंने आजाद हिन्द फौज खड़ी की, परंतु अन्तमें उनका प्रयत्न असफल रहा। जिस तफसीलमें जानकी यहां जरूरत नहीं है।

दूसरी महत्त्वकी घटना जिसी अरसेमें लाहौरमें हुआ मुस्लिम लीगकी परिषद् थी। जिन्ना साहब और मुस्लिम लीगके दूसरे नेता कुछ समयसे यह कह रहे थे कि मुसलमान और हिन्दू दो भिन्न राष्ट्र हैं और हिन्दुस्तानके दो टुकड़े किये बिना देशमें शांति स्थापित नहीं की जा सकती। लाहौरमें मुस्लिम लीगके वार्षिकोत्सवमें यह चीज स्वीकार की गयी और पाकिस्तानका प्रस्ताव पास किया गया।

गांधीजी कांग्रेसके दायित्वसे मुक्त हुअे

जाड़ोंमें यूरोपकी लड़ायी कुछ धीमी चल रही थी। परंतु १९४० के अप्रैल मासके आरंभमें जर्मनीने पश्चिम पर जवरदस्त आक्रमण शुरू किया। थोड़े ही दिनोंमें बेलजियम, हालैंड, डेनमार्क और नार्वेने अकेके वाद अके आत्मसमर्पण कर दिया। फिर अुसने फ्रांस पर चढ़ायी की। अुसकी मददमें अिंग्लैंडने अपनी तैयार रखी हुअी तमाम फौज फ्रांसमें अुतारी। परंतु फ्रांस और अिंग्लैंडकी सेनाअें जर्मनीके सामने टिक न सकीं। १४ जूनको फ्रांसका पतन हुआ। ब्रिटिश सेना भारी वरवादी अुठाकर डंकर्कसे बड़ी मुश्किलसे अिंग्लैंड वापिस आ सकी। अिससे अिंग्लैंडमें जवरदस्त खलवली मची। चैम्बरलेनके मंत्रिमंडलने त्यागपत्र दिया और सब दलोंका संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया गया। मिस्टर विन्स्टन चर्चिल प्रधान मंत्री बने। मिस्टर अेमरी भारतमंत्री हुअे। जर्मनीने अिंग्लैंड पर भारी हवायी हमला शुरू किया और अिंग्लैंड बरेके जैसी हालतमें फ्रांस गया। फिर भी अिंग्लैंडके अिस नये मंत्रिमंडलके भारत-सम्बन्धी रवैयेमें कोअी फर्क न पड़ा।

अिस स्थितिमें कांग्रेस कैसा रवैया अख्तियार करे, यह तय करनेका बड़ा प्रश्न कार्यसमितिके सामने आया। १७ जूनको वर्धामें अुसकी बैठक हुअी। अुस समय यह शंकास्पद था कि अिंग्लैंड खुद भी जर्मनीके सामने टिकेगा या नहीं। अिसलिअे भारत विदेशी आक्रमण और भीतरी अव्यवस्थासे अपना बचाव आप ही करनेकी तैयारी रखनेकी स्थितिमें आ पड़ा। कांग्रेसने अंग्रेजोंसे स्वराज्य लेनेके लिअे अहिंसाकी नीति स्वीकार कर रखी थी, परंतु अुसने अैसा कोअी निश्चय नहीं किया था कि अुसके हाथमें राजसत्ता आ जाने पर देशकी रक्षाके लिअे, विदेशी आक्रमणसे देशका बचाव करनेके लिअे अथवा आन्तरिक अराजकतासे लोगोंकी रक्षा करनेके लिअे वह सेनाका अुपयोग नहीं करेगी।

गांधीजीकी स्थिति अलग थी। अहिंसा अुनके लिअे अेक नीति नहीं, परंतु धर्म था। हर हालतमें अहिंसा पर कायम रहनेका अुनका निश्चय था और अुनका विश्वास था कि देशकी आम जनता अिसमें अुनका पूरा साथ देगी। सितम्बर १९३८ में जब यूरोपमें लड़ाअीके आसार दिखाअी दे रहे थे, तब दिल्लीमें हुअी कार्यसमितिके सामने अुन्होंने यह सवाल खड़ा

किया था कि “कांग्रेसने बीस वर्ष तक अपनी आन्तरिक नीतिके रूपमें अहिंसाको अपनाया है। अब वह समय आ पहुंचा है जब कांग्रेसको अहिंसाके प्रयोगका विस्तृत क्षेत्रमें अमल करनेको तैयार होना चाहिये।” अन्होंने कार्यसमितिसे कहा कि “आपको घोषणा कर देनी चाहिये कि स्वतंत्र भारत भी हिंसाको तिलांजलि देगा और देशकी रक्षा करनेके लिये भी सेना नहीं रखेगा।” गांधीजीका अद्वैत्य अहिंसाका सन्देश दुनियाको पहुंचाना था। अगर वे अपने देशसे ही अहिंसा स्वीकार न करा सकें तो फिर औरोंके सामने अुसकी बात कैसे कर सकते थे? परंतु कार्यसमिति यह स्थिति स्वीकार नहीं कर सकती थी। अुसने अपनी कठिनाअियां गांधीजीके सामने रखीं। अितनेमें म्यूनिक्का समझौता हो गया और लड़ाअी स्थगित हो गअी। अिसीलिये यह बात वहीं रुक गअी। युद्ध छिड़ जानेके बाद १९३९ के नवम्बर मासमें फिर गांधीजीको वाअिसरायसे दुवारा मिलने जाना पड़ा। तब कार्यसमितिसे अुन्होंने फिर कहा कि मुझे कांग्रेसका पथप्रदर्शन करनेकी जिम्मेदारीसे मुक्त कर देना चाहिये और अपने ढंगसे अहिंसाके रास्ते चलने देना चाहिये। कार्यसमितिकी प्रार्थना पर अुन्होंने अपना निर्णय फिर मुलतवी कर दिया। रामगढ़-कांग्रेसमें भी यह बात चली थी, परंतु कार्यसमितिके सदस्योंके आग्रहसे स्थगित हो गअी। लेकिन फ्रान्सके पतनके बाद अैसे हालात पैदा हो गये, जिससे कांग्रेस और गांधीजीको अपनी अपनी स्थितिके बारेमें स्पष्ट निर्णय कर लेनेकी जरूरत खड़ी हुअी। व्यक्तिगत रूपमें कार्यसमितिके कुछ सदस्य गांधीजीका साथ देनेको तैयार थे। परंतु अुनका विचार था कि देश अहिंसाको अपनाानेके लिये तैयार नहीं है और देशके प्रति अपनी जिम्मेदारी वे छोड़ नहीं सकते। अिसलिये गांधीजीको अपने रास्ते जानेकी आजादी देना ही अुन्हें ठीक लगा। अपने प्रस्तावमें अहिंसाके प्रश्न पर अुन्होंने यह घोषणा की :

“यद्यपि कार्यसमिति मानती है कि कांग्रेसको स्वतंत्रताकी लड़ाअीमें अहिंसाके सिद्धान्त पर कट्टरताके साथ कायम रहना चाहिये, फिर भी जब तक कांग्रेस जनता पर काफी मात्रामें अहिंसक नियंत्रण न जमा ले और जनता भी संगठित अहिंसाका पाठ काफी मात्रामें पचा न ले, तब तक जिन आदमियोंसे अुसे काम लेना है अुनकी त्रुटियों और अपूर्णताओंके प्रति और साथ ही संक्रान्ति तथा अुयल-पुयलके अिस कालमें आ पड़नेवाली जिम्मेदारी और खतरेके प्रति वह आंखें बन्द नहीं कर सकती। अिस प्रकार अुपस्थित हुअी समस्या पर कार्यसमिति खूब विचार करके अिस निर्णय पर पहुंची है कि वह अन्त तक गांधीजीके साथ नहीं चल सकती। तथापि वह यह भी समझती

है कि अन्हें अपने महान आदर्शोंका रास्ता अपने ही ढंगसे तय करनेकी आजादी रहनी चाहिये। जिसलिये भारतमें तथा दुनियामें जिस समय बाह्य आक्रमण और आन्तरिक अव्यवस्थाकी स्थितिमें कांग्रेसको जो कार्यक्रम और प्रवृत्ति चलानी है उसकी जिम्मेदारीसे कार्यसमिति गांधीजीको मुक्त करती है।”

जवाहरलालजी, सरदार, राजाजी तथा कुछ अन्य सदस्य उपरोक्त प्रस्तावके पक्षमें थे, जब कि श्री राजेन्द्रवानू, डॉ० प्रफुल्ल घोष, कृपालानीजी तथा श्री शंकरराव देव गांधीजीके साथ पूरी तरह जानेको तैयार थे। जिसलिये अन्होंने कार्यसमितिसे त्यागपत्र दे दिये। परंतु अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजादने अन्हें समझाया कि जब तक ब्रिटिश सरकार हमारी बात मान नहीं लेती तब तक सक्रिय सहायता देने या अहिंसा छोड़ देनेकी बात अपुस्थित नहीं होती। जिसलिये आपको अभी त्यागपत्र देनेकी जरूरत नहीं है। जिस पर वे लोग कार्यसमितिमें बने रहे। परंतु खानसाहब अब्दुल गफ्फार खांको जिस प्रकार भी संतोष न हुआ। अन्हें अपने तथा खुदाजी खिदमतगारोंके वारेमें यह विश्वास था कि वे हर हालतमें अहिंसा पर जमे रहेंगे। जिसलिये वे कांग्रेससे अलग हो गये।

असके बाद २ से ७ जुलाजी तक दिल्लीमें कार्यसमितिकी बैठक हुयी। असमें असने और भी साफ कर दिया कि कांग्रेसकी मांगें मान ली जायें तो कांग्रेस देशके आर्थिक और नैतिक सभी साधन संगठित करनेका प्रयत्न करेगी और देशके बचावके लिये अपनी पूरी शक्ति खर्च करेगी।

वर्षा और दिल्लीके प्रस्तावों पर विवेचन करते हुये सरदार और राजाजीके वारेमें गांधीजीने जो अुद्गार प्रगट किये वे अुल्लेखनीय हैं:

“ भले जिस समय सरदार और मैं अलग रास्तों पर चलते दिखायी दें, परंतु जिससे हमारे हृदय थोड़े ही अलग हो जाते हैं? मैं अन्हें अलग जानसे रोक सकता था, परंतु असा करना मुझे ठीक नहीं लगा। राजाजीकी दृढ़ताके विरुद्ध आग्रह करना गलत माना जाता। अन्हें भी मैं रोक सकता था। असा करनेके बजाय मैंने अन्हें प्रोत्साहन दिया, देना अपना धर्म समझा। यदि नये दिखायी देनेवाले क्षेत्रमें अहिंसाका प्रयोग सफल कर दिखानेकी मुझमें शक्ति होगी, असमें मेरा विश्वास बना रहेगा, जनताके वारेमें मेरी जो राय है वह सही होगी, तो राजाजी और सरदार पटेल पहलेकी तरह मेरे साथ ही हाथ अुठायेंगे।”

दिल्लीके प्रस्तावके वारेमें लिखते हुअे अुन्होंने कहा :

“पास हुआ प्रस्ताव राजाजीने बनाया था। अपनी भूमिकाके सही होनेके वारेमें मैं जितना निःशंक था, अुतने ही वे अपनी भूमिकाके सही होनेके वारेमें निःशंक थे। अुनके आग्रह, साहस और निरभिमानके सामने साथी हार गये। अुनकी सबसे बड़ी जीत यह है कि वे सरदारको अपने मतका बना सके। यदि मैं राजाजीको रोकना चाहता तो वे अपना प्रस्ताव पेश करनेका विचार तक न करते। परंतु मैं अपने लिये जितनी अुत्कटता और आत्मविश्वासका दावा करता हूं, अुतनी ही अुत्कटता और आत्मविश्वास अपने साथियोंमें भी होना मैं स्वीकार करता हूं।”

सरदारके लिये यह प्रसंग अैसा-वैसा नहीं था। निर्णय पर आनेसे पहले अुन्हें भारी हृदय-मंथनमें से गुजरना पड़ा।

तारीख १९-७-'४० को गुजरात प्रान्तीय समितिके सामने अहमदावादमें दिये गये अपने भाषणमें अुन्होंने अपनी मनःस्थितिका सुन्दर वर्णन किया :

“वापूके लेख आपने पढ़े होंगे। वे लिखते हैं कि सरदार अवश्य लौट आवेंगे। मैं तो कहीं न गया, न आया। मैंने गुजरातके और बाहरके प्रतिनिधिके नाते कार्यसमितिके अपनी राय दी है। देशके वारेमें मेरा निदान गलत होगा तो मेरे जितना आनन्द किसीको न होगा।

“मैंने तो वापूसे कह दिया कि आप हुक्म दें कि मेरे पीछे पीछे चले आओ तो मुझे आप पर अितनी श्रद्धा है कि मैं आंखें बन्द करके आपके पीछे दौड़ूंगा। परंतु वे तो कहते हैं कि मेरे कहनेसे नहीं, तुम्हें खुद सूझता हो तो मेरे रास्ते चलो। मैं अुनके रास्ते चल सकूं तो मुझेसे अधिक प्रसन्न और कोअी न होगा। परंतु जो बात मेरी समझमें न आती हो अुसके लिये यह कैसे कह सकता हूं कि मैं अुसे समझता हूं? मुझे या किसीको भी वापूके साथ वेअीमानी नहीं करनी चाहिये।

“मौजूदा परिस्थितिके अहिंसाका संपूर्ण प्रयोग करना कांग्रेसके लिये संभव नहीं। हमारी शक्तिकी अेक मर्यादा है। और देशकी शक्तिके अन्दाजके वारेमें भी वापूके और हमारे बीच मतभेद है। यह अेक व्यक्तिकी बात नहीं है। व्यक्ति तो कितना ही अूंचा अुठ सकता है। परंतु यह सारी संस्थाको साथ लेकर चलनेकी बात है।

“समाज पर अत्याचार करनेवालोंके साथ आवश्यक हिंसा विस्तेमाल किये विना काम चला सकना मेरी बुद्धिके बाहर है। यह

समय सिद्धान्तोंकी चर्चाका नहीं है। आप सबको सोचना चाहिये कि भीतरकी अव्यवस्था और बाहरी आक्रमणके विरुद्ध लोग हिंसाका अुपयोग चाहते हैं या नहीं ?

“वापूने यह प्रश्न रखा कि मुझे अपना प्रयोग करनेकी पूरी आजादी होनी चाहिये। उसके लिये मुन्होंने हमारा त्याग किया है। हमने कहा कि आपके जितनी तेजीसे, वेगसे हम आपके पीछे चल न सकें तो हमें आप पर बोल नहीं बनना चाहिये।

“बाहरके लोग अब तक मुझे वापूका अन्वा अनुयायी कहते थे। ऐसा मैं बन सकू तो मुझे गर्व होगा। परंतु मैं देखता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं अब भी उनसे कहता हूं कि आप नेतृत्व करें तो हम आपके पीछे चलेंगे। परंतु वे कहते हैं कि आंखें खोलकर अपनी बुद्धिके अनुसार चलो।

“वापूजी हमसे अंधी वफादारी नहीं चाहते। हमारी शक्ति कितनी है यह हमें मुन्हें साफ साफ कह देना चाहिये। जो चीज कांग्रेसके भीतर नहीं है उसके लिये ‘है’ कहनेसे काम नहीं चलेगा। उससे नुकसान होगा। हमने अब तक अहिंसाके प्रयोग किये, यह ठीक किया। परंतु लोगोंमें जो कायरता है, वे जहां खड़े हैं वहांसे आगे नहीं बढ़ सकते, उसका क्या किया जाय ? यह समय जहांके तहां खड़े रहनेका नहीं है। हमारे लिये चुनाव करनेका समय आ पहुंचा है। आपमें से जो केवल रचनात्मक कार्यमें लगे हुए हैं और हर हालतमें अहिंसा पर डटे रहना चाहते हैं, उनके सिर पर हमसे अधिक जिम्मेदारी है। आपका यह खयाल हो कि कांग्रेस गलत रास्ते जा रही है, तो आपको निःशंक उसका बोल अुठा लेना चाहिये। मैं तो अवश्य उसे आपके सिपुर्द कर दूंगा।”

अुसके बाद २७ और २८ जुलाअीको पूनामें कांग्रेस महासमितिकी बैठक हुअी। भारी वादविवादके बाद वर्षा और दिल्लीकी कार्यसमितिके प्रस्ताव मंजूर किये गये। अुन प्रस्तावोंको मंजूर करनेवाला प्रस्ताव ९१ विरुद्ध ६३ मतोंसे पास हुआ। राजेन्द्रवाबूने अपना और अपने साथियोंका मत बताया और यह कहा कि हम महासमितिके प्रस्तावका विरोध नहीं करते, परंतु तटस्थ रहते हैं। प्रस्तावका विरोध करनेवालोंने हिंसा-अहिंसाके कारण अुसका विरोध नहीं किया था, परंतु अुनका खयाल था कि ऐसा प्रस्ताव पास करनेमें कांग्रेस अपनी कमजोरी दिखा रही है और अुसका लाभ अुठाकर सरकार कांग्रेसको कुचल देगी। क्योंकि अुस समय कअी

प्रान्तोंमें कांग्रेसके मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओंकी बड़ी तादादमें गिरफ्तारियां हो रही थीं। महासमितिकी बैठकमें १८८ सदस्य अुपस्थित थे। इसलिये राजेन्द्रबाबू और अुनके विचारसे सहमत महासमितिके दूसरे सदस्य तटस्थ रहनेके वजाय प्रस्तावके विरुद्ध मत देते तो प्रस्तावके अुड़ जानेकी पूरी संभावना थी।

अिस प्रस्तावमें यह तो जरूर था कि स्वराज्य-प्राप्तिकी अपनी आन्तरिक लड़ाईके लिये कांग्रेस अहिंसाकी नीति पर ही कायम है। फिर भी कांग्रेसकी मांग मान ली जाय तो वह ब्रिटेनके पक्षमें रहकर युद्धमें सक्रिय सहायता देनेके लिये तैयार है, अिस प्रस्तावसे लोगोंमें भारी बुद्धिभेद पैदा हो गया। धार्मिक श्रद्धाके रूपमें अहिंसाके सिद्धान्तको माननेवाले बहुत ही थोड़े लोग होंगे। फिर भी कांग्रेसके प्रमुख नेताओंके बीच अिस मामलेमें मतभेद पैदा होनेकी बात लोगोंकी नजरोंमें आये बिना नहीं रही।

३१

व्यक्तिगत सदिनय कानून-भंग, साम्प्रदायिक दंगे और सरदारकी बीमारी

वर्धा और दिल्लीके प्रस्तावोंको महासमितिका समर्थन प्राप्त हो जानेके बाद सरदार और राजाजी तो यही मानते थे कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेसकी मांगें मान लेगी और युद्धमें कांग्रेसकी सक्रिय सहायताका स्वागत करेगी। परंतु ८ अगस्तको वाअिसरायने अपनी घोषणा प्रगट की। अुसमें कांग्रेसके प्रस्तावका स्वागत करनेका कोअी भी चिह्न नहीं था। वाअिसरायने अपनी घोषणामें बताया कि भारतके राजनैतिक नेताओंके साथ और सम्राट महोदयकी सरकारके साथ सलाह-मशविरा करनेके बाद मुझे यह घोषणा करनेका आदेश दिया गया है कि मेरी कार्यकारिणीमें शामिल होनेके लिये प्रतिनिधित्व रखनेवाले कुछ भारतीयोंको निमंत्रण दिया जाय और युद्धके मामलेमें सलाह देनेके लिये मैं अेक कौंसिल नियुक्त करूं। अल्पमतोंके प्रश्न पर अुन्होंने घोषणा की कि मैं राज्यकी जिम्मेदारी किसी अैसी संस्थाको नहीं सौंप सकता, जिसकी सत्ताको विशाल और बलवान अल्पमत स्वीकार करनेको तैयार न हों। अैसे अल्पमतोंको जवरदस्ती अुसके अधीन बननेके लिये मैं नहीं कह सकता। सार यह कि वाअिसरायकी कार्यकारिणीमें अलग अलग मतों

और विचारोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले व्यक्तियोंको लेकर अुसे कुछ अधिक विस्तृत बनानेके सिवा अुसमें दूसरी कोयी मुद्देकी बात नहीं थी। अुस कार्य-कारिणीको वाधिसरायको सलाह देनेके सिवा और कोयी अधिकार नहीं था। अुसकी सलाह वाधिसरायको माननी चाहिये, यह बात भी घोषणामें नहीं थी। भारतमंत्री मि० अेमरीने अिसी प्रकारकी घोषणा १४ अगस्तको ब्रिटिश पार्लियामेण्टमें की। पार्लियामेण्टमें अुन्होंने अेक प्रश्नका जो अुत्तर दिया अुससे तो यही जान पड़ता था कि भारतकी परिस्थितिको वे बिलकुल गंभीर नहीं समझते थे। यह सब कांग्रेस कार्यसमितिकी आंखें खोल देनेके लिये काफी था।

१८ अगस्तको वर्धामें कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक हुयी। राष्ट्रपतिकी प्रार्थना पर गांधीजी अुस बैठकमें अुपस्थित रहे। पांच दिन तक विचार-विमर्श करनेके बाद कार्यसमितिके अेक लंबा प्रस्ताव पास किया। अुसमें अुसने कहा :

“भारतके लोगोंके विशाल बहुमतकी अिच्छाके विरुद्ध जाकर और परिणामोंकी परवाह किये बिना ब्रिटिश सरकारने अपनी मर्जी भारत पर लादनेका जो निर्णय किया है, अुससे अत्यन्त गंभीर परिस्थिति पैदा हो गयी है। कांग्रेसकी मांगें अस्वीकार करके ब्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानको तलवारके जोर पर अपने कब्जेमें रखनेके निश्चयका सन्नृत दिया है। अपना यह अुद्देश्य पूरा करनेके लिये अुसने सैकड़ों कार्यकर्ताओंको, जिनमें कांग्रेसके चुने हुअे सेवक हैं, अुस भारत रक्षा कानूनके मातहत जिसे लोकमतका जरा भी समर्थन नहीं है, चुन चुन कर पकड़ लिया है और कांग्रेसकी ताकत तोड़ डालनेके प्रयत्न शुरू कर दिये हैं। ब्रिटिश सरकारको अुसके विपत्तिकालमें परेशान न करनेकी कांग्रेस-नीतिका अनर्थ किया जा रहा है और अुसका तिरस्कार किया जा रहा है। वह कांग्रेसको यह सावित करनेके लिये कि कांग्रेसकी स्थिति सही है और राष्ट्रके सम्मान और स्वातंत्र्यकी रक्षा करनेके लिये लड़ायी करनेको मजदूर कर रही है। हिन्दुस्तानके करोड़ों मूक और श्रमजीवी लोगोंके शुद्ध कल्याण और अुनके द्वारा समस्त दलित मानवताके कल्याणके सिवा कांग्रेसका और कोयी अुद्देश्य नहीं है।

“परिस्थितिकी गंभीरताको ध्यानमें रखते हुअे कार्यसमिति रविवार १५ सितम्बरको महासमितिकी बैठक करनेका निश्चय करती है।

“यह कार्यसमिति तमाम कांग्रेस संस्थाओंको आदेश देती है कि वे अपना काम जोशके साथ करें और खास तौर पर हालमें ही हुआ घटनायें और अनुके वारेमें कांग्रेसकी स्थिति लोगोंको समझावें। सत्याग्रह कमेटियां यह ध्यान रखें कि जिन लोगोंने प्रतिज्ञा ली है वे प्रतिज्ञाकी शर्तोंके अनुसार काम करें और रचनात्मक कार्य तथा कांग्रेसका दूसरा काम चलावें।”

१५ सितम्बरको दम्बडीमें होनेवाली महासमितिकी बैठकके लिये सरदार यह मानते थे कि उसमें सविनय कानून-भंगका प्रस्ताव जरूर पास होगा। इसके लिये गुजरातको तैयार करनेके खातिर वे स्थान स्थान' र भाषण देने लगे। अनुके कुछ अुद्धरण यहां दिये जाते हैं।

तारीख ८-९-१४० को वढवाणकी आमसभामें अुन्होंने कहा :

“लड़ाकी छिड़ी तब कांग्रेसने ब्रिटिश हुकूमतसे कहा, ‘हमें पूछे बिना हमारे स्वार्थ या परमार्थके लिये तुमने हमें युद्धमें शरीक मान लिया सो तो ठीक, परंतु अब तो हमें वह परमार्थ समझाओ जिससे हमारा स्वार्थ या परमार्थ जो भी हो अुसे समझकर हम कदम अुठा सकें।’ परंतु हमें सीधा अुत्तर नहीं मिला। मीठी मीठी बातें करके साल भर तक बातचीत चलायी। कितनी बार गांधीजीको वाअिसरायका द्वार खटखटाना पड़ा। परंतु स्वीकार करने लायक कुछ न मिला। हमने खूब धीरज रखा, क्योंकि कठिनायीके समय अुसे तंग करनेका हमारा अिरादा नहीं है।

“परंतु अब धीरजका अन्त आ रहा है। हुकूमत अपना सच्चा रूप प्रकट करने लगी है। अिस समय वह हममें फूट डाल रही है। फूट डालनी हो तो भले ही डाले। परंतु जो राष्ट्रीयता अुत्पन्न हो गयी है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। अभी तो वह विरोधी शक्तियोंको अेकत्रित करके कांग्रेसको कुचल डालना चाहती है। परंतु धीरज रखिये। १५ तारीखको महासमितिकी बैठक होगी तब फैसला हो जायगा।

“अब तक सरकारने जो कुछ किया वह लोगोंको प्रसन्न करके किया है या दवा कर? अेक भी वैधानिक सुधार राजीखुशीसे नहीं किया। कंठप्राणकी नौवत आ गयी तभी किया है। पिछली लड़ाकीमें सहायता देनेके बदलेमें रीलेट कानून बनानेसे भी वह नहीं चूकी। अिस लड़ाकीके परिणामस्वरूप क्या करनेको रह जायगा यह भगवान जानें।

“ फिर भी देशको आजादी मिलती हो तो कोभी बात नहीं, असा मानकर हम मदद देनेको तैयार हुअे। जिसके लिये हमने गांधीजीका भी विरोध किया। अपनी ३० वर्षकी नीति छोड़नेको तैयार हुअे। परंतु वह तभी जब वे अपनी प्रामाणिकताका सबूत दें; खाली जवानी बातोंसे नहीं। हमने मांग की कि केन्द्रीय सरकारमें राष्ट्रीय राज्यतंत्र दाखिल करो। ‘स्टेट्समैन’ जैसे गोरे अखवारने भी कहा कि सरकारमें अगर सच्चे राजनीतिज्ञ होंगे तो वह कांग्रेसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। कांग्रेसने असा प्रस्ताव पहले कभी किया नहीं और न आगे कभी करेगी। अब तो सब कांग्रेसी कहेंगे — ‘अब पछताये होत क्या, जब चिड़ियां चुग गयीं खेत’; ‘तेरा तेल गया तो मेरा खेल गया’।

“ अब तो हम वंशोंमें गांधीजीको नेतृत्व सौंप देंगे और जैसा वे कहेंगे वैसा करेंगे। सरकार क्या करती है सो शांतिसे देखते रहेंगे। भले ही कामचलाभू सरकार कायम की जाय। हमारे तो विदेशी भी दुश्मन नहीं हैं, तब स्वदेशी तो दुश्मन हो ही कैसे सकते हैं? यदि सरकारमें असी ताकत हो कि वह जिन्ना और सावरकरको साथ बिठा सके तो फिर करनेको बाकी रह ही क्या जाता है? चूहे और बिल्ली भीतर क्या करते हैं सो हमें तो बाहर रहकर देखना है। वैसे देशमें राष्ट्रीयताकी जो भूख पैदा हो गयी है, उसे नष्ट करनेवाली शक्ति सारे संसारमें कोभी नहीं है।

“ वर्तमान लड़ाईकी जड़में किसीका पाप होगा तभी तो यह सब हो रहा है? कांग्रेस हुकूमतसे कहती है कि अितना पुण्य कर लो तो अच्छा रहेगा। डेढ़ सौ वर्षसे हमारी गर्दन पर सवार हो। लेकिन अब अुतर जाओ। वे कहते हैं कि हम अुतर जायेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? अरे भाभी, डेढ़ सौ वर्ष तक राज्य करनेके बाद यह पूछते हो तो अब तक तुमने किया क्या? यह तो अुस चीकीदार जैसी बात हुअी, जो मालिकसे पूछता है कि मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा? पर जिसकी तुझे क्या चिन्ता? तू तो जा। हम या तो दूसरा चीकीदार रख लेंगे या पहरा लगाना सीख लेंगे। परंतु यह चीकीदार तो जाता ही नहीं और बार बार लाठी दिखाता रहता है।

“ दूसरे स्वतंत्र देशों जैसी भारतकी स्थिति होती तो आजकल जैसे टापूमें बन्द होकर गोले खाने पड़ते हैं वैसे ही यहां भी खाने पड़ते ? ”

“ हुकूमतका गला दब गया है। तब भी वह हमसे कहती है कि तुम अपना स्वतंत्र राज्य नहीं चला सकते। तुममें फूट है। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। जिस नैतिक जिम्मेदारीके परदेके पीछेकी वस्तु भयंकर है। हमारे यहां कौनसे दल और हित हैं, अउनके तो नाम नहीं लेती। परदेमें से तो यह मालूम पड़ता है कि ऐसी मुश्किलमें फंसी हुयी हुकूमत जब जिस तरह बोलती है तो उसमें कोआी अीवरीय संकेत होना चाहिये। हमें तो जो परिणाम निकले अुसीको देखते रहना चाहिये। हमें निराश नहीं होना है। जाग्रत ही रहना है। ये लोग अिनकार करते हैं, अुसीमें शायद हमारा लाभ होगा।

*

*

*

“ परंतु यह चीज अब बहुत लंबी नहीं चलेगी। जिस वेगसे विनाश हो रहा है अुसी वेगसे होता रहा तो थोड़े समयमें निवटारा हो जायगा। जिसमें अनेक पापी शक्तियां नष्ट हो जायेंगी। यह पृथ्वीका भार अुतारनेके लिये प्रकृतिका कोप हुआ है। हमारा कर्तव्य तो ऐसा कुछ करना है जिससे फिर संकट आने ही न पाये।”

तारीख ९-९-४० को अहमदाबादकी आमसभामें भाषण देते हुअे सरदारने यह चीज और स्पष्ट शब्दोंमें समझाओी :

“ वारह महीने पहले जब यह लड़ाओी शुरू हुओी तब भारतको लड़ाओीमें फंसा दिया गया। जिस मामलेमें किसीको नहीं पूछा गया। न राजाओंको पूछा गया, न मुसलमानोंको पूछा गया और न जनताके किसी दल या प्रतिनिधियोंको पूछा गया। कांग्रेसने जिसका विरोध किया। जब भारतीय सेना भारतसे बाहर भेजी गओी तब अुसका विरोध करनेके लिये बड़ी धारासभामें से कांग्रेसके प्रतिनिधियोंको वापस बुला लिया गया। यह हम जानते हैं कि जिससे तुम्हारा विरोध है अुससे हमारा भी विरोध है। परंतु जिस लड़ाओीमें तुम किसलिये पड़े हो, अुसका स्पष्ट हेतु हमें समझा दो तो हम समस्त भूतकालको भूलकर भी तुम्हें मदद देनेको तैयार हैं। हमसे पूछेताछे बिना तुमने हमें लड़ाओीमें धकेल दिया तो भी हम तुम्हारा साथ देनेको तैयार हैं, यदि हमें यह समझा दिया जाय कि लड़ाओीके बाद तुमने भारतका कुछ न कुछ हित करनेका सोचा है। हमारी जिस मांगको सरकारकी तरफसे टालनेकी कोशिश हुओी।

“सच बात यह है कि लड़ाई अकेले युरोपकी नवरचना करनेके लिये नहीं, बल्कि जिसलिये है कि अशिया और अफ्रीकाके काले लोगोंका वंटवारा किस तरह किया जाय और उन पर शासन किस प्रकार मजबूत बनाया जाय। लड़ाईका यह हेतु स्पष्ट और साफ है।

“ब्रिटेन यह कहता है कि यह लड़ाई हमने छोटे छोटे देशोंकी स्वतंत्रताकी रक्षा करनेके लिये मोल ली है। तब अमरीका और जगतके दूसरे देशोंमें पूछा जा रहा था कि भारतकी स्वतंत्रताका क्या होगा? जब दुनिया भरके देशोंमें यह प्रचार होने लगा तब बिन लोगोंने दूसरी चाल चली। हुकूमतके प्रतिनिधिने भारतके प्रतिनिधियोंको बुलाकर कहा, ‘हम स्वतंत्रता दे देना चाहते हैं। भारत तो हमारे गलेका पत्थर बन गया है। परंतु क्या करें? भारत अभी तक स्वतंत्रताके लायक नहीं बन सका है। उसे स्वतंत्रता दें तो भारतमें जगह जगह रक्तपात, लूटपाट, और मारपीट वगैरा अराजकता फैल जाय, कोबी जाति सलामत न रहे। ऐसा न होने देनेकी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।’ जिस प्रकारका प्रचार भी वे करने लगे। प्रचारके लिये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अमरीका पहुंचे हैं।

“कांग्रेसने तो कहा था कि हमारी सच्चे दिलकी मदद चाहते हो तो वायिसरायकी कौंसिलकी बात बन्द करके उसकी जगह सब दलोंकी राष्ट्रीय सरकार बना दो। उसमें कांग्रेसके, लीगके, दूसरे मुसलमानोंके, हिन्दू महासभाके और अन्य दलोंके प्रतिनिधि हों। भले ही उसमें अंग्रेज भी रहें। परंतु यह तंत्र जनताके प्रति जिम्मेदार होना चाहिये। उसीके साथ तुम्हें अितना और कहना चाहिये कि जब लड़ाई बन्द हो जायगी तब भारतके सभी प्रान्तों और दलोंके चुने हुए प्रतिनिधि जो संविधान तैयार करेंगे उस पर तुम हस्ताक्षर कर दोगे। परंतु अन्होंने तो अेक भी बात न मानी और पहलेवाली वही बात फिरसे कहना शुरू कर दिया। यह तो वायिसरायकी तीन चार सिविल सविस्वालोंकी कौंसिलको सिर्फ बड़ी कर देनेकी बात है। उसमें तुम आ जाओ और मदद दो, यही बात है। तुम वायिसरायके सलाहकार माने जाओगे, फिर भी अन्हें जो कुछ करना होगा वे करेंगे, सारी कुंजियां वायिसरायके हाथमें ही रहेंगी। अैसी शिवजीकी बरातमें तुम शरीक हो जाओ।

यह कोअी नअी वात नहूँ। तीन चार वार जो वात की थी, वही वात वे फिर पेश कर रहे हैं।

“कांग्रेसकी वात साफ है कि अिस लड़ाअीके समयमें वह सरकारको तंग नहूँ करना चाहती। परंतु कांग्रेसके प्रस्तांवका तिरस्कार किया जाता है। वाअिसराँयकी घोषणा तो कांग्रेसकी हस्ती पर अेक वार जैसी है। हो सके सो कर लो, अैसी चुनौती अुसमें गभित है। भारतमंत्रीने जो वात कही है अुसमें भी कुछ नया नहूँ है।

“वंवअीकी बैठकमें अेक ही काम करना है। महात्माजीसे कह देना है कि आप वापस आअिये, आप जो वात कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। अब हमें जो वे कहेंगे वही करना है। अुससे भारतकी शक्तकी, कांग्रेसकी शक्तकी परीक्षा हो जायगी। कांग्रेसका अुद्देश्य सही होगा, अुसकी नीयत साफ होगी और अुसने मुल्ककी सच्ची सेवा की होगी तो वह दिख जायेगा। भले ही सत्ता दूसराँके पास चली जाय। कांग्रेस अैसी जाजम पर नहूँ बैठेगी जिस पर कीड़े या जन्तु पड़े हों। नाजीवाद और साम्राज्यवाद यों तो अेकसे ही हैं। अेक प्लेग है तो दूसरा हैजा है। हैजा घरमें है और प्लेग बाहर है।

“हुकूमतने तो हमसे जवरदस्ती यह लड़ाअी खड़ी कराअी है। कांग्रेसके पास अब और कोअी रास्ता नहूँ है। आप सबसे अेक अंतिम प्रार्थना है कि यह हमारा आखिरी सौदा है। हमें अेक ही चीज करनी है। वह यह है कि किसीकी हिंसा न की जाय, किसीको कष्ट न दिया जाय और स्वाभिमानकी रक्षाके लिये हम सारे कष्ट सह लें। आज जिन्दगीका कोअी मूल्य नहूँ है। विमानमें गोले भरकर बहुतसे अुड़ाके प्राणोंको हथेली पर रखकर ले जाते हैं। हजारों मनुष्य जान हथेली पर रखकर चलते हैं। हम भी जब हमारी हस्ती पर हमला हो रहा है तब क्या जवाब दें?

“अिस समय आप कोअी अैसी आशा न रखिये कि कांग्रेस सारे समय नेतृत्व करेगी। हरअेकका अपना कर्तव्य है कि वह लड़ाअीके खुले मैदानमें अुतर आवे। मुझे तो स्पष्ट चिह्न दिखाअी दे रहे हैं कि लड़ाअी आ रही है। अब हम फिर मिलें या न मिलें, भारतके आधुनिक अितिहासकी रचनाकी जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है।”

फिर वंचनीमें महासमितिकी बैठक हुयी। १६ सितम्बरको अुसने जो प्रस्ताव पास किया अुसमें हिन्दुस्तानकी तात्कालिक ही नहीं परंतु स्वतंत्र होनेके वादकी नीति भी घोषित की। अिस दृष्टिसे वह प्रस्ताव आज भी महत्त्वपूर्ण माना जायगा। प्रस्ताव सारा यहां दिया जाता है :

“ हिन्दुस्तानमें पैदा हुयी राजनैतिक गुत्थीको सुलझाने और ब्रिटिश प्रजाके साथ सहयोग करके राष्ट्रका हित-साधन करनेके लिये कार्यसमितितने महात्मा गांधीका सहयोग छोड़कर भी ७ जुलाअीके अपने प्रस्तावमें ब्रिटिश सरकारके सामने अेक तजवीज रखी थी। वादमें महासमितितने पूनामें अुसे मंजूर किया। अुस तजवीजको ब्रिटिश सरकारने जिस ढंगसे ठुकराया है, अुससे निश्चित प्रतीत होता है कि भारतको स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार करनेका भी अुसका अिरादा नहीं है। अुसका वस चले तो वह अिस देशको ब्रिटिश शोषणके लिये अनिश्चित अवधि तक अपने अधिकारमें रखेगी। ब्रिटिश सरकारका यह निर्णय बताता है कि वह हिन्दुस्तानसे जबरदस्ती अपना मनचाहा कराना चाहती है। अुसकी अभीकी नीति यह भी बताती है कि अुसने लोगोंके बहुत बड़े भागकी मर्जीके विरुद्ध भारतको जर्मनीके विरुद्ध लड़ाअीमें शामिल कर दिया है और लड़ाअीके लिये अुसके राष्ट्रीय साधनोंका शोषण कर रही है। अुसका विरोध करनेके लिये लोकमतका आजादीसे प्रकट होना वह सहन करनेको तैयार नहीं।

“ जो राजनीति भारतके आजादीके जन्मसिद्ध अधिकारसे अिनकार करती है, जो लोकमतको खुल कर प्रकट नहीं होने देती और जिसके परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्रकी अवनति होती है और गुलामी बनी रहती है, अुस राजनीतिको महासमिति बर्दाश्त नहीं कर सकती। अैसी राजनीति काममें लेकर सरकारने असह्य स्थिति पैदा कर दी है। वह राष्ट्रकी अिप्लजत और मूलभूत अधिकारोंकी रक्षाके लिये लड़ाअी छेड़नेको कांग्रेसको विवश कर रही है। गांधीजीके नेतृत्वमें भारतकी आजादीकी रक्षाके लिये अहिंसासे काम लेनेको कांग्रेस प्रतिज्ञाबद्ध है। अिसलिये राष्ट्रकी आजादीके आन्दोलनके अिस अत्यन्त गंभीर और विषम अवसर पर महासमिति गांधीजीसे प्रार्थना करती है कि जो कदम अुठाना अुचित हों अुसमें वे कांग्रेसका नेतृत्व करें। महासमितिका पूनामें मंजूर किया गया

दिल्लीका जो प्रस्ताव अन्हें असा करनेसे रोकता था, वह अब नहीं रहा, वह रद्द हो गया है।

“महासमिति ब्रिटिश प्रजा और युद्धमें फंसी हुई अन्य प्रजाओंके प्रति भी सहानुभूति रखती है। खतरे और संकटका सामना करनेमें ब्रिटिश प्रजा जो वीरता और सहनशक्ति दिखा रही है, उसकी भी कांग्रेसजन सराहना किये बिना नहीं रह सकते। उनका ब्रिटिश लोगोंके प्रति कोई द्वेष नहीं हो सकता। अन्हें परेशानीमें डालनेके अिरादेसे कोई भी काम करनेमें कांग्रेसको उसकी सत्याग्रही भावना रोकती है। परंतु यह स्वेच्छासे स्वीकार किया हुआ संयम अिस हद तक नहीं ले जाया जा सकता कि कांग्रेसकी हस्ती ही मिट जाय। अहिंसा पर बनी हुई उसकी नीतिका अनुसरण करनेकी उसे पूरी आजादी हो, अिसका आग्रह कांग्रेसको रखना ही चाहिये। फिर भी यदि अहिंसक प्रतिकारकी लड़ाई अनिवार्य ही हो जाय तो उसे राष्ट्रके स्वातंत्र्यकी रक्षाके लिये आवश्यक सीमासे आगे ले जानेका फिलहाल कांग्रेसका जरा भी अिरादा नहीं है।

“कांग्रेसकी अहिंसाकी नीतिके बारेमें कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है। उसे देखते हुअे यह महासमिति फिर साफ साफ कह देना चाहती है कि यह गलतफहमी पहलेके जिन प्रस्तावोंसे हुयी हो उनमें कुछ भी कहा गया हो, कांग्रेसकी अहिंसाकी नीति कायम है। यह समिति दृढ़तापूर्वक मानती है कि अहिंसाकी नीति और उसका आचरण केवल स्वराज्यकी लड़ाईके लिये ही आवश्यक नहीं है, परंतु स्वतंत्र भारतमें भी जिस हद तक उसका प्रयोग संभव हो उस हद तक अवश्य किया जाय। अिस समितिका दृढ़ विश्वास है और संसारकी ताजी घटनाओंने बतला दिया है कि संसारको यदि यादवस्थली बनाकर आत्मनाश न करना हो और वापस जंगली दशामें न पहुंचना हो, तो संसारमें संपूर्ण शस्त्रत्याग और नयी अधिक न्यायपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक समाज-रचना आवश्यक है। अिसलिये स्वतंत्र भारत संसारके निःशस्त्रीकरणके पक्षमें ही अपना सारा जोर लगायेगा। उसे स्वयं अिस काममें पहल करने और नेतृत्व करनेको तैयार रहना चाहिये। वेशक, अैसे नेतृत्वका आवार बाहर और भीतरकी परिस्थिति पर रहेगा। परंतु भारतकी राष्ट्रीय सरकार शस्त्रसंन्यासकी अिस नीति पर अमल करनेका भरसक प्रयत्न करेगी। कारगर निःशस्त्रीकरणका

और राष्ट्रोंके आपसी झगड़े मिटाकर विश्वशांतिकी स्थापनाका आधार आखिर तो अून झगड़ोंके और राष्ट्रोंके आपसी संघर्षोंके कारणोंके निवारण पर रहता है। ये कारण अेक देशका दूसरे देश पर आधिपत्य और अेक राष्ट्र या वर्गके हाथों दूसरोंका शोषण रोक कर ही जड़से मिटाये जा सकते हैं। जिस ध्येयकी सिद्धिके लिये भारत शांतिपूर्वक परिश्रम करेगा। जिस ध्येयकी सिद्धिके लिये ही भारतके लोग मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रका पद प्राप्त करना चाहते हैं। जगतकी शांति और प्रगतिके खातिर संसारके स्वतंत्र राष्ट्रोंके संघमें निकट रूपसे सम्मिलित होनेमें भारतकी यह स्वतंत्रता मंगलाचरण सिद्ध होगी।”

अुपरोक्त प्रस्ताव पं० जवाहरलाल नेहरूने पेश किया और सरदारने अुसका समर्थन किया। परंतु दोनोंमें से किसीने भी अुस पर भाषण न करके गांधीजीसे अुस पर बोलनेकी प्रार्थना की। गांधीजीने बड़ा लंबा विवेचन करके युद्ध छिड़नेसे लेकर अब तकका कांग्रेसका रवैया अच्छी तरह समझाया। यह भी समझाया कि मैं ब्रिटनका जिस युद्धमें बिना शर्त नैतिक समर्थन करनेको तैयार था, तो भी जिस समय सविनय कानून-भंगकी लड़ाकीका नेतृत्व करनेको कैसे तैयार हो गया हूं। गांधीजी और कांग्रेस कहती थी कि हम ब्रिटिश सरकारको अुसके विपत्तिकालमें अधिक परेशानीमें नहीं डालना चाहते। तो फिर अुसके विरुद्ध सविनय कानून-भंगकी लड़ाकी किसलिये? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते थे। अुसकी सफाबीमें गांधीजीने अपने भाषणमें कहा :

“मैंने बार बार कहा है कि जिस समय ब्रिटिश राष्ट्र और ब्रिटिश सरकारकी हस्ती ही खतरेमें पड़ गयी है अुस समय अुन्हें परेशानीमें डालनेका अपराध मैं नहीं करूंगा। मैं असा करूं तो मेरा सत्याग्रह लज्जित हो, मैं अहिंसाके प्रति बेवफा साबित होअूं और जिस सत्यको मैं प्राणोंसे भी प्रिय मानता हूं अुसका मेरे ही हाथों नाश हो। मुझसे यह नहीं हो सकता। तब वही आदमी सविनय कानून-भंगकी लड़ाकीका भार अुठानेके लिये आपके सामने खड़ा है, जिसका क्या कारण है? अेक समय असा आता है जब मनुष्य कमजोरीसे दुर्गुणको सद्गुण मान लेता है। जब अुसे अपने आसपासकी परिस्थितियोंसे और जिस अुद्देश्यके लिये अुसकी हस्ती हो अुससे अलग कर दिया जाता है तो सद्गुण भी दुर्गुण बन जाता है। जिसलिये मुझे लगा कि कांग्रेसकी मददको मैं न दौड़ूं और कांपते

हाथों ही सही, अुसकी पतवार न संभालूं तो मैं अपने प्रति वेवफा साबित होऊंगा। मैं ब्रिटिश लोगोंका पक्का मित्र होनेका दावा करता हूं। परंतु यदि मैं झूठी शर्मसे या बिस डरसे कि कहीं लोग मेरे बारेमें अुल्टी राय न बना लें या बिस विचारसे कि अंग्रेज मुझसे नाराज हो जायंगे, अुन्हें यह चेतावनी न दूं कि अब संयमका सदगुण ही हमारे लिये दुर्गुण बन गया है, क्योंकि वह कांग्रेसके अस्तित्वको ही मिटा देगा, जिस भावनासे यह संयम रखा गया था अुस भावनाका ही हनन कर देगा, तो अुनके प्रति मेरा व्यवहार अमित्रताका माना जायगा।

“अपने अर्थकी सफाजी किये बिना मैं सरकारके विरुद्ध सविनय कानून-भंगका हथियार नहीं अुठाऊंगा। वाअिसरायकी पहली घोषणासे लेकर भारतमंत्रीके हालके भाषण तक और अुसके बाद भारत सरकार जो कार्रवाजी कर रही है और जिस नीति पर अमल कर रही है अुन सबका मैं क्या अर्थ करता हूं, यह मैं वाअिसरायको बताऊंगा। कुल मिलाकर सरकारके अिन सब कामोंका मुझ पर यह असर पड़ा है कि सारे राष्ट्रके विरुद्ध कुछ न कुछ अनुचित हो रहा है, कुछ न कुछ अन्यायका आचरण हो रहा है और आजादीकी आवाज बन्द हो जानेके किनारे पर है। मैं वाअिसरायसे कहूंगा कि हमें आपको परेशान नहीं करना है और न आपके युद्धकी तैयारी संबंधी प्रयत्नमें विघ्न डालना है। हम निर्विघ्न होकर अपने रास्ते जायं, आप अपने रास्ते जाअिये। अहिंसाका पालन हमारे बीचकी शर्त हो। हम यदि लोगोंको अपनी बात समझा सकेंगे तो वे लड़ाजीके काममें कोअी भाग न लेंगे। अिसके विपरीत यदि आप देखें कि हम नैतिकके अलावा कोअी और दबाव काममें नहीं लेते और फिर भी लोग लड़ाजीके काममें सहायता देते हैं तो हमें शिकायत करनेका कारण नहीं रहेगा। राजाओंसे, जमींदारोंसे, अमीर-नारीब किसीसे भी आपको मदद मिले तो भले ही लीजिये, परंतु अपनी आवाज हमें अुन तक पहुंचाने दीजिये। अहिंसा-पालनकी मर्यादाके भीतर रहकर भारतके लोगोंको युद्धके काममें भाग न लेनेकी बात समझानेकी आप हमें पूरी आजादी दीजिये। अिससे आपकी शोभा बढ़ेगी।”

कांग्रेसकी यह लड़ाजी किस निश्चित अुद्देश्यके लिये है, यह समझाते हुअे गांधीजीने कहा :

“आज पूर्ण स्वाधीनताके लिये सविनय कानून-भंगकी बात करना व्यर्थ है। जिसकी स्वतंत्रता आज जाबू जाबू कर रही है उससे स्वतंत्रता लेनेके लिये हम क्या लड़ें? यदि अके राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको स्वतंत्रता दे सकता हो तो भी अंग्रेज तो किस समय स्वतंत्रता देनेकी स्थितिमें नहीं हैं। आज वे लड़ रहे हैं जिसलिये उन्होंने सबके मुंह बन्द कर दिये हैं। क्योंकि वे मानते हैं कि हम सब उनके अधीन हैं। मैं तो हरगिज नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ सो कहता हूँ, जो चाहता हूँ सो करता हूँ। सबके लिये वह हक हासिल करनेके लिये लड़ायी लड़नेका यह प्रस्ताव है। वह हक देनेकी उनकी शक्ति है। वे न दें और उनकी स्थिति विपम हो जाय, तो उसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं।

“लड़ायी लड़नेका यह स्पष्ट मुद्दा है। वाणी-स्वातंत्र्यका अधिकार आजादीकी नींव है। वह न मिले तो आजादी लेनेका मुख्य अुपाय हम खो बैठते हैं। वह छोटी चीज नहीं है। वह महत्त्वकी वस्तु है। वह वस्तु मेरी बुद्धिसे नहीं निकली है। जब मैं बड़ी परेशानीमें था और श्रीश्वरसे रास्ता बतानेकी याचना कर रहा था, तब उसने मुझे वह वस्तु बतायी है।”

२७ और ३० सितम्बरको गांधीजीने वायिसरायसे मुलाकात की। उसके परिणामस्वरूप ता० ३०-९-'४० को वायिसरायने गांधीजीको पत्र लिखा जिसमें कहा :

“आपकी दलीलें मैंने अत्यन्त ध्यान और सावधानीसे सुनीं। वर्तमान परिस्थिति पर भी हमने सूक्ष्म और पूरी चर्चा की। उसके परिणामस्वरूप आपके सामने यह स्पष्ट कर देना मेरा कर्तव्य हो गया है कि आपने जिस स्वतंत्रताका सुझाव दिया है उसे देनेकी कार्रवायीका परिणाम भारतके युद्धके प्रयत्नोंमें बाधक हो सकता है। बित्तना ही नहीं, उससे ग्रेट ब्रिटेनके युद्ध-संचालनके काममें परेशानी पैदा हुअे बिना नहीं रह सकती। और परेशानीको टालनेके लिये तो कांग्रेस अपने कहनेके अनुसार बड़ी अुत्सुक है। फिर आपने जितना विशाल वाणी-स्वातंत्र्य चाहा है, उसे दे देनेसे युद्ध-प्रयत्नोंको जो नुकसान पहुंचेगा उससे — विशेषतः युद्धकी आजकी अत्यन्त नाजुक घड़ीमें — सहमत होना हिन्दुस्तानके अपने हितकी दृष्टिसे भी स्पष्टतः असंभव है।”

अुसी तारीखको गांधीजीने अुनको अुत्तर देते हुअे वताया :

“आपके पत्रके पिछले पैरेके वारेमें तो मैं आपको फिर याद दिलांना चाहता हूं कि परेशान न करनेके रवैयेको आत्मनाश अर्थात् तमाम राष्ट्रीय प्रवृत्तियां वन्द कर देनेकी हृद तक पहुंचा देनेकी धारणा शुरूसे ही नहीं रखी गयी थी। अिन सब प्रवृत्तियोंका अुद्देश्य भारतको शांतिपरायण बनाना और यह वता देना है कि भारतका युद्धमें सम्मिलित होना किसीके — ब्रिटेनके भी — लिये लाभदायक नहीं हो सकता। मुझे फिर कहना पड़ता है कि अब भी कांग्रेस ब्रिटिश सरकारको अुसके युद्ध-प्रयत्नोंमें परेशान नहीं करना चाहती। परंतु मानवजातिके अितिहासके अिस नाजुक समयमें अिस नीति पर विचारहीनतासे चिपटे रहकर कांग्रेस अपने सिद्धान्तोंसे विमुख होनेकी सीमा तक हरगिज नहीं जा सकती। कांग्रेसके भाग्यमें मरना ही लिखा होगा तो वह अिस प्रकारकी मृत्युका अालिंगन भी अपना विश्वास घोषित करते-करते ही करेगी।”

वाअिसरायेंके साथ मुलाकातका कार्यक्रम पूर हो जानेके वाद ११ अक्तूबरको कार्यसमितिकी बैठक हुअी। सदस्योंके साथ गांधीजीकी तीन दिन तक चर्चा हुअी। अुस चर्चके दौरानमें गांधीजीने सब सदस्योंको सविनय कानून-भंगकी अपनी योजना समझायी। गांधीजीका विचार सरकारके साथ तमाम अनावश्यक संघर्ष टालनेका था, अिसलिये सविनय कानून-भंगके मामलेमें भी अुन्होंने बहुत अधिक मर्यादायें रखी थीं। कार्यसमितिके कुछ सदस्योंको अितनी अधिक मर्यादायें रखने पर आपत्ति थी। परंतु गांधीजीका बहुत आग्रह था, अिसलिये अनुशासनके खातिर यथासंभव सारी मर्यादाओंका पालन करनेके लिये वे तैयार हो गये।

सविनय कानून-भंगकी लड़ाअीके लिये पहले सत्याग्रहीके रूपमें गांधीजीने विनोवाको चुना। अुन्होंने १७ अक्तूबरको अपने पवनार आश्रममें युद्ध-विरोधी भाषण देकर कानूनका सविनय भंग किया। अुन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अिसलिये अुन्होंने युद्ध-विरोधी भाषण देते हुअे आस-पासके गांवोंमें दौरा शुरू कर दिया। अन्तमें २१ अक्तूबरको सरकारने अुन्हें पकड़ा और ३ महीनेकी सजा दी।

दूसरे सत्याग्रहीके रूपमें गांधीजीने पंडित जवाहरलालको चुना। अुन्हें सेवाग्राम मिलने बुलाया और यह तय किया कि वे ७ नवम्बरको सत्याग्रह करें। परंतु जब वे गांधीजीसे मिलकर अिलाहावाद गये तो वहीं ३१ अक्तूबरको अुन्हें पकड़ लिया गया। गांधीजीसे मिलने जानेके पहले

यह जाननेके लिये कि लोगोंकी कितनी तैयारी है और लोगोंको हिदायतें देकर तैयार करनेके लिये अन्होंने अपने प्रांतका दौरा किया था। जिस दौरमें किये गये अणुके भाषणोंमें से अेक भाषणके लिये अन्हें चार वर्षकी सजा दी गयी।

गांधीजीने तमाम प्रान्तीय समितियोंको सूचना दी थी कि जिन लोगोंने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किये हों अणुमें से सविनय कानून-भंगके लिये योग्य माने जानेवाले नाम चुनकर अणुके पास भेजे जायें। योग्यताकी कसौटी यह रखी गयी थी कि सत्याग्रह करनेवाला रचनात्मक कार्यक्रममें माननेवाला और नियमित कातनेवाला होना चाहिये। हिन्दू हो तो अणुके जीवनमें अस्पृश्यता नामको भी नहीं होनी चाहिये। अलवत्ता, अहिंसाका दृढ़ पालन करनेकी शर्त तो थी ही। प्रान्तीय समितियों द्वारा पसंद किये गये व्यक्तियोंमें से गांधीजी जिनका नाम बहाल रखें अणुकी सविनय कानून-भंग करना होता था। गांधीजीकी स्वीकृति मिल जानेके बाद सत्याग्रहियोंको अपने अपने जिला मजिस्ट्रेटको जिस प्रकार पत्र लिखकर सूचना देनी पड़ती थी :

जिला मजिस्ट्रेट साहब,
मुकाम

महात्मा गांधीने अणुमें सौंपी गयी सत्याग्रहियोंकी सूचीमें से मेरा नाम चुना है और अपनी सुविधानुसार मुझे सत्याग्रह करनेकी अनुमति दी है। जिसलिये मैं आपको सूचित करनेकी मिजाजत लेता हूं कि . . . वार ता० . . . को . . . वजे . . . गांवमें सत्याग्रह शुरू करनेका मेरा खिरादा है। मैं वहां आमसभामें युद्ध-विरोधी भाषण देकर, नारे लगाकर या पत्रिकाओं लिखकर और बांट कर युद्ध-विरोधी प्रचार करूंगा।

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर

युद्ध-विरोधी नारोंमें अितना ही कहना होता था कि “जिस युद्धमें ब्रिटिश सरकारको आदमियों या रुपयेकी मदद देना हराम है।”

अस समय गांधीजीके दिलमें अनशन करनेके विचार भी अुठते रहते थे। सरदारने ता० १०-११-४० को अपने जेल जानेकी तारीखकी सूचना देनेवाला और अनशन करनेके लिये यह समय अनुकूल नहीं है यह बतानेवाला निम्नलिखित पत्र गांधीजीको अहमदावादसे भेजा :

“पूज्य बापूजी,

“आज सवेरे बंबाईसे यहां आया। यहां ४-५ दिनका काम है। उसे पूरा करके १५ तारीखको गणेश-पूजन करके १८ तारीखको यात्रा शुरू करनेका अिरादा है। कल सबसे मिलनेके बाद अिसमें कोअी फेरबदल करना जरूरी मालूम होगा तो अेकाघ दिनका फेरबदल करूंगा। वैसे यही दिन कायम रखना है। महादेव दिल्लीसे आ जायं तो अुनका अुसी दिन यहां आ जाना अच्छा रहेगा। यहांके लिअे थोड़ा विचार कर लेना है। अुसमें भी अुनकी मदद मिलेगी।

“अिस प्रलयकालमें अनशनकी जल्दी न करके अिस वस्तुको असली रूपमें समझनेके लिअे दुनियाको अनुकूल समय मिलना चाहिये। आज जगतमें लोग विकराल पशुओंका-सा रूप धारण कर बैठे हैं। वैसे समय बहुत घीरज और खामोशीकी जरूरत है।

सेवक

वल्लभभाभीके प्रणाम”

यह तय हुआ कि सरदार सोमवार १८ नवम्बरको शामके ६ बजे अहमदावादमें आमसभा करके सविनय कानून-भंग करें। १६ तारीखको अुन्होंने अहमदावादके जिला मजिस्ट्रेटको अिस बातकी सूचना देनेवाला पत्र लिखा। अिस पर १७ तारीखको रातके ९।।। बजे सी० आअी० डी० के अेक अफसरने आकर सरदारको अेक वारंट दिया कि भारत रक्षा कानूनकी धारा १२९ के अनुसार आपको गिरफ्तार किया जाता है और अभी आपको सावरमती जेलमें ले जाना है। अफसरने अुन्हें तैयारीके लिअे आघा या पौन घंटा जितना समय चाहिये अुतना देनेके लिअे कहा। पुलिसकी मोटर खुली थी और सरदारको दोपहरके बाद बुखार आ गया था, अिस कारण अुन्हें डॉक्टर कानूगाकी वंद मोटरमें सावरमती जेल ले गये। ११ का डंका पड़ने पर वे जेलमें पहुंचे। अुन पर मुकदमा न चला कर अुन्हें नजरबन्दके तौर पर रखा गया। सावरमतीमें वे तीन-चार दिन अकेले लगभग १०४ डिग्री बुखारमें रहे। बादमें सावरमतीसे यरवडा जेलमें ले जाये गये। वहांसे अुन्होंने १८-१२-’४०को महादेवभाभीको जो पत्र लिखा था, अुससे वहांके जीवनका कुछ हाल जाननेको मिलता है :

“आज अेक महीना पूरा हो गया। तुम १ मास पूर्व मिलकर गये थे। मेरा सावरमतीसे लिखा हुआ पत्र तुम्हें मिला या

नहीं, जिसका पता नहीं चला । . . . पहले तो पत्राँके मिलनेमें बहुत गड़बड़ होती थी। शायद अब कुछ ठीक व्यवस्था हुयी होगी। अभी तक मेरे पत्र खुफिया पुलिसके डी० आजी० जी० के मार्फत ही आते जाते हैं, जिसलिअे देर हो जाती है। परंतु आशा है कि थोड़े समयमें सब ठीक हो जायगा।

* * *

“अुस अैतिहासिक आमके पेड़के नीचे, जहां वापूका पलंग था, पलंग डालकर पड़ा हूं। और अुसके पास रातको आकाशके नीचे पड़े पड़े तारोंको देखता रहता हूं। जहां वापूने यरवडा मंदिर बनाया था, जहां अनशन किया था तथा पूना-करार पर हस्ताक्षर हुअे थे वहीं आ पड़ा हूं। वापूके स्नान करनेकी जो कोठरी थी, वही कोठरी मैंने ली है। मुझे कभी सपनेमें भी खयाल नहीं आया था कि दुवारा जिस पुण्यभूमिमें आकर मुझे रहना होगा। परंतु अीश्वरकी गति अगम्य है। हम रातदिन यहां साथ रहते थे अुसके पुराने चित्र आंखोंके सामने वार वार खड़े हो जाते हैं।

“जिस वार मंडली दूसरी ही तरहकी है, जिसलिअे अुस रसका स्वाद जिसने चखा हो वही जान सकता है। फिर भी यह समझ कर दिन बिता रहा हूं कि ‘तुलसी या संसारमें भांत भांतके लोग, सबसे हिलमिल चालिये नदी नाव संजोग।’

“यहां वालासाहब खेर, मंगलदास पकवासा और मैं — तीनोंने मिलकर नियमित कातनेका कलव खोल लिया है। परंतु अब पिछली वारके जितना काता नहीं जाता, क्योंकि अब शरीर अुतना काम नहीं देता।

“वैसे सबके खाने-पीनेकी वरावर देखरेख रखता हूं। आठ आदमी अिकट्टे हो गये हैं। बंबअीके छः भूतपूर्व मंत्री, अेक कांसिलके अध्यक्ष और केन्द्रीय धारासभाके विरोधी नेता (भूलाभाजी) — अितने साथमें हैं। जिसलिअे हमारा जीवन ठीक चल रहा है। अीश्वरकृपासे सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है।”

* * *

तथापि मुलाकातोंके वारेमें कठिनाअी थी, जो २७-१-’४१ के निम्नलिखित पत्रसे प्रगट होती है:

“तुम मिलना चाहते हो। जिस वारेमें अनुमति प्राप्त करनेके लिये डाह्याभायीने सुपरिन्टेन्डेन्टको पत्र लिखा था। परंतु हमारी मुलाकातका निर्णय तो सी० आजी० डी० का अच्च अधिकारी, जिसे डी० आजी० जी० कहते हैं, अुसके हाथमें है। अुसके साथ पत्र-व्यवहार हो रहा होगा। अुसका अभी तक कोअी नतीजा नहीं निकला। जिसलिये जिस पखवाड़ेकी मुलाकात रह गयी। तुम्हें अिजाजत नहीं मिले, तो मैं मुलाकात करना बिलकुल बन्द कर दूंगा। ये लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारे मिलनेका क्या कारण है? जिसका अर्थ यह है कि हर वार जब कोअी भी मित्र या संबंधी मिलना चाहे तो डी० आजी० जी० को लिखे और फिर अुसकी अिच्छा हो तो वह अिजाजत दे। संबंधियोंसे मिलनेकी अिजाजत सुपरिन्टेन्डेन्ट दे सकता है। अितना अधिकार अब अुसे दे दिया गया है। परंतु मेरे तो संबंधी ही मेरे जीवनके साथी हैं, या वे संबंधियोंसे भी मेरे लिये अधिक हैं। अुनसे मिलनेमें आपत्ति हो तो दूसरोंसे मिलकर क्या करूं? वापूकी तवीयत अच्छी होगी। अखबारोंमें फिर अुनके अुपवासकी वात आयी है, जिसलिये वह भय तो अभी तक मौजूद ही है।”

*

*

*

वापूजीके नाम सरदारका ता० २३-४-’४१ का पत्र भी यहां दिया जाता है :

“पूज्य वापू,

“महादेवके साथ आपका भेजा हुआ पत्र कल मिला। मेरे पत्र सीधे यहांसे नहीं मिलते। अुन्हें खुफिया पुलिसका अधिकारी सेन्सर करके वापस भेजे तब मिलते हैं, जिसलिये वह पत्र कल मिला। आपके अक्षर देखकर ही सबको बड़ा आनन्द हुआ। बहुत लंबे समय बाद हस्ताक्षर देखनेमें आये, जिसलिये आपसे मिलनेके बराबर ही आनन्द हुआ। मैं बहुत समयसे लिखनेका विचार कर रहा था। परंतु आप पर अितने अधिक कामका भार है, जिसलिये अुसमें वृद्धि करनेके डरसे महादेवको ही लिखकर संतोष कर लेता था। महादेवको भी लिखनेका विचार छोड़ दिया था। कारण महादेवको मालूम है। जिस वार सप्ताहमें दो पत्र लिखनेकी छूट है। परंतु वे दो पत्र समय पर नहीं मिलते और अेक पत्रके भीतर

और किसीको अलग पर्चा भी नहीं लिखा जा सकता। जिसलिअे पत्र लिखनेकी विच्छा भी नहीं होती। डाह्याभाजीको लिखूं तो साथमें वावाको और अुसकी पत्नीको भी नहीं लिखा जा सकता और लिखूं तो दो पत्र माने जायं। अैसा नियम होने और समय पर पत्र न मिलनेके कारण यह छूट बहुत अुपयोगी नहीं है। मुलाकातोंमें भी जिस वार वड़ी कठिनाजी है। जिसलिअे जिसमें भी जेलका वड़ा अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। सरकारकी विजाजत लेनी पड़ती है और अुसे प्राप्त करनेमें कितनी कठिनाजी होती है, यह महादेवको मालूम है। परंतु आप जानते हैं कि विन सब बातोंसे मुझे कोजी परेशानी नहीं हो सकती।

“महादेव और देवदास मिल गये, जिससे बहुत ही आनन्द हुआ।

*

*

*

“मैं तो लगभग दिन-रात अुस आमके नीचे रहता हूं। दिनमें जब गर्मी होती है सिर्फ तभी थोड़ी देर कोठरीमें बन्द रहना पड़ता है। वाकी रात-दिन यहीं बिताता हूं। जिसलिअे निरन्तर आपका स्मरण बना रहता है और अुस समयके पुराने चित्र आंखोंके सामने खड़े होते रहते हैं। कातना भी काफी हो रहा है। अब भूलाभाजी आघ घंटा नियमित कातते हैं। हम डेढ़-दो घंटे रोज कातते हैं। परंतु अब मेरे दायें हाथकी कोहनीमें दर्द होने लगा है, जिसलिअे दायें हाथसे कातना सीख रहा हूं। अतः दायें हाथसे कातनेके लिअे चरखेका मोड़िया चाहिये सो भिजवा दीजिये।

“अखवार काफी मिलते हैं, जिसलिअे खबरें काफी मिल जाती हैं। और अब तो ‘हरिजन’ चालू हो जायगा जिसलिअे अुसके अुद्धरण भी अखवारोंमें देखनेमें आर्येंगे ही। और अुसके भी मिलनेकी आशा तो है ही।

“हमारी चिन्ता न करें। हम समयका काफी अुपयोग कर रहे हैं। वैसे संसारका प्रलयकाल आ गया हो, जिस ढंगसे जो संहार चल रहा है अुसे देखते हुअे गीताजीके ११ वें अध्यायके विराट स्वरूपका रात-दिन स्मरण बना रहता है।”

*

*

*

हमारे देशमें हुअी सत्याग्रहकी सब लड़ावियोंमें यह लड़ाजी बहुत ही व्यवस्थित और शांतिमय थी। जिसका अेक कारण तो यह था कि जिसमें

ब्रिटिश सरकारको तंग या परेशान न करनेका खास तौर पर ध्यान रखा गया था। कांग्रेसका जिस युद्धमें स्पष्ट विरोध है और कोअी साथ नहीं है — दुनियाको यह दिखानेके लिये यह सत्याग्रह एक प्रतीकरूप था। दूसरी बात यह थी कि जिस सत्याग्रहमें सारे समय गांधीजी बाहर रहे थे। और सत्याग्रहियोंके चुनाव पर उनका सीधा नियंत्रण रहता था। जिस प्रकार वे ही सत्याग्रहका प्रत्यक्ष संचालन करते थे। कर्मचारियोंको भी असुविधा न हो, जिसलिये धार्मिक त्यौहारोंके दिन और रविवारकी छुट्टीके दिन सत्याग्रह बन्द रखा जाता था। कुछ सत्याग्रहियोंको युद्ध-विरोधी नारे लगाने पर भी सरकार पकड़ती नहीं थी। अतः यह हिदायत दी जाती थी कि वे एक गांवसे दूसरे गांव पैदल चल कर दिल्लीकी तरफ कूच करें। रास्तेमें युद्ध-विरोधी नारे लगायें, चरखा चलायें, दूसरोंको सिखायें और खादीका प्रचार करें। जेलोंमें भी नजरबन्द और सजा पाये हुअे अधिकांश कैदी पीजने और कातनेमें बहुत समय बिताते थे। जिसलिये जिस सत्याग्रहके दौरानमें खादीके काममें बहुत तेजी आयी। मिलका कपड़ा फौजके सिपाहियोंके लिये जाता था जिसलिये देशमें मिलके कपड़ेकी बहुत तंगी होने लगी थी। जिस कारण भी खादीके अपुयोग और कताओके कामको वेग मिला था। सरदारने भी कारावास-कालमें काफी काता था।

अप्रैल १९४१ में जिस समय सरदार यरवडा जेलमें थे, तब अहमदावादमें जो हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ था उसका यहां अल्लेख करना चाहिये। अिन दंगोंके कारण और बरसातमें बाढ़की जो विपत्ति आयी उसके कारण गुजरातमें मजीसे अक्टूबर तक व्यक्तिगत सविनय कानून-भंग मुलतवी कर देना पड़ा। उस अरसेमें देशके अनेक स्थानोंमें जो हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुअे थे, यह दंगा अुन्हींका एक अंग माना जा सकता है। अैसी जोरदार अफवाह थी कि मुसलमान जातिके फसादी तत्त्वोंको अुकसानमें कुछ गोरे अफसरोंका हाथ था। दंगोंमें नुकसान तो थोड़ा-बहुत दोनों जातियोंको होता था। अहमदावादमें हिन्दुओंको अधिक हानि अुठानी पड़ी थी। सब मिलाकर देखें तो वे डर भी गये थे। मुसलमान मोहल्लोंके नजदीक रहनेवाले बहुतसे हिन्दू घरवार खाली करके दूसरे गांव या मोहल्लोंमें रहने चले गये थे। बहुतोंने पुलिसका संरक्षण ढूंढा। परंतु वह अितनी मात्रामें न मिला जिससे सलामतीका धीरज रहे। हिन्दू-मुस्लिम अेकताकी स्वातिवाले अहमदावादने अिन दंगोंमें अपनी अिज्जत गंवा दी, जिसलिये जेलमें सरदारको बड़ा दुःख हुआ। यह महादेवभाजीके नाम ता० ११-५-४१ को लिखे अुनके निम्न पत्रसे मालूम होता है :

“ परवडा मंदिर,
११-५-’४१

“ प्रिय भाभी महादेव,

* * *

“हमारे लोग क्यों बिस तरह होश भूल गये और विलकुल ही डर गये, यह मैं समझ नहीं सकता। . . . साधारण लोगोंके बितना डर जानेका कारण यही मालूम होता है कि हमारे लोग घरोंमें घुस गये। परंतु तुम्हें तो सारा सच्चा हाल मालूम हो ही गया होगा। जो हुआ सो तो हुआ। दूधके जमीन पर गिर जाने पर रोनेसे क्या लाभ ? बिसलिअे भविष्यका विचार करके बिसका अुपाय करना चाहिये। आगे कठिन समय आ रहा है। बिसके साथ हम लड़ने निकले हैं अुसीसे (अर्थात् सरकारसे) सहायताकी आशा रखना निरी मूर्खता होगी। बिस मामलेमें तुमने कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा।

* * *

“वंदबीमें भी अभी तक आग धधक रही दीखती है। पटनामें अब शांति हो गयी होगी। यह तो देशब्यापी मुसीबत है। यह भी अेक डर था जो सामने आ गया। अीश्वरने जो सोचा होगा वही होगा।

* * *

बलभभाअीके वन्देमातरम्”

बाहर आनेके बाद अहमदावाद जिलेके कार्यकर्ताअीके सामने कांग्रेस भवनमें अुन्होंने निम्नलिखित अुद्गार प्रगट किये, जिनसे बिस दुःखकी कल्पना हो सकती है :

“मैं अहमदावादासे गया अुस समयका अहमदावाद आज नहीं है। यहां जो दंगे हुए अुनमें केवल निर्दोष मनुष्य मारे गये। कुछ लोगोंकी संपत्ति नष्ट हुआ। फिर भी मुझे अधिक दुःख बिस बातका हुआ है कि हमारी अिज्जत चली गयी। धन तो मिल सकता है। थोड़ेसे मकान जल गये, थोड़े बाजार जल गये, यह सब तो कल खड़े हो जायेंगे। लोग भिखारी भी बन गये। हिन्दुस्तानमें यों भी भिखारियोंकी कमी नहीं। परंतु जो अिज्जत गयी, आवरू गयी, वह फिर नहीं आ सकती। हमारी यह प्रतिष्ठा थी कि अहमदावाद

तो व्यापारियोंका, सुलह-शांतिका शहर है। वहां दंगे होनेकी खबर पाकर मुझे जेलमें बड़ा दुःख हुआ था। जिसका कारण पुलिसकी रक्षा मांगनेकी हमारी आदत है। हमारे जितने निर्दोष आदमी मरे उनसे आधे आदमी भी सामना करके मरते तो योग्य होता। अब रक्षाकी विद्या हमें सीख लेनी चाहिये।

“परंतु आपने तो भयंकर भूल करके झगड़ोंकी जांचकी मांग की। अरे कभी हत्यारा भी अपना मुकदमा चलाकर फांसी पर लटकता होगा? वह क्या जांच करेगा? परंतु भूलसे हमें पाठ सीखना चाहिये। गमी हुई आवरू फिर प्राप्त करनी चाहिये।” दूसरे दिन अहमदाबादकी आमसभामें भाषण देते हुए अन्होंने कहा :

“जिस शहरमें दंगा हुआ और बाजारमें दिन-दहाड़े मकान जलाये गये। दुकानें लूटनेकी आवाज भी मेरे कानों पर आयी थी। उससे मुझे जो दुःख हुआ उसका घाव अभी तक भरा नहीं है। जिस दुःखको मैं हजम नहीं कर सका। अभी तक उससे मुक्त नहीं हुआ हूँ। . . . आपको अकदम क्या सूझी कि अक-दूसरेके गले काटने लगे? सौ-अक निर्दोष आदमी बेमौत मारे गये, जिसके वजाय दस आदमी हिम्मत करके मर जाते तो असा कभी नहीं होता। मुझे आपसे कहना चाहिये कि गांधीजीको जिससे खूब दुःख हुआ है। अहमदाबादने दुनियामें अपनी हंसी करायी है।

“फिर सब लोग सरकारके पास गये और उससे कहा कि जिसकी जांच कीजिये कि यह सब किसने किया? क्या हत्यारा कभी यह जांच करता है कि हत्या किसने की?

“भविष्यमें कभी भागना मत, हिम्मतसे मुकाबला करना। सारी दुनिया असा ही करती है। जिससे आगे गांधीजीका सत्याग्रहका मार्ग भी है। हिन्दू हों या मुसलमान, छाती खोलकर मरो, परंतु अहिंसाका वहाना न ढूंढो। अिन अपद्रवोंमें तो अहिंसाका नामनिशान भी नहीं था। अहिंसाको हमने कायरताको ढांकनेका साधन बना लिया था।”

जेलमें सरदारका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। अंतड़ियां अिकट्टी होकर कभी कभी अपर चढ़ जाती थीं। वह पेट पर खाली आंखोंसे भी देखा जा सकता था। उस समय पीड़ा भी बहुत होती थी। सरकारको लगा कि अपरेजनके सिवा जिसका कोअी अिलाज नहीं। और अपरेजन

खतरनाक था, जिसलिजे वह जिम्मेदारी लेनेके वजाय सरकारने २० अगस्तको अन्हें छोड़ दिया। यह खबर मिलते ही ता० २१ को गांधीजीने अन्हें नीचेका पत्र लिखा :

“ मुझे तो डर था ही कि आप छुटेंगे। सरकार करती भी क्या? अब आप विलकुल अच्छे होकर काममें लगना। काम तो बहुत पड़ा है। ऑपरेशन हुआ बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। समाचार बराबर देते रहिये। मेरे पत्र अधिकारी आपको देते थे? ”

परन्तु बम्बयीके डॉक्टरोंका ऑपरेशन करनेका विचार नहीं हुआ। थोड़े दिन अलोपैथीकी दवा लेनेके बाद होमियोपैथीकी दवा शुरू हुयी।

गांधीजी अुनको सेवाग्राम बुला रहे थे और अपने ‘अस्पताल’ में भरती करने अर्थात् अपनी देखरेखमें प्राकृतिक चिकित्सा करनेका आग्रह कर रहे थे। ता० २२-९-’४१ को अन्होंने सरदारको लिखा :

“ मालूम होता है अभी तक आपकी गाड़ी पटरी पर नहीं लगी। १५ दिनमें निश्चयपूर्वक न कहा जा सके तो मैं चाहता हूँ कि आप यहां आ जायं। यदि आने जाने जैसी स्थिति हो गयी हो तो थोड़े दिन यहां रह जाना भी ठीक होगा। जैसा आपको पसंद हो कीजिये। राजेन्द्रबाबू दिनोंदिन अच्छे होते जा रहे हैं। अब रोज आते हैं। ”

सरदार नासिक जानेका विचार कर रहे थे। जिसलिजे ता० २५-९-’४१ के पत्रमें गांधीजीने लिखा .

“ आपके स्वास्थ्यके लिजे होमियोपैथी जितना मर्यादित समय मांगे अतना भले ही अुसे दें। हजीराके पानीकी ख्याति तो सुनी है। देवलालीका मुझे पता नहीं। हजीराके माफिक आनेकी सम्भावना अवश्य है। वैसे नैसर्गिक अुपचार तो है ही। परन्तु अुसके पहले हम थोड़े समय मिल तो अवश्य लें। ”

होमियोपैथीसे कोअी खास फायदा नहीं हुआ, जिसलिजे सरदार अक्तूबरमें नासिक गये। वहां थोड़े दिन बैठसे अिलाज करवाया। पर कोअी लाभ न हुआ। अन्तमें २० अक्तूबरको बर्षा जाकर गांधीजीके ‘अस्पताल’में भरती हुअे। गांधीजीकी प्राकृतिक चिकित्सासे थोड़ा बहुत फायदा हुआ। परन्तु अुस समय देशकी स्थिति अितनी नाजुक थी कि सरदारके लिजे लम्बे समय तक अेक स्थान पर रहना सम्भव नहीं था। जिसलिजे पहली दिसम्बरको

अुन्होंने वर्धा छोड़ दिया। तीसरी दिसम्बरको सरकारने तमाम सत्याग्रही कैदियोंको छोड़ दिया। जिसलिये आगे क्या किया जाय, जिसका विचार करनेके लिये २३ दिसम्बरको वारडोलीमें कार्यसमितिकी बैठक हुयी; वह बैठक सात दिन चली। फिर जनवरीके मध्यमें वर्धामें महासमितिकी बैठक हुयी। तवीयत ठीक न होते हुअे भी सरदार यह दौड़घूप करते ही रहे। गांधीजीका आग्रह तो यह था कि पहले आपको स्वास्थ्य ठीक कर लेना चाहिये। जिसलिये जनवरीके अन्तमें वे सूरतके पास समुद्रतट पर जलवायु परिवर्तनके लिये हजीरा स्थान पर गये। वहां भोजनके प्रयोग और मालिश वगैराके उपचार किये। ता० ७-२-'४२ के पत्रमें गांधीजीने अुन्हें लिखा :

“आपकी अंतड़ियोंका सिकुड़कर अिकट्ठा हो जाना केवल भोजनके अुचित चुनावसे ही मिटेगा, यह विश्वास रखिये। पाखाना जाते समय जरा भी जोर नहीं लगाना चाहिये।”

सरदार जिन दिनों हजीरामें रहे अुन दिनों सूरतके राष्ट्रीय शिक्षा-मंडलका अेक बहूत पुराना काम अुन्होंने निवटा दिया। जिस जीवन-चरित्रके पहले भागके अठारहवें अध्यायमें हम देख चुके हैं कि सूरत म्युनिसिपैलिटीने शिक्षाके मामलेमें सरकारके साथ १९२१ में असहयोग किया था और अपनी पाठशालाअें राष्ट्रीय शिक्षा-मंडलको सौंप दी थीं तथा अुसे म्युनिसिपल कोषसे लगभग अेक लाख आठ हजारकी सहायता दी थी। जिस कार्रवाअीको गैरकानूनी मानकर सरकारने म्युनिसिपैलिटीके असहयोगी सदस्यों पर अुतनी ही रकमका दावा कर दिया था। अदालतने अुस रकममें से सिर्फ ४० हजारकी रकम नाजायज टहराकर म्युनिसिपैलिटीके असहयोगी सदस्यों पर ४० हजार रुपयेकी डिक्री दे दी थी। सूरतके राष्ट्रीय शिक्षा-मंडलके नामे यह रकम चली आ रही थी। परन्तु अुसके पास थोड़ीसी जमीन थी जिसके भाव लड़ाअीके कारण बढ़ गये थे। सरदारने राष्ट्रीय शिक्षा-मंडलके दूसरे ट्रस्टियोंकी स्वीकृति लेकर वह जमीन बेच डाली और कर्ज चुका दिया।

सरदार हजीरामें थे तव अुन्हें जमनालालजीके अवसानके समाचार मिले। जिस पर महादेवभाजीको ता० १२-२-'४२ का नीचेका पत्र लिखकर अुन्होंने अपना दुःख अुंडेला और जमनालालजीको श्रद्धांजलि अर्पण की :

“तुम्हारा तार अभी ३ वजे मिला। अुसे पढ़कर हम तो स्तब्ध ही हो गये। मैं अभी वर्धासे आया तव अुन्होंने मुझे वचन

दिया था कि १५ फरवरीको गाड़ी या मोटरमें न बैठनेका अनुका व्रत पूरा हो जाता है। उसके पूरा होनेके बाद वे आकर थोड़े दिन मेरे साथ हजीरामें रहेंगे। मृत्यु तो बहुत ही अच्छी हुयी। परन्तु कहावत है कि सौ मर जायं पर सौको पालनेवाला न मरे। यह तो अनेकोंका पालनेवाला चला गया। आज जिस देशमें अनेक स्थानों पर अनेक क्षेत्रोंमें काम करनेवाले कितने ही मूक सेवक चुपचाप आंसू बहायेंगे। बापूका सच्चा पुत्र चला गया। जानकी-देवीके सिरका छत्र चला गया। कुटुम्बका रक्षक चला गया। देशका वफादार सेवक चला गया। कांग्रेसका स्तम्भ टूट गया। अनेकोंका मित्र और अनेक संस्थाओंका पोषक चला गया। और हमारा तो सगा भावी ही जाता रहा। मुझे तो सूना सूना लग रहा है। गोपुरीकी आत्मा ही बुड़ गयी और बेचारी गरीब गायका सच्चा साथी, शेष जीवन अुसीको अर्पण करनेवाला, अचानक चल बसा।

“अीश्वर हमें अुनके अवूरे छोड़े हुअे कामका बोझ अुठानेका बल दे।”

हजीरामें सरदार लगभग सवा महीना रहे होंगे। अितनेमें तो राज-नैतिक मामला अितना अधिक अुग्र बन गया कि अुस अेकांत स्थानको छोड़े बिना अुनके सामने और कोअी चारा ही नहीं रह गया। मार्चके शुरूमें हजीरा छोड़ा। जिसलिअे ता० ७-३-’४२ को गांधीजीने फिर लिखा : “कहीं भी घूमें परन्तु आराम, स्नान व भोजनके समयकी पाबन्दी रखें। वाअिसरायँ यह सब रखते हैं तो हम लोग क्यों न रखें ?” परन्तु सरदारकी दौड़बूष जारी रहती और अुसमें ये सारी सुविधायें कभी कभी नहीं भी मिलतीं। जिसलिअे गांधीजीने ता० १३-४-’४२ के पत्रमें चेतावनी दी : “अंतडियां अभी तक ठीक नहीं होतीं, जिसमें आश्चर्य नहीं। अुन्हें लम्बा आराम मिलना चाहिये।” परन्तु सरदारका तत्त्वज्ञान दूसरा ही था। वे अक्सर कहा करते थे : ‘लम्बे समय तक आराम लेकर अकेले शरीरकी ही रक्षा करते रहनेसे तो काम करते करते थोड़े वर्ष जल्दी मर जाना ज्यादा अच्छा है।”

युद्ध भारतके द्वार पर

जिन दिनों सविनय कानून-भंगकी लड़ाई चल रही थी, अुन्हीं दिनों सारे विश्वयुद्ध पर बहुत ही बड़ा असर डालनेवाली अेक घटना हुअी जिसका अुल्लेख करना चाहिये। २२ जून, १९४१ को जर्मनीने रूस पर चढ़ाई कर दी। हिटलरका कहना यह था कि १५०० से २००० मीलकी सीमा पर रूसने सेना जमा कर रखी थी, जिसलिये हमें अपनी रक्षाके लिये रूस पर चढ़ाई करना जरूरी था। जर्मनीका आक्रमण अितना जबरदस्त था कि अुस वक्त तो रूसको पीछे हटना पड़ा। अुसे अपनी राजधानीका केन्द्र भी मास्कोसे बदलकर अधिक भीतरी भागमें ले जाना पड़ा। अैसी स्थितिमें हमारे देशके भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलोंके लोग अलग अलग तरहसे विचार करने लगे। साम्यवादी, जो अब तक जिस युद्धको साम्राज्यवादी युद्ध कहते थे, रूसके जर्मनीके विरुद्ध होते ही अुसे लोकयुद्ध कहने लगे और यह प्रचार करने लगे कि हमें मित्रराष्ट्रोंको पूरी मदद देनी चाहिये। अुधर दूसरे लोग, जिनके दिलमें ब्रिटेनके प्रति दुर्भाव था, गांधीजीको सुझाने लगे कि यह असली मौका है और जिस समय व्यक्तिगत सविनय कानून-भंगके वजाय बहुत बड़े पैमाने पर आपको सामूहिक सविनय कानून-भंग शुरू कर देना चाहिये। परन्तु शत्रुके संकटसे लाभ अुठाना गांधीजीके सत्याग्रही स्वभावको जरा भी पसन्द नहीं हो सकता था। कुछ लोगोंने तो यह भी सुझाव दिया कि जिस समय बड़ी धारासभाके सभी कांग्रेसी सदस्योंको त्यागपत्र दे देने चाहिये और युद्ध-विरोधके मुद्दे पर फिरसे चुनाव लड़ कर दुनियाके आगे हमें साबित कर देना चाहिये कि लोकमत युद्धके विरुद्ध है। अिन सब बातोंका विचार करनेके लिये जेलके बाहर रहे नेता १९ अक्तूबरको वर्धामें जमा हुअे। कांग्रेसकी कार्य-समितिके ११ सदस्य अुस समय बाहर थे। अुनमें से श्री भूलाभाजी देसाजीने जिस प्रश्न पर गांधीजीके सामने खूब बहस की कि अब हमें सविनय कानून-भंग बंद कर देना चाहिये, क्योंकि युद्ध हमारे देशके नजदीक आता जा रहा है। अैसे समय कांग्रेसके सभी नेताओं और कार्यकर्ताओंका जेलके बाहर होना जरूरी है। वर्धामें जिस समय ये चर्चाअें चल रही थीं अुसी समय वायिसर्रायने अपनी विस्तृत कार्यकारिणीकी रचना की। स्वाभाविक रूपमें ही अुसमें कांग्रेस विरोधी सदस्य दाखिल हुअे। गांधीजी पर अिन दलीलों या सुझावोंका

कुछ भी असर नहीं हुआ और अन्होंने २१ अक्तूबरको जोर देकर जाहिर किया कि छोटे हुए सत्याग्रही छूटनेकी तारीखसे अेक सप्ताहके भीतर फिर सत्याग्रह करें।

थोड़े समय बाद भारत-सरकारकी तरफसे अखबारोंमें नीचे लिखा अेक वक्तव्य प्रकाशित हुआ :

“ भारतका तमाम जिम्मेदार लोकमत हमारी जीत होने तक युद्ध-प्रयत्नोंमें सहायता देनेके लिये दृढ़ निश्चय कर चुका है। भारत-सरकारको यह विश्वास होनेके कारण वह अिस निर्णय पर पहुंची है कि सविनय कानून-भंग करनेवाले जिन कैदियोंका अपराध केवल औपचारिक अथवा केवल प्रतीक-स्वरूप हो अन्हें छोड़ दिया जाय। अिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुलकलाम आजादका भी समावेश होता है। ”

३-४ दिसम्बरको सारे कैदी छोड़ दिये गये। अिस विषयमें गांधीजीने कहा :

“ कैदियोंको छोड़नेसे पहले मैंने जो बात कही थी वही छोड़नेके बाद भी कहता हूँ कि जहां तक मेरा संबंध है, सत्याग्रही कैदियोंकी मुक्तिसे मेरे हृदयमें सरकारके प्रति कद्रदानीका अेक भी स्वर नहीं अुठता। परन्तु अब कांग्रेसके अव्यक्त वाहर आ गये हैं, अिसलिये अन्हें कांग्रेसकी कार्यसमिति या महासमितिकी बैठक बुलाकर तय करना चाहिये कि कांग्रेस भविष्यमें कौनसा मार्ग अपनाये।

“ तब तक सविनय कानून-भंगका आन्दोलन जरा भी रुकावटके विना जारी रहना चाहिये। केवल कार्यसमिति और महासमितिके सदस्य तथा जो लोग वम्बयीकी महासमितिका प्रस्ताव बदलवानेके विचार-वाले हों वे महासमितिकी बैठक होने तक सविनय कानून-भंग न करें। ”

गांधीजी १९३४में वर्धा रहने गये अुसके बाद सरदारने अुनके साथ यह व्यवस्था की थी कि वे हर साल लगभग अेक मास गुजरातमें रहें। अुस महीनेमें सरदार अैसा प्रवन्ध करते जिसेसे गुजरातके तमाम कार्यकर्ता गांधीजीसे मिल लें और अपनी शंकाओं और कठिनाअियोंके संबंधमें गांधीजीका पथदर्शन प्राप्त कर लें। तदनुसार गांधीजी ११ दिसम्बरसे १० जनवरी तक वारडोली आकर रहे। अिसलिये कार्यसमितिकी बैठक २३ दिसम्बरको वारडोलीमें रखी गयी। बैठक ७ दिन तक चली। अिसमें खूब चर्चायें

हुयीं। अुनके अंतमें ता० १६ सितम्बर, १९४० को वम्बुभीकी महासमितिमें पास हुआ प्रस्ताव कायम रखा गया। परन्तु चर्चके दौरानमें मालूम हुआ कि अुस प्रस्तावका अर्थ करनेके त्रारेमें कार्यसमितिके सदस्योंमें मतभेद फैला हुआ है। अिस पर ३० तारीखको गांधीजीने मौलाना साहबको कांग्रेसके अध्यक्षके नाते यह पत्र लिखा :

“कार्यसमितिमें हुयी चर्चके दौरानमें मुझे मालूम पड़ गया कि वम्बुभीके प्रस्तावका अर्थ करनेमें मैंने वड़ी भूल की थी। मैंने अुसका यह अर्थ लगाया था कि कांग्रेस मुख्यतः अहिंसाके कारण वर्तमान तथा अन्य सब युद्धोंमें भाग लेनेसे अिनकार करती है। समितिके अधिकांश सदस्य मेरे अर्थको अस्वीकार करते थे और यह मानते थे कि कांग्रेसका विरोध अहिंसाके कारण होना आवश्यक नहीं। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वम्बुभीका प्रस्ताव दुवारा पढ़कर देखनेसे मुझे मालूम हुआ कि भिन्न मत रखनेवाले सदस्योंकी बात सही थी और अुस प्रस्तावमें जो अर्थ मैंने देखा वह अुसके शब्दार्थमें से नहीं निकल सकता था। मुझे अपनी वह भूल मालूम हो गयी है, अिसलिये जिन कारणोंमें अहिंसा अनिवार्य न हो अुन कारणोंके आधार पर युद्ध-प्रयत्नोंके विरोधकी लड़ाीमें कांग्रेसका नेतृत्व करना मेरे लिये असंभव हो जाता है। अुदाहरणार्थ, ब्रिटेनके प्रति द्वेषके कारण युद्ध-प्रयत्नोंका विरोध करनेमें मैं शरीक नहीं हो सकता। अुस प्रस्तावमें यह धारणा रही थी कि भारतकी आजादीका विश्वास दिला दिया जाय तो अुसकी कीमतके तौर पर युद्ध-प्रयत्नोंमें ब्रिटेनको धन-जनसे साथ दिया जाय। यदि मेरा भी यही मत हो और स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिये हिंसाका प्रयोग करनेमें मेरा विश्वास हो और अितने पर भी स्वतंत्रताके मूल्यस्वरूप युद्ध-प्रयत्नोंमें भाग लेनेसे अिनकार करूं तो मैं मानूंगा कि मैं देशविरोधी आचरण करता हूं। परन्तु मेरा तो वृद्ध विश्वास है कि केवल अहिंसा ही भारतको और संसारको आत्मनाशसे बचा सकती है। अैसा होनेसे मैं अकेला होऊं या किसी संस्था या व्यक्तियोंकी मुझे सहायता हो, मुझे अपना जीवनकार्य जारी रखना ही होगा। अिसलिये वम्बुभीके प्रस्ताव द्वारा मुझ पर डाली गयी जिम्मेदारीसे आप मुझे मुक्त कीजिये। जिन कांग्रेसियों और दूसरोंको मैं चुनूं और जो मेरी कल्पनाकी अहिंसामें श्रद्धा रखनेवाले हों और निश्चित शर्तोंका पालन करनेको तैयार हों, अुन्हें लेकर मुझे युद्धभात्रके विरुद्ध अुपदेश देनेके वाणी-स्वातंत्र्यके लिये सविनय कानून-भंग चालू रखना पड़ेगा।

“असि नाजुक समयमें जिनकी सेवाओं अुनके अपने प्रदेशमें लोगोंको धीरज दिलाने और सहायता देनेके कामके लिये जरूरी होंगी अुन्हें मैं सविनय कानून-भंगके लिये नहीं चुनूंगा।”

राजेन्द्रवावू तथा कुछ अन्य सदस्य तो पूनाकी महासमिति (जुलायी १९४०) के प्रस्तावके विरुद्ध थे। असिलिये स्वाभाविक रूपमें ही जब दम्बडी महासमितिके प्रस्तावके अर्थके बारेमें सफाई हो गयी तो वे अुस प्रस्तावके भी विरुद्ध हो गये। सरदार यद्यपि पूना महासमितिके प्रस्तावके अेक प्रमुख प्रतिपादक थे, तथापि अुनके विचारोंमें परिवर्तन हो गया था। वे साफ साफ कहते थे कि अेक बार गांधीजीका साथ छोड़ा, परन्तु अब फिर दूसरे रास्ते नहीं जाना है। असिलिये वारडोलीका प्रस्ताव पास हो जानेके बाद अुन्होंने, राजेन्द्रवावूने, कृपालानीजीने और डॉ० प्रफुल्ल घोषने अेक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित करके महासमितिके सदस्योंसे अपील की कि महासमितिकी अगली बैठकके समय प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रतासे अपनी विवेक-बुद्धि काममें लेकर मत दे।

कार्यसमितिकी बैठक खतम होनेके बाद सरदारने तुरन्त ही वारडोलीमें गुजरात प्रान्तीय समितिकी बैठक बुलायी। प्रान्तीय समितिके सदस्योंके सामने अुस प्रस्ताव पर बोलनेकी सरदारने गांधीजीसे विशेष प्रार्थना की। अुस बैठकमें राजेन्द्रवावू, कृपालानीजी वगैरा भी अुपस्थित थे। गांधीजीने पहले तो सदस्योंसे पूछा, “आपने वारडोलीके प्रस्तावका अर्थ पूरी तरह समझ लिया है?” बहुतांने हाथ नहीं अुठाये। असि पर गांधीजी बोले:

“तो अुसे मैं आपको संक्षेपमें समझा दूं। अुस प्रस्तावका अर्थ यह है कि युद्धके बाद पूर्ण स्वराज्य देनेका सरकार विश्वास दिलाने तो कांग्रेस असि हुकूमतको जीवित रखनेमें सहायता देगी। यह सीदा पक्का नहीं हो गया है। केवल शर्त पेश की गयी है। परन्तु यदि मुझे अैसा सीदा ही करना न हो तो अुस तरह साफ कह देना चाहिये। आप युद्धमें पूरा साथ देना मंजूर करेंगे तो भारतको लड़ाईके पश्चात् पूर्ण स्वराज्य मिलेगा। अंग्रेज अुसके बाद हिन्दुस्तानमें रहेंगे तो आपकी मेहरबानीसे रहेंगे। आपका युद्ध-विभागका मंत्री जीत होने तक युद्ध चलाये तो आप युद्धके दिनोंमें भी अपना कारवार चला सकेंगे। अैसी शर्तें स्वीकार करना आपको ठीक लगता हो तो आपको वारडोलीका प्रस्ताव मंजूर करना चाहिये। असिमें शक नहीं कि लालच बहुत बड़ा है। अुसके खातिर आप कांग्रेसकी नीतिको अुलटवाने और स्वराज्य

खरीदकर उसकी कीमतके तौर पर अहिंसाको छोड़ देनेके लिये तैयार हों, तो आपको यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये। हमारे बड़े बड़े नेता इस प्रस्तावमें शामिल हैं और उन्होंने यह प्रस्ताव बिना सोचे पास नहीं किया है। इसके विरुद्ध यदि कोई यह माननेवाले हों कि अहिंसा अकेले अनमोल मोती है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता, अहिंसाको देकर स्वराज्य नहीं खरीदा जा सकता, तो उनकी स्थिति दूसरी ही है। परन्तु यदि आपके मनमें संदेह हो, आपको ऐसा लगता हो कि अहिंसासे चिपटे रहनेमें हम अहिंसाको भी खोयेंगे — क्योंकि उसका पालन करनेकी आपमें शक्ति नहीं है — और स्वराज्य भी खो देंगे, यदि आपका यह खयाल हो कि गांधी अच्छा आदमी तो है परन्तु उसके साथ अन्त तक न जानेमें ही समझदारी है, तो आपको यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये। वे ही लोग उसे अस्वीकार कर सकते हैं जिनके मनमें दृढ़ विश्वास हो कि समझदारी, राजनैतिक होशियारी और नीति आदि सब बातोंका विचार करते हुये यही आवश्यक है कि स्वराज्यके खातिर भी अहिंसाको ठुकराया नहीं जा सकता। अब जो वारडोली प्रस्तावके पक्षमें हों वे हाथ जुटावें।”

३६ सदस्योंने हाथ जुटाये। गांधीजी बोले, “ठीक। अब अहिंसाके आचार्य हाथ जुटायें।” इस वचनमें जो चुनौती थी वह परेशान करनेवाली थी। फिर भी २७ लोगोंने अहिंसाके पक्षमें हाथ जुटाये। दसैक सदस्य तटस्थ रहे। वे गांधीजीसे प्रश्न पूछना चाहते थे। परन्तु गांधीजीने कहा कि “ये मत यों ही सभाका रख जाननेके लिये लिये गये हैं, इसलिये तटस्थ सदस्योंको कोई तकलीफ करनेकी जरूरत नहीं।”

सरदारने अध्यक्षके नाते अपसंहार-भाषण देते हुये कहा :

“अब अधिक कठोर और परीक्षा करनेवाला काल आयेगा। उस समय हमारे सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयेंगी और हमें बहुतसे काम करने होंगे।

“सरकारका मुंह देखनेसे हमारा काम नहीं चलेगा। सरकारको तो अपनी चिंता लगी हुयी है, इसलिये अपने लिये हमें खुद ही निर्णय कर लेना पड़ेगा।”

वारडोलीमें प्रस्ताव तो पास हो गया परन्तु कार्यसमितिमें इस वारेमें स्पष्ट मतभेद था। और गांधीजी कांग्रेसका नेतृत्व करनेकी जिम्मेदारीसे पुनः मुक्त हो गये थे। इसलिये सारी परिस्थिति पर विचार करनेके लिये

१५ और १६ जनवरीको वर्धामें महासमितिकी बैठक बुलायी गयी। शुद्धमें तो सरदार वगैरा कार्यसमितिके जो सदस्य वारडोलीके प्रस्तावसे सहमत नहीं थे उनका तथा गांधीजीका भी विचार महासमितिके मत लेकर जिस प्रस्तावके बारेमें निर्णय करानेका था। परन्तु बादमें गांधीजीने अपना विचार बदल दिया और उन्होंने महासमितिको वह प्रस्ताव मान लेनेकी सलाह दी। गांधीजीका महासमितिवाला भाषण बहुत महत्त्वका होनेके कारण उसमें से कुछ अंश यहां दिये जाते हैं :

“अब सवाल यह है कि जो चीज आपने पकड़ी उसे छोड़नेको आप क्यों तैयार हो गये? स्वराज्य लेनेके बाद क्या करेंगे जिसकी बात नहीं है, परन्तु स्वराज्य लेनेके खातिर यह चीज आप बदलनेके लिये कैसे तैयार हो गये? आपने तो अिकरार किया था कि स्वराज्य लेनेके लिये अहिंसाके सिवा कोयी अुपाय नहीं है। अब आप उसे बदलनेको तैयार हो गये हैं। परन्तु अैसा सीदा करके आप पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्ण स्वराज्य तो वह है जिसमें गरीबसे गरीबको भी आजादी मिले। वह आजादी आज युद्धमें शामिल होनेसे नहीं मिल सकती। अितना आप समझ लें तो दूसरी बात समझना आसान है। जिस प्रकार मानते हुअे भी मैं आपको यह समझाअंगा कि आप यह प्रस्ताव स्वीकार कर लें और जिस पर मत लिवाकर समितिके फूट न डलवायें। यह बात अगर आपकी बुद्धिके समा जाये तो आप उसे मंजूर करें अन्यथा नहीं। आज अैसा समय नहीं है कि सदस्योंको समझा कर अलग अलग मत दिलवाये जायं।

“वारडोलीमें तो मैंने अहिंसाका अपना अर्थ किया था और उसी कारण मैं कांग्रेसके नेतृत्वकी जिम्मेदारीसे मुक्त हुआ। वारडोलीका प्रस्ताव पास हो जानेके बाद कुछ समय तो मेरे जीमें था कि महासमितिके सामने उस पर मत लेकर उसमें विभाजन किया जाय और यह देखा जाय कि मेरा साथ देनेवाले कितने हैं। परन्तु उसके बाद कअी बातें हुअीं और अुन सबका मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैंने वातावरण देखा, लोगोंकी आलोचना सुनी, अखबारोंकी टीका-टिप्पणी देखी। जिस पर मेरे मनने निश्चय किया कि मेरी अहिंसा यह आदेश देती है कि मैं आपसे यही कहूं कि आप जिसे ‘बुद्धिपूर्वक स्वीकार कीजिये।’ जो सदस्य पूरी तरह मेरे साथ हैं उनसे मैं कहता हूं कि वे मत ही न दें। परन्तु जो सदस्य जिस प्रस्तावको रद्द कर देना चाहते हैं वे भी प्रस्तावको कायम रखनेके लिये मत दें और प्रस्तावको रद्द न होने दें।

“असमें शक नहीं कि कार्यसमिति यह प्रस्ताव पास करके पीछे हटी है। राजाजी यह बात स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि वे तो यह मानते हैं कि मैं भूल कर रहा हूँ। कदाचित् जवाहरलाल भी कहेंगे कि असमें हम पीछे नहीं हट रहे हैं। उनका यह राय है, तो मेरी भी अपनी राय है। और वह यह है कि हम निश्चित रूपमें पीछे हटे हैं। फिर भी अस प्रस्तावको कायम रखवानेमें मैं इसीलिये भाग ले रहा हूँ कि शायद हम अससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे अलग हो कर कुछ भी दावपेंचकी बात किये बिना कहता हूँ कि यह प्रस्ताव कितना भी अपूर्ण हो तो भी आप असे स्वीकार कर लीजिये। क्योंकि यह प्रस्ताव कांग्रेसकी मनोदशाको ठीक तौर पर प्रगट करता है। सच पूछा जाय तो अस समय कांग्रेसी अपने मनको अच्छी तरहसे जानते ही नहीं। अस प्रस्तावमें कांग्रेसियोंकी सच्ची मनोदशाका प्रति-विम्ब पड़ता है।

“मेरे साथियोंको — जैसे सरदार और राजेन्द्रवावूको — अस प्रस्तावके पास होनेका दुःख है, परन्तु अन्हें मैं निकलने नहीं दे रहा हूँ। अुनसे मैं कहता हूँ कि आज निकलनेका समय नहीं है। जब समय आ जाय तब निकल जाना।

“कारण यह है कि भविष्यका निर्णय आजसे क्यों किया जाय? जवाहरलालका युद्ध-विरोध, भले दूसरे कारणसे हो, लगभग मेरे जितना ही है। राजाजी असमें आ जाते हैं, क्योंकि सरकार सचमुच हाथ बढ़ाये तो अन्हें अपना काम करनेका मौका मिलता है। राजेन्द्र-वावू जैसे अहिंसक असहयोगियोंके लिये भी डरकी बात नहीं है। क्योंकि जिस दिन सरकार अनुकूल अुतर दे अुसी दिन अलग होनेकी बात है न? तब तक तो अहिंसाका राज्य बना ही हुआ है।

“राजेन्द्रवावू और सरदार अहिंसाका चाहे अुतना प्रचार करें। अन्हें कोअी नहीं रोकैगा। अन्हें भी यह प्रस्ताव पूरी आजादी देता है। साथ ही अस प्रस्तावमें और दूसरे प्रस्तावोंमें लोगोंको जो आदेश दिये गये हैं वे अहिंसाको बढ़ानेवाले हैं।

“अस वक्त तो हम सब अेक ही नावमें बैठे हैं। तो फिर आप नया प्रस्ताव किसलिये चाहते हैं? आप कोअी अहिंसक संस्था तैयार करें तो क्या अुसका काम ‘वोट’ द्वारा चलेगा? छोटी छोटी बातें ‘वोट’ से होती हैं। परन्तु बड़ी बातें ‘वोट’ से करने लगे तो संस्था टूट जायगी।”

गांधीजीने जिस प्रकारका रुख अख्तियार करके और महासमितिका जिस तरह मार्गदर्शन करके हिंसा-अहिंसाकी मिथ्या चर्चा देशको बचा लिया। यह समय भी चर्चाओंका नहीं था। चीन पर जापानका आक्रमण तो वर्षोंसे जारी था, परन्तु चीनको अमेरिकाकी सहायता मिलती थी। शायद उसका वर चुकानेके लिये जापानने अमेरिकाके फिलिपाइन द्वीपके पर्लहार्वर पर अचानक हमला कर दिया। फिर तेजीसे सिंगापुर, मलाया वगैरा जीत लिये और ब्रह्मदेश पर आक्रमण शुरू कर दिया। उस समय यदि जापान भारत पर आक्रमण कर देता तो ब्रिगलैण्डकी जैसी ताकत नहीं थी कि वह भारतकी अच्छी तरह रक्षा कर पाता। ब्रह्मदेशसे उसे रातोंरात जो भागना पड़ा उससे लोगोंको उसकी शक्तिका अन्दाज हो गया था। जिनलिये भारतके लिये तो आत्मरक्षणका सवाल सबसे बड़ा था। बर्माकी महासमितिकी बैठक पूरी होनेके बाद सरदारने ता० २३-१-'४२ को वारडोलीमें गुजरात प्रान्तीय समितिकी बैठक बुलवायी। उसके सामने भाषण करते हुये बुन्होंने कहा :

“पिछली बैठकके समय जब हम यहां मिले थे, तब मैंने एक बात कही थी कि हम हिंसा-अहिंसाकी बातको तारुमें रख दें और कांग्रेसकी महासमिति (बर्माकी) जो प्रस्ताव पास करे उस पर भी बहुत चर्चा न करें; परन्तु जो मुख्य प्रश्न है, और जो बहुत गंभीर है, और जिस पर हमारी हस्तीका दारमदार है, उसी प्रश्न पर हम ध्यान दें। देश और प्रान्तकी हालत गम्भीर होती जा रही है। उसके संबंधमें क्या किया जाय यह कठिन सवाल है। जिसका हमें खूब विचार करना पड़ेगा। जिसलिये मैंने बर्माके वाद बैठक बुलानेको कहा था।

“महीने भर पहले जो परिस्थिति थी उससे आज परिस्थिति बहुत गंभीर हो गयी है। देहातसे जो समाचार मिलते हैं उनसे मालूम होता है कि हम अचित्त कार्रवायी नहीं करेंगे तो प्रान्तमें अशान्ति खूब बढ़ जायगी। जिसके लिये हम सयको जाग्रत रहकर लोगोंमें शान्ति और निर्भयताका वातावरण पैदा करनेके लिये जो कुछ करना पड़े करनेको तैयार रहना चाहिये। असा करते हुये यदि कोयी कांग्रेसी खप जाय तो कांग्रेस अपना काम कर चुकेगी।

“पिछले पचास वर्षसे लोगोंको कृत्रिम शांतिकी आदत पड़ी हुयी है। अब उन्हें अशान्तिसे न डरना सीखना है। झूठी अफवायें रोकनी चाहिये और लोगोंको समझाना चाहिये कि सलामती चाहिये तो गांव-गांवमें स्वयं ही बंदोबस्त कर लेना पड़ेगा।

“आपसका वैर भूल जाना चाहिये। अंच-नीचके भेद, स्पृश्य-अस्पृश्यके भेद और अिसी प्रकारके अन्य भेद छोड़ देने चाहिये। लोगोंको अब अेक पिताकी संतान बनकर रहना चाहिये। पहले यह स्थिति थी कि गांवके बुजुर्ग गांवके लोगोंको अपने आश्रयमें लेकर बैठते थे और अुनकी रक्षा करते थे। वही स्थिति वापस लानी होगी। सरकार अपनी युद्धकी तैयारीका काम शान्ति-रक्षाको हानि पहुंचाकर भी करेगी। अिसमें हमें सरकारके साथ झगड़ा नहीं करना है। परन्तु आप सरकारके मुंहकी तरफ ताकते रहेंगे तो अुससे कुछ नहीं होगा।

“वर्धाका प्रस्ताव हमारे लिये विशेष कामका नहीं है। कुछ मतभेद थे। अुनकी चर्चा अिस प्रकार कर ली कि जिसे जो करना हो सो करे। हमें कोअी विरोध नहीं करना है। विरोधसे फायदा क्या? और वह भी अैसे समय, जब देशकी अितनी गंभीर परिस्थिति है? यदि कोअी स्वराज्य ला सकता हो और ले आये तो हमें वांट तो देगा न? और न मिले तो भी झगड़ा किसलिये?”

ता० २६-१-४२ को स्वातंत्र्य-दिवस पर वारडोलीमें भाषण देते हुअे सरदारने कहा :

“अिस समय सरकारकी स्थिति ‘सात जुड़ें और तेरह टूटें’ जैसी है। जिस वेगसे लड़ाअी निकट आ रही है, अुसे देखते हुअे कांग्रेसके सिपाहियोंकी वाहर जरूरत है। अिसलिये व्यक्तिगत सत्याग्रहकी लड़ाअी मुलतवी कर दी गयी है।

“यह युद्ध अैसा है कि अिसमें सारी दुनिया खतम भी हो सकती है। पता नहीं यह अंतिम युद्ध है कि अभी अेक और होगा। वादमें दुनियामें समझदारी आ जायगी और वह गांधीजीका कहा मान लेगी। तभी लड़ाअियां वन्द होंगी। अैसा समय आनेवाला है जब वहुत लोग अिसी तरह सोचेंगे और मानेंगे।

“घटनाअें तो भयंकर भी हो सकती हैं, परन्तु अुनसे हमें डरना नहीं चाहिये। आज तो समय अैसा है कि कांग्रेसवाले गांव-गांवमें घूमकर झूठी बातोंको फैलनेसे रोकें। हमें किसी प्रकार घबरानेकी जरूरत नहीं। हमारे छप्परों पर कोअी महंगे वम डालनेवाला नहीं है। हम रूखी-सूखी खाकर जिन्दा रह सकते हैं। अिसलिये अनाज जमा करके रखिये। यह देखते रहिये कि कोअी भूखा न रहे। भुखमरी अुद्वेग पैदा करती है। भूखेको काम दीजिये और रोटी दीजिये। हरअेक गांव अपने यहां

युद्ध भारतके द्वार पर

पहरेकी व्यवस्था करे। गांवकी पंचायत बनाकर गांवके झगड़े घरमें ही निवटा ले। मेरा संदेश यह है कि कठिन समय आनेवाला है, जिसलिजे अंच-नीच और जातपातके भेद भूलकर संगठन मजबूत कीजिये और पहरा देनेकी पूरी तैयारी रखिये। जैसे समयमें हम अपने ही चौकीदार होंगे। ऐसा समय आ सकता है कि जब बाहरसे चीजें आना बन्द हो जायं। अहमदाबादमें लाखों मजदूर हैं। जिस समय मिलोंमें रातपाली बन्द कर दी गयी है, क्योंकि कोयला नहीं मिलता। वहां लकड़ियां जलाने लगे हैं। उसे लानेके साधन भी बन्द हो जायंगे, तब मिलें भी बन्द हो जायंगी। उस समय गांधीजीको याद करेंगे। वे तो बीस वर्षसे कह रहे हैं कि चरखा चलाओ। गांव स्वयं स्वावलंबी बन जायं और रक्षाके लिजे भी खुद दूसरोंका मुंह न ताकना पड़े, किसीका नाम स्वराज्य है।”

जिस सारे समय सरदारका स्वास्थ्य कमजोर ही रहा। अंतर्द्वियोंका रोग अच्छा नहीं हो रहा था, जिसलिजे लगभग सवा महीने वे हजीरा रह आये। जितने समयमें तो परिस्थिति और भी बिगड़ गयी। लोग बहुत भयभीत दशामें थे। जिसलिजे हजीरासे लौटनेके बाद गुजरातमें दसके दिनका दौरा करके खुदोंने लोगोंको धीरज बंधाया और युनमें शौर्यकी भावना जगायी।

ता० ७-३-४२ को आणंदमें दिये गये भाषणमें खुदोंने कहा :
“महाभारतके युद्धकी कथाओं हमने सुनी हैं। परन्तु महाभारतका युद्ध जिस विश्वयुद्धके सामने कुछ नहीं था। उस समय योद्धा निश्चित किये हुये क्षेत्रमें लड़ते थे। आजकलकी लड़ाईका क्षेत्र वही नहीं रहा जहां लड़ाई होती है। जितने देश उसमें फंसे हुये हैं वे सब लड़ाईके क्षेत्र हैं। समुद्रके पानीमें भी लड़ाई होती है। लड़नेवालोंको पता नहीं कि लड़नेका परिणाम क्या होगा। लड़नेवाले दोनों लवार हैं। दोनों अश्वरके नाम पर लड़ते हैं। दोनों असाके पुजारी हैं। वे अपनेको सुधारक कहते हैं और जंगली प्रजाओंको शिक्षा देते हैं। परन्तु अन्तमें इतिहासमें लिखा जायगा कि दूसरोंको जंगली कहनेवाले खुद जानवरोंसे भी गये वीते थे।

“संसारमें ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा है, तब अके मनुष्य जमीन पर पैर रखकर कहता है कि जो लोग तलवारसे लड़ते हैं वे तलवारसे ही मरेंगे। जब लड़ते लड़ते निराश हो जायंगे तब अंतमें स्वीकार करेंगे कि अहिंसा ही परम धर्म है।

“हम तो भगवानकी गोदमें बैठे हैं। हमारे जैसे कोबी सुखी नहीं। हमने किसीका कुछ छीन नहीं लिया है। जिसलिजे हमारा क्या

चला जायगा? परन्तु हमें अक वात समझ लेनी है। कितनी ही अव्यवस्था फैल जाय तो भी कुत्ते-विल्लीकी मौत तो हमें नहीं मरना है। गांधीजीसे अक चीज सीखनी है—निर्भयता। अिस जीवनमें आपके सानने जो अवसर आया है वैता कभी नहीं आयेगा।

“गोलोंके सामने वहादुरीसे खड़े रहकर मरना न आये तो भी कायर बनकर भागना तो हरगिज नहीं चाहिये। अहिंसासे या हिंसासे सामना करना सीखना चाहिये।”

अपने जन्मस्थान करमसदमें भाषण देते हुअे हमारे लोगोंमें जो अीर्षा, मिथ्या कुलाभिमान आदि हैं, उनुके वारेमें सरदारने कहा :

“मैं जातपांतको भूल चुका हूं। सारा भारत मेरा गांव है। अठारहो वर्ण मेरे भाअी-बन्धु हैं। मैं अिस आकांक्षासे यहां आया हूं कि आपको महासागरके दर्शन कराअूं। अपने गुणगान करनेकी जरूरत नहीं। वे तो अपने आप बोलते हैं। परन्तु दोष अधिक बलवान होते हैं। क्या हम पड़ोसीके घरके छप्परका हसारी हृदमें घुस आना सहन कर सकते हैं? अुससे हमें खुशी होती है या बुरा लगता है? अिस भूमिका यह दोष है कि हमें अपने ही भाअी-बन्धुओंका, यहां तक कि सगे भाअीका भी, मकान अंचा देखकर जलन होती है। तिलभर जमीन दब जानेसे ही गांवमें फूट न डालनी चाहिये।

“कुल वापदादाके दिये नहीं मिलता है। जो चरित्रवान है, सज्जन है और नीतिवान है वह कितने ही बड़े कुलीनको भी बसमें कर सकता है। नीचा कुल या अंचा कुल, छोटा घराना या बड़ा घराना, यह सब भूल जाअिये। आज तो बड़ी बड़ी वादशाहतेँ धूलमें मिल रही हैं।

“अठारहों वर्ण अक ही पिताकी सन्तान हैं। मनुष्यके मर जानेके वाद ब्राह्मणका शरीर हो या चमारका, अुसे कोअी रख नहीं सकता। प्राण तो पवनके साथ मिल जाते हैं और यह देह रह जाती है। अिसलिये अंच-नीच क्या मानते हैं? और मौतसे भी क्यों डरते हैं? अिसने जन्म लिया है अुसे मरना तो होगा ही। तो फिर कायरकी तरह तड़पकर क्यों नरें? मर्दोंकी तरह क्यों न मरें? मरना-अीना अीश्वरके हायकी वात है। झूठा लोभ किसलिये किया जाय? किसलिये हम पड़ोसीसे अीर्षा करें? पड़ोसी या भाअी-बन्धुओंसे अुनकी वस्तु लेनेके लिये दिनमें या रातमें चोरी कराना, लूटपाट कराना अथवा डाका डलवाना आदि जैसा कोअी बुरा काम नहीं है।”

अस समय गुजरातमें दिये गये सरदारके अन्य भाषणोंमें से कुछ अुद्धरण देकर यह अध्याय पूरा करेंगे :

“अब तक युरोपीय लोगोंने अशिया और अफ्रीकाको लूट कर गुलछरें अुड़ये थे। अब अुसका पाप फूट निकला है। अफ्रीकाके लोगोंने अेक कांकर तक नहीं मारा, फिर भी वहांके लोगोंको वे हिंसक पशुओंकी तरह फाड़कर खा रहे हैं। तुलसी हाय गरीबकी ! विसीलिअे अिनका राज्य क्षीण हो रहा है।”

* * *

“लड़नेवाले दोनों लुटेरे हैं। अेक कहता है कि हमीं अुद्ध आर्य हैं। दूसरा कहता है कि हम सच्चे अीसाजी हैं। दोनों अीश्वरके नाम पर लड़ते हैं।”

* * *

“हमारे देशमें अेक तरफ अंग्रेज मुसलमानोंको अुकसाते रहते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि अेक होकर आओ। यह सरकार विस तरह खेल खेलती रहती है। परन्तु जब आकाश ही फट जाता है तब पैवंद कहां कहां लगाया जाय ?

“सिंगापुरका पतन हुआ। मलायाका हुआ। सुमात्रा-जावाका हुआ। कल रंगूनका होगा। अब कहते हैं कि हमारी मदद करो। मला मुर्दा अुठानेमें क्या मदद करें ?”

* * *

“हमें अंग्रेजोंने निःशस्त्र बनाया, अुसका फल वे भी भोग रहे हैं। हमने अपनी रक्षा करनेकी शक्ति खो दी। यह मान लिया कि चीकीदारको दाम देंगे तो वह रक्षा कर लेगा। यह समझने लगे कि भारतकी रक्षाका द्वार सिंगापुरने है और वहां हमारा चीकीदार पहरा लगायेगा। परन्तु वह चीकीदार खुद दुम दवाकर भागने लगा है।

“भारतमंत्री जैसा नंगा आदमी आज तक नहीं देखा गया। वह जले पर नमक छिड़कता है। विनाशका समय आ पहुंचता है तब मनुष्यको अुसकी तरह दोलना सूझता है। कहते थे कि हम सिंगापुरकी रक्षा जान जोखिममें डालकर करेंगे। भारतके वारेमें भी यही कहते हैं। परन्तु कुछ लोगोंका खयाल है कि जैसे दूसरोंकी वारी आती वैसी हमारी भी आती तो हम क्या करेंगे ?”

* * *

“हमने पूनामें दो वर्ष पूर्व अिनसे कहा था कि अैसा कुछ करो जिससे लोगोंको यह महसूस हो कि यह लड़ाी हमारी है। आपका और हमारा कठिन समय आनेवाला है। असलिये राष्ट्रीय सेना बनाने दो। परन्तु वह बात अुन्होंने नहीं सुनी। अुन्होंने कहा कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। छोटी छोटी जातियोंकी जिम्मेदारी हमारे सिर पर है। अुन्होंने तो सारी दुनियाकी जिम्मेदारियोंका ठेका ले रखा है। आज अब अिगलैण्डसे संधिवाता करनेके लिये आदमी भेज रहे हैं।”

३३

क्रिप्सकी संधिवाता

युद्ध ज्यों ज्यों अधिक फैलता जाता था और विशेष तीव्र होता जाता था, त्यों त्यों अमरीकाके लोगोंका और अमरीकी राष्ट्रपतिका ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० चर्चिल पर बहुत दबाव पड़ रहा था कि असि नाजुक समयमें आपको भारतका, खास तौर पर कांग्रेसका, दिल जीत लेना चाहिये। परन्तु अैसी सलाहोंकी मि० चर्चिल बिलकुल परवाह नहीं करते थे। अमरीकासे वे कहते थे कि यह हमारा भीतरी मामला है। और हिन्दुस्तानसे अुन्हें जितने चाहिये अुतने भाड़के आदमी मिल जाते थे और नये नोट छाप-छापकर जितना चाहिये अुतना माल हिन्दुस्तानसे ले जानेमें कोअी रोकनेवाला नहीं था। परन्तु असि लड़ाीमें अिगलैण्डको अमरीकाका बड़ा सहारा था। असलिये अुसे खुश करनेके लिये ११ मार्चको मि० चर्चिलने लोक-सभामें घोषणा की कि ब्रिटेनके युद्धकालीन मंत्रिमंडलने निश्चय किया है कि भारतके साथ न्यायपूर्ण और अन्तिम समझौता करनेके लिये अुसके सामने कुछ प्रस्ताव रखे जायं और अुन्हें भारतसे स्वीकार करानेके लिये ब्रिटिश मंत्रिमंडलके अेक प्रमुख सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्सको भारत भेजा जाय।

सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारतके अेक मित्रके रूपमें विख्यात थे। हम पहले देख चुके हैं कि पार्लियामेण्टमें वे भारतका पक्ष लेते थे, और पं० जवाहरलालके निजी मित्र थे। अिन सब कारणोंसे मि० चर्चिलकी असि घोषणासे भारतमें कुछ आशाकी भावना पैदा हुअी। वे हवाअी मार्गसे २३ मार्चको नअी दिल्ली आ पहुंचे। अुसी दिन अुन्होंने अखबारी प्रतिनिधियोंसे मुलाकात की

और दो दिन तक वाबिसराँय-भवनमें रहकर वाबिसराँय तथा प्रांतीय गवर्नरोंसे, जिन्हें पहलेसे प्रबंध करके खास तौर पर बुला लिया गया था, सलाह-मशविरा किया। २५ मार्चको कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजादको विशेष निमंत्रण देकर बुलाया गया। क्रिप्सने अपने साथ लाये हुअे प्रस्तावोंका मसौदा अन्हें पढ़कर सुनाया। मौलानाको वे प्रस्ताव बहुत अच्छे नहीं लगे। परंतु सर स्टेफर्डने कहा कि अिनमें प्रस्तावित वाबिसराँयकी कौंसिल राष्ट्रीय सरकार जैसी ही होगी और कौंसिलके सदस्योंका वाबिसराँयके साथ वैसा ही संबंध होगा जैसा ब्रिटिश मंत्रिमंडलका अिग्लैण्डके राजाके साथ होता है। क्रिप्सके अँसा कहनेसे मौलाना साहब अिन प्रस्तावों पर विचार करनेके लिये कार्यसमितिकी बैठक बुलानेको ललचाये और २९ तारीखको अन्होंने नयी दिल्लीमें कार्यसमितिकी बैठक बुलायी।

अिस युद्धमें धन-जनकी सहायता देनेके विरुद्ध होनेके कारण गांधीजीको क्रिप्ससे मिलनेमें कोअी दिलचस्पी नहीं थी। परंतु क्रिप्सने बहुत आग्रह किया अिसलिये २८ तारीखको वे अुनसे मिलने दिल्ली गये। अुनके लाये हुअे प्रस्तावोंको पढ़कर ही अन्होंने क्रिप्ससे कह दिया कि अँसे हास्यास्पद, अस्पष्ट और तरह तरहके अर्थोंवाले प्रस्ताव आपके जैसा आदमी लेकर आये यह बड़े दुर्भाग्यकी बात है। आपको अितना तो जानना चाहिये था कि कमसे कम कांग्रेस, भले दूसरे ही क्षण भारतको साम्राज्यसे अलग हो जानेका हक दिया जाय तो भी, अिस किस्मके अुपनिवेशिक स्वराज्यकी तरफ देखेगी भी नहीं। भारत आपके दूसरे अुपनिवेशोंकी तरह अुपनिवेश (डोमीनियन) है ही नहीं। आपको यह भी जानना चाहिये था कि अिन प्रस्तावोंमें भारतको तीन टुकड़ोंमें बांट डालनेकी जो कल्पना निहित है, अुसे कोअी भी स्वीकार नहीं कर सकता। अिसमें पाकिस्तानकी कल्पना है, लेकिन मुस्लिम लीग भी अिससे खुश नहीं होगी। क्योंकि लीग जैसा पाकिस्तान चाहती है वैसा अिसमें नहीं है। और ये सब तो आपकी भविष्यकी योजनायें हैं। अिस समय भविष्य बड़ा अनिश्चित है। अिसलिये आज अिन योजनाओं पर विचार करनेसे क्या होगा? सच्चे महत्त्वकी बात तो यह है कि आप तुरन्त क्या करना चाहते हैं। और अिस समय आप जो कुछ देनेकी बात कर रहे हैं वह तो सिर्फ फुसलानेकी बात है। अिन प्रस्तावोंमें हमें कोअी अँसा सच्चा अधिकार नहीं मिलता, अिससे हमारे लोग अपने देशकी रक्षा करनेमें अुत्साहित हों। अिस आशयकी बात कहकर गांधीजी तुरन्त ही दिल्लीसे सेवाग्राम लौट जाना चाहते थे, परंतु मौलाना साहबके आग्रहसे ४ अप्रैल तक दिल्लीमें ठहर गये।

अब हम देखें कि क्रिप्स साहब कैसे प्रस्ताव लेकर आये थे :

“ भारतके भविष्यके बारेमें जो वचन दिये गये हैं उनके पालनके संबंधमें इस देशमें (अंग्लैण्डमें) और हिन्दुस्तानमें भी जो चिन्ता की जा रही है उस पर विचार करके सम्राट्की सरकारने यह निश्चय किया है कि भारतमें जल्दीसे जल्दी स्वराज्य स्थापित करनेके लिये ब्रिटिश सरकार जो कार्रवाही करना चाहती है उसकी निश्चित और स्पष्ट शर्तोंमें घोषणा की जाय। हमारा अुद्देश्य यह है कि नये भारतीय संघका निर्माण किया जाय। यह संघ ग्रेट ब्रिटेन और दूसरे औपनिवेशिक राज्योंकी तरह सम्राट्के प्रति वफादारी रखनेवाले अेक औपनिवेशिक राज्य जैसा होगा। सब मामलोंमें इसका उनके साथ समान दर्जा रहेगा। अपनी आन्तरिक और बाह्य व्यवस्थाकी किसी भी बातमें वह पराधीन नहीं होगा।

“ इसके लिये सम्राट्की सरकार निम्नलिखित घोषणा करती है :

“ (अ) लड़ाईके वन्द होते ही भारतमें निम्नलिखित ढंगसे अेक चुनी हुयी सभा स्थापित करनेकी कार्रवाही की जायगी। इस सभाका काम भारतका नया संविधान तैयार करना होगा।

“ (ब) इस संविधान तैयार करनेवाली सभामें भारतके देशी-राज्योंके भाग ले सकनेके लिये नीचे बताये अनुसार प्रबंध किया जायगा।

“ (क) इस प्रकार तैयार किया हुआ संविधान स्वीकार करने और अमलमें लानेके लिये सम्राट्की सरकार वचनबद्ध होती है, केवल अितनी बातोंके अधीन रहकर कि :

“ (१) ब्रिटिश भारतके किसी भी प्रान्तकी नया संविधान मंजूर करनेकी तैयारी न हो तो उसे अपनी वर्तमान वैधानिक स्थिति बनाये रखनेका अधिकार रहेगा। साथ ही यह व्यवस्था भी रहेगी कि वादमें यदि वह नये संविधानमें शरीक होनेका निश्चय करे तो शरीक हो सकेगा।

“ इस प्रकार शरीक न होनेवाले प्रान्तोंकी ऐसी अिच्छा होगी तो सम्राट्की सरकार अुन्हें अपना दूसरा संविधान तैयार करने देना स्वीकार करती है। यहां प्रस्तावित ढंगसे भारतीय संघको जो दर्जा दिया जायगा, वही दर्जा पूरी तरह अुन्हें भी दिया जायगा।

“ (२) सम्राट्की सरकार और संविधान बनानेवाली सभाके बीच संविधानों की जायेंगी और उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

अिन संधियोंमें अंग्रेजोंके हाथसे भारतीयोंके हाथमें जिम्मेदारीका संपूर्ण परिवर्तन होनेके सिलसिलेमें जो आवश्यक बातें पैदा होंगी अुन सबका समावेश किया जायगा। सम्राट्की सरकारने भिन्न भिन्न जातियों और वर्गोंके अल्पमतोंकी रक्षाके लिये जो आश्वासन दिये हैं अुनके बारेमें भी अिन संधियोंमें व्यवस्था की जायगी। परंतु भविष्यमें ब्रिटिश राष्ट्रसंघके अंगभूत अन्य राज्योंके साथ भारतीय संघ कैसा संबंध रखे, यह तय करनेके मामलेमें भारतीय संघके अधिकारों पर कौअी नियंत्रण नहीं रखा जायगा।

“भारतका कौअी भी राज्य अिस संविधानको स्वीकार करना चाहे या न चाहे, तो अुसके अनुसार संधिकी शर्तोंमें आवश्यक प्रतीत होनेवाले परिवर्तन करनेकी जरूरत होगी।

“(ड) संविधान बनानेवाली सभाका निर्माण अिस प्रकार किया जायगा, सिवा अुस हालतके कि मुख्य मुख्य जातियोंके भारतीय लोकमतके नेता लड़ाअी खतम होनेसे पहले निर्माणके अन्य किसी प्रकारके बारेमें सहमत हो गये हों।

“लड़ाअी समाप्त हो जानेके बाद प्रान्तीय चुनाव किये जायेंगे। अुनके परिणाम मालूम होते ही प्रत्येक प्रान्तकी निचली वारासभाके सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्वकी पद्धतिसे संविधान तैयार करनेवाली सभाको चुननेका काम करेंगे। अिस नअी सभाकी सदस्य-संख्या प्रान्तीय वारासभाओंके दसवें भागके बराबर होगी।

“भारतके देशीराज्योंको भी अने प्रतिनिधि निष्पुक्त करनेके लिये कहा जायगा। अुनकी संख्या ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंकी तरह अुनकी कुल आबादीके अनुसार होगी और अुन्हें ब्रिटिश भारतके सदस्योंके बराबर ही अधिकार होगा।

“(अ) भारतके सामने खड़े आजके नाजुक समयमें और जब तक नया संविधान न बन जाय तब तक सम्राट्की सरकारको विद्व-युद्धके प्रयत्नोंके अेक भागके रूपमें भारतकी रक्षाका दायित्व अनिवार्यतः अुठाना पड़ेगा, अुस रक्षाका संचालन करना पड़ेगा और अुस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। परंतु भारतमें सैनिक, नैतिक और आर्थिक साधन पूरी तरह संगठित करनेके कामकी जिम्मेदारी भारतके लोगोंके सहयोगसे भारत-सरकारकी रहेगी। सम्राट्की सरकार चाहती है और अिस वस्तुका स्वागत करती है कि भारतवासियोंके मुख्य मुख्य

दलोंके नेता अपने देशकी, ब्रिटिश राष्ट्रसंघकी और संयुक्त राष्ट्रोंकी मंत्रणाओंमें तत्काल असरकारी भाग लें। असा करके ही भारतकी भावी स्वतंत्रताके लिये जो कार्य बहुत महत्वका और जरूरी है उसे पूरा करनेमें वे सक्रिय और रचनात्मक सहायता दे सकेंगे।”

२९ तारीखसे क्रिप्सने कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्योंके साथ संधिवाता आरंभ की। उसमें राष्ट्रीय सरकार और ब्रिटिश मंत्रिमंडल जैसे उसके दर्जेके बारेमें जो बात अन्होंने कही थी उसमें से वे धीरे-धीरे खिसकने लगे। अिन प्रस्तावोंमें भारतवासियोंमें युद्धमें भाग लेनेका अत्साह पैदा हो, अपनी आजादी और रक्षाके लिये लड़नेका जोश पैदा हो, अैसी कोअी चीज नहीं थी। औपनिवेशिक दर्जेकी जो भावी योजना थी, उसमें भी भिन्न भिन्न जातियों तथा ब्रिटिश भारत और देशीराज्योंके बीच कलहके बीजके सिवा कुछ नहीं था। और देशीराज्योंकी प्रजाको तो विलकुल भुला ही दिया गया था। अिसलिये कार्यसमितिने १ अप्रैलको अिन प्रस्तावोंको नामंजूर करनेका प्रस्ताव पास करके क्रिप्सके पास भेज दिया। परंतु क्रिप्स साहब बातें करनेमें बड़े सीठे थे। अन्होंने कार्यसमितिके कहा कि अिन प्रस्तावोंको अस्वीकार करनेका प्रस्ताव आप अभी प्रकाशित न कीजिये। हम अभी और वार्तालाप करें और कोअी रास्ता निकालनेकी कोशिश करें। कार्यसमितिके अुनकी बात मान ली। परंतु जैसे पानीको कितना ही विलीने पर भी मक्खन नहीं निकलता अुसी प्रकार अिन संधिवाताओंसे कोअी सार नहीं निकला। अुल्टे जैसे जैसे बातचीत लंबी होती गयी वैसे वैसे अुसमें से अधिकाधिक विष ही निकलता गया। वाअिसरायकी कौंसिलका दर्जा ब्रिटिश मंत्रिमंडल जैसा होगा, अिस प्रकार क्रिप्स साहबने अपनी ओरसे विलायतसे आते ही जो मीठी बातें कही थीं, अुसके बारेमें विलायतसे अुन पर फटकार पड़ी होगी। अुन्हें यह चेतावनी दी गयी होगी कि वे प्रस्तावोंके मसौदेसे वाहर विलकुल न जायं। अिसके सिवा, पूर्वी प्रदेशोंके प्रधान मेन पति लाहं वेवल तथा वाअिसराय लार्ड लिनलिथगो यह मानते थे कि अिस नाजुक समयमें अपने हाथोंसे जरा भी अधिकार छोड़नेसे युद्ध-प्रयत्नोंमें शिथिलता आ जायगी। अुनके आगे सर स्टेफर्डकी कुछ चल नहीं सकती थी। अिसलिये क्रिप्स सब कुछ बदलने लगे और बहुतसी बातोंमें तो वाअिसरायका हवाला भी देने लगे। अितना ही नहीं, यद्यपि अुन्होंने राष्ट्रीय सरकार और अिंग्लैण्ड जैसे मंत्रिमंडलकी बात कही थी, फिर भी अुन्होंने कांग्रेस पर यह आक्षेप किया कि :

“वह तो अैसी राष्ट्रीय सरकारमें, जिसमें वाअिसराय या ब्रिटिश सरकारके किसी भी नियंत्रणके बिना भारतीय नेताओंका मंत्रिमंडल

वनाया जाय, जाना चाहती है। जिस चीजका क्या अर्थ होता है, जिसका विचार कीजिये। भारतीय दलों द्वारा नियुक्त कुछ मनुष्योंकी भारत-सरकार वने। वह अनिश्चित अवधिके लिये हो, वह किसी धारासभा और निर्वाचक-मंडलके प्रति जिम्मेदार न हो, और अुसमें कोभी परिवर्तन न हो सके, तो अुसका बहुमत विशाल अल्पमतों पर मनमानी हुकूमत करनेकी स्थितिमें हो जायगा।”

दूसरा आक्षेप यह किया कि :

“कांग्रेसने विलकुल अंतिम क्षणमें संविधानमें तुरंत परिवर्तन करनेकी वात कही। परंतु युद्धके दरमियान जैसे परिवर्तन करना सर्वथा असंभव है।”

सर स्टेफर्ड क्रिप्सने अपने अंतिम वक्तव्यमें ‘बहुमतकी तानाशाही सत्ता’ शब्द काममें लिये थे। जिसका अुत्तर जवाहरलालजीने १२ अप्रैलको पत्र-प्रतिनिधियोंके सम्मेलनमें यों दिया :

“मैं विलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछली तारीखके दो पत्रोंके सिवा हमारी सारी वातचीत और पत्रव्यवहारमें किसी भी अवसर पर बहुमतकी सत्ताके प्रश्नका जरा भी अुल्लेख नहीं हुआ था। क्योंकि यह चीज खुद हमींको बहुत नापसन्द है। हमने तो मित्र मंत्रिमंडलकी वात ही स्वीकार की थी। अुसमें देशकी भिन्न भिन्न संस्थाओं और अलग अलग विचारसरणियोंके व्यक्ति आयें। मुस्लिम लीगके सदस्य, हिन्दू महासभाके सदस्य और सिक्ख भी आयें। यह जानते हुअे भी कि अैसी राष्ट्रीय सरकारको काम चलानेमें बड़ी मुश्किल होगी, हमने यह वस्तु स्वीकार की थी। हमने किसी भी अवसर पर जिसकी चर्चा नहीं की थी कि कौंसिलमें किसी संस्थाकी कितनी संस्था होगी। यह चर्चा आवश्यक होते हुअे भी हमने नहीं की, क्योंकि कांग्रेसकी ओरसे दोलते समय हमने जिस वात पर जोर दिया ही नहीं था कि कांग्रेसको यह चाहिये या वह चाहिये। हमने कांग्रेसके लिये किसी प्रकारकी सत्ता मांगी ही नहीं। हमने अिन्हीं शब्दोंमें वात की है कि राष्ट्रीय सरकारको कितनी सत्ता होनी चाहिये। जिस वात पर चर्चा नहीं हुअी कि राष्ट्रीय सरकारमें कौन कौन हों और किस संस्थाकी कितनी संस्था हो। हमने तो संपूर्ण राष्ट्रीय सरकारकी ही वात की है और जिसकी चर्चा की है कि अुस राष्ट्रीय सरकारको कितनी सत्ता हो। किसी भी रूपमें साम्प्रदायिक प्रश्नकी चर्चा नहीं हुअी, सिवा जिसके कि सर स्टेफर्ड

क्रिप्स बार बार यह सूत्र पुकारते रहे कि अन्हें तो जिस बातसे वास्ता है कि तीनों पक्षों अर्थात् ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीगके बीच समझौता हो जाय। दूसरे लोग सहमत हों या नहीं, जिसकी अन्हें परवाह नहीं थी। अिन तीनोंमें से कोअी सहमत न हो तो जरूर सारी संघिवातार्ता भंग हो सकती है।”

१० अप्रैलको कार्यसमितिने अपना प्रस्ताव प्रकाशित कर दिया। अुसमें कहा गया :

“प्रस्तावोंमें जो भावी योजना है वह साम्प्रदायिक मांगें पूरी करनेके लिये की गयी मालूम होती है। परंतु अुससे दूसरे कअी अनिष्ट परिणाम अुत्पन्न हो सकते हैं। विविध जातियोंमें राजनैतिक दृष्टिसे प्रतिक्रियावादी और दिल्कुल दकियानूसी विचार रखनेवाली संस्थाअें हैं। यह योजना अैसी है जो अुन्हें कठिनाअियां अुपस्थित करनेमें, प्रोत्साहन देती है और देशके सामने जो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं अुन्हें छोड़कर अन्य बातों पर लोगोंका ध्यान बंटती है। तात्कालिक योजनाके बारेमें प्रस्तावमें कहा गया है कि भारतवासियोंको युद्धके लिये तभी अुत्साह पैदा हो सकता है जब अुन्हें यह लगे कि वे स्वतंत्र हैं और अपनी आजादीकी रक्षाके लिये खुद अुन्हींको लड़ना है। लोगों पर पूरी तरह विश्वास रखा जाय और रक्षा-संबंधी जिम्मेदारी अुन्हें सौंपी जाय तो ही अुनमें युद्ध-प्रयत्नोंके बारेमें जोश पैदा हो सकता है। भारतकी वर्तमान सरकार और अुसके प्रान्तीय अेजंटोंमें भी कार्यक्षमताका अभाव है और भारतकी रक्षाका भार अुठानेकी अुनमें शक्ति नहीं है। यह भार हिन्दुस्तानके लोग ही अपने माने अुअे प्रतिनिधियों द्वारा अुचित रूपमें अुठा सकते हैं। परंतु यह तभी हो सकता है जब अुन्हें तुरंत स्वतंत्रता दे दी जाय और रक्षाकी पूरी जिम्मेदारी अुनके सिर पर डाल दी जाय।”

भारतके अन्य दलोंने भी क्रिप्स साहवके प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये। मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, देशीराज्य प्रजा-परिषद्, मोमिन परिषद्, दलित वर्गों और नरम दलके नेताओंने लम्बे लम्बे प्रस्ताव पास करके अयवा लंबे वक्तव्य भेजकर अलग अलग कारणोंसे क्रिप्स साहवके प्रस्ताव नामंजूर कर दिये। अिसलिये वे विलायत चले गये। वहां जानेके बाद अुन्होंने जो प्रचार करना शुरू किया, अुसमें तो झूठकी हद ही कर दी। २८ अप्रैलको पार्लियामेण्टमें लंबा भाषण देकर संघिवातार्ता असफल होनेका सारा दोष अुन्होंने कांग्रेसके सिर मढ़ दिया। अेक भाषणमें अुन्होंने यह कहा कि “कांग्रेसकी

कार्यसमितितने तो ये प्रस्ताव मंजूर करनेका निश्चय भी कर लिया था, परंतु मि० गांधीने हस्तक्षेप किया और कार्यसमितितने अपना निश्चय बदल दिया। " रेडियो पर अमरीकाके लिखे भाषण देते हुअे वे बोले कि " हमने भारतके प्रतिनिधित्व रखनेवाले राजनैतिक नेताओंको वाविसरायकी कौंसिलमें स्थान देनेको कहा था। वह स्थान आपके राष्ट्रपतिको सलाह देनेवाले मंत्रियों जैसा था। " गांधीजी, राष्ट्रपति और पं० जवाहरलालजीने जिस झूठके मुंहतोड़ सुत्तर दिये, जिनका वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं। सरदारने जिस योजना और संघिवाताओंके बारेमें गुजरातमें अपने कुछ भाषणोंमें जो बुद्गार प्रगट किये, अन्हें यहाँ देकर जिस अध्यायको समाप्त करेंगे :

"असके बाद ब्रिटिश हुकूमतके प्रतिनिधि सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आये। वे कांग्रेसके कभी नेताओंके मित्र थे। जिसलिखे अुन नेताओं और दूसरे कभी लोगोंको यह लगा कि वे प्रगतिशील विचारोंके आदमी हैं, जिसलिखे अन्हें भेजेनेमें सरकारकी भारतके साथ समझौता करनेकी नीयत साफ होगी। यह मानकर हमने क्रिप्सके लाये हुअे प्रस्तावों पर विचार करनेका फैसला किया। कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना साहबको अुनके साथ वातचीत करने और अुचित हो तो अन्हें कार्यसमितिके सामने पेश करनेका हमने अधिकार दिया। परंतु सर स्टेफर्ड क्रिप्सको लगा कि कांग्रेसको वादमें बुलायें तो भी चल सकेगा, लेकिन गांधीजीके बिना गाड़ी आगे नहीं चलेगी। जिसलिखे तार देकर गांधीजीको बुलाया। गांधीजीने कहा कि जिसमें मेरा कोअी काम नहीं है। मैं स्वयं तो प्रत्येक हिंसक युद्धके विरुद्ध हूँ और कांग्रेससे अलग हो चुका हूँ। फिर भी आपका आग्रह है तो मिलने आ जाऊंगा।

"जिस प्रकार गांधीजी दिल्ली गये। परंतु वहाँ अन्होंने जो कुछ देखा अुससे अन्हें ग्लानि हो गयी और सरकार और अंग्रेजोंके प्रति अुनका जो भाव था वह विलकुल जाता रहा। अन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्सको साफ कह दिया कि अेमरी जैसा नंगा आदमी अैसे प्रस्ताव लेकर आया होता तो समझमें आ सकता था। परंतु आप तो भारत और रूसके भी मित्र माने जाते हैं। आप प्रगतिशील विचार रखनेवाले है। आपको यह क्या सूझा? यह पाप, यह जहर, भारतके गले अुतारनेको आप कैसे आ गये?

"फिर गांधीजी तो चले गये। परंतु कांग्रेसने क्रिप्सके प्रस्तावोंकी स्वतंत्र परीक्षा करने और यह जाननेको कि वे क्या हैं अेक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पंद्रह दिन तक विचार-विनिमय और वातचीत

की। पहले तो सर स्टेफर्डने मीठी मीठी बातें बनाकर यहां तक कह दिया कि जिस प्रकार अंग्लैण्डमें सम्राट् राज्य करते हैं उसी तरह भारतमें वाअिसरायं राज्य करेंगे। कांग्रेसने उनको अपने प्रस्तावोंकी दूसरी बातें, जैसे कि भारतके टुकड़े करना, राजाओंसे भारतीय संघमें मिलने न मिलनेके लिये पूछना वगैरा बातें, छोड़ देनेको कहा। यह जानना चाहा कि अभी आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्यमें आप जो स्वतंत्रता देंगे उसकी इस समय क्या बात की जाय? भविष्यमें आपके पास स्वतंत्रता देने जैसा कुछ रह जायगा तभी तो आप देंगे? इसकी बात उस समय कर लेंगे। परंतु आज क्या दे रहे हैं? आप ऐसी कोअी बात देते हों जिससे लोगोंमें मर मिटनेकी भावना पैदा की जा सके तो कहिये। यहां तक मीठी मीठी बातें करके अंतिम दिन अन्होंने मौलाना आजादको पत्र लिखा कि आप अब तक की हुअी बातोंसे मुकर गये हैं, क्योंकि आप तो राष्ट्रीय सरकारकी मांग करते हैं। सही बात यह थी कि क्रिप्स साहब खुद बदल गये, फिर भी अन्होंने कांग्रेस पर झूटा आक्षेप लगाया।”

*

*

*

“युद्धके बाद सबसे अन्तिम प्रस्ताव जो पेश हुआ है, वह क्रिप्स प्रस्ताव है। इसके जैसी झूठी और धोखेवाज योजना आज तक और कोअी नहीं आयी। उस योजनामें ऐसी प्रपंचपूर्ण सुविधा छिपी हुअी है कि युद्धके बाद भारतमें ब्रिटिश सत्ता कायम रहे। कांग्रेसके (‘भारत छोड़ो’) निर्णयके लिये यही योजना जिम्मेदार है। यदि भारत पर निकटमें आक्रमणका भय पैदा न हुआ होता तो अभी हम ठहर जाते। परंतु भारत पर जो खतरा मंडरा रहा है उसे देखते हुअे उसका सामना करनेके लिये भारतवासियोंको पूरी छूट, पूरी आजादी मिलनी चाहिये। अंग्रेज भारतकी रक्षाके लिये नहीं, परंतु अपनी सत्ता कायम रखनेके लिये लड़ रहे हैं। यदि भारतके वचावके लिये लड़ते हों तो कांग्रेसकी मांग स्वीकार करनेमें अन्हें कोअी कठिनायी न होनी चाहिये।”

*

*

*

“क्रिप्स मिशन तो अेक खोटा सिक्का था। उसे बनानेवालोंकी नीयत खराब थी। उसमें अप्रामाणिकता और धोखेवाजी थी। जाते जाते क्रिप्स खुद ही बदल गये और उसका दोष कांग्रेसके मत्ये मढ़ते

गये। यह सारा मिशन अमरीकी लोकमतको खुश करनेके लिये नियोजित किया गया था।”

*

*

*

“क्रिप्स साहवकी ख्याति तो अच्छी थी। यह माना जाता था कि समझौता हो जायगा। परंतु क्रिप्स साहव जो लाये थे उसे जब महात्माजीने देखा तब मुन्हें विश्वास हो गया कि क्रिप्स साहव मित्र-भावसे हलाहल विष लाये हैं। मुन्होंने अमेरिकाको संतुष्ट करनेके लिये ही यह अके गलत प्रयत्न किया था।

“क्रिप्स साहवकी योजनाको किसी भी दलने स्वीकार नहीं किया। मुल्टे सभीने मुसको ठुकरा दिया। यहांसे जानेके बाद क्रिप्स साहवने जो झूठा और हलके दर्जेका प्रचार किया है, मुससे ब्रिटिश सरकारकी नीयतका पता चल गया है।”

३४

भारत छोड़कर चले जाओ

अहिंसाकी नीतिको छोड़कर भी भारतकी अच्छी तरह रक्षा कर सकनेके लिये कार्यसमितिके अधिकांश सदस्य मित्रराष्ट्रोंके साथ समझौता कर लेनेको तैयार थे। परन्तु क्रिप्स संघिवाता असफल हो जानेसे ऐसे समझौतेकी जो भी आशा मुन्हें थी वह मिट गयी और कांग्रेसके सामने यह विकट समस्या आ गयी कि जापानी आक्रमणसे देशकी रक्षा किस प्रकार की जाय। जापान अतनी तेजीसे भारतकी ओर बढ़ रहा था कि भारतकी रक्षाका प्रश्न बड़ा महत्त्वका बन गया था। जिस समय क्रिप्सके साथ संघिवाताओं हो रही थीं, उसी समय जापानने ६ अप्रैलको कोकोनाडा और विजगापट्टम पर बम गिराये थे। अधिकारियोंने मद्रास और पूर्वी समुद्रतटके बहुतसे शहर खाली कराये थे। बंगालकी खाड़ीमें जापानके लश्करी जहाज घूम रहे थे और लंकासे कलकत्ते तकका समुद्रतट किसी भी समय आक्रमणके भारी भयमें था। ब्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानमें बड़ी संख्यामें अमरीकी सेनाओं अतारना शुरू कर दिया था। सरकारको ठेठ आखिरी वक्तमें बुड़ीसा, बंगाल और आसाममें बचावके लिये हवायी अड्डे बनानेकी सूझी। बिसके लिये वह कितने ही गांव जल्दी जल्दी खाली कराने लगी। सरकार अत गांववालोंको रहनेकी दूसरी जगह भी नहीं दे सकी। आसाम और बंगालमें कुछ स्थानों पर

आने-जानेके मुख्य साधन नावें ही होती हैं। कहीं जापान यहां आकर जिन नावोंका अपुयोग न कर ले, जिसके लिये सरकार बुन तमाम नावोंको ज्व्त करने लगी। रक्षाके लिये की जानेवाली कार्रवायियोंसे ग्रामवासियोंके कण्टोंका पार नहीं रहा। कांग्रेसके लिये यह असह्य था कि वह यह सब देखती रहे और लोगोंकी कोअी मदद न कर सके। असा लगता है कि जिस स्थितिमें जवाहरलालजी कुछ अुत्तेजित हो गये थे। ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध, जो हमारा दम घोट रही थी, शांतिमय असह्योगका ही अेक मार्ग था। परन्तु जापान चढ़ आवे तो अुसके विरुद्ध क्या किया जाय? क्रिप्सके चले जानेके वाद तुरंत ही अेक भाषणमें अुन्होंने कहा कि जापानके विरुद्ध हमें भूमि अुजाड़नेकी नीति (scorched earth policy) आजमानी चाहिये। अुस भाषणमें अुन्होंने छापामार लड़ाअीकी वात भी कही। ता० १३-४-'४२ के पत्रमें गांधीजीने सरदारको लिखा था :

“जवाहरने तो अब अहिंसाको तिलांजलि दे दी दीखती है। आप अपना काम करते रहें। लोगोंको संभाला जा सके तो संभालें। आजका अुनका भाषण भयंकर लगता है। अुन्हें लिखनेकी सोच रहा हूं।”

गांधीजीने ‘हरिजन’ में जिस वारेमें लिखना शुरू किया कि भूमि अुजाड़नेका तरीका और छापामार लड़ाअी दोनों हमारे देशमें किसी भी प्रकारसे अनुकूल नहीं हो सकते। अहिंसाकी दृष्टिसे तो यह चीज अुचित थी ही नहीं। परन्तु हिंसा-अहिंसाका प्रश्न अलग रख दें तो भी यह चीज संभव और अिष्ट नहीं थी। भूमि अुजाड़नेके लिये भी वम वगैरा साधन चाहिये थे और छापामार युद्धके लिये लोगोंको हथियार देने चाहिये थे। मान लीजिये कि ब्रिटिश सरकार ये हथियार मुहैया करती। परन्तु वाअिस-रायने थोड़े समय पहले अैलान किया था कि हमारे पास फौजके सिपाहियोंको देनेके लिये भी पूरे हथियार नहीं हैं। और जब सरकारके साथ हमारा असह्योग जारी हो तब हमारे नेतृत्वमें होनेवाली छापामार लड़ाअीके लिये सरकारसे हथियारोंकी आशा रखना अनुचित और असंभव था।

अैसी स्थितिमें कांग्रेस क्या कदम अुठाये, जिसका विचार करनेके लिये अिलाहाबादमें २७ अप्रैलको कार्यसमितिकी बैठक और २९ को कांग्रेस महासमितिकी बैठक बुलाअी गअी। ये बैठकें २ मअी तक चलीं। ता० १४-४-'४२ को गांधीजीने सरदारको लिखा :

“अुत्तरमें आपका कोअी पत्र नहीं आया। प्रोफेसर (कृपालानीजी)ने सारी भागवत (क्रिप्स मिशनकी) सुनाअी। आपका स्वास्थ्य अिलाहाबाद

जाने योग्य न हो तो न जायिये। परन्तु आपको अपने विचार बता देने चाहिये। मेरे खयालसे कांग्रेस यदि हिंसाकी नीति अपनाये तो आपको अुससे निकल जाना चाहिये। यह समय अैसा नहीं कि कोअी अपने विचार दबा कर बैठे रहे। बहुतसी बातोंमें अुलटा काम हो रहा है। अिसे देखते रहना अुचित मालूम नहीं होता। भले ही लोग निन्दा करें या स्तुति करें।

“में चाहता हूं कि ‘हरिजन’ में में जो लिख रहा हूं अुसे आप ध्यानसे पढ़ें।

“अुड़ीसामें . . . हमला होना बहुत संभव प्रतीत होता है। सरकारने वहां काफी सेना जमा कर दी है।”

ता० २२-४-’४२ को गांधीजीने सरदारको फिर लिखा :

“आपका पत्र मिला। मीलानाके तार परसे तो लगता है कि आपको जाना ही पड़ेगा। आप दृढ़तासे काम लीजिये। यदि अहिंसक असहयोगका प्रस्ताव स्वीकृत न हो तो बाहर निकल जाना ही आपका धर्म है। भूमि अुजाड़ने और बाहरकी फीजें लानेका भी कड़ा विरोध होना चाहिये। मुझे बुलानेका आग्रह हो रहा है, परन्तु मैंने तो ना ही लिखा है।

“आप प्रयागसे लौटें तब अिधर होकर जायिये। भले अेक दो दिनके अिअे ही आयें। प्रयागसे तो यहां सी गुना अच्छा है। राजेन्द्रबाबूको भी साथ लायिये और देवको भी।”

अिलाहाबादकी बैठकमें कार्यसमिति और महासमितिको बड़े महत्त्वके प्रश्नके वारेमें निर्णय करना था। देशमें यह माननेवाले बहुत लोग थे कि हम तो यह चाहते हैं कि अंग्रेज लोग किसी भी तरह यहांसे चले जायं, भले ही जापानी यहां आ जायं। बादमें हम अुनसे निवट लेंगे। अेक वर्ग यह माननेवाला भी था कि हमें जापानियोंका स्वागत करना चाहिये। अुनकी मदद लेकर अंग्रेजोंको निकाल देनेसे कोअी हानि नहीं होगी। परन्तु कार्यसमितिके सदस्यों या मुख्य नेताओं और कार्यकर्ताओंमें से कोअी जापानका स्वागत करना नहीं चाहता था। अिसका कारण यह नहीं था कि जापानसे अंग्रेज अच्छे थे, परन्तु जापानको अंग्रेजोंसे अच्छा माननेकी बात नहीं थी। पिछले कुछ वरसोंसे जापानने चीनके साथ जो वरताव किया था और चीनका बहुतसा हिस्सा अीन लिया था, अुससे यह साबित होता था कि जापान भी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखता था। अेक साम्राज्यसे निकल कर दूसरेके अधीन होना तो कुअेंसे निकल कर खाअीमें गिरने जैसा था। अेकने हमारी स्वतंत्रता

छीन ली थी और जैसे विषम समयमें भी जापानके विरुद्ध लड़नेके लिये हमें स्वतंत्र करनेको तैयार नहीं था। दूसरा हमारी स्वतंत्रता छीनकर अपना साम्राज्य जमानेकी महत्वाकांक्षा रखता था। जिसलिये हमारी दृष्टिमें तो दोनों समान थे। दोनोंमें से अेक भी विश्वास करने लायक नहीं था। अपनी स्वतंत्रता हमें खुद ही प्राप्त करनी थी। लोगोंमें जिस प्रकारका अुत्साह पैदा करनेके लिये गांधीजी 'हरिजन' में बहुत कड़े लेख लिख रहे थे।

अिलाहाबादमें होनेवाली महासमितिकी बैठकके लिये गांधीजीने निम्न-लिखित प्रस्तावका मसौदा मीराबहनके साथ लिख भेजा :

“सर स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध-मंत्रिमंडलके जो प्रस्ताव लेकर आये, अुन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादको जैसे नग्न रूपमें प्रगट किया है जैसा पहले कभी नहीं किया था। जिसलिये कांग्रेसकी यह महासमिति निम्नलिखित निर्णय पर पहुंची है :

“महासमितिकी यह राय है कि ब्रिटेन भारतकी रक्षा करनेमें असमर्थ है। वह जो कुछ करता है स्वाभाविक रूपमें केवल अपनी रक्षाके लिये ही करता है। भारत और ब्रिटेनके हितोंमें सतत संघर्ष रहा है। जिसलिये दोनोंकी रक्षा-संबंधी कल्पनाओंमें फर्क रहता है। भारतके किसी भी राजनैतिक दल पर ब्रिटिश सरकारको भरोसा नहीं है। भारतीय सेनाको भी अब तक भारतको अपनी जंजीरोंमें जकड़े रखनेके लिये ही रखा गया है। आम जनतासे अुसे विलकुल अलग रखा जाता है। भारतके लोग किसी भी अर्थमें अुस सेनाको अपनी नहीं कह सकते। अविश्वासकी यह नीति आज भी वैसी ही बनी हुअी है। जिसीलिये राष्ट्रकी रक्षाका काम भारतवासियोंके चुने हुअे प्रतिनिधियोंको नहीं सौंपा जाता।

“जापानका झगड़ा हिन्दुस्तानके साथ नहीं है। अुसकी लड़ाअी ब्रिटिश साम्राज्यके साथ है। हिन्दुस्तानको जिस युद्धमें फंसाया गया है, सो भी भारतके लोगोंके प्रतिनिधियोंकी स्वीकृति लिये बिना किया गया है। ब्रिटेनने केवल मनमाने ढंगसे यह सब किया है। हिन्दुस्तान यदि स्वतंत्र हो जाय तो शायद अुसका पहला काम जापानके साथ संधिवार्ता करना होगा। कांग्रेसकी यह राय है कि यदि अंग्रेज भारतसे चले जायं और जापानी अथवा अन्य कोअी भी सत्ता हिन्दुस्तान पर आक्रमण करे, तो अुसके विरुद्ध अपनी रक्षा करनेमें भारत समर्थ होगा।

“जिसलिये जिस महासमितिकी यह राय है कि अंग्रेजोंको हिन्दुस्तानसे चले जाना चाहिये। भारतके देशी राजाओंकी रक्षाके

लिखे अन्हें यहां रहनेकी जरूरत है, यह जो दलील दी जाती है अुसमें कोअी सार नहीं है। यह भारत पर अपना नियंत्रण बनाये रखनेके अुनके निर्णयका अेक और प्रमाण है। देशी राजाओंको निःशस्त्र भारतकी तरफसे कोअी डर रखनेकी जरूरत नहीं।

“बहुमत और अल्पमतका प्रश्न भी ब्रिटिश सरकारका ही पैदा किया हुआ है। अुसके यहांसे चले जानेके साथ ही यह प्रश्न मिट जायगा।

“अिन सब कारणोंसे यह समिति ब्रिटेनसे अपील करती है कि तुम्हारी अपनी सलामतीके खातिर, भारतकी सलामतीके खातिर और दुनियाकी शांतिके खातिर अेशिया और अफ्रीकाके अपने कब्जेके दूसरे मुल्क अभी न छोड़ना हो तो भले न छोड़ो परन्तु भारत परसे अपना कब्जा जरूर छोड़ दो।

“यह समिति जापानी सरकार और जापानी लोगोंको विश्वास दिलाना चाहती है कि भारतकी जापानके या किसी दूसरे देशके साथ दुश्मनी नहीं है। भारतकी अेकमात्र अिच्छा विदेशी अुसे छूटनेकी है। समितिकी यह राय है कि देशकी स्वतंत्रताकी अिस लड़ाअीमें यद्यपि भारत सारी दुनियाकी सहानुभूतिका स्वागत करता है, फिर भी किसी विदेशी सेनाकी सहायताकी अुसे जरूरत नहीं। भारत अपनी अहिंसक शक्ति द्वारा अपनी मुक्ति प्राप्त करेगा और अुसी शक्ति द्वारा अुसे कायम रखेगा। अिसलिअे यह समिति आशा रखती है कि जापानका भारत पर आक्रमण करनेका अिरादा विलकुल नहीं होगा। फिर भी यदि जापान भारत पर आक्रमण कर दे और ब्रिटेन अुसमे की गअी अपीलका कोअी अुत्तर न दे, तो जो लोग कांग्रेसकी तरफसे मार्गदर्शनकी आशा रखते हैं अुन सबसे समिति यह अपेक्षा रखेगी कि वे जापानी सेनाओंसे पूरी तरह अहिंसक असहयोग करेंगे और अुन्हें किसी भी तरहकी मदद न देंगे। अिन पर आक्रमण हो अुनका यह कर्तव्य नहीं है कि वे आक्रमणकारीकी सहायता करें। अुनका कर्तव्य तो पूर्ण असहयोग द्वारा अुसका सामना करनेका होगा।

“अहिंसक असहयोगके सादे सिद्धान्त समझनेमें कठिनाअी नहीं हो सकती :

१. हम आक्रमणकारीके आगे जरा भी न झुकें और न अुसकी किसी आज्ञाका पालन करें।

२. अुसकी कोअी मेहरवानी हम न लें और न हम अुसके किसी भी प्रकारके लालचमें आर्यें। परन्तु हम अुससे द्वेष न करें और न अुसका वुरा चार्हें।

३. वह हमारे खेतों पर अधिकार करने आये तो हम अधिकार छोड़नेसे अिनकार कर दें, भले ही अुसका विरोध करनेमें हमें खप जाना पड़े।

४. फिर भी यदि आक्रमणकारी वीमार पड़ा हो या प्यासा मर रहा हो और हमारी मदद चाहे तो मदद देनेसे हम अिनकार न करें।

५. जिन स्थानों पर ब्रिटिश और जापानी सेनाओंमें लड़ाी हो रही हो वहां हमारा असहयोग वेकार और अनावश्यक हो जायगा। अिस समय अंग्रेजोंके साथ हमारा असहयोग मर्यादित स्वरूपका है। जब वे सचमुच लड़ाीमें फंसे हों अुस समय हम अुनके साथ पूर्ण असहयोग करें तो यह चीज अपने देशको जानबूझकर जापानियोंके हाथोंमें सौंप देनेके बराबर होगी। अिसलिये जापानियोंके साथ हमारा असहयोग प्रगट करनेका अेकमात्र तरीका बहुत बार यह भी होगा कि ब्रिटिश सेनाके मार्गमें हम कोअी रुकावट न डालें। परन्तु अंग्रेजोंको कोअी सक्रिय सहायता हम हरगिज न दें। अुनका मौजूदा रवैया देखते हुअे तो हम अुनके मार्गमें कोअी दखल न दें, अिसके सिवा और कोअी सहायता ब्रिटिश सरकार हमसे चाहती ही नहीं। वह तो हमसे गुलामोंकी-सी मदद चाहती है। यह स्थिति हम हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते।

“अिस समितिको भूमि अुजाड़नेके संबंधमें अपनी नीतिकी स्पष्ट घोषणा करनेकी जरूरत मालूम होती है। हम जापानियोंके साथ अहिंसक प्रतिकार कर रहे हों तो भी यदि हमारे देशका कोअी भाग जापानियोंके हाथमें आ जाय तो वहांकी फसल अथवा जलाशयोंको हम नष्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अिसलिये कि हमारा प्रयत्न तो अुन्हें वापस ले लेनेका रहेगा। परन्तु युद्ध-सामग्रीका नाश करना अलग चीज है। कुछ परिस्थितियोंमें अुसे नष्ट करना सैनिक दृष्टिसे जरूरी हो सकता है। परन्तु जो चीजें जनताकी सम्पत्ति हैं या जो वस्तुअें जनताके अपुयोगकी हैं, अुन्हें नष्ट करना कभी कांग्रेसकी नीति नहीं हो सकती।

“जापानी सेनाओंके साथ असहयोग करनेका काम स्वाभाविक रूपमें ही अपेक्षाकृत थोड़ेसे लोगोंके हिस्सेमें आयेगा। और वह असहयोग संपूर्ण और सच्चे दिलसे होगा तभी सफल होगा। परन्तु स्वराज्यकी सच्ची रचनाका रहस्य तो जिस बातमें है कि भारतके करोड़ों लोग पूरे दिलसे रचनात्मक कार्य करने लग जायें। जिसके बिना सारा राष्ट्र अपनी दीर्घ तंद्रासे जाग्रत नहीं हो सकेगा। अंग्रेज लोग यहाँ रहें या न रहें, हमारा सदा सर्वदाका कर्तव्य तो यही है कि हम अपने देशसे बेकारी मिटा दें, अमीर-नारीबके बीचकी खाईको भर दें, साम्प्रदायिक रागद्वेषका मुंह काला कर दें, अस्पृश्यता-रूपी राक्षसीका संहार करें, चोर-डाकुओंको सुधारें तथा लोगोंको अुनके अुपद्रवसे बचायें। जिस प्रकारके राष्ट्र-निर्माणके कार्योंमें करोड़ों लोग जीती-जागती दिलचस्पी न लेने लगे तो स्वतंत्रता अेक स्वप्न ही रहेगी और अहिंसा और हिंसा किसीसे भी हम अुसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

विदेशी सिपाही

“जिस महासमितिकी यह राय है कि भारतमें विदेशी सैनिकोंको लाना भारतके हितके लिये हानिकारक और देशकी आजादीके लिये खतरनाक है। जिसलिये वह ब्रिटिश सरकारसे अपील करती है कि देशसे विदेशी सेनाओं हटा ली जायें और आखिदा दूसरी सेनायें न लायी जायें। भारतमें अपार मानवशक्ति मौजूद होते हुअे भी विदेशी सेनाओं यहां लाना बड़ा लज्जाजनक है। ब्रिटिश साम्राज्यकी अनैतिकताका यह अेक और प्रमाण है।”

सेवाग्राम, २३-४-४२

राजेन्द्रबाबू अपनी आत्मकथामें लिखते हैं :

“गांधीजीके मर्नादे पर कार्यसमितिमें खूब वादविवाद हुआ। अुससे पता चल गया कि सदस्योंमें दो मत हैं। अेक मत अुसके पक्षमें था। दूसरा मत जिस हद तक जानेको तैयार न होनेके कारण अुस प्रस्तावको स्वीकार नहीं कर रहा था। अुसमें सुधार करनेकी खूब कोशिश की गयी, परन्तु वह सफल नहीं हुअी। अन्तमें अेकता बनाये रखनेके लिये हमने अपना विरोध छोड़ दिया और दूसरोंको जो अुचित लगा अुसे हमने मान लिया। यह तो कार्यसमितिकी बात हुअी। पर देशका रुख गांधीजीकी तरफ ज्यादा था। यदि गांधीजीका वह मर्नादा

महासमित्तमें पेश किया जाता तो शायद वह मंजूर हो जाता। परन्तु अउससे अेक-दूसरेके साथ पैदा होनेवाले मतभेद भी खूब प्रगट होते। हमें अपनी ओरसे कोअी कदम अुठाना जहरी लगने पर भी वह अिस प्रकारकी भीतरी फूट जाहिर करके नहीं अुठाय़ा जा सकता था। अिसलिये अिस मतभेदको दवा देना ही मुनासिव मालूम हुआ। गांधीजीका प्रस्ताव किसी भी रूपमें पेश नहीं किया गया। हां, अितना हुआ कि जो प्रस्ताव पास हुआ अुसमें गांधीजीके भावोंका अच्छी तरह समावेश कर दिया गया। जब गांधीजीने वह प्रस्ताव देखा तो अुन्होंने कहा कि यद्यपि वह मुझे पूरी तरह पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी अुसमें मेरे काम करनेके लिये काफी गुंजाअिश है। अिसलिये मैं अुसे स्वीकार करता हूं।”

क्रिप्सकी संघिवातसि अिंग्लैण्डकी गंदी नीयतका सवूत पूरी तरह मिल गया था। अंग्रेज लड़ाअीके दौरानमें हिन्दुस्तान परसे अपनी पकड़ जरा भी कम नहीं करना चाहते थे। और लड़ाअीके वाद जो औपनिवेशिक स्वराज्य देनेकी वात वे करते थे, अुसमें देशके अैसे टुकड़े कर डालनेकी कोशिश थी, जिससे अेक तरफ अुनकी कोअी जिम्मेदारी न रहे और दूसरी तरफ देश पर अुनका पंजा ज्योंका त्यों मजबूत रखा जा सके। जब तक संघिवात जारी रही तब तक गांधीजी चुप रहे। परन्तु वादमें अुन्होंने घोषणा कर दी कि अभी जो परिस्थिति अुत्पन्न हो गयी है अुसे देखते हुये, केवल भारतके हितके लिये ही नहीं परन्तु अिंग्लैण्ड और मित्रराष्ट्रोंके हितके लिये तथा जगतकी शान्तिके खातिर भी अिंग्लैण्डको भारत छोड़कर चले जाना चाहिये। अिसीलिये अुन्होंने अपना अुपरोक्त मसौदा महासमित्तको भेज दिया। अुसमें अुन्होंने अहिंसाका जो आग्रह रखा था अुस हद तक जानेके लिये महासमित्तके बहुतसे सदस्य तैयार नहीं थे। फिर भी अिलाहावादकी महासमित्तने अपने ढंगसे जो प्रस्ताव पास किया अुसमें यह चीज तो मंजूर की ही गयी कि ब्रिटेनको भारत छोड़ देना चाहिये। महासमित्तके प्रस्तावमें से कुछ प्रस्तुत भाग नीचे दिया जाता है :

“ ब्रिटिश सरकारके प्रस्तावों और सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा दिये गये अुसके विशेष विवरणसे सरकारके प्रति प्रजामें अधिक कटुता और अविश्वास पैदा हो गये हैं। ब्रिटेनके साथ असहयोगकी वृत्ति भी बढ़ गयी है। केवल भारतके लिये ही नहीं, परन्तु मित्रराष्ट्रोंके लिये भी खतरनाक अिस घड़ीमें अुन्होंने दिखा दिया है कि ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी

सरकारके रूपमें ही कायम रहना चाहती है और हिन्दुस्तानकी आजादी स्वीकार करने या अपनी सत्ता जरा भी छोड़नेसे अिनकार करती है।

“महासमितिको यह प्रतीति हो गयी है कि भारत अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेगा और अपने बल पर ही उसे कायम रख सकेगा। वर्तमान नाजुक समयको देखते हुअे और सर स्टेफर्ड क्रिप्सके साथ हुअी संविवाताओंके दौरानमें जो अनुभव हुआ उसे देखते हुअे भारतमें ब्रिटेनका नियंत्रण अथवा उसकी सत्ता आंशिक रूपमें भी कायम रखनेवाली किसी योजना या प्रस्ताव पर विचार करना कांग्रेसके लिये असंभव है। केवल भारतके ही हितका नहीं, परन्तु ब्रिटेनकी सलामती तथा संसारकी शांति और स्वतंत्रताका यह तकाजा है कि ब्रिटेनको भारतका नियंत्रण छोड़ देना चाहिये। केवल स्वतंत्रताके मुद्दे पर ही भारत ब्रिटेन अथवा अन्य राष्ट्रोंके साथ वातचीत कर सकता है।

“यह महासमिति जिस वस्तुसे अिनकार करती है कि किसी भी विदेशी राष्ट्रके, भले वह कैसे भी वचन देता हो अथवा दावे करता हो, आक्रमण या हस्तक्षेपसे भारतको स्वतंत्रता मिल सकेगी। जिसलिये कदाचित् ऐसा आक्रमण हो तो उसका सामना करना ही चाहिये। वह सामना अहिंसक असहयोगके ढंग पर ही हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकारने और किसी भी तरह राष्ट्रकी रक्षाकी व्यवस्था करनेकी बात लोगोंके हाथमें रहने ही नहीं दी है। जिसलिये यह महासमिति भारतके लोगोंसे यह अपेक्षा रखती है कि वे आक्रमणकारी सेनाओंके विरुद्ध पूर्ण अहिंसक असहयोग करें और अुन्हें किसी तरहकी मदद न दें।”

*

*

*

गांधीजीके लेखों और कांग्रेस महासमितिके जिस प्रस्तावके विरुद्ध हमारे देशके अँग्लो-अिडियन अखवार और विदेशी अखवार जिस तरहकी आलोचना करने लगे कि अंग्रेजोंको सत्ता छोड़ देने या चले जानेका कहकर आप जापानको हिन्दुस्तान आनेका निमंत्रण दे रहे हैं। अिग्लैण्ड और अमरीकाके बहुतसे अखवारी प्रतिनिधि भी गांधीजीसे मुलाकात करने आने लगे। आलोचकोंको दी गयी सफावियों तथा गांधीजीसे पूछे गये प्रश्नोंके अुत्तरोंसे साररूप अंश यहां दिये जाते हैं:

“मेरा विश्वास है कि लड़ायी खतम होनेके वाद नहीं, परन्तु उसके दौरानमें ही अंग्रेजों और भारतीयोंको अेक-दूसरेसे अलग हो

जानेकी बात मान लेनेका समय आ पहुंचा है। जिसमें और जिसीमें दोनोंकी सलामती — और संसारकी भी सलामती — समाजी हुआ है। मैं तो खुली आंखों देखता हूँ कि भारतीयोंमें अंग्रेजोंके प्रति वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। भारतवासी मानते हैं कि सरकारकी प्रत्येक कार्रवाजी अुसके अपने स्वार्थ और सुरक्षाकी दृष्टिसे की जाती है। और मुझे भी लगता है कि अुनका यह मानना विलकुल अुचित है। दोनोंके सम्मिलित और समान हितों जैसी कोभी बात ही नहीं है। अेक अंतिम अुदाहरण देकर समझाअूं तो अंग्रेजोंकी जापान पर जीत हो जाय तो भी अुसका अर्थ भारतकी जीत नहीं हो सकता। परन्तु यह तो निकट भविष्यकी बात नहीं कही जा सकती। विदेशी सैनिकोंका भारतमें प्रवेश, (ब्रह्मदेशके) भारतीय और गोरे हिजरतियोंके प्रति व्यवहारमें भेदभावका अिकरार, और सैनिकोंका मदोन्मत्त व्यवहार — यह सब ब्रिटेनके अिरादों और घोषणाओंके वारेमें हमारे अविश्वासको बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि वे अपने लम्बे समयके स्वभावको अेकाअेक नहीं बदल सकते। अपने जातिमदको वे दुर्गुण नहीं, परन्तु सद्गुण मानते हैं। अैसा केवल भारतके प्रति ही नहीं, परन्तु अफ्रीका, ब्रह्मदेश, सीलोन, सबके प्रति है। जातिमदका प्रदर्शन किये विना अिन देशोंको कब्जेमें रखा ही नहीं जा सकता था।

“यह अेक तीव्र रोग है। और अुसका अुपचार भी तीव्र ही होना चाहिये। वह तीव्र अुपचार में वता रहा हूँ। अंग्रेजोंको तुरन्त ही व्यवस्थित रूपमें भरतसे चले जाना चाहिये। कमसे कम भारतसे और सब पूछें तो सभी गैर-युरोपीय देशोंसे। यह अंग्रेजोंका बड़ा वीरोचित और शुद्धतम कार्य होगा। यह वस्तु अेक क्षणमें मित्रराष्ट्रोंके पक्षको पूर्ण नैतिक भूमिका पर रख देगी। संभव है वह सभी लड़नेवाले दलोंमें सम्मानपूर्ण संधि करानेवाली भी सिद्ध हो। साम्राज्यवादका अैसा शुद्ध अंत शायद फासिस्टवाद और नाजीवादका भी अंत कर दे। जो कदम मैंने सुझाया है, वह कमसे कम फासिस्ट और नाजी तलवारको भोयरी तो कर ही डालेगा। क्योंकि ये दोनों साम्राज्यवादकी ही शाखाअें हैं।

“अिससे मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी शक्ति यह महान कदम अुठवानेके लिये खर्च करनी चाहिये। यह कदम विजयसे पहले ही अुठाना जाना चाहिये, विजयके बाद नहीं। भारतमें अंग्रेजोंका मौजूद रहना जापानको भारत पर चढ़ाजीका न्याता देना है। वे चले जायं तो

चढ़ाबीका लालच दूर हो जाय। परन्तु मान लीजिये कि लालच न मिटे, तो भी बाजाद भारत अुस चढ़ाबीका ज्यादा अच्छी तरह सामना कर सकेगा। अुस समय शुद्ध असहयोग पूरे जोशसे चलेगा।”

(ता० ४-५-'४२)

* * *

“मैं यह जरूर चाहता हूं कि अंग्रेज अेशिया और अफ्रीका दोनोंसे चले जायं। परन्तु अिस क्षण तो मैं अकेले हिन्दुस्तानकी ही वात करना चाहता हूं।” (ता० ११-५-'४२)

* * *

“मैं यह कहता था कि मेरा पूरा नैतिक समर्थन ब्रिटेनके पक्षमें है। परन्तु मुझे यह स्वीकार करते वड़ा खेद हो रहा है कि अब मेरा मन वह नैतिक समर्थन देनेसे अिनकार करता है। भारतके प्रति ब्रिटेनने जो व्यवहार किया है अुससे मुझे वड़ा दुःख हुआ है। मि० अेमरीके भाषणों और सर स्टेफर्ड क्रिप्सकी संघिवातांकि लिअे मैं विलकुल तैयार नहीं था। अिनसे मेरी रायमें ब्रिटेनका पक्ष नैतिक दृष्टिसे अनुचित ठहरता है। मैं नहीं चाहता कि ब्रिटेनको अपमान और शर्मिन्दगी अुठानी पड़े। मैं यह नहीं चाहता कि अुसकी द्वार हो। फिर भी मेरा मन अुसे थोड़ा भी नैतिक समर्थन देनेसे अिनकार करता है।”

“ब्रिटेन और अमेरिका दोनोंके लिअे अिस लड़ाअीमें पड़नेका कोअी नैतिक आघार नहीं है—सिवा अिसके कि वे अपना अपना घर ठीक करें और साथ ही अफ्रीका और अेशिया दोनोंमें से अपना प्रभाव और अधिकार हटा लें तथा रंगभेद दूर करें। जब तक गोरोंकी श्रेष्ठताका जहरीला कीड़ा पूरी तरह नष्ट न हो जाय, तब तक अुन्हें लोकतंत्र और संस्कृति तथा मानवीय स्वतंत्रताकी रक्षा करनेकी वात करनेका कोअी अधिकार नहीं।” (ता० १८-५-'४२)

* * *

“मैंने अपनी परेशान न करनेकी नीतिका अिस रूपमें वर्णन किया है अुस रूपमें वह अखंडित रहती है। यदि अंग्रेज चले जायं तो अुन्हें कोअी परेशानी नहीं रहती। अितना ही नहीं, यदि वे शांतिसे विचार करके देखें कि अेक समस्त राष्ट्रको गुलामीमें रखनेका क्या अर्थ है, तो अुनके सिरसे अेक भारी बोझ अुतर जाता है। यह अच्छी तरह जानते हुअे भी कि अुनके प्रति भारतमें द्वेषकी भावना फैली

हुआ है, यदि वे रहनेका आग्रह करेंगे तो वे परेशानी ही मोल लेंगे। सत्य जिस समय कितना ही कड़वा लगे तो भी उसके कहनेसे मैं परेशानी पैदा नहीं करता।”

*

*

*

“हम अपनी आंखोंके सामने जो घटनाओं रोज होती देखते हैं, उनको हम अपेक्षा नहीं कर सकते। गांवोंको खाली कराकर उन्हें फौजी छावनियोंमें बदल डाला जाता है, और प्रजासे कह दिया जाता है कि तुम अपना रहनेका प्रवन्ध कर लो। ब्रह्मदेशसे आनेवाले हजारों नहीं तो भी सैकड़ों मनुष्य भूखे-प्यासे मर गये। और उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमें उन्हें वह अप्रिय भेदभाव अनुभव करना पड़ा। गोरोंका रास्ता अलग और कालोंका अलग! गोरोंके लिये रहने और खाने-पीनेकी सारी व्यवस्था मौजूद, और कालोंके लिये कुछ नहीं! हिन्दुस्तान पहुंचनेके बाद अपने ही देशमें भेदभाव! जापानी अभी आये भी नहीं; उसके पहले ही हमें तिरस्कृत किया जा रहा है और पीसा जा रहा है। यह सब भारतवासियोंकी रक्षाके लिये तो हरगिज नहीं है। भगवान जाने किसकी रक्षाके लिये है? जिसलिये अंक मंगल प्रभातमें मैं यह शुद्ध मांग करनेके निर्णय पर पहुंच गया कि भगवानके खातिर भारतको उसके भाग्य पर छोड़कर आप चले जाजिये। हमें आजादीकी सांस लेने दीजिये। उन अमरीकी गुलामोंको अंकदम आजाद करनेसे जैसे वे घबरा गये और उनका श्वास रुंध गया, उसी तरह भले हमारे छुटकारेसे हमारा हाल होने दीजिये। परन्तु यह वर्तमान ढकोसला तो खतम होना ही चाहिये।” (ता० ७-६-'४२)

*

*

*

“यदि ब्रिटेन अपने अशियाजी और अफ्रीकी देशोंका अधिकार कायम रखनेके लिये ही लड़ता हो, तो वह न्यायके पक्षका दावा करके लड़ाईमें विजय प्राप्त करनेका पात्र नहीं। मैं जिस बातसे अनभिज्ञ नहीं हूँ कि मेरा सुझाव स्वीकार करनेके परिणामस्वरूप ब्रिटेनको अपनी आर्थिक नीतिमें महत्वपूर्ण सुधार करने पड़ेंगे। परन्तु यदि जिस लड़ाईका सन्तोषजनक परिणाम लाना हो तो वे परिवर्तन विलकुल जरूरी हैं।” (ता० २२-६-'४२)

ऐसा माननेवाले भी बहुतसे विचारशील लोग देशमें मौजूद थे कि जिस युद्धमें किसी भी प्रकार मित्रराष्ट्रोंकी जीत होनेमें ही लोकतंत्रके सिद्धान्तकी सुरक्षा

और जगतका कल्याण है। अन्हें गांधीजीकी यह बात बड़ी अंकांगी और भूल-भरी मालूम होती थी। जिस समय युद्ध नाजुक हालतमें पहुंच गया था और दुश्मन भारतके द्वार खटखटा रहे थे, अुस समय अंग्रेजोंको भारत छोड़कर चले जानेको कहना अंकदम नअी और विचित्र लगनेवाली बात तो थी ही। अतः गांधीजीने अिसके लिये लोकमत तैयार करनेकी और कुछ नहीं तो दुनियाको अपनी बात समझानेकी जी-तोड़ कोशिशें कीं। परन्तु भारत पर खतरा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस कोअी भी निश्चित अुपाय न करे तो अंक महान लोकसंस्थाके रूपमें अुसकी हस्ती अब टिक नहीं सकती थी। और गांधीजीको अपने लिये यह लगता था कि यदि अैसे विकट अवसर पर वे अपना अहिंसक असहयोग न आजमा सकें तो वह 'पर-अुपदेश कुशल' वाली बात हो जायगी। जिसलिये अन्हें महसूस हुआ कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ कर चले न जायं तो अंग्रेज सरकारके विरुद्ध प्राणोंकी वाजी लगाकर भी 'करेंगे या मरेंगे' का युद्ध करना ही चाहिये। राजाजी गांधीजीकी योजनाअैसे विलकुल भिन्न ही रवैया रखते थे। अन्होंने अिलाहावादकी महासमितिके यह प्रस्ताव पेश किया था कि पाकिस्तानकी बात मंजूर करके भी मुस्लिम लीगके साथ समझौता कर डाला जाय, जिससे ब्रिटिश सरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीगकी संयुक्त मांगको अस्वीकार न कर सके और युद्धमें भारत भित्रराष्ट्रोंके साथ रहकर लड़ सके। परन्तु अुनका प्रस्ताव भारी बहुमतसे (१२० विरुद्ध १५) अस्वीकृत हो गया। अिस प्रस्तावको स्वयं पेश कर सकनेके लिये ही अन्होंने कार्यसमितिकी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दिया था। अुनका यह प्रस्ताव नामंजूर होने पर अन्होंने अिस वारेमें सार्वजनिक आन्दोलन शुरु कर दिया। पार्लमेण्टरी वॉर्डके अव्यक्षकी हैसियतसे सरदारने अन्हें सलाह दी कि मद्रास धारासभाके सदस्य रहते अुअे आप असा आन्दोलन नहीं कर सकते, अितना ही नहीं बल्कि आपका आन्दोलन कांग्रेसकी स्पष्ट और महत्त्वपूर्ण नीतिके विरुद्ध होनेके कारण आप कांग्रेसके प्रारम्भिक सदस्य भी नहीं रह सकते। सरदारका पत्र मिलते ही १५ जुलाअीको राजाजीने अपना अिस्तीफा दे दिया और कांग्रेससे अलग हो गये।

सरदार, राजेन्द्रवावू, कृपालानीजी वगैरा कार्यसमितिके कुछ सदस्य गांधीजी जो कार्यक्रम देशके सामने रखें अुसमें अुनका पूरी तरह साथ देनेके मतके थे। परन्तु जवाहरलालजी तथा मी० अबुलकलाम आजादको अैसे समय सरकारके विरुद्ध सत्याग्रहकी लड़ाअी छेड़ना ठीक नहीं लगता था। गांधीजीने अुनके साथ कअी दिनों तक चर्चा की। अंतमें वर्धामें कार्यसमितिकी बैठक बुलाअी गयी। वह बैठक ६ से १४ जुलाअी तक चली। हृदय-मन्वनपूर्ण

पाठ आठ दिनोंकी चर्चाओंके अन्तमें कार्यसमितिके सब सदस्य गांधीजीसे हमत हो गये, और यदि ब्रिटिश सरकार कांग्रेसकी बात न माने तो उसके विरुद्ध प्रचंड और देशव्यापी आन्दोलन छेड़नेके निश्चय पर आये। उस स्तावके महत्त्वपूर्ण अंश यहां दिये जाते हैं:

“दिन-दिन होनेवाली घटनाओं और भारतवासियोंको हो रहे कटु अनुभवोंने कांग्रेसियोंकी बिस रायको सही ठहराया है कि भारतमें ब्रिटिश राज्यका अन्त होना ही चाहिये। अच्छीसे अच्छी होने पर भी विदेशी सत्ता अके बुनियादी बुराही है और पराधीन राष्ट्रके लिये निरंतर हानिकारक है, केवल अिसीलिये नहीं परंतु अिसलिये भी कि भारतवासी अपनी रक्षा कर सकें और साथ ही मानवजातिका सर्वनाश कर रहे युद्धके भविष्य पर असर डालनेमें सक्रिय भाग ले सकें, ब्रिटिश राज्यका हिन्दुस्तानमें अंत होना चाहिये। हिन्दुस्तानकी आजादी केवल हिन्दुस्तानके हितकी दृष्टिसे ही आवश्यक नहीं है, बल्कि दुनियाकी सलामती, नाजीवाद तथा फासिस्टवाद और सैनिकवाद तथा साम्राज्यवादके अन्य स्वरूपोंका अन्त करनेके लिये और अके राष्ट्रका दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण बन्द करनेके लिये भी जरूरी है।

“जबसे विश्वयुद्ध छिड़ा है तबसे कांग्रेसने जानबूझकर ब्रिटेनको तंग न करनेकी नीति अख्तियार की है। अपने सत्याग्रह आन्दोलनके प्रभावहीन बन जानेकी हद तक खतरा अुठाकर भी असने जानबूझकर असे सांकेतिक स्वरूप दिया। असा करनेमें असकी मुराद यह थी कि परेशान न करनेकी नीतिके पूर्ण पालनकी अुचित कद्व होगी और राष्ट्रके प्रतिनिधियोंको सच्ची सत्ता सौंप दी जायगी, ताकि जिस मानव स्वतंत्रताके आज कुचले जानेका खतरा पैदा हो गया है असकी संसार भरमें स्थापना करनेके कार्यमें यह राष्ट्र अपना पूरा हिस्सा दे सके। असने यह भी आशा रखी थी कि असी कोअी कार्रवाअी तो हरगिज नहीं की जायगी जिससे भारत पर ब्रिटेनका फंदा और भी सक्त हो जाय।

“परंतु ये सब आशाअें नष्ट हो गयी हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्सके परिणामहीन प्रस्तावोंने स्पष्ट बतला दिया है कि भारतके प्रति ब्रिटिश सरकारके रवैयेमें कोअी फर्क नहीं पड़ा है और भारत पर अंग्रेजोंका पंजा ढीला नहीं होगा। सर स्टेफर्ड क्रिप्सके साथकी संघिवाताओंकी असफलताके परिणामस्वरूप अंग्लैण्डके विरुद्ध प्रजामें कटुताकी भावना बहुत तेजीसे और बड़ी मात्रामें बढ़ गयी है तथा जापानी सेनाकी विजय पर आनंदकी भावना पैदा हो रही है। कार्यसमिति अिस परिवर्तनको बढ़े खतरेकी

नजरसे देखती है। जिस चीजको रोका न गया तो उसका परिणाम परोक्ष रूपमें आक्रमणको स्वीकार कर लेनेमें आयेगा। कार्यसमिति मानती है कि किसी भी हमलेका सामना करना ही चाहिये, क्योंकि किसी भी प्रकारसे उसके आगे झुकनेका अर्थ यह होगा कि भारतवासी अधोगति और स्थायी पराधीनता मोल ले लें। मलाया, सिंगापुर और ब्रह्मदेशके अनुभवको कांग्रेस भारतमें टालनेके लिये आतुर है और भारत पर जापान या अन्य किसी विदेशी सत्ताकी चढ़ावकी प्रतिकार करनेकी योजना बनानेकी आशा रखती है। कांग्रेसकी यह भी विच्छा है कि ब्रिग्लेण्डके प्रति प्रजामें फैली हुई मौजूदा कटुताकी भावना बदल कर उसके प्रति शुभेच्छाकी भावना पैदा हो। परंतु यह तभी हो सकता है जब भारत स्वातंत्र्यकी शूष्मा अनुभव करे।

“भारतसे अंग्रेजी हुकूमतके चले जानेका प्रस्ताव करनेमें ब्रिटेन या मित्रराष्ट्रोंको अुनके युद्ध-संचालनके कार्यमें किसी भी प्रकार तंग करनेकी या भारत पर जापानके आक्रमणको प्रोत्साहन देनेकी या चीन पर जापानका या घुरीराष्ट्रोंकी अन्य किसी सत्ताका दवाव बढ़ानेकी कांग्रेसकी जरा भी विच्छा नहीं है। जिसलिये जापान या और किसी ताकतके हमलेका सामना करने तथा चीनकी रक्षा और सहायताके लिये मित्रराष्ट्रोंकी विच्छा हो तो यहां अुनकी सेनाओं रखनेमें कांग्रेसको कोयी आपत्ति नहीं है।

“जिसलिये यद्यपि कांग्रेस अपना राष्ट्रीय ध्येय प्राप्त करनेके लिये अवीर हो अुठी है, फिर भी वह कोयी जल्दवाजीकी कार्रवायी नहीं करना चाहती। केवल भारतके हितके लिये ही नहीं, परंतु ब्रिटेनके हितके लिये और जिस स्वतंत्रताके प्रति वह अपना विश्वास प्रगट करता है उसके हितके लिये भी कांग्रेस अपना यह अत्यन्त न्यायपूर्ण और अुचित प्रस्ताव स्वीकार करनेकी ब्रिटेनसे अपील करती है।

“परंतु यदि यह अपील व्यर्थ सिद्ध होगी, तो कांग्रेस वर्तमान स्थितिके जारी रहनेको गंभीर भयकी नजरसे देखेगी। क्योंकि वह परिस्थिति दिन-दिन बिगड़ती जायगी और आक्रमणका सामना करनेकी भारतकी शक्ति और संकल्प कमजोर पड़ते जायेंगे। जिसलिये राजनैतिक अधिकारों और स्वतंत्रताकी प्राप्तिके लिये सन् १९२० से कांग्रेसने अहिंसाकी नीति अपनाकर जो अहिंसक शक्ति संचित की है, उस सारी शक्तिको काममें लेना उसके लिये अनिवार्य हो जायगा। अंसी व्यापक और प्रचंड लड़ायी गांधीजीके नेतृत्वमें ही हो यह

अनिवार्य हैं। जो मुद्दे पैदा हुअे हैं वे भारतके लिये और संयुक्त राष्ट्रोंकी प्रजाओंके लिये भी मर्मस्पर्शी और दूरगामी महत्त्वके हैं, जिसलिये कार्यसमिति अन्हें अन्तिम निर्णयके लिये महासमितिके सामने पेश करेगी। इसीके लिये महासमितिकी बैठक वम्बजीमें ७ अगस्त, १९४२ को होगी।”

अपरोक्त प्रस्ताव पास हो जानेके बाद सरदारने निश्चित रूपसे मान लिया कि अब ब्रिटिश सरकारके साथ जीवन-मरणका संग्राम होना अनिवार्य है। जिसलिये वम्बजीमें महासमितिकी बैठक होनेसे पहले वे अहमदाबाद आये और सब कार्यकर्ताओंसे मिलकर तथा आमसभाओंमें भाषण देकर अन्होंने समझाया कि आगामी संग्राममें हमारा क्या धर्म है। अुनके भाषणोंमें से कुछ अंश यहां दिये जाते हैं:

“क्रिप्सके प्रस्ताव देखकर ही गांधीजीने कहा कि अब सरकारके साथ समझौता होनेकी आशा छोड़ दो। अन्होंने अंग्रेजोंसे जो यह बात कही है कि यह देश छोड़कर चले जाओ, अुसका अर्थ अच्छी तरह समझ लीजिये। यह तो सभी जानते हैं कि हमला होनेवाला है। जिस देशमें ९९ नहीं परंतु ९९।।। फी सदी लोग यह कहते हैं कि भले ही दूसरा कोअी आ जाय, परंतु यह भूत तो अवश्य चला जाय। अंग्रेजोंके लिये जिस देशमें अितना अधिक जहर फैला हुआ है। जर्मनी या जापानकी जीत जब लोग सुनते हैं तो खुश होते हैं। अिनकी जीतकी बात तो सुन ही नहीं सकते। जर्मनी या जापानकी जीतमें देर होती है तब लोग निराश होते हैं और कहते हैं कि अितने दिन कैसे लग गये? लोगोंका जिस प्रकारका मानस हमारी दयाजनक स्थितिको वताता है। जिसमें हमारा अधःपतन है। हमारे देश पर कोअी चढ़ आये तो अुसके विरुद्ध जान हथेली पर रखकर लड़नेका हममें जोश होना चाहिये। परंतु किस तरह लड़ें? अंग्रेज हमें स्वतंत्र मनुष्यके रूपमें लड़ने कहां देते हैं? इसीलिये गांधीजी अुनसे कहते हैं कि भारत छोड़ दो और चले जाओ।

“और यहां रहना हो तो भी अेक ही शर्त पर। तुम्हारी फौज यहां रहे, पर जिस शर्त पर कि हमारी स्वतंत्रता पूरी तरह कायम रहे। हमारे साथ संधि करके रहो। आज जैसी तुम्हारी अमरीका और चीनके साथ मैत्री है, रूसके साथ जैसी अभी तुमने मैत्री की है, अुसी तरह तुम यहां रह सकोगे। अब तुम अुस पुराने अिगलैण्डके नाते यहां नहीं रह सकते।

“अभी तक ये लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मदेशको वापस लेंगे। बिनसे पूछो तो सही कि ब्रह्मदेशके लोगोंने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? ब्रह्मदेशमें तुम्हें कोखी अड़चन न होने पर भी तुम वहांसे भाग क्यों आये? जिसकी क्या गारंटी है कि ब्रह्मदेशकी-सी हालत यहां नहीं होगी। वहांसे तो पीठ दिखाकर, ब्रह्मदेशका कचूमर निकलवा कर भाग आये हो।

“तुम कहते हो कि भारतकी रक्षा करनेकी जिम्मेदारी हमारी है। परंतु यह बात हमारे गले नहीं अुतरती। अितनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी ब्रह्मदेशकी रक्षा करनेकी भी तो थी? तुम तो अेक ही वाक्य रटते रहते हो कि अन्तमें जीत हमारी है। परंतु वह अन्त कब आयेगा?

“पूर्वके साम्राज्यके लिये तुम्हें अिस मुल्कको रणांगण बनाना है। रणांगण तो वह तभी बनेगा जब हम आजाद होंगे और दूसरे देशोंकी स्वतंत्र करेंगे। परंतु चर्चिल आटलांटिक चार्टर पर दस्तखत करके अमरीकासे लौटे और भारतके वारेमें अुन्होंने जवाब दिया तबसे हमें तुम्हारी नीयतका पता लग गया है।

“जापानका रेडियो तो रोज चिल्लाता है कि हमें भारतका अेक टुकड़ा भी नहीं चाहिये। हम अिन लोगोंको निकालनेके लिये ही लड़ रहे हैं। हमारे भी कुछ लोग अुनमें मिल गये हैं। वे लोग कहते हैं कि यह तो स्वदेशाभिमानकी बात है। सुभापवादू भी वहीं हैं। परंतु हमें न जापानके रेडियोको मानना है और न अिस बातका भरोसा करना है कि मास्को आकर हमें छुड़ायेगा।

“कांग्रेसने तो निश्चय किया है कि हमें किसीकी मददकी जरूरत नहीं है। तुम समझकर यहांसे चले जाओ। परंतु ये समझनेवाले नहीं हैं। जबसे प्रस्ताव पास हुआ है तबसे अुनके अखवार छाती पीटने लगे हैं और शोर मचा रहे हैं। वे कहते हैं कि देशकी रक्षा करनी है। परंतु यह देश किसका है? और तुम्हें रक्षा करनी थी तो दुश्मनोंके हमलेके लिये रास्ता किसने खोला? ब्रह्मदेशकी रक्षा नहीं कर सके तभी तो भारत पर खतरा बढ़ा?

“परंतु अभी तक अुनकी नीयत तो यही है कि यहां भी ब्रह्मदेशका-सा हाल हो। अिसीलिये कांग्रेसने तय किया है कि अब तो लड़ ही लेना है। कांग्रेसके सिर पर यह अिलजाम लगाया जाता है कि वह पीठ पर वार कर रही है। परंतु यह पीठ पर वार करनेकी बात

नहीं है। यह तो तुम छाती पर चढ़ बैठे हो, वहांसे तुम्हें नीचे गिरानेकी बात है।

“गांधीजीने कहा है कि मैं जेलमें नहीं रहूंगा और न किसीको रखूंगा। यह लड़ाई लंबी नहीं होगी। इसका जल्दी ही निवटारा करना है। यहां जापानियोंके आनेसे पहले हमें आजाद होना है। ये तो भाग जायेंगे तो भी कोअी हर्ज नहीं। मगर हम भागकर कहाँ जायं ?

“जापानियोंके यहां आनेसे प्रसन्न होना गुलामीकी वृत्ति है। स्वतंत्र देशकी भावना तो अेक ही हो सकती है कि अिन्हें निकाल दें और दूसरा कोअी आनेकी कोशिश करे तो अुसे आने न दें। अिसीलिअे गांधीजी अिस लड़ाईको तेज करनेवाले हैं। अिसकी कल्पना गांधीजीके पास है और वे अुसे पेश भी करनेवाले हैं। अुस समय अिस बातकी परीक्षा हो जायगी कि आप क्या करेंगे ?

“भविष्यकी स्वतंत्रताकी आशासे कांग्रेस किसी प्रकारका समझौता नहीं कर सकेगी। अुसे तो भारतके लोगोंको विदेशी आक्रमणके विरुद्ध वचाव करनेके लिअे तैयार करना है। भावी आशाअें दिलानेसे वह नहीं हो सकता। अभी तुरंत अुसे स्वतंत्रता मिले तो ही भारत अपनी तैयारी कर सकता है।

“‘भारत छोड़कर चले जाओ’ का प्रस्ताव पास होनेके बाद भारतकी दुनिया भरमें चर्चा हो रही है। आज विलायत और अमरीकाके अखवार कालमके कालम भरकर रोष अुगल रहे हैं। अुनके अखवारोंमें हजारों रुपये खर्च करने और बहुत परिश्रम करने पर भी जितनी जगह भारतको नहीं मिलती अुतनी आज मिल रही है।

“अिस समय कांग्रेसने यह प्रस्ताव पास करके अुनके लोकतंत्रको कसौटी पर चढ़ा दिया है। हम सबकी भी अिससे परीक्षा हो जायगी कि भारतको सचमुच आजादी चाहिये या नहीं।

“हां, अिस परीक्षामें पास होना हो तो, जैसा गांधीजी कहते हैं, अिस लड़ाईको छोटी और वेगवान बनाना है।

“देशमें जो अिन्कलाव आनेवाला है वह अितनी अधिक प्रचंड और शीघ्र गतिसे आयेगा कि अुसमें तमाम स्त्री-पुरुषों और छोटे-बड़ोंको सक्रिय भाग लेना होगा। यदि वह भाग आपने लिया तो आज जो आलोचनाअें विलायत और अमरीकाके समाचारपत्रोंमें हो रही हैं अुनका जवाब मिल जायगा। यदि कांग्रेसके पीछे थोड़े ही लोग

हैं तो अितना भारी अुवाल, अितना अधिक क्रोध और अितनी ज्यादा धवड़ाहट किसलिअे है? यदि गांधीजीकी अिस लड़ाकीके साथ थोड़ेसे ही मनुष्य हैं तो अुन थोड़ीकि लिअे जेलोंमें जगह है। परंतु अुन्हें पता लग गया है कि यह लड़ाकी अैसी होगी जैसी भारतमें आज तक कभी नहीं हुअी।

“कहा जाता है कि ब्रिटेन और अमरीका लोकतंत्रकी लड़ाकी लड़ रहे हैं। परंतु अुनके लोकतंत्रका अर्थ है काले लोगोंको लूटना। यह तो लूटके वंटवारेकी लड़ाकी है। अेशिया और अफ्रीकाको लूटनेके लिअे और आपसमें अुनका वंटवारा कैसे किया जाय अिसके लिअे यह लड़ाकी है।

“ब्रिटिश हुकूमतका अगर कोअी सबसे सच्चा मित्र हो सकता है तो वह महात्माजी हैं। महात्माजीने सदा अेक सार्जण्टकी तरह ब्रिटिश सरकारकी सेवा की है। परंतु लगभग ७४ वर्षकी अुम्रमें महात्माजीको यह महसूस हुआ कि अब हमें अिनसे अलग होना ही पड़ेगा।

“अैसा समय फिर नहीं आयेगा। मनमें कोअी डर न रखिये। यह मौका दुवारा नहीं आनेवाला है। किसीको यह कहनेका मौका न आये कि गांधीजी अकेले थे। ७४ वर्षकी अुम्रमें भारतकी लड़ाकी लड़नेको, यह बोझ अुठानेको वे बाहर निकलते हैं। तब हम भी अपना कर्तव्य सोच लें। आपसे मांग की जाय या न की जाय, समय आये या न आये, आपके लिअे पूछनेको कुछ रह नहीं जाता। यह पूछते बैठे न रहना कि अब क्या कार्यक्रम है। १९१९ में रीलेट अेक्टके विरोधसे लेकर आज तक जितने कार्यक्रम बनाये गये हैं अुन सबका अिसमें समावेश करना है। करवन्दीकी लड़ाकी, सविनय कानून-भंग और अैसी ही दूसरी लड़ाकियां, जो सीधे रूपमें सरकारी शासनको रोक देनेवाली होंगी, कांग्रेस अपना लेगी। रेलवेवाले रेल बन्द करके, तारवाले तारविभाग बन्द करके, डाकवाले डाकखाना छोड़कर, सरकारी नौकर नौकरियां छोड़कर, शिक्षक और विद्यार्थी स्कूल-कॉलेज बन्द करके सरकारके तमाम यंत्रोंको रोक देंगे। यह लड़ाकी अिस किस्मकी होनेवाली है। अिसमें आप सब भाअी-वहन साथ देना। अिस लड़ाकीमें आपका सच्चे दिलसे साथ होगा तो वह थोड़े ही दिनमें खतम हो जायगी और अंग्रेजोंको यहांसे चले जाना पड़ेगा। काम करनेवालोंको सरकार पकड़ ले जाय तो भी प्रत्येक भारतवासी कांग्रेसी बनकर अपना

फर्ज अदा करे और पुकार होते ही लड़नेको तैयार हो जाय। असा हुआ तो स्वतंत्रता भारतका द्वार खटखटाती हुयी आ खड़ी होगी।

“महात्माजी और नेताओंको पकड़ ले जायेंगे, यह समझकर ही आपको लड़ाई छेड़नी है। गांधीजी पर हाथ डालते ही चौबीस घंटेमें ब्रिटिश सरकारका सारा तंत्र टूट जाय, असा करनेकी ताकत आपके हाथोंमें है। आपको तमाम कुंजियां वता दी गयी हैं। अनु पर अमल करना। सरकारका तंत्र चलानेवाले सभी दूर हट जायेंगे तो यह सारा ही तंत्र टूट जायगा।


“जिस दिन हिन्दुस्तान आजाद होगा उस दिन कांग्रेसका अपने-आप विसर्जन हो जायगा। उस दिन कांग्रेसका काम पूरा हो जायगा। कांग्रेस अपने लिये सत्ता नहीं मांग रही है, देशके लिये मांग रही है। कांग्रेसका और महात्माजीका आदेश शिरोधार्य करके देशका नाम अज्ज्वल करना।”

सरदारके उस समयके भाषण टाइपिके जड़ अक्षरोंमें शायद अितने अग्र न लगे, परंतु सुननेवाले सब असा कहते थे कि आजकल अनुकी जवानसे दहकते हुअे अंगारे बरस रहे हैं।

३५

नौ अगस्त

८ अगस्तकी मध्यरात्रीमें महासमितिके ‘अंग्रेजो, चले जाओ’ और न जायं तो अनुके विरुद्ध अहिंसक परंतु प्रचंड और देशव्यापी विद्रोह छेड़ देनेका प्रस्ताव पास किया। गांधीजीने लंबा भाषण देकर लोगोंको ‘करेंगे या मरेंगे’ का मंत्र दिया। अनुके भाषणका अितना अधिक प्रभाव पड़ा कि जिन लोगोंने कभी सविनय कानून-भंगकी लड़ावियोंमें भाग नहीं लिया था, अितना ही नहीं जो विचारपूर्वक अनुसे दूर रहे थे, अन्हें भी महसूस हुआ कि अिस वार हम देशकी मुक्तिके लिये कुछ न कुछ नहीं कर गुजरे तो हमारा जीवन बूथा होगा। गांधीजीने अपने भाषणमें कहा था कि मैं तुरंत लड़ाई नहीं छेड़ूंगा, अभी मैं वाअिसरायसे मिलूंगा और समझौतेका अन्तिम प्रयत्न कर देखूंगा। दूसरे नेताओंके भी जोशीले भाषण हुअे। राजेन्द्रबाबू अपनी आत्मकथामें लिखते हैं कि अनुमें सरदार वल्लभभायीके भाषणकी लोगोंने बड़ी सराहना की। वह सारा भाषण पाठकोंको ‘सरदार पटेलके



'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास हुआ अउसे पहले पंडितजीके साथ



भाषण* नामक पुस्तकमें से पढ़ लेना चाहिये। यहां उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश ही दिये गये हैं :

“हम आजादीकी आखिरी लड़ायी छेड़नेवाले हैं, जिसके विरुद्ध कुछ आलोचक धमकी दिखाते और कहते हैं कि तुम लड़ायी छेड़ोगे तो तुम पर मुसीबतें आ जायंगी। कोबी अपुदेश देकर समझदारी दिखाते हैं कि जिससे तो मित्रराष्ट्रोंके युद्ध-प्रयत्नोंको हानि पहुंचेगी। जिस सारी डाट-डपट और सलाह-अपदेशोंके अन्तर मेरे पास हैं। परंतु हम अन्हें किस प्रकार अन्तर दें? अुन देशोंमें हमारे अखवार नहीं हैं, रेडियो पर हमारा अधिकार नहीं है; और सरकारने सेंसरकी कड़ी चीकी लगा रखी है। वह जितनी वात यहांसे बाहर जाने देगी अतनी ही बाहर जायगी। हमारे दिलकी सच्ची वात तो दूसरे देशों तक पहुंचने ही नहीं पायेगी।

“सरकार विदेशोंमें यह प्रचार करती है कि कांग्रेसके साथ है कौन? वह तो मुट्ठीभर आदमियोंकी बनी हुआ संस्था है, जो रोज अुठकर यह सारा अूधम मचाते हैं। नी करोड़ मुसलमान कांग्रेसके साथ नहीं हैं, सात करोड़ हरिजन कांग्रेसके साथ नहीं हैं और देशीराज्योंकी सात करोड़ प्रजा भी कांग्रेसके साथ नहीं है। समझदार माने जानेवाले नरम दलवाले उसके साथ नहीं हैं। रेडिकल, डेमोक्रेट और कम्युनिस्ट भी उसके साथ नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे साथ कोबी भी नहीं, परंतु अपनेको शरीफ कहनेवाले अंग्रेज तो हैं न? हमें अुन्हींसे काम है। यदि कांग्रेसको देशका साथ नहीं है तो फिर तुम्हें अुसका अितना डर क्यों लगता है? तुम्हें जलमें, थलमें, वस्तीमें, जंगलमें सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस क्यों दिखायी देती है?”

*

*

*

“हमने तो तीन तीन बरस तक राह देखी। गांधीजीने कांग्रेससे कहा कि ब्रिटेन मुसीबतमें फंस गया है, अैसे समय अुसे परेशानी पैदा करनेवाला कोबी काम न किया जाय। अुसके युद्ध-प्रयत्नोंमें कोबी दिक्कत पैदा न हो, जिसके लिये गांधीजी बड़ीसे बड़ी चिन्ता करते रहे। परंतु अब अुनका भी धीरज टूट गया है। युद्ध भारतका द्वार खटखटा रहा है। अंग्रेज भारतकी रक्षा करनेका दावा कर रहे हैं, परंतु क्या हमें मालूम नहीं है कि ब्रह्मदेशके लिये भी वे अैसा ही

* नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद; कीमत ५-०-०; डाकखर्च

कहते थे? वे कितना ही दावा करें परंतु सारे भारतवासियोंके हार्दिक सहयोगके बिना अंग्रेज भारतका विलकुल वचाव नहीं कर सकेंगे। ब्रिटेन तो ब्रह्मदेशकी रक्षा करनेके लिये भी मैदानमें कूदा था। परंतु वह हाथसे जाता रहा। अुसी प्रकार भारत भी जापानियोंके हाथोंमें न चला जाय, इसीके लिये यह हमारी लड़ाई है।

“लड़ाई खतम होने पर हमें आजादी देनेका वचन दिया जाता है। परंतु हम अुस वचनकी मानें कैसे? लड़ाईके अंतमें भारतको स्वतंत्रता देनेके लिये तुम रहोगे या नहीं, अथवा वह आजादी देनेकी ताकत तुम्हारे पास होगी या नहीं, इसका क्या भरोसा? लड़ाईके अन्तमें भारत ही दूसरोंके हाथोंमें जा पड़े तो फिर ब्रिटेन अुसे आजादी देने कहासे आयेगा? अुस समय हम चर्चिल साहबको ढूंढने कहां जायेंगे? और मान लो कि तुम जीत गये। परंतु अभी जब तुम्हारे कंठमें प्राण था गये हैं तब भी अगर तुम अितनी चालवाजियां कर रहे हो तो जीतनेके बाद तो भारत तुम्हारे पंजेसे छूटेगा ही कैसे? क्या हम अितनी-सी बात भी नहीं समझते?”

*

*

*

“हमारी दलील अेक ही है। भारतका चालीस करोड़ लोगोंका राष्ट्र अैसी आफतके वक्त निष्क्रिय बैठ रहे तो दुनिया-भरमें हमारी निन्दा होगी। हमें यह नहीं चाहिये। अब हमें ब्रिटेन पर भरोसा नहीं रहा कि वह हमारा वचाव कर सकेगा। इसलिये हमें ही अपना वचाव करनेको तैयार होना है, और आक्रमणकारियोंका सामना करके मित्रराष्ट्रोंको भी विजय प्राप्त करानी है। इसीके लिये हम भारतीयोंको अधिकार देनेकी मांग कर रहे हैं। परंतु जब हम अैसा कहते हैं तब सरकार नाराज होती है। भले ही हो। हम मजबूर हैं।

“हमारे विरुद्ध यह अिलजाम लगाया गया और अुसका प्रचार किया गया है कि कांग्रेस जापानियोंको निमंत्रित करना चाहती है। यह सरासर झूठ है, वस्तुस्थितिको विलकुल अुलटे रूपमें अुपस्थित करना है। जापानियोंको भारतमें कोअी चाहता है, यह बात विलकुल झूठ है। परंतु हर भारतीयके हृदयमें जो बात बस गयी है वह तो यह है कि तुम अब यहां न रहो। यहांसे चले जाओ। ‘क्विट इंडिया’। हमें छोड़ दो। तुम हटो। हम अपना निवट लेंगे। हम हाथ बांधे नहीं बैठे रहेंगे।”

*

*

*

“अब कांग्रेसकी लड़ाईके वारेमें कहूं। यह कड़ी लड़ाई होगी। गांधीजीने आपको सावधान कर दिया है। जिससे पहले हमने कभी लड़ावियां लड़ी हैं। परंतु अगली लड़ाई कुछ दूसरे ही प्रकारकी होगी। हम यह देख रहे हैं कि देशकी आजादीके लिये रूस और चीन कौसी कुर्वानियां कर रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं? कितनी वर्वादी हो रही है?”

“यह न समझना कि ब्रिटिश हुकूमतके साथ समझौता हो जायगा। असा मानेंगे तो पूरा धोखा खायेंगे। अब जेलोंकी बात भी नहीं रही। यह तो विलकुल अलग प्रकारकी लड़ाई है। किसी हलके हिसाबसे यह प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। यदि आप यह समझते हों कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा, रोजगार-बंधे चलते रहेंगे, अधिकसे अधिक जेलोंमें जा बैठेंगे, खायेंगे, पियेंगे और पढ़ेंगे तो यह प्रस्ताव पास न कीजिये।

“परंतु यदि आज आपकी अैसी तैयारी हो कि जिस लड़ाईमें आजादी लेनेके लिये मरनेकी नीवत आ जाय, फना होना पड़े तो भी परवाह नहीं तो चलिये, आगे बढ़िये। फिर यह भी मान लीजिये कि जिससे जो मिलेगा वह सारे मुल्कको मिलेगा। हमें कुछ नहीं चाहिये। अितनी तैयारी हो तो ही जिसमें शामिल होअिये।

“ब्रिटिश पार्लियामेण्टमें मेरे अेक वयान पर प्रश्नोत्तर हुअे। किसीने पूछा कि पटेल कहता है कि कांग्रेसको सत्ता नहीं चाहिये, किसीको भी दे दो परंतु हिन्दुस्तानीको दो — क्या यह सच है? जवाबमें कहा गया कि यह तो अेक व्यक्तिकी कही हुअी बात है, कांग्रेसकी नहीं। वादमें तो अव्यक्त महोदयने खुद कहा कि तुम चले जाओ; किसीको भी सत्ता सौंप दो, मगर चले जाओ। भले ही मुस्लिम लीगको सौंप दो। मैं तो कहता हूं, चोर-डाकुओंको सौंप जाओ। हम वादमें आपसमें निवट लेंगे। परंतु तुम भारत छोड़कर चले जाओ। हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ लड़ना ही पड़ेगा।

“हमारा शस्त्र अहिंसा है। यह शस्त्र कौसा भी हो, परंतु इसीके द्वारा पिछले बाईस वर्षमें दुनियामें हमारी अिज्जत बढ़ी है। और जिस लड़ाईमें अैसी कौसी शर्त नहीं कि दिलमें भी अहिंसा होनी चाहिये। यह तो केवल कार्यकी बात है। कार्यमें अहिंसा चाहिये।

“सब पूछते हैं कि लड़ाईका कार्यक्रम क्या है। पहलेकी लड़ावियोंके समय हमारा कार्यक्रम हमेशा गांधीजीने तैयार किया है। वे यहां मौजूद हैं। वे जो हुक्म दें अुसे हम पूरा करें। वे जैसा कहें

वैसा करना सैनिकोंका काम है। हमें बहुत डांट-डपट दी जा रही है। हुकूमतका तरीका तो प्रसिद्ध है। अनेक विज्ञप्तियां और आर्डिनेन्स तैयार करती रहती है और करेगी। वे सब पहलेकी लड़ाइयोंके समयसे फाइलोंमें तैयार ही रखे हैं। नयी बात क्या करनी है? परंतु अपनी जिम्मेदारी हमें सोच-समझ लेनी है। जब तक गांधीजी विद्यमान हैं तब तक वे जो आज्ञा दें, जो हिदायत जारी करें, अेकके बाद अेक जो कदम अुठानेको कहें वही कदम हमें अुठाना है। न जल्दवाजी करनी है और न पीछे रहना है। प्रत्येक मनुष्यको आज्ञा-पालन और अनुशासन-पालन करना है। परंतु मान लीजिये कि सरकारने ही कुछ किया, सबको पहलेसे ही पकड़ लिया, तो क्या किया जाय? यदि अैसा हो, यदि सरकार गांधीजीको पकड़ ले, तो फिर किसी कदम-वदमकी बात नहीं हो सकती। फिर तो प्रत्येक भारतवासीका — जिसने अिस देशमें जन्म लिया है अैसे हरअेक नागरिकका — यह फर्ज हो जायगा कि अिस देशकी आजादीको तुरंत हासिल करनेके लिये अुसे जो कुछ सूझे वह सब कर गुजरे। दुनियामें आज हमारी परीक्षा हो रही है। यह समझ लीजिये कि १९१९ से लगाकर आज तक हमने समय समय पर जिन जिन कार्यक्रमों पर अमल किया है वे सभी अिस लड़ाईमें आ जाते हैं। सब अेकसाथ, अिकट्ठे; अलग अलग नहीं। प्रत्येकको स्वतंत्र भारतीयकी तरह व्यवहार करना है। सिर्फ अहिंसाकी भर्थादा रखकर सभी कुछ कर गुजरना है। अेक भी चीज वाकी नहीं रखनी है। संक्षिप्त और तेज लड़ाई लड़नी है। अुसे जल्दी खतम करना है। जापानके यहां आनेसे पहले आजाद होकर अुसका मुकाबला करनेको तैयार हो जाना है। अिसमें कोअी वात-चीत करनेकी अब गुंजाअिश नहीं। जो यहां बैठे हैं वे सब यहांसे अितनी ही वात लेकर जायं। जब तक गांधीजी हैं तब तक वे हमारे सेनापति हैं, परंतु यदि वे पकड़े गये तो किसीकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं रहेगी। सारी जिम्मेदारी ब्रिटैनके सिर पर रहेगी। अराजकताकी जिम्मेदारी भी अुसीके सिर पर होगी। अब अराजकताका डर देशको रोक नहीं सकेगा।

“हूसरा कोअी मार्ग ही नहीं है। हमें आजाद होना है। गुलामी अब अेक घड़ी भी वदवित नहीं हो सकती।”

महासमितिकी बैठक पूरी हुअी तभीसे सारे बंबअी शहरमें अफवाहें फैल रही थीं कि अब गांधीजी और कांग्रेसके मुख्य मुख्य नेताओंको पकड़

लिया जायगा। हां, गांधीजी विस बातको हंसीमें जुड़ा देते थे। वे तो निश्चयपूर्वक मानते और कहते थे कि वाविसराँय मेरे मित्र हैं और वे मुलाकातकी मेरी मांगको ठुकरा नहीं देंगे। गांधीजी सदा सत्याग्रहीके तौर पर ही विचार करते थे। विरोधी पर वे विश्वास रखते थे कि वह सचायी और निखालसपनकी अवश्य कद्र करेगा। वे शान्ति और समझीतेके लिये सदा लालायित रहते और वाविसराँयसे बातचीत करके सुलहका रास्ता निकालना चाहते थे। परंतु सरकार अपने ढंगसे ही विचार करती थी। उसे तो जवरन् भारतको अपने कब्जेमें रखना था। विसलिअे जुसने अपने ढंगका पक्का बन्दोवस्त कर रखा था। ९ अगस्तको प्रातःकाल ही गांधीजीको, कार्यसमितिके जो सदस्य बम्बयीमें थे अन्हें और दूसरे बहुतसे कांग्रेसी नेताओंको पकड़ लिया गया। देशमें स्थान स्थान पर अिसी प्रकार गिरफ्तारियां हुआं। गांधीजीको महादेवभायी तथा अन्य कुछ साथियों सहित आगाखां महलमें रखा गया। पू० कस्तूरवा तथा और कुछ साथियोंको बादमें वहां पहुंचा दिया गया। सरदारको और कार्यसमितिके दूसरे सदस्योंको अहमदनगरके किलेमें रखा गया। लगभग तीन वर्ष तक अुस किलेके दरवाजे अुनके लिये बन्द रहे। ९ अगस्तसे सरकारके विरुद्ध देशमें असा विद्रोह हुआ जो १८५७ के गदरको भी भुला दे।

*

*

*

८ अगस्त १९४२ को मध्यरात्रीमें बम्बयीकी महासमिति द्वारा पास किया गया 'भारत छोड़ो' का स्मरणीय प्रस्ताव अिस प्रकार था :

"अपने १४ जुलायी, १९४२ के प्रस्ताव द्वारा कार्यसमितिने जो प्रश्न निर्णयके लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सुपुर्द किया था, अुसके वारेमें अुसने पूरे ध्यानके साथ विचार किया है। साथ ही युद्धकी परिस्थितिमें अुत्तरोत्तर हुआे परिवर्तनों, जिम्मेदारीके साथ बोल सकनेवाले ब्रिटिश सरकारके नेताओंके वचनों और अुस प्रस्ताव पर भारत और विदेशोंमें भी होनेवाले विवेचनों और आलोचनाओं वगैरा तथा अुसके बाद होनेवाली सब घटनाओं पर समितिने अुतना ही ध्यानपूर्वक विचार किया है। महासमिति कार्यसमितिके प्रस्तावको स्वीकार करती है। समितिकी यह राय है कि बादमें हुआी घटनाओंसे अुस प्रस्तावका अधिक समर्थन हुआ है। और यह बात दीपककी भांति स्पष्ट हो गयी है कि मित्रराष्ट्रोंके ध्येयकी सिद्धिके लिये और भारतकी सुरक्षाके लिये अुस पर ब्रिटिश हुकूमतका तत्काल अंत होना जरूरी है। अिस हुकूमतके बने रहनेसे भारतकी अुत्तरोत्तर

अवनति हो रही है, वह अधिकाधिक दुर्बल होता जा रहा है और जिससे अुसकी अपनी रक्षाकी और संसारकी मुक्तिके कार्यमें हाथ बंटानेकी शक्ति घटती जा रही है।

“युद्धके रूस और चीनके मोर्चों पर बिगड़ती जा रही परिस्थितिको देखकर समितिको चिन्ता हुआ है। वह रूसी और चीनी लोगों द्वारा अपनी स्वातंत्र्य-रक्षाके लिये दिखायी गयी अुच्च प्रकारकी वीरताकी कद्र करती है। अिस बढ़ते जा रहे खतरेके कारण स्वतंत्रताके लिये जो लोग संग्राम कर रहे हैं और आक्रमणके शिकार हुए लोगोंके प्रति जो लोग सहानुभूति रखते हैं, अुन सबका फर्ज है कि मित्रराष्ट्रोंने अब तक जिस नीतिसे काम किया है अुसके बुनियादी सिद्धान्तोंकी परीक्षा करें। अुसी नीति और अुन्हीं सिद्धान्तोंके कारण अुन्हीं बार बार आपत्तिजनक असफलता सहनी पड़ी है। अैसे आशयों, नीतियों और पद्धतियोंसे चिपटे रहनेसे असफलता सलफतामें नहीं बदल जायगी, क्योंकि आज तकका अनुभव बताता है कि असफलता अिन नीतियोंमें ही निहित है—अुनकी जड़में विद्यमान है। ये नीतियां विशेषतः स्वतंत्रताके लिये नहीं, परंतु पराधीन और औपनिवेशिक प्रजाओं पर नियंत्रण बनाये रखनेकी साम्राज्यवादी परंपरा और पद्धति जारी रखनेके आशयसे बनायी गयी हैं। साम्राज्य पर स्वामित्व रखनेसे शासक सत्ताका बल बढ़नेके वजाय अुल्टा साम्राज्य अुसके लिये भाररूप और अभिशापरूप बन गया है।

“आधुनिक साम्राज्यवादके ज्वलन्त अुदाहरणरूप भारतकी स्थिति परसे सारे प्रश्नकी कड़ीसे कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि भारतकी मुक्ति परसे ही ब्रिटेन और संयुक्त राज्योंके न्यायकी जांच होगी और अुसीके द्वारा अेशिया और अफ्रीकाके लोगोंमें आशा और अुत्साहका संचार होगा।

“अिस प्रकार अिस देशमें ब्रिटिश हुकूमतका अन्त होना अेक अत्यंत जरूरी और अुतना ही महत्त्वका मुद्दा है। अुस पर युद्धके भविष्यका और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रवादकी सफलताका आघार है। अपनी स्वतंत्रताके युद्धमें और नाजीवाद, फासिस्टवाद और साम्राज्यवादके आक्रमणके विरुद्ध लड़े जानेवाले युद्धमें स्वतंत्र भारत अपनी सारी साधन-संपत्ति काममें लेकर अुस सफलताको निश्चित बनायेगा। भारतकी मुक्तिका असर केवल युद्धके भविष्य पर ही बड़ी मात्रामें नहीं पड़ेगा, बल्कि अुससे सारी पराधीन और दलित मानवता संयुक्त

राज्योंके पक्षमें हो जायगी, भारत अूनका मित्र बन जायगा और अुन्हें संसारका नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्राप्त हो जायगा। बंधनोंमें फंसा हुआ भारत ब्रिटिश साम्राज्यवादका प्रतीक बनकर रहेगा और अुस साम्राज्यवादके कलंकका असर सारे मित्रराष्ट्रों तक पहुंचेगा।

“अिसलिये वर्तमान खतरेसे भारतकी स्वतंत्रताकी और अुस परसे ब्रिटिश हुकूमतके खात्मेकी जरूरत पैदा होती है। भविष्यमें पालन होनेवाले किसी वचन या अुसके लिये दिये जानेवाले आश्वासनोंसे आजकी परिस्थिति पर कोअी प्रभाव नहीं पड़ेगा और न अुस खतरेका कोअी अिलाज हो सकेगा। आम जनताके हृदय पर अुसका जैसा चाहिये वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। युद्धके स्वरूपको तुरंत पलट डालनेके लिये आवश्यक करोड़ों लोगोंका बल और अुत्साह स्वातंत्र्यकी गरमीसे ही अुत्पन्न हो सकता है।

“अिसलिये ब्रिटिश हुकूमतके भारतसे हट जानेकी मांगको महा-समिति पूरा जोर देकर दोहराती है। भारतकी आजादीकी घोषणा होते ही अेक कामचलाअू सरकार बनाअी जायगी और मुक्तिकी लड़ाअीके संयुक्त साहसमें जो दिक्कतें और तकलीफें आयें अुन्हें सहनेमें स्वतंत्र भारत मित्रराष्ट्रोंका साथी बनेगा। यह कामचलाअू सरकार देशके खास खास दलों और समूहोंके सहयोगसे ही स्थापित की जा सकती है। अिस प्रकार वह भारतके लोगोंके सभी मुख्य-मुख्य विभागोंके प्रतिनिधित्ववाली मिश्र सरकार होगी। अपने पासके तमाम अहिंसक सामर्थ्यसे और सशस्त्र सेनासे मित्रराष्ट्रोंके साथ रहकर आक्रमणका मुकाबला करके भारतकी रक्षा करना और जो लोग सर्वसत्ता तथा अधिकारके तत्त्वतः स्वामी हैं अुन खेतों, कारखानों और अन्य स्थानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंके कल्याण और प्रगतिको प्रोत्साहन देना, आदि सब अिस सरकारके शुल्के काम होंगे।

“यह कामचलाअू सरकार भारतके शासनके लिये लोगोंके सभी विभागोंको स्वीकार्य संविधान तैयार करनेके लिये अेक लोक-प्रतिनिधि-सभाकी योजना बनायेगी। कांग्रेसके मतानुसार यह संविधान समवाय-तंत्रके ढंगका होगा। अुस समवायतंत्रकी अिकाअियोंको अधिकसे अधिक स्वशासनके अधिकार होने चाहिये, और समस्त शेष सत्ता अुनके पास रहनी चाहिये। पारस्परिक लाभके लिये और हमलेका सामना करनेके सबसे संबंधित कार्यमें सहयोग देनेके लिये संयुक्त राष्ट्रोंके जो प्रति-निधि सलाह-मशविरेके लिये जमा होंगे, वे भारत और मित्रराष्ट्रोंके

बीचके भावी संबंध तय करेंगे। मुक्ति प्राप्त होते ही लोगोंके संयुक्त संकल्पबल और सामर्थ्यसे आक्रमणका प्रतिकार किया जा सकेगा।

“भारतकी मुक्ति विदेशी शासनके नीचे दबे हुअे अशिया और अफ्रीकाके लोगोंकी मुक्तिका प्रतीक और प्रारम्भ बनना चाहिये। ब्रह्मदेश, मलाया, हिन्दचीन, डच इंडीज, अीरान और अीराक आदि सभीको पूर्ण स्वातंत्र्य मिलना चाहिये। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि अिन देशोंमें से जो अिस समय जापानी हुकूमतके मातहत हो गये हैं, उनमें से कोअी भी देश किसी अन्य औपनिवेशिक सत्ताके शासनके अधीन नहीं रखा जाना चाहिये।

“महासमितिका मुख्यतः तो अिस खतरेके समय भारतकी स्वतंत्रता और अुसकी रक्षाके साथ ही संबंध होना चाहिये। तो भी समितिकी यह राय है कि संसारकी भावी शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रगतिके लिये सारी दुनियाके स्वतंत्र राष्ट्रोंका समवायतंत्र स्थापित होना जरूरी है। अैसे तंत्रकी स्थापनाके बिना और किसी भी आधार पर आवुनिक जगतका अेक भी प्रश्न हल नहीं हो सकता। यह तंत्र अपने संविधानमें शामिल होनेवाले सभी राष्ट्रोंकी स्वतंत्रताकी रक्षा करेगा, अेक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्रके आक्रमण और शोषणको रोकेगा, राष्ट्रोंमें अल्पमतोंकी रक्षा करेगा, पिछड़े हुअे प्रदेशों और प्रजाओंका सुधार करेगा और संसारके समस्त साधनोंको सबके समान हितोंके लिये संगठित करेगा। अैसे विश्वव्यापी तंत्रकी स्थापनासे सब देशोंमें निःशस्त्रीकरण व्यावहारिक रूपमें सफल हो सकेगा। राष्ट्रोंको अपनी अपनी अलग स्थलसेनाओं, जलसेनाओं और हवाअी दलोंकी जरूरत नहीं रहेगी और समवायतंत्रके अधीन अेक संरक्षक सेना दुनियाकी शान्तिकी रक्षा करेगी और आक्रमणोंको रोकेगी।

“स्वतंत्र भारत अखिल जगतके अैसे समवायतंत्रमें खुशीसे शरीक होगा और आन्तरराष्ट्रीय प्रश्नोंको हल करनेके काममें दूसरे देशोंके साथ समानताके आधार पर सहयोग करेगा।

“समवायतंत्रके मूलभूत सिद्धान्त जिन्हें मान्य हों वे सब राष्ट्र अुसमें शामिल हो सकेंगे। परन्तु अभी युद्धकाल है, यह देखते हुअे शुरूमें वह तंत्र अनिवार्य रूपमें मित्रराष्ट्रों तक ही सीमित रहेगा। अिस समय यह कदम अुठाया जाय तो अुसका युद्ध पर, घुरीराष्ट्रोंके लोगों पर और साथ ही भविष्यमें होनेवाली सुलह पर भारी असर होगा।

“यह समिति जिस बात पर खेद प्रकट करती है कि युद्धके कष्ट और चित्तको क्षुब्ध करनेवाले अनुभवोंके वावजूद और संसार पर अनेक खतरे मंडराते हुए भी शायद ही अग्निगने देशोंकी सरकारें समस्त संसारके समवायतंत्रकी दिशामें उठाने योग्य यह अनिवार्य कदम उठानेकी तैयार हैं। ब्रिटिश सरकार पर हुयी प्रतिक्रियाओंसे और विदेशी पत्रोंकी गुमराह आलोचनाओंसे स्पष्ट हो जाता है कि भारतकी स्वतंत्रताकी स्वयंसिद्ध मांगका भी विरोध किया जाता है, यद्यपि वह मांग खास तौर पर जिसलिसे की गयी है कि मौजूदा खतरेका सामना किया जा सके, भारत अपनी रक्षा कर सके और चीन तथा रूसके संकटमें अनुकी सहायता कर सके। रूस और चीनकी आजादी अमूल्य है और उसकी रक्षा होनी ही चाहिये। जिसलिसे उसकी रक्षाके मामलेमें किसी भी प्रकारकी अलज्जन पैदा न करने और साथ ही मित्रराष्ट्रोंकी रक्षा-शक्तिको कोभी हानि न पहुंचानेके लिये समिति आतुर है। परंतु भारत और मित्रराष्ट्रों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अंसी परिस्थितिमें निष्क्रियता अथवा विदेशी हुकूमतकी अवीनता भारतके लिये अवनतिकारक और उसकी अपनी रक्षा करनेकी तथा आक्रमणका सामना करनेकी शक्तिका ह्रास करनेवाली है। अतना ही नहीं, यह चीज बढ़ते जा रहे खतरेको टालनेके लिये लाभदायक तथा मित्रराष्ट्रोंके लोगोंके लिये सहायक नहीं है। अंग्लैण्ड तथा मित्रराष्ट्रोंकी ओरसे कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा की गयी हार्दिक अपीलका अभी तक जवाब नहीं मिला है और विदेशोंमें तथा अनेक स्थानों पर की गयी आलोचनाओंने भारत और संसारकी आवश्यकताओंके वारेमें अज्ञान प्रदर्शित किया है। और कभी कभी तो भारतकी स्वतंत्रताका विरोध भी किया गया है। यह वस्तु उसकी जड़में रहनेवाली प्रभुत्व भोगने और अपनी श्रेष्ठताकी मनोदशाकी द्योतक है। जिस राष्ट्रको अपने सामर्थ्य और अपने ध्येयकी न्यायपूर्णताकी प्रतीति हो गयी है वह जिस चीजको वरदास्त नहीं कर सकता।

“जिस अंतिम क्षणमें संसारकी मुक्तिके हितमें यह महासमिति ब्रिटेन और संयुक्त राज्योंसे फिर एक बार अपील करती है। परंतु अपने पर हुकूमत करनेवाली और अपने तथा मानवताके हितके लिये काम करनेमें बाधा डालनेवाली साम्राज्यवादी तथा निरकुंश सरकारके विरुद्ध अपने संकल्पको सफल बनानेके लिये अतुल्यहित हुयी प्रजाको अब अधिक समय तक रोक रखनेका समितिको वास्तविक कारण दिखायी

नहीं देता। जिसलिअे समिति मुक्ति और स्वतंत्रताके अैसे हकके लिअे, जिसे दूसरेके सुपुर्द नहीं किया जा सकता, बड़ेसे बड़े पैमाने पर अहिंसा द्वारा संचालित संग्रामकी स्वीकृति देती है। जिस प्रकार देश शांतिपूर्ण लड़ाकीके पिछले पच्चीस वर्षोंमें प्राप्त समस्त अहिंसक शक्तिको काममें ले सकेगा। जिस प्रकारके युद्धकी वागडोर गांधीजी संभालें, यह अनिवार्य है। जिसलिअे समिति अनुसे आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण करके अुसके सिलसिलेमें जो कार्रवायी करनी हो अुसमें जनताका मार्गदर्शन करनेकी प्रार्थना करती है।

“समिति भारतवासियोंसे सिर पर आनेवाले कष्टों और तकलीफोंका हिम्मत और सहिष्णुतासे सामना करने, गांधीजीके नेतृत्वमें मिलकर काम करने और भारतकी स्वतंत्रताके अनुशासनबद्ध सैनिकोंकी भांति अुनके आदेशोंका अनुसरण करनेकी अपील करती है। अुन्हें यह बात याद रखनी है कि अहिंसा जिस लड़ाकीका मुख्य आधार है। संभव है गांधीजीके आदेश प्रकाशित होने भी न पायें। यह भी संभव है कि आदेश जारी होने पर भी वे लोगों तक न पहुंचें और अैसा समय भी आ जाय कि कांग्रेसकी स्थानीय समितियोंका काम ठप हो जाय। अैसे समय लड़ाकीमें भाग लेनेवाले सभी स्त्री-पुरुषोंको जो साधारण सूचनाओं मिलें अुनकी मर्यादामें रहकर खुदको सूत्रे वैसे काम करते रहना चाहिये। जो भारतकी मुक्तिके लिअे अुत्सुक हैं और अुसके लिअे परिश्रम करते हैं, अुन्हें अपना पथप्रदर्शक आप ही बनना है। और जिस कठिन मार्ग पर आश्रयका कोअी स्थान नहीं और जिसका अन्त भारतकी मुक्ति प्राप्त हुअे विना नहीं होगा, अुस पर अुन्हें अपनी बुद्धिसे चलना है।

“अन्तमें, अखिल भारतीय महासमितिके यद्यपि स्वतंत्र भारतके शासनतंत्रके वारेमें अपनी राय प्रगट कर दी है तो भी वह सभी संबंधित लोगोंके सामने स्पष्टीकरण कर देना चाहती है कि जिस प्रकार जनताका संग्राम छेड़नेमें समितिका आशय कांग्रेसके लिअे सत्ता प्राप्त करना नहीं है। सत्ता जब आयेगी तब समस्त भारतवासियोंके हाथमें रहेगी।”

सूची

अडवाणी २४
 अविन, लार्ड ५०, ११४; —का गांधीजी
 के साथ समझौता ५०-५४;—
 भगतसिंहकी फांसीके वारेमें ५७
 अहमदाबाद ५८७
 आंध्र ९६
 आनंदी २३
 आसाम ३७९
 अिमर्सन ६७-६८, ८७
 अुडीसाके गवर्नरके कामचलावू
 अुत्तराधिकारीका झगड़ा ३५२-
 ३५३
 अेल्विन ९३
 अो'गोरमन २६
 अरमसद ४२
 अंग्रेस—और सन् १९३४ के चुनाव
 २२३-२२४; —और '३७ के
 चुनाव २५६-२५९;—और '३७ में
 पदग्रहणका सवाल २६६-२७२;
 —का गांधीजीसे अहिंसाके वारेमें
 मतभेद ५९४-५९५; —का
 द्वितीय विश्व-युद्धके ध्येयोंके
 स्पष्टीकरणकी मांग करनेवाला
 घोषणापत्र ५३१-५३७; —की
 किसान-आन्दोलनके वारेमें नीति
 ३३५-३३६; —की देशी राज्योंके

प्रश्नके वारेमें नीति ३३३-
 ३३४; —की संघ-शासनके
 वारेमें नीति ३४३; —द्वारा
 गोलमेज परिपद् (१) में हुअी
 कार्रवाअीका अस्वीकार ४९;
 —साम्प्रदायिक और दूसरी मुसी-
 वतोंको लोकतांत्रिक ढंगसे हल
 करनेका अेकमात्र साधन संविधान
 बनानेवाली लोकसभाको मानती
 है ५५१
 अंग्रेस, कराची ५६-६४; —का
 भगतसिंह और अुनके साथियोंके
 वारेमें प्रस्ताव ६३; —का
 स्वराज्यके मौलिक अधिकारों-
 संबंधी प्रस्ताव ६३; —के समयकी
 परिस्थिति ५७
 अंग्रेस, त्रिपुरी ५२०-५२६; —में
 अव्यक्षको नापसन्द प्रस्ताव पास
 और अव्यक्षका प्रस्ताव नामंजूर
 हो गया ५२१
 अंग्रेस, फैजपुर २६०-२६४
 अंग्रेस, वम्बअी ('३४ की) २२१-
 २२२
 अंग्रेस, रामगढ़ ५६०-५६१; —
 का युद्धके कारण पैदा हुअी
 नाजुक स्थिति और सविनय
 कानून-भंगके वारेमें प्रस्ताव
 ५६०

कांग्रेस, लखनऊ २५३-२५४
कांग्रेस, लाहौर ३; —का पूर्ण
स्वाधीनता दिवस मनानेका
आदेश ३

कांग्रेस, हरिपुरा ३२४-३५०; —की
व्यवस्था ३२४-३३०; —में
किसान-सभाओंके संघटनके बारेमें
कांग्रेसकी नीतिका स्पष्टीकरण
३३५; —में देशी राज्योंमें
राजनैतिक संस्थाओं कायम करने
का प्रस्ताव ३३३; —में फेडरे-
शनको अस्वीकार किया गया
३३४; —में युक्त प्रान्त और
विहारमें मंत्रिमंडलों द्वारा दिये
गये त्यागपत्रों और अनुसे पैदा
हुओ परिस्थितिके बारेमें प्रस्ताव
३३७, ३४१

कांग्रेस कार्यसमिति —का डॉ० खरेके
खिलाफ प्रस्ताव ३६२-३६३;
—का सुभाष बाबूके खिलाफ
अनुशासन-भंगका प्रस्ताव ५२६;
—की क्रिप्सके साथ संघिवाता
६०८-६०९; —के सदस्योंकी गिर-
फ्तारी ('४२) ६३७; —के सदस्योंने
त्यागपत्र दिये ५२०; —ने नरी-
मानको अयोग्य ठहराया ३२२;
—भारतसे अंग्रेजी हुकूमतके चले
जानेका प्रस्ताव करती है ६२६-
६२७

कानूगा, डॉ० ९, २३, २५

कानूगा, नंदूबहन ९, २३

कालेलकर, काका २८; —ने गांधीजी-
की सलाह लेकर विद्यापीठ पुस्त-

कालय अहमदावाद म्यूनि० को
सौंपा १९८-१९९

कावसजी जहांगीर, सर २९७
कृपालानी, आचार्य १०, २१,
२८४

केडल, सर पैट्रिक —का देवरभाओके
साथ समझौतेका प्रयत्न ४१०;
—की सरदारसे मुलाकात ४१५;
—राजकोटके दीवान नियुक्त हुओ
४०३; —राजकोट छोड़कर गये
४२८

कोठारी, मणिलाल २६, २८

क्रिप्स, सर स्टेफर्ड —का पार्लियामेण्टमें
भारतके सवाल पर सहानुभूति-
पूर्ण भाषण ५५२-५५४; —का
संघिवातके लिये भारतमें आना
६०४; —की संघिवाता निष्फल
हुओ ६०४-६०९; —के प्रस्ताव
६०६-६०८

क्रेक, सर हेनरी २४४

खरे, डॉ० —और महाकोशलके मंत्रियोंमें
मतभेद ३५७; —के खिलाफ कार्य-
समिति द्वारा अनुशासन-भंगका
प्रस्ताव ३६२; —ने त्यागपत्र
दिया (पहली बार) ३६०, (दूसरी
बार) ३६१; —ने दुवारा नेता-
पदके लिये भुम्मीदवार होनेका
भिरादा जाहिर किया ३६२;
—ने समझौतेकी शर्तोंका पालन
नहीं किया ३५९

खान अब्दुल गफ्फारखां ९३

खान साहिव, डॉ० ९३, ३७९

गांधी-अविन संधि ५०-५४; —और नमकके बारेमें सरकारकी ओरसे अड़ंगे ७०; —और वारडोलामें लगानकी वसूलीके सिलसिलेमें सरकार द्वारा अत्याचार ७५-७७; —और युक्त प्रांतमें किसानों पर अत्याचार ९०-९१; —का कांग्रेस द्वारा पालन और सरकार द्वारा भंग ६७-८०; —की जमीन के लगानकी वसूलीसे संबंधित शर्तका सरकारकी ओरसे भंग ७६-७७; —की त्यागपत्र देने-वाले पटेल-पटवारियोंको वापिस लेनेवाली शर्तके पालनमें सरकारकी ओरसे अड़ंगे ७१; —की पिकेटिंग-संबंधी शर्तका सरकार द्वारा भंग ६९-७०; —के बारेमें गांधीजी ५३-५४, ५९; —के भंगमें गैरेटका हिस्सा ८७

गांधीजी —अहिंसा विषयक मतभेदके कारण कांग्रेसका नेतृत्व करनेकी जिम्मेदारीसे मुक्त हुअे ५९६; —का यरवडा जेलका जीवन ('३२-'३३) १०८-१५९; —का राजकोट काण्डमें भारतके प्रधान न्यायाधीशके हाथों प्राप्त हुअे फंसलेके लाभ छोड़नेका निर्णय ४७५; —का वफादारीकी शपथके बारेमें स्पष्टीकरण २७१; —की अविनके साथ संधि ५०-५४; —की कांग्रेस द्वारा पदग्रहणके बारेमें सलाह २६७; —की गिरफ्तारी ('३२) १०३, ('४२)

६३७; —की नरीमान-प्रकरणमें वहादुरजीके निर्णयके साथ संमति-सूचक टिप्पणी ३१५-३१७; —की युद्ध आरंभ होते ही वाविसरायसे मुलाकात ५२७; —गोलमेज परिषद् (दूसरी) से खाली हाथ लौटे ९८; —द्वारा अलाहाबादकी महासमितिकी बैठकमें ('४२) भेजे गये प्रस्तावका मसौदा ५१३-५१५; —द्वारा कांग्रेसकी ब्रिटेन को भारत छोड़कर चले जानेको कहनेवाली नीतिका स्पष्टीकरण ६२१-६२३; —द्वारा क्रिप्सके प्रस्तावोंका अस्वीकार ६०५; —द्वारा खरे प्रकरणके सिलसिलेमें कार्यसमितिकी अखबारों द्वारा की जा रही आलोचनाका जवाब ३७०-३७१; —द्वारा स्वराज्यकी वानगीके तौर पर सरकारसे ग्यारह मुद्दोंवाली मांग ४; —ने सविनय कानून-भंग स्थगित किया २१३; —ने सुभाषवावूके खिलाफ पट्टाभिकी हारको अपनी हार बताया ५१८; —भूमि मुजाड़नेकी नीति और छापामार लड़ाकीके बारेमें ६१४

गांधी, देवदास ३३, ४४१

गांधी, रामदास १६१

गिन्सन (रेजीडेण्ट) ४०२, ४०४, ४०९, ४१५, ४२७, ४२८, ४३४, ४५२, ४५६, ४६४

गुलाटी, रामदास ३२५, ३२६

गुजरात विद्यापीठका पुस्तकालय—

- काकासाहबने अहमदाबाद म्युनि०
को सौंपा २००; —सरदारने
वापिस लिया २०२-२०४
गैरेट २८, २९, ६९, ८७; —की
ज्व्त की हुयी जमीनें वापिस
करनेके वारेमें विरोधी नीति
२७३
गॉर्डन ८३, ८४
गोलमेज परिषद् (पहली) ४९; —के
मुद्देश्य ४; —में भाग लेनेकी
शर्तें ४०-४१
गोलमेज परिषद् (दूसरी) —में जानेका
गांधीजीका निर्णय ८२; —में
जानेके आमंत्रणका गांधीजी द्वारा
अस्वीकार ८०; —से गांधीजी
खाली हाथ वापिस आये ९८
गोले ३६०
ग्वायर, सर मॉरिसका निर्णय ४६७-
४६८
घटगांव ९५
चांपानेरिया २७
चोबियराम, डॉ० ५६
जंजीवार ३४६
जयकर ८२; —और सप्रूके समझौता
करानेके प्रयत्न ३९-४१
जयपुर ३८४
जयरामदास ५६
जलालपुर ४२
जिन्ना १६, २४२, २५७
जेटलैण्ड, लार्ड —का लार्डसभामें
बोलते हुये कांग्रेसके खिलाफ
आक्षेप ५३९
- जोशी (मजिस्ट्रेट) २२
टेलर २६
ठाकुर छेदीलाल ३६०
डेविस २२
ढाका ९६
डेवर, अछरंगराय ३९७, ३९८, ४०३,
४१०
तलाटी, गोकुलदास २६, २७
दरबार गोपालदास २६, ४९७
दादुभायी २४
दिवेटिया, नरसिंहराव ५८
दुर्लभजीभायी ७१
देवघर ३६
देशमुख, डॉ० २९७; —की नरीमानका
चुनाव-खर्च देनेकी तैयारी २९७
देशमुख ३६०, ३६१
देशी राज्योंमें जागृति ३८४-३८५;
—और बड़ौदा (देखो बड़ौदा);
—और माणसा ३९३-३९५;
—और मंसूर ३८८-३९२; —और
राजकोट (देखो राजकोट सत्या-
ग्रह); —और लीमड़ी(देखो लीमड़ी)
देसाबी, दिनकरराय २३४
देसाबी, भूलाभायी ८३, २२४, २९७,
२९८
देसाबी, महादेवभायी १०, २१, २३-
२४, २६, ४४७
देसाबी, मोरारजी ७१, २३३
देसाबी, डॉ० हरिप्रसाद २६
घरासणा ३६
नटराजन ३६

नरीमान २२३; -और सरदारके पारस्परिक आक्षेपोंकी वहादुरजी द्वारा जांच और निर्णय ३०९-३१५; -का कार्यसमितिके प्रस्तावके बारेमें वक्तव्य २७६; -का गांधीजीसे निष्पक्ष न्याय करनेका अनुरोध २९३; -का चुनावके दिनका व्यवहार और चुनाव पर अुसका परिणाम ३०३; -का सन् '३७ में अपने नेता न चुने जाने पर पहला निवेदन २७४-२७५; -का सरदारके दो तारोंके बारेमें कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलालजीको पत्र २७७-२७८; -की गांधीजी और वहादुरजीका निर्णय माननेकी तैयारी २९०; -की पारसी मत-दाताओंसे कुछ वोट कांग्रेसी अुम्मीदवारको देनेकी अपील ३०२; -को कार्यसमितिके अयोग्य ठहराया ३२२; -दोषी पाये गये ३१५; -द्वारा गांधीजीके पहली अगस्तके पत्रका वादमें विरोध और गांधीजीका उत्तर २९२-२९३; -ने अपना अुम्मीद-वारीपत्र वापिस ले लिया ३००; -ने गलत अुम्मीदवारी-पत्र भरा २९८; -पर सरदारके आक्षेप ३०४-३०५

निमूवहन २७

नेहरू, जवाहरलाल ६०, ३९६, ५८०; -और समाजवादी २५५; -का क्रिप्सकी उत्तर ६०९; -का

नरीमानको अुनकी स्वतंत्र जांच-की मांगके बारेमें कड़ा पत्र २८५; -का नरीमानको जवाब २८०; -का फैजपुर कांग्रेसके अध्यक्षीय चुनावके बारेमें निवेदन २६२-२६३; -कार्यसमितिके अपने मतभेदके बारेमें २५४; -द्वारा जेटलैण्डकी आलोचनाका जवाब ५४०; -द्वारा नरीमान-कांडके सिलसिलेमें पत्रोंमें हो रहे प्रचारके बारेमें निवेदन २८०; -द्वारा भूमि अुजाड़ने और छापामार युद्ध चलानेकी हिमायत ६१४

नेहरू, मोतीलाल ५०

पटवारी, रणछोड़दास १४३

पटेल, डाह्याभाजी १८०, १८१, १८५, १८६, १८७, १९७

पटेल, डॉ० भास्कर २०५, २०६, २०७

पटेल, पशाभाजी ३२६

पटेल, मणिवहन २४, १७९, १८०, १८२, १८३, १८४, १८५, १८८, १९०, १९४, ४३९, ४४०, ४४१

पटेल, वल्लभभाजी -अहिंसा पर गांधीजीके साथ अपने मतभेदके विषयमें ५६६-५६७; -और खरे-प्रकरण (देखो खरे); -और नरीमान-कांड (देखो नरीमान); -और वारडोलीकी जांच ८३-८६; -और माणसाकी प्रजाका आन्दोलन ३९३-३९५; -और मंसूरकी प्रजाका आन्दोलन ३८८-

३९२; -और राजकोटका सत्याग्रह (देखो राजकोटका सत्याग्रह); -कराची कांग्रेसके अध्यक्ष चुने गये ५६; -कांग्रेसके स्थानापन्न अध्यक्ष ३८; -का आग्रह कि ज्वत्त की हुआी सब जमीनें वापिस मिलनी ही चाहिये ५२; -का '४१ का जेल-जीवन ५८२-५८५; -का कांग्रेसके अध्यक्षपदकी अुम्मीद-वारीसे अपना नाम वापिस लेना २६०; -का कार्यसमितिसे त्याग-पत्र ५२०; -का कुछ बातोंमें विस्मयजनक अज्ञान ११७; -का गांधीजीके अपवासके वारेमें सर पुरुषोत्तमदासको लिखा हुआ पत्र १५५-१५७; -का गुजरातके साथियोंको संदेश २२९-२३०; -का गुजरात प्रान्तीय समितिको मार्गदर्शन (सन् '४२) ५९९-६००; -का जवाहरलालजीसे मतभेद २६०; -का वर्कन हेडको जवाब ८; -का वापूके खिलाफ मीठा क्रोध १४३-१४४; -का वोरसद प्लेग-निवारण कार्यके विषयमें सरकारी विज्ञप्तियोंका जवाब २१०; -का भारतकी परिस्थितिके विषयमें गांधीजीको तार ९५-९६; -का महा-समितिमें महत्त्वपूर्ण भाषण ६३३-६३६; -का यरवडाका जेलजीवन १०८-१५९; -का विट्टलभाभीकी अंत्येष्टिके लिये

सरकारकी शर्तों पर छूटनेसे अनिकार १७५; -का शरदवावूके आक्षेपोंका जवाब ५२३; -का संस्कृत-भाषाका अध्ययन १२४, १२५, १२८; -का समाजवादियों के प्रति रवैया २३५-२३७; -का सावरमतीका जेलजीवन १८-३३; -की गिरफ्तारी ('३०) ९, ('३२) १०३, ('४१) ५८२, ('४२) ६३७; -की गुजरातियोंको समाजवादके कोरे पुस्तक-पांडित्यमें फंसनेके खिलाफ चेतावनी २३०; -की जेलमुक्ति ('३४) २२९; -की डाह्याभाभीको सलाह १८१-१८२; -की नाककी पीड़ा १७१-१७२; -की दीमारी और जेलमुक्ति ('४१) ५८८-५८९; -की मैकडोनाल्डके निर्णयके विरुद्ध आगाही १२१; -की सिंधमें कांग्रेसकी नीतिके विषयमें सलाह ३७९-३८०; -के खिलाफ कराचीमें विरोध-प्रदर्शन ५८; -के साथ आंधेडकरकी सूचनाके वारेमें गांधीजीकी चर्चा १५४; -के साथ जेलमें अनुचित व्यवहार ('३३) १७२-१७३; -को अहमदावादमें हुअे साम्प्रदायिक अपद्रवोंसे दुःख ५८७-५८८; -को अहिंसके मुद्दे पर कांग्रेसमें से न निकलनेकी गांधीजीकी सलाह ५९८; -क्रिस्त-प्रस्तावोंके विषयमें ६११; - गांधीजी और वाभिसरायकी

- निष्फल मुलाकातके वारेमें
५५८;—जमींदारोंके वारेमें २५१;
—जंलके कंदियोंके वर्गीकरण
और अुनकी खुराकके वारेमें
२६-३०; —द्वारा देशी राज्योंके
वारेमें कांग्रेसकी नीतिका स्पष्टी-
करण ३३३-३३४; —द्वारा
संयुक्त प्रांतके किसानोंको मार्ग-
दर्शन २५२-२५३; —द्वारा मुभाप
वावूके कांग्रेसकी अध्यक्षताके लिअे
दुवारा खड़े होनेका विरोध ५१०-
५१५; —ने चाय छोड़ दी १०८;
—ने वीड़ी छोड़ी ९; —पर भाव-
नगरमें हमलेका प्रयत्न ५०३;
—पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्ष
नियुक्त हुअे २५७; —'४२ के
स्वातंत्र्य-युद्धमें प्रजाके धर्मके
वारेमें ६३१-६३२
- पटेल, विठ्ठलभाजी १७४-१७७; —के
विलका अगड़ा १७८
- पाणशीणा ४९२, ४९४
- फतह मुहम्मदखां ४३९, ४४२, ४४५,
४४८, ४४९, ४५५, ४६०
- फौजदार, डॉ० २५
- बंगाल ९३-९५, ९६
- वजाज, जमनालालजी २८, १४८-
१४९, ५९०-५९१
- वड़ोदा ४८०-४९०; —राज्यकी परि-
स्थितिके विषयमें सरदार ४८३-
४८५; —राज्यकी प्रजामण्डलको
कुचल डालनेकी नीति ४८२
- बहादुरजी २९५, २९६, ३०९, ३१२,
३१५, ३१७
- बारडोली ४१, ७५-७६; —की जांचमें
से कांग्रेस हट गयी ८६; —में हुअी
सरकारी अत्याचारोंकी जांच
८३-८६
- बिलीमोरिया १५, १८
- बिहार —के कांग्रेसी मंत्रिमण्डलका
त्यागपत्र ३३६; —के मंत्रिमण्डल-
के साथ सरकारका समझौता
—३४४; —में भूकम्प २१३
- वेन्थल ११३
- बोरसद ४१, ४७-४९, ५१; —में प्लेग
२०५; —में प्लेग-निवारणके
लिअे कांग्रेसका काम, सरकारी
आक्षेप और अुनका जवाब
२०६-२११
- बोस, नंदलाल २६४, ३२५, ३२७-
३२८
- बोस, शरदचंद्र ५२२
- बोस, सुभाषचंद्र ६०, ३२८, ५६२;
—का अध्यक्षपदसे त्यागपत्र ५२५;
—का कांग्रेसके खिलाफ प्रचार
५२५-५२६; —की अध्यक्षपदके
लिअे दूसरी बार अुम्मीदवारी
५०९; —के खिलाफ अनुशासन-
भंगका प्रस्ताव ५२६; —को ना-
पसंद प्रस्ताव पास हो गया ५२१;
—द्वारा फारवर्ड ब्लाककी स्थापना
५२६
- ब्रेत्सफर्ड ४७
- भगतसिंह ५८, ६२

भावनगरमें प्रजामण्डलका अधिवेशन

५०३-५०८

मथुरादास त्रिकमजी २९९

मद्रासके मंत्रिमण्डलका त्यागपत्र ५४६

मध्यप्रांतके मंत्रिमण्डलके झगड़े

३५७-३६५

मनसुखलाल २४, २८

मशरूवाला, किशोरलाल २७१

महेता, जमशेद ५६

माणसा ३९३-३९५

माणकलाल, रा० सा० ४२९, ४३२,

४३९

मालवीय, पं० मदनमोहन १६, ३८,

११४, १४६; —का भारतकी परि-

स्थितिके विषयमें तार १०३-१०८

मावलंकर, दादासाहब १४, १५, २३

मुकजी, मन्मथनाथ ३५६

मुन्शी, कन्हैयालाल २९९, ३०३

मुन्शी, लीलावती ३०३

मुस्लिम लीगका पाकिस्तानका प्रस्ताव

५६२

'मैचेस्टर गार्डियन' ४७

मैसूर ३८८-३९२

युक्त (संयुक्त) प्रांत ६७, ६९, ७९;

—के कांग्रेस मंत्रिमण्डलका त्याग-

पत्र ३३६; —के किसानोंको

सरदारका मार्गदर्शन २५०-२५३;

—के मंत्रिमण्डलके साथ सरकारका

समझौता ३४४

रंगाचारी १२१

राजकोट सत्याग्रह ३९६-४८०;

—के सम्बन्धमें गांधीजीका अुप-

वास ४५०-४६६; —के सिल-

सिलमें केडल और सरदारकी

मुलाकात ४१५; —के सिल-

सिलमें सरदार और राजकोटके

कैदियोंका अुपवास ४४४; —में

कस्तूरवाकी गिरफ्तारी ४४०;

—में केडलका डेवरभाभीके साथ

समझौतेका प्रयत्न ४१०; —में

ठाकुर साहबका वचन-भंग

४२८-४३२

राजेन्द्रप्रसाद २४२, ३५७, ३६०,

५२५, ५२६, ५५०

रायम ८५

रास ९, १०, ६८, ८७-८८

रामली, सर राँजरके साथ सरदारकी

मुलाकात २४५

लाखाजीराज ३९६

लाला, भोगीलाल ८३

लिनलियगो, लार्ड —और गांधीजीका

(अपनी चौथी और निष्फल) मुला-

कातके विषयमें संयुक्त निवेदन

५५५-५५६; —और गांधीजीकी

मुलाकात ५२७; —की युद्धके

अुद्देश्योंके बारेमें घोषणा ५४१;

—की युद्धके विषयमें घोषणा

५२९

लीमड़ी —की प्रजाकी हिजरत ४९९;

—के बारेमें सरदारका निवेदन

४९३; —में प्रजा-परिपक्के

आयोजनके खिलाफ राज्य द्वारा

गुंडों और फसादी तत्त्वोंका

अुपयोग ४९६-४९९

लेक्स्टन २४

बालेरावाला ४४०

विनोबा ५८०

विलिंग्डन, लार्ड ६५, ११४

वीरावाला, दरवार ३९९, ४३६,

४४८, ४४९, ४५३, ४५८,

४६६, ४६७, ४७४, ४७५;

—की गांधीजीसे वातचीत ४४८;

—की दीवानके पद पर पुनः

नियुक्ति ४२८; —ने संविका

भंग कराया ४२६

वैद्य, गंगावहन ५१

शरीफ साहब ३५४-३५७

शाह, के० टी० ३०४

शाह, फूलचंद वापूजी १९२-१९३

शुक्ल, रविशंकर ३६०

सप्रू, तेजवहादुर ८२, १२९

सिंघ ३७९-३८०

सिद्धापुर ४२

सीमाप्रान्त (सरहद प्रांत) ७४, ९३,

३७९

सुखड़िया, रमणीकलाल १७९, १८६

सैकी, लार्ड ११४

हलेन्डा ४४२

हिजली ९४, ९५

होर, सर सेम्युअल ९७, ११४ ५४६-

५४८

हमारा पत्र-साहित्य

बापूके पत्र — १

आश्रमकी बहनोंको

संपा० काफा कालेलकर; अनु० रामनारायण चौधरी

बापूने ये पत्र सावरमती आश्रमकी बहनोंको लिखे थे । अिन पत्रोंमें शुरूसे आखिर तक हृदयकी शिक्षाकी ही बात है । भारतकी बहनोंको अपना धरेलू और सामाजिक जीवन अुन्नत बनानेकी अिनमें कीमती सामग्री मिलेगी ।

की० १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

बापूके पत्र — २

सरदार बल्लभभाओके नाम

अनु० रामनारायण चौधरी

अिस पुस्तकमें नवीन भारतके निर्माणमें महत्वपूर्ण भाग लेनेवाले दो महापुरुषों — गांधीजी और सरदार पटेल — के बीच हुए ता० ८-७-'२१ से २९-१२-'४७ तककी पूरी अेक पीढ़ीके अरसेका पत्रव्यवहार आ जाता है । अिन पत्रोंकी विशेषता अिसीमें है कि ये "अेक बहादुर योद्धा और बफादार साथीको लिखे गये थे, अिनकी विवेकशक्ति और व्यवहार-कुशलतामें बापूको बड़ा विश्वास था ।" अिन पत्रोंसे पाठकोंको बहुत कुछ जानने-सीखनेको मिलेगा ।

की० ३-८-०

डाकखर्च १-४-०

बापूके पत्र सीराके नाम

अनु० रामनारायण चौधरी

यह अेक आध्यात्मिक पिताका अपने ठोकर खाते हुए बच्चेको दिया हुआ अत्यन्त सीधासादा और प्रेनपूर्ण अुपदेश है । अिन पत्रोंमें बापूके जीवनके पिछले २२ वर्षोंका प्रतिबिम्ब है । सबको दिखायी देनेवाला भव्य और प्रभावशाली बाह्य जीवन नहीं, बल्कि वह आन्तरिक व्यक्तिगत जीवन, जो बाहरी दुनियाके तमाम बखेड़ोंसे प्रभावित हुए बिना आध्यात्मिक स्रोअके अपने संतुलित और सीधे मार्ग पर चलता रहा ।

की० ४-०-०

डाकखर्च १-३-०

